

Ref :: SD:109/110/11/12:2026-27

Date: 27.05.2026

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The Vice President</b><br><b>BSE Ltd.</b><br><b>Phiroze Jeejeebhoy Towers</b><br><b>Dalal Street</b><br><b>Mumbai - 400 001</b><br><br>Scrip Code: <b>532483</b> | <b>The Vice President</b><br><b>Listing Department</b><br><b>National Stock Exchange of India Ltd</b><br><b>Exchange Plaza</b><br><b>Bandra-Kurla Complex, Bandra [E]</b><br><b>Mumbai - 400 051</b><br><br>Scrip Code: <b>CANBK</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dear Sir/Madam,

**Sub: Annual Report of the Bank for the Financial Year 2025-26**

Pursuant to Regulation 34(1), 53(2) and all other applicable provisions, if any, of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed Annual Report (including Notice of the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting) of the Bank for the financial year 2025-26.

The Annual Report of the Bank for the financial year 2025-26 is available on the Bank's website [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in). QR code for downloading the same is provided underneath.



Restricted

This is for your information and records.

Yours faithfully,

**SANTOSH**  
**KUMAR**  
**BARIK**  
Digitally signed  
by SANTOSH  
KUMAR BARIK  
Date: 2026.05.27  
18:23:33 +05'30'

**Santosh Kumar Barik**  
**Company Secretary**

Restricted

केनरा बैंक  
Canara Bank  
A Government of India Undertaking



Together We Can

वार्षिक रिपोर्ट  
ANNUAL REPORT  
2025-26

विकसित  
भारत की ओर...  
Towards  
Viksit Bharat

Restricted

Scan the QR Code  
to download  
Annual Report 2025-26



Restricted

[www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in)



# निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी)  
और कार्यपालक निदेशक

**SHRI HARDEEP SINGH AHLUWALIA**

MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER (I/C)  
AND EXECUTIVE DIRECTOR



श्री भवेन्द्र कुमार

कार्यपालक निदेशक

**SHRI BHAVENDRA KUMAR**

EXECUTIVE DIRECTOR



श्री एस. के. मजुमदार

कार्यपालक निदेशक

**SHRI S.K. MAJUMDAR**

EXECUTIVE DIRECTOR



श्री सुनील कुमार चुघ

कार्यपालक निदेशक

**SHRI SUNIL KUMAR CHUGH**

EXECUTIVE DIRECTOR



सुश्री शालिनी पंडित

प्रतिनिधि निदेशक भारत सरकार

**MS SHALINI PANDIT**

DIRECTOR REPRESENTING  
GOVERNMENT OF INDIA



श्री रोहित पी. दास

प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक

**SHRI ROHIT P. DAS**

DIRECTOR REPRESENTING  
RESERVE BANK OF INDIA



सुश्री आभा सिंह यदुवंशी

शेयरधारक निदेशक

**MS ABHA SINGH YADU VANSHI**

SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री गुंजीत सिंह पन्नु

शेयरधारक निदेशक

**SHRI GUNJEET SINGH PANNU**

SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव

प्रतिनिधि निदेशक भारत सरकार

**SHRI BALAKRISHNA**

**RAGHAVENDRA RAO**  
SHAREHOLDER DIRECTOR

## अवधि के दौरान कार्यालय से मुक्त हुए निदेशक Directors Demitted Office during the period



श्री देबाशीष मुखर्जी

कार्यपालक निदेशक

**SHRI DEBASHISH MUKHERJEE**

EXECUTIVE DIRECTOR



श्री बिमल प्रसाद शर्मा

शेयरधारक निदेशक

**SHRI BIMAL PRASAD SHARMA**

SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री हेमंत बुच

शेयरधारक निदेशक

**SHRI HEMANT BUCH**

SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री विजय श्रीरंगन

गैर-कार्यकारी अध्यक्ष

**SHRI VIJAY SRIRANGAN**

NON-EXECUTIVE CHAIRMAN



श्री के. सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

**SHRI K. SATYANARAYANA RAJU**

MANAGING DIRECTOR &  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



सुश्री नलिनी पद्मनाभन

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक

**MS NALINI PADMANABHAN**

PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR



श्री प्रशांत कुमार गोयल

प्रतिनिधि निदेशक भारत सरकार

**SHRI PARSHANT KUMAR GOYAL**

DIRECTOR REPRESENTING  
GOVERNMENT OF INDIA



वार्षिक रिपोर्ट  
2025-2026  
ANNUAL REPORT



## वार्षिक रिपोर्ट 2025-2026

### विषयवस्तु

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य                 | 1   |
| 2. सूचना                                                              | 9   |
| 3. प्रगति की एक झलक                                                   | 35  |
| 4. निदेशकों की रिपोर्ट 2025-2026                                      | 36  |
| • प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण                                  | 39  |
| • कारोबार निष्पादन                                                    | 43  |
| • वित्तीय निष्पादन                                                    | 44  |
| • वित्तीय समावेशन                                                     | 73  |
| • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस का कल्याण      | 95  |
| • निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य                                    | 130 |
| • सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट                                          | 132 |
| 5. कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर)             | 138 |
| 6. कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट                                        | 258 |
| • निदेशकों की अपात्रता का प्रकटन संबंधी प्रमाण पत्र                   | 345 |
| 7. अनुपालन पर अभ्यासरत कंपनी सचिव प्रमाणपत्र                          | 347 |
| 8. पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित)                                          | 350 |
| 9. एकल वित्तीय विवरण                                                  |     |
| • स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट                                  | 354 |
| • असंशोधित राय सहित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा                      | 373 |
| • सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियम 17(8) | 374 |
| • तुलन-पत्र                                                           | 376 |
| • लाभ व हानि लेखा                                                     | 377 |
| • तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां                            | 379 |
| • लाभ व हानि लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां                      | 387 |
| • महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां                                          | 389 |
| • लेखा संबंधी टिप्पणियां                                              | 413 |
| • नकद प्रवाह विवरणी                                                   | 517 |
| 10. समेकित वित्तीय विवरण                                              |     |
| • स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट                                  | 522 |
| • असंशोधित राय के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा                    | 539 |
| • सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियम 17(8) | 540 |
| • समेकित तुलन पत्र                                                    | 542 |
| • समेकित लाभ व हानि खाता                                              | 543 |
| • समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां                     | 545 |
| • समेकित लाभ व हानि खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां               | 552 |
| • लेखांकन नीतियां                                                     | 554 |
| • समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां                  | 579 |
| • समेकित नकद प्रवाह विवरणी                                            | 595 |
| 11. लाभांश वितरण नीति                                                 | 598 |
| 12. हरित पहल - शेयरधारकों से अपील                                     | 606 |

## ANNUAL REPORT 2025-2026

### CONTENTS

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. MD & CEO'S STATEMENT                                                       | 1   |
| 2. NOTICE                                                                     | 9   |
| 3. PROGRESS AT A GLANCE                                                       | 35  |
| 4. DIRECTORS' REPORT 2025-2026                                                | 36  |
| • MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS                                          | 39  |
| • BUSINESS PERFORMANCE                                                        | 43  |
| • FINANCIAL PERFORMANCE                                                       | 44  |
| • FINANCIAL INCLUSION                                                         | 73  |
| • WELFARE of SC / ST / OBC / EWS                                              | 95  |
| • DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT                                         | 130 |
| • SECRETARIAL AUDIT REPORT                                                    | 132 |
| 5. BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORTING (BRSR)                  | 138 |
| 6. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE                                             | 258 |
| • CERTIFICATE OF DISQUALIFICATION OF DIRECTORS                                | 346 |
| 7. PRACTISING COMPANY SECRETARY CERTIFICATE                                   | 347 |
| 8. PILLAR 3 DISCLOSURES (CONSOLIDATED)                                        | 351 |
| 9. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS                                            |     |
| • INDEPENDENT AUDITORS' REPORT                                                | 354 |
| • DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION                         | 373 |
| • CEO/CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015   | 374 |
| • BALANCE SHEET                                                               | 376 |
| • PROFIT AND LOSS ACCOUNT                                                     | 377 |
| • SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET                                      | 379 |
| • SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT                       | 387 |
| • SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES                                             | 389 |
| • NOTES ON ACCOUNTS                                                           | 413 |
| • CASH FLOW STATEMENT                                                         | 517 |
| 10. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS                                         |     |
| • INDEPENDENT AUDITORS' REPORT                                                | 522 |
| • DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION                         | 539 |
| • CEO / CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 | 540 |
| • CONSOLIDATED BALANCE SHEET                                                  | 542 |
| • CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT                                        | 543 |
| • SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET                    | 545 |
| • SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT          | 552 |
| • ACCOUNTING POLICIES                                                         | 554 |
| • NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS                  | 580 |
| • CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT                                            | 595 |
| 11. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY                                              | 598 |
| 12. GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS                                 | 607 |



## प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य झलकियाँ प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

सर्वप्रथम मैं आपके अटूट समर्थन और विश्वास के लिए आप सभी के प्रति अन्तर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने वर्षों से हमारे बैंक की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सतत विकास, नवोन्मेष और निरंतर बहुमूल्य सृजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के बल पर हमें इस वर्ष भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल करने में सक्षम बनाया है। मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ।

जहाँ तक वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य का संबंध है, वित्त वर्ष 2025-26 चुनौतियों और अवसरों का मिला-जुला वर्ष रहा। सकारात्मक बात यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया, जिसमें अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बाद भी विकास की गति में धीरे-धीरे मजबूती आई और मुद्रास्फीति स्थिर बनी रही। फिर भी चुनौतिया बनी रही। इसका मुख्य कारण भू-राजनीतिक संघर्षों में वृद्धि, व्यापार मार्गों में व्यवधान, तथा मुद्रास्फीति के अंतिम पड़ाव पर वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई सतर्क मौद्रिक नीतियाँ हैं। दूसरी छमाही में चुनौतियाँ और भी बढ़ गईं, जिसका कारण अमेरिकी प्रशासन द्वारा प्रदर्शित क्षेत्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षाएँ थीं, विशेष रूप से वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद ग्रीनलैंड को अपने अधीन करना था। इसके अलावा, अमेरिका की नई सरकार ने मुक्त व्यापार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी रद्द कर दिया और संरक्षणवाद की नीति को अपनाते हुए अपने व्यापारिक साझेदारों पर पारस्परिक शुल्क लगा दिए, जिससे पूरी दुनिया में मंदी की संभावनाएं बढ़ गईं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नवीनतम विकास अनुमान (अप्रैल 2026 विश्व आर्थिक आउटलुक) एक लचीली, लेकिन नाज़ुक वैश्विक अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। इसके अनुसार, वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2025 में लगभग 3.4% रहने का अनुमान है, जिसके बाद भू-राजनीतिक संघर्ष के सीमित रहने की धारणा के तहत यह 2026 में घटकर 3.1% और 2027 में 3.2% रहने का अनुमान है। मुद्रास्फीति का दबाव, जो 2025 के अधिकांश समय में कम हो गया था, उच्च ऊर्जा कीमतों और आपूर्ति-पक्ष व्यवधानों के कारण एक बार फिर बढ़ने के जोखिमों का सामना करने लगा है।

घरेलू मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही है। कृषि और सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि से वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.5% तक पहुंचने की उम्मीद है, हालांकि विनिर्माण क्षेत्र में

## MD & CEO'S STATEMENT

Dear Shareholders,

With great pleasure and immense gratitude, I present to you the highlights of our Bank's performance for the financial year 2025-26.

First and foremost, I extend my deepest appreciation to each of you for your unwavering support and trust, which has played a pivotal role in our Bank's distinguished journey over the years and has enabled us to achieve yet another year of significant achievements, driven by our commitment to sustainable growth, innovation, and continuous value creation. I wish you all the best of health and spirits.

FY 2025-26 was a mixed bag, as far as global macroeconomic landscape was concerned, presenting both challenges and opportunities in its wake. On the positive note, global economy exhibited resilience, displaying gradual strengthening of growth impulses accompanied by stable inflation despite the imposition of tariffs by the US. Nevertheless, challenges persisted, primarily driven by escalating geopolitical conflicts, disruptions in trade routes, and cautious monetary policy stances maintained by global Central Banks. Challenges intensified in the second half due to territorial ambitions displayed by the US administration, given the intention to annexe Greenland after ensuring a regime change in Venezuela. Moreover, the new US regime also reneged on its commitment to free trade and adopted protectionism, imposing reciprocal tariffs on its trading partners, raising the prospects of stagflation across the globe.

International Monetary Fund (IMF) latest growth projections (April 2026 World Economic Outlook) show a resilient but fragile global economy, as global GDP growth has been estimated at approximately 3.4% in 2025, before moderating to 3.1% in 2026 and 3.2% in 2027 under the assumption of a contained geopolitical conflict. Inflationary pressures, which had eased through much of 2025, witnessed renewed upside risks due to higher energy prices and supply-side disruptions.

On the domestic front, the economy continued to remain robust, with real GDP growth set to touch 7.5% in FY26 buoyed by robust growth in agriculture and services sectors though growth in manufacturing sector continues

मामूली वृद्धि बनी हुई है। वित्त वर्ष 2026 की अंतिम तिमाही में जीडीपी विकास दर, खपत और सार्वजनिक निवेश के बल पर, 7.5% के करीब रहने की उम्मीद है। निजी खपत, जो चिंता का एक प्रमुख कारण बना हुआ था, अब उसमें सुधार के संकेत दिखने लगे हैं; इसकी मुख्य वजह वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले करों में कमी के चलते लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। निर्यात में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है तथा वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात 800 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार किया है। अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए शुल्क के माहौल में भी यह संभव हो पाया, जिसका श्रेय प्रभावी व्यापार विविधीकरण और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों की श्रृंखला को जाता है।

हालाँकि, भारत पश्चिम एशियाई संकट के कारण उत्पन्न झटके से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता है। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य की नाकेबंदी और खाड़ी क्षेत्र में रिफाइनरियों के बंद होने से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर विकास और मुद्रास्फीति पर पड़ सकता है। आतिथ्य और पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, उर्वरक, रेस्तरां, ग्रैन्यूल्स कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो प्रभावित हो सकते हैं। यदि संघर्ष लंबा चलता है तो विप्रेषण भी प्रभावित हो सकते हैं।

कई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने वित्त वर्ष 27 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। हमारी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में मजबूती और कॉरपोरेट एवं बैंक तुलन पत्र की अच्छी स्थिति से भी बल मिलता है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं पर बढ़ते जोर से नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा, भारत तेजी से वैश्विक क्षमता केंद्रों और डेटा केंद्रों के रूप में उभर रहा है जो रोजगार के विशाल अवसर पैदा कर रहा है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव से वस्त्र, अर्धचालक, ऑटो कलपुर्ज, दवाईयाँ, फुटवियर और खिलौने जैसे क्षेत्रों को भारी लाभ होने की संभावना है। हालाँकि, मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना है, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मानसून के दीर्घकालिक औसत (एलपीए) का 92% रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इन घरेलू और वैश्विक व्यापक आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2027 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान जताया है।

वित्त वर्ष 2026 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और लचीला बना रहा, जिसमें आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार, अशोध्य ऋणों के लिए बेहतर प्रावधान, सतत पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता में वृद्धि देखने को मिली। हालाँकि, नए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) नियम लागू होने वाले हैं लेकिन बैंक अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है। अनुकूल घरेलू वृहद-आर्थिक परिस्थितियों ने

to be modest. GDP growth rate for the last quarter of FY26 is expected to be closer to 7.5% buoyed by consumption and public investment. Private consumption which was a major cause for worry has begun showing green shoots facilitated by rise in purchasing power on account of reduction in goods and services taxes. Exports have also done well with merchandise and services exports crossing the \$800 billion mark. This was possible even in an environment of heightened tariffs by the US due to effective trade diversification and the series of free trade agreements with major trading partners.

However, India cannot be fully immune to shocks created due to the West Asian crisis. The blockade of the Strait of Hormuz and refinery outages in the Gulf has impacted oil and gas supplies, which could impinge on growth and inflation. Hospitality and tourism, logistics, shipping, fertilisers, restaurants, granules are some of the sectors, to name a few, which could be impacted. Remittances could also be impacted if the conflict prolongs.

Despite multiple headwinds, major international agencies forecast Indian economy to grow around 6.5% in FY27. Our economy also draws strength from robust public capital expenditure and healthy corporate & Bank balance sheets. The increasing emphasis on semiconductors, electronics and Artificial Intelligence capabilities is expected to spur innovation and growth. India is also emerging as a major player in defence, renewable energy and space technology. Moreover, India is fast emerging as a hub for global capability centres and data centres generating huge employment opportunities. The shift in global economic landscape is set to immensely benefit sectors like textiles, semi-conductors, auto components, pharmaceuticals, footwear and toys. Monsoon, however, is likely to be below normal with the India meteorological Department (IMD) forecasting monsoon at 92% of the Long Period Average (LPA). Considering these domestic and global macroeconomic factors, the Reserve Bank of India (RBI) has projected real GDP growth at 6.9% for FY 2027.

The Indian Banking sector remained sound and resilient in FY 2026 with continued improvement in asset quality, enhanced provisioning for bad loans, sustained capital adequacy and rise in profitability. Though the new Expected Credit Loss (ECL) norms will kick in banks are well capitalised to absorb the extra capital



वित्त वर्ष 26 के लिए 15% की ऋण वृद्धि को बढ़ावा दिया है। हालाँकि, ऋण विस्तार की तुलना में जमा राशियों में कम वृद्धि का होना एक प्रकार से चुनौतियां बनी रहीं, जिससे बैंकों के बीच जमा राशि के लिए प्रतिस्पर्धा और अधिक तेज हो गई। वित्तीय वर्ष 25 के अधिकांश भाग में बैंकिंग प्रणाली में तरलता की तंगी बनी रही, जिससे बैंकों के मार्जिन पर दबाव पड़ा, क्योंकि उन्हें उच्च लागत पर धन जुटाना पड़ा।

मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे वैश्विक कारोबार वर्ष दर वर्ष 12.11% की वृद्धि के साथ अर्थात् 19,187 करोड़ (12 माह) के निवल लाभ के साथ 28 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँच गया है।

इसके अतिरिक्त, बैंक के निदेशक मंडल ने वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2025-26 के लिए शेयरधारकों को ₹2/- अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹4.2/- (अर्थात् 210%) का लाभांश देने की अनुशंसा की है। इसकी तुलना वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वितरित ₹4 प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश से की गई थी और यह हमारे सम्मानित शेयरधारकों के लिए मूल्य निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मुझे वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हमारे प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और शुरु की गई पहलों के विवरण के साथ हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन के मुख्य अंश आपके सामने रखते हुए प्रसन्नता हो रही है।

## बैंक का प्रमुख कार्यनिष्पादन

### कारोबार

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार बढ़कर ₹28,06,226 करोड़ हो गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 12.11% की वृद्धि दर्ज की गई; वहीं वैश्विक जमा 9.71% की वार्षिक दर से बढ़कर ₹15,68,678 करोड़ और वैश्विक अग्रिम 15.30% की वार्षिक दर से बढ़कर ₹12,37,548 करोड़ हो गया। घरेलू कारोबार पर दिए गए जोर के परिणामस्वरूप इसमें वर्ष-दर-वर्ष 11.04% बढ़कर ₹25,98,048 करोड़ हो गया, इसमें घरेलू जमा में वर्ष-दर-वर्ष 7.95% बढ़कर ₹14,36,905 करोड़ और घरेलू अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 15.12% बढ़कर ₹11,61,143 करोड़ हो गया। यथा मार्च 2026 तक, खुदरा मीयादी जमा वर्ष-दर-वर्ष 9.33% की वृद्धि दर्ज करते हुए यह ₹5,81,851 करोड़ हो गई। साथ ही, यथा मार्च 2026 तक, कासा जमा ₹4,28,804 करोड़ रहा, जिसमें बचत जमा ₹ 3,66,581 करोड़ और चालू जमा ₹62,223 करोड़ है। यथा 2026 मार्च तक बैंक का घरेलू कासा अनुपात 29.84% था, जबकि लगभग 12.15 करोड़ जमाकर्ताओं का एक मज़बूत ग्राहक आधार बनाए रखा।

requirements. Favourable domestic macroeconomic conditions have fuelled credit growth of 15% for FY26. However, headwinds remained from deposit growth lagging behind credit expansion, thereby intensifying competition for deposits among Banks. Tight liquidity conditions in the Banking system for the most part of FY25 also constrained margins of banks as they had to endure higher cost of funds.

Despite the challenges, I am delighted to announce that our global business surpassed ₹28 Lakh Crores with a robust 12.11% y-o-y growth in Net Profit to ₹19,187 Crores (12 Months).

Further, the Board of Directors of the Bank have recommended a dividend of ₹4.2/- per equity share (i.e. 210%) of face value of ₹2/- each to the Shareholders for the year 2025-26, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. This is as compared to the dividend of ₹4 per equity share distributed for FY 2024-25 and is testimony to our commitment to value creation for our esteemed Shareholders.

I am delighted to place before you the highlights of our Bank's performance during FY 2025-26, accompanied by details regarding the achievements and initiatives undertaken by our esteemed institution.

## KEY PERFORMANCE OF THE BANK

### BUSINESS

During FY 2025-26, the global business of the Bank grew to ₹28,06,226 Crores, up by 12.11% y-o-y with global deposits growing at a pace of 9.71% y-o-y to ₹15,68,678 Crores and global advances growing by 15.30% y-o-y to ₹12,37,548 Crores. The enhanced thrust on domestic business resulted in the growth of 11.04% y-o-y to ₹25,98,048 Crores with domestic deposits growing by 7.95% y-o-y to ₹14,36,905 Crores and domestic advances growing by 15.12% y-o-y to ₹11,61,143 Crores. As at March 2026, Retail Term deposits registered a growth of 9.33% y-o-y to ₹5,81,851 Crores. Also, as at March 2026, CASA deposits are at ₹4,28,804 Crores with savings deposits at ₹3,66,581 Crores and current deposits at ₹62,223 Crores. The domestic CASA ratio of Bank stood at 29.84% as on March 2026 while maintaining a strong deposits clientele base of around 12.15 Crores.

बैंक, कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों के साथ ही आवास, शिक्षा और वाहन ऋण सहित खुदरा आस्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमेशा एक सुसंतुलित आस्ति मिश्रण बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। इस वर्ष बैंक का खुदरा पोर्टफोलियो वर्ष-दर-वर्ष 32.93% बढ़कर ₹2,96,912 करोड़ हो गया है, जिसमें आवास ऋण 17.55% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹1,24,799 करोड़, वाहन ऋण 26.33% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹26,070 करोड़ हो गया और शिक्षा ऋण 11.67% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹21,060 करोड़ हो गया। एमएसएमई खंड के लिए अग्रिम ₹1,57,831 करोड़ रहा, जिसमें मार्च 2026 तक 12.85% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई। मार्च 2026 तक उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या ₹1.23 करोड़ रही।

## वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, बैंक की कुल आय 7.73% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹1,53,204 करोड़ हो गई और निवल ब्याज आय बैंक द्वारा भुगतान किए गए ब्याज और अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 0.37% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹37,210 करोड़ हो गया। इस वर्ष सकल एनपीए अनुपात 110 बीपीएस की कमी के साथ 1.84% रहा और निवल एनपीए 27 बीपीएस वर्ष-दर-वर्ष घटकर 0.43% हो गया। मार्च, 2026 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 151 बीपीएस सुधार के साथ 94.21% हो गया।

## लाभप्रदता

बैंक का निवल लाभ वित्त वर्ष 2025-26 में वर्ष-दर-वर्ष 12.69% की मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए ₹19,187 करोड़ हो गया है जिससे परिचालन लाभ वर्ष-दर-वर्ष 5.19% बढ़कर ₹33,019 करोड़ हो गया। बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) मार्च 2025 में 2.73% से 22 बीपीएस कमी के साथ मार्च, 2026 में 2.51% हो गया। मार्च 2025 में बैंक की आस्ति पर रिटर्न (आरओए) 1.09% से बढ़कर मार्च 2026 में 1.10% हो गया।

हमारे बैंक के पास पर्याप्त पूंजी सुरक्षा उपलब्ध है, और बेसल III के तहत इसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2025 के 16.33% की तुलना में मार्च 2026 तक बढ़कर 17.04% हो गया है।

## बैंक द्वारा की गई नई डिजिटल पहल

- ब्रेल क्रेडिट कार्ड:** दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल क्रेडिट कार्ड पेश किए गए।
- सुरक्षित जमा लॉकर:** मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सुरक्षित जमा लॉकर के लिए नामांकन अद्यतन किए गए।

The Bank is always keen on maintaining a well-balanced asset mix, encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loans. This year our Bank's retail portfolio grew by 32.93% y-o-y to ₹2,96,912 Crores with Housing loans growing by 17.55% y-o-y to ₹1,24,799 Crores, vehicle loans growing by 26.33% y-o-y to ₹26,070 Crores and education loan growing by 11.67% y-o-y to ₹21,060 Crores. Advances to MSME segment stood at ₹1,57,831 Crores, a y-o-y growth of 12.85% as at March 2026. The number of borrowal clientele stood at ₹1.23 Crores as at March 2026.

## FINANCIAL PERFORMANCE

For FY 2025-26, the total Income of the Bank increased by 7.73% y-o-y to ₹1,53,204 Crores and the net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, grew by 0.37% y-o-y to ₹37,210 Crores. The Gross NPA ratio declined by 110 bps y-o-y to 1.84% this year and Net NPA declined by 27 bps y-o-y to 0.43%. Provision Coverage Ratio (PCR) improved by 151bps y-o-y to 94.21% as at March 2026.

## PROFITABILITY

The Bank has growth of 12.69% y-o-y in net profit to ₹19,187 Crores in FY 2025-26 with operating profit growing by 5.19% y-o-y to ₹33,019 Crores. Net Interest Margin (NIM) of the Bank decline by 22 bps at 2.51% in March 2026 from 2.73% in March 2025. Return on Assets (RoA) of the Bank improved at 1.10% in March 2026 from 1.09% in March 2025.

Our Bank has a comfortable capital cushioning with improved Capital Adequacy Ratio, under Basel III at 17.04% as at March 2026 in comparison to 16.33% as at March 2025.

## NEW DIGITAL INITIATIVES TAKEN BY THE BANK

- Braille Credit Cards:** Introduced Braille Credit cards for Visually Impaired Persons
- Safe Deposit Lockers:** Nominee updation for Safe Deposit Lockers through Mobile Banking & Internet Banking

- c) **केनरा ai1 में क्रेडिट कार्ड मॉड्यूल:** केनरा ai1 मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में नई सुविधाओं के साथ क्रेडिट कार्ड मॉड्यूल जैसे ईएमआई विवरण देखें, ईएमआई का मोचन निषेध, परिक्रामी सुविधा बदलना आदि लागू किया गया है।
- d) **केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा:** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) सीबीडीसी में प्रोग्राम योग्यता वृद्धि: पीएमजीकेवाई के लिए प्रोग्रामेबल सीबीडीसी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाया गया है, ताकि यह कमोडिटी-स्तर के प्रतिबंधों को भी सपोर्ट कर सके; इस तरह यह स्थान और व्यापारी कोड जैसे बुनियादी मापदंडों से आगे बढ़ गया है। व्यापारी अनुप्रयोगों के साथ यह एकीकरण खरीद के बिंदु पर वास्तविक समय सत्यापन को सक्षम बनाता है, जिससे लक्षित लाभ वितरण में उच्च सटीकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित होती है।
- e) **अंतरपरिचालनीय कार्ड-रहित नकद निकासी:** नकदी रिसाइक्लर में एक अधिग्रहणकर्ता के रूप में अंतरपरिचालनीय कार्ड-रहित नकद निकासी (आईसीसीडब्ल्यू) कार्यक्षमता का कार्यान्वयन।

## पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) पद्धतियाँ:

### पर्यावरणीय:

हरित पहलों के अंतर्गत, बैंक ने निम्नलिखित पहलों की हैं:

- ✓ एलईडी लाइट और बीईई-रेटेड एसी यूनिट्स का उपयोग बढ़ाया गया।
- ✓ डीजी सेटों को चरणबद्ध तरीके से हटाना
  - ❖ बैंक के स्वामित्व वाली सभी 122 इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई। 165 बैंक-स्वामित्व वाली संपत्तियों पर सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम, जिसकी कुल क्षमता 4133 केडब्लूपी है।
  - ❖ कर्मचारियों के ई-वाहनों को चार्ज करने के लिए प्रधान कार्यालय भवन में एक ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है।
  - ❖ बैंक को कुल 35 ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, जिसमें 33 कार्यालय परिसर और एक प्रशिक्षण केंद्र (केनरा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, मणिपाल) शामिल हैं, जिन्हें आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन ढांचे के तहत मान्यता प्राप्त है, जिनमें से 7 इमारतों को सिल्वर रेटिंग दी गई है। इसके अलावा, बैंक की 1 आवासीय इमारत को जीआरआईएचए (एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग) के तहत प्रमाणित किया गया है।

- c) **Credit Card Module in Canara ai1:** Credit Card Module with new features such as View EMI details, Foreclosure of EMI, Changing Revolving Facility etc., implemented in Canara ai1 Mobile Banking application.
- d) **Central Bank Digital Currency:** Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) Programmability Enhancement in CBDC: The Programmable CBDC framework for PMGKAY has been enhanced to support commodity-level restrictions, moving beyond basic parameters like location and merchant codes. This integration with merchant applications enables real-time validation at the point of purchase, ensuring higher precision and effectiveness in targeted benefit distribution.
- e) **Interoperable Card-less Cash Withdrawal:** Implementation of Interoperable Card-less Cash Withdrawal (ICCW) functionality as an acquirer in Cash Recyclers.

## ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) PRACTICES

### ENVIRONMENTAL:

As part of green initiatives, Bank has undertaken following initiatives:

- ✓ Increased usage of LED lights, BEE rated AC units
- ✓ Gradual phasing out of DG sets
  - ❖ Installed Rain Water Harvesting system in all 122 feasible Bank owned properties and Solar Rooftop Power system across 165 Bank owned properties, with a total capacity of 4133 kWp.
  - ❖ EV charging station has been commissioned in Head Office Building for charging of staff's E-Vehicles.
  - ❖ Bank has been awarded a total of 35 Green building certifications, including 33 office premises and one training centre (Canara Institute of Bank Management Manipal) accredited under the IGBC Green Building certification framework, of which 7 buildings have been accorded silver rating. Further, Bank's 1 Residential building has been certified under GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat).



- ❖ बैंक के पास सतत वित्त के तहत एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, संपीड़ित बायोगैस और ऊर्जा संरक्षण योजना, पीएम-कुसुम के तहत सौर पंप योजना, सब्सिडी के साथ आवासीय क्षेत्र के लिए रूफ टॉप सोलर (आरटीएस), ई-वाहनों के लिए केनरा ग्रीन व्हील्स योजना शामिल हैं।
- ❖ बैंक के स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए क्रमशः कुल 11272.51 t CO<sub>2</sub> और 165168.84 t CO<sub>2</sub> हैं।

## सामाजिक

बैंक गैर-लाभकारी संगठनों के माध्यम से वंचित समुदायों की मदद और उत्थान में संलग्न होकर समाज को प्रभावित कर रहा है

- ✓ केनरा शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट
- ✓ केनरा वित्तीय सलाहकार ट्रस्ट
- ✓ केनरा स्वर्ण जयंती शिक्षा निधि
- ✓ केनरा राहत और कल्याण सोसायटी
- ✓ वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी)
- ✓ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)
- ✓ ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी)
- ❖ मार्च 2026 तिमाही के दौरान, बैंक ने अपने आरसेटी और रुडसेटी के माध्यम से 2,370 जागरूकता कार्यक्रम और 662 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे 18,000 से अधिक उम्मीदवारों को अपने कौशल को उन्नत करने में मदद मिली।
- ❖ बैंक के पास 118 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं जिनके माध्यम से मार्च 2026 तिमाही के दौरान 6,295 शिविर आयोजित किए गए और 6,09,611 व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की गई।
- ❖ विविधता, समानता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने बैंक की महिला कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करने हेतु 'अद्वैता' (Advaita) नामक एक 'महिला सशक्तिकरण समिति' का गठन किया है।

## अभिशासन

स्थिरता की दिशा में बैंक की यात्रा हेतु, बैंक ने निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की हैं:

- ❖ Bank is having a significant portfolio under sustainable finance which includes Renewable Energy Projects, Compressed Biogas & Energy Conservation scheme, Solar Pump scheme under PM-KUSUM, Roof Top Solar (RTS) for residential sector with subsidy, Canara Green Wheels scheme for E vehicles.
- ❖ Scope 1 & Scope 2 emissions of the Bank accounts for a total of 11272.51 t CO<sub>2</sub> and 165168.84 t CO<sub>2</sub> respectively for the financial year 2025-26.

## Social:

Bank is impacting the Society by engaging in helping and uplifting the underserved communities through non-profit organizations viz.,

- ✓ Canara Centenary Rural Development Trust
- ✓ Canara Financial Advisory Trust
- ✓ Canara Golden Jubilee Education Fund
- ✓ Canara Relief and Welfare Society
- ✓ Financial Literacy Centres (FLC)
- ✓ Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs)
- ✓ Rural Development & Self Employment Training Institutes (RUDSETIs)
- ❖ During March 2026 quarter, Bank has conducted 2,370 awareness programs and 662 training programs through its RSETIs and RUDSETIs, benefiting 18,000 plus candidates to upgrade their skill sets.
- ❖ Bank has 118 Financial Literacy Centres (FLCs) through which 6,295 camps have been conducted and 6,09,611 persons were extended Financial Literacy during March 2026 quarter.
- ❖ To promote diversity, equity & inclusive growth, Bank has placed a Women Empowerment Committee named as 'Advaita' to support the women employee fraternity of the Bank.

## GOVERNANCE

For the Bank's journey towards Sustainability, Bank has in place:

- ✓ बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति
- ✓ ग्रीन जमा नीति और ऋण ढाँचा
- ❖ बैंक वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रतिवर्ष अपनी बीआरएसआर प्रकाशित करता है, साथ ही एक समर्पित स्थिरता रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है जो पर्यावरण प्रबंधन, सामाजिक सशक्तिकरण और दीर्घकालिक लचीलापन में अपनी पहलों पर प्रकाश डालती है।
- ❖ बैंक में एक मुख्य नैतिकता अधिकारी है और संगठन में व्यावसायिक नैतिकता के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष 'नैतिकता अनुभाग' है।
- ❖ बैंक को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित दूसरे आईसीसी इमर्जिंग एशिया कॉन्क्लेव 2024 में "उत्कृष्ट प्रथाओं और ईएसजी पहलों को अपनाने" सम्मानित किया गया है।
- ❖ सस्टेनेनालिटिक्स द्वारा बैंक की ईएसजी जोखिम रेटिंग को उच्च से मध्यम स्तर में सुधार किया गया है, जो इसके उन्नत स्थिरता प्रदर्शन को दर्शाता है
- ✓ Board approved ESG Policy.
- ✓ Green Deposit Policy & Lending Framework.
- ❖ The Bank publishes its BRSR annually as part of the Annual Report, along with a dedicated Sustainability Report that highlights its initiatives in environmental stewardship, social empowerment, and long-term resilience.
- ❖ Bank has a Chief Ethics Officer and an exclusive 'Ethics Section' is in place to oversee the implementation of business ethics in the organization.
- ❖ Bank has been recognized for "Excellent Practices and Adoption of ESG Initiatives" at the 2nd ICC Emerging Asia Conclave 2024, organized by the Indian Chamber of Commerce.
- ❖ Bank's ESG Risk Rating has been improved from High to Medium by Sustainalytics, reflecting its enhanced sustainability performance.

Restricted

## भविष्य का दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आशावादी दृष्टिकोण बना हुआ है, जो सतत घरेलू विकास गति, नियामक से तरलता समर्थन, आस्ति गुणवत्ता में सुधार और लाभप्रद पूंजी बफर से समर्थित है। इस पृष्ठभूमि में वित्त वर्ष 2027 में भी ऋण वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2026 में शुरू किए गए हमारे कासा अभियान की सफलता के पश्चात अब बैंक नवीन और ग्राहक अनुकूलित उत्पादों के माध्यम से ग्राहक आधार का विस्तार करने के साथ साथ मौजूदा ग्राहकों के साथ फिर से जुड़कर वित्त वर्ष 27 में कम लागत वाले जमा आधार को बढ़ाने पर केंद्रित है। सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करना हमारे प्रयासों का आधार होगा। बैंक मार्जिन बढ़ाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट संविभाग का पुनर्मूल्यांकन करते समय सामरिक रूप से आरएएम क्रेडिट पोर्टफोलियो (खुदरा, कृषि और संबद्ध गतिविधियां और एमएसएमई) पर जोर देकर अपनी आधार रेखा को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। बैंक निरंतर नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है, उद्योग की बदलती गतिशीलता और ग्राहक प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी शक्तियों का लाभ उठाता है तथा अपने सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजित करता है।

## WAY FORWARD

The outlook for FY 2026-27 remains optimistic, bolstered by sustained domestic growth momentum, liquidity support from the regulator, improving asset quality and healthy capital buffers. In this backdrop, credit growth is anticipated to remain robust in FY27 as well.

Building on the success of our CASA campaign launched in fiscal 2026 the Bank remains focused to significantly enhance the low-cost deposits base in FY 2026-27 by expanding the customer base through innovative and customized products as well as reconnecting with existing customers. Strengthening its digital capabilities to offer secure, fast and seamless customer experience will be a cornerstone of our efforts. Bank also remains focussed on enhancing its bottom line by strategically emphasizing RAM credit portfolio (Retail, Agriculture & Allied activities and MSME) while reassessing the corporate portfolio with the aim of enhancing margins. The Bank remains committed to continuous innovation, leveraging its strengths in response to evolving industry dynamics and shifting customer preferences and generate enduring value for all its stakeholders.

बैंक प्रबंधन अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास में योगदान करते हुए, "बैंकिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक" बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप वित्त वर्ष 2026-27 और उससे भी आगे के बाद मजबूत बुनियादी सिद्धांतों साथ नए युग की डिजिटल तकनीकी का उपयोग करके सभी कारोबारिक क्षेत्रों में संवर्धित विकास हासिल करने को लेकर पूर्णतय: आश्वस्त है।

मैं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिनके बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि के बल पर हम सफल हो सके हैं। मैं, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपना समर्थन और मार्गदर्शन से हमारा पथ प्रदर्शित किया है। कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं अपने सभी कर्मचारियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। इस विकास यात्रा में सभी ग्राहकों और हितधारकों का बेहतर सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य की नई उंचाईयों को प्राप्त करने में आप सभी का सतत सहयोग, व समर्थन मिलता रहेगा।

The Bank's management is confident about achieving augmented growth across all business segments by harnessing new age digital technology with strengthened fundamentals in FY 2026-27 and beyond, aligning with the vision to become the "Best Bank to Bank With", while contributing to the inclusive growth of the economy.

I extend my gratitude to all members of the Board for their invaluable support, guidance, and insights provided to the management. I also express appreciation to the Department of Financial Services, Ministry of Finance, and the Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time. Heartfelt thanks are extended to all our employees for their hard work, dedication, and unwavering commitment. The unequivocal support of all customers and stakeholders in this growth journey has been extremely important for us. We look forward to your continued patronage, support and goodwill as we strive to reach new heights.

हरदीप सिंह

हरदीप सिंह अहलुवालिया

प्रबंध निदेशक व  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) एवं  
कार्यपालक निदेशक

हरदीप सिंह

Hardeep Singh Ahluwalia  
Managing Director &  
Chief Executive Officer (I/C) &  
Executive Director

दिनांक : 27.05.2026

Date: 27.05.2026



## सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की 24वीं ("चौबीसवीं") वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **मंगलवार, 23 जून, 2026 को सुबह 11 बजे भारतीय मानक समय ("आईएसटी") के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यो पर विचार-विमर्श किया जाएगा:**

### सामान्य कार्य

- 31 मार्च 2026 को बैंक के एकल और समेकित लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकार करना, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा, तुलन पत्र और लेखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा द्वारा संरक्षित की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभांश घोषित करना।

### विशेष कार्य

- श्री सुनील कुमार चुघ को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त करने संबंधी मंजूरी देना और विमर्श करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना।

"यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ ईएफ.सं. 4/4(v)/2024-बीओ.आई. दिनांक 24 नवंबर, 2025 के माध्यम से, पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, यानी 24 नवंबर, 2025 से 23 नवंबर, 2028 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुनील कुमार चुघ की नियुक्ति को अनुमोदित किया जाता है।

- बैंक के सरकारी मनोनीत निदेशक के रूप में सुश्री शालिनी पंडित की नियुक्ति पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।

## NOTICE

Notice is hereby given that the 24<sup>th</sup> ("Twenty-Fourth") Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Tuesday, the 23<sup>rd</sup> June, 2026 at 11 A.M. Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM")**, to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS

- To discuss, approve and adopt the Standalone and Consolidated Audited Balance Sheet of the Bank as at 31<sup>st</sup> March 2026, Profit & Loss Account for the year ended 31<sup>st</sup> March 2026, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- To declare dividend for the financial year 2025-26.

### SPECIAL BUSINESS

- To consider and approve the appointment of Shri Sunil Kumar Chugh as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

**"RESOLVED THAT** in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Sunil Kumar Chugh as Executive Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref eF.no.4/4(v)/2024-BO.I dated November 24, 2025 issued by GoI, for a period of three years with effect from the date of assumption of charge of the office, i.e., from November 24, 2025 to November 23, 2028 or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved.

- To consider and approve the appointment of Ms. Shalini Pandit as Government Nominee Director of the Bank.

निम्नलिखित पर विचार करते हुए और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए:

"यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाधताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री शालिनी पंडित को अधिसूचना संख्या 13 मई, 2026 के माध्यम से बैंक के बोर्ड में सरकारी मनोनीत निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से, अर्थात् 13 मई, 2026 से और अगले आदेश तक, नियुक्त और अनुमोदित किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

संतोष कुमार बारिक

Restricted

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 27.05.2026

संतोष कुमार बारिक  
कंपनी सचिव

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Ms. Shalini Pandit as Government Nominee Director on the Board of the Bank in exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification No.e F. No. 6/2(ii)/2022-BO.I dated May 13, 2026 issued by Gol , with immediate effect, i.e., from May 13, 2026 and until further orders be and is hereby approved.

By Order of the Board of Directors

SANTOSH KUMAR BARIK  
COMPANY SECRETARY

Place : Bengaluru  
Date : 27.05.2026

## नोट

### 1. व्याख्यात्मक विवरणी

सूचना की मद संख्या 3 व 4 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण अलग से दिया गया है।

### 2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने, इस संबंध में जारी पिछले परिपत्रों के साथ पढ़े जाने वाले सामान्य परिपत्र 03/2025 (दिनांक 22 सितंबर, 2025) के माध्यम से सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के पैरा 3 और पैरा 4 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार कंपनियों की वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के लिए दी गई छूटों को आगे बढ़ा दिया है। "परिपत्रों के अनुरूप, बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने 24वें एजीएम का संचालन कर रहा है, जिसे "ई-एजीएम" कहा जाता है।"

24वें एजीएम के लिए निर्धारित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

बैंक ने ई-एजीएम के संचालन के लिए वार्षिक आम बैठक और अटेंडेंट एनेबलर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को नियुक्त किया है।

### 3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश

- वीसी / ओएवीएम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देगा।
- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर्स, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ई-एजीएम में एफआईएफओ प्रवेश हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है।
- ई-एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति की गणना बैठक के कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
- शेयरधारक बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में ई-एजीएम में शामिल हो सकते हैं।
- शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके <https://emeetings.kfintech.com/> के माध्यम

## NOTES

### 1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 & 4 of the Notice is given separately.

### 2. AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING

Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide general circular 03/2025 dated September 22, 2025 read with previous circulars in this regard has extended relaxations to Annual General Meeting (AGMs) of companies in accordance with the requirements laid down in Para 3 and Para 4 of the General Circular No.20/2020 dated 05.05.2020. In line with the circulars, the Bank is conducting its 24<sup>th</sup> AGM through Video Conferencing herein after called as "e-AGM".

The deemed venue for the 24<sup>th</sup> AGM shall be the Head Office of the Bank.

The Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrars and Transfer Agent (RTA), to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM.

### 3. INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS(OAVM)

- The VC / OAVM would allow participation of at least 1000 Shareholders on first-come-first-serve basis.
- No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc.
- The attendance of Shareholders attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the meeting.
- The Shareholders can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.
- Shareholders may access the VC at <https://emeetings.kfintech.com/under>

से सदस्य लॉगिन के तहत वीसी का उपयोग कर सकते हैं। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां इवेंट और कंपनी के नाम का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

- f) शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- g) इसके अलावा, शेयरधारकों को कैमरा की अनुमति देने की आवश्यकता होगी, यदि कोई हो, और इसलिए बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करें।
- h) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप जोड़कर जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- i) किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हितधारक आरटीए/ तकनीकी सहायता केंद्र से [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) पर संपर्क कर सकते हैं।

#### 4. कार्यसूची मदों पर प्रश्न

कार्यसूची मदों पर अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने प्रश्नों को अपने लॉगिन पेज <https://evoting.kfintech.com/>, पर उनके नाम, फोलियो/ डीमैट विवरण, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करके स्पीकर पंजीकरण पटल में प्रस्तुत कर सकते हैं। "एजीएम प्रश्न" पटल को 10 जून 2026 को सुबह 10 बजे से 12 जून 2026 को शाम 5 बजे तक सक्रिय रहेगा।

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक की शंकाओं / विचारों / प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा, जब, शेयरधारक निर्दिष्ट तिथि अर्थात 16 जून 2026 तक शेयरों को धारण करना जारी रखता है।

बैठक में बोलने के इच्छुक शेयरधारकों को कैमरा चालू रखने की आवश्यकता है और बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेयरधारक "स्पीकर पंजीकरण" के तहत उसी पटल में दिए गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को पहले से रिकॉर्ड और अपलोड भी कर सकते हैं।

Shareholders / Members login by using the remote e-Voting credentials. The link for e-AGM will be available in Shareholder / members login where the EVENT and the name of the company can be selected. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

- f) Shareholders are encouraged to join the meeting through laptops with Google Chrome for better experience.
- g) Further, Shareholders will be required to allow camera, if any, and hence use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- h) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio / video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- i) The stakeholders may contact RTA / Technical helpdesk at [evoting@kfintech.com](mailto:evoting@kfintech.com) for any assistance.

#### 4. QUERIES ON AGENDA ITEMS

The Shareholders who would like to express their views / pose queries on agenda items may submit their questions in the speaker registration window provided to them at their login page <https://evoting.kfintech.com/>, by mentioning their name, folio / demat details, e-mail ID and mobile number. The "AGM Questions" window shall be activated from 10 A.M. IST on 10<sup>th</sup> June, 2026 till 5 P.M. IST on 12<sup>th</sup> June, 2026.

Please note that, Shareholder's queries / views / questions will be responded to, only if, the Shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date, i.e., 16<sup>th</sup> June, 2026.

Shareholders who wish to speak at the meeting will be required to allow camera and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration."



वार्षिक सामान्य बैठक में बोलने और प्रश्न करने के इच्छुक शेयरधारक, <https://evoting.kfintech.com/> में लॉग इन कर सकते हैं और डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, शहर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करके अपना प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई-एजीएम बैठक में प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान पुनः प्रस्तुत के लिए संरक्षित किया जा सकता है।

जो शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल होने में सक्षम नहीं हैं, वे केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख पाएंगे।

## 5. परोक्षी की नियुक्ति

परोक्षी को शेयरधारक की ओर से आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति है जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है। चूंकि यह बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेयरधारक की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, परोक्षी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इस बैठक में शेयरधारक द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

## 6. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जो बैंक का शेयरधारक है, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में इसे पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के साथ ईमेल द्वारा [sashi.mannava@kfintech.com](mailto:sashi.mannava@kfintech.com) / [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com) पर, अथवा हार्ड कॉपी के रूप में 'सचिवालय विभाग, केनरा बैंक प्रधान कार्यालय, 112 जे.सी. रोड, बेंगलूरु-560002 के पते पर प्रमाणित न किया गया हो, बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले, अर्थात् गुरुवार, 18 जून, 2026 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले जमा किया जाना होगा।

## 7. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ संप्रेषण

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into <https://evoting.kfintech.com/> and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number / folio number, city, e-mail id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-Voting website of Kfintech at <https://evoting.kfintech.com/> using their remote e-Voting credentials.

## 5. APPOINTMENT OF PROXY

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a Shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC / OAVM, where the physical attendance of the Shareholder has been dispensed with, there is no requirement for appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Shareholders would not be available during this e-AGM.

## 6. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a Shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent either by e-mail to [sashi.mannava@kfintech.com](mailto:sashi.mannava@kfintech.com) / [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com) or in hard copy addressed to 'Secretarial Department, Canara Bank Head Office, 112, J C Road, Bengaluru-560002' not later than four days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Thursday, the 18<sup>th</sup> June, 2026.

## 7. COMMUNICATION WITH THE REGISTRAR AND TRANSFER AGENT (RTA)

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered addresses, to the Registrar and Transfer Agent of the Bank at the following address:

केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड

इकाई : केनरा बैंक

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32

गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक रामगुडा

हैदराबाद - 500 032

इसके अलावा, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल आईडी को शेयर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों (उपरोक्त पते पर) या बैंक को [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com) पर सूचित / पंजीकृत करें।

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों / ई-मेल आईडी को केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को सूचित करें।

## 8. भौतिक शेयरों का अभौतिकीकरण

सेबी सूचिबद्ध विनियमों के विनियम 40 (यथासंशोधित) के अनुसार, प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए सभी अनुरोध, जिनमें प्रेषण और प्रतिस्थापन अनुरोध शामिल हैं, केवल अभौतिक रूप में ही संसाधित किए जाएंगे। अतः, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अपनी भौतिक शेयरों का तुरंत अभौतिकीकरण करवा लें।

अभौतिकीकरण हेतु, शेयरधारक अपने संबंधित अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ उनका डीमैट खाता है। अभौतिकीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं: i) बिना किसी परेशानी के अंतरण ii) शेयर प्रमाणपत्र खोने का कोई खतरा नहीं iii) लाभांश / कॉर्पोरेट लाभों का सीधा और शीघ्र भुगतान iv) नामांकन की सुविधा v) एसबीए / आईपीओ आदि के ज़रिए सीधे आवेदन।

शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in) पर 'निवेशक संबंध' के अंतर्गत उपलब्ध है।

## 9. रिकॉर्ड तिथि

बैंक के निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर ₹ 4.20 (अर्थात 210%) के लाभांश को प्रत्येक शेयरधारकों को ₹ 2/- रुपये अंकित मूल्य का वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन देने सिफारिश की है। यह निर्णय लिया गया है कि जिन शेयरधारकों के नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा शुक्रवार, 12 जून 2026 (आगे से रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) को प्रस्तुत किए गए शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, उन्हें लाभांश का भुगतान किया जाए। लाभांश का भुगतान शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (23 जून, 2026) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। बैंक केवल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस

KFin Technologies Limited

Unit : Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda  
Hyderabad - 500 032

Further, the Shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Registrar and Transfer Agent (at the above address) or to the Bank at [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com).

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

## 8. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. Hence, we request the Shareholders to kindly Demat their physical holding immediately.

For dematerialization, Shareholders may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account. Benefits of dematerialization are as follows: i) Hassle-free transfer ii) No threat of loss of share certificate iii) Direct and prompt credit of Dividend / Corporate benefits iv) Nomination facility v) Direct application through ASBA / IPO, etc.

The process of Dematerialisation of shares is available on the Bank's website i.e., [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in) under 'Investor Relation'.

## 9. RECORD DATE

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹ 4.20 per equity share (i.e. 210%) of face value of ₹ 2/- each to the Shareholders for the financial year 2025-26, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on Friday, 12<sup>th</sup> June, 2026 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the Shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (23<sup>rd</sup> June, 2026). The Bank will credit the dividend amounts to the Bank accounts of the Shareholders through National Electronic

(एनईसीएस) सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश राशि जमा करेगा। इसलिए, जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार सहभागी को उनके पते के नवीनतम परिवर्तन और बैंक अधिदेश विवरण (नए खाता संख्या, यदि कोई हो, बैंक के एमआईसीआर और आईएफएससी कोड नंबर सहित) के बारे में सूचित करें और शीघ्र ही एनईएफटी / एनईसीएस के माध्यम से जमा लाभांश राशि सुनिश्चित करें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल अपने निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं।

जिन शेयरधारकों के पास उनके शेयर भौतिक रूप में हैं, उन्हें लाभांश प्राप्त करने के लिए बैंक के सचिवालय विभाग या बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को इस सूचना के पैरा 7 में दिए गए पते पर अपने बैंक मैडेट विवरण प्रस्तुत / अद्यतन करना होगा। भौतिक शेयरधारकों को कोई लाभांश वारंट जारी नहीं किया जाएगा।

## 10. लाभांश भुगतान के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)

- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, जिससे कि वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित किया गया है, 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश आय पर कर योग्य है और बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों की निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पैन को बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और निक्षेपागार (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अद्यतन करें।
- एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, जिसके पास वैध ठाउँ है और जो आयकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, 'स्रोत पर कर की कटौती न होने' का लाभ उठाने के लिए फॉर्म संख्या 121 में एक वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोट करें, यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो उच्च दर से कर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने की शर्त पर, भारत और उनके निवास देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात् कोई स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी

Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility only. The Shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and Bank mandate details (including new account number, if any, Bank's MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The Shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details with the Secretarial Department of the Bank or to the Registrar and Transfer Agent of the Bank at the address given at Para 7 above in this Notice in order to receive dividend. No Dividend warrant will be issued to physical Shareholders.

## 10. TAX DEDUCTED AT SOURCE (TDS) ON DIVIDEND PAYMENT

- Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of Shareholders w.e.f. 1<sup>st</sup> April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to Shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The Shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).
- A Resident individual Shareholder with valid PAN and who is not liable to pay Income Tax can submit a yearly declaration in Form No. 121, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate. Non-resident Shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary

स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाण पत्र, फॉर्म 10एफ, कोई अन्य दस्तावेज जैसे आवश्यक दस्तावेजों को प्रेषित कर संधि का लाभ उठाया जा सकता है, जिसे संबंधित दस्तावेजों / घोषणाओं को प्रस्तुत करके या तो दस्तावेजों / प्रपत्रों को अपलोड करके या ई-मेल भेजकर या प्रासंगिक दस्तावेजों / प्रपत्रों की मूल प्रति जो आरटीए की वेबसाइट ([www.kfintech.com](http://www.kfintech.com)) पर उपलब्ध हैं।

c) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त टीडीएस / रोक कर दर पर कर निर्धारित करने और कटौती करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों को आरटीए की वेबसाइट <https://ris.kfintech.com/form15> पर 15 जून 2026 को शाम 5 बजे (भारतीय मानक समय), पर अपलोड करें या [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) पर ई-मेल करें।

d) केवल डाक / कूरियर या पंजीकृत ई-मेल आईडी से प्राप्त दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां (जहां शेयरधारक केवल मूल प्रति भेज रहा है) हमारे आरटीए को ऊपर दिये गए पैरा 7 में उल्लिखित उनके पते पर भेजी जा सकती हैं। 15 जून 2026 के बाद कर निर्धारण / कटौती पर कोई संप्रेषण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

#### 11. पिछले वर्षों के अप्राप्त / अदावी लाभांश की जानकारी, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधि, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लाभांश प्राप्त नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लाभांश को सीधे खातों में जमा करने के लिए बैंक खातों को अद्यतन करने हेतु बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या बैंक के सचिवालय विभाग, बेंगलूरु से निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड<br>सेलेनियम टावर बी,<br>प्लॉट नंबर 31,<br>जिला नानकरामगुडा,<br>सेरिलिंगमपल्ली मंडल<br>हैदराबाद - 500 032<br>ईमेल आईडी: <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a><br>टोल फ्री नंबर -<br>1- 800-309-4001 | सचिवालय विभाग,<br>केनरा बैंक प्रधान कार्यालय,<br>112, जे सी रोड,<br>बेंगलूरु - 560002<br>ई-मेल - <a href="mailto:hosecretarial@canarabank.com">hosecretarial@canarabank.com</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

documents, i.e., No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations either by uploading the documents / forms or sending an e-mail or sending the hardcopy of relevant documents / forms which are available on the website of the RTA ([www.kfintech.com](http://www.kfintech.com))

c) The Shareholders are requested to upload the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), 15<sup>th</sup> June, 2026 on the website of the RTA viz. <https://ris.kfintech.com/form15> or e-mail them at [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

d) Documents received by post / courier or from registered e-mail ID will only be accepted. The physical copies of the relevant documents (wherever Shareholder is sending hard copy only) may be sent to our RTA at their address mentioned in Para 7 above. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained post 15<sup>th</sup> June, 2026.

#### 11. UNCLAIMED / UNPAID DIVIDEND, IF ANY OF PREVIOUS YEARS:

The Shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the financial years 2021-22, 2022-23, 2023-24 and 2024-25 are requested to contact the Bank's Registrar and Transfer Agent or at Bank's Secretarial Department at Bengaluru on the following address for updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts:

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KFin Technologies Ltd.<br>Selenium Tower B,<br>Plot No. 31,<br>District, Nanakramguda,<br>Serilingampally Mandal,<br>Hyderabad - 500 032.<br>E-mail ID: <a href="mailto:einward.ris@kfintech.com">einward.ris@kfintech.com</a><br>Toll free number -<br>1- 800-309-4001 | Secretarial Department,<br>Canara Bank Head Office,<br>112, J C Road,<br>Bengaluru - 560 002.<br>E-mail - <a href="mailto:hosecretarial@canarabank.com">hosecretarial@canarabank.com</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



बैंक ने अदावी / अवैतनिक लाभांश वारंट का विवरण अपनी साइट अर्थात [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in) पर पोस्ट किया है ताकि शेयरधारकों को शेयर ट्रांसफर एजेंट / या बैंक के साथ [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com) पर संपर्क करके दावा करने में सक्षम बनाया जा सके।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यानपूर्वक यह नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों) का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 में “बैंककारी कंपनी (उपक्रमों) का अर्जन एवं अंतरण) एवं वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006” के माध्यम से किए गए संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उक्त अधिनियम के लागू होने के समय से पूर्व वर्षों के लाभांश खातों में बकाया / अदा न की गई राशि तथा उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद घोषित लाभांश को “अदावी लाभांश खाते” में अंतरित करना आवश्यक है।

बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10ओं के अनुसार, सात साल की अवधि के लिए बकाया या अदावी लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित ‘निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि’ (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित बकाया लाभांश पहले ही आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में उन सभी शेयरों को स्थानांतरित करेगा जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, साथ ही उक्त नियमों में निर्दिष्ट विवरणों वाले विवरण भी होंगे। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,05,00,832 (एक करोड़ पांच लाख आठ सौ बत्तीस) शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए हैं।

कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर या अदावाकृत या अप्रदत्त धन को उपधारा (3) के अधीन निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया गया है, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और धारा 125 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त निधि से अंतरण का दावा करने का हकदार होगा।

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in) to enable the Shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com).

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/ 1980 vide “The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006”, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/ unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to “Unpaid Dividend Account”.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013. The unpaid dividend pertaining to the financial year 2016-17 is already transferred to IEPF.

Further, in terms of The Banking Laws (Amendment) Act, 2025, the Bank shall transfer, in accordance with the rules made under Section 124 of the Companies Act, 2013, to the Investor Education and Protection Fund established under Section 125 of the said Act, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of seven consecutive years, along with a statement thereof containing the details specified in the said rules. Accordingly, 1,05,00,832 (One crore five lakh eight hundred thirty two) shares are transferred to IEPF in the Financial Year 2025-26.

Any person whose shares or unclaimed or unpaid money has been transferred to the Investor Education and Protection Fund under sub-section (3), shall be entitled to claim the transfer from the said fund, in accordance with the rules made under Section 124 and Section 125 of the Companies Act, 2013.

## 12. वार्षिक रिपोर्ट

बैंक के शेयरधारक कृपया नोट करें कि एमसीए, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में, बैंक शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजेगा, जो इसके लिए अनुरोध करेगा। वार्षिक रिपोर्ट की पूरी प्रति बैंक की वेबसाइट ([www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in)) पर अपलोड की गई है। शेयरधारक वेबसाइट से इसका पठनीय संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड और ई-वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और <https://evoting.kfintech.com> पर भी देखा जा सकता है।

## 13. पते में परिवर्तन / लाभांश अधिदेशः

- नोटिस / सूचनाएं भेजने के लिए बैंक, एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ रजिस्टर्ड पते के विवरण का उपयोग करेगा, जिसे आरटीए ने संबंधित निक्षेपागार से डाउनलोड किया है। जो सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखते हैं, उन्हें इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके डीमैट खाते में पंजीकृत पते को संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए। बैंक या उसका रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त पते में किसी भी बदलाव के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसे बदलावों की सूचना केवल सदस्यों के निक्षेपागार प्रतिभागी को ही दी जानी चाहिए।
- जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना वैध दस्तावेजी साक्ष्य और विधिवत हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ तुरंत रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद को दें। जिन सदस्यों के शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं, उन्हें अपने पते में परिवर्तन की जानकारी बैंक या बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के पास न देकर केवल अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी के पास ही दर्ज करानी चाहिए।
- सदस्यों से अनुरोध है कि बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के साथ किसी भी पत्राचार में, वे अनिवार्य रूप से अपने संबंधित फोलियो नंबर (उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपने संबंधित डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी नंबर (उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर इलेक्ट्रॉनिक / डीमैट रूप में हैं) का उल्लेख करें।

## 12. ANNUAL REPORT

Shareholders of the Bank may please note that in compliance with the various Circulars issued by MCA, GOI and SEBI, the Bank will send the physical copies of Annual Report to the Shareholders who request for the same. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank ([www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in)). Shareholders may download the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited & e-Voting agency KFin Technologies Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and <https://evoting.kfintech.com> respectively.

## 13. CHANGE OF ADDRESS / DIVIDEND MANDATE:

- The Bank for sending Notices / Communications, will use the details of address registered with the NSDL / CDSL and downloaded by RTA from the respective Depositories. Members holding shares in electronic form are hereby informed that their address registered in Demat Account should be updated with respective Depository Participant. The Bank or its Registrar and Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of address. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address along with a valid documentary evidence and formal request application duly signed immediately to the Registrar and Transfer Agent, i.e. KFin Technologies Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must register change in address with their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Transfer Agent.
- Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID / Client ID number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Transfer Agent.

## 14. शेयरधारकों के मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा रखे गए किसी भी शेयर के संबंध में वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में जिसका नाम सबसे पहले दर्ज है, उसे ही मतदान के संबंध में उस शेयर का एकमात्र धारक माना जाएगा। इस तरह, अगर शेयर संयुक्त धारक के नाम पर हैं, तो पहले नाम वाले व्यक्ति को ही एजीएम में शामिल होने और एजेंडा पर वोट करने का हक है, या तो रिमोट ई-वोटिंग से या एजीएम में वोटिंग से, अगर रिमोट ई-वोटिंग से वोटिंग का अधिकार इस्तेमाल नहीं किया गया है।

## 15. ई-वोटिंग: {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

कार्यसूची मद के संबंध में, शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के ई-मतदान अधिकारों की गणना उनके द्वारा मंगलवार, 16 जून, 2026 को धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी, जो कट-ऑफ तिथि है। कट-ऑफ तिथियों पर बैंक के शेयरधारक जो भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखते हैं, वे नोटिस के कार्यसूची मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें: <https://evoting.kfintech.com>
- लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। पासवर्ड आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे।
- जिन लोगों का ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल / वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया:

## 14. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, no Shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the Agenda, either through remote e-Voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-Voting.

## 15. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide remote e-Voting facility to the Shareholders of the Bank through KFin Technologies Limited to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

With respect to agenda items, the e-Voting rights of the Shareholders / Beneficiary Owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Tuesday, 16<sup>th</sup> June, 2026 being the Cut-off date. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date may cast their vote electronically on the agenda items of the Notice.

The instructions for e-Voting are as under:

- To use the following URL for e-Voting: <https://evoting.kfintech.com>
- Enter the login credentials. Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail id.
- Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those whose e-mail addresses is not registered:

जिन शेयरधारकों ने अपना मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम और ई-वोटिंग नोटिस की सेवा नहीं दी जा सकी है वे असेधायी रूप से अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजी को भेज सकते हैं, इसके लिंक सूचना नहीं दी जा सकती है। कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ अस्थायी रूप से अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर प्रदान किया जा सकता है, लिंक भेजने के लिए: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileemailreg.aspx> पर क्लिक करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई-वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए ई-मेल पता और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रकार के पूछताछ के मामले में, शेयरधारक [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) को लिख सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, सदस्य ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ग्राहक मास्टर प्रति और वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग निर्देश भेजने के लिए भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण पत्र की प्रति के साथ [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) ई-मेल आईडी पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

- d) उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- e) आपको पासवर्ड परिवर्तन मेनू में जाकर अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (ए-जेड), एक लोअर केस (ए-जेड), एक संख्यात्मक वैल्यू (0-9) और एक विशेष अक्षर वाले न्यूनतम 8 अक्षर शामिल होंगे। सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने और पहले लॉगिन पर मोबाइल, ई-मेल आदि जैसे किसी भी संपर्क विवरण को अद्यतन करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपने पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद के गुप्त प्रश्न और उत्तर भी दर्ज कर सकते हैं। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

Shareholders who have not registered their e-mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-Voting intimation could not be serviced, may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobileemailreg.aspx> for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-Voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, Shareholder may write to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com).

Alternatively, Shareholders may send an e-mail request at the e-mail ID [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com) along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of e-AGM and the e-Voting instructions.

- d) After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e) You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.



- f) आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।
- g) सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर, सिस्टम आपको इवेंट, अर्थात केनरा बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा।
- h) मतदान पृष्ठ पर कार्यसूची मद निर्दिष्ट तिथि (16 जून, 2026) के अनुसार शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मदों के लिए संकल्पों में स्वीकृति / असहमति देने वाले सभी वोट डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और मामलानुसार, "FOR" / "AGAINST" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरीके से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप आंशिक रूप से "FOR" और आंशिक रूप से "AGAINST" में किसी भी संख्या को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि "FOR / AGAINST" में एक साथ ली गई कुल संख्या आपके कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप मतदान से परहेज करना चाहते हैं तो आप "ABSTAIN" का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप "FOR" या "AGAINST" का संकेत नहीं देते हैं, तो इसे "ABSTAIN" माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। संशोधित करने के लिए और रद्द की पुष्टि करने के लिए ठीक क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद अपने मत को संशोधित नहीं कर सकते हैं। मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक कई बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने इन प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया है।
- i) ऐसे शेयरधारक जिनके पास बहुविध फोलियो / डीमैट खाते हैं वे प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे। हालांकि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।
- j) संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई, आदि) जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र, आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) पर ई-मेल के माध्यम से जांचकर्ता को भेजना आवश्यक है।
- k) एक बार जब आप किसी संकल्प पर अपना वोट डालते हैं तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- f) You need to login again with the new credentials.
- g) On successful login, the system will prompt you to select the EVENT, i.e., Canara Bank.
- h) For the Agenda items, on the voting page, the number of shares as held by the Shareholder as on the Cut-off Date (16<sup>th</sup> June, 2026) will appear. If you desire to cast all the votes assenting/ dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR / AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.
- i) Shareholders holding multiple folios / demat accounts shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, Shareholders may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- j) Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF / JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to : [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net)
- k) Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

l) रिमोट ई-मतदान अवधि :

यह पोर्टल शुक्रवार, 19 जून, 2026 को सुबह 09.00 बजे से सोमवार, 22 जून 2026 को शाम 5.00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) मतदान के लिए खुला रहेगा और इसके बाद आरटीए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म को अक्षम कर देगा।

m) किसी भी प्रकार के पूछताछ के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता निर्देशिका का उल्लेख कर सकते हैं या केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के श्री शशिधर एस. मन्नवा / श्री बालाजी रेड्डी से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

n) यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

o) ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और शेयर बाजार को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि ई-वोटिंग के तहत अपना मत डालने के बाद, आप वार्षिक आम बैठक में अपने मत को संशोधित या पुनः मतदान नहीं कर सकते हैं। हालांकि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

**निक्षेपागार के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के संदर्भ में, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागी के साथ अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अद्यतन करें।

a) व्यक्तिगत सदस्य (जिनके पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां हैं) निक्षेपागार के माध्यम से लॉगिन करें

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लॉगिन विधि निम्नलिखित है:

l) Remote e-Voting Period:

The portal will remain open for voting from: 9.00 A.M. on Friday, the 19<sup>th</sup> June, 2026 to 5.00 P.M. on Monday, the 22<sup>nd</sup> June, 2026 (both days inclusive) and RTA will disable the e-Voting platform thereafter.

m) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. Sashidhar S Mannava / Mr. Balaji Reddy of KFin Technologies Limited at 1800 309 4001 (toll free).

n) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

o) The results of e-Voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once Shareholders have cast their vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

**The instructions for remote e-Voting through Depositories are as under:**

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, individual Shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

a) Individual Members (holding securities in demat mode) login through Depository

Login method for Individual members holding securities in demat mode is given below:

| शेयरधारकों के प्रकार                                                    | लॉगिन का तरीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एनएसडीएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | <p><b>A. ऐसे उपयोगकर्ता जिन्होंने IDeAS सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत है:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>यूआरएल पर जाएँ: <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>.</li> <li>'IDeAS' भाग में "Login" के अंतर्गत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें।</li> <li>नए पेज पर, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, 'Value Added Services' के अंतर्गत "Access to e-Voting" पर क्लिक करें।</li> <li>ई-वोटिंग (e-Voting) के अंतर्गत 'Active E-Voting Cycles' विकल्प पर क्लिक करें।</li> <li>कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें, और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।</li> </ol> <p><b>B. ऐसे उपयोगकर्ता जिन्होंने IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकरण नहीं किया है:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>यूआरएल पर जाएँ: <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>.</li> <li>"IDeAS Register Online for IDeAS " का चयन करें या <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a> पर क्लिक करें।</li> <li>'IDeAS Register Online for IDeAS' का चयन करें।</li> <li>अपनी डीपी आईडी (DP ID), क्लाइंट आईडी (Client ID), मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें।</li> <li>सफल पंजीकरण के बाद, वोट डालने के लिए उपरोक्त पैरा A में दिए गए चरणों का पालन करें।</li> </ol> <p><b>C. या फिर, आप सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं।</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>यूआरएल पर जाएँ: <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>.</li> <li>'Shareholder/Member' भाग के तहत दिए गए "Login" आइकन पर क्लिक करें।</li> <li>एक नई स्क्रीन दिखाई देगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।</li> <li>सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपसे कंपनी का नाम और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का नाम, यानी केफिनटेक (KFintech), चुनने का अनुरोध किया जाएगा।</li> <li>सफल चयन होने पर, आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए KFintech ई-वोटिंग पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।</li> </ol> |
| सीडीएसएल के साथ डीमैट रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | <p><b>A. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी (Easi) / ईजिस्ट (Easiest) का विकल्प चुना है</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><a href="https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login">https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login</a> या <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a> यूआरएल पर जाएँ।</li> <li>'Quick Login' के अंतर्गत, 'New System Myeasi / Login to My Easi' विकल्प पर क्लिक करें।</li> <li>अपने पंजीकृत उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।</li> <li>उपयोगकर्ता को ई-वोटिंग मेन्यू दिखाई देगा। इस मेन्यू में ईएसपी (ESP), यानी KFintech ई-वोटिंग पोर्टल के लिंक होंगे।</li> <li>कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें, और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।</li> </ol> <p><b>B. ऐसे उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं किया है।</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>पंजीकरण करने का विकल्प <a href="https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login">https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login</a> पर उपलब्ध है।</li> <li>अपनी डीपी आईडी (DP ID), क्लाइंट आईडी (Client ID), मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरकर अपना पंजीकरण पूरा करें।</li> <li>सफल पंजीकरण के बाद, वोट डालने के लिए उपरोक्त पैरा A में दिए गए चरणों का पालन करें।</li> </ol> <p><b>C. या फिर, आप सीधे एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं।</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>यूआरएल पर जाएँ: <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a>.</li> <li>ई-वोटिंग पर क्लिक करें और अपनी डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी और पैन नंबर दर्ज करें।</li> <li>सिस्टम, डीमैट खाते में दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता की पहचान की पुष्टि करेगा।</li> <li>सफल चयन के उपरांत, आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए केफिनटेक ई-वोटिंग पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Type of Shareholders                                               | Login Method                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL | <p><b>A. User already registered for IDeAS facility:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visit URL: <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>.</li> <li>2. Click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” under ‘IDeAS’ section.</li> <li>3. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on “Access to e-Voting” under ‘Value Added Services’</li> <li>4. Click on ‘Active E-Voting Cycles’ option under e-Voting.</li> <li>5. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.</li> </ol> <p><b>B. User not registered for IDeAS e-Services</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visit URL: <a href="https://eservices.nsdl.com">https://eservices.nsdl.com</a>.</li> <li>2. Select “Register Online for IDeAS” or click at <a href="https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp">https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</a></li> <li>3. Select ‘Register Online for IDeAS’.</li> <li>4. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details.</li> <li>5. After successful registration, follow the steps mentioned under Para A above to cast your vote.</li> </ol> <p><b>C. Alternatively by directly accessing the e-Voting website of NSDL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Open URL: <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>.</li> <li>2. Click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.</li> <li>3. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password / OTP and a Verification Code as shown on the screen.</li> <li>4. Post successful authentication, you will requested to select the name of the company and the e-Voting Service Provider name, i.e.KFintech.</li> <li>5. On successful selection, you will be redirected to KFintech e-Voting page for casting your vote during the remote e-Voting period.</li> </ol> |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL | <p><b>A. Existing user who have opted for Easi / Easiest</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visit URL: <a href="https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login">https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login</a> or URL <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a>.</li> <li>2. Click on New System Myeasi / Login to My Easi option under Quick Login.</li> <li>3. Login with your registered user id and password.</li> <li>4. The user will see the e-Voting Menu. The Menu will have links of ESP i.e. KFintech e-Voting portal.</li> <li>5. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.</li> </ol> <p><b>B. User not registered for Easi / Easiest</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Option to register is available at <a href="https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login">https://web.cdslindia.com/myeasitoken/Home/Login</a></li> <li>2. Proceed to complete your registration using your DP ID, Client ID, Mobile number and other required details.</li> <li>3. After successful registration, follow the steps mentioned under Para A above to cast your vote.</li> </ol> <p><b>C. Alternatively, by directly accessing the e-Voting website of CDSL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visit URL: <a href="http://www.cdslindia.com">www.cdslindia.com</a>.</li> <li>2. Click on E-Voting and enter your DP ID &amp; Client ID and PAN.</li> <li>3. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile &amp; E-mail as recorded in the demat Account.</li> <li>4. On successful selection, you will be redirected to KFintech e-Voting page for casting your vote during the remote e-Voting period.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| व्यक्तिगत शेयरधारक अपने डीमैट खातों / निक्षेपागार सहभागी की वेबसाइट के माध्यम से लॉग इन करते हैं। | <ol style="list-style-type: none"> <li>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डीपी के माध्यम से, अपने डीमैट खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं।</li> <li>एक बार लॉग-इन करने के बाद, आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। जैसे ही आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करेंगे, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल / सीडीएसएल निक्षेपागार की साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।</li> <li>कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - केफिनटेक के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें, और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए, बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के, केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।</li> </ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individual Shareholder login through their demat accounts / Website of Depository Participant | <ol style="list-style-type: none"> <li>You can also login using the login credentials of your demat account through your DP registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility.</li> <li>Once logged-in, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature.</li> <li>Click on options available against company name or e-Voting service provider - KFintech and you will be redirected to e-Voting website of KFintech for casting your vote during the remote e-Voting period without any further authentication.</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

b) व्यक्तिगत सदस्य (जिनके पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां हैं) निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करें

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ रजिस्टर्ड अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के ज़रिए, अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके भी लॉगिन कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद, आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, और सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा।

**महत्वपूर्ण नोट:** जिन सदस्यों को अपना उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त बताई गई वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forget User ID' और 'Forget Password' विकल्प का उपयोग करें।

b) Individual Members (holding securities in demat mode) login through their depository participants.

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. Once you login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

**Important note:** Members who are unable to retrieve User ID / Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

| सदस्य जिन्हें किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है - एनएसडीएल                                                                                                                                                                        | सदस्य जिन्हें किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है - सीडीएसएल                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिन सदस्यों को लॉगिन करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, वे <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> पर अनुरोध भेजकर या टोल-फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। | जिन सदस्यों को लॉगिन करने में कोई तकनीकी समस्या आ रही है, वे <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> पर अनुरोध भेजकर या 022-23058738 अथवा 22-23058542-43 पर कॉल करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। |
| Members facing any technical issue - NSDL                                                                                                                                                                                                   | Members facing any technical issue - CDSL                                                                                                                                                                                                                  |
| Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a> or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30                          | Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at <a href="mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com">helpdesk.evoting@cdslindia.com</a> or contact at 022-23058738 or 22-23058542-43.                             |

c) यह गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों पर लागू होता है।

गैर-व्यक्तिगत सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लॉगिन की विधि निम्नलिखित है:

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देश इस प्रकार हैं:

- प्रारंभिक पासवर्ड ईमेल के मुख्य भाग में दिया गया है।
- इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और एड्रेस बार में यूआरएल: <https://evoting.kfintech.com> में टाइप करें।
- अपने ईमेल में उल्लिखित लॉगिन क्रेडेंशियल यानी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी क्लाइंट आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी।

c) Applicable for non-Individual members and members holding shares in physical form

Login method for non-individual members and members holding shares in physical form are given below:

Procedure and Instructions for remote e-Voting are as under:

- Initial password is provided in the body of the e-mail.
- Launch internet browser and type the URL: <https://evoting.kfintech.com> in the address bar.
- Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your e-mail. Your Folio No./DP ID Client ID will be your User ID.

हालांकि, यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए केफिन में पंजीकृत हैं, तो अपना वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।

- d) सभी विवरण सही ढंग से दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- e) आप पासवर्ड बदलने वाले मेनू पर पहुँच जाएंगे जहाँ आपको अपना पासवर्ड बदलना अनिवार्य होगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए, जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक न्यूमेरिक वैल्यू (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर (@, #, \$, आदि) शामिल हो। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।
- f) आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।
- g) सफल लॉगिन पर, सिस्टम आपको इवेंट (यानी केनरा बैंक) चुनने के लिए संकेत देगा।
- h) वोटिंग पेज पर, कट-ऑफ तिथि तक आपके पास मौजूद शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाती है) दिखाई देगी। यदि आप प्रस्ताव के पक्ष में / विरोध में अपने सभी वोट डालना चाहते हैं, तो सभी शेयर दर्ज करें और अपनी पसंद के अनुसार 'FOR' / 'AGAINST' पर क्लिक करें; या कुछ वोट 'FOR' में और कुछ 'AGAINST' में डाल सकते हैं, लेकिन 'FOR' और/या 'AGAINST' में डाले गए वोटों की कुल संख्या, कट-ऑफ तारीख तक आपके पास मौजूद कुल शेयरों की संख्या से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 'ABSTAIN' का विकल्प भी चुन सकते हैं, और इस स्थिति में आपके पास मौजूद शेयरों को किसी भी श्रेणी में नहीं गिना जाएगा।
- i) जिन सदस्यों के पास एक से अधिक फोलियो / डीमैट खाते हैं, उन्हें प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए मतदान प्रक्रिया अलग से चयन करनी होगी।
- j) सही विकल्प का चयन कर अपना वोट डालें और 'SUBMIT' पर क्लिक करें। एक कन्फर्मेशन बॉक्स दिखाई देगा। पुष्टि करने के लिए 'OK' पर क्लिक करें, या बदलने के लिए 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आप बाद में अपना वोट नहीं बदल पाएंगे। वोटिंग की अवधि के दौरान, आप तब तक कई बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक आप यह पुष्टि न कर लें कि आपने प्रस्ताव पर वोट डाल दिया है।
- k) कॉर्पोरेट / संस्थागत सदस्यों (यानी व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड प्रस्ताव / अधिकार पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रति की स्कैन की गई इमेज (pdf / jpg फॉर्मेट में) भेजनी होगी। इसके साथ ही, उन्हें वोट देने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (हस्ताक्षरकर्ताओं)

However, if you are already registered with KFin for e-Voting, use your existing User ID and password for casting your votes.

- d) After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e) You will reach the password change menu wherein you will be required to mandatorily change your password. The new password shall comprise minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@, #, \$, etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- f) You need to login again with the new credentials.
- g) On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Canara Bank.
- h) On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- i) Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
- j) Cast your votes by selecting an appropriate option and click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.
- k) Corporate / Institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (pdf / jpg format) of certified true copy of relevant board resolution/ authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised

के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर भी भेजने होंगे। ये दस्तावेज़ संवीक्षक को [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, और वे इन्हें अपने लॉगिन में मौजूद ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी अपलोड कर सकते हैं।

- I. किसी भी प्रश्न / शिकायत के लिए, आप <https://evoting.kfintech.com> के 'डाउनलोड' सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या श्री शशिधर एस. मन्नावा, उपाध्यक्ष, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (यूनिट: केनरा बैंक), सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 से ईमेल [sashi.mannava@kfintech.com](mailto:sashi.mannava@kfintech.com) पर या फोन नंबर 1-800-309-4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

#### **निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश इस प्रकार हैं:**

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के माध्यम से, अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। जैसे ही आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करेंगे, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल / सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें; ऐसा करने पर आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा, जहाँ आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं, या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होकर मीटिंग के दौरान वोट कर सकते हैं।

#### **16. बैठक के दौरान ई-मतदान प्रणाली**

केवल उन शेयरधारकों को ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी जो ई-एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है। शेयरधारक बैठक के दौरान वीसी / एवीएम में लॉग इन करने के बाद उपलब्ध लिंक <https://emeetings.kfintech.com> / पर क्लिक करके उसमें उल्लिखित निर्देशों का पालन करके मतदान कर सकते हैं।

#### **17. मतदान के समय संवीक्षक**

मेसर्स एस एन अनंथसुब्रमण्यम एंड कंपनी, अभ्यासरत कंपनी सचिव बैठक के सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई-मतदान और इंस्टापोल दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

signatory(ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through e-mail at [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) and may also upload the same in the e-Voting module in their login.

- I. In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-Voting User Manual available at the 'download' section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. Sashidhar S Mannava, Vice President of KFin Technologies Ltd, (Unit : Canara Bank), Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad - 500 032 at e-mail [sashi.mannava@kfintech.com](mailto:sashi.mannava@kfintech.com) at phone no. 1-800-309-4001 (Toll Free).

#### **The instructions for remote e-Voting through Depository Participants are as under:**

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. After successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

#### **16. E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING**

Only those Shareholders who are present in the e-AGM and have not cast their vote through remote e-Voting shall be allowed to vote through e-Voting system. The Shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link <https://emeetings.kfintech.com/> available after logging in to VC/OAVM by following the instructions mentioned therein.

#### **17. SCRUTINIZERS AT VOTING**

M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote e-Voting and instapoll in respect of all the agenda items of the meeting.



## 18. ई-वोटिंग के परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग और ई-एजीएम में मतदान के समेकित परिणाम दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में घोषित किए जाएंगे और बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

## 19. हरित पहल – विशेष ध्यान अपेक्षित

भारत सरकार की हरित पहलों का समर्थन करने के उद्देश्य से, जिन शेयरधारकों ने अपनी ईमेल आईडी अपने संबंधित निक्षेपागार / आरटीए / बैंक के साथ पंजीकृत नहीं कराई है, उनसे अनुरोध है कि वे ऐसा अपने संबंधित निक्षेपागार के माध्यम से करें, अथवा इस सूचना में दिए गए पते / ईमेल आईडी पर आरटीए / बैंक को ईमेल या लिखित अनुरोध भेजकर ऐसा करें, ताकि उन्हें पत्राचार ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो सकें।

## 20. विवाद समाधान

दिनांक 31 जुलाई, 2023 के सेबी परिपत्र के अनुसार, सेबी ने एक एकीकृत ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ओडीआर पोर्टल" - <https://smartodr.in/login>) स्थापित किया है, जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए ऑनलाइन समाधान और ऑनलाइन मध्यस्थता का उपयोग करता है। आरटीए / बैंक के साथ सीधे तौर पर और स्कोर प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी शिकायतों का निवारण करने के सभी विकल्प समाप्त होने के बाद भी, यदि शेयरधारक नतीजे से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह ओडीआर पोर्टल के ज़रिए विवाद समाधान की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ओडीआर पोर्टल तक पहुँचने का लिंक बैंक की वेबसाइट <https://www.canarabank.bank.in/> पर 'Investor Relations' टैब के तहत उपलब्ध है।

## 21. भौतिक शेयरों के संबंध में लाभांश के भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

सेबी ने अपने मास्टर परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 दिनांक 7 मई, 2024 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, 'आरटीए द्वारा निवेशकों के सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरल मानदंड' तथा 'पैन, केवाईसी संबंधी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड' पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। मास्टर परिपत्र का पैरा 19.1 सभी भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए यह अनिवार्य करता है कि वे अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें। इसी क्रम में, पैरा 19.2 उन फोलियो में सेवाओं का लाभ उठाने और लाभांश आदि के भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिनमें पैन, केवाईसी संबंधी विवरण और नामांकन उपलब्ध नहीं हैं; जो इस प्रकार है:

## 18. RESULTS OF E-VOTING

The consolidated results of remote e-Voting and Voting at the e-AGM will be announced within two working days of the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Limited.

## 19. GREEN INITIATIVE - SPECIAL ATTENTION REQUESTED

In order to support the green initiatives by Government of India, Shareholders who have not registered their e-mail IDs with their respective Depositories/RTA/Bank, are requested to do so with their respective Depositories or by sending e-mails/request in writing to the RTA / Bank at the address/e-mail ID stated in this Notice in order to receive communications over mail.

## 20. Dispute Resolution

In terms of SEBI circular dated July 31, 2023, SEBI has established a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal" - <https://smartodr.in/login>) which harnesses online conciliation and online arbitration for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market. Post exhausting the option to resolve their grievances with the RTA/ Bank directly and through SCORES platform, if the shareholder is not satisfied with the outcome, they can initiate dispute resolution through the ODR Portal. Link to access ODR portal is available on Bank's website at <https://www.canarabank.bank.in/> under Investor Relations Tab.

## 21. Important Information regarding Payment of Dividend in respect of Physical Shares.

SEBI vide its Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated 7<sup>th</sup> May, 2024 has issued inter alia, guidelines on 'Common and Simplified Norms for processing investor's service request by RTAs and norms for furnishing PAN, KYC details and Nomination'. Para 19.1 of the Master Circular mandates all the holders of physical securities to furnish PAN, Choice of Nomination, Contact Details, Bank A/c. Details and Specimen Signature for their corresponding folio numbers. In continuation of the same, Para 19.2 lays down the procedure for availing services and payment of dividend etc., in the folios without PAN, KYC details and nomination which reads as under:

## जिन फोलियो में पैन, केवाईसी और बैंक खाते का विवरण नहीं है:

जिन शेयरधारकों के फोलियो में पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर अद्यतन नहीं हैं, वे पात्र होंगे:

- आरटीए से शिकायत दर्ज कराने या किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ऐसे फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान हेतु, दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया जाएगा। सूचीबद्ध कंपनी द्वारा शेयरधारक को सूचित किया जाएगा कि ऐसा भुगतान देय है और यह भुगतान मास्टर परिपत्र के पैरा 19.1 में उल्लिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यदि आपके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, तो आपको बैंक के आरटीए को निर्धारित फॉर्मों में (जो बैंक की वेबसाइट: <https://www.canarabank.bank.in/> पर इस लिंक: <https://www.canarabank.bank.in/shareholder-information> के अंतर्गत उपलब्ध हैं) अपना वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और अद्यतन नमूना हस्ताक्षर तुरंत जमा करना आवश्यक है (यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है)। ऐसा करने से आप सेवाओं के लिए निर्बाध अनुरोध कर सकेंगे और आपके बैंक खाते में लाभांश जमा हो सकेगा; क्योंकि दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से, लाभांश का भुगतान भौतिक वारंट जारी करके नहीं किया जाएगा। आपकी सुविधा हेतु, आप अपनी भौतिक शेयर होल्डिंग को अभौतिकीकरण भी करवा सकते हैं, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक लाभांश भुगतान का लाभ उठा सकें।

## 22. निवेश में सुगमता - भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण और अभौतिकीकरण के लिए विशेष विंडो

प्रतिभूति एवं निवेश सुविधा निर्वाह नीति आयोग (एसईबी) ने दिनांक 30 जनवरी, 2026 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसका शीर्षक है "निवेश में सुगमता - भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण व अभौतिकीकरण के लिए विशेष विंडो"। निवेशकों के लिए निवेश को सुगम बनाने और उनके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों में उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेची / खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण व अभौतिकीकरण ("डीमैट") के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है। यह विशेष विंडो दिनांक 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए खुली रहेगी।

## Folios without PAN, KYC Details and Bank Account Details:

The security holder(s) whose folio(s) do not have PAN, Contact Details, Bank Account Details and Specimen Signature updated, shall be eligible:

- to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing PAN, KYC details and Nomination.
- for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Listed Company to the security holder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in Para 19.1 of the Master Circular.

In view of the above, if you are holding shares in physical form, you are required to furnish valid PAN, Contact Details, Bank Account Details and updated Specimen Signature immediately to the Bank's RTA in the prescribed forms (available on the Bank's website: <https://www.canarabank.bank.in/> under the link: <https://www.canarabank.bank.in/shareholder-information>, if not already done, to avail uninterrupted service requests as well as credit of dividend in bank account, as no dividend will be paid by way of issuance of physical warrant, with effect from 1<sup>st</sup> April, 2024. For your convenience, you may also dematerialise the physical holding so as to avail the benefit of electronic dividend payment.

## 22. Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities

Securities SEBI vide circular dated January 30, 2026 has issued circular w.r.t. Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities. To facilitate ease of investing for investors and to secure their rights in the securities purchased by them, a special window has been opened for transfer and dematerialization ("demat") of physical securities which were sold / purchased prior to April 01, 2019. This special window shall be open for a period of one year from February 05, 2026 to February 04, 2027.

## व्याख्यात्मक विवरण मद संख्या 3

**बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री सुनील कुमार चुघ की नियुक्ति का अनुमोदित करना और विमर्श करना।**

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(1सी) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समयावधि के भीतर ली जाए, जो भी पहले हो। बशर्ते कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, श्री सुनील कुमार चुघ को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए अर्थात् 24 नवंबर, 2025 से 23 नवंबर, 2028 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के अनुसार श्री सुनील कुमार चुघ का संक्षिप्त परिचय, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित, इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में दिया गया है।

श्री सुनील कुमार चुघ, एक सनदी लेखाकार और भारतीय बैंकर संस्थान का प्रमाणपत्रित एसोसिएट हैं, और उन्हें तीन दशकों से ज्यादा का बैंकिंग का अनुभव है। उन्होंने 1993 में अपना करियर शुरू किया और पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और देना बैंक सहित पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए शीर्ष तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विविध कार्यात्मक भूमिकाओं और नेतृत्व जिम्मेदारियों के माध्यम से गहन विशेषज्ञता हासिल की। इन वर्षों के दौरान, उन्होंने कॉर्पोरेट साख, खुदरा, कृषि और एसएसएमई (आरएमएम) ऋण, वित्तीय समावेशन, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन व ऋण निगरानी सहित प्रमुख कारोबारिक और परिचालन वर्टिकल का नेतृत्व किया। उन्होंने मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद में बड़ी कॉर्पोरेट शाखा प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालयों और शाखाओं में काम किया है, जिससे उन्हें क्षेत्र-स्तरीय अनुभव के साथ-साथ रणनीतिक समझ भी है। उन्होंने मेसर्स पीएनबी काइर्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के पद पर कार्य किया है। केनरा बैंक के कार्यपालक

## EXPLANATORY STATEMENT ITEM No. 3

**To consider and approve the appointment of Shri Sunil Kumar Chugh as Executive Director of the Bank.**

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the listed entity shall ensure that approval of Shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the Shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri Sunil Kumar Chugh has been appointed as an Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from November 24, 2025 to November 23, 2028, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Sunil Kumar Chugh in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings is as under:

Shri Sunil Kumar Chugh, a Chartered Accountant and a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers by qualification, has over three decades of banking experience. Beginning his career in 1993, he has risen through the ranks, serving in five Public Sector Banks - Punjab National Bank, Oriental Bank of Commerce, Union Bank of India, Punjab & Sind Bank and Dena Bank, gaining deep expertise through diverse functional roles and leadership responsibilities. Over the years, he led key business and operations verticals, including Corporate Credit, Retail, Agri & MSME (RAM) Credit, Financial Inclusion, Stressed Assets Management and Credit Monitoring. He has headed Large Corporate Branches in Mumbai, Kolkata and Ahmedabad. His roles have spanned Corporate Office, Administrative Offices and Branches, combining field-level exposure with strategic insights. He has served as Director on the Board of M/s PNB Cards & Services Pvt. Ltd and M/s Swift India

निदेशक का पदभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के हैदराबाद मंडल के प्रमुख थे।

सेबी (बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

- भारत सरकार द्वारा बैंक के कारोबार के संदर्भ में आवश्यक कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताओं की पहचान की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है।
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: शून्य
- पिछले तीन वर्षों में श्री सुनील कुमार चुघ ने जिन सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद छोड़ दिया है, उनके नाम: शून्य
- केनरा बैंक में शेरधारिता: शून्य

बोर्ड इस नोटिस के संकल्प संख्या 3 में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

निदेशकगण, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधियों में से कोई भी, बैंक और उपर्युक्त उल्लिखित संस्थाओं में उनकी शेरधारिता/निदेशकता (यदि कोई हो) की सीमा के अतिरिक्त, उक्त प्रस्ताव में किसी प्रकार से संबंधित या हितग्राही नहीं हैं।

#### मद संख्या. 4

**बैंक के सरकारी मनोनीत निदेशक के रूप में सुश्री शालिनी पंडित की नियुक्ति पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।**

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, ली जाए। बशर्ते कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

Domestic Services Pvt. Ltd. Prior to assuming charge as Executive Director of Canara Bank, he headed Hyderabad Zone of Punjab National Bank.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- The skills / expertise / capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- There is no inter-se relationship between Directors
- Directorship in other listed entities: Nil
- Name of listed entities in which Shri Sunil Kumar Chugh has ceased to be director in the past three years: Nil
- Shareholding in Canara Bank: Nil

The Board recommends the passing of an ordinary resolution as set out in Resolution No. 3 of this Notice.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding / directorships, if any, in the bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

#### ITEM No. 4

**To consider and approve the appointment of Ms Shalini Pandit as Government Nominee Director of the Bank**

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the listed entity shall ensure that approval of Shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the Shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.



केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री शालिनी पंडित को तत्काल प्रभाव से, अर्थात् 13 मई, 2026 से तथा अगले आदेश तक बैंक में सरकारी मनोनीत निदेशक नियुक्त किया गया है।

एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 36 (3) और सामान्य बैठकों पर सचिवालय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के अनुसार सुश्री शालिनी पंडित का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

सुश्री शालिनी पंडित उड़ीसा कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

भारत सरकार में अपनी नियुक्ति से पहले, सुश्री शालिनी पंडित उड़ीसा सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। उन्होंने विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मिशन शक्ति विभाग और उड़ीसा भाषा, साहित्य एवं संस्कृति विभाग, उड़ीसा में सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक, उड़ीसा की श्रम आयुक्त और कई जिलों की जिला कलेक्टर के रूप में भी कार्य किया है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके नेतृत्व की व्यापक रूप से सराहना की जाती है। सुश्री शालिनी पंडित ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से वनस्पति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान से वन्यजीव विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।

सेबी (बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

- भारत सरकार द्वारा बैंक के कारोबार के संदर्भ में आवश्यक कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताओं की पहचान की जाती है और तदनुसार, बैंक के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- निदेशकों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है।
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद: शून्य

In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Ms Shalini Pandit has been appointed as Government Nominee Director of the Bank, with immediate effect, i.e., from May 13, 2026 and until further orders.

Brief profile of Ms Shalini Pandit in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with Para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings is as under:

Ms. Shalini Pandit is an Indian Administrative Service (IAS) officer of the Odisha cadre presently serving as Joint Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

Ms. Shalini Pandit has held several key positions in the Odisha Government prior to moving to her assignment with the Government of India. She has served as Secretary for School & Mass Education Department, Health & Family Welfare Department, Mission Shakti Department and Odia Language, Literature & Culture Department, Odisha. She has also served as Mission Director, National Health Mission, Labour Commissioner, Odisha and District Collector for several districts. Her work in bringing reforms to the education sector and leadership in the health sector during the Covid-19 pandemic is widely appreciated. Ms. Shalini Pandit graduated in Botany from Miranda House College, University of Delhi and completed her M.Sc. in Wildlife Science from the Wildlife Institute of India, Dehradun.

Other details in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- The skills / expertise / capabilities as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly, appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.
- There is no inter-se relationship between Directors
- Directorship in other listed entities: Nil

d. पिछले तीन वर्षों में सुश्री शालिनी पंडित ने जिन सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद छोड़ दिया है, उनके नाम: शून्य

e. केनरा बैंक में शेयरधारिता: शून्य

बोर्ड इस नोटिस के संकल्प संख्या 4 में उल्लिखित साधारण प्रस्ताव को पारित करने की अनुशंसा करता है।

निदेशकगण, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधियों में से कोई भी, बैंक और उपर्युक्त उल्लिखित संस्थाओं में उनकी शेयरधारिता/निदेशकता (यदि कोई हो) की सीमा के अतिरिक्त, उक्त प्रस्ताव में किसी प्रकार से संबंधित या हितग्राही नहीं हैं।

d. Name of listed entities in which Ms. Shalini Pandit has ceased to be director in the past three years: Nil

e. Shareholding in Canara Bank: Nil

The Board recommends the passing of an ordinary resolution as set out in Resolution No. 4 of this Notice.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding / directorships, if any, in the bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned / interested in the above resolution.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

By Order of the Board of Directors

संतोष कुमार बारिक

संतोष कुमार बारिक  
कंपनी सचिव

SANTOSH KUMAR BARIK  
COMPANY SECRETARY

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 27.05.2026

Place : Bengaluru  
Date : 27.05.2026

## प्रगति की एक झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ में / Amt. ₹ in Crores)

| मापदंड / Parameters                                                                                          | 2023-24 | 2024-25  | 2025-26   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| घरेलू शाखाओं की संख्या / Number of Domestic Branches                                                         | 9604    | 9849     | 10097     |
| एटीएम / रिसाइकल्स की संख्या / Number of ATMs / Recyclers                                                     | 12155   | 11954    | 11306     |
| चुकता पूंजी / Paid-up Capital                                                                                | 1814    | 1814.13  | 1814.13   |
| आरक्षित निधियां / Reserves                                                                                   | 85140   | 98085.98 | 111568.48 |
| सकल जमा / Aggregate Deposits                                                                                 | 1312366 | 1456883  | 1568678   |
| अनिवासी जमा / Non-Resident Deposits                                                                          | 64875   | 67538    | 73987     |
| विदेशी कारोबार टर्नओवर / Foreign Business Turnover                                                           | 186479  | 209921   | 224771    |
| सकल अग्रिम / Gross Advances                                                                                  | 960602  | 1073332  | 1237548   |
| खुदरा अग्रिम / Retail Advances                                                                               | 156414  | 223366   | 296912    |
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances                                                 | 423563  | 422761   | 487514    |
| कृषि अग्रिम / Agriculture Advances                                                                           | 253206  | 246904   | 275777    |
| कृषि अग्रिम (संवितरण) / Agriculture Advances (Disbursal)                                                     | 248128  | 242764   | 294046    |
| एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances                                                                               | 129217  | 139857   | 157831    |
| डीआरआई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme                                                       | 68      | 55       | 51        |
| अ.जा./अ.ज.जा ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients                                                  | 22028   | 22179    | 24078     |
| निर्यात ऋण / Export Credit                                                                                   | 8892    | 9648     | 11410     |
| कुल आय / Total Income                                                                                        | 127654  | 1,42,208 | 153204    |
| कुल व्यय / Total Expenditure                                                                                 | 98241   | 1,10,818 | 120186    |
| परिचालन लाभ / Operating Profit                                                                               | 29413   | 31391    | 33019     |
| निवल लाभ / निवल हानि / Net Profit / Net Loss                                                                 | 14554   | 17027    | 19187     |
| प्रति इक्विटी शेयर लाभान्श (₹ में) / Dividend per Equity Share (in ₹)                                        | 16.10   | 4        | 4.20      |
| कर्मचारियों की कुल संख्या / Total Number of Staff                                                            | 82638   | 81260    | 81811     |
| बट्टे खाते में डाले गए खातों सहित संचयी नकद वसूली<br>Cumulative Cash Recovery including written-off accounts | 10038   | 11131    | 9161      |
| <b>मुख्य कार्यनिष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)</b>                                           |         |          |           |
| पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio                                                             | 16.28   | 16.33    | 17.04     |
| सकल एनपीए अनुपात / Gross NPA Ratio                                                                           | 4.23    | 2.94     | 1.84      |
| निवल एनपीए अनुपात / Net NPA Ratio                                                                            | 1.27    | 0.70     | 0.43      |
| आस्तियों पर औसतन प्रतिलाभ / Return on Average Assets                                                         | 1.01    | 1.09     | 1.10      |
| इक्विटी पर प्रतिलाभ / Return on Equity                                                                       | 22.06   | 21.28    | 19.61     |
| बही मूल्य (₹ में) / Book Value (in ₹)                                                                        | 395.94  | 97.28    | 114.05    |
| निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin                                                                     | 3.05    | 2.80     | 2.51      |



निदेशकों की रिपोर्ट  
2025-2026  
DIRECTORS' REPORT



## निदेशकों की रिपोर्ट: 2025-26

निदेशक मंडल यथा 31 मार्च, 2026 तक की तुलन पत्र एवं 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष लाभ व हानि लेखा के साथ 57 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

बैंक के वित्तीय प्रदर्शन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

| विवरण                                                                  | मार्च-25  | मार्च-26  | वृद्धि (%) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| वैश्विक कारोबार                                                        | 25,03,194 | 28,06,226 | 12.11%     |
| जिसमें से- घरेलू कारोबार                                               | 23,39,808 | 25,98,048 | 11.04%     |
| विदेशी कारोबार                                                         | 1,63,386  | 2,08,178  | 27.41%     |
| वैश्विक जमा                                                            | 14,29,862 | 15,68,678 | 9.71%      |
| जिनमें से- घरेलू जमा                                                   | 13,31,137 | 14,36,905 | 7.95%      |
| विदेशी जमा                                                             | 98,725    | 1,31,773  | 33.47%     |
| घरेलू जमा                                                              | 13,31,137 | 14,36,905 | 7.95%      |
| चालू खाता जमा                                                          | 77,841    | 62,223    | -20.06%    |
| बचत बैंक जमा                                                           | 3,37,135  | 3,66,581  | 8.73%      |
| कासा जमा                                                               | 4,14,976  | 4,28,804  | 3.33%      |
| घरेलू कासा से घरेलू जमा (%)                                            | 31.17%    | 29.84%    | -          |
| वैश्विक प्रगति                                                         | 10,73,332 | 12,37,548 | 15.30%     |
| जिसमें से -घरेलू अग्रिम                                                | 10,08,671 | 11,61,143 | 15.12%     |
| विदेशी अग्रिम                                                          | 64,661    | 76,405    | 18.16%     |
| कुल आस्ति                                                              | 1684686   | 1883202   | 10.64%     |
| निवल ब्याज आय (एनआईआई)                                                 | 37072     | 37210     | 0.37%      |
| अन्य आय                                                                | 22453     | 26838     | 19.53%     |
| जिसमें से- शुल्क आय                                                    | 8866      | 9649      | 8.83%      |
| विदेशी मुद्रा आय                                                       | 828       | 1471      | 77.66%     |
| ट्रेडिंग लाभ                                                           | 2666      | 5321      | 99.59%     |
| बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली                                  | 6828      | 6537      | (4.26)%    |
| निवल ब्याज आय + अन्य आय                                                | 59525     | 64048     | 7.59%      |
| परिचालन व्यय                                                           | 28134     | 31030     | 10.29%     |
| परिचालन लाभ                                                            | 31391     | 33019     | 5.19%      |
| प्रावधान                                                               | 14364     | 13832     | (3.70)%    |
| जिसमें से -एनपीए और बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान | 9586      | 6310      | (34.17)%   |
| कर देने से पूर्व लाभ                                                   | 22627     | 24907     | 10.07%     |
| कर का प्रावधान                                                         | 5600      | 5720      | 2.14%      |
| निवल लाभ                                                               | 17027     | 19187     | 12.69%     |

## DIRECTORS' REPORT: 2025-26

The Board of Directors have pleasure in presenting the 57<sup>th</sup> Annual Report together with the Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2026 and Profit & Loss Account for the financial year ended March 31, 2026.

A snapshot of Bank's financial performance is given below:

(₹ in Crores)

| Particulars                                                       | Mar-25           | Mar-26           | Growth (%)     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Global Business</b>                                            | <b>25,03,194</b> | <b>28,06,226</b> | <b>12.11%</b>  |
| <i>of which - Domestic Business</i>                               | 23,39,808        | 25,98,048        | 11.04%         |
| Overseas Business                                                 | 1,63,386         | 2,08,178         | 27.41%         |
| <b>Global Deposits</b>                                            | <b>14,29,862</b> | <b>15,68,678</b> | <b>9.71%</b>   |
| <i>of which - Domestic Deposits</i>                               | 13,31,137        | 14,36,905        | 7.95%          |
| Overseas Deposits                                                 | 98,725           | 1,31,773         | 33.47%         |
| <b>Domestic Deposits</b>                                          | <b>13,31,137</b> | <b>14,36,905</b> | <b>7.95%</b>   |
| Current Account Deposits                                          | 77,841           | 62,223           | -20.06%        |
| Savings Bank Deposits                                             | 3,37,135         | 3,66,581         | 8.73%          |
| CASA Deposits                                                     | 4,14,976         | 4,28,804         | 3.33%          |
| <b>Domestic CASA to Domestic Deposits (%)</b>                     | <b>31.17%</b>    | <b>29.84%</b>    | <b>-</b>       |
| <b>Global Advances</b>                                            | <b>10,73,332</b> | <b>12,37,548</b> | <b>15.30%</b>  |
| <i>of which - Domestic Advances</i>                               | 10,08,671        | 11,61,143        | 15.12%         |
| Overseas Advances                                                 | 64,661           | 76,405           | 18.16%         |
| <b>Total Assets</b>                                               | <b>1684686</b>   | <b>1883202</b>   | <b>10.64%</b>  |
| <b>Net Interest Income (NII)</b>                                  | <b>37072</b>     | <b>37210</b>     | <b>0.37%</b>   |
| <b>Other Income</b>                                               | <b>22453</b>     | <b>26838</b>     | <b>19.53%</b>  |
| <i>of which - Fee Income</i>                                      | 8866             | 9649             | 8.83%          |
| Forex Income                                                      | 828              | 1471             | 77.66%         |
| Trading Gains                                                     | 2666             | 5321             | 99.59%         |
| Recovery from written-off accounts                                | 6828             | 6537             | (4.26)%        |
| <b>NII + Other Income</b>                                         | <b>59525</b>     | <b>64048</b>     | <b>7.59%</b>   |
| <b>Operating Expenses</b>                                         | <b>28134</b>     | <b>31030</b>     | <b>10.29%</b>  |
| <b>Operating Profit</b>                                           | <b>31391</b>     | <b>33019</b>     | <b>5.19%</b>   |
| <b>Provisions</b>                                                 | <b>14364</b>     | <b>13832</b>     | <b>(3.70)%</b> |
| <i>of which - Provisions for NPAs &amp; Bad debts written off</i> | 9586             | 6310             | (34.17)%       |
| Profit Before Tax                                                 | 22627            | 24907            | 10.07%         |
| Provision for Tax                                                 | 5600             | 5720             | 2.14%          |
| <b>Net Profit</b>                                                 | <b>17027</b>     | <b>19187</b>     | <b>12.69%</b>  |

बैंक का वैश्विक कारोबार वार्षिक आधार पर 12.11% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹28,06,226 करोड़ हो गया, जिसमें से घरेलू कारोबार वार्षिक आधार पर 11.04% बढ़कर मार्च 2026 तक ₹25,98,048 करोड़ हो गया। घरेलू कासा जमा ₹4,28,804 करोड़ रहा, जिसमें बचत खाता ₹3,66,581 करोड़ और चालू खाता ₹62,223 करोड़ था। इस प्रकार, मार्च 2026 तक घरेलू कासा की दर 29.84% रही।

बैंक ने आस्ति गुणवत्ता की निगरानी, नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में कई कदम उठाए हैं। बैंक के निरंतर प्रयासों से आस्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर सराहनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए में 110 बीपीएस की वार्षिक गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 1.84% हो गई, जबकि निवल एनपीए में 27 बीपीएस की वार्षिक गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 0.43% हो गई। इसके अलावा, प्रावधान कवरेज अनुपात पिछले वर्ष के 92.70% से बढ़कर 94.21% हो गया है। 17.04% का स्वस्थ सीआरएआर दर्शाता है कि बैंक आगामी तिमाहियों में सकारात्मक वृद्धि के लिए अच्छी तरह से तैयार है। वित्त वर्ष 2025-26 में, बैंक का परिचालन लाभ ₹33,019 करोड़ और निवल लाभ ₹19,187 करोड़ रहा।

## लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2025-26 के लिए शेयरधारकों को ₹2/- अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹4.20 (अर्थात 210%) का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो कि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की अनुमोदन के अधीन है।

## प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण

### वैश्विक अर्थव्यवस्था

मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने से उत्पन्न भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार नीति संबंधी अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लचीली रही। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत घरेलू मांग, प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निरंतर निवेश, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियां और कंपनियों की अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं ने वैश्विक विकास को निरंतर समर्थन प्रदान किया।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अप्रैल 2026 के विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार, भू-राजनीतिक संघर्ष के नियंत्रण में रहने की स्थिति में वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2025 में लगभग 3.4% रहने का अनुमान है, जो 2026 में घटकर 3.1% और 2027 में 3.2% हो जाएगी। मुद्रास्फीति का दबाव, जो 2025 के अधिकांश समय में कम हो गया था, ऊर्जा की उच्च कीमतों और आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं के कारण फिर से बढ़ने का जोखिम देखा गया।

The global business of the Bank increased to ₹28,06,226 Crores, up by 12.11% y-o-y, out of which domestic business grew by 11.04% y-o-y to ₹25,98,048 Crores as at March 2026. Domestic CASA deposits stood at ₹4,28,804 Crores with Savings Account of ₹3,66,581 Crores and Current Account of ₹62,223 Crores. Thus, domestic CASA stood at 29.84% as at March 2026.

Bank took various steps in respect of monitoring, control and maintaining asset quality. The sustained efforts of the Bank has yielded results on the asset quality front which showed a commendable fall in Gross NPA by 110 bps Y-o-Y to 1.84% and Net NPA to 0.43% down by 27 bps Y-o-Y. Further the provision coverage ratio has improved to 94.21% from 92.70% in the previous year. The healthy CRAR of 17.04%, highlights that the Bank is well cushioned for an organic growth in the coming quarters. In FY 2025-26, operating profit of the Bank stood at ₹33,019 Crores and net profit at ₹19,187 Crores.

## Dividend

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹4.20 per equity share (i.e., 210%) of face value of ₹2/- each to the Shareholders for the year 2025-26, subject to the approval of the Shareholders at the AGM.

## MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

### GLOBAL ECONOMY

The global economy demonstrated resilience during FY 2025-26 despite heightened geopolitical tensions, trade policy uncertainties, and supply chain disruptions arising from the escalation of conflict in the Middle East. Global growth remained supported by strong domestic demand in major economies, continued investment in technology and artificial intelligence, accommodative financial conditions and adaptive corporate supply chains.

According to the International Monetary Fund (IMF) April 2026 World Economic Outlook, global GDP growth is estimated at approximately 3.4% in 2025, before moderating to 3.1% in 2026 and 3.2% in 2027 under the assumption of a contained geopolitical conflict. Inflationary pressures, which had eased through much of 2025, witnessed renewed upside risks due to higher energy prices and supply-side disruptions.

विकसित अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन मिलाजुला रहा। प्रौद्योगिकी आधारित निवेशों के बल पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपेक्षाकृत मजबूत गति बनाए रखी, जबकि यूरो क्षेत्र ऊर्जा संबंधी कमजोरियों और औद्योगिक गतिविधियों में कमी से जूझता रहा। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई), विशेष रूप से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने वैश्विक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा।

ओईसीडी और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था व्यापार विखंडन और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के अनुकूल ढल रही है, लेकिन उच्च ऋण स्तर, जनसांख्यिकीय दबाव और लगातार भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण मध्यम अवधि की वृद्धि महामारी से पहले के औसत से नीचे रहने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, तकनीकी प्रगति और मजबूत मांग की स्थिति के कारण वैश्विक दृष्टिकोण सतर्कतापूर्वक आशावादी बना हुआ है, हालांकि लंबे समय तक चलने वाले भू-राजनीतिक तनाव, कमोडिटी कीमतों में अस्थिरता और व्यापार व्यवधानों से जुड़े नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं।

## भारतीय अर्थव्यवस्था

चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मजबूत विकास गति बनाए रखी और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रही। मजबूत घरेलू मांग, निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय, स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र की तुलन-पत्र और मजबूत निजी उपभोग ने वर्ष के दौरान आर्थिक गतिविधियों को समर्थन दिया।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) और बहुपक्षीय संस्थानों से उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, सेवाओं, विनिर्माण और निवेश गतिविधियों में व्यापक विस्तार के कारण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4% से 7.6% की सीमा में रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति में नरमी, ग्रामीण मांग में सुधार और स्थिर रोजगार स्थितियों के कारण वर्ष के दौरान निजी उपभोग में लगातार वृद्धि हुई। बुनियादी ढांचे पर निरंतर खर्च, विनिर्माण प्रोत्साहन और निजी क्षेत्र के निवेश इरादों में सुधार के चलते सकल स्थिर पूंजी निर्माण मजबूत बना रहा।

वित्तीय सेवाओं, व्यापार, आतिथ्य सत्कार, परिवहन और डिजिटल सेवाओं के नेतृत्व में सेवा क्षेत्र प्रमुख विकास चालक बना रहा। सार्वजनिक अवसंरचना पर किए गए खर्च और घरेलू मांग में सुधार के कारण

Advanced economies showed mixed performance, with the United States maintaining relatively stronger momentum supported by technology-led investments, while the Euro area remained constrained by energy-related vulnerabilities and weaker industrial activity. Emerging Market and Developing Economies (EMDEs), particularly Asian economies, continued to contribute significantly to global growth.

The OECD and other multilateral agencies have highlighted that while the global economy continues to adapt to trade fragmentation and geopolitical uncertainties, medium-term growth is expected to remain below pre-pandemic averages due to elevated debt levels, demographic pressures and persistent geopolitical risks.

Overall, the global outlook remains cautiously optimistic supported by technological advancements and resilient demand conditions, though downside risks linked to prolonged geopolitical tensions, commodity price volatility and trade disruptions continue to persist.

## DOMESTIC ECONOMY

The Indian economy maintained strong growth momentum during FY 2025-26 and continued to remain the fastest-growing major economy globally despite challenging external conditions. Robust domestic demand, sustained government capital expenditure, healthy financial sector balance sheets, and resilient private consumption supported economic activity during the year.

As per available estimates from the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) and multilateral institutions, India's real GDP growth for FY 2025-26 is estimated in the range of 7.4%–7.6%, supported by broad-based expansion across services, manufacturing and investment activity.

Private consumption improved steadily during the year aided by moderating inflation, improved rural demand, and stable employment conditions. Gross Fixed Capital Formation remained strong, supported by continued infrastructure spending, manufacturing incentives and improving private sector investment intentions.

The services sector remained the primary growth driver, led by financial services, trade, hospitality, transportation, and digital services. Manufacturing activity also remained resilient, supported by public infrastructure



विनिर्माण क्षेत्र भी मजबूत बना रहा। सामान्य मानसून और बेहतर कृषि उत्पादकता के कारण कृषि विकास स्थिर रहा।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी और स्थिर मूल मुद्रास्फीति के रुझानों के कारण वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आई और यह काफी हद तक भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य सीमा के भीतर रही। भारत का बाह्य क्षेत्र भी सुदृढ़ बना रहा, जिसमें चालू खाता घाटा नियंत्रण में रहा, सेवाओं का निर्यात मजबूत रहा और विदेशी मुद्रा भंडार स्वस्थ रहा।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में प्रगति जारी रही, जिसमें उत्पादक पूंजीगत व्यय, अवसंरचना विकास और राजस्व जुटाने पर निरंतर जोर दिया गया। बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और ऋण वृद्धि में सुधार जारी रहा, जिससे व्यापक आर्थिक स्थिरता और मजबूत हुई।

कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के व्यापक आर्थिक आधारभूत सिद्धांत मजबूत बने रहे, जिससे अर्थव्यवस्था बाहरी अनिश्चितताओं से निपटने और मध्यम अवधि की विकास गति को बनाए रखने के लिए अनुकूल स्थिति में रही।

## वर्ष 2026-27 के लिए दृष्टिकोण

मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव, वस्तुओं की ऊंची कीमतों और वैश्विक व्यापार परिवेश में अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था से वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मजबूत विकास गति बनाए रखने की उम्मीद है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), आईएमएफ, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक सहित प्रमुख संस्थानों ने मजबूत घरेलू मांग, सार्वजनिक अवसंरचना पर निरंतर खर्च, बेहतर निजी निवेश और स्वस्थ बैंकिंग क्षेत्र की तुलन-पत्र के समर्थन से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5%-6.9% की सीमा में रहने का अनुमान लगाया है।

आय स्तर में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति और स्थिर मुद्रास्फीति की स्थिति के कारण निजी उपभोग में मजबूती बनी रहने की उम्मीद है। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे पर निरंतर ध्यान, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण निवेश गतिविधि भी बेहतर रहने की संभावना है।

मुद्रास्फीति के आरबीआई द्वारा निर्धारित सहनशीलता सीमा के भीतर रहने की उम्मीद है, हालांकि वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, मौसम संबंधी व्यवधानों और भू-राजनीतिक तनावों से उत्पन्न जोखिम कीमतों पर ऊपर की ओर दबाव डाल सकते हैं।

भारत के बाह्य व्यापार क्षेत्र के सुदृढ़ सेवा निर्यात, प्रेषण प्रवाह और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार के कारण स्थिर रहने की उम्मीद है। हालांकि,

spending and improving domestic demand conditions. Agricultural growth remained stable, aided by normal monsoon conditions and improved farm productivity.

Inflation moderated significantly during FY 2025-26 and largely remained within the Reserve Bank of India's target range, supported by easing food prices and stable core inflation trends. India's external sector also remained resilient, with manageable current account deficit levels, strong services exports and healthy foreign exchange reserves.

Fiscal consolidation remained on track, with continued emphasis on productive capital expenditure, infrastructure development, and revenue mobilization. The banking sector continued to witness improvement in asset quality, capital adequacy and credit growth, further strengthening macroeconomic stability.

Overall, India's macroeconomic fundamentals remained strong during FY 2025-26, positioning the economy favourably to navigate external uncertainties and sustain medium-term growth momentum.

## OUTLOOK FOR 2026-27

The Indian economy is expected to maintain resilient growth momentum during FY 2026-27 despite ongoing geopolitical tensions, elevated commodity prices, and uncertainties in the global trade environment.

Major institutions including the Reserve Bank of India (RBI), IMF, World Bank, and Asian Development Bank have projected India's GDP growth in the range of 6.5%–6.9% for FY 2026-27, supported by robust domestic demand, continued public infrastructure spending, improving private investment, and healthy banking sector balance sheets.

Private consumption is expected to remain supportive, aided by improving income levels, rural recovery and stable inflation conditions. Investment activity is likely to remain healthy due to continued government focus on infrastructure, manufacturing incentives and digital economy expansion.

Inflation is expected to remain within the RBI's tolerance band, although risks from higher global energy prices, weather-related disruptions and geopolitical tensions may exert upward pressure on prices.

India's external sector is expected to remain manageable, supported by strong services export, remittance inflows

वैश्विक व्यापार विखंडन, अस्थिर वस्तु कीमतों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से उत्पन्न जोखिमों पर कड़ी निगरानी रखना आवश्यक है।

कुल मिलाकर, भारत की मजबूत घरेलू आधारभूत संरचना, चल रहे संरचनात्मक सुधार, डिजिटल परिवर्तन और बुनियादी ढांचा निवेश से मध्यम अवधि में सतत विकास को समर्थन मिलने और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है।

## 2025-26 में केनरा बैंक

केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान मजबूत और सुदृढ़ प्रदर्शन किया, जिसमें मजबूत कारोबारी वृद्धि, बेहतर लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार शामिल है। 31 मार्च, 2026 तक बैंक का वैश्विक कारोबार ₹28,06,226 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.11% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मजबूत ऋण विस्तार से प्रेरित थी, जिसमें वैश्विक अग्रिम 15.30% बढ़कर ₹12,37,548 करोड़ हो गए, जबकि वैश्विक जमा 9.71% बढ़कर ₹15,68,678 करोड़ हो गए। ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष के 75.07% से बढ़कर 78.89% हो गया, जो ऋण प्राप्ति में सुधार को दर्शाता है।

खुदरा ऋण वृद्धि का मुख्य कारक बना रहा, जिसमें वार्षिक आधार पर 32.93% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹2,96,912 करोड़ तक पहुंच गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (आरएमएम) (खुदरा, कृषि और एमएसएमई) ऋण 19.73% बढ़कर ₹7,30,520 करोड़ हो गया और घरेलू ऋण पोर्टफोलियो का 59% हिस्सा रहा। खुदरा ऋणों में, आवास ऋणों में 17.55% की वृद्धि हुई, जबकि वाहन ऋणों में 26.33% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। एमएसएमई ऋणों में भी वर्ष के दौरान 12.85% की मजबूत वृद्धि दर्ज हुई। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के सभी लक्ष्यों को पार करना जारी रखा, जो समावेशी और सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

लाभप्रदता के मोर्चे पर, बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹19,187 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.69% की वृद्धि दर्शाता है। परिचालन लाभ ₹33,019 करोड़ रहा, जबकि कुल आय गैर-ब्याज आय में 19.53% की मजबूत वृद्धि के कारण 7.73% बढ़कर ₹1,53,204 करोड़ हो गई। निवल ब्याज आय ₹37,210 करोड़ रही। लाभप्रदता अनुपात मजबूत बना रहा, जिसमें आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.10% और निवल आस्ति पर प्रतिलाभ 19.61% रहा। प्रति शेयर आय में 12.68% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹21.15 का सुधार हुआ। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष के लिए 210% (₹2 अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹4.20) के लाभांश की सिफारिश की।

वर्ष के दौरान आस्ति गुणवत्ता में और सुधार देखा गया। एनपीए 110 आधार अंकों की गिरावट के साथ 1.84% पर आ गई, जबकि एनपीए में वार्षिक आधार पर 27 आधार अंकों की गिरावट के साथ 0.43% का सुधार हुआ। प्रावधान कवरेज अनुपात 94.21% पर मजबूत बना रहा। वार्षिक अपव्यय अनुपात 0.69% पर नियंत्रण में रहा, जबकि ऋण

and adequate foreign exchange reserves. However, risks arising from global trade fragmentation, volatile commodity prices and geopolitical developments continue to warrant close monitoring.

Overall, India's strong domestic fundamentals, ongoing structural reforms, digital transformation, and infrastructure investments are expected to support sustainable medium-term growth and reinforce its position as one of the fastest-growing major economies globally.

## CANARA BANK IN 2025-26

Canara Bank delivered a strong and resilient performance during FY 2025-26, marked by healthy business growth, improved profitability, and significant enhancement in asset quality. The Bank's Global Business stood at ₹28,06,226 Crores as on March 31, 2026, registering a robust year-on-year growth of 12.11%. The growth was driven by strong credit expansion, with Global Advances increasing by 15.30% to ₹12,37,548 Crores, while Global Deposits grew by 9.71% to ₹15,68,678 Crores. The Credit-Deposit Ratio improved to 78.89% from 75.07% in the previous year, reflecting improved credit traction.

Retail credit continued to be a key growth driver, growing by 32.93% year-on-year to ₹2,96,912 Crores. RAM (Retail, Agriculture & MSME) advances increased by 19.73% to ₹7,30,520 Crores and constituted 59% of the domestic loan portfolio. Within retail advances, Housing Loans grew by 17.55%, while Vehicle Loans recorded strong growth of 26.33%. MSME advances also registered healthy growth of 12.85% during the year. The Bank continued to exceed all Priority Sector Lending targets, reaffirming its commitment towards inclusive and sustainable growth.

On the profitability front, the Bank reported a Net Profit of ₹19,187 Crores for FY 2025-26, registering a growth of 12.69% over the previous year. Operating Profit stood at ₹33,019 Crores, while Total Income increased by 7.73% to ₹1,53,204 Crores, supported by a strong 19.53% growth in Non-Interest Income. Net Interest Income stood at ₹37,210 Crores. Profitability ratios remained healthy, with Return on Assets at 1.10% and Return on Net Worth at 19.61%. Earnings Per Share improved to ₹21.15, up 12.68% year-on-year. The Board recommended a dividend of 210% (₹4.20 per equity share of face value ₹2 each) for the financial year.

Asset quality witnessed further improvement during the year. Gross NPA declined by 110 basis points to 1.84%, while Net NPA improved to 0.43%, declining by 27 basis points year-on-year. The Provision Coverage

लागत 0.59% रही। 31 मार्च, 2026 तक बैंक का पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) बढ़कर 17.04% हो गया, जिससे भविष्य के विकास को समर्थन देने के लिए एक मजबूत पूंजीगत बफर उपलब्ध हुआ।

कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक का प्रदर्शन खुदरा विस्तार, डिजिटल परिवर्तन, परिचालन दक्षता और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित रणनीति के सफल क्रियान्वयन को दर्शाता है। मजबूत तुलन-पत्र, बेहतर आस्ति गुणवत्ता, बेहतर लाभप्रदता और सुदृढ़ पूंजी स्थिति के साथ, बैंक आने वाले वर्षों में विकास की गति को बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।

## कारोबार निष्पादन

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार ₹25,03,194 करोड़ से बढ़कर ₹28,06,226 करोड़ हो गया, जिसमें वार्षिक आधार पर 12.11% की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक जमा राशि ₹15,68,678 करोड़ रही, जिसमें वार्षिक आधार पर 9.71% की वृद्धि हुई और वैश्विक अग्रिम राशि ₹12,37,548 करोड़ रही, जिसमें 15.30% की वृद्धि दर दर्ज की गई।

### वित्त वर्ष 2025-26 में कारोबार वृद्धि का संक्षिप्त विवरण

(रुपए करोड़ में)

| विवरण                       | मार्च-25  | मार्च-26  | वृद्धि (%) वर्ष दर वर्ष |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| वैश्विक जमा                 | 14,29,862 | 15,68,678 | 9.71%                   |
| जिसमें से - घरेलू जमा       | 13,31,137 | 14,36,905 | 7.95%                   |
| विदेशी जमा                  | 98,725    | 1,31,773  | 33.47%                  |
| घरेलू जमा                   | 13,31,137 | 14,36,905 | 7.95%                   |
| चालू खाता जमा               | 77,841    | 62,223    | -20.07%                 |
| बचत बैंक जमा                | 3,37,135  | 3,66,581  | 8.73%                   |
| कासा जमा                    | 4,14,976  | 4,28,804  | 3.33%                   |
| घरेलू कासा से घरेलू जमा (%) | 31.17%    | 29.84     | --                      |
| वैश्विक अग्रिम              | 10,73,332 | 12,37,548 | 15.30%                  |
| जिसमें से - घरेलू अग्रिम    | 10,08,671 | 11,61,143 | 15.12%                  |
| विदेशी अग्रिम               | 64,661    | 76,405    | 18.16%                  |
| कुल आस्ति                   | 1684686   | 1883202   | 10.64%                  |

Ratio remained strong at 94.21%. Annualized slippage ratio remained contained at 0.69%, while Credit Cost stood at 0.59%. The Bank's Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) improved to 17.04% as at March 31, 2026, providing a strong capital buffer to support future growth.

Overall, the Bank's performance during FY 2025-26 reflects successful execution of its strategy focused on retail expansion, digital transformation, operational efficiency, and prudent risk management. With a strengthened balance sheet, improved asset quality, healthy profitability, and robust capital position, the Bank remains well positioned to sustain growth momentum in the coming years.

## BUSINESS PERFORMANCE

During FY 2025-26, the global business of the Bank stood at ₹28,06,226 Crores with a growth of 12.11% y-o-y from ₹25,03,194 Crores, with global deposits at ₹15,68,678 Crores with a growth of 9.71% y-o-y and global advances at ₹12,37,548 Crores with a growth rate of 15.30%.

### A snapshot of business growth in FY 2025-26

(₹ in Crores)

| Particulars                            | Mar-25    | Mar-26    | Growth (%) y-o-y |
|----------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| Global Deposits                        | 14,29,862 | 15,68,678 | 9.71%            |
| of which- Domestic Deposits            | 13,31,137 | 14,36,905 | 7.95%            |
| Overseas Deposits                      | 98,725    | 1,31,773  | 33.47%           |
| Domestic Deposits                      | 13,31,137 | 14,36,905 | 7.95%            |
| Current Account Deposits               | 77,841    | 62,223    | -20.07%          |
| Savings Bank Deposits                  | 3,37,135  | 3,66,581  | 8.73%            |
| CASA Deposits                          | 4,14,976  | 4,28,804  | 3.33%            |
| Domestic CASA to Domestic Deposits (%) | 31.17%    | 29.84     | --               |
| Global Advances                        | 10,73,332 | 12,37,548 | 15.30%           |
| of which- Domestic Advances            | 10,08,671 | 11,61,143 | 15.12%           |
| Overseas Advances                      | 64,661    | 76,405    | 18.16%           |
| Total Assets                           | 1684686   | 1883202   | 10.64%           |

## जमा

कुल वैश्विक जमा राशि में वार्षिक आधार पर 9.71% की वृद्धि हुई, जो मार्च 2025 में ₹14,29,862 करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 में ₹15,68,678 करोड़ हो गई। बैंक की घरेलू कासा जमा राशि मार्च 2026 तक ₹4,28,804 करोड़ थी, जिसमें बचत जमा ₹3,66,581 करोड़ और चालू जमा ₹62,223 करोड़ थी। घरेलू जमा में बैंक की घरेलू कासा जमा राशि का हिस्सा 29.84% था। 31 मार्च 2026 तक बैंक के कुल जमा ग्राहकों की संख्या 12.15 करोड़ थी।

## अग्रिम

बैंक ने कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए, साथ ही आवास, शिक्षा और वाहन ऋण सहित खुदरा आस्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपने आस्ति आधार का बेहतर तरीके से विविधीकरण के माध्यम से विस्तार किया।

मार्च 2026 तक बैंक का कुल वैश्विक ऋण (सकल) ₹12,37,548 करोड़ तक पहुंच गया। खुदरा, कृषि और संबद्ध गतिविधियां, एमएसएमई पोर्टफोलियो में वार्षिक आधार पर 19.73% की वृद्धि दर्ज की गई और यह मार्च 2026 तक ₹7,30,520 करोड़ तक पहुंच गया। खुदरा ऋण में वार्षिक आधार पर 32.93% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹2,96,912 करोड़ तक पहुंच गया, कृषि और संबद्ध गतिविधियों को दिए गए ऋण में वार्षिक आधार पर 11.69% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹2,75,777 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि एमएसएमई को दिए गए ऋण में 12.85% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹1,57,831 करोड़ तक पहुंच गया। आरएम पोर्टफोलियो के अंतर्गत, बैंक के स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में वार्षिक आधार पर 35.3% की वृद्धि के साथ ₹2,45,448 करोड़ की वृद्धि हुई।

यथा मार्च तक ऋण लेने वाले ग्राहकों की संख्या 1.20 करोड़ थी। मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का कुल कारोबार बढ़कर ₹28,06,226 करोड़ हो गया।

## वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक का परिचालन लाभ ₹33,019 करोड़ रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹19,187 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। बैंक की निवल ब्याज आय ₹37,210 करोड़ रही। एनआईएम 2.51% और अग्रिम प्रतिफल 8.29% रहा।

## Deposits

Total Global Deposits grew by 9.71% y-o-y from ₹14,29,862 Crores as on March 2025 to ₹15,68,678 Crores as on March 2026. Domestic CASA deposits of the Bank are at ₹4,28,804 Crores as on March 2026 with Savings deposits at ₹3,66,581 Crores and Current deposits at ₹62,223 Crores. The Bank's domestic CASA deposits share to domestic deposits stood at 29.84%. Total deposit clientele of the Bank stood at 12.15 Crores as at 31<sup>st</sup> March 2026.

## Advances

The Bank expanded its asset base in a well-diversified manner encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loans.

Global Advances (Gross) of the Bank reached ₹12,37,548 Crores as at March 2026. The RAM (Retail, Agriculture & allied activities, MSME) portfolio grew by 19.73% y-o-y to ₹7,30,520 Crores as at March 2026 with retail advances recording a growth of 32.93% y-o-y to ₹2,96,912 Crores, credit to Agriculture & allied activities recording a growth of 11.69% y-o-y to ₹2,75,777 Crores and credit to MSMEs grew by 12.85% to ₹1,57,831 Crores. Within RAM portfolio, Bank's gold loan portfolio increased to ₹2,45,448 Crores with a y-o-y growth of 35.3%.

The number of borrowal clientele stood at 1.20 Crores as at March 2026. Total business of the Bank increased to ₹28,06,226 Crores for the year ended March 2026.

## FINANCIAL PERFORMANCE

Operating profit of the Bank stood at ₹33,019 Crores for FY 2025-26. Bank reported a Net Profit of ₹19,187 Crores for FY 2025-26. Net Interest income of the Bank stood at ₹37,210 Crores. NIM stood at 2.51% and Yield on Advances at 8.29%.



| प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)   | मार्च-25 | मार्च -26 |
|-----------------------------|----------|-----------|
| निधि पर लागत                | 5.28     | 5.09      |
| निधियों पर प्रतिफल          | 7.65     | 7.22      |
| जमा पर लागत                 | 5.74     | 5.54      |
| अग्रिमों पर प्रतिफल         | 8.83     | 8.29      |
| निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) | 2.80     | 2.51      |
| आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए)  | 1.09     | 1.10      |
| इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)   | 21.28    | 19.61     |
| लागत से आय अनुपात           | 47.27    | 48.45     |

## आय एवं व्यय विश्लेषण:

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक की कुल आय ₹1,53,204 करोड़ रही, जिसमें अग्रिमों से प्राप्त ब्याज के रूप में ₹93,247 करोड़, निवेश से प्राप्त ब्याज के रूप में ₹25,122 करोड़, गैर-ब्याज आय से ₹26,838 करोड़ और अन्य ब्याज आय से ₹7,997 करोड़ शामिल हैं।

## बैंक का परिचालन निष्पादन

(रुपये करोड़ में)

| विवरण                                | मार्च-25 | मार्च -26 |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| अर्जित ब्याज                         | 119755   | 126366    |
| व्यय किया गया ब्याज                  | 82683    | 89156     |
| निवल ब्याज आय (एनआईआई)               | 37072    | 37210     |
| अन्य आय                              | 22453    | 26838     |
| <i>जिसमें से- शुल्क आय</i>           | 8866     | 9649      |
| विदेशी मुद्रा आय                     | 828      | 1471      |
| ट्रेडिंग लाभ                         | 2666     | 5321      |
| बट्टे खाते में डाले गए खाते से वसूली | 6828     | 6537      |
| परिचालन आय (निवल ब्याज आय + अन्य आय) | 59525    | 64048     |
| परिचालन व्यय                         | 28134    | 31030     |
| कर्मचारी व्यय                        | 17856    | 19266     |
| अन्य परिचालन व्यय                    | 10278    | 11764     |
| परिचालन लाभ                          | 31391    | 33019     |
| प्रावधान                             | 14364    | 13832     |

| Key Financial Ratios (%)  | Mar-25 | Mar-26 |
|---------------------------|--------|--------|
| Cost of Funds             | 5.28   | 5.09   |
| Yield on Funds            | 7.65   | 7.22   |
| Cost of Deposits          | 5.74   | 5.54   |
| Yield on Advances         | 8.83   | 8.29   |
| Net Interest Margin (NIM) | 2.80   | 2.51   |
| Return on Assets (RoA)    | 1.09   | 1.10   |
| Return on Equity (RoE)    | 21.28  | 19.61  |
| Cost to Income Ratio      | 47.27  | 48.45  |

## Income and Expenditure Analysis:

Total income of the Bank stood at ₹1,53,204 Crores for the FY 2025-26, comprising ₹93,247 Crores interest from advances, ₹25,122 Crores interest from investments, ₹26,838 Crores from non-interest income and ₹7,997 Crores from other interest income.

## Operating performance of the Bank

(₹ in Crores)

| Particulars                           | Mar-25 | Mar-26 |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Interest Earned                       | 119755 | 126366 |
| Interest Expended                     | 82683  | 89156  |
| Net Interest Income (NII)             | 37072  | 37210  |
| Other Income                          | 22453  | 26838  |
| <i>of which - Fee Income</i>          | 8866   | 9649   |
| Forex Income                          | 828    | 1471   |
| Trading Gains                         | 2666   | 5321   |
| Recovery from Written Off Account     | 6828   | 6537   |
| Operating Income (NII + Other Income) | 59525  | 64048  |
| Operating Expenses                    | 28134  | 31030  |
| Employee Expenses                     | 17856  | 19266  |
| Other Operating Expenses              | 10278  | 11764  |
| Operating Profit                      | 31391  | 33019  |
| Provisions                            | 14364  | 13832  |

|                                                                         |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| जिनमें से - एनपीए और बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान | 9586         | 6310         |
| मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान                                           | 336          | 1008         |
| गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान                                     | (2926)       | 19           |
| अन्य प्रावधान                                                           | 1767         | 775          |
| <b>कर पूर्व लाभ</b>                                                     | <b>22627</b> | <b>24907</b> |
| <b>कर हेतु प्रावधान</b>                                                 | <b>5600</b>  | <b>5720</b>  |
| <b>निवल लाभ</b>                                                         | <b>17027</b> | <b>19187</b> |

बैंक के प्रमुख क्षेत्रों के अनुरूप, गैर-ब्याज आय (ट्रेडिंग लाभ को छोड़कर) ₹21,517 करोड़ है। ट्रेडिंग लाभ के अलावा, गैर-ब्याज आय के अन्य प्रमुख स्रोत, जैसे सेवा प्रभार (₹3,914 करोड़), कमीशन और विनिमय (₹1,792 करोड़), बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली (₹6,537 करोड़) और विनिमय लेनदेन से लाभ (₹1,471 करोड़) ने बैंक की गैर-ब्याज आय में योगदान दिया। कुल आय में गैर-ब्याज आय का हिस्सा 19.53% रहा।

वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक का कुल व्यय ₹1,20,186 करोड़ रहा। बैंक का ब्याज व्यय ₹89,156 करोड़ है। परिचालन व्यय ₹31,030 करोड़ है, जिसमें ₹19,266 करोड़ कर्मचारियों की लागत और ₹11,764 करोड़ अन्य परिचालन व्यय शामिल हैं।

बैंक की निवल ब्याज आय, भुगतान किये गये ब्याज और अर्जित ब्याज के बीच का अंतर ₹37,210 करोड़ रहा।

#### पूंजी और आरक्षित:

मार्च 2026 को बैंक की निवल मूल्य ₹1,03,454 करोड़ थी। बैंक की कुल चुकता पूंजी ₹1,814.13 करोड़ थी, जबकि आरक्षित और अधिशेष ₹1,05,145 करोड़ (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व और एफसीटीआर को छोड़कर) था।

| पूंजी की संरचना (रुपए करोड़ में) | मार्च 2025<br>बेसल III | मार्च 2026<br>बेसल III |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| जोखिम भारित परिसंपत्ति           | 740322                 | 828678                 |
| सीईटी I                          | 89040                  | 103079                 |
| सीईटी I (%)                      | 12.03                  | 12.44                  |
| एटी I                            | 17339                  | 17854                  |
| एटी I (%)                        | 2.34                   | 2.15                   |

|                                                        |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| of which - Provisions for NPAs & Bad debts written off | 9586         | 6310         |
| Provision for Standard Advances                        | 336          | 1008         |
| Provision for Non-Performing Investment                | (2926)       | 19           |
| Other Provisions                                       | 1767         | 775          |
| <b>Profit Before Tax</b>                               | <b>22627</b> | <b>24907</b> |
| <b>Provision for Tax</b>                               | <b>5600</b>  | <b>5720</b>  |
| <b>Net Profit</b>                                      | <b>17027</b> | <b>19187</b> |

In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income (Excl. Trading profit) is at ₹21,517 Crores. Apart from trading profit, other major sources of non-interest income, like, service charges (₹3,914 Crores), commission and exchange (₹1,792 Crores), recovery from written off accounts (₹6,537 Crores) and Profit from exchange transaction (₹1,471 Crores) contributed to the non-interest income of the Bank. The share of non-interest income to total income stood at 19.53%.

Total expenditure of the Bank stood at ₹1,20,186 Crores in FY 2025-26. Interest expenses of the Bank is at ₹89,156 Crores. Operating expenses is at ₹31,030 Crores, comprising staff cost of ₹19,266 Crores and other operating expenses of ₹11,764 Crores.

The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank stood at ₹37,210 Crores.

#### Capital and Reserves:

Net worth of the Bank, as at March 2026 stood at ₹1,03,454 Crores. While the total paid-up capital of the Bank stood at ₹1,814.13 Crores, the reserves and surplus stood at ₹1,05,145 Crores (excl. Revaluation Reserve and FCTR).

| Composition of Capital (₹ in Crores) | March 2025<br>Basel III | March 2026<br>Basel III |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Risk Weighted Asset                  | 740322                  | 828678                  |
| CET I                                | 89040                   | 103079                  |
| CET I (%)                            | 12.03                   | 12.44                   |
| AT I                                 | 17339                   | 17854                   |
| AT I (%)                             | 2.34                    | 2.15                    |

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| टियर I पूंजी          | 106379 | 120933 |
| सीआरएआर (%) (टियर I)  | 14.37  | 14.59  |
| टियर II पूंजी         | 14536  | 20318  |
| सीआरएआर (%) (टियर II) | 1.96   | 2.45   |
| कुल पूंजी             | 120915 | 141251 |
| सीआरएआर (%)           | 16.33  | 17.04  |

बेसल III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2026 तक 17.04% था, जबकि नियामक आवश्यकता 11.50% थी, जिसमें 2.50% का पूंजी संरक्षण बफर भी शामिल है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के अंतर्गत, सीईटी I अनुपात 12.44% और टियर I पूंजी अनुपात 14.59% था।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने बेसल III मानकों के अनुरूप अतिरिक्त टियर I बॉन्ड के माध्यम से ₹3,500 करोड़ और टियर II बॉन्ड के माध्यम से ₹5,000 करोड़ की पूंजी जुटाई है। 31.03.2026 तक बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 62.93% है।

## खुदरा ऋण परिचालन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, बैंक के प्रमुख क्षेत्रों में से एक, खुदरा ऋण में वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 32.93% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च, 2026 तक बैंक का खुदरा पोर्टफोलियो बढ़कर ₹2,96,912 करोड़ हो गया, जिसमें आवास ऋण ₹1,24,799 करोड़ और वाहन ऋण ₹26,070 करोड़ शामिल हैं। 31 मार्च, 2026 तक घरेलू ऋणों (₹11,61,578 करोड़) में खुदरा ऋणों की हिस्सेदारी 25.57% रही। खुदरा पोर्टफोलियो के सुगम ऋण वितरण के लिए उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 32.93% की वृद्धि हुई।

(करोड़ रुपए में)

| खुदरा क्षेत्र          | मार्च तक               |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
|                        | 2025<br>(लेखापरीक्षित) | 2026<br>(लेखापरीक्षित) |
| 1. आवास                | 106167                 | 124799                 |
| 2. वाहन                | 20637                  | 26070                  |
| 3. अन्य वैयक्तिक       | 79139                  | 126318                 |
| 4. शिक्षा              | 17423                  | 19724                  |
| कुल खुदरा ऋण (1+2+3+4) | 223366                 | 296912                 |

### आवासीय ऋण

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने ₹36,900 करोड़ के 82,956 आवास ऋण स्वीकृत किए और ₹30,749 करोड़ संवितरित किए। वित्त वर्ष 2025-26 में आवास ऋण पोर्टफोलियो में कुल वृद्धि ₹18,632 करोड़

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| Tier I Capital     | 106379 | 120933 |
| CRAR (%) (Tier I)  | 14.37  | 14.59  |
| Tier II Capital    | 14536  | 20318  |
| CRAR (%) (Tier II) | 1.96   | 2.45   |
| Total Capital      | 120915 | 141251 |
| CRAR (%)           | 16.33  | 17.04  |

Capital Adequacy Ratio, under Basel III was 17.04% as at March 2026 against the regulatory requirement of 11.50%, including capital conservation buffer of 2.50%. Within the capital adequacy ratio, CET I ratio was at 12.44% and Tier I capital ratio was at 14.59%.

During the Financial Year 2025-26, Bank has raised capital via Basel III compliant additional Tier 1 Bond amounting to ₹3,500 Crores and Tier II amounting to ₹5,000 Crores. Government of India shareholding in the Bank is 62.93% as on 31.03.2026.

## RETAIL LENDING OPERATIONS

For the FY 2025-26, Retail Lending as one of the thrust areas of the Bank had shown a considerable growth of 32.93% compared to FY 2024-25. The Retail Portfolio of the Bank increased to ₹2,96,912 Crores as on March 31, 2026 with Housing Loans at ₹1,24,799 Crores and ₹26,070 Crores under Vehicle Loans. The share of Retail Loans stood at 25.57% as of March 31, 2026 of Domestic Advances (₹11,61,578 Crores). The initiatives taken in the hassle-free credit delivery of Retail Portfolio resulted in the growth of 32.93% over the previous year.

(₹ in Crores)

| Retail Segments                 | As at March       |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | 2025<br>(Audited) | 2026<br>(Audited) |
| 1. Housing                      | 106167            | 124799            |
| 2. Vehicle                      | 20637             | 26070             |
| 3. Other Personal               | 79139             | 126318            |
| 4. Education                    | 17423             | 19724             |
| Total Retail Loans<br>(1+2+3+4) | 223366            | 296912            |

### HOUSING LOAN

During FY 2025-26, the Bank has sanctioned 82,956 number of housing loans amounting to ₹36,900 Crores and disbursed ₹30,749 Crores. Overall growth in housing

रही, जो मार्च 2025 की तुलना में 17.55% अधिक है। मार्च 2026 तक बैंक का बकाया आवास ऋण पोर्टफोलियो ₹1,24,799 करोड़ था, जिसमें 6.30 लाख आवास ऋण शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान स्वीकृत आवास ऋणों के लिए बैंक का औसत टिकट आकार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत ₹38 लाख की तुलना में बढ़कर ₹45 लाख हो गया है।

## वाहन ऋण

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 1,16,848 वाहन ऋण स्वीकृत किए, जिनकी कुल राशि ₹12,839 करोड़ थी और ₹12,469 करोड़ संवितरित किए। वित्त वर्ष 2025-26 में वाहन ऋण पोर्टफोलियो में कुल वृद्धि ₹5,433 करोड़ रही, जो मार्च 2025 की तुलना में 26.33% अधिक है। मार्च 2026 तक, बैंक का बकाया वाहन ऋण पोर्टफोलियो ₹26,070 करोड़ था, जिसमें 4.01 लाख वाहन ऋण शामिल थे।

बैंक ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) के तहत केनरा वाहन ऋणों की सरलीकृत प्रक्रिया और स्वीकृति शुरू की है, जिससे ग्राहक न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, केवाईसी सत्यापन करवा सकते हैं, योजना के दिशानिर्देशों के आधार पर पात्रता की जांच कर सकते हैं, स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं, डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन (ई-स्टैम्पिंग और ई-हस्ताक्षर) करवा सकते हैं एवं ऋण का संवितरण करवा सकते हैं।

## शिक्षा ऋण

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 6,896 करोड़ रुपये के 66,764 शिक्षा ऋण स्वीकृत किए और 4,770 करोड़ रुपये संवितरित किए। वित्त वर्ष 2025-26 में शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो में कुल वृद्धि 2,301 करोड़ रुपये रही, जो मार्च 2025 की तुलना में 13.20% अधिक है। मार्च 2026 तक, बैंक का बकाया शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो 19,724 करोड़ रुपये था, जिसमें 3.91 लाख शिक्षा ऋण शामिल थे।

पिछले कई वर्षों में, बैंक ने बड़ी संख्या में मेधावी छात्रों को भारत और विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान की है। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में, हमारा बैंक शिक्षा ऋण प्रदान करने में अग्रणी है। विद्यालक्ष्मी पोर्टल के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में हमने भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे अधिक शिक्षा ऋण स्वीकृत किए हैं।

## अन्य वैयक्तिक ऋण

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने ₹1,37,368 करोड़ के 69.83 लाख अन्य व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किए और ₹1,35,402 करोड़ संवितरित किए। वित्त वर्ष 2025-26 में इस पोर्टफोलियो में कुल वृद्धि ₹47,179

loan portfolio in FY 2025-26 is ₹18,632 Crores, which is an increase of 17.55% compared to Mar'25. As of Mar'26 Housing Loan Portfolio outstanding of the Bank stands at ₹1,24,799 Crores consisting of 6.30 Lakh home loans.

Bank's average ticket size for Housing loans sanctioned during FY 25-26 has increased to ₹45 Lakh as compared to ₹38 Lakh during FY 24-25.

## VEHICLE LOAN

During FY 2025-26, the Bank has sanctioned 1,16,848 number of Vehicle loans amounting to ₹12,839 Crores and disbursed ₹12,469 Crores. Overall growth in Vehicle loan portfolio in FY 2025-26 is ₹5,433 Crores, which is an increase of 26.33% compared to Mar'25. As of Mar'26, Vehicle Loan Portfolio outstanding of Bank stands at ₹26,070 Crores consisting of 4.01 Lakh vehicle loans.

Bank has introduced simplified Processing and Sanctioning of Canara Vehicle Loans under the Digital Lending Platform (DLP), that facilitates customer to apply for loan, KYC validation, check eligibility based on the scheme guidelines, sanction, digital document execution (e-stamping & e-signing) and disbursement of the loan with minimum manual intervention.

## EDUCATION LOAN

During FY 2025-26, the Bank has sanctioned 66,764 number of Education loans amounting to ₹6,896 Crores and disbursed ₹4,770 Crores. Overall growth in Education loan portfolio in FY 2025-26 is ₹2,301 Crores, which is an increase of 13.20% compared to Mar'25. As of Mar'26, Education Loan Portfolio outstanding of the Bank stands at ₹19,724 Crores consisting of 3.91 Lakh education loans

Over the years, the Bank has assisted substantial number of promising students to pursue higher education in India and abroad. Among all Nationalized Banks, our Bank is in the forefront in extending education loans. We have sanctioned highest number of education loans among all the Nationalized Banks in India in FY 25-26 as per Vidyalaxmi portal.

## OTHER PERSONAL LOANS

During FY 2025-26, the Bank has sanctioned 69.83 Lakh number of other personal loans amounting to ₹1,37,368 Crores and disbursed ₹1,35,402 Crores. Overall



करोड़ रही, जो मार्च 2025 की तुलना में 59.62% की वृद्धि है। मार्च 2026 तक, बैंक के अन्य वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो (खुदरा स्वर्ण ऋण और जमा के बदले ऋण सहित) का बकाया ₹1,26,318 करोड़ है, जिसमें 55.03 लाख अन्य व्यक्तिगत ऋण शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने एक नया खुदरा डिजिटल उत्पाद अर्थात् केनरा इंस्टा म्यूचुअल फंड ऋण प्रस्तुत किया है। ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने और प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए बैंक ने केनरा वाहन ऋणों को डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म (डीएलपी) पर स्थानांतरित कर दिया है।

## प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों को महत्व देना जारी रखता है, जिनमें कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म ऋण, कमजोर वर्गों और निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण शामिल हैं।

मार्च 2026 तक बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹4,87,514 करोड़ तक पहुंच गए और अनिवार्य 40% मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 43.62% की वृद्धि हासिल किया।

मार्च 2026 तक बैंक के कृषि संबंधी प्राथमिकता वाले अग्रिम ₹2,66,118 करोड़ तक पहुंच गए और समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के मुकाबले 19.52% का लाभ प्राप्त किया, जबकि अनिवार्य मानदंड 18% था।

### प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम आंकड़े:

(राशि करोड़ रुपये में)

| प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम | मार्च तक |        |
|---------------------------|----------|--------|
|                           | 2025     | 2026   |
| कुल प्राथमिकता क्षेत्र    | 422808   | 487514 |
| कृषि (प्राथमिकता)         | 239991   | 266118 |

- बैंक के कृषि पोर्टफोलियो के तहत दिए गए अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.69% की वृद्धि हुई, जो बढ़कर ₹2,75,777 करोड़ हो गया; इससे 0.92 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक द्वारा कृषि ऋण का संवितरण ₹2,94,046 करोड़ है।
- लघु एवं सीमांत किसानों को दिए गए अग्रिमों में मार्च 2026 तक अनिवार्य लक्ष्य 10.00% (पीएसएलसी-एसएफ/एमएफ बिब्री को घटाकर) के मुकाबले एएनबीसी के मुकाबले 12.55% की वृद्धि दर्ज की गई।

growth in this portfolio in FY 2025-26 is ₹47,179 Crores, which is an increase of 59.62% compared to Mar'25. As of Mar'26, Other Personal Loan Portfolio (including Retail Swarna Loan & Loan Against Deposit) outstanding of the Bank stands at ₹1,26,318 Crores consisting of 55.03 Lakhs Other Personal Loans.

During the financial year 2025-26, Bank has introduced one new Retail Digital product i.e., Canara Insta Mutual Fund Loan to enhance the customer's digital experience. To lower Turn Around Time Bank has migrated Canara Vehicle Loans to the Digital Lending Platform (DLP).

## PRIORITY SECTOR ADVANCES

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro, small and medium enterprises, education, housing, social infrastructure, renewable energy, micro credit, credit to weaker sections and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2026 reached ₹4,87,514 Crores and achieved 43.62% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

Agriculture priority advances of the Bank as at March 2026 reached ₹2,66,118 Crores and achieved 19.52% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 18% mandated norm.

### Priority Sector Advances data:

(Amount ₹ in Crores)

| Priority Sector Advances | As at March |        |
|--------------------------|-------------|--------|
|                          | 2025        | 2026   |
| Total Priority Sector    | 422808      | 487514 |
| Agriculture (Priority)   | 239991      | 266118 |

- Bank's advances under agriculture portfolio increased by 11.69% to ₹2,75,777 Crores on Y-O-Y basis, covering over 0.92 Crores farmers.
- During FY 2025-26, the Bank's Agriculture Credit Disbursal is ₹2,94,046 Crores.
- Advances to Small & Marginal Farmers achieved 12.55% to ANBC as against the mandatory Target of 10.00% (Net of PSLC-SF / MF sale) as at March 2026.

- वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने 24.75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए हैं, जिनकी कुल राशि ₹42,781 करोड़ है।
- मार्च 2026 तक केसीसी के तहत बकाया ऋण ₹53,959 करोड़ तक पहुंच गया।
- सूक्ष्म उद्यमों को दिए गए अग्रिम ₹86,052 करोड़ रहा, जो एएनबीसी का 9.37% है; जबकि अनिवार्य लक्ष्य 7.5% था।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में ₹86,885 करोड़ के पीएसएलसी (एसएफ/एमएफ के तहत) की बिक्री से ₹2,326.68 करोड़ की शुल्क-आधारित आय अर्जित की है।
- बैंक ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) जैसी विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- मार्च 2026 तक, निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत बकाया अग्रिमों की कुल राशि ₹62,950 करोड़ थी, जिसमें लगभग 23.84 लाख लाभार्थी शामिल थे।
- During the year 2025-26, Bank has issued 24.75 Lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹42,781 Crores.
- The credit outstanding under KCCs reached ₹53,959 Crores as at March 2026.
- Advances to Micro Enterprises stood at ₹86,052 Crores achieving 9.37% to ANBC as against the mandatory Target of 7.5%.
- Bank has earned ₹2,326.68 Crores fee-based income by way of selling PSLCs (under SF / MF) to the tune of ₹86,885 Crores during FY 2025-26.
- The Bank actively participated in various Government Sponsored Schemes, such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), Differential Rate of Interest (DRI) Scheme, Stand-Up India, Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).
- As at March 2026, the outstanding advances under the following Government Schemes aggregated to ₹62,950 Crores, involving around 23.84 Lakh beneficiaries.

## विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत निष्पादन:

(वास्तविक खाते और राशि करोड़ रुपये में)

| योजना का नाम                                                                     | मार्च -26      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                                  | खाता           | राशि         |
| प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)                                  | 70216          | 3058         |
| दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन. आर.एल.एम.) | 390396         | 23368        |
| दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.यू.एल.एम.))    | 5917           | 80           |
| विभेदक ब्याज दर                                                                  | 61972          | 51           |
| स्टैंड अप इंडिया                                                                 | 4090           | 731          |
| प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)                                            | 1849513        | 35662        |
| <b>कुल</b>                                                                       | <b>2382104</b> | <b>62950</b> |

## Performance under various Government Sponsored Schemes:

(Accounts in actuals & Amount ₹ in Crores)

| Scheme                                                                   | Mar-26         |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                          | Accounts       | Amount       |
| Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)                 | 70216          | 3058         |
| Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) | 390396         | 23368        |
| Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) | 5917           | 80           |
| Differential Rate of Interest                                            | 61972          | 51           |
| Stand-Up India                                                           | 4090           | 731          |
| Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)                                       | 1849513        | 35662        |
| <b>Total</b>                                                             | <b>2382104</b> | <b>62950</b> |

- डीआरआई को ₹51 करोड़ की राशि अग्रिम के रूप में दी गई, जिसमें 0.62 लाख लाभार्थी हैं।
- समाज के वंचित वर्गों के सहायता हेतु, के मार्च 2026 तक, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों लाभार्थियों को बैंक द्वारा दिए गए अग्रिमों की राशि ₹24,078 करोड़ रही, जिसमें 9.50 लाख उधारकर्ता शामिल हैं।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अग्रिम, कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 4.91% हैं।
- कमजोर वर्गों को ₹2,58,180 करोड़ तक अग्रिम राशि दी गई है, जो एएनबीसी के 12.00% के अनिवार्य मानदंड के की तुलना में 18.65% है।

## आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत बैंक का निष्पाद :

(वास्तविक खाते और राशि करोड़ रुपये में)

| क्षेत्र का नाम                                                   | मार्च -26   |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                  | खाता        | राशि        |
| कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)                                        | 1988        | 2175        |
| सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का पीएम औपचारिककरण (पीएम-एफएमई) | 5088        | 496         |
| <b>कुल</b>                                                       | <b>7076</b> | <b>2671</b> |

## मार्च 2026 तक कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों के विभिन्न घटक:

(वास्तविक खाते और राशि ₹ करोड़ में)

| क्षेत्र का नाम                                                 | बकाया   |        |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------|
|                                                                | खाता    | राशि   |
| लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, काशतकार किसान और बटाईदार | 8477451 | 202880 |
| अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थी                | 949843  | 24078  |
| डीआरआई ऋण                                                      | 61978   | 51     |
| स्वयं सहायता समूह                                              | 390396  | 23368  |
| संयुक्त देयता समूह                                             | 76451   | 1714   |

- Advances to DRI stood at ₹51 Crores, consisting of 0.62 Lakh beneficiaries.
- In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's Advances to SCs / STs beneficiaries amounted to ₹24,078 Crores as at March 2026, covering 9.50 Lakh borrowers.
- The advances to SCs / STs comprised 4.91% of total priority sector advances.
- Advances to weaker sections reached ₹2,58,180 Crores, constituting 18.65% to ANBC against mandated norm of 12.00%.

## Performance of Bank under ATMANIRBHAR BHARAT ABHIYAN Schemes

(Accounts in actuals & Amount in ₹ Crores)

| Sector Name                                                    | Mar-26      |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                | Accounts    | Amount      |
| Agriculture Infrastructure Fund (AIF)                          | 1988        | 2175        |
| PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM-FME) | 5088        | 496         |
| <b>Total</b>                                                   | <b>7076</b> | <b>2671</b> |

## Various components of advances to Weaker Sections as at March 2026

(Accounts in actuals & Amount in ₹ Crores)

| Sector Name                                                                     | Outstanding |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                                 | Accounts    | Amount |
| Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers | 8477451     | 202880 |
| SC / ST Beneficiaries                                                           | 949843      | 24078  |
| DRI Loan                                                                        | 61978       | 51     |
| Self Help Group                                                                 | 390396      | 23368  |
| Joint Liability Group                                                           | 76451       | 1714   |

मार्च 2026 तक, निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों की कुल राशि ₹ 63,838 करोड़ थी, जो वास्तविक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम का 13.08% था।

## सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

- **पीएम स्वनिधि** - यह योजना जुलाई 2020 में उन सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए शुरू की गई थी, जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पहचान मानदंडों के अनुसार, दिनांक 24.03.2020 को या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग का काम कर रहे थे। इस योजना को नया रूप दिया गया है और इसे दिनांक 31.03.2030 तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एमओएचयूए का कार्यान्वयन भागीदार है। पीएम स्वनिधि के तहत, बैंक ने इसकी शुरुआत से लेकर दिनांक 31.03.2026 तक ₹1,401 करोड़ की राशि वाले 795,980 खाते स्वीकृत किए हैं। दिनांक 31.03.2026 तक पीएम स्वनिधि के तहत बकाया राशि ₹336 करोड़ है।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** के तहत, बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ₹22,000 करोड़ के संवितरण लक्ष्य के मुकाबले ₹23,876 करोड़ की राशि संवितरित की है। मुद्रा योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्वीकृतियाँ और संवितरण निम्नलिखित हैं:

| श्रेणी                          | वि.व. 2025-26 (₹ करोड़ में) |              |               |                                |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
|                                 | खातों की संख्या             | स्वीकृत राशि | सावितरित राशि | 31.03.2026 तक संचयी बकाया राशि |
| शिशु (<50,000)                  | 199749                      | 631          | 629           | 1395                           |
| किशोर (50,000 से अधिक - 5 लाख)  | 337000                      | 8769         | 8738          | 16156                          |
| तरुण (5 लाख से 10 लाख तक)       | 165902                      | 14396        | 14370         | 17964                          |
| तरुण प्लस (10 लाख से 20 लाख तक) | 778                         | 139          | 139           | 147                            |
| कुल                             | 703429                      | 23935        | 23876         | 35662                          |

As at March 2026, advances to specified minority communities aggregated to ₹63,838 Crores, accounting for 13.08% of the actual priority sector advances.

## MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

- **PM SVANidhi** - This scheme has been introduced during July 2020 for all street vendors engaged in vending in urban areas as on or before 24.03.2020 as per identification criteria stipulated in scheme guidelines of MoHUA. The Scheme has been revamped and it has been extended till 31.03.2030. Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is the implementation partner of the MoHUA. Under PM SVANidhi, the Bank sanctioned 795,980 accounts amounting to ₹1,401 Crores, since inception till 31.03.2026. Outstanding under the PM SVANidhi as on 31.03.2026 is ₹336 cr.
- Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the Bank has disbursed an amount of ₹23,876 Crores against the Disbursement target of ₹22,000 Crores during FY 2025-26. Sanctions and disbursements under different categories of Mudra Yojana are as under:

| Category                                | FY 2025-26 (₹ in Crores) |                 |                     |                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------|
|                                         | No. of Accounts          | Sanction Amount | Disbursement Amount | Cumulative Outstanding Amount as on 31.03.2026 |
| Shishu (<50,000)                        | 199749                   | 631             | 629                 | 1395                                           |
| Kishore (Above 50,000 - 5 Lakhs)        | 337000                   | 8769            | 8738                | 16156                                          |
| Tarun (Above 5 Lakhs to 10 Lakhs)       | 165902                   | 14396           | 14370               | 17964                                          |
| Tarun Plus (Above 10 Lakhs to 20 Lakhs) | 778                      | 139             | 139                 | 147                                            |
| Total                                   | 703429                   | 23935           | 23876               | 35662                                          |



## मुख्य बातें:

- ✓ बैंक ने, जिसमें प्रायोजित आरआरबी भी शामिल हैं, पीएमएमवाई के तहत ₹26,800 करोड़ के अनिवार्य संवितरण लक्ष्य के मुकाबले ₹29,145 करोड़ (109%) का लक्ष्य हासिल किया है।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पीएमईजीपी के तहत बैंक ने ₹623 करोड़ के 4916 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें कुल मार्जिन राशि का दावा ₹70 करोड़ रहा; जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8730 खातों को मंजूरी दी गई थी, मंजूरी की राशि ₹1,030 करोड़ थी और मार्जिन राशि का दावा ₹186 करोड़ था।
- ✓ पीएम विश्वकर्मा: पीएम -विश्वकर्मा योजना दिनांक 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई है, ताकि कारीगरों और शिल्पकारों को 'विश्वकर्मा' के रूप में पहचान मिल सके और वे इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों के हकदार बन सकें। इस योजना के तहत शुरू में इन व्यवसायों को शामिल किया गया है: i) बढ़ई (सुथार); (ii) नाव बनाने वाला; (iii) कवच बनाने वाला; (iv) लोहार; (v) हथौड़ा और टूल किट बनाने वाला; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) सुनार; (viii) कुम्हार; (ix) मूर्तिकार (पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) मोची (चर्मकार)/जूते बनाने वाला/जूते का कारीगर; (xi) राजमिस्त्री; (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/नारियल के रेशे से बुनाई करने वाला; (xiii) गुड़िया और खिलौने बनाने वाला (पारंपरिक); (xiv) नाई; (xv) माला बनाने वाला (मालाकार); (xvi) धोबी; (xvii) दर्जी; और (xviii) मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला।
- ✓ बैंक ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, इसकी शुरुआत से लेकर दिनांक 31.03.2026 तक, ₹464 करोड़ की राशि के 59,394 खाते स्वीकृत किए हैं। दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बकाया राशि ₹107 करोड़ है।

## डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक वितरण माध्यम

### वि.व.2025-26 के निष्पादन की झलकियां:

- बैंक के डेबिट कार्ड की संख्या मार्च 2025 के 599.79 लाख से बढ़कर मार्च 2026 तक 612.17 लाख हो गई है, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष 2.06% की वृद्धि हुई है।
- दिनांक 31.03.2026 तक मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण 328.57 लाख तक पहुँच गया है, जिससे दिनांक 31.03.2025 के 275.48 लाख की तुलना में 19.27% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।

## Major Highlights:

- ✓ Bank including sponsored RRBs have achieved ₹29,145 Crores (109%) against the mandatory Disbursement target of ₹26,800 Crore under PMMY.
- ✓ During FY 2025-26, under PMEGP the Bank sanctioned 4916 proposals amounting to ₹623 Crores, with Total Margin Money claimed stood at ₹70 Crores, as against sanction of 8730 accounts, sanction amount of ₹1,030 Crores and Margin Money claim of ₹186 Crores during FY 2024-25.
- ✓ PM Vishwakarma: PM-Vishwakarma Scheme has been launched on 17<sup>th</sup> September 2023 to enable the recognition of artisans and craftspeople as Vishwakarma, making them eligible to avail the benefits under the Scheme. Following trades are initially covered under the scheme: i) Carpenter (Suthar); (ii) Boat Maker; (iii) Armourer; (iv) Blacksmith (Lohar); (v) Hammer and Tool Kit Maker; (vi) Locksmith; (vii) Goldsmith (Sonar); (viii) Potter (Kumhaar); (ix) Sculptor (Moortikar, Stone Carver), Stone Breaker; (x) Cobbler (Charmkar) / Shoesmith/Footwear Artisan; (xi) Mason (Rajmistri); (xii) Basket/Mat / Broom Maker / Coir Weaver; (xiii) Doll & Toy Maker (Traditional); (xiv) Barber (Naai); (xv) Garland Maker (Malakaar); (xvi) Washerman (Dhobi); (xvii) Tailor (Darzi); and (xviii) Fishing Net Maker.
- ✓ Bank has sanctioned 59,394 accounts under PM Vishwakarma amounting to ₹464 cr since inception till 31.03.2026. Outstanding under the PM Vishwakarma as on 31.03.2026 is ₹107 cr.

## DIGITAL BANKING & ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

### Performance Highlights FY 2025-26:

- The Bank's Debit Card base has increased to 612.17 Lakhs as on March 2026 from 599.79 Lakhs as on March 2025 with Y-o-Y growth of 2.06%.
- Mobile Banking Registration has reached 328.57 Lakhs as on 31.03.2026, thereby achieving the Y-o-Y growth of 19.27%, compared to 275.48 Lakhs as on 31.03.2025.

- दिनांक 31.03.2026 तक इंटरनेट बैंकिंग (खुदरा और कॉर्पोरेट) पंजीकरण 274.38 लाख तक पहुँच गया है, जबकि दिनांक 31.03.2025 को यह 270.38 लाख था; इस प्रकार इसमें 1.48% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।
- दिनांक 31.03.2026 तक यूपीआई पंजीकरण 398.53 लाख तक पहुँच गया है, जबकि दिनांक 31.03.2025 को यह 338.83 लाख था; इस प्रकार इसमें 17.62% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है।
- दिनांक 31.03.2026 तक भीम क्यूआर की कुल संचयी ऑन-बोर्डिंग 41.46 लाख तक पहुँच गई है और पीओएस टर्मिनल की कुल संचयी परिनियोजन दिनांक 31.03.2026 तक 0.91 लाख है।
- दिनांक 31.03.2026 तक सीबीडीसी-रिटेल की कुल संचयी ऑन-बोर्डिंग 9.91 लाख तक पहुँच गई है।
- दिनांक 31.03.2026 तक ईज़ी फी/पेमेंट गेटवे की कुल संचयी ऑन-बोर्डिंग 1662 तक पहुँच गई है।
- दिनांक 31.03.2026 तक नए एपीआई गेटवे (एपीआईजीईई) में कुल 835 एपीआई लाइव किए गए हैं और 311 क्लाइंट लाइव हैं।
- दिनांक 31.03.2026 तक बीबीपीएस चैनल की कुल संचयी ऑन-बोर्डिंग 172 तक पहुँच गई है।
- दिनांक 31.03.2026 तक एटीएम की कुल संख्या 11306 है।
- ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और 24/7 नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 2500 एटीएम लगाए गए।
- Internet Banking (Retail & Corporate) Registration has reached 274.38 Lakhs as on 31.03.2026 compared to 270.38 Lakhs as on 31.03.2025, registering Y-o-Y growth of 1.48%.
- UPI registration has reached 398.53 Lakhs as on 31.03.2026 compared to 338.83 Lakhs as at 31.03.2025, there by registering the Y-o-Y growth of 17.62%.
- Total cumulative on-boarding of BHIM QR has reached to 41.46 Lakhs as on 31.03.2026 and total cumulative PoS terminal deployment is at 0.91 Lakhs as on 31.03.2026.
- Total cumulative on-boarding of CDBC-Retail has reached to 9.91 Lakhs as on 31.03.2026.
- Total cumulative on-boarding of EasyFee / Payment Gateway has reached to 1662 as on 31.03.2026
- Total 835 APIs made live in new API gateway (APIGEE) and 311 clients are live as on 31.03.2026
- Total cumulative on-boarding of BBPS Channel has reached to 172 as on 31.03.2026
- Total number of ATMs as on 31.03.2026 is 11306.
- Deployed 2500 ATMs to enhance customer convenience and ensure 24/7 cash availability.

## पुरस्कार:

- बैंक को 12 जून 2025 को मुंबई में आयोजित समारोह में "ai1 for Minors" के लिए 'बैंकिंग फ्रंटियर्स फिनोविटी 2025' (Banking Frontiers FINNOVITI 2025) पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- दिनांक 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में स्काॅच पुरस्कार समारोह में, बैंक को बीएफएसआई श्रेणी में निम्नलिखित दो सेवाओं/उत्पादों के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
  - o "मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज फॉर माइनर कस्टमर" हेतु स्वर्ण पुरस्कार
  - o "हाइब्रिड पीओएस" हेतु स्वर्ण पुरस्कार

## Awards:

- Bank has received Banking Frontiers FINNOVITI 2025 award for "ai1 for Minors" held at Mumbai on 12<sup>th</sup> June 2025.
- Bank has received Gold Awards for below two services / products under BFSI Category at Skoch Award ceremony on 20<sup>th</sup> September 2025 at New Delhi.
  - o Gold award for "Mobile banking services for minor customers"
  - o Gold award for "Hybrid PoS"

**डिजिटल बैंकिंग इकाइयां डीबीयू - निष्पादन अद्यतन (भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण व प्रकटीकरण 2025 प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर), निर्देश, 2025)**

|                                                                                | वित्त वर्ष 2025-26 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>बुनियादी विवरण</b>                                                          |                    |
| रिपोर्टिंग अवधि के दौरान एक दिन से अधिक काम न करने वाले डीबीयू की संख्या       | 0                  |
|                                                                                |                    |
| <b>वित्तीय समावेशन (रिपोर्टिंग अवधि के दौरान)</b>                              |                    |
| डिजिटल जागरूकता / साक्षरता शिविर की संख्या                                     | 236                |
| ऐसे शिविर में हिस्सा लेने वालों की औसत संख्या                                  | 43                 |
|                                                                                |                    |
| <b>शिकायत निवारण तंत्र (रिपोर्टिंग अवधि के दौरान)</b>                          |                    |
| प्राप्त शिकायतों की संख्या                                                     | 565                |
| शिकायत की संतुष्टि के अनुसार बंद की गई शिकायतों की संख्या                      | 565                |
| बंद होने में लगने वाला औसत समय                                                 | 1                  |
| टीएटी के बाद बंद की गई शिकायतों की संख्या                                      | 10                 |
| शिकायतों की सामान्य प्रकृति (शिकायतों के प्रकृति के आधार पर शीर्ष तीन क्षेत्र) |                    |
| 1 बीएनए से संबंधित मुद्दे                                                      |                    |
| 2 एटीएम से संबंधित मुद्दे                                                      |                    |
| 3 मोबाइल बैंकिंग से संबंधित मुद्दे                                             |                    |

**Digital Banking Units (DBUs) - Performance Update (Reserve Bank of India (Commercial Banks - Financial Statements: Presentation and Disclosures), Directions, 2025)**

|                                                                                   | FY2025-26 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Basic Details</b>                                                              |           |
| Number of DBUs not functional for more than one day (during the reporting period) | 0         |
|                                                                                   |           |
| <b>Financial Inclusion (during the reporting period)</b>                          |           |
| Number of Digital Awareness/ literacy camps arranged                              | 236       |
| Average number of participants in such camps                                      | 43        |
|                                                                                   |           |
| <b>Grievance Redressal Mechanism (during the reporting period)</b>                |           |
| Number of complainants received                                                   | 565       |
| Number of complaints closed to the satisfaction of complaint                      | 565       |
| Average time taken in closure                                                     | 1         |
| Number of complaints closed beyond TAT                                            | 10        |
| "General nature of complaints (top three areas-based on nature of complaints)"    |           |
| 1 BNA Related Issues                                                              |           |
| 2 ATM Related Issues                                                              |           |
| 3 Mobile Banking Related Issues                                                   |           |

| डीबीयू-सेवा विवरण |                       |                                        | वित्त वर्ष 2025-26                     |                               |                           |  |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| क्र. सं.          | सीआईएस बीआई भाग 1 कोड | डेबिट कार्ड/ अन्य चैनल की हॉट लिस्टिंग | ग्राहक प्रतिक्रिया और ग्राहक सर्वेक्षण | जीवन प्रमाण- जीवन प्रमाण पत्र | बिल भुगतान सुविधा कियोस्क |  |
|                   |                       | हां/नहीं                               | हां/नहीं                               | हां/नहीं                      | हां/नहीं                  |  |
| 1                 | 024044C               | हाँ                                    | हाँ                                    | हाँ                           | हाँ                       |  |
| 2                 | 024043Y               | हाँ                                    | हाँ                                    | हाँ                           | हाँ                       |  |
| 3                 | 024043I               | हाँ                                    | हाँ                                    | हाँ                           | हाँ                       |  |
| 4                 | 024043S               | हाँ                                    | हाँ                                    | हाँ                           | हाँ                       |  |
| 5                 | 024043L               | हाँ                                    | हाँ                                    | हाँ                           | हाँ                       |  |
| 6                 | 024043J               | हाँ                                    | हाँ                                    | हाँ                           | हाँ                       |  |

| DBU-Services Details |                  |                                            | FY 2025-26                             |                                 |                              |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Sr. No.              | CISBI Part1 Code | Hot listing of debit card / Other Channels | Customer Feed-back and Customer Survey | Jeevan Pra-man-Life Certificate | Bill Pay-ment Facility Kiosk |
|                      |                  | Yes / No                                   | Yes / No                               | Yes / No                        | Yes / No                     |
| 1                    | 024044C          | Yes                                        | Yes                                    | Yes                             | Yes                          |
| 2                    | 024043Y          | Yes                                        | Yes                                    | Yes                             | Yes                          |
| 3                    | 024043I          | Yes                                        | Yes                                    | Yes                             | Yes                          |
| 4                    | 024043S          | Yes                                        | Yes                                    | Yes                             | Yes                          |
| 5                    | 024043L          | Yes                                        | Yes                                    | Yes                             | Yes                          |
| 6                    | 024043J          | Yes                                        | Yes                                    | Yes                             | Yes                          |

| डाउन टाइम की जानकारी - रिपोर्टिंग अवधि के दौरान |             | वित्त वर्ष 2025-26           |                      |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|
| सीआईएस बीआई भाग 1 कोड                           | मशीन का नाम | डाउनटाइम की घटनाओं की संख्या | डाउनटाइम (घंटों में) |
| 024044C                                         | सीआर        | 421                          | 210.19               |
| 024044C                                         | एटीएम       | 147                          | 34.59                |
| 024044C                                         | पीबीके      | 32                           | 137.59               |
| 024043Y                                         | सीआर        | 1695                         | 776.27               |
| 024043Y                                         | एटीएम       | 1456                         | 579.98               |
| 024043Y                                         | पीबीके      | 45                           | 626.79               |
| 024043I                                         | सीआर        | 247                          | 660.89               |
| 024043I                                         | एटीएम       | 161                          | 1276.96              |
| 024043I                                         | पीबीके      | 118                          | 2777.93              |
| 024043J                                         | सीआर        | 270                          | 258.56               |
| 024043J                                         | एटीएम       | 241                          | 390.74               |
| 024043J                                         | पीबीके      | 146                          | 2932.64              |
| 024043S                                         | सीआर        | 473                          | 1162.4               |
| 024043S                                         | एटीएम       | 504                          | 2438.63              |
| 024043S                                         | पीबीके      | 73                           | 971.17               |
| 024043L                                         | सीआर        | 296                          | 426.58               |
| 024043L                                         | एटीएम       | 156                          | 331.67               |
| 024043L                                         | पीबीके      | 39                           | 98.1                 |

| Down Time Details-During the Reporting Period |              | FY 2025-26                         |                   |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| CISBI Part1 Code                              | Machine Name | Number of occurrences of down-time | Downtime in Hours |
| 024044C                                       | CR           | 421                                | 210.19            |
| 024044C                                       | ATM          | 147                                | 34.59             |
| 024044C                                       | PBK          | 32                                 | 137.59            |
| 024043Y                                       | CR           | 1695                               | 776.27            |
| 024043Y                                       | ATM          | 1456                               | 579.98            |
| 024043Y                                       | PBK          | 45                                 | 626.79            |
| 024043I                                       | CR           | 247                                | 660.89            |
| 024043I                                       | ATM          | 161                                | 1276.96           |
| 024043I                                       | PBK          | 118                                | 2777.93           |
| 024043J                                       | CR           | 270                                | 258.56            |
| 024043J                                       | ATM          | 241                                | 390.74            |
| 024043J                                       | PBK          | 146                                | 2932.64           |
| 024043S                                       | CR           | 473                                | 1162.4            |
| 024043S                                       | ATM          | 504                                | 2438.63           |
| 024043S                                       | PBK          | 73                                 | 971.17            |
| 024043L                                       | CR           | 296                                | 426.58            |
| 024043L                                       | ATM          | 156                                | 331.67            |
| 024043L                                       | PBK          | 39                                 | 98.1              |



## डिजिटल माध्यम से जोड़े गए नए ग्राहकों की संख्या (रिपोर्टिंग अवधि के दौरान)

(राशि लाख में)

| देयता उत्पाद |                         |                                    | वित्तीय वर्ष 2025-26               |            |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| क्र.सं.      | उत्पाद का नाम           | शामिल किए गए नए ग्राहकों की संख्या | ऑनबोर्ड होने में लगने वाला औसत समय | शामिल राशि |
| 1            | नियमित बचत बैंक खाते    | 6207                               | 1                                  | 595.41     |
| 2            | छोटे खाते               | 0                                  | 0                                  | 0          |
| 3            | बीएसबीडी खाते           | 4329                               | 1                                  | 262.09     |
| 4            | पीएमजेडीवाई खाते        | 4318                               | 1                                  | 261.75     |
| 5            | चालू खाते               | 150                                | 1                                  | 132.2      |
| 6            | कर बचत जमा (मीयादी जमा) | 3                                  | 1                                  | 0.01       |
| 7            | मीयादी जमा              | 517                                | 1                                  | 2967.2     |
| 8            | आवर्ती जमा              | 260                                | 1                                  | 73.81      |
| 9            | वार्षिकी जमा            | 0                                  | 0                                  | 0          |
| 10           | पूंजीगत लाभ (एसबी)      | 0                                  | 0                                  | 0          |
| 11           | पूंजीगत लाभ (टीडीआर)    | 0                                  | 0                                  | 0          |
| 12           | एफसीएनआरबी              | 3                                  | 1                                  | 12.63      |
| 13           | अन्य                    | 0                                  | 0                                  | 0          |

## Number of new clients onboarded digitally (During the Reporting Period)

(Amount in ₹ Lakhs)

| Liability Products |                                    |                               | FY 2025-26                  |                  |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Sr. No.            | Product Name                       | No. of new clients on-boarded | Avg. time taken to on-board | Amount in-volved |
| 1                  | Regular Saving Bank Accounts       | 6207                          | 1                           | 595.41           |
| 2                  | Small accounts                     | 0                             | 0                           | 0                |
| 3                  | BSBD Accounts                      | 4329                          | 1                           | 262.09           |
| 4                  | PMJDY Accounts                     | 4318                          | 1                           | 261.75           |
| 5                  | Current Accounts                   | 150                           | 1                           | 132.2            |
| 6                  | Tax Saving Deposits (Term Deposit) | 3                             | 1                           | 0.01             |
| 7                  | Term Deposits                      | 517                           | 1                           | 2967.2           |
| 8                  | Recurring Deposits                 | 260                           | 1                           | 73.81            |
| 9                  | Annuity Deposits                   | 0                             | 0                           | 0                |
| 10                 | Capital Gains(SB)                  | 0                             | 0                           | 0                |
| 11                 | Capital Gains(TDR)                 | 0                             | 0                           | 0                |
| 12                 | FCNRB                              | 3                             | 1                           | 12.63            |
| 13                 | Others                             | 0                             | 0                           | 0                |

| आस्ति उत्पाद |                    |                                    | वित्तीय वर्ष 2025-26               |            |
|--------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| क्र.सं.      | उत्पाद का नाम      | शामिल किए गए नए ग्राहकों की संख्या | ऑनबोर्ड होने में लगने वाला औसत समय | शामिल राशि |
| 1            | केसीसी             | 0                                  | 0                                  | 0          |
| 2            | कृषि शर्तों पर ऋण  | 0                                  | 0                                  | 0          |
| 3            | वैयक्तिक ऋण (वेतन) | 24                                 | 1                                  | 105.85     |
| 4            | कार ऋण             | 54                                 | 1                                  | 599.21     |

| Assets Products |                         |                               | FY 2025-26                 |                  |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| Sr. No.         | Product Name            | No. of new clients on-boarded | Avg. time taken to onboard | Amount in-volved |
| 1               | KCC                     | 0                             | 0                          | 0                |
| 2               | Agri Terms Loans        | 0                             | 0                          | 0                |
| 3               | Personal Loans (Salary) | 24                            | 1                          | 105.85           |
| 4               | Car Loans               | 54                            | 1                          | 599.21           |

|    |                         |    |   |        |
|----|-------------------------|----|---|--------|
| 5  | शिक्षा ऋण               | 33 | 1 | 220.49 |
| 6  | आवास ऋण                 | 87 | 1 | 2978.2 |
| 7  | पेंशन ऋण                | 8  | 1 | 36.5   |
| 8  | नकद ऋण<br>(कारोबार)     | 0  | 0 | 0      |
| 9  | ओवरड्राफ्ट<br>(कारोबार) | 5  | 1 | 26.04  |
| 10 | कारोबारिक<br>मीयादी ऋण  | 27 | 1 | 397.47 |
| 11 | अन्य                    | 31 | 1 | 105.75 |

|    |                           |    |   |        |
|----|---------------------------|----|---|--------|
| 5  | Education Loans           | 33 | 1 | 220.49 |
| 6  | Home Loans                | 87 | 1 | 2978.2 |
| 7  | Pension Loans             | 8  | 1 | 36.5   |
| 8  | Cash Credit<br>(Business) | 0  | 0 | 0      |
| 9  | Overdraft<br>(Business)   | 5  | 1 | 26.04  |
| 10 | Business Term Loans       | 27 | 1 | 397.47 |
| 11 | Others                    | 31 | 1 | 105.75 |

| अन्य उत्पाद |                         |                                    | वित्तीय वर्ष 2025-26               |            |
|-------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| क्र.सं.     | उत्पाद का नाम           | शामिल किए गए नए ग्राहकों की संख्या | ऑनबोर्ड होने में लगने वाला औसत समय | शामिल राशि |
| 1           | पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड  | 161                                | 1                                  | 0.99       |
| 2           | सुकन्या समृद्धि योजना   | 81                                 | 1                                  | 1.06       |
| 3           | वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 43                                 | 1                                  | 50.14      |
| 4           | पीएमजेजेबीवाई           | 0                                  | 0                                  | 0          |
| 5           | पीएमजेडीवाई             | 4318                               | 1                                  | 261.75     |
| 6           | एनपीएस                  | 0                                  | 1                                  | 0          |
| 7           | एपीवाई                  | 594                                | 1                                  | 0.48       |
| 8           | अन्य                    | 0                                  | 0                                  | 0          |

| Other Products |                               |                               | FY 2025-26                 |                 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Sr. No.        | Product Name                  | No. of new clients on-boarded | Avg. time taken to onboard | Amount involved |
| 1              | Public Provident Fund         | 161                           | 1                          | 0.99            |
| 2              | Sukanya Samriddhi Yojana      | 81                            | 1                          | 1.06            |
| 3              | Senior Citizen Savings Scheme | 43                            | 1                          | 50.14           |
| 4              | PMJJBY                        | 0                             | 0                          | 0               |
| 5              | PMJDY                         | 4318                          | 1                          | 261.75          |
| 6              | NPS                           | 0                             | 1                          | 0               |
| 7              | APY                           | 594                           | 1                          | 0.48            |
| 8              | Others                        | 0                             | 0                          | 0               |

| उपलब्ध कराई गई सेवाएँ -<br>(रिपोर्टिंग अवधि के दौरान) |             | वित्तीय वर्ष 2025-26        |            |
|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| वित्तीय                                               |             |                             |            |
| क्र.सं.                                               | सेवा का नाम | संसाधित लेन-देनों की संख्या | शामिल राशि |
| 1                                                     | नकद निकासी  | 4,27,841                    | 21,792.62  |
| 2                                                     | नकद जमा     | 1,66,606                    | 18,246.53  |
| 3                                                     | निधि अंतरण  | 1,122                       | 522.87     |
| 4                                                     | बिल भुगतान  | 0                           | 0          |
| 5                                                     | अन्य        | 0                           | 0          |

| Services offered-<br>(During the Reporting Period) |                     | FY 2025-26                     |                 |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| Financial                                          |                     |                                |                 |
| Sr. No.                                            | Name of the Service | Number of transactions handled | Amount Involved |
| 1                                                  | Cash Withdrawal     | 4,27,841                       | 21,792.62       |
| 2                                                  | Cash Deposits       | 1,66,606                       | 18,246.53       |
| 3                                                  | Funds Transfer      | 1,122                          | 522.87          |
| 4                                                  | Bill Payments       | 0                              | 0               |
| 5                                                  | Others              | 0                              | 0               |

| गैर-वित्तीय (शिकायत सेवाओं को छोड़कर) |                                                                    |                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| क्र. सं.                              | सेवा का नाम                                                        | संसाधित लेन-देनों की संख्या |
| 1                                     | खाता खोलना                                                         | 20263                       |
| 2                                     | इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन / एक्टिवेशन         | 1011/189/6742/6701          |
| 3                                     | पासबुक प्रिंटिंग                                                   | 6511                        |
| 4                                     | डेबिट कार्ड जारी करना                                              | 13730                       |
| 5                                     | डेबिट कार्ड की हॉटलिस्टिंग                                         | 33                          |
| 6                                     | चेक जारी करना                                                      | 4926                        |
| 7                                     | चेक रोकें                                                          | 19                          |
| 8                                     | अंतरण राशि                                                         | 812                         |
| 9                                     | केवाईसी अद्यतन                                                     | 492970                      |
| 10                                    | मोबाइल नंबर / ईमेल अद्यतन                                          | 0                           |
| 11                                    | नामांकन पंजीकरण                                                    | 10926                       |
| 12                                    | जीवन प्रमाण-जीवन प्रमाण पत्र                                       | 0                           |
| 13                                    | लॉकर खोलना                                                         | 0                           |
| 14                                    | एसएमएस अलर्ट का सक्रियण                                            | 28406                       |
| 15                                    | 15जी / एच का प्रस्तुतीकरण                                          | 65                          |
| 16                                    | सकारात्मक वेतन प्रणाली                                             | 6                           |
| 17                                    | विभिन्न स्थायी निर्देशों / एनएसीएचकी प्राप्ति और ऑनलाइन प्रसंस्करण | 296                         |
| 18                                    | अन्य                                                               | 0                           |

## कार्ड हेतु आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन:

- ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से डेबिट कार्ड के नवीनीकरण की सूचना दी गई। यदि पते में कोई परिवर्तन है, तो ग्राहक पता अद्यतन के लिए शाखा से संपर्क कर सकते हैं। यदि ग्राहक कार्ड का नवीनीकरण नहीं करना चाहते हैं, तो वे मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक कर सकते हैं।

## ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कार्ड लेन-देन की सुरक्षा हेतु अपनाए गए सुरक्षा उपाय:

- डेबिट कार्ड लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ाने और कार्डधारकों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग से बचाने के लिए, बैंक ने पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड (पीसीआई डीएसएस) की प्रक्रियाओं का पालन किया है। आरबीआई के

| Non-Financial (excluding Grievance Services) |                                                                     |                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Sr. No.                                      | Name of the Service                                                 | Number of transactions handled |
| 1                                            | Account Opening                                                     | 20263                          |
| 2                                            | Registration / Activation of Internet Banking, Mobile Banking       | 1011/189/6742/6701             |
| 3                                            | Passbook Printing                                                   | 6511                           |
| 4                                            | Issuance of Debit Card                                              | 13730                          |
| 5                                            | Hotlisting of Debit Card                                            | 33                             |
| 6                                            | Issuance of Cheque                                                  | 4926                           |
| 7                                            | Stop Cheque                                                         | 19                             |
| 8                                            | Transfer Amount                                                     | 812                            |
| 9                                            | KYC Updation                                                        | 492970                         |
| 10                                           | Mobile Number / E-mail Updation                                     | 0                              |
| 11                                           | Nomination Registration                                             | 10926                          |
| 12                                           | Jeevan Praman-Life Certificate                                      | 0                              |
| 13                                           | Locker Opening                                                      | 0                              |
| 14                                           | Activation of SMS Alerts                                            | 28406                          |
| 15                                           | Submission of 15G/H                                                 | 65                             |
| 16                                           | Positive Pay System                                                 | 6                              |
| 17                                           | Receipt and online processing of various standing instructions/NACH | 296                            |
| 18                                           | Others                                                              | 0                              |

## Compliance of RBI guidelines for Cards:

- Customers were informed about renewal of debit cards through SMS. If there is any change in address, customers can contact the branch for address updation. In case customers do not want to renew the card, they can block the card permanently either through mobile banking or internet banking.

## Security measures taken for Card transaction security for avoiding online frauds:

- To enhance the security of debit card transactions and protect the cardholders against misuse of their personal information, bank has complied with the Payment Card Industry

दिशानिर्देशों के अनुसार, डेबिट कार्ड के लिए ऑनलाइन और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन हेतु कार्ड को सक्षम और असक्षम करने की सुविधा सभी चैनलों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ईमेल और शाखा चैनल में उपलब्ध है, ताकि कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम करने के लिए ईएफआरएम (एंटरप्राइज़ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट) नियमों में, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार संशोधन किया गया है।

## एटीएम धोखाधड़ी रोकने के लिए सुरक्षा उपाय और आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन:

- आरबीआई द्वारा अनिवार्य सुरक्षा उपायों (टर्मिनल सुरक्षा समाधान, एंटी-स्कimming डिवाइस, ईएमवी अनुपालन) का हमारे सभी परिचालन एटीएम में समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है।
- एटीएम पारिस्थितिकी तंत्र में 'मैन इन द मिडिल' हमले से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए, एटीएम में टीएलएस (टीएलएल) का कार्यान्वयन पूरा हो गया है।
- एटीएम को साइबर हमले से बचाने के लिए, लैन / पावर केबल के कनेक्शन छिपाकर रखे जाते हैं और आम लोगों की पहुँच से दूर होते हैं।
- सभी एटीएम को केंद्रीकृत समाधान के लिए माइग्रेट कर दिया गया है।
- कार्ड-रहित नकद निकासी की सुविधा लागू की गई है, और ₹10,000 से अधिक की नकद निकासी के लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है।
- बैंक ने एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी और हर समय नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए कई उपाय किए हैं, ताकि किसी भी प्रकार के जुर्माने से बचा जा सके।

## वित्तीय वर्ष 2025-26 में डेबिट कार्डों में शुरू की गई प्रमुख कार्यक्षमताएँ:

- दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए उपयोगिता को बेहतर बनाने हेतु ब्रेल डेबिट कार्ड शुरू किए गए हैं।

## वित्तीय वर्ष 2025-26 में इंटरनेट बैंकिंग में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताएं:

- लाभार्थी खाते के नाम की जांच
- ऋण के आंशिक भुगतान की सुविधा का एकीकरण
- री-केवाईसी
- कासा, आवृत्ती और सावधि जमा खातों के लिए एक से अधिक नामिती अद्यतन करने की सुविधा।

Data Security Standard (PCI DSS) procedures. As per RBI guidelines, Enhancing Security of Card transactions for Debit Card enabling and disabling card for online and international transactions is enabled in all channels like Internet Banking, Mobile Banking, ATM, e-mail and branch channel. EFRM (Enterprise Fraud Risk Management) rules for mitigation of online frauds have been modified as per industry best practice.

## Security features to arrest ATM frauds & Compliance of RBI guidelines:

- Safety measures mandated by RBI (i.e., Terminal Security Solution, Anti-skimming Devices, EMV compliance) have been successfully implemented in all our operational ATM's within the timelines.
- Implementation of Transport Layer Security (TLS) to mitigate risk arising from Man in The Middle attack in ATM ecosystem is completed in ATMs.
- LAN / Power Cable connections are concealed and not accessible to public to avoid Cyber-attack on ATMs
- All ATMs migrated for centralized reconciliation.
- Implemented Card-less Cash Withdrawal and OTP for cash withdrawal above ₹10,000/.
- Bank has taken several measures to comply with the directives of RBI on Monitoring of Availability of Cash in ATMs and ensuring availability of cash at all times to avoid penalty.

## Major functionalities introduced in Debit cards in FY 2025-26:

- Braille Debit Cards have been introduced to enhance usability for visually impaired customers.

## Major features added in Internet Banking in FY 2025-26:

- Beneficiary Account Name Lookup
- Loan Partial Payoff functionality integration
- Re-KYC
- Multiple Nominee updation for CASA, Recurring & Fixed Deposit accounts.



- एमपीओएस सुविधा के लिए आवेदन करें और उसे प्रबंधित करें।
- लॉकर सुविधा के लिए नामिती अद्यतन करने की सुविधा उपलब्ध है।
- उर्दू, कोंकणी और बंगाली भाषाओं को लागू किया गया है।
- कॉर्पोरेट एआई1 के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाया गया है: कॉर्पोरेट एआई1 पंजीकरण की मौजूदा प्रक्रिया के अलावा, अब शाखा विकल्प के ज़रिए एक्टिवेशन कोड जनरेट करने की सुविधा भी शुरू की गई है। ऐप के ज़रिए ऑनलाइन पासकोड रीसेट करने की सुविधा से यूज़र्स को और भी आसानी होगी।
- एंड्रॉइड कॉर्पोरेट एआई1 ऐप के लिए बायोमेट्रिक लॉगिन: एंड्रॉइड कॉर्पोरेट एआई1 ऐप उपयोगकर्ता बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।

## वित्तीय वर्ष 2025-26 में मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन (केनरा एआई1) में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताएं:

- लाभार्थी खाते के नाम की जांच करें।
- एमबी में सीमा वृद्धि: मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के माध्यम से दैनिक लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 15.25 लाख रुपये कर दी गई है, जिसमें इंटरबैंक के लिए 7.5 लाख रुपये, इंटरबैंक के लिए 7.5 लाख रुपये और डायरेक्ट पे विकल्प के लिए 0.25 लाख रुपये शामिल हैं।
- मोबाइल बैंकिंग में 'अकाउंट पोर्टेबिलिटी' की सुविधा शुरू की गई है, ताकि ग्राहक अपने बचत खाते को 'केनरा एंजल' और 'केनरा एस्पायर' जैसे विशेष उत्पादों में पोर्ट कर सकें।
- पासपोर्ट विवरण के बिना पीओएस एनएफसी पर प्रतिबंध: जिन यूज़र्स ने बैंक के पास अपने पासपोर्ट का विवरण दर्ज नहीं कराया है, वे पीओएस और एनएफसी जैसे इन-पर्सन अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए लेन-देन की सीमा को चालू / बंद या संशोधित नहीं कर पाएंगे।
- एनसीएमसी बैलेंस रिचार्ज करने के लिए मैसेज बनाना / देखना / हटाना।
- 'डिपॉजिट रिवैप' को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। इससे यूज़र्स को ज़्यादा सहज और यूज़र-फ्रेंडली यूआई / यूएक्स डिज़ाइन मिलेगा।
- बैंक ने ग्राहक विभाजन, लक्षित अभियान, व्यक्तिगत सेवाएँ आदि बनाने के उद्देश्य से विश्लेषण-आधारित ग्राहक सहभागिता और वैयक्तिकरण लागू किया है।

- Apply and manage MPoS facility enabled
- Nominee updation for lockers facility enabled.
- Urdu, Konkani and Bengali languages have been implemented.
- Simplified onboarding flow for Corporate ai1: Activation code generation through branch option has been introduced in addition to the existing flow for Corporate ai1 registration. An online passcode reset via the app adds further convenience.
- Biometric Login for Android Corporate ai1 app: Enabled android Corporate ai1 app user to login through biometric authentication.

## Major features added in Mobile Banking application (Canara ai1) in FY 2025-26:

- Beneficiary Account Name Lookup
- Limit enhancement in MB: Daily transaction limit through Mobile Banking application has been enhanced to ₹ 15.25 Lakhs including ₹7.5 Lakhs for Interbank, ₹7.5 Lakhs for Intrabank and ₹0.25 Lakhs for Direct pay option.
- Account Portability facility is enabled in Mobile Banking, to port their savings account into specialized products such as Canara Angel and Canara Aspire.
- PoS NFC Restriction without passport detail: Users not maintaining Passport details with the Bank will not be able to enable / disable / modify transaction limit for in-person international transactions such as through PoS and NFC.
- Creation / View / Deletion of Mandate for recharging of NCMC Balance
- 'Deposit Revamp' has been successfully implemented. This will facilitate a more intuitive and user-friendly UI / UX design for users.
- Bank has implemented analytics-based Customer Engagement and Personalization aimed to create customer segmentations, targeted campaigns, personalized services etc.

- बैंक ने मोबाइल बैंकिंग में री-केवाईसी लागू कर दिया है।
- सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के रूप में, आधार के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को सक्रिय करने की प्रक्रिया में 'फेस रिकग्निशन' (चेहरे की पहचान) को भी शामिल किया गया है।
- कासा, आवृत्ति और सावधि जमा खातों के लिए एक से अधिक नामिती अद्यतन करने की सुविधा।
- नए फ्रीचर्स के साथ क्रेडिट कार्ड मॉड्यूल - ईएमआई विवरण देखें, ईएमआई का पुरोबंध (फोरक्लोज़र), परिक्रामी (रिवॉल्विंग) सुविधा में परिवर्तन।
- बिल रिमाइंडर के लिए नोटिफिकेशन बार - क्रेडिट कार्ड और ऋण।
- ग्राहकों की सुविधा के लिए उर्दू और कोंकणी भाषाएँ जोड़ी गई हैं।

## यूपीआई में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जोड़ी गई प्रमुख सुविधाएं:

- केनरा एआई1पे: बैंक ने भीम द्वारा संचालित एक विशेष यूपीआई एप्लिकेशन लॉन्च किया है, जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को निर्बाध डिजिटल भुगतान और अंतरण के लिए अपने खातों को लिंक करने की सुविधा देता है।
- यूपीआई लाइट सीमा में वृद्धि: यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा ₹5000 (₹2000 से) तक बढ़ा दी गई है, जिसमें प्रति लेनदेन की अधिकतम सीमा ₹1000 (₹500 से) और दैनिक सीमा ₹10,000 है।
- अंतरण-बाह्य कार्यक्षमता सुविधा आपको यूपीआई लाइट खाते को निष्क्रिय किए बिना, किसी भी समय अपने लिंकड बैंक खाते में यूपीआई लाइट बैलेंस की आंशिक निकासी करने की अनुमति देती है।
- यूपीआई हेल्प की शुरुआत — एनपीसीआई द्वारा उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए लॉन्च किया गया एक एआई-संचालित सपोर्ट असिस्टेंट।
- केनरा एआई1 ऐप में यूपीआई के साथ एकीकृत भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) को एक अतिरिक्त पेमेंट मोड के रूप में जोड़ा गया है।
- यूपीआई सर्कल (जारीकर्ता) उपयोगकर्ताओं को पूर्व-निर्धारित सीमाओं के भीतर विश्वसनीय व्यक्तियों को यूपीआई लेनदेन प्राधिकरण सौंपने की अनुमति देगा।

## वित्तीय वर्ष 2025-26 में सीबीडीसी एप्लिकेशन में जोड़े गए प्रमुख विशेषताएं:

- पीएमजीकेवाई के लाभार्थियों को एनएसीएच -आधारित पीसीबीडीसी टोकन का वितरण सीधे उपयोगकर्ता के सीडीबीसी वॉलेट में किया जाएगा। (पीएमजीकेवाई योजना के तहत पुडुचेरी में 1028 उपयोगकर्ताओं के लिए इसका प्रायोगिक (पायलट) परीक्षण किया गया था)।

- Bank has implemented Re-KYC in Mobile Banking.
- As an additional layer of security, Face Recognition is integrated as a part of activation of mobile banking services through Aadhaar.
- Multiple Nominee updation for CASA, Recurring and Fixed Deposit accounts
- Credit Card Module with new features – View EMI details, Foreclosure of EMI, Changing Revolving Facility.
- Notification bar for Bill Reminders – Credit Card & Loan.
- Urdu and Konkani languages added for customer convenience

## Major features added in UPI in FY 2025-26:

- Canara ai1Pe: Bank has launched an exclusive UPI application powered by BHIM that allows customers of any bank to link their accounts for seamless digital payment and transfers.
- UPI Lite Limits Enhancements: UPI Lite wallet limit is increased to ₹5000 (from ₹2000), with a per transaction cap of ₹1000 (from ₹500), and a daily limit of ₹10,000.
- Transfer Out Functionality feature allows for partial withdrawal of the UPI Lite balance into the linked bank account at any time without disabling the UPI Lite Account.
- Introduction of UPI Help, an AI powered support assistant launched by NPCI to help users.
- Integrated Bharat Bill Payment System (BBPS) with the UPI in Canara ai1 app as an additional payment mode.
- UPI Circle(Issuer) to allow users to delegate UPI transaction authorization to trusted individuals within predefined limits.

## Major features added in CBDC Application in FY 2025-26:

- NACH based PCBDC token disbursement to the beneficiaries of PMGKAY, directly to the CBDC wallet of the user. (Pilot was done in Puducherry under PMGKAY scheme for 1028 users).

- फ़ीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए वाउचर कोड आधारित सीबीडीसी वॉलेट का निर्माण किया गया।

## वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म में जोड़े गए प्रमुख उत्पाद / विशेषताएं:

- म्यूचुअल फंड के एवज में ऋण
- कर्मचारी ओडी नवीनीकरण / संवर्धन
- ₹10 लाख तक की कार्यशील पूंजी सीमा का नवीनीकरण
- हील (हेल्थकेयर ऋण) और म्यूचुअल फंड के एवज में ऋण एलएएमएफ के लिए नए बैंक ग्राहक (वी-केवाईसी मॉड्यूल सहित)
- केनरा वाहन (चौपहिया वाहन)
- बंधक ऋण / संपत्ति के बदले ऋण / संपत्ति के बदले ओवरड्राफ्ट
- ₹10 लाख रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का डिजिटल नवीनीकरण
- फास्टैग का एकीकरण

## वित्तीय वर्ष 2025-26 में एटीएम में जोड़े गए प्रमुख विशेषताएं:

- सभी ग्राहकों को एटीएम ऑन अस और रिमोट ऑन अस लेन-देन के लिए एसएमएस भेजा जा रहा है, जिसमें उस कैलेंडर माह में उपयोग किए गए / उपलब्ध निः शुल्क लेन-देन की संख्या की जानकारी दी जा रही है।
- हिताची और ह्योसंग एटीएम में एक अधिग्रहणकर्ता (एक्वायरर) के तौर पर आईसीसीडब्ल्यू (अंतर-संचालनीय कार्ड-रहित नकद निकासी) कार्यक्षमता को लागू किया है।
- असफल या अधूरी आईसीसीडब्ल्यू लेन-देन के लिए तत्काल वापसी (रिफंड) की व्यवस्था करना, ताकि ग्राहकों को सिस्टम की खराबी या नकद निकासी प्रक्रिया में समस्याओं के कारण कोई असुविधा न हो।
- अंतर-संचालनीय नकद जमा (आईसीडी) सुविधा के लागू होने से, भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के कार्डधारक, भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के एनएफएस नेटवर्क वाले एटीएम का उपयोग करके अपने स्वयं के खाते या किसी तीसरे पक्ष के खाते (कार्ड-आधारित) में नकद जमा कर सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग करके, ग्राहक अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने स्वयं के खाते या किसी तीसरे पक्ष के खाते में नकद जमा कर सकते हैं। बैंक ने ह्योसंग एटीएम में यह कार्यक्षमता लागू की है।

- Voucher Code based CBDC wallet creation for the feature phone user.

## Major Products / features added in Digital Lending Platform in FY 2025-26:

- Loan Against Mutual Fund
- Staff OD Renewal / Enhancement
- Renewal of Working Capital Limits up to ₹10 Lakhs
- New To Bank customers for Heal (Health care Loan) & Loan Against Mutual Fund LAMF loans (Including V-KYC Module)
- Canara Vehicle (4 Wheeler)
- Mortgage Loan / Loan Against Property / Overdraft against Property
- Digital Renewal of Working capital Loan up to ₹10 Lakhs
- Integration of FASTag

## Major features added in ATMs in FY 2025-26:

- SMS is being sent to all customers for ATM ON US & REMOTE ON US transactions informing the number of free transactions used / available in that calendar month.
- Implementation of ICCW (Interoperable Cardless Cash Withdrawal) functionality as an acquirer in Hitachi and Hyosung ATMs.
- To provide real-time refunds for failed or unsuccessful ICCW transactions, ensuring that customers are not impacted by system failures / issues with the cash withdrawal process.
- Implementation of Interoperable Cash Deposit (ICD) facility enables cardholders of participating member Banks to use NFS networked ATMs of participating member Banks for depositing cash in their own account or third-party account (Card Based). Using this facility customer can deposit cash to own account or third-party account by using debit card. Bank has implemented this functionality in Hyosung ATMs.

- री-केवाईसी अद्यतन करने की सुविधा की शुरुआत की गई है।
- यदि बैंक से संबंधित कारणों से हमारे एटीएम में ग्राहक का लेन-देन पूरा नहीं हो पाता है, तो एक निः शुल्क 'रिमोट-ऑन-अस' लेन-देन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

## वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कार्यनीतियाँ / पहल:

### **मोबाइल बैंकिंग:**

- बंद किए गए ऋण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजन।
- एकीकृत मोबाइल बैंकिंग ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया।
- एचयूएफ और अभिभावक वाले अवयवों के लिए मोबाइल बैंकिंग।
- फ्लैगशिप खाते के लिए उत्पाद सुविधाओं का प्रदर्शन।
- मोबाइल बैंकिंग में ऑनलाइन विवाद निवारण (ओडीआर)।

### **इंटरनेट बैंकिंग:**

- ग्राहक की अधूरी रह गई डिजिटल यात्रा के लिए क्रॉस-प्लेटफॉर्म निरंतरता को सक्षम करना।
- एकल डेबिट, बहुल क्रेडिट थोक भुगतान का विकल्प।
- एकल डेबिट, बहुल क्रेडिट थोक आईएमपीएस।
- ग्राहकों के लिए शेड्यूल्ड थोक (बल्क) सुविधा, जिससे वे बल्क फ़ाइल लेन-देन को बाद की किसी तारीख के लिए शेड्यूल कर सकें।

### **यूपीआई:**

- यूपीआई सर्कल (आंशिक / पूर्ण अधिकार-अंतरण) की शुरुआत, ताकि उपयोगकर्ता यूपीआई लेन-देन के प्रमाणीकरण का अधिकार, पहले से तय सीमाओं के भीतर, अपने भरोसेमंद व्यक्तियों को सौंप सकें।
- यूपीआई ऑटो-पे में सुधार, जिससे ग्राहक विभिन्न यूपीआई एप्लिकेशन्स पर अपने मैडेट्स को देख और प्रबंधित कर सकें।
- बहु-हस्ताक्षरकर्ता खाते व्यावसायिक खातों को पूर्व-निर्धारित प्राधिकरण मैट्रिक्स के आधार पर यूपीआई लेनदेन करने की अनुमति देते हैं।
- माइक्रो एटीएम के माध्यम से नकद निकासी।
- यूपीआई भुगतान की सुविधा स्मार्टवॉच और अन्य जुड़े हुए डिवाइस जैसे आईओटी उपकरणों तक विस्तारित की जाएगी।
- यूपीआई के माध्यम से ऋण भुगतान।

- Re-KYC updation facility enabled.
- Providing One Free Remote-On-Us Transaction, if the customer's transaction is not honoured in our ATM for reasons attributable to the Bank.

## Strategies / Initiatives for FY 2026-27:

### **Mobile Banking:**

- Electronic generation of No Objection Certificate for closed loans.
- Unified Mobile Banking Onboarding Flow.
- Mobile Banking for HUF and Minors with Guardians.
- Displaying of Product features for flagship account.
- Online Dispute Redressal (ODR) in Mobile Banking.

### **Internet Banking:**

- Enabling of cross platform continuity for dropped off digital journeys of customer.
- Single Debit Multiple Credit Bulk payment option.
- Single Debit Multiple credit bulk IMPIS.
- Scheduled Bulk facility for customers to schedule Bulk file transactions to a later date.

### **UPI:**

- Introduction of UPI Circle (Partial / Full Delegation) to allow users to delegate UPI transaction authorization to trusted individuals within predefined limits.
- Enhancement of UPI AutoPay to allow customers to view and manage mandates across different UPI applications.
- Multi-Signatory Accounts to enable business accounts to perform UPI transactions based on a predefined authorization matrix.
- Cash Withdrawal through Micro ATM.
- UPI payments will be extended to IoT devices such as smartwatches and connected devices.
- Loan Repayment through UPI.

- यूपीआई सेवाएं 14 से 18 वर्ष की आयु के अवयस्कों तक सीमित लेनदेन सीमा के साथ विस्तारित की जाएंगी।
- यूपीआई के माध्यम से मीयादी जमा में सुधार।
- यूपीआई के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में पंजीकरण।

## सीबीडीसी:

- सीबीडीसी के लिए ऑफलाइन टैप एंड पे आधारित लेनदेन।

## एटीएम:

- एटीएम के माध्यम से ऋण खातों में नकद जमा करना।
- अधिग्रहणकर्ता के रूप में यूपीआई-आईसीडी (इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट) कार्यक्षमता का कार्यान्वयन।

## प्रौद्योगिकी परिचालन

- **सीईआरएसएआई प्रभार पंजीकरण के लिए सीबीएस में पूर्व-संवितरण सत्यापन**

सामान्य / कृषि ऋण वितरण जांच में सत्यापन प्रक्रिया को बेहतर बनाया गया है ताकि सीबीएस में सीईआरएसएआई प्रभारों का अग्रिम निर्माण और रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल से नियामक अनुपालन में सुधार हुआ और ऋण संवितरण से पहले संलग्न प्रतिभूतियों के लिए प्रभार निर्माण में प्राथमिकता सुनिश्चित हुई।

- **केसीसीएस ऋण के लिए संचयी राशि पर एससी गणना**

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, केसीसीएस के तहत ग्राहक के सभी ऋणों पर मिलाकर ₹3 लाख तक सेवा प्रभार माफ किया जा सकता है। हालांकि, जब एक से अधिक ऋण दिए जाते थे और कुल राशि ₹3 लाख से अधिक होती थी, तो सेवा प्रभार मैन्युअल रूप से वसूल जाता था। हमने उधारकर्ता की कुल ऋण राशि पर सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से सेवा प्रभार वसूलने की सुविधा लागू की है।

- **संवितरण के दौरान एससी का संग्रहण**

पहले, ऋण संवितरण के बाद कार्य दिवस के अंत में लागू प्रभार वसूले जाते थे। इस नई सुविधा के साथ, लागू प्रभार ऋण संवितरण के समय ही वसूल किए जाएंगे। शाखा को कासा खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखनी होगी और संवितरण की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

- UPI services will be extended to minors aged 14–18 years with controlled transaction limits.
- Fixed Deposit Revamp through UPI.
- National Pension System (NPS) Onboarding through UPI.

## CBDC:

- Offline Tap n Pay based transaction for the CBDC.

## ATMs:

- Cash deposit in loan accounts through ATMs.
- Implementation of UPI-ICD (Interoperable Cash Deposit) functionality as an acquirer.

## TECHNOLOGY OPERATION

- **Pre-Disbursement Validation in CBS for CERSAI charge registration**

Enhanced validations in General / Agriculture loan disbursement screens to ensure upfront creation and maintenance of CERSAI charges in CBS. This initiative improved regulatory compliance and ensured priority in charge creation for the securities attached before loan disbursement.

- **SC Calculation on Cumulative Amount for KCCS Loan**

As per the extent guidelines service charge waiver maybe permitted up to ₹3 lacs inclusive of all loans of the customer under KCCS, whenever multiple loans were being extended and cumulative amount was above ₹3 lacs, service charge was being collected manually. We have implemented functionality to collect service charges by the system automatically on the cumulative loan amount of the borrower.

- **Collection of SC During Disbursement**

Earlier, applicable charges were being collected after disbursement of the loan during EOD. With this functionality, applicable charges will be collected during the disbursement of the loan itself. Branch has to maintain sufficient balance in CASA and proceed for disbursement.



- **हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से सीधे आने वाले ग्राहकों के लिए बिना कासा के टीडी खाता खोलना।**

केनरा बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से, कासा खाते के बिना मीयादी जमा खोलने और बंद करने के लिए एक नई सुविधा लागू की गई है।

- **लॉकर खाता बंद करना, धन वापसी और खाता बंद करते समय निकासी**

लॉकर खाता बंद करने, धनवापसी और निकासी के लिए एक ही स्क्रीन लागू की गई है ताकि लॉकर खाता बंद होने पर निकासी न होने जैसी परिचालन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके।

- **एलसी और बीजी में सेवा प्रभारों में वृद्धि**

पहले शाखाएं द्वारा विभिन्न प्रकार के विदेशी एलसी और विदेशी गारंटियों पर विदेशी मुद्रा सेवा प्रभार मैनुअल रूप से वसूला जाता था, जिसे एफसीसी में सेवा प्रभार / कमीशन की वसूली के लिए स्वचालित कर दिया गया है।

- **अग्रिम संविदा हेतु एफएक्स मार्जिन लिंकेज सुविधा**

विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए, बैंक ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अग्रिम संविदा सीमा सुविधा स्वीकृत करते समय मार्जिन राशि निर्धारित कर सकता है। एफएक्स मॉड्यूल में अग्रिम संविदा के साथ मार्जिन राशि को लिंक करने की सुविधा शुरू की गई है।

- **कोष में विनिमय दर अपलोड करने हेतु जीईएफयू**

पहले, प्रधान कार्यालय द्वारा सीबीएस-एफसीसी स्क्रीन में विभिन्न प्रकार की विनिमय दर दैनिक आधार पर दर्ज की जाती थीं। अब विनिमय दर को जीईएफयू के माध्यम से अद्यतन करने का पूरा अधिकार कोष विभाग के उपयोगकर्ताओं को दिया गया है। दैनिक रेटएक्स, फॉरवर्ड रेट (पुनर्मूल्यांकन दर), स्वैप दर, स्वैप कैश स्पॉट दर, स्वैप विनिमय दर, स्वैप फॉरवर्ड प्रीमियम पॉइंट्स, फॉरवर्ड रेट जैसी दर अब सीधे कोष द्वारा अद्यतन की जाती हैं।

- **बीसी / एफटी मॉड्यूल में विनिमय के बदले कमीशन का स्वचालन**

मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त करने और टीएटी को कम करने के लिए, हमने एफटी मॉड्यूल और बीसी मॉड्यूल में विनिमय के बदले कमीशन की वसूली को पूरी तरह से

- **TD Opening without CASA for walk-in customer through our corporate website.**

A new functionality has been implemented for term deposit opening and closure without CASA account through Corporate Website of Canara Bank.

- **Locker Account Closure, Refund and Closeout Withdrawal**

A single screen for locker account closure, refund and closeout withdrawal has been implemented for avoiding operational issues such as locker account closed whereas closeout withdrawal is not done.

- **Enhancement in service charges in LC & BG**

Previously branches were collecting the forex service charges manually on different types of foreign LC's and foreign guarantees, which has been automated for collection of service charges/ commission in FCC.

- **FX Margin Linkage Facility for Forward Contracts**

To mitigate the risk of loss arising out of exchange rate fluctuations, bank may stipulate margin amount at the time of sanction of forward contract limits facility based on the risk profile of the customer. Linking of margin amount to forward contracts in FX module is introduced.

- **GEFU for exchange rate upload at Treasury**

Earlier, various types of Exchange rates were being captured in CBS-FCC screen by HO on daily basis. Now all the access / Rights are given to Treasury Wing Users to update the Exchange rates through GEFU. The rates such as Daily Ratex, Forward Rate (Revaluation rates, Swap rates, Swap Cash Spot rates, Swap Exchange Rates, Swap Forward Premium Points, Forward Rate are updated by treasury directly now.

- **Automation of Commission in Lieu of Exchange in BC / FT modules**

To eliminate manual intervention and decrease TAT, we have fully automated the collection of commission in lieu of exchange in FT Module and

स्वचालित कर दिया है, जहां भी ईईएफसी खाते से राशि डेबिट की जा रही है।

## ➤ प्रतिनिधि बैंक प्रभारों का स्वचालन - एफबीके

हमने प्रतिनिधि बैंक प्रभारों, जिसे "एजेंट प्रभार", "विदेशी बैंक शुल्क" (एफबीके), या "मध्यस्थ बैंक शुल्क" के रूप में भी जाना जाता है, के संग्रहण को स्वचालित कर दिया है। यह वह प्रभार है जो प्रतिनिधि बैंकों के बीच अंतरराष्ट्रीय निधि अंतरण को संसाधित करने और मंजूरी देने के लिए लिया जाता है, और इस प्रक्रिया से मैन्युअल हस्तक्षेप समाप्त हो गया है।

## ➤ आरईटीएडी / बेहतर दर विवरण में संशोधन के लिए नई स्क्रीन, प्रमाणीकरण के साथ

एफसीसी में शाखा स्तर (फ्रंट-एंड) पर नई स्क्रीन शुरू की गई हैं ताकि एकीकृत कोष विभाग में ही विनिमय दर डेटा (आरईटीएडी) / नोस्ट्रो क्रेडिट डेटा (आरईकॉन) और आरईटीएडी/आरईकॉन के जरिए आने वाली बेहतर दर डील में संशोधन को सुविधाजनक बनाया जा सके, जिससे इकाई स्तर पर (बैंक एंड) अद्यतन और शाखा शिकायतों में भारी कमी आई है।

## ➤ स्विफ्ट (SWIFT) मैसेजिंग फॉर्मेट का एमटी से एमएक्स में परिवर्तन (ISO 20022)

केनरा बैंक से और केनरा बैंक को होने वाले सभी सीमा पार विदेशी मुद्रा भुगतान, प्रतिभूतियां और दस्तावेजी ऋण स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से किए जा रहे हैं। स्विफ्ट वर्तमान में एमटी (संदेश के प्रकार) मैसेजिंग फॉर्मेट स्टैंडर्ड का उपयोग करता है, जिसे 1977 में प्रस्तुत किया गया था; अब इसे धीरे-धीरे हटाकर नए एमएक्स स्टैंडर्ड को अपनाया जा रहा है, ताकि मौजूदा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (ISO 20022) के साथ बेहतर संरेखण प्राप्त हो सके।

इस वर्ष के पहले चरण में, निम्नलिखित संदेश के प्रकार को एमएक्स पर माइग्रेट किया गया है:

- SWIFT MT 1 श्रृंखला - ग्राहक भुगतान
- SWIFT MT 2 श्रृंखला - वित्तीय संस्थान भुगतान
- SWIFT MT 9 श्रृंखला - विवरण

ये एमएक्स संदेश, जो स्विफ्ट के क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स और रिपोर्टिंग (सीबीपीआर+) दिशानिर्देशों के अनुरूप संरचित हैं, भुगतान को अधिक कुशल और अधिक पारदर्शी बनाएंगे, और अंततः लागत को कम करेंगे। हम पहले ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जिसने स्विफ्ट मैसेजिंग फॉर्मेट को एमटी से एमएक्स में बदला है।

in BC Module wherever EEFC account is being debited

## ➤ Automation Of Correspondent Bank Charges – FBK

We have automated the collection of Correspondent Bank Charges also known as "Agent Charge", "Foreign Bank Fee" (FBK), or "Intermediary Bank Fee" which is a fee charged for processing and clearing international fund transfer between Correspondent Banks which has eliminated manual intervention.

## ➤ New Screen to Modify RETAD / Better rate details, with Authentication

New Screen has been introduced at front-end in FCC to facilitate modifications of Exchange Rate data (RETAD) / Nostro credit data (RECON) & Better Rate deals flowing through RETAD/RECON at Integrated Treasury Wing itself which has drastically reduced backend updations and branch complaints.

## ➤ Transformation of SWIFT Messaging format from MT to MX (ISO 20022)

All cross border foreign currency payments, securities, documentary credits from and to Canara Bank are being routed through SWIFT network. SWIFT currently uses MT (Message Type) messaging format standard, introduced in 1977, and same is being phased out in favour of the new MX standard achieving better alignment with the current industry standard (ISO 20022).

The following message types have been migrated to MX in the first phase this year:

- SWIFT MT 1 series – Customer payments
- SWIFT MT 2 series – Financial Institution payments
- SWIFT MT 9 series – Statements

These MX messages which are structured in line with SWIFT's cross-border payments and reporting (CBPR+) guidelines, will make payments more efficient, more transparent and will ultimately lower costs. We are the first public sector bank to transform SWIFT Messaging format from MT to MX.

## ➤ विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली-आईबीयू गिफ्ट सिटी

विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (एफसीएसएस), जो कि गिफ्ट-आईएफएससी के अंतर्गत एक भुगतान प्रणाली है और जिसे सीसीआईएल आईएफएस लिमिटेड द्वारा अमेरिकी डॉलर से संबंधित लेनदेन के समाशोधन और निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है, को आईबीयू गिफ्ट सिटी शाखा में लागू किया गया है।

## ➤ एमएक्स - लंदन, दुबई और गिफ्ट सिटी स्थित एफसीयूबीएस में नवीनतम ISO 20022 मानकों के अनुसार एफसीयूबीएस से संदेश निर्माण

वैश्विक स्विफ्ट मानकों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ISO 20022 एमएक्स संदेश प्रारूप में बदलने के लिए, एमएक्स संदेशों को प्रसारित करने हेतु एफसीयूबीएस - लंदन, दुबई और गिफ्ट सिटी में परिवर्तन लागू किए गए हैं।

## ➤ यूपीआई के माध्यम से पीपीएफ / एसएसवाई राशि का विप्रेषण

अब ग्राहक सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसी छोटी बचत योजनाओं के लिए सदस्यता भुगतान यूपीआई चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। पीपीएफ और एसएसवाई भुगतान के लिए यूपीआई को एकीकृत करने से नेट बैंकिंग या शाखा में जाकर भुगतान करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे योगदान प्रक्रिया में काफी हो गया है। यह सुविधा ग्राहकों को किसी भी यूपीआई-लिंकड ऐप से सीधे तत्काल, वास्तविक समय में सदस्यता लेने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे महत्वपूर्ण निवेश की समय सीमा कभी न चूकें।

## ➤ बीसी टैब के माध्यम से तुरंत खाता खोलने की सुविधा

कारोबार प्रतिनिधि चैनल के माध्यम से उपलब्ध मौजूदा एसबी खाता खोलने की सुविधा में सुधार किए गए हैं। इससे खाता खोलने की प्रक्रिया सरल हो गई है और ग्राहक तुरंत जमा करना शुरू कर सकते हैं तथा पीएमएसबीवाई/ पीएमजेबीवाई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे बैंक के वित्तीय मानकों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

## ➤ एनपीएस वात्सल्य की कार्यप्रणाली

एनपीएस वात्सल्य, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया

## ➤ Foreign Currency Settlement System-IBU GIFT CITY

Foreign Currency Settlement System (FCSS), a payment system within GIFT-IFSC established by CCIL IFSC Limited to facilitate clearing and settlement of transactions involving USD currency has been implemented in IBU GIFT CITY branch.

## ➤ SWIFT MX - Message Generation from FCUBS as per latest ISO 20022 Standards in FCUBS – London, Dubai, GIFT City

As per the Global SWIFT standards migrating to the internationally accepted ISO 20022 MX message format, changes have been implemented in FCUBS-LONDON, DUBAI and GIFT CITY to transmit the MX Messages.

## ➤ PPF / SSY remittances through UPI

Now customers can do subscription payment for small saving schemes such as Public Provident Fund (PPF) and Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) through UPI channel. Integrating UPI for PPF and SSY remittances significantly modernises the contribution process by removing the dependency on net banking or physical branch visits. This facility empowers customers with the flexibility to make instant, real-time subscriptions directly from any UPI-linked app, ensuring they never miss crucial investment deadlines.

## ➤ Facility of instant account opening through BC Tab

Now enhancements have been done in the existing SB account opening facility provided through Business Correspondent Channel. With this, the account opening process becomes simpler and customers can immediately start depositing and avail PMSBY / PMJBY facilities which will help in achieving Bank's FI parameters.

## ➤ NPS Vatsalya functionality

NPS Vatsalya is a contributory pension scheme under the National Pension System (NPS), launched by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) to secure the financial future of children. The NPS Vatsalya

गया है। एनपीएस वात्सल्य योजना परिवारों को अपने बच्चों के लिए कम उम्र से ही दीर्घकालिक संपत्ति का निर्माण शुरू करने का एक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान करती है।

## ➤ बीसी चैनल के माध्यम से री-केवाईसी सुविधा

कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए कारोबार प्रतिनिधि चैनल के माध्यम से री-केवाईसी सुविधा का विस्तार किया गया है। हमारे कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) नेटवर्क के माध्यम से री-केवाईसी सेवाओं का विस्तार करके, बैंकिंग सेवाएं सीधे ग्राहक के द्वार तक पहुंच जाती हैं, जिससे उन्हें बैंक की शाखा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कदम से कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए असुविधा काफी हद तक कम हो गई है, जिससे वे त्वरित और सुविधाजनक डिजिटल अद्यतन के माध्यम से अपने खातों को सक्रिय रख सकते हैं।

## ➤ कारोबार प्रतिनिधि की सेवाओं की समीक्षा के लिए ग्राहक प्रतिक्रिया तंत्र

उच्च सेवा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, हमने एक सरल प्रतिक्रिया प्रणाली शुरू की है जो ग्राहकों को उनकी स्थानीय भाषा में एसएमएस के माध्यम से जानकारी देती है। कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) सेवा का उपयोग करने के तुरंत बाद उनसे प्रतिक्रिया मांगकर, हमें यह पता चलता है कि हमारी फ्रंटलाइन सेवाएं कैसी चल रही हैं। इस कदम से न केवल हमारे ग्राहकों को यह महसूस होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उन्हें महत्व दिया जा रहा है, बल्कि इससे बैंक को सेवा संबंधी कमियों को दूर करने और विश्वास बढ़ाने के लिए आवश्यक स्पष्ट डाटा भी मिलता है।

## ➤ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एफआरएसबी सदस्यता की सुविधा

अब हमारे बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से हमारे बैंक के ग्राहक भारतीय रिज़र्व बैंक के अस्थिर दर बचत बॉन्ड में ऑनलाइन सदस्यता ले सकते हैं। इस डिजिटल बदलाव से कागजी कार्रवाई की झंझट खत्म हो गई है, जिससे हमारे ग्राहक किसी भी स्थान से तुरंत और सुरक्षित रूप से अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं।

## ➤ बीबीएमपी (बृहत बेंगलूरु महानगर पालिका)

बीबीएमपी (बृहत बेंगलूरु महानगर पालिका) की ओर से “ओटीसी मोड के माध्यम से संपत्ति कर संग्रह” के लिए एक पैकेज विकसित किया गया है।

scheme offers families a simple and effective way to start building long-term wealth for their children from an early age.

## ➤ Re-KYC Facility through BC Channel

Re-KYC facility has been extended through Business Correspondent channel for low-risk customers. Extending Re-KYC services through our Business Correspondent (BC) network brings banking directly to the customer's doorstep, removing the need for them to visit a branch. This move significantly reduces friction for low-risk customers, allowing them to maintain active accounts through a quick and convenient digital update.

## ➤ Customer feedback mechanism to review BC Services

To ensure we are meeting high service standards; we have introduced a simple feedback system that reaches customers in their own local language via SMS. By asking for their input immediately after they use a Business Correspondent (BC) service, we get an honest, real-time look at how our frontline operations are performing. This move not only makes our customers feel heard and valued, but it also gives the bank the clear data needed to fix service gaps and improve trust.

## ➤ Provision for FRSB subscription through online portal

Now a facility has been provided in our Bank's corporate website, using which our Bank customers can subscribe to RBI's Floating Rate Savings Bond online. This digital shift removes the hassle of physical paperwork, allowing our clients to diversify their portfolios instantly and securely from any location.

## ➤ BBMP (Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike)

Package developed for “Property Tax Collection through OTC mode” on behalf of BBMP (Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike).



## ➤ एनएटीएस 2.0

केनरा बैंक के माध्यम से प्रशिक्षुओं को वेतन भुगतान की प्रक्रिया के लिए शिक्षता एवं प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी) की एनएटीएस 2.0 (राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण योजना) के साथ एकीकरण।

## ➤ एमपी कामधेनु पोर्टल

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना पोर्टल, जो मध्य प्रदेश राज्य भर में 'डेयरी / पशु ऋण' आवेदनों के लिए एक एकीकृत पोर्टल के रूप में कार्य करेगा।

## ➤ एमएसीटी पोर्टल: एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण)

तमिलनाडु के देवकोट्टई उप-न्यायालय के साथ एकीकरण के माध्यम से वर्चुअल खाता संख्याओं द्वारा बीमा दावों की स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों या उनके कानूनी वारिसों को वित्तीय मुआवज़ा मिल रहा है और देवकोट्टई उप-न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवज़े का समय पर वितरण इस पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।

## ➤ केरल सरकार की स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना

केरल सरकार की स्त्री सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 20-25 लाख लाभार्थी शामिल हैं, जिनका मासिक बहिर्गमन लगभग 200-250 करोड़ रुपये है। पात्र लाभार्थियों को 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)' के माध्यम से प्रति माह 1,000 रुपये की निश्चित राशि प्राप्त होती है, जिससे उन्हें सीधे उनके यूआईडी से जुड़े बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करने में मदद मिलती है, पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और बिचौलियों के बिना समय पर भुगतान होता है।

## ➤ हरियाणा ई-जीआरएस

हरियाणा सरकार के ई-जीआरएस सिस्टम के साथ एकीकरण से वीपीए का सत्यापन, वसूली अनुरोध दर्ज करना, क्यूआर कोड जनरेट करना और केनरा बैंक के माध्यम से स्थिति की जानकारी प्राप्त करना संभव हो जाता है। यह एकीकरण नागरिकों और कारोबारों को अपने स्मार्टफोन/टैब / लैपटॉप पर क्यूआर कोड स्कैन करके या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) दर्ज करके आसानी से कर और शुल्क का भुगतान करने की सुविधा देता है, जिससे भौतिक चालान या मैनुअल बैंक अंतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यूपीआई भुगतान में आमतौर पर अतिरिक्त लेनदेन शुल्क नहीं लगता है और यह 24/7 उपलब्ध रहता है।

## ➤ NATS 2.0

Integration with NATS 2.0 (National Apprenticeship Training Scheme) of board of Apprenticeship and Training (BOAT) to process stipend payment to apprentices through Canara Bank.

## ➤ MP Kamdhenu Portal

Portal for Dr. Bhimrao Ambedkar Kamdhenu Yojana portal which will act as unified portal for 'Dairy / Cattle Loan' applications across MP State. This portal facilitates easy access of bank loans for constructing cattle sheds, purchasing high-yielding cattle, animal transportation, and cattle insurance.

## ➤ MACT Portal: MACT (Motor Accident Claim Tribunal)

Integration with Sub-Court Devakottai, Tamil Nadu to track the Insurance claim status through virtual account numbers. Victims or their legal heirs of motor accidents are getting financial compensation, timely disbursement for the awarded monetary relief by Sub-Court Devakottai is being monitored through this portal.

## ➤ Stree Suraksha Pension Scheme under Govt. of Kerala

Stree Suraksha Pension Scheme under Government of Kerala covering almost 20-25 Lakh beneficiaries with a monthly outflow of nearly ₹200-250 Crores. Eligible beneficiaries receive a fixed sum of ₹1,000 per month through 'Direct Benefit Transfer (DBT)' which is helping them getting direct payment to their UID linked bank account, ensuring transparency and timely disbursement without middlemen.

## ➤ Haryana e-GRAS

Integration with e-GRAS System of Govt. of Haryana to Verify VPA, Raise Collect Request, Generate Dynamic QR Code and Get Status through Canara Bank. This integration allows citizens and businesses to pay taxes and fees seamlessly by scanning a QR code or entering a Virtual Payment Address (VPA) on their smartphones / Tabs / Laptops, eliminating the need for physical challans or manual bank transfers. UPI payments typically avoid Additional Transaction Fees and also providing 24/7 Availability.



## ➤ एनएफआईडी और एनसीसीएफ ई-केवाईसी समाधान

एनएफआईडी और एनसीसीएफ परियोजनाओं के तहत भुगतान प्रक्रिया हेतु लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली का एकीकरण। बायोमेट्रिक डाटा (आधार के माध्यम से उंगलियों के निशान या चेहरे का प्रमाणीकरण) उपयोगकर्ता की पहचान को सुरक्षित रूप से संरक्षित करता है। इससे धोखाधड़ी को रोका जा सकता है, कृषि सब्सिडी और भुगतान सही व्यक्तियों तक पहुंचें और फर्जी दावों पर रोक लगती है। यह भौतिक कागजी कार्रवाई और मैन्युअल सत्यापन की आवश्यकता को भी समाप्त करता है। सत्यापन कुछ ही सेकंड में हो सकता है, जिससे आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया में तेजी आती है। यह लाभार्थियों को सीधे औपचारिक बैंकिंग और भुगतान चैनलों से जोड़ता है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

## ➤ जीएसटीएन संग्रह पैकेज के अंतर्गत यूपीआई भुगतान मोड का एकीकरण

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मौजूदा सॉफ्टवेयर में सुधार किए गए हैं ताकि आईएनबी, ओटीसी, यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे मौजूदा भुगतान माध्यमों के साथ-साथ यूपीआई क्यूआर कोड (क्विक रिस्पांस कोड) के माध्यम से भी भुगतान किया जा सके। इस एकीकरण से नागरिकों और कारोबारों को अपने स्मार्टफोन / टैब / लैपटॉप पर क्यूआर कोड स्कैन करके या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) दर्ज करके आसानी से करों का भुगतान करने की सुविधा मिलती है, जिससे भौतिक चालान या मैन्युअल बैंक अंतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यूपीआई भुगतान में आमतौर पर अतिरिक्त लेनदेन शुल्क नहीं लगता है और यह 24/7 उपलब्ध रहता है।

## ➤ ग्राहकों के लिए नकद और एनईएफटी लेनदेन हेतु ओटीपी सत्यापन

हमने नकद एनईएफटी लेनदेन के लिए ओटीपी सत्यापन को सक्षम कर दिया है, जिससे ग्राहक सीधे आकर एनईएफटी के माध्यम से ₹ 50,000 तक की राशि अंतरित कर सकते हैं। इस नई सुविधा के तहत, किसी भी नकद एनईएफटी लेनदेन को संसाधित करने से पहले ओटीपी सत्यापन पूरा करना अनिवार्य है।

## ➤ निरंतर समाशोधन

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) को चेक क्लियरिंग और सेटलमेंट के लिए प्रेजेंटेशन और रिटर्न सेशन की बैच प्रोसेसिंग की पिछली पद्धति से हटाकर 'ऑन-रियलाइजेशन सेटलमेंट' मॉडल में माइग्रेट किया गया है, जिसमें प्रोसेसिंग

## ➤ NAFED & NCCF e-KYC Solution

Integration of Biometric Authentication system for registration of beneficiaries for payment processing under NAFED & NCCF Projects. Biometric data (fingerprint or face authentication via Aadhaar) securely locks a user's identity. This prevents duplication, ensures that agricultural subsidies and payments reach the intended individuals, and stops fraudulent claims. It also replaces the need for physical paperwork and manual verification. Verification can take place in seconds, accelerating payment settlement through Aadhaar Payment Bridge System (APBS). It links beneficiaries directly to formal banking and payment channels, promoting financial inclusion.

## ➤ Integration of UPI Payment Mode under GSTN Collection Package

Enhancements in the existing software of Goods and Service Tax (GST) for enabling payment collection through UPI QR code (Quick Response Code) along with the existing payment collection modes of INB, OTC, UPI, Debit Card and Credit card. This integration allows citizens and businesses to pay taxes seamlessly by scanning a QR code or entering a Virtual Payment Address (VPA) on their smartphones / Tabs / Laptops, eliminating the need for physical challans or manual bank transfers. UPI payments typically avoid Additional Transaction Fees and also providing 24/7 Availability.

## ➤ OTP validation for Cash NEFT transactions for walk-in customers

We have enabled OTP validation for Cash NEFT transactions for walk-in customers to transfer up to ₹ 50,000 via NEFT. Under this new functionality, OTP validation must be completed before any Cash NEFT transaction is processed.

## ➤ Continuous Clearing

Cheque Truncation System (CTS) is migrated from the previous approach of batch processing of presentation and return sessions for clearing and

नीचे बताए अनुसार निरंतर होती है। सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक चलता है। चेक रियलाइजेशन टीएटी (अनुमानित समय) को टी+1 से घटाकर टी कर दिया गया है, यानी ग्राहक को उसी दिन क्रेडिट मिल जाता है।

## स्वर्ण ऋण प्रगति

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

| मापदंड          | मार्च'25 | दिसम्बर'25 | मार्च'26 | तिमाही-<br>दर-तिमाही<br>वृद्धि | वर्ष' दर<br>वर्ष वृद्धि |
|-----------------|----------|------------|----------|--------------------------------|-------------------------|
| स्वर्ण ऋण       | 1,81,351 | 2,21,358   | 2,45,448 | 24,090<br>(10.88%)             | 64,097<br>(35.34%)      |
| निवल<br>एनपीए   | 103.6    | 61.72      | 70.37    | 8.65                           | -33.23                  |
| निवल<br>एनपीए % | 0.06%    | 0.03%      | 0.03%    | -                              | -                       |

- दिनांक 31.03.2026 तक स्वर्ण ऋण कारोबार 2,45,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
- स्वर्ण ऋण खातों की संख्या 1.02 करोड़ से अधिक हो गई है।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कारोबार में 64,097 करोड़ रुपये (35.34%) की वृद्धि हुई है।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निवल एनपीए में कमी आई है।

## वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख पहलें

- स्वर्ण के आभूषणों के बाजार भाव के आधार पर, गोल्ड ओवरड्राफ्ट ऋण के लिए आहरण क्षमता को दैनिक आधार पर अपडेट किया जा रहा है।
- खोए हुए स्वर्ण आभूषणों के बदले स्वर्ण ऋण उधारकर्ताओं के लिए दावा निपटान हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी), जिसे प्रणाली और प्रक्रिया समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वर्ण ऋण नीति में शामिल किया गया है।
- एलएपीएस (लैप्स) और डीएलपी (डीएलपी) पैकेज में जीपीटीएम (जीपीटीएम) द्वारा प्रमाणित स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता से संबंधित डेटा को कैप्चर करने की कार्यक्षमता सक्षम कर दी गई है।

settlement of cheques to 'on-realization settlement' model, wherein the processing is continuous as mentioned below. single presentation session starts from 09:00 AM to 3:00 PM. Cheque realization TAT is reduced from T+1 to T i.e., on same day Customer is getting Credit.

## Gold Loan Progress

Performance highlights for FY2025-26

(Amount in ₹ Crores)

| Parameter  | Mar'25   | Dec'25   | Mar'26   | Q-o-Q<br>Growth    | YOY<br>Growth      |
|------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Gold Loans | 1,81,351 | 2,21,358 | 2,45,448 | 24,090<br>(10.88%) | 64,097<br>(35.34%) |
| Net NPA    | 103.6    | 61.72    | 70.37    | 8.65               | -33.23             |
| Net NPA %  | 0.06%    | 0.03%    | 0.03%    | -                  | -                  |

- Gold loan business has crossed ₹2,45,000 Crores as at 31.03.2026
- Number of gold loan accounts crossed 1.02 Crores
- Business has grown by ₹64,097 Crores (35.34%) during FY 2025-26
- Net NPA decreased during FY2025-26

## Key Initiatives during FY 2025-26

- Drawing Power is being updated on daily basis for Gold overdraft loans, based on the market rate of gold jewellery.
- SOP for claim settlement to gold loan borrowers in lieu of lost gold jewellery, which has been approved by System and Procedure Committee and the same is incorporated in the Gold loan Policy for FY 2026-27.
- The functionality to capture the data on purity of gold jewellery certified by GPTM, in LAPS & DLP package has been enabled.

- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्वर्ण ऋण नीति में, वर्टिकल ने दिनांक 06.06.2025 को जारी और आरबीआई द्वारा दिनांक 28.11.2025 को दोहराए गए स्वर्ण और चांदी संपाश्विक के विरुद्ध ऋण देने संबंधी आरबीआई के मास्टर निर्देशों के अनुसार सभी परिवर्तनों को शामिल किया है।
- शाखा में आभूषण मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान स्वर्ण आभूषणों की छवि और उनके विवरण जैसे सकल वजन, कठौतियाँ, सोने की शुद्धता, शुद्ध वजन आदि को कैप्चर करने के लिए एक नए मोबाइल ऐप (केन जेएपी) के विकास हेतु परिवर्तन अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।
- शाखा में उपलब्ध भौतिक स्वर्ण ऋण पैकेटों का मिलान करने के लिए, सीबीएस में स्वर्ण आभूषण पैकेट आवागमन विवरण बनाए रखने का विकल्प विकसित करने हेतु परिवर्तन अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।

## वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन अभियान के तहत, बैंक ने अपने उत्पादों और सेवाओं को समाज के आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए उपलब्ध कराया है। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने वित्तीय समावेशन प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिसमें प्रमुख हस्तक्षेप जैसे कि बैंकिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार, उपयुक्त वित्तीय उत्पादों की पेशकश, प्रौद्योगिकी का व्यापक और गहन उपयोग और वित्तीय साक्षरता का प्रचार शामिल हैं।

- बैंक ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कार्यान्वयन के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हमने 3.28 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं। इसके अतिरिक्त, हम पीएमजेजेबीवाई (103.56 लाख), पीएमएसबीवाई (319.74 लाख) और एपीवाई (68.75 लाख) जैसी योजनाओं में भी पंजीकृत हैं, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और भी मजबूत हुई है। केनरा बैंक की ये पहलें वंचित समुदायों, वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति बैंक की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
- बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत 3.28 करोड़ खाते खोले हैं, जिनमें कुल बकाया राशि ₹25,721 करोड़ है और प्रति खाता औसत बकाया राशि ₹7,841 है।

- In the Board approved Gold Loan Policy for FY 2026-27, Vertical has incorporated all the changes as per the RBI Master directions on lending against Gold and silver collateral, dated 06.06.2025 and reiterated by RBI on 28.11.2025.
- Change request has been submitted for the development of new mobile app (CAN JAP) to capture Gold Jewellery image and jewellery details like gross weight, deductions, Gold purity, net weight assessed during appraisal process by Jewel Appraiser in the Branch.
- Change request has been submitted to develop the option to maintain Gold jewel packet movement details in CBS, for tallying the physical gold loan packets available with the branch.

## FINANCIAL INCLUSION

As a part of financial inclusion drive, the Bank had made its products and services available to financially excluded and marginalized sections of the society. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been proactive in financial inclusion efforts, with key interventions, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive & intensive use of technology and advocacy of financial literacy.

- Bank has made significant efforts to empower underserved communities through the implementation of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). We have opened 3.28 Crores of PMJDY accounts. Additionally, we have been enrolled in schemes like PMJJBY (103.56 Lakhs), PMSBY (319.74 Lakh), and APY (68.75 Lakh), further enhancing their financial security. Canara Bank's initiatives demonstrate their strong commitment to underserved communities, financial inclusion and socio-economic empowerment.
- Bank has opened 3.28 Crores accounts under PMJDY, having total outstanding balance of ₹25,721 Crores in those accounts with average balance of ₹7,841 per account.

- बीसी मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के संबंध में, बैंक के पास 15000 कारोबार प्रतिनिधि लोकेशन हैं, जिनमें से 5483 एसएसए और 9517 गैर एसएसए लोकेशन हैं।
- बैंक ने 'केनरा वित्तीय सलाहकार न्यास' का गठन किया है, जिसका प्रबंधन प्रबंध न्यासी और उप प्रबंध न्यासी करते हैं। यह न्यास बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के साथ-साथ बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा परिचालित एफएलसी के कामकाज का प्रबंधन करता है। देश भर में जिला और ब्लॉक स्तर पर बैंक के कुल 150 एफएलसी (केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित 118 एफएलसी और आरआरबी द्वारा प्रायोजित 32 एफएलसी) हैं, जिनका प्रबंधन परामर्शदाताओं और सहायक परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। परामर्शदाताओं को बैंकिंग, कानून, वित्त, आवश्यक संप्रेषण और टीम निर्माण कौशल आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, कृषि क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति, पूर्व सैनिक आदि को ऋण परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एफएलसी का व्यापक उद्देश्य निःशुल्क वित्तीय साक्षरता / शिक्षा और ऋण परामर्श प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, 23,646 एफएलसी शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 23,16,767 व्यक्तियों को शिक्षित किया गया और 1,57,208 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया।
- आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, आरबीआई के डीईएफ और नाबार्ड के एफआईएफ से प्राप्त वित्त पोषण और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 243 सीएफएल (वित्तीय सहायता केंद्र) चल रहे हैं। वित्त पोषण एजेंसी दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय रूप से वंचित व्यक्तियों तक वित्तीय शिक्षा पहुंचाने के लिए सीएफएल के सुचारु परिचालन हेतु गैर-सरकारी संगठनों को परिचालन व्यय का 90% और पूंजीगत व्यय का 100% प्रदान कर रही है।
- चालू वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने पीएमजेबीवाई योजना के तहत 6910 मृत्यु दावों का निपटारा किया, जिनकी कुल राशि ₹ 138.20 करोड़ थी, और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 2206 मामलों का निपटारा किया, जिनकी राशि ₹ 44.12 करोड़ थी। अपनी स्थापना के बाद से, बैंक ने पीएमजेबीवाई योजना के तहत 49973 मृत्यु दावों का निपटारा किया है, जिनकी कुल राशि ₹ 999.32 करोड़ है, और पीएमएसबीवाई योजना के तहत 12873 मामलों का निपटारा किया है, जिनकी राशि ₹ 257.46 करोड़ है।
- With regard to extending banking services through the BC model, the Bank has 15000 Business Correspondent locations out of which 5483 are SSA and 9517 are Non-SSA locations.
- Bank formed 'Canara Financial Advisory Trust' managed by Managing Trustee and Deputy Managing Trustee to take care of the affairs of the Financial Literacy Centres (FLCs) of the Bank as well as the FLCs promoted by the Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. The Bank has total 150 FLCs (118 FLCs sponsored by Canara Bank and 32 FLCs sponsored by RRBs) in districts & blocks level across the country, managed by the Counsellors and Asst. Counsellors. Counsellors should have sound knowledge of banking, law, finance, requisite communication and team building skills, etc. Individuals such as retired Bank officers, with domain knowledge in agriculture, ex-servicemen, etc., may be engaged as credit counsellors. The broad objective of the FLCs will be to provide free financial literacy / education and credit counselling. During FY 2025-26, 23,646 FLC camps were conducted wherein 23,16,767 persons were educated and 1,57,208 persons were counselled.
- As per RBI directions, 243 CFLs are running across 8 States and one Union Territory with funding from DEA Fund of RBI and FIF of NABARD collaboration with NGOs. Funding Agency is providing 90% of OPEX and 100% of CAPEX to NGOs for running CFLs smoothly to spread Financial education to financially excluded persons in remote areas.
- During the current year 2025-26, the bank settled 6910 death claims under the PMJBY, totalling ₹138.20 Crores, and 2206 cases under PMSBY, amounting to ₹44.12 Crores. Since its inception, the bank has settled 49973 death claims under the PMJBY scheme, totalling ₹999.32 Crores, and 12873 cases under PMSBY, amounting to ₹257.46 Crores.

## मार्च 2026 तक नवीनीकरण सहित योजना में नामांकन

(₹ लाख में)

| योजना में नामांकन, नवीनीकरण सहित                  | मार्च 2026 तक |
|---------------------------------------------------|---------------|
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) | 103.56        |
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)     | 319.74        |
| अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सक्रिय नामांकन       | 68.75         |

### आधार नामांकन अद्यतन केंद्र:

बैंक आधार नामांकन के लिए रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी है। यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने 500 आधार नामांकन केंद्र स्थापित किए हैं।

### महिला सशक्तीकरण:

प्रधान कार्यालय में महिला सशक्तीकरण अनुभाग और देश भर में 26 अंचल कार्यालयों तथा 178 क्षेत्रीय कार्यालयों में महिला उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडीडब्ल्यू) महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं। इन महिला उद्यमिता विकास केंद्रों ने संभावित उद्यमियों तक पहुँच बनाई है, परामर्श दिया है, उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का समर्थन किया है, वित्त प्रदान किया है और विपणन सुविधाओं की व्यवस्था की है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सीईडीडब्ल्यू द्वारा कुल 234 कार्यक्रम (17068 लाभार्थी) आयोजित किए गए।

### महिला लाभार्थियों को ऋण प्रवाह:

आरबीई द्वारा निर्धारित कुल ऋण का 5% महिला लाभार्थियों को ऋण देने की आवश्यकता के मुकाबले, बैंक ने मार्च 2026 तक कुल ऋण का 28.93% ऋण दिया है। 80,19,433 से अधिक महिलाओं को 2,58,188.05 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

### अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी:

31.03.2026 तक, हमारे बैंक को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- दो राज्यों अर्थात् कर्नाटक और केरल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजक तथा लक्षद्वीप में संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) संयोजक।

## Scheme Enrolments including Renewals as at March 2026

(₹ In Lakhs)

| Scheme Enrolments including Renewal              | As at March 2026 |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) | 103.56           |
| Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)      | 319.74           |
| Atal Pension Yojana (APY) Active Enrolment       | 68.75            |

### AADHAAR ENROLMENTS UPDATION CENTRES:

The Bank is a Registrar and Enrolment Agency for Aadhaar Enrolment. As per UIDAI guidelines Bank has established 500 ASKs.

### EMPOWERING WOMEN:

Women Empowerment Section at Head office and Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at 26 Circle Offices and 178 Regional offices across the country are working relentlessly towards economic empowerment of women. These CEDWs have reached potential entrepreneurs, undertaken counselling, supported their training needs, provided finance and arranged marketing facilities. A total of 234 Programmes (17068 beneficiaries) were organized by the CEDWs during FY 2025-26.

### Flow of Credit to Women Beneficiaries:

As against RBI's requirement of 5% of Net Credit to women beneficiaries, the Bank has advanced 28.93% of Net Bank Credit as at March, 2026. Over 80,19,433 Women are assisted to the tune of ₹2,58,188.05 Crores.

### Lead Bank Responsibility:

As on 31.03.2026, Our Bank has been assigned with:

- State Level Bankers Committee (SLBC) convenorship in two states i.e. Karnataka & Kerala and Union Territory Level Banker's Committee (UTLBC) convenorship in Lakshadweep.



- 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी अर्थात आंध्र प्रदेश (6), बिहार (1), दिल्ली (3), हरियाणा (3), लक्षद्वीप (1), कर्नाटक (15), केरल (7), तमिलनाडु (7), तेलंगाना (4) और उत्तर प्रदेश (14)।

## अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और कारोबार

बैंक की 4 विदेशी शाखाएँ हैं, अर्थात लंदन (यू.के.), न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.), दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर - डी.आई.एफ.सी. (यू.ए.ई.) और आई.बी.यू. गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात। उपरोक्त 4 शाखाओं के अलावा, बैंक का शारजाह (यू.ए.ई.) में एक प्रतिनिधि कार्यालय और दार एस सलाम (तंजानिया) में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड है।

मार्च 2026 तक विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार 2,08,178.48 करोड़ रुपये (21,951.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जिसमें 1,31,773.50 करोड़ रुपये (13,895.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की जमा राशि और 76,404.98 करोड़ रुपये (8,056.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का अग्रिम शामिल है।

केनरा तंजानिया लिमिटेड (पूर्व में केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड), जो तंजानिया में स्थित एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, ने अपनी आस्ति और देनदारियों को एक्जिम बैंक तंजानिया लिमिटेड को अंतरित कर दिया है और दिनांक 21.12.2024 से अपना परिचालन बंद कर दिया है। लाइसेंस दिनांक 23.12.2024 को बैंक ऑफ तंजानिया को सौंप दिया गया था। बैंक ऑफ तंजानिया ने दिनांक 05.05.2025 को बंद हो चुकी सीबीटीएल के बैंकिंग लाइसेंस के समर्पण की प्राप्ति स्वीकार कर ली थी। इसके अलावा, उक्त इकाई की विनिवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के अंतिम चरण में है।

## आस्ति की गुणवत्ता

जोखिम को नियंत्रित करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने और आर्थिक विकास में व्यापक सुधार के कारण वित्त वर्ष 2026 आस्थि गुणवत्ता मजबूत बनी रही। आपके बैंक का सकल एनपीए 1.84% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 110 बीपीएस का सुधार है, जबकि निवल एनपीए 0.43% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 27 बीपीएस का सुधार है। आस्थि गुणवत्ता में सुधार सभी क्षेत्रों में देखा गया। कुल सकल एनपीए मार्च 2025 में ₹31,530 करोड़ से घटकर मार्च 2026 तक ₹22,740 करोड़ हो गया और निवल एनपीए मार्च 2025 में ₹7,353 करोड़ से घटकर मार्च 2026 तक ₹5,209 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बढ़े खाते में डाले गए

- Lead Bank Responsibility in 61 Districts across 8 States and 2 Union Territories viz. Andhra Pradesh (6), Bihar (1), Delhi (3), Haryana (3), Lakshadweep (1), Karnataka (15), Kerala (7), Tamil Nadu (7), Telangana (4) & Uttar Pradesh (14).

## INTERNATIONAL OPERATIONS AND BUSINESS

Canara Bank has 4 overseas branches, viz., London (UK), New York (USA), Dubai International Financial Center - DIFC (UAE) and IBU GIFT City Gandhinagar, Gujarat. Besides the above 4 branches, the Bank has a Representative Office at Sharjah (UAE) and a wholly owned subsidiary; Canara Tanzania Limited (erstwhile Canara Bank Tanzania Limited) at Dar Es Salam (Tanzania).

Total Business of the overseas branches aggregate to ₹2,08,178.48 Crores (USD 21,951.65 Mn) comprising deposits to the tune of ₹1,31,773.50 Crores (USD 13,895.03 Mn) and advances to the tune of ₹76,404.98 Crores (USD 8,056.62 Mn) as at March 2026.

Canara Tanzania Limited (erstwhile Canara Bank Tanzania Limited), a wholly owned subsidiary in Tanzania, has transferred its assets and liabilities to Exim Bank Tanzania Limited and ceased its operations with effect from 21.12.2024. The license has been surrendered to Bank of Tanzania on 23.12.2024. Bank of Tanzania had acknowledged the receipt of surrender of banking license of defunct CBTL on 05.05.2025. Further, the divestment process of said entity is in the final phase of completion.

## ASSET QUALITY

The sustained focus to contain risk, well supported by broad-based recovery in economic growth, kept the asset quality robust in FY2026. Gross NPA of your Bank stood at 1.84%, an improvement of 110 bps YoY while the Net NPA stood at 0.43%, an improvement of 27 bps YoY. The improvement in asset quality was seen across all sectors. Overall Gross NPA declined to ₹22,740 Crores as of March 2026 from ₹31,530 Crores in March 2025 and Net NPA declined to ₹5,209 Crores as of March 2026 from ₹7,353 Crores in March 2025. The

खातों की वसूली सहित संचयी नकद वसूली ₹9,161 करोड़ और अपग्रेडेशन ₹814 करोड़ रही। बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बड़े खाते में डाले गए खातों से वसूली के तहत ₹7,642 करोड़ की वसूली की है। वर्ष के दौरान बकाया राशि ₹7,030 करोड़ तक सीमित रही। प्रोजेक्ट कवरेज रेशियो (पीसीआर) में 151 बीपीएस का सुधार हुआ और मार्च 2026 तक यह 94.21% रहा, जबकि मार्च 2025 तक यह 92.70% था।

बैंक का विश्वास है कि दैनिक निगरानी, अनुपयोगी ऋणों को कम करने और वसूली सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। इसके लिए, बैंक ने वसूली बढ़ाने और बकाया भुगतान में कमी लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए और रणनीतियाँ तैयार कीं। बैंक के पास प्रत्येक अनुपयोगी खाते को वैज्ञानिक तरीके से संभालने की रणनीतियाँ हैं।

बैंक ने सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत 178 क्षेत्रीय कार्यालयों और 43 एआरएम एवं एसएएम शाखाओं में केंद्रीकृत कार्रवाई की है, जिसके परिणामस्वरूप सरफेसी कार्रवाई के माध्यम से बैंक की बिक्री और समाधान में कई गुना वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने के कारण ₹1824 करोड़ की 2407 संपत्तियाँ बेची गईं और ₹1,216 करोड़ के 5620 खाते बंद / निपटान / अपग्रेड किए गए। बीएएनकेएनईटी (बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क) पोर्टल का सदस्य होने के नाते, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 के तहत संपत्तियों को नीलामी के लिए रखने वाली एक ई-नीलामी साइट है, बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे अधिक संपत्तियाँ नीलाम कीं, सबसे अधिक संपत्तियाँ बेचीं और सबसे अधिक समाधान किए।

इसके अलावा, बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 8496 वसूली बैठकें आयोजित कीं, जिसके परिणामस्वरूप 2,64,461 खातों का निपटान हुआ, जिसमें ₹5,361 करोड़ की बही देनदारी शामिल है।

बैंक ने गैर-विवेकाधीन गैर-भेदभावपूर्ण योजना के तहत लघु मूल्य के एनपीए खातों के लिए बैंक की वेबसाइट पर “इलेक्ट्रॉनिक वन टाइम सेटलमेंट (ई-ओटीएस)” पैकेज को लोकप्रिय बनाया है।

बैंक ने वसूली और चूक को कम करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ भी अपनाई हैं:

1. कृषि, एमएसएमई और खुदरा ऋणों के पोर्टफोलियो की उचित निगरानी के लिए हमने समर्पित वसूली अधिकारियों के साथ क्लस्टर / क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया है।

cumulative Cash Recovery including Recovery in written off accounts stood at ₹9,161 Crores and upgradation at ₹814 Crores during FY 2025-26. Bank has recovered ₹7,642 Crores under recovery in written off accounts during FY 2025-26. Slippage during the year has contained to ₹7,030 Crores. Provision Coverage Ratio (PCR) improved by 151 bps and stood at 94.21% as at March 2026 against 92.70% as at March 2025.

The Bank believes that continuous day-to-day monitoring is the first step towards reduction in non-performing loans and in ensuring good recovery. For this, the Bank undertook various steps and formulated strategies to augment recoveries and reduce slippages. Bank has strategies to touch each and every NPA account in a scientific manner.

Bank has centralised actions under SARFAESI Act 2002 at 178 Regional Offices and 43 ARM & SAM Branches resulting Bank sales as well as resolution through SARFAESI actions increased manyfold. During FY 2025-26, 2407 properties were sold amounting to ₹1,824 Crores and 5620 accounts were settled / closed / upgraded amounting to ₹1,216 Crores on account of initiating actions under the SARFAESI Act. Being a member of BAANKNET (Bank Asset Auction Network) Portal, an e-auction site for putting properties under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act 2002, Bank has put highest number of properties on auction, highest under property sold and highest resolution among PSBs during FY 2025-26.

Further, Bank had conducted 8496 Recovery Meets during FY 2025-26 that has resulted in settlement of 2,64,461 accounts covering book liability of ₹5,361 Crores.

Bank has popularised “Electronic One Time Settlement (e-OTS)” Package in our Bank’s website for Small Value NPA accounts under Non-Discretionary Non-Discriminatory Scheme.

Bank has also adopted the following strategies for recoveries and reduce slippages:

1. To have a proper monitoring of the portfolio of Agriculture, MSME and Retail Loans we have taken a cluster / area approach with dedicated recovery officers.

- छोटे एनपीए खातों का वसूली एजेंटों को उचित आवंटन
- बैंक ने लघु मूल्य के कृषि ऋण, शिक्षा ऋण, एमएसएमई ऋण आदि के निपटान के लिए विभिन्न विशेष ओटीएस योजनाएं तैयार की हैं।
- सभी राष्ट्रीय लोक-अदालतों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित साप्ताहिक केन-अदालतों तथा सभी अंचल कार्यालयों में मासिक मेगा केन-अदालतों में सक्रिय भागीदारी।
- बैंक ने सभी पात्र एनपीए खातों में सरफेसी (सरफेसी) कार्रवाई शुरू कर दी है और परिसंपत्ति के निपटान और खाते में वसूली होने तक यह कार्रवाई जारी रहेगी। हम बैंक की वेबसाइट, समाचार पत्र आदि पर नीलामी संपत्ति का विवरण भी प्रकाशित कर रहे हैं।

दिनांक 31.03.2025 तक, आईबीसी के तहत एनसीएलटी को समाधान हेतु 378 मामले भेजे गए हैं, जिनमें हमारे बैंक की बुक देयताएं लगभग ₹29,584 करोड़ हैं। इनमें से 339 मामले एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए हैं, जिनमें हमारे बैंक का कुल स्वीकृत दावा ₹27,931 करोड़ है। हमारा बैंक एनसीएलटी को भेजे गए इन मामलों के समाधान / परिसमापन के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 में पर्याप्त वसूली की उम्मीद कर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने एनसीएलटी को भेजे गए मामलों के माध्यम से ₹1,599 करोड़ की वसूली की है।

## जोखिम प्रबंधन

बैंक का जोखिम प्रबंधन सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और शमन सुनिश्चित करता है और व्यापक समाधानों के लिए अपने कार्य को संरेखित करता है। यह जोखिम प्रभाव रैंकिंग और जोखिम वहन क्षमता के आधार पर प्रभावी संसाधन आवंटन के लिए निर्णय-सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करता है। जोखिमों और अवसरों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद रणनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नियामक और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन तथा जोखिम और लाभ के बीच संतुलन प्राप्त करना है, साथ ही जोखिम और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

बैंक ने नियामक दिशानिर्देशों और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक स्वतंत्र जोखिम अभिशासन संरचना स्थापित की है, जो इसके सदस्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। निदेशक मंडल सर्वोच्च शासी निकाय है और इसे बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) और विभिन्न कार्यकारी स्तर की जोखिम प्रबंधन समितियों जैसे उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति

- Proper allocation of small NPA accounts to Recovery Agents
- Bank has formulated various special OTS Schemes for settlement of Small Value Agriculture, Education Loan, MSME Loans etc.
- Active participation in all National Lok-Adalats & regular Weekly Can-Adalats at all Regional Offices and Monthly Mega Can-Adalats at all Circle Offices.
- Bank has initiated the SARFAESI action in all eligible NPA accounts and continued the action till conclusion / disposal of asset & recovery in the account. We are also listing / publishing the auction property details on Bank's Website, Newspaper etc.

As on 31.03.2025, 378 cases have referred to NCLT under IBC for resolution wherein our Bank is having Book liability exposure of around ₹29,584 Crores. Out of which, 339 cases admitted by NCLT with our Bank's aggregate admitted claim of ₹27,931 Crores. Our Bank is expecting substantial recovery during FY 2025-26 through resolution / liquidation in these NCLT referred cases. During FY 2025-26 Bank has recovered ₹1,599 Crores through cases referred to NCLT.

## RISK MANAGEMENT

Bank has a dedicated Risk Management Wing which ensures proper identification, measurement, monitoring and mitigation of all pertinent risks and promotes compliance culture with an effective reporting system. Risk Management serves as a key enabler in decision making by facilitating effective resource allocation in line with the Bank's risk appetite, ensuring that strategic decisions are made with thorough consideration of both risks and opportunities. The guiding principles to manage risk in the Bank is compliance of regulatory & legal requirements and achieving balance between risk and return, while ensuring independence of risk and business functions.

The Bank has put in place an independent Risk Governance Structure, in line with regulatory guidelines and industry best practices, which clearly delineates roles and responsibilities of its members. Board of Directors is the highest governing body and is duly assisted by

(ईआरएमसी), ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), आस्थि देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), समूह जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी) आदि द्वारा विधिवत सहायता प्रदान की जाती है। बैंक में जोखिम अभिशासन और संस्कृति को अधिक व्यापक बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश भर में प्रशासनिक इकाइयों में स्थानीय जोखिम प्रबंधन समितियां भी बनाई गई हैं।

बैंक और उसके समूह की सभी संस्थाओं में समग्र जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की जिम्मेदारी समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) की है, जो सीधे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) को रिपोर्ट करते हैं। जीसीआरओ विभिन्न जोखिम रिपोर्टों के माध्यम से पूरे बैंक में जोखिम प्रबंधन की समग्र प्रभावशीलता की निगरानी करते हैं। इस संबंध में, बैंक सभी जोखिमों का एकीकृत अवलोकन प्राप्त करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान का उपयोग करता है।

इसके अलावा, बैंक ने जोखिम, अनुपालन और निरीक्षण इकाइयों से मिलकर एक आश्वासन समिति (एकल और समूह स्तर) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा स्तरों पर सहयोग को मजबूत करना और प्रभावी जोखिम संस्कृति एवं अभिशासन संरचना को संस्थागत रूप देना है। बैंक ने कारोबार प्रबंधन के लिए समावेशी और जोखिम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने हेतु सभी कार्यात्मक इकाइयों के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को प्रमुख जोखिम संकेतकों के साथ संरेखित किया है।

बैंक की विभिन्न जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

## a) ऋण जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने एक समग्र, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण नीति तथा ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है, जो ऋण जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी, नियंत्रण / न्यूनीकरण एवं सक्रिय प्रबंधन हेतु बैंक की कार्यप्रणाली को परिभाषित करती है। बैंक ने आंतरिक ऋण रेटिंग, मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी प्रक्रिया के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित की है। बैंक उधारकर्ताओं की ऋण पात्रता के आकलन हेतु उन्नत आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल एवं स्कोरकार्ड का उपयोग करता है। ये मॉडल बैंक द्वारा आंतरिक रूप से विकसित किए गए हैं तथा इनका अनेक चरणों में कठोर प्रमाणीकरण एवं बैंक-टेस्टिंग की जाती है, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन एवं बाह्य समीक्षा दोनों सम्मिलित हैं। ऋण समीक्षा एवं

the Risk Management Committee of the Board (RMCB) and various executive level risk management committees viz., Enterprise Risk Management Committee (ERMC), Credit Risk Management Committee (CRMC), Market Risk Management Committee (MRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC), Asset Liability Management Committee (ALCO), Group Risk Management Committee (GRMC) etc. To make risk governance and culture more pervasive across the Bank, risk management & compliance committees are also formed at administrative units throughout the country with active involvement of field functionaries.

Responsibility for the effectiveness of overall risk management throughout the Bank and its group entities lies with Group Chief Risk Officer (GCRO), who is directly reporting to Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO). GCRO monitors the overall effectiveness of risk management throughout the bank vide various risk reports. In this regard, the Bank utilizes Integrated Risk Management Solution for integrated overview of all the risks.

Further, the Bank has also set-up an Assurance Committee (Solo and Group Level) which comprises Risk, Compliance & Inspection units to bolster collaboration across different lines of defence and to institutionalize effective risk culture and governance structure. The Bank has also aligned Key Performance Indicators of all the functional units with Key Risk Indicators for inclusive and risk-oriented approach towards managing business.

A brief overview of various risk management processes of the Bank is furnished as under:

## a) Credit Risk Management:

Bank has put in place a comprehensive Board approved Credit Policy and Credit Risk Management Policy which articulates Bank's approach to identify, measure, monitor & control / mitigate and actively manage Credit risk. Bank has in place a robust system for internal credit ratings, appraisal, approval and monitoring process. Bank utilizes robust internal Credit Risk assessment models and scorecards to assess credit worthiness of the borrowers. These are internally developed models and undergo multiple



निगरानी की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन एक स्वतंत्र साख प्रशासन एवं निगरानी विभाग द्वारा विधिवत किया जाता है। साथ ही, बैंक की जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली ऋण जोखिमों के उपयुक्त मूल्य निर्धारण को सुनिश्चित करती है।

**b) बाजार जोखिम प्रबंधन**

बाजार जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति तथा एकीकृत कोष नीति के माध्यम से किया जाता है, जो विभिन्न सीमाओं एवं ट्रिगर्स के जरिए नियंत्रित बाजार जोखिम के प्रबंधन को संचालित करती है। मिड ऑफिस इकाई तथा जोखिम प्रबंधन विभाग इन सीमाओं की प्रतिदिन निगरानी करते हैं ताकि समय रहते जोखिम को कम किया जा सके। बाजार जोखिम सीमाओं एवं ट्रिगर्स की प्रभावी एवं समयबद्ध निगरानी हेतु एक रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया गया है, जिसकी बैंक की जोखिम वहन क्षमता के अनुरूप समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

**c) परिचालन जोखिम प्रबंधन**

बैंक का परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा नैतिक मूल्यों, संगठनात्मक संस्कृति तथा सुदृढ़ परिचालन प्रक्रियाओं पर आधारित है, जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग तथा आकस्मिक योजना शामिल हैं। बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए एक नीति अपनाई है, जिसमें परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा, आउटसोर्सिंग गतिविधियाँ, व्यवसाय निरंतरता योजना, प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), जोखिम नियंत्रण एवं स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) कार्यशालाएँ आदि शामिल हैं, ताकि परिचालन जोखिमों का प्रभावी मापन एवं प्रबंधन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, बैंक कर्मचारियों हेतु विभिन्न जोखिम संस्कृति एवं जोखिम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे प्रभावी जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहन मिलता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उभरते जोखिम अथवा जोखिम ग्रहण क्षमता से अधिक जोखिम वाली गतिविधियों की समय पर पहचान, मूल्यांकन, उच्च स्तर पर रिपोर्टिंग एवं समाधान किया जा सके।

**d) आस्ति देयता एवं चलनिधि जोखिम प्रबंधन:**

बैंक का प्रयास है कि प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखी जाए और साथ ही बैंक की तुलन पत्र प्रोफाइल के अनुसार एनआईएम (निम) को इष्टतम स्तर पर बनाए रखा जाए। लंबी अवधि में, बैंक

rounds of rigorous validation and back testing, which include both internal assessments & external reviews. The entire process of the Loan review and monitoring is duly administered by an independent Credit Administration & Monitoring Wing. Moreover, the Bank's risk-based pricing framework ensure adequate pricing of credit risks.

**b) Market Risk Management:**

Market risk is managed through a well-defined Board approved Market Risk Management Policy and Integrated Treasury Policy, which governs the management of market risk captured through various limits / triggers. Mid Office Unit, Risk Management Wing monitors these limits on a daily basis for timely mitigation. A reporting framework has been put in place for effective and timely monitoring of market risk limits and triggers which are being reviewed periodically based on the risk appetite of Bank.

**c) Operational Risk Management:**

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. The Bank has adopted policy for management of Operational Risk, which covers aspects, such as, Operational Risk Management framework, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan, Key Risk Indicators (KRI), Risk Control & Self-Assessment (RCSA) workshops to measure and manage Operational Risks. Further the Bank conducts various Risk Culture & Risk Awareness Assessment programs for employees to support effective risk management, which promotes sound risk-taking and ensure that emerging risks or risk-taking activities beyond the risk appetite are recognized, assessed, escalated and addressed in a timely manner.

**d) Assets Liability and Liquidity Risk Management:**

The Bank endeavours to maintain adequate liquidity in the system while maintaining NIM at optimum level with given balance-sheet profile of the



का लक्ष्य आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ में सुधार करके शेयरधारकों की परिसंपत्ति को अधिकतम करना है।

बैंक चलनिधि जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए विभिन्न मानक उपकरण, जैसे संरचनात्मक चलनिधि विवरण (एसएलएस), चलनिधि अनुपात, बेसल परिभाषित दबाव चलनिधि अनुपात, जैसे चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) का उपयोग करता है। बाज़ार की ब्याज दर में परिवर्तन का शेयरधारकों की निवल मालियत पर दीर्घकालिक प्रभाव इक्विटी दृष्टिकोण के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन के माध्यम से मापा जाता है।

विभिन्न दबाव परीक्षण परिदृश्यों का उपयोग गंभीर चलनिधि निकासी तथा प्रतिकूल ब्याज दर परिवर्तनों की स्थिति में बैंक की सुदृढ़ता का मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है। बाजार कारकों में संभावित प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के आधार पर बैंक अंतर्निहित ट्रिगर बिंदुओं एवं विभिन्न कारोबार तथा प्रशासनिक इकाइयों के लिए परिभाषित कार्य योजनाओं सहित आकस्मिक निधीयन योजना (सीएफपी) तैयार करता है।

## e) उद्यम जोखिम प्रबंधन

उद्यम जोखिम प्रबंधन बैंक के सभी जोखिमों को एकीकृत एवं केंद्रीकृत ढांचे के अंतर्गत प्रबंधित करने की प्रक्रिया है। यह एक सतत, सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उन जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रबंधन एवं संप्रेषण करना है, जो संगठन के समग्र रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इस संदर्भ में, बैंक ने वरिष्ठ प्रबंधन से युक्त एक उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत स्तर पर जोखिमों का प्रबंधन एवं निगरानी करना है।

अतः जोखिम प्रबंधन के समग्र दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन करता है, जो समानुपातिकता, निरंतरता, महत्वपूर्णता, तनाव परीक्षण, सुदृढ़ प्रशासन, पूंजी गुणवत्ता आदि के मूल मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है।

Bank. In the long run, the Bank aims to maximize Shareholders' wealth by improving Return on Asset (RoA) and Return on Equity (RoE).

Bank deploys various standard tools viz., Structural Liquidity Statement (SLS), liquidity ratios, Basel defined stress liquidity ratios viz., Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) to measure and manage liquidity risk. Interest Rate Sensitivity (IRS) Statements are used to measure repricing gaps of assets and liabilities and its consequent impact on Bank's earning (i.e., Earning at Risk) under different rate cycle movement. A long-term impact of change in market interest rate on Shareholder's net-worth is measured through change in economic value of equity approach.

Different stress test scenarios are further used to evaluate the resilience of the Bank under severe liquidity run-off and adverse interest rate movement. Based on the probable adverse movement of market variables – the Bank develops Contingency Funding Plan (CFP) with inbuilt trigger points and defined actionable across different business and admin units.

## e) Enterprise Risk Management:

Enterprise Risk Management (ERM) is the process of managing all of Bank's risks within an integrated and centralized framework. It is an on-going, proactive and dynamic process to identify, assess, manage and communicate risks that may impact objectives to meet the overall strategic goals of the organization. In this regard, Bank has constituted an Enterprise Risk Management Committee (ERMC) committee comprising of senior management formed with primary objective of management and monitoring of risk at an enterprise level.

Therefore, as a part of holistic approach towards managing risks, the Bank conducts a comprehensive assessment of all material risks under Internal Capital Adequacy Assessment Process, driven by the core guiding principles of proportionality, continuity, materiality, stress testing, sound governance, capital quality, etc.

यह स्वीकार करते हुए कि उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ निर्बाध डेटा प्रवाह एवं डेटा अखंडता पर आधारित होती हैं, बैंक ने अपने प्रमुख जोखिम प्रबंधन तंत्र एवं प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, जिससे समयबद्ध एवं प्रभावी प्रबंधनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

**f) समूह जोखिम प्रबंधन**

बैंक ने समूह संस्थाओं के कार्य संचालन में निहित जोखिमों के प्रबंधन तथा सभी समूह संस्थाओं में पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समूह जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है। बैंक के समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) समूह संस्थाओं की जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी करते हैं।

**g) ईएसजी एवं जलवायु जोखिम प्रबंधन**

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ विषय है। इसके महत्व की कल्पना करते हुए, बैंक ने ईएसजी प्रथाओं के समग्र कार्यान्वयन के लिए एक ईएसजी समिति (मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक स्तर) और ईएसजी कार्य समूह (उप महाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक स्तर) का गठन किया है और बोर्ड स्तरीय उप-समिति इसकी देखरेख करती है। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति है और वह हर साल एक संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ तालमेल बिठाते हुए, इसके संस्थापक सिद्धांतों के आधार पर बैंक की प्रतिबद्धताओं, पहलों और कार्यों का विवरण होता है।

**h) प्रकटीकरण**

बैंक पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सभी संबंधित जोखिमों और शमन योजनाओं को अपने हितधारकों के सामने प्रकट करता है, ताकि बैंक के कामकाज की बेहतर समझ मिल सके। इस संबंध में, बैंक के पास एक बोर्ड-अनुमोदित प्रकटीकरण नीति है, जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है।

**i) बेसल मानदंड कार्यान्वयन:**

बैंक बेसल III पूंजी विनियमन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त रूप से पूंजीकृत रहता है। इसके अलावा, बैंक अच्छी स्थिति में है और एलसीआर, एनएसएफआर और लीवरेज अनुपात के मामले में भी नियामक आवश्यकताओं से काफी बेहतर है।

Recognizing that advanced risk management practices rely on seamless data flow and integrity, the Bank has leveraged technology to automate its core risk management system and processes, enabling timely and effective management actions.

**f) Group Risk Management:**

The Bank has put in place a Board approved Policy on Group Risk Management to manage the risks involved in the functioning of the Group Entities and ensure that adequate risk management systems are in place in all the Group Entities. The Group Chief Risk Officer (GCRO) of the Bank is supervising the risk management activities of the Group Entities.

**g) ESG & Climate Risk Management:**

Environmental, Social and Governance (ESG) is one of the emerging concern areas for Banks. Envisaging the importance, Bank has formed a ESG Committee (CGM / GM level) & ESG Working Group (DGM / AGM level) for overall implementation of ESG practices and Board Level Sub Committee oversees the same. Bank has in place the Board approved ESG Policy & publishes Sustainability Report on an annual basis, which outlines the Bank's commitment, initiatives & actions that are built around its Founding Principles, in alignment with the United Nation's Sustainable Development Goals (SDGs).

**h) Disclosures:**

To promote transparency, trust and accountability, Bank discloses all the relevant risks and mitigation plan to its stakeholders for meaningful insight into the functioning of the Bank. In this regard, the Bank has a board approved Disclosure Policy in place, which is being reviewed on an annual basis.

**i) Basel Norms Implementation:**

The Bank complies with RBI Guidelines on Basel III Capital Regulations and remains adequately capitalized as per the current requirements. Further, the Bank is comfortably placed and remains well above the regulatory requirements in terms of LCR, NSFR and Leverage Ratio as well.

## अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

बैंक को डाटा सेंटर, डाटा सेंटर के निकट, आपदा रिकवरी साइट, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रौद्योगिकी परिचालन विभाग के लिए आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त है।

बैंक ने आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन को आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन में अपग्रेड किया है। लेखापरीक्षण पूरा हो चुका है और बैंक को आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। यह प्रमाणन 11/04/2026 तक वैध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संगठन की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है और पाया गया है कि यह आईएसओ 27001:2022 मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

## एकीकृत कोष

मार्च 2026 तक बैंक का कुल घरेलू निवेश (निवल) ₹3,99,081.64 करोड़ रहा। निवेश पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो मार्च 2026 तक क्रमशः 4.48 और 5.10 था। 31 मार्च 2026 तक निवेश पर प्रतिफल 6.98% था। वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू कोष परिचालन के तहत व्यापार लाभ ₹ 5,307.95 करोड़ है, जिसमें 31.03.2026 तक एचएफटी और एफवीटीपीएल के लिए सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी की बिक्री पर ₹ 2,006.16 का लाभ और ₹ 1,368.36 करोड़ का पुनर्मूल्यांकन लाभ शामिल है।

बैंक प्राथमिक डीलर के रूप में सरकारी प्रतिभूति बाजार में सक्रिय खिलाड़ी बना हुआ है। अंडरराइटिंग के लिए प्रस्तुत बोलियों की कुल राशि ₹ 1,06,255 करोड़ थी, जिसमें से आरबीआई द्वारा स्वीकृत अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता ₹ 64,928 करोड़ थी। पीडी कारोबार के तहत ट्रेजरी बिलों के संबंध में प्रत्येक छमाही में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम 40% सफलता अनुपात के मुकाबले, बैंक ने पहली छमाही के दौरान 41.99% और वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए 44.00% हासिल किया है।

मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का विदेशी व्यापार कारोबार कुल मिलाकर ₹2,24,711 करोड़ रहा, जिसमें निर्यात के अंतर्गत ₹83,589 करोड़, आयात के अंतर्गत ₹51,013 करोड़ और प्रेषण के अंतर्गत ₹90,169 करोड़ शामिल हैं।

## COMPLIANCE TO INTERNATIONAL STANDARDS

Bank is certified with ISO 27001:2013 for Data Centre, Near Data Centre, Disaster Recovery Site, Information Technology Wing and Technology Operations Wing.

Bank has undergone upgradation of ISO 27001:2013 certification to ISO 27001:2022 certification. Audit has been completed and Bank is certified with ISO 27001:2022. The certification is valid till 11/04/2026.

It is certified that the Information Security management system of the organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the ISO 27001:2022 standard.

## INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments Domestic (net) of the Bank stood at ₹3,99,081.64 Crores as at March 2026. Modified duration of the investment portfolio and Available for Sale (AFS) portfolio stood at 4.48 and 5.10 as at March 2026 respectively. The yield on investments stood at 6.98% as at 31<sup>st</sup> March 2026. The trading profit under domestic treasury operations during financial year is ₹5,307.95 Crores including profit on sale of stakes in subsidiaries of ₹2,006.16 and revaluation gain of ₹ 1,368.36 Crores for HFT & FVTPL as on 31.03.2026.

The Bank continues to be an active player in Government securities market as a Primary Dealer. The total amount of bids submitted for underwriting was ₹1,06,255 Crores out of which the underwriting commitment accepted by RBI was ₹64,928 Crores. With regard to treasury bills under PD business as against minimum success ratio of 40% to be achieved in each half year, the Bank has achieved 41.99% during the first half and 44.00% for second half of Financial Year 2025-26.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹2,24,711 Crores, comprising of ₹83,589 Crores under exports, ₹51,013 Crores under imports and ₹90,169 Crores under remittances during the year ended March 2026.

## संगठन और सहायक सेवाएँ

### शाखा नेटवर्क - अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार

अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक ने वर्ष के दौरान 263 घरेलू शाखाएँ खोलीं हैं। मार्च 2026 तक विशेषीकृत शाखाएँ सहित बैंक की घरेलू शाखाओं की संख्या 10097 हो गई है।

### शाखा नेटवर्क की संरचना

| वर्ग             | शाखाओं की संख्या |            |            | वर्ष के दौरान खोली गई |
|------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|
|                  | 31.03.2024       | 31.03.2025 | 31.03.2026 |                       |
| महानगर           | 1843             | 1866       | 1885       | 29                    |
| शहरी             | 1907             | 1944       | 1987       | 48                    |
| अर्ध शहरी        | 2751             | 2900       | 3025       | 126                   |
| ग्रामीण          | 3103             | 3139       | 3200       | 60                    |
| विदेशी           | 4                | 4          |            |                       |
| कुल घरेलू शाखाएँ | 9604             | 9849       | 10097      | 263                   |

#### नोट:

- 263 शाखाओं में से 250 शाखाएँ सामान्य बैंकिंग शाखाएँ हैं और 13 विशेषीकृत शाखाएँ (आरएच-5, एमएसएमई सुलभ-1 और एआरएम-7) हैं।
- वर्ष के दौरान घरेलू शाखाओं का विलय किया गया: 15
- मार्च 2026 तक बैंक की कुल विशेषीकृत शाखाएँ 628 थीं।

## मानव संसाधन

### कार्मिक प्रोफाइल:

यथा 31 मार्च 2026 तक बैंक में 81827 कर्मचारी कार्यरत थे। पिछले 3 वर्षों में संवर्ग वार कार्यबल का ब्यौरा इस प्रकार है:

| संवर्ग                   | मार्च 2023 | मार्च 2024 | मार्च 2025 | मार्च 2026 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| अधिकारी                  | 52241      | 52607      | 52652      | 53745      |
| लिपिक                    | 21509      | 19651      | 19197      | 19514      |
| अधीनस्थ कर्मचारी / पीटीई | 11228      | 10380      | 9411       | 8568       |
| कुल                      | 84978      | 82638      | 81260      | 81827      |

बैंक के कुल कर्मचारियों में 65.68% अधिकारी, 23.85% लिपिक और 10.47% अधीनस्थ / पीटीई शामिल हैं। बैंक में महिला कर्मचारियों की संख्या 26600 है जो कुल कर्मचारियों का 32.50% है। मार्च 2026 तक भूतपूर्व सैन्यकर्मियों की कुल संख्या 5077 है। बैंक के रोल पर 2570 दिव्यांग व्यक्ति (डीएपी) थे।

## ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

### Branch Network - Expanding Pan India Presence

With aim to expand the reach, Bank has added 263 domestic branches during the year. As at March 2026, the Bank had 10097 domestic branches, including Specialized Branches.

### Composition of Branch Network

| Category                | No. of Branches |            |            | Opened during the year |
|-------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------|
|                         | 31.03.2024      | 31.03.2025 | 31.03.2026 |                        |
| Metropolitan            | 1843            | 1866       | 1885       | 29                     |
| Urban                   | 1907            | 1944       | 1987       | 48                     |
| Semi-urban              | 2751            | 2900       | 3025       | 126                    |
| Rural                   | 3103            | 3139       | 3200       | 60                     |
| Overseas                | 4               | 4          |            |                        |
| Total domestic Branches | 9604            | 9849       | 10097      | 263                    |

#### Note:

- Out of 263 Branches, 250 Branches are general Banking Branches and 13 are Specialized Branches (RAH-5, MSME SULABH-1 & ARM-7).
- Domestic branches were merged during the year: 15
- The total Specialized Branches of the Bank stood at 628 as at March 2026.

## HUMAN RESOURCES

### PERSONNEL PROFILE

As at 31<sup>st</sup> March 2026, the Bank had 81827 employees on its roll. The cadre-wise break-up of manpower for the last 3 years are as under:

| Cadre           | March 2023 | March 2024 | March 2025 | March 2026 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Officer         | 52241      | 52607      | 52652      | 53745      |
| Clerk           | 21509      | 19651      | 19197      | 19514      |
| Sub Staff / PTE | 11228      | 10380      | 9411       | 8568       |
| Total           | 84978      | 82638      | 81260      | 81827      |

Total staff strength of the Bank comprised of 65.68% Officers, 23.85% Clerks and 10.47% Sub Staff / PTE. The Women staff strength of the Bank was 26600 constituting 32.50% of the total employees. The total number of ex-servicemen staff as at March 2026 stood at 5077. There were 2570 Differently abled persons (DAPs) on the rolls of the Bank.



## आरक्षण नीति का कार्यान्वयन:

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में आरक्षण नीति का पालन कर रहा है।

हमारे बैंक ने मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक पद के अधिकारियों को अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) / पूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया है, जो बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। हमारे बैंक ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी / पूर्व सैनिक कर्मचारियों से संबंधित आरक्षण और अन्य मामलों की निगरानी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में एक आरक्षण अनुभाग भी स्थापित किया है।

## संगठन में श्रेणीवार प्रतिनिधित्व:

31 मार्च 2026 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

| श्रेणी                   | कुल          | जिसमें से     |                 |              |            |              |             |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                          |              | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ओबीसी        | ईडब्ल्यूएस | दिव्यांग जन* | ईएसएम*      |
| अधिकारी                  | 53745        | 9425          | 4149            | 17819        | 709        | 1631         | 650         |
| लिपिक                    | 19514        | 3596          | 1286            | 6500         | 273        | 675          | 3257        |
| अधीनस्थ कर्मचारी / पीटीई | 8568         | 3472          | 631             | 2498         | 0          | 264          | 1170        |
| <b>कुल</b>               | <b>81827</b> | <b>16493</b>  | <b>6066</b>     | <b>26817</b> | <b>982</b> | <b>2570</b>  | <b>5077</b> |

\*यह एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित श्रेणी से भी संबंधित है।

## वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न स्तरों पर एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी / ईएसएम अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए पदों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, हमारे बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 2976 कर्मचारियों की भर्ती की। श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:

| श्रेणी                   | कुल         | जिसमें से     |                 |            |            |               |            |
|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------|------------|---------------|------------|
|                          |             | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ओबीसी      | ईडब्ल्यूएस | दिव्यांग गजन* | ईएसएम*     |
| अधिकारी                  | 1667        | 221           | 96              | 383        | 159        | 52            | NA         |
| लिपिक                    | 1272        | 252           | 98              | 255        | 123        | 35            | 187        |
| अधीनस्थ कर्मचारी / पीटीई | 37          | 24            | 2               | 4          | 0          | 0             | NA         |
| <b>कुल</b>               | <b>2976</b> | <b>497</b>    | <b>196</b>      | <b>642</b> | <b>282</b> | <b>87</b>     | <b>187</b> |

\* यह एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित श्रेणी से भी संबंधित है।

## IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:

The Bank has been adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), Economically Weaker Sections (EWS), Ex-Servicemen (ESM) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), as per the Government of India guidelines.

Our Bank has nominated Executives in the rank of CGM/ GM as Chief Liaison Officers for SCs/STs/PwBDs/Ex-servicemen and for OBCs / EWS respectively who ensure compliance of various Government guidelines pertaining to implementation of Reservation Policy in the Bank. Our Bank has also set up a Reservation Section under the direct control of Chief Liaison Officers for monitoring Reservation and other matters related to SC/ST/OBC/ EWS/PwBDs/Ex-Servicemen employees.

## Category-wise representation in the organization:

The representation of SCs/STs/OBC/EWS/PwD/ESM employees in our Bank as on 31<sup>st</sup> March 2026 is as under:

| Cadre        | TOTAL        | Out of which |             |              |            |             |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
|              |              | SCs          | STs         | OBCs         | EWS        | PwD*        | ESM*        |
| Officer      | 53745        | 9425         | 4149        | 17819        | 709        | 1631        | 650         |
| Clerical     | 19514        | 3596         | 1286        | 6500         | 273        | 675         | 3257        |
| Sub-Staff    | 8568         | 3472         | 631         | 2498         | 0          | 264         | 1170        |
| <b>Total</b> | <b>81827</b> | <b>16493</b> | <b>6066</b> | <b>26817</b> | <b>982</b> | <b>2570</b> | <b>5077</b> |

\* Also belongs to SC/ST/OBC/EWS/UR category.

## Details of the posts filled up by the candidates of SC/ST/OBC/ EWS/PwBD/ESM during the FY 2025-26 at various levels:

During the FY 2025-26, our Bank recruited 2976 employees in various cadres. The category wise details are as under:

| Cadre        | TOTAL       | Out of which |            |            |            |           |            |
|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|              |             | SCs          | STs        | OBCs       | EWS        | PwBD*     | ESM*       |
| Officer      | 1667        | 221          | 96         | 383        | 159        | 52        | NA         |
| Clerical     | 1272        | 252          | 98         | 255        | 123        | 35        | 187        |
| Sub-Staff    | 37          | 24           | 2          | 4          | 0          | 0         | NA         |
| <b>Total</b> | <b>2976</b> | <b>497</b>   | <b>196</b> | <b>642</b> | <b>282</b> | <b>87</b> | <b>187</b> |

\* Also belongs to SC/ST/OBC/EWS/UR category.

## भर्ती:

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 2934 लोगों की भर्ती की। इनमें से 1266 महिला कर्मचारी थीं, जो कुल भर्ती का 43.14% था। नए भर्ती हुए कर्मचारियों का श्रेणीवार प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

| कुल  | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | दिव्यांगजन* |
|------|---------------|-----------------|-------|------------|-------------|
| 2934 | 472           | 194             | 636   | 282        | 87          |

\* यह एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / अनारक्षित श्रेणी से भी संबंधित है।

नोट: डेटा में अनुकंपा नियुक्ति शामिल नहीं है।

## मानव संसाधन पहल:

- स्नातक शिक्षाओं की नियुक्ति - शिक्षता अधिनियम, 1961 के अनुपालन में, हमारा बैंक एक वर्ष की अवधि के लिए स्नातक शिक्षा नियुक्त करता रहा है। तदनुसार, हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,500 स्नातक शिक्षा नियुक्त करने हेतु एक विज्ञापन जारी किया है। वर्तमान में, 3,015 शिक्षा पूरे भारत में विभिन्न शाखाओं में एक वर्ष की अवधि के लिए शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- कर्मचारियों के लिए **कार्य-जीवन संतुलन** पर मासिक सत्र।
- **क्रॉस बैंक प्रशिक्षण:**  
क्रॉस बैंक प्रशिक्षण सीआईबीएम की एक पहल है, जिसमें अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एसबीआई की स्केल IV और उससे ऊपर की महिला अधिकारियों के लिए "नारी (NARI) - समावेशी बैंकिंग में आकांक्षी रोल मॉडल तैयार करना" जैसे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यह कार्यक्रम वरिष्ठ महिला अधिकारियों के बीच अंतर-बैंक ज्ञान साझाकरण, नेतृत्व विकास और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। यह बैंकों के बीच तालमेल को भी सुदृढ़ करता है और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में अधिक समावेशी और सशक्त नेतृत्व वातावरण तंत्र में योगदान मिलता है।
- **केनरा रिज्यूमे:**  
केनरा रिज्यूमे एक ऑनलाइन कार्यक्रम है जिसे मातृत्व या विश्राम अवकाश के बाद ड्यूटी पर लौटने वाले कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। कार्य वातावरण में सुचारु परिवर्तन का समर्थन करने के लिए, फिर से जुड़ने के कुछ महीनों बाद मासिक वेबिनार सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लौटने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्रित पुनरुत्मुखीकरण, कौशल उन्नयन और निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने के लिए दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम दो बार आयोजित किया गया है।

## RECRUITMENT:

During the FY 2025-26, Bank recruited 2934 persons in various cadres. Out of which, 1266 were women employees, consisting of 43.14% of total recruitment. The category wise representation of newly recruited employees is as under:

| Total | SCs | STs | OBCs | EWS | PwBDs* |
|-------|-----|-----|------|-----|--------|
| 2934  | 472 | 194 | 636  | 282 | 87     |

\* Also belongs to SC/ST/OBC/EWS/UR category.

Note: Data Does not include Compassionate Appointment.

## HR INITIATIVES:

- Engagement of graduate apprentices – In compliance with the Apprentices Act, 1961, our Bank has been engaging Graduate Apprentices for a period of one year. Accordingly, our Bank has released an advertisement to engage 3,500 graduate Apprentices for FY 2025-26. At present 3,015 Apprentices are undergoing Apprenticeship Training in various Branches across India for a period of one year.
- Monthly sessions on **Work-Life balance** for employees.
- **Cross Bank Training:**  
Cross Bank Training is an initiative of CIBM wherein specialized training program such as "NARI - Nurturing Aspiring Role Models in Inclusive Banking" was conducted for women executives of Scale IV and above from other PSBs and SBI. The programme facilitates inter-bank knowledge sharing, leadership development and capacity building among senior women executives. It also strengthens collaboration across banks and promotes best practices, thereby contributing to a more inclusive and empowered leadership ecosystem in the banking sector.
- **Canara Resume:**  
Canara Resume is an online program designed for employees returning to duty after Maternity or Sabbatical leave. Monthly webinar sessions are conducted a few months post re-joining, to support smooth transition back into the work environment. In addition, a two-day online training program has been conducted twice, ensuring focused re-orientation, skill upgradation and continued support for returning employees.

- **आरकेवाई (राष्ट्रीय कर्म योगी):** भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी केंद्रों पर राष्ट्रीय कर्म योगी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, कार्यक्रम के तहत 25000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया।
- **अपने सर्कुलर को जाने (केवायसी) क्विज़:** स्केल V तक के सभी कर्मचारियों के लिए केवायसी क्विज़ आयोजित किए गए और इस वर्ष योग्य अधिकारियों के लिए APAS में तीन नंबर लाना अनिवार्य कर दिया गया।
- अधीनस्थ कर्मचारी से लेकर स्केल IV तक के पात्र कर्मचारियों को **प्री-प्रमोशन** प्रशिक्षण दी गई।
- **परिफा सारांश:** एक दिन में जारी किए गए परिफा का विवरण अगले दिन कर्मचारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजा जा रहा है।
- **सहयोग:** सीआईबीएम मणिपाल ने इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की सदस्यता भी ली है। पीडब्ल्यूडी (दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित) कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एसबीआई फाउंडेशन के साथ भी साझेदारी की गई है।
- **एआर / वीआर (ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी) प्रशिक्षण:** बैंक ने नए स्टाफ के लिए ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) और वर्चुअल रियलिटी (वीआर) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक नई ट्रेनिंग का तरीका बनाया है, जिससे उन्हें पहले दिन से ही ज़रूरी स्किल्स और आत्मविश्वास मिलेगा।
- **WITI (व्हाट्स एप इंटरैक्टिव ट्रेनिंग इनिशिएटिव):** बैंक की नए ज़माने की तकनीकी पहल, जिसमें बॉट, ज़ेन-एआई तकनीकी का इस्तेमाल करके व्हाट्स एप के ज़रिए 24x7 कर्मचारियों के सवालों/शंकाओं के जवाब देता है।
- **रेडियो सीआईबीएम:** यह बैंक की एक नई पहल है, जहाँ समय-समय पर पॉडकास्ट के रूप में एपिसोड जारी किए जाते हैं, जिनके माध्यम से बैंक के कर्मचारियों को बैंकिंग समाचार, नीतियाँ और नियामक दिशानिर्देश, परिपत्र और कार्यस्थल पर विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आदि के बारे में शिक्षित किया जाता है।
- **टी-एसएटी (टेक्निकल स्किल असेसमेंट टेस्ट):** ईज़ 7.0 सुधारों के तहत, बैंक ने इस वर्ष एपीएएस में दो अंक प्राप्त करने हेतु सीएसए से लेकर स्केल-V तक के सभी कर्मचारियों के लिए उनकी कार्य-भूमिकाओं के आधार पर टी-एसएटी अनिवार्य रूप से आयोजित किया है।
- **वेलनेस विदिन - योग श्रृंखला:** वेलनेस विदिन एक स्वास्थ्य-केंद्रित डिजिटल पहल है जिसमें प्रमाणित प्रशिक्षकों द्वारा
- **RKY (Rashtriya Karma Yogi):** Rashtriya Karma Yogi training programmes were conducted across all centres as per the directions of GOI, successfully achieved the target of training 25000 staff under the programme.
- **Know Your Circular (KYC) Quiz:** KYC Quizzes were conducted for all the employees up to Scale V and made mandatory for the eligible officers to get three marks in APAS this year.
- Conducted **Pre-promotion training** to eligible employees from Sub-staff to Scale IV.
- **Circular Synopsis:** The details of circulars issued in a day are being shared with the employees through e-mail on the subsequent day.
- **Collaborations:** CIBM Manipal has also taken the Membership of Indian Society for Training & Development. Collaboration with SBI Foundation for the training of PwD (Visually Impaired and Speech and Hearing Impaired) employees has also been entered into.
- **AR/VR (Augmented Reality & Virtual Reality) Training:** Bank developed an innovative training methodology using Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies to enhance the on boarding experience for new staff, equipping them with necessary skills and confidence from day one.
- **WITI (WhatsApp Interactive Training Initiative):** A new-age technology initiative by the Bank, wherein the Bot generates responses for the queries / doubts of the employees using Gen-AI technology through WhatsApp 24x7.
- **Radio CIBM:** This is a new initiative by the Bank, where episodes in the form of podcasts are being released periodically through which the employees of the Bank are educated on Banking news, policies & regulatory guidelines, circulars and Do's & Don'ts on various procedures at workplace, etc.,
- **T-SAT (Technical Skill Assessment Test):** As per the EASE 7.0 reforms, Bank has conducted T-SAT to all the employees mandatorily from CSA to Scale-V based on their job-roles to get two marks in APAS this year.
- **Wellness Within - Yoga Series:** Wellness Within is a health-focused digital initiative wherein guided

संचालित निर्देशित योग सत्र रिकॉर्ड किए जाते हैं और कर्मचारियों की पहुंच के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। यह कर्मचारियों को अपनी सुविधानुसार स्वास्थ्य दिनचर्या का अभ्यास करने में सक्षम बनाता है, शारीरिक फिटनेस, तनाव प्रबंधन और समग्र कल्याण का समर्थन करता है। यह पहल एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देती है और सरल, सुलभ और स्व-गति से सीखने के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य सेवा की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है।

## ➤ सीआईबीएम वी-लर्न:

यह एक संरचित डिजिटल शिक्षण पहल है जिसका उद्देश्य सीएलडीसी / सीसीओई संकायों द्वारा विकसित विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले वीडियो मॉड्यूल के माध्यम से कर्मचारियों की कार्य क्षमता को मजबूत करना है। यह संगठन भर में मानकीकृत ज्ञान के प्रसार को सुगम बनाता है, जिससे समझ और सीखने में एकरूपता सुनिश्चित होती है। यह मंच स्व-गति से, कभी भी, कहीं भी उपयोग की सुविधा देता है, जिससे प्रशिक्षण ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, कार्यक्षमता बढ़ती है और रोज़मर्रा के काम में कम रुकावट के साथ निरंतर व्यावसायिक विकास में सहायता मिलती है।

## ➤ स्थानीय भाषा सीखें:

स्थानीय भाषा सीखें केंद्रित डिजिटल शिक्षण पहल है जिसमें एल एंड डी कर्मचारी छोटे वीडियो मॉड्यूल बनाते हैं ताकि कर्मचारियों को क्षेत्रीय भाषाओं में बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सके। यह उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें अपने गृह राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में तैनात किया गया है, जिससे वे ग्राहकों और स्थानीय हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं। यह पहल समावेशिता को बढ़ावा देती है, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाती है, और आसान, स्व-गति से सीखने के माध्यम से कर्मचारियों को विविध भाषाई वातावरण में सुचारू रूप से एकीकृत करने में सहायता करती है।

## ➤ ऑडियो बुक:

ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी सीआईबीएम की एक पहल है जहाँ दैनिक परिपत्रों के मुख्य बिंदुओं को छोटी ऑडियो क्लिप में बदलकर कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। यह कर्मचारियों को महत्वपूर्ण अपडेट्स को आसानी से सुनने में सक्षम बनाता है, जिससे बेहतर पहुंच, त्वरित समझ और पूरे संगठन में जानकारी का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित होता है।

## ➤ प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अवधारणा:

मौजूदा प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम को डिजिटल कर दिया गया है और बैंक के एचआरएमएस पोर्टल में एकीकृत कर दिया गया है ताकि डिजिटल प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम के विकास और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण को एक

Yoga sessions conducted by certified trainers are recorded and made available for staff access. It enables employees to practice wellness routines at their convenience, supporting physical fitness, stress management and overall well-being. The initiative promotes a healthy work-life balance and encourages a culture of preventive healthcare through simple, accessible and self-paced learning.

## ➤ CIBM V-Learn:

It is a structured digital learning initiative aimed at strengthening staff capability through expert-led video modules developed by CLDC / CCoE faculties. It facilitates standardized knowledge dissemination across the organization, ensuring uniform understanding and consistency in learning. The platform promotes self-paced, anytime-anywhere access, thereby enhancing training reach, improving efficiency and supporting continuous professional development with minimal disruption to day-to-day operations.

## ➤ Learn Local Language:

Learn Local Language is a focused digital learning initiative wherein L&D staff develop short video modules to help employees acquire basic proficiency in regional languages. It is particularly beneficial for staff posted in non-home states, enabling them to communicate effectively with customers and local stakeholders. The initiative promotes inclusivity, enhances customer service quality, and supports smoother integration of staff into diverse linguistic environments through easy, self-paced learning.

## ➤ Audio Books:

Audio Books Library is an initiative of CIBM wherein key highlights of daily circulars are converted into short audio clips and made available for staff. It enables employees to conveniently listen to important updates, ensuring better accessibility, quick understanding, and effective dissemination of information across the organization.

## ➤ Mentor - Mentee Concept:

The existing mentorship programme has been digitized and integrated into the HRMS Portal of the Bank to facilitate the development and implementation of the digital Mentorship Programme. Further, to institutionalize mentoring



मुख्य विकासात्मक हस्तक्षेप के रूप में संस्थागत बनाने और सभी अधिकारी संवर्गों तक इसके लाभों का विस्तार करने के लिए, स्केल I से IV के उन सभी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कॉन्सेप्ट-इंटरैक्टिव सत्र शुरू किए गए हैं, जो मौजूदा पीओ या महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस पहल के अंतर्गत, प्रशिक्षक हर छमाही में कम से कम एक संरचित संवादात्मक सत्र का आयोजन करेंगे, चाहे वह भौतिक रूप से हो या अनुमोदित वर्चुअल माध्यम से।

## ➤ इमोशनल चैंपियंस:

कर्मचारियों के भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने के लिए, स्केल V और VI में 307 कार्यपालकों की पहचान की गई है और उन्हें आंतरिक इमोशनल चैंपियंस के रूप में नामित किया गया है। ये 'इमोशनल चैंपियंस' कर्मचारियों के लिए आंतरिक पीयर सपोर्ट और परामर्श की सुविधा प्रदान करेंगे। मनोनीत 'इमोशनल चैंपियंस' का विवरण CANNET में HRD > CAN-EASE के अंतर्गत उपलब्ध है, जहाँ कर्मचारी भावनात्मक सहयोग या मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर उनसे संपर्क कर सकते हैं।

- उच्च प्रबंधन के निर्देशानुसार, क्रेडिट अधिकारियों का एक समूह बनाने के लिए, इच्छुक शाखा प्रमुखों (स्केल II / III / IV) हेतु वित्त वर्ष 2025-26 से 'कोर क्रेडिट' पर एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम एक-एक सप्ताह के चार चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इन चरणों में एसबीआई गुडगांव / हैदराबाद में कक्षा कार्यक्रम के उपरांत एलसीबी / एमसीबी, एचओ-एलसीसी वर्टिकल और मणिपाल में एचओ-जीपीटीसी वर्टिकल में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) शामिल है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 261 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, नए हॉलिडे होम खोलने के लिए सात सैद्धांतिक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।
- वित्त वर्ष 2025-26 से कर्मचारियों के परिलब्धियों पर कर के अवशोषण की योजना शुरू की गई।
- दिल्ली, वेल्लोर और मुंबई के अतिरिक्त चेन्नई में केनरा केयर होम का उद्घाटन किया गया।
- स्केल I तक कुछ स्टाफ लाभों जैसे - वाहन और मोबाइल प्रभार खर्चों के लिए (बिना प्राधिकरण के) स्वतः मंजूरी सक्षम की गई।
- स्केल III तक के कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएलआई का भुगतान।
- कर्मचारी कल्याण उपायों के तहत नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे फिटनेस और वेलनेस खर्चों का भुगतान।

as a core developmental intervention and extend its benefits across all officer cadre, the Mentoring Concept-Interactive Sessions has been introduced for all officers in Scale I to IV who are not covered under existing PO or Women Mentoring programme. Under this initiative, Mentors shall be conducting at least one structured interactive session on a half-yearly basis either in physical mode / through approved virtual platforms.

## ➤ Emotional Champions:

In order to enhance the emotional well-being of employees, 307 executives in Scale V and VI have been identified and nominated as Internal Emotional Champions. These Emotional Champions will facilitate internal peer support and counselling for employees. The details of the nominated Emotional Champions are available in CANNET under HRD > CAN-EASE, where employees may reach out to them whenever emotional support or guidance is required.

- As instructed by Top Management, to create a pool of credit officers, a special program on Core Credit has been initiated from FY 2025-26 for willing Branch Heads in Scale II / III / IV. The program is being conducted in four phases of one week each. The phases are classroom program at SBI Gurgaon / Hyderabad followed by On-the-Job Training (OJT) at LCB / MCB, HO-LCC vertical and HO-GTPC vertical at Manipal. So far, 261 employees have been trained under this program.
- During FY 2025-26, seven in-principle sanctions have been accorded for the opening of new Holiday Homes.
- Introduced scheme of Absorption of Tax on Perquisites of employees from FY 2025-26.
- Opened Canara Care Home at Chennai in addition to Delhi, Vellore and Mumbai.
- Enabled Auto approval (without authorization) of certain staff benefits such as – conveyance and Mobile charges expenses up to Scale I.
- Payment of PLI for the FY 2024-25 to Employees up to Scale III.
- Introduction of New Schemes, viz, Reimbursement of Fitness Expenses and Wellness expenses under Staff Welfare measures.

- हमारे बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'केनरा ज्योति' और द्विभाषी गृह पत्रिका 'श्रेयस' को 29 सितंबर, 2025 को गोवा में आयोजित कॉर्पोरेट कोलैटरल के लिए पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए "सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- केनरा बैंक की गृह पत्रिका 'श्रेयस' को 13 फरवरी 2026 को देहरादून में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका-कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस' से सम्मानित किया गया है।
- 14-15 सितंबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस और 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान हमारे बैंक द्वारा आयोजित नरकास संयोजकों (हमारे बैंक के संयोजकत्व में पूरे भारत में गठित राजभाषा समितियां) ने विभिन्न श्रेणियों में भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग से "नरकास सम्मान 2024-25" जीता है।
- 20 जनवरी 2026 को इंदौर में आयोजित मध्य, पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक और बीमा), बेंगलूरु को क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार के "प्रथम" पुरस्कार (लगातार तीसरी बार) से सम्मानित किया।
- भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के तत्वावधान में, सभी बैंकों / बीमा कंपनियों / वित्तीय संस्थानों के लिए 12-13 जून 2025 को मसूरी में दो दिवसीय संगोष्ठी / समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा केनरा बैंक को 'ग' क्षेत्र में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- केनरा बैंक की गृह पत्रिका "केनरा ज्योति" को पीआरसीआई द्वारा 15वें एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में "सर्वश्रेष्ठ पत्रिका" का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- खेल गतिविधियों खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन: खिलाड़ियों को जिला / राज्य / ज़ोन / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
- जो कर्मचारी खेल गतिविधियों में भाग लेते हैं, उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में 75 दिन का विशेष अवकाश प्रदान किया जाता है। खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं की तैयारी / भाग लेने के लिए बिना किसी प्रतिबंध के आवश्यक अवकाश प्रदान किया जाता है।
- Our Bank's Hindi in-house magazine 'Canara Jyoti' and bilingual in-house magazine 'Shreyas' were awarded with the Best In house Magazine Award for the year 2025-26 on 29<sup>th</sup> September, 2025 by Public Relation Council of India for Corporate Collaterals held at Goa.
- Canara Bank's In-house magazine 'Shreyas' has been awarded the Best In house Magazine-Corporate Communications by the Public Relation Society of India on 13<sup>th</sup> February 2026 held at Dehradun.
- During Hindi Day and 5<sup>th</sup> All India OL Conference held at Gandhinagar, Gujarat on 14-15 September 2025 TOLICs Convened (TOLICs constituted under the Convenorship our Bank pan India) by our Bank have won "NARAKAS Samman 2024-25" from Dept. of Official Language, Ministry of Home Affairs, GOI in various categories.
- During the Joint Regional Official Language conference of Central, West, South and South-West regions held at Indore on 20 January 2026, the Honourable Union Minister of State for Home Affairs Shri Bandi Sanjay Kumar honoured the Town Official Language Implementation Committee (Bank & Insurance), Bengaluru with the "First" prize (Consecutively for the Third Time) of the Regional Official Language Award for excellent implementation.
- Under the aegis of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, a two-day seminar / review meeting was organized at Mussoorie on 12-13 June 2025 for all Banks / Insurance companies / financial institutions. Canara Bank received the Third prize in 'C' Region for excellent official language implementation by the Department of Financial Services.
- Canara Bank's in-house magazine "Canara Jyoti" was awarded the Best Magazine Award by PRCI in 15<sup>th</sup> Excellence Awards 2025.
- Encouraging Sporting Activities: Facilities are provided to Sportspersons to participate in competitions at District / State / Zone / National / International level competitions.
- Employees who are taking up sports activities are provided with 75 Days of Special Leave in a calendar year. Sportspersons are provided necessary leave without any restrictions towards preparations/ participation in competitions.

- खेल श्रेणी के तहत भर्ती किए गए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करने के लिए पांच विशेष वेतन वृद्धि और तीन असाधारण पदोन्नति से पुरस्कृत किया जाता है।
- खिलाड़ियों को खेल की चोट और पुनर्वास के लिए 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है, जिसमें तेजी से ठीक होने के लिए फिजियोथेरेपी शामिल है।
- खिलाड़ियों को प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं के दौरान जेब खर्च (ओपीई) और आहार भत्ता प्रदान किया जाता है।
- एमडी और सीईओ की मौजूदगी में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक संग्रह जारी किया गया, जिसमें कल्याणकारी उपायों सहित सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों पर विस्तृत जानकारी और दिशानिर्देश हैं।
- केनरा बैंक के उन कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को पात्र टर्मिनल और अन्य लाभों का दावा करने के लिए मार्गदर्शन/ सहायता प्राप्त करने हेतु प्रधान कार्यालय में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है।
- पेंशनर की प्रोफाइल जानकारी जैसे पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार और पैन अपडेट, पेंशन खाता संख्या और पेंशन आहरण शाखा में बदलाव करने पर ऑटो ईमेल ट्रिगर सक्रिय हो जाता है।
- पेंशन फंड के लिए एचआरएमएस पैकेज में पेंशनर की तस्वीर अपलोड करने और उसे डिजिटल पीपीओ में लेने का प्रावधान है।
- एचआरएमएस पैकेज में, सब्सक्राइबर द्वारा आवेदन जमा करने के बाद स्वैच्छिक भविष्य निधि (VPF) अपडेट स्वतः स्वीकृत हो जाते हैं।
- एचआरएमएस पैकेज में हमने चुकाने योग्य निकासी ऋणों के आंशिक भुगतान या पूर्ण बंद करने की सुविधा सक्षम की है।
- एसपीएफ और ग्रेजुटी राशि के भुगतान होने पर, एचआरएमएस पैकेज कर्मचारी, संबंधित शाखा, अंचल कार्यालय, और मानव संसाधन अनुभाग को स्वचालित रूप से ईमेल सूचनाएं भेजता है।
- एचआरएमएस पैकेज के माध्यम से चुकाए जाने योग्य और न चुकाए जाने योग्य निकासी की स्वीकृति मिलते ही, संबंधित शाखा और कर्मचारी को तुरंत स्वचालित ईमेल सूचनाएं भेजी जाती हैं।
- Sportspersons recruited under sports category are rewarded with Five Special Increments & Three Out of Turn Promotions for having secured Medals in National / International level competitions.
- Sportspersons are provided with 100% medical reimbursement for sports injury & rehabilitation including physiotherapy for faster recovery.
- Sportspersons are provided with Out-of-Pocket Expenses (OPE) & Diet Allowance during their training camps & competitions.
- Compendium for Retirees released in the presence of MD & CEO with comprehensive guidelines and details on eligible post-retirement benefits including welfare measures.
- Appointed Nodal Officer at Head Office to get guidance / assistance to claim eligible Terminal and other benefits for family members of Canara Bank employees who die in harness.
- Auto e-mail trigger enabled to Pensioner's e-mail upon modification of profile details such as Address, Mobile No., e-mail ID, Aadhaar and PAN updation, change in Pension A/c No. & Pension drawing branch.
- Provision is given in HRMS package for Pension Fund to upload the Pensioner's photograph and capture the same in Digital PPO.
- In HRMS package we have enabled auto approval of Voluntary Provident Fund (VPF) updates once the subscriber submits the application.
- In HRMS package we have enabled the facility of Partial payments or full closures of Repayable Withdrawal Loans.
- The HRMS package automatically triggers e-mail notifications to the employee, respective branch, Circle office (CO), and HRM Section upon the settlement of SPF and Gratuity amounts.
- Automated e-mail notifications are sent to the respective branch and employee immediately upon the sanction of repayable withdrawal and non-repayable withdrawal via the HRMS package.

➤ निम्नलिखित मॉड्यूल नए विकसित किए गए हैं / भौतिक रूप से संरक्षित किए गए हैं और वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए एचआरएमएस (स्वचालित) में शामिल किए गए हैं।

- 1 स्थानांतरण अपील मॉड्यूल
- 2 स्थानांतरण शिकायत मॉड्यूल
- 3 महिलाओं और परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षक मॉड्यूल
- 4 काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने हेतु मॉड्यूल
- 5 सेवा कार्ड अद्यतन मॉड्यूल
- 6 एचआरएमएस एसईपी एक्सेस मॉड्यूल
- 7 एचआरएमएस फीडबैक मॉड्यूल
- 8 शिक्षु निकास मॉड्यूल
- 9 शिक्षु उपस्थिति अंकन
- 10 शिक्षु फोटो अपलोड
- 11 शिक्षु समाप्ति
- 12 शिक्षु छात्रवृत्ति भुगतान मॉड्यूल
- 13 आवास / निजी अवकाश सूचना मॉड्यूल
- 14 सभी अधिकारियों की वरीयता सूची
- 15 अवकाश लेने की पुष्टि का मॉड्यूल
- 16 डीए ट्रैकर मॉड्यूल
- 17 हड़ताल डेटा अद्यतन मॉड्यूल
- 18 एचआरएमएस टिकटिंग टूल मॉड्यूल
- 19 डिजिटल उपस्थिति रजिस्टर
- 20 टीपीओ समीक्षा मॉड्यूल
- 21 एचओटीओ मॉड्यूल
- 22 प्रोत्साहन लघु अतिरिक्त वेतन मॉड्यूल
- 23 प्रोत्साहन वार्षिक शुल्क प्रतिपूर्ति मॉड्यूल
- 24 मुकदमेबाजी पेज
- 25 शिक्षु प्रोफाइल पेज
- 26 क्षेत्र वर्गीकरण मॉड्यूल
- 27 ओडीआई सहमत मॉड्यूल
- 28 टीपीओ और एचआरए एकीकरण पेज
- 29 पीडब्ल्यूडी डेटा पुष्टिकरण पेज
- 30 विभिन्न सहमति पेज
- 31 सीजीएम / जीएम को लैपटॉप / आई पैड की सुविधा
- 32 एसडब्ल्यूएम - वेलनेस / फिटनेस भत्ता पेज
- 33 नया फोटो अपलोड मॉड्यूल
- 34 अनधिकृत अनुपस्थिति मॉड्यूल
- 35 प्रोत्साहन गैर सूचना मॉड्यूल
- 36 डीए अपील और समीक्षा मॉड्यूल

➤ The following modules developed newly / handled manually and brought up in HRMS (Automated) for FY 2025-2026.

- 1 Transfer Appeal module
- 2 Transfer grievances module
- 3 Mentoring module for women & prob., officers
- 4 Module for booking appointment for counselling
- 5 Service card updation module
- 6 HRMS SEP access module
- 7 HRMS feedback module
- 8 Apprentice Exit Module
- 9 Apprentice Attendance Marking
- 10 Apprentice Photo upload
- 11 Apprentice Termination
- 12 Apprentice Stipend payment module
- 13 Quarters / Personal leave conveying module
- 14 Seniority list of all officials
- 15 Availment of leave confirmation module
- 16 DA tracker module
- 17 Strike data updation module
- 18 HRMS ticketing tool module
- 19 Digital attendance register
- 20 TPO review module
- 21 HOTO module
- 22 Incentive Short excess pay module
- 23 Incentive Annual fee reimbursement module
- 24 Litigation page
- 25 Apprentice profile page
- 26 Area classification module
- 27 ODI agreed module
- 28 TPO & HRA integration page
- 29 PWD data confirmation page
- 30 Various willingness pages
- 31 Laptop / I pad facility to CGM / GM
- 32 SWM - Wellness / fitness allowance pages
- 33 Revamped photo upload module
- 34 Un-authorized absence module
- 35 Incentive Non-intimation module
- 36 DA appeal & Review module



- 37 केनरा प्रशिक्षण - आंतरिक प्रशिक्षण मॉड्यूल
- 38 केनरा प्रशिक्षण - बाहरी प्रशिक्षण मॉड्यूल
- 39 यूनियन / कल्याण संघ - सदस्यता शुल्क बढ़ाने की इच्छा पेज
- 40 ओडीआई द्वारा स्वीकृत मॉड्यूल
- 41 परिवहन व्यय का स्वचालन
- 42 एसटीपी के माध्यम से प्रोत्साहन भुगतान
- 43 एसपीएफ एनआरडब्ल्यू स्वचालन
- 44 मोबाइल कॉल प्रभार का स्वचालन
- 45 ग्रेच्युटी निपटान - ऑटो जीएल प्रक्रिया
- 46 बायो-डेटा अभिस्वीकृति - ऑटोमेशन

- 37 Canara Prashikshan - Internal training module
- 38 Canara Prashikshan - External training module
- 39 Union / Welfare Association - willingness to increased subscription page
- 40 ODI agreed module
- 41 Automation of conveyance expenses
- 42 Incentive payment through STP
- 43 SPF NRW automation
- 44 Automation of mobile call charges
- 45 Gratuity settlement - Auto GL process
- 46 Bio-data Clearance - automation

## कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन

- मानव संसाधन सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति हैं और सफलता उन्हें रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारों के रूप में कार्य करने के लिए विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में निहित है। लोगों को संसाधन के रूप में मानना, उन्हें समान रूप से पुरस्कृत करना और उपयुक्त मानव संसाधन नीतियों के माध्यम से उनके लक्ष्यों को संगठन के साथ एकीकृत करना “संगठनात्मक उत्कृष्टता” के वर्तमान मंत्र हैं। साथ ही, तेजी से बदलते बैंकिंग परिदृश्य के साथ, अर्जित कौशल और योग्यताओं को निरंतर उन्नयन की आवश्यकता होती है और उन्हें नवीनतम विकास से अवगत रखने के लिए समय-समय पर कर्मचारी प्रशिक्षण सहायता की आवश्यकता होती है। तदनुसार, बैंक के मानव संसाधन कार्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस नई परिवर्तनकारी भूमिका को निभाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
- बैंक ने नए भर्ती किए गए पीओ और एसडब्ल्यूओ के लिए सीवीसी द्वारा अनुशंसित नए 52 / 26-सप्ताह के इंडक्शन प्रशिक्षण मॉड्यूल को अपनाया है। इसके अलावा, नए भर्ती किए गए पीओ के लाभ के लिए मार्गदर्शन अवधारणा लागू की गई है ताकि उन्हें बैंक की संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिल सके।
- सीआईबीएम मणिपाल में एक शीर्ष उत्कृष्टता केंद्र और बेंगलूरु और गुरुग्राम में दो उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से, देश भर में स्थापित 25 केनरा अध्ययन व विकास केंद्रों के सहयोग से बैंक विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ताकि दक्षताओं का निर्माण और उन्नयन किया जा सके।
- अंचल कार्यालयों के परामर्श से प्रशिक्षण कैलेंडर बनाकर विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को कार्यात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, 1395 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 146953 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया, कुल 80091 कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक प्रशिक्षण मिला, जो बैंक की कुल कर्मचारी संख्या का लगभग 97.87 प्रतिशत है।

## SKILL DEVELOPMENT & TALENT MANAGEMENT

- Human Resources are the most valued assets and success lies in developing, retaining and transforming them to act as strategic business partners. Treating people as resources, rewarding them equitably and integrating their goals with that of the organization through suitable HR policies are the present mantras to “Organizational Excellence”. Also, with a fast-changing banking landscape, skills and qualifications acquired need continued upgradation and there is need for employee training support at periodical intervals to keep them abreast of the latest developments. Accordingly, the HR functions of the Bank are getting tuned in this direction and are moving ahead to do this new transformational role.
- Bank has adopted the new 52 / 26-week induction training module as recommended by the CVC for the newly recruited POs & SWOs respectively. In addition to this, mentoring concept is in place for the benefit of the newly recruited POs to help them to get acclimatized with Bank’s culture, tradition and ethos.
- Bank is imparting training in various functional areas to build and upgrade competencies through the one Apex Centre of Excellence at Manipal (CIBM- Canara Institute of Banking & Management) and two Centres of Excellence at Bagaluru and Gurugram, supported by 26 Canara Learning & Development Centres established across the country.
- Functional trainings are imparted to staff members in various cadres by drawing training calendars in consultation with Circle offices. In the Financial Year 2025-26, 1395 programmes were conducted in which 146953 employees were trained, a total of 80091 employees got at least one training in the Financial year which is almost 97.87 per cent of the total employee strength of the Bank.

- कार्यपालकों को उनकी नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ अभ्यस्त करने के लिए, एएससीआई हैदराबाद, एमडीआई गुरुग्राम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पदोन्नति के बाद कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रदान किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 475 अधिकारियों ने ईडीपी में भाग लिया है और 871 कार्यपालकों (मुमप्र, मप्र, उमप्र और क्षेत्र प्रमुख) के लिए अनुकूलित नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 32 कार्यपालकों ने आईडीआरबीटी में आरबीआई द्वारा अनिवार्य आईटी और साइबर सुरक्षा में सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भाग लिया है।
- बैंक वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) फ्लैगशिप लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को तैयार कर रहा है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 92 अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम / कार्यशाला दी गई।
- बैंक कारोबार आउटलेट प्रमुखों के लिए केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है ताकि उन्हें भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया जा सके। (पहली बार अंका / क्षेत्र / एमसीबी / एलसीबी / आरएच / एसीसी / शाखा प्रमुख)। इसके अलावा, बैंक अपने अधिकारियों के बीच प्रबंधन और नेतृत्व गुणों का निर्माण करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में, बैंक क्रमशः पदोन्नत अधिकारियों और प्रबंधकों के लिए अधिकारी विकास कार्यक्रम (ओडीपी) और प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित कर रहा है।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रभावी प्रबंधन और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को कवर करते हुए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:
- In order to acclimatize them with their new roles and responsibilities, Executive Development Programs (EDPs) is provided to Executives upon their promotion at institutes of repute like ASCI Hyderabad, MDI Gurugram. During FY 2025-26 around 475 executives have attended EDP & Customised Leadership Development Program was conducted for 871 Executives (CGMs, GMs, DGMs & RO Heads). 32 Executives have undergone the RBI mandated Certificate program in IT & Cyber Security at IDRBT.
- Bank is grooming its top leadership through the Financial Services Institution Bureau (FSIB) Flagship Leadership Development program. In addition to this, around 92 officials were given Foreign Training Programmes / Workshop during FY 2025-26.
- Bank is providing focused training programme for the Business Outlet Heads so as to equip them well to focus on future challenges. (First-time CO / RO / MCB / LCB / RAH / ACC / Branch Head). Further, Bank is constantly striving to build effective Management and Leadership traits among its Officers. In this regard, Bank is conducting Officers' Development Program (ODP) and Managerial Development Program (MDP) for promotee Officers and Managers respectively.
- During the current FY following training programmes were conducted covering effective management and Leadership Development Programmes:

| क्रम सं. | कार्यक्रम का नाम                                                                                                                  | उपस्थित अधिकारियों की संख्या |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम (एमडीपी)                                                                                                | 1439                         |
| 2        | अधिकारी विकास कार्यक्रम (ओडीपी)                                                                                                   | 592                          |
| 3        | भूमिका और जिम्मेदारी - पहली बार शाखा प्रमुख                                                                                       | 519                          |
| 4        | पहली बार क्षेत्रीय / एमसीबी / एलसीबी / एमएसएमई सुलभ / आरएच / एलडीएम / एसीसी और हाई-टेक कृषि वित्त शाखा प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम | 267                          |

| Sl. No | Programme Name                                                                                                                    | No. of Officers attended |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1      | Managerial Development Program (MDP)                                                                                              | 1439                     |
| 2      | Officers' Development Program (ODP)                                                                                               | 592                      |
| 3      | Role And Responsibility - First-time Branch Head                                                                                  | 519                      |
| 4      | 1 <sup>st</sup> Time Regional / MCB / LCB / MSME Sulabh / RAH / LDMs / ACC & Hi-tech Agri Finance Branch Heads Training Programme | 267                      |

बैंक के पास एक ई-लर्निंग पोर्टल है - "कैंडल" (केनरा डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस) जो हमारे कर्मचारियों को उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रभावी और निरंतर ऑनलाइन सीखने की सुविधा प्रदान करता है।

Bank has a e-Learning portal - "CanDLE" (Canara Digital Learning Experience) facilitating effective and continuous online learning for our employees for enhancing their knowledge and skills.

## “अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कल्याण”

### आरक्षण नीति का कार्यान्वयन:

बैंक भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), पूर्व सैनिक (ईएसएम) और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में आरक्षण नीति का पालन कर रहा है।

हमारे बैंक ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग व्यक्तियों / पूर्व सैनिक और अन्य पिछड़ा वर्ग / अंतर्राष्ट्रीय जनहितैषी वर्ग के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक नियुक्त किए हैं, जो बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। हमारे बैंक ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अंतर्राष्ट्रीय जनहितैषी वर्ग / दिव्यांग व्यक्तियों / पूर्व सैनिक कर्मचारियों से संबंधित आरक्षण और अन्य मामलों की निगरानी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में एक आरक्षण अनुभाग भी स्थापित किया है।

### अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति एवं पूर्व सैनिक कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपाय

- अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) / अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ दिव्यांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिक कर्मचारियों के कल्याण की निगरानी के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान कार्यालय में आरक्षण कक्ष की स्थापना की गई है।
- बैंक, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग / बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) और पूर्व सैनिकों के लिए सीधी भर्ती और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारियों की आंतरिक पदोन्नति में आरक्षण संबंधी भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।
- बैंक ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग एवं पूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए एक मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) को मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ) और अन्य पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के लिए एक महाप्रबंधक को मुख्य संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है। बैंक ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / एवं पूर्व सैनिक कर्मचारियों की शिकायतों और कल्याण की देखरेख के लिए अपने सभी अंचल कार्यालयों में संपर्क अधिकारियों को भी मनोनीत किया है।
- बैंक ने प्रधान कार्यालय में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है।

## “Welfare of SC / ST / OBC / EWS”

### IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICY:

The Bank has been adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), Economically Weaker Sections (EWS), Ex-Servicemen (ESM) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), as per the Government of India guidelines.

Our Bank has nominated Executives in the rank of CGM/ GM as Chief Liaison Officers for SCs/STs/PwBDs/Ex-servicemen and for OBCs / EWS respectively who ensure compliance of various Government guidelines pertaining to implementation of Reservation Policy in the Bank. Our Bank has also set up a Reservation Section under the direct control of Chief Liaison Officers for monitoring Reservation and other matters related to SC/ST/OBC/ EWS/PwBDs/Ex-Servicemen employees.

### Measures for the welfare of SC/ST/OBC/EWS/PwBD & Ex-Servicemen Employees

- Reservation Cell has been set up at Head Office in accordance with the Govt. guidelines to monitor the welfare of Scheduled Castes(SCs)/ Scheduled Tribes(STs) / Other Backward Class(OBC)/ Economically Weaker Section(EWS) / Persons with Disabilities and Ex-Servicemen employees.
- Bank is adhering to the Govt. of India guidelines on reservation to SC/ST/OBC/EWS/Persons with Benchmark Disabilities (PwBDs) & Ex-Servicemen in direct recruitment and also in internal promotions to SC/ST and PwBD employees.
- Bank has appointed a Chief General Manager (CGM) as Chief Liaison Officer (CLO) for SC/ST/PwDs & Ex-Servicemen employees and also a General Manager as Chief Liaison Officer for OBC / EWS employees in compliance with the Govt. guidelines. Bank has also nominated Liaison Officers at all its Circle Offices of the Bank to look after the grievances and welfare of SC/ST/PwD/OBC/EWS & Ex-Servicemen employees.
- Bank has appointed Grievance Redressal Officer for PwD employees at Head Office.

- v. प्रधान कार्यालय में आरक्षण कक्ष, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बहुसंख्यक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण संघ और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रतिनिधियों की अनिवार्य त्रैमासिक बैठकें आयोजित कर रहा है। बैंक के अंचल कार्यालयों में भी बहुसंख्यक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संघों की त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं और यदि कोई शिकायत हो तो अंचल के संपर्क अधिकारियों द्वारा उसका निवारण किया जा रहा है।
- vi. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की रोजगार/ सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रधान कार्यालय में सीएलओ सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।
- vii. बैंक सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन कर्मचारियों को पदोन्नति से पहले का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
- viii. बैंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी संघों के प्रतिनिधियों को औद्योगिक संबंध से संबंधित मामलों में प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है।
- ix. बैंक दृष्टिबाधित कर्मचारियों को जॉब एक्सेस विड स्पीच (जेएडब्ल्यूएस) सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा रहा है। साथ ही, बैंक दिव्यांग कर्मचारियों को चश्मा, बैसाखी / व्हीलचेयर / श्रवण यंत्र और बैटरी खरीदने के लिए पात्र सीमा तक प्रतिपूर्ति कर रहा है।

#### संगठन में श्रेणीवार प्रतिनिधित्व:

31 मार्च 2026 तक हमारे बैंक में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

| संवर्ग           | कुल          | जिसमें से    |             |              |            |
|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
|                  |              | एससी         | एसटी        | ओबीसी        | ईडब्ल्यूएस |
| अधिकारी          | 53745        | 9425         | 4149        | 17819        | 709        |
| लिपिक            | 19514        | 3596         | 1286        | 6500         | 273        |
| अधीनस्थ कर्मचारी | 8568         | 3472         | 631         | 2498         | 0          |
| <b>कुल</b>       | <b>81827</b> | <b>16493</b> | <b>6066</b> | <b>26817</b> | <b>982</b> |

- v. Reservation Cell at Head Office is conducting the mandatory quarterly meetings with the representatives of the majority SC / ST welfare association and OBC welfare association with the MD & CEO of the Bank. Quarterly meetings with the majority SC / ST and OBC welfare associations are also being conducted at Circle Offices of the Bank and grievances, if any, are redressed by the Liaison Officers at Circles.
- vi. An Internal Grievance Redressal Committee for SC / STs consisting of Senior Officials of the Bank including CLO has been formed at Head Office for redressal of employment / service grievances of SC / ST employees based on the recommendations of National Commission for Scheduled Castes and National Commission for Scheduled Tribes.
- vii. Bank is providing pre-promotion training to SC / ST / OBC and PwBD employees in tune with the Govt. guidelines.
- viii. Bank is also providing training in IR matters to the representatives of welfare associations for the benefit of SC / ST / OBC employees.
- ix. Bank is providing Job Access With Speech (JAWS) software to visually impaired / blind employees. Also, Bank is reimbursing up to eligible ceiling to PwD employees for purchase of spectacles, crutches/ wheel chairs / hearing aid along with batteries.

#### Category-wise representation in the organization:

The representation of SCs / STs / OBC / EWS employees in our Bank as on 31<sup>st</sup> March 2026 is as under:

| Cadre        | Total        | Out of which |             |              |            |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
|              |              | SCs          | STs         | OBCs         | EWS        |
| Officer      | 53745        | 9425         | 4149        | 17819        | 709        |
| Clerical     | 19514        | 3596         | 1286        | 6500         | 273        |
| Sub-Staff    | 8568         | 3472         | 631         | 2498         | 0          |
| <b>Total</b> | <b>81827</b> | <b>16493</b> | <b>6066</b> | <b>26817</b> | <b>982</b> |



## वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए पदों का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, हमारे बैंक ने विभिन्न पदों पर 2976 कर्मचारियों की भर्ती की। श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:

| संवर्ग           | कुल         | जिसमें से  |            |            |            |                |            |
|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                  |             | एससी       | एसटी       | ओबीसी      | ईडब्ल्यूएस | पीडब्ल्यूबीडी* | ईएसएम*     |
| अधिकारी          | 1667        | 221        | 96         | 383        | 159        | 52             | लागू नहीं  |
| लिपिक            | 1272        | 252        | 98         | 255        | 123        | 35             | 187        |
| अधीनस्थ कर्मचारी | 37          | 24         | 2          | 4          | 0          | 0              | लागू नहीं  |
| <b>कुल</b>       | <b>2976</b> | <b>497</b> | <b>196</b> | <b>642</b> | <b>282</b> | <b>87</b>      | <b>187</b> |

\* यह एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/यूआर वर्ग के अंतर्गत भी आते हैं।

## स्नातक प्रशिक्षुओं की नियुक्ति:

शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुपालन में, हमारा बैंक एक वर्ष की अवधि के लिए स्नातक शिक्षुओं को नियुक्त करता आ रहा है। तदनुसार, हमारे बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,500 स्नातक शिक्षुओं की भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया है। वर्तमान में, भारत भर में विभिन्न शाखाओं में 3,015 शिक्षु एक वर्ष की अवधि के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:

| कुल          | जिसमें से  |            |            |            |                |
|--------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
|              | एससी       | एसटी       | ओबीसी      | ईडब्ल्यूएस | पीडब्ल्यूबीडी* |
| <b>3,015</b> | <b>469</b> | <b>181</b> | <b>748</b> | <b>222</b> | <b>124</b>     |

\* यह एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/यूआर वर्ग के अंतर्गत भी आते हैं।

## राजभाषा कार्यान्वयन

हमारा बैंक राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा पर संसदीय समिति की सिफारिशों, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन में कर्मचारियों को हिंदी सीखने और समझने और दिन-प्रतिदिन की बैंकिंग गतिविधियों में इसके उपयोग के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण शामिल है। जिन कर्मचारियों को हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण और बैंकिंग प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए नामांकित किया जाता है और उन्हें इसे

## Details of the posts filled up by the candidates of SC / ST / OBC / EWS during the FY 2025-26 at various levels:

During the FY 2025-26, our Bank recruited 2976 employees in various cadres. The category wise details are as under:

| Cadre        | TOTAL       | Out of which |            |            |            |           |            |
|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|              |             | SCs          | STs        | OBCs       | EWS        | PwBD*     | ESM*       |
| Officer      | 1667        | 221          | 96         | 383        | 159        | 52        | NA         |
| Clerical     | 1272        | 252          | 98         | 255        | 123        | 35        | 187        |
| Sub-Staff    | 37          | 24           | 2          | 4          | 0          | 0         | NA         |
| <b>Total</b> | <b>2976</b> | <b>497</b>   | <b>196</b> | <b>642</b> | <b>282</b> | <b>87</b> | <b>187</b> |

\* Also belongs to SC / ST / OBC / EWS / UR category.

## ENGAGEMENT OF GRADUATE APPRENTICES:

In compliance with the Apprentices Act, 1961, our Bank has been engaging Graduate Apprentices for a period of one year. Accordingly, our Bank has released an advertisement to engage 3,500 graduate Apprentices for FY 2025-26. At present 3,015 Apprentices are undergoing Apprenticeship Training in various Branches across India for a period of one year. The category wise details are as under:

| Total        | Out of which |            |            |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|              | SCs          | STs        | OBCs       | EWS        | PwBDs*     |
| <b>3,015</b> | <b>469</b>   | <b>181</b> | <b>748</b> | <b>222</b> | <b>124</b> |

\* Also belongs to SC/ST / OBC / EWS / UR category.

## IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Our Bank is ensuring compliance of Official Language Implementation as per Official Language Act 1963, Official Language Rules 1976, recommendations of Parliamentary Committee on Official Language, Annual programme of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and also as per the guidelines issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. OL Implementation encompasses teaching & training of Employees to learn and understand Hindi and its use in a day-to-day banking activities. Employees who do not possess working knowledge in Hindi are nominated for Prabodh,

पास करने पर प्रोत्साहन भी दिया जाता है। हिंदी में दक्षता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कर्मचारियों को पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। बैंक कर्मचारियों को हिंदी में स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. और पीएचडी जैसी डिग्रियां प्राप्त करने के लिए और साथ ही हिंदी में रचनात्मक लेखन के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिनके साहित्यिक कार्यों को प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

बैंक ने ग्राहकों के उपयोग के लिए क्षेत्र 'क' में द्विभाषी और 'ख' और 'ग' क्षेत्र की शाखा काउंटर्स में त्रिभाषी फॉर्म उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों की सुविधा और सुगमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण ग्राहक संबंधी फॉर्म 13 भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक ने विविध ग्राहक आधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए 9 भाषाओं में व्हाट्सएप बैंकिंग और 13 भाषाओं में मोबाइल बैंकिंग सेवाएं भी शुरू की हैं। राजभाषा अनुभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय में सभी विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंग्रेजी से हिंदी और इसके विपरीत अनुवाद प्रदान करता है। अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित राजभाषा कक्ष भी अपने-अपने क्षेत्रों में राजभाषा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में अपेक्षित अनुवाद प्रदान कर रहे हैं।

सभी स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं, जहां तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं और राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। सीबीएस में हिंदी अंतर-अनुवादक प्रणाली शुरू की गई है, जिसके माध्यम से जमा रसीदें और डीडी बनाने सहित पासबुक/पासशीट हिंदी में तैयार की जा सकती हैं। सीबीएस स्क्रीन (हिंदी में) बनाई गई हैं और अब हिंदी में रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एटीएम स्क्रीन में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में लेनदेन देखने का प्रावधान किया गया है। ग्राहकों को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस के माध्यम से मानक शुभकामनाएं और संदेश भेजे जा रहे हैं। ग्राहक अब अपनी चुनी हुई भाषा में एसएमएस प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा क्यूपीआर अर्थात् एसटीआर 18 जमा करने के लिए एक ऑनलाइन पैकेज लाइव (एसएसएस पोर्टल में) किया गया है। कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशालाएं और यूनिकोड प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। राजभाषा अधिकारियों द्वारा मौजूदा मैनुअल शाखा दौरा रिपोर्ट को डिजिटल कर दिया गया है।

Praveen and Banking Pragya examinations conducted by Hindi Teaching Scheme, New Delhi and they are also incentivized on passing it. Incentives are also provided to employees for passing Parangat examination who aspires to obtain proficiency in Hindi. Bank provides cash incentives to motivate employees for obtaining Hindi Degrees like Graduation, Post-Graduation, M.Phil. and Ph.D. in Hindi and also for creative writing in Hindi whose literary work is recognized by institutes of repute.

Bank has made available forms in bilingual format in Region 'A' and trilingual format in 'B' & 'C' region branch counters for the use of customers. In addition, important customer-related forms are also made available in 13 languages to enhance accessibility and convenience. The Bank has further introduced WhatsApp Banking services in 9 languages and Mobile Banking services in 13 languages to cater to a diverse customer base. The Official Language Section, Human Resources Wing provides translation from English to Hindi and vice versa to meet the requirements of all the Wings in Head Office. Official Language Cells established at Circle Offices and Regional Offices also provide the requisite translations in Hindi and English apart from ensuring implementation of Official Language policy in their respective areas.

Official Language Implementation Committees are constituted at all levels, where quarterly meetings are conducted promptly and review of status of OL implementation is effectuated. A Hindi inter-translator system has been introduced in CBS through which pass book / pass sheets could be generated in Hindi, including generation of Deposit receipts and DDs. CBS Screens (in Hindi) have been created and a facility to generate reports in Hindi are now made available. Provision has been made in ATM Screen to view the transactions in 11 Regional Languages. Standard greetings and messages to customers are being sent through SMS in Hindi & Regional Languages also. Customers can now opt to receive SMS in their opted language.

An online package has been made live (in SAS portal) for submission of QPR i.e., STR 18 by all branches and administrative offices. Hindi Workshops and Unicode trainings are being organized for staff. Existing manual branch visit report by OL Officers has been digitalised. Branch visits by OL Officers is helpful for branches to

राजभाषा अधिकारियों द्वारा शाखा दौरा सरकारी विभागों और संसदीय समितियों आदि के दौरे / निरीक्षण का सामना करने में शाखाओं के लिए सहायक है। हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला और सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं।

हमारे बैंक का प्रधान कार्यालय बेंगलूरु में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक व बीमा) का संयोजक है। हमारा बैंक देश भर के विभिन्न शहरों / नगरों में 20 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजक भी है। हमारे बैंक द्वारा गठित नराकास ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में “नराकास सम्मान 2024-25” पुरस्कार प्राप्त किया है। नराकास (बैंक और बीमा) बेंगलूरु ने क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों में वर्ष 2024-25 के लिए सराहनीय प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार (लगातार तीसरी बार) भी प्राप्त किया है।

हमारे बैंक की विभिन्न इकाइयों (अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं) ने अखिल भारतीय स्तर पर राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए नराकास द्वारा प्रदान किए गए शील्ड और प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कार्यालयों और शाखाओं को ‘राजभाषा अक्षय योजना’ के तहत शील्ड प्रदान की जा रही है। राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए ‘राजभाषा पुरस्कार योजना’ की भी संकल्पना की गई है।

“आज के समाचार” शीर्षक के अंतर्गत हिंदी में बैंकिंग से संबंधित समाचार संक्षिप्त दैनिक समाचार टुडेज टाइडिंग्स में शामिल है। ‘एचआरडी (ई) लाइट’, ‘एनआरआई बुलेटिन’ और ‘कर्मचारी बैठक साहित्य’ मासिक आधार पर हिंदी में भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। हमारे कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को हिंदी में प्रदर्शित करने वाली त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका “केनरा ज्योति” को कई पुरस्कार मिले हैं। इस पत्रिका को पीआरसीआई द्वारा 15वें एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ पत्रिका का पुरस्कार (रजत) मिला है और साथ ही वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए “ग” क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार भी जीता है।

क्षेत्रीय भाषा कक्ष अर्थात् कन्नड़ कक्ष, तमिल कक्ष, तेलुगु कक्ष, मराठी कक्ष आदि क्षेत्र ‘ख’ और ‘ग’ में स्थित अंचल कार्यालयों में गठित किए गए हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के समन्वय के लिए मानव संसाधन विभाग के राजभाषा अनुभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा कक्ष को नोडल कक्ष के रूप में गठित किया गया है। कर्मचारियों को क्षेत्रीय भाषाओं को

face visit / inspection by Govt. Depts. and Parliamentary Committees, etc. Hindi workshop and conference for Official Language Officers are conducted annually to ensure effective implementation of Hindi.

Our Bank’s Head Office is the Convenor of Town Official Language Implementation Committee (Banks & Insurance), Bengaluru. Our Bank is also the Convener of 20 other TOLICs constituted at various Cities / Towns across the Country. TOLICs Convened by our Bank has won “NARAKAS Samman 2024-25” from Dept. of Official Language, Ministry of Home Affairs, GOI in various categories. TOLIC (Bank & Insurance) Bengaluru has also won the 1<sup>st</sup> prize (consecutively for the third time) for commendable performance for the year 2024-25 in Regional Official Language Awards.

Various Units (COs, ROs and Branches) of our Bank have secured Shields and Certificates pan-India, awarded by TOLICs for the best implementation of Official Language.

In order to accelerate OL implementation, Shields are being awarded to Offices and Branches under ‘Rajbhasha Akshay Yojana’. ‘Rajbhasha Puraskar Yojana’ has also been conceptualized and put in place to motivate the employees towards effective OL implementation.

Banking related news in Hindi under the title “Aaj Ke Samachar” is included in Today’s Tidings, a daily news brief. ‘HRD (e)light’s, ‘NRI Bulletin’ & ‘Staff Meeting Literature’ are being brought out in Hindi as well on a monthly basis. Canara Jyoti, a quarterly Hindi House Magazine to showcase the literary talent of our staff members in Hindi has received many accolades. The Magazine has bagged best Magazine award (Silver) by PRCI in 15<sup>th</sup> Excellence Awards 2025 and also won First prize in “C” Region by DFS for the year 2025-26.

Regional Language Cells, i.e., Kannada Cell, Tamil Cell, Telugu Cell, Marathi Cell, etc., have been formed in Circle Offices located in Regions ‘B’ and ‘C’. The Regional Language Cell under the Official Language (OL) Section of the HR Wing functions as the Nodal Cell for coordinating and promoting the usage of regional languages. To

प्रभावी ढंग से सीखने और उपयोग करने में और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, “अपनी क्षेत्रीय भाषा को जानें” पुस्तकें कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, असमिया, मराठी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली और ओडिया भाषाओं में प्रकाशित की गई हैं।

“हिंदी में परिचर्चा” नामक एक अभिनव चर्चा कार्यक्रम, जिसमें समकालीन बैंकिंग विषयों पर हिंदी में चर्चा की जाती है (विषय राजभाषा अनुभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा सूचित किए जाते हैं), बैंक की सभी प्रशासनिक इकाइयों में त्रैमासिक आधार पर आयोजित किया जा रहा है।

बैंक ने कर्मचारियों को हिंदी में पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रधान कार्यालय, अंका और क्षेत्रों में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की है। एक डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल भी शुरू किया गया है और सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

### ग्राहक उन्मुखीकरण

बैंक ने त्वरित सेवा प्रदान करने, विविध उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने, ग्राहकों के प्रश्नों का यथासंभव कम समय में उत्तर देने और निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के माध्यम से ग्राहक-केंद्रित बने रहने के लिए कई पहल की हैं।

- बैंक ने शिकायत निवारण के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली अपनाई है, जिसके तहत सभी सामान्य ग्राहक शिकायतों का, चाहे वे किसी भी स्रोत से आई हों, प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत रूप से निपटारा किया जाता है और विषय विशेषज्ञों द्वारा उनका समाधान प्रदान किया जाता है। यह केंद्रीकृत दृष्टिकोण पूरे बैंक में शिकायतों के निपटान और समाधान की एक समान गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- a) केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र के तहत, बैंक के सीआरएम में एक परिष्कृत शिकायत प्रबंधन मॉड्यूल लागू किया गया है, जो नवीन कार्यात्मकताओं का लाभ उठाने व दक्षता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसमें आंतरिक लोकपाल को स्वचालित रूप से शिकायत भेजना, असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं के लिए शिकायत को फिर से खोलने का विकल्प, शीर्ष प्रबंधन द्वारा समीक्षा, प्रतिक्रिया संग्रह आदि जैसी उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं।
- b) समय-समय पर, हितधारकों के समन्वय से बार-बार होने वाली शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण (आरसीए) करना, बैंक भर में समस्या के सटीक कारण की पहचान करना और उसका समाधान करना।

further support staff in learning and using regional languages effectively, “Know Your Regional Language” books have been published in Kannada, Telugu, Tamil, Malayalam, Assamese, Marathi, Punjabi, Gujarati, Bengali and Odia.

“Hindi Mein Paricharcha” an innovative discussion programme in Hindi on contemporary banking subjects (topics as informed by OL Section, HO) is being organized at all Administrative Units of the Bank on a quarterly basis.

Bank has established Hindi library at HO, COs & ROs for motivating employees to read books in Hindi. A Digital Library portal has also been initiated and made available to all the employees.

### CUSTOMER ORIENTATION

Bank has taken several initiatives to remain customer focused through provision for prompt service, offering diversified products & services, responding to customers’ queries in shortest possible time and redressal of customer complaints within the timelines stipulated.

- Bank has adopted centralized grievance redressal mechanism where all general customer complaints, regardless of their origin, are handled at Head Office centrally, and resolution is being provided by subject experts. This centralized approach ensures consistent quality complaint handling and resolution across the Bank.
- a) The centralized grievance redressal mechanism, a sophisticated complaint management module has been implemented within Bank’s CRM, leveraging innovative functionalities designed to significantly enhance the efficiency and with enhanced features such as, automated escalation to the Internal Ombudsman, complaint reopening option to dissatisfied complainants, review by Top Management, feedback collection, etc.
- b) Periodically, conducting Root Cause Analysis (RCA) on repetitive nature / type of complaints in co-ordination with stakeholders, identifying and fixing the exact cause of concern across the Bank.



- c) बैंक और नियामक के दिशानिर्देशों के अनुसार पीड़ित ग्राहक को राहत प्रदान करना।
  - d) शिकायत निवारण पोर्टल स्तर पर ग्राहक की संपूर्ण जानकारी की सुविधा प्रदान की गई है ताकि शिकायत का अधिक सटीक और सही समाधान हो सके।
  - e) ग्राहकों के लिए शिकायत पुनः खोलने की सुविधा सक्षम की गई है, जिसके तहत शिकायतकर्ता बैंक के समाधान से असंतुष्ट होने पर शिकायत बंद होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर शिकायत को पुनः खोल सकता है। पुनः खोली गई सभी शिकायतों को आंतरिक लोकपाल के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है और ग्राहक सेवा विभाग के प्रमुख की सहमति प्राप्त होने के बाद ही बंद किया जाता है।
  - f) शीर्ष प्रबंधन और ग्राहक सेवा विभाग के प्रमुख / कार्यपालक द्वारा शिकायत समीक्षा - बैंक का शीर्ष प्रबंधन और विभाग प्रमुख बंद शिकायतों की समीक्षा यादृच्छिक चयन के आधार पर करते हैं ताकि समाधान की गुणवत्ता को सत्यापित किया जा सके और आगे सुधार के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जा सकें, साथ ही यदि समाधान संतोषजनक नहीं है तो शिकायतों को फिर से खोला जा सके।
  - g) आंशिक / पूर्ण रूप से अस्वीकृत सभी शिकायतें अंतिम निर्णय और शिकायतकर्ता को जवाब देने के लिए स्वतः ही आंतरिक लोकपाल के पास भेज दी जाएंगी, बशर्ते कि आंतरिक लोकपाल का निर्णय विधिवत रूप से शामिल किया गया हो।
  - h) शिकायतकर्ता से प्रतिक्रिया संग्रह: - निरंतर सुधार सुनिश्चित करने और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए, बैंक ने शिकायतों के निपटारे के बाद ग्राहक प्रतिक्रिया एकत्र करने हेतु एक प्रतिक्रिया तंत्र लागू किया है। प्रत्येक शिकायत के निपटारे पर शिकायतकर्ता को स्वचालित रूप से एसएमएस और ईमेल भेजकर शिकायत समाधान पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी जाती है। इसके अलावा, हम अपने कॉल सेंटर और कार्यालय के अधिकारियों के माध्यम से शिकायतकर्ता को सीधे कॉल करके उनकी प्रतिक्रिया दर्ज करते हैं और आगे विश्लेषण करके कमियों की पहचान करते हैं और उनका समाधान करते हैं।
- c) Extending reliefs to the aggrieved customer as per Bank and Regulator's guidelines.
  - d) Enabled customer 360° view at Grievance portal level for more precise & accurate redressal of complaint.
  - e) Enabled complaint re-open facility for customer where complaints can be reopened within 7 days from closure date, if complainant feels dissatisfied with Bank's resolution. All re-open complaints are placed before Internal Ombudsman for views and closed only after receiving concurrence of Customer Service Vertical head.
  - f) Complaint review by top management and Customer Service Vertical Head / executive - Bank's top management and Vertical head reviews closed complaints on a random selection basis to verify the quality in resolution and issue necessary direction for further improvement beside re-opening of complaints if resolution is not up to the mark.
  - g) All partially / fully rejected complaints are auto-escalating to the Internal Ombudsman for final decision and reply to the complainant provided duly incorporating decision of the Internal Ombudsman.
  - h) Feedback collection from complainant: To ensure continuous improvement and enhance customer satisfaction, Bank has implemented feedback mechanism to collect customer feedback after closing complaints. Apart from auto-triggering SMS & e-mail to complainant on closure of each complaint requesting for their feedback on grievance resolution, we also directly call to the complainant through our Call Center and HO officials to record their feedback responses, and further analysing to identify & address the gaps, if any.
- निरंतर निगरानी और सुधार सुनिश्चित करने के लिए, महाप्रबंधक के नेतृत्व में और मुख्य महाप्रबंधक की देखरेख में एक अलग ग्राहक
  - To ensure consistence monitoring & improvement, a dedicated Customer Service Vertical team headed

सेवा विभाग बनाया गया है। ग्राहक सेवा विभाग बैंक में शिकायत निवारण की गुणवत्ता और ग्राहक अनुभव में सुधार के लिए निरंतर कार्य करता है।

- केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र के लागू होने के बाद से, हमने शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार किया है। इसका प्रमाण यह है कि बैंक के आंतरिक लोकपाल को भेजी गई कुल शिकायतों में से 99.64% शिकायतों के लिए लोकपाल ने 01.04.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान बैंक के पक्ष में राय दी है।
- हमारे वर्टिकल ने क्षेत्र में ग्राहकों से बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए एक व्यापक कर्मचारी-विशिष्ट प्रतिक्रिया तंत्र लागू किया है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक इस तंत्र के तहत कुल 1,09,41,018 ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं एकत्र की गई हैं, जिसमें ग्राहक संतुष्टि स्कोर (सीएसएटी) 98.83% रहा है। यह तंत्र शाखा में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के अनुभव और गुणवत्ता पर आधारित वास्तविक समय की ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। भारतीय बैंकिंग उद्योग में यह अपनी तरह की पहली पहल है। प्रतिक्रिया विभिन्न चैनलों - क्यूआर, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, कियोस्क के माध्यम से एकत्र की जाती है। प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके विचार करने योग्य क्षेत्रों की पहचान की जाती है ताकि प्रणालीगत स्तर पर परिवर्तन लागू किए जा सकें।
- वन बैंक वन नंबर (टोल फ्री नंबर 18001030) शुरू किया गया है, जहां ग्राहक 24\*7 कॉल सेंटर के माध्यम से 17 भाषाओं में 47 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- बैंक अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए देश-विशिष्ट टोल फ्री नंबर उपलब्ध करा रहा है। अन्य सभी देशों के अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी रहेंगे (जिनके लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध नहीं हैं)। सभी टोल फ्री नंबर और हेल्पलाइन नंबर बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं।
- बैंक वर्तमान में व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से 80 सेवाएं प्रदान कर रहा है। 1 अप्रैल 2025 से, व्हाट्सएप और चैटबॉट बैंकिंग सेवाओं में अतिरिक्त 8 भाषाएँ यानी गुजराती, बंगाली, तमिल, पंजाबी, मलयालम, ओडिया, कोंकणी और उर्दू जोड़ी गई हैं, जिससे भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है।

by General Manager and overseeing by Chief General Manager is created. Customer service vertical team steadily work towards improvement of quality of Grievance Redressal and customer experience in the Bank.

- Since implementation of Centralised Grievance Redressal Mechanism, We have improved quality of grievance redressal. The same is evident with the fact that out of total complaints referred to Internal Ombudsman of the Bank, for 99.64% complaints, the IO has given views in favour of the Bank for the period from 01.04.2025 till 31.03.2026.
- Our Vertical has implemented Comprehensive Employee Specific Feedback Mechanism for enhanced customer connect at field. From 1<sup>st</sup> April 2025 to 31<sup>st</sup> March 2026 a total number of 1,09,41,018 customer feedback have been collected under the mechanism with a Customer Satisfaction Score (CSAT) of 98.83%. This Mechanism captures Transaction Based real-time customer feedback on the experience & quality of service provided by the employees at branch. This is first-of-its-kind, in Indian Banking industry. Feedback is collected through various channels- QR, SMS, WhatsApp, E-mail, Kiosk. The responses are analysed to identify areas of concern so that systemic level changes can be implemented.
- One Bank One Number (Toll free number 18001030) has been introduced where customers can avail 47 services through its call centre in 17 languages by 24\*7.
- Bank is offering country-specific Toll Free numbers for NRI Customers. Helpline numbers shall continue for NRI Customers of all the other countries (For which toll free number is not available). All the Toll free numbers & Helpline number are displayed at Bank's website.
- Bank is offering 80 services through WhatsApp Banking presently. Since 1<sup>st</sup> April 2025, additional 8 languages i.e., Gujarati, Bengali, Tamil, Punjabi, Malayalam, Odia, Konkani and Urdu have been added in WhatsApp and ChatBot banking services increasing the total number of languages to 13.

- बैंक का चैटबॉट-ऑरा (हमेशा विश्वसनीय सहायता के लिए तैयार) कुल 13 भाषाओं में 17 सेवाएं प्रदान करता है।
- चैटबॉट के माध्यम से वॉइस बॉट सेवा शुरू की गई है, जहां उपयोगकर्ता चैटबॉट सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और बॉट द्वारा वॉइस असिस्टेंस के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में वॉइस बॉट सेवा 5 भाषाओं में उपलब्ध है, अर्थात् अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और मराठी।
- ग्राहक सेवा विभाग ग्राहक सेवा मानकों का अवलोकन करने के लिए त्रैमासिक अंतराल पर चयनित अंचलों की शाखाओं में औचक दौरे / औचक वीडियो कॉल कर रहा है।
- हमारे बैंक ने सेवा गुणवत्ता में सुधार और कारोबार विकास को गति देने के लिए सीआरएम (ग्राहक संबंध प्रबंधन) - केनरा रिश्ते को अपनाया है। बैंक ने अब तक सीआरएम के अंतर्गत 12 मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। यह एक व्यापक एंड-टू-एंड सीआरएम समाधान है जो ग्राहक अधिग्रहण, ग्राहक प्रतिधारण, विभिन्न उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग और अपसेलिंग तथा कारोबार विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से संपूर्ण है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक विश्लेषण, अभियान प्रबंधन, केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन, विपणन और बिक्री प्रक्रियाओं जैसे लीड जनरेशन, लीड ट्रैकिंग और कन्वर्जन को स्वचालित और सुव्यवस्थित करना तथा संभावित ग्राहकों की पहचान करना है।
  - परिचालन सीआरएम: बैंक के दैनिक कार्यों जैसे संपर्क प्रबंधन, बिक्री प्रबंधन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, सीबीएस और अन्य अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण।
  - विश्लेषणात्मक सीआरएम: डेटा का विश्लेषण, बैंक के मौजूदा परिचालन को संरचित तरीके से सुधारना, डेटा का पूर्वानुमान करना, एआई / एमएल का एकीकरण, विश्लेषण और रिपोर्टिंग आदि।
  - सहयोगात्मक सीआरएम: यह दर्शाता है कि डेटा या प्रक्रियाएं विभिन्न अनुप्रयोगों, टीमों, प्रक्रियाओं, चैनलों आदि के साथ कैसे परस्पर काम कर रही हैं। सोशल मीडिया प्रबंधन, कॉल सेंटर प्रबंधन, अभियान प्रबंधन आदि।
- ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने को आज की आवश्यकता के रूप में देखते हुए, शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, अंचल कार्यालय और प्रधान कार्यालय में नियमित रूप से ग्राहक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में विभिन्न क्षेत्रों के ग्राहक भाग लेते हैं, चर्चा करते हैं
- Bank's ChatBot-AURA (Always Up for Reliable Assistance) provides 17 services in total 13 languages.
- Voice bot service has been enabled through ChatBot, where user can avail ChatBot services and receive responses of their queries through voice assistance by the Bot. Presently Voice bot service is available in 5 languages i.e. English, Hindi, Kannada, Telugu, and Marathi.
- Customer Service Vertical is conducting surprise visits / surprise video calls to branches of selected Circles at quarterly intervals to observe customer service parameters.
- CRM (Customer Relationship Management)-CANARA RISHTEY is adopted by our bank for improving service quality and driving business growth. Bank has launched 12 modules under CRM as of now. Comprehensive End-to-End CRM solution from the perspective of Customer acquisition, retention, cross-selling and upselling of various products and augmenting business growth. To automate and streamline Business Analytics, Campaign Management, Centralised Complaint management, Marketing & Sales processes such as Lead Generation, Tracking & Conversion of Leads and to identify potential customers.
  - Operational CRM: Day-to-Day operations of the Bank such as Contact Management, Sales Management, Marketing Automation, Integration with CBS and other applications.,
  - Analytical CRM: Analysis of data, improving the Bank's existing operations in a structured manner, providing predictive analysis and forecasting of data, integration of AI / ML, Analytics and Reporting etc.,
  - Collaborative CRM: Shows how the data or processes are interacting with various applications, teams, processes, channels, etc. Social Media Management, Call Centre Management, Campaign Management etc.
- Considering customer connect is the need of the hour, Customer Meets at Branch, Regional Office, Circle Office and Head Office are being conducted periodically. Where customers ranging across various segments participate, discuss and connect

और बैंक से जुड़ते हैं। इन बैठकों के दौरान प्राप्त सुझावों के संपूर्ण और व्यवस्थित समाधान के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया गया है। ग्राहक हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी सुझाव दे सकते हैं।

- वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटलीकरण में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर ग्राहकों में जागरूकता पैदा करने के लिए, पूरे वर्ष विषय-आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- जून 2025 में रैंकिंग प्रणाली की शुरुआत से लेकर मार्च 2026 तक, हमारे बैंक ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक स्कोर (सीपीग्राम शिकायतों के लिए) के आधार पर 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से 8 अवसरों पर शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त किया है।
- शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक स्कोर (सीपीजीग्राम शिकायतों के लिए) के आधार पर 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की श्रेणी में जुलाई 2025 और मार्च 2026 के लिए तीसरा स्थान और नवंबर 2025 के लिए दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग से प्रशंसा प्राप्त हुई।
- सीपीग्राम और आईएनग्राम शिकायतों के निवारण के लिए औसत निपटान दिनों (टीएटी) को अप्रैल 2025 में 13 दिनों से घटाकर दिसंबर 2025 में 2 दिन करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग से विशेष प्रशंसा प्राप्त हुई। वर्तमान में, टीएटी 1.65 दिन है।
- डोरस्टेप बैंकिंग के अंतर्गत, चालू वित्त वर्ष के दौरान, हमारे बैंक ने समकक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह यानी समूह ए (केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक) के बीच पूर्ण और उठाए गए सेवा अनुरोधों के मामले में अग्रणी स्थान हासिल किया है।
- वर्तमान में, भारत भर में 2572 चयनित केंद्रों से 4132 शाखाएं डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। हम 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह तीन निःशुल्क डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- पीएसबी एलायंस ने 5 अगस्त 2025 से 4 नवंबर 2025 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग हेतु अभियान-2 शुरू किया। विशेष रूप से, सेवा अनुरोधों को दर्ज करने और सेवा अनुरोधों को पूरा करने दोनों के संदर्भ में हमारे बैंक ने ग्रुप ए (केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक) में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- पीएसबी एलायंस ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक नया अभियान शुरू किया, जो 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक चला।

with the bank. A dedicated portal for end-to-end logical closure of suggestions received during such meetings has been developed. A customer can lodge a suggestion by visiting our official corporate website as well.

- In order to inculcate awareness among the customer in the wake of ever-growing financial frauds and digitalization, theme-based awareness programmes were conducted throughout the year.
- Since the introduction of ranking system in June 2025 till March 2026, our bank has secured rank under top 5 on 8 occasions among 12 PSBs, based on Grievance Redressal Assessment and Index Score (for CPGRAM complaints).
- Appreciation received from Department of Financial Services for ranking 3<sup>rd</sup> for the month of July 2025, March 2026 & 2<sup>nd</sup> for the month of November 2025 amongst 12 Public Sector Banks (PSB) category, based on Grievance Redressal Assessment and Index Score (for CPGRAM complaints).
- Special Appreciation received from Department of Financial Services for reducing average disposal days (TAT) from 13 days in April 2025 to 2 days in December 2025 for redressal of grievances for CPGRAM & INGRAM complaints. Presently, the TAT is 1.65 days.
- Under Doorstep Banking, Our Bank has been leading during current FY, in terms of service request completed and raised among group of peer Public sector Banks i.e. Group A (Canara Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, and Punjab National Bank).
- Presently, 4132 branches are offering Doorstep Banking services pan India from 2572 selected Centers. We are offering three free any Doorstep Banking services per month to all Senior Citizens of the age above 75 years.
- PSB Alliance launched Abhiyan -2 Campaign for Doorstep Banking for all the Public Sector Banks starting from 5<sup>th</sup> August 2025 to 4<sup>th</sup> November 2025. Notably, Our bank achieved the 1<sup>st</sup> position in Group A (Canara Bank, Union Bank of India, Bank of Baroda, and Punjab National Bank) regarding both service requests raised and service request completion.
- PSB Alliance has launched a new campaign for the submission of Digital Life Certificates, which ran from



इस अवधि के दौरान, केनरा बैंक ने ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक जैसे प्रतिस्पर्धी बैंकों को पीछे छोड़ दिया।

- अनिवासी भारतीय ग्राहकों के लिए वीडियो कॉल सुविधा चालू हो गई है।
- कॉल सेंटर पर सीबीडीसी वॉलेट को ब्लॉक करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- कॉल सेंटर में दिव्यांगजनों के लिए प्राथमिकता वाली सेवाएं लागू की गईं।
- दिव्यांग जनों की शिकायतों को प्राथमिकता देने के लिए इस वर्टिकल के भीतर एक अलग कक्ष स्थापित किया गया है।

## आंतरिक लोकपाल

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में आंतरिक लोकपाल (आईओ) की नियुक्ति की है, जो बैंक द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत की गई शिकायतों की समीक्षा करता है। आईओ शिकायतों के मूल कारण को दूर करने के लिए कार्रवाई करने हेतु शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण करते हुए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को अपनी गतिविधियों पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आईओ की सिफारिशों के आधार पर प्रक्रियाओं / दिशा-निर्देशों में जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ परिवर्तन भी किए गए हैं।

श्री उन्नाम राघवेंद्र राव ने 17.02.2025 से आंतरिक लोकपाल के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

## दिव्यांग ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र:

दिव्यांगजन ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण की स्थिति (01.04.2025 से 31.03.2026 तक):

| क्रम सं. | विवरण                                                 | शिकायतों की संख्या |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | दिव्यांगजन ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या | 2102               |
| 2        | निपटाई गई शिकायतों की संख्या                          | 2098               |
| 3        | 31.03.2026 तक लंबित शिकायतों की संख्या                | 11*                |

\* उल्लिखित 11 शिकायतें 21 दिनों की नियत समय सीमा के भीतर हैं।

November 1<sup>st</sup> to December 31<sup>st</sup>. During this period, Canara Bank secured the top position in Group A, outperforming peer banks such as Union Bank of India, Bank of Baroda, and Punjab National Bank.

- Video Call Functionality for NRI customers became operational.
- Facility of Blocking of CBDC Wallet is made available at Call Centre.
- Prioritized services for persons with disabilities/ Divyangjan implemented at Call Centre.
- A dedicated cell has been established within the Vertical to prioritize complaints from persons with disabilities.

## INTERNAL OMBUDSMAN

In terms of the Reserve Bank of India guidelines, the Bank has appointed an Internal Ombudsman (IO) as an independent authority to review complaints that are partly or wholly rejected by the Bank. The IO submits periodical report on its functions & activities to Customer Service Committee of the Board of the Bank, analyzing the pattern of complaints for taking action to address the root cause of complaints. Changes where necessitated on the procedures / guidelines have also been carried out based on the IO's recommendations.

Sri Unnam Raghavendra Rao has taken over as Internal Ombudsman with effect from 17.02.2025.

## GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM FOR PwD CUSTOMERS:

Status of Grievance redressal for PwD Customers (from 01.04.2025 to 31.03.2026):

| Sr. No | Particulars                                            | No. of Complaints |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1      | Total Number of complaints received from PwD Customers | 2102              |
| 2      | Number of complaints resolved                          | 2098              |
| 3      | Number of complaints pending as on 31.03.2026          | 11*               |

\*Mentioned 11 complaints are within TAT of 21 days.

## शिकायतों का प्रकटीकरण

### a. बैंक को ग्राहकों और लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

| क्र सं. |                                                      | विवरण                                                                                                                          | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2025-26 |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|         | बैंकों को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें          |                                                                                                                                |                    |                    |
| 1.      |                                                      | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या                                                                                      | 2343               | 2332               |
| 2.      |                                                      | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या:                                                                                      |                    |                    |
|         | a.                                                   | सामान्य शिकायतें                                                                                                               | a. 108037          | a. 120934          |
|         | b.                                                   | डिजिटल शिकायतें                                                                                                                | b. 289047          | b. 292997          |
| 3.      |                                                      | वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या:                                                                                 |                    |                    |
|         | a.                                                   | सामान्य शिकायतें                                                                                                               | a. 107600          | a. 121166          |
|         | b.                                                   | डिजिटल शिकायतें                                                                                                                | b. 289495          | b. 293163          |
|         | 3.1                                                  | जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या                                                                              | 29220              | 80527              |
| 4.      |                                                      | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या                                                                                       | 2332               | 1934               |
|         | लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतें |                                                                                                                                |                    |                    |
| 5.      |                                                      | लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतों की संख्या                                                                 | 4983               | 5650               |
|         | 5.1                                                  | क्र.सं. 5 की शिकायतों में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में हल की शिकायतों की संख्या है                              | 2222               | 2656               |
|         | 5.2                                                  | क्र.सं. 5 की शिकायतों में से लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह / मध्यस्थता / सलाह के माध्यम से की गई शिकायतों की संख्या है      | 2761               | 2993               |
|         | 5.3                                                  | क्र.सं. 5 की शिकायतों में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के खिलाफ निर्णय पारित किए जाने के बाद शिकायतों का सावधान किया गया है | 0                  | 1                  |
| 6.      |                                                      | निर्धारित समय के भीतर क्रियान्वित न किए गए निर्णय की संख्या (अपील किए गए निर्णय छोड़कर)                                        | 0                  | 0                  |

## Disclosure of complaints

### a. Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

| Sl. No.                                                                      | Particulars                                                                                                 | FY 2024-25 | FY 2025-26 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Complaints received by the banks from its customers</b>                   |                                                                                                             |            |            |
| 1.                                                                           | Number of complaints pending at beginning of the year                                                       | 2343       | 2332       |
| 2.                                                                           | Number of complaints received during the year                                                               |            |            |
|                                                                              | a. General Complaints                                                                                       | a. 108037  | a. 120934  |
|                                                                              | b. Digital Complaints                                                                                       | b. 289047  | b. 292997  |
| 3.                                                                           | Number of complaints disposed during the year                                                               |            |            |
|                                                                              | a. General Complaints                                                                                       | a. 107600  | a. 121166  |
|                                                                              | b. Digital Complaints                                                                                       | b. 289495  | b. 293163  |
| 3.1                                                                          | Of which, number of complaints rejected by the bank                                                         | 29220      | 80527      |
| 4.                                                                           | Number of complaints pending at the end of the year                                                         | 2332       | 1934       |
| <b>Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman</b> |                                                                                                             |            |            |
| 5.                                                                           | Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman                             | 4983       | 5650       |
| 5.1                                                                          | Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman                            | 2222       | 2656       |
| 5.2                                                                          | Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman | 2761       | 2993       |
| 5.3                                                                          | Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank         | 0          | 1          |
| 6.                                                                           | Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)                       | 0          | 0          |

b बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

| शिकायत का आधार,<br>(अर्थात् निम्न से संबंधित शिकायतें)                | वर्ष के प्रारंभ में<br>लंबित शिकायतों<br>की संख्या | वर्ष के दौरान<br>प्राप्त शिकायतों<br>की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना<br>में प्राप्त शिकायतों की<br>संख्या में % वृद्धि/<br>कमी | वर्ष के अंत में<br>लंबित<br>शिकायतों की<br>संख्या | क्र.सं. 5 में से, 30<br>दिनों से अधिक<br>समय से लंबित<br>शिकायतों की<br>संख्या |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                  | 3                                              | 4                                                                             | 5                                                 | 6                                                                              |
| <b>वित्त वर्ष 2025-26</b>                                             |                                                    |                                                |                                                                               |                                                   |                                                                                |
| इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग                               | 294                                                | 152157                                         | 4.88%                                                                         | 209                                               | 0                                                                              |
| एटीएम / डेबिट कार्ड                                                   | 145                                                | 68218                                          | -10.36%                                                                       | 92                                                | 0                                                                              |
| ऋण और अग्रिम                                                          | 280                                                | 20126                                          | 70.59%                                                                        | 295                                               | 0                                                                              |
| बिना पूर्व सूचना के प्रभार लगाना /<br>अत्यधिक प्रभार / मोचनरोध प्रभार | 258                                                | 13376                                          | -9.03%                                                                        | 120                                               | 0                                                                              |
| खाता खोलना / खाते के परिचालन में<br>कठिनाई                            | 158                                                | 9689                                           | 4.62%                                                                         | 141                                               | 0                                                                              |
| अन्य                                                                  | 1197                                               | 150365                                         | 7.30%                                                                         | 1077                                              | 42*                                                                            |
| <b>कुल</b>                                                            | <b>2332</b>                                        | <b>413931</b>                                  | <b>4.24%</b>                                                                  | <b>1934</b>                                       | <b>42*</b>                                                                     |
| <b>वित्त वर्ष 2024-25</b>                                             |                                                    |                                                |                                                                               |                                                   |                                                                                |
| इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग                               | 583                                                | 145076                                         | -16.10%                                                                       | 294                                               | 0                                                                              |
| एटीएम / डेबिट कार्ड                                                   | 310                                                | 76105                                          | -52.76%                                                                       | 145                                               | 0                                                                              |
| ऋण और अग्रिम                                                          | 372                                                | 14703                                          | 0.06%                                                                         | 258                                               | 0                                                                              |
| बिना पूर्व सूचना के प्रभार लगाना /<br>अत्यधिक प्रभार / मोचनरोध प्रभार | 78                                                 | 11798                                          | 60.69%                                                                        | 280                                               | 0                                                                              |
| खाता खोलना/खाते के परिचालन में<br>कठिनाई                              | 24                                                 | 9261                                           | 86.04%                                                                        | 158                                               | 0                                                                              |
| अन्य                                                                  | 976                                                | 140141                                         | -7.44%                                                                        | 1197                                              | 53                                                                             |
| <b>कुल</b>                                                            | <b>2343</b>                                        | <b>397084</b>                                  | <b>-24.30%</b>                                                                | <b>2332</b>                                       | <b>53</b>                                                                      |

\* वे सभी 42 शिकायतें, जो 30 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, सतर्कता संबंधी प्रकृति की हैं।



b. Top five grounds of complaints received by the bank from customers

| Grounds of complaints,<br>(i.e. complaints relating to)                    | Number of<br>complaints<br>pending at<br>the beginning<br>of the year | Number of<br>complaints<br>received<br>during the<br>year | % increase/<br>decrease in<br>the number<br>of complaints<br>received over the<br>previous year | Number of<br>complaints<br>pending at<br>the end of<br>the year | Of 5,<br>number of<br>complaints<br>pending<br>beyond 30<br>days |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                     | 3                                                         | 4                                                                                               | 5                                                               | 6                                                                |
| <b>FY 2025-26</b>                                                          |                                                                       |                                                           |                                                                                                 |                                                                 |                                                                  |
| Internet/Mobile/Electronic Banking                                         | 294                                                                   | 152157                                                    | 4.88%                                                                                           | 209                                                             | 0                                                                |
| ATM/Debit Cards                                                            | 145                                                                   | 68218                                                     | -10.36%                                                                                         | 92                                                              | 0                                                                |
| Loans and advances                                                         | 280                                                                   | 20126                                                     | 70.59%                                                                                          | 295                                                             | 0                                                                |
| Levy of charges without prior notice/excessive charges/foreclosure charges | 258                                                                   | 13376                                                     | -9.03%                                                                                          | 120                                                             | 0                                                                |
| Account opening/difficulty in operation of accounts                        | 158                                                                   | 9689                                                      | 4.62%                                                                                           | 141                                                             | 0                                                                |
| Others                                                                     | 1197                                                                  | 150365                                                    | 7.30%                                                                                           | 1077                                                            | 42                                                               |
| <b>Total</b>                                                               | <b>2332</b>                                                           | <b>413931</b>                                             | <b>4.24%</b>                                                                                    | <b>1934</b>                                                     | <b>42*</b>                                                       |
| <b>FY 2024-25</b>                                                          |                                                                       |                                                           |                                                                                                 |                                                                 |                                                                  |
| Internet/Mobile/ Electronic Banking                                        | 583                                                                   | 145076                                                    | -16.10%                                                                                         | 294                                                             | 0                                                                |
| ATM/Debit Cards                                                            | 310                                                                   | 76105                                                     | -52.76%                                                                                         | 145                                                             | 0                                                                |
| Levy of charges without prior notice/excessive charges/foreclosure charges | 372                                                                   | 14703                                                     | 0.06%                                                                                           | 258                                                             | 0                                                                |
| Loans and advances                                                         | 78                                                                    | 11798                                                     | 60.69%                                                                                          | 280                                                             | 0                                                                |
| Account opening/difficulty in operation of accounts                        | 24                                                                    | 9261                                                      | 86.04%                                                                                          | 158                                                             | 0                                                                |
| Others                                                                     | 976                                                                   | 140141                                                    | -7.44%                                                                                          | 1197                                                            | 53                                                               |
| <b>Total</b>                                                               | <b>2343</b>                                                           | <b>397084</b>                                             | <b>-24.30%</b>                                                                                  | <b>2332</b>                                                     | <b>53</b>                                                        |

\* All the 42 complaints which are pending beyond 30 days are Vigilance in nature.

## आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए लेखापरीक्षाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए): 7100 शाखाओं/इकाइयों में आरबीआईए आयोजित किया गया।

समवर्ती लेखापरीक्षा: इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक के 70% अग्रिमों को शामिल किया गया है, जो बैंक के कुल कारोबार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1763 शाखाओं / इकाइयों में मासिक समवर्ती / निरंतर लेखापरीक्षाएं की गईं, जिनमें से 1248 शाखाओं में लेखापरीक्षा बाह्य लेखापरीक्षकों द्वारा और 515 शाखाओं में लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई।

आय लेखापरीक्षा: 2906 शाखाओं की आय / राजस्व लेखापरीक्षा त्रैमासिक आधार पर की गई।

### लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्रमुख पहल और सुधार:

1. प्रधान कार्यालय के विभाग / वर्टिकल के नियमित निरीक्षण की जांच सूची का पुनर्गठन: वर्तमान में, विभाग ने 37 वर्टिकल और 4 विभागों के लिए जांच सूची का पुनर्गठन पूरा कर लिया है और इसे दर्पण में लागू कर दिया गया है। प्रधान कार्यालय के विभाग / वर्टिकल की संशोधित जांच सूची के परिणामस्वरूप संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो रही है। इस प्रकार, विभाग / वर्टिकल के नियमित निरीक्षण के दौरान बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जा रही है।
2. विभाग ने मुद्रा तिजोरी के समवर्ती लेखापरीक्षा (साप्ताहिक लेखापरीक्षा) और आरबीआईए आयोजित करने के लिए जांच सूची का पुनर्गठन पूरा कर लिया है और इसे संबंधित दर्पण मॉड्यूल में लागू कर दिया गया है।
3. मुद्रा तिजोरी जागरूकता कार्यक्रम - विभाग ने मुद्रा तिजोरी लेखापरीक्षा के लिए निरीक्षण अधिकारियों हेतु एक दिवसीय जागरूकता सत्र आयोजित किया, जिसमें सभी आंचलिक निरीक्षणालयों के 43 निरीक्षण अधिकारियों ने भाग लिया। जागरूकता सत्र संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों द्वारा संचालित किए गए और सत्रों के दौरान निरीक्षण अधिकारियों को मुद्रा तिजोरी लेखापरीक्षा के महत्व के बारे में विभिन्न जानकारियां दी गईं, ताकि वे लेखापरीक्षा के दौरान व्यापक कवरेज और गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग सुनिश्चित कर सकें।
4. द्विमासिक ज़ेडएसीई बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त और एटीआर टिप्पणियों को अपलोड करने और रखरखाव के लिए एक केंद्रीकृत

## INTERNAL CONTROL AND AUDIT

Details of audits conducted during the Financial Year 2025-26 are furnished below:

Risk Based Internal Audit (RBIA): RBIA was conducted in 7100 branches / units.

Concurrent Audit: It collectively covers 70% of advances as at end of previous financial year, forming a significant portion of the Bank's total business. Monthly concurrent / continuous audits were carried out in 1763 branches / units, out of which, in 1248 branches the audit was conducted by external auditors and in 515 branches, audit was conducted by internal auditors.

Income Audit: 2906 branches underwent income / revenue audits on a quarterly basis.

### Key Initiatives and Enhancements in the Audit Process:

1. Revamping of Checklists of Regular Inspection of HO Wings / Verticals: Presently, Wing has completed Checklist revamping for 37 Verticals & 04 Wings and the same has been implemented in DARPAN. The revamped checklist of HO Wings / Verticals has resulted in proper checking of the works being handled by the concerned sections. Thus, improved monitoring is being ensured during regular inspection of Wings / Verticals.
2. Wing has completed the revamping of Checklists for conducting Concurrent Audit (Weekly Audit) & RBIA of Currency Chests and the same has been implemented in respective DARPAN modules.
3. Currency Chest Sensitization program - Wing has conducted a one-day sensitization session for Inspecting Officials for Currency Chest audits in which 43 IOs covering all the Zonal Inspectorates have attended the program. The sensitization sessions were taken up by Executives specialized in those areas and various insights on the importance of currency chest audit have been conveyed to the IOs during the sessions so as to enable IOs to ensure comprehensive coverage and quality reporting during the audit.
4. Introduced Centralised package for upload and maintenance of agenda, minutes and ATR

पैकेज शुरू किया गया है, जिसे क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों और आंचलिक निरीक्षणालय द्वारा देखा जा सकता है। इससे फाइलों को साझा करने और अनुवर्ती कार्रवाई के मैन्युअल कार्य को समाप्त किया जा सकेगा। इसके अलावा, यह पैकेज ज़ेडएसीई से संबंधित सभी फाइलों के भंडारण के लिए एक भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसे भविष्य में कभी भी एक्सेस किया जा सकता है।

5. लेखापरीक्षित इकाइयों की बेहतर पूर्व-लेखापरीक्षा तैयारी के लिए, आरबीआईए के प्रारंभ होने से 3 महीने पहले शाखाओं / इकाइयों को ई-मेल के माध्यम से प्रारंभिक पत्र जारी करने की प्रक्रिया को स्वचालित करना, जिसमें पिछले लेखापरीक्षा का विवरण भी शामिल होगा। इससे शाखाओं / इकाइयों को आरबीआईए के प्रारंभ होने से काफी पहले शाखा / इकाई में पूर्व-लेखापरीक्षा काम करने और सुधारात्मक उपाय करने की जानकारी मिलेगी।
6. पूर्व-लेखापरीक्षा काम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई खातावार विसंगतियों की रिपोर्टिंग के लिए मानक नोटिंग शीट टेम्पलेट प्रस्तुत किया गया।
7. पिछले आरबीआईए की समाप्ति के नौ महीने बाद और बारह महीने से पहले सभी कम जोखिम रेटिंग वाली शाखाओं में स्नैप ऑडिट शुरू किया जाएगा, जहां भी ऋण राशि और संख्या दोनों में 20% से अधिक की वृद्धि देखी गई हो। यह ऋण पोर्टफोलियो में अचानक वृद्धि होने पर किसी भी ऋण संबंधी या परिचालन जोखिम की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
8. 'इंटरैक्शन फोरम' - विभाग ने निरीक्षण अधिकारियों के लेखापरीक्षा-संबंधी / नीति-संबंधी प्रश्नों को वास्तविक समय के आधार पर संबोधित करने और हल करने के लिए एक इंटरैक्टिव चैट मॉड्यूल शुरू किया है, जहां फील्ड स्तर के अधिकारी सीधे प्रधान कार्यालय के साथ बातचीत कर सकते हैं।
9. विभाग ने बेहतर निगरानी और रिकॉर्ड रखने के लिए अंचल कार्यालय के प्रबंधन लेखापरीक्षा करने हेतु एक नया पैकेज प्रस्तुत किया है।
10. दर्पण पैकेज में दैनिक समस्या निवारण के लिए ट्रैकर पैकेज जारी किया गया है।
11. टैब बैंकिंग के माध्यम से खोले गए खातों का निरंतर लेखापरीक्षा करने के लिए नए मॉड्यूल को संशोधित प्रक्रिया प्रवाह (मेकर-चेकर सुविधा) के साथ सक्षम किया गया है।
12. पुनः सक्रिय किए गए निष्क्रिय खातों का निरंतर लेखापरीक्षा करने के लिए नया मॉड्यूल सक्षम किया गया।

observations of bi-monthly ZACE meetings which can be viewed by Regional Offices, Circle Offices, Zonal Inspectorates. Thus, eliminating the manual work of sharing the files and follow-up. Further, this package acts as a repository for storage of all ZACE related files, which can be accessed any time in future.

5. Automation of issue of Pilot letter through E-mail to branches / units before 3 months of commencement of RBIA along with details of previous audit for better Pre-Audit preparation of auditee units. This will intimate the branches / units to perform Pre-audit exercise at the branch / unit well before commencement of RBIA and take corrective.
6. Introduced standard jotting sheet template for reporting account-wise discrepancies identified during pre-audit for ensuring effective implementation of pre-audit exercise.
7. Introduction of Snap Audit in all low risk rated branches after nine months and before twelve months from the conclusion of the previous RBIA, wherever spurt in advances is more than 20% in number as well as in amount. It acts as a tool to have a monitoring mechanism of any credit related or operational risk wherever spurt in advances portfolio is noticed.
8. 'INTERACTION FORUM' – Wing has introduced an Interactive chat module to address and resolve audit-related / policy related queries of Inspecting officials on real-time basis where field level officials can directly interact with Head Office.
9. Wing has introduced a new package for conducting Management Audit of COs for better monitoring and record keeping.
10. Tracker package has been released for addressing daily troubleshooting in Darpan package.
11. Enabled new module for conducting continuous audit of accounts opened through Tab Banking with revamped process flow (Maker-Checker facility).
12. Enabled new module for conducting continuous audit of reactivated Inoperative accounts.

13. विभाग ने नागपुर स्थित सरकारी लिंक कक्ष के सतत लेखापरीक्षा के परिचालन हेतु जांच सूची के पुनर्गठन का कार्य पूरा कर लिया है।
14. जियो टैग सुरक्षा सत्यापन वेब ऐप - दर्पण (आरबीआई और सीएएस) एकीकृत वेब एप्लिकेशन को लेखापरीक्षा के दौरान जांचकर्ताओं द्वारा पाई गई सुरक्षाकर्मियों की जियो टैग वाली तस्वीरें लेने के लिए विकसित और जारी किया गया है। यह एप्लिकेशन उच्च अधिकारियों को निगरानी और तथ्य-जांच के लिए लेखापरीक्षा के समय सुरक्षाकर्मियों की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाले स्थान और समय टैग वाली तस्वीरें प्रदान करेगा।
15. ईसीए का अर्धवार्षिक प्रदर्शन - बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, ईसीए के प्रदर्शन की निगरानी की प्रक्रिया को अब डिजिटल कर दिया गया है और इसी को सुगम बनाने के लिए यह नया पैकेज विकसित किया गया है। यह रिकॉर्ड रखने, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग की सभी कार्यात्मकताओं को समेकित करेगा।
16. एडी एकीकरण - दर्पण पैकेज अब बैंक के एसएसएस (सिंगल ऑथेंटिकेटेड सर्विस) के साथ एकीकृत हैं, जिससे दर्पण उपयोगकर्ताओं के लिए बहुस्तरीय प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है। साथ ही, पैकेजों की पहुंच और उपयोगकर्ता भूमिकाओं को भी उपयोगकर्ताओं के एचआरएम प्रोफाइल के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे स्वचालन में वृद्धि और समय की बचत सुनिश्चित होती है।
17. एप्लिकेशन ऑडिट पैकेज का पूर्ण पुनर्गठन (कार्यान्वयन-पूर्व और कार्यान्वयन-पश्चात)।
18. बैंक द्वारा पहचाने गए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों (आईएस ऑडिट) के वार्षिक लेखापरीक्षा करने के लिए नया मॉड्यूल सक्षम किया गया।
19. कारोबार प्रतिनिधि - टैब के माध्यम से खाता खोलने की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया और कुछ कमियां पाई गईं, सुचारु प्रक्रिया प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सुधार हेतु वित्तीय समावेशन वर्टिकल के साथ साझा किया गया है।
20. एसीबी द्वारा आयोजित बैठकों के दौरान की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) में सभी निर्देशों को रिकॉर्ड करना सुनिश्चित करने के लिए विभाग स्तर की कार्यपालक समिति का गठन किया गया।
13. Wing has completed the revamping of checklist for conducting Continuous audit of Government Link Cell, Nagpur.
14. Geo Tag security Verification web App - Darpan (RBIA and CAS) integrated Web application was developed and released for capturing Geo Tagged Photos of securities visited by IOs during the course of audits. It will provide location and time tagged photos for capturing actual ground level status of securities at the time of audit to higher authorities for monitoring and fact checking.
15. Half Yearly performance of ECAs - As per the directions of the Board, the process of performance monitoring of ECA's has now been digitized and this new package is developed to facilitate the same. It will consolidate record keeping, tracking and Reporting functionalities.
16. AD Integration - All Darpan packages are now integrated with SAS (Single Authenticate Service) of the bank providing multiple level authentication for the Darpan users. Also, accessibility of the packages and user roles are also integrated with HRM profiles of the users ensuring increased automation and time savings.
17. Complete revamping of application audit package (Pre-Implementation and Post-Implementation).
18. Enabled new module for conducting annual audit of critical applications identified by the Bank (IS audit).
19. Studied the process of account opening through Business Correspondent - Tab and observed few gaps which have been shared to FI Vertical for rectification to ensure smooth process flow.
20. Formed Wing level Executive Committee for ensuring recording of all directions in Action Taken Report (ATR) given by the ACB during the meetings held.

## जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

वित्त वर्ष 2013-14 से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के बदले आरबीआई द्वारा बैंक को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) व्यवस्था के तहत लाया गया था। वर्तमान में, बैंक ने आरबीएस का 12वां

## RISK BASED SUPERVISION

The Bank was brought under Risk Based Supervision (RBS) regime by RBI, in lieu of Annual Financial Inspection (AFI) from FY 2013-14. Presently, the Bank has completed the



चक्र पूरा कर लिया है। आरबीएस ढांचे को जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) नाम दिया गया है। एसपीएआरसी के तहत, बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और सूचनाओं के ऑफसाइट विश्लेषण के साथ-साथ पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए ऑन-साइट निरीक्षण के निष्कर्षों के संयोजन के माध्यम से आरबीआई द्वारा बैंक के जोखिमों का विस्तृत गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन निरंतर आधार पर किया जाता है।

## अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) / एमएल / सीएफटी

बैंक केवाईसी / एमएल / सीएफटी मानदंडों को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर-अनुपालन के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने मजबूत प्रणाली व प्रक्रियाएं लागू की हैं। नामित व्यक्तियों / संस्थाओं के संबंध में नियामकों द्वारा जारी किए गए परामर्शों का ईमानदारी से पालन किया जाता है। केवाईसी/एमएल/सीएफटी से संबंधित मामलों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।

## सतर्कता व्यवस्था

बैंक में सतर्कता प्रशासन के अंतर्गत प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु में एक सतर्कता विभाग का गठन किया गया है, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के अधीन कार्य करता है; इसमें एक अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (एससीवीओ) उनकी सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली और मुंबई में दो सतर्कता इकाइयाँ भी कार्यरत हैं, जो दो एससीवीओ के अधीन कार्य करती हैं। इसके अलावा, विभाग बैंक के 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और 9 अनुषंगी संस्थाओं में सतर्कता प्रशासन का कार्य भी करता है।

बैंक में सतर्कता प्रशासन का विस्तार बैंक के विभिन्न वर्टिकल्स अर्थात् अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों तक है, जो अंचलों और क्षेत्रों में तैनात सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से संचालित होता है।

बैंक में स्थापित उक्त सतर्कता व्यवस्था, बैंक के तीन प्रमुख सतर्कता कार्यों अर्थात् निवारक, अनुषंगी (निगरानी एवं पता लगाना) और दंडात्मक सतर्कता के निष्पादन को सुनिश्चित करती है।

निवारक सतर्कता उपाय के तौर पर, बैंक में सतर्कता तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि अंचल सतर्कता अधिकारी शाखाओं का औचक दौरा करें, शाखाओं में मासिक निवारक सतर्कता बैठकें आयोजित की जाएं, 'सहमति सूची' (सहमति सूची) और 'संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों' की सूची तैयार की जाए और उसका प्रबंधन किया जाए, बैंक में संवेदनशील पदों पर की गई नियुक्तियों की समय-समय पर समीक्षा की जाए, और संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों का समय

12th cycle of RBS. RBS framework is named as Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC). Under SPARC, a detailed qualitative and quantitative assessment of the Bank's risks is made by RBI on an on-going basis through a combination of offsite analysis of the data and information furnished by the Bank as well as the findings of the on-site Inspection for supervisory Evaluation (ISE).

## KNOW YOUR CUSTOMERS (KYC) / AML / CFT

The Bank is committed to implement the KYC / AML / CFT norms in its completeness and has zero tolerance towards non-compliance. To ensure this, the Bank has put robust systems and processes in place. Advisories issued by the regulators with respect to designated individuals / entities are scrupulously followed. Regular training is provided to staff members to increase their awareness on matters regarding KYC / AML / CFT.

## VIGILANCE SETUP

The Vigilance administration in the Bank constitutes Vigilance Wing at Head Office, Bengaluru, functioning under the Chief Vigilance Officer (CVO), assisted by an Additional Chief Vigilance Officer (ACVO) and two vigilance units at Delhi and Mumbai, functioning under two ACVOs. This apart, the Department also undertakes vigilance administration in the 2 Regional Rural Banks (RRBs) and 9 subsidiaries of the Bank.

The Vigilance Administration in the Bank extends to the different verticals of the Bank, viz., Circle Offices and Regional Offices, through the Vigilance Officers posted at the Circles and Regions.

The said Vigilance set-up in the Bank ensures carrying out of the three major Vigilance functions in the Bank, viz., Preventive, Participative (Surveillance & Detection) and Punitive Vigilance.

As a Preventive Vigilance measure, the Vigilance set-up in the Bank ensures conduct of Surprise visits by Circle Vigilance Officers to Branches, conduct of Monthly Preventive Vigilance Meetings in the Branches, preparation and maintenance of Agreed List and Officers of Doubtful Integrity, Periodic review of Sensitive Postings in Bank & timely rotation of officials in sensitive posts, etc., Further, the Vigilance Wing at Head Office, is

पर आवर्तन किया जाए, आदि। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय स्थित सतर्कता विभाग, बैंक के कर्मचारियों के लाभ के लिए, “केनरा विजिल” नाम से एक तिमाही पत्रिका प्रकाशित करता है, जिसमें बैंक में आयोजित सतर्कता से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है; साथ ही, यह विभाग निवारक सतर्कता पर एक मासिक बुलेटिन भी प्रकाशित करता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रधान कार्यालय स्थित सतर्कता विभाग ने दिनांक 17.06.2025 को बेंगलूरु में “सीबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और आईडीबीआई बैंक के सीवीओ तथा डीएफएस प्रमुख की समन्वय बैठक” आयोजित की, जिसकी विभिन्न नियामक कार्यालयों से आए सभी प्रतिभागियों ने काफी सराहना की। इसके अतिरिक्त, सतर्कता विभाग द्वारा 9 और 10 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में “सतर्कता अधिकारियों का सम्मेलन-2025” और आईएस / पीओ के लिए “क्षमता निर्माण कार्यक्रम” आयोजित किया गया।

प्रधान कार्यालय स्थित सतर्कता विभाग और क्रमशः बेंगलूरु, दिल्ली तथा मुंबई में स्थित तीन सतर्कता इकाइयाँ, आंतरिक सलाहकार समिति (आईसी) और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों (डीए) द्वारा संदर्भित विभिन्न अनुशासनात्मक मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करती हैं, और ऐसे मामलों में सीवीओ / एसीवीओ के निर्णयों से अवगत कराती हैं। इसके अलावा, सीवीसी / आरबीआई / डीएफएस / सीबीआई सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की गहन जाँच की जाती है और सीवीसी के दिशानिर्देशों तथा बैंक की ‘स्टाफ़ जवाबदेही नीति’ के अनुरूप उनका उचित निपटारा किया जाता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, विभाग ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, 27.10.2025 से 02.11.2025 तक “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” मनाया, जिसका विषय था “सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी”। इस सप्ताह के दौरान आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जैसे कि वॉकथॉन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सेमिनार, निबंध लेखन प्रतियोगिता और कई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

अंचल कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों के कार्यों की निगरानी के लिए, सतर्कता विभाग ने एक विशेष पैकेज, “निवारक सतर्कता प्रबंधन प्रणाली (पीवीएमएस)” विकसित किया है; जिसके अंतर्गत सतर्कता अधिकारियों द्वारा शाखाओं के दौरे, उनके द्वारा की गई टिप्पणियों और उन टिप्पणियों के सुधार संबंधी कार्यों की निरंतर निगरानी की जाती है, और इससे संबंधित डेटा वास्तविक समय (वास्तविक समय) के आधार पर तैयार किया जाता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, विभाग ने विभिन्न सतर्कता जोखिम मापदंडों के आधार पर अंचलों और क्षेत्रों में अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए, “सतर्कता जोखिम धारणा सूचकांक (वीआरपीआई)” लागू किया है।

publishing a Quarterly Magazine in the name of “Canara Vigil” covering all the vigilance related activities conducted in the Bank and a Monthly Bulletin on Preventive Vigilance, for the benefit of employees of the Bank.

During the financial year, the Vigilance Wing at Head Office, has conducted “Co-ordination Meeting of CBI, CVOs of PSBs, IDBI Bank and DFS head on 17-06-2025 at Bengaluru”, which was well appreciated by all the participants from various regulatory offices. Further Vigilance Officers’ Conference-2025 And Capacity Building Programme for IAs / POs was conducted by the Vigilance Wing at Hyderabad on 9<sup>th</sup> and 10<sup>th</sup> of October, 2025.

The Vigilance Wing at Head Office and the three Vigilance Units at Bengaluru, Delhi and Mumbai, respectively ensure timely processing of various disciplinary matters referred by the Internal Advisory Committee (IAC) and Disciplinary Authorities (DAs) and conveying of the decisions of the CVO / ACVO in such matters. Also, complaints received from various quarters including CVC / RBI / DFS / CBI, are examined thoroughly and dealt appropriately in line with the CVC guidelines and Staff Accountability Policy of the Bank.

During the Financial Year, the Wing as per the directions of the Central Vigilance Commission had observed, “Vigilance Awareness Week” from 27.10.2025 to 02.11.2025 with the theme, “Vigilance - our Shared Responsibility” and various activities such as Walkathon, Quiz contest, Seminars, Essay writing competition & several outreach programmes were conducted during the week to create awareness among the general public.

For monitoring the functions of Vigilance Officers in the Circle Offices/ Regional Offices, the Vigilance Wing has developed an exclusive package, “Preventive Vigilance Management System (PVMS)”, where the Branch visits by the Vigilance Officers, their observations and rectification of observations are followed up and the data on the same are generated on a real time basis.

The Wing during the financial year has implemented “Vigilance Risk Perception Index (VRPI)”, for evaluating level of compliance at Circles and Regions based on various Vigilance Risk Parameters.

यह विभाग, मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में संभावित सुधारों के संबंध में, 'प्रणालीगत सुधारों' का सुझाव देकर प्रबंधन को लगातार परामर्श दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, इस विभाग द्वारा सुझाए गए 10 प्रणालीगत सुधारों को बैंक द्वारा लागू किया गया है।

## भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सुचारू अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। आरबीआई ने अपनी संसूचना संदर्भ: डीबीआर.बीपी.बीसी. सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आईएनडी एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्ध-वार्षिक आधार पर आरबीआई को नियमानुरूप (प्रो-फॉर्मा) वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

The Wing is continuously suggesting the Management on possible improvements in the existing systems & procedures by way of suggesting Systemic Improvements. As many as 10 systemic improvements suggested by the Wing have been implemented by the Bank during the financial year 2025-26.

## Implementation of Indian Accounting Standards

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Project Steering Committee headed by Executive Director has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. RBI, vide its communication ref: DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22<sup>nd</sup> March, 2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice. Bank is submitting Pro-Forma Financial Statements to RBI on Half-yearly basis as per the guidelines of RBI.

## वित्तीय सुपरमार्केट

Restricted

केनरा बैंक ने ग्राहकों को 'वन स्टॉप बैंकिंग' सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 1980 के दशक के अंत में अनुषंगियों को खोलकर विविध कारोबारी गतिविधियों की शुरुआत की है। वर्तमान में, बैंक छह घरेलू अनुषंगी, पांच सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उद्यम के साथ एक 'वित्तीय सुपरमार्केट' के रूप में कार्य करता है। बैंक की सभी घरेलू अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों ने वर्ष 2025-26 के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन दर्ज किया। आरबीआई ने केनरा समूह को बैंक के नेतृत्व वाले वित्तीय समूह के रूप में और केनरा बैंक को समूह के लिए नामित इकाई के रूप में पहचाना है।

### केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल) :

केनरा बैंक की प्रायोजित इकाई मेसर्स केनफिन होम्स लिमिटेड देश की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस संस्थाओं में से एक है। बैंक के पास कंपनी की 29.99% हिस्सेदारी है। मार्च 2026 तक कंपनी के बकाया ऋण ₹42,209 करोड़ थे। कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹857.16 करोड़ के मुकाबले ₹1,085.75 करोड़ का निवल लाभ कमाया, जिसमें 27% की सालाना (वर्ष दर वर्ष) वृद्धि हुई। 31.03.2026 तक कंपनी का सकल एनपीए ₹357 करोड़ (0.85%) और निवल एनपीए ₹156 करोड़ (0.37%) था। कंपनी ने 350% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 400% का अंतिम लाभांश भी घोषित किया है।

## FINANCIAL SUPERMARKET

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket', with six Domestic Subsidiaries, five associates and one joint venture. All the Domestic Subsidiaries / Associates / Joint Venture of the Bank recorded satisfactory performance during the year 2025-26. RBI has identified Canara Group as a bank led Financial Conglomerate and Canara Bank as the designated entity for the group.

### CAN FIN HOMES LIMITED (CFHL):

M/s Can Fin Homes Limited, a sponsored entity of Canara Bank is one of the premier housing finance entities in the country. The bank holds 29.99% stake with the company. The loans outstanding of the Company as at March 2026 were ₹42,209 Crores. The Company earned a Net Profit of ₹1,085.75 crore as against ₹857.16 Crores in the previous year, with y-o-y growth of 27%. Gross NPAs of the Company was ₹357 Crores (0.85%) and Net NPA was ₹156 Crores (0.37%) as on 31.03.2026. The Company has provided an interim dividend of 350% and also declared final dividend of 400% for FY 2025-26.

#### केनरा एचएसबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड :

मेसर्स केनरा एचएसबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड (सीएचएलआईसी) वर्ष 2007 में एचएसबीसी बीमा (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग लिमिटेड के सहयोग से बैंक द्वारा शुरू किया गया एक जीवन बीमा संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम ने दिनांक 16.06.2008 से अपने कारोबार परिचालन की शुरुआत की। कंपनी 17 अक्टूबर, 2025 को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हुई, जिसमें केनरा बैंक एवं एचएसबीसी बीमा (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग लिमिटेड की वर्तमान शेयरधारिता क्रमशः (36.5 प्रतिशत) व (25.5 प्रतिशत) की है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ₹9,840.98 करोड़ का निवल प्रीमियम दर्ज किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹126.61 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। कंपनी ने वर्ष 2025-26 के लिए 4% का अंतिम लाभांश घोषित किया है।

#### केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएमसी):

मेसर्स केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड केनरा बैंक और मेसर्स ओरिक्स कॉर्पोरेशन, जापान का एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है। कंपनी 16 अक्टूबर, 2025 को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हुई थी, जिसमें केनरा बैंक की मौजूदा शेयरहोल्डिंग 38 प्रतिशत और ओरिक्स कॉर्पोरेशन यूरोप एन वी की 37 प्रतिशत है। यह कंपनी अभी 27 म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन कर रही है, जिनमें इक्विटी, बैलेंस्ड और डेट स्कीम का मिश्रण शामिल है। कंपनी ने ₹206.68 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15% का अंतरिम लाभांश दिया है, साथ ही 25% का अंतिम लाभांश भी घोषित किया है।

#### केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड (सीबीएसएल) :

मेसर्स केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। सीबीएसएल ने दिनांक 01.04.2017 से केनरा बैंक से निक्षेपागार अनुषंगी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) सेवाएं ले ली हैं। मेसर्स केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड डीमैट सेवाएं (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट), ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई-बीमा और वित्तीय उत्पादों के वितरण की सेवाएं प्रदान कर रही है। कंपनी संस्थागत और खुदरा दोनों तरह के ग्राहकों को स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने वर्ष 2025-26 के लिए ₹5.25 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है।

#### केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल):

मेसर्स केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड देश की एकमात्र ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसे एक पब्लिक सेक्टर बैंक ने प्रमोट किया है, जिसमें बैंक की 69.14% हिस्सेदारी है। सीसीएसएल मुख्य रूप से आईटी और सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, बीपीओ सेवाओं, एटीएम सेवाओं और मानव संसाधन प्रशिक्षण के काम में लगी हुई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹15.97 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 50% का अंतरिम लाभांश दिया है।

#### CANARA HSBC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:

M/s Canara HSBC Life Insurance Company Ltd (CHLIC) is a Life Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited in the year 2007. The JV commenced its business operations with effect from 16.06.2008. The company got listed on BSE & NSE on October 17, 2025 with present shareholding of Canara Bank (36.5 per cent) and HSBC Insurance (Asia Pacific) Holdings Limited (25.5 per cent). The Company recorded net premium of ₹9,840.98 Crores during the FY 2025-26. The Company registered Net Profit of ₹126.61 Crores for FY 2025-26. The company has declared final dividend of 4% for the year 2025-26.

#### CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED (CRAMC):

M/s Canara Robeco Asset Management Company Limited is a joint venture (JV) of Canara Bank and M/s Orix Corporation, Japan. The company is listed on NSE & BSE on October 16, 2025 with present shareholding of Canara Bank (38 per cent) and Orix Corporation Europe N V (37 per cent). The Company is currently managing 27 Mutual Fund Schemes with a mix of equity, balanced and debt schemes. The Company has registered a net profit of ₹206.68 Crores and has provided an interim dividend of 15% and also declared final dividend of 25% for FY 2025-26.

#### CANARA BANK SECURITIES LIMITED (CBSL):

M/s Canara Bank Securities Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank. CBSL has taken over the Depository participant services from Canara Bank w.e.f. 01.04.2017. M/s Canara Bank Securities Ltd. is extending Demat Services (Depository Participant), Online Trading, e-Insurance and distribution of Financial products. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. The Company has registered a net profit of ₹5.25 Crores for the year 2025-26.

#### CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED (CCSL):

M/s Canbank Computer Services Limited is Software Company promoted by Canara Bank with 69.14% shareholding. CCSL is mainly engaged in IT and Software development services, BPO services, ATM services and Manpower Training. The Company has posted net profit of ₹15.97 Crores for FY 2025-26. The Company has provided an interim dividend of 50% FY 2025-26.



## केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल) :

मेसर्स केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड बैंक की फैक्ट्रिंग अनुषंगी कंपनी है, जिसमें बैंक की 70% हिस्सेदारी है। 2025-26 के दौरान, कंपनी का कुल कारोबार ₹82.44 करोड़ रहा, जिसमें ₹2.34 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया गया।

## केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीएफएल) :

मेसर्स केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है और केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड ट्रस्ट की ट्रस्टी और प्रबंधक है। कंपनी वर्तमान में फंड ऑफ फंड सहित 3 फंड का प्रबंधन कर रही है, जिसका वर्तमान कुल एयूएम ₹160.40 करोड़ है। कंपनी ने वर्ष 2025-26 के दौरान ₹0.81 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया।

## केनबैंक वित्तीय सेवा लिमिटेड (केनफिना) :

मेसर्स केनबैंक वित्तीय सेवा लिमिटेड अपनी गतिविधियों को प्रतिभूतियों में पिछले लेनदेन से उत्पन्न कानूनी मामलों और डिक्री खातों के तहत बकाया की वसूली तक सीमित कर रही है। कंपनी ने लाभांश की प्राप्ति, बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज और लंबित मुकदमों से संबंधित राशि के माध्यम से वर्ष 2025-26 के लिए ₹6.47 करोड़ का लाभ दर्ज किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 16.67% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है।

## उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) :

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे बैंक द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के साथ संयुक्त उद्यम शेयरधारक समझौते के तहत स्थापित किया गया है।

एचईएफए की स्थापना शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए की गई है, जिसमें अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना भी शामिल है, जिससे संस्थानों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकिंग तक पहुंचने में मदद मिलेगी। दिनांक 31.03.2026 तक, शिक्षा मंत्रालय ने क्रमशः ₹4,812.50 करोड़ की पूंजी डाली है और केनरा बैंक ने ₹481.25 करोड़ का योगदान दिया है। यथा 31.03.2026 तक स्वीकृत कुल ऋण ₹48,311.75 करोड़ है और संवितरण ₹24,977.61 करोड़ है।

एचईएफए ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न संस्थानों को ₹2,376.78 करोड़ का ऋण वितरित किया है और बैंक को एचईएफए से ₹17.83 करोड़ का प्रबंधन शुल्क प्राप्त हुआ है।

## CANBANK FACTORS LIMITED (CFL):

M/s Canbank Factors Limited is a factoring Subsidiary of the Bank with 70% stake held by the Bank. During 2025-26, the Company had a total business turnover of ₹82.44 Crores, registering net profit of ₹2.34 Crores.

## CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED (CVCFL):

M/s Canbank Venture Capital Fund Limited is a Wholly Owned Subsidiary of the Bank and the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund Trust. The company presently managing 3 funds including Fund of Fund with present total AUM of ₹160.40 Crores. The Company recorded a net profit of ₹0.81 Crores during the year 2025-26.

## CANBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED (CANFINA):

M/s Canbank Financial Services Limited is confining its activities to legal matter arising out of past transactions in securities and recovery of dues under decreed accounts. Company has posted a profit of ₹6.47 Crores for the year 2025-26 by way of receipt of dividends, interest received on Bank deposits and amount pertaining to pending litigations. The Company has provided an interim dividend of 16.67% for FY 2025-26.

## HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA):

Higher Education Financing Agency (HEFA), is a not-for-profit organization, set up by the Bank under a joint venture share holder agreement with the Ministry of Education (MoE), Government of India.

HEFA has been set up for developing the educational infrastructure, including R&D infrastructure thereby enabling the institutions to reach top rankings globally. As on 31.03.2026, MoE has infused Capital of ₹4,812.50 Crores and Canara Bank has contributed ₹481.25 Crores respectively. The total loans sanctioned till 31.03.2026 is ₹48,311.75 Crores and disbursement stood at ₹24,977.61 Crores.

HEFA has disbursed ₹2,376.78 Crores of loans to different institutions during FY 2025-26 and Bank has received ₹17.83 Crores of Management Fee from HEFA.



### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

मार्च 2026 तक, बैंक के पास दो प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) थे, अर्थात्, केरल में केरल ग्रामीण बैंक (केईजीबी), कर्नाटक में कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है।

केरल ग्रामीण बैंक (केईजीबी) केरल के सभी 14 जिलों में 635 शाखाओं और 269 एटीएम के साथ बैंक परिचालित होता है। मार्च 2026 तक बैंक का कुल कारोबार ₹65,835 करोड़ (अंकेक्षित नहीं) है। (जमा: ₹32,489 करोड़, अग्रिम: ₹33,346 करोड़)।

कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) कर्नाटक के 31 जिलों में 1750 शाखाओं और 211 एटीएम के साथ बैंक परिचालित होता है। मार्च 2026 तक बैंक का कुल कारोबार ₹1,10,974 करोड़ (लेखापरीक्षित) है। (जमा: ₹60,055 करोड़, अग्रिम: ₹50,919 करोड़)।

मार्च 2026 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) का कुल कारोबार बढ़कर ₹1,76,809 करोड़ हो गया, जिसमें ₹92,544 करोड़ की जमा राशि और ₹84,265 करोड़ की अग्रिम राशि शामिल है। बैंक के बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) एटीएम सह डेबिट कार्ड सेवाओं जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) 100% सीबीएस अनुपालन करते हैं और अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, रुपये डेबिट कार्ड सेवाएं, खाता संग्राहक (अकाउंट एग्रीगेटर) और आधार सक्षम सेवाएं और एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से धन प्रेषण सुविधाएं जैसे आईटी आधारित उत्पादों का विस्तार करके प्रौद्योगिकी के मामले में अपने समकक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) से आगे हैं।

### कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

हमारा बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम समाज की भलाई के लिए कई तरह की गतिविधियाँ करते हैं, जैसे: बेरोज़गार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, होनहार एससी / एसटी छात्राओं को स्कॉलरशिप देना, स्कूलों का नवीनीकरण करना और ज़रूरतमंद शिक्षण संस्थानों को अन्य बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना। इसके अलावा, हम प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पीने का पानी, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत और अन्य सामाजिक पहलों पर भी काम करते हैं।

सीएसआर के तहत, केनरा बैंक की कुछ प्रमुख पहलें ट्रस्टों और संस्थानों की स्थापना रही हैं। इन ट्रस्टों और संस्थानों ने लोगों और पूरे समाज की सेवा करने में एक गहरा प्रभाव डाला है। बैंक ने आजीविका सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों के लिए समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ साझेदारी भी की है, और कई सार्थक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

### REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As at March 2026, the Bank had two sponsored RRBs, viz., Kerala Grameena Bank (KeGB) in Kerala and Karnataka Grameena Bank (KaGB) in Karnataka.

Kerala Grameena Bank (KeGB) operates in all 14 districts of Kerala with 635 branches & 269 ATMs. The total business of the Bank as at March 2026 is ₹65,835 Crores (Unaudited). (Deposits: ₹32,489 Crores, Advances: ₹33,346 Crores).

Karnataka Grameena Bank (KaGB) operates in 31 districts of Karnataka with 1750 branches & 211 ATMs. The total business of the Bank as at March 2026 is ₹1,10,974 Crores (Unaudited). (Deposits: ₹60,055 Crores, Advances: ₹50,919 Crores).

Aggregate business of the RRBs increased to ₹1,76,809 Crores as at March 2026 comprising of Deposits of ₹92,544 Crores and Advances of ₹84,265 Crores. Through the Bank's infrastructure support, the RRBs are extending facilities, like, ATM-cum-Debit Card services. The sponsored RRBs are 100% CBS compliant and are ahead of their peer RRBs under technology front by extending IT based products, like Internet Banking, Mobile Banking, RuPay Debit Card services, Account Aggregator and also Aadhaar enabled services and remittance facilities through NEFT / RTGS to their customers.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Our Bank remains committed to Corporate Social Responsibility (CSR), towards betterment of the society at large through various activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC / ST Girl students, renovation of schools and providing of other infrastructural facilities to needy educational institutes, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women, environment protection, Swachh Bharat and other social initiatives.

Major initiatives of the Canara Bank under CSR have been the setting up of Trusts and Institutions which have created an impact in serving the people and society at large. Bank has also been partnering with like-minded organizations for CSR activities in the area of livelihood creation, education, health and environment and participated in meaningful activities.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत, केनरा बैंक ने विभिन्न सामाजिक पहलें शुरू की हैं और इन पर कुल 10,000.00 लाख रुपये का खर्च किया है। इनमें से कुछ सामाजिक पहलों का विवरण नीचे दिया गया है।

- ✓ **शिक्षा:** बैंक ने देश में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। हमारे बैंक ने स्कूलों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने, छात्रों के लिए किताबें और स्कूल की ज़रूरी चीज़ें देने, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय आदि स्थापित करने में योगदान दिया है, खासकर हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में।
  - केनरा बैंक डॉ. अंबेडकर विद्या ज्योति छात्रवृत्ति योजना, मेधावी एससी / एसटी छात्राओं के लिए। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 45,670 छात्राओं को ₹1825.04 लाख की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई हैं।
  - शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुछ प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्रम संख्या | संगठन का नाम                                                                       | उद्देश्य                                                                        | स्वीकृत राशि [लाख] |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1           | गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, मुम्मिदिवरम, जिला- डॉ. बीआर अंबेडकर कोनासीमा, आंध्र प्रदेश | सरकारी डिग्री कॉलेज, मुम्मिदिवरम में संरचना विकास के लिए                        | 100.00             |
| 2           | पीएलएस जेडपी हाई स्कूल, अकिविदु, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश                 | सीएसआर एक्टिविटी के तहत साइकिल शेड, लड़कियों के टॉयलेट और किचन शेड बनाने के लिए | 30.00              |
| 3           | जिला परिषद हाई स्कूल येल्लूर, जिला - नागरकुरनूल, तेलंगाना                          | कक्षाओं का निर्माण                                                              | 30.00              |
| 4           | सैनिक स्कूल सतारा, जिला पुणे, महाराष्ट्र                                           | स्कूल बस की खरीद                                                                | 30.00              |

Under Corporate Social Responsibility (CSR), Canara Bank has undertaken various social initiatives and have spent a total outlay of ₹10,000.00 Lakhs. A few social initiatives are outlined below.

- ✓ **Education:** Bank has taken up initiatives to promote education and skill development in the country. Our Bank has contributed towards providing infrastructure to schools, books and school essentials for students, setting up of Digital classrooms, computer labs, libraries etc. especially in the rural areas of our country.
  - Canara Bank Dr. Ambedkar Vidya Jyothi Scholarship Scheme to meritorious SC / ST Girl Students. During FY 2025-26, 45,670 students have been provided with scholarships to the tune of ₹1825.04 Lakhs.
  - The details of few major CSR projects under education sector sanctioned in the financial year 2025-26 are mentioned below:

| Sl. No. | Organisation Name                                                                           | Purpose                                                                            | Amount sanctioned [In Lakhs] |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | Government Degree College, Mummidivaram, Dist.- Dr. B.R. Ambedkar Konaseema, Andhra Pradesh | Government Degree College, Mummidivaram for infrastructure development             | 100.00                       |
| 2       | PLS Z P High School, Akividu, West Godavari District, Andhra Pradesh                        | For construction of cycle shed, Girl's toilets and Kitchen shed under CSR activity | 30.00                        |
| 3       | Zilla Parishad High School Yellur, Dist- Nagarkurnool, Telangana                            | Construction of classrooms                                                         | 30.00                        |
| 4       | Sainik School Satara, Dist. Pune, Maharashtra                                               | Purchase of school bus                                                             | 30.00                        |

|   |                                          |                                                                |       |
|---|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | नेशनल एजुकेशन सोसाइटी शिवमोग्गा, कर्नाटक | एक स्कूल बस की खरीद                                            | 28.50 |
| 6 | भीमावरम नगर पालिका, आंध्र प्रदेश         | भीमावरम में दंतुलुरी नारायण राजू मेमोरियल लाइब्रेरी का निर्माण | 25.00 |
| 7 | आईआईएम बेंगलूरु                          | दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) का कार्यान्वयन              | 25.00 |

- ✓ **स्वास्थ्य:** बैंक ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सहयोग देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, क्लिनिक, प्रयोगशालाएँ आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत कुछ प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्रम संख्या | संगठन का नाम                                                    | उद्देश्य                                                                  | स्वीकृत राशि [लाख में] |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | श्री सत्य साईं स्वास्थ्य एवं शिक्षा ट्रस्ट, जिला- पलवल, हरियाणा | बच्चों की कार्डियक सर्जरी के लिए ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट और डिवाइस देना  | 96.15                  |
| 2           | मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गंगावती, जिला- कोप्पल, कर्नाटक          | एसएनएसयू विभाग को मेडिकल उपस्कर और उपकरण उपलब्ध कराना                     | 75.02                  |
| 3           | मेसर्स नवसृष्टि फाउंडेशन, जिला- महाराजगंज, उत्तर प्रदेश         | सैनिटरी नैपकिन वितरण एवं जागरूकता कार्यक्रम, महाराजगंज जिला, उत्तर प्रदेश | 50.00                  |

|   |                                                  |                                                                        |       |
|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | National Education Society Shivamogga, Karnataka | Purchase of one school bus                                             | 28.50 |
| 6 | Bhimavaram Municipality, Andhra Pradesh          | Construction of Dantuluri Narayana Raju Memorial Library in Bhimavaram | 25.00 |
| 7 | IIM Bengaluru                                    | Implementation of Document Management System (DMS)                     | 25.00 |

- ✓ **Health:** Bank has undertaken various initiatives to support the health sector including hospitals, health centres, clinics, laboratories etc., The details of few major CSR projects under health sector sanctioned in the financial year 2025-26 are mentioned below:

| Sl. No. | Organisation Name                                                | Purpose                                                                                 | Amount sanctioned [In Lakhs] |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | Sri Sathya Sai Health & Educational Trust, Dist- Palwal, Haryana | Providing critical medical equipment and devices required in paediatric cardiac surgery | 96.15                        |
| 2       | Mother and Child Hospital Gangavathi, Dist- Koppal, Karnataka    | Providing medical equipment and instruments to the SNCU Wing                            | 75.02                        |
| 3       | M/s. Navshristi Foundation, Dist- Maharajganj, Uttar Pradesh     | Sanitary Napkin Distribution and Awareness Program, Maharajganj District, Uttar Pradesh | 50.00                        |

|   |                                                                      |                                                                                                                         |       |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4 | गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल, तुनी, जिला- काकीनाडा, आंध्र प्रदेश         | ऑर्थो और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के लिए मेडिकल उपस्कर की खरीद                                                          | 29.99 |
| 5 | जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल                    | जलपाईगुड़ी के नागराकाटा में बीएचओएम में रेडियोग्राफिक एक्स-रे मशीन की स्थापना                                           | 16.80 |
| 6 | क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जिला- वेल्लोर, तमिलनाडु                      | क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए मोनोक्रोमेटर बेस्ड-एब्जॉर्बेंस प्लेट रीडर की खरीद                 | 11.80 |
| 7 | डी.ए.पांडु मेमोरियल आर.वी. डेंटल कॉलेज और अस्पताल, बेंगलूरु, कर्नाटक | ओरल हेल्थकेयर की ज़रूरत वाले स्पेशल बच्चों के इलाज के लिए एक बेसिक डेंटल ऑपरेटरी बनाने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट खरीदना। | 9.95  |

|   |                                                                        |                                                                                                                                      |       |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4 | Government Area Hospital, Tuni, Dist- Kakinada, Andhra Pradesh         | Purchase of medical equipment to ortho and physiotherapy departments                                                                 | 29.99 |
| 5 | District Magistrate Office Jalpaiguri, West Bengal                     | Installation of a Radiographic X-RAY machine at BMOH, Nagrakata, Jalpaiguri                                                          | 16.80 |
| 6 | Christian Medical College Dist.- Vellore, Tamil Nadu                   | Purchase of Monochromator Based-Absorbance Plate Reader for the Department of Clinical immunology and Rheumatology                   | 11.80 |
| 7 | D.A.Pandu Memorial R V Dental College & Hospital, Bengaluru, Karnataka | Purchase of medical equipment for establishing a basic Dental Operatory for treatment of special children with oral healthcare needs | 9.95  |

✓ **गरीबी और पोषण:** बैंक ने देश में गरीबी कम करने और पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। बैंक ने मंदिरों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों आदि के माध्यम से वंचित लोगों को भोजन और पोषण उपलब्ध कराने की पहल की है।

‘गरीबी और पोषण’ क्षेत्र के अंतर्गत की गई कुछ सीएसआर पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

✓ **Poverty and Nutrition:** Bank has undertaken various initiatives to alleviate poverty and improve nutrition in the country. Bank has taken initiatives to provide food & nutrition to underprivileged people through temples, orphanages, old age homes etc.

Details of few CSR initiatives taken under Poverty and Nutrition sector are given below:



| क्रम संख्या | संगठन का नाम                                                                 | उद्देश्य                                                                                                             | स्वीकृत राशि [लाख में] |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | जिला टीबी केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल                                         | 600 कमजोर टीबी मरीजों को पोषण आहार किट वितरित                                                                        | 9.00                   |
| 2           | श्री नवनरसिंह नित्य अन्नदान ट्रस्ट, जिला - बेंगलूरु, कर्नाटक                 | एक भोजन परोसने वाले वाहन की खरीद                                                                                     | 7.31                   |
| 3           | श्री सुब्रह्मण्य सांस्कृतिक, शैक्षिक और अन्नदान ट्रस्ट, जिला - कोट्टयम, केरल | मेडिकल कॉलेज, कोट्टयम में आने वाले मरीजों और समाज के कमजोर तबके के लोगों को मुफ्त खाना और भोजन (अन्नदानम) बांटा गया। | 5.00                   |

- ✓ **पर्यावरण सुरक्षा:** बैंक ने पर्यावरण की सुरक्षा और धारणीयता को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। बैंक ने पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों, यूनिवर्सिटी, पंचायतों वगैरह में सोलर पैनल, सोलर पावर प्लांट, ग्रिड, वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बायो गैस प्लांट लगाने जैसी हरित पहल की हैं। पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र के तहत की गई कुछ बड़ी सीएसआर पहलों की जानकारी नीचे दी गई है:

| क्रम संख्या | संगठन का नाम                | उद्देश्य                                        | स्वीकृत राशि [लाख में] |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | मुख्यमंत्री राहत कोष, पंजाब | हाल ही में आई बाढ़ के लिए आपात मदद राहत के उपाय | 50.00                  |

| Sl. No. | Organisation Name                                                                | Purpose                                                                                                                                           | Amount sanctioned [In Lakhs] |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | District TB Centre, Thiruvananthapuram, Kerala                                   | Distribution of nutritional food kits to 600 vulnerable TB Patients                                                                               | 9.00                         |
| 2       | Sri Nava Narasimha Nithya Annadana Trust, Dist - Bengaluru, Karnataka            | Purchase of one food serving vehicle                                                                                                              | 7.31                         |
| 3       | Sree Subrahmanya Cultural, Educational & Annadana Trust, Dist - Kottayam, Kerala | Distribution of free meals and food (Annadanam) to patients and people from weaker sections of the society visiting the Medical College, Kottayam | 5.00                         |

- ✓ **Environmental Protection:** Bank has undertaken initiatives to protect the environment and promote sustainability. Bank has implemented green initiatives, such as installation of solar panels, solar power plants, grids, water harvesting systems, bio-gas plants in Govt. schools, Universities, Panchayats etc. to promote environment protection. Details of few Major CSR initiatives taken under Environmental Protection sector are given below:

| Sl. No. | Organisation Name                    | Purpose                                               | Amount sanctioned [In Lakhs] |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | Chief Minister's Relief Fund, Punjab | Emergency assistance for recent flood Relief measures | 50.00                        |

|   |                                                       |                                                 |       |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| 2 | डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, आंध्र प्रदेश | 100KW सोलर रूफटॉप पावर प्लांट की स्थापना        | 40.00 |
| 3 | मुख्यमंत्री राहत कोष, उत्तराखंड                       | हाल ही में आई बाढ़ के लिए आपात मदद राहत के उपाय | 25.00 |

- ✓ **स्वच्छ भारत :** बैंक ने स्वच्छ भारत मिशन को सपोर्ट करने के लिए पहल की है, और इस क्षेत्र के तहत कई दूसरी गतिविधियों को सपोर्ट किया गया है। स्वच्छ भारत सेक्टर के तहत मुख्य सीएसआर गतिविधियों नीचे दी गई हैं:

| क्रम संख्या | संगठन का नाम                                                  | उद्देश्य                                                                                    | स्वीकृत राशि [लाख में] |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, तमिलनाडु                            | चेन्नई शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सड़क के रखरखाव के लिए 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद | 10.00                  |
| 2           | शिवकाशी सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला- विरुधुनगर, तमिलनाडु | कचरा इकट्ठा करने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक टिपर गाड़ी खरीदी जाएगी।                      | 7.98                   |
| 3           | ग्राम पंचायत कैंडोलिम जिला- उत्तरी गोवा, गोवा                 | हेवी ड्यूटी ACP पैनल के साथ पोर्टेबल टॉयलेट उपलब्ध कराना                                    | 5.71                   |

- ✓ **दिव्यांगजनों की मदद:** बैंक ने दिव्यांगजनों को मज़बूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं और साल के दौरान कुछ खास काम इस तरह हैं:

| क्रम संख्या | संगठन का नाम                                 | उद्देश्य                                        | स्वीकृत राशि [लाख में] |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | स्वयंभू श्री वरसिद्धी विनायकस्वामी देवस्थानम | तीर्थयात्रियों के परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन | 5.34                   |

|   |                                                       |                                                       |       |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 2 | Dr. NTR University of Health Sciences, Andhra Pradesh | Installation of 100KW Solar Rooftop Power Plant       | 40.00 |
| 3 | Chief Minister's Relief Fund, Uttarakhand             | Emergency assistance for recent flood Relief measures | 25.00 |

- ✓ **Swachh Bharat:** Bank has taken up initiatives to support the Swachh Bharat Mission, and various other activities have been supported under the sector. The major CSR activities under Swachh Bharat sector are mentioned below:

| Sl. No. | Organisation Name                                                    | Purpose                                                                                                     | Amount sanctioned [In Lakhs] |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | Greater Chennai Corporation, Tamil Nadu                              | Procurement of 5 electric vehicles intended for solid waste management and road maintenance in Chennai City | 10.00                        |
| 2       | Sivakasi City Municipal Corporation, Dist.- Virudhunagar, Tamil Nadu | Purchase of one tipper vehicle for collection and transportation of garbage                                 | 7.98                         |
| 3       | Village Panchayat Candolim Dist.- North Goa, Goa                     | Providing portable toilet with heavy duty ACP panel                                                         | 5.71                         |

- ✓ **Assistance to Divyangjan:** Bank has taken various initiatives to empower Divyangjan and some of the major activities during the year are as under:

| Sl. No. | Organisation Name                                  | Purpose                                         | Amount sanctioned [In Lakhs] |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | Swayambhu Sri Varasiddhi Vinayakaswamy Devasthanam | Electric vehicle for transportation of pilgrims | 5.34                         |

|   |                                                                               |                                                                                   |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | श्रीकालहस्तीश्वर स्वामी देवस्थानम्, श्रीकालहस्ती, जिला- तिरुपति, आंध्र प्रदेश | तीर्थयात्रियों (वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों) के परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन | 5.32 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|

- ✓ **कौशल विकास :** बैंक ने 44 आरएसईटीआई, 27 आरयूडीएसईटीआई, 5 सीबीआईआईटी, 3 एटीआई और 4 जॉइंट वेंचर्स को स्पॉन्सर / को-स्पॉन्सर किया है, जिनसे अब तक 12.68 लाख से ज्यादा बेरोज़गार युवाओं को प्रशिक्षण मिला है, और सेटलमेंट रेट 78% रहा है।
- ✓ **ग्रामीण विकास:** बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। कुछ प्रमुख गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं:

| क्रम संख्या | संगठन का नाम                                                                                         | उद्देश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्वीकृत राशि [लाख में] |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | एसपी कार्यालय, विजयपुर जिला पुलिस विभाग, विजयपुर, कर्नाटक                                            | विजयपुर जिला पुलिस विभाग के एसपी कार्यालय में एक नए सभागार और अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए।                                                                                                                                                                                                          | 332.66                 |
| 2           | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय), दिल्ली | कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) पहल के तहत पीएम धन-धान्य जिलों के 50 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सशक्त बनाने और टिकाऊ एवं आय बढ़ाने वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5 विभिन्न क्षेत्रों (चंडीगढ़, चेन्नई, रायपुर, गुवाहाटी और जयपुर) में कार्यशालाओं के दौरान बीज वितरण के लिए। | 50.00                  |

|   |                                                                                      |                                                                                  |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | Sri Kalahasteswara Swamy Devasthanam, Sri Kalahasti, Dist.- Tirupati, Andhra Pradesh | Electric vehicle for transportation of pilgrims (senior citizens and Divyangjan) | 5.32 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|

- ✓ **Skill Development:** The Bank has sponsored/co-sponsored 44 RSETIs, 27 RUDSETIs, 5 CBIITs, 3 ATIs and 4 joint ventures which have trained more than 12.68 Lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 78%.
- ✓ **Rural Development:** Bank has taken up various initiatives to support the Rural Areas. The major activities are given below:

| Sl. No. | Organisation Name                                                                                      | Purpose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amount sanctioned [In Lakhs] |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | SP Office, Vijayapur District Police Department, Vijayapur, Karnataka                                  | Towards construction of a new auditorium and additional rooms at SP Office, Vijayapur District Police Department                                                                                                                                                                                                                                                            | 332.66                       |
| 2       | Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare (MoA&FW), Delhi | Towards seed distribution during the workshops in 5 different regions (Chandigarh, Chennai, Raipur, Guwahati & Jaipur) under the Agriculture Infrastructure Fund (AIF) initiative for more than 50 Farmer Producer Organizations (FPO's) from PM Dhan-Dhaanya Districts aiming to strengthen FPO's and promotion of sustainable and income-enhancing agricultural practices | 50.00                        |

|   |                                                                               |                                                                     |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 3 | चेतना विकास स्वरया ट्रस्ट, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश                             | प्रशिक्षण एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण संस्थान के नवीनीकरण के लिए। | 28.74 |
| 4 | डॉ. बी.आर. अंबेडकर और जी.एम.सी. बालायोगी सामुदायिक भवन, कैकलुरु, आंध्र प्रदेश | कैकलुरु में सामुदायिक भवन का निर्माण।                               | 25.00 |

- ✓ **खेल क्षेत्र** को समर्थन देने के लिए खेल संबंधी पहल की गई। कुछ प्रमुख गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्रम संख्या | संगठन का नाम                                               | उद्देश्य                                                                       | स्वीकृत राशि [लाख में] |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | लक्ष्य एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड बेंगलूरु, कर्नाटक | खेल विज्ञान उपकरण खरीदने के लिए                                                | 28.29                  |
| 2           | अश्विनी स्पोर्ट्स फाउंडेशन, कोडागु, कर्नाटक                | एसएफ जूनियर इंडिया हॉकी अकादमी में एस्ट्रो-टर्फ हॉकी मैदान स्थापित करने के लिए | 25.00                  |

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत क्षेत्रवार कुल सहायता का विवरण इस प्रकार है:

| क्रम संख्या | सीएसआर के अंतर्गत क्षेत्रवार प्रस्ताव | स्वीकृत राशि [लाख में] |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1           | शिक्षा                                | 3218.11                |
| 2           | खेल                                   | 231.73                 |
| 3           | ग्रामीण विकास                         | 2614.11                |
| 4           | पर्यावरण संरक्षण                      | 324.49                 |
| 5           | स्वच्छ भारत                           | 422.61                 |
| 6           | स्वास्थ्य                             | 880.22                 |
| 7           | दिव्यांगजन एवं अन्य                   | 1638.29                |
| 8           | गरीबी एवं पोषण                        | 453.44                 |

|   |                                                                                  |                                                                                  |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3 | Chetna Vikas Swaraya Trust, Bulandshahar, Uttar Pradesh                          | Towards renovation of training institute towards training and skill development. | 28.74 |
| 4 | Dr.B.R.Ambedkar and G M C Balayogi Community Building, Kaikaluru, Andhra Pradesh | Construction of Community Building at Kaikaluru                                  | 25.00 |

- ✓ **Sports initiatives** were undertaken to support the sports sector. The few Major activities are mentioned below:

| Sl. No. | Organisation Name                                         | Purpose                                                                          | Amount sanctioned [In Lakhs] |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1       | Lakshyan Academy of Sports Pvt. Ltd. Bengaluru, Karnataka | Towards purchase of sports science equipment                                     | 28.29                        |
| 2       | Ashwini's Sports Foundation, Kodagu, Karnataka            | Towards setting up of Astro-Turf Hockey Field at ASF Junior India Hockey Academy | 25.00                        |

Total sector wise assistance under CSR activities for the FY 2025-26 is as under:

| Sl. No. | Sector wise proposals under CSR | Amount Sanctioned [In Lakhs] |
|---------|---------------------------------|------------------------------|
| 1       | Education                       | 3218.11                      |
| 2       | Sports                          | 231.73                       |
| 3       | Rural Development               | 2614.11                      |
| 4       | Environment Protection          | 324.49                       |
| 5       | Swachh Bharat                   | 422.61                       |
| 6       | Health                          | 880.22                       |
| 7       | Divyangjan & Others             | 1638.29                      |
| 8       | Poverty & Nutrition             | 453.44                       |



|    |                  |                 |
|----|------------------|-----------------|
| 9  | महिला सशक्तिकरण  | 217.00          |
| 10 | कौशल विकास       | 2880.76         |
| 11 | वित्तीय साक्षरता | 825.00          |
|    | <b>कुल</b>       | <b>13705.76</b> |

|    |                    |                 |
|----|--------------------|-----------------|
| 9  | Women Empowerment  | 217.00          |
| 10 | Skill Development  | 2880.76         |
| 11 | Financial Literacy | 825.00          |
|    | <b>Total</b>       | <b>13705.76</b> |

## पुरस्कार / सम्मान और उपलब्धियाँ

- ✓ केनरा बैंक को 24 फरवरी 2026 को 'वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई स्थित ट्रांस-यूनियन सिबिल कार्यालय' में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच उपभोक्ता (कंज्यूमर) एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिए 'सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता सूचकांक पुरस्कार' प्राप्त हुआ, तथा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 'डेटा गुणवत्ता विजेता' के रूप में सम्मानित किया गया।
- ✓ केनरा बैंक को 3 जुलाई 2025 को 'भारतीय बैंक संघ, मुंबई' में देशव्यापी स्तर पर एक अभिनव शुरुआत के रूप में अपनी "बिजनेस अराउंड" (कारोबारी परिवेश) पहल के लिए वित्तीय सेवा विभाग से सम्मान प्राप्त हुआ।
- ✓ केनरा बैंक ने 11 जून 2025 को जेटी मेरियट, सहर मुंबई में आयोजित ईटी एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड्स 2025 में सीखने में एआई के सर्वोत्तम उपयोग (जनरल एआई और एआर / वीआर प्रशिक्षण ढांचा) के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ✓ केनरा बैंक को 20 जनवरी 2026 को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर में आयोजित मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार केनरा बैंक के समांजन में संचालित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति - नराकास (बैंक और बीमा) बेंगलूरु को प्रदान किया गया।
- ✓ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति - नराकास (बैंक और बीमा) बेंगलूरु के संयोजक बैंक के रूप में, केनरा बैंक को 14 सितंबर 2025 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा "प्रशंसनीय" श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया।
- ✓ केनरा बैंक को 12 जून 2025 को देहरादून में वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय संगोष्ठी / समीक्षा बैठक कार्यक्रम में वर्ष 2024-25 के लिए राजभाषा के बेहतर कार्यान्वयन हेतु 'ग' क्षेत्र के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

## AWARDS / ACCOLADES & ACHIEVEMENTS

- ✓ Canara Bank received Awards for Best Data Quality index award for Consumer and MFI amongst all public sector banks and was Recognized as the data quality champion amongst all public sector banks at Trans-union CIBIL Office, One World Trade Centre, Mumbai on 24<sup>th</sup> Feb 2026.
- ✓ Canara Bank received recognition from the Department of Financial services for its "Business Around" initiative as an innovative national wide rollout at the Indian bank's Association, Mumbai on 3<sup>rd</sup> July 2025.
- ✓ Canara Bank won the Gold Award at the ET HR World Future Skills Awards 2025 for best use of AI in learning (Gen AI & AR / VR training framework) at JW Marriot, Sahar, Mumbai on 11<sup>th</sup> June 2025.
- ✓ Canara Bank was honoured with the first prize by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India in the Joint Regional Official Language Conference of Central, Western and Southern Regions held on 20<sup>th</sup> January 2026 at Devi Ahilya University, Indore. The Award was presented under the TOLIC (Bank & Insurance) Bengaluru, where Canara bank was the convener.
- ✓ Canara Bank, as the convener bank of NARAKAS (Bank & Insurance) Bengaluru, was honoured under "Prashansaneeya" category by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India during the Hindi Diwas program held on 14<sup>th</sup> September 2025 in Gandhinagar, Gujarat.
- ✓ Canara Bank has been awarded the third prize in Region 'C' for better implementation of Official Language for the year 2024-25 in the two days seminar / review meeting programme organized by the Department of Financial Services at Dehradun on 12.06.2025.

- ✓ केनरा बैंक को 22 दिसंबर, 2025 को आयोजित होने वाले एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में निम्नलिखित प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है: सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में जागरूकता सृजन करने संबंधी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक के रूप में उपविजेता का पुरस्कार।
- ✓ केनरा बैंक की गृह पत्रिकाएँ, “श्रेयस” - द्विभाषी प्रकाशन और “केनरा ज्योति” - हिंदी प्रकाशन को दिनांक 27/09/2025 को गोवा में आयोजित 15वें पीआरसीआई (भारतीय जनसंपर्क परिषद) में उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 के अंतर्गत में सर्वश्रेष्ठ हाउस जर्नल प्रिंट (अंग्रेजी) और क्षेत्रीय श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा, केनरा बैंक की इन-हाउस पत्रिका - “श्रेयस” को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 13/12/2025 को देहरादून में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन - बेस्ट हाउस जर्नल - “अंग्रेजी” श्रेणी में तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ✓ केनरा बैंक को 24.10.2025 को आईआईएम बंगलूरु में नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड एनएसईएल द्वारा ई-बीजी (इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी) जारी करने की डिजिटल यात्रा में योगदान के लिए ‘ग्रीन वॉरियर’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया
- ✓ केनरा बैंक को एनएसई के माध्यम से आईपीओ में सक्रिय भागीदारी के लिए 21 अक्टूबर 2025 को मुहूर्त ट्रेडिंग समारोह के दौरान एनएसई मुंबई से, पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- ✓ केनरा बैंक ने 27 जून 2025 को 27.06.2025 को नई दिल्ली में ललित होटल’ में आयोजित ‘इंडिया एसएमई फोरम’ के राष्ट्रीय एमएसएमई इम्पैक्ट अवार्ड 2025 में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- ✓ केनरा बैंक को 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ‘स्कॉच पुरस्कार समारोह’ के अंतर्गत बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई) श्रेणी में निम्नलिखित दो सेवाओं / उत्पादों के लिए ‘स्वर्ण पुरस्कार’ प्राप्त हुए: ‘अवयस्क ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ’ हेतु स्वर्ण पुरस्कार तथा ‘हाइब्रिड पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल)’ हेतु स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ✓ केनरा बैंक को 27 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के ले मेरिडियन में एमएसएमई एक्सेलरेशन में सर्वश्रेष्ठ बैंक के लिए आईसीसी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार श्री. के. बालकृष्ण (उप महाप्रबंधक, अंका दिल्ली) द्वारा प्राप्त किया गया।
- ✓ केनरा बैंक को 03 जुलाई 2025 को मुंबई में आयोजित ‘ईज (EASE) 7.0 प्रशस्ति पत्र समारोह’ में ‘ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता’ विषय के अंतर्गत ‘सेकंड रनर अप’ (सेकंड रनर अप) का पुरस्कार मिला है।
- ✓ 1 जुलाई 2025 को मुंबई में आयोजित सम्मेलन में ट्रांसयूनियन सीआईबीएल द्वारा केनरा बैंक को प्रतिष्ठित “सर्वश्रेष्ठ डेटा प्रदर्शन पुरस्कार - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2025” से सम्मानित
- ✓ Canara Bank has been awarded with the following prestigious awards at MSME Banking Excellence Awards 2025 scheduled on December 22, 2025: Best Bank for Creating Awareness as a Winner and Best MSME Bank as Runner-up.
- ✓ Canara Bank's Inhouse Magazines, “Shreyas”-bilingual publication and “Canara Jyoti”-Hindi publication won awards under the category of Best House Journal Print in English and Regional Category in 15<sup>th</sup> PRCI (The Public Relation Council of India) Excellence Awards 2025 for Corporate Collaterals held at Goa on 27/09/2025. Canara Bank's In House Magazine - “Shreyas” won the 3rd Prize in the category of Corporate Communications - Best House Journal - “English” conducted by the Public Relation Society of India on 13/12/2025 held at Dehradun.
- ✓ Canara Bank received Green Warrior award for contribution towards digital journey of issuing e-BGs (Electronic Bank Guarantees) by the NeSL (National e-governance Services Limited) on 24.10.2025 at IIM Bangalore.
- ✓ Canara Bank has received an award from NSE Mumbai during the Muhurat Trading Ceremony on 21<sup>st</sup> October 2025 for active participation under IPO through ASBA.
- ✓ Canara Bank bagged third position in INDIA SME FORUM, National MSME Impact Awards 2025 held at The LALIT Hotel, New Delhi on 27.06.2025
- ✓ Canara Bank has received Gold Awards for below two services / products under BFSI Category at Skoch Award ceremony on 20<sup>th</sup> September 2025 at New Delhi. Gold award for “Mobile banking services for minor customers” and Gold award for “Hybrid POS”
- ✓ Canara Bank received ICC Award for Best Bank in MSME Acceleration - INDIA in Le Meridien, New Delhi on 27.08.2025 by Shri. K Balakrishna (DGM, CO Delhi)
- ✓ Canara Bank has received “2<sup>nd</sup> Runner-up” award in Theme-“Excellence in Customer Service “in EASE 7.0 Citation Ceremony, held in Mumbai on 03.07.2025.
- ✓ Canara Bank has been honoured with the prestigious “Best Data Performance Award - Public Sector Banks

किया गया है। इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक को दो और स्वर्ण पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं।

- o 'सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता पुरस्कार - सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक - वाणिज्यिक (कमर्शियल) खंड'।
- o 'सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता पुरस्कार - सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक - उपभोक्ता (कंज्यूमर) खंड'।
- ✓ केनरा बैंक को वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के 'डिजिटल भुगतान पुरस्कार' (पूर्ववर्ती माइटी डिजिटल पुरस्कार) प्राप्त हुए हैं:
  - o वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में डिजिटल भुगतान प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए केनरा बैंक को "सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक पुरस्कार" से सम्मानित किया गया है।
  - o वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए धोखाधड़ी रोकथाम और शिकायत निवारण में की गई पहलों के लिए केनरा बैंक को "विशेष उल्लेख पुरस्कार" से सम्मानित किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक को "अवयस्कों के लिए एआई" के लिए बैंकिंग फ्रंटियर्स फिनोविटी 2025 पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार डीबीएस वर्टिकल, केनरा बैंक की ओर से श्री प्रसाद आर जी, उप महाप्रबंधक, डीआईएच मुंबई, द्वारा ग्रहण किया गया।
- ✓ केनरा बैंक को 11 जून 2025 को जेडब्ल्यू मैरियट, सहार, मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह में ईटी एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्हें सीखने में एआर / वीआर और मेटावर्स के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ।

## प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक सहित निदेशकों में परिवर्तन

(वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / पदत्याग)

### नियुक्तियाँ / पुनर्नियुक्तियाँ

| क्रम संख्या | निदेशकों के नाम एवं श्रेणी                | कार्यालय की अवधि                                                                             | नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की तिथि |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1           | सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक) | दिनांक 27.07.2022 से दिनांक 26.07.2025 तक और दिनांक 27.07.2025 से 26.07.2028 तक पुनः नियुक्त | 27.07.2025                       |

2025" by TransUnion CIBIL at the conference held in Mumbai on 01.07.2025. In addition, Canara Bank has been conferred with two more Gold awards.

- o Best Data Quality Award - Public Sector Bank - Commercial Segment.
- o Best Data Quality Award - Public Sector Bank - Consumer Segment.
- ✓ Canara Bank has received awards from DFS, Digital Payment Awards (Erstwhile MEITY Digital Awards):
  - o Canara Bank has received "Best Digital Bank Award" for securing the 1<sup>st</sup> Rank in Digital Payment performance for the Financial Years 2022-23 and 2023-24.
  - o Canara Bank has received "Special Mention Award" for initiatives in Fraud Prevention and Grievance Redressal for the Financial Year 2024-25.
- ✓ Canara Bank has received Banking Frontiers FINNOVITI 2025 award for "ai1 for Minors" Shri Prasad R G, DM, DIH Mumbai received the award on behalf of DBS Vertical Canara Bank.
- ✓ Canara Bank was honoured with ET HR World Future Skills Awards 2025 on 11<sup>th</sup> June 2025 at Awards Night, JW Marriott, Sahar, Mumbai for Best Use of AR / VR and Metaverse in Learning (GOLD).

## CHANGE IN DIRECTORS, INCLUDING MANAGING DIRECTOR / WHOLE-TIME DIRECTOR

(APPOINTMENT / CESSATION OF DIRECTORS DURING THE YEAR 2025-26)

### Appointments / Re-Appointment:

| Sl. No. | Name & Category of Directors                    | Term of Office                                                        | Date of Appointment / Re-Appointment |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1       | Ms Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director) | 27.07.2022 to 26.07.2025 & Re-appointed from 27.07.2025 to 26.07.2028 | 27.07.2025                           |

|    |                                                        |                                                    |            |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 2. | श्री गुंजीत सिंह पन्नू<br>[शेयरधारक<br>निदेशक]         | दिनांक 27.07.2025 से<br>दिनांक 26.07.2028<br>तक    | 27.07.2025 |
| 3. | श्री बालकृष्ण<br>राघवेंद्र राव<br>[शेयरधारक<br>निदेशक] | दिनांक 13.09.2025<br>से<br>दिनांक 29.11.2027<br>तक | 13.09.2025 |

|    |                                                                     |                                |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 2. | Shri Gunjeet<br>Singh Pannu<br>[Shareholder<br>Director]            | 27.07.2025 to<br>26.07.2028    | 27.07.2025 |
| 3. | Shri Balakrishna<br>Raghavendra<br>Rao<br>[Shareholder<br>Director] | 13.09.2025<br>to<br>29.11.2027 | 13.09.2025 |

## समाप्ति:

| क्रम<br>संख्या | निदेशकों के नाम एवं<br>श्रेणी                                                | कार्यालय की<br>अवधि                                | नियुक्ति/<br>पुनर्नियुक्ति की<br>तिथि |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1              | श्री विजय श्रीरंगन<br>[अंशकालिक गैर-<br>सरकारी और गैर-<br>कार्यकारी अध्यक्ष] | दिनांक<br>07.11.2022 से<br>दिनांक<br>06.11.2025 तक | 06.11.2025                            |
| 2.             | श्री के सत्यनारायण<br>राजू<br>[प्रबंध निदेशक व मुख्य<br>कार्यकारी अधिकारी]   | दिनांक<br>07.02.2023 से<br>31.12.2025 तक           | 31.12.2025                            |
| 3.             | श्री देबाशीष मुखर्जी<br>[कार्यपालक निदेशक]                                   | दिनांक<br>19.02.2018 से<br>31.05.2025 तक           | 31.05.2025                            |
| 4.             | श्री बिमल प्रसाद शर्मा<br>[शेयरधारक निदेशक]                                  | दिनांक<br>27.07.2019 से<br>26.07.2025              | 26.07.2025                            |
| 5.             | श्री हेमंत बुच<br>[शेयरधारक निदेशक]                                          | दिनांक<br>30.11.2024 से<br>01.07.2025              | 01.07.2025                            |

## Cessations:

| Sl.<br>No. | Name &<br>Category of<br>Directors                                                                | Term of Office              | Date of<br>Cessation of<br>Office |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1          | Shri Vijay<br>Srirangan<br>[Part-Time<br>Non-Official<br>as well as<br>Non-Executive<br>Chairman] | 07.11.2022 to<br>06.11.2025 | 06.11.2025                        |
| 2.         | Shri K<br>Satyanarayana<br>Raju<br>[MD&CEO]                                                       | 07.02.2023 to<br>31.12.2025 | 31.12.2025                        |
| 3.         | Shri Debashish<br>Mukherjee<br>[Executive<br>Director]                                            | 19.02.2018 to<br>31.05.2025 | 31.05.2025                        |
| 4.         | Shri Bimal<br>Prasad Sharma<br>[Shareholder<br>Director]                                          | 27.07.2019 to<br>26.07.2025 | 26.07.2025                        |
| 5.         | Shri Hemant<br>Buch<br>[Shareholder<br>Director]                                                  | 30.11.2024 to<br>01.07.2025 | 01.07.2025                        |

\*भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अधिसूचना संख्या 4/3/2024-बीओ.आई दिनांक 30 दिसंबर 2025 के माध्यम से कार्यपालक निदेशक श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया को दिनांक 01.01.2026 से तीन महीने की अवधि के लिए, अर्थात् दिनांक 31.03.2026

\*Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, vide its Notification No. 4/3/2024-BO.I dated 30<sup>th</sup> December 2025, has assigned additional charge of the post of MD & CEO to Shri Hardeep Singh

तक, या जब तक इस पद पर किसी नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने अधिसूचना संख्या 4/3/2024-बीओ.आई दिनांक 9 अप्रैल, 2026 के माध्यम से केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री हरदीप सिंह अहलुवालिया को सौंपे गए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के पद का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 31.03.2026 से तीन महीने आगे, अर्थात् दिनांक 30.06.2026 तक, या केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

## निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक खातों की तैयारी में निदेशक निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

- वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियां चुनी हैं और उन्हें लगातार लागू किया है तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और उस अवधि के लिए बैंक के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करने में सक्षम हो।
- उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के प्रबंधन के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
- उन्होंने वार्षिक खातों को निरंतर परिचालन के आधार पर तैयार किया है।
- बैंक द्वारा अपनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ये प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं।

Ahluwalia, Executive Director, w.e.f. 01.01.2026 for a period of three months, i.e., up to 31.03.2026, or until the appointment of a regular incumbent to the post of MD & CEO or until further orders, whichever is earlier. Further, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, vide its Notification No. 4/3/2024-BO.I dated April 09, 2026, has extended the additional charge for the post of Managing Director and Chief Executive Officer (MD&CEO), Canara Bank, assigned to Shri Hardeep Singh Ahluwalia, Executive Director, Canara Bank, for a period of three months beyond 31.03.2026, i.e., up to 30.06.2026, or until the appointment of a regular incumbent to the post of MD & CEO, Canara Bank, or until further orders, whichever is earlier.

## DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2026, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.
- Internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.



## वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा

एसईबीआई (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए और एसईबीआई परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 8 फरवरी, 2019 की आवश्यकताओं के अनुसार, बैंक ने मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सीपी नंबर 1436) को वर्ष 2025-26 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है और बैंक के सदस्यों को संबोधित उनकी रिपोर्ट, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

## अभिस्वीकृति

बोर्ड ग्राहकों के संरक्षण, शेयरधारकों के सहयोग, सरकारी अधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक के बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा करने वाले निदेशकों, भारत और विदेश में बैंक के प्रतिनिधियों के सहयोग और सद्भावना, और संगठनात्मक विकास और उत्कृष्टता की दिशा में पूर्ण समर्थन देने वाले सभी कर्मचारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है।

## SECRETARIAL AUDIT FOR FINANCIAL YEAR 2025-26

Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed M/s. Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretary (CP No. 1436) as the Secretarial Auditor for 2025-26 and their report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

## ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the Shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.

## यथा 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[सेबी (सूचीबद्धता बाधताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)  
विनियम, 2015 के विनियम 24ए और सेबी परिपत्र:  
सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी,  
2019 के अनुसार]

सेवा में  
सदस्यगण  
केनरा बैंक  
112, जे.सी. रोड, टाउन हॉल  
बेंगलूरु  
कर्नाटक  
भारत - 560 002

हमने केनरा बैंक (जिसे आगे “बैंक” कहा गया है) द्वारा लागू  
वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और सुचारु कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की  
सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई जिससे  
हमें कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस  
पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हुआ।

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म और रिटर्न के हमारे  
सत्यापन के आधार पर, बैंक द्वारा अनुरक्षित और लेखापरीक्षा के लिए हमें  
उपलब्ध कराए गए अन्य रिकॉर्ड तथा बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों और  
प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर सचिवीय  
लेखापरीक्षा के संचालन में, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत  
में, 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर  
करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, आम तौर पर यहां सूचीबद्ध  
वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया था और यह भी कि बैंक के पास  
उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-प्रणाली उपलब्ध है और इसके बाद की  
गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की लेखापरीक्षा अवधि के लिए  
बैंक द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों और दखिल  
किए गए विवरणों तथा अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के  
अनुसार की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए  
नियम, जहां तक बैंक पर लागू होते हैं;
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1957 (‘एससीआरए’) और  
उसके अधीन बनाए गए नियम;

## SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2026

[Pursuant to regulation 24A of SEBI  
(Listing Obligations and Disclosure Requirements)  
Regulations, 2015 and SEBI circular: CIR/CFD/  
CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]

To  
The Members  
CANARA BANK  
112, J.C. Road, Town Hall  
Bengaluru  
Karnataka  
India - 560 002

We have conducted the secretarial audit of the compliance  
of applicable statutory provisions and the adherence to  
good corporate practices by **Canara Bank** (hereinafter called  
“the Bank”). Secretarial Audit was conducted in a manner  
that provided us a reasonable basis for evaluating the  
corporate conducts / statutory compliances and expressing  
our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank’s books, papers,  
minute books, forms and returns filed and other records  
maintained by the Bank and also the information  
provided by the Bank, its officers, agents and authorized  
representatives during the conduct of secretarial audit,  
we hereby report that in our opinion, the Bank has, during  
the audit period covering April 01, 2025 to March 31, 2026  
complied with the statutory provisions listed hereunder  
and also that the Bank has proper Board-processes and  
compliance-mechanism in place to the extent, in the  
manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms  
and returns filed and other records maintained by the  
Bank for the audit period April 01, 2025 to March 31, 2026  
according to the provisions of:

- The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made  
thereunder to the extent applicable to the Bank;
- The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 (“SCRA”) and the rules made thereunder;

- iii. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए विनियम एवं उपनियम
- iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार, यदि कोई हो, की सीमा तक
- v. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं: -
  - a. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम")।
  - b. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011
  - c. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015
  - d. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
  - e. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-सहायता) विनियम, 2021; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
  - f. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन एवं सूचीकरण) विनियम, 2021
  - g. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
  - h. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 2018; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
  - i. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993 (जहां तक लागू हो)
  - j. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियम, 1992
- iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed thereunder
- iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial borrowing;
- v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act"): -
  - a. The Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulation").
  - b. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011
  - c. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
  - d. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; (Not applicable to the Bank during the period under review)
  - e. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021; (Not applicable to the Bank during the period under review)
  - f. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021
  - g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; (Not applicable to the Bank during the period under review)
  - h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; (Not applicable to the Bank during the period under review)
  - i. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 (To the extent applicable)
  - j. The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992

- k. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बैंकर टू इश्यु) विनियम, 1994
- l. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) विनियम, 2009
- m. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और भागीदार) विनियम, 2018

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि बैंक में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और परीक्षण जांच के आधार पर संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच करने पर, बैंक निम्नलिखित विशिष्ट कानूनों का अनुपालन कर रहा है:

- a. बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970
- b. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970
- c. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- d. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएँ और दिशानिर्देश
- e. केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- a. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (यह लागू नहीं होता क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित नहीं है)
- b. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाद्धताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम")

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने सामान्यतः अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

**हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:**

बैंक के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र / शेयरधारक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

- k. The Securities and Exchange Board of India (Banker to Issue) Regulations, 1994
- l. Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009
- m. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018

We further report that having regard to the compliance system prevailing in the Bank and on the basis of examination of the relevant documents and records in pursuance thereof on test check basis, the Bank is in compliance with the following specific laws:

- a. The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970
- b. The Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
- c. The Banking Regulation Act, 1949
- d. Reserve Bank of India Act, 1934 along with Master Directions, Notifications and Guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time
- e. Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- a. Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.  
(Not applicable as the Bank is not incorporated under the Companies Act, 2013)
- b. The Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulation")

During the period under review the Bank has generally complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, etc.

**We further report that:**

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with a proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent / Shareholder Directors.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड की बैठकों का समय निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यवृत्त और कार्यवृत्त पर विस्तृत नोट्स भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले कार्यवृत्त मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत के निर्णय को लागू किया जाता है जबकि असहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों के विचारों को कार्रवाई के विवरण में दर्ज किया जाता है।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं, जिनका उपयोग लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक में निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएँ या कार्रवाइयाँ घटित हुईं जिनका उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के कार्यों पर प्रभाव पड़ सकता है:

1. 26 जून, 2025 को हुई वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर 200% लाभांश (यानी 4 रुपये प्रति शेयर, जिसका अंकित मूल्य 2 रुपये है) की घोषणा के लिए मंजूरी मांगी गई।
2. बैंक ने 2 दिसंबर, 2025 को 7.55% असुरक्षित, अधीनस्थ, सूचीबद्ध, रेटेड, गैर-परिवर्तनीय, सतत, पूर्णतः भुगतान किए गए, कर योग्य, बेसल III अनुपालन वाले अतिरिक्त टियर I बांड जारी किए हैं, जो 1 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य वाले डिबेंचर के रूप में हैं और जिनका निर्गम आकार 3,500 करोड़ रुपये है (आधार: 1000 करोड़ रुपये + ग्रीन शू: 2,500 करोड़ रुपये)।
3. बैंक ने 11 सितंबर, 2025 को अपने 8.30% बेमीयादी बेसल III-अनुरूप अतिरिक्त टियर I बांड पर क्रय विकल्प का प्रयोग किया है, जिसकी निर्गम राशि 1,012 करोड़ रुपये है।
4. बैंक ने 29 सितंबर, 2025 को अपने 8.30% बेमीयादी बेसल III-अनुरूप अतिरिक्त टियर I बांड पर क्रय विकल्प का प्रयोग किया है, जिसकी जारी राशि 169.10 करोड़ रुपये है।
5. बैंक ने 27 फरवरी, 2026 को 7.24% असुरक्षित, अधीनस्थ, सूचीबद्ध, रेटेड, गैर-परिवर्तनीय, प्रतिदेय, पूर्णतः भुगतान किए गए, कर योग्य, बेसल III अनुपालन टियर II बांड जारी किए हैं, जो 1 करोड़ रुपये के

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act, Rules and Regulations.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank had following specific events or actions which might have a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.:

1. Approval Sought from the Shareholders at the Annual General Meeting held on June 26, 2025 for Declaration of Dividend of 200% on the equity shares of the Bank i.e. ₹4/- per share having face value of ₹2/- each for the Financial Year 2024-25;
2. The Bank on December 2, 2025 has issued 7.55% Unsecured, Subordinated, Listed, Rated, Non-Convertible Perpetual, Fully Paid-Up, Taxable, Basel III Compliant Additional Tier I Bonds in nature of Debenture of Face Value of ₹1 Crore each having Issue Size of ₹3,500 Crore (Base: ₹1000 Crore + Green Shoe: ₹ 2,500 Crore);
3. The Bank has exercised the call option on its 8.30% Perpetual Basel III-compliant Additional Tier I Bonds, having an issued amount of ₹1,012 crore, on September 11, 2025;
4. The Bank has exercised the call option on its 8.30% Perpetual Basel III - compliant Additional Tier I Bonds, having an issued amount of ₹169.10 crore, on September 29, 2025;
5. The Bank on February 27, 2026 has issued 7.24% Unsecured, Subordinated, Listed, Rated, Non-Convertible, Redeemable, Fully Paid-up, Taxable, Basel III



अंकित मूल्य वाले डिबेंचर के रूप में हैं और जिनका निर्गम आकार 5,000 करोड़ रुपये है (आधार: 2,000 करोड़ रुपये + ग्रीन शू: 3,000 करोड़ रुपये);

Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of Face Value ₹1 crore each having Issue Size of ₹5,000 crore (Base: ₹2,000 crore + Green Shoe: ₹3,000 crore);

6. रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बैंक के बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- सुश्री नलिनी पद्मनाभन को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 11 अप्रैल, 2025 से नियुक्त किया गया।
- श्री देबाशीष मुखर्जी का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण दिनांक 31 मई, 2025 से बैंक के कार्यपालक निदेशक का पद रिक्त हुआ है।
- बैंक के शेयरधारक निदेशक श्री हेमंत बुच का पद से त्यागपत्र देने के कारण दिनांक 01 जुलाई 2025 से रिक्त हुआ है।
- सुश्री आभा सिंह यदुवंशी और श्री गुंजीत सिंह पन्नू को दिनांक 27 जुलाई 2025 से शेयरधारक निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री बिमल प्रसाद शर्मा का स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 26 जुलाई, 2025 में कार्यकाल पूर्ण हो गया।
- श्री बालकृष्ण राघवेन्द्र राव को दिनांक 13 सितंबर, 2025 से शेयरधारक निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री सुनील कुमार चुघ को दिनांक 24 नवंबर, 2025 से बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री के. सत्यनारायण राजु का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण दिनांक 31 दिसंबर, 2025 से बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद रिक्त है।

6. Following changes occurred in the Board of the Bank during the reporting period:

- Appointment of Ms. Nalini Padmanabhan as Part-time Non-Official Director w.e.f. April 11, 2025
- Cessation of Shri. Debashish Mukherjee as an Executive Director of the Bank w.e.f. May 31, 2025 due to Completion of Tenure
- Cessation of Shri. Hemant Buch, Shareholder Director of the Bank w.e.f. July 01, 2025 due to Resignation
- Appointment of Ms. Abha Singh Yaduvanshi and Shri. Gunjeet Singh Pannu as Shareholder Directors w.e.f. July 27, 2025
- Cessation of Shri. Bimal Prasad Sharma as Independent Director w.e.f. July 26, 2025
- Appointment of Shri. Balakrishna Raghavendra Rao as Shareholder Director w.e.f. September 13, 2025
- Appointment of Shri. Sunil Kumar Chugh as Executive Director of the Bank w.e.f. November 24, 2025
- Cessation of Shri. K. Satyanarayana Raju as Managing Director & CEO of the Bank w.e.f. December 31, 2025 due to Completion of Tenure

कृते रागिनी चोकसी एंड कंपनी  
कंपनी सचिव

For Ragini Chokshi & Co.  
Company Secretaries

रागिनी चोकसी  
(साझेदार)

Ragini Chokshi  
(Partner)

एम. सं.: F2390 सीओपी नं.: 1436  
यूडीआईएन: F002390H000293648  
पीआर सं.: 4166/2023

M. No.: F2390 COP No.: 1436  
UDIN: F002390H000293648  
PR No.: 4166/2023

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 06 मई, 2026

Place : Mumbai  
Date : May 06, 2026

इस रिपोर्ट को उसी तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure 'A' and forms an integral part of this report.

## अनुलग्नक -ए

सेवामें,  
सदस्यगण  
केनरा बैंक  
112, जे.सी. रोड, टाउन हॉल,  
बेंगलुरु, कर्नाटक,  
भारत - 560002

31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवालय के अभिलेखों में सही तथ्य दर्ज हों। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और कार्यप्रणाली हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. हमने आवश्यकतानुसार कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कंपनी और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच केवल परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का।

कृते रागिनी चोकसी एंड कंपनी

कंपनी सचिव

रागिनी चोकसी

(साझेदार)

एम.सं.: F2390

सीओपी सं.: 1436

यू डीआईएन: F002390H000293648

पीआर सं.: 4166/2023

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 06-05-2026

## Annexure-A

To,  
The Members  
Canara Bank  
112, J C Road, Town Hall,  
Bengaluru, Karnataka,  
India - 560002

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended on March 31, 2026 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial records is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices, we follow provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards are the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Ragini Chokshi & Co

Company Secretaries

Ragini Chokshi

(Partner)

M. No.: F2390

COP No.: 1436

UDIN: F002390H000293648

PR No.: 4166/2023

Place : Mumbai  
Date : 06-05-2026

कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट  
(बीआरएसआर)

खंड ए : सामान्य प्रकटन

I. सूचीबद्ध इकाई के ब्योरे

|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | सूचीबद्ध इकाई के कापोरिट पहचान संख्या (सीआईएन)                                                                                       | लागू नहीं                                                                                                                                                     |
| 2  | सूचीबद्ध इकाई का नाम                                                                                                                 | केनरा बैंक                                                                                                                                                    |
| 3  | निगमन का वर्ष                                                                                                                        | 1906                                                                                                                                                          |
| 4  | पंजीकृत कार्यालय पता                                                                                                                 | केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002, कर्नाटक                                                                                      |
| 5  | कापोरिट पता                                                                                                                          | केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002, कर्नाटक                                                                                      |
| 6  | ई-मेल                                                                                                                                | hosecretarial@canarabank.com                                                                                                                                  |
| 7  | दूरभाष                                                                                                                               | +91 80 - 22100250                                                                                                                                             |
| 8  | वेबसाइट                                                                                                                              | www.canarabank.bank.in                                                                                                                                        |
| 9  | वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग किया गया                                                                                           | 01 अप्रैल 2025 - 31 मार्च 2026                                                                                                                                |
| 10 | स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है                                                                            | 1) बीएसई लिमिटेड<br>2) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड                                                                                                 |
| 11 | चुक्ता पूंजी                                                                                                                         | ₹1,814.13 करोड़                                                                                                                                               |
| 12 | उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ई-मेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी जानकारी के मामले में संपर्क किया जा सकता है | श्री संतोष कुमार बारिक, कम्पनी सचिव, सचिवीय विभाग, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560002. कर्नाटक<br>फोन: 080-22100250, ई-मेल आईडी : hosecretarial@canarabank.com |

Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR)

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the listed entity

|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity                                                                              | Not Applicable                                                                                                                                                                                     |
| 2  | Name of the Entity                                                                                                                | CANARA BANK                                                                                                                                                                                        |
| 3  | Year of Incorporation                                                                                                             | 1906                                                                                                                                                                                               |
| 4  | Registered Office Address                                                                                                         | Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560 002, Karnataka                                                                                                                            |
| 5  | Corporate Address                                                                                                                 | Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560 002, Karnataka                                                                                                                            |
| 6  | E-mail                                                                                                                            | hosecretarial@canarabank.com                                                                                                                                                                       |
| 7  | Telephone                                                                                                                         | +91 80 - 22100250                                                                                                                                                                                  |
| 8  | Website                                                                                                                           | www.canarabank.bank.in                                                                                                                                                                             |
| 9  | Financial Year for which reporting is being done                                                                                  | April 01, 2025 - March 31, 2026                                                                                                                                                                    |
| 10 | Name of the Stock Exchange(s) where Shares are Listed                                                                             | 1) BSE Limited<br>2) National Stock Exchange of India (NSE) Limited                                                                                                                                |
| 11 | Paid-up Capital                                                                                                                   | INR 1,814.13 Crores                                                                                                                                                                                |
| 12 | Name and contact details (telephone, e-mail address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR Report | Shri. Santosh Kumar Barik, Company Secretary, Secretarial Department, 112, J C Road, Head Office, Bengaluru - 560 002, Karnataka<br>Phone: 080-22100250<br>E-mail ID: hosecretarial@canarabank.com |

|    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | रिपोर्टिंग सीमा क्या इस रिपोर्ट के तहत किए गए प्रकटीकरण एकल आधार पर किए गए हैं (अर्थात् केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिए गए हैं)। | इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण एकल आधार पर हैं<br><br>यह रिपोर्ट बैंक के विभिन्न व्यापारिक कार्यक्षेत्रों में अखिल भारतीय परिचालनों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है। |
| 14 | आश्वासन प्रदाता का नाम                                                                                                                                                                                                             | श्री स्वयंभू विश्वनाथन                                                                                                                                                     |
| 15 | प्राप्त आश्वासन का प्रकार                                                                                                                                                                                                          | बीआरएसआर कोर पर उचित आश्वासन, जैसा लागू हो                                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis? (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together) | Disclosures made in this report is on a 'Standalone Basis'.<br><br>The Report presents information about the pan-India operations of the Bank across various business verticals. |
| 14 | Name of Assurance Provider                                                                                                                                                                                                                                         | Mr. Swayambhu Viswanathan                                                                                                                                                        |
| 15 | Type of Assurance Obtained                                                                                                                                                                                                                                         | Reasonable Assurance on BRSR Core as applicable                                                                                                                                  |

## II. उत्पाद / सेवाएं

### 16. कारोबार गतिविधियों के ब्योरे (कारोबार के 90% के लिए लेखांकन):

| क्र. सं. | मुख्य गतिविधि का विवरण                                                                     | कारोबार गतिविधि का विवरण                            | इकाई के कारोबार का% |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 1        | वित्तीय सेवाएं, मुख्य रूप से बैंकिंग गतिविधि - जमा स्वीकार करना गतिविधि - जमा स्वीकार करना | बचत जमा, चालू जमा, मीयादी जमा, आवर्ती जमा आदि।      | 100%                |
| 2        | बैंकिंग गतिविधि - साख वित्त                                                                | कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण, खुदरा ऋण, कॉर्पोरेट ऋण और अन्य |                     |

## II. Products / services

### 16. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

| Sl. No. | Description of Main Activity                                                                         | Description of Business Activity                                                | % of Turnover of the Entity |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1       | Financial Services, mainly Banking Activity - Acceptance of Deposit Activity - Acceptance of Deposit | Saving Deposit, Current Deposit, Term Deposit, Recurring Deposit, etc.          | 100%                        |
| 2       | Banking Activity - Credit Finance                                                                    | Agriculture Lending, MSME Lending, Retail Lending, Corporate Lending and Others |                             |

17. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद / सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90% के लिए लेखांकन):

| क्र. सं. | उत्पाद / सेवा                                                                       | एनआईसी कोड | कुल कारोबार का % योगदान दिया |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1        | वित्तीय सेवाएँ, मुख्यतः बैंकिंग गतिविधि - जमा की स्वीकृति गतिविधि - जमा की स्वीकृति | 64191      | 100%                         |
| 2        | थोक बैंकिंग                                                                         | -          |                              |
| 3        | खुदरा बैंकिंग                                                                       | -          |                              |
| 4        | ग्रामीण व कृषि बैंकिंग                                                              | -          |                              |

III. परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और / या परिचालन / कार्यालय स्थित हैं:

| स्थान          | शाखाओं की संख्या | कार्यालयों की संख्या | कुल    |
|----------------|------------------|----------------------|--------|
| राष्ट्रीय      | लागू नहीं        | 10,337               | 10,337 |
| अंतर्राष्ट्रीय | लागू नहीं        | 6*                   | 6      |

\* शाखाएं-4, कार्यालय-2

दिनांक 31.03.2026 तक, हमारे 6 विदेशी केंद्र हैं।

- विदेशी शाखाएँ -
  - लंदन (यूनाइटेड किंगडम)
  - न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका)
  - डीआईएफसी दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)
  - अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू), गिफ्ट सिटी गांधी नगर, गुजरात, इंडिया
- सहायक कंपनी - तंजानिया गणराज्य में सहायक कंपनी (सीटीएल - केनरा तंजानिया लिमिटेड, पूर्व में केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड), दार एस सलाम, तंजानिया, जो विनिवेश प्रक्रिया के अधीन है।
- प्रतिनिधि कार्यालय - शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिनिधि कार्यालय।  
एनए: लागू नहीं।

17. Products / Services Sold by the Entity (Accounting for 90% of the entity's Turnover):

| Sl. No. | Product / Service                                                                                    | NIC Code | % of total Turnover Contributed |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| 1       | Financial Services, mainly Banking Activity - Acceptance of Deposit Activity - Acceptance of Deposit | 64191    | 100%                            |
| 2       | Wholesale Banking                                                                                    | -        |                                 |
| 3       | Retail Banking                                                                                       | -        |                                 |
| 4       | Rural and Agri Banking                                                                               | -        |                                 |

III. Operations

18. Number of Locations where Plants and/or Operations / Offices of the Entity are Situated:

| Location      | Number of Branches | Number of Offices | Total  |
|---------------|--------------------|-------------------|--------|
| National      | NA                 | 10,337            | 10,337 |
| International | NA                 | 6*                | 6      |

\*Branches-4, Offices-2

As at 31.03.2026, we have 6 Overseas Centres.

- OVERSEAS BRANCHES:
  - London (United Kingdom)
  - New York (United States of America)
  - DIFC Dubai (United Arab Emirates)
  - International Banking Unit (IBU) at GIFT CITY, Gandhinagar, Gujarat, India.
- SUBSIDIARY- Subsidiary in The United Republic of Tanzania (CTL- Canara Tanzania Limited, erstwhile Canara Bank Tanzania Limited ) at Dar es Salaam, Tanzania which is under divestment process.
- REPRESENTATIVE OFFICE- Representative Office at Sharjah, United Arab Emirates  
NA: Not applicable.



## 19. इकाई द्वारा सेवा प्रदान किए गए बाजार:

### a. स्थानों की संख्या

| स्थान                         | संख्या                            |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| राष्ट्रीय (राज्यों की सं.)    | 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्र |
| अंतर्राष्ट्रीय (देशों की सं.) | 4                                 |

### b. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

यह केनरा बैंक के कारोबार परिचालन पर लागू नहीं होता है।

### c. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त जानकारी

बैंक ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला को सेवा प्रदान करता है, जिनमें कॉर्पोरेट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, वेतनभोगी और स्व-रोज़गार व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, किसान, अनिवासी भारतीय और अन्य शामिल हैं। इसकी प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कृषि, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, माइक्रोक्रेडिट और समाज के कमजोर वर्गों और निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन गतिविधियों को पाँच खंडों में व्यवस्थित किया गया है

**1. खुदरा बैंकिंग:** केनरा बैंक बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें बचत, चालू और मीयादी जमा जैसे पारंपरिक जमा खातों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश के अवसर भी शामिल हैं। खुदरा ऋण उत्पाद विभिन्न वित्तीय ज़रूरतों जैसे घर खरीदने, शिक्षा वित्तपोषण और व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करते हैं। डिजिटल नवाचार को अपनाने में, बैंक ग्राहकों के लिए लेनदेन दक्षता को बढ़ाते हुए फास्ट टैग और यूपीआई जैसे आधुनिक समाधान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक अनिवासी भारतीयों के लिए निर्बाध वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए विशेष एनआरआई बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है।

**2. कॉर्पोरेट बैंकिंग:** केनरा बैंक विविध और परिष्कृत वित्तीय आवश्यकताओं वाले बड़े कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय उद्यमों को कॉर्पोरेट बैंकिंग समाधानों का एक एकीकृत पैकेज प्रदान

## 19. Markets served by the entity:

### a. Number of locations

| Locations                        | Number                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| National (No. of States)         | 28 States & 8 Union Territories |
| International (No. of Countries) | 4                               |

### b. What is the Contribution of Exports as a Percentage of the Total Turnover of the Entity?

Not applicable to Canara Bank business operations.

### c. A brief on types of customers.

Canara Bank serves a diverse customer base encompassing corporates, micro, small and medium enterprises, salaried and self-employed individuals, senior citizens, farmers, non-resident Indians and other customer segments. The Bank's core business activities are closely aligned with national development priorities, with a strong focus on financing agriculture, education, housing, social infrastructure, renewable energy, microfinance and extending credit support to vulnerable sections of society and identified minority communities. These operations are structured across the distinct business segments:

**1. Retail Customers:** Canara Bank offers a comprehensive suite of retail banking products and services to individual customers. These include conventional deposit products such as savings, current and term deposit accounts, along with investment solutions through mutual funds and insurance offerings. The Bank's retail lending portfolio addresses a broad spectrum of financial requirements, including housing, education and personal finance. Leveraging digital advancements, Canara Bank provides convenient payment and transaction solutions such as UPI and FASTag, enabling secure and efficient banking experiences. In addition, the Bank delivers dedicated Non-Resident Indian (NRI) banking services to support seamless financial access and management for customers residing overseas.

**2. Corporate Customers:** Canara Bank caters to large corporates and multinational enterprises with diverse and sophisticated financial requirements

करके उनकी जरूरतों को पूरा करता है। इनमें ट्रेजरी और नकदी प्रबंधन सेवाएं, विदेशी मुद्रा लेनदेन, निवेश बैंकिंग सहायता और व्यापक जोखिम प्रबंधन समाधान शामिल हैं। बैंक का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) बैंकिंग प्लेटफॉर्म, सहज सिस्टम एकीकरण, सुरक्षित रीयल-टाइम लेनदेन और बैंकिंग एवं उद्यम अनुप्रयोगों के बीच कुशल डेटा आदान-प्रदान को सक्षम बनाकर कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग अनुभव को और बेहतर बनाता है।

- 3. कारोबारी ग्राहक:** केनरा बैंक लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को विकास को बढ़ावा देने और परिचालन दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न व्यावसायिक बैंकिंग समाधानों के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। इन सेवाओं में कार्यशील पूंजी और ऋण सुविधाएं, वेतन और नकदी प्रबंधन समाधान, और अन्य आवश्यकता-आधारित वित्तीय उत्पाद शामिल हैं। बैंक का प्रौद्योगिकी उन्नयन पर बल, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला वित्त संबंधी पेशकशें, व्यावसायिक निरंतरता को और मजबूत करती हैं, परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाती हैं और सतत उद्यम विकास को समर्थन देती हैं।

Restricted

- 4. ग्रामीण और कृषि ग्राहक:** केनरा बैंक, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), अंतर ब्याज दर योजना (डीआरआई), स्टैंड-अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) सहित कई सरकारी वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण पहलों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास और कृषि आजीविका को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी प्रायोजित करता है, जिससे वंचित समुदायों तक इसकी पहुंच और मजबूत होती है। इन माध्यमों से, बैंक बुनियादी बचत खाते, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा और अंतर ब्याज दर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण स्वैपिंग योजना सहित विभिन्न प्रकार के ऋण उत्पाद और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता जैसी आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, जिससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सुविधाओं से वंचित ग्रामीण आबादी के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

- 5. गैर-लाभकारी संगठन:** केनरा बैंक गैर-लाभकारी संगठनों, जिनमें चैरिटी संस्थाएं, फाउंडेशन और गैर-सरकारी संगठन

by offering an integrated suite of corporate banking solutions. These include treasury and cash management services, foreign exchange operations, investment banking support and comprehensive risk management solutions. The Bank's Application Programming Interface (API) Banking platform further enhances the digital banking experience for corporate clients by enabling seamless system integration, secure real-time transactions and efficient data exchange between banking and enterprise applications.

- 3. Business Customers:** Canara Bank supports Small and Medium Enterprises (SMEs) through a range of business banking solutions aimed at enabling growth and improving operational efficiency. These services include working capital and credit facilities, payroll and cash management solutions and other need-based financial products. The Bank's emphasis on technology upgradation, along with its supply chain finance offers, further strengthens business continuity, enhances operational effectiveness and supports sustainable enterprise development.

- 4. Rural and Agricultural Customers:** Canara Bank plays an active role in advancing rural development and agricultural livelihoods through its participation in multiple Government-led financial inclusion and empowerment initiatives, including the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihoods Mission (NRLM), National Urban Livelihoods Mission (NULM), Differential Rate of Interest (DRI) Scheme, Stand-Up India and Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). The Bank also sponsors four Regional Rural Banks, further strengthening its outreach to underserved communities. Through these channels, the Bank provides access to essential banking services such as basic savings accounts, overdraft facilities under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and a range of credit products including the Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme and financing support to Self-Help Groups, thereby promoting financial inclusion among unbanked and underbanked rural populations.

- 5. Non-Profit Organizations:** Canara Bank provides tailored banking support to non-profit

(एनजीओ) शामिल हैं, को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकिंग सहायता प्रदान करता है, जिससे वे दान, अनुदान और परिचालन निधि का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकें। इन सेवाओं के माध्यम से, बैंक वित्तीय स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करता है, जिससे सामाजिक और विकासात्मक पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग मिलता है। गैर-लाभकारी क्षेत्र के साथ बैंक की सहभागिता सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों एवं समावेशी विकास प्रयासों में उसके योगदान को रेखांकित करती है।

- विदेशी ग्राहक:** केनरा बैंक अनिवासी भारतीयों और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों की सीमा पार बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रेषण, विदेशी मुद्रा सेवाएं, व्यापार वित्त समाधान और सीमा पार लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। बैंक की विदेशी शाखाएं मुख्य रूप से थोक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनमें सिंडिकेटेड मीयादी ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार ऋण से संबंधित ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन और प्रबंधन शामिल है। इन सेवाओं के माध्यम से, बैंक वैश्विक व्यापार संपर्क स्थापित करने के साथ-साथ अपने ग्राहकों की अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

- डिजिटल बैंकिंग उपयोगकर्ता:** डिजिटल परिवर्तन पर अपने रणनीतिक ज़ोर के तहत, केनरा बैंक ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे ग्राहक किसी भी समय और कहीं से भी अपनी वित्तीय ज़रूरतों को आसानी से और सुरक्षित रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। बैंक का केनरा एआई1 सुपर ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है, जिससे पहुँच, उपयोग में आसानी और ग्राहक सुविधा में वृद्धि होती है। ये डिजिटल पहलें एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और विभिन्न ग्राहक वर्गों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच का विस्तार करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता का समर्थन करती हैं।

वित्तीय उत्पादों के व्यापक पोर्टफोलियो और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से, केनरा बैंक अपने विविध ग्राहक आधार की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने और उनकी वित्तीय खुशहाली एवं दीर्घकालिक सफलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल नवाचार और वित्तीय समावेशन पर बैंक का निरंतर ध्यान, एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करता है, जो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

organizations, including charities, foundations and non-Governmental Organizations (NGOs), enabling them to efficiently manage donations, grants and operational funds. Through these services, the Bank helps ensure financial stability and transparency, thereby supporting the effective implementation of social and developmental initiatives. The Bank's engagement with the non-profit sector underscores its commitment to social responsibility and its contribution to community-based programs and inclusive development efforts.

- Foreign Customers:** Canara Bank supports the cross-border banking requirements of non-resident Indians and international clients by facilitating international remittances, foreign exchange services, trade finance solutions and cross-border transactions. The Bank's overseas branches primarily cater to wholesale banking operations, with a focus on evaluating and managing credit proposals related to syndicated term loans, External Commercial Borrowings (ECBs) and trade credit. Through these services, the Bank enables global trade connectivity while supporting the international financing needs of its customers.

- Digital Banking Users:** As part of its strategic emphasis on digital transformation, Canara Bank provides a comprehensive range of online and mobile banking services that enable customers to conveniently and securely manage their financial needs anytime and from anywhere. The Bank's Canara ai1 super app offers an integrated digital banking experience, enhancing accessibility, ease of use and customer convenience. These digital initiatives support the Bank's commitment to promoting an inclusive digital ecosystem and expanding access to banking services across diverse customer segments.

Through this broad portfolio of financial products and a strong customer-centric approach, Canara Bank remains committed to addressing the evolving needs of its diverse customer base while promoting their financial well-being and long-term success. The Bank's continued focus on digital innovation and financial inclusion reinforces its role as a responsible financial institution, contributing meaningfully to economic growth, social progress, and inclusive development.

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत में विवरण:

a. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगों सहित):

| क्र. सं.   | विवरण                  | कुल *<br>(ए)                   | पुरुष    |          | महिला    |          | अन्य     |         |
|------------|------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|            |                        |                                | सं. (बी) | % (बी/ए) | सं. (सी) | % (सी/ए) | सं. (एच) | %(एच/ए) |
| कर्मचारी   |                        |                                |          |          |          |          |          |         |
| 1          | स्थायी (डी)            | 81,827                         | 55,226   | 67.49%   | 26,600   | 32.51%   | 1        | 0.00%   |
| 2          | स्थायी के अलावा (ई)    | 7*                             | 7        | 100%     | -        | -        | -        | -       |
| 3          | कुल कर्मचारी<br>(डी+ई) | 81,834                         | 55,231   | 67.49%   | 26,600   | 32.51%   | 1        | 0.00%   |
| कामगार     |                        |                                |          |          |          |          |          |         |
| 4          | स्थायी (एफ)            | यह कंपनी पर लागू नहीं होता है। |          |          |          |          |          |         |
| 5          | स्थायी के अलावा (जी)   |                                |          |          |          |          |          |         |
| 6          | कुल कामगार<br>(एफ+जी)  |                                |          |          |          |          |          |         |
| Restricted |                        |                                |          |          |          |          |          |         |

IV. Employees

20. Details at the end of Financial Year 2025-26:

a. Employees and workers (including differently-abled):

| Sl. No.   | Particulars              | Total* (A)                    | Male    |         | Female  |         | Other   |         |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |                          |                               | No. (B) | % (B/A) | No. (C) | % (C/A) | No. (H) | % (H/A) |
| EMPLOYEES |                          |                               |         |         |         |         |         |         |
| 1         | Permanent (D)            | 81,827                        | 55,226  | 67.49%  | 26,600  | 32.51%  | 1       | 0.00%   |
| 2         | Other than Permanent (E) | 7*                            | 7       | 100%    | -       | -       | -       | -       |
| 3         | Total employees (D + E)  | 81,834                        | 55,231  | 67.49%  | 26,600  | 32.51%  | 1       | 0.00%   |
| WORKERS   |                          |                               |         |         |         |         |         |         |
| 4         | Permanent (F)            | Not applicable to the Company |         |         |         |         |         |         |
| 5         | Other than Permanent (G) |                               |         |         |         |         |         |         |
| 6         | Total Workers (F + G)    |                               |         |         |         |         |         |         |

b. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार :

| क्र. सं.          | विवरण                              | कुल *<br>(ए)                   | पुरुष    |          | महिला    |          | अन्य     |         |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|                   |                                    |                                | सं. (बी) | % (बी/ए) | सं. (सी) | % (सी/ए) | सं. (एच) | %(एच/ए) |
| दिव्यांग कर्मचारी |                                    |                                |          |          |          |          |          |         |
| 1                 | स्थायी (डी)                        | 2,570                          | 1,985    | 77.24%   | 585      | 22.76%   | 0        | 0.00%   |
| 2                 | स्थायी के अलावा (ई)                | -                              | -        | -        | -        | -        | -        | -       |
| 3                 | कुल दिव्यांग कर्मचारियों<br>(डी+ई) | 2,570                          | 1,985    | 77.24%   | 585      | 22.76%   | 0        | 0.00%   |
| दिव्यांग कामगार   |                                    |                                |          |          |          |          |          |         |
| 4                 | स्थायी (एफ)                        | यह कंपनी पर लागू नहीं होता है। |          |          |          |          |          |         |
| 5                 | स्थायी के अलावा (जी)               |                                |          |          |          |          |          |         |
| 6                 | कुल दिव्यांग कामगार<br>(एफ+जी)     |                                |          |          |          |          |          |         |

b. Differently-abled Employees and Workers:

| Sl. No.                     | Particulars              | Total (A)                     | Male    |         | Female  |         | Other   |         |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                             |                          |                               | No. (B) | % (B/A) | No. (C) | % (C/A) | No. (H) | % (H/A) |
| DIFFERENTLY-ABLED EMPLOYEES |                          |                               |         |         |         |         |         |         |
| 1                           | Permanent (D)            | 2,570                         | 1,985   | 77.24%  | 585     | 22.76%  | 0       | 0.00%   |
| 2                           | Other than Permanent (E) | -                             | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 3                           | Total Employees (D + E)  | 2,570                         | 1,985   | 77.24%  | 585     | 22.76%  | 0       | 0.00%   |
| DIFFERENTLY-ABLED WORKERS   |                          |                               |         |         |         |         |         |         |
| 4                           | Permanent (F)            | Not applicable to the Company |         |         |         |         |         |         |
| 5                           | Other than Permanent (G) |                               |         |         |         |         |         |         |
| 6                           | Total Workers (F + G)    |                               |         |         |         |         |         |         |

21. महिलाओं की भागीदारी / समावेशन / प्रतिनिधित्व

|                                   | कुल (ए) | महिलाओं की सं. व प्रतिशत |          |
|-----------------------------------|---------|--------------------------|----------|
|                                   |         | सं. (बी)                 | % (बी/ए) |
| निदेशक मंडल (बीओडी)               | 10      | 2                        | 20%      |
| मुख्य प्रबंधन कार्मिक<br>(केएमपी) | 6       | 0                        | 0%       |

21. Participation / Inclusion / Representation of Women

|                                     | Total (A) | No. and Percentage of Females |         |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|
|                                     |           | No. (B)                       | % (B/A) |
| Board of Directors (BoD)            | 10        | 2                             | 20%     |
| Key Management<br>Personnels (KMPs) | 6         | 0                             | 0%      |



22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों की जानकारी प्रदान करें)।

|                 | वि.व. 2025-26                  |       |       |       | वि.व. 2024-25 |       |       |       | वि.व. 2023-24 |       |       |       |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|
|                 | पुरुष                          | महिला | अन्य  | कुल   | पुरुष         | महिला | अन्य  | कुल   | पुरुष         | महिला | अन्य  | कुल   |
| स्थायी कर्मचारी | 2.99%                          | 2.74% | 0.00% | 2.91% | 3.69%         | 3.24% | 0.00% | 3.54% | 3.73%         | 3.63% | 0.00% | 3.70% |
| स्थायी कामगार   | यह कंपनी पर लागू नहीं होता है। |       |       |       |               |       |       |       |               |       |       |       |

22. Turnover Rate for Permanent Employees and Workers (Disclose Trends for the past 3 Years)

|                     | FY 2025-26                    |        |       |       | FY 2024-25 |        |       |       | FY 2023-24 |        |       |       |
|---------------------|-------------------------------|--------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|
|                     | Male                          | Female | Other | Total | Male       | Female | Other | Total | Male       | Female | Other | Total |
| Permanent Employees | 2.99%                         | 2.74%  | 0.00% | 2.91% | 3.69%      | 3.24%  | 0.00% | 3.54% | 3.73%      | 3.63%  | 0.00% | 3.70% |
| Permanent Workers   | Not applicable to the Company |        |       |       |            |        |       |       |            |        |       |       |

V. होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

23. (a) होल्डिंग / अनुषंगी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

| क्र. सं. | होल्डिंग / अनुषंगी / सहयोगी का नाम<br>कंपनियां / संयुक्त उद्यम (ए) | इंगित करें कि क्या<br>होल्डिंग /<br>अनुषंगी / सहयोगी /<br>संयुक्त उद्यम है | सूचीबद्ध<br>ईकाइयों द्वारा<br>शेयरों का % | क्या कॉलम ए में दर्शाई गई<br>ईकाई सूचीबद्ध ईकाई की<br>व्यावसायिक उत्तरदायित्व<br>पहल में भाग लेती है?<br>(हां / नहीं) |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड                       | अनुषंगी                                                                    | 36.5%                                     | नहीं                                                                                                                  |
| 2        | केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड                          | अनुषंगी                                                                    | 38%                                       | नहीं                                                                                                                  |
| 3        | केन फिन होम्स लिमिटेड                                              | अनुषंगी                                                                    | 29.99%                                    | नहीं                                                                                                                  |
| 4        | केनरा बैंक सिन्डिकेटीज लिमिटेड                                     | सहयोगी                                                                     | 100%                                      | नहीं                                                                                                                  |
| 5        | केनबैंक फैक्टर्स                                                   | सहयोगी                                                                     | 70%                                       | नहीं                                                                                                                  |
| 6        | केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड                                  | सहयोगी                                                                     | 69.14%                                    | नहीं                                                                                                                  |
| 7        | केनबैंक वेंचर केपिटल फंड लि.                                       | सहयोगी                                                                     | 100%                                      | नहीं                                                                                                                  |
| 8        | केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड                                | सहयोगी                                                                     | 100%                                      | नहीं                                                                                                                  |
| 9        | सीआरएमएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड                                  | सहयोगी                                                                     | 51%                                       | नहीं                                                                                                                  |
| 10       | उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी                                       | संयुक्त उद्यम                                                              | 9.09%                                     | नहीं                                                                                                                  |

## V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (Including Joint Ventures)

### 23. (a) Names of Holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint Ventures

| Sl. No. | Name of the Holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint Ventures (A) | Indicate whether Holding / Subsidiary / Associate / Joint Venture | % of Shares held by Listed Entity | Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd.                                     | Associate                                                         | 36.5%                             | No                                                                                                                           |
| 2       | Canara Robeco Asset Management Company Ltd.                                 | Associate                                                         | 38%                               | No                                                                                                                           |
| 3       | Can Fin Homes Ltd.                                                          | Associate                                                         | 29.99%                            | No                                                                                                                           |
| 4       | Canara Bank Securities Ltd.                                                 | Subsidiary                                                        | 100%                              | No                                                                                                                           |
| 5       | Canbank Factors Ltd.                                                        | Subsidiary                                                        | 70%                               | No                                                                                                                           |
| 6       | Canbank Computer Services Ltd.                                              | Subsidiary                                                        | 69.14%                            | No                                                                                                                           |
| 7       | Canbank Venture Capital Fund Ltd.                                           | Subsidiary                                                        | 100%                              | No                                                                                                                           |
| 8       | Canbank Financial Services Ltd.                                             | Subsidiary                                                        | 100%                              | No                                                                                                                           |
| 9       | CRM Trustee Private Ltd.                                                    | Subsidiary                                                        | 51%                               | No                                                                                                                           |
| 10      | Higher Education Financing Agency                                           | Joint Venture                                                     | 9.09%                             | No                                                                                                                           |

## VI. सीएसआर ब्योरे

### 24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं):

नहीं, भारत सरकार के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, केनरा बैंक पर सीएसआर का दायित्व लागू नहीं होता है। हालांकि, एक जिम्मेदार कंपनी होने के नाते, केनरा बैंक ने समाज के उत्थान और पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक योगदान देने के लिए सीएसआर पहलों के प्रति एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है।

(ii) टर्नओवर (₹) : ₹153,204 करोड़

(iii) निवल मालियत (₹) : ₹103,453.87 करोड़

## VI. CSR Details

### 24. (i) Whether CSR is applicable as per Section 135 of Companies Act, 2013: (Yes / No) :

No. CSR mandate is not applicable to Canara Bank as per Section 135 of the Companies Act, 2013, Government of India. However, being a responsible company, Canara Bank has adopted a strategic approach towards CSR initiatives to contribute positively towards the upliftment of society and conserve the environment..

(ii) Turnover (in ₹) : ₹153,204 Cr

(iii) Net worth (in ₹) : ₹103,453.87 Cr

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. उत्तरदायी कारोबार आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें / परिवाद:

| हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है | शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां / नहीं)                                                                     | वित्त वर्ष 2025-26                          |                                                 |                                                                                              | वित्त वर्ष 2024-25                          |                                                 |                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)                                                  | वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणियां                                                                                   | वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणियां                                                                                             |
| समुदाय                                   | हाँ,<br><a href="https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/">https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/</a>   | -                                           | -                                               | -                                                                                            | -                                           | -                                               | -                                                                                                      |
| निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)             | हाँ                                                                                                           | -                                           | -                                               | -                                                                                            | -                                           | -                                               | -                                                                                                      |
| शेयरधारक                                 | हाँ,<br><a href="https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/">https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/</a>   | -                                           | -                                               | -                                                                                            | -                                           | -                                               | -                                                                                                      |
| कर्मचारी और कामगार                       | हाँ                                                                                                           | 424                                         | 31                                              | इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त और हल किया गया                                         | 357                                         | 0                                               | इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त और हल किया गया                                                   |
| ग्राहकों                                 | हाँ,<br><a href="https://www.canarabank.com/pages/complaints">https://www.canarabank.com/pages/complaints</a> | 4,13,931                                    | 1,934                                           | इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त और हल की गई शिकायतें और लंबित शिकायतें समीक्षाधीन हैं। | 3,97,084                                    | 2,332                                           | समाधान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समाधान वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही तक किया जाएगा। |
| मूल्य श्रृंखला                           | हाँ<br><a href="https://www.canarabank.com/pages/complaints">https://www.canarabank.com/pages/complaints</a>  | -                                           | -                                               | -                                                                                            | -                                           | -                                               | -                                                                                                      |

## VII. Transparency and Disclosures Compliances

### 25. Complaints / Grievances on any of the Principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

| Stakeholder group from whom complaint is received | Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes / No)                                                             | FY 2025-26                                 |                                                              |                                                                                   | FY 2024-25                                 |                                                              |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)                                                  | Number of complaints filed during the year | Number of complaints pending resolution at close of the year | Remarks                                                                           | Number of complaints filed during the year | Number of complaints pending resolution at close of the year | Remarks                                                                               |
| Communities                                       | Yes,<br><a href="https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/">https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/</a>   | -                                          | -                                                            | -                                                                                 | -                                          | -                                                            | -                                                                                     |
| Investors (other than Shareholders)               | Yes                                                                                                           | -                                          | Restricted                                                   | -                                                                                 | -                                          | -                                                            | -                                                                                     |
| Shareholders                                      | Yes, <a href="https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/">https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/</a>      | -                                          | -                                                            | -                                                                                 | -                                          | -                                                            | -                                                                                     |
| Employees and workers                             | Yes                                                                                                           | 424                                        | 31                                                           | Received and resolved through intranet portal                                     | 357                                        | 0                                                            | Received and resolved through intranet portal                                         |
| Customers                                         | Yes,<br><a href="https://www.canarabank.com/pages/complaints">https://www.canarabank.com/pages/complaints</a> | 4,13,931                                   | 1,934                                                        | Received and resolved through intranet portal and pending complaints under review | 3,97,084                                   | 2,332                                                        | Complaints received through Samadhan Portal and resolved by 1st quarter of FY 2025-26 |
| Value Chain                                       | Yes<br><a href="https://www.canarabank.com/pages/complaints">https://www.canarabank.com/pages/complaints</a>  | -                                          | -                                                            | -                                                                                 | -                                          | -                                                            | -                                                                                     |

## 26. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन.

कृपया निम्नलिखित के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए एक जोखिम या एक अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रभाव प्रारूप।

| क्र. सं. | सामग्री संबंधी समस्या की पहचान की गई          | सूचित करना चाहे जोखिम हैं या अवसर (जो/ओ) | पहचान के लिए तर्क जोखिम / अवसर                                                                                                                | जोखिम के मामले में, अनुकूल या कम करने का तरीका                                                                                       | वित्तीय जोखिम या अवसर के निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें) |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | कार्बन उत्सर्जन और संसाधन दक्षता              | जोखिम                                    | कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और संसाधनों की दक्षता में सुधार लाने के लिए बढ़ते विनियामक और सामाजिक दबाव के कारण इसकी पहचान की गई है।           | ऊर्जा-बचत के उपाय लागू करें, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएँ, और कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करें।                                       | नकारात्मक: नियमों का अनुपालन न करने पर संभावित नियामक जुर्माना।               |
| 2        | जलवायु जोखिम                                  | जोखिम                                    | जलवायु परिवर्तन के कारण ऋण पोर्टफोलियो और परिचालन पर पड़ने वाले प्रभावों के चलते, इसे एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में मान्यता दी गई है।       | जलवायु जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित करें, स्ट्रेस टेस्ट आयोजित करें, और जोखिम प्रबंधन में जलवायु संबंधी पहलुओं को एकीकृत करें।         | नकारात्मक: जलवायु-संबंधी संभावित नुकसान;                                      |
| 3        | वित्तीय समावेशन (ऋण देने में सामाजिक प्रभाव)  | अवसर                                     | इसे बाज़ार की पहुँच का विस्तार करने और कम सुविधा प्राप्त समुदायों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के एक प्रमुख अवसर के रूप में पहचाना गया है। | ज़रूरतों के हिसाब से वित्तीय उत्पाद / सेवाएँ विकसित करें, डिजिटल बैंकिंग तक पहुँच बढ़ाएँ, और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करें। | सकारात्मक: ग्राहक आधार में वृद्धि और नए बाज़ार से राजस्व।                     |
| 4        | सीएसआर और सामुदायिक विकास                     | अवसर                                     | प्रतिष्ठा बढ़ाने और सामाजिक कल्याण में योगदान देने के लिए मान्यता प्राप्त।                                                                    | गैर सरकारी संगठनों / सरकार के साथ साझेदारी करें, विकास परियोजनाएँ परिचालित करें, सीएसआर के प्रभावों की निगरानी करें।                 | सकारात्मक: ब्रांड की प्रतिष्ठा और सामुदायिक संबंधों में मजबूती आई।            |
| 5        | कर्मचारी प्रशिक्षण एवं विकास                  | अवसर                                     | कुशल कार्यबल को बनाए रखने और संतुष्टि एवं प्रतिधारण में सुधार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।                                                 | प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करें, सतत सीखने को बढ़ावा दें और उपलब्धियों को पुरस्कृत करें।                                               | सकारात्मक: बेहतर प्रदर्शन और कर्मचारियों के आने-जाने की लागत में कमी।         |
| 6        | प्रतिभाओं को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना | जोखिम और अवसर                            | प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक।                                                                                     | प्रतिस्पर्धी वेतनमान विकसित करें, विविधता और समावेशन को बढ़ावा दें और कार्यस्थल संस्कृति को बेहतर बनाएं।                             | सकारात्मक: बेहतर प्रदर्शन; नकारात्मक: उच्च टर्नओवर की लागत।                   |
| 7        | विविधता, समावेशन और समानता                    | अवसर                                     | नवाचार और सहभागिता के प्रमुख प्रेरक तत्व।                                                                                                     | विविधता कार्यक्रमों को लागू करें, समान अवसर नीतियों को सुनिश्चित करें, समावेशी संस्कृति को बढ़ावा दें।                               | सकारात्मक: नवाचार और संतुष्टि में वृद्धि।                                     |



## 26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues.

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format.

| Sl. No. | Material issue identified                      | Indicate whether Risk or Opportunity (R/O) | Rationale for identifying the Risk / Opportunity                                                                          | In case of Risk, approach to adapt or mitigate                                                                            | Financial implications of the Risk or Opportunity (Indicate positive or negative implications) |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Carbon Emission & Resource Efficiency          | Risk                                       | Identified due to increasing regulatory and societal pressure to reduce carbon footprints and improve resource efficiency | Implement energy-saving measures, increase use of renewable energy, and conduct carbon footprint assessments              | <b>Negative:</b> Potential regulatory fines for non-compliance                                 |
| 2       | Climate Risk                                   | Risk                                       | Recognized as a significant challenge due to impacts on lending portfolios and operations from climate change             | Develop Climate Risk Management Framework, conduct stress tests and integrate climate considerations into risk management | <b>Negative:</b> Potential climate-related losses                                              |
| 3       | Financial Inclusion (Social Impact on Lending) | Opportunity                                | Identified as a key opportunity to expand market reach and support economic growth in underserved communities             | Develop tailored financial products/ services, enhance digital banking access and conduct financial literacy programs     | <b>Positive:</b> Increased customer base and new market revenue                                |
| 4       | CSR & Community Development                    | Opportunity                                | Recognized for enhancing reputation and contributing to societal well-being                                               | Partner with NGOs/ Government, conduct development projects, monitor CSR impacts                                          | <b>Positive:</b> Strengthened brand reputation & community relations                           |
| 5       | Employee Training & Development                | Opportunity                                | Crucial for maintaining a skilled workforce and improving satisfaction and retention                                      | Implement training programs, promote continuous learning, and reward achievements                                         | <b>Positive:</b> Improved performance and reduced turnover costs                               |
| 6       | Talent Attraction & Retention                  | Risk & Opportunity                         | Essential for maintaining competitive advantages and growth                                                               | Develop competitive compensation, promote diversity & inclusion and enhance workplace culture                             | <b>Positive:</b> Improved performance;<br><b>Negative:</b> Costs of high turnover              |
| 7       | Diversity, Inclusion & Equity                  | Opportunity                                | Key drivers for innovation and engagement                                                                                 | Implement diversity programs, ensure equal opportunity policies, promote inclusive culture                                | <b>Positive:</b> Increased innovation and satisfaction                                         |

|    |                                         |               |                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | कर्मचारी स्वास्थ्य और कल्याण            | जोखिम और अवसर | उत्पादकता और संगठनात्मक लचीलेपन पर प्रभाव डालता है।                                     | स्वास्थ्य लाभ और वेलनेस कार्यक्रम प्रदान करें, तथा काम और निजी जीवन के बीच संतुलन को बढ़ावा दें।        | <b>सकारात्मक:</b> अनुपस्थिति में कमी और उत्पादकता में वृद्धि; <b>नकारात्मक:</b> स्वास्थ्य कार्यक्रमों की लागत। |
| 9  | ग्राहक संबंध और संतुष्टि                | अवसर          | ग्राहकों को बनाए रखने और व्यवसाय के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।                     | ग्राहक सेवा को बेहतर बनाएँ, फ्रीडबैक इकट्ठा करें, और उत्पादों व सेवाओं में सुधार करें।                  | <b>सकारात्मक:</b> ग्राहक निष्ठा और राजस्व में वृद्धि।                                                          |
| 10 | विनियामक अनुपालन                        | जोखिम         | जुर्माने से बचने और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है।                           | मज़बूत अनुपालन उपाय, ऑडिट और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को लागू करें।                                     | <b>नकारात्मक:</b> नियमों का पालन न करने पर जुर्माना;                                                           |
| 11 | कॉर्पोरेट अभिशासन और व्यावसायिक नैतिकता | अवसर          | हितधारकों के विश्वास और सत्यनिष्ठा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।                            | अभिशासन संरचनाएँ स्थापित करें, नैतिक आचरण को बढ़ावा दें और पारदर्शिता सुनिश्चित करें।                   | <b>सकारात्मक:</b> हितधारकों के मज़बूत विश्वास से नैतिक उल्लंघनों में कमी आई।                                   |
| 12 | जोखिम प्रबंधन                           | जोखिम         | बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक। <b>Restricted</b> | जोखिम फ्रेमवर्क विकसित करें, आकलन करें और शमन रणनीतियों को लागू करें।                                   | <b>नकारात्मक:</b> अनियंत्रित जोखिमों से होने वाली हानियाँ;                                                     |
| 13 | पारदर्शिता और खुलासे                    | अवसर          | हितधारकों के विश्वास और विनियामक अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण।                             | सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, संचार माध्यमों को बेहतर बनाएँ, और हितधारकों के बीच संवाद को बढ़ावा दें। | <b>सकारात्मक:</b> हितधारकों के साथ मज़बूत संबंध और अनुपालन।                                                    |
| 14 | स्थायी आपूर्ति श्रृंखला                 | अवसर          | परिचालन दक्षता बढ़ाएँ और पर्यावरणीय प्रभाव कम करें।                                     | टिकाऊ खरीद लागू करें, आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करें, और प्रभावों की निगरानी करें।                        | <b>सकारात्मक:</b> लागत में बचत, आपूर्ति श्रृंखला की मज़बूती में सुधार।                                         |
| 15 | सूचना, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा   | जोखिम         | ग्राहक के विश्वास और डेटा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।                             | साइबर सुरक्षा उपाय लागू करें, ऑडिट करें और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें।                              | <b>नकारात्मक:</b> डेटा उल्लंघन की लागतें।                                                                      |
| 16 | डिजिटल नवाचार / रूपांतरण                | अवसर          | व्यापारिक विकास और ग्राहक जुड़ाव का चालक।                                               | डिजिटल तकनीकों में निवेश करें, डिजिटल बैंकिंग को बेहतर बनाएँ और नवाचार को बढ़ावा दें।                   | <b>सकारात्मक:</b> बाज़ार हिस्सेदारी और संतुष्टि में वृद्धि।                                                    |
| 17 | ज़िम्मेदार वित्तीय साधन                 | अवसर          | ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने और आवश्यक वित्त को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक।         | ग्रीन फ़ाइनेंस उत्पाद पेश करें, ज़िम्मेदार वित्त में शामिल हों, और प्रभावों की निगरानी करें।            | <b>सकारात्मक:</b> सतत वित्त से राजस्व में वृद्धि।                                                              |

|    |                                            |                    |                                                                        |                                                                                            |                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Employee Health & Well-being               | Risk & Opportunity | Impacts productivity and organizational resilience                     | Provide health benefits, wellness programs, and promote work-life balance                  | <b>Positive:</b> Reduced absenteeism & higher productivity; <b>Negative:</b> Cost of health programs |
| 9  | Customer Relationship & Satisfaction       | Opportunity        | Critical for customer retention and business growth                    | Enhance customer service, gather feedback, improve products and services                   | <b>Positive:</b> Higher customer loyalty & revenue                                                   |
| 10 | Regulatory Compliance                      | Risk               | Essential to avoid penalties and maintain integrity                    | Implement robust compliance measures, audits and staff training                            | <b>Negative:</b> Fines for non-compliance                                                            |
| 11 | Corporate Governance & Business Ethics     | Opportunity        | Crucial for stakeholder trust and integrity                            | Establish governance structures, promote ethical conduct and ensure transparency           | <b>Positive:</b> Stronger stakeholder trust, reduced ethical breaches                                |
| 12 | Risk Management                            | Risk               | Essential for safeguarding Bank assets & ensuring continuity           | Develop risk frameworks, conduct assessments and implement mitigation strategies           | <b>Negative:</b> Losses from unmanaged risks                                                         |
| 13 | Transparency & Disclosures                 | Opportunity        | Key for stakeholder trust and regulatory compliance                    | Ensure accurate reporting, enhance communication channels and promote stakeholder dialogue | <b>Positive:</b> Stronger stakeholder relations & compliance                                         |
| 14 | Sustainable Supply Chain                   | Opportunity        | Enhance operational efficiency & reduce environmental impact           | Implement sustainable procurement, engage suppliers, monitor impacts                       | <b>Positive:</b> Cost savings, improved supply chain resilience                                      |
| 15 | Information, Data Privacy & Cyber Security | Risk               | Critical for customer trust and data protection                        | Implement cyber security measures, conduct audits and train staff                          | <b>Negative:</b> Data breach costs                                                                   |
| 16 | Digital Innovation/ Transformation         | Opportunity        | Driver for business growth & customer engagement                       | Invest in digital technologies, enhance digital banking and promote innovation             | <b>Positive:</b> Increased market share & satisfaction                                               |
| 17 | Responsible Financial Instruments          | Opportunity        | Essential for meeting customer needs and promoting sustainable finance | Offer green finance products, engage in responsible finance, and monitor impacts           | <b>Positive:</b> Increased revenue from sustainable finance                                          |

### खंड बी : प्रबंधन व प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता प्रदान है।

| प्रकटीकरण प्रश्न                                                                                                                                                                                                                        | पी 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पी 2 | पी 3 | पी 4 | पी 5 | पी 6 | पी 7 | पी 8 | पी 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1 a. क्या आपकी संस्था की नीति / नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां / नहीं)                                                                                                                | हां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हां  | हां  | हां  | हां  | हां  | हां  | हां  | हां  |
| b. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां / नहीं)                                                                                                                                                                         | हां, नीतियों की समीक्षा वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड द्वारा की जाती है और आवश्यकतानुसार उन्हें अनुमोदित किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| c. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो                                                                                                                                                                                                   | <p><b>नीतियाँ यहाँ उपलब्ध हैं:</b><br/> <a href="https://canarabank.bank.in/pages/Policies">https://canarabank.bank.in/pages/Policies</a></p> <p>सिद्धांत 1: शिकायत निवारण नीति, आचार संहिता (सीओसी): मुख्य प्रबंधन के सभी सदस्यों के लिए</p> <p>सिद्धांत 2:</p> <p>सिद्धांत 3: शिकायत निवारण नीति, सीओसी: मुख्य प्रबंधन के सभी सदस्यों के लिए</p> <p>सिद्धांत 4: शिकायत निवारण नीति</p> <p>सिद्धांत 5: सीओसी: मुख्य प्रबंधन के सभी सदस्यों के लिए</p> <p>सिद्धांत 6: ईएसजी नीति, ग्रीन जमा नीति और ऋण ढाँचा</p> <p>सिद्धांत 7: कॉर्पोरेट अभिशासन नीति, प्रकटीकरण नीति, सीओसी: अंदरूनी व्यापार के निषेध के लिए</p> <p>सिद्धांत 8: सतत विकास और सीएसआर नीति, ईएसजी नीति, हरित जमा नीति</p> <p>सिद्धांत 9: शिकायत निवारण नीति, साइबर सुरक्षा नीति (आंतरिक नीति)<br/> <a href="https://canarabank.com/pages/Policies">https://canarabank.com/pages/Policies</a></p> <p>साइबर सुरक्षा नीति से संबंधित आंतरिक नीति, जो कंपनी के कर्मचारियों और विस्तारित कार्यबल के लिए कंपनी के इंटरनेट पर उपलब्ध है।</p> |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2 क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हां / नहीं)                                                                                                                                                                 | हां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | हां  | हां  | हां  | हां  | हां  | हां  | हां  | हां  |
| 3 क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां/ नहीं)                                                                                                                                                     | केनरा बैंक वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से वैल्यू चेन पार्टनर्स तक नीति की प्रयोज्यता का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 4 प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड / प्रमाणीकरण / लेबल / मानक (जैसे फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसो, बीआईएस ) के नाम। | <p>कंपनी अंतरराष्ट्रीय मानकों और प्रमाणन आवश्यकताओं का पालन करने के लिए एक जिम्मेदार और टिकाऊ व्यावसायिक मॉडल अपनाती है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 27001:2022 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन</li> <li>4 हरित भवन: आईजीबीसी प्रमाणन</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |

## SECTION B : MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

| Disclosure Questions                                                                                                                                                                                                                                          | P 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7* | P 8 | P 9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| Policy and management processes                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 1 a. Whether your entity's policy / policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes / No)                                                                                                                                             | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes  | Yes | Yes |
| b. Has the policy been approved by the Board? (Yes / No)                                                                                                                                                                                                      | Yes, policies are reviewed and approved by the Senior Management and Board, as applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |     |     |     |      |     |     |
| c. Web Link of the Policies, if available                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Policies are available on:</b><br/> <a href="https://canarabank.bank.in/pages/Policies">https://canarabank.bank.in/pages/Policies</a></p> <p>Principle 1: Grievance Redressal Policy, Code of Conduct (COC): for all members of core management</p> <p>Principle 2:</p> <p>Principle 3: Grievance Redressal Policy, COC: for all members of core management</p> <p>Principle 4: Grievance Redressal Policy</p> <p>Principle 5: COC: For all members of core management</p> <p>Principle 6: ESG Policy, Green Deposit Policy and Lending Framework</p> <p>Principle 7: Corporate Governance Policy, Disclosure Policy, COC: for Prohibition of Insider Trading</p> <p>Principle 8: Sustainable Development &amp; CSR Policy, ESG Policy, Green Deposit Policy and Lending Framework</p> <p>Principle 9: Grievance Redressal Policy, Cyber Security Policy (Internal Policy) <a href="https://canarabank.bank.in/pages/Policies">https://canarabank.bank.in/pages/Policies</a></p> <p>Internal policy on Cyber Security Policy, available on Intranet of the Company for its employees and extended workforce.</p> |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 2 Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)                                                                                                                                                                                    | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes  | Yes | Yes |
| 3 Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes / No)                                                                                                                                                                                    | Canara Bank is currently committed to expanding the policy applicability to Value Chain Partners in a phased manner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |     |     |      |     |     |
| 4 Name of the national and international codes / certifications / labels /standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle. | <p>The company upholds responsible and sustainable business model to comply with international standards and certification requirements.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 27001:2022 Information Security Management Systems Certification</li> <li>4 Green Buildings: IGBC Certifications</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |     |     |     |      |     |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों को परिभाषित समय-सीमा के साथ, यदि कोई हो।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>पर्यावरणीय लक्ष्य - केनरा बैंक, वित्त वर्ष 2035 तक अपने परिचालन से होने वाले उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) के लिए 'कार्बन न्यूट्रैलिटी प्लान' के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी, भारत के 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (एनडीसी) के तहत वर्ष 2070 तक 'नेट-ज़ीरो उत्सर्जन' के लक्ष्य के साथ भी तालमेल बिठाती है। यह लक्ष्य, ज़िम्मेदार विकास, जलवायु-अनुकूल परिचालन और सतत वित्त पर बैंक के दीर्घकालिक फोकस को और मज़बूत करता है।</p> <p><b>सामाजिक लक्ष्य</b> - बैंक आजीविका और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखेगा, साथ ही विविधता और समावेशिता के माध्यम से कार्यस्थल पर समावेश को सुदृढ़ करेगा।</p> <p><b>अभिशासन का लक्ष्य</b> - केनरा बैंक डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के कड़े ढांचों का पालन करता है, जिसका प्रमाण 'शून्य डेटा उल्लंघन' बनाए रखना है; यह इसकी सत्यनिष्ठा और परिचालन सुदृढ़ता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।</p> |
| <p>6. संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध किए गए प्रदर्शन का विवरण, साथ ही उन प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों के पूरा न होने की स्थिति में उनके कारण भी।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>केनरा बैंक ने अपनी कुल ऊर्जा खपत में 24.15% की कमी हासिल की है, जो परिचालन स्थिरता और संसाधन दक्षता में मज़बूत प्रगति को दर्शाता है। बैंक ने 4,133 kWp की रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करके अपने स्वच्छ-ऊर्जा के दायरे को मज़बूत किया है, जिससे कम-कार्बन वाले परिचालन की ओर उसका बदलाव काफी आगे बढ़ा है। कंपनी ने डेटा उल्लंघन की कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं की है और सभी के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए नैतिक व्यावसायिक आचरण नियमों, मानवाधिकारों और श्रम प्रथाओं के अनुपालन को बनाए रखा है।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>7. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>केनरा बैंक अपने मुख्य कामों में सततता को शामिल करके पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार मज़बूत कर रहा है। बैंक का नज़रिया सिर्फ नियमों का पालन करने से कहीं आगे है; यह आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण की देखभाल को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के ज़रिए, बैंक जलवायु के अनुकूल कदम उठा रहा है, नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए वित्त का विस्तार कर रहा है, और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को समर्थन दे रहा है। ग्रीन व्हील्स ऋण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों जैसी पहले स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा देने, वित्तीय पहुँच को बेहतर बनाने और समुदायों को ऊपर उठाने के उनके प्रयासों को दर्शाती हैं। बैंक ने पर्यावरणीय जिम्मेदारी और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पानी बचाने वाली सिंचाई, वर्षा जल संचयन और हाइब्रिड सर्विस कियोस्क जैसे समाधानों में भी निवेश किया है। मज़बूत शासन पद्धतियाँ, नैतिक आचरण और पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया इसके कामों के केंद्र में बनी हुई है, जिसे एक ईएसजी समिति, बोर्ड-स्तरीय उप-समिति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति (सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क) का समर्थन प्राप्त है। जैसे-जैसे बैंक अपनी सस्टेनेबिलिटी पहलों का विस्तार कर रहा है, वह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देने और एक ऐसे भविष्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो टिकाऊ, समावेशी और उसके संस्थापक मूल्यों के अनुरूप हो।</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Specific commitments, goals, and targets set by the entity with defined timelines, if any.</p>                                                                                                                         | <p><b>Environmental Goal</b> - Canara Bank is committed to Carbon Neutrality Plan for FY 2035 for its operational emissions (Scope 1 &amp; Scope 2 emissions). The company also aligns with India's Nationally Determined Contributions (NDCs) commitment of Net-Zero emissions target by 2070. This goal reinforces the Bank's long-term focus on responsible growth, climate-aligned operations and sustainable finance.</p> <p><b>Social Goal</b> - The Bank will continue scaling livelihood and entrepreneurship training programs, while strengthening workplace inclusion through diversity and inclusiveness.</p> <p><b>Governance Goal</b> - Canara Bank upholds stringent data protection and cybersecurity frameworks, demonstrated by maintaining Zero data breaches, reflecting its commitment to integrity and operational resilience.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along with reasons in case the same are not met.</p>                                                                                     | <p>Canara Bank achieved a 24.15% reduction in its overall energy consumption, reflecting strong progress in operational sustainability and resource efficiency. The Bank strengthened its clean energy footprint by installing 4,133 kWp of rooftop solar capacity, significantly advancing its shift toward low-carbon operations. The company has reported zero incidents of data breaches and upholds compliance with ethical business conduct regulations, human rights and labour practices to ensure a healthy, safe and inclusive work environment for all.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Governance, Leadership and Oversight</b></p>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>7. Statement by director responsible for the Business Responsibility Report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (Listed Entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)</p> | <p>Canara Bank continues to strengthen its commitment to Environmental, Social and Governance (ESG) principles by integrating sustainability into its core operations. The Bank's approach goes beyond regulatory compliance, focusing on promoting economic growth, social welfare and environmental stewardship. Through its ESG framework, the Bank is advancing climate-aligned actions, expanding renewable-energy financing, and supporting eco-friendly projects to reduce its carbon footprint. Initiatives such as Green Wheels Loans, digital infrastructure upgrades and rural training centres demonstrate their efforts to encourage clean mobility, improve financial accessibility and uplift communities. The Bank has also invested in solutions like water-efficient irrigation, rainwater harvesting and hybrid service kiosks to drive environmental responsibility and inclusive development. Strengthened governance practices, ethical conduct and transparent decision-making remain central to its operations, supported by an ESG Committee, a Board-level Sub-committee, and a Board-approved ESG Policy (Sustainability Framework). As the Bank expands its sustainability initiatives, it remains committed to contributing to the UN Sustainable Development Goals and fostering a future that is sustainable, inclusive and aligned with its founding values.</p> |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. कारोबार उत्तरदायित्व नीति / नीतियों के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण का विवरण                                                 | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया<br>कार्यपालक निदेशक<br>(प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार)                    |
| 9. क्या संस्था के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड / निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां / नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण दें। | स्थिरता संबंधी सभी मुद्दे उप-समिति सतत विकास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एससी-एसडीसीएसआर) (उप-समिति) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies).                                                | Shri Hardeep Singh Ahluwalia<br>Executive Director<br>(Additional Charge for the position of Managing Director and Chief Executive Officer)               |
| 9. Does the entity have a specified Committee of the Board / Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details. | The sustainability related issues and strategies are governed by the "Sustainable Development Corporate Social Responsibility (SC-SDCSR)" (Sub-committee) |

Restricted

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

| समीक्षा का विषय                                                                                                                                                                         | इंगित करें कि क्या समीक्षा निदेशक / बोर्ड की समिति द्वारा की गई थी / कोई अन्य समिति      | आवृत्ति<br>(वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                         | पी1 पी2 पी3 पी4 पी5 पी6 पी7 पी8 पी9                                                      | पी1 पी2 पी3 पी4 पी5 पी6 पी7 पी8 पी9                                                                                                                                                                                                                                 |
| निष्पादन उपरोक्त नीतियों के विरुद्ध और अनुवर्ती कार्रवाई                                                                                                                                | हाँ<br>बोर्ड की समितियाँ                                                                 | वार्षिक रूप से                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>नोट:</b> जहाँ भी नीतियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें कंपनी के बोर्ड / बोर्ड की समिति / वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है या मौजूदा नियमों के अनुसार अनुमोदित किया गया है। |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार                                                                                            | हाँ।<br>बोर्ड की समितियाँ। कंपनी लागू नियमों का अक्षरशः और भावना के अनुसार पालन करती है। | वार्षिक रूप से                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन किया है? (हां / नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं।                      |                                                                                          | पी1 पी2 पी3 पी4 पी5 पी6 पी7 पी8 पी9<br>नहीं, कंपनी ने किसी तीसरे पक्ष द्वारा कोई औपचारिक नीति मूल्यांकन नहीं कराया है। हालांकि, सभी नीतियाँ और उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन कंपनी द्वारा वार्षिक रूप से किए जाने वाले लेखा-परीक्षा और आंतरिक समीक्षाओं के अधीन है। |

## 10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

| Subject for Review                                                                                                                                                         | Indicate whether review was undertaken by<br>Director / Committee of the Board /<br>Any other Committee   |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                       | Frequency (Annually / Half-Yearly /<br>Quarterly / Any other – please specify) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                                                                                                                            | P1                                                                                                        | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9                                                                                                                                                                                                                    | P1                                                                             | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |    |
| Performance against above policies and follow-up action                                                                                                                    | Yes. Committees of the Board.                                                                             |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                       | Annually                                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Note:</b> Policies wherever stated have been approved by the Board / Committee of the Board / Senior Management of the Company or as required by extant regulations.    |                                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances                                                           | Yes.<br>Committees of the Board.<br>The company follows the regulations as applicable in spirit & letter. |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                       | Annually                                                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes / No).<br>If yes, provide name of the agency. |                                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    | P1                                                                                                                                                                                                                    | P2                                                                             | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |    |    |    |    |    |    |    | No, the Company has not undertaken any formal policy assessment by third-party. However, all policies and its implementation evaluation are subject to audits and internal reviews conducted by the Company annually. |                                                                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## 12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर «नहीं» है, अर्थात सभी सिद्धांत एक नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएं:

| प्रश्न                                                                                                           | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| संस्था सिद्धांतों को अपने कारोबार के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हां / नहीं)                                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| इकाई उस चरण में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां / नहीं) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां / नहीं)                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां / नहीं)                                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

12. If answer to question (1) above is “No” i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

| Questions                                                                                                                         | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| The entity does not consider the Principles material to its business (Yes / No)                                                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes / No) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| The entity does not have the financial or / human and technical resources available for the task (Yes / No)                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| It is planned to be done in the next financial year (Yes / No)                                                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Any other reason (please specify)                                                                                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

#### खंड सी : सिद्धांत के अनुसार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को “आवश्यक” और “नेतृत्व” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

#### SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as “Essential” and “Leadership”. While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally and ethically responsible.



## सिद्धांत 1:

कारोबार को ईमानदारी के साथ व नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित और स्वयं को नियंत्रित करना चाहिए।

| आवश्यक संकेतक                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज: |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |
| खंड                                                                                                  | आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | विषय / सिद्धांत प्रशिक्षण और उसके प्रभाव के तहत कवर किया गया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित वर्ग में व्यक्तियों का प्रतिशत |
| निदेशक मंडल                                                                                          | 8                                                      | <p>निदेशक मंडल रणनीतिक शासन और नेतृत्व की प्रभावशीलता को मजबूत करने के उद्देश्य से संरचित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लेता है, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख विषय शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>परिचालन जोखिम प्रबंधन</li> <li>बैंकिंग में जलवायु परिवर्तन</li> <li>नेतृत्व विकास</li> <li>आईटी और साइबर सुरक्षा</li> <li>निदेशक विकास कार्यक्रम</li> <li>कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा</li> <li>अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संचालन</li> <li>वरिष्ठ बैंकरों के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम</li> </ul> | 78%                                                                           |

## Principle 1:

Businesses should conduct and govern themselves with integrity and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

| Essential Indicators                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Percentage Coverage by Training and Awareness Programmes on any of the Principles during the Financial Year: |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |
| Segment                                                                                                         | Total number of training and awareness programmes held | Topics / principles covered under the training and its impact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | % age of persons in respective category covered by awareness programmes |
| Board of Directors                                                                                              | 8                                                      | <p>The Board of Directors participates in structured capability building programs aimed at strengthening strategic governance and leadership effectiveness, with the following key topics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operational Risk Management</li> <li>Climate Change in Banking</li> <li>Leadership Development</li> <li>IT &amp; Cyber Security</li> <li>Directors' Development Program</li> <li>Artificial Intelligence &amp; Big Data</li> <li>International Banking Operations</li> <li>Advanced Management Programme for Senior Bankers</li> </ul> | 78%                                                                     |

|                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक                | 10                                                      | <p>मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक संगठनात्मक शासन, जोखिम प्रबंधन और रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए लक्षित नेतृत्व और कार्यात्मक कौशल-वृद्धि कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख विषय शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>परिचालन जोखिम प्रबंधन</li> <li>बैंकिंग में जलवायु परिवर्तन</li> <li>नेतृत्व विकास</li> <li>आईटी और साइबर सुरक्षा</li> <li>निदेशक विकास कार्यक्रम</li> <li>कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा</li> <li>अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संचालन</li> <li>वरिष्ठ बैंकरों के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75% |
| बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी | 1,395                                                   | <p>सभी कार्यात्मक स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों को परिचालन उत्कृष्टता, विनियामक जागरूकता, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता और भविष्य के लिए तैयार दक्षताओं को बढ़ाने हेतु व्यापक क्षमता निर्माण और व्यवहारिक कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख विषय शामिल हैं:</p> <p>नैतिकता, सत्यनिष्ठा, सुशासन, निवारक सतर्कता, सार्वजनिक खरीद।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हमारे बैंक के विभिन्न उत्पादों पर कार्यक्रम, डिजिटल जागरूकता, उत्पाद जागरूकता।</li> <li>नेतृत्व विकास, प्रेरण कार्यक्रम, प्रथम पदस्थ इकाई प्रमुख प्रशिक्षण, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम, कार्य-जीवन संतुलन, तनाव प्रबंधन।</li> <li>आईटी और साइबर सुरक्षा।</li> <li>शाखा संचालन, ग्राहक सेवा, राष्ट्रीय कर्मयोगी।</li> <li>हरित वित्तपोषण, जलवायु अनुकूल कृषि, ईएसजी वित्तपोषण, ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण।</li> <li>अनुपालन प्रशिक्षण, केवाईसी / एएमएल।</li> <li>वित्तीय समावेशन, स्वयं सहायता समूह / ज्वारीय समूह वित्तपोषण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर कार्यक्रम।</li> <li>जनरेटिव एआई पर कार्यक्रम।</li> </ul> | 98% |
| कामगार                                 | कंपनी कर्मचारियों को कामगार के रूप में नहीं पहचानती है। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

|                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Key Managerial Personnel          | 10                                                  | <p>Key Managerial Personnel undergo targeted leadership and functional upskilling programs to strengthen organizational governance, risk management, and strategic decision making, with the following key topics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operational Risk Management</li> <li>Climate Change in Banking</li> <li>Leadership Development</li> <li>IT &amp; Cyber Security</li> <li>Directors' Development Program</li> <li>Artificial Intelligence &amp; Big Data</li> <li>International Banking Operations</li> <li>Advanced Management Programme for Senior Bankers</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75% |
| Employees other than BoD and KMPs | 1,395                                               | <p>Employees across all functional levels are provided with comprehensive capability building and behavioral skill development programmes to enhance operational excellence, regulatory awareness, customer service quality and future ready competencies, with the following key topics:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ethics, Integrity, Good Governance, Preventive Vigilance, Public Procurement</li> <li>Programmes on Various Products of our Bank, Digital Awareness, Product Awareness</li> <li>Leadership Development, Induction Programmes, 1<sup>st</sup> Time Unit Head Training, Prevention of Sexual Harassment, Programmes for Person with Disability, Work-Life Balance, Stress Management</li> <li>IT &amp; Cyber Security</li> <li>Branch Operations, Customer Service, Rashtriya Karmayogi</li> <li>Green Financing, Climate Smart Agriculture, ESG Financing, Energy Efficiency Financing</li> <li>Compliance Trainings, KYC/AML</li> <li>Programmes on Financial Inclusion, SHG/JLG Financing, Social Security Schemes</li> <li>Programme on Generative AI</li> </ul> | 98% |
| Workers                           | The Company does not identify employees as workers. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के साथ कार्रवाई (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना / दंड / जुर्माना / पुरस्कार / शमन शुल्क / समाधान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रेषित है  
(नोट: इकाई सेबी विनियम, 2015 के विनियम 30 (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

| मौद्रिक           |                     |                                                          |              |                          |                                                |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| विवरण             | एनजीआरबीसी सिद्धांत | विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के नाम | राशि (₹ में) | मामले का संक्षिप्त विवरण | क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां / नहीं) |
| दंड / जुर्माना    | -                   | -                                                        | -            | -                        | -                                              |
| समझौता            | -                   | -                                                        | -            | -                        | -                                              |
| कंपाउंडिंग प्रभार | -                   | -                                                        | -            | -                        | -                                              |
| गैर-मौद्रिक       |                     |                                                          |              |                          |                                                |
| विवरण             | एनजीआरबीसी सिद्धांत | विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के नाम | राशि (₹ में) | मामले का संक्षिप्त विवरण | क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां / नहीं) |
| कारावास           | -                   | -                                                        | -            | -                        | -                                              |
| दंड               | -                   | -                                                        | -            | -                        | -                                              |

2. Details of Fines / Penalties / Punishment / Award / Compounding Fees / Settlement Amount Paid in Proceedings (by the Entity or by Directors / KMPs) with Regulators / Law Enforcement Agencies / Judicial Institutions, in the Financial Year, in the following format:  
(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

| Monetary        |                 |                                                                      |        |                   |                                          |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------------------|
| Particulars     | NGRBC Principle | Name of the Regulatory/ Enforcement Agencies / Judicial Institutions | Amount | Brief of the Case | Has an appeal been preferred? (Yes / No) |
| Penalty / Fine  | -               | -                                                                    | -      | -                 | -                                        |
| Settlement      | -               | -                                                                    | -      | -                 | -                                        |
| Compounding Fee | -               | -                                                                    | -      | -                 | -                                        |
| Non-Monetary    |                 |                                                                      |        |                   |                                          |
| Particulars     | NGRBC Principle | Name of the Regulatory/ Enforcement Agencies / Judicial Institutions | Amount | Brief of the Case | Has an appeal been preferred? (Yes / No) |
| Imprisonment    | -               | -                                                                    | -      | -                 | -                                        |
| Punishment      | -               | -                                                                    | -      | -                 | -                                        |

3. उपरोक्त दिए गए प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, अपील / संशोधन का विवरण उन मामलों में पसंद किया जाता है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई हो।

| मामले का विवरण                                                                              | नियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के नाम |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| रिपोर्टिंग अवधि के दौरान गैर-अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया है, इसलिए यह लागू नहीं है। |                                                        |

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

जी हाँ, केनरा बैंक में भ्रष्टाचार-विरोधी और रिश्वत-विरोधी नीति है, जो सुशासन सुनिश्चित करने और नैतिक व्यवहार को बनाए रखने के लिए व्हिस्टलब्लोअर नीति का हिस्सा है। सुशासन सुनिश्चित करने के लिए, केनरा बैंक के पास एक व्हिस्टल ब्लोअर तंत्र है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कर्मचारियों द्वारा अनैतिक प्रथाओं और धोखाधड़ी की सूचना दी जाती है। नीति स्पष्ट रूप से अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, जांच रिपोर्ट के आधार पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तंत्र मौजूद है। नीति को लागू करने का उद्देश्य परिचालन क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता प्राप्त करना, बैंक के हितों की रक्षा करना और वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना है।

लिंक - <https://www.canarabank.bank.in/documents/20126/102979/WHISTLE+BLOWER+POLICY+2025-26.pdf/>

5. निदेशकों / केएमपी / कर्मचारियों / कामकारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी / भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।

| विवरण    | वित्त वर्ष 2025-26 | वित्त वर्ष 2024-25 |
|----------|--------------------|--------------------|
| निदेशक   | शून्य              | शून्य              |
| केएमपी   | शून्य              | शून्य              |
| कर्मचारी | 0                  | 15                 |
| कामगार   | शून्य              | शून्य              |

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal / Revision preferred in cases where Monetary or Non-monetary action has been appealed.

| Case Details                                                                                             | Name of the Regulatory / Enforcement Agencies / Judicial Institutions |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| There have been no cases of non-compliance during the reporting period, therefore, it is not applicable. |                                                                       |

4. Does the Entity have an Anti-corruption or Anti-bribery Policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes, Canara Bank has an Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy as part of the Whistleblower Policy to ensure good governance and uphold ethical behavior, Canara Bank has a Whistle Blower mechanism in place which helps to ensure that unethical practices, bribery, corruption and frauds are reported by the employees. The Policy clearly outlines the processes of reporting unethical practices, the mechanisms in place to ensure the action is taken in a timely manner based on the investigation report. The objective of this Policy in place is to achieve greater transparency in the operational area, protect the interest of the Bank and adhere to the statutory and regulatory requirements.

Link - <https://www.canarabank.bank.in/documents/20126/102979/WHISTLE+BLOWER+POLICY+2025-26.pdf/>

5. Number of Directors / KMPs / Employees / Workers against whom disciplinary action was taken by any Law Enforcement Agency for the charges of Bribery/ Corruption:

| Particulars | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|-------------|------------|------------|
| Directors   | 0          | 0          |
| KMPs        | 0          | 0          |
| Employees   | 0          | 15         |
| Workers     | 0          | 0          |



6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

| विवरण                                                                         | वित्त वर्ष 2025-26 |            | वित्त वर्ष 2024-25 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|                                                                               | संख्या             | टिप्पणियां | संख्या             | टिप्पणियां |
| निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य              | -          | शून्य              | -          |
| केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या   | शून्य              | -          | शून्य              | -          |

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

| Particulars                                                                                  | FY 2025-26 |         | FY 2024-25 |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|
|                                                                                              | Number     | Remarks | Number     | Remarks |
| Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors | 0          | -       | 0          | -       |
| Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs      | 0          | -       | 0          | -       |

Restricted

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माने / दंड / नियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

केनरा बैंक ने एक सशक्त सतर्कता प्रबंधन ढांचा विकसित किया है, जिसकी देखरेख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं। यह ढांचा संस्था के भीतर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या हितों के टकराव के किसी भी मामले की पहचान करने, उसे रोकने और उसका समाधान करने के लिए बनाया गया है। बैंक ने सभी कार्यों में ईमानदारी बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई नीतियां और प्रक्रियाएं लागू की हैं।

केनरा बैंक ने कर्मचारियों को नैतिक मानकों और अनुपालन जिम्मेदारियों के बारे में सूचित करने और उन्हें शामिल करने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये प्रयास जवाबदेही को मजबूत करने और भ्रष्टाचार या हितों के टकराव से संबंधित किसी भी नियामक जुर्माने, दंड या कार्रवाई के जवाब में सुधारात्मक उपायों को तुरंत लागू करने के लिए बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा हैं।

7. Provide details of any Corrective Action taken or underway on issues related to Fines / Penalties / Action taken by Regulators / Law Enforcement Agencies / Judicial Institutions, on cases of Corruption and Conflict of Interest.

Canara Bank has developed a strong vigilance management framework that is overseen by the Chief Vigilance Officer (CVO). This framework is structured to proactively identify, deter and address any cases of fraud, corruption, or conflicts of interest within the institution. The Bank has introduced several policies and processes aimed at upholding integrity and ensuring transparency across all operations.

Canara Bank conducted multiple programs, including workshops and seminars, to inform and involve employees on ethical standards and compliance responsibilities. These efforts form part of the Bank's ongoing commitment to strengthening accountability and ensuring that corrective measures are implemented promptly in response to any regulatory fines, penalties, or actions related to corruption or conflicts of interest.

Restricted

8. निम्न प्रारूप में देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते \*365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

| विवरण                        | वित्त वर्ष 2025-26 | वित्त वर्ष 2024-25 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| देय खातों के दिनों की संख्या | 43.01              | -                  |

8. Number of days of accounts payables ((Accounts payable \*365) / Cost of goods / services procured) in the following format:

| Particulars                         | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Number of days of accounts payables | 43.01      | -          |

9. कारोबार का विस्तार:

निम्न प्रारूप में व्यापारिक घरों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की संकेन्द्रण के साथ-साथ ऋण व अग्रिम और निवेश का विवरण प्रदान करें:

| विवरण                | मेट्रिक्स                                                                          | वित्त वर्ष 2025-26 | वित्त वर्ष 2024-25 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| खरीद का संकेन्द्रण   | कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरों से खरीदारी                                 | लागू नहीं          | लागू नहीं          |
|                      | व्यापारिक घरों की खरीदारी की संख्या                                                | लागू नहीं          | लागू नहीं          |
|                      | व्यापारिक घरों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरों की खरीदारी      | लागू नहीं          | लागू नहीं          |
| बिक्री का संकेन्द्रण | डीलरों / वितरकों को बिक्री % के रूप में                                            | लागू नहीं          | लागू नहीं          |
|                      | डीलरों / वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है                               | लागू नहीं          | लागू नहीं          |
|                      | डीलरों / वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों / वितरकों को बिक्री | लागू नहीं          | लागू नहीं          |
| आरपीटी के हिस्से में | खरीदारी (संबंधित पक्षों के साथ खरीदारी / कुल खरीदारी)                              | 0.95%              | 0.67%              |
|                      | बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री)                                     | 0.40%              | 0.48%              |
|                      | ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)            | 0.04%              | 0.26%              |
|                      | निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश / कुल निवेश)                                       | 0.34%              | 0.41%              |

लागू नहीं: केनरा बैंक पर लागू नहीं

9. Open-ness of business

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties in the following format:

| Particulars                | Metrics                                                                               | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Concentration of Purchases | Purchases from trading houses as % of total purchases                                 | NA         | NA         |
|                            | Number of trading houses where purchases are made from                                | NA         | NA         |
|                            | Purchases from top-10 trading houses as % of total purchases from trading houses      | NA         | NA         |
| Concentration of Sales     | Sales to dealers / distributors as % of total sales                                   | NA         | NA         |
|                            | Number of dealers / distributors to whom sales are made                               | NA         | NA         |
|                            | Sales to top-10 dealers / distributors as % of total sales to dealers / distributors  | NA         | NA         |
| Share of RPTs in           | Purchases (Purchases with related parties / Total Purchases)                          | 0.95%      | 0.67%      |
|                            | Sales (Sales to related parties / Total Sales)                                        | 0.40%      | 0.48%      |
|                            | Loans & Advances (Loans & Advances given to related parties / Total Loans & Advances) | 0.04%      | 0.26%      |
|                            | Investments (Investments in related parties / Total Investments made)                 | 0.34%      | 0.41%      |

NA: Not Applicable to Canara Bank

## नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

| आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय / सिद्धांत | जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य से) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

केनरा बैंक ने सेबी की बीआरएसआर कोर संकेतकों संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप, ईएसजी मूल्यांकन के भाग के रूप में अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए ईएसजी जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र में कुल खरीद मूल्य के शीर्ष 75% का प्रतिनिधित्व करने वाले मूल्य श्रृंखला भागीदारों को शामिल किया गया और सत्र के दौरान, कारोबार में पारदर्शिता, पर्यावरण प्रबंधन, मानवाधिकार, स्वास्थ्य और सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और श्रम अधिकारों सहित ईएसजी जागरूकता और बीआरएसआर कोर आवश्यकताओं के साथ संरेखण पर चर्चा की गई।

\*आरबीओ, एओ और अंचलों में कर्मचारियों के लिए नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है (विक्रेताओं को विपणन और प्रशासन विभागों द्वारा शामिल किया जाता है)

## Leadership Indicators

1. Awareness Programmes conducted for Value Chain Partners on any of the Principles during the Financial Year:

| Total Number of Awareness Programmes held | Topics / Principles covered under the Training | % of Value Chain Partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Canara Bank conducted ESG awareness session for its value chain partners as part of the ESG assessment, in accordance with SEBI requirements on BRSR Core indicators. The session covered value chain partners representing the top-75% of total purchase value and during the session, ESG awareness and alignment with BRSR Core requirements were discussed including openness of business, environmental stewardship and management, human rights, health and safety, data privacy and labour rights.

\*Training conducted for staff at RBOs, AO & Circles for new products, process & system (Vendors are onboarded by Marketing & Admin Departments)

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने / प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां / नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

बैंक ने सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 17 से 27 के अनुसार एक व्यापक आदर्श आचार संहिता अपनाई है, जो निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधन पर लागू होती है। यह संहिता ईमानदारी, कानूनों का अनुपालन, उचित प्रकटीकरण और हितों के टकराव के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित अपेक्षाओं को रेखांकित करके सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। यह गोपनीयता, निष्पक्ष व्यवहार, बैंक की आस्तियों और संसाधनों के उचित उपयोग और कॉर्पोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन पर भी जोर देती है, साथ ही निदेशक मंडल के सदस्यों से अपेक्षित कर्तव्यों और आचरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।

2. Does the Entity have processes in place to Avoid/ Manage Conflict of Interests involving Members of the Board? (Yes / No) If Yes, provide details of the same.

The Bank has adopted a comprehensive Model Code of Conduct in accordance with Regulations 17 to 27 of the SEBI (LODR) 2015, applicable to the Board of Directors and Core Management. The Code reinforces the Bank's commitment to integrity and ethical behavior by outlining expectations around honesty, compliance with laws, proper disclosure and effective management of conflicts of interest. It also emphasizes confidentiality, fair dealings, responsible use of the Bank's assets and resources and adherence to corporate governance best practices, clearly defining the duties and conduct expected from Board members.

सिद्धांत 2:

कारोबारों को वस्तुओं और सेवाएं ऐसे तरीके से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

| आवश्यक संकेतक                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                    |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश में। |                    |                    |                                                 |
| विवरण                                                                                                                                                                                                                                             | वित्त वर्ष 2025-26 | वित्त वर्ष 2024-25 | पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण |
| अनुसंधान एवं विकास                                                                                                                                                                                                                                | -                  | -                  | -                                               |
| कैपेक्स                                                                                                                                                                                                                                           | -                  | -                  | -                                               |

Principle 2:

Businesses should provide Goods and Services in a manner that is Sustainable and Safe

| Essential Indicators                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Percentage of R&D and Capital Expenditure (Capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and Capex investments made by the Entity, respectively |            |            |                                                         |
| Particulars                                                                                                                                                                                                                            | FY 2025-26 | FY 2024-25 | Details of improvements in environmental social impacts |
| R&D                                                                                                                                                                                                                                    | -          | -          | -                                                       |
| Capex                                                                                                                                                                                                                                  | -          | -          | -                                                       |

2. a. क्या संस्था के पास सतत स्रोत के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां / नहीं)

हाँ, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति है, जिसमें वस्तुओं (गैर-आईटी) की खरीद, सलाहकारों की नियुक्ति, और हाउसकीपिंग, सुरक्षा तथा परिवहन जैसी विभिन्न सेवाओं को लेने के लिए विस्तृत प्रक्रियाएँ और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। इस नीति को पारदर्शिता सुनिश्चित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, निष्पक्षता बनाए रखने, मनमानी को समाप्त करने और पूरे बैंक में खरीद प्रक्रियाओं में दक्षता, मितव्ययिता, जवाबदेही और एकरूपता लाने के लिए तैयार किया गया है। इस नीति का उद्देश्य सभी परिचालन इकाइयों को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करते समय विवेक और एकरूपता से कार्य करने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना है।

यह नीति केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और सभी प्रतिभागियों के बीच समानता सुनिश्चित होती है। यह घरेलू विनिर्माण और सेवा प्रावधान को बढ़ावा देकर "मेक

2. a. Does the Entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes / No)

Yes, The Bank has a Board-approved Policy that lays down detailed procedures and guidelines for the procurement of goods (non-IT), appointment of consultants and engagement of various services such as housekeeping, security and transportation. The policy is designed to ensure transparency, promote healthy competition, maintain fairness, eliminate arbitrariness and bring efficiency, economy, accountability and uniformity in procurement practices across the Bank.

The objective of this policy is to guide all operating units in exercising prudence and consistency while procuring different goods and services. The policy is aligned with the guidelines of the Central Vigilance Commission (CVC), thereby enhancing transparency, fostering competition, and ensuring equity among all participants. It also supports national priorities



इन इंडिया” जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का भी समर्थन करता है, और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों, वंचित समुदायों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रथाओं को सहायता प्रदान करके समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई अधिनियम का पालन करता है।

**b. यदि हां, तो कितने प्रतिशत निविष्टियों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया ?**

नहीं, वर्तमान में बैंक स्रोत किए गए इनपुट्स का प्रतिशत नहीं निकाल रहा है। बैंक सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार ही चीज़ें स्रोत करता है।

3. (a) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (b) ई-कचरा (c) खतरनाक अपशिष्ट और (d) अन्य कचरे के लिए जीवनकाल के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| (a) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) | कंपनी के व्यवसाय और परिचालन पर लागू नहीं। |
| (b) ई-कचरा                    |                                           |
| (c) खतरनाक अपशिष्ट            |                                           |
| (d) अन्य कचरा                 |                                           |

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होता है (हां / नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

केनरा बैंक के कारोबारिक परिचालन पर लागू नहीं।

such as “Make in India” by encouraging domestic manufacturing and service provision and adheres to the MSME Act to promote inclusive economic development by supporting micro, small and medium enterprises, disadvantaged communities and environmentally responsible practices.

**b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?**

**No,** Currently, the Bank is not calculating the percentage of inputs sourced. The Bank sources items as per the CVC guidelines.

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) E-waste (c) Hazardous Waste and (d) Other Waste.

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (a) Plastics (including packaging) | Not applicable to the Company's business and operations. |
| (b) E-waste                        |                                                          |
| (c) Hazardous Waste                |                                                          |
| (d) Other Waste                    |                                                          |

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the Entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to the Pollution Control Boards? If not, take steps to address the same.

Not applicable to Canara Bank business operations.

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलएसी) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें।

| एनआईसी कोड | उत्पाद का नाम | कुल टर्नओवर का % योगदान | सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / आकलन आयोजित किया गया था | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां / नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हां/नहीं) यदि हाँ, तो वेब-लिंक प्रदान करें। |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

केनरा बैंक के कारोबारिक परिचालन पर लागू नहीं।

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format?

| NIC Code | Name of Product/ Service | % of total Turnover contributed | Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted | Whether conducted by independent external agency (Yes / No) | Results communicated in public domain (Yes / No)<br>If yes, provide the web-link |
|----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

Not Applicable to Canara Bank's business operations.

2. यदि आपके उत्पादों / सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और / या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / आकलन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो की गई कार्रवाई के साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें।
2. If there are any significant Social or Environmental concerns and / or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along with action taken to mitigate the same.

| उत्पाद का नाम / सेवा | जोखिम / मामले का विवरण | की गई कार्रवाई |
|----------------------|------------------------|----------------|
|----------------------|------------------------|----------------|

केनरा बैंक के कारोबारिक परिचालन पर लागू नहीं।

| Name of product / service | Description of the risk / concern | Action taken |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|

Not applicable to Canara Bank's business operations.

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।
3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

| इनपुट सामग्री इंगित करें | पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री की कुल सामग्री |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                          | वित्त वर्ष 2025-26                                                  |
|                          | वित्त वर्ष 2024-25                                                  |

केनरा बैंक के कारोबारिक परिचालन पर लागू नहीं।

| Indicate input material | Recycled or re-used input material to total material |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
|                         | FY 2025-26                                           |
|                         | FY 2024-25                                           |

Not applicable to Canara Bank's business operations

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) का पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटान।

|                           | वित्त वर्ष 2025-26                            |               |                           | वित्त वर्ष 2024-25 |               |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
|                           | पुनः उपयोग किए गए                             | पुनर्नवीनीकरण | सुरक्षित रूप से निस्तारित | पुनः उपयोग किए गए  | पुनर्नवीनीकरण | सुरक्षित रूप से |
| प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) | केनरा बैंक के कारोबारिक परिचालन पर लागू नहीं। |               |                           |                    |               |                 |
| ई - कचरा                  |                                               |               |                           |                    |               |                 |
| खतरनाक अपशिष्ट            |                                               |               |                           |                    |               |                 |
| अन्य अपशिष्ट              |                                               |               |                           |                    |               |                 |

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled and safely disposed, as per the following format:.

|                                | FY 2025-26                                           |          |                 | FY 2024-25 |          |                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------|----------|-----------------|
|                                | Re-used                                              | Recycled | Safely Disposed | Re-used    | Recycled | Safely Disposed |
| Plastics (including packaging) | Not applicable to Canara Bank's business operations. |          |                 |            |          |                 |
| E-Waste                        |                                                      |          |                 |            |          |                 |
| Hazardous Waste                |                                                      |          |                 |            |          |                 |
| Other Waste                    |                                                      |          |                 |            |          |                 |

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

| उत्पाद श्रेणी इंगित करें                      | पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बचे गए कुल उत्पादों के % के रूप में |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| केनरा बैंक के कारोबारिक परिचालन पर लागू नहीं। |                                                                                                     |

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

| Indicate product category                           | Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not applicable to Canara Bank's business operations |                                                                                                     |

सिद्धांत 3:

कारोबारों को अपने कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और उनके संवर्धन को बढ़ावा देना चाहिए

| आवश्यक संकेतक                                       |                                    |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|
| 1. a. कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपायों का विवरण: |                                    |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| वर्ग                                                | द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का % |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
|                                                     | कुल*<br>(A)                        | स्वास्थ्य बीमा |            | दुर्घटना बीमा |            | मातृत्व लाभ   |            | पितृत्व लाभ   |            | डे केयर सुविधाएं |            |
|                                                     |                                    | संख्या<br>(B)  | %<br>(B/A) | संख्या<br>(C) | %<br>(C/A) | संख्या<br>(D) | %<br>(D/A) | संख्या<br>(E) | %<br>(E/A) | संख्या<br>(F)    | %<br>(F/A) |
| स्थायी कर्मचारी / स्थायी कर्मचारियों के अलावा       |                                    |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| पुरुष                                               | 55,226                             | 55,226         | 100%       | 55,226        | 100%       | -             | -          | 55,226        | 100%       | 1                | 0.002%     |
| महिला                                               | 26,600                             | 26,600         | 100%       | 26,600        | 100%       | 26,600        | 100%       | -             | -          | 30               | 0.11%      |
| अन्य                                                | 1                                  | 1              | 100%       | 1             | 100%       | -             | -          | -             | -          | -                | -          |
| कुल                                                 | 81,827                             | 81,827         | 100%       | 81,827        | 100%       | 26,600        | 100%       | 55,226        | 100%       | 31               | 0.05%      |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा                         |                                    |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| पुरुष                                               | 7                                  | 7              | 100%       | -             | -          | -             | -          | -             | -          | -                | -          |
| महिला                                               | -                                  | -              | -          | -             | -          | -             | -          | -             | -          | -                | -          |
| अन्य                                                | -                                  | -              | -          | -             | -          | -             | -          | -             | -          | -                | -          |
| कुल                                                 | 7                                  | 7              | 100%       | -             | Restricted | -             | -          | -             | -          | -                | -          |

Principle 3:

Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

| Essential Indicators                                       |                           |                  |            |                    |            |                    |         |                    |            |                     |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|---------|--------------------|------------|---------------------|------------|
| 1. a. Details of measures for the well-being of employees. |                           |                  |            |                    |            |                    |         |                    |            |                     |            |
| Category                                                   | % of employees covered by |                  |            |                    |            |                    |         |                    |            |                     |            |
|                                                            | Total*<br>(A)             | Health Insurance |            | Accident Insurance |            | Maternity Benefits |         | Paternity Benefits |            | Day Care Facilities |            |
|                                                            |                           | Number<br>(B)    | %<br>(B/A) | Number<br>(C)      | %<br>(C/A) | Number<br>(D)      | % (D/A) | Number<br>(E)      | %<br>(E/A) | Number<br>(F)       | %<br>(F/A) |
| Permanent employees                                        |                           |                  |            |                    |            |                    |         |                    |            |                     |            |
| Male                                                       | 55,226                    | 55,226           | 100%       | 55,226             | 100%       | -                  | -       | 55,226             | 100%       | 1                   | 0.002%     |
| Female                                                     | 26,600                    | 26,600           | 100%       | 26,600             | 100%       | 26,600             | 100%    | -                  | -          | 30                  | 0.11%      |
| Other                                                      | 1                         | 1                | 100%       | 1                  | 100%       | -                  | -       | -                  | -          | -                   | -          |
| Total                                                      | 81,827                    | 81,827           | 100%       | 81,827             | 100%       | 26,600             | 100%    | 55,226             | 100%       | 31                  | 0.05%      |
| Other than Permanent employees                             |                           |                  |            |                    |            |                    |         |                    |            |                     |            |
| Male                                                       | 7                         | 7                | 100%       | -                  | -          | -                  | -       | -                  | -          | -                   | -          |
| Female                                                     | -                         | -                | -          | -                  | -          | -                  | -       | -                  | -          | -                   | -          |
| Other                                                      | -                         | -                | -          | -                  | -          | -                  | -       | -                  | -          | -                   | -          |
| Total                                                      | 7                         | 7                | 100%       | -                  | -          | -                  | -       | -                  | -          | -                   | -          |

b. कामगारों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण:

| वर्ग                        | % of Workers covered by                                                                           |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|
|                             | कुल<br>(A)                                                                                        | स्वास्थ्य बीमा |            | दुर्घटना बीमा |            | मातृत्व लाभ   |            | पितृत्व लाभ   |            | डे केयर सुविधाएं |            |
|                             |                                                                                                   | संख्या<br>(B)  | %<br>(B/A) | संख्या<br>(C) | %<br>(C/A) | संख्या<br>(D) | %<br>(D/A) | संख्या<br>(E) | %<br>(E/A) | संख्या<br>(F)    | %<br>(F/A) |
| स्थायी कर्मचारी             |                                                                                                   |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| पुरुष                       | लागू नहीं, क्योंकि केनरा बैंक अपने किसी भी कर्मचारी को 'कामगार' के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| महिला                       |                                                                                                   |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| अन्य                        |                                                                                                   |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| कुल                         |                                                                                                   |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा |                                                                                                   |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| पुरुष                       | लागू नहीं, क्योंकि केनरा बैंक अपने किसी भी कर्मचारी को 'कामगार' के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| महिला                       |                                                                                                   |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| अन्य                        |                                                                                                   |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |
| कुल                         |                                                                                                   |                |            |               |            |               |            |               |            |                  |            |

Restricted

b. Details of measures for the well-being of workers:

| Category                     | % of Workers covered by                                                          |                  |         |                    |         |                    |         |                    |         |                     |         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|
|                              | Total (A)                                                                        | Health Insurance |         | Accident Insurance |         | Maternity Benefits |         | Paternity Benefits |         | Day Care Facilities |         |
|                              |                                                                                  | Number (B)       | % (B/A) | Number (C)         | % (C/A) | Number (D)         | % (D/A) | Number (E)         | % (E/A) | Number (F)          | % (F/A) |
| Permanent Workers            |                                                                                  |                  |         |                    |         |                    |         |                    |         |                     |         |
| Male                         | Not applicable as Canara Bank does not identify any of the Employees as Workers. |                  |         |                    |         |                    |         |                    |         |                     |         |
| Female                       |                                                                                  |                  |         |                    |         |                    |         |                    |         |                     |         |
| Other                        |                                                                                  |                  |         |                    |         |                    |         |                    |         |                     |         |
| Total                        |                                                                                  |                  |         |                    |         |                    |         |                    |         |                     |         |
| Other than Permanent Workers |                                                                                  |                  |         |                    |         |                    |         |                    |         |                     |         |
| Male                         | Not applicable as Canara Bank does not identify any of the Employees as Workers. |                  |         |                    |         |                    |         |                    |         |                     |         |
| Female                       |                                                                                  |                  |         |                    |         |                    |         |                    |         |                     |         |
| Other                        |                                                                                  |                  |         |                    |         |                    |         |                    |         |                     |         |
| Total                        |                                                                                  |                  |         |                    |         |                    |         |                    |         |                     |         |

Restricted



c. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) के कल्याण के उपायों पर खर्च करना

| विवरण                                                           | वित्त वर्ष 2025-26 | वित्त वर्ष 2024-25 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर की गई लागत | 0.3%               | 1.21%              |

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format :

| Particulars                                                                 | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the company | 0.3%       | 1.21%      |

2. सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण, चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्त वर्ष के लिए

| लाभ                      | वित्त वर्ष 2025-26                                               |                                                            |                                                                    | वित्त वर्ष 2024-25                                               |                                                            |                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                          | कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या | कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या | कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां / नहीं / लागू नहीं) | कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या | कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या | कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां / नहीं / लागू नहीं) |
| भ नि                     | 16.01%                                                           | लागू नहीं                                                  | हाँ                                                                | 17.93%                                                           | लागू नहीं                                                  | हाँ                                                                |
| उपदान                    | 100%                                                             | लागू नहीं                                                  | हाँ                                                                | 100%                                                             | लागू नहीं                                                  | हाँ                                                                |
| ईएसआई                    | लागू नहीं                                                        | लागू नहीं                                                  | लागू नहीं                                                          | लागू नहीं                                                        | लागू नहीं                                                  | लागू नहीं                                                          |
| अन्य - कृपया स्पष्ट करें | 83.99%                                                           | लागू नहीं                                                  | हाँ                                                                | 82.07%                                                           | लागू नहीं                                                  | हाँ                                                                |

2. Details of Retirement Benefits, for Current and Previous Financial Years:

| Benefits                | FY 2025-26                                         |                                                |                                                      | FY 2024-25                                         |                                                |                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                         | No. of employees covered as a % of total employees | No. of workers covered as a % of total workers | Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.) | No. of employees covered as a % of total employees | No. of workers covered as a % of total workers | Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.) |
| PF                      | 16.01%                                             | NA                                             | Yes                                                  | 17.93%                                             | NA                                             | Yes                                                  |
| Gratuity                | 100%                                               | NA                                             | Yes                                                  | 100%                                               | NA                                             | Yes                                                  |
| ESI                     | NA                                                 | NA                                             | NA                                                   | NA                                                 | NA                                             | NA                                                   |
| Others - please specify | 83.99%                                             | NA                                             | Yes                                                  | 82.07%                                             | NA                                             | Yes                                                  |

NA: Not Applicable

### 3. कार्यस्थल तक पहुंच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, संस्था के परिसर / कार्यालय अलग-अलग दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

केनरा बैंक सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है और भेदभाव का सक्रिय रूप से विरोध करता है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप, बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए पहुंच को बेहतर बनाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, जहाँ भी संभव हो, शाखाओं और एटीएम में रैंप, हैंडरेल, टैक्टाइल पाथ, मैग्निफायर और ग्रेब बार लगाए गए हैं। अभी तक, 4722 शाखाओं / कार्यालयों / प्रशासनिक इकाइयों में पहुंच-योग्यता मानकों के अनुसार सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 1912 शाखाएँ / कार्यालय / प्रशासनिक इकाइयाँ 5 मानकों का पालन करती हैं, 1187 शाखाएँ / कार्यालय / प्रशासनिक इकाइयाँ 4 मानकों का, 350 शाखाएँ / कार्यालय / प्रशासनिक इकाइयाँ 3 मानकों का, और 102 शाखाएँ / कार्यालय / प्रशासनिक इकाइयाँ 2 मानकों का पालन करती हैं। साथ ही, सभी 11008 एटीएम के प्रवेश द्वार दिशानिर्देशों के अनुसार 900 mm चौड़े हैं; 7029 एटीएम में रैंप की सुविधा है और 6020 एटीएम में हैंड रेल की सुविधा है। यह सभी के लिए एक समावेशी और सुलभ वातावरण बनाने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

### 4. क्या संस्था के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ, केनरा बैंक की 'समान अवसर नीति' है। केनरा बैंक की यह नीति, जिसे 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के अनुसार तैयार किया गया है, निष्पक्षता और समावेशिता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और मज़बूत करती है। बैंक एक भेदभाव-मुक्त कार्यस्थल बनाने के लिए समर्पित है, और कर्मचारियों को अपनी भूमिकाएँ प्रभावी ढंग से निभाने में सहायता करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराता है। मानव संसाधन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक इन पहलों के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि ये पहल सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोज़गार, सेवा में बने रहने और करियर में प्रगति को सुगम बनाने हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है; इसमें सहायक उपकरण, यंत्र और पसंदीदा स्थानों पर पोस्टिंग (तैनाती) जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। व्यापक उपायों के माध्यम से, केनरा बैंक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समानता, सशक्तिकरण और अवसरों पर आधारित एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करता है, जो समावेशिता के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करता है। पॉलिसी का वेब लिंक यहाँ उपलब्ध है: <https://www.canarabank.bank.in/documents/d/guest/12-equal-opportunity-policy-2025-26-website>

<https://canarabank.bank.in/UploadedFiles/Pdf/EQUAL OPPORTUNITY POLICY.pdf>

### 3. Accessibility of workplaces

Are the premises / offices of the entity accessible to Differently-abled Employees and Workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Canara Bank is dedicated to ensuring equal opportunities to all employees and actively opposes discrimination. In alignment with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the Bank has taken significant steps to enhance accessibility for differently-abled staff and customers. Ramps, Handrails, Tactile Path, Magnifier and Grab Bar have been installed at branches and ATMs wherever possible to facilitate easier access. As of now, 4722 branches/offices / admin units / have all the facilities as per the accessibility standards. Further 1912 Branch / Offices / Admin Units have complied with 5 parameters, 1187 Branch / Offices / Admin units complied with 4, 350 Branch / Offices / Admin units complied with 3, 102 Branches / Offices / Admin units complied with 2, also all the 11008 ATMs are having entry doors with width of 900 mm as per guidelines, 7029 ATMs having ramp facility and 6020 ATMs having hand rail facility demonstrating the Bank's commitment to creating an inclusive and accessible environment for everyone.

### 4. Does the entity have an Equal Opportunity Policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web link to the policy.

Yes, Canara Bank has Equal Opportunity Policy. Canara Bank's Equal Opportunity Policy, framed in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, reinforces the Bank's commitment to fairness and inclusiveness. The Bank is dedicated to fostering a discrimination-free workplace and provides necessary facilities and assistive devices to support employees in performing their roles effectively. The Chief General Manager / General Manager of the Human Resources Wing oversees the implementation of these initiatives, ensuring alignment with Government guidelines. Additional support, including aids, appliances and preferential postings are offered to facilitate employment, retention and career progression for people with disabilities. Through comprehensive measures, Canara Bank strives to create an environment grounded in equality, empowerment, and opportunity for people with disabilities, reaffirming its strong commitment to inclusion. Policy available at: <https://www.canarabank.bank.in/documents/d/guest/12-equal-opportunity-policy-2025-26-website>

<https://canarabank.bank.in/UploadedFiles/Pdf/EQUAL OPPORTUNITY POLICY.pdf>

5. काम पर वापसी और स्थायी कर्मचारियों और मातृत्व - पितृत्व अवकाश लेने वाले कर्मचारी व कामगारों की प्रतिधारण दरें।

| लिंग  | स्थायी कर्मचारी      |              | स्थायी कामगार        |              |
|-------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|       | काम पर वापसी प्रतिशत | प्रतिधारण दर | काम पर वापसी प्रतिशत | प्रतिधारण दर |
| पुरुष | 100%                 | 99.58%       | लागू नहीं            |              |
| महिला | 100%                 | 99.80%       |                      |              |
| अन्य  | 0%                   | 0%           |                      |              |
| कुल   | 100%                 | 99.67%       |                      |              |

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

| Gender | Permanent employees |                | Permanent workers   |                |
|--------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|        | Return to Work Rate | Retention Rate | Return to Work Rate | Retention Rate |
| Male   | 100%                | 99.58%         | Not applicable      |                |
| Female | 100%                | 99.80%         |                     |                |
| Other  | 0%                  | 0%             |                     |                |
| Total  | 100%                | 99.67%         |                     |                |

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

|                             | हां/ नहीं<br>(यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्थायी कामगार               | लागू नहीं, क्योंकि बैंक किसी भी कर्मचारी को 'कामगार' के रूप में नहीं मानता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स्थायी कामगारों के अलावा    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स्थायी कर्मचारी             | बैंक के पास कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक 'कर्मचारी शिकायत निवारण नीति' है, जिसमें शिकायतों को समय पर और प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया दी गई है। इस नीति में शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित समय-सीमा और शिकायत को आगे भेजने के लिए अभिशासन संरचना का विवरण शामिल है। बैंक कर्मचारियों की चिंताओं और शिकायतों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने इंटरनेट पर 'केनराईट शिकायत निवारण प्रणाली' शुरू किया है, ताकि कर्मचारी किसी भी बदले की कार्रवाई के डर के बिना शिकायत दर्ज कर सकें। यह एक कागज़-रहित और कर्मचारी-अनुकूल पहल है, जिसमें शिकायतों के निवारण में लगने वाला समय भी काफी कम हो गया है। |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | लागू नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If yes, give details of the mechanism in brief.

|                                | Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permanent Workers              | Not applicable, since the Bank does not identify any employees as worker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Other than Permanent Workers   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Permanent Employees            | The Bank has an Employees' Grievance(s) Redressal Policy with a defined process to address the grievances of the employees in a timely and effective manner. The Policy has details on the stipulated time of redressal and the governance structure for grievance escalation. The Bank is committed to addressing the concerns and grievances of the employees in a transparent and just manner. To maintain and uphold the anonymity of the complainant, Bank has introduced 'Canarite Grievance Redressal System' on the intranet for employees to raise concerns without fear of retaliation. It is also a paperless and employee-friendly approach with a reduced Turnaround Time (TAT) of redressal. |
| Other than Permanent Employees | Not applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियन या संघों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

| वर्ग                | वित्तीय वर्ष 2025-26                          |                                                                                                    |         | वित्तीय वर्ष 2024-25                          |                                                                                              |         |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                     | संबंधित श्रेणी में कुल* कर्मचारी / कामगार (A) | संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या श्रेणी, जो संघ (ओं) या यूनियन (B) का हिस्सा हैं | % (B/A) | संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगारों (C) | संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारियों / कामगारों की सं. जो संघ (एस) या यूनियन (D) का हिस्सा हैं | % (D/C) |
| कुल स्थायी कर्मचारी | 81,827                                        | 76,557                                                                                             | 93.56%  | 81,260                                        | 64,618                                                                                       | 79.52%  |
| - पुरुष             | 55,226                                        | 50,878                                                                                             | 92.13%  | 55,253                                        | 42,829                                                                                       | 77.51%  |
| - महिला             | 26,600                                        | 25,678                                                                                             | 96.53%  | 26,006                                        | 21,788                                                                                       | 83.78%  |
| - अन्य              | 1                                             | 1                                                                                                  | 100%    | 1                                             | 1                                                                                            | 100%    |
| कुल स्थायी कामगार   | लागू नहीं<br>Restricted                       |                                                                                                    |         |                                               |                                                                                              |         |
| - पुरुष             |                                               |                                                                                                    |         |                                               |                                                                                              |         |
| - महिला             |                                               |                                                                                                    |         |                                               |                                                                                              |         |
| - अन्य              |                                               |                                                                                                    |         |                                               |                                                                                              |         |

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognized by the listed entity:

| Category                  | FY 2025-26                                          |                                                                                                |         | FY 2024-25                                          |                                                                                                |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                           | Total Employees/ Workers in respective category (A) | No. of Employees / Workers in respective category, who are part of Association(s) or Union (B) | % (B/A) | Total Employees/ Workers in respective category (C) | No. of Employees / Workers in respective category, who are part of association(s) or Union (D) | % (D/C) |
| Total Permanent Employees | 81,827                                              | 76,557                                                                                         | 93.56%  | 81,260                                              | 64,618                                                                                         | 79.52%  |
| - Male                    | 55,226                                              | 50,878                                                                                         | 92.13%  | 55,253                                              | 42,829                                                                                         | 77.51%  |
| - Female                  | 26,600                                              | 25,678                                                                                         | 96.53%  | 26,006                                              | 21,788                                                                                         | 83.78%  |
| - Others                  | 1                                                   | 1                                                                                              | 100%    | 1                                                   | 1                                                                                              | 100%    |
| Total Permanent Workers   | Not applicable                                      |                                                                                                |         |                                                     |                                                                                                |         |
| - Male                    |                                                     |                                                                                                |         |                                                     |                                                                                                |         |
| - Female                  |                                                     |                                                                                                |         |                                                     |                                                                                                |         |
| - Others                  |                                                     |                                                                                                |         |                                                     |                                                                                                |         |

8. कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

| वर्ग     | वित्तीय वर्ष 2025-26    |                                     |          |                |          | वित्तीय वर्ष 2024-25 |                                     |          |                |           |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------------|-------------------------------------|----------|----------------|-----------|
|          | कुल*<br>(A)             | स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रावधानों पर |          | कौशल उन्नयन पर |          | कुल<br>(D)           | स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रावधानों पर |          | कौशल उन्नयन पर |           |
|          |                         | सं. (बी)                            | % (बी/ए) | सं. (सी)       | % (सी/ए) |                      | सं. (ई)                             | % (ई/डी) | सं. (एफ)       | % (एफ/डी) |
| कर्मचारी |                         |                                     |          |                |          |                      |                                     |          |                |           |
| पुरुष    | 55,226                  | 896                                 | 1.62%    | 54,939         | 99.48%   | 55,253               | 1,211                               | 2.19%    | 54,714         | 99.02%    |
| महिला    | 26,600                  | 1                                   | 0.00%    | 25,151         | 94.55%   | 26,006               | 564                                 | 2.17%    | 24,485         | 94.15%    |
| अन्य     | 1                       | 0                                   | 0.00%    | 1              | 100%     | 1                    | 1                                   | 100%     | 1              | 100%      |
| कुल      | 81,827                  | 897                                 | 1.10%    | 80,091         | 97.88%   | 81,260               | 1,776                               | 2.19%    | 79,200         | 97.46%    |
| कामगार   |                         |                                     |          |                |          |                      |                                     |          |                |           |
| पुरुष    | लागू नहीं<br>Restricted |                                     |          |                |          |                      |                                     |          |                |           |
| महिला    |                         |                                     |          |                |          |                      |                                     |          |                |           |
| अन्य     |                         |                                     |          |                |          |                      |                                     |          |                |           |
| कुल      |                         |                                     |          |                |          |                      |                                     |          |                |           |

8. Details of training given to employees and workers:

| Category  | FY 2025-26    |                                  |         |                         |         | FY 2024-25   |                                  |         |                         |         |
|-----------|---------------|----------------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------|----------------------------------|---------|-------------------------|---------|
|           | Total*<br>(A) | On Health and<br>Safety measures |         | On Skill<br>upgradation |         | Total<br>(D) | On Health and<br>Safety measures |         | On Skill<br>upgradation |         |
|           |               | No. (B)                          | % (B/A) | No. (C)                 | % (C/A) |              | No. (E)                          | % (E/D) | No. (F)                 | % (F/D) |
| Employees |               |                                  |         |                         |         |              |                                  |         |                         |         |
| Male      | 55,226        | 896                              | 1.62%   | 54,939                  | 99.48%  | 55,253       | 1,211                            | 2.19%   | 54,714                  | 99.02%  |
| Female    | 26,600        | 1                                | 0.00%   | 25,151                  | 94.55%  | 26,006       | 564                              | 2.17%   | 24,485                  | 94.15%  |
| Other     | 1             | 0                                | 0.00%   | 1                       | 100%    | 1            | 1                                | 100%    | 1                       | 100%    |
| Total     | 81,827        | 897                              | 1.10%   | 80,091                  | 97.88%  | 81,260       | 1,776                            | 2.19%   | 79,200                  | 97.46%  |
| Workers   |               |                                  |         |                         |         |              |                                  |         |                         |         |
| Male      | NA            |                                  |         |                         |         |              |                                  |         |                         |         |
| Female    |               |                                  |         |                         |         |              |                                  |         |                         |         |
| Other     |               |                                  |         |                         |         |              |                                  |         |                         |         |
| Total     |               |                                  |         |                         |         |              |                                  |         |                         |         |



## 9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्यनिष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

| वर्ग            | वित्त वर्ष 2025-26 |               |             | वित्त वर्ष 2024-25 |               |             |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|
|                 | कुल ए)             | सं. (बी)      | % (बी/ए)    | कुल (सी)           | सं. (डी)      | % (डी/सी)   |
| <b>कर्मचारी</b> |                    |               |             |                    |               |             |
| पुरुष           | 55,226             | 55,226        | 100%        | 55,253             | 55,253        | 100%        |
| महिला           | 26,600             | 26,600        | 100%        | 26,006             | 26,006        | 100%        |
| अन्य            | 1                  | 1             | 100%        | 1                  | 1             | 100%        |
| <b>कुल</b>      | <b>81,827</b>      | <b>81,827</b> | <b>100%</b> | <b>81,260</b>      | <b>81,260</b> | <b>100%</b> |
| <b>कामगार</b>   |                    |               |             |                    |               |             |
| पुरुष           | लागू नहीं          |               |             |                    |               |             |
| महिला           |                    |               |             |                    |               |             |
| अन्य            |                    |               |             |                    |               |             |
| <b>कुल</b>      |                    |               |             |                    |               |             |

## 9. Details of performance and career development reviews of employees and workers:

| Category         | FY 2025-26    |               |             | FY 2024-25    |               |             |
|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
|                  | Total (A)     | No. (B)       | % (B/A)     | Total (C)     | No. (D)       | % (D/C)     |
| <b>Employees</b> |               |               |             |               |               |             |
| Male             | 55,226        | 55,226        | 100%        | 55,253        | 55,253        | 100%        |
| Female           | 26,600        | 26,600        | 100%        | 26,006        | 26,006        | 100%        |
| Other            | 1             | 1             | 100%        | 1             | 1             | 100%        |
| <b>Total</b>     | <b>81,827</b> | <b>81,827</b> | <b>100%</b> | <b>81,260</b> | <b>81,260</b> | <b>100%</b> |
| <b>Workers</b>   |               |               |             |               |               |             |
| Male             | NA            |               |             |               |               |             |
| Female           |               |               |             |               |               |             |
| Other            |               |               |             |               |               |             |
| <b>Total</b>     |               |               |             |               |               |             |

## 10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

- a. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां / नहीं) यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है? हाँ।

बैंक के कामकाज का स्वरूप ऐसा है कि इससे उसके कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा कोई बड़ा जोखिम पैदा नहीं होता। बैंक अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए हर समय प्रतिबद्ध है; इसलिए, काम करने का एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, 'व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली' (ओएचएस) लागू की गई है। इस ओएचएस प्रणाली के तहत, बैंक की हर शाखा और कार्यालय में अग्निशामक यंत्र लगाए जाते हैं और उनका नियमित रखरखाव किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यकता के अनुसार उनकी जाँच हो सके और उन्हें फिर से भरा जा सके। कर्मचारियों के बीच सुरक्षा की तैयारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए, समय-समय पर आपातकालीन निकासी अभ्यास और अग्निशामक यंत्रों के इस्तेमाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये उपाय, अपने सभी कर्मचारियों के लिए काम करने की एक

## 10. Health and safety management system:

- a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes / No). If yes, what is the coverage of such a system? Yes.

The inherent nature of the Bank's operations does not pose any significant health and safety risks to its employees. The Bank is committed to ensure safety and well-being of its employees at all times; therefore, an occupational health and safety management system is in place to provide a secure work environment. The OHS System includes the installation and regular maintenance of fire extinguishers in every branch and office, ensuring they are checked and refilled as required. Regular emergency evacuation drills and training programs on the use of fire extinguishers are conducted to enhance preparedness and safety awareness

सुरक्षित और संरक्षित जगह बनाए रखने के प्रति केनरा बैंक के समर्पण को दर्शाते हैं।

- b. कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

केनरा बैंक अपनी ओएसएच प्रबंधन प्रणाली के हिस्से के रूप में, काम से जुड़े खतरों की पहचान करने और समय-समय पर जोखिमों का आकलन करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है। बैंक के सुरक्षा अधिकारी, संभावित जोखिमों और खतरों की पहचान करने के लिए, निर्धारित चेकलिस्ट और निरीक्षण प्रारूपों का उपयोग करके शाखाओं, मुद्रा कोष और कार्यालयों का निर्धारित सुरक्षा लेखापरीक्षण करते हैं। बैंक ने चोरी, सेंधमारी, डकैती या लूट की स्थिति में कर्मचारियों द्वारा पालन की जाने वाली विस्तृत दिशानिर्देश स्थापित किए हैं, जिससे तत्परता और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है। घटनाओं को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सभी स्थानों पर एक आंतरिक घटना रिपोर्टिंग पोर्टल उपलब्ध है, जो मूल कारणों की पहचान करने और जोखिमों को सक्रिय रूप से कम करने में मदद करता है। ये उपाय एक सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के प्रति केनरा बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

- c. क्या आपके पास ऐसी प्रक्रियाएँ हैं जिनके द्वारा कर्मचारी काम से जुड़े खतरों की रिपोर्ट कर सकें और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर रख सकें? (हां / नहीं)

लागू नहीं, क्योंकि बैंक अपने किसी भी कर्मचारी को 'कामगार' के तौर पर वर्गीकृत नहीं करता है। हालाँकि, बैंक एक सुरक्षित, स्वस्थ और सहायक कार्यस्थल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों तथा संबंधित हितधारकों को प्राकृतिक या मानव-जनित घटनाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी असुरक्षित स्थिति से निपटने की प्रक्रियाओं की जानकारी हो।

- d. क्या संस्था के कर्मचारियों / कामगारों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है?

कंपनी अपने कर्मचारियों और विस्तारित कार्यबल को स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी सहायता प्रदान करती है।

among employees. These measures reflect Canara Bank's dedication to maintaining a safe and secure workplace for all its employees.

- b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Canara Bank follows a structured process to identify work related hazards and periodically assess risks as part of its OHS management system. The Bank's Security Officer conducts scheduled security audits of branches, currency chests and offices using defined checklists and inspection formats to identify potential risks and hazards. The Bank has established detailed guidelines for staff to follow in the event of theft, burglary, dacoity, or robbery, ensuring preparedness and a prompt response. An internal incident reporting portal is available across all locations to capture and analyze incidents, helping to identify root causes and enabling proactive risk mitigation. These measures reflect Canara Bank's ongoing commitment to maintaining a safe and secure work environment.

- c. Whether you have processes for Workers to report the Work-related Hazards and to remove themselves from such risks? (Y / N)

Not applicable, as the Bank does not classify any of its employees as workers. However, the Bank remains committed to providing a safe, healthy, and supportive workplace, ensuring that all employees and relevant stakeholders are aware of the procedures to manage any unsafe conditions arising from natural or man-made incidents.

- d. Do the Employees / Workers of the Entity have access to Non-occupational Medical and Healthcare services? (Yes / No)

The company provides health and well-being support to its employees and extended workforce.

#### 11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

| सुरक्षा घटना / संख्या                                                                                  | वर्ग     | वित्त वर्ष 2025-26 | वित्त वर्ष 2024-25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| कार्य के समाप्ति के दौरान चोट लगने से होन वाली हानि (एलटीआईएफ़आर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति घंटे काम किया) | कर्मचारी | -                  | -                  |
|                                                                                                        | कामगार   | -                  | -                  |
| काम से संबंधित कुल दर्ज की जा सकने वाली चोटें                                                          | कर्मचारी | -                  | -                  |
|                                                                                                        | कामगार   | -                  | -                  |
| मृतकों की संख्या                                                                                       | कर्मचारी | -                  | -                  |
|                                                                                                        | कामगार   | -                  | -                  |
| काम से संबंधित चोट या अस्वस्थता के गंभीर परिणाम (मृत्यु को छोड़कर)                                     | कर्मचारी | -                  | -                  |
|                                                                                                        | कामगार   | -                  | -                  |

## 11. Details of safety related incidents, in the following format:

| Safety Incident / Number                                                         | Category  | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)<br>(per one million-person hours worked) | Employees | -          | -          |
|                                                                                  | Workers   | -          | -          |
| Total recordable work-related injuries                                           | Employees | -          | -          |
|                                                                                  | Workers   | -          | -          |
| No. of fatalities                                                                | Employees | -          | -          |
|                                                                                  | Workers   | -          | -          |
| High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)        | Employees | -          | -          |
|                                                                                  | Workers   | -          | -          |

## 12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

केनरा बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने को प्राथमिकता देता है। बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में सुरक्षा लेखापरीक्षा करने के लिए एक व्यापक 'मानक संचालन प्रक्रिया' शुरू की है; ये लेखापरीक्षा सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, जबकि शाखा प्रबंधकों की यह जिम्मेदारी है कि वे इन दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करें। इन लेखापरीक्षा के दौरान सामने आने वाली किसी भी समस्या का समाधान संबंधित शाखाओं द्वारा एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर तुरंत किया जाता है। कर्मचारियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के सही कौशल से लैस करने के लिए, प्रमुख केंद्रों पर नियमित रूप से 'फायर ड्रिल' (आग बुझाने का अभ्यास) आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, सभी शाखाओं में अग्निशामक यंत्र लगाए गए हैं, और ये यंत्र हमेशा ठीक से काम करते रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इनकी जाँच, पुनःभरना और रखरखाव किया जाता है।

बैंक की भौतिक सुरक्षा नीति को सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में एक सुरक्षित वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिससे नकदी के नुकसान, अप्रत्याशित घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिमों को न्यूनतम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, बैंक ने शाखा परिवेश से संबंधित एक नीति भी तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जो कर्मचारियों और ग्राहकों-दोनों के लिए आराम और सुविधा को बढ़ाती हैं। सामूहिक रूप से, ये उपाय एक सुरक्षित, संरक्षित और कर्मचारियों के अनुकूल कार्यस्थल वातावरण प्रदान करने के प्रति केनरा बैंक की दृढ़ प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

## 12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

Canara Bank has implemented a range of initiatives to maintain a safe and healthy working environment for its employees. The Bank has introduced a comprehensive Standard Operating Procedure (SOP) for conducting security audits across its branches, carried out by Security Officers, while Branch Managers are responsible for ensuring full compliance with these guidelines. Any issues identified during these audits are promptly addressed by the branches concerned within a defined timeframe. Regular fire drills are organized at major facilities to equip employees with proper emergency response skills. Additionally, fire extinguishers have been installed in all branches, and these units undergo periodic inspection, refilling and maintenance to always ensure their functionality.

The Bank's Physical Security Policy is designed to establish a secure atmosphere throughout all branches and administrative offices, thereby minimizing the risks associated with cash losses, unforeseen incidents and natural calamities. Moreover, the Bank has formulated a policy on branch ambience, which focuses on providing essential amenities that enhance the comfort and convenience of both employees and customers. Collectively, these measures highlight Canara Bank's strong commitment to delivering a safe, secure and employee-supportive workplace environment.

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा की गई निम्नलिखित शिकायतों की संख्या:

| श्रेणियाँ            | वित्त वर्ष 2025-26          |                              |            | वित्त वर्ष 2024-25          |                              |            |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
|                      | वर्ष के दौरान दर्ज किया गया | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणियाँ | वर्ष के दौरान दर्ज किया गया | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | टिप्पणियाँ |
| काम करने की स्थिति   | शून्य                       | -                            | -          | शून्य                       | -                            | -          |
| स्वास्थ्य और सुरक्षा | शून्य                       | -                            | -          | शून्य                       | -                            | -          |

13. Number of complaints on the following made by employees and workers:

| Categories         | FY 2025-26            |                                       |         | FY 2024-25            |                                       |         |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|---------|
|                    | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks |
| Working Conditions | Nil                   | -                                     | -       | Nil                   | -                                     | -       |
| Health & Safety    | Nil                   | -                                     | -       | Nil                   | -                                     | -       |

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

| विवरण                      | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या अन्य पक्षों द्वारा) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथा | -                                                                                                                 |
| काम करने की स्थिति         | -                                                                                                                 |

14. Assessments for the year:

| Particulars                 | % of your Plants and Offices that were assessed (by Entity or Statutory Authorities or Third Parties) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Health and safety practices | -                                                                                                     |
| Working Conditions          | -                                                                                                     |

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) को संबोधित करने के लिए और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

केनरा बैंक ने कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के कड़े मानकों को बनाए रखने में निरंतरता दिखाई है; इसलिए, रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान इस संबंध में न तो कोई चिंता व्यक्त की गई है और न ही कोई समस्या सामने आई है।

15. Provide details of any Corrective Action taken or underway to address Safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of Health & Safety Practices and Working Conditions

Canara Bank has been consistent to uphold strong occupational health and safety standards, therefore, no concerns nor issues have been raised or identified during the reporting year.

## नेतृत्व संकेतक

1. क्या यह संस्था (A) कर्मचारियों (Y/N) (B) श्रमिकों (Y/N) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है।

हाँ। बैंक के कर्मचारी समूह सावधि जीवन बीमा(जीटीएलआई) पॉलिसी के अंतर्गत कवर होते हैं। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, कंपनी विभिन्न बीमा योजनाओं के माध्यम से उनके परिवार की सहायता करती है, और कर्मचारियों को नियमानुसार ग्रेच्युटी भी प्राप्त होती है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है।

केनरा बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसके व्यावसायिक भागीदार, वेंडर और आपूर्तिकर्ता अपने विनियामक और अनुपालन संबंधी बकायों-जैसे कि जीएसटी और अन्य आवश्यकताओं-का समय पर भुगतान करें; इससे नैतिक व्यावसायिक आचरण को बढ़ावा मिलता है और सरकार के अनुपालन मानदंडों का पालन सुनिश्चित होता है।

## Leadership Indicators

1. Does the Entity extend any Life Insurance or any Compensatory Package in the event of death of (A) Employees (Y / N) (B) Workers (Y / N).

Yes. The Bank's employees are Covered under Group Term Life Insurance (GTLI) Policy. In the event of an employee's death, the Company aids their family through various insurance plans and employees receive gratuity as applicable.

2. Provide the measures undertaken by the Entity to ensure that Statutory Dues have been Deducted and Deposited by the Value Chain Partners.

Canara Bank ensures that its business partners, vendors and suppliers ensure timely payment of its regulatory and compliance dues such as GST and other requirements, driving ethical business conduct and adherence with compliance norms of the Government.

Restricted

3. उन कर्मचारियों / कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें कार्य स्थल पर अत्यधिक चोट / बीमारी / मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की क्यू11 में रिपोर्ट किया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उनके में दिया गया है या उनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है:

|          | प्रभावित कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या |                    | उन कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है |                    |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|          | वित्त वर्ष 2025-26                            | वित्त वर्ष 2024-25 | वित्त वर्ष 2025-26                                                                                                               | वित्त वर्ष 2024-25 |
| कर्मचारी | शून्य                                         |                    |                                                                                                                                  |                    |
| कामगार   | लागू नहीं                                     |                    |                                                                                                                                  |                    |

3. Provide the number of Employees / Workers having suffered high consequence work-related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

|           | Total No. of affected employees / workers |             | No. of Employees / Workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment |            |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | FY 2025- 26                               | FY 2024- 25 | FY 2025-26                                                                                                                                          | FY 2024-25 |
| Employees | NIL                                       |             |                                                                                                                                                     |            |
| Workers   | Not applicable                            |             |                                                                                                                                                     |            |

Restricted



4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर नियोजनीयता और कैरियर समाप्ति के प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां / नहीं)
- नहीं

4. Does the Entity provide Transition Assistance Programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes / No)
- No

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

| विवरण                           | मूल्य श्रृंखला भागीदारों का %<br>(ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की स्थिति | केनरा बैंक ने सेबी की ज़रूरतों के मुताबिक-यानी कुल खरीद मूल्य के शीर्ष 75% हिस्से को कवर करते हुए-अपनी मूल्य श्रृंखला के आकलन के हिस्से के तौर पर, अपने मूल्य श्रृंखला भागीदार के लिए एक ईएसजी जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र के दौरान, ईएसजी जागरूकता और स्वास्थ्य व सुरक्षा मानकों व नियमों के साथ तालमेल से जुड़ी जानकारी साझा की गई। |
| काम करने की स्थिति              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

5. Details on assessment of value chain partners:

| Particulars                 | % of value chain partners<br>(by value of business done with such partners) that were assessed                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Health and safety practices | Canara Bank undertook ESG awareness session for its value chain partners as part of the value chain assessment, in accordance with SEBI requirements i.e., covering the top-75% of total purchase value. During the session, ESG awareness and alignment with health and safety standards and norms were disseminated. |
| Working conditions          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के आकलन और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें।
- लागू नहीं

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of Health and Safety practices and Working Conditions of Value Chain partners.
- Not Applicable

## सिद्धांत 4:

कारोबार को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

### आवश्यक संकेतक

## Principle 4:

Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

### Essential Indicators

#### 1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

केनरा बैंक ने हितधारक समूहों की पहचान के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित प्रक्रिया लागू की है। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि प्रत्येक समूह बैंक के निष्पादन, संचालन और व्यवसाय के समग्र मूल्य को कैसे प्रभावित करता है। बैंक समय-समय पर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रमुख हितधारकों की पहचान करता है और उन्हें मान्यता देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगठन प्रभावी ढंग से काम करता है और कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करता है। हितधारक की अंतर्दृष्टि लागत, लाभ और सेवा संकेतकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

#### 1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

Canara Bank has developed a clear and structured process for identifying its stakeholder groups, which includes evaluating how each stakeholder influences the Bank's performance, day to day operations and overall business sustainability framework. The Bank periodically reviews and acknowledges its key stakeholders, both internal and external, to ensure that the organization functions smoothly and continues to deliver services efficiently and effectively. The insights and feedback gathered from stakeholders play a significant role in shaping the Bank's cost considerations, benefit evaluations and various service indicators.

2. आपकी इकाई के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ संपर्क की आवश्यकता बताएं।

| हितधारक समूह              | क्या कमजोर और सीमांत समूहों के रूप में पहचान की गई है (हां नहीं) | संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठक, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, बैठकें, परिपत्र, नोटिस, वेबसाइट) अन्य | बैठक की आवधिक (वार्षिक / अर्ध-वार्षिक / त्रैमासिक / अन्य - कृपया स्पष्ट करें) | सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें ऐसी सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएं शामिल हैं। |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सरकार और नियामक प्राधिकरण | नहीं                                                             | वेबसाइट बैठकें, परिपत्र, ईमेल                                                                                                             | आवश्यकता-आधारित / ज़रूरत के आधार पर                                           | नवीनतम विनियामक वैधानिक आवश्यकताएं और प्रतिनिधित्व उद्देश्यों के लिए                                  |
| गैर सरकारी संगठनों        | नहीं                                                             | सामुदायिक बैठकें                                                                                                                          | त्रैमासिक                                                                     | सीएसआर गतिविधियों में सहभागिता                                                                        |
| अकादमिक                   | नहीं                                                             | -                                                                                                                                         | -                                                                             | -                                                                                                     |
| कर्मचारी                  | नहीं                                                             | ई-मेल, परिपत्र, ज्ञापन                                                                                                                    | दैनिक / समय-समय पर                                                            | कर्मचारी कल्याण उपाय, नए विकास, दृष्टि, रणनीति, निष्पादन                                              |
| ग्राहकों                  | नहीं                                                             | अखबारों में विज्ञापन, ई-मेल, एसएमएस, व्हाट्सऐप                                                                                            | आवश्यकता-आधारित / ज़रूरत के आधार पर                                           | उत्पादों का प्रचार, व्यवसाय को गतिशील बनाना, खाता रखरखाव अलर्ट और दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना।    |
| आपूर्तिकर्ताओं            | नहीं                                                             | ई-मेल, नोटिस बोर्ड                                                                                                                        | त्रैमासिक                                                                     | खरीद, कंपनी की सेवाओं में वृद्धि                                                                      |
| स्थानीय समुदाय            | आंशिक रूप से हाँ                                                 | सामुदायिक बैठक, समाचार पत्र                                                                                                               | त्रैमासिक                                                                     | सीएसआर परियोजनाओं पर चर्चा                                                                            |
| निवेशकों                  | नहीं                                                             | वेबसाइट, बैठकें, ई-मेल                                                                                                                    | त्रैमासिक                                                                     | प्रासंगिक जानकारी, प्रगति, रणनीतिक पहल और निष्पादन, भविष्य की कार्ययोजनाएं प्रदान करना                |
| शेयरधारकों                | नहीं                                                             | ई-मेल                                                                                                                                     | त्रैमासिक                                                                     | प्रासंगिक जानकारी, प्रगति, रणनीतिक पहल और निष्पादन, भविष्य की कार्ययोजनाएं प्रदान करना                |
| मिडिया                    | नहीं                                                             | समाचार पत्र, पर्वे, सोशल मीडिया, वेबसाइट                                                                                                  | आवश्यकता-आधारित / ज़रूरत के आधार पर                                           | कंपनी के नवीनतम विकास                                                                                 |

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

| Stakeholder Group                     | Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No) | Channels of communication (E-mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other | Frequency of engagement (Annually / Half-Yearly / Quarterly / others - please specify) | Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Government and regulatory authorities | No                                                             | Website, meetings, circulars, e-mails                                                                                          | Need-based / Based on requirement based / Based on requirement                         | Latest regulatory statutory requirements and for representation purposes                              |
| NGOs                                  | No                                                             | Community meetings                                                                                                             | Quarterly                                                                              | Engagement on CSR activities                                                                          |
| Academia                              | No                                                             | -                                                                                                                              | -                                                                                      |                                                                                                       |
| Employees                             | No                                                             | E-mails, circulars, memos                                                                                                      | Daily / Periodically                                                                   | Staff welfare measures, new developments, vision, strategy, performance                               |
| Customers                             | No                                                             | Newspaper ads, e mails, SMS, WhatsApp                                                                                          | Need-based/ Based on requirement based / Based on requirement                          | Publicity of products, mobilizing business, account maintenance alerts, non-compliance guidelines     |
| Suppliers                             | No                                                             | E-mails, notice board                                                                                                          | Quarterly                                                                              | Procurement, enhancing services of the company                                                        |
| Local community                       | Partially Yes                                                  | Community meetings, newspaper                                                                                                  | Quarterly                                                                              | Discussions on CSR projects                                                                           |
| Investors                             | No                                                             | Website, meetings, E-mails                                                                                                     | Quarterly                                                                              | Providing relevant information, progress, strategic initiatives and performances, future action plans |
| Shareholders                          | No                                                             | E-mail                                                                                                                         | Quarterly                                                                              | Providing relevant information, progress, strategic initiatives and performances, future action plans |
| Media                                 | No                                                             | Newspaper, pamphlets, social media, website                                                                                    | Need-based / as required                                                               | Latest developments of the company                                                                    |

## नेतृत्व संकेतक

1. हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है।

केनरा बैंक ने आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। ये प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि संबंधित प्रतिक्रिया को ठीक से दस्तावेजित किया जाए और आगे की कार्रवाई के लिए बोर्ड तक पहुँचाया जाए।

**निवेशक और शेयरधारक:** निवेशकों और शेयरधारकों के साथ बातचीत मुख्य रूप से तिमाही और वार्षिक बैठकों, सम्मेलनों और बनाए गए शिकायत पोर्टलों के माध्यम से होती है। ये चर्चाएं आम तौर पर बैंक के निष्पादन और रणनीति के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जिसमें हाल ही में स्थिरता और इसके एकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। बैठक के कार्यवृत्ति को दस्तावेज में दर्ज किया जाता है और बाद में उचित कार्रवाई निर्धारित करने के लिए बोर्ड के साथ समीक्षा की जाती है। बैठकों के मिनटों को नोट किया जाता है और बाद में किसी भी आवश्यक कार्रवाई को निर्धारित करने के लिए बोर्ड के साथ समीक्षा की जाती है।

**विनियामक:** बैंक बैठकों, सम्मेलनों, मंचों और ईमेल पर चर्चा के माध्यम से सरकारी निकायों और अन्य नियामकों के साथ जुड़ता है। विभिन्न नियामक निकायों द्वारा जारी परामर्श या चर्चा पत्रों के आधार पर, कंपनी एक निर्धारित समय-सीमा में उस पर प्रतिक्रिया देती है या अपने विचार प्रदान करती है।

**ग्राहक:** बैंक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं, सर्वेक्षणों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क स्थापित करता है। चर्चा के विषयों में शिकायतें, नए उत्पाद और सेवाएँ, सामुदायिक भागीदारी और ग्राहक सेवा शामिल हैं। सर्वेक्षणों और फीडबैक से जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है और सेवाओं को बेहतर बनाने तथा उनमें सुधार करने के लिए बोर्ड की बैठकों में इन जानकारीयों की समीक्षा की जाती है। बैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, शाखाओं के दौरे, सोशल मीडिया, ई-मेल और एसएमएस का उपयोग करके लगातार ग्राहकों का फीडबैक इकट्ठा करता रहता है।

**कर्मचारी:** बैंक शिकायत निवारण तंत्र, मूल्यांकन फ़ीडबैक सर्वेक्षण, आंतरिक न्यूजलेटर, ईमेल, टाउन हॉल बैठकें और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखता है। कर्मचारियों का फ़ीडबैक एकत्र किया जाता है, दस्तावेजित किया जाता है, और संगठन के विभिन्न स्तरों पर इस पर चर्चा की जाती है, जिससे प्रासंगिक सुधारों और सुझावों को लागू करना संभव हो पाता है।

## Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between Stakeholders and the Board on economic, environmental and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

Canara Bank has established well-structured processes for consulting with various stakeholders on economic, environmental and social matters. These processes ensure that relevant feedback is properly documented and communicated to the Board for further action.

**Investors and Shareholders:** The Bank engages with investors and shareholders through quarterly and annual meetings, conferences and official grievance portals. Discussions typically cover the Bank's performance, strategic direction and sustainability initiatives. Minutes from these meetings are recorded and shared with the Board, which reviews them to decide on any actions that may be required.

**Regulators:** The Bank interacts with Government bodies and regulatory authorities through formal meetings, conferences, forums and e-mails. It responds to consultation papers or discussion papers issued by regulators within the required timelines. This ensures compliance and alignment with regulatory expectations.

**Customers:** Customer engagement takes place through grievance redressal systems, surveys and social media channels. Discussions revolve around complaints, new products and services, customer care and the Bank's community initiatives. Customer analytics are generated from surveys and feedback and these insights are reviewed in Board meetings to refine and improve services. The Bank continuously gathers customer feedback using online platforms, branch visits, social media, e-mails, and SMS.

**Employees:** The Bank maintains regular communication with employees through grievance redressal mechanisms, appraisal feedback surveys, internal newsletters, e-mails, town hall meetings and awareness programs. Employee feedback is collected, documented and discussed at different organizational levels, enabling the implementation of relevant improvements and suggestions.



**आपूर्तिकर्ता:** बैंक यह सुनिश्चित करता है कि आपूर्तिकर्ता बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं से अवगत हों। आपूर्तिकर्ता बैठकों और अन्य तकनीकी-वाणिज्यिक सत्रों के दौरान उनकी प्रतिक्रिया दर्ज की जाती है, जो बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने और प्रक्रिया वृद्धि का समर्थन करने में मदद करती है।

**समुदाय:** समुदाय एक महत्वपूर्ण हितधारक समूह हैं और सीएसआर टीम नियमित संचार सुनिश्चित करती है और उनकी शिकायतों का समाधान करती है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग उचित कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सामुदायिक जरूरतों और अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए।

2. क्या पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं)। यदि ऐसा है, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया।

हाँ, केनरा बैंक पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों की पहचान करने और उनका प्रबंधन करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श को एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल करता है। बैंक अपने हितधारक समूहों के साथ लगातार जुड़ा रहता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके दृष्टिकोण और सुझाव उसकी नीतियों, कार्यों और समग्र निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में परिलक्षित हों।

#### a. निवेशक और शेयरधारक:

बैंक शिकायत निवारण माध्यमों, तिमाही बैठकों और विभिन्न सम्मेलनों के ज़रिए निवेशकों और शेयरधारकों के साथ संपर्क बनाए रखता है। इन चर्चाओं में बैंक के प्रदर्शन, कार्यनीति दिशा, और स्थिरता पर बढ़ते ज़ोर तथा इसे बैंक के सभी कार्यों में शामिल करने जैसे विषयों पर बातचीत शामिल होती है। इन बैठकों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता है, और बैठकों का सारांश बोर्ड के समक्ष समीक्षा और, जहाँ आवश्यक हो, कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रमुख पहलों में व्यावसायिक रणनीतियों में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी पहलुओं को शामिल करना, तथा जानकारी देने और रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है।

#### b. विनियामक:

नियामकों के साथ बैंक का जुड़ाव उसकी शासन प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। यह नई नियामक ज़रूरतों और दिशा-निर्देशों को समझने के लिए बैठकों, सम्मेलनों, मंचों और ईमेल पत्राचार के

**Suppliers:** The Bank ensures that suppliers are well-informed about its operational processes. Feedback from suppliers is collected during meetings and techno-commercial sessions, which helps foster better collaboration and supports process enhancement.

**Communities:** The CSR team interacts regularly with community stakeholders, addressing grievances and gathering feedback on ongoing and completed projects. This feedback is used to take appropriate actions and ensure that community needs and expectations are met effectively.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of Environmental and Social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the input received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

Yes, Canara Bank incorporates stakeholder consultation as an important part of identifying and managing environmental and social matters. The Bank consistently engages with its stakeholder groups to ensure that their perspectives and feedback are reflected in its policies, operations and overall decision-making processes.

#### a. Investors and Shareholders:

The Bank maintains communication with investors and Shareholders through grievance channels, quarterly meetings and various conferences. These interactions cover discussions on the Bank's performance, strategic direction and the increasing focus on sustainability and its integration across operations. Comprehensive records of these meetings are maintained and the minutes are presented to the Board for review and action where required. Key initiatives include the integration of environmental, social and governance considerations into business strategies, along with improving transparency in disclosures and reporting practices.

#### b. Regulators:

The Bank's engagement with regulators is a key part of its governance system. It interacts with regulatory authorities and Government

माध्यम से नियामक अधिकारियों और सरकारी निकायों के साथ संपर्क स्थापित करता है। इन चर्चाओं में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं से जुड़े विषय शामिल होते हैं। इन चर्चाओं का विस्तृत विवरण तैयार किया जाता है और बाद में ज़रूरी अनुपालन कार्यों की पहचान करने के लिए बोर्ड के साथ इसकी समीक्षा की जाती है। प्रमुख पहलों में नियामक मानकों का पालन करना और नीति परामर्शों में सक्रिय रूप से भाग लेना शामिल है।

**c. कर्मचारी:**

बैंक अपने कर्मचारियों को एक मूल्यवान संसाधन मानता है और विभिन्न संचार माध्यमों के ज़रिए उनके साथ नियमित जुड़ाव सुनिश्चित करता है। इनमें शिकायत निवारण प्रणाली, प्रदर्शन मूल्यांकन के दौरान फ़ीडबैक लेना, आंतरिक न्यूज़लेटर, ईमेल, टाउन हॉल सत्र और जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। प्राप्त सभी फ़ीडबैक को दस्तावेज़ित किया जाता है और सार्थक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए संगठन के विभिन्न स्तरों पर उनकी समीक्षा की जाती है। प्रमुख पहलों में संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम, विविधता और समावेशन को मज़बूत करने के प्रयास, और कर्मचारियों की भलाई के लिए व्यापक उपाय शामिल हैं।

**d. आपूर्तिकर्ता:**

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसके आपूर्तिकर्ता को उसकी प्रक्रियाओं और अपेक्षाओं के बारे में पूरी जानकारी हो। बैठक और तकनीकी या व्यावसायिक चर्चाओं के दौरान आपूर्तिकर्ता से फ़ीडबैक लिया जाता है। यह जानकारी सहयोग को बेहतर बनाने और खरीद प्रक्रियाओं को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी है। महत्वपूर्ण पहलों में टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला के तरीके अपनाना और वेंडर्स के साथ मज़बूत, लंबे समय तक चलने वाले संबंध बनाना शामिल है।

**e. ग्राहक:**

ग्राहकों के साथ जुड़ाव शिकायत निवारण प्रणालियों, सर्वेक्षणों, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और शाखाओं में सीधे बातचीत के माध्यम से किया जाता है। ग्राहकों के साथ चर्चा में शिकायतों, नए उत्पादों और सेवाओं, बैंक द्वारा सामुदायिक भागीदारी और समग्र ग्राहक सहायता से संबंधित विषय शामिल होते हैं। बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर एक निरंतर डिजिटल फ़ीडबैक तंत्र भी लागू किया है, जो ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के साथ अपने अनुभव को रेट करने की

bodies through meetings, conferences, forums and e-mail communication to understand new regulatory requirements and guidelines. These conversations include topics related to economic, social and environmental aspects. Detailed minutes of these interactions are prepared and later reviewed with the Board to identify the necessary compliance actions. Major initiatives include adherence to regulatory standards and active participation in policy consultations.

**c. Employees:**

The Bank considers its employees as valuable resources and ensures regular engagement through multiple communication channels. These include grievance redressal systems, feedback collection during performance appraisals, internal newsletters, e-mails, town hall sessions and awareness programs. All feedback received is documented and reviewed at different organizational levels to support meaningful improvements. Key initiatives include structured training programs, efforts to strengthen diversity and inclusion, and comprehensive employee wellness measures.

**d. Suppliers:**

The Bank ensures that its suppliers are well informed about its procedures and expectations. Supplier feedback is gathered during meetings and technical or commercial discussions. This information is essential for enhancing collaboration and strengthening procurement processes. Important initiatives include sustainable supply chain practices and building strong, long-term relationships with vendors.

**e. Customers:**

Customer engagement is carried out through grievance redressal systems, surveys, social media platforms and direct interactions at branches. Discussions with customers include issues related to complaints, new products and services, community participation by the Bank and overall customer support. The Bank has also implemented a continuous digital feedback mechanism on its corporate website, which allows customers to rate their experience with

सुविधा देता है। प्रमुख पहलों में डिजिटल बदलाव के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना और वित्तीय समावेशन का समर्थन करना शामिल है।

## f. समुदाय:

बैंक अपनी शाखाओं में मौजूद सेवा प्रतिनिधियों के ज़रिए सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदायों से जुड़ता है; ये प्रतिनिधि इन समूहों को पेश आने वाली समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं। सीएसआर टीम, शाखा के कर्मचारियों के साथ मिलकर, सीएसआर परियोजना की प्रगति पर नज़र रखने और लोगों की राय जानने के लिए सामुदायिक सेवा से जुड़ी गतिविधियाँ आयोजित करती है। लोगों की शिकायतें और सुझाव दर्ज किए जाते हैं, और उन्हें सुलझाने के लिए उचित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ लागू की जाती हैं। सीएसआर कार्यक्रमों, खर्च, प्रभावों, नए प्रयोगों और सीखे गए सबकों पर आधारित रिपोर्ट हर तीन महीने में 'सतत विकास और सीएसआर समिति' को और हर साल 'निदेशक मंडल' को सौंपी जाती हैं। हर साल एक लेखापरीक्षा किया जाता है, और उसके नतीजों की समीक्षा निदेशक मंडल की 'सतत विकास और सीएसआर उप-समिति' द्वारा की जाती है। सीएसआर नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, ताकि उसमें ज़रूरी सुधार किए जा सकें। मुख्य पहलों में सामुदायिक विकास से जुड़ी गतिविधियाँ और स्थानीय उद्यमिता व सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ की गई साझेदारियाँ शामिल हैं।

ये व्यापक परामर्श और पहलें केनरा बैंक को हितधारकों की प्रतिक्रिया को अपनी नीतियों और कार्यों में व्यवस्थित रूप से शामिल करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे इसके पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तरदायित्व के ढांचे को मजबूती मिलती है, और साथ ही पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सुधार भी सुनिश्चित होता है।

## 3. कमज़ोर / सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

केनरा बैंक, वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण पर केंद्रित विभिन्न पहलों के माध्यम से, कमज़ोर और हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित है। बैंक का विस्तृत शाखा नेटवर्क इसे उन लोगों और ग्रामीण आबादी तक प्रभावी ढंग से पहुँचने में सक्षम बनाता है, जिनके पास बैंकिंग सुविधाएँ नहीं हैं; इसकी 61 प्रतिशत से अधिक शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यह रणनीतिक वितरण, बैंक की उन समुदायों की सेवा करने और उन्हें आवश्यक बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता को मज़बूती देता है, जिन्हें अभी तक पर्याप्त सेवाएँ नहीं मिल पाई हैं।

internet banking and mobile banking services. Key initiatives include improving customer experience through digital transformation and supporting financial inclusion.

## f. Community:

The Bank engages with socially and economically vulnerable communities through service representatives at branches who help address issues faced by these groups. The CSR team, along with branch employees, conducts community volunteering activities to monitor CSR project progress and gather feedback. Grievances and suggestions are recorded and appropriate policies and procedures are implemented to address them. Reports on CSR programs, expenditure, impacts, innovations and lessons learned are submitted quarterly to the Sustainable Development and CSR Committee and annually to the Board of Directors. An annual audit is conducted and the results are reviewed by the Board's Sub-committee on Sustainable Development and CSR. The CSR policy is reviewed periodically to incorporate improvements. Key initiatives include community development activities and partnerships with organizations to promote local entrepreneurship and social upliftment.

These comprehensive consultations and initiatives allow Canara Bank to systematically incorporate stakeholder feedback into its policies and actions, strengthening its environmental and social responsibility framework while ensuring transparency, accountability, and continuous improvement.

## 3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to address the concerns of Vulnerable/ Marginalised Stakeholder Groups.

Canara Bank is dedicated to addressing the needs of vulnerable and marginalized stakeholder groups through a wide range of initiatives focused on financial inclusion and empowerment. The Bank's extensive branch network enables it to reach unbanked and rural populations effectively, with more than 61 percent of its branches operating in rural and semi-urban areas. This strategic distribution supports the Bank's commitment to serving underserved communities and providing them with essential banking and financial services.

अपनी पहुँच को और मज़बूत करने के लिए, केनरा बैंक ने विरुधुनगर, कवरत्ती, एर्नाकुलम, कोयंबटूर, रायचूर और देवनहल्ली में छह डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित की हैं। आठ मौजूदा 'कैंडी' शाखाओं के साथ मिलकर, अब डिजिटल शाखाओं की कुल संख्या चौदह हो गई है। ये डिजिटल सुविधाएँ उन क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाती हैं और डिजिटल पहुँच का विस्तार करती हैं, जहाँ वे अपनी सेवाएँ देती हैं। डिजिटल समावेशन पर बैंक का जोर 'केनरा ai1' मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से और भी स्पष्ट होता है, जो दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसके अलावा, बैंक सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की ज़रूरतों के अनुरूप विशेष उत्पाद और सेवाएँ भी प्रदान करता है। ये प्रयास विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य सकारात्मक सामाजिक परिणाम लाना है। उदाहरण के लिए, बैंक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के साथ मिलकर बड़े 'ऋण सहबद्ध शिविर' आयोजित करता है, जो स्वयं-सहायता समूहों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करते हैं; इस प्रकार, ये प्रयास स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और सामुदायिक विकास में सहायता करते हैं।

इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलें समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। बैंक गैर-सरकारी संगठनों और सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जा सके और सबसे दूरदराज के इलाकों में भी वित्तीय समावेशन का विस्तार किया जा सके। अपने वित्तीय साक्षरता केंद्रों और कारोबार प्रतिनिधि एजेंट आउटलेट्स के नेटवर्क के माध्यम से, बैंक लाखों लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच और जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में मदद करता है। ये संयुक्त प्रयास केनरा बैंक की उस मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिसके तहत वह कमज़ोर और हाशिए पर पड़े समूहों की चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रयास करता है; साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें सार्थक वित्तीय अवसर और आर्थिक प्रगति के मार्ग उपलब्ध हों।

To strengthen its outreach, Canara Bank has established six Digital Banking Units in Virudhunagar, Kavaratti, Ernakulam, Coimbatore, Raichur and Devanahalli. Along with eight existing Candi branches, this brings the total number of digital branches to fourteen. These digital facilities improve financial literacy and expand digital access in the regions they serve. The Bank's emphasis on digital inclusion is further demonstrated through the Canara ai1 mobile application, which extends a wide variety of banking services to customers in remote and rural areas. In addition, the Bank offers specialized products and services tailored to the needs of socially and economically disadvantaged groups. These efforts align with various Government programs aimed at creating positive social outcomes. For example, the Bank works with State Rural Livelihood Missions to organize large credit linkage camps that offer concessional loans to Self-Help Groups, thereby encouraging local entrepreneurship and supporting community development.

Furthermore, Canara Bank's Corporate Social Responsibility initiatives significantly contribute to the upliftment of communities. The Bank collaborates with Non-Governmental Organizations and Government-supported programs to promote financial literacy and expand financial inclusion, even in the most remote locations. Through its network of Financial Literacy Centres and business correspondent agent outlets, the Bank helps empower millions of individuals by providing them with knowledge and access to financial services. These combined efforts highlight Canara Bank's strong commitment to understanding and responding to the concerns of vulnerable and marginalized groups, ensuring they have access to meaningful financial opportunities and pathways for economic progress.

## सिद्धांत 5: कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान और संवर्धन चाहिए

### आवश्यक संकेतक

1. वे कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें संस्था के मानवाधिकार मुद्दों और नीति(यों) पर निम्नलिखित प्रारूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

| श्रेणी               | वित्त वर्ष 2025-26   |                                                          |            | वित्त वर्ष 2024-25 |                                            |           |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
|                      | कुल (ए)              | (बी) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों/ श्रमिकों की संख्या | % (बी / ए) | कुल (सी)           | शामिल कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (डी) | % (डी/सी) |
| <b>कर्मचारी</b>      |                      |                                                          |            |                    |                                            |           |
| स्थायी               | 81,827               | 76,347                                                   | 93.30%     | 81,260             | 75,692                                     | 93.15%    |
| स्थायी के अलावा अन्य | 7                    | 1                                                        | 14.29%     | लागू नहीं          | लागू नहीं                                  | लागू नहीं |
| कुल कर्मचारी         | 81,834               | 76,348                                                   | 93.30%     | 81,260             | 75,692                                     | 93.15%    |
| <b>कामगार</b>        |                      |                                                          |            |                    |                                            |           |
| स्थायी               | Restricted लागू नहीं |                                                          |            |                    |                                            |           |
| स्थायी के अलावा अन्य |                      |                                                          |            |                    |                                            |           |
| कुल कर्मचारी         |                      |                                                          |            |                    |                                            |           |

## Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

### Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

| Category             | FY 2025-26     |                                       |         | FY 2024-25 |                                       |         |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------|---------|
|                      | Total (A)      | No. of employees/ workers covered (B) | % (B/A) | Total (C)  | No. of employees/ workers covered (D) | % (D/C) |
| <b>Employees</b>     |                |                                       |         |            |                                       |         |
| Permanent            | 81,827         | 76,347                                | 93.30%  | 81,260     | 75,692                                | 93.15%  |
| Other than Permanent | 7              | 1                                     | 14.29%  | NA         | NA                                    | NA      |
| Total Employees      | 81,834         | 76,348                                | 93.30%  | 81,260     | 75,692                                | 93.15%  |
| <b>Workers</b>       |                |                                       |         |            |                                       |         |
| Permanent            | Not applicable |                                       |         |            |                                       |         |
| Other than Permanent |                |                                       |         |            |                                       |         |
| Total Workers        |                |                                       |         |            |                                       |         |



2. कर्मचारियों और कामगारों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

| श्रेणी          | वित्त वर्ष 2025-26 |                       |            |                      |            | वित्त वर्ष 2024-25 |                       |            |                      |             |
|-----------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------|
|                 | कुल (ए)*           | न्यूनतम वेतन के बराबर |            | न्यूनतम वेतन से अधिक |            | कुल (डी)           | न्यूनतम वेतन के बराबर |            | न्यूनतम वेतन से अधिक |             |
|                 |                    | सं. (बी)              | % (बी / ए) | सं. (सी)             | % (सी / ए) |                    | सं. (ई)               | % (ई / डी) | सं. (एफ)             | % (एफ / डी) |
| कर्मचारी        |                    |                       |            |                      |            |                    |                       |            |                      |             |
| स्थायी          | 81,827             | -                     | -          | 81,827               | 100%       | 81,260             | -                     | -          | 81,260               | 100%        |
| पुरुष           | 55,226             | -                     | -          | 55,226               | 100%       | 55,253             | -                     | -          | 55,253               | 100%        |
| महिला           | 26,600             | -                     | -          | 26,600               | 100%       | 26,006             | -                     | -          | 26,006               | 100%        |
| अन्य            | 1                  | -                     | -          | 1                    | 100%       | 1                  | -                     | -          | 1                    | 100%        |
| स्थायी के अलावा | 7                  | -                     | -          | 7                    | 100%       | लागू नहीं          |                       |            |                      |             |
| पुरुष           | 7                  | -                     | -          | 7                    | 100%       |                    |                       |            |                      |             |
| महिला           | -                  | -                     | -          | -                    | -          |                    |                       |            |                      |             |
| अन्य            | -                  | -                     | -          | -                    | -          |                    |                       |            |                      |             |
| कामगार          |                    |                       |            |                      |            |                    |                       |            |                      |             |
| स्थायी          | लागू नहीं          |                       |            |                      |            |                    |                       |            |                      |             |
| पुरुष           |                    |                       |            |                      |            |                    |                       |            |                      |             |
| महिला           |                    |                       |            |                      |            |                    |                       |            |                      |             |
| अन्य            |                    |                       |            |                      |            |                    |                       |            |                      |             |
| स्थायी के अलावा |                    |                       |            |                      |            |                    |                       |            |                      |             |
| पुरुष           | लागू नहीं          |                       |            |                      |            |                    |                       |            |                      |             |
| महिला           |                    |                       |            |                      |            |                    |                       |            |                      |             |
| अन्य            |                    |                       |            |                      |            |                    |                       |            |                      |             |

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

| Category             | FY 2025-26     |                       |         |                        |         | FY 2024-25     |                       |         |                        |         |
|----------------------|----------------|-----------------------|---------|------------------------|---------|----------------|-----------------------|---------|------------------------|---------|
|                      | Total (A)*     | Equal to minimum wage |         | More than minimum wage |         | Total (D)      | Equal to minimum wage |         | More than minimum wage |         |
|                      |                | No. (B)               | % (B/A) | No. (C)                | % (C/A) |                | No. (E)               | % (E/D) | No. (F)                | % (F/D) |
| Employees            |                |                       |         |                        |         |                |                       |         |                        |         |
| Permanent            | 81,827         | -                     | -       | 81,827                 | 100%    | 81,260         | -                     | -       | 81,260                 | 100%    |
| Male                 | 55,226         | -                     | -       | 55,226                 | 100%    | 55,253         | -                     | -       | 55,253                 | 100%    |
| Female               | 26,600         | -                     | -       | 26,600                 | 100%    | 26,006         | -                     | -       | 26,006                 | 100%    |
| Others               | 1              | -                     | -       | 1                      | 100%    | 1              | -                     | -       | 1                      | 100%    |
| Other than permanent | 7              | -                     | -       | 7                      | 100%    | Not applicable |                       |         |                        |         |
| Male                 | 7              | -                     | -       | 7                      | 100%    |                |                       |         |                        |         |
| Female               | -              | -                     | -       | -                      | -       |                |                       |         |                        |         |
| Others               | -              | -                     | -       | -                      | -       |                |                       |         |                        |         |
| Workers              |                |                       |         |                        |         |                |                       |         |                        |         |
| Permanent            | Not applicable |                       |         |                        |         |                |                       |         |                        |         |
| Male                 |                |                       |         |                        |         |                |                       |         |                        |         |
| Female               |                |                       |         |                        |         |                |                       |         |                        |         |
| Others               |                |                       |         |                        |         |                |                       |         |                        |         |
| Other than Permanent |                |                       |         |                        |         |                |                       |         |                        |         |
| Male                 | Not applicable |                       |         |                        |         |                |                       |         |                        |         |
| Female               |                |                       |         |                        |         |                |                       |         |                        |         |
| Others               |                |                       |         |                        |         |                |                       |         |                        |         |

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी का विवरण दिया गया है  
a. औसत पारिश्रमिक / मजदूरी:

|                                              | पुरुष     |                                                  | महिला  |                                                  | अन्य   |                                                  |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| श्रेणी                                       | संख्या    | संबंधित श्रेणी का औसत पारिकामगार / वेतन / मजदूरी | संख्या | संबंधित श्रेणी का औसत पारिकामगार / वेतन / मजदूरी | संख्या | संबंधित श्रेणी का औसत पारिकामगार / वेतन / मजदूरी |
| निदेशक मंडल (बीओडी)                          | 7         | 67,50,553.42                                     | 0      | -                                                | 0      | -                                                |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक                     | 9         | 48,98,832                                        | 0      | -                                                | 0      | -                                                |
| निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी | 56,937    | 13,10,044.76                                     | 27,045 | 11,87,146.63                                     | 1      | 15,38,077.93                                     |
| कामगार                                       | लागू नहीं |                                                  |        |                                                  |        |                                                  |

3. Details of remuneration / salary / wages:  
a. Median remuneration / wages:

|                                  | Male           |                                                             | Female |                                                             | Other  |                                                             |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| Category                         | Number         | Median remuneration / salary / wages of respective category | Number | Median remuneration / salary / wages of respective category | Number | Median remuneration / salary / wages of respective category |
| Board of Directors (BoD)         | 7              | 67,50,553.42                                                | 0      | -                                                           | 0      | -                                                           |
| Key Managerial Personnel         | 9              | 48,98,832                                                   | 0      | -                                                           | 0      | -                                                           |
| Employees other than BoD and KMP | 56,937         | 13,10,044.76                                                | 27,045 | 11,87,146.63                                                | 1      | 15,38,077.93                                                |
| Workers                          | Not applicable |                                                             |        |                                                             |        |                                                             |

b. निम्न प्रारूप में संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल वेतन:

| विवरण                                                        | वि.व 2025-26 | वि.व 2024-25 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| महिलाओं को कुल वेतन के % के रूप में भुगतान किया गया सकल वेतन | 30.09%       | 30.03%       |

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity, in the following format:

| Particulars                                     | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Gross wages paid to females as % of total wages | 30.09%     | 30.03%     |

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्तिगत / समिति) है जो व्यवसाय द्वारा मानवाधिकारों पर किए गए या योगदान किए गए प्रभावों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)

हाँ, बैंक की मानवाधिकार नीति और मानवाधिकारों से संबंधित अन्य प्रासंगिक नीतियों के अनुरूप, अपने परिचालन के अंतर्गत इन पहलुओं को संभालने के लिए एक उचित प्रबंधन समिति की निगरानी व्यवस्था स्थापित की गई है।

5. मानव अधिकार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

बैंक ने प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक के पद पर दो 'मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ)' नियुक्त किए हैं, जिनमें से एक 'अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग व्यक्तियों / पूर्व सैनिकों' के लिए और दूसरा 'ओबीसी / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)' के लिए है। प्रधान कार्यालय में एक विशेष आरक्षण कक्ष का गठन किया है और एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग व्यक्तियों, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यकों से प्राप्त अभ्यावेदन / शिकायतों को संपर्क अधिकारी द्वारा देखा जा रहा है। जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक पूछताछ की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के रोजगार / सेवा शिकायतों के निवारण के लिए सीएलओ सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की है। अंचल स्तर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

इसके अलावा, कर्मचारियों द्वारा व्हिसलब्लोअर नीति, मानव संसाधन नियमावली और आचार संहिता में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार भेदभाव, उत्पीड़न, अनैतिक व्यवहार या कदाचार पर किसी भी अन्य चिंताओं या शिकायतों की सूचना दी जा सकती है।

4. Do you have a focal point (Individual / Committee) responsible for addressing Human Rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes / No)

Yes, in line with the Bank's Human Rights Policy and other relevant policies addressing human rights, appropriate management committee oversight is established to handle these aspects within its operations.

5. Describe the internal mechanisms in place to Redress Grievances related to Human Rights issues.

The Bank has designated two General Manager-level Chief Liaison Officers, one for SC / ST / Differently-abled / Ex-Servicemen and another for OBC / EWS and has established a dedicated Reservation Cell at the Head Office with an appointed Liaison Officer to handle representations and grievances from SC / ST / OBC / Differently-abled persons, EWS and minorities, ensuring necessary enquiries and appropriate action wherever required.

The Bank has set up an Internal Grievance Committee consisting of Senior Officials of the Bank including CLO for redressal of employment or service grievances of SC / ST employees. To redress grievances related to Sexual Harassment of Women at Workplace "Internal Complaints Committee" has been constituted at all Circle level in accordance with the provisions of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Additionally, employees may report any concerns or grievances related to discrimination, harassment, unethical behavior, or misconduct through the channels outlined in the Whistleblower Policy, the Human Resource Manual, and the Code of Conduct.

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित विषयों पर की गई शिकायतों की संख्या:

| विवरण                               | वि.व. 2025-26                |                                   |                                          | वि.व. 2024-25                |                                   |                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                     | वर्ष के दौरान दाखिल किया गया | वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित | टिप्पणियाँ                               | वर्ष के दौरान दाखिल किया गया | वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित | टिप्पणियाँ                                                  |
| यौन उत्पीड़न                        | 21                           | 2                                 | जांच प्रक्रिया के अंतर्गत लंबित शिकायतें | 20                           | 0                                 | सभी शिकायतों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान किया गया। |
| कार्यस्थल पर भेदभाव                 | -                            |                                   |                                          |                              |                                   |                                                             |
| बाल श्रम                            |                              |                                   |                                          |                              |                                   |                                                             |
| जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम           |                              |                                   |                                          |                              |                                   |                                                             |
| मज़दूरी                             |                              |                                   |                                          |                              |                                   |                                                             |
| मानवाधिकारों से संबंधित अन्य मुद्दे |                              |                                   |                                          |                              |                                   |                                                             |

Restricted

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

| Particulars                        | FY 2025-26            |                                       |                                                | FY 2024-25            |                                       |                                                         |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                    | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks                                        | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks                                                 |
| Sexual Harassment                  | 21                    | 2                                     | Pending complaints under investigation process | 20                    | 0                                     | All complaints resolved within the stipulated timeframe |
| Discrimination at Workplace        | -                     |                                       |                                                |                       |                                       |                                                         |
| Child Labour                       |                       |                                       |                                                |                       |                                       |                                                         |
| Forced Labour / Involuntary Labour |                       |                                       |                                                |                       |                                       |                                                         |
| Wages                              |                       |                                       |                                                |                       |                                       |                                                         |
| Other Human Rights related Issues  |                       |                                       |                                                |                       |                                       |                                                         |

Restricted



**7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतें, निम्नलिखित प्रारूप में:**

| विवरण                                                                                                           | वि.व. 2025-26 | वि.व. 2024-25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के तहत दर्ज कुल शिकायतें | 21            | 20            |
| महिला कर्मचारियों की कुल संख्या                                                                                 | 26,600        | 26,006        |
| महिला कर्मचारियों / कामगारों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच संबंधी शिकायतें                                      | 0.08%         | 0.08%         |
| पीओएसएच संबंधी शिकायतें जिन्हें सही पाया गया                                                                    | 8             | 9             |

**8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।**

केनरा बैंक भेदभाव और उत्पीड़न के संबंध में बताई गई नीतियों और प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करता है। शिकायतों को सुनने और उन्हें समय पर सुलझाने के लिए विभिन्न उप-समितियां और आंतरिक समितियां मौजूद हैं।

- यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए, सभी अंचल कार्यालयों के स्तर पर एक **आंतरिक शिकायत समिति** का गठन किया गया है। इस समिति के गठन से संबंधित पूरी जानकारी, संबंधित अंचल के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक शाखा / कार्यालय को उपलब्ध कराई जाती है, ताकि इसे शाखा / कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जा सके और सभी ग्राहकों, आम जनता तथा कर्मचारियों को इसकी जानकारी मिल सके।
- प्रधान कार्यालय में एक **आरक्षण कक्ष**, जो एससी / एसटी / ओबीसी / दिव्यांगजन, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यकों से प्राप्त अभ्यावेदनों / शिकायतों को संभालने का कार्य करेगा।
- एससी / एसटी कर्मचारियों की रोज़गार/सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए, बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों सीएलओ सहित से मिलकर बनी एक **आंतरिक शिकायत समिति**।

**9. क्या मानवाधिकार संबंधी आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदा का हिस्सा हैं? (हाँ / नहीं)**

नहीं

**7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:**

| Particulars                                                                                                                         | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total Complaints reported under Sexual Harassment on of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH) | 21         | 20         |
| Total Number of Female Workers                                                                                                      | 26,600     | 26,006     |
| Complaints on POSH as a % of Female Employees / Workers                                                                             | 0.08%      | 0.08%      |
| Complaints on POSH upheld                                                                                                           | 8          | 9          |

**8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.**

Canara Bank strictly adheres to the policies and the procedures explained with reference to discrimination and harassment. There are various sub-committees and internal committees to address the complaints raised and resolve them in a timely manner.

- Internal Complaints Committee** at all Circle Office level to handle with Sexual Harassment Cases is formed at all Circle Office level. The full details of the constitution of the committee are furnished to every branch / office coming under the respective circles for being displayed on the notice board of the branch / office for the information of all customers / public / employees.
- Reservation Cell** at Head Office to handle representations / grievances received from SCs/ STs / OBCs / Differently-abled Persons, EWS and minorities.
- Internal Grievance Committee** consisting of Senior Officials of the Bank including CLO for redressal of employment / service grievances of SC/ST employees.

**9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes / No)**

No

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

| विवरण                     | आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (किसी संस्था, सांविधिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बाल श्रम                  | -                                                                                                                        |
| जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम | -                                                                                                                        |
| यौन उत्पीड़न              | -                                                                                                                        |
| कार्यस्थल पर भेदभाव       | -                                                                                                                        |
| मजदूरी                    | -                                                                                                                        |
| अन्य - कृपया बताएं        | -                                                                                                                        |

10. Assessments of the year

| Particulars                 | % of your Plants and Offices that were Assessed (By Entity or Statutory Authorities or Third Parties) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Child Labour                | -                                                                                                     |
| Forced / Involuntary Labour | -                                                                                                     |
| Sexual Harassment           | -                                                                                                     |
| Discrimination at Workplace | -                                                                                                     |
| Wages                       | -                                                                                                     |
| Others - please specify     | -                                                                                                     |

11. ऊपर प्रश्न 10 में किए गए आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 10 above.

Not applicable

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार संबंधी शिकायतों / अभ्यावेदन के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित / शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

लागू नहीं।

2. मानवाधिकारों के संबंध में की गई किसी भी समुचित सावधानी के दायरे और कवरेज का विवरण।

बैंक ने मानवाधिकारों के संबंध में कोई औपचारिक समुचित सावधानी नहीं किया है; तथापि, हमारी कर्मचारी आचार संहिता और विनियम यह सुनिश्चित करते हैं कि केनरा बैंक में मानवाधिकारों के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाए।

3. क्या संस्था का परिसर / कार्यालय, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

हाँ, केनरा बैंक 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के अनुसार अपने परिसरों और कार्यालयों को दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने दिव्यांगजनों की सहायता हेतु कई उपाय लागू किए हैं; इनमें रैंप, हैंडरेल,

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing Human Rights grievances / complaints.

NA

2. Details of the scope and coverage of any Human rights conducted due diligence.

The Bank has not undertaken any formal Human Rights due diligence; however, our Employees' Code of Conduct and Regulations ensures that Human Rights principles are strictly followed in Canara Bank.

3. Is the premise/office of the Entity accessible to Differently-abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

Yes, Canara Bank is committed to making its premises and offices accessible to differently-abled visitors in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. The Bank has implemented

टैक्टाइल पाथ, मैग्रीफायर और ग्रैब बार की स्थापना शामिल है। शाखाओं और एटीएम में, जहाँ भी संभव हो, आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ये सुविधाएँ लगाई गई हैं। वर्तमान में, 4722 शाखाओं / कार्यालयों / प्रशासनिक इकाइयों में पहुँच-संबंधी मानकों के अनुसार सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 1912 शाखाओं/कार्यालयों / प्रशासनिक इकाइयों ने 5 मानदंडों का पालन किया है, 1187 शाखाओं / कार्यालयों / प्रशासनिक इकाइयों ने 4 का, 350 शाखाओं / कार्यालयों / प्रशासनिक इकाइयों ने 3 का, और 102 शाखाओं / कार्यालयों / प्रशासनिक इकाइयों ने 2 मानदंडों का पालन किया है। साथ ही, सभी 11008 एटीएम के प्रवेश द्वार दिशानिर्देशों के अनुसार 900 एमएम चौड़े हैं; 7029 एटीएम में रैंप की सुविधा है और 6020 एटीएम में हैंड रेल की सुविधा है, जिससे दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुँच में काफी सुधार हुआ है। ये कदम सभी ग्राहकों और कर्मचारियों को समान पहुँच, सुविधा और गरिमा प्रदान करने के प्रति बैंक की मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर कोई बिना किसी कठिनाई के इसकी सेवाओं का उपयोग कर सके।

several measures to support individuals with disabilities, including the installation of Ramps, Handrails, Tactile Path, Magnifier and Grab Bar have been installed at branches and ATMs wherever possible to facilitate easier access. As of now, 4722 branches / offices / admin units are having all the facilities as per the accessibility standards. Further 1912 Branch / Offices / Admin Units are complied with 5 parameters, 1187 Branch / Offices / Admin Units complied with 4, 350 Branch / Offices / Admin Units complied with 3, 102 Branches / Offices / Admin Units complied with 2, also all the 11008 ATMs are having entry doors with width of 900 mm as per guidelines, 7029 ATMs having ramp facility and 6020 ATMs having Hand Rail facility, significantly improving accessibility for differently-abled visitors. These actions reflect the Bank's strong commitment to providing equal access, comfort, and dignity for all customers and employees, ensuring that everyone can use its services without difficulty.

#### 4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन का विवरण:

| विवरण                     | मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (इन भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के आधार पर), जिनका मूल्यांकन किया गया |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बाल श्रम                  | -                                                                                                                      |
| जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम |                                                                                                                        |
| यौन उत्पीड़न              |                                                                                                                        |
| कार्यस्थल पर भेदभाव       |                                                                                                                        |
| मज़दूरी                   |                                                                                                                        |
| अन्य - कृपया बताएं        |                                                                                                                        |
| बाल श्रम                  |                                                                                                                        |

#### 5. ऊपर प्रश्न 4 में किए गए मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

व्यावसायिक मूल्य श्रृंखला गतिविधियों के हिस्से के रूप में कोई बड़ी चिंता या जोखिम नहीं पाया गया है।

#### 4. Details on assessment of value chain partners:

| Particulars                 | % of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sexual Harassment           | -                                                                                           |
| Discrimination at Workplace |                                                                                             |
| Child Labour                |                                                                                             |
| Forced / Involuntary Labour |                                                                                             |
| Wages                       |                                                                                             |
| Others - please specify     |                                                                                             |

#### 5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.

No major concern nor risk identified as part of business value chain activities.

सिद्धांत 6:

व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा उसके संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए प्रयास करने चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या उसके गुणकों में) और ऊर्जा प्रयोग का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

| मापदंड                                                                                                                                   | माप की इकाइयां      | वि.व 2025-26 | वि.व 2024-25       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| नवीकरणीय स्रोतों से                                                                                                                      |                     |              |                    |
| कुल बिजली की खपत (ए)                                                                                                                     | जीजे                | 18,329.59    | 4,261.98           |
| कुल ईंधन की खपत (बी)                                                                                                                     | जीजे                | 0            | 0                  |
| विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा की खपत (सी)                                                                                                     | जीजे                | 0            | 0                  |
| नवीकरणीय स्रोतों से कुल खपत की गई ऊर्जा (ए+बी+सी)                                                                                        | जीजे                | 18,329.59    | 4261.98            |
| गैर-नवीकरणीय स्रोतों से                                                                                                                  |                     |              |                    |
| कुल बिजली की खपत (डी)                                                                                                                    | जीजे                | 8,37,475.81  | 7,82,065.38        |
| कुल ईंधन की खपत (ई)                                                                                                                      | जीजे                | 1,65,498.78  | 2,82,981.49        |
| ऊर्जा की खपत के स्रोत (एफ)                                                                                                               | जीजे                | 0            | 0                  |
| गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)                                                                                    | जीजे                | 10,02,974.59 | 10,65,046.87       |
| कुल खपत की गई ऊर्जा (ए+बी+सी+डी+ई+एफ)                                                                                                    | जीजे                | 10,21,304.18 | 10,69,308.86       |
| प्रति रुपया कारोबार ऊर्जा का प्रयोग<br>(कुल ऊर्जा खपत / परिचालन से राजस्व)                                                               | जीजे / भारतीय रुपया | 0.00000067   | 0.0000007519336747 |
| प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा का प्रयोग क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित (पीपीपी) (कुल ऊर्जा खपत / राजस्व (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन) | जीजे / डॉलर         | 0.0000135    | 0.0000155349       |
| भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा का प्रयोग                                                                                              |                     |              |                    |
| ऊर्जा का प्रयोग (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है                                                               | जीजे / एफटीई        | 12.10        | 12.88              |

1. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 20.66 INR / USD का PPP रूपांतरण कारक माना गया है।

2. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 20.34 INR / USD का PPP रूपांतरण कारक माना गया है।

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / जांच / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

## Principle 6:

Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

### Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

| Parameter                                                                                                                                                    | Units of Measurement | FY 2025-26          | FY 2024-25                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>From Renewable Sources</b>                                                                                                                                |                      |                     |                           |
| Total electricity consumption (A)                                                                                                                            | GJ                   | 18,329.59           | 4,261.98                  |
| Total fuel consumption (B)                                                                                                                                   | GJ                   | 0                   | 0                         |
| Energy consumption through other sources (C)                                                                                                                 | GJ                   | 0                   | 0                         |
| <b>Total energy consumed from Renewable Sources (A+B+C)</b>                                                                                                  | <b>GJ</b>            | <b>18,329.59</b>    | <b>4261.98</b>            |
| <b>From Non-Renewable Sources</b>                                                                                                                            |                      |                     |                           |
| Total electricity consumption (D)                                                                                                                            | GJ                   | 8,37,475.81         | 7,82,065.38               |
| *Total fuel consumption (E)                                                                                                                                  | GJ                   | 1,65,498.78         | 2,82,981.49               |
| Energy consumption sources (F)                                                                                                                               | GJ                   | 0                   | 0                         |
| <b>Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)</b>                                                                                              | <b>GJ</b>            | <b>10,02,974.59</b> | <b>10,65,046.87</b>       |
| <b>Total Energy Consumed (A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                   | <b>GJ</b>            | <b>10,21,304.18</b> | <b>10,69,308.86</b>       |
| <b>Energy intensity per Rupee of turnover (Total energy consumed / Revenue from operations)</b>                                                              | <b>GJ/INR</b>        | <b>0.00000067</b>   | <b>0.0000007519336747</b> |
| <b>Energy intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)</b><br>Total energy consumed / Revenue from operations adjusted for PPP | <b>GJ/USD</b>        | <b>0.0000135</b>    | <b>0.0000155349</b>       |
| <b>Energy intensity in terms of physical output</b>                                                                                                          |                      |                     |                           |
| Energy intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity                                                                              | GJ/FTE               | 12.10               | 12.88                     |

1. PPP conversion factor of 20.66 INR / USD considered for FY 2024-25.

2. PPP conversion factor of 20.34 INR / USD considered for FY 2025-26.

**Note:** Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y / N) If yes, name of the external agency.

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार के निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट / सुविधाएं हैं? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो प्रकटीकरण करें कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

केनरा बैंक पर लागू नहीं।

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y / N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any

Not Applicable to Canara Bank.



3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

| मापदंड                                                                                                                                                                  | माप की इकाइयां             | वि.व 2025-26      | वि.व 2024-25      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| स्रोत द्वारा निस्सरित जल (किलोलीटर में)                                                                                                                                 |                            |                   |                   |
| (i) सतही जल                                                                                                                                                             | किलोलीटर                   | -                 | -                 |
| (ii) भूजल                                                                                                                                                               | किलोलीटर                   | -                 | -                 |
| (iii) तृतीय पक्ष जल                                                                                                                                                     | किलोलीटर                   | 9,84,952.8        | 9,65,368.8        |
| (iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल                                                                                                                                           | किलोलीटर                   | -                 | -                 |
| (v) अन्य                                                                                                                                                                | किलोलीटर                   | -                 | -                 |
| <b>जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)</b><br>(i + ii + iii + iv + v)                                                                                                | किलोलीटर                   | <b>9,84,952.8</b> | <b>9,65,368.8</b> |
| <b>जल उपभोग की कुल मात्रा</b><br>(किलोलीटर में)                                                                                                                         | किलोलीटर                   | <b>9,84,952.8</b> | <b>9,65,368.8</b> |
| <b>प्रति रुपया कारोबार पर जल का प्रयोग</b><br>(परिचालन से कुल जल खपत / राजस्व)                                                                                          | किलोलीटर /<br>भारतीय रुपया | 0.00000064        | 0.000000678843    |
| <b>क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए</b><br><b>समायोजित प्रति रुपया कारोबार में जल का</b><br><b>प्रयोग</b><br>(पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल<br>जल खपत / राजस्व)) | किलोलीटर /<br>डॉलर         | 0.00001311        | 0.0000140249      |
| <b>भौतिक दृष्टि से किए गए जल का प्रयोग</b>                                                                                                                              | -                          | -                 | -                 |
| <b>जल का प्रयोग</b><br>(वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक<br>चुना जा सकता है                                                                                    | किलोलीटर /<br>कर्मचारी     | 11.70             | 11.88             |

1. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 20.66 INR / USD का PPP रूपांतरण कारक माना गया है।

2. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 20.34 INR / USD का PPP रूपांतरण कारक माना गया है।

**नोट:** जल की निकासी और खपत की मात्रा का अनुमान एनबीसी (2016) पर आधारित कर्मचारी संख्या के आधार पर लगाया गया है।

**नोट:** क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो उस बाह्य एजेंसी का नाम बताएँ।

3. Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:

| Parameter                                                                                                                                                    | Units of Measurement | FY 2025-26        | FY 2024-25        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Water withdrawal by source (in kilolitres)</b>                                                                                                            |                      |                   |                   |
| (i) Surface water                                                                                                                                            | kL                   | -                 | -                 |
| (ii) Groundwater                                                                                                                                             | kL                   | -                 | -                 |
| (iii) Third-party water                                                                                                                                      | kL                   | 9,84,952.8        | 9,65,368.8        |
| (iv) Seawater / desalinated water                                                                                                                            | kL                   | -                 | -                 |
| (v) Others                                                                                                                                                   | kL                   | -                 | -                 |
| <b>Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)</b>                                                                              | <b>kL</b>            | <b>9,84,952.8</b> | <b>9,65,368.8</b> |
| <b>Total volume of water consumption (in kilolitres)</b>                                                                                                     | <b>kL</b>            | <b>9,84,952.8</b> | <b>9,65,368.8</b> |
| <b>Water intensity per Rupee of turnover</b> (Total Water consumption / Revenue from operations)                                                             | kL / INR             | 0.00000064        | 0.000000678843    |
| <b>Water intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)</b> (Total water consumption / Revenue from operations adjusted for PPP) | kL / USD             | 0.00001311        | 0.0000140249      |
| <b>Water intensity in terms of physical output</b>                                                                                                           | -                    | -                 | -                 |
| <b>Water intensity</b> (optional) - the relevant metric may be selected by the entity                                                                        | kL / Employee        | 11.70             | 11.88             |

1. PPP conversion factor of 20.66 INR / USD considered for FY 2024-25.

2. PPP conversion factor of 20.34 INR / USD considered for FY 2025-26.

**Note:** The amount of water withdrawal and consumption is estimated based on employee headcount based on NBC (2016)

**Note:** Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

4. निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

| मापदंड                                                       | माप की इकाइयां | वि.व 2025-26 | वि.व 2024-25 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार निस्सरित जल (किलोलीटर में) |                |              |              |
| (i) सतही जल के लिए                                           | किलोलीटर       | -            | -            |
| - कोई उपचार नहीं                                             | किलोलीटर       | -            | -            |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें          | किलोलीटर       | -            | -            |
| (ii) भूजल के लिए                                             | किलोलीटर       | -            | -            |
| - कोई उपचार नहीं                                             | किलोलीटर       | -            | -            |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें          | किलोलीटर       | -            | -            |
| (iii) समुद्री जल के लिए                                      | किलोलीटर       | -            | -            |
| - कोई उपचार नहीं                                             | किलोलीटर       | -            | -            |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें          | किलोलीटर       | -            | -            |
| (iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया                                  | किलोलीटर       | -            | -            |
| - कोई उपचार नहीं                                             | किलोलीटर       | -            | -            |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें          | किलोलीटर       | -            | -            |
| (v) अन्य                                                     | किलोलीटर       | -            | -            |
| - कोई उपचार नहीं                                             | किलोलीटर       | 7,87,962.24  | 7,72,295.04  |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें          | किलोलीटर       | -            | -            |
| कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)                               | किलोलीटर       | 7,87,962.24  | 7,72,295.04  |

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 20.66 INR / USD का PPP रूपांतरण कारक माना गया है।
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 20.34 INR / USD का PPP रूपांतरण कारक माना गया है।

#### 4. Provide the following details related to water discharged:

| Parameter                                                                    | Units of Measurement | FY 2025-26         | FY 2024-25         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)</b> |                      |                    |                    |
| (i) To Surface water                                                         | kL                   | -                  | -                  |
| - No treatment                                                               | kL                   | -                  | -                  |
| - With treatment - please specify level of treatment                         | kL                   | -                  | -                  |
| (ii) To Groundwater                                                          | kL                   | -                  | -                  |
| - No treatment                                                               | kL                   | -                  | -                  |
| - With treatment - please specify level of treatment                         | kL                   | -                  | -                  |
| (iii) To Seawater                                                            | kL                   | -                  | -                  |
| - No treatment                                                               | kL                   | -                  | -                  |
| - With treatment - please specify level of treatment                         | kL                   | -                  | -                  |
| (iv) Sent to Third parties                                                   | kL                   | -                  | -                  |
| - No treatment                                                               | kL                   | -                  | -                  |
| - With treatment - please specify level of treatment                         | kL                   | -                  | -                  |
| (v) Others                                                                   | kL                   | -                  | -                  |
| - No treatment                                                               | kL                   | 7,87,962.24        | 7,72,295.04        |
| - With treatment - please specify level of treatment                         | kL                   | -                  | -                  |
| <b>Total water discharged (in kilolitres)</b>                                | <b>kL</b>            | <b>7,87,962.24</b> | <b>7,72,295.04</b> |

1. PPP conversion factor of 20.66 INR / USD considered for FY 2024-25.
2. PPP conversion factor of 20.34 INR / USD considered for FY 2025-26.

नोट: क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उस बाह्य एजेंसी का नाम बताएँ।

#### 5. क्या संस्था ने शून्य तरल निस्सरण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

बैंक से कोई औद्योगिक अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं होता है। बैंक के सभी परिसर नगरपालिका के अपशिष्ट जल संग्रह प्रणालियों या परिसर के स्वामी की अपशिष्ट जल उपचार सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। परिणामस्वरूप, बैंक की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला कोई भी अपशिष्ट जल इन नगरपालिका उपचार प्रणालियों में भेजा जाता है, जहाँ संबंधित नगरपालिका एजेंसियों या सुविधा स्वामी (तीसरे पक्षों) के विवेकानुसार इसका उचित उपचार किया जाता है।

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

#### 5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

The Bank does not generate industrial wastewater. All Bank premises are connected to municipal wastewater collection systems or the premises owner's wastewater treatment facilities. Consequently, any wastewater produced by the Bank's activities is directed to these municipal treatment systems, where it is treated appropriately at the discretion of the relevant municipal agencies or facility owners (third parties).

6. कृपया संस्था द्वारा किए गए वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अतिरिक्त) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

| मापदंड                          | कृपया इकाई निर्दिष्ट करें | वि.व 2025-26 | वि.व 2024-25 |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| एनओएक्स                         | केनरा बैंक में लागू नहीं। |              |              |
| एसओएक्स                         |                           |              |              |
| कणिकीय पदार्थ (पीएम)            |                           |              |              |
| स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी) |                           |              |              |
| वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) |                           |              |              |
| खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)     |                           |              |              |
| अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें      |                           |              |              |

**नोट:** क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उस बाह्य एजेंसी का नाम बताएँ।

6. Please provide details of Air Emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

| Parameter                           | Please specify unit           | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| NOx                                 | Not applicable to Canara Bank |            |            |
| SOx                                 |                               |            |            |
| Particulate matter (PM)             |                               |            |            |
| Persistent organic pollutants (POP) |                               |            |            |
| Volatile organic compounds (VOC)    |                               |            |            |
| Hazardous air pollutants (HAP)      |                               |            |            |
| Others - Please specify             |                               |            |            |

**Note:** Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.



7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता से संबंधित जानकारी, निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएँ:

| मापदंड                                                                                                                                                                                                | माप की इकाइयाँ                                   | वि.व 2025-26 | वि.व 2024-25   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>कुल स्कोप 1 उत्सर्जन</b> (जीएचजी का CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)                                 | CO <sub>2</sub> के समतुल्य मीट्रिक टन            | 11,272.51    | 17,262.96      |
| <b>कुल स्कोप 2 उत्सर्जन</b> (जीएचजी का CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)                                 | CO <sub>2</sub> के समतुल्य मीट्रिक टन            | 1,65,168.84  | 1,57,897.79    |
| <b>कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता प्रति रुपए टर्नओवर</b><br>(परिचालन से कुल स्कोप 1 और दायरा 2 जीएचजी उत्सर्जन / राजस्व)                                                                     | CO <sub>2</sub> के समतुल्य मीट्रिक टन / आई एन आर | 0.000000115  | 0.000000123172 |
| <b>क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता</b><br>(पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / राजस्व) | CO <sub>2</sub> के समतुल्य मीट्रिक टन / यू एस डी | 0.000002343  | 0.00000254474  |
| <b>भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता</b>                                                                                                                             | -                                                | -            | -              |
| <b>कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है</b>                                                                                             | प्रति एफटीई CO <sub>2</sub> के मीट्रिक टन        | 2.09         | 2.16           |

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 20.66 INR / USD का PPP रूपांतरण कारक माना गया है।
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 20.34 INR / USD का PPP रूपांतरण कारक माना गया है।

**नोट:** क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन /आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो उस बाह्य एजेंसी का नाम बताएँ।

7. Provide details of Greenhouse Gas Emissions (Scope 1 and Scope 2 Emissions) & its intensity, in the following format:

| Parameter                                                                                                                                                                                                 | Unit of Measurement                              | FY 2025-26  | FY 2024-25     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Total Scope 1 emissions</b> (Break-up of the GHG into CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , if available)                              | Metric tonnes of CO <sub>2</sub> equivalent      | 11,272.51   | 17,262.96      |
| <b>Total Scope 2 emissions</b> (Break-up of the GHG into CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , if available)                              | Metric tonnes of CO <sub>2</sub> equivalent      | 1,65,168.84 | 1,57,897.79    |
| <b>Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per Rupee of turnover</b> (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations)                                                             | Metric tonnes of CO <sub>2</sub> equivalent/ INR | 0.000000115 | 0.000000123172 |
| <b>Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)</b> (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations adjusted for PPP) | Metric tonnes of CO <sub>2</sub> equivalent/ USD | 0.000002343 | 0.00000254474  |
| <b>Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output</b>                                                                                                                           | -                                                | -           | -              |
| <b>Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional)</b> - the relevant metric may be selected by the entity                                                                                        | Metric tonnes of CO <sub>2</sub> per FTE         | 2.09        | 2.16           |

1. PPP conversion factor of 20.66 INR / USD considered for FY 2024-25.

2. PPP conversion factor of 20.34 INR / USD considered for FY 2025-26.

**Note:** Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y / N) If yes, name of the external agency.

## 8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

| क्र. सं. | की गई पहल                                                                                       | पहल का विवरण (यदि कोई वेब-लिंक हो, तो उसे सारांश के साथ दिया जा सकता है)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पहल का परिणाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | कार्बन तटस्थता योजना                                                                            | बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक 'कार्बन न्यूट्रैलिटी प्लान' तैयार किया है, जिसका लक्ष्य 2035 तक अपने परिचालन उत्सर्जन (स्कोप 1 और 2) के लिए कार्बन तटस्थता हासिल करना है; यह योजना जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रबंधन और राष्ट्रीय व वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।                                                                                                                                      | इस पहल ने 2035 तक परिचालन उत्सर्जन के मामले में कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक रोडमैप स्थापित करके बैंक की दीर्घकालिक जलवायु रणनीति को मज़बूत किया; साथ ही, इसने जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रबंधन व वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।                                                                                                                                                                                            |
| 2.       | कार्बन तटस्थता योजना विशेष रूप से तैयार ग्रीन फाइनेंस उत्पाद और योजनाएँ                         | बैंक ने ग्रीन फाइनेंस उत्पाद (हरित वित्तपोषण उत्पाद) विकसित किए हैं, जिनके तहत वायु, जल और सौर ऊर्जा परियोजनाओं जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों; इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (ईबीपी); सम्पीड़ित बायो-गैस (सीबीजी); और इलेक्ट्रिक चौपहिया वाहनों के वित्तपोषण के लिए 'केनरा ग्रीन व्हील्स' जैसी पहलों को वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।                                                                                                                        | इस पहल ने ऐसे विशेष उत्पाद पेश करके ग्रीन फाइनेंस के विस्तार में सहायता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता समाधानों में निवेश को बढ़ावा देते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.       | केनरा हरित जमा                                                                                  | बैंक के पास एक विशेष ग्रीन डिपॉजिट उत्पाद है, जिसके तहत जुटाई गई धनराशि को योग्य हरित गतिविधियों और परियोजनाओं में लगाया जाता है। इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक 'ग्रीन डिपॉजिट नीति' और 'ऋण की रूपरेखा ढांचा' स्थापित किया है।<br><a href="https://www.canarabank.bank.in/documents/d/guest/green-deposit-policy-version_3-1">https://www.canarabank.bank.in/documents/d/guest/green-deposit-policy-version_3-1</a> | एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष विक्रेता की सहायता से, बैंक ने ग्रीन (हरित) गतिविधियों में लगाए गए 'ग्रीन डिपॉजिट निधियों' के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया, और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, बैंक द्वारा जुटाए और आवंटित निधि से लगभग 1,037 टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में सफल रहा।<br><a href="https://www.canarabank.bank.in/documents/d/guest/signed-_final_canara-bank-green-deposits-impact-report">https://www.canarabank.bank.in/documents/d/guest/signed-_final_canara-bank-green-deposits-impact-report</a> |
| 4.       | बैंक की व्यापक 'नेट ज़ीरो' संक्रमण योजना विकसित करने और वित्तपोषित उत्सर्जन की गणना पर परियोजना | बैंक ने एक नेट-ज़ीरो संक्रमण योजना तैयार करने के लिए एक परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अपने दीर्घकालिक नेट-ज़ीरो लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह परियोजना लक्षित प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण पहलों के माध्यम से प्रमुख हितधारकों के बीच जलवायु-संबंधी जागरूकता और ज्ञान को बढ़ाकर संस्थागत क्षमता के निर्माण पर भी केंद्रित है।                                                                     | इस पहल ने एक व्यापक नेट ज़ीरो संक्रमण योजना के विकास की शुरुआत करके बैंक की नेट ज़ीरो महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया; साथ ही, लक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से संस्थागत क्षमता का निर्माण किया और वित्तपोषित उत्सर्जन का आकलन व प्रबंधन करने की क्षमताओं को भी बढ़ाया।                                                                                                                                                                                                                                            |

8. Does the Entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If Yes, then provide details:

| Sl. No. | Initiative undertaken                                                                                            | Details of the initiative<br>(Web-link, if any, may be provided along-with summary)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Outcome of the initiative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Carbon Neutrality Plan                                                                                           | Bank has developed a Board-approved Carbon Neutrality Plan targeting Carbon neutrality for its operational emissions (Scope 1 & 2) by 2035, demonstrating its commitment to responsible environmental stewardship and alignment with national and global climate goals.                                                                                                                                                                                                 | The initiative strengthened the Bank's long-term climate strategy by establishing a Board approved roadmap to achieve Carbon neutrality for operational emissions by 2035, reinforcing its commitment to responsible environmental stewardship and alignment with national and global climate goals.                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.      | Tailor-made Green Finance Products and Schemes                                                                   | The Bank has developed Green Finance products, providing financing to Renewable Energy sectors such as Wind, Hydro, and Solar Power projects, Ethanol Blending Programme (EBP), Compressed Bio-Gas (CBG) and initiatives like Canara Green Wheels for financing electric four-wheelers.                                                                                                                                                                                 | The initiative supported the expansion of Green Financing by offering tailored products that promote investments in Renewable Energy and cleaner mobility solutions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.      | Canara Green Deposit                                                                                             | <p>Restricted</p> <p>The Bank has a dedicated Green Deposit product, under which funds mobilized are deployed in eligible green activities and projects. To support its implementation, the Bank has established a Board-approved Green Deposit Policy and Lending Framework.<br/><a href="https://www.canarabank.bank.in/documents/d/guest/green-deposit-policy-version_3-1">https://www.canarabank.bank.in/documents/d/guest/green-deposit-policy-version_3-1</a></p> | With the assistance of an independent third-party vendor, the Bank assessed the environmental impact of Green Deposit funds deployed in green activities and for FY 2024-25, the funds mobilized and allocated the Bank was able to avoid approximately 1,037 tonnes of Carbon emissions.<br><a href="https://www.canarabank.bank.in/documents/d/guest/signed-_final_canara-bank-green-deposits-impact-report">https://www.canarabank.bank.in/documents/d/guest/signed-_final_canara-bank-green-deposits-impact-report</a> |
| 4.      | Project on developing a Comprehensive Net Zero Transition Plan of the Bank and Computation of Financed Emissions | The Bank has initiated a project to develop a Net-Zero Transition Plan aimed at achieving its long-term net-zero target in alignment with national and global climate commitments. The project also focuses on building institutional capacity by enhancing climate-related awareness and knowledge among key stakeholders through targeted training and capacity-building initiatives.                                                                                 | The initiative advanced the Bank's net zero ambition by initiating the development of a comprehensive Net Zero Transition Plan, while simultaneously building institutional capacity through targeted training and enhancing capabilities for assessing and managing financed emissions.                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | इलेक्ट्रिक वाहन समूह (फ्लीट)    | बैंक ने स्वच्छ आंतरिक गतिशीलता प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने परिचालन समूह में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया है।                                | इस पहल ने बैंक के परिचालन समूह में 3 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करके, सतत परिवहन की दिशा में उसके बदलाव को मजबूत किया।                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन | बैंक ने स्वच्छ परिवहन समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं।                                 | इस पहल के तहत [X] स्टेशन स्थापित करके इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच का विस्तार किया गया, जिससे कम उत्सर्जन वाले परिवहन विकल्पों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन मिला।                                                                                                                                                                        |
| 7. | ऊर्जा संरक्षण के उपाय           | बैंक ने अपने शाखा नेटवर्क में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए कई सुधार लागू किए हैं, जिनमें सौर पैनल, कुशल एयर कंडीशनिंग सिस्टम और एलईडी लाइटिंग समाधान शामिल हैं। | इस पहल के तहत 165 स्थानों पर कुल 4133 किलोवाट-पी की क्षमता वाले सौर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करके, 10,098 शाखाओं को ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनिंग इकाइयों से उन्नत करके और सभी 10,098 शाखाओं को एलईडी लाइटिंग से सुसज्जित करके परिचालन ऊर्जा दक्षता को मजबूत किया गया, जिससे सामूहिक रूप से ऊर्जा प्रदर्शन में सुधार हुआ और दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन मिला। |
| 8. | आईजीबीसी प्रमाणित परिसर         | बैंक ने अपने सभी परिसरों में भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) प्रमाणन प्राप्त करके हरित भवन निर्माण पद्धतियों को अपनाया है।                                   | इस पहल ने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया, 37 परिसरों में आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त किया और सतत परिचालन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत किया।                                                                                                                                                                             |



|    |                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Electric Vehicles Fleet           | The Bank has integrated electric vehicles into its operational fleet to advance cleaner internal mobility practices                                                                   | The initiative strengthened the Bank's shift toward sustainable transportation by deploying 3 electric vehicles within its fleet operations                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Electric Vehicle Charging Station | The Bank has set up electric vehicle charging stations across select locations to encourage the adoption of cleaner mobility solutions.                                               | The initiative expanded access to EV charging infrastructure by setting up [X] stations, encouraging greater use of low emission transportation options                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. | Energy Efficient Measures         | The Bank has implemented multiple energy efficient upgrades across its branch network, including solar installations, efficient air conditioning systems, and LED lighting solutions. | The initiative strengthened operational energy efficiency by installing solar rooftop systems across 165 locations with a total capacity of 4133 KWP, upgrading 10,098 branches with energy efficient air-conditioning units, and equipping all 10,098 branches with LED lighting, collectively enhancing energy performance and supporting long term sustainability goals. |
| 8. | IGBC Certified Premises           | The Bank has adopted green building practices by pursuing Indian Green Building Council (IGBC) certifications across its premises.                                                    | The initiative advanced environmentally responsible infrastructure development, achieving IGBC certification across 37 premises and strengthening the Bank's commitment to sustainable operations.                                                                                                                                                                          |

9. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

| मापदंड                                                                                                                                                       | माप की इकाइयां     | वि.व 2025-26    | वि.व 2024-25       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)</b>                                                                                                                  |                    |                 |                    |
| प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)                                                                                                                                        | मीट्रिक टन         | -               | -                  |
| ई-कचरा (बी)                                                                                                                                                  | मीट्रिक टन         | 47.5            | 23.4               |
| जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी)                                                                                                                                    | मीट्रिक टन         | -               | -                  |
| निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी)                                                                                                                             | मीट्रिक टन         | -               | -                  |
| बैटरी अपशिष्ट (ई)                                                                                                                                            | मीट्रिक टन         | -               | -                  |
| रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)                                                                                                                                     | मीट्रिक टन         | -               | -                  |
| अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (जी)                                                                                                         | मीट्रिक टन         | -               | -                  |
| अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच)। यदि कोई हो तो कृपया बताएं।<br>(संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार विभाजन)                    | मीट्रिक टन         | -               | -                  |
| <b>कुल (ए+बी + सी + डी + ई + एफ + जी+ एच)</b>                                                                                                                | <b>मीट्रिक टन</b>  | <b>47.5</b>     | <b>23.4</b>        |
| <b>प्रति रुपया कारोबार पर अपशिष्ट की तीव्रता</b><br>(परिचालन से कुल उत्पन्न अपशिष्ट /राजस्व)                                                                 | मीट्रिक टन / रुपया | 0.000000000031  | 0.0000000000164548 |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के अनुसार समायोजित कारोबार के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता (कुल अपशिष्ट / परिचालन राजस्व- पीपीपी के आधार पर समायोजित )               | मीट्रिक टन / डॉलर  | 0.0000000000630 | 0.0000000000339956 |
| भौतिक दृष्टि से जल की तीव्रता आउटपुट                                                                                                                         |                    | -               | -                  |
| अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है।                                                                             | मीट्रिक टन / एफटीई | 0.000562343     | 0.000287965        |
| <b>उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)</b> |                    |                 |                    |
| <b>अपशिष्ट की श्रेणी</b>                                                                                                                                     |                    |                 |                    |
| (i) पुनर्चक्रित                                                                                                                                              |                    | 47.5            | 23.4               |
| (ii) पुनः उपयोग                                                                                                                                              |                    | -               | -                  |
| (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य                                                                                                                               |                    | -               | -                  |
| <b>कुल</b>                                                                                                                                                   |                    | <b>47.5</b>     | <b>23.4</b>        |
| <b>उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)</b>                                  |                    |                 |                    |
| <b>अपशिष्ट की श्रेणी</b>                                                                                                                                     |                    |                 |                    |
| (i) भस्मीकरण                                                                                                                                                 |                    | -               | -                  |
| (ii) लैंडफिलिंग                                                                                                                                              |                    | -               | -                  |
| (iii) अन्य निपटान कार्य                                                                                                                                      |                    | -               | -                  |
| <b>कुल</b>                                                                                                                                                   |                    | <b>-</b>        | <b>-</b>           |

1. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 20.66 INR / USD का PPP रूपांतरण कारक माना गया है।

2. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 20.34 INR / USD का PPP रूपांतरण कारक माना गया है।

**नोट:** क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/ मूल्यांकन /आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो उस बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

9. Provide details related to Waste Management by the Entity, in the following format:

| Parameter                                                                                                                                                  | Units of Measurement | FY 2025-26      | FY 2024-25         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Total Waste generated (in metric tonnes)</b>                                                                                                            |                      |                 |                    |
| Plastic waste (A)                                                                                                                                          | MT                   | -               | -                  |
| E-waste (B)                                                                                                                                                | MT                   | 47.5            | 23.4               |
| Bio-medical waste (C)                                                                                                                                      | MT                   | -               | -                  |
| Construction and demolition waste (D)                                                                                                                      | MT                   | -               | -                  |
| Battery waste (E)                                                                                                                                          | MT                   | -               | -                  |
| Radioactive waste (F)                                                                                                                                      | MT                   | -               | -                  |
| Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)                                                                                                         | MT                   | -               | -                  |
| Other Non-hazardous waste generated (H). Please specify, if any.<br>(Break-up by composition i.e., by materials relevant to the sector)                    | MT                   | -               | -                  |
| <b>Total (A + B + C + D + E + F + G + H)</b>                                                                                                               | <b>MT</b>            | <b>47.5</b>     | <b>23.4</b>        |
| <b>Waste intensity per Rupee of turnover (Total waste generated / Revenue from operations)</b>                                                             | Metric tonne / INR   | 0.000000000031  | 0.0000000000164548 |
| <b>Waste intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated / Revenue from operations adjusted for PPP)</b> | Metric tonne / USD   | 0.0000000000630 | 0.0000000000339956 |
| <b>Waste intensity in terms of physical output</b>                                                                                                         |                      | -               | -                  |
| <b>Waste intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity</b>                                                                      | Metric tonne / FTE   | 0.000562343     | 0.000287965        |
| <b>For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)</b>             |                      |                 |                    |
| <b>Category of waste</b>                                                                                                                                   |                      |                 |                    |
| (i) Recycled                                                                                                                                               |                      | 47.5            | 23.4               |
| (ii) Re-used                                                                                                                                               |                      | -               | -                  |
| (iii) Other recovery operations                                                                                                                            |                      | -               | -                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                               |                      | <b>47.5</b>     | <b>23.4</b>        |
| <b>For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)</b>                                          |                      |                 |                    |
| <b>Category of waste</b>                                                                                                                                   |                      |                 |                    |
| (i) Incineration                                                                                                                                           |                      | -               | -                  |
| (ii) Landfilling                                                                                                                                           |                      | -               | -                  |
| (iii) Other disposal operations                                                                                                                            |                      | -               | -                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                               |                      | <b>-</b>        | <b>-</b>           |

1. PPP conversion factor of 20.66 INR / USD considered for FY 2024-25.

2. PPP conversion factor of 20.34 INR / USD considered for FY 2025-26.

**Note:** Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y / N) If yes, name of the external agency.

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक तथा विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति, और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन करें।

केनरा बैंक अपशिष्ट प्रबंधन की ऐसी पद्धति का पालन करता है जो चक्रीयता के सिद्धांत को प्रोत्साहित करती है और स्रोत पर ही अपशिष्ट को कम करने का प्रयास करती है। सेवा उद्योग का हिस्सा होने के नाते, बैंक द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे इसके पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के अवसर सीमित हो जाते हैं। दैनिक कचरे का प्रबंधन नगरपालिका एजेंसियों द्वारा किया जाता है। ई-कचरे के निपटान के लिए, बैंक सूचीबद्ध ई-कचरा विक्रेताओं के बीच सीमित निविदा / आरएफपी जारी करके ई-कचरे का निपटान कर रहा है, जिनके पास ई-कचरे को एकत्र करने और निपटाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध प्रमाण पत्र है। एक सेवा क्षेत्र की कंपनी होने के नाते, जो अपने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है, उत्पन्न होने वाला अधिकांश कचरा गैर-हानिकारक प्रकृति का होता है और कंपनी ने कचरे के प्रबंधन और निपटान के लिए विक्रेताओं और एजेंसियों के साथ उचित समझौता किया हुआ है।

10. Briefly describe the Waste Management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Canara Bank follows a waste management practice which encourages principle of circularity and minimize waste at source. For plastic waste, being part of the service industry, the Bank generates relatively small amounts of waste, limiting opportunities for reusing, recycling and disposal. Daily waste is handled by municipal agencies. Bank is disposing e-waste by issuing limited tender / RFP among empaneled e-waste vendors, who possess valid certificate from Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board to collect and dispose of the e-waste. Being a service sector company, offering banking services to its customers, most of the waste generated is non-hazardous in nature and Bank has proper tie-up with vendors and agencies to manage and dispose the waste.

11. यदि संस्था के परिचालन / कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल भंडार, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में या उसके आसपास स्थित हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

| क्र.सं.   | परिचालन / कार्यालयों का स्थान | परिचालन का प्रकार | क्या पर्यावरणीय अनुमोदन / मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां / नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तो क्या करें? |
|-----------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लागू नहीं |                               |                   |                                                                                                                                                                           |

11. If the Entity has operations / offices in / around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:

| Sl. No.        | Location of operations / offices | Type of operations | Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y / N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any. |
|----------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Not Applicable |                                  |                    |                                                                                                                                                               |

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानून के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

| परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण | ईआईए अधिसूचना सं. | तारीख | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां / नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हां / नहीं) | प्रासंगिक वेब लिंक |
|-------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| लागू नहीं                           |                   |       |                                                                    |                                                          |                    |

12. Details of Environmental Impact Assessments of projects undertaken by the Entity based on applicable laws, in the current financial year:

| Name and brief details of project | EIA Notification No. | Date | Whether conducted by independent external agency (Yes / No) | Results communicated in public domain (Yes / No) | Relevant Web link |
|-----------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Not applicable                    |                      |      |                                                             |                                                  |                   |

Restricted

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण संबंधी कानून / विनियम / दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां / नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

| क्र.सं. | उस कानून / विनियम / दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया                                                                                                        | गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना / दंड / कार्रवाई | यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.      | भारत सरकार के अनुसार, बैंक पर्यावरण से संबंधित सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करता रहा है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, किसी भी प्रकार के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है। |                                  |                                                                                                         |                                          |

13. Is the entity compliant with the applicable Environmental Law / Regulations / Guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y / N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

| Sl. No. | Specify the law / regulation / guidelines which was not complied with                                                                                                                       | Provide details of the non-compliance | Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts | Corrective action taken, if any |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.      | Bank has been compliant with all applicable laws and regulations pertaining to environment, as per Government of India. During the reporting period, there has been no non-compliance case. |                                       |                                                                                                           |                                 |



## नेतृत्व संकेतक

- जल-दवाब वाले क्षेत्रों में निस्सरित जल, खपत और उसका निकास (किलोलीटर में):  
जल-तनाव वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा / संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:  
(i) क्षेत्र का नाम: लागू नहीं  
(ii) कार्यों की प्रकृति: लागू नहीं  
(iii) जल की निकासी खपत और उसका निकास निम्नलिखित प्रारूप में: लागू नहीं

| मापदंड                                                                                    | वित्त वर्ष 2025-26 | वित्त वर्ष 2024-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>स्रोत के अनुसार जल की निकासी (किलोलीटर में)</b>                                        |                    |                    |
| (i) सतही जल                                                                               | -                  | -                  |
| (ii) भूजल                                                                                 | -                  | -                  |
| (iii) तीसरे पक्ष का जल                                                                    | -                  | -                  |
| (iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल                                                            | -                  | -                  |
| (v) अन्य                                                                                  | -                  | -                  |
| <b>जल की निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)</b>                                          | -                  | -                  |
| <b>जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)</b>                                             | -                  | -                  |
| <b>प्रति कारोबार किए गए जल के प्रयोग की राशि रुपये में</b><br>(खपत किया गया जल / कारोबार) | -                  | -                  |
| <b>जल की लागत (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है</b>       | -                  | -                  |
| <b>गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल का निकास (किलोलीटर में)</b>                       |                    |                    |
| (i) सतही जल में                                                                           | -                  | -                  |
| - कोई उपचार नहीं                                                                          | -                  | -                  |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें                                       | -                  | -                  |
| (ii) भूजल में                                                                             | -                  | -                  |
| - कोई उपचार नहीं                                                                          | -                  | -                  |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें                                       | -                  | -                  |
| (iii) समुद्री जल में                                                                      | -                  | -                  |
| - कोई उपचार नहीं                                                                          | -                  | -                  |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें                                       | -                  | -                  |
| (iv) तीसरे पक्षों को भेजा गया                                                             | -                  | -                  |
| - कोई उपचार नहीं                                                                          | -                  | -                  |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें                                       | -                  | -                  |
| (v) अन्य                                                                                  | -                  | -                  |
| - कोई उपचार नहीं                                                                          | -                  | -                  |
| - उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें                                       | -                  | -                  |
| <b>कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)</b>                                                    | -                  | -                  |

**नोट:** बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (Y/N) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

Leadership Indicators

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):

For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:

(i) Name of the area: Not applicable

(ii) Nature of operations: Not applicable

(iii) Water withdrawal, consumption and discharge in the following format: Not applicable

| Parameter                                                                                 | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Water withdrawal by source (in kilolitres)</b>                                         |            |            |
| (i) Surface water                                                                         | -          | -          |
| (ii) Groundwater                                                                          | -          | -          |
| (iii) Third-party water                                                                   | -          | -          |
| (iv) Seawater / desalinated water                                                         | -          | -          |
| (v) Others                                                                                | -          | -          |
| <b>Total volume of water withdrawal (in kilolitres)</b>                                   | -          | -          |
| <b>Total volume of water consumption (in kilolitres)</b>                                  | -          | -          |
| <b>Water intensity per Rupee of turnover<br/>(Water consumed / turnover)</b>              | -          | -          |
| <b>Water intensity (optional) - the relevant metric may be<br/>selected by the entity</b> | -          | -          |
| <b>Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)</b>              |            |            |
| (i) Into Surface water                                                                    | -          | -          |
| - No treatment                                                                            | -          | -          |
| - With treatment - please specify level of treatment                                      | -          | -          |
| (ii) Into Groundwater                                                                     | -          | -          |
| - No treatment                                                                            | -          | -          |
| - With treatment - please specify level of treatment                                      | -          | -          |
| (iii) Into Seawater                                                                       | -          | -          |
| - No treatment                                                                            | -          | -          |
| - With treatment - please specify level of treatment                                      | -          | -          |
| (iv) Sent to third-parties                                                                | -          | -          |
| - No treatment                                                                            | -          | -          |
| - With treatment - please specify level of treatment                                      | -          | -          |
| (v) Others                                                                                | -          | -          |
| - No treatment                                                                            | -          | -          |
| - With treatment - please specify level of treatment                                      | -          | -          |
| <b>Total water discharged (in kilolitres)</b>                                             | -          | -          |

**Note:** Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y / N) If yes, name of the external agency.

2. कृपया दायरा 3 के अंतर्गत कुल उत्सर्जन और उसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

| पैरामीटर                                                                                                                                                              | इकाई                               | वित्त वर्ष 2025-26 | वित्त वर्ष 2024-25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| दायरा 3 के अंतर्गत कुल उत्सर्जन (GHG का CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> में विभाजन यदि उपलब्ध है) | CO <sub>2</sub> समतुल्य मीट्रिक टन | -                  | -                  |
| प्रति रुपया कारोबार के तहत कुल क्षेत्र 3 का उत्सर्जन                                                                                                                  |                                    | -                  | -                  |
| क्षेत्र 3 के अंतर्गत कुल तीव्रता (वैकल्पिक)<br>- संबंधित मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है।                                                                  |                                    | -                  | -                  |

**नोट:** बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं।

2. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:

| Parameter                                                                                                                                                             | Unit                                        | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> O, HFCs, PFCs, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> , if available) | Metric tonnes of CO <sub>2</sub> equivalent | -          | -          |
| Total Scope 3 emissions per Rupee of turnover                                                                                                                         |                                             | -          | -          |
| Total Scope 3 emission intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity                                                                       |                                             | -          | -          |

**Note:** Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y / N) If yes, name of the external agency.

3. ऊपर दिए गए 'आवश्यक संकेतकों' के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, कृपया ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों का विवरण दें, साथ ही रोकथाम और सुधार संबंधी गतिविधियों की जानकारी भी दें।

केनरा बैंक पर लागू नहीं।

3. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along with prevention and remediation activities.

Not applicable to Canara Bank

4. यदि संस्था ने संसाधनों की दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट जल के निकास / उत्पन्न कचरे के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशेष पहल की है, या किसी नवीन तकनीक या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, उस पहल का विवरण और उसके परिणामों की जानकारी दें:

| क्र. सं. | की गई पहल                               | पहल का विवरण<br>(यदि कोई वेब-लिंक हो, तो उसे सारांश के साथ दिया जा सकता है)                                                                                                                                                                   | इस पहल का परिणाम                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ऊर्जा-कुशल बुनियादी ढांचे की तैनाती     | केनरा बैंक ने अपने परिसरों को एलईडी लाइटिंग, ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों और छत पर लगने वाले सौर ऊर्जा प्रणालियों से अपग्रेड किया है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा दक्षता में सुधार हुआ है और बिजली की खपत कम हुई है।                                 | बैंक ने 165 स्थानों पर 4133 किलोवाट-पी की क्षमता वाले सोलर रूफटॉप पैनल लगाए हैं, अपनी सभी 10098 शाखाओं में ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनिंग यूनिट स्थापित की हैं और सभी 10098 शाखाओं में एलईडी लाइटिंग सिस्टम लगाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप गैर-नवीकरणीय ऊर्जा खपत में 6.85% की कमी हासिल की है। |
| 2        | अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को सुदृढ़ बनाना | केनरा बैंक ने अपनी शाखाओं और कार्यालयों में ई-कचरे और गैर-पुनर्चक्रण योग्य कचरे के लिए व्यवस्थित पृथक्करण और सुरक्षित निपटान प्रक्रियाओं को लागू किया है, जिससे कचरे का बेहतर प्रबंधन हो पाता है और पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव कम होता है। | इस पहल ने कचरे के अलग-अलग करने की प्रक्रिया में सुधार करके और ई-कचरे तथा गैर-पुनर्चक्रण योग्य कचरे का अधिक सुरक्षित एवं ज़िम्मेदाराना ढंग से निपटान सुनिश्चित करके, बैंक की कचरा प्रबंधन प्रथाओं को मज़बूत बनाया।                                                                       |
| 3        | एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करना     | प्लास्टिक-आधारित भौतिक प्रक्रियाओं को वर्चुअल डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल समाधानों से बदलकर, केनरा बैंक ने प्लास्टिक पर निर्भरता कम की और संपर्क-रहित तथा कागज़-रहित लेन-देन को बढ़ावा दिया।                                                      | इस पहल ने बैंक को डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस लेन-देन समाधानों की ओर बढ़कर, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद की है।                                                                                                                                                     |

Restricted

4. If the Entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:

| Sl. No. | Initiative Undertaken                         | Details of the initiative<br>(Web-link, if any, may be provided along with summary)                                                                                                                             | Outcome of the initiative                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Deployment of Energy Efficient Infrastructure | Canara Bank has upgraded its premises with LED lighting, energy saving devices and rooftop solar power systems, resulting in improved energy efficiency and reduced electricity consumption.                    | The Bank has installed solar rooftop across 165 locations with a capacity of 4133KWP, installed energy efficient air conditioning units in all the branches of 10098 and installed LED lightning systems in all 10098 branches and as a result, achieved 6.85% reduction of non-renewable energy consumption. |
| 2       | Strengthening Waste Management Practices      | Canara Bank has implemented structured waste segregation and safe disposal processes for e-waste and non-recyclables in branches and offices, enabling better waste handling and reducing environmental impact. | The initiative strengthened the Bank's waste management practices by improving segregation and ensuring safer, more responsible handling of e-waste and non-recyclables                                                                                                                                       |
| 3       | Minimizing Single Use Plastics:               | By replacing physical plastic based processes with digital solutions such as virtual debit cards, Canara Bank reduced plastic dependence and encouraged contactless, paperless transactions.                    | The initiative helped the Bank reduce reliance on single use plastics by shifting to digital, contactless transaction solutions                                                                                                                                                                               |

Restricted

**5. क्या संस्था के पास कोई कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों / वेब लिंक में विवरण दें।**

केनरा बैंक ने आपदा की स्थितियों में तत्परता सुनिश्चित करने के लिए एक मज़बूत बिज़नेस कंटीन्यूटी मैनेजमेंट (बीसीएम) योजना लागू की है। इस व्यापक योजना में लोग, नीतियां, मानक और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की निरंतरता, पुनः शुरुआत और रिकवरी को बनाए रखना है। इसे कर्मियों, प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचे पर आपदाओं के प्रभाव को कम करने के साथ-साथ परिचालन, वित्तीय, कानूनी, विनियामक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को भी कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैंक का बिज़नेस कंटीन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम (बीसीएमएस) पूरी तरह से आईएसओ 22301:2019 मानक के अनुरूप है जो बिज़नेस कंटीन्यूटी प्रथाओं को स्थापित करने और बेहतर बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है। यह अनुरूपता केनरा बैंक को व्यवधानों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने तथा अपने परिचालन और हितधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।

**6. संस्था की वैल्यू चेन से पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में संस्था द्वारा शमन या अनुकूलन के कौन से उपाय किए गए हैं?**

केनरा बैंक पर लागू नहीं।

**7. वैल्यू चेन पार्टनर्स का प्रतिशत (इन पार्टनर्स के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के आधार पर) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।**

केनरा बैंक ने सेबी के दिशानिर्देशों के तहत बीआरएसआर कोर की आवश्यकताओं के रूप में अपने वैल्यू चेन पार्टनर्स के लिए ईएसजी मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन में कुल खरीद मूल्य के शीर्ष 75% का प्रतिनिधित्व करने वाले वैल्यू चेन पार्टनर्स, यानी लगभग 14 आपूर्तिकर्ताओं को शामिल किया गया। मूल्यांकन के दौरान, कारोबार के प्रति खुलापन, ऊर्जा प्रबंधन, जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, उत्सर्जन इन्वेंट्री, श्रम प्रथाएं, स्वास्थ्य और सुरक्षा, मानवाधिकार, एमएसएमई खरीद और डेटा गोपनीयता के लिए बीआरएसआर कोर संकेतकों का मूल्यांकन और समीक्षा की गई।

**8. कितने ग्रीन क्रेडिट जनरेटेड या प्राप्त किए गए हैं?**

- सूचीबद्ध इकाई द्वारा: शून्य
- शीर्ष दस (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के आधार पर) वैल्यू चेन पार्टनर्स द्वारा:  
शून्य

**5. Does the Entity have a Business Continuity and Disaster Management Plan? Give details in 100 words / web link.**

Canara Bank has implemented a robust Business Continuity Management (BCM) Plan to ensure preparedness in disaster situations. This comprehensive plan encompasses people, policies, standards and procedures aimed at maintaining the continuity, resumption and recovery of critical business processes. It is designed to minimize the impact of disasters on personnel, processes and infrastructure, while also reducing operational, financial, legal, regulatory and reputational risks. The Bank's Business Continuity Management System (BCMS) is fully aligned with the ISO 22301:2019 Standard, which provides an international framework for establishing and enhancing business continuity practices. This alignment enables Canara Bank to effectively manage disruptions, safeguarding its operations and stakeholders.

**6. Disclose any significant adverse impact to the Environment, arising from the Value Chain of the Entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.**

Not Applicable to Canara Bank.

**7. Percentage of Value Chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.**

Canara Bank undertook ESG assessment for its value chain partners as part of the BRSR Core requirements under the SEBI guidelines. The assessment covered value chain partners representing the top-75% of total purchase value i.e., around 14 suppliers. During the assessment, BRSR Core indicators were assessed and reviewed for openness to business, energy management, water management, waste management, emission inventory, labour practices, health & safety, human rights, MSME procurement, and data privacy.

**8. How many Green Credits have been generated or procured?**

- By the Listed Entity: Nil
- By the top-10 (in terms of value of purchases and sales respectively) value chain partners:  
Nil



सिद्धांत 7:

जब व्यवसाय सार्वजनिक और नियामक नीतियों को प्रभावित करने की प्रक्रिया में संलग्न हों, तो उन्हें ऐसे जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. a. व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के साथ संबद्धताओं की संख्या: 7
- b. उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (जिनका निर्धारण संबंधित निकाय के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर किया गया हो) की सूची दें, जिनका यह निकाय सदस्य है / जिसे यह संबद्ध है।

| क्र.सं | व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के नाम | व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों की पहुँच (राज्य राष्ट्रीय) |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1      | भारतीय बैंक संघ                         | राष्ट्रीय                                                   |
| 2      | भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान        | राष्ट्रीय                                                   |
| 3      | बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान             | राष्ट्रीय                                                   |
| 4      | राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान          | राष्ट्रीय                                                   |
| 5      | द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया        | राष्ट्रीय                                                   |
| 6      | भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम            | राष्ट्रीय                                                   |
| 7      | भारतीय हरित भवन परिषद                   | राष्ट्रीय                                                   |

Principle 7:

Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent.

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers / associations: 7
- b. List the top-10 trade and industry chambers / associations (determined based on the total members of such a body) the entity is a member of / affiliated to.

| Sl. No. | Name of the trade and industry chambers / associations | Reach of trade and industry chambers/ associations (State / National) |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1       | Indian Bank's Association                              | National                                                              |
| 2       | Indian Institute of Banking and Finance                | National                                                              |
| 3       | Institute of Banking Personnel Selection               | National                                                              |
| 4       | National Institute of Bank Management                  | National                                                              |
| 5       | The Clearing Corporation of India                      | National                                                              |
| 6       | National Payments Corporation of India                 | National                                                              |
| 7       | Indian Green Building Council                          | National                                                              |

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या जारी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

| प्राधिकारी का नाम                                                                                                                  | मामले का संक्षिप्त विवरण | की गई सुधारात्मक कार्रवाई |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| बैंक ने सभी प्रतिस्पर्धी विनियमों का अनुपालन किया है। अतः, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अनुपालन न करने का कोई मामला सामने नहीं आया है। |                          |                           |

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

| Name of authority                                                                                                                | Brief of the case | Corrective action taken |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| The Bank has been compliant with all competitive regulations, therefore, during the reporting period, no case of non-compliance. |                   |                         |

## नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीतिगत स्थितियों का विवरण:

| क्र.सं. | सार्वजनिक नीति के पक्षधर | इस तरह की वकालत के लिए इस्तेमाल किया गया तरीका | क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ / नहीं) | बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ तिमाही / अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें) | वेब लिंक, यदि उपलब्ध है तो |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| -       |                          |                                                |                                                          |                                                                                             |                            |

## Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

| Sl. No. | Public policy advocated | Method resorted for such advocacy | Whether information available in the public domain? (Yes / No) | Frequency of Review by Board (Annually / Half-Yearly / Quarterly / Others - please specify) | Web Link, if available |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| -       |                         |                                   |                                                                |                                                                                             |                        |

सिद्धांत 8:

कारोबार के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

नेतृत्व संकेतक

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में, लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एस.आई.ए.) का विवरण

| परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण | एस.आई.ए. अधिसूचना संख्या | अधिसूचना की तिथि | क्या यह किसी स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा परिचालित किया गया था (हाँ / नहीं) | परिणाम सार्वजनिक क्षेत्र में सूचित किए गए (हाँ / नहीं) | संबंधित वेब लिंक |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| -                                  |                          |                  |                                                                             |                                                        |                  |

Principle 8:

Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

- Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

| Name and brief details of project | SIA notification No. | Date of notification | Whether conducted by independent external agency (Yes / No) | Results communicated in public domain (Yes / No) | Relevant web link |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| -                                 |                      |                      |                                                             |                                                  |                   |

- उन परियोजना (ओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा वर्तमान में पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर&आर) का कार्य किया जा रहा है, और वह भी निम्नलिखित प्रारूप में:

| क्र.सं.                  | उस परियोजना का नाम जिसके लिए आर&आर (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) कार्य चल रहा है | राज्य | जिला | परियोजना से प्रभावित परिवारों (पी.ए.एफ.) की संख्या | आर&आर के अंतर्गत आने वाले पी.ए.एफ. का % | वित्तीय वर्ष में पी.ए.एफ. को भुगतान की गई राशि (रुपये में) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| केनरा बैंक पर लागू नहीं। |                                                                              |       |      |                                                    |                                         |                                                            |

- Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:

| Sl. No.                       | Name of Project for which R&R is ongoing | State | District | No. of Project Affected Families (PAFs) | % of PAFs covered by R&R | Amounts paid to PAFs in the FY (In INR) |
|-------------------------------|------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Not Applicable to Canara Bank |                                          |       |          |                                         |                          |                                         |

### 3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

समुदाय प्रमुख हितधारक होते हैं, और केनरा बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) टीम उनकी चिंताओं को दूर करने तथा बैंक की सामाजिक और पर्यावरणीय पहलों पर प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्राप्त करने के लिए उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ती है। बैंक 'सतत विकास और सी.एस.आर समिति' को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें सी.एस.आर. गतिविधियों, व्यय, प्रभावों और निष्कर्षों का विस्तृत विवरण होता है, जबकि निदेशक मंडल के समक्ष व्यापक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं। व्यय का वार्षिक लेखा परीक्षा और प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है तथा इसके निष्कर्षों को 'सतत विकास और सी.एस.आर पर निदेशक मंडल की उप-समिति' के साथ साझा किया जाता है। बैंक की सी.एस.आर नीति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, ताकि इसमें आवश्यक अद्यतन (अद्यतन) और सुधार शामिल किए जा सकें। कुछ मामलों में, एन.जी.ओ भागीदार समुदायों और सी.एस.आर. टीम के बीच संवाद को सुगम बनाने में सहायता करते हैं, जिससे किसी भी मुद्दे का प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके।

### 3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

Communities are key stakeholders, and Canara Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) team actively engages with them to address concerns and gather feedback on the Bank's social and environmental initiatives. The Bank submits quarterly reports to the Sustainable Development and CSR Committee detailing with CSR activities, expenditures, impacts and insights, while comprehensive annual reports are presented to the Board of Directors. Annual audits of expenditures and impact assessments are conducted, with findings shared with the Board's Sub-committee on Sustainable Development and CSR. The Bank's CSR policy is regularly reviewed to incorporate necessary updates and improvements. In certain cases, NGO partners assist in facilitating communication between communities and the CSR team, ensuring effective resolution of any issues.

Restricted

### 4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट का अनुपात):

|                                              | वित्त वर्ष 2025-26 | वित्त वर्ष 2024-25 |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| एम.एस.एम.ई. / छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त | 32%                | 28%                |
| सीधे भारत से प्राप्त                         | 100%               | 100%               |

### 4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from Suppliers:

|                                               | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| Directly sourced from MSMEs / small producers | 32%        | 28%        |
| Sourced directly from within India            | 100%       | 100%       |

5. छोटे शहरों में रोज़गार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (जिनमें स्थायी या अस्थायी / संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी या श्रमिक शामिल हैं) को भुगतान किए गए वेतन का विवरण, कुल वेतन लागत के प्रतिशत के रूप में दें:

| स्थान     | वित्त वर्ष 2025-26 | वित्त वर्ष 2024-25 |
|-----------|--------------------|--------------------|
| ग्रामीण   | 16.85%             | 13.74%             |
| अर्ध-शहरी | 22.58%             | 22.74%             |
| शहरी      | 28.82%             | 36.54%             |
| महानगरीय  | 31.75%             | 26.98%             |

5. Job creation in smaller towns - Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost.

| Location     | FY 2025-26 | FY 2024-25 |
|--------------|------------|------------|
| Rural        | 16.85%     | 13.74%     |
| Semi-urban   | 22.58%     | 22.74%     |
| Urban        | 28.82%     | 36.54%     |
| Metropolitan | 31.75%     | 26.98%     |

#### नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दें (संदर्भ: ऊपर दिए गए आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

| पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण | सुधारात्मक कार्रवाई |
|---------------------------------------------|---------------------|
| केनरा बैंक पर लागू नहीं।                    |                     |

#### Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

| Details of negative social impact identified | Corrective action taken |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Not applicable to Canara Bank                |                         |



2. सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए निर्धारित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सी.एस.आर. परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

| क्र.सं. | राज्य          | आकांक्षी जिला   | खर्च की गई राशि<br>(आई.एन.आए. राशि) |
|---------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1.      | आंध्र प्रदेश   | विशाखापट्टणम    | 312,400                             |
| 2.      | आंध्र प्रदेश   | विजयनगरम        | 375,000                             |
| 3.      | आंध्र प्रदेश   | वाई.एस.आर. कडपा | 1,917,350                           |
| 4.      | अरुणाचल प्रदेश | नामसाई          | 24,000                              |
| 5.      | असम            | बक्सा           | 72,000                              |
| 6.      | असम            | बारपेटा         | 72,000                              |
| 7.      | असम            | दरांग           | 125,349                             |
| 8.      | असम            | धुबरी           | 24,000                              |
| 9.      | असम            | गोलपाड़ा        | 48,000                              |
| 10.     | असम            | हैलाकांडी       | 24,000                              |
| 11.     | असम            | उदलगुड़ी        | 24,000                              |
| 12.     | बिहार          | अररिया          | 96,000                              |
| 13.     | बिहार          | औरंगाबाद        | 192,000                             |
| 14.     | बिहार          | बाँका           | 120,000                             |
| 15.     | बिहार          | बेगूसराय        | 1,393,914                           |
| 16.     | बिहार          | गया             | 2,269,440                           |
| 17.     | बिहार          | जमुई            | 157,966                             |
| 18.     | बिहार          | कटिहार          | 146,000                             |
| 19.     | बिहार          | खगरिया          | 72,000                              |
| 20.     | बिहार          | मुजफ्फरपुर      | 1,174,004                           |
| 21.     | बिहार          | नवादा           | 197,721                             |
| 22.     | बिहार          | पूर्णिया        | 386,000                             |
| 23.     | बिहार          | शेखपुरा         | 1,168,737                           |
| 24.     | बिहार          | सीतामढ़ी        | 192,000                             |
| 25.     | छत्तीसगढ़      | बस्तर           | 141,000                             |
| 26.     | छत्तीसगढ़      | बीजापुर         | 24,000                              |
| 27.     | छत्तीसगढ़      | दंतेवाड़ा       | 69,000                              |
| 28.     | छत्तीसगढ़      | कांकेर          | 24,000                              |
| 29.     | छत्तीसगढ़      | कोंडागांव       | 48,000                              |
| 30.     | छत्तीसगढ़      | कोरबा           | 48,000                              |
| 31.     | छत्तीसगढ़      | महासमुंद        | 144,000                             |
| 32.     | छत्तीसगढ़      | नारायणपुर       | 24,000                              |

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by Government bodies:

| Sl. No. | State             | Aspirational District | Amount spent (In INR) |
|---------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.      | Andhra Pradesh    | Visakhapatnam         | 312,400               |
| 2.      | Andhra Pradesh    | Vizianagaram          | 375,000               |
| 3.      | Andhra Pradesh    | Y.S.R. Cuddapah       | 1,917,350             |
| 4.      | Arunachal Pradesh | Namsai                | 24,000                |
| 5.      | Assam             | Baksa                 | 72,000                |
| 6.      | Assam             | Barpeta               | 72,000                |
| 7.      | Assam             | Darrang               | 125,349               |
| 8.      | Assam             | Dhubri                | 24,000                |
| 9.      | Assam             | Goalpara              | 48,000                |
| 10.     | Assam             | Hailakandi            | 24,000                |
| 11.     | Assam             | Udalguri              | 24,000                |
| 12.     | Bihar             | Araria                | 96,000                |
| 13.     | Bihar             | Aurangabad            | 192,000               |
| 14.     | Bihar             | Banka                 | 120,000               |
| 15.     | Bihar             | Begusarai             | 1,393,914             |
| 16.     | Bihar             | Gaya                  | 2,269,440             |
| 17.     | Bihar             | Jamui                 | 157,966               |
| 18.     | Bihar             | Katihar               | 146,000               |
| 19.     | Bihar             | Khagaria              | 72,000                |
| 20.     | Bihar             | Muzaffarpur           | 1,174,004             |
| 21.     | Bihar             | Nawada                | 197,721               |
| 22.     | Bihar             | Purnia                | 386,000               |
| 23.     | Bihar             | Sheikhpura            | 1,168,737             |
| 24.     | Bihar             | Sitamarhi             | 192,000               |
| 25.     | Chhattisgarh      | Bastar                | 141,000               |
| 26.     | Chhattisgarh      | Bijapur               | 24,000                |
| 27.     | Chhattisgarh      | Dantewada             | 69,000                |
| 28.     | Chhattisgarh      | Kanker                | 24,000                |
| 29.     | Chhattisgarh      | Kondagaon             | 48,000                |
| 30.     | Chhattisgarh      | Korba                 | 48,000                |
| 31.     | Chhattisgarh      | Mahasamund            | 144,000               |
| 32.     | Chhattisgarh      | Narayanpur            | 24,000                |

|     |                  |                 |           |
|-----|------------------|-----------------|-----------|
| 33. | छत्तीसगढ़        | राजनंदगांव      | 168,500   |
| 34. | छत्तीसगढ़        | सुकमा           | 24,000    |
| 35. | गुजरात           | दाहोद           | 24,000    |
| 36. | गुजरात           | नर्मदा          | 98,425    |
| 37. | हिमाचल प्रदेश    | चंबा            | 48,000    |
| 38. | जम्मू एंड कश्मीर | बारामुला        | 21,000    |
| 39. | जम्मू एंड कश्मीर | कुपवाड़ा        | 24,000    |
| 40. | झारखंड           | बोकारो          | 384,000   |
| 41. | झारखंड           | चतरा            | 56,000    |
| 42. | झारखंड           | दुमका           | 96,000    |
| 43. | झारखंड           | गढ़वा           | 120,000   |
| 44. | झारखंड           | गिरिडीह         | 168,000   |
| 45. | झारखंड           | गोड्डा          | 72,000    |
| 46. | झारखंड           | गुमला           | 72,000    |
| 47. | झारखंड           | हजारीबाग        | 2,054,256 |
| 48. | झारखंड           | खूंटी           | 24,000    |
| 49. | झारखंड           | लातेहार         | 72,000    |
| 50. | झारखंड           | लोहरदगा         | 48,000    |
| 51. | झारखंड           | पाकुर           | 24,000    |
| 52. | झारखंड           | पलामू           | 144,000   |
| 53. | झारखंड           | पश्चिमी सिंहभूम | 677,230   |
| 54. | झारखंड           | पूर्वी सिंहभूम  | 708,600   |
| 55. | झारखंड           | रामगढ़          | 168,000   |
| 56. | झारखंड           | रांची           | 8,651,037 |
| 57. | झारखंड           | साहिबगंज        | 48,000    |
| 58. | झारखंड           | सिमडेगा         | 96,000    |
| 59. | कर्नाटक          | रायचूर          | 3,300,040 |
| 60. | कर्नाटक          | यादगीर          | 1,610,650 |
| 61. | केरलम            | वायनाड          | 2,942,016 |
| 62. | मध्य प्रदेश      | बड़वानी         | 72,000    |
| 63. | मध्य प्रदेश      | छतरपुर          | 120,000   |
| 64. | मध्य प्रदेश      | दमोह            | 45,000    |
| 65. | मध्य प्रदेश      | गुना            | 93,000    |

|     |                  |                     |           |
|-----|------------------|---------------------|-----------|
| 33. | Chhattisgarh     | Rajnandgaon         | 168,500   |
| 34. | Chhattisgarh     | Sukma               | 24,000    |
| 35. | Gujarat          | Dohad               | 24,000    |
| 36. | Gujarat          | Narmada             | 98,425    |
| 37. | Himachal Pradesh | Chamba              | 48,000    |
| 38. | Jammu & Kashmir  | Baramulla           | 21,000    |
| 39. | Jammu & Kashmir  | Kupwara             | 24,000    |
| 40. | Jharkhand        | Bokaro              | 384,000   |
| 41. | Jharkhand        | Chatra              | 56,000    |
| 42. | Jharkhand        | Dumka               | 96,000    |
| 43. | Jharkhand        | Garhwa              | 120,000   |
| 44. | Jharkhand        | Giridih             | 168,000   |
| 45. | Jharkhand        | Godda               | 72,000    |
| 46. | Jharkhand        | Gumla               | 72,000    |
| 47. | Jharkhand        | Hazaribagh          | 2,054,256 |
| 48. | Jharkhand        | Khunti              | 24,000    |
| 49. | Jharkhand        | Latehar             | 72,000    |
| 50. | Jharkhand        | Lohardaga           | 48,000    |
| 51. | Jharkhand        | Pakur               | 24,000    |
| 52. | Jharkhand        | Palamu              | 144,000   |
| 53. | Jharkhand        | Pashchimi Singhbhum | 677,230   |
| 54. | Jharkhand        | Purbi Singhbhum     | 708,600   |
| 55. | Jharkhand        | Ramgarh             | 168,000   |
| 56. | Jharkhand        | Ranchi              | 8,651,037 |
| 57. | Jharkhand        | Sahibganj           | 48,000    |
| 58. | Jharkhand        | Simdega             | 96,000    |
| 59. | Karnataka        | Raichur             | 3,300,040 |
| 60. | Karnataka        | Yadgir              | 1,610,650 |
| 61. | Keralam          | Wayanad             | 2,942,016 |
| 62. | Madhya Pradesh   | Barwani             | 72,000    |
| 63. | Madhya Pradesh   | Chhatarpur          | 120,000   |
| 64. | Madhya Pradesh   | Damoh               | 45,000    |
| 65. | Madhya Pradesh   | Guna                | 93,000    |

|     |             |                      |           |
|-----|-------------|----------------------|-----------|
| 66. | मध्य प्रदेश | खंडवा                | 1,048,000 |
| 67. | मध्य प्रदेश | राजगढ़               | 1,457,552 |
| 68. | मध्य प्रदेश | सिंगरौली             | 48,000    |
| 69. | मध्य प्रदेश | विदिशा               | 216,000   |
| 70. | महाराष्ट्र  | गढ़चिरौली            | 7,224,000 |
| 71. | महाराष्ट्र  | नंदुरबार             | 72,000    |
| 72. | महाराष्ट्र  | उस्मानाबाद           | 1,296,000 |
| 73. | महाराष्ट्र  | वाशिम                | 48,000    |
| 74. | मेघालय      | रिभोई                | 48,000    |
| 75. | ओडिशा       | बलांगीर              | 436,500   |
| 76. | ओडिशा       | ढेंकनाल              | 216,990   |
| 77. | ओडिशा       | गजपति                | 160,000   |
| 78. | ओडिशा       | कालाहांडी            | 415,570   |
| 79. | ओडिशा       | कंधमाल               | 43,200    |
| 80. | ओडिशा       | कोरापुट              | 122,000   |
| 81. | ओडिशा       | मल्कानगिरी           | 44,000    |
| 82. | ओडिशा       | नबरंगपुर             | 88,000    |
| 83. | ओडिशा       | नुआपाड़ा             | 72,000    |
| 84. | ओडिशा       | रायगढ़               | 48,000    |
| 85. | पंजाब       | फिरोजपुर             | 168,000   |
| 86. | पंजाब       | मोगा                 | 144,000   |
| 87. | राजस्थान    | बारां                | 7,646,322 |
| 88. | राजस्थान    | धौलपुर               | 48,000    |
| 89. | राजस्थान    | जैसलमेर              | 24,000    |
| 90. | राजस्थान    | करौली                | 72,000    |
| 91. | राजस्थान    | सिरोही               | 296,000   |
| 92. | तमिलनाडु    | रामनाथपुरम           | 287,580   |
| 93. | तमिलनाडु    | विरुधुनगर            | 2,275,781 |
| 94. | तेलंगाना    | कुमुराम भीम आसिफाबाद | 48,000    |
| 95. | तेलंगाना    | भद्राद्रि कोतागुडेम  | 195,750   |
| 96. | तेलंगाना    | जयशंकर भूपालपल्ली    | 24,000    |
| 97. | त्रिपुरा    | धलाई                 | 24,000    |



|     |                |                          |           |
|-----|----------------|--------------------------|-----------|
| 66. | Madhya Pradesh | Khandwa                  | 1,048,000 |
| 67. | Madhya Pradesh | Rajgarh                  | 1,457,552 |
| 68. | Madhya Pradesh | Singrauli                | 48,000    |
| 69. | Madhya Pradesh | Vidisha                  | 216,000   |
| 70. | Maharashtra    | Gadchiroli               | 7,224,000 |
| 71. | Maharashtra    | Nandurbar                | 72,000    |
| 72. | Maharashtra    | Osmanabad                | 1,296,000 |
| 73. | Maharashtra    | Washim                   | 48,000    |
| 74. | Meghalaya      | Ribhoi                   | 48,000    |
| 75. | Odisha         | Bolangir                 | 436,500   |
| 76. | Odisha         | Dhenkanal                | 216,990   |
| 77. | Odisha         | Gajapati                 | 160,000   |
| 78. | Odisha         | Kalahandi                | 415,570   |
| 79. | Odisha         | Kandhamal                | 43,200    |
| 80. | Odisha         | Koraput                  | 122,000   |
| 81. | Odisha         | Malkangiri               | 44,000    |
| 82. | Odisha         | Nabarangapur             | 88,000    |
| 83. | Odisha         | Nuapada                  | 72,000    |
| 84. | Odisha         | Rayagada                 | 48,000    |
| 85. | Punjab         | Firozpur                 | 168,000   |
| 86. | Punjab         | Moga                     | 144,000   |
| 87. | Rajasthan      | Baran                    | 7,646,322 |
| 88. | Rajasthan      | Dhaulpur                 | 48,000    |
| 89. | Rajasthan      | Jaisalmer                | 24,000    |
| 90. | Rajasthan      | Karauli                  | 72,000    |
| 91. | Rajasthan      | Sirohi                   | 296,000   |
| 92. | Tamil Nadu     | Ramanathapuram           | 287,580   |
| 93. | Tamil Nadu     | Virudhunagar             | 2,275,781 |
| 94. | Telangana      | Kumuram Bheem Asifabad   | 48,000    |
| 95. | Telangana      | Bhadradri Kothagudem     | 195,750   |
| 96. | Telangana      | Jayashankar Bhupalapally | 24,000    |
| 97. | Tripura        | Dhalai                   | 24,000    |

|      |              |                |                   |
|------|--------------|----------------|-------------------|
| 98.  | उत्तर प्रदेश | बहराइच         | 358,000           |
| 99.  | उत्तर प्रदेश | बलरामपुर       | 122,000           |
| 100. | उत्तर प्रदेश | चंदौली         | 120,000           |
| 101. | उत्तर प्रदेश | चित्रकूट       | 333,000           |
| 102. | उत्तर प्रदेश | फ़तेहपुर       | 320,000           |
| 103. | उत्तर प्रदेश | श्रावस्ती      | 1,024,000         |
| 104. | उत्तर प्रदेश | सिद्धार्थनगर   | 237,000           |
| 105. | उत्तर प्रदेश | सोनभद्र        | 416,000           |
| 106. | उत्तर प्रदेश | हरिद्वार       | 518,300           |
| 107. | उत्तर प्रदेश | उधम सिंह नगर   | 376,000           |
| 108. | बिहार        | पूर्णिया       | 1,300,000         |
| 109. | हरियाणा      | मेवात          | 4,385,054         |
| 110. | सिक्किम      | पश्चिम जिला    | 44,000            |
| 111. | बिहार        | शेखपुरा        | 5,674,394         |
| 112. | आंध्र प्रदेश | कडपा           | 6,730,943         |
| 113. | हरियाणा      | मेवाठ (एनयूएच) | 580,133           |
| 114. | हरियाणा      | पुन्हाणा       | 410,313           |
| 115. | आंध्र प्रदेश | वाईएसआर कडपा   | 381,186           |
| 116. | केरलम        | वायनाड         | 466,328           |
|      |              | <b>कुल</b>     | <b>81,533,531</b> |

|      |                |                   |            |
|------|----------------|-------------------|------------|
| 98.  | Uttar Pradesh  | Bahraich          | 358,000    |
| 99.  | Uttar Pradesh  | Balrampur         | 122,000    |
| 100. | Uttar Pradesh  | Chandauli         | 120,000    |
| 101. | Uttar Pradesh  | Chitrakoot        | 333,000    |
| 102. | Uttar Pradesh  | Fatehpur          | 320,000    |
| 103. | Uttar Pradesh  | Shrawasti         | 1,024,000  |
| 104. | Uttar Pradesh  | Siddharthnagar    | 237,000    |
| 105. | Uttar Pradesh  | Sonbhadra         | 416,000    |
| 106. | Uttarakhand    | Haridwar          | 518,300    |
| 107. | Uttarakhand    | Udham Singh Nagar | 376,000    |
| 108. | Bihar          | Purnea            | 1,300,000  |
| 109. | Haryana        | Mewat             | 4,385,054  |
| 110. | Sikkim         | West District     | 44,000     |
| 111. | Bihar          | Sheikpura         | 5,674,394  |
| 112. | Andhra Pradesh | Kadapa            | 6,730,943  |
| 113. | Haryana        | Mewath (NUH)      | 580,133    |
| 114. | Haryana        | Punhana           | 410,313    |
| 115. | Andhra Pradesh | YSR Kadapa        | 381,186    |
| 116. | Kerala         | Wayanad           | 466,328    |
|      |                | Total             | 81,533,531 |

3. a. क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है, जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े / कमज़ोर समूहों से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)
- नहीं
- b. आप किन हाशिए पर पड़े / कमज़ोर समूहों से खरीद करते हैं?
- 
- c. कुल खरीद (मूल्य के आधार पर) यह कितना प्रतिशत है?
- 

3. a. Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising Marginalized / Vulnerable groups? (Yes/No)
- No
- b. From which Marginalized / Vulnerable groups do you procure?
- 
- c. What percentage of total procurement (by value) does it constitute?
-

4. आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित (चालू वित्तीय वर्ष में) उन बौद्धिक संपत्तियों से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण, जो पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हैं

| क्र. सं.  | पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा | स्वामित्व / अधिग्रहण (हाँ / नहीं) | लाभ साझा किया गया (हाँ / नहीं) | लाभ के हिस्से की गणना का आधार |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| लागू नहीं |                                        |                                   |                                |                               |

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:

| Sl. No.        | Intellectual Property based on traditional knowledge | Owned / Acquired (Yes / No) | Benefit shared (Yes / No) | Basis of calculating benefit share |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Not Applicable |                                                      |                             |                           |                                    |

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में, जिनमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है, किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण।

| प्राधिकरण का नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | की गई सुधारात्मक कार्रवाई |
|------------------|--------------------------|---------------------------|
| लागू नहीं        |                          |                           |

Restricted

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

| Name of Authority | Brief of the Case | Corrective action taken |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Not applicable    |                   |                         |

6. परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

| क्र. सं. | सीएसआर परियोजना                       | सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित लोगों की संख्या | कमज़ोर और हाशिए पर पड़े समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1        | सीएसआर प्रस्ताव                       | 10,936,699                                     | 79.24                                                    |
| 2        | सीएसआर - केनरा विद्या ज्योति (सीवीजे) | 45,670                                         | 100.00                                                   |
| 3        | सीएसआर - (सीईडी)                      | 17,631                                         | 87.29                                                    |
| 4        | सीएसआर - ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान    |                                                |                                                          |
|          | ए. आरसेटी                             | 42,607                                         | 100.00                                                   |
|          | बी. रुडसेटी                           | 29,533                                         | 100.00                                                   |
| 5        | सीएसआर - वित्तीय साक्षरता शिविर       | 3,206,414                                      | 45.00                                                    |
|          | कुल                                   | 14,278,554                                     | 71.73%                                                   |

## 6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

| Sl. No. | CSR Project                                       | No. of persons benefitted from CSR Projects | % of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1       | CSR Proposals                                     | 10,936,699                                  | 79.24                                                      |
| 2       | CSR - Canara Vidya Jyothi (CVJ)                   | 45,670                                      | 100.00                                                     |
| 3       | CSR - Centre For Entrepreneurship for Women (CED) | 17,631                                      | 87.29                                                      |
| 4       | CSR - Rural Training Institutes                   |                                             |                                                            |
|         | a. RSETI                                          | 42,607                                      | 100.00                                                     |
|         | b. RUDSETI                                        | 29,533                                      | 100.00                                                     |
| 5       | CSR - Financial Literacy Camp                     | 3,206,414                                   | 45.00                                                      |
|         | Total                                             | 14,278,554                                  | 71.73%                                                     |

### सिद्धांत 9:

कारोबार को अपने उपभोक्ताओं के साथ ज़िम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

#### आवश्यक संकेतक

- उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

बैंक ने शिकायत समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र लागू किया है, और इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- विविध पंजीकरण चैनल:** ग्राहक विभिन्न माध्यमों से आसानी से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिनमें बैंक की वेबसाइट पर शिकायत पोर्टल (सी पी जी आर एस), इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, टोल-फ्री कॉल सेंटर, ईमेल, सोशल मीडिया, टेलीफोन और बैंक की किसी भी शाखा / कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाना शामिल है। प्रत्येक शिकायत को आसानी से ट्रैक करने के लिए एक अद्वितीय संदर्भ संख्या दी जाती है। यदि ग्राहक बैंक के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपनी शिकायतों को बैंकिंग लोकपाल (सीएमएस पोर्टल के माध्यम से), सी पी जी आर ए एम एस, और आई एन जी आर ए एम तक आगे बढ़ा सकते हैं।
- एकीकृत समाधान मंच:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक शिकायत की एक अद्वितीय आईडी हो, हमारा बैंक सभी शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक ही मंच का उपयोग करता है। यह मंच शिकायतों को उनकी प्रकृति और उप-प्रकृति के

### PRINCIPLE 9 :

Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

#### Essential Indicators

- Describe the mechanisms in place to Receive and Respond to Consumer Complaints and Feedback.

Bank has implemented a centralized grievance redressal mechanism to streamline the complaint resolution process. Key features include:

- Multiple Registration Channels:** Customers can conveniently register complaints through various channels, including the Grievance Portal (CPGRS) at Bank's website, Internet banking, mobile banking, WhatsApp banking, Toll Free Call Centre, e-mail, social media, telephone and in person visit to any Branch/Office of the Bank. Each complaint is assigned with a unique reference number for easy tracking. If customers are not satisfied with the Bank's resolution, they can escalate their grievances to the Banking Ombudsman (via the CMS portal), CPGRAMS and INGRAM.
- Unified Resolution Platform:** To ensure each complaint has a unique ID, our Bank uses a single platform to manage all complaints. This platform



आधार पर वर्गीकृत करता है, जिससे पंजीकरण से लेकर समाधान तक की शिकायत निवारण प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है।

- **गुणवत्तापूर्ण समाधान:** केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतों का समाधान और उन्हें बंद करना प्रधान कार्यालय में विषय विशेषज्ञों द्वारा गहन विश्लेषण और समीक्षा प्रक्रिया के बाद ही किया जाए।
- **समय-सीमा का कड़ाई से पालन:** शिकायतों का समाधान निर्धारित शिकायत निवारण समय-सीमा के भीतर किया जा रहा है।
- **पुनः खोलने का विकल्प:** बैंक ग्राहकों को शिकायतें पुनः खोलने की प्रक्रिया प्रदान करता है। यदि ग्राहक पहल समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपनी शिकायत को पुनः खोलकर उसे आगे बढ़ा सकते हैं।
- **समाधान की समीक्षा:** समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान के माध्यम से निरंतर सुधार को बढ़ावा देने के लिए, ग्राहक सेवा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बंद शिकायतों की यादृच्छिक समीक्षा की प्रक्रिया लागू की गई है।
- **शिकायत विस्तार तंत्र:** एकरूपता और उच्च-स्तरीय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, पुनः खोली गई सभी शिकायतों को प्रधान कार्यालय स्थित ग्राहक सेवा विभाग को भेजा जाता है, और उनका समाधान केवल विभाग प्रमुख की सहमति से ही किया जाता है।
- **आंतरिक लोकपाल की निगरानी:** शिकायत निवारण और आंतरिक लोकपाल ढांचे को नियंत्रित करने वाले आर बी आई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकृत के रूप में चिह्नित सभी शिकायतों को विचारार्थ आंतरिक लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और शिकायतकर्ता को भेजे जाने वाले बाद के संचार में आंतरिक लोकपाल का निर्णय परिलक्षित होगा। आंतरिक लोकपाल योजना के अनुसार, बैंक द्वारा प्राप्त सभी शिकायतें, जिन्हें बैंक द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत किया गया है, उन्हें उनके विचारों के लिए स्वचालित रूप से आंतरिक लोकपाल के पास भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग लोकपाल से संबंधित सभी शिकायतों को भी आंतरिक लोकपाल के पास भेजा जाता है।
- **उच्च प्रबंधन द्वारा ग्राहक-केंद्रित समीक्षा :** उच्च प्रबंधन बेतरतीब तरीके से लगभग 20 बंद शिकायतों को चुनता है और उनकी समीक्षा करता है। इसके अलावा, एक कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली एक त्रैमासिक समिति, ग्राहक सेवा, शिकायतों और उत्पादों / सेवाओं में सुधार के सुझावों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए देश भर के

classifies complaints based on their nature and sub-nature, streamlining the grievance redressal process from registration to resolution.

- **Quality Resolution:** The centralized grievance redressal mechanism ensures that complaints are resolved and closed at head office by subject matter specialists after a thorough analysis and review process.
- **Strict adherence to time norms:** Complaints are being resolved within the prescribed grievance redressal timeframe.
- **Reopening Option:** Bank provides a process for customers to reopen complaints. Customers can escalate their complaint by reopening it if they are not satisfied with the initial resolution.
- **Review of the Resolution:** A process of random review of closed complaints is implemented within the Customer Service Vertical by senior executives to ensure quality of resolution and to facilitate continuous improvement through the identification of areas requiring enhancement.
- **Grievance Escalation Mechanism:** To ensure consistency and high-level oversight, all reopened complaints are escalated to the Customer Service Vertical at head office and are resolved only with the concurrence of the Vertical Head.
- **Internal Ombudsman Oversight:** Pursuant to RBI guidelines governing grievance redressal and the Internal Ombudsman framework, all complaints marked as fully or partially rejected by Bank shall be submitted to the Internal Ombudsman for consideration, and the subsequent communication to the complainant shall reflect the decision of the Internal Ombudsman. Pursuant to Internal Ombudsman scheme, all complaints received by the Bank, partially or completely rejected by the bank, are automatically referred to the Internal Ombudsman for their views. In addition, all Banking Ombudsman complaints are referred to the Internal Ombudsman.
- **Customer-centric Review by Top Management:** Top management randomly selects and reviews around 20 closed complaints. Separately, a quarterly committee, headed by an Executive Director, engages directly with customers nationwide to gather feedback on customer service, grievances,

ग्राहकों के साथ सीधे तौर पर जुड़ती है। ग्राहक सेवा वर्टिकल के महाप्रबंधक और उप-महाप्रबंधक, पिछले दिन बंद की गई सभी शिकायतों में से 10% की समीक्षा करते हैं।

- **शिकायत के समाधान पर ग्राहक की प्रतिक्रिया:** शिकायत बंद होने पर, बैंक शिकायत करने वाले से एसएमएस और / या ईमेल के ज़रिए बात करता है, और दिए गए समाधान के आधार पर बैंक के शिकायत समाधान सिस्टम का मूल्यांकन करने के लिए कहता है। इसके अलावा, हमारा कॉल सेंटर ग्राहक को उनके फ़ीडबैक रिकॉर्ड करने के लिए बाद में टेलीफ़ोन कॉल करता है।
- **मूल कारण विश्लेषण (आर.सी.ए):** शिकायतों का बार-बार, गहराई से मूल कारण विश्लेषण (आर.सी.ए) हितधारक की भागीदारी से किया जाता है ताकि मामले का सही कारण पता लगाया जा सके और सभी एंड-यूज़र्स के लिए बैंक में सुधार के उपाय लागू किए जा सकें।
- **शिकायत विश्लेषण, रिपोर्टिंग और सार्वजनिक प्रकटीकरण:** बैंक ग्राहकों की शिकायतों का नियमित विश्लेषण करता है, सामरिक मार्गदर्शन के लिए शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड को निष्कर्षों की रिपोर्ट करता है। पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट और अपनी वेबसाइट पर शिकायत डेटा भी प्रकाशित करता है।
- उपरोक्त उपाय और तंत्र ग्राहक शिकायतों के समय पर और प्रभावी समाधान को प्राथमिकता देते हैं, स्थापित समय-सीमा का पालन करते हैं और शिकायत निवारण प्रक्रिया और ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार लाने के लिए ग्राहक प्रतिक्रिया को सक्रिय रूप से एकत्रित और विश्लेषण करते हैं।

and suggestions for product/service improvement. The General Manager and Deputy General Manager of the Customer Service Vertical review 10% of all complaints on previous day closed.

- **Customer Feedback on Grievance Resolution:** Upon the closure of a complaint, the Bank communicates with the complainant via SMS and/or e-mail, requesting an evaluation of the Bank's grievance resolution mechanism based on the provided resolution. Furthermore, a subsequent telephone call is made to the customer by our Call Centre to record their feedback responses.
- **Root Cause Analysis (RCA):** Frequent, in-depth root cause analysis (RCA) of complaints are conducted with stakeholder participation to determine the precise cause of concern and implement corrective measures across the Bank for all end-users.
- **Complaint analysis, reporting, and public disclosure:** The Bank conducts regular analysis of customer complaints, reporting the findings to top management and the board for strategic guidance. In line with its commitment to transparency, the Bank also publishes complaint data in its annual report and on its website.
- The above measures and mechanisms prioritize timely and effective resolution of customer grievances, adhering to established timeframes and actively collecting and analyzing customer feedback to drive continuous improvement in the grievance redressal process and customer service.

## 2. सभी उत्पादों / सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और / सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

| विवरण                                          | कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड | -                                 |
| सुरक्षित और ज़िम्मेदार उपयोग                   |                                   |
| पुनर्चक्रण और / या सुरक्षित निपटान             |                                   |

## 2. Turnover of products and / services as a percentage of turnover from all products / service that carry information about:

| Particulars                                                 | As a percentage of total turnover |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Environmental and social parameters relevant to the product | -                                 |
| Safe and responsible usage                                  |                                   |
| Recycling and / or safe disposal                            |                                   |

### 3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :

| विवरण                     | वित्तीय वर्ष 2025-26  |                              | टिप्पणी                                         | वित्तीय वर्ष 2024-25  |                              | टिप्पणी                                                                       |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                           | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित समाधान |                                                 | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित समाधान |                                                                               |
| डेटा गोपनीयता             | -                     | -                            | -                                               | -                     | -                            | -                                                                             |
| विज्ञापन                  | -                     | -                            | -                                               | -                     | -                            | -                                                                             |
| साइबर सुरक्षा             | 23,518*               | 34                           | शिकायतों की समीक्षा की जा रही है।               | 9,871                 | 120                          | -                                                                             |
| आवश्यक सेवाओं का निष्पादन | 2,72,325#             | 1,900                        | समाधान के लिए शिकायतों की समीक्षा की जा रही है। | 2,60,675              | 2,212                        | आगामी तिमाही, वित्तीय वर्ष 25-26 दौरान प्राप्त शिकायतों की समाधान किया जाएगा। |
| प्रतिबंधक                 | -                     | -                            | -                                               | -                     | -                            | -                                                                             |
| व्यापार आचरण              | -                     | -                            | -                                               | -                     | -                            | -                                                                             |
| अन्य उपभोक्ता शिकायतें    | 1,18,088              | 0                            | सभी शिकायतें हल हो गईं                          | 1,26,538              | 0                            | अगली तिमाही, वित्तीय वर्ष 25-26 में शिकायतों का समाधान किया जाएगा।            |

\*: शिकायतें प्रकृति म्यूल अकाउंट्स से जुड़ी हैं और यूईबीटी को इस उप-प्रकृति में बांटा गया है।

#: स्वाभाविक एटीएम / डेबिट कार्ड, इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, खाता खोलने / खातों के परिचालन में कठिनाई, पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों / दिव्यांगों के लिए सुविधाएं, ऋण और अग्रिम, बिना पूर्व सूचना के प्रभार लगाना / अत्यधिक प्रभार लगाना / पूर्व समापन प्रभार, चेक / ड्राफ्ट / बिल, निष्पक्ष आचरण संहिता का पालन न करना, सिक्कों के आदान-प्रदान, छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और सिक्कों को जारी करना / स्वीकार करना, कर्मचारियों का व्यवहार और शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं / शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन करने संबंधी इन सभी से संबंधित शिकायतों को 'आवश्यक सेवाओं के वितरण की' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

| Particulars                    | FY 2025-26               |                                   | Remarks                                 | FY 2024-25               |                                   | Remarks                                            |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                | Received during the year | Pending resolution at end of year |                                         | Received during the year | Pending resolution at end of year |                                                    |
| Data privacy                   | -                        | -                                 | -                                       | -                        | -                                 | -                                                  |
| Advertising                    | -                        | -                                 | -                                       | -                        | -                                 | -                                                  |
| Cyber-security                 | 23,518*                  | 34                                | Complaints under review.                | 9,871                    | 120                               | -                                                  |
| Delivery of essential services | 2,72,325#                | 1,900                             | Complaints under review for resolution. | 2,60,675                 | 2,212                             | Complaints resolved in the next quarter, FY 25-26. |
| Restrictive Trade Practices    | -                        | -                                 | -                                       | -                        | -                                 | -                                                  |
| Unfair Trade Practices         | -                        | -                                 | -                                       | -                        | -                                 | -                                                  |
| Other Consumer Complaints      | 1,18,088                 | 0                                 | All complaints resolved                 | 1,26,538                 | 0                                 | Complaints resolved in the next quarter, FY 25-26. |

\*: Complaints pertaining to Natures: Mule Accounts and UEBT are classified under this sub-nature.

#: Complaints pertaining to Natures: ATM / Debit Cards, Internet / Mobile / Electronic Banking, account opening / difficulty in operation of accounts, pension and facilities for senior citizens/differently-abled, loans and advances, levy of charges without prior notice / excessive charges / foreclosure charges, cheques / drafts / bills, non-observance of fair practice code, exchange of coins, issuance / acceptance of small denomination notes and coins, staff behaviour and facilities for customers visiting the branch / adherence to prescribed working hours by the branch are classified in Delivery of Essential Services.

4. सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

| विवरण                | संख्या                   | पुनर्स्मरण के कारण |
|----------------------|--------------------------|--------------------|
| स्वैच्छिक पुनर्स्मरण | केनरा बैंक पर लागू नहीं। |                    |
| जबरन पुनर्स्मरण      |                          |                    |

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

| Particulars       | Number                        | Reasons for Recall |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| Voluntary Recalls | Not applicable to Canara Bank |                    |
| Forced Recalls    |                               |                    |

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा / नीति है? (हां / नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, केनरा बैंक ने साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के खतरों से दिशानिर्देशों और नीति बनाई है। इस फ्रेमवर्क को बोर्ड से मंजूर कई दिशानिर्देश का समर्थन है, जिसमें सूचना सुरक्षा पॉलिसी, साइबर सुरक्षा नीति, सूचना सुरक्षा दिशानिर्देशों और साइबर संकट प्रबंधन योजना शामिल हैं। साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, बैंक ने धोखाधड़ी का पता लगाने और तेज़ी से जवाब देने के लिए एक मज़बूत आईटी ढाँचा बनाया है। मज़बूत साइबर सुरक्षा उपाय ग्राहकों के लेन-देन को शुरू से आखिर तक सुरक्षित रखते हैं। बैंक का समर्पित सूचना सुरक्षा समूह (ISG) और ग्रुप चीफ इन्फॉर्मेशन सुरक्षा ऑफिसर (GCISO) लगातार सुरक्षा पक्का करने के लिए इन कोशिशों की देखरेख करते हैं। इसके अलावा, बैंक ग्राहकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और इसकी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर एक साफ़ गोपनीयता नीति खास तौर पर मौजूद है: <https://www.canarabank.bank.in/pages/Privacy-and-Cookies-Policy>

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई / जुर्माना।

केनरा बैंक विज्ञापन, आवश्यक सेवाओं का निष्पादन, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के क्षेत्र में उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैंक ने इन क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए कई पहलों को सुदृढ़ और विस्तारित किया है:

1. **ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना:** पूर्व प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, बैंक का समर्पित ग्राहक सेवा वर्टिकल-जो 1 अप्रैल, 2023 को बनाया गया था-सेवा गुणवत्ता में लगातार बढ़े सुधार कर रहा है। इस वर्टिकल ने पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले ग्राहकों की शिकायतों में और कमी लाने में मदद की है। बार-बार आने वाली समस्याओं के लिए गहन 'मूल कारण विश्लेषण' (Root Cause Analysis) करके और संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करते हुए, बैंक समय पर सुधारात्मक कदम उठाता है, ताकि लगातार उच्च-गुणवत्ता वाली सेवा और ग्राहकों की बेहतर संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके।

5. Does the Entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes. Canara Bank has established a comprehensive framework and policy addressing cybersecurity and data privacy risks. This framework is supported by a range of Board-approved guidelines, including the Information Security Policy, Cyber Security Policy, Information Security Guidelines and Cyber Crisis Management Plan. Prioritizing cybersecurity, the Bank has developed a robust IT infrastructure designed to detect fraud and enable rapid responses. Strong cybersecurity measures safeguard customer transactions end-to-end. The Bank's dedicated Information Security Group (ISG) and Group Chief Information Security Officer (GCISO) oversee these efforts to ensure continuous protection. Additionally, the Bank is committed to protecting customer privacy, with a clear privacy policy prominently available on its corporate website: <https://www.canarabank.bank.in/pages/Privacy-and-Cookies-Policy>

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

Canara Bank remains steadfast in upholding high standards in advertising, essential service delivery, cybersecurity and data privacy. The Bank has reinforced and expanded several initiatives to address these areas effectively:

1. **Customer Service Enhancement:** Building on previous efforts, the Bank's dedicated Customer Service Vertical - established on April 1, 2023 - continues to drive significant improvements in service quality. This vertical has contributed to a further reduction in customer complaints compared to the prior fiscal year. By conducting thorough Root Cause Analysis for recurring issues and collaborating closely with relevant departments, the Bank implements timely corrective actions to ensure consistent, high-quality service and enhanced customer satisfaction.



2. **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता:** केनरा बैंक ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति में लगातार सुधारों और कठोर, नियमित लेखापरीक्षा के माध्यम से अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को और मज़बूत किया है, ताकि डेटा सुरक्षा के बदलते मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। व्यापक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों की जागरूकता और तत्परता को लगातार सुदृढ़ किया जाता है, जिससे ग्राहक डेटा को सुरक्षित रखने और जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद मिलती है।

3. **विज्ञापन और उत्पाद सुरक्षा:** बैंक पारदर्शी और सटीक विज्ञापन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना जारी रखता है। उत्पाद या सेवा सुरक्षा से संबंधित उत्पाद वापस मंगाए जाने (रिकॉल) या नियामक दंड की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है। इन मानकों को बनाए रखने और ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के लिए, निरंतर निगरानी और अनुपालन समीक्षाएँ की जाती हैं।

ये निरंतर प्रयास केनरा बैंक की अपने ग्राहकों की सुरक्षा करने और सभी मोर्चों पर बेहतरीन सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हैं।

2. **Cybersecurity and Data Privacy:** Canara Bank has strengthened its cybersecurity framework with ongoing enhancements to its Cyber Security Policy and rigorous, regular audits to ensure compliance with evolving data protection standards. Employee awareness and preparedness are continuously reinforced through comprehensive cybersecurity training programs, helping to safeguard customer data and mitigate risks effectively.

3. **Advertising and Product Safety:** The Bank continues to adhere strictly to transparent and accurate advertising guidelines. There have been no reported incidents of product recalls or regulatory penalties related to product or service safety. Continuous monitoring and compliance reviews are maintained to uphold these standards and foster customer trust.

These sustained efforts reinforce Canara Bank's commitment to protecting its customers and delivering exceptional services across all fronts.

## 7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: **Restricted**

- डेटा उल्लंघन की घटनाओं की संख्या: शून्य
- ग्राहक के व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत: 0%
- डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो, तो: शून्य

## 7. Provide the following information relating to data breaches:

- Number of instances of data breaches: Nil
- Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers: 0%
- Impact, if any, of the data breaches: None

### नेतृत्व संकेतक

#### 1. चैनल / प्लेटफॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

बैंक के उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी कई माध्यमों से उपलब्ध कराई जाती है, ताकि सभी के लिए आसान और समावेशी पहुँच सुनिश्चित की जा सके। ग्राहक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट और केनरा एआई1 सुपर ऐप तथा इंटरनेट बैंकिंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों / सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं; ये प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में उत्पादों का विवरण और सेवाओं की कार्यप्रणाली उपलब्ध कराते हैं।

बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग, वेब चैटबॉट और ग्राहक सहायता चैनलों के ज़रिए भी उत्पादन और सेवा की जानकारी देता है; इन चैनलों में एक 24x7 कॉल सेंटर भी शामिल है जो कई भाषाओं में सेवा देता है।

### Leadership Indicators

#### 1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available)

Information on the Bank's products and services is made available through multiple channels to ensure easy and inclusive access. Customers can access product / service information through the Bank's official website and digital platforms such as the Canara ai1 Super App and Internet Banking, which provide product details and service functionalities in multiple languages.

The Bank also provides product and service information through WhatsApp Banking, web chatbots, and customer support channels including a 24x7 call centre that offers services across multiple languages.

इसके अतिरिक्त, ग्राहक बैंक की शाखाओं और बैंकिंग आउटलेट्स के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो अंतिम-मील तक पहुँच और समावेशन को सुनिश्चित करता है।

## 2. उत्पादों और / या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

बैंक, बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, व्यवस्थित ग्राहक शिक्षा और जागरूकता पहल करता है। इसमें इसके वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफ.एल.सी.) के माध्यम से चलाए जाने वाले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्होंने इस वर्ष के दौरान 30,407 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए, जिनके ज़रिए 26,61,629 लोगों तक पहुँच बनाई गई। सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल इस्तेमाल के लिए, बैंक साइबर सुरक्षा जागरूकता पहल चलाता है और लगातार जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करता है, जैसे कि 'साइबर जागरूकता दिवस' (हर महीने) और 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह' (अक्टूबर), जिसमें ग्राहकों सहित सभी संबंधित पक्षों को शामिल किया जाता है। बैंक, व्हाट्सएप बैंकिंग, और वेब चैटबॉट जैसे डिजिटल माध्यमों से ग्राहकों को सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर सुरक्षित उपयोग को भी बढ़ावा देता है; इसके साथ ही, ग्राहकों के सवाल और सेवा संबंधी मार्गदर्शन के लिए कई भाषाओं में 24x7 कॉल सेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है।

## 3. आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार के व्यवधान या उनकी समाप्ति के जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र स्थापित हैं।

बैंक के पास महत्वपूर्ण परिचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करने और आपदाओं या सुरक्षा संबंधी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली बाधाओं सहित व्यवधानों का प्रबंधन करने के लिए एक संरचित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और सहायक मानक परिचालन प्रक्रियाएँ हैं। बैंक एक आपदा पुनर्प्राप्ति साइट भी रखता है, समय-समय पर अभ्यास करता है, और सेवा वितरण की सुदृढ़ता तथा निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी निरंतरता प्रक्रियाओं को अद्यतन करता रहता है।

प्रौद्योगिकी या साइबर घटनाओं से जुड़ी रुकावटों के लिए, बैंक 24x7 सिंक्रोरीटी ऑपरेशंस सेंटर (एस.ओ.सी.) चलाता है और उसके पास एक तय साइबर सिंक्रोरीटी फ्रेमवर्क है। यह फ्रेमवर्क पहले से निगरानी रखने और समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, जिससे सेवा से जुड़ी समस्याओं के दौरान काम में रुकावट न आए और ग्राहकों को सही समय पर उचित सहायता मिल सके।

ग्राहक, सेवा में रुकावट के दौरान बैंक के 24x7 कस्टमर सपोर्ट / कॉल सेंटर और ग्राहक से जुड़ने के अन्य माध्यमों (डिजिटल प्लेटफॉर्म और शिकायत / फ़ीडबैक के मार्ग) के ज़रिए समय पर अद्यतन और

Additionally, customers may obtain information through the Bank's wide physical network of branches and banking outlets supporting last-mile access and inclusion.

## 2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

The Bank undertakes structured customer education and awareness initiatives to promote safe and responsible use of banking products and services. This includes financial literacy programmes delivered through its Financial Literacy Centres (FLCs), which conducted 30,407 financial literacy camps reaching 26,61,629 individuals during the year. For safe and responsible digital usage, the Bank runs cybersecurity awareness initiatives and conducts ongoing awareness activities such as Cyber Jagrukta Diwas (monthly) and National Cyber Security Awareness Month (October), covering stakeholders including customers. The Bank also promotes safe usage by enabling customers to access assistance and guidance through digital engagement channels such as WhatsApp Banking and web chatbots, along with a 24x7 call centre to support customer queries and service guidance in multiple languages.

## 3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption / discontinuation of essential services.

The Bank has a structured Business Continuity Plan (BCP) and supporting Standard Operating Procedures to ensure continuity of critical operations and to manage disruptions, including those arising from disasters or security events. The Bank also maintains a Disaster Recovery site, conducts periodic drills, and updates its continuity procedures to ensure resilience and continuity of service delivery.

For disruption events relating to technology or cyber incidents, the Bank operates a 24x7 Security Operations Centre (SOC) and has a defined cyber security framework that supports proactive monitoring and timely action, enabling continuity and appropriate customer support during service issues.

Customers can obtain timely updates and assistance during service interruptions through the Bank's

सहायता पा सकते हैं; ये माध्यम लगातार सहायता और बातचीत उपलब्ध कराने के लिए ही बनाए गए हैं।

**4. क्या संस्था, स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अलावा, उत्पाद पर अतिरिक्त उत्पाद जानकारी भी प्रदर्शित करती है? (हाँ / नहीं / लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण दें।**

हाँ, नियामक आवश्यकताओं से परे, बैंक 'ग्राहक अधिकार नीति' और 'शिकायत निवारण नीति' जैसे औपचारिक ग्राहक सुरक्षा ढाँचों के माध्यम से ग्राहकों के प्रति अतिरिक्त पारदर्शिता और जागरूकता बनाए रखता है; ये नीतियाँ बैंक के काउंटर्स, डिजिटल माध्यमों, फ़ोन, इंटरनेट और अन्य तरीकों से दी जाने वाली सभी प्रकार की सेवाओं और उत्पादों पर लागू होती हैं।

बैंक, व्याट्सएप बैंकिंग, वेब चैटबॉट और अपने 24x7 कॉल सेंटर (कई भाषाओं में सहायता) जैसे कई ग्राहक संबंधी जानकारी और सहायता चैनलों के ज़रिए ग्राहकों की समझ को और बेहतर बनाता है। ये चैनल बुनियादी कानूनी जानकारी के अलावा, मार्गदर्शन और सेवाओं से जुड़ी जानकारी भी देते हैं।

इसके अलावा, बैंक के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों और बड़े पैमाने पर आयोजित साक्षरता शिविरों का उपयोग, वित्तीय उत्पादों और ज़िम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं के प्रति उपभोक्ताओं की जागरूकता और समझ को मज़बूत करने के लिए किया जाता है।

**5. क्या आपकी संस्था ने संस्था के मुख्य उत्पादों / सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों, या पूरी संस्था के संबंध में उपभोक्ता संतुष्टि को लेकर कोई सर्वेक्षण किया है? (हाँ / नहीं)**

हाँ, बैंक औपचारिक मूल्यांकन तंत्रों के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि को मापता है, और वर्ष के लिए 'ग्राहक संतुष्टि स्कोर' (सीएसएसटी) तथा 'नेट प्रमोटर स्कोर' (एनपीएस) पर रिपोर्ट जारी करता है; जिसमें बैंक के प्रमुख उत्पादों और सेवाओं को शामिल किया जाता है। ये सर्वेक्षण समय-समय पर ग्राहकों के विभिन्न वर्गों के बीच किए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक वर्ग के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए अलग-अलग प्रश्न-समूह शामिल होते हैं। बैंक का कुल सीएसएसटी 85.54% है। संतुष्टि स्कोर के अलावा, बैंक लगातार मिलने वाले फ़ीडबैक और सेवा निगरानी तंत्रों का उपयोग करता है; इन तंत्रों को ग्राहक सेवा प्रणालियों और जुड़ाव माध्यमों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें बैंक के व्यवस्थित शिकायत और फ़ीडबैक प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं।

24x7 customer support / call centre and other customer engagement channels (digital platforms and grievance / feedback routes) which are designed to provide continuous support and communication.

**4. Does the Entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief.**

Yes, beyond regulatory requirements, the Bank maintains additional customer transparency and awareness through formal customer protection frameworks such as the Customer Rights Policy and Grievance Redressal Policy, which apply across products / services delivered across counters, digital channels, phone, internet and other modes.

The Bank further supports customer understanding through multiple customer-facing information and assistance channels such as WhatsApp Banking, web chatbots, and its 24x7 call centre (multi-language support), which provide guidance and service-related information beyond basic statutory disclosures.

In addition, the Bank's financial literacy programmes and large-scale literacy camps are used to strengthen consumer awareness and understanding of financial products and responsible banking practices.

**5. Did your Entity carry out any survey with regard to Consumer Satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)**

Yes. The Bank measures customer satisfaction through formal assessment mechanisms and reports on Customer Satisfaction Score (CSAT) and Net Promoter Score (NPS) for the year, covering major products and services for the bank. The surveys are periodically carried out across different customer segments with different sets of questions tailored to each segment. The overall CSAT for the Bank stands at 85.54%. In addition to scoring satisfaction, the Bank uses ongoing feedback and service monitoring mechanisms, supported by customer service systems and engagement channels, including its structured grievance and feedback platforms.

## मूल्य श्रृंखला मूल्यांकन पर प्रकटीकरण:

“संबंधित परिपत्रों और व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) पर परामर्श पत्र के तहत सेबी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप, सूचीबद्ध संस्थाओं को बीआरएसआर को मापदंडों के आधार पर अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन करने और परिणामों का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह ढांचा मूल्य के हिसाब से 2 प्रतिशत या उससे अधिक की खरीद या बिक्री में योगदान देने वाले प्रमुख अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम भागीदारों को शामिल करना अनिवार्य बनाता है, जिसमें खरीद और बिक्री के कुल 75 प्रतिशत तक का प्रतिनिधित्व करने वाले भागीदारों तक खुलासे को सीमित करने की छूट है।

अधिदेश के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, केनरा बैंक ने बीआरएसआर के मुख्य ढांचा के अनुरूप अपने प्रमुख (अपस्ट्रीम) मूल्य श्रृंखला भागीदारों का मूल्यांकन किया। लेखापरीक्षा किए गए आंकड़ों के आधार पर, 2% और उससे अधिक की सीमा के अनुसार प्रमुख अपस्ट्रीम मूल्य श्रृंखला भागीदारों की पहचान की गई, जो कुल खरीद मूल्य का 75 प्रतिशत हिस्सा है। आंकड़ा एकत्र करने और पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन मापदंडों के आधार पर जानकारी प्रकट करने के लिए भागीदारों के साथ प्रमुख बीआरएसआर मुख्य संकेतकों वाली एक संरचित प्रश्नावली साझा की गई। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करके प्रकटीकरण कवरेज और निरंतरता का आकलन किया गया, जिसकी तुलना औसत प्रकटीकरण स्तर से की गई। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणाम का उपयोग हितधारकों की सहभागिता को निर्देशित करने, ईएसजी प्रकटीकरण को मजबूत करने और बैंक की मूल्य श्रृंखला में बेहतर स्थिरता एकीकरण का समर्थन करने के लिए किया जाएगा।”

## Disclosure on Value Chain Assessment:

“In line with SEBI requirements prescribed under the relevant circulars and the consultation paper on Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR), listed entities are encouraged to conduct an assessment of their value chain partners based on the BRSR Core parameters and disclose the outcomes. The framework mandates coverage of key upstream and downstream partners contributing 2 percent or more of purchases or sales by value, with the flexibility to limit disclosures to partners cumulatively representing up to 75 percent of purchases and sales.

In line with the mandate, during FY 2025-26, Canara Bank undertook assessment of its upstream value chain partners aligned with the BRSR Core framework. Based on audited data, upstream value chain partners were identified, as per 2% and above threshold, collectively accounting for 75 percent of total procurement by value. A structured questionnaire with key BRSR Core Indicators was shared with the partners to capture the data and disclose across environmental, social, and governance parameters. The responses received were reviewed to assess disclosure coverage and consistency, benchmarked against the average disclosure level. The assessment outcome will further be used to guide stakeholder engagement, strengthen ESG disclosures, and support enhanced sustainability integration across the Bank's value chain.”



## निष्पक्ष आश्वासन रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु केनरा बैंक के बीआरएसआर  
(मुख्य संकेतक) पर निष्पक्ष आश्वासन रिपोर्ट।

सेवा में,  
निदेशक मंडल  
केनरा बैंक  
112, जे सी रोड, टाउन हॉल  
बेंगलूरु, कर्नाटक, भारत - 560002

### आश्वासन का स्वरूप

मुझे केनरा बैंक के क्रय आदेश संख्या CPVMW:STEPS: ORD:1045:2025-26 दिनांक 27.03.2026 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट कोर (बीआरएसआर मुख्य संकेतक) के लिए आश्वासन प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

तदनुसार, मैंने अपने टीम सदस्यों के साथ मिलकर केनरा बैंक ("बैंक") के लिए बैंक की कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) ("रिपोर्ट") में बताए गए बीआरएसआर (मुख्य संकेतक) के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित निष्पक्ष आश्वासन करने का दायित्व उठाया है। यह रिपोर्ट बीआरएसआर फ्रेमवर्क के जिम्मेदार कारोबार आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन करते हुए तैयार की गई है, जिसमें पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) संकेतकों के आधार पर बैंक के कार्यनिष्पादन को शामिल किया गया है और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (संशोधित) ("एलओडीआर विनियम") के विनियम 34(2)(एफ) की आवश्यकता के अनुसार है।

### प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बीआरएसआर में दी गई जानकारी और उसका प्रस्तुतीकरण बैंक के निदेशकों या शासी निकाय और प्रबंधन की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में शामिल किसी भी सामग्री की तैयारी में हम शामिल नहीं रही हैं।

हमारा उत्तरदायित्व आश्वासन के परिभाषित दायरे में मूल पाठ, डेटा, ग्राफ और अभिव्यक्तियों पर राय व्यक्त करना है, जिसका उद्देश्य बैंक के प्रबंधन को सूचित करना है, जो संदर्भ की सहमति शर्तों के अनुरूप है। हम इस विशेष उद्देश्य से परे कोई भी दायित्व स्वीकार या ग्रहण

## INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT

Independent Assurance Report to Canara Bank on its  
BRSR (Core Indicators) for the FY 2025-2026.

To  
The Board of Directors  
Canara Bank  
112, J C Road, Town Hall  
Bengaluru, Karnataka, India - 560002

### Nature of the Assurance

I have been appointed as Assurance Provider for Business Responsibility and Sustainability Report Core (BRSR Core Indicators) for the FY 2025-26 vide Canara Bank Purchase Order no. CPVMW:STEPS: ORD: 1045: 2025-26 dated 27.03.2026

Accordingly, I, along with my team members, have conducted an independent assurance for Canara Bank (the "Bank") of its BRSR (Core Indicators) disclosed in the Bank's Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) (the 'Report') pertaining to the reporting period of April 01, 2025 to March 31, 2026. The Report has been prepared following the National Guidelines for Responsible Business Conduct of the BRSR Framework, covering the performance of the Bank across environmental, social and governance (ESG) indicators and in accordance with requirement of Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "LODR Regulations").

### Management's Responsibilities

The information in the BRSR and its presentation is the responsibility of the Directors or Governing Body and the Management of the Bank. We have not been involved in the preparation of any of the material included in the report.

Our responsibility is to express an opinion on the text, data, graphs, and statements within the defined scope of assurance, aiming to inform the Management of the Bank, and in alignment with the agreed



नहीं करते हैं, और इसका उपयोग बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन की व्याख्या करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय उन पहलुओं के जो स्पष्ट रूप से दायरे में उल्लिखित हैं। बैंक आश्वासन के दायरे को तैयार करने और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।

## अभ्यासकर्ता का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व है कि हम अपने द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमें प्रदान की गई जानकारी पर एक उचित / सीमित आश्वासन निष्कर्ष प्रकट करें।

हम अपने अनुबंध की योजना और क्रियान्वयन इस बात के बारे में उचित / सीमित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि क्या यह गंभीर लेखांकन त्रुटि से मुक्त है।

## आश्वासन मानक

हमारी साक्ष्य-संग्रह प्रक्रियाएँ 'उचित' स्तर की आश्वस्तता प्राप्त करने के लिए बनाई गई थीं, जो कि उच्च स्तर की आश्वस्तता है, लेकिन पूर्ण निश्चितता नहीं है। इसमें इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है कि बीआरएसआर रिपोर्ट में दी गई जानकारी निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत की गई है और इसमें कोई गंभीर लेखांकन त्रुटि नहीं है।

## आश्वासन का दायरा

आश्वासन प्रक्रिया में दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि के लिए बीआरएसआर के भीतर बीआरएसआर मुख्य संकेतकों की गुणवत्ता, सटीकता और विश्वसनीयता का आकलन शामिल था। रिपोर्टिंग के दायरे और सीमा में भारत के सभी बैंक के कार्यालय शामिल हैं। इस आश्वासन ने प्रधान कार्यालय स्तर पर समेकित डेटा और नियंत्रण प्रणालियों का सत्यापन किया।

## अंतर्निहित सीमाएं

गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और माप करने के लिए स्थापित प्रक्रियाओं के एक महत्वपूर्ण निकाय के अभाव के कारण विभिन्न, लेकिन स्वीकार्य, उपायों और मापन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है और इससे संस्थाओं के बीच तुलनात्मकता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, ग्रीनहाउस गैसों ("जीएचजी") का मात्रात्मक निर्धारण अंतर्निहित अनिश्चितता के अधीन है क्योंकि उत्सर्जन

terms of reference. We do not accept or assume any responsibility beyond this specific purpose, and it is not intended for use in interpreting the overall performance of the Bank, except for the aspects explicitly mentioned within the scope. The Bank holds the responsibility for preparing and ensuring the fair representation of the assurance scope.

## Practitioner's Responsibilities

Our responsibility is to express a reasonable/ limited assurance conclusion on the information provided to us based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained.

We planned and performed our engagement to obtain reasonable / limited assurance about whether the same is free from material misstatement.

## Assurance Standard

Our evidence-gathering procedures were designed to obtain a 'Reasonable' level of assurance, which is a high level of assurance but is not absolute certainty. It involves obtaining sufficient appropriate evidence to support the conclusion that the information presented in the BRSR Report is fairly stated and is free from material misstatements.

## Scope of Assurance

The assurance process involved assessing the quality, accuracy, and reliability of BRSR Core Indicators within the BRSR for the period spanning April 01, 2025 to March 31, 2026. The reporting scope and boundaries include the Bank's offices across India. The assurance verified consolidated data and control systems at the Head Office level.

## Inherent Limitations

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non- financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities. In addition, Greenhouse Gas ("GHG") quantification is subject to inherent uncertainty because of incomplete scientific knowledge

कारकों और विभिन्न गैसों के उत्सर्जन को संयोजित करने के लिए आवश्यक मूल्यों को निर्धारित करने में उपयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक ज्ञान अपूर्ण हैं।

## आश्वासन पद्धति

हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाएं हमारे पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इसमें पूछताछ, प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, मात्रा-निर्धारण के तरीकों और रिपोर्टिंग नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सहमति या सामंजस्य करना शामिल था।

कार्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऊपर उल्लिखित प्रक्रियाओं को निष्पादित करने में, हमने:

- प्रकट किए गए बीआरएसआर मुख्य विषय-वस्तु और उससे संबंधित खुलासों की समझ प्राप्त की।
- मूल्यांकन मानदंडों और विभिन्न संकेतकों के मूल्यांकन और/या मापन के लिए उनकी उपयुक्तता की समझ प्राप्त की।
- कंपनी के प्रबंधन से पूछताछ की, जिसमें स्थिरता टीम, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) टीम जैसी विभिन्न टीम, और वे लोग शामिल थे जिन पर कंपनी की वार्षिक रिपोर्टिंग के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी थी।
- बीआरएसआर के मुख्य तत्वों और संकेतकों के प्रबंधन, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए मुख्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं को समझा और उनका मूल्यांकन किया, जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय का दौरा भी शामिल था।
- रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु एकल सीमा (जैसा कि बीआरएसआर में बताया गया है) के समेकन की जाँच की गई।
- एकल सीमा के भीतर सूचना के नमूने के आधार पर सीमित सारगर्भित परीक्षण किया गया, ताकि यह जाँच की जा सके कि अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ डेटा को उचित रूप से मापा गया है और संबंधित दस्तावेजों के साथ रिकॉर्ड, संकलित और रिपोर्ट किया गया था।
- बीआरएसआर रिपोर्ट तैयार करने में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों और निर्णयों की तर्कसंगतता और उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया।

used to determine emissions factors and the values needed to combine emissions of different gases.

## Assurance Methodology

The procedures we performed were based on our professional judgement and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies and agreeing or reconciling with underlying records.

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures referred to above, we:

- Obtained an understanding of the disclosed BRSR Core contents and related disclosures.
- Obtained an understanding of the assessment criteria and their suitability for the evaluation and/or measurements of the various indicators.
- Made enquiries about the Company's Management, including the various teams such as Sustainability team, Corporate Social Responsibility (CSR) team, etc., and those with the responsibility for managing Company's Annual Reporting.
- Obtained an understanding and performed an evaluation of the key systems and processes for managing, recording, and reporting on the BRSR Core elements and indicators, including visiting corporate office.
- Checked the consolidation for the standalone boundary (as mentioned in the BRSR) to ensure the completeness of data being reported.
- Performed limited substantive testing on a sample basis of the Information within the standalone boundary to check that data had been appropriately measured with underlying documents recorded, collated, and reported.
- Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgments made by the Management in the preparation of the BRSR report.

- जहाँ आवश्यक था, वहाँ कंपनी के प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किए।

## सीमाएँ

हमारी आश्वासन की परिधि में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं, और इसलिए हम इनके संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं देते हैं:

- आश्वासन के दायरे में उल्लिखित प्रकटीकरण के अलावा अन्य प्रकटीकरण
- हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए डेटा और जानकारी के अलावा किसी अन्य डेटा और जानकारी का सत्यापन।
- निर्धारित रिपोर्टिंग अवधि, अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक के बाहर का डेटा और जानकारी।

सीमित आश्वासन अभिग्रहण का दायरा उचित आश्वासन अभिग्रहण की तुलना में काफी कम होता है, खासकर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं के संबंध में, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की समझ और मूल्यांकित जोखिमों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई शामिल है। रिपोर्ट के कुछ गुणात्मक पहलुओं के बारे में सीमित आश्वासन दिया जाता है, जिनका निर्धारण अनिश्चितता और अपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान के कारण नहीं किया जा सकता है।

## निष्कर्ष एवं परिणाम

अपनाई गई आश्वासन पद्धति और हमारे द्वारा प्राप्त आकड़ों के आधार पर, हम मानते हैं कि बैंक द्वारा अपने बीआरएसआर में नीचे सूचीबद्ध निर्दिष्ट मुख्य कार्यनिष्पन्न संकेतकों ("केपीआई") पर प्रस्तुत जानकारी सटीक, विश्वसनीय है, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में निष्पक्ष रूप से सूचित की गई है, और बीआरएसआर की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई है।

इस आश्वासन अनुबंध के तहत सत्यापित किए गए बीआरएसआर मुख्य संकेतकों की सूची अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है।

## अनुशंसा

आश्वासन प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर यह नोट किया जाता है कि दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु केनरा बैंक की कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) व्यापक है और इसमें पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन के सभी संकेतक शामिल हैं, हालांकि केनरा बैंक, एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते, ऊर्जा,

- Obtained representations from the Company's Management, where necessary.

## Limitations

Our assurance scope excludes the following and therefore we do not draw a conclusion on the same:

- Disclosures other than those mentioned in the assurance scope.
- Validation of any data and information other than those presented into us.
- Data and information outside the defined reporting period i.e., April 01, 2025 to March 31, 2026.

A limited assurance engagement is substantially less in scope than a reasonable assurance engagement in relation to both risk assessment procedures, including an understanding of internal control, and the procedure performed in response to the assessed risks. A limited assurance is provided to certain qualitative aspects of the report which cannot be determined due to its uncertainty and because of incomplete scientific knowledge.

## Findings and Conclusions

Based on the assurance methodology adopted and the data that we have obtained, we believe that the information presented by the Bank in its BRSR, on the specified Key Performance Indicators ("KPI") listed below is accurate, reliable, has been fairly stated in all material respects, and is prepared in line with the BRSR requirements.

The list of BRSR Core Indicators that were verified within this assurance engagement is enclosed as per Annexure I.

## Recommendations

Based on the findings of the assurance process, It is observed that the Canara Bank's Business Responsibility & Sustainability Reporting (BRSR) for the financial year ended 31.03.2026 is comprehensive and covers all the indicators of Environment, Social and Governance, even though Canara Bank, being a Banking Company, consume

बिजली, पानी, गैस, पेट्रोल आदि की बहुत कम मात्रा का उपभोग करता है। मेरी ओर से कोई अनुशंसा प्रस्तावित नहीं है।

#### निष्पक्षता और सक्षमता का विवरण

हम, अभ्यासरत कंपनी सचिव की एक टीम के तौर पर, केनरा बैंक से अपनी निष्पक्षता की पुष्टि करते हैं; हम इस संस्था, इसकी सहायक कंपनियों और हितधारकों के प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह या हितों के टकराव से मुक्त हैं। हमारी एश्योरेंस टीम के पास इस कार्य को संचालित करने के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव हैं।

#### उपयोग पर प्रतिबंध

हमारा कार्य पूर्ण रूप से आपको रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने में आपकी सहायता करने के लिए किया गया था। यह प्रदेय केवल बैंक के निदेशक मंडल के अनुरोध पर जारी किया गया है, जिन्हें यह संबोधित है और इसका एकमात्र उद्देश्य बैंक की स्थिरता कार्य निष्पादन और गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने में सहायता करना है, तथा इस रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करना है, जिसमें बीआरएसआर भी शामिल है। तदनुसार, हम बैंक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे प्रदेय का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या आपके प्रदेय के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस आश्वासन प्रदेय को यदि किसी अन्य उद्देश्य से या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को दिखाया जाता है या उनके पास यह पहुंचता है, तो उसके लिए हम बिना हमारी पूर्व लिखित सहमति के कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं।

कृते स्वयंभू विश्वनाथन  
अभ्यासरत कंपनी सचिव

स्वयंभू विश्वनाथन

एफसीएस सं.: 12190 | सीपी सं.: 5284

आईसीएसआई पीआरएन: 1857/2022

आईसीएसआई यूडीआईएन: F012190H000308552

दिनांक : 11 मई, 2026

स्थान : बेंगलूरु

insignificant quantity of Energy, Electricity, Water, Gas, Petrol etc. I do not propose any recommendations.

#### Statement of Independence and Competence

We a team of Practicing Company Secretaries affirm our independence from Canara Bank, being free from bias and conflicts of interest with the organization, its subsidiaries, and stakeholders. The assurance team have the required competencies and experience to conduct this engagement.

#### Restriction on Use

Our work was performed solely to assist you in meeting the reporting requirements. This deliverable has been issued solely at the request of the Board of Directors of the Bank to whom it is addressed, solely to assist the Bank in reporting on the Bank's sustainability performance and activities and for publishing the deliverable in the Annual Report, which includes the BRSR. Accordingly, we accept no liability to anyone other than the Bank. Our deliverable should not be used for any other purpose or by any person other than the addressees of our deliverable. We do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this assurance report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Swayambhu Viswanathan  
Practicing Company Secretary

Swayambhu Viswanathan

FCS No.: 12190 | CP No.: 5284

ICSI PRN: 1857/2022

ICSI UDIN: F012190H000308552

Date: May 11, 2026

Place: Bengaluru

| क्र. सं. | बीआरएसआर कोर विशेषता                                    | बीआरएसआर कोर संकेतक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>कुल स्कोप 1 उत्सर्जन</li> <li>कुल स्कोप 2 उत्सर्जन</li> <li>जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता (स्कोप 1+2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| 2        | जल फुटप्रिंट                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>कुल जल खपत</li> <li>गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन</li> <li>जल खपत तीव्रता</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| 3        | ऊर्जा फुटप्रिंट                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>कुल खपत ऊर्जा</li> <li>नवीकरणीय स्रोतों से खपत ऊर्जा का %</li> <li>ऊर्जा तीव्रता</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| 4        | चक्रीयता को अपनाना                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>प्लास्टिक कचरा</li> <li>ई-कचरा</li> <li>बैटरी कचरा</li> <li>अन्य खतरनाक कचरा</li> <li>अन्य गैर-खतरनाक कचरा</li> <li>उत्पन्न कुल कचरा</li> <li>रीसाइक्लिंग, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा</li> <li>निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा</li> </ul> |
| 5        | कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर खर्च</li> <li>कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का विवरण</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| 6        | कारोबार में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना               | <ul style="list-style-type: none"> <li>महिलाओं को दिया गया सकल वेतन, भुगतान किए गए वेतन का %</li> <li>पॉश पर शिकायतें</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| 7        | समावेशी विकास को सक्षम बनाना                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>एमएसएमई / लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत</li> <li>छोटे शहरों में रोजगार सृजन</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| 8        | ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत में निष्पक्षता | <ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राहकों के डेटा की हानि / उल्लंघन से संबंधित मामले कुल डेटा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में</li> <li>देय खातों के दिनों की संख्या</li> </ul>                                                                                                                                           |
| 9        | व्यापार का खुलापन                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद और बिक्री का संकेन्द्रण</li> <li>ऋण एवं अग्रिम राशि तथा संबंधित पक्षों के साथ निवेश</li> </ul>                                                                                                                                                     |



| Sl. No. | BRSR Core Attribute                               | BRSR Core Indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Greenhouse Gas (GHG) footprint                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Total Scope 1 emissions</li> <li>Total Scope 2 emissions</li> <li>GHG Emission Intensity (Scope 1+2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| 2       | Water footprint                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Total water consumption</li> <li>Water Discharge by destination and levels of Treatment</li> <li>Water consumption intensity</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 3       | Energy footprint                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Total energy consumed</li> <li>% of the energy consumed from renewable sources</li> <li>Energy Intensity</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 4       | Embracing circularity                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastic waste</li> <li>E-waste</li> <li>Battery waste</li> <li>Other hazardous waste</li> <li>Other non-hazardous waste</li> <li>Total waste generated</li> <li>Total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations</li> <li>Total waste disposed by nature of disposal method</li> </ul> |
| 5       | Employee well-being and safety                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spending on measures toward the well-being of employees</li> <li>Details of safety-related incidents for employees and workers</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| 6       | Enabling gender diversity in business             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gross wages paid to females as % of wages paid</li> <li>Complaints on POSH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| 7       | Enabling Inclusive Development                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>% of input material directly sourced from MSMEs / small producers</li> <li>Job creation in smaller towns</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 8       | Fairness in engaging with customers and suppliers | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instances involving loss/breach of data of customers as a percentage of total data breaches or cyber security events</li> <li>Number of days of accounts payable</li> </ul>                                                                                                                                          |
| 9       | Open-ness of business                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Concentration of purchases &amp; sales done with trading houses, dealers, and related parties</li> <li>Loans and advances &amp; investments with related parties</li> </ul>                                                                                                                                          |



Restricted

Together We Can

# कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

2025-2026

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

## कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

### 1) कॉर्पोरेट अभिशासन पर बैंक का सिद्धांत

“कॉर्पोरेट अभिशासन सारे शेयरधारकों के सुस्थिर विकास हेतु संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।”

केनरा बैंक का दृष्टिकोण लाभप्रदता, परिचालन दक्षता, आस्ति गुणवत्ता, जोखिम प्रबंधन और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में उद्योग के मानकों का पालन करते हुए, बैंकिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में उभरना है। इसका लक्ष्य अत्याधुनिक बैंकिंग समाधान प्रदान करना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, कारोबार करने में सुगमता को बढ़ावा देना और समावेशी विकास के माध्यम से सभी हितधारकों के लिए मूल्य बढ़ाना है। अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास में, बैंक कॉर्पोरेट अभिशासन की एक प्रभावी प्रणाली पर विशेष जोर दे रहा है। बोर्ड, वरिष्ठ प्रबंधन और कार्यपालकों के बीच अंतर्वातालाप को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि हर किसी की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित हो ताकि विशेष रूप से हितधारकों और सामान्य रूप से पूरे समाज के लिए संवर्धित मूल्य प्राप्त किया जा सके।

इसका समग्र उद्देश्य कॉर्पोरेट मूल्यों, आचार संहिता और समुचित व्यवहार के अन्य मानकों का अनुपालन करते हुए सभी हितधारकों-जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज-के लिए स्थायी इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

### 2) निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 (यथासंशोधित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथासंशोधित), और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विनियमों (यथासंशोधित) के तहत धारा 9(3) के अंतर्गत किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है।

a) निदेशकों की संरचना और श्रेणी, तथा अन्य संस्थाओं के बोर्ड या समितियों की संख्या, जिनमें कोई निदेशक वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सदस्य या अध्यक्ष है, नीचे दी गई है:

## Report on Corporate Governance

### 1) Bank's philosophy on Corporate Governance

“The Bank believes in enhancing investor and other stakeholders' confidence and setting high standards of transparency, ethical values for improving efficiency and growth of the organization. The Bank is committed to following the best Corporate Governance practices based on transparency, professionalism and accountability.”

The vision of Canara Bank is to emerge as the 'Best Bank to Bank With' by pursuing industry benchmarks in Profitability, Operational Efficiency, Asset Quality, Risk Management and Digital Innovation with a mission to provide State-of-the-art Banking Solutions, Leveraging Technology, Aiding Ease of Doing Business and enhancing value for all stakeholders through inclusive growth. In its endeavour to attain the goal visualized, the Bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role, so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all Stakeholders - Depositors, Shareholders, Customers, Borrowers, Employees and Society through adherence to Corporate Values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behaviour.

### 2) Board of Directors

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act, 1970 (as amended), Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970 (as amended) and Securities and Exchange Board of India Regulations as amended from time to time.

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contributions towards the progress of the Bank.

a) Composition and category of directors, number of other entities board or committees in which a Director is a Member or Chairperson during the financial year 2025-26 are hereunder:

तालिका - 1

| क्र. सं. | निदेशकों का नाम एवं श्रेणी                                                          | कार्यालय की अवधि (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यकाल समाप्ति की तिथि तक) | शैक्षणिक योग्यता                                         | सूचीबद्ध संस्थाओं की एसीबी/एसआरसी में सदस्यता की संख्या (बैंक सहित) | उन संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी                                                                                                                                                               | 31.03.2026 तक निदेशकों के पास केनरा बैंक के शेयरों की संख्या |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>श्री विजय श्रीरंगन</b><br>[अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष] | दिनांक 07.11.2022 से 06.11.2025 तक                                            | बी.टेक, पीजीडीबीएम                                       | 0                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                              | 4965                                                         |
| 2.       | <b>श्री के सत्यनारायण राजु</b><br>एमडी व सीईओ                                       | दिनांक 07.02.2023 से 31.12.2025 तक                                            | एमबीए, सीएआईआईबी                                         | 0                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                              | -                                                            |
| 3.       | <b>श्री देबाशीष मुखर्जी</b><br>[कार्यपालक निदेशक]                                   | दिनांक 19.02.2018 से 31.05.2025 तक                                            | बीएससी (ऑनर्स), बीए (एसपीएल), एमबीए (फाइनेंस), सीएआईआईबी | 0                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                              | 1250                                                         |
| 4.       | <b>श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया</b><br>एमडी और सीईओ (प्रभारी)<br>[कार्यपालक निदेशक]   | दिनांक 07.02.2023 से 30.06.2027 तक                                            | बी.एससी, सीएआईआईबी                                       | 2                                                                   | 1. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (प्रवर्तक निदेशक)<br>2. केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (प्रवर्तक निदेशक)<br>3. सीआरएमएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (पेशेवर निदेशक)<br>4. केनफिन होम्स लिमिटेड (गैर-कार्यपालक गैर-स्वतंत्र निदेशक) | -                                                            |
| 5.       | <b>श्री भवेन्द्र कुमार</b><br>[कार्यपालक निदेशक]                                    | दिनांक 09.10.2023 से 08.10.2026 तक                                            | बीए ऑनर्स, सीएआईआईबी                                     | 2                                                                   | 1. उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (प्रवर्तक निदेशक)<br>2. केनरा एचएसबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड (गैर-कार्यपालक गैर-स्वतंत्र निदेशक)<br>3. केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड (निदेशक)                                               | 100                                                          |

Table - 1

| Sl. No. | Name & Category of Directors                                                                       | Term of Office (Date of Joining to Date of Cessation of Office) | Educational Qualification                      | No. of Memberships in ACB / SRC of Listed Entities (Including Canara Bank) | Names of the Entities where the Person is a Director and the Category of Directorship                                                                                                                                                      | No of Shares of Canara Bank held by Directors as on 31.03.2026 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.      | <b>Shri Vijay Srirangan</b><br>[Part-Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman] | 07.11.2022 to 06.11.2025                                        | B.Tech, PGDBM                                  | 0                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                          | 4965                                                           |
| 2.      | <b>Shri K Satyanarayana Raju</b><br>[MD & CEO]                                                     | 07.02.2023 to 31.12.2025                                        | MBA, CAIIB                                     | 0                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                              |
| 3.      | <b>Shri Debashish Mukherjee</b><br>[Executive Director]                                            | 19.02.2018 to 31.05.2025                                        | B.Sc. (Hons), B.A. (Spl), MBA (Finance), CAIIB | 0                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                          | 1250                                                           |
| 4.      | <b>Shri Hardeep Singh Ahluwalia</b><br>MD & CEO (I/C) [Executive Director]                         | 07.02.2023 to 30.06.2027                                        | B.Sc., CAIIB                                   | 2                                                                          | 1. Canbank Factors Limited (Promoter Director)<br>2. Canbank Computer Services Limited (Promoter Director)<br>3. CRMF Trustee Private Limited (Professional Director)<br>4. CAN FIN Homes Limited (Non-Executive Non-Independent Director) | -                                                              |
| 5.      | <b>Shri Bhavendra Kumar</b><br>[Executive Director]                                                | 09.10.2023 to 08.10.2026                                        | B.A. Hons, CAIIB                               | 2                                                                          | 1. Higher Education Financing Agency (Promoter Director)<br>2. Canara HSBC Life Insurance Company Limited (Non-Executive Non-Independent Director)<br>3. Canara Bank Securities Limited (Director)                                         | 100                                                            |



| क्र. सं. | निदेशकों का नाम एवं श्रेणी                                     | कार्यालय की अवधि (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यकाल समाप्ति की तिथि तक) | शैक्षणिक योग्यता                                                      | सूचीबद्ध संस्थाओं की एसीबी/एसआरसी में सदस्यता की संख्या (बैंक सहित) | उन संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी                                                                                                                                                                                                                      | 31.03.2026 तक निदेशकों के पास केनरा बैंक के शेयरों की संख्या |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 6.       | <b>श्री एस के मजुमदार</b><br>[कार्यपालक निदेशक]                | दिनांक 24.03.2025 से 23.03.2028 तक                                            | बी.कॉम (ऑनर्स), सीए व सीएमए                                           | 4                                                                   | 1. केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (प्रवर्तक निदेशक)<br>2. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर-कार्यपालक गैर-स्वतंत्र निदेशक)<br>3. केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (गैर-कार्यपालक गैर-स्वतंत्र निदेशक)<br>4. पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड (पेशेवर निदेशक) | 6685                                                         |
| 7.       | <b>श्री सुनील कुमार चुध</b><br>[कार्यपालक निदेशक]              | दिनांक 24.11.2025 से 23.11.2028 तक                                            | बी.कॉम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएआईआईबी, केवाईसी / एएमएल में सर्टिफिकेट | 1                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                            |
| 8.       | <b>श्री प्रशांत कुमार गोयल</b><br>[भारत सरकार के नामित निदेशक] | दिनांक 25.10.2023 से अगले आदेश तक                                             | एमबीबीएस                                                              | 2                                                                   | दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (गैर-कार्यकारी नामित निदेशक)                                                                                                                                                                                                                   | -                                                            |
| 9.       | <b>श्री रोहित पी. दास</b><br>[आरबीआई नामित निदेशक]             | दिनांक 05.08.2024 से अगले आदेश तक                                             | एम.ए., एम.फिल. (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार), सीएआईआईबी                    | 1                                                                   | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                            |
| 10.      | <b>सुश्री नलिनी पद्मानाभन</b><br>[अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक]  | दिनांक 11.04.2025 से 10.04.2026 तक                                            | बी. कॉम., एफसीए, डीआईएसए, सीआईएसए, आईएसएमएस                           | 0                                                                   | 1. मैंगलोर एसईजेड लिमिटेड (स्वतंत्र निदेशक)<br>2. सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा एवं समाधान प्राइवेट लिमिटेड (पेशेवर निदेशक)<br>3. प्रेरणा एजुकेशनल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (पेशेवर निदेशक)<br>4. आर के स्वामी लिमिटेड (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)                                     | 500                                                          |

| Sl. No. | Name & Category of Directors                                       | Term of Office (Date of Joining to Date of Cessation of Office) | Educational Qualification                                   | No. of Memberships in ACB / SRC of Listed Entities (Including Canara Bank) | Names of the Entities where the Person is a Director and the Category of Directorship                                                                                                                                                                                                                          | No of Shares of Canara Bank held by Directors as on 31.03.2026 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6.      | <b>Shri S K Majumdar</b><br>[Executive Director]                   | 24.03.2025 to 23.03.2028                                        | B.Com. (Hons), CA & CMA                                     | 4                                                                          | 1. Canbank Venture Capital Fund Limited (Promoter Director)<br>2. Canara HSBC Life Insurance Company Limited (Non-Executive Non-Independent Director)<br>3. Canara Robeco Asset Management Company Limited (Non-Executive Non-Independent Director)<br>4. PSB Alliance Private Limited (Professional Director) | 6685                                                           |
| 7.      | <b>Shri Sunil Kumar Chugh</b><br>[Executive Director]              | 24.11.2025 to 23.11.2028                                        | B. Com, Chartered Accountant, CAIIB, Certificate in KYC/AML | 1                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                              |
| 8.      | <b>Shri Parshant Kumar Goyal</b><br>[GOI Nominee Director]         | 25.10.2023 to Until further orders                              | MBBS                                                        | 2                                                                          | The New India Assurance Company Limited (Non-Executive Nominee Director)                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                              |
| 9.      | <b>Shri Rohit P. Das</b><br>[RBI Nominee Director]                 | 05.08.2024 to Until further Orders                              | M.A., M.Phil. (International Trade), CAIIB                  | 1                                                                          | NIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                              |
| 10.     | <b>Ms. Nalini Padmanabhan</b><br>[Part-Time Non-Official Director] | 11.04.2025 to 10.04.2026                                        | B.Com., FCA, DISA, CISA, ISMS                               | 0                                                                          | 1. Mangalore SEZ Limited (Independent Director)<br>2. Information System Audit and Solutions Private Limited (Professional Director)<br>3. Prerana Educational Media Private Limited (Professional Director)<br>4. R K Swamy Limited (Non-Executive Independent Director)                                      | 500                                                            |

| क्र. सं. | निदेशकों का नाम एवं श्रेणी                              | कार्यालय की अवधि (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यकाल समाप्ति की तिथि तक)         | शैक्षणिक योग्यता                                    | सूचीबद्ध संस्थाओं की एसीबी/एसआरसी में सदस्यता की संख्या (बैंक सहित) | उन संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी                                                                                                                          | 31.03.2026 तक निदेशकों के पास केनरा बैंक के शेयरों की संख्या |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 11.      | <b>श्री बिमल प्रसाद शर्मा</b><br>[शेयरधारक निदेशक]      | दिनांक 27.07.2019 से 26.07.2025 तक                                                    | बीएससी (ऑनर्स), एमए, एलएलबी                         | 1                                                                   | -                                                                                                                                                                                         | 540                                                          |
| 12.      | <b>सुश्री आभा सिंह यदुवंशी</b><br>[शेयरधारक निदेशक]     | दिनांक 27.07.2022 से 26.07.2025 तक और दिनांक 27.07.2025 से 26.07.2028 तक पुनः नियुक्त | बीए अर्थशास्त्र (ऑनर्स), पीजीडीबीए और एमए           | 2                                                                   | -                                                                                                                                                                                         | 5500                                                         |
| 13.      | <b>श्री हेमंत बुच</b><br>[शेयरधारक निदेशक]              | दिनांक 30.11.2024 से 01.07.2025 तक                                                    | बी.कॉम (ऑनर्स)                                      | 1                                                                   | -                                                                                                                                                                                         | 1000                                                         |
| 14.      | <b>श्री गुंजीत सिंह पन्नु</b><br>[शेयरधारक निदेशक]      | दिनांक 27.07.2025 से 26.07.2028 तक                                                    | बी.कॉम., एफ.सी.ए., एल.एल.बी.                        | 1                                                                   | -                                                                                                                                                                                         | 1000                                                         |
| 15.      | <b>श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव</b><br>[शेयरधारक निदेशक] | दिनांक 13.09.2025 से 29.11.2027 तक                                                    | इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर एम.एससी (टेक), सीआईआईबी | 4                                                                   | 1. एनएसीएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)<br>2. दक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक)<br>3. बड़ौदा बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक) | 500                                                          |

**नोट:** वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 4/3/2024-BO.I दिनांक 30 दिसंबर 2025 के माध्यम से, कार्यपालक निदेशक श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया को एमडी व सीईओ के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह प्रभार दिनांक 01.01.2026 से तीन महीने की अवधि के लिए, यानी दिनांक 31.03.2026 तक, अथवा एमडी व सीईओ के पद पर किसी नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक, अथवा अगले आदेश जारी होने तक-इनमें से जो भी पहले हो-प्रभावी रहेगा। इसके अलावा, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने अधिसूचना संख्या 4/3/2024-BO.I, दिनांक 09 अप्रैल, 2026 के माध्यम से, केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) के पद का अतिरिक्त प्रभार, जो केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया को सौंपा गया था, उसे दिनांक 31.03.2026 के बाद तीन महीने की अवधि के लिए, यानी दिनांक 30.06.2026 तक, या जब तक केनरा बैंक के एमडी व सीईओ के पद पर किसी नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती, या जब तक कोई अगला आदेश नहीं आ जाता-इनमें से जो भी पहले हो-तक के लिए बढ़ा दिया है।

| Sl. No. | Name & Category of Directors                               | Term of Office (Date of Joining to Date of Cessation of Office)       | Educational Qualification                         | No. of Memberships in ACB / SRC of Listed Entities (Including Canara Bank) | Names of the Entities where the Person is a Director and the Category of Directorship                                                                                                       | No of Shares of Canara Bank held by Directors as on 31.03.2026 |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 11.     | Shri Bimal Prasad Sharma<br>[Shareholder Director]         | 27.07.2019 to 26.07.2025                                              | B.Sc. (Hons.), M.A., LLB                          | 1                                                                          | -                                                                                                                                                                                           | 540                                                            |
| 12.     | Ms. Abha Singh Yaduvanshi<br>[Shareholder Director]        | 27.07.2022 to 26.07.2025 & Re-appointed from 27.07.2025 to 26.07.2028 | B.A. Economics (Hons.), PGDBA & M.A.              | 2                                                                          | -                                                                                                                                                                                           | 5500                                                           |
| 13.     | Shri Hemant Buch<br>[Shareholder Director]                 | 30.11.2024 to 01.07.2025                                              | B. Com (Hons.)                                    | 1                                                                          | -                                                                                                                                                                                           | 1000                                                           |
| 14.     | Shri Gunjeet Singh Pannu<br>[Shareholder Director]         | 27.07.2025 to 26.07.2028                                              | B.Com, FCA, LLB                                   | 1                                                                          | -                                                                                                                                                                                           | 1000                                                           |
| 15.     | Shri Balakrishna Raghavendra Rao<br>[Shareholder Director] | 13.09.2025 to 29.11.2027                                              | Post Graduate in Engineering. M.Sc. (Tech), CAIIB | 4                                                                          | 1. NACL Industries Limited (Non-Executive Independent Director)<br>2. Dhaksha Unmanned Systems Private Limited (Director)<br>3. Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (Director) | 500                                                            |

**Note:** Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, vide its Notification No. 4/3/2024-BO.I dated 30<sup>th</sup> December 2025, has assigned additional charge of the post of MD & CEO to Shri Hardeep Singh Ahluwalia, Executive Director, w.e.f. 01.01.2026 for a period of three months, i.e., up to 31.03.2026, or until the appointment of a regular incumbent to the post of MD & CEO or until further orders, whichever is earlier. Further, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, vide its Notification No. 4/3/2024-BO.I dated April 09, 2026, has extended the additional charge for the post of Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO), Canara Bank, assigned to Shri Hardeep Singh Ahluwalia, Executive Director, Canara Bank, for a period of three months beyond 31.03.2026, i.e., up to 30.06.2026, or until the appointment of a regular incumbent to the post of MD & CEO, Canara Bank, or until further orders, whichever is earlier.

## वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिन निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है उनका विवरण है

| क्र. सं. | निदेशकों का नाम एवं श्रेणी                                                          | शैक्षणिक योग्यता                                         | कार्यकाल अवधि                      | कार्यकाल समाप्ति तिथि | कारण                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.       | <b>श्री विजय श्रीरंगन</b><br>[अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष] | बी.टेक, पीजीडीबीएम                                       | दिनांक 07.11.2022 से 06.11.2025 तक | 06.11.2025            | कार्यकाल की समाप्ति |
| 2.       | <b>श्री के सत्यनारायण राजु</b><br>[एमडी व सीईओ]                                     | एमबीए, सीएआईआईबी                                         | दिनांक 07.02.2023 से 31.12.2025 तक | 31.12.2025            | सेवानिवृत्ति        |
| 3.       | <b>श्री देबाशीष मुखर्जी</b><br>[कार्यपालक निदेशक]                                   | बीएससी (ऑनर्स), बीए (एसपीएल), एमबीए (फाइनेंस), सीएआईआईबी | दिनांक 19.02.2018 से 31.05.2025 तक | 31.05.2025            | सेवानिवृत्ति        |
| 4.       | <b>श्री बिमल प्रसाद शर्मा</b><br>[शेयरधारक निदेशक]                                  | बीएससी (ऑनर्स), एमए, एलएलबी                              | दिनांक 27.07.2019 से 26.07.2025 तक | 26.07.2025            | कार्यकाल की समाप्ति |
| 5.       | <b>श्री हेमंत बुच</b><br>[शेयरधारक निदेशक]                                          | बी.कॉम (ऑनर्स)                                           | दिनांक 30.11.2024 से 01.07.2025 तक | 01.07.2025            | त्याग पत्र          |

## PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING THE FINANCIAL YEAR 2025-26

| Sl. No. | Name & Category of Directors                                                              | Education Qualification                         | Term of Office           | Date of Cessation of Office | Reason               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1.      | <b>Shri Vijay Srirangan</b><br>[Part-Time Non-Official as well as Non-Executive Chairman] | B. Tech, PGDBM                                  | 07.11.2022 to 06.11.2025 | 06.11.2025                  | Completion of Tenure |
| 2.      | <b>Shri K Satyanarayana Raju</b><br>[MD & CEO]                                            | MBA, CAIIB                                      | 07.02.2023 to 31.12.2025 | 31.12.2025                  | Superannuation       |
| 3.      | <b>Shri Debashish Mukherjee</b><br>[Executive Director]                                   | B.Sc., (Hons), B.A. (Spl), MBA (Finance), CAIIB | 19.02.2018 to 31.05.2025 | 31.05.2025                  | Superannuation       |
| 4.      | <b>Shri Bimal Prasad Sharma</b><br>[Shareholder Director]                                 | B.Sc. (Hons.), M.A., LLB                        | 27.07.2019 to 26.07.2025 | 26.07.2025                  | Completion of Tenure |
| 5.      | <b>Shri Hemant Buch</b><br>[Shareholder Director]                                         | B.Com (Hons.)                                   | 30.11.2024 to 01.07.2025 | 01.07.2025                  | Resignation          |

### दिनांक 31.03.2026 के बाद निदेशक मंडल में परिवर्तन:

बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 6/2(ii)/2022-बीओ. आई दिनांक 13 मई, 2026 के माध्यम से श्री प्रशांत कुमार गोयल के स्थान पर सुश्री शालिनी पंडित (संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग) को केनरा बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक मनोनीत किया है।

b) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और उनकी तिथियाँ निम्नलिखित हैं:

बैठकों की संख्या: 15

बैठक की तिथि: 08.05.2025, 12.06.2025, 20.06.2025, 24.07.2025, 28.08.2025, 26.09.2025, 30.10.2025, 04.11.2025, 27.11.2025, 29.12.2025, 28.01.2026, 29.01.2026, 25.02.2026, 06.03.2026 और 26.03.2026

### Change in directorship after 31.03.2026:

In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Central Government vide Notification No. eF. No. 6/2(ii)/2022-BO.I dated May 13, 2026, nominated, Ms. Shalini Pandit (Joint Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services), as Director on the Board of Canara Bank, in place of Shri Parshant Kumar Goyal with immediate effect and until further orders.

b) Number of Board meetings held during the financial year 2025-26 and dates are as under:

No. of Meetings: 15

Date of Meetings: 08.05.2025, 12.06.2025, 20.06.2025, 24.07.2025, 28.08.2025, 26.09.2025, 30.10.2025, 04.11.2025, 27.11.2025, 29.12.2025, 28.01.2026, 29.01.2026, 25.02.2026, 06.03.2026 & 26.03.2026



c) निदेशक मंडल की बैठक और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति:

तालिका - 2

| निदेशकों का नाम                                                               | उनके कार्यकाल के दौरान निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की संख्या | निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या | पिछली वार्षिक आम बैठक में भाग लिया |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| श्री विजय श्रीरंगन*<br>[अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष] | 8                                                             | 8                                                  | हां                                |
| श्री के सत्यनारायण राजु*<br>[एमडी व सीईओ]                                     | 10                                                            | 10                                                 | हां                                |
| श्री देबाशीष मुखर्जी*<br>[कार्यपालक निदेशक]                                   | 1                                                             | 1                                                  | लागू नहीं                          |
| श्री हरदीप सिंह अहलुवालिया<br>एमडी व सीईओ (प्रभारी)<br>[कार्यपालक निदेशक]     | 15                                                            | 13                                                 | हां                                |
| श्री भवेन्द्र कुमार<br>[कार्यपालक निदेशक]                                     | 15                                                            | 15                                                 | हां                                |
| श्री एस के मजुमदार<br>[कार्यपालक निदेशक]                                      | 15                                                            | 15                                                 | हां                                |
| श्री सुनील कुमार चुध*<br>[कार्यपालक निदेशक]                                   | 7                                                             | 6                                                  | लागू नहीं                          |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल<br>[भारत सरकार के नामित निदेशक]                       | 15                                                            | 10                                                 | हां                                |
| श्री रोहित पी. दास<br>[आरबीआई नामित निदेशक]                                   | 15                                                            | 13                                                 | लागू नहीं                          |
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन*<br>[अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक]                        | 15                                                            | 15                                                 | हां                                |
| श्री बिमल प्रसाद शर्मा*<br>[शेयरधारक निदेशक]                                  | 4                                                             | 4                                                  | हां                                |
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी<br>[शेयरधारक निदेशक]                                  | 15                                                            | 15                                                 | हां                                |
| श्री हेमंत बुच*<br>[शेयरधारक निदेशक]                                          | 3                                                             | 3                                                  | हां                                |
| श्री गुंजीत सिंह पट्ट*<br>[शेयरधारक निदेशक]                                   | 11                                                            | 11                                                 | लागू नहीं                          |
| श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव*<br>[शेयरधारक निदेशक]                             | 10                                                            | 9                                                  | लागू नहीं                          |

\*वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए

\*वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया

c) Attendance of each director at the meeting of the Board of Directors and the last Annual General Meeting:

Table - 2

| Name of Directors                                                                                   | No. of Meetings of Board of Directors held during their Tenure | No. of Meetings of Board of Directors Attended | Last Annual General Meeting Attended |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Shri Vijay Srirangan*</b><br>[Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman] | 8                                                              | 8                                              | Yes                                  |
| <b>Shri K Satyanarayana Raju*</b><br>[MD & CEO]                                                     | 10                                                             | 10                                             | Yes                                  |
| <b>Shri Debashish Mukherjee*</b><br>[Executive Director]                                            | 1                                                              | 1                                              | NA                                   |
| <b>Shri Hardeep Singh Ahluwalia</b><br>MD & CEO (I/C) [Executive Director]                          | 15                                                             | 13                                             | Yes                                  |
| <b>Shri Bhavendra Kumar</b><br>[Executive Director]                                                 | 15                                                             | 15                                             | Yes                                  |
| <b>Shri S K Majumdar</b><br>[Executive Director]                                                    | 15                                                             | 15                                             | Yes                                  |
| <b>Shri Sunil Kumar Chugh#</b><br>[Executive Director]                                              | 7                                                              | 6                                              | NA                                   |
| <b>Shri Parshant Kumar Goyal</b><br>[GOI Nominee Director]                                          | 15                                                             | 10                                             | Yes                                  |
| <b>Shri Rohit P. Das</b><br>[RBI Nominee Director]                                                  | 15                                                             | 13                                             | NA                                   |
| <b>Ms. Nalini Padmanabhan#</b><br>[Part-time Non-Official Director]                                 | 15                                                             | 15                                             | Yes                                  |
| <b>Shri Bimal Prasad Sharma*</b><br>[Shareholder Director]                                          | 4                                                              | 4                                              | Yes                                  |
| <b>Ms. Abha Singh Yaduvanshi</b><br>[Shareholder Director]                                          | 15                                                             | 15                                             | Yes                                  |
| <b>Shri Hemant Buch*</b><br>[Shareholder Director]                                                  | 3                                                              | 3                                              | Yes                                  |
| <b>Shri Gunjeet Singh Pannu#</b><br>[Shareholder Director]                                          | 11                                                             | 11                                             | NA                                   |
| <b>Shri Balakrishna Raghavendra Rao#</b><br>[Shareholder Director]                                  | 10                                                             | 9                                              | NA                                   |

# Joined as Member during the year

\* Ceased as Member during the year

d) दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई संबंध नहीं है।

e) दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास बैंक के 7500 इक्विटी शेयर थे।

f) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:  
<https://www.canarabank.bank.in/familiarisation-programmes-imparted-to-directors>

g) निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / योग्यताएं :

बैंक के कारोबार के संदर्भ में अपेक्षित मुख्य कौशल मुख्य कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताओं की सूची निम्नलिखित है। बोर्ड के सदस्यों के पास उक्त कौशल हैं:

- बैंक के कारोबार (विशेष रूप से ऋण और अग्रिम व जमा), नीतियों और संस्कृति (मिशन, दृष्टिकोण और मूल्यों सहित) बड़े जोखिम/ खतरे और संभावित अवसरों और उद्योग, जिसमें बैंक संचालित होता है, के बारे में ज्ञान।
- कारोबार रणनीति, साख और जोखिम प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी / डिजिटलीकरण, पूंजी उपयोग की दक्षता, कारोबार की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी क्रेडिट रेटिंग में सुधार, परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहल के लिए कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन करना।
- व्यावहारिक कौशल - बैंक के विकास में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की विशेषताएं और दक्षताएं
- वित्तीय और प्रबंधन कौशल
- बैंकिंग कारोबार के संबंध में तकनीकी / व्यावसायिक कौशल और विशेष ज्ञान

d) None of the Directors of the Bank have any relationships inter-se, as on 31.03.2026.

e) Non-Executive Directors held 7500 Equity Shares of the Bank as on 31.03.2026.

f) The details of familiarization programmes imparted to Directors during FY 2025-26 is available on Bank's website at the following link:  
<https://www.canarabank.bank.in/familiarisation-programmes-imparted-to-directors>

g) Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors:

The following is the list of Core Skills / Expertise / Competencies identified as required in the context of the Bank's business. The said skills are available with the Board Members:

- Knowledge on Bank's businesses (especially Loans, Advances and Deposits), Policies and Culture (including the Mission, Vision and Values) major risks / threats and potential opportunities and knowledge of the industry in which the Bank operates.
- Business Strategy, Credit & Risk Management, Information Technology/ Digitization, Efficiency of Capital Use, Growth of Business, NPA Management, Financial Inclusion, Improvement in External Credit Rating, Initiative to Improve Asset Quality, to conserve Capital and HR initiatives for Skill Development and Talent Management.
- Behavioural Skills - Attributes and Competencies to use their knowledge and skills to contribute effectively to the growth of the Bank.
- Financial and Management skills.
- Technical / Professional skills and specialized knowledge in relation to Bank's business.

| निदेशकों का विवरण          | कौशल / विशेषज्ञता / योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्री विजय श्रीरंगन         | अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई तरह की जिम्मेदारियां निभाईं, जिनमें प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री, टर्नकी एंजमेंट और सिस्टम एकीकरण शामिल थे।                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्री के सत्यनारायण राजु    | शाखा बैंकिंग, कॉर्पोरेट साख, खुदरा ऋण, एमएसएमई, कृषि वित्तपोषण, साख निगरानी, वसूली, निरीक्षण, अनुपालन, लेखा परीक्षा, सामान्य प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग आदि सहित बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव।                                                                                                                                                                                                                   |
| श्री देबाशीष मुखर्जी       | कॉर्पोरेट साख, ऋण निगरानी, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन और वसूली में व्यापक अनुभव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया | भारत और विदेश (हांगकांग) में बैंकिंग प्रणाली (ग्रामीण / अर्ध-शहरी / शहरी / मेट्रो भौगोलिक क्षेत्र) के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव।                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्री भवेन्द्र कुमार        | बैंक के स्वर्ण ऋण विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया तथा कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने से पहले ₹2.5 लाख करोड़ से अधिक के कारोबार वाले दिल्ली अंचल कार्यालय का नेतृत्व किया।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्री एस के मजुमदार         | पिछले कई वर्षों से वे प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाते रहे हैं, जिनमें बृहद कॉर्पोरेट शाखाओं, न्यूयॉर्क शाखा और बृहद कॉर्पोरेट साख विभाग का नेतृत्व शामिल है।                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्री सुनील कुमार चुध       | पिछले कई वर्षों में, उन्होंने कॉर्पोरेट साख, खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएमएम) ऋण, वित्तीय समावेशन, दबावग्रस्त आस्ति का प्रबंधन और साख निगरानी सहित प्रमुख कारोबारिक व परिचालन विभागों का नेतृत्व किया है। उन्होंने मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद में बृहद कॉर्पोरेट शाखाओं का नेतृत्व किया है। उनकी भूमिकाएं कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय और शाखाओं तक फैली हुई हैं, जिनमें जमीनी स्तर का अनुभव और रणनीतिक अंतर्दृष्टि का संयोजन शामिल है। |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल    | वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि ऋण (एसी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित विभिन्न विषयों पर काम किया था। उन्हें पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में शिक्षा क्षेत्र में काम करने का भी समृद्ध अनुभव है।                                                                                                                                                                                       |
| श्री रोहित पी. दास         | रिज़र्व बैंक में उद्यम जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुंबई के विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों जैसे जोखिम विभाग, बाहरी निवेश और संचालन विभाग एवं पर्यवेक्षण विभाग में भी काम किया है। उन्होंने एआई-एमएल के माध्यम से ऑफ़साइट पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए एक परियोजना की भी देखरेख की।                                                                                                                     |
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन      | वह एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बी. त्यागराजन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चेन्नई में एक वरिष्ठ भागीदार हैं, जिनके पास लेखांकन, लेखापरीक्षा, बैंकिंग, वित्त और विभिन्न अन्य उद्योगों में तीन दशकों से अधिक का कार्य अनुभव और ज्ञान है।                                                                                                                                                                                           |
| श्री बिमल प्रसाद शर्मा     | बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक, जोखिम प्रबंधन का अनुभव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Details of Directors         | Skills / Expertise / Competence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shri Vijay Srirangan         | During his career, he had a wide spectrum of responsibilities, including, inter-alia, Training, Applied Technology Research, International Sales, Turnkey Engagements as well as Systems Integration.                                                                                                                                                                                                              |
| Shri K Satyanarayana Raju    | Rich experience in all segments of banking including Branch Banking, Corporate Credit, Retail Credit, MSME, Agri Financing, Credit Monitoring, Recovery, Inspection, Compliance, Audit, General Administration, Information Technology & Digital Banking, etc.                                                                                                                                                     |
| Shri Debashish Mukherjee     | Vast experience in Corporate Credit, Credit Monitoring, Stressed Assets Management and Recovery.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Shri Hardeep Singh Ahluwalia | Rich banking experience for more than three decades in various functional areas of Banking system (Rural / Semi-Urban / Urban / Metro geographies) in India and abroad (HK)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Shri Bhavendra Kumar         | Worked as Gold Loan Wing Head of the Bank and was heading Delhi Circle Office with a business of more than Rupees 2.5 Lakh Crores until he was elevated to the post of Executive Director.                                                                                                                                                                                                                         |
| Shri S K Majumdar            | Over the years, he has held key leadership roles, heading Large Corporate Branches, New York branch and Large Corporate Credit Wing.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Shri Sunil Kumar Chugh       | Over the years, he led key business and operations verticals, including Corporate Credit, Retail, Agri & MSME (RAM) Credit, Financial Inclusion, Stressed Assets Management and Credit Monitoring. He has headed Large Corporate Branches in Mumbai, Kolkata, and Ahmedabad. His roles have spanned Corporate Office, Administrative Offices and Branches, combining field-level exposure with strategic insights. |
| Shri Parshant Kumar Goyal    | During his tenure in the Department of Financial Services as Director, he had dealt with a variety of subjects including Agriculture Credit (AC) and Regional Rural Banks (RRBs). He also has a rich experience of working in Education sector in the States of Punjab & Tripura.                                                                                                                                  |
| Shri Rohit P. Das            | Pivotal in setting up the Enterprise Risk Management Framework in the Reserve Bank and has also worked in various Central Office Departments, Mumbai such as the Risk Department, Department of External Investments and Operations and the Department of Supervision. He also oversaw a project to strengthen offsite supervision through AI-ML.                                                                  |
| Ms. Nalini Padmanabhan       | She is a practising Chartered Accountant and a senior partner at B. Thiagarajan & Co., Chartered accountants, Chennai with more than three decades of work experience and knowledge in Accounting, Auditing, Banking, Finance and various other industries.                                                                                                                                                        |
| Shri Bimal Prasad Sharma     | Risk Management, Executive Director of Bank of India.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| निदेशकों का विवरण           | कौशल / विशेषज्ञता / योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी     | वे लोक सभा सचिवालय से अतिरिक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बैंकिंग मामलों, वित्त, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्री हेमंत बुच              | वह पिछले लगभग 30 वर्षों से पारंपरिक जीवन के साथ-साथ समूह जीवन उत्पादों के विपणन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्री गुंजीत सिंह पन्नू      | वे आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। एक पेशेवर तौर पर और न्यायिक क्षमता में, उन्हें कुल मिलाकर 39 वर्षों से अधिक का अनुभव है; उन्होंने भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक वैधानिक अर्ध-न्यायिक निकाय - आईटीएटी - में अपनी सेवाएँ दी हैं। उन्हें लेखांकन, वित्त, बैंकिंग, प्रत्यक्ष कर, कानून आदि क्षेत्रों में व्यापक और विविध अनुभव प्राप्त है।                                                                                                         |
| श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव | वे एक पेशेवर बैंकर हैं, जिन्हें बैंकिंग के सभी पहलुओं में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है; वे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई से उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके पास इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एससी-टेक) है और वे भारतीय बैंक संस्थान का प्रमाणपत्रित के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। उन्होंने 2019 में शिकागो स्कूल ऑफ़ बिज़नेस से और 2023 में लंदन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस से बिज़नेस मैनेजमेंट में ऑन-साइट प्रशिक्षण प्राप्त किया है। |

| Details of Directors             | Skills / Expertise / Competence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi        | She retired as Additional Secretary from Lok Sabha Secretariat. During her service she acquired knowledge & experience in Banking matters, Finance, Agriculture, Information Technology etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Shri Hemant Buch                 | He has been actively associated with marketing of Conventional Life as well as Group Life products for almost last 30 years.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Shri Gunjeet Singh Pannu         | He is a former Vice President of the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). He has an overall experience of over 39 years, as a practising professional and in an adjudicatory capacity, having served with ITAT, Ministry of Law & Justice, Govt. of India, a statutory quasi-judicial body. He has rich and diverse experience in the fields of accountancy, finance, banking, Direct Taxes, Laws, etc.                                                                                 |
| Shri Balakrishna Raghavendra Rao | He is a career banker, with over 33 years of experience in all the facets of Banking. He retired as Deputy Managing Director (DMD) at State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai. He holds a Post Graduate Degree (M. Sc.-Tech) in Instrumentation Engineering and is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has undergone on-site training Courses in Business Management from Chicago School of Business in 2019 and from London School of Business in 2023. |

- h) बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियम] में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।
- i) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक) श्री हेमंत बुच ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही त्यागपत्र दे दिया है।
- j) निदेशकों / बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन निम्नानुसार है:

कंपनी अधिनियम और सेबी सूचीबद्धता नियमों के प्रावधानों के लिए अपेक्षित है कि बोर्ड, समितियों और निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाए। केनरा बैंक के निदेशक मंडल का संयोजन और शर्तें "बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970" अर्थात् इस अधिनियम के माध्यम से अभिशासित की जाती हैं।

अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए तीन निदेशकों को छोड़कर, बाकी सभी निदेशकों की नियुक्ति / नामांकन भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। बैंक का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होता है। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 (अधिनियम) की धारा 9(3) के खंड (g) और (h) के तहत नामित तीन शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) और गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक), आरबीआई / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से भी स्वतंत्र होते हैं।

बोर्ड, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ("मंत्रालय") के पत्र सं.F.No.12/1/2014-BOA दिनांक 18.08.2015 के अनुसार मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों के मूल्यांकन के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक

- h) In the opinion of the Board, Independent Directors fulfill the conditions specified in Securities and Exchange Board of India (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR) Regulations, 2015] and are independent of the management.
- i) During the Financial Year 2025-26, Shri Hemant Buch, Non-Executive Independent Director (Shareholder Director) of the Bank has resigned before the expiry of his tenure.
- j) The performance evaluation of Directors / Board is as under:

The provisions of the Companies Act and the SEBI Listing Regulations require that the performance evaluation of the Board, the committees and directors to be carried out on an annual basis. The Composition & Terms of reference of Board of Directors of Canara Bank is governed by "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970".

All the Directors, except three Directors elected amongst the Shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India/GOI guidelines. The three Shareholder Directors (Independent Directors) & Non-Official Directors nominated under Clauses (g) and (h) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (Act) (Independent Directors), fulfill the necessary conditions as per the RBI/ GOI guidelines and are also independent of the Management.

The Board evaluates the performance of Whole-Time Directors using an evaluation matrix as per the Key Performance Indicators (KPIs) for the assessment of Quantitative & Qualitative parameters as advised by Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI

(केपीआई) के अनुसार मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग कर संवर्धित अभिगम और सेवा उत्कृष्टता (ईएसई) के अनुरूप पीएसबी सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए भारांक के साथ पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है। केपीआई संकेतकों में मोटे तौर पर पूंजी के उपयोग की दक्षता, कारोबार में वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाह्य ऋण मानदंड में सुधार, आस्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, पूंजी संरक्षण और कौशल विकास तथा प्रतिभा प्रबंधन हेतु मानव संसाधन पहल पहले शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंपनी अभिशासन में सुधार के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) के अभिशासन में सुधार संबंधी अधिसूचना संख्या F.No.6/20/2019-बीओआई दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से अधिसूचित किया है। सरकार ने गैर-सरकारी निदेशकों को, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 (अधिनियम) की धारा 9(3) के खंड (g) और (h) के तहत नामित गैर-सरकारी निदेशकों को, -जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना के खंड 5(1), के तहत नियुक्त गैर-कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल हैं, कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित “स्वतंत्र निदेशकों” के समान है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन में सुधार के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन उपायों को स्थापित किया है।

शेयरधारक निदेशकों / स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। बोर्ड के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।

### 3) बोर्ड समितियाँ

#### (A) लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिनमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।

एसीबी निर्देश प्रदान करता है और बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण भी करता है।

(“Ministry”) vide their letter No.F.No.12/1/2014-BOA dated 18.08.2015 along with the weightage of marks for implementation of the PSB Reforms Agenda under Enhanced Access & Service Excellence (EASE). The KPI indicators broadly cover Efficiency of Capital Use, Growth of Business, NPA Management, Financial Inclusion, Improvement in External Credit Rating, Initiative to Improve Asset Quality, to conserve Capital and HR Initiatives for Skill Development and Talent Management.

Government of India with a view to improve Corporate Governance in PSBs notified PSB Governance Reforms vide notification F.No.6/20/2019-BO.I dated 30.08.2019. The Government referred the Non-Official Directors nominated under Clauses (g) and (h) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (Act), including Non-Executive Chairman appointed under Clause 5(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 to be similar in nature to “Independent Directors” defined under Companies Act and instituted the performance evaluation measures to improve the Corporate Governance in PSBs.

The evaluation of Shareholder Directors/ Independent Directors is being done on annual basis. Transparency and Independence in functioning of the Board are ensured.

### 3) Board Committees

#### (A) Audit Committee:

The Audit Committee of the Board (ACB) is constituted by the Bank as per guidelines of Reserve Bank of India, the Government of India and Securities and Exchange Board of India Regulations as amended from time to time.

ACB provides directions and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

i) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के मुख्य कार्य निम्नवत हैं:

|    |                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना, और वित्तीय जानकारी का सही, पर्याप्त और विश्वसनीय प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।                                                                   |
| b. | लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना। |
| c. | बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना      |
| d. | बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।                                                                                                                                              |

एसीबी लेखा परीक्षा समिति द्वारा दीर्घ प्रारूप लेखा परीक्षा विवरणी (एलएफएआर) में उठाए गए मामलों के संबंध में स्थिति की समीक्षा भी करता है; आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों / मामलों पर की गई कार्रवाई (अनुवर्तन) की समीक्षा करता है; और साथ ही अनुपालन कक्ष, अंतर-शाखा लेखा समाधान अनुभाग (आईबीएआर) आदि से प्राप्त रिपोर्टों की भी समीक्षा करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या RBI/2010-11/269-DBS.ARS. BC.NO. 4/08.91.20/2010-11, दिनांक 10.11.2010 कैलेंडर आधारित समीक्षा के बारे में सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है। इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति में शामिल किया गया है, और इन्हें विधिवत रूप से कैलेंडर आधारित समीक्षा के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

ii) दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षा समिति की संरचना

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी -<br>समिति की अध्यक्ष (शेयरधारक निदेशक) |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल<br>(भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक)     |
| श्री रोहित पी. दास<br>(आरबीआई नामित निदेशक)                     |
| श्री गुंजीत सिंह पन्नू<br>(शेयरधारक निदेशक)                     |
| श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव<br>(शेयरधारक निदेशक)                |

i) The major functions of the committee are as under:

|    |                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | To oversee the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.                                                                                      |
| b. | To review with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements. |
| c. | To review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports.                       |
| d. | To review Bank's finance and risk management policies.                                                                                                                                                                  |

ACB also reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR), follow-up on the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI, and also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) Section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO. 4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

ii) The Composition of Audit Committee as on 31.03.2026:

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi -<br>Chairperson of the Committee (Shareholder Director) |
| Shri Parshant Kumar Goyal<br>(GOI Nominee Director)                                |
| Shri Rohit P. Das<br>(RBI Nominee Director)                                        |
| Shri Gunjeet Singh Pannu<br>(Shareholder Director)                                 |
| Shri Balakrishna Raghavendra Rao<br>(Shareholder Director)                         |

iii) बैठकों की संख्या और उनमें उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

बैठकों की संख्या: 11

बैठकों की तिथि: 08.05.2025, 28.05.2025, 11.07.2025, 24.07.2025, 29.08.2025, 15.10.2025, 30.10.2025, 18.12.2025, 29.01.2026, 11.02.2026 & 18.03.2026

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा प्रतिभागिता बैठकों की संख्या:

| निदेशक का नाम                                                                         | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों में प्रतिभागिता की गई |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी, अध्यक्ष, एसीबी                                               | 11                                             | 11                           |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल                                                               | 11                                             | 8                            |
| श्री रोहित पी. दास                                                                    | 11                                             | 8                            |
| श्री गुंजीत सिंह पन्नू<br>(दिनांक 27.07.2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त)             | 7                                              | 7                            |
| श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव<br>(दिनांक 13.09.2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त)        | 6                                              | 6                            |
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन (सदस्य के रूप में कार्यकाल: दिनांक 11.04.2025 से 26.07.2025 तक) | 4                                              | 4                            |
| श्री बिमल प्रसाद शर्मा<br>(दिनांक 01.07.2025 से सदस्यता समाप्त)                       | 2                                              | 2                            |

B) नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के अनुपालन में और निदेशक मंडल के दिनांक 30.09.2019 के आदेशों के अनुसार किया गया था, जो वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्राचार संदर्भ संख्या F.No.16/19/2019-BO.I दिनांक 30.08.2019 पर आधारित था।

i) समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

a) मौजूदा निर्वाचित निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों की

iii) The details of number of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings: 11

Date of Meetings: 08.05.2025, 28.05.2025, 11.07.2025, 24.07.2025, 29.08.2025, 15.10.2025, 30.10.2025, 18.12.2025, 29.01.2026, 11.02.2026 & 18.03.2026

No. of meetings attended by member-Directors during the Financial Year:

| Name of Director                                                            | No. of Meetings held During their Tenure | No. of Meetings Attended |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi, Chairperson of ACB                               | 11                                       | 11                       |
| Shri Parshant Kumar Goyal                                                   | 11                                       | 8                        |
| Shri Rohit P. Das                                                           | 11                                       | 8                        |
| Shri Gunjeet Singh Pannu<br>(Appointed as Member w.e.f. 27.07.2025)         | 7                                        | 7                        |
| Shri Balakrishna Raghavendra Rao<br>(Appointed as Member w.e.f. 13.09.2025) | 6                                        | 6                        |
| Ms. Nalini Padmanabhan<br>(Tenure as Member from 11.04.2025 to 26.07.2025)  | 4                                        | 4                        |
| Shri Bimal Prasad Sharma<br>(Ceased to be Member w.e.f. 01.07.2025)         | 2                                        | 2                        |

B) Nomination and Remuneration Committee:

The Nomination and Remuneration Committee was constituted in compliance of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of orders of the Board of Directors dated 30.09.2019 based on DFS, MoF, GoI communication Ref. No F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019.

i) The major functions of the committee are as under:

a) Determine the "Fit and Proper" status of



‘उपयुक्त और उचित’ स्थिति का निर्धारण नीचे दिए गए व्यापक मानदंडों के आधार पर करें:

- शैक्षणिक योग्यता
- अनुभव और विशेषज्ञता
- पिछला प्रदर्शन और सत्यनिष्ठा

(यह सूची केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है)

- b) समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपरोक्त मानदंडों में से किसी का अनुपालन न करने से मौजूदा निर्वाचित निदेशक/प्रस्तावित उम्मीदवार बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोई रुकावट न आए।
- c) इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार किसी प्राधिकरण/नियामक एजेंसी की प्रतिकूल नज़र में आता है, या दिवालिया हो जाता है, अथवा किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए किसी ऋण का भुगतान करने में चूक करता है, तो वह उम्मीदवार बैंक के बोर्ड में निदेशक के पद के लिए अयोग्य और अनुचित माना जाएगा।
- d) सरकारी बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्य निष्पादन से आधारित प्रोत्साहन
- e) ऐसे अन्य कार्य, जो सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत परिभाषित हैं और समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं।

ii) दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना:

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| श्री गुंजीत सिंह पन्नु -<br>समिति के अध्यक्ष (शेयरधारक निदेशक) |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल<br>(भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक)    |
| श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव<br>(शेयरधारक निदेशक)               |

iii) बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

अयोजित बैठकों की संख्या: 2

बैठक(कों) की तिथियां: 13.06.2025 & 12.09.2025

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

the Existing Elected Directors / Proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- Educational Qualification
- Experience and Field of Expertise
- Track Record and Integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive)

- b) The committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director / proposed candidate from discharging the duties as a director on the board of the Bank.
- c) Further, the candidate coming to the adverse notice of any Authority / Regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the Bank.
- d) Performance-linked Incentives to Whole-Time Directors of Public Sector Banks.
- e) Such other Functions as defined in SEBI (LODR) Regulations, 2015 amended from time to time.

ii) The composition of Nomination and Remuneration Committee as on 31.03.2026:

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Shri Gunjeet Singh Pannu -<br>Chairperson of the Committee (Shareholder Director) |
| Shri Parshant Kumar Goyal<br>(GOI Nominee Director)                               |
| Shri Balakrishna Raghavendra Rao<br>(Shareholder Director)                        |

iii) The details of number of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 2

Dates of Meeting(s): 13.06.2025 & 12.09.2025

No. of. meetings attended by member-Directors during the Financial Year:

| निदेशक का नाम                                                                                                                                                                              | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों में प्रतिभागिता की गई |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| श्री प्रशांत कुमार गोयल<br>(भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक)                                                                                                                                | 2                                              | 2                            |
| श्री गुंजीत सिंह पन्नू<br>(शेयरधारक निदेशक) (दिनांक 27.07.2025 से एनआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त)                                                                                    | 1                                              | 1                            |
| श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव<br>(शेयरधारक निदेशक) (दिनांक 13.09.2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त)                                                                                           | शून्य                                          | शून्य                        |
| श्री बिमल प्रसाद शर्मा<br>(शेयरधारक निदेशक) (सदस्य के रूप में कार्यकाल: दिनांक 01.06.2025 से 26.07.2025 तक)                                                                                | 1                                              | 1                            |
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>(अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) (एनआरसी की अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल: दिनांक 02.07.2025 से 26.07.2025 तक) (सदस्य के रूप में कार्यकाल: 27.07.2025 से 12.09.2025 तक) | 1                                              | 1                            |
| श्री हेमंत बुच<br>(शेयरधारक निदेशक) (दिनांक 01.07.2025 से एनआरसी के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया)                                                                                               | 1                                              | 1                            |
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी<br>(शेयरधारक निदेशक) (सदस्य के रूप में कार्यकाल: दिनांक 01.04.2025 से 31.05.2025 तक)                                                                               | -                                              | -                            |

| Name of the Director                                                                                                                                                         | No. of Meetings held during their tenure | No. of Meetings Attended |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Shri Parshant Kumar Goyal<br>(GOI Nominee Director)                                                                                                                          | 2                                        | 2                        |
| Shri Gunjeet Singh Pannu<br>(Shareholder Director)<br>(Appointed as Chairperson of NRC w.e.f. 27.07.2025)                                                                    | 1                                        | 1                        |
| Shri Balakrishna Raghavendra Rao<br>(Shareholder Director)<br>(Appointed as Member w.e.f. 13.09.2025)                                                                        | Nil                                      | NA                       |
| Shri Bimal Prasad Sharma<br>(Shareholder Director)<br>(Tenure as Member from 01.06.2025 to 26.07.2025)                                                                       | 1                                        | 1                        |
| Ms. Nalini Padmanabhan<br>(Part-Time Non-Official Director) (Tenure as Chairperson of NRC from 02.07.2025 to 26.07.2025)<br>(Tenure as Member from 27.07.2025 to 12.09.2025) | 1                                        | 1                        |
| Shri Hemant Buch<br>(Shareholder Director)<br>(Ceased to be Chairperson of NRC w.e.f. 01.07.2025)                                                                            | 1                                        | 1                        |
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi<br>(Shareholder Director)<br>(Tenure as Member from 01.04.2025 to 31.05.2025)                                                                      | -                                        | -                        |

गैर-सरकारी निदेशक के कार्यनिष्पादन का बोर्ड द्वारा मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है:

व्यावसायिक एवं नैतिक आचरण का पालन किया गया:

| क्र. सं. | गुण                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना                                         |
| 2        | बैंक के सर्वोत्तम हित में कार्य करना                                                                   |
| 3        | समुचित और उचित देखभाल, कौशल, परिश्रम और स्वतंत्र निर्णय का अभ्यास                                      |
| 4        | प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हितों के टकराव से बचाव                                                         |
| 5        | स्वयं, रिश्तेदारों, भागीदारों या सहयोगियों को अनुचित लाभ या फ़ायदा पहुँचाने से बचना।                   |
| 6        | सूचना की गोपनीयता बनाए रखना, जिसमें वाणिज्यिक गोपनीयता और अप्रकाशित बाज़ार-संवेदनशील जानकारी शामिल है। |

योगदान:

| क्र. सं. | गुण                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | बोर्ड और समिति की सभी बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करना                                                         |
| 2        | जहाँ आवश्यक हो, जानकारी का उचित स्पष्टीकरण या विस्तार प्राप्त करना।                                                  |
| 3        | बैठकों और टिप्पणियों में बैंक तथा बाहरी परिवेश के संबंध में अपेक्षित ज्ञान और जागरूकता के अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन। |
| 4        | रचनात्मक विचारों, मार्गदर्शन तथा बैंक के कार्यों के बेहतर निर्णय-निर्माण एवं प्रबंधन संबंधी ज्ञान के रूप में योगदान। |
| 5        | बैंक द्वारा लिए जा रहे निर्णयों पर प्रतिक्रिया की समयबद्धता                                                          |

C) हितधारक संबंध समिति:

हितधारक संबंध समिति का गठन सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और निदेशक मंडल के दिनांक 30.11.2002 के आदेशों के अनुसार किया गया था। समिति बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी करती है,

Board's evaluation of performance of Non-Official Directors is based on the following parameters:

Professional and ethical conduct observed:

| Sl. No. | Attribute                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Acting in accordance with provisions of laws, rules and regulations                                                   |
| 2       | Acting in the best interests of the Bank                                                                              |
| 3       | Exercise of due and reasonable care, skill, diligence and independent judgement                                       |
| 4       | Avoidance of direct or indirect conflicts of interest                                                                 |
| 5       | Avoidance of undue gain or advantage either to self or relatives, partners or associates                              |
| 6       | Maintaining confidentiality of information, including commercial secrets and unpublished Market-sensitive information |

Contributions:

| Sl. No. | Attribute                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Striving to attend all Board and committee meetings                                                                          |
| 2       | Seeking appropriate clarification or amplification of information where necessary                                            |
| 3       | Display of requisite knowledge and expected level of awareness of the Bank and external environment in meetings and comments |
| 4       | Contribution in terms of constructive ideas, guidance, knowledge of better decision making and management of Bank's affairs  |
| 5       | Timeliness of feedback on decisions being taken by the Bank                                                                  |

C) Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholder Relationship Committee was constituted in compliance of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Orders of the Board of Directors dated 30.11.2002. The committee monitors the redressal of the grievances of the security holders

जिसमें शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने और घोषित लाभांश वारंट प्राप्त न होने से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

## i) समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण / प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, घोषित लाभांश की अप्राप्ति, नए / डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों का निर्गमन, सामान्य सभाएं आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
- शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए उठाए गए उपायों की समीक्षा।
- रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में, बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।
- अदावाकृत लाभांश की मात्रा को कम करने तथा कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव, शेयरधारक निदेशक, समिति के अध्यक्ष हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 6(1) के अनुसार, श्री संतोष कुमार बारिक, कंपनी सचिव दिनांक 31.03.2026 तक बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

## शेयरधारकों की शिकायतों के आँकड़े:

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें / अभ्यावेदन                        | 179   |
| शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार शिकायतों का समाधान नहीं किया गया | शून्य |
| लंबित शिकायतें                                                    | शून्य |

of the Bank including complaints related on transfer of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividend warrants.

## i) The major functions of the committee are as under:

- Resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/duplicate certificates, general meetings etc.
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by Shareholders.
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Transfer Agent.
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants / annual reports / statutory notices by the Shareholders of the company.

Shri Balakrishna Raghavendra Rao, Shareholder Director, is the chairperson of the Committee.

In terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Shri Santosh Kumar Barik, Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank as on 31.03.2026.

## Shareholder's Grievances Statistics:

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Complaints / Representations Received during the year     | 179 |
| Complaints not solved to the satisfaction of Shareholders | Nil |
| Pending Complaints                                        | Nil |

ii) दिनांक 31.03.2026 तक हितधारक संबंध समिति के सदस्यों की संरचना:

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव -<br>समिति के अध्यक्ष (शेयरधारक निदेशक)                                   |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया<br>प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी)<br>(कार्यपालक निदेशक) |
| श्री भवेन्द्र कुमार<br>(कार्यपालक निदेशक)                                                             |
| श्री एस के मजुमदार<br>(कार्यपालक निदेशक)                                                              |
| श्री सुनील कुमार चुघ<br>(कार्यपालक निदेशक)                                                            |
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी<br>(शेयरधारक निदेशक)                                                          |

ii) The composition of Stakeholders Relationship Committee as on 31.03.2026:

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shri Balakrishna Raghavendra Rao -<br>Chairperson of the Committee<br>(Shareholder Director) |
| Shri Hardeep Singh Ahluwalia<br>MD&CEO (I/C)<br>(Executive Director)                         |
| Shri Bhavendra Kumar<br>(Executive Director)                                                 |
| Shri S K Majumdar<br>(Executive Director)                                                    |
| Shri Sunil Kumar Chugh<br>(Executive Director)                                               |
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi<br>(Shareholder Director)                                          |

iii) बैठकों की संख्या और उनमें उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 2  
बैठक(कों) की तिथियां: दिनांक 28.08.2025 & 17.03.2026  
वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा प्रतिभागिता बैठकों की संख्या

iii) The details of number of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 2  
Dates of Meeting(s) : 28.08.2025 & 17.03.2026  
No. of. meetings attended by member-Directors during the Financial Year:

| निदेशक का नाम                                                                                         | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों में प्रतिभागिता की गई |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया<br>प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी)<br>(कार्यपालक निदेशक) | 2                                              | 2                            |
| श्री भवेन्द्र कुमार<br>(कार्यपालक निदेशक)                                                             | 2                                              | 2                            |
| श्री एस के मजुमदार<br>(कार्यपालक निदेशक)                                                              | 2                                              | 2                            |

| Name of the Director                                                 | No. of Meetings held during their tenure | No. of Meetings Attended |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Shri Hardeep Singh Ahluwalia<br>MD&CEO (I/C)<br>(Executive Director) | 2                                        | 2                        |
| Shri Bhavendra Kumar<br>(Executive Director)                         | 2                                        | 2                        |
| Shri S K Majumdar<br>(Executive Director)                            | 2                                        | 2                        |



|                                                                                                                                                                                                            |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>श्री सुनील कुमार चुघ</b><br>(कार्यपालक निदेशक)<br>(दिनांक 25.11.2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया)                                                                                              | 1 | 1 |
| <b>सुश्री आभा सिंह यदुवंशी</b><br>(शेयरधारक निदेशक)                                                                                                                                                        | 2 | 2 |
| <b>श्री गुंजीत सिंह पन्नु</b><br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(एसआरसी के अध्यक्ष रूप में दिनांक 27.07.2025 से 12.09.2025 तक का कार्यकाल)                                                                           | 1 | 1 |
| <b>श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव</b><br>(शेयरधारक निदेशक) (दिनांक 13.09.2025 से एसआरसी के अध्यक्ष नियुक्त)                                                                                                   | 1 | 1 |
| <b>श्री देबाशीष मुखर्जी</b><br>(कार्यपालक निदेशक) (दिनांक 31.05.2025 से सदस्यता समाप्त)                                                                                                                    | - | - |
| <b>सुश्री नलिनी पद्मानाभन</b><br>(अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) (सदस्य के रूप में कार्यकाल: दिनांक 11.04.2025 से 01.07.2025 तक) (एसआरसी की अध्यक्षा के रूप में कार्यकाल: दिनांक 02.07.2025 से 26.07.2025 तक) | - | - |
| <b>श्री बिमल प्रसाद शर्मा</b><br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(दिनांक 10.04.2025 से सदस्यता समाप्त)                                                                                                                | - | - |
| <b>श्री हेमंत बुच</b><br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(दिनांक 01.07.2025 से एसआरसी की सदस्यता समाप्त)                                                                                                              | - | - |

|                                                                                                                                                                                  |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>Shri Sunil Kumar Chugh</b><br>(Executive Director)<br>(Appointed as Member w.e.f. 25.11.2025)                                                                                 | 1 | 1 |
| <b>Ms. Abha Singh Yaduvanshi</b><br>(Shareholder Director)                                                                                                                       | 2 | 2 |
| <b>Shri Gunjeet Singh Pannu</b><br>(Shareholder Director)<br>(Tenure as Chairperson of SRC from 27.07.2025 to 12.09.2025)                                                        | 1 | 1 |
| <b>Shri Balakrishna Raghavendra Rao</b><br>(Shareholder Director)<br>(Appointed as Chairperson of SRC w.e.f. 13.09.2025)                                                         | 1 | 1 |
| <b>Shri Debashish Mukherjee</b><br>(Executive Director)<br>(Ceased to be member w.e.f. 31.05.2025)                                                                               | - | - |
| <b>Ms. Nalini Padmanabhan</b><br>(Part-Time Non-Official Director) (Tenure as Member from 11.04.2025 to 01.07.2025) (Tenure as Chairperson of SRC from 02.07.2025 to 26.07.2025) | - | - |
| <b>Shri Bimal Prasad Sharma</b><br>(Shareholder Director)<br>(Ceased to be Member w.e.f. 10.04.2025)                                                                             | - | - |
| <b>Shri Hemant Buch</b><br>(Shareholder Director)<br>(Ceased to be Chairperson of SRC w.e.f. 01.07.2025)                                                                         | - | - |

## (D) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार किया गया है। बैंक ने अपने आकार, जटिलता के स्तर, जोखिम

## (D) Risk Management Committee:

The Risk Management Committee of the Bank is constituted as per extant RBI guidelines and SEBI (LODR), Regulations 2015. The Bank has evolved

प्रोफाइल और परिचालन के दायरे के अनुरूप उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीतियां बनाई हैं।

एक बोर्ड-स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसे बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली हेतु नीति और रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

चूँकि जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एक समिति-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से लागू किया जाना आवश्यक है, इसलिए जोखिम प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए चार उच्च-स्तरीय समितियाँ-अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और समूह जोखिम प्रबंधन समिति-गठित की गई हैं, जो सभी सामान्य जोखिमों को कवर करती हैं।

समिति का समग्र उत्तरदायित्व बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति तय करना तथा तरलता, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और इक्विटी मूल्य जोखिमों की सीमा निर्धारित करना है।

जोखिम प्रबंधन समिति का कार्य ऋण जोखिम से संबंधित मामलों से निपटने वाली ऋण नीति समिति (सीपीसी) और बाज़ार जोखिम से निपटने वाली आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के कामकाज का समन्वय, समीक्षा और निगरानी करना है।

समिति एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करेगी जिसमें बैंक के विभिन्न जोखिम शामिल होंगे जिसमें ऋण जोखिम भी शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, समिति ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति और बैंक की अन्य जोखिम समितियों, यदि कोई हो, के बीच प्रभावी ढंग से समन्वय करेगी।

#### i) समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- समिति बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति तय करने और तरलता, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और शेयर मूल्य जोखिमों की सीमा निर्धारित करने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी होगी।
- जोखिम प्रबंधन समिति का कार्य ऋण जोखिम संबंधी मामलों से निपटने वाली ऋण नीति समिति (सीपीसी) और बाज़ार जोखिम से निपटने वाली परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के समन्वय, समीक्षा, निगरानी और कार्यप्रणाली का संचालन करना है।
- समिति ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिमों को शामिल करते हुए एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति

suitable risk management policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated risk management system for the Bank.

As the risk management system is required to be implemented through a committee approach, four high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks.

The Committee will have the overall responsibility of deciding the Risk Management Policy of the Bank and set limits for liquidity, interest rate, foreign exchange and equity price risks.

The functions of the Risk Management Committee are to co-ordinate, review and monitor the functioning of Credit Policy Committee (CPC) dealing with credit risk related matters and Asset Liability Management Committee (ALCO) which is dealing with market risk.

The Committee shall devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk. For this purpose, the Committee shall effectively co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee and other Risk Committees of the Bank, if any.

#### i) The major functions of the committee are as under:

- The Committee will have the overall responsibility of deciding the Risk Management Policy of the Bank and set limits for liquidity, interest rate, foreign exchange and equity price risks.
- The functions of the Risk Management Committee is to co-ordinate, review, monitor and functioning of Credit Policy Committee (CPC) dealing with credit risk related matters and Asset Liability Management Committee (ALCO) which is dealing with the market risk.
- The Committee shall devise the policy and strategy for integrated risk management

और रणनीति तैयार करेगी। इस उद्देश्य के लिए, समिति ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति और बैंक की अन्य जोखिम समितियों (यदि कोई हो) के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करेगी।

- d) बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) (प्रारंभिक चेतावनी संकेत) ईडब्ल्यूएस और (खातों की रेड फ्लैगिंग) आरएफए के लिए ढांचे की प्रभावशीलता की देखरेख करेगी। वरिष्ठ प्रबंधन बैंक के भीतर ईडब्ल्यूएस और आरएफए के लिए एक मजबूत ढांचे के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
- e) क्रेडिट सुविधाओं / ऋण खातों और अन्य बैंकिंग लेन-देनों की निगरानी के लिए निर्धारित ईडब्ल्यूएस संकेतकों को आरएमसीबी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस अलर्ट / ट्रिगर्स की जांच के लिए आरएमसीबी एक उपयुक्त समय सीमा (टीएटी) निर्धारित करेगा, जो संभवतः 30 दिनों से अधिक नहीं होगी।
- f) आरएमसीबी, बोर्ड द्वारा अनुमोदित समय-समय पर, रेड-फ्लैग किए गए खातों की स्थिति की समीक्षा करेगा, जिसमें ईडब्ल्यूएस अलर्ट / ट्रिगर, बैंक द्वारा शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाई आदि शामिल हैं।
- g) ईडब्ल्यूएस / आरएफए ढांचे को आरएमसीबी के निर्देशों के अनुसार उचित सत्यापन के अधीन किया जाएगा ताकि इसकी अखंडता, सुदृढ़ता और परिणामों की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

## ii) दिनांक 31.03.2026 तक जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना नीचे दी गई है:

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>(अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) – समिति की अध्यक्ष                        |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) |
| श्री सुनील कुमार चुघ (कार्यपालक निदेशक)                                                         |
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)                                                       |
| श्री गुंजीत सिंह पन्नु (शेयरधारक निदेशक)                                                        |

containing various risk exposures of the bank including the credit risk. For this purpose, the Committee shall effectively co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset Liability Management Committee and other Risk Committees of the Bank, if any.

- d) The Risk Management Committee of the Board (RMCB) shall oversee the effectiveness of the framework for (Early Warning Signals) EWS and (Red Flagging of Accounts) RFA. The Senior Management shall be responsible for implementation of a robust framework for EWS and RFA within the Bank.
- e) The EWS indicators identified for monitoring credit facilities / loan accounts and other banking transactions shall be approved by the RMCB. Appropriate Turnaround Time (TAT), preferably not more than 30 days, for examination of EWS alerts / triggers shall be prescribed by the RMCB.
- f) RMCB shall review the status of red flagged accounts, including the EWS alerts / triggers, remedial actions initiated by the Bank etc., at periodic intervals as approved by the Board.
- g) The EWS / RFA framework shall be subject to suitable validation in accordance with the directions of RMCB, so as to ensure its integrity, robustness and consistency of the outcomes.

## ii) The composition of Risk Management Committee as on 31.03.2026 is given below:

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ms. Nalini Padmanabhan (Part-Time Non-Official Director) - Chairperson of the Committee |
| Shri Hardeep Singh Ahluwalia MD & CEO (I/C) (Executive Director)                        |
| Shri Sunil Kumar Chugh (Executive Director)                                             |
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)                                        |
| Shri Gunjeet Singh Pannu (Shareholder Director)                                         |

iii) बैठकों की संख्या और बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 9

बैठक (कों) की तिथियां: 28.05.2025, 20.06.2025, 23.07.2025, 19.09.2025, 20.11.2025, 19.12.2025, 16.01.2026, 11.02.2026 & 18.03.2026.

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा प्रतिभागिता बैठकों की संख्या:

iii) The details of number of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 9

Dates of Meeting(s) : 28.05.2025, 20.06.2025, 23.07.2025, 19.09.2025, 20.11.2025, 19.12.2025, 16.01.2026, 11.02.2026 & 18.03.2026.

No. of. meetings attended by member-Directors during the Financial Year:

| निदेशक का नाम                                                                                                                                                                                                       | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | भाग लिए गए बैठकों की संख्या |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| श्री के सत्यनारायण राजु<br>प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दिनांक 31.12.2025 से सदस्यता समाप्त)                                                                                                            | 6                                              | 6                           |
| श्री हरदीप सिंह अहलवालिया<br>प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी (प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) (सदस्य के रूप में कार्यकाल: दिनांक 01.06.2025 से 24.11.2025 तक) (सदस्य के रूप में नियुक्ति: दिनांक 01.01.2026 से प्रभावी) | 7                                              | 6                           |
| श्री देबाशीष मुखर्जी<br>(कार्यपालक निदेशक) (दिनांक 31.05.2025 से सदस्यता समाप्त)                                                                                                                                    | 1                                              | 1                           |
| श्री भवेन्द्र कुमार<br>(कार्यपालक निदेशक)                                                                                                                                                                           | 2                                              | 2*                          |
| श्री सुनील कुमार चुघ<br>(कार्यपालक निदेशक)(दिनांक 25.11.2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त)                                                                                                                           | 4                                              | 3                           |
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>(अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) (सदस्य के रूप में कार्यकाल: दिनांक 11.04.2025 से 26.07.2025 तक) (आरएमसी की अध्यक्षता के रूप में कार्यकाल: दिनांक 27.07.2025 से प्रभावी)                       | 9                                              | 9                           |

| Name of the Director                                                                                                                                                | No. of Meetings held during their tenure | No. of Meetings Attended |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Shri K Satyanarayana Raju<br>(MD&CEO)<br>(Cease to be Member w.e.f. 31.12.2025)                                                                                     | 6                                        | 6                        |
| Shri Hardeep Singh Ahluwalia<br>MD&CEO (I/C)<br>(Executive Director)<br>(Tenure as Member from 01.06.2025 to 24.11.2025)<br>(Appointed as Member w.e.f. 01.01.2026) | 7                                        | 6                        |
| Shri Debashish Mukherjee<br>(Executive Director)<br>(Ceased to be Member w.e.f. 31.05.2025)                                                                         | 1                                        | 1                        |
| Shri Bhavendra Kumar<br>(Executive Director)                                                                                                                        | 2                                        | 2*                       |
| Shri Sunil Kumar Chugh<br>(Executive Director)<br>(Appointed as Member w.e.f. 25.11.2025)                                                                           | 4                                        | 3                        |
| Ms. Nalini Padmanabhan<br>(Part-Time Non-Official Director) (Tenure as Member from 11.04.2025 to 26.07.2025) (Tenure as Chairperson of RMC w.e.f. 27.07.2025)       | 9                                        | 9                        |

|                                                                                                                                            |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>श्री बिमल प्रसाद शर्मा</b><br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(दिनांक 26.07.2025 से<br>सदस्यता समाप्त)                                             | 3 | 3 |
| <b>सुश्री आभा सिंह यदुवंशी</b><br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(दिनांक 12.09.2025 से<br>सदस्यता समाप्त)<br>(दिनांक 07.11.2025 से सदस्य<br>नियुक्त) | 8 | 8 |
| <b>श्री हेमंत बुच</b><br>(शेयरधारक निदेशक) (दिनांक<br>01.07.2025 से सदस्यता<br>समाप्त)                                                     | 2 | 2 |
| <b>श्री गुंजीत सिंह पन्नु</b><br>(शेयरधारक निदेशक) (दिनांक<br>27.07.2025 से सदस्य नियुक्त)                                                 | 6 | 5 |
| <b>श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव</b><br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(कार्यकाल दिनांक 13.09.2025<br>से 06.11.2025)                                   | 1 | 1 |

|                                                                                                                                                        |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <b>Shri Bimal Prasad Sharma</b><br>(Shareholder Director)<br>(Ceased to be Member<br>w.e.f. 26.07.2025)                                                | 3 | 3 |
| <b>Ms. Abha Singh Yaduvanshi</b><br>(Shareholder Director)<br>(Ceased to be Member<br>w.e.f. 12.09.2025)<br>(Appointed as Member<br>w.e.f. 07.11.2025) | 8 | 8 |
| <b>Shri Hemant Buch</b><br>(Shareholder Director)<br>(Ceased to be Member<br>w.e.f. 01.07.2025)                                                        | 2 | 2 |
| <b>Shri Gunjeet Singh Pannu</b><br>(Shareholder Director)<br>(Appointed as Member<br>w.e.f. 27.07.2025)                                                | 6 | 5 |
| <b>Shri Balakrishna<br/>Raghavendra Rao</b><br>(Shareholder Director)<br>(Tenure 13.09.2025 to<br>06.11.2025)                                          | 1 | 1 |

\*कार्यपालक निदेशक, जोखिम प्रबंधन विभाग के पर्यवेक्षण के समवर्ती प्रभार के तहत 2 बैठकों में भाग लिया।

\*2 Meetings Attended as Concurrent Charge of overseeing Executive Director, Risk Management Wing.

## (E) बोर्ड की अन्य समितियाँ / उप-समितियाँ:

## (E) Other Committees / Sub committees of the Board:

### a) प्रबंधन समिति:

### a) Management Committee:

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथासंशोधित) के खंड 13 के अनुसार किया गया है।

The Management Committee of the Board is constituted as per the Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

#### i) विचारणीय विषयों का संक्षिप्त विवरण:

#### i) Brief description of Terms of Reference:

प्रबंधन समिति ऋण प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों के समझौते/ निपटान, ऋण माफ़ी के प्रस्तावों, पूंजी और राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने, मुकदमों/ अपीलों को दायर करने, निवेश, दान और बोर्ड द्वारा समिति को सौंपे गए या संदर्भित किसी भी अन्य मामले के संबंध में समिति में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करती है।

The Management Committee exercises all the powers vested with the committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise/ settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits/ appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the committee by the Board.

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विवेकाधीन

Considering credit / loan compromise / write-



अधिकारों से परे क्रेडिट / ऋण समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों पर विचार करना, पूंजी और राजस्व व्यय को मंजूरी देना, परिसर का अधिग्रहण और उसे किराए पर लेना, मुकदमों / अपीलों को दायर करना और उनका बचाव करना, सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों और डिबेंचर में निवेश करना जिसमें हामीदारी, दान आदि शामिल हैं।

## ii) दिनांक 31.03.2026 तक प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना:

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) - समिति के अध्यक्ष |
| श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक)                                                                             |
| श्री एस के मजुमदार (कार्यपालक निदेशक)                                                                              |
| श्री सुनील कुमार चुघ (कार्यपालक निदेशक)                                                                            |
| श्री. रोहित पी. दास (आरबीआई नामित निदेशक)                                                                          |
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>(अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)                                                              |

## iii) बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 24

बैठक (कों) की तिथियां:

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 09.04.2025, | 24.04.2025, | 07.05.2025, |
| 28.05.2025, | 12.06.2025, | 26.06.2025, |
| 14.07.2025, | 23.07.2025, | 13.08.2025, |
| 28.08.2025, | 11.09.2025, | 26.09.2025, |
| 15.10.2025, | 29.10.2025, | 12.11.2025, |
| 27.11.2025, | 16.12.2025, | 24.12.2025, |
| 14.01.2026, | 28.01.2026, | 11.02.2026, |
| 25.02.2026, | 11.03.2026, | 24.03.2026  |

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

| निदेशक का नाम                                                                                                                        | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) - समिति के अध्यक्ष दिनांक 01.01.2026 (कार्यपालक निदेशक) | 24                                             | 23                       |

off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing and defending suits /appeals, investment in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting, donations, etc., beyond the discretionary powers of the Managing Director & Chief Executive Officer.

## ii) The Composition of Management Committee as on 31.03.2026:

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shri Hardeep Singh Ahluwalia MD & CEO (I/C)<br>(Executive Director) - Chairperson of the Committee |
| Shri Bhavendra Kumar (Executive Director)                                                          |
| Shri S K Majumdar (Executive Director)                                                             |
| Shri Sunil Kumar Chugh (Executive Director)                                                        |
| Shri Rohit P. Das (RBI Nominee Director)                                                           |
| Ms. Nalini Padmanabhan<br>(Part-Time Non-Official Director)                                        |

## iii) The details of No. of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 24

Dates of Meeting(s):

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 09.04.2025, | 24.04.2025, | 07.05.2025, |
| 28.05.2025, | 12.06.2025, | 26.06.2025, |
| 14.07.2025, | 23.07.2025, | 13.08.2025, |
| 28.08.2025, | 11.09.2025, | 26.09.2025, |
| 15.10.2025, | 29.10.2025, | 12.11.2025, |
| 27.11.2025, | 16.12.2025, | 24.12.2025, |
| 14.01.2026, | 28.01.2026, | 11.02.2026, |
| 25.02.2026, | 11.03.2026, | 24.03.2026  |

No. of. meetings attended by member-Directors during the Financial Year:

| Name of the Director                                                                                                       | No. of Meetings held during their tenure | No. of Meetings Attended |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Shri Hardeep Singh Ahluwalia -<br>Chairperson of the Committee w.e.f. 01.01.2026<br>MD & CEO (I/C)<br>(Executive Director) | 24                                       | 23                       |

|                                                                                                                       |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>श्री भवेन्द्र कुमार</b><br>(कार्यपालक निदेशक)                                                                      | 24 | 22 |
| <b>श्री एस के मजुमदार</b><br>(कार्यपालक निदेशक)                                                                       | 24 | 22 |
| <b>श्री सुनील कुमार चुघ</b><br>(कार्यपालक निदेशक)<br>(दिनांक 25.11.2025 से सदस्य के रूप में नियुक्त)                  | 9  | 9  |
| <b>श्री रोहित पी. दास</b><br>(आरबीआई नामित निदेशक)                                                                    | 24 | 21 |
| <b>सुश्री नलिनी पद्मनाभन</b><br>(अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)(सदस्य के रूप में नियुक्ति: दिनांक 27.07.2025 से प्रभावी) | 16 | 16 |
| <b>श्री के सत्यनारायण राजु</b><br>(प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी) (दिनांक 31.12.2025 से सदस्यता समाप्त)             | 18 | 18 |
| <b>श्री देबाशीष मुखर्जी</b><br>(कार्यपालक निदेशक)<br>(दिनांक 31.05.2025 से सदस्यता समाप्त)                            | 4  | 4  |
| <b>श्री बिमल प्रसाद शर्मा</b><br>(शेयरधारक निदेशक) (सदस्य के रूप में कार्यकाल: दिनांक 02.07.2025 से 26.07.2025 तक)    | 2  | 2  |
| <b>श्री हेमंत बुच</b><br>(शेयरधारक निदेशक) (दिनांक 01.07.2025 से सदस्यता समाप्त)                                      | 6  | 5  |

|                                                                                                               |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Shri Bhavendra Kumar</b><br>(Executive Director)                                                           | 24 | 22 |
| <b>Shri S K Majumdar</b><br>(Executive Director)                                                              | 24 | 22 |
| <b>Shri Sunil Kumar Chugh</b><br>(Executive Director)<br>(Appointed as Member w.e.f. 25.11.2025)              | 9  | 9  |
| <b>Shri Rohit P. Das</b><br>(RBI Nominee Director)                                                            | 24 | 21 |
| <b>Ms. Nalini Padmanabhan</b><br>(Part-Time Non-Official Director)<br>(Appointed as Member w.e.f. 27.07.2025) | 16 | 16 |
| <b>Shri K Satyanarayana Raju</b><br>(Ceased to Chairperson of MC w.e.f. 31.12.2025)                           | 18 | 18 |
| <b>Shri Debashish Mukherjee</b><br>(Executive Director)<br>(Ceased to be Member w.e.f. 31.05.2025)            | 4  | 4  |
| <b>Shri Bimal Prasad Sharma</b><br>(Shareholder Director)<br>(Tenure as Member from 02.07.2025 to 26.07.2025) | 2  | 2  |
| <b>Shri Hemant Buch</b><br>(Shareholder Director)<br>(Ceased to be Member w.e.f. 01.07.2025)                  | 6  | 5  |

## b) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी):

बोर्ड ने, दिनांक 18.09.2017 के आदेशों के माध्यम से, आईबीए और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की सिफारिशों के आधार पर, बैंक को आवंटित डिजिटल लेनदेन में हुई प्रगति की निगरानी के लिए एक उप-समिति (एससी-डीटी) के गठन की अनुमति दी है।

इसी प्रकार, बोर्ड द्वारा दिनांक 07.06.2003 को दिए गए आदेश के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (एससी-आईटी) के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की उप-समिति के गठन की अनुमति दी, ताकि बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए

## b) Information Technology Strategy Committee (ITSC):

The Board, vide orders dated 18.09.2017 permitted the formation of Sub-Committee for monitoring the progress of achievement in digital transactions (SC-DT) based on the recommendations of IBA and Ministry of Electronics and Telecommunications (MeitY) to monitor the progress of achievement in digital transactions allotted to the Bank.

Similarly, the Board, vide orders dated 07.06.2003 permitted the formation of Sub-Committee of the Board for monitoring the progress in implementation of information technology (SCIT) to monitor the progress, provide guidance and suggestions to implement information technology in the Bank.

मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान किया जा सके। चूंकि उपरोक्त समितियों के कार्य समान प्रकृति के हैं, इसलिए बैंक ने दिनांक 25.09.2019 को दोनों उप समितियों का विलय कर दिया है।

समिति के कार्य सलाहकार प्रकृति के होंगे, और जहाँ कहीं भी समिति द्वारा नई नीतिगत दिशानिर्देशों अथवा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन का सुझाव / अनुशंसा की जाएगी, तो उन्हें लागू करने से पूर्व अनुमोदन हेतु समुचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

## i) समिति के व्यापक कार्य निम्नलिखित हैं:

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों की समीक्षा और अनुमोदन करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है।
- यह सुनिश्चित करना कि कारोबारिक रणनीति आईटी रणनीति के साथ संरेखित हो, जो बैंक के व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में उसकी समग्र रणनीति के साथ संरेखित हो।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी अभिशासन और सूचना सुरक्षा अभिशासन संरचना जवाबदेही को बढ़ावा देती है, प्रभावी और कुशल है, इसमें पर्याप्त कुशल संसाधन हैं, और संगठन में प्रत्येक स्तर के लिए अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य और स्पष्ट जिम्मेदारियां हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक संरचना कारोबार मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों को लागू किया है, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आईटी कारोबार को मूल्य प्रदान करे।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश में जोखिम और लाभ संतुलित हों और बजट स्वीकार्य हों।
- आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिम के आकलन और प्रबंधन की प्रक्रियाओं की निगरानी करना।
- प्रबंधन द्वारा रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि की निगरानी करना, और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय मार्गदर्शन देना।
- बैंक की वृद्धि को बनाए रखने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी विभाग (आईटी सुरक्षा सहित) और साइबर सुरक्षा के लिए आवंटित बजट बैंक की आईटी परिपक्वता, डिजिटल क्षमता, जोखिम परिवेश और उद्योग मानकों के अनुरूप हो और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाए।

As the functions of above committees were similar, the Bank has merged both the Sub-Committees on 25.09.2019.

The functions of the Committee will be of an advisory nature and wherever new policy guidelines or change in systems and procedures are suggested / recommended by the Committee, the same are placed to the appropriate authority for approval, before implementation.

## i) The Broad functions of the Committee are as follows:

- Reviewing and approving IT strategy and policy documents. Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ensuring that the business strategy is aligned with IT strategy, which aligns with the overall strategy of Bank towards accomplishment of its business objectives.
- Satisfy itself that the IT Governance and Information Security Governance structure fosters accountability, is effective and efficient has adequate skilled resources well defined objectives and unambiguous responsibilities for each level in the organisation.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable.
- Overseeing that the processes for assessing and managing IT and cybersecurity risk.
- Monitoring the method that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining Bank's growth.
- Ensuring that the budgetary allocations for the IT function (including for IT security), cyber security are commensurate with the Bank's IT maturity, digital depth, threat environment and industry standards and are utilized in a manner intended for meeting the objectives.

- आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के संपर्क में आने के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और आईटी जोखिमों की निगरानी में प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन करना।
- आईटी रणनीतियों को लागू करने में वरिष्ठ प्रबंधन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
- उच्च-स्तरीय नीतिगत मार्गदर्शन जारी करना (उदाहरण के लिए, जोखिम, वित्तपोषण या सोर्सिंग कार्यों से संबंधित)।
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारिक आर्किटेक्चर में से किसका डिज़ाइन किया जाना है, ताकि आईटी से अधिकतम कारोबारिक मूल्य प्राप्त हो सके।
- बैंक-स्तर पर आईटी की कुल फंडिंग की देखरेख करना, और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन के पास IT जोखिमों के उचित प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं।
- आईटी कार्यनिष्पादन और कारोबार में आईटी के योगदान की समीक्षा करना (अत्यर्थ, अपेक्षित मूल्य प्रदान करना)
- बैंक की कारोबारिक निरंतरता योजना और आपदा वसूली प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा कम से कम वार्षिक आधार पर करना।

- Becoming aware about exposure towards IT risks and controls. And evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks.
- Assessing Senior management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high-level policy guidance (e.g. related to risk, funding, or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive the maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a Bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to businesses (i.e., delivering the promised value).
- Reviewing the adequacy and effectiveness of the business continuity Planning and Disaster Recovery Management of the Bank at least on annual basis.

## ii) दिनांक 31.03.2026 तक सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति की संरचना:

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| श्री गुंजीत सिंह पन्नू (शेयरधारक निदेशक) – समिति के अध्यक्ष                |
| श्री हरदीप सिंह अहलुवालिया, प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) |
| श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक)                                     |
| श्री एस के मजुमदार (कार्यपालक निदेशक)                                      |
| श्री सुनील कुमार चुघ (कार्यपालक निदेशक)                                    |
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)                         |
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)                                  |
| सीआईओ - मुख्य सूचना अधिकारी                                                |

## ii) The composition of Information Technology Strategy Committee as on 31.03.2026:

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Shri Gunjeet Singh Pannu (Shareholder Director) - Chairperson of the Committee |
| Shri Hardeep Singh Ahluwalia MD&CEO (I/C) (Executive Director)                 |
| Shri Bhavendra Kumar (Executive Director)                                      |
| Shri S K Majumdar (Executive Director)                                         |
| Shri Sunil Kumar Chugh (Executive Director)                                    |
| Ms. Nalini Padmanabhan (Part-Time Non-Official Director)                       |
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)                               |
| CIO - Chief Information Officer                                                |

## iii) बैठकों की संख्या और बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 9

बैठक की तिथियां : 07.05.2025, 11.07.2025, 28.08.2025, 15.10.2025, 19.12.2025, 24.12.2025, 16.01.2026, 12.02.2026 & 18.03.2026

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

## iii) The details of number of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 9

Dates of Meeting(s) : 07.05.2025, 11.07.2025, 28.08.2025, 15.10.2025, 19.12.2025, 24.12.2025, 16.01.2026, 12.02.2026 & 18.03.2026

No. of. meetings attended by member-Directors during the Financial Year:

| निदेशक / सदस्य का नाम                                                                                                   | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों में प्रतिभागिता की गई |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>श्री विजय श्रीरंगन</b><br>(अध्यक्ष) (दिनांक 06.11.2025 से सदस्य नहीं रहे)                                            | 4                                              | 4                            |
| <b>श्री के सत्यनारायण राजु</b><br>(प्र.नि. व मु.का.अ.) (दिनांक 31.12.2025 से सदस्य नहीं रहे)                            | 6                                              | 6                            |
| <b>श्री देबाशीष मुखर्जी</b><br>(कार्यपालक निदेशक)<br>(दिनांक 31.05.2025 से सदस्य नहीं रहे)                              | 1                                              | 1                            |
| <b>श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया</b><br>प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी)<br>(कार्यपालक निदेशक)                                  | 9                                              | 9                            |
| <b>श्री भवेन्द्र कुमार</b><br>(कार्यपालक निदेशक)                                                                        | 9                                              | 8                            |
| <b>श्री एस के मजुमदार</b><br>(कार्यपालक निदेशक)                                                                         | 9                                              | 9                            |
| <b>श्री सुनील कुमार चुघ</b><br>(कार्यपालक निदेशक)<br>(दिनांक 25.11.2025 से नियुक्त)                                     | 5                                              | 4                            |
| <b>सुश्री नलिनी पद्मानाभन</b><br>(अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) – समिति की अध्यक्ष<br>(दिनांक 11.04.2025 से नियुक्त)      | 9                                              | 9                            |
| <b>श्री बिमल प्रसाद शर्मा</b><br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(दिनांक 26.07.2025 से सदस्य नहीं रहे)                             | 2                                              | 2                            |
| <b>सुश्री आभा सिंह यदुवंशी</b><br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(10.04.2025 से सदस्य नहीं रही )<br>(27.07.2025 से सदस्य नियुक्त) | 7                                              | 7                            |

| Name of the Director / Member                                                                                                                    | No. of Meetings held During their Tenure | No. of Meetings Attended |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Shri Vijay Srirangan</b><br>(Chairman)<br>(Ceased to be Member w.e.f. 06.11.2025)                                                             | 4                                        | 4                        |
| <b>Shri K Satyanarayana Raju</b><br>(MD&CEO)<br>(Ceased to be Member w.e.f. 31.12.2025)                                                          | 6                                        | 6                        |
| <b>Shri Debashish Mukherjee</b><br>(Executive Director)<br>(Ceased to be Member w.e.f. 31.05.2025)                                               | 1                                        | 1                        |
| <b>Shri Hardeep Singh Ahluwalia</b><br>MD&CEO (I/C)<br>(Executive Director)                                                                      | 9                                        | 9                        |
| <b>Shri Bhavendra Kumar</b><br>(Executive Director)                                                                                              | 9                                        | 8                        |
| <b>Shri S K Majumdar</b><br>(Executive Director)                                                                                                 | 9                                        | 9                        |
| <b>Shri Sunil Kumar Chugh</b><br>(Executive Director)<br>(Appointed w.e.f. 25.11.2025)                                                           | 5                                        | 4                        |
| <b>Ms. Nalini Padmanabhan</b><br>(Part-Time Non-Official Director) – Chairperson of the Committee<br>(Appointed w.e.f. 11.04.2025)               | 9                                        | 9                        |
| <b>Shri Bimal Prasad Sharma</b><br>(Shareholder Director)<br>(Ceased to be Member w.e.f. 26.07.2025)                                             | 2                                        | 2                        |
| <b>Ms. Abha Singh Yaduvanshi</b><br>(Shareholder Director)<br>(Ceased to be Member w.e.f. 10.04.2025)<br>(Appointed as Member w.e.f. 27.07.2025) | 7                                        | 7                        |



|                                                                                                                    |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| श्री गुंजीत सिंह पन्नु<br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(दिनांक 07.11.2025 से<br>आईटीएससी के अध्यक्ष के रूप में<br>नियुक्त) | 5 | 5 |
| मुख्य सूचना अधिकारी                                                                                                | 9 | 8 |

|                                                                                                               |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Shri Gunjeet Singh Pannu<br>(Shareholder Director)<br>(Appointed as ITSC<br>Chairperson w.e.f.<br>07.11.2025) | 5 | 5 |
| Chief Information Officer                                                                                     | 9 | 8 |

## c) पूंजी नियोजन प्रक्रिया के लिए बोर्ड की उप समिति:

मूलेतर आस्तियों के मुद्रीकरण के लिए बोर्ड की उप समिति के कार्य, अधिकार निर्गम के लिए बोर्ड की उप समिति (एससी-आरआई), अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (एससी-क्यूआईपी) के तौर-तरीकों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड की उप समिति और अन्य संस्थानों (एससी-एसएच) में शेयर धारक निदेशकों के लिए मतदान के लिए बोर्ड की उप समिति है। ये सभी समितियां पूंजी जुटाने की गतिविधियों से संबंधित हैं। इसलिए निदेशक मंडल ने उक्त सभी समितियों को पूंजी आयोजना प्रक्रिया (कैपिटल प्लानिंग प्रोसेस) (एससी-सीपी) के लिए बोर्ड की उप समिति के साथ विलय करने की अनुमति प्रदान की है।

## i) समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. पूंजी नियोजन प्रक्रिया की देखरेख करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि पूंजी से जोखिम भारत आस्ति अनुपात निर्धारित मानदंडों के साथ न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से ऊपर बनाए रखा जाए।
3. आवश्यकतानुसार पूंजी जुटाने की मात्रा, तरीके और प्रकार की सिफारिश करना।
4. पूंजी से संबंधित मामले में मंत्रालय / आरबीआई / किसी अन्य वैधानिक निकाय के अनुदेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
5. योग्य संस्थागत नियोजन की रूपरेखा पर निर्णय लेना।
6. विभिन्न उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, प्रोफाइल और पृष्ठभूमि पर सावधानीपूर्वक विचार करना तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित विभिन्न कंपनियों में शेयरधारक निदेशकों के रूप में चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने का निर्णय लेना, जहां बैंक की इच्छा है।
7. सेबी के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक अधिकारों के निर्गम के (क) शर्तों (ख) समय (ग) मूल्य निर्धारण (घ) और अन्य तौर-तरीकों पर निर्णय लेना और अनुमति देना।
8. बैंक की अनुषंगी कंपनियों / सहयोगियों सहित बैंक की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की सभी संभावनाओं का पता लगाना तथा योजना बनाना, रणनीति को अंतिम रूप देना तथा परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने के लिए वित्तीय मंजूरी सहित अनुमति / अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।

## c) Sub-Committee of the Board for Capital Planning Process:

The erstwhile Sub-Committee of the Board for Monetization of Non-Core Assets, Sub-Committee of the Board for Rights Issue (SC-RI), Sub-Committee of the Board to decide on Modalities of Qualified Institutional Placement (SC-QIP) and Sub-Committee of the Board for Voting for Share Holder Directors in other Institutions (SC-SH) were merged with Sub-Committee of the Board for Capital Planning Process (SC-CP) as per the orders of the Board of directors.

## i) The Functions of the Committee includes:

1. To oversee the Capital Planning process.
2. To ensure that Capital to Risk Weighted Assets Ratio is maintained above the minimum regulatory requirement along with the prescribed norms.
3. To recommend quantum, mode and types of Capital raising, as per the requirement.
4. To ensure compliance of instruction / directions of Ministry / RBI / any other statutory body in the matter relating to Capital.
5. To decide on Modalities of Qualified Institutional Placement.
6. To carefully consider the qualification, experience, profile and background of the various candidates and take a decision in supporting the candidates in the election as Shareholder Directors in various Companies, including Banks and Financial Institutions where the Bank has equity.
7. To decide and permit on: (a) terms (b) timing (c) pricing (d) and other modalities of the rights issue as required under SEBI guidelines.
8. To explore all possibilities of monetization of Non-Core Assets of the Bank, including Subsidiaries/ Associates of the Bank and to plan, finalize strategy and place to Board for permission/ approval including financial sanctions for engaging the services of Consultants.

ii) यथा दिनांक 31.03.2026 तक पूंजी नियोजन प्रक्रिया हेतु बोर्ड की उप समिति की संरचना :

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया - समिति के अध्यक्ष प्र.नि. व मु.का.अ. (प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) |
| श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक)                                                        |
| श्री एस के मजुमदार (कार्यपालक निदेशक)                                                         |
| श्री सुनील कुमार चुघ (कार्यपालक निदेशक)                                                       |
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)                                                     |
| श्री गुंजीत सिंह पन्नू (शेयरधारक निदेशक)                                                      |
| श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव (शेयरधारक निदेशक)                                                 |

iii) बैठकों की संख्या और बैठक में उपस्थिति:

आयोजित बैठकों की संख्या: 02

आयोजित बैठकों की तिथियां: 12.06.2025 & 11.02.2026

वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्य-निदेशकों द्वारा भाग ली गई बैठकों की संख्या:

| निदेशक का नाम                                                                                                                                                       | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों में प्रतिभागिता |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| श्री के सत्यनारायण राजू<br>समिति के अध्यक्ष (प्र.नि. व मु.का.अ.) (दिनांक 31.12.2025 से एससीसीपी के अध्यक्ष नहीं रहे)                                                | 1                                              | 1                      |
| श्री देबाशीष मुखर्जी<br>(कार्यपालक निदेशक) (दिनांक 31.05.2025 से सदस्य नहीं रहे)                                                                                    | -                                              | -                      |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्र. नि. व मु.का.अ.(प्रभारी)<br>(कार्यपालक निदेशक) (दिनांक 31.12.2025 तक एससीसीपी के सदस्य और दिनांक 01.01.2026 से एससीसीपी के अध्यक्ष) | 2                                              | 2                      |

ii) The composition of Sub-Committee of the Board for Capital Planning Process as on 31.03.2026:

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shri Hardeep Singh Ahluwalia– Chairperson of the Committee MD&CEO (I/C) (Executive Director) |
| Shri Bhavendra Kumar (Executive Director)                                                    |
| Shri S K Majumdar (Executive Director)                                                       |
| Shri Sunil Kumar Chugh (Executive Director)                                                  |
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)                                             |
| Shri Gunjeet Singh Pannu (Shareholder Director)                                              |
| Shri Balakrishna Raghavendra Rao (Shareholder Director)                                      |

iii) The number of meetings and attendance at the meeting:

No. of Meetings held: 02

Dates of Meeting(s) : 12.06.2025 & 11.02.2026

Restricted No. of. meetings attended by member-Directors during the Financial Year:

| Name of the Director                                                                                                                                     | No. of Meetings held During their Tenure | No. of Meetings Attended |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Shri K Satyanarayana Raju<br>Chairman of the Committee (MD&CEO) (Ceased to be Chairperson of SCCP w.e.f. 31.12.2025)                                     | 1                                        | 1                        |
| Shri Debashish Mukherjee<br>(Executive Director)<br>(Ceased to be Member w.e.f. 31.05.2026)                                                              | -                                        | -                        |
| Shri Hardeep Singh Ahluwalia<br>MD&CEO (I/C)<br>(Executive Director) (Member of the SCCP up to 31.12.2025 and Chairperson of the SCCP w.e.f. 01.01.2026) | 2                                        | 2                        |

|                                                                                                                                             |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| श्री भवेन्द्र कुमार<br>(कार्यपालक निदेशक)                                                                                                   | 2 | 2 |
| श्री एस के मजुमदार<br>(कार्यपालक निदेशक)                                                                                                    | 2 | 2 |
| श्री सुनील कुमार चुघ<br>(कार्यपालक निदेशक)<br>(दिनांक 25.11.2025 से सदस्य<br>नियुक्त)                                                       | 1 | 1 |
| श्री बिमल प्रसाद शर्मा<br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(दिनांक 26.07.2025 से सदस्य<br>नहीं रहे)                                                     | 1 | 1 |
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी<br>(शेयरधारक निदेशक)                                                                                                | 2 | 2 |
| श्री हेमंत बुच<br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(दिनांक 01.07.2025 से सदस्य<br>नहीं रहे)                                                             | 1 | 1 |
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>(अंशकालिक गैर-सरकारी<br>निदेशक) (दिनांक 02.07.2025 से<br>सदस्य नियुक्त एवं दिनांक<br>12.09.2025 से सदस्य नहीं रहे) | - | - |
| श्री गुंजीत सिंह पन्नू<br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(दिनांक 27.07.2025 से सदस्य के<br>रूप में नियुक्त)                                           | 1 | 1 |
| श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव<br>(शेयरधारक निदेशक)<br>(दिनांक 13.09.2025 से सदस्य के<br>रूप में नियुक्त)                                      | 1 | 1 |

|                                                                                                                                                         |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Shri Bhavendra Kumar<br>(Executive Director)                                                                                                            | 2 | 2 |
| Shri S K Majumdar<br>(Executive Director)                                                                                                               | 2 | 2 |
| Shri Sunil Kumar Chugh<br>(Executive Director)<br>(Appointed as Member w.e.f.<br>25.11.2025)                                                            | 1 | 1 |
| Shri Bimal Prasad Sharma<br>(Shareholder Director)<br>(Ceased to be Member w.e.f.<br>26.07.2025)                                                        | 1 | 1 |
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi<br>(Shareholder Director)                                                                                                     | 2 | 2 |
| Shri Hemant Buch<br>(Shareholder Director)<br>(Ceased to be member w.e.f.<br>01.07.2025)                                                                | 1 | 1 |
| Ms. Nalini Padmanabhan<br>(Part-Time Non Official<br>Director) (Appointed as<br>Member w.e.f. 02.07.2025 &<br>ceased to be Member w.e.f.<br>12.09.2025) | - | - |
| Shri Gunjeet Singh Pannu<br>(Shareholder Director)<br>(Appointed as Member w.e.f.<br>27.07.2025)                                                        | 1 | 1 |
| Shri Balakrishna<br>Raghavendra Rao<br>(Shareholder Director)<br>(Appointed as Member w.e.f.<br>13.09.2025)                                             | 1 | 1 |

इसके अलावा बैंक ने बैंक के कारोबार के संचालन के संबंध में निगरानी/मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए अन्य बोर्ड समितियों / उप-समितियों का गठन किया है। दिनांक 31.03.2026 के अनुसार समितियों के सदस्यों की संरचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्र. सं. | समिति का नाम                                                                      | समिति की संरचना                                                                                                                                                                                                                                         | बैठकों की कुल संख्या | बैठकों की तिथियां                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | वसूली निगरानी समिति (सीएमआर)                                                      | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) (समिति के अध्यक्ष)<br>श्री भवेन्द्र कुमार<br>श्री एस.के. मजुमदार<br>श्री सुनील कुमार चुध<br>श्री प्रशांत कुमार गोयल<br>श्री गुंजीत सिंह पन्ना<br>श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव | 12                   | 24.04.2025, 28.05.2025, 20.06.2025, 23.07.2025, 28.08.2025, 19.09.2025, 15.10.2025, 20.11.2025, 19.12.2025, 16.01.2026, 11.02.2026 & 17.03.2026 |
| 2        | बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)                                               | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) (समिति के अध्यक्ष)<br>श्री भवेन्द्र कुमार<br>श्री एस.के. मजुमदार<br>श्री सुनील कुमार चुध<br>श्री प्रशांत कुमार गोयल<br>सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>श्री गुंजीत सिंह पन्ना       | 4                    | 20.06.2025, 19.09.2025, 19.12.2025 & 17.03.2026                                                                                                 |
| 3        | इरादतन चूककर्ताओं (एससीआरडब्ल्यू) के वर्गीकरण की समीक्षा के लिए बोर्ड की उप समिति | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) (समिति के अध्यक्ष)<br>सुश्री आभा सिंह यदुवंशी<br>श्री गुंजीत सिंह पन्ना<br>श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव                                                                       | 2                    | 28.05.2025 (व्यक्तिगत सुनवाई) & 23.07.2025                                                                                                      |
| 4        | निदेशक समिति (सीडी)                                                               | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) (समिति के अध्यक्ष)<br>श्री प्रशांत कुमार गोयल<br>श्री रोहित पी. दास                                                                                                          | 4                    | 20.06.2025, 19.09.2025, 19.12.2025 & 17.03.2026                                                                                                 |
| 5        | उप-समिति - सतत विकास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एससी एसडीसीएसआर)             | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) (समिति के अध्यक्ष)<br>श्री भवेन्द्र कुमार<br>सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>सुश्री आभा सिंह यदुवंशी                                                                                | 8                    | 19.05.2025, 12.06.2025, 23.07.2025, 28.08.2025, 20.11.2025, 29.12.2025, 28.01.2026 & 18.03.2026                                                 |

Further, the Bank has constituted other Board Committees / Sub-Committees to monitor / guide and advise regarding the conduct of business of the Bank. The composition of Members of the Committees as on 31.03.2026 and the details of meetings held during the Financial Year 2025-26 are mentioned hereunder:

| Sl. No. | Name of the Committee                                                              | Composition of the Committee                                                                                                                                                                                                                                             | Total No. of Meetings | Dates of Meetings                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Committee for Monitoring Recovery (CMR)                                            | Shri Hardeep Singh Ahluwalia,<br>MD&CEO (I/C) (Executive Director)<br>(Chairperson of the Committee)<br>Shri Bhavendra Kumar<br>Shri S K Majumdar<br>Shri Sunil Kumar Chugh<br>Shri Parshant Kumar Goyal<br>Shri Gunjeet Singh Pannu<br>Shri Balakrishna Raghavendra Rao | 12                    | 24.04.2025, 28.05.2025,<br>20.06.2025, 23.07.2025,<br>28.08.2025, 19.09.2025,<br>15.10.2025, 20.11.2025,<br>19.12.2025, 16.01.2026,<br>11.02.2026 & 17.03.2026 |
| 2       | Customer Service Committee of the Board (CSC)                                      | Shri Hardeep Singh Ahluwalia,<br>MD&CEO (I/C) (Executive Director)<br>(Chairperson of the Committee)<br>Shri Bhavendra Kumar<br>Shri S K Majumdar<br>Shri Sunil Kumar Chugh<br>Shri Parshant Kumar Goyal<br>Ms. Nalini Padmanabhan<br>Shri Gunjeet Singh Pannu           | 4                     | 20.06.2025, 19.09.2025,<br>19.12.2025 & 17.03.2026                                                                                                             |
| 3       | Sub-Committee of the Board to Review Classification of Willful Defaulters (SCRW)   | Shri Hardeep Singh Ahluwalia<br>MD&CEO (I/C) (Executive Director)<br>(Chairperson of the Committee)<br>Ms. Abha Singh Yaduvanshi<br>Shri Gunjeet Singh Pannu<br>Shri Balakrishna Raghavendra Rao                                                                         | 2                     | 28.05.2025 (Personal Hearing) & 23.07.2025                                                                                                                     |
| 4       | Committee of Directors (CD)                                                        | Shri Hardeep Singh Ahluwalia,<br>MD&CEO (I/C) (Executive Director)<br>(Chairperson of the Committee)<br>Shri Parshant Kumar Goyal<br>Shri Rohit P. Das                                                                                                                   | 4                     | 20.06.2025, 19.09.2025,<br>19.12.2025 & 17.03.2026                                                                                                             |
| 5       | Sub-Committee - Sustainable Development Corporate Social Responsibility (SC SDCSR) | Shri Hardeep Singh Ahluwalia,<br>MD&CEO (I/C) (Executive Director)<br>(Chairperson of the Committee)<br>Shri Bhavendra Kumar<br>Ms. Nalini Padmanabhan<br>Ms. Abha Singh Yaduvanshi                                                                                      | 8                     | 19.05.2025, 12.06.2025,<br>23.07.2025, 28.08.2025,<br>20.11.2025, 29.12.2025,<br>28.01.2026 & 18.03.2026                                                       |



| क्र. सं. | समिति का नाम                                                                                | समिति की संरचना                                                                                                                                                                                                                                                                    | बैठकों की कुल संख्या | बैठकों की तिथियां                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6        | कार्यनिष्पादन मूल्यांकन पर बोर्ड समिति (बीसीपीई)                                            | श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव (समिति के अध्यक्ष)<br>श्री प्रशांत कुमार गोयल,<br>सुश्री आभा सिंह यदुवंशी                                                                                                                                                                              | 3                    | 08.05.2025, 23.07.2025 & 19.09.2025                                                                                                             |
| 7        | उप-समिति मानव संसाधन (एससी एचआर)                                                            | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) (समिति के अध्यक्ष)<br>श्री भवेन्द्र कुमार<br>श्री एस.के. मजूमदार<br>श्री सुनील कुमार चुघ<br>श्री प्रशांत कुमार गोयल<br>सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव                             | 11                   | 07.05.2025, 20.06.2025, 23.07.2025, 28.08.2025, 19.09.2025, 15.10.2025, 20.11.2025, 19.12.2025, 16.01.2026, 11.02.2026 & 17.03.2026             |
| 8        | उप-समिति कारोबार योजना कार्यनीति (एससी बीपी)                                                | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक) (समिति के अध्यक्ष)<br>श्री भवेन्द्र कुमार<br>श्री एस.के. मजूमदार<br>श्री सुनील कुमार चुघ<br>सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>सुश्री आभा सिंह यदुवंशी<br>श्री गुंजीत सिंह पन्नू                                  | 5                    | 24.04.2025, 23.07.2025, 15.10.2025, 19.12.2025 & 11.02.2026                                                                                     |
| 9        | धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) | श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव (समिति के अध्यक्ष)<br>श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक)<br>श्री भवेन्द्र कुमार,<br>श्री एस.के. मजूमदार<br>श्री सुनील कुमार चुघ<br>श्री प्रशांत कुमार गोयल<br>सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>सुश्री आभा सिंह यदुवंशी | 12                   | 24.04.2025, 19.05.2025, 20.06.2025, 23.07.2025, 28.08.2025, 19.09.2025, 15.10.2025, 20.11.2025, 19.12.2025, 16.01.2025, 11.02.2026 & 17.03.2026 |
| 10       | बोर्ड की समिति (सीबी)                                                                       | श्री प्रशांत कुमार गोयल (समिति के अध्यक्ष)<br>श्री भवेन्द्र कुमार, (वरिष्ठता क्रम और मानव संसाधन के पर्यवेक्षी नहीं है)<br>श्री एस.के. मजूमदार, (वरिष्ठता क्रम और मानव संसाधन के पर्यवेक्षी नहीं है),<br>श्री गुंजीत सिंह पन्नू                                                    | **                   | **                                                                                                                                              |

| Sl. No. | Name of the Committee                                                                  | Composition of the Committee                                                                                                                                                                                                                                                                          | Total No. of Meetings | Dates of Meetings                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6       | Board Committee on Performance Evaluation (BCPE)                                       | Shri Balakrishna Raghavendra Rao<br>(Chairperson of the Committee)<br>Shri Parshant Kumar Goyal<br>Ms. Abha Singh Yaduvanshi                                                                                                                                                                          | 3                     | 08.05.2025, 23.07.2025 &<br>19.09.2025                                                                                                                         |
| 7       | Sub-Committee Human Resources (SC HR)                                                  | Shri Hardeep Singh Ahluwalia,<br>MD&CEO (I/C) (Executive Director)<br>(Chairperson of the Committee)<br>Shri Bhavendra Kumar<br>Shri S K Majumdar<br>Shri Sunil Kumar Chugh<br>Shri Parshant Kumar Goyal<br>Ms. Nalini Padmanabhan<br>Shri Balakrishna Raghavendra Rao                                | 11                    | 07.05.2025, 20.06.2025,<br>23.07.2025, 28.08.2025,<br>19.09.2025, 15.10.2025,<br>20.11.2025, 19.12.2025,<br>16.01.2026, 11.02.2026 &<br>17.03.2026             |
| 8       | Sub-Committee Business Plan Strategy (SC BP)                                           | Shri Hardeep Singh Ahluwalia<br>MD&CEO (I/C) (Executive Director)<br>(Chairperson of the Committee)<br>Shri Bhavendra Kumar<br>Shri S K Majumdar<br>Shri Sunil Kumar Chugh<br>Ms. Nalini Padmanabhan<br>Ms. Abha Singh Yaduvanshi<br>Shri Gunjeet Singh Pannu                                         | 5                     | 24.04.2025, 23.07.2025,<br>15.10.2025, 19.12.2025 &<br>11.02.2026                                                                                              |
| 9       | Special Committee of the Board for Monitoring and Following-up Cases of Frauds (SCBMF) | Shri Balakrishna Raghavendra Rao<br>(Chairperson of the Committee)<br>Shri Hardeep Singh Ahluwalia<br>MD&CEO (I/C)<br>(Executive Director)<br>Shri Bhavendra Kumar<br>Shri S K Majumdar<br>Shri Sunil Kumar Chugh<br>Shri Parshant Kumar Goyal<br>Ms. Nalini Padmanabhan<br>Ms. Abha Singh Yaduvanshi | 12                    | 24.04.2025, 19.05.2025,<br>20.06.2025, 23.07.2025,<br>28.08.2025, 19.09.2025,<br>15.10.2025, 20.11.2025,<br>19.12.2025, 16.01.2025,<br>11.02.2026 & 17.03.2026 |
| 10      | Committee of Board (CB)                                                                | Shri Parshant Kumar Goyal<br>(Chairperson of the Committee)<br>Shri Bhavendra Kumar<br>(Not overseeing HR, and in order of Seniority)<br>Shri S K Majumdar, (Not overseeing HR, and in order of Seniority)<br>Shri Gunjeet Singh Pannu                                                                | **                    | **                                                                                                                                                             |

| क्र. सं. | समिति का नाम                         | समिति की संरचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | बैठकों की कुल संख्या | बैठकों की तिथियां                   |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 11       | उप-समिति - प्रतिकर समिति (एससी सीसी) | श्री गुंजीत सिंह पन्नू<br>(समिति के अध्यक्ष)<br>सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>सुश्री आभा सिंह यदुवंशी                                                                                                                                                                                                                       | **                   | **                                  |
| 12       | विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी)      | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक)<br>(समिति के अध्यक्ष)<br>श्री प्रशांत कुमार गोयल<br>श्री रोहित पी. दास                                                                                                                                                                      | 3                    | 10.03.2026, 19.03.2026 & 20.03.2026 |
| 13       | बोर्ड की समूह अभिशासन समिति (जीजीसी) | श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव<br>(समिति के अध्यक्ष)<br>श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्र.नि. व मु.का.अ.(प्रभारी) (कार्यपालक निदेशक)<br>(समिति के अध्यक्ष)<br>श्री भवेन्द्र कुमार, (वरिष्ठतम कार्यपालक)<br>श्री एस.के. मजुमदार (अनुपालन एवं आरबीएस विभाग के पर्यवेक्षी)<br>सुश्री नलिनी पद्मनाभन<br>सुश्री आभा सिंह यदुवंशी | 1                    | 20.11.2025                          |

\*\* ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जिसके कारण बैठक आयोजित करनी पड़ी।

| Sl. No. | Name of the Committee                          | Composition of the Committee                                                                                                                                                                                                                                                                               | Total No. of Meetings | Dates of Meetings                   |
|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 11      | Sub-Committee - Compensation Committee (SC CC) | Shri Gunjeet Singh Pannu<br>(Chairperson of the Committee)<br>Ms. Nalini Padmanabhan<br>Ms. Abha Singh Yaduvanshi                                                                                                                                                                                          | **                    | **                                  |
| 12      | Departmental Promotion Committee (DPC)         | Shri Hardeep Singh Ahluwalia<br>MD&CEO (I/C)<br>(Executive Director) (Chairperson of the Committee)<br>Shri Parshant Kumar Goyal<br>Shri Rohit P. Das                                                                                                                                                      | 3                     | 10.03.2026, 19.03.2026 & 20.03.2026 |
| 13      | Group Governance Committee of the Board (GGC)  | Shri Balakrishna Raghavendra Rao<br>(Chairperson of the Committee)<br>Shri Hardeep Singh Ahluwalia<br>MD&CEO (I/C) (Executive Director)<br>Shri Bhavendra Kumar<br>(Senior Most Executive)<br>Shri S K Majumdar (Overseeing Compliance & RBS Wing)<br>Ms. Nalini Padmanabhan,<br>Ms. Abha Singh Yaduvanshi | 1                     | 20.11.2025                          |

\*\* no such instances occurred to hold the meeting

## 4) उच्च प्रबंधन:

| यथा 31.03.2026 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / सीएफओ / सीएस की सूची |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्र. सं.                                                                      | नाम                | पद का नाम        | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                             | पुरुषोत्तम चंद     | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बी एस सी), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                                             | बी पी जाटव         | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (कृषि), जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                                                                             | पुष्कर सिन्हा      | मुख्य महाप्रबंधक | बीए (ऑनर्स), सीएआईआईबी- भाग I, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                                                                             | बी चन्द्रशेखर      | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (कृषि), एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5                                                                             | राकेश कश्यप        | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (कृषि), एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6                                                                             | आलोक कुमार अग्रवाल | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ कॉमर्स बैचलर ऑफ कॉमर्स (बीकॉम), मास्टर ऑफ कॉमर्स (एमकॉम), चार्टर्ड फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए) लेवल - III, मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, साइबर अपराध और धोखाधड़ी प्रबंधन की निवारण में प्रमाणन, विदेशी मुद्रा में प्रमाणन कोर्स, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार वित्त में प्रमाणन- आईआईबीएफ |
| 7                                                                             | राजेश कुमार सिंह   | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स), मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.), पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पब्लिक मैनेजमेंट और पॉलिसी), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8                                                                             | आर अनुराधा         | मुख्य महाप्रबंधक | मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.), होम लोन एडवाइजिंग में डिप्लोमा, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट, बैंकर्स के लिए क्रेडिट कार्ड में सर्टिफिकेट                                                                                                                                                                                                                                                                  |

4) Senior Executives:

| List of Chief General Managers/General Managers/CFO/CS as on 31.03.2026 |                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sl. No.                                                                 | NAME               | DESIGNATION           | EDUCATIONAL QUALIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                       | Purshottam Chand   | Chief General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                                                       | B P Jatav          | Chief General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                                                                       | Pushkar Sinha      | Chief General Manager | B.A. (Hons), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                                                                       | B Chandra Sekhara  | Chief General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5                                                                       | Rakesh Kashyap     | Chief General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6                                                                       | Alok Kumar Agarwal | Chief General Manager | Bachelor of Commerce (B.Com), Master of Commerce (M.Com), Chartered Financial Analyst (CFA) Level - III, Master of Business Administration (MBA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in Prevention of Cyber Crimes and Fraud Management, Certificate Course in Foreign Exchange, Certificate in International Trade Finance - IIBF |
| 7                                                                       | Rajesh Kumar Singh | Chief General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Hons), Master of Arts (M.A.), Post Graduate Programme (Public Management and Policy), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                                                                       | R Anuradha         | Chief General Manager | Master of Arts (M.A.), Diploma in Home Loan Advising, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in Credit Card for Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## यथा 31.03.2026 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / सीएफओ / सीएस की सूची

| क्र. सं. | नाम              | पद का नाम        | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | उदय शंकर मजूमदार | मुख्य महाप्रबंधक | मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), आईसीडब्ल्यूआई कोर्स में सर्टिफिकेट, जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                    |
| 10       | शंभू लाल         | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (बी.एलआईबीए.एससी.), बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                       |
| 11       | टी के वेणुगोपाल  | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), आईसीडब्ल्यूआई कोर्स में सर्टिफिकेट सीएआईआईबी                                                                                                                                                                                                                  |
| 12       | के. ए. सिंधु     | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस बी.एससी (कृषि), ग्रामीण बैंकिंग में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, बैंकों के लिए एसएमई वित्त में प्रमाणपत्र, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी                                                                                                                                                  |
| 13       | रंजीव कुमार      | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी), एम.एससी (गणित), साइबर अपराधों की रोकथाम और धोखाधड़ी प्रबंधन में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, आईटी सुरक्षा में प्रमाणपत्र परीक्षा, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, एमएसएमई में प्रमाणपत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ |
| 14       | विक्रम दुग्गल    | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ                     |
| 15       | महेश एम पै       | मुख्य महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी, सर्टिफाइड एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                       |
| 16       | कल्याण मुखर्जी   | मुख्य महाप्रबंधक | बी.एससी (कृषि), कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन (आईआरडीए), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स एसोसिएट सर्टिफाइड                                                                                                                                               |

List of Chief General Managers / General Managers / CFO / CS as on 31.03.2026

| Sl. No. | NAME                 | DESIGNATION           | EDUCATIONAL QUALIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9       | Uday Sankar Majumder | Chief General Manager | Master of Commerce (M.Com), Master of Business Administration (MBA), Certificate in ICWAI Course, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                             |
| 10      | Shambhu Lal          | Chief General Manager | Bachelor of Library Sciences (B.Lib.Sc.), Bachelor of Commerce (B.Com), Master of Commerce (M.Com), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                     |
| 11      | T K Venugopal        | Chief General Manager | Bachelor of Commerce (B.Com), Certificate in ICWAI Course, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12      | K A Sindhu           | Chief General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), Diploma in Rural Banking - IIBF, Certificate in SME Finance for Bankers, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                   |
| 13      | Ranjeev Kumar        | Chief General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), M.Sc. (Mathematics), Certificate in Prevention of Cyber Crimes & Fraud Management-IIBF, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate Examination in IT Security, Certified Credit Professional, Certificate in MSME, Certificate in International Trade Finance - IIBF |
| 14      | Vikram Duggal        | Chief General Manager | Bachelor of Commerce (B.Com), Chartered Accountant (CA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification, Certificate in International Trade Finance - IIBF                                                                                                                      |
| 15      | Mahesh M Pai         | Chief General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), CAIIB - Part I, CAIIB - Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Anti-Money Laundering Specialist, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                              |
| 16      | Kalyan Mukherjee     | Chief General Manager | B.Sc. (Agriculture), Composite Insurance Certification (IRDA), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                             |

## यथा 31.03.2026 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / सीएफओ / सीएस की सूची

| क्र. सं. | नाम                 | पद का नाम                       | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17       | अमित मित्तल         | समूह मुख्य वित्त अधिकारी (मप्र) | बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी), चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), क्रेडिट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन, अकाउंट्स और ऑडिट में सर्टिफिकेशन कोर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                                                                                     |
| 18       | आर राजेश            | महाप्रबंधक                      | बैचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए), मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी), एमबीए (बैंकिंग और फाइनेंस), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस (एमसीए), पीयूसी, आईटी सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ, डिजिटल बैंकिंग में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ, सीएआईआईबी, कस्टमर सर्विस और बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड पर सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ, व्यक्तियों के लिए विदेशी मुद्रा सुविधाओं में प्रमाणपत्र, साइबर अपराधों की रोकथाम और धोखाधड़ी प्रबंधन में सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, फॉरेन एक्सचेंज में सर्टिफिकेट कोर्स, एमएसएमई में सर्टिफिकेट |
| 19       | ए. रमेश बाबू        | महाप्रबंधक                      | एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (एएमआईई), इंटरमीडिएट, सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर (सीआईएसएम), सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर (सीआईएसएम), जेएआईआईबी, सीएआईआईबी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20       | एम. विजय कुमार      | महाप्रबंधक                      | बैचलर ऑफ साइंस (कृषि), एमएससी (कृषि), इंटरनेशनल कंप्लायंस से रेगुलेटरी कंप्लायंस में इंटरनेशनल एडवांस्ड सर्टिफिकेट, एनआईएसएम सीरीज वी-ए: म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन, जेएआईआईबी-जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21       | धनंजय सिंह          | महाप्रबंधक                      | बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - , कंपोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22       | सौरव मित्रा         | महाप्रबंधक                      | बी.ए. (ऑनर्स), डेरिवेटिव एक्सचेंज में सर्टिफिकेट, जेएआईआईबी, जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23       | अभय कुमार मालवीय    | महाप्रबंधक                      | बैचलर ऑफ साइंस (कृषि), जर्मन भाषा में डिप्लोमा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा, इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिप्लोमा (आईआईबीएफ), ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा (आईआईबीएफ), बैंकों के लिए एसएमई फाइनेंस में सर्टिफिकेट, सीएआईआईबी (सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, एन्टी-मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और अपने ग्राहक को जाने में सर्टिफिकेट                                                                                                                         |
| 24       | धनंजय कुमार पाण्डेय | महाप्रबंधक                      | बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स), मास्टर ऑफ साइंस (एमएससी), प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स जूनियर एसोसिएट जेएआईआईबी, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स सर्टिफाइड एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

List of Chief General Managers/General Managers/CFO/CS as on 31.03.2026

| Sl. No. | NAME                   | DESIGNATION                      | EDUCATIONAL QUALIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17      | Amit Mittal            | Group Chief Finance Officer (GM) | Bachelor of Science (B.Sc.), Chartered Accountant (CA), Certification in Credit Management, Certification Course in Accounts and Audit, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18      | R Rajesh               | General Manager                  | Bachelor of Arts (B.A.), Master of Science (M.Sc.), MBA (Banking & Finance), Master of Computer Applications (MCA), PUC, Certificate Examination in IT Security-IIBF, Certificate in Digital Banking - IIBF, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate on Customer Service & Banking Codes and Standards - IIBF, Certificate Examination in Foreign Exchange Facilities for Individuals, Certificate in Prevention of Cyber Crimes and Fraud Management, Certified Credit Professional, Certificate Course in Foreign Exchange, Certificate in MSME |
| 19      | A Ramesh Babu          | General Manager                  | Associate Member of the Institution of Engineers (AMIE), Intermediate, Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Auditor (CISA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20      | M Vijaya Kumar         | General Manager                  | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), International Advanced Certificate in Regulatory Compliance from International Compliance, NISM Series V-A: Mutual Fund Distributors Certification, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21      | Dhananjay Singh        | General Manager                  | Bachelor of Commerce (B.Com), Chartered Accountant (CA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22      | Saurav Mitra           | General Manager                  | B.A. (Hons), Certificate in Derivatives Exchange, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23      | Abhay Kumar Malviya    | General Manager                  | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), Diploma in German, Diploma in Business Administration, Diploma in International Banking & Finance-IIBF, Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, Certificate in SME Finance for Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer                                                                                                                                                                                                         |
| 24      | Dhananjay Kumar Pandey | General Manager                  | Bachelor of Science B.Sc. (Hons), Master of Science (M.Sc.), PG Diploma in Management, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## यथा 31.03.2026 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / सीएफओ / सीएस की सूची

| क्र. सं. | नाम                 | पद का नाम  | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25       | बिस्मय सामल         | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (कृषि), व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन एन्टी-मनी लॉन्ड्रिंग और अपने ग्राहक को जानें प्रमाणपत्र                                                                    |
| 26       | बरुण सिंह ठाकुर     | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (कृषि), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                                              |
| 27       | एस अनिल कुमार नायर  | महाप्रबंधक | एलएलबी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28       | श्रीनाथ एच. जोशी    | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (कृषि), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी-सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सर्टिफिकेट इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस - आईआईबीएफ                                                                                                                                                        |
| 29       | के. वी. रमण मूर्ति  | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी), एम.ए. (हिंदी), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                                                              |
| 30       | अमिताभ चटर्जी       | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, सीएआईआईबी - पार्ट I, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                   |
| 31       | आर पी जायसवाल       | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), एम.ए. (हिंदी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32       | भास्कर चक्रवर्ती एम | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस बी.एससी (कृषि), एम.एससी (कृषि), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                                                               |
| 33       | के. बी. गीता        | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए.), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बीए), बैंकों के लिए एसएमई फाइनेंस में सर्टिफिकेट, जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ, एटी मनी लॉन्ड्रिंग और अपने ग्राहक को जानें में सर्टिफिकेट |
| 34       | प्रदीप के. एस.      | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (कृषि), एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 35       | मुथुलक्ष्मी पी      | महाप्रबंधक | डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.), बी.एससी (हॉर्टिकल्चर), एम.एससी (हॉर्टिकल्चर), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                                  |
| 36       | टी वी के मोहन       | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                                                                                                                                                       |



List of Chief General Managers / General Managers / CFO / CS as on 31.03.2026

| Sl. No. | NAME                    | DESIGNATION     | EDUCATIONAL QUALIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25      | Bismay Samal            | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), PG Diploma in Business Administration, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer                                           |
| 26      | Barun Singh Thakur      | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), Master of Business Administration (MBA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                       |
| 27      | S Anil Kumar Nair       | General Manager | LLB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28      | Shreenath H Joshi       | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), Master of Business Administration (MBA), CAIIB - Part I, CAIIB - Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in International Trade Finance - IIBF                                                                                                                         |
| 29      | K V Ramana Murthy       | General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), M.A (Hindi), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                   |
| 30      | Amitabh Chatterjee      | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Hons), Master of Business Administration (MBA), Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                          |
| 31      | R P Jaiswal             | General Manager | Bachelor of Commerce (B.Com), M.A. (Hindi)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32      | Bhaskara Chakravarthy M | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                           |
| 33      | K B Geetha              | General Manager | Bachelor of Arts (B.A.), Master of Business Administration (MBA), Certificate in SME Finance for Bankers, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in International Trade Finance - IIBF, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer |
| 34      | Pradeep K S             | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                     |
| 35      | Muthulakshmi P          | General Manager | Doctor of Philosophy (Ph.D.), B.Sc. (Horticulture), M.Sc. (Horticulture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                               |
| 36      | T V K Mohan             | General Manager | Bachelor of Arts (B.A.), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                          |

## यथा 31.03.2026 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / सीएफओ / सीएस की सूची

| क्र. सं. | नाम                    | पद का नाम  | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37       | डी एन वी श्रीनिवास राव | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी), मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.), बैंकर्स के लिए एसएमई फाइनेंस में सर्टिफिकेट, जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स।                                                                                                                                                                              |
| 38       | एच टी बाविस्कर         | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए.), एम.ए.(अर्थशास्त्र), एनआईएसएम सीरीज़ V-A: म्युचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन, जेएआईआईबी-जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी-सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इश्योरेस सर्टिफिकेशन, एमएसएमई में सर्टिफिकेट                                                                                                                  |
| 39       | बी. सुधाकर कोटारी      | महाप्रबंधक | मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.), सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40       | अनंत जलोन्हा           | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इश्योरेस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                                                                                         |
| 41       | ममता ए जोशी            | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी), एलएलबी, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, साइबर अपराधों की रोकथाम और धोखाधड़ी प्रबंधन में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ, बैंकर्स के लिए एसएमई फाइनेंस में सर्टिफिकेट, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, ग्राहक सेवा और बैंकिंग कोड और मानकों पर सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ |
| 42       | सुनील कुमार यादव       | महाप्रबंधक | बी.एससी (कृषि), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43       | टी पी ज्योतिलक्ष्मी    | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक), मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, एमएसएमई में सर्टिफिकेट                                                                                                                                                                                             |
| 44       | मनोज कुमार मीणा        | महाप्रबंधक | पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (बैंकिंग और फायनेंस), बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी), ट्रेजरी निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, कम्पोजिट इश्योरेस सर्टिफिकेशन                                                                                                                  |
| 45       | चक्रवर्ती पी           | महाप्रबंधक | बी.कॉम (हॉनर), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस (एमसीए), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, बैंकर्स के लिए क्रेडिट कार्ड में सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल (पीएमपी) सर्टिफिकेशन, लीडरशिप और मैनेजमेंट में एजीक्यूटिव प्रोग्राम (ईपीएलएम)                                                                  |
| 46       | शंकर वाई               | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), मास्टर ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट (एमबीएम), कम्पोजिट इश्योरेस सर्टिफिकेशन (आईआरडीए), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                                                                                                   |

List of Chief General Managers/General Managers/CFO/CS as on 31.03.2026

| Sl. No. | NAME                | DESIGNATION     | EDUCATIONAL QUALIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37      | D N V Srinivasa Rao | General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), Master of Science (M.Sc.), Certificate in SME Finance for Bankers, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                           |
| 38      | H T Baviskar        | General Manager | Bachelor of Arts (B.A.), M.A. (Economics), NISM Series V-A: Mutual Fund Distributors' Certification, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification, Certificate in MSME                                                                                                              |
| 39      | B Sudhakar Kotary   | General Manager | Master of Arts (M.A.), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40      | Anant Jalonha       | General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB - Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                                         |
| 41      | Mamatha A Joshi     | General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), LLB, Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, Certificate in Prevention of Cyber Crimes & Fraud Management-IIBF, Certificate in SME Finance for Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate on Customer Service & Banking Codes and Standards - IIBF, Certificate in International Trade Finance - IIBF |
| 42      | Sunil Kumar Yadav   | General Manager | B.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43      | T P Jyothilekshmi   | General Manager | Bachelor of Technology (B.Tech), Master of Technology (M.Tech), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in MSME                                                                                                                                                                                      |
| 44      | Manoj Kumar Meena   | General Manager | Post Graduate Programme (Banking & Finance), Bachelor of Science (B.Sc.), Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                   |
| 45      | Chakkaravarthy P    | General Manager | Bachelor of Commerce B.Com (Hons), Master of Computer Applications (MCA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in Credit Card for Bankers, Project Management Professional (PMP) Certification, Executive Programme in Leadership & Management (EPLM)                                             |
| 46      | Shankar Y           | General Manager | Bachelor of Commerce (B.Com), Master of Business Management (MBM), Composite Insurance Certification (IRDA), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                     |

## यथा 31.03.2026 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / सीएफओ / सीएस की सूची

| क्र. सं. | नाम                | पद का नाम  | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47       | शीबा सहजन          | महाप्रबंधक | बी.एससी (कृषि), कम्पोजिट बीमा प्रमाणन (आईआरडीए), जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 48       | राकेश नैनवाल       | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी), एम.ए. (हिंदी), ग्रामीण बैंकिंग में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, साइबर अपराधों की रोकथाम और धोखाधड़ी प्रबंधन में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ, प्रमाणित सूचना प्रणाली बैंकर - आईआईबीएफ, एनआईएसएम सीरीज़ VI - डिपॉजिटरी ऑपरेशंस सर्टिफिकेशन, डिजिटल बैंकिंग में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ, ग्रामीण बैंकिंग में प्रमाणपत्र परीक्षा, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में प्रमाणपत्र, व्यक्तियों के लिए विदेशी मुद्रा सुविधाओं में प्रमाणपत्र परीक्षा, IT सुरक्षा में प्रमाणपत्र परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र परीक्षा, विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम |
| 49       | अरुण नागप्पन       | महाप्रबंधक | बी.एससी (कंप्यूटर साइंस), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस (एमसीए), साइबर अपराधों की रोकथाम और धोखाधड़ी प्रबंधन में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ, सीएआईआईबी - भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित सहयोगी, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र परीक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी और 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) में प्रमाणपत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50       | जी. आर. दिल्लीबाबू | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी), एम.एससी (सांख्यिकी), ट्रेजरी निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा - आई आई बी एफ, वित्तीय सेवाओं में जोखिम का प्रमाणपत्र स्तर-1 (आईआईबीएफ), बैंकों के लिए एसएमई वित्त में प्रमाणपत्र, जेएआईआईबी - भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट, आईटी सुरक्षा में प्रमाणपत्र परीक्षा, साइबर अपराधों की रोकथाम और धोखाधड़ी प्रबंधन में प्रमाणपत्र, विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) में प्रमाणपत्र, प्रमाणित सूचना प्रणाली बैंकर                                                                |

List of Chief General Managers/General Managers/CFO/CS as on 31.03.2026

| Sl. No. | NAME           | DESIGNATION     | EDUCATIONAL QUALIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47      | Sheeba Sahajan | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), Composite Insurance Certification (IRDA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48      | Rakesh Nainwal | General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), M.A. (Hindi), Diploma in Rural Banking - IIBF, Diploma in International Banking & Finance - IIBF, Certificate in Prevention of Cyber Crimes & Fraud Management-IIBF, Certified Information System Banker - IIBF, NISM Series VI-Depository Operations Certification, Certificate in Digital Banking - IIBF, Certificate Examination In Rural Banking, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in International Banking, Certificate Examination in Foreign Exchange Facilities for Individuals, Certificate Examination in IT Security, Certificate Examination In Information Technology, Certificate Course in Foreign Exchange |
| 49      | Arun Nagappan  | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Computer Science), Master of Computer Applications (MCA), Certificate in Prevention of Cyber Crimes & Fraud Management-IIBF, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate Examination in Information Technology, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 50      | G R Dillibabu  | General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), M.Sc. (Statistics), Diploma in TreasuryInvestmentAndRiskManagement-IIBF, Certificate in Risk in Financial Services Level-I (IIBF), Certificate in SME Finance for Bankers, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate Examination in IT Security, Certificate in Prevention of Cyber Crimes and Fraud Management, Certificate Course in Foreign Exchange, Certificate in International Trade Finance - IIBF, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer, Certified Information System Banker                                                                   |



## यथा 31.03.2026 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / सीएफओ / सीएस की सूची

| क्र. सं. | नाम                    | पद का नाम  | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51       | आदर्श एम एस            | महाप्रबंधक | बी.एससी (रसायन विज्ञान), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस (एमसीए), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 52       | संजीव कुमार लाल दास    | महाप्रबंधक | बी.एससी (गणित)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53       | अरुणकुमार के आर        | महाप्रबंधक | बी.एससी (कृषि), एम.एससी (कृषि), माइक्रो फाइनेंस में डिप्लोमा, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, फाइनेंशियल सर्विसेज़ में रिस्क का सर्टिफिकेट लेवल-1 (आईआईबीएफ), बैंकर्स के लिए एसएमई फाइनेंस का सर्टिफिकेट, एनआईएसएम सीरीज़ VI-डिपॉजिटरी ऑपरेशन्स सर्टिफिकेशन, एनआईएसएम सीरीज़ V-A: म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सर्टिफिकेट, जेएआईआईबी-जूनियर एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स, सीएआईआईबी-सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स, फॉरेन एक्सचेंज में सर्टिफिकेट कोर्स |
| 54       | आर. कृष्ण प्रसाद       | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), हिंदी प्रबोध में प्रमाणपत्र, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55       | आई. पांडुरंगा मिथांथया | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), एमबीए (ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट), डिप्लोमा (पीजी डिप्लोमा), सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56       | प्रवीण डी. काबरा       | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) में प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 57       | मंजुनाथ बसवराज सिंगाई  | महाप्रबंधक | बी.एससी (इलेक्ट्रॉनिक्स), एमबीए (वित्त और विपणन), एनआईबीएम से वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58       | मनोज कुमार दास         | महाप्रबंधक | बी.एससी (हॉनर्स) फिजिक्स, एसएससी, इंटरमीडिएट, सीएआईआईबी - पार्ट I, सीएआईआईबी - भारतीय बैंकर संस्थान का प्रमाणित सहयोगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59       | सुधांशु सुमन           | महाप्रबंधक | बीई (मैकेनिकल), सर्टिफाइड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए), सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60       | सुनील कुमार एस         | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड), बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी), मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए), एमबीए (बैंकिंग और फाइनेंस), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकर्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 61       | सुबोध कुमार            | महाप्रबंधक | बीएससी (रसायन विज्ञान), एमएससी (रसायन विज्ञान), एमबीए (वित्तीय प्रबंधन), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी - भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित सहयोगी, समग्र बीमा प्रमाणन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

List of Chief General Managers / General Managers / CFO / CS as on 31.03.2026

| Sl. No. | NAME                       | DESIGNATION     | EDUCATIONAL QUALIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51      | Adarsh M S                 | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Chemistry), Master of Computer Applications (MCA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52      | Sanjiva Kumar Lal Das      | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Mathematics)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 53      | Arunkumar K R              | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), Diploma in Micro Finance, Diploma in Treasury Investment And Risk Management - IIBF, Certificate in Risk in Financial Services Level-I (IIBF), Certificate in SME Finance for Bankers, NISM Series VI-Depository Operations Certification, NISM Series V-A: Mutual Fund Distributors' Certification, Certificate in Computer Programming, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate Course in Foreign Exchange |
| 54      | R Krishna Prasad           | General Manager | Bachelor of Commerce (B.Com), Master of Commerce (M.Com), Master of Business Administration (MBA), Certificate in Hindi Prabodh, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Credit Professional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 55      | I. Panduranga Mithanthaya  | General Manager | Bachelor of Commerce (B.Com), MBA (Treasury Investment & Risk Management), Diploma (PG Diploma), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56      | Pravin D Kabra             | General Manager | Bachelor of Commerce (B.Com), Professional Certificate in Chartered Accountancy (CA), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 57      | Manjunath Basavaraj Singai | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Electronics), MBA (Finance & Marketing), IT and Cyber Security for Senior Management from NIBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 58      | Manoj Kumar Das            | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Hons) Physics, SSC, Intermediate, CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 59      | Sudhanshu Suman            | General Manager | BE (Mechanical), Certified Chartered Financial Analyst (CFA), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60      | Sunil Kumar S              | General Manager | Bachelor of Education (B.Ed.), Bachelor of Science (B.Sc.), Master of Arts (M.A.), MBA (Banking & Finance), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 61      | Subodh Kumar               | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Chemistry), M.Sc. (Chemistry), MBA (Financial Management), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## यथा 31.03.2026 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / सीएफओ / सीएस की सूची

| क्र. सं. | नाम                    | पद का नाम  | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62       | श्रीकांत एम. भंडीवाड   | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ सर्टिफाइड एसोसिएट, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                                                                                                           |
| 63       | ए. के. भूमा            | महाप्रबंधक | मास्टर ऑफ साइंस (एमएससीM.Sc.), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 64       | प्रमोद कुमार सिंह      | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, समग्र बीमा प्रमाणन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 65       | जयप्रकाश सी            | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ फ़िशरीज़ साइंस (बीएफएससी), बैंकिंग में डिप्लोमा, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 66       | संजय कुमार             | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी), जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ जूनियर एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67       | रजनीकांत               | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), कम्पोजिट बीमा प्रमाणन (आईआरडीए), जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ सर्टिफाइड एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 68       | वीरेंद्र बाबू के       | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी), होम लोन एडवाइज़िंग में डिप्लोमा, बैंकर्स के लिए एसएमई फाइनेंस में सर्टिफिकेट, हिंदी प्रज्ञा में सर्टिफिकेट, जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स ऑफ सर्टिफाइड एसोसिएट, माइक्रो फाइनेंस में सर्टिफिकेट परीक्षा, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) में सर्टिफिकेट |
| 69       | बी. के. वेंकटेश प्रसाद | महाप्रबंधक | पीयूसी, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन में पीजी प्रमाणपत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70       | सुजीत कुमार साहू       | महाप्रबंधक | बीए (हॉनर्स), मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), ट्रेज़री इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेशन, एमएसएमई में सर्टिफिकेट                                                                                          |
| 71       | मोहम्मद तोफिक          | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी), एमए (अर्थशास्त्र), एमबीए (बैंकिंग और वित्त), इंटरनेशनल बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट, इंटरनेशनल बैंकिंग में सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट बैंकिंग में सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, एमएसएमई में सर्टिफिकेट                                                      |

List of Chief General Managers / General Managers / CFO / CS as on 31.03.2026

| Sl. No. | NAME                  | DESIGNATION     | EDUCATIONAL QUALIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62      | Shreekant M Bhandiwad | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                         |
| 63      | A K Bhooma            | General Manager | Master of Science (M.Sc.), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 64      | Pramod Kumar Singh    | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 65      | Jayaprakash C         | General Manager | Bachelor of Fisheries Science (B.F.Sc.), Diploma in Banking, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 66      | Sanjay Kumar          | General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 67      | Rajni Kant            | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), Composite Insurance Certification (IRDA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                       |
| 68      | Veerendra Babu K      | General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), Diploma in Home Loan Advising, Certificate in SME Finance for Bankers, Certificate in Hindi Pragya, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate Examination in Micro Finance, Certificate in International Trade Finance - IIBF, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer |
| 69      | B K Venkatesh Prasad  | General Manager | PUC, PG Certificate in International Sports Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70      | Sujit Kumar Sahoo     | General Manager | B.A. (Hons), Master of Business Administration (MBA), Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, JAIIB - Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Credit Professional, Composite Insurance Certification, Certificate in MSME                                                                                |
| 71      | Mohammad Thophic      | General Manager | Bachelor of Science (B.Sc.), M.A. (Economics), MBA (Banking & Finance), Diploma in International Banking & Finance- IIBF, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in International Banking, Certificate in Corporate Banking, Certified Credit Professional, Certificate in MSME                                    |

## यथा 31.03.2026 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / सीएफओ / सीएस की सूची

| क्र. सं. | नाम               | पद का नाम  | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72       | वी एस संतोष       | महाप्रबंधक | बीएससी (एग्रीकल्चर), एमएससी (एग्रीकल्चर), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), मैनेजमेंट में डिप्लोमा, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, बैंकों के लिए एसएमई वित्त में प्रमाण पत्र, सीआईआईबी - पार्ट I, सीआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट, एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ, कैपिटल मार्केट डीलर्स मॉड्यूल में सर्टिफिकेट - एनसीएफएम-एनएसडीएल                                                                                          |
| 73       | अरुण कुमार मिश्रा | महाप्रबंधक | बीएससी (नर्सिंग), जेआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 74       | अजीत कुमार मिश्रा | महाप्रबंधक | बी.एससी (ऑनर्स), ट्रेजरी और फॉरेक्स मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा, जेआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75       | विजयलक्ष्मी सी जे | महाप्रबंधक | बैचलर ऑफ लॉ (बी एल), मास्टर ऑफ लॉ (एम एल), एसएससी, एचएससी, जूनियर टाइपिंग इंग्लिश में सर्टिफिकेट, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन (आईआईबीए), हिंदी में सर्टिफिकेट, भारतीय बैंकों के संस्थान के जेआईआईबी-प्रमाणित एसोसिएट, भारतीय बैंकों के संस्थान के सीआईआईबी-प्रमाणित एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 76       | अजय कुमार         | महाप्रबंधक | बीएससी (ऑनर्स), जेआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77       | एच.के. गंगाधर     | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमबीए (बैंकिंग और वित्त), आईडीआरबीटी से वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा में प्रमाणन कार्यक्रम, बैंकों के लिए एसएमई वित्त में प्रमाणपत्र, जेआईआईबी-भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट, सीआईआईबी-भारतीय बैंकों के प्रमाणित एसोसिएट, ग्राहक सेवा और बैंकिंग कोड और मानकों पर प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ, वैयक्तिक विदेशी मुद्रा सुविधा में प्रमाणपत्र परीक्षा, प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ, फेलोशिप का प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ, अपने ग्राहक को जानें और धन शोधन निवारण में प्रमाणपत्र |
| 78       | लोक नाथ           | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), एमबीए (बैंकिंग और वित्त), जेआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79       | जी ए अनुपम        | महाप्रबंधक | बीएससी (रसायन विज्ञान), एमबीए (वित्तीय प्रबंधन), सीआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



List of Chief General Managers / General Managers / CFO / CS as on 31.03.2026

| Sl. No. | NAME              | DESIGNATION     | EDUCATIONAL QUALIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72      | V S Santosh       | General Manager | B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), Master of Business Administration (MBA), Diploma in Management, Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, Certificate in SME Finance for Bankers, CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in Advance Management Programme, Certificate in International Trade Finance - IIBF, Certificate in Capital Market Dealers Module - NCFM-NSDL                                                                                                                                                                                    |
| 73      | Arun Kumar Mishra | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Nursing), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 74      | Ajit Kumar Mishra | General Manager | B.Sc. (Hons), PG Diploma in Treasury & Forex Management, PG Diploma in Business Administration, JAIIB - Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB - Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 75      | Vijayalakshmi C J | General Manager | Bachelor of Law (BL), Master of Law (ML), SSC, HSC, Certificate in Junior Typing English, Composite Insurance Certification (IRDA), Certificate in Hindi, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 76      | Ajay Kumar        | General Manager | B.Sc. (Hons), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77      | H K Gangadhar     | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), MBA (Banking & Finance), Certification Programme in IT and Cyber Security for Senior Management from IDRBT, Certificate in SME Finance for Bankers, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate on Customer Service & Banking Codes and Standards - IIBF, Certificate Examination in Foreign Exchange Facilities for Individuals, Certified Bank Trainer, Certificate In International Trade Finance - IIBF, Certificate of Fellowship - IIBF, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer |
| 78      | Lok Nath          | General Manager | Bachelor of Science B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), MBA (Banking & Finance), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 79      | G A Anupam        | General Manager | B.Sc. (Chemistry), MBA (Financial Management), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## यथा 31.03.2026 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / सीएफओ / सीएस की सूची

| क्र. सं. | नाम                | पद का नाम          | शैक्षणिक योग्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80       | सत्य प्रकाश सिंह   | महाप्रबंधक         | बी.कॉम (ऑनर्स), जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 81       | रंजीत कुमार झा     | महाप्रबंधक         | बीए (ऑनर्स), मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए.), इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, सर्टिफाइड ट्रेजरी प्रोफेशनल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 82       | डॉ.रश्मि त्रिपाठी  | महाप्रबंधक         | बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए), एमए(अर्थशास्त्र), पीएचडी (अर्थशास्त्र), जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 83       | विमला विजया भास्कर | महाप्रबंधक         | बीएससी (रसायन विज्ञान), एमबीए (विपणन प्रबंधन), एमफिल(प्रबंधन), जेएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी - इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 84       | अदिश यादव          | महाप्रबंधक         | मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), बीटेक(इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन), इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, रिटेल बैंकिंग में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम बैंकर - आईआईबीएफ, आईटी सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट परीक्षा - आईआईबीएफ, साइबर अपराधों की रोकथाम और धोखाधड़ी प्रबंधन में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर (एफ.आए.एम.), सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रिस्क (एससीआर), बैंकों के लिए एसएमई फाइनेंस में सर्टिफिकेट, जेएआईआईबी - जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सीएआईआईबी - सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सर्टिफाइड बैंकिंग कंप्लायंस प्रोफेशनल, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल, फॉरेन एक्सचेंज में सर्टिफिकेट कोर्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) में सर्टिफिकेट |
| 85       | संतोष कुमार बारिक  | कंपनी सचिव (समग्र) | एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी (एसीएस), मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

List of Chief General Managers / General Managers / CFO / CS as on 31.03.2026

| Sl. No. | NAME                  | DESIGNATION             | EDUCATIONAL QUALIFICATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80      | Satya Prakash Singh   | General Manager         | B.Com (Hons), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Credit Professional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81      | Ranjeet Kumar Jha     | General Manager         | B.A. (Hons), Master of Arts (M.A.), Diploma in International Banking & Finance - IIBF, PG Diploma in Business Administration, Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB - Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Credit Professional, Certified Treasury Professional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 82      | Dr Rashmi Tripathi    | General Manager         | Bachelor of Arts (B.A.), M.A. (Economics), Ph.D. (Economics), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 83      | Vimala Vijaya Bhaskar | General Manager         | Bachelor of Science B.Sc. (Chemistry), MBA (Marketing Management), M.Phil. (Management), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 84      | Adish Yadav           | General Manager         | Master of Business Administration (MBA), B.Tech (Electronics & Instrumentation), Diploma in International Banking & Finance - IIBF, Diploma in Information System Audit - IIBF, Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, Diploma in Retail Banking - IIBF, Certified Information System Banker-IIBF, Certificate Examination in IT Security-IIBF, Certificate in Prevention of Cyber Crimes & Fraud Management-IIBF, Financial Risk Manager (FRM), Sustainability and Climate Risk (SCR), Certificate in SME Finance for Bankers, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Banking Compliance Professional, Certified Credit Professional, Certificate Course in Foreign Exchange, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer |
| 85      | Santosh Kumar Barik   | Company Secretary (AGM) | Associate Company Secretary (ACS), Master of Commerce (M.Com), Bachelor of Commerce (B.Com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 5) निदेशकों को पारिश्रमिक

- a) लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। बैठक शुल्क का भुगतान, बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए, सरकारी दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। गैर-कार्यकारी निदेशक को भुगतान करने के मानदंडों का विवरण लिंक <https://www.canarabank.bank.in/criteria-of-making-payments-to-non-executive-directors> पर देखा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

(पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार एवं भारि.बैं. का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है।)

### गैर-सरकारी निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

गैर-कार्यकारी निदेशकों के सूचीबद्ध संस्था के साथ सभी मौद्रिक संबंध या लेन-देन;

| क्र. सं. | निदेशक का नाम                                                                       | पदनाम                                               | कुल बैठक शुल्क (₹ में) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | श्री विजय श्रीरंगन (06.11.2025 से अध्यक्ष पद पर नहीं रहे)                           | अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष | 17,75,000.00           |
| 2        | सुश्री नलिनी पद्मनाभन (11.04.2025 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त) | अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक                          | 44,30,000.00           |
| 3        | श्री बिमल प्रसाद शर्मा (26.07.2025 से शेयरधारक निदेशक पद पर नहीं रहे)               | शेयरधारक निदेशक                                     | 13,25,000.00           |
| 4        | सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (27.07.2025 से शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त)     | शेयरधारक निदेशक                                     | 37,05,000.00           |
| 5        | श्री हेमंत बुच (01.07.2025 से शेयरधारक निदेशक पद पर नहीं रहे)                       | शेयरधारक निदेशक                                     | 6,75,000.00            |

## 5) Remuneration to Directors

- a) Non-Executive Directors are not being paid any other remuneration except sitting fees in accordance with applicable guidelines. The sitting fee is paid as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of criteria of making payment to Non-Executive Director can be accessed at link <https://www.canarabank.bank.in/criteria-of-making-payments-to-non-executive-directors>. The sitting fee paid to directors during the Financial Year 2025-26 is given hereunder:

(No sitting fee is payable to Whole-Time Directors and Directors representing Government of India & RBI)

### Remuneration paid to Non-Official Directors:

All pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the Listed Entity;

| Sl. No. | Name of Director                                                                        | Designation                                                | Total Sitting Fees paid (In ₹) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1       | Shri Vijay Srirangan (Ceased to be Chairman w.e.f. 06.11.2025)                          | Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman | 17,75,000.00                   |
| 2       | Ms. Nalini Padmanabhan (Appointed as Part-Time Non-Official Director w.e.f. 11.04.2025) | Part-Time Non-Official Director                            | 44,30,000.00                   |
| 3       | Shri Bimal Prasad Sharma (Ceased to be Shareholder Director w.e.f. 26.07.2025)          | Shareholder Director                                       | 13,25,000.00                   |
| 4       | Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Re-appointed as Shareholder Director w.e.f. 27.07.2025)      | Shareholder Director                                       | 37,05,000.00                   |
| 5       | Shri Hemant Buch (Ceased to be Shareholder Director w.e.f. 01.07.2025)                  | Shareholder Director                                       | 6,75,000.00                    |

|     |                                                                                         |                    |                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 6   | श्री गुंजीत सिंह पन्नू<br>(27.07.2025 से<br>शेयरधारक निदेशक<br>के रूप में नियुक्त)      | शेयरधारक<br>निदेशक | 24,25,000.00   |
| 7   | श्री बालकृष्ण राघवेंद्र<br>राव (13.09.2025 से<br>शेयरधारक निदेशक<br>के रूप में नियुक्त) | शेयरधारक<br>निदेशक | 21,25,000.00   |
| कुल |                                                                                         |                    | 1,64,60,000.00 |

|       |                                                                                                       |                         |                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| 6     | Shri Gunjeet<br>Singh Pannu<br>(Appointed as<br>Shareholder<br>Director w.e.f.<br>27.07.2025)         | Shareholder<br>Director | 24,25,000.00   |
| 7     | Shri Balakrishna<br>Raghavendra<br>Rao (Appointed<br>as Shareholder<br>Director w.e.f.<br>13.09.2025) | Shareholder<br>Director | 21,25,000.00   |
| Total |                                                                                                       |                         | 1,64,60,000.00 |

- b) कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिया जाता है। वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | नाम और अवधि                                                                                  | पदनाम                                                   | वेतन         | पीएलआई       | सेवानिवृत्ति लाभ<br>(एसपीएफ और<br>ग्रेच्युटी) | कुल            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1        | श्री के सत्यनाराण राजु<br>(31.12.2025 को सेवानिवृत्त)                                        | प्रबंध निदेशक व<br>मुख्य कार्यकारी<br>अधिकारी           | 67,29,756.00 | 16,15,680.00 | 70,01,750.81                                  | 1,53,47,186.81 |
| 2        | श्री देबाशीष मुखर्जी<br>(31.05.2025 को<br>सेवानिवृत्त)                                       | कार्यपालक<br>निदेशक                                     | 40,58,550.00 | 15,31,980.00 | 75,35,905.07                                  | 1,31,26,435.07 |
| 3        | श्री हरदीप सिंह<br>अहलूवालिया (01.01.2026<br>से एमडी एवं सीईओ के रूप<br>में अतिरिक्त प्रभार) | प्रबंध निदेशक व<br>मुख्य कार्यकारी<br>अधिकारी (प्रभारी) | 35,77,812.00 | 13,21,020.00 | -                                             | 48,98,832.00   |
| 4        | श्री भवेन्द्र कुमार                                                                          | कार्यपालक<br>निदेशक                                     | 51,37,753.42 | 16,12,800.00 | -                                             | 67,50,553.42   |
| 5        | श्री एस के मजुमदार                                                                           | कार्यपालक<br>निदेशक                                     | 42,46,672.52 | 34,683.87    | -                                             | 42,81,356.39   |
| 6        | श्री सुनील कुमार चुघ<br>(24.11.2025 से कार्यकारी<br>निदेशक के रूप में नियुक्त)               | कार्यपालक<br>निदेशक                                     | 17,10,454.07 | -            | -                                             | 17,10,454.07   |



b) Remuneration to Executive Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the Whole-Time Directors of the Bank, during the year 2025-26 are as under:

| Sl. No. | Name & Period                                                                | Designation                                 | Salary       | PLI          | Retirement Benefits (SPF & Gratuity) | Total          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------|
| 1       | Shri K Satyanarayana Raju (Superannuated on 31.12.2025)                      | Managing Director & Chief Executive Officer | 67,29,756.00 | 16,15,680.00 | 70,01,750.81                         | 1,53,47,186.81 |
| 2       | Shri Debashish Mukherjee (Superannuated on 31.05.2025)                       | Executive Director                          | 40,58,550.00 | 15,31,980.00 | 75,35,905.07                         | 1,31,26,435.07 |
| 3       | Shri Hardeep Singh Ahluwalia (Additional Charge as MD&CEO w.e.f. 01.01.2026) | MD & CEO (I/C) (Executive Director)         | 35,77,812.00 | 13,21,020.00 | -                                    | 48,98,832.00   |
| 4       | Shri Bhavendra Kumar                                                         | Executive Director                          | 51,37,753.42 | 16,12,800.00 | -                                    | 67,50,553.42   |
| 5       | Shri S K Majumdar                                                            | Executive Director                          | 42,46,672.52 | 34,683.87    | -                                    | 42,81,356.39   |
| 6       | Shri Sunil Kumar Chugh (Appointed as Executive Director w.e.f. 24.11.2025)   | Executive Director                          | 17,10,454.07 | -            | -                                    | 17,10,454.07   |

## 6. आम सभा बैठक:

a) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

| एजीएम (आईपीओ के पश्चात) | दिनांक     | समय            | स्थल                                                    |
|-------------------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 21वीं वार्षिक आम बैठक   | 28.06.2023 | सुबह 10:30 बजे | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों से आयोजित |
| 22वीं वार्षिक आम बैठक   | 28.06.2024 | सुबह 10:30 बजे | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों से आयोजित |
| 23वीं वार्षिक आम बैठक   | 26.06.2025 | सुबह 11:00 बजे | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / ऑडियो-विज़ुअल माध्यमों से आयोजित |

23वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट की तालिका 2 में दिया गया है।

## 6. General Body Meetings:

a) The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

| AGM (After IPO)      | Date       | Time     | Venue                                                |
|----------------------|------------|----------|------------------------------------------------------|
| 21 <sup>st</sup> AGM | 28.06.2023 | 10:30 AM | Held through Video Conferencing / Audio Visual means |
| 22 <sup>nd</sup> AGM | 28.06.2024 | 10:30 AM | Held through Video Conferencing / Audio Visual means |
| 23 <sup>rd</sup> AGM | 26.06.2025 | 11:00 AM | Held through Video Conferencing / Audio Visual means |

Details of attendance of Directors at the 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting are given in Table 2 of the Corporate Governance Report.

b) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष प्रस्ताव:

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों / डाक मतपत्रों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:

| बैठक का स्वरूप        | दिन और दिनांक         | उद्देश्य / विशेष प्रस्ताव                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21वीं वार्षिक आम बैठक | बुधवार, 28 जून 2023   | 1. श्री दिवाकर प्रसाद हरिचंदन की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति<br>2. श्री विजय श्रीरंगन की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति |
| 22वीं वार्षिक आम बैठक | शुक्रवार, 28 जून 2024 | बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।                                                                                                                                                         |
| 23वीं वार्षिक आम बैठक | गुरुवार, 26 जून 2025  | 1. सुश्री नलिनी पद्मनाभन की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति।                                                                                                                 |

- c. पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26) में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।
- d. पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया संचालित करने वाला व्यक्ति: लागू नहीं
- e. वर्तमान में, बैंक की पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने की कोई योजना नहीं है। जब भी ऐसी कोई योजना बनेगी, शेयरधारकों को सूचित किया जाएगा।

## 7. संचार के साधन:

केनरा बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से बैंक से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, जिसमें कॉर्पोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित खाते, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल होते हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, प्रेस विज्ञप्तियों, विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियों और वेबसाइट [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in) के माध्यम से भी बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में सूचित किया जाता है। बैंक अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां, संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष दी गई प्रस्तुतियां भी प्रदर्शित करता है।

b) Special resolution passed in last three Annual General Meeting.

Details of Special Resolutions passed in the previous three Annual General Meeting / Postal Ballot:

| Nature of Meeting                       | Day & Date                            | Purpose / Special Resolution                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 <sup>st</sup> Annual General Meeting | Wednesday 28 <sup>th</sup> June, 2023 | 1. Appointment of Shri Dibakar Prasad Harichandan as Part-Time Non-Official Director of the Bank<br>2. Appointment of Shri. Vijay Srirangan as Part-Time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank. |
| 22 <sup>nd</sup> Annual General Meeting | Friday 28 <sup>th</sup> June, 2024    | No Special Resolution Passed in the Meeting.                                                                                                                                                                                  |
| 23 <sup>rd</sup> Annual General Meeting | Thursday, 26 <sup>th</sup> June, 2025 | 1. Appointment of Ms. Nalini Padmanabhan as Part-Time Non-Official Director of the Bank.                                                                                                                                      |

- c. No Special Resolution was passed in the last year (FY 2025-26) through postal Ballot
- d. Person who conducted the postal ballot exercise: N/A
- e. At present, the Bank has no plans to pass Special Resolution through Postal Ballot. The Shareholders will be intimated as and when it will be planned.

## 7. Means of Communication:

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors' Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The Shareholders are also intimated of its performances through publication in newspapers, intimation to stock exchanges, press releases, presentations to Analysts and through website at [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in) The Bank also displays official news releases, presentations made to institutional investors, analysts on its website.

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 के अनुसार, वित्तीय परिणाम और अन्य मूल्य-संवेदनशील जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराई जाती है।

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive information are furnished to Stock Exchanges.

## a) परिणामों का प्रकाशन:

| समाप्त तिमाही                                                       | प्रकाशन की तिथि | समाचार-पत्र                                  |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                 | मातृभाषा                                     | राष्ट्रीय                                                                                                           |
| 31.03.2025<br>(एकल व समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम)            | 09.05.2025      | विजयवाणी<br>आंध्र ज्योति<br>राजस्थान पत्रिका | इकोनॉमिक टाइम्स<br>फाइनेंशियल एक्सप्रेस<br>इंडियन एक्सप्रेस<br>बिजनेस लाइन<br>बिजनेस स्टैंडर्ड<br>मिंट, दैनिक जागरण |
| 30.06.2025<br>(अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)               | 25.07.2025      | विजय कर्नाटक<br>आंध्र ज्योति                 | इकोनॉमिक टाइम्स<br>फाइनेंशियल एक्सप्रेस<br>बिजनेस लाइन<br>बिजनेस स्टैंडर्ड<br>मिंट, अमर उजाला<br>राजस्थान पत्रिका   |
| 30.09.2025<br>(अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)               | 31.10.2025      | विजयवाणी<br>साक्षी                           | इकोनॉमिक टाइम्स<br>फाइनेंशियल एक्सप्रेस<br>बिजनेस लाइन<br>बिजनेस स्टैंडर्ड<br>मिंट, अमर उजाला<br>राजस्थान पत्रिका   |
| 31.12.2025<br>30.09.2025<br>(अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम) | 30.01.2026      | विजयवाणी<br>साक्षी                           | इकोनॉमिक टाइम्स<br>फाइनेंशियल एक्सप्रेस<br>बिजनेस लाइन<br>बिजनेस स्टैंडर्ड<br>मिंट, जनसत्ता                         |
| 31.03.2026<br>(एकल व समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम)            | 12.05.2026      | विजयवाणी<br>साक्षी                           | इकोनॉमिक टाइम्स<br>फाइनेंशियल एक्सप्रेस<br>बिजनेस लाइन<br>बिजनेस स्टैंडर्ड<br>जनसत्ता                               |

## a) Publication of Results:

| Quarter Ended                                                       | Date of Publication | Newspaper                                        |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                     | Vernacular                                       | National                                                                                                             |
| 31.03.2025<br>(Standalone & Consolidated Audited Financial Results) | 09.05.2025          | Vijayavani<br>Andhra Jyothi<br>Rajasthan Patrika | Economic Times<br>Financial Express<br>Indian Express<br>Business Line<br>Business Standard<br>Mint<br>Dainik Jagran |
| 30.06.2025<br>(Unaudited Reviewed Financial Results)                | 25.07.2025          | Vijaya<br>Karnataka<br>Andhra Jyothi             | Economic Times<br>Financial Express<br>Business Line<br>Business Standard<br>Mint<br>Amar Ujala<br>Rajasthan Patrika |
| 30.09.2025<br>(Unaudited Reviewed Financial Results)                | 31.10.2025          | Vijayavani<br>Sakshi                             | Economic Times<br>Financial Express<br>Business Line<br>Business Standard<br>Mint<br>Amar Ujala<br>Rajasthan Patrika |
| 31.12.2025<br>(Unaudited Reviewed Financial Results)                | 30.01.2026          | Vijayavani<br>Sakshi                             | Economic Times<br>Financial Express<br>Business Line<br>Business Standard<br>Mint<br>Jansatta                        |
| 31.03.2026<br>(Standalone & Consolidated Audited Financial Results) | 12.05.2026          | Vijayavani<br>Sakshi                             | Economic Times<br>Financial Express<br>Business Line<br>Business Standard<br>Jansatta                                |

8) शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी:

a) वार्षिक आम बैठक - तिथि, समय और स्थान

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| प्राधिकृत प्रतिनिधि की प्राप्ति की अंतिम तिथि | 18.06.2026      |
| ई-वोटिंग कट-ऑफ तिथि                           | 16.06.2026      |
| लाभांश भुगतान की रिकॉर्ड तिथि, यदि कोई हो     | 12.06.2026      |
| वार्षिक आम बैठक की तिथि                       | 23.06.2026      |
| वार्षिक आम बैठक का समय                        | पूर्वाह्न 11:00 |
| वार्षिक आम बैठक का स्थान                      | वीसी / ओएवीएम   |

b) वित्तीय वर्ष: 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026

c) लाभांश का भुगतान / रिकॉर्ड तिथि

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शेयरधारकों को ₹2 अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर (अर्थात् 210%) पर ₹4.20 का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। यह निर्णय लिया गया है कि उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा जिनके नाम एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा शुक्रवार, 12 जून 2026 (जिसे आगे रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) तक शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं। शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक (23 जून 2026) में घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

अदावी लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट भुनाए नहीं हैं / पिछली अवधि यानी वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 का लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे केवाईसी / बैंक विवरण अद्यतन करने और अवैतनिक लाभांश के भुगतान के लिए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें। बैंक ने अपनी वेबसाइट यानी

8) General Shareholders' Information:

a) Annual General Meeting - Date, Time and Venue

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Last Date for receipt of Authorised Representative | 18.06.2026 |
| e-Voting Cut-Off Date                              | 16.06.2026 |
| Record Date for Payment of Dividend, if any        | 12.06.2026 |
| Date of Annual General Meeting                     | 23.06.2026 |
| Time of Annual General Meeting                     | 11:00 AM   |
| Venue of Annual General Meeting                    | VC / OAVM  |

b) Financial Year: 1<sup>st</sup> April, 2025 to 31<sup>st</sup> March, 2026

Restricted c) Payment of Dividend / Record Date

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹4.20 per equity share (i.e. 210%) of face value of ₹2/- each to the Shareholders for the financial year 2025-26, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on Friday, 12<sup>th</sup> June, 2026 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the Shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (23<sup>rd</sup> June 2026).

UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The Shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the years 2021-22, 2022-23, 2023-24 and 2024-25 are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for updating of KYC / Bank details and payment of unpaid dividend. The Bank has posted the details of

[www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in) पर दावा न किए गए/ अवैतनिक लाभांश वारंट का विवरण पोस्ट किया है ताकि शेयरधारक शेयर ट्रांसफर एजेंट / या बैंक से [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com) पर संपर्क करके दावा कर सकें।

**d) स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता (नाम तथा पता):**

केनरा बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

| एक्सचेंज का नाम                        | पता                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बीएसई लिमिटेड                          | फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स,<br>दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001                                                             |
| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा,<br>बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा [ई]<br>मुंबई - 400051 |

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान निर्धारित नियत तारीख के भीतर कर दिया गया है।

**e) संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के स्टॉक कोड उनके नामों के सामने उपलब्ध कराए गए हैं।**

|   |                                        |        |
|---|----------------------------------------|--------|
| 1 | बीएसई लिमिटेड                          | 532483 |
| 2 | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | CANBK  |

the unclaimed/ unpaid dividend warrants on its website i.e., [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in) to enable the Shareholders to claim by contacting the Share Transfer Agent / or the Bank at [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com).

**d) Listing on Stock Exchanges (Name & Address)**

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges:

| Exchange Name                            | Address                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BSE Limited                              | Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001                                                     |
| National Stock Exchange of India Limited | National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza<br>Bandra-Kurla Complex,<br>Bandra [E] Mumbai - 400 051 |

Annual Listing Fee to stock exchanges for the Financial Year 2025-26 has been paid within the prescribed due date.

**e) Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.**

|   |                                          |        |
|---|------------------------------------------|--------|
| 1 | BSE Limited                              | 532483 |
| 2 | National Stock Exchange of India Limited | CANBK  |



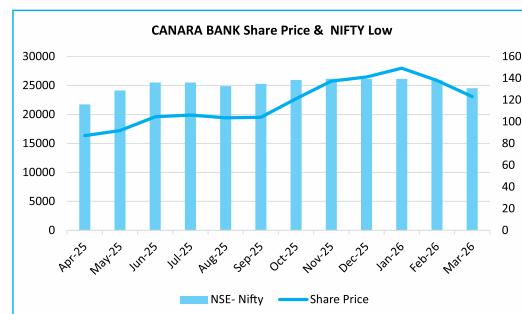
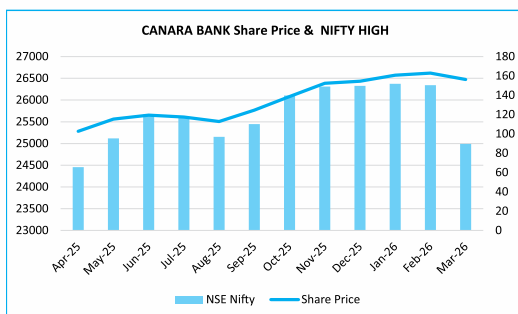
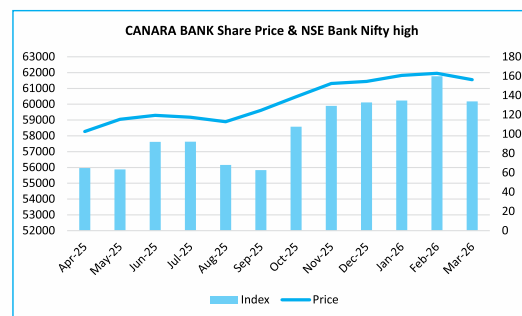
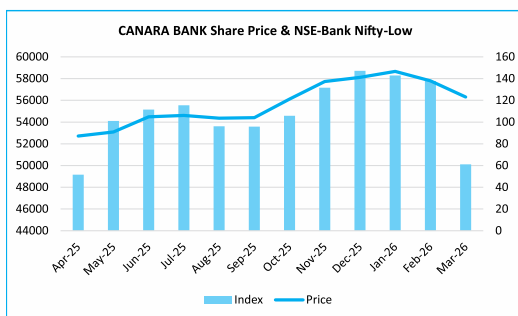
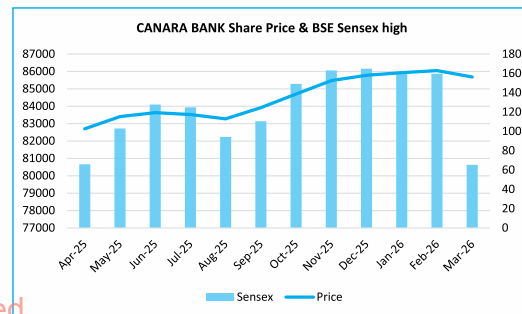
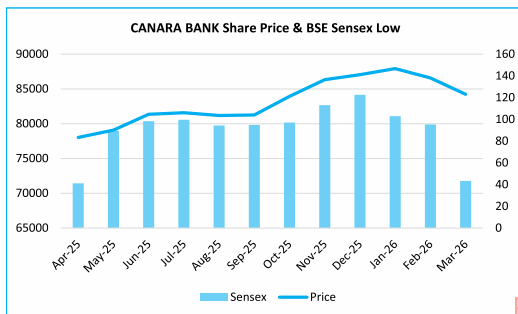
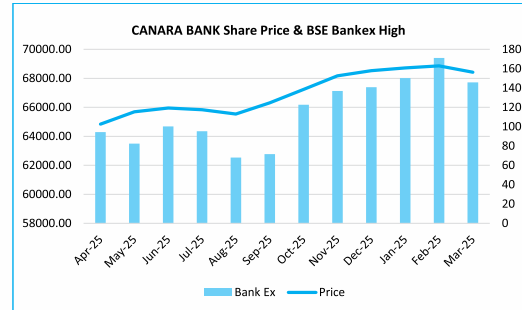
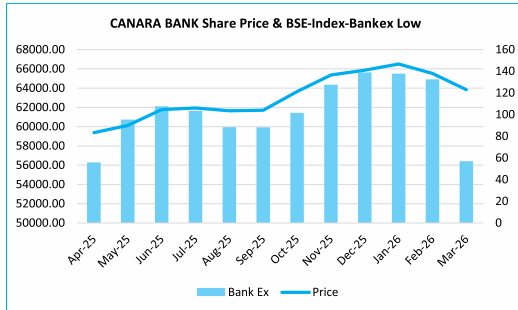
f) बाज़ार मूल्य डेटा: पिछले वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह के दौरान उच्चतम और न्यूनतम मूल्य

| माह     | वर्ष | बीएसई लिमिटेड |                |                 | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड |                |                 |
|---------|------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|
|         |      | उच्चतम<br>(₹) | न्यूनतम<br>(₹) | वॉल्यूम<br>नंबर | उच्चतम<br>(₹)                          | न्यूनतम<br>(₹) | वॉल्यूम<br>नंबर |
| अप्रैल  | 2025 | 102.61        | 83.36          | 48658049        | 102.63                                 | 87.15          | 577676751       |
| मई      | 2025 | 115.30        | 90.06          | 39493348        | 115.32                                 | 91.89          | 684940056       |
| जून     | 2025 | 119.30        | 104.60         | 31614199        | 119.30                                 | 104.60         | 586163800       |
| जुलाई   | 2025 | 117.50        | 106.05         | 79778201        | 117.35                                 | 106.10         | 632948250       |
| अगस्त   | 2025 | 113.00        | 103.50         | 15320657        | 112.71                                 | 103.55         | 310960330       |
| सितम्बर | 2025 | 124.60        | 104.00         | 38744467        | 124.55                                 | 104.00         | 510306413       |
| अक्टूबर | 2025 | 138.55        | 121.20         | 36364474        | 138.60                                 | 121.71         | 689207193       |
| नवंबर   | 2025 | 152.50        | 136.50         | 51089610        | 152.34                                 | 137.30         | 557475990       |
| दिसंबर  | 2025 | 158.00        | 141.05         | 33895433        | 154.50                                 | 141.11         | 557854899       |
| जनवरी   | 2026 | 160.80        | 146.70         | 34741484        | 160.79                                 | 149.24         | 551327975       |
| फरवरी   | 2026 | 162.90        | 138.05         | 31831646        | 162.89                                 | 138.01         | 545700197       |
| मार्च   | 2026 | 156.25        | 123.00         | 20237390        | 156.25                                 | 123.00         | 482392268       |

f) Market Price Data: high, low during each month in last financial year

| Month     | Year | BSE Limited |            |               | National Stock Exchange of India Limited |            |               |
|-----------|------|-------------|------------|---------------|------------------------------------------|------------|---------------|
|           |      | High<br>(₹) | Low<br>(₹) | Volume<br>No. | High<br>(₹)                              | Low<br>(₹) | Volume<br>No. |
| April     | 2025 | 102.61      | 83.36      | 48658049      | 102.63                                   | 87.15      | 577676751     |
| May       | 2025 | 115.30      | 90.06      | 39493348      | 115.32                                   | 91.89      | 684940056     |
| June      | 2025 | 119.30      | 104.60     | 31614199      | 119.30                                   | 104.60     | 586163800     |
| July      | 2025 | 117.50      | 106.05     | 79778201      | 117.35                                   | 106.10     | 632948250     |
| August    | 2025 | 113.00      | 103.50     | 15320657      | 112.71                                   | 103.55     | 310960330     |
| September | 2025 | 124.60      | 104.00     | 38744467      | 124.55                                   | 104.00     | 510306413     |
| October   | 2025 | 138.55      | 121.20     | 36364474      | 138.60                                   | 121.71     | 689207193     |
| November  | 2025 | 152.50      | 136.50     | 51089610      | 152.34                                   | 137.30     | 557475990     |
| December  | 2025 | 158.00      | 141.05     | 33895433      | 154.50                                   | 141.11     | 557854899     |
| January   | 2026 | 160.80      | 146.70     | 34741484      | 160.79                                   | 149.24     | 551327975     |
| February  | 2026 | 162.90      | 138.05     | 31831646      | 162.89                                   | 138.01     | 545700197     |
| March     | 2026 | 156.25      | 123.00     | 20237390      | 156.25                                   | 123.00     | 482392268     |

## g) व्यापक-सूचकांकों की तुलना में कार्यनिष्पादन / g) Performance in comparison to broad-based indices



h) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया है

i) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड  
इकाई: केनरा बैंक  
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32  
गाचीबोवली, वित्तीय जिला,  
नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032

j) शेयर अंतरण प्रणाली

a) भौतिक शेयर:

सेबी ने अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 दिनांक 8 जून, 2018 के माध्यम से सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियमन 40 में संशोधन किया, जिसमें 5 दिसंबर, 2018 से प्रतिभूतियों के अंतरण को केवल अभौतिकीकरण रूप में करने का आदेश दिया गया। हालांकि, अंतरण के लिए अनुपालन की तारीख के विस्तार के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर प्रतिभूतियाँ केवल डीमैट फॉर्म में, सेबी ने अपनी "प्रेस विज्ञप्ति" पीआर संख्या 49/2018 दिनांक 3 दिसंबर, 2018 ने केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के अंतरण की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए समय सीमा 1 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दी। वे सभी निवेशक जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उन्हें जल्द से जल्द एक डीमैट खाता खोलने पर विचार करना चाहिए और बेहतर तरलता के लिए अपने शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

b) डीमैट फॉर्म में शेयर:

यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, तो शेयरों के अंतरण के लिए संबंधित निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) सहभागी (डीपी) को डिलीवरी निर्देश दिए जाने चाहिए।

k) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग:

शेयरहोल्डर्स से अनुरोध है कि वे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शुरू करने के लिए अपनी लेटेस्ट ईमेल आईडी अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या आरटीए, जैसा भी हो, के साथ रजिस्टर करें।

h) The Securities are not suspended from trading during FY 2025-26

i) Registrar and Transfer Agent

KFin Technologies Limited  
Unit: Canara Bank  
Selenium Tower B, Plot No. 31-32  
Gachibowli, Financial District,  
Nanakramguda, Hyderabad – 500 032

j) Share Transfer System

a) Physical Share:

SEBI vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018, amended Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, mandating transfer of securities to be carried out only in dematerialised form with effect from December 5, 2018. However, on the basis of representations received from Shareholders for extension of the date of compliance for transfer of securities only in Demat Form, SEBI vide its "Press Release" PR. No. 49/2018 dated December 3, 2018, extended the deadline till April 1, 2019 to comply with the requirement of transfer of securities only in Demat Form. All the investors who are holding shares in physical form, should consider opening a Demat account at the earliest and submit request for dematerialization of their shares to have better liquidity.

b) Shares in Demat form:

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

k) Electronic Voting:

Shareholders are requested to register their latest e-mail IDs with their Depository Participant(s) or the RTA, as the case may be, for enabling remote e-voting facility.

## I) शेयरधारिता का वितरण (यथा 31.03.2026)

| क्र. सं. | विवरण                                                  | कुल शेयर          | % इक्विटी  |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1        | भारत के राष्ट्रपति                                     | 5708548390        | 62.93      |
| 2        | म्यूचुअल फंड्स                                         | 454097889         | 5.01       |
| 3        | वैकल्पिक निवेश निधि                                    | 53173045          | 0.59       |
| 4        | बैंक                                                   | 8947155           | 0.10       |
| 5        | बीमा कंपनी                                             | 433262012         | 4.78       |
| 6        | भविष्य निधि / पेंशन निधि                               | 38801171          | 0.43       |
| 7        | एनबीएफसी                                               | 79719             | 0.00       |
| 8        | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी I                     | 1232220752        | 13.58      |
| 9        | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी II                    | 58580323          | 0.65       |
| 10       | विदेशी संस्थागत निवेशक                                 | 976359            | 0.01       |
| 11       | निकाय कॉर्पोरेट्स                                      | 67317             | 0.00       |
| 12       | निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों और नामित निदेशकों को छोड़कर) | 6785              | 0.00       |
| 13       | आईईपीएफ                                                | 10500832          | 0.12       |
| 14       | निवासी व्यक्ति                                         | 962638817         | 10.61      |
| 15       | अप्रवासी भारतीय                                        | 25201339          | 0.28       |
| 16       | विदेशी नागरिक                                          | 470               | 0.00       |
| 17       | निकाय निगम                                             | 64770989          | 0.71       |
| 18       | समाशोधन सदस्य                                          | 124859            | 0.00       |
| 19       | एच यू एफ                                               | 16775273          | 0.18       |
| 20       | ट्रस्ट                                                 | 1870264           | 0.02       |
| 21       | निदेशक व उनके रिश्तेदार                                | 7500              | 0.00       |
|          | <b>कुल</b>                                             | <b>9070651260</b> | <b>100</b> |

## I) Distribution of Shareholding (31.03.2026)

| Sl. No. | Description                                                       | Total Shares      | % Equity   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1       | President of India                                                | 5708548390        | 62.93      |
| 2       | Mutual Funds                                                      | 454097889         | 5.01       |
| 3       | Alternative Investment Fund                                       | 53173045          | 0.59       |
| 4       | Banks                                                             | 8947155           | 0.10       |
| 5       | Insurance Companies                                               | 433262012         | 4.78       |
| 6       | Provident Funds/ Pension Funds                                    | 38801171          | 0.43       |
| 7       | NBFC                                                              | 79719             | 0.00       |
| 8       | Foreign Portfolio Investors Category I                            | 1232220752        | 13.58      |
| 9       | Foreign Portfolio Investors Category II                           | 58580323          | 0.65       |
| 10      | Foreign Institutional Investors                                   | 976359            | 0.01       |
| 11      | Bodies Corporates                                                 | 67317             | 0.00       |
| 12      | Directors (Excluding Independent Directors and Nominee Directors) | 6785              | 0.00       |
| 13      | IEPF                                                              | 10500832          | 0.12       |
| 14      | Resident Individuals                                              | 962638817         | 10.61      |
| 15      | Non-Resident Indians                                              | 25201339          | 0.28       |
| 16      | Foreign Nationals                                                 | 470               | 0.00       |
| 17      | Bodies Corporates                                                 | 64770989          | 0.71       |
| 18      | Clearing Members                                                  | 124859            | 0.00       |
| 19      | H U F                                                             | 16775273          | 0.18       |
| 20      | TRUSTS                                                            | 1870264           | 0.02       |
| 21      | Directors and their Relatives                                     | 7500              | 0.00       |
|         | <b>Total</b>                                                      | <b>9070651260</b> | <b>100</b> |

मूल्य वार:

(यथा 31.03.2026)

| शेयर होल्डिंग<br>नाममात्र मूल्य (रुपये) | शेयरधारकों की संख्या | शेयरधारकों का % | कुल शेयर          | राशि का %  |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------|
| 1-5000                                  | 1489231              | 96.80           | 313728962         | 3.47       |
| 5001- 10000                             | 28573                | 1.86            | 105029410         | 1.16       |
| 10001- 20000                            | 11803                | 0.77            | 84240006          | 0.92       |
| 20001- 30000                            | 3455                 | 0.22            | 43398067          | 0.48       |
| 30001- 40000                            | 1400                 | 0.09            | 24629437          | 0.27       |
| 40001- 50000                            | 748                  | 0.05            | 17238117          | 0.19       |
| 50001- 100000                           | 1371                 | 0.09            | 49063778          | 0.54       |
| 100001 & Above                          | 1898                 | 0.12            | 8433325483        | 92.97      |
| <b>कुल</b>                              | <b>1538479</b>       | <b>100</b>      | <b>9070651260</b> | <b>100</b> |

Value wise:

(31.03.2026)

| Shareholding<br>Nominal Value (₹) | No. of Shareholders | % of Shareholders | Total Shares      | % of Amount |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1-5000                            | 1489231             | 96.80             | 313728962         | 3.47        |
| 5001- 10000                       | 28573               | 1.86              | 105029410         | 1.16        |
| 10001- 20000                      | 11803               | 0.77              | 84240006          | 0.92        |
| 20001- 30000                      | 3455                | 0.22              | 43398067          | 0.48        |
| 30001- 40000                      | 1400                | 0.09              | 24629437          | 0.27        |
| 40001- 50000                      | 748                 | 0.05              | 17238117          | 0.19        |
| 50001- 100000                     | 1371                | 0.09              | 49063778          | 0.54        |
| 100001 & Above                    | 1898                | 0.12              | 8433325483        | 92.97       |
| <b>Total</b>                      | <b>1538479</b>      | <b>100</b>        | <b>9070651260</b> | <b>100</b>  |



**m) प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य - ₹2/-**

**n) शेयरों का अभौतिकीकरण और तरलता:**

बैंक के शेयरों का कारोबार केवल अभौतिक रूप में किया जाता है। बैंक ने बैंक के शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है। बैंक के शेयरों को आवंटित आईएसआईएन INE476A01022 है। शेयरों का अभौतिकीकरण आसान तरलता सुनिश्चित करता है।

चूंकि बैंक के शेयरों का कारोबार डीमैट मोड में किया जाता है, इसलिए भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को किसी भी निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के साथ डीमैट खाता खोलना होगा और डीमैट फॉर्म में शेयरों के रूपांतरण के लिए बैंक के आर एंड टी एजेंटों, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद को आगे ट्रांसमिशन के लिए अपने मूल शेयर प्रमाणपत्र संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सौंपना होगा।

**डीमैट / भौतिक धारिता (31.03.2026)**

| यथा 31.03.2026 तक शेयरधारिता का सारांश |                  |                   |                 |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| श्रेणी                                 | धारकों की संख्या | कुल शेयर          | जारी पूंजी का % |
| भौतिक                                  | 70806            | 20753145          | 0.23            |
| एन एस डी एल                            | 463750           | 2978667477        | 32.84           |
| सी डी एस एल                            | 1003923          | 6071230638        | 66.93           |
| <b>कुल</b>                             | <b>1538479</b>   | <b>9070651260</b> | <b>100.00</b>   |

- o)** आईईपीएफ में हस्तांतरित शेयर: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ऐसे लावारिस शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, अर्थात् 34,363 इक्विटी शेयरधारकों द्वारा धारित 1,05,00,832 (एक करोड़ पाँच लाख आठ सौ बत्तीस) इक्विटी शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित किए गए।
- p)** कोई भी जी.डी.आर. / ए.डी.आर. / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।
- q)** कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ: विदेशी मुद्रा और अन्य बाजार से संबंधित जोखिम के अधीन है।
- r)** शाखाओं के स्थान: केनरा बैंक की पूरे देश में शाखाएँ हैं, स्थान की जानकारी वेबसाइट <https://canarabank.bank.in/Locator> पर उपलब्ध है। इसके अलावा, बैंक की तीन विदेशी शाखाएँ "डीआईएफसी शाखा, दुबई", "लंदन" और "न्यूयॉर्क" में हैं।
- s)** पत्राचार हेतु का पता

केनरा बैंक  
सचिवालय विभाग  
अनुपालन व आरबीएस विभाग  
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड  
बेंगलूरु - 560 002  
ईमेल आईडी: [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com)  
दूरभाष संख्या 080-22100250

**m) Nominal Value of each Equity Share - ₹2/-**

**n) Dematerialisation of Shares and Liquidity**

The Bank's shares are traded in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01022. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the Shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participants (DPs) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to KFin Technologies Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

**Demat / Physical Holding (31.03.2026)**

| Summary of Shareholding as on 31-03-2026 |                |                   |                     |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Category                                 | No. of Holders | Total Shares      | % of Issued Capital |
| PHYSICAL                                 | 70806          | 20753145          | 0.23                |
| NSDL                                     | 463750         | 2978667477        | 32.84               |
| CDSL                                     | 1003923        | 6071230638        | 66.93               |
| <b>Total</b>                             | <b>1538479</b> | <b>9070651260</b> | <b>100.00</b>       |

- o)** Shares Transferred to IEPF: During the financial year 2025-26, unclaimed shares in respect of which dividend has not been claimed for a period of seven consecutive years i.e 1,05,00,832 (One crore five lakh eight hundred thirty-two) equity shares held by 34,363 equity Shareholders were transferred to the IEPF.
- p)** There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments.
- q)** Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities: Subject to Foreign Exchange and other market related Risk.
- r)** Plant locations: Canara Bank is having Branches across the Country, the location details are available in the Website <https://canarabank.bank.in/Locator>. Apart from that the Bank is having three overseas Branches in "DIFC Branch, Dubai", "London" and "New York".
- s)** Address for Correspondence

CANARA BANK  
SECRETARIAL DEPARTMENT  
COMPLIANCE & RBS WING  
HEAD OFFICE, 112, J C ROAD  
BENGALURU - 560 002  
E-MAIL ID: [hosecretarial@canarabank.com](mailto:hosecretarial@canarabank.com)  
TEL NO. 080-22100250

s) i) क्रेडिट रेटिंग:

| क्र. सं.        | आईएसआईएन     | डिबेंचर श्रृंखला                    | राशि करोड़ में | शोधन तिथि      | क्रिसिल रेटिंग दिनांक 18.02.2026 | आईसीआरए रेटिंग दिनांक 09.03.2026 | इंडिया रेटिंग दिनांक 13.02.2026 | केयर रेटिंग दिनांक 21.03.2026 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1               | INE476A08159 | बेसल III एटी। 2021-22 श्रृंखला III  | 1,000.00       | बेमियादी       | क्रिसिल एए+ / स्थिर              |                                  | इंडिया एए+ / स्थिर              |                               |
| 2               | INE476A08050 | बेसल III टियर II 2016-17            | 3,000.00       | 27-अप्रैल-2026 | क्रिसिल एएए/ स्थिर               | आईसीआरए एएए/स्थिर                | इंडिया एएए / स्थिर              |                               |
| 3               | INE476A08167 | बेसल III एटी। 2022-23 श्रृंखला I    | 2,000.00       | बेमियादी       | क्रिसिल एए+ / स्थिर              |                                  | इंडिया एए+ / स्थिर              |                               |
| 4               | INE476A08175 | बेसल III टियर II श्रृंखला I         | 2,000.00       | 26-अगस्त-2032  |                                  | आईसीआरए एएए/स्थिर                | इंडिया एएए / स्थिर              |                               |
| 5               | INE476A08183 | बेसल III टियर I श्रृंखला II         | 2,000.00       | बेमियादी       | क्रिसिल एए+ / स्थिर              |                                  | इंडिया एए+ / स्थिर              |                               |
| 6               | INE476A08126 | बेसल III एटी। 2021 श्रृं 1          | 1,500.00       | बेमियादी       | क्रिसिल एए+ / स्थिर              |                                  | इंडिया एए+ / स्थिर              |                               |
| 7               | INE476A08134 | बेसल III एटी। 2021-22 श्रृं II      | 1,500.00       | बेमियादी       | क्रिसिल एए+ / स्थिर              |                                  | इंडिया एए+ / स्थिर              |                               |
| 8               | INE476A08142 | बेसल III टियर II श्रृं 1            | 2,500.00       | 24-दिस. 36     |                                  |                                  | इंडिया एएए / स्थिर              | केयर एएए / स्थिर              |
| 9               | INE476A08191 | एलटीबी 2023 - 1                     | 5,000.00       | 27-सितं.-33    |                                  |                                  | इंडिया एए+ / स्थिर              | केयर एएए / स्थिर              |
| 10              | INE476A08209 | एलटीबी 2023 - 2                     | 5,000.00       | 29-नवंबर-33    |                                  |                                  | इंडिया एएए / स्थिर              | केयर एएए / स्थिर              |
| 11              | INE476A08217 | बेसल III एटी। 2023-24 श्रृंखला I    | 1,403.00       | बेमियादी       | क्रिसिल एए+ / स्थिर              | आईसीआरए एए+/स्थिर                |                                 |                               |
| 12              | INE476A08225 | बेसल III एटी। 2023-24 श्रृंखला II   | 2,000.00       | बेमियादी       | क्रिसिल एए+ / स्थिर              | आईसीआरए एए+/स्थिर                |                                 |                               |
| 13              | INE476A08233 | सीबी एलटीबी 2034                    | 10,000.00      | 19-जुलाई-1934  | क्रिसिल एएए / स्थिर              |                                  |                                 | केयर एएए / स्थिर              |
| 14              | INE476A08241 | बेसल III एटी। 2024-25 श्रृंखला I    | 3,000.00       | बेमियादी       |                                  | आईसीआरए एए+/स्थिर                | इंडिया एए+ / स्थिर              |                               |
| 15              | INE476A08258 | बेसल III टियर II 2024-25 श्रृंखला I | 4,000.00       | 18-मार्च-2035  | क्रिसिल एएए / स्थिर              |                                  |                                 | केयर एएए / स्थिर              |
| 16              | INE476A08266 | बेसल III एटी। 2025-26 श्रृंखला I    | 3,500.00       | बेमियादी       |                                  | आईसीआरए एए+/स्थिर                |                                 | केयर एए+ / स्थिर              |
| 17              | INE476A08274 | बेसल III टियर II 2025-26 श्रृंखला I | 5,000.00       | 27-फरवरी -1936 |                                  | आईसीआरए एएए/स्थिर                | इंडिया एएए / स्थिर              |                               |
| कुल             |              |                                     | 54,403.00      |                |                                  |                                  |                                 |                               |
| जमा प्रमाण पत्र |              |                                     | 85,000.00      |                |                                  |                                  |                                 |                               |

# ANNUAL REPORT 2025-26

## s) i) Credit Ratings

| Sl. No.                | ISIN         | DEBENTURE SERIES                   | AMOUNT IN CRORES | REDEMPTION DATE | CRISIL RATING DATED 18.02.2026 | ICRA RATING DATED 09.03.2026 | INDIA RATING DATED 13.02.2026 | CARE RATING DATED 21.03.2026 |
|------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1                      | INE476A08159 | BASEL III AT I 2021-22 SR III      | 1,000.00         | Perpetual       | CRISIL AA+/Stable              |                              | IND AA+/Stable                |                              |
| 2                      | INE476A08050 | BASEL III TIER II 2016-17          | 3,000.00         | 27-Apr-2026     | CRISIL AAA/Stable              | ICRA (AAA) Stable            | IND AAA/Stable                |                              |
| 3                      | INE476A08167 | BASEL III AT I 2022-23 Series I    | 2,000.00         | Perpetual       | CRISIL AA+/Stable              |                              | IND AA+/Stable                |                              |
| 4                      | INE476A08175 | BASEL III TIER II Series I         | 2,000.00         | 26-Aug-2032     |                                | ICRA (AAA) Stable            | IND AAA/Stable                |                              |
| 5                      | INE476A08183 | BASEL III TIER I Series II         | 2,000.00         | Perpetual       | CRISIL AA+/Stable              |                              | IND AA+/Stable                |                              |
| 6                      | INE476A08126 | BASEL III AT I 2021 S1             | 1,500.00         | Perpetual       | CRISIL AA+/Stable              |                              | IND AA+/Stable                |                              |
| 7                      | INE476A08134 | BASEL III AT I 2021-22 SR II       | 1,500.00         | Perpetual       | CRISIL AA+/Stable              |                              | IND AA+/Stable                |                              |
| 8                      | INE476A08142 | BASEL III TIER II S 1              | 2,500.00         | 24-Dec-36       |                                |                              | IND AAA/Stable                | CARE AAA/Stable              |
| 9                      | INE476A08191 | LTB 2023 - 1                       | 5,000.00         | 27-Sep-33       |                                |                              | IND AA+/Stable                | CARE AAA/Stable              |
| 10                     | INE476A08209 | LTB 2023 - 2                       | 5,000.00         | 29-Nov-33       |                                |                              | IND AAA/Stable                | CARE AAA/Stable              |
| 11                     | INE476A08217 | BASEL III AT I 2023-24 Series I    | 1,403.00         | Perpetual       | CRISIL AA+/Stable              | ICRA AA+/Stable              |                               |                              |
| 12                     | INE476A08225 | BASEL III AT I 2023-24 Series II   | 2,000.00         | Perpetual       | CRISIL AA+/Stable              | ICRA AA+/Stable              |                               |                              |
| 13                     | INE476A08233 | CB LTB 2034                        | 10,000.00        | 19-Jul-34       | CRISIL AAA/Stable              |                              |                               | CARE AAA/Stable              |
| 14                     | INE476A08241 | BASEL III AT I 2024-25 Series I    | 3,000.00         | Perpetual       |                                | ICRA AA+/Stable              | IND AA+/Stable                |                              |
| 15                     | INE476A08258 | BASEL III TIER II 2024-25 Series I | 4,000.00         | 18-Mar-2035     | CRISIL AAA/Stable              |                              |                               | CARE AAA/Stable              |
| 16                     | INE476A08266 | BASEL III AT I 2025-26 Series I    | 3,500.00         | Perpetual       |                                | ICRA AA+/Stable              |                               | CARE AA+/Stable              |
| 17                     | INE476A08274 | BASEL III TIER II 2025-26 Series I | 5,000.00         | 27-Feb-36       |                                | ICRA AAA/Stable              | IND AAA/Stable                |                              |
| Total                  |              |                                    | 54,403.00        |                 |                                |                              |                               |                              |
| Certificate of Deposit |              |                                    | 85,000.00        |                 |                                |                              |                               |                              |

ii) बैंक द्वारा जारी बॉन्ड के लिए ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

| बॉन्ड ट्रस्टी का नाम            | पता                                                                                                                                                                                                                                            | आईएसआईएन नंबर                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड | एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड<br>द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू, 29 सेनापति बापट मार्ग,<br>दादर पश्चिम, मुंबई-400 028 टेलीफोन नं.: 022-62300451<br>फैक्स नं.: 022-6230 0700 वेबसाइट-www.axistrustee.com<br>ईमेल: rahul.vaishya@axistrustee.in | INE476A08142<br>INE476A08175                                                                 |
| एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड | कॉर्पोरेट कार्यालय, एपीजे हाउस, 6वीं मंजिल,<br>3 दिनशॉ वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020,<br>टेलीफोन नंबर: 022-43025555, 5566 फैक्स: 022-22040465<br>ईमेल: helpdesk@sbicaptrustee.com                                                         | INE476A08159<br>INE476A08050<br>INE476A08167<br>INE476A08183<br>INE476A08126<br>INE476A08134 |
| कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड     | 901, 9वीं मंजिल, टॉवर बी, पेनिनसुला बिजनेस पार्क,<br>सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई- 400013<br>टेलीफोन: 022 49220555 ईमेल: dt@ctltrustee.com<br>वेबसाइट-www.catalysttrustee.com                                                 | INE476A08191<br>INE476A08209<br>INE476A08217<br>INE476A08225<br>INE476A08233                 |
| बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड         | 5 डब्ल्यू, 5वीं मंजिल, मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग, ई ब्लॉक,<br>बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051<br>फोन: 022-4606 0278  <br>वेबसाइट: https://beacontrustee.co.in/  <br>टोल-फ्री नंबर 9555449955                   | INE476A08241<br>INE476A08258<br>INE476A08266<br>INE476A08274                                 |

ii) The Details of the Trustee for Bonds issued by Bank are as under:

| Name of the Bond Trustee       | Address                                                                                                                                                                                                                                               | ISIN Numbers                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Axis Trustee Services Limited  | Axis Trustee Services Limited<br>The Ruby, 2nd Floor, SW, 29, Senapati Bapat Marg,<br>Dadar West, Mumbai-400 028<br>Tel: 022-62300451 Fax: 022-62300700<br>Website: www.axistrustee.com<br>E-mail: rahul.vaishya@axistrustee.in                       | INE476A08142<br>INE476A08175                                                                 |
| SBICAP Trustee Company Limited | Corporate Office, Apeejay House, 6th Floor, 3, Dinshaw<br>Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020<br>Tel: 022-43025555, 5566 Fax: 022-22040465<br>E-mail: helpdesk@sbicaptrustee.com                                                                | INE476A08159<br>INE476A08050<br>INE476A08167<br>INE476A08183<br>INE476A08126<br>INE476A08134 |
| Catalyst Trusteeship Limited   | 901, 9th Floor, Tower B, Peninsula Business Park,<br>Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai- 400 013<br>Tel: 022-49220555<br>E-mail: dt@ctltrustee.com<br>Website: www.catalysttrustee.com                                                      | INE476A08191<br>INE476A08209<br>INE476A08217<br>INE476A08225<br>INE476A08233                 |
| Beacon Trusteeship Limited     | 5W, 5th Floor, Metropolitan Building,<br>E Block, Bandra-Kurla Complex (BKC), Bandra (East),<br>Mumbai-400 051<br>Tel: 022-4606 0278<br>Website: <a href="https://beacontrustee.co.in/">https://beacontrustee.co.in/</a><br>Toll-Free No.: 9555449955 | INE476A08241<br>INE476A08258<br>INE476A08266<br>INE476A08274                                 |

t) पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से महत्वपूर्ण विकास:

शून्य

## 8) अन्य प्रकटीकरण:

- बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटन दिनांक 31.03.2026 को तुलन पत्र की अनुसूची 18 पर नोट्स में किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं हुआ है।
- आरबीआई/आईसीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के 'संबंधित पक्ष लेन-देन' का विवरण दिनांक 31.03.2026 की तुलन पत्र के 'खातों पर नोट्स' (अनुसूची 18 में) में दिया गया है। 'संबंधित पक्ष लेन-देन' से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट <https://www.canarabank.bank.in/policies> पर उपलब्ध है। बैंक में यह प्रथा है कि जब बोर्ड और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों में ऐसे एजेंडा पर चर्चा या मतदान होता है, जो निदेशकों या उनके रिश्तेदारों से संबंधित हों, तो वे (निदेशक) उस चर्चा और मतदान प्रक्रिया से स्वयं को अलग कर लेते हैं।

t) Significant Developments since last Annual General Meeting:

Nil

## 8) Other Disclosures:

- The Related Party Transactions of the Bank are disclosed in the Notes to Accounts, Schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2026. Further, there are no materially significant related party transactions during the financial year 2025-26.
- The Related Party Transactions of the Bank as per RBI/ICAI guidelines are disclosed in the Notes on Accounts (in Schedule 18) of the Balance Sheet as on 31.03.2026. The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website at <https://www.canarabank.bank.in/policies>. It is established practice in the Bank that the Directors recuse themselves from the deliberation and voting on the agenda of the Board and other Committees of the Board, when matters relating to them or their relatives are discussed.



c) बैंक ने अपने शेयरों की लिस्टिंग के बाद से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

d) बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है और व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा, किसी भी कार्मिक को बैंक की लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

e) **अनिवार्य आवश्यकताएँ:** बैंक ने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। आरबीआई / सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण दिनांक 31.03.2026 को तुलन पत्र की अनुसूची 18 के खातों के नोट्स में प्रकट किया गया है।

विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा इस रिपोर्ट के बिंदु संख्या 10 में विस्तृत है।

f) 'अंतर्वस्तु' सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति को बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के माध्यम देखा जा सकता है:

<https://www.canarabank.bank.in/Policies>

दिनांक 31.03.2026 तक बैंक की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।

g) संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति को बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

<https://www.canarabank.bank.in/Policies>

h) कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण: विदेशी मुद्रा और अन्य बाजार से संबंधित जोखिम के अधीन।

i) बैंक ने 02 दिसंबर, 2025 को 7.55% असुरक्षित, अधीनस्थ, सूचीबद्ध, रेटेड, गैर-परिवर्तनीय स्थायी, पूर्णतः चुकता, कर योग्य, बेसल III अनुपालन वाले अतिरिक्त टियर I बॉन्ड जारी किए हैं। ये बॉन्ड डिबेंचर की प्रकृति के हैं, जिनका अंकित मूल्य प्रत्येक के लिए 1 करोड़ रुपये है और जिनका निर्गम आकार 3,500 करोड़ रुपये है (आधार: 1000 करोड़ रुपये + ग्रीन शू: 2,500 करोड़ रुपये)

j) बैंक ने 27 फरवरी, 2026 को 7.24% असुरक्षित, अधीनस्थ, सूचीबद्ध, रेटेड, गैर-परिवर्तनीय, रिडीम करने योग्य, पूरी तरह से चुकता, कर योग्य, बेसल III के अनुरूप टियर II बॉन्ड जारी किए हैं। ये बॉन्ड डिबेंचर की प्रकृति के हैं, जिनका अंकित मूल्य

c) The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.

d) The Bank has drawn a Whistle Blower Policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower(s). Further, no personnel have been denied access to the Audit Committee of the Bank.

e) **Mandatory Requirements:** The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities. The details of penalties levied by RBI/Statutory authorities have been disclosed in the Notes to Accounts, Schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2026.

The extent of implementation of Discretionary Requirements is detailed in Point No. 10 of this report.

f) The policy for determining 'material' subsidiaries can be viewed on the Bank's Website at the following Link:

<https://www.canarabank.bank.in/Policies>

There are no material subsidiaries of the Bank as on 31.03.2026.

g) The policy on dealing with related party transactions can be viewed on the Bank's Website at the following Link:

<https://www.canarabank.bank.in/Policies>

h) Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities: Subject to Foreign Exchange and other market related Risk.

i) The Bank on December 02, 2025 has issued 7.55% Unsecured, Subordinated, Listed, Rated, Non-Convertible Perpetual, Fully Paid-Up, Taxable, Basel III Compliant Additional Tier I Bonds in nature of Debenture of Face Value of ₹1 Crores each having Issue Size of ₹3,500 Crores (Base: ₹1,000 Crores + Green Shoe: ₹2,500 Crores)

j) The Bank on February 27, 2026 has issued 7.24% Unsecured, Subordinated, Listed, Rated, Non-Convertible, Redeemable, Fully-paid-up, Taxable, Basel III Compliant Tier II Bonds in the nature of Debentures of face Value ₹1 Crores

प्रत्येक के लिए 1 करोड़ रुपये है और इनका निर्गम आकार ₹5,000 करोड़ है (आधार: ₹2,000 करोड़ + ग्रीन ₹3,000 करोड़)

k) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमाम्य आवंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लागू नहीं।

l) श्री स्वयंभू विश्वनाथन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस नंबर 12190 और सीओपी नंबर 5284) ने प्रमाणित किया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को दिनांक 31.03.2026 तक बोर्ड (सेबी) या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा केनरा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है - **उक्त प्रमाण पत्र रिपोर्ट के परिशिष्ट 'ए' में प्रदान किया गया है।**

m) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां बोर्ड ने बोर्ड की समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अनिवार्य रूप से आवश्यक सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

n) लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई कुल शुल्क (समेकित) का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य व्यय - 72.00 करोड़ रुपये।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य संबंधित व्यय का भुगतान और प्रावधान - 100.64 करोड़ रुपये।

o) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

a) वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - 21

b) वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - 19

c) वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - 02

9) बैंक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची-V के उप-पैरा सी के उप-पैरा (2) से (10) की कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट की आवश्यकता के अनुपालन में है।

each having Issue Size of ₹5,000 Crores (Base: ₹2,000 Crores + Green Shoe: ₹3,000 Crores);

k) Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015: Not Applicable for FY 2025-26.

l) Shri Swayambhu Viswanathan, Practising Company Secretary (FCS No. 12190 & COP No. 5284) has certified that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as the Directors of Canara Bank, by the Board (SEBI) or any such statutory authority as on 31.03.2026. **The said Certificate is provided as Appendix A to the report.**

m) During the FY 2025-26, there were no such instances, where the Board did not accept recommendations of the Committee of the Board which is mandatorily required. All the recommendations that are mandatorily required were approved by the Board.

n) Details of total fees (consolidated) paid to Statutory Auditors:

Total Professional Fee and other expenses paid to statutory Auditors for the Financial Year 2024-25 is ₹72.00 Crores.

Total Professional Fee and other related expenses paid and made provision for Financial Year 2025-26 is ₹100.64 Crores.

o) Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

a) Number of complaints filed during the Financial Year - 21

b) Number of complaints disposed of during the Financial Year - 19

c) Number of complaints pending at the end of the Financial Year - 02

9) Bank is in compliance of requirement of corporate governance report of Sub-Paras (2) to (10) of Sub-Para C of Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

10) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(1) की विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा निम्नानुसार है:

| क्रमांक | विवेकाधीन आवश्यकताएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कार्यान्वयन की स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A       | <b>बोर्ड:</b><br>एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दे सकता है।                                                                                               | के साथ अनुपालन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B       | <b>शेयरधारक के अधिकार</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय गतिविधियों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है। वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर भी अद्यतन किए जाते हैं।                                                                                                                                                                                    |
| C       | <b>लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | वर्ष 2025-26 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपरिवर्तित राय के साथ प्रस्तुत की गई है। बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यता नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                         |
| D       | <b>अध्यक्ष और सीईओ का अलग पद</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | भारत सरकार ने अध्यक्ष और एमडी व सीईओ के पदों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को नामित / नियुक्त किया है। गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, श्री विजय श्रीरंगन को 07.11.2022 से बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया है और वे 06.11.2025 से बैंक के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित शब्द "रिश्तेदार" की परिभाषा के अनुसार, अध्यक्ष का एमडी या सीईओ से कोई संबंध नहीं है। |
| E       | <b>आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (एचआईए) और उनके द्वारा नामित अधिकारियों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति तक पूर्ण और स्वतंत्र पहुंच प्राप्त है।                                                                                                                                                                                                                                        |
| F       | <b>स्वतंत्र निदेशक - बाज़ार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 2000 सूचीबद्ध संस्थाओं के स्वतंत्र निदेशक, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है जिनमें गैर-स्वतंत्र निदेशक और प्रबंधन के सदस्य उपस्थित नहीं होंगे; और सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे।</b> | वर्ष 2025-26 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें 18.12.2025 और 17.03.2026 को आयोजित की गईं।                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

10) The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

| Sl. No. | Discretionary Requirements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status of Implementation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A       | <b>The Board:</b><br>A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's Office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.                                                                                                                                         | Complied with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B       | <b>Shareholder Rights</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the Shareholders. The Quarterly / Half Yearly / Annual Financial Results are updated on the website of the bank.                                                                                                                                                                                                                       |
| C       | <b>Modified opinion(s) in audit report</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The Audit Report for the year 2025-26 is submitted with UNMODIFIED OPINION. There is no qualification in Auditors Report of the Bank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D       | <b>Separate Post of Chairman and CEO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The Government of India has nominated / appointed a separate person to the post of Chairperson and MD&CEO. The non-executive Chairman, Mr. Vijay Srirangan has been appointed on the Board of the Bank w.e.f. 07.11.2022 and ceased to be Chairman of the Bank w.e.f. 06.11.2025. The Chairperson is not related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013. |
| E       | <b>Reporting of Internal Auditor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | The Head of Internal Audit (HIA) and the officials nominated by him, have full and free access to the Audit Committee of the Board.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F       | <b>Independent Directors - The independent directors of top-2000 listed entities as per market capitalization shall endeavour to hold at least two meetings in a financial year, without the presence of non-independent directors and members of the management and all the independent directors shall endeavour to be present at such meetings.</b> | Meeting of the Independent Directors were held during the year 2025-26 on 18.12.2025 & 17.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

11) बैंक सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन में है।

12) अन्य घोषणाएँ / अनुपालन / प्रकटीकरण:

a) बैंक ने 2002-03 में आईपीओ लाया और निवेशकों को भौतिक मोड और डीमैट मोड दोनों के तहत 10/- रुपये अंकित मूल्य के 41 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V की मद एफ के अनुसार, भौतिक शेयरों के संबंध में बैंक के दावा न किए गए शेयरों को जारीकर्ता द्वारा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों में से एक के साथ खोले गए डीमैट उचित खाते में जमा किया जाएगा। विवरण इस प्रकार है: (इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरोधित रहेंगे जब तक ऐसे शेयरों का असली मालिक शेयरों का दावा नहीं करता।)

| खाते का नाम                                                        | डीपीआईडी/<br>ग्राहक आईडी | शेयरधारकों की कुल<br>संख्या और वर्ष की प्रारंभ<br>में उचित खाते में बकाया<br>शेयर; | वर्ष के दौरान उचित खाते<br>से शेयरों के अंतरण के<br>लिए सूचीबद्ध इकाई से<br>संपर्क करने वाले<br>शेयरधारकों की संख्या; | वर्ष के दौरान उचित खाते<br>से जिन शेयरधारकों को<br>शेयर अंतरित किए गए<br>उनकी संख्या; | शेयरधारकों की कुल<br>संख्या और वर्ष के अंत में<br>उचित खाते में बकाया<br>शेयर; |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| केनरा बैंक -<br>दावा न किया गया उचित<br>खाते शेयर                  | 301356 /<br>20552606     | 223<br>10351                                                                       | शून्य<br>शून्य                                                                                                        | शून्य<br>शून्य                                                                        | 222<br>51755<br>(विभाजन के बाद)                                                |
| सिंडिकेट बैंक -<br>दावा न किया गया<br>उचित खाता-<br>भौतिक शेयर     | 13050600<br>00006721     | 526<br>14523                                                                       | शून्य<br>शून्य                                                                                                        | शून्य<br>शून्य                                                                        | 526<br>72615<br>(विभाजन के बाद)                                                |
| सिंडिकेट बैंक -<br>दावा न किया गया<br>उचित खाता -<br>डीमैट शेयर    | 13050600<br>00006734     | 331<br>3207                                                                        | शून्य<br>शून्य                                                                                                        | शून्य<br>शून्य                                                                        | 331<br>16035<br>(विभाजन के बाद)                                                |
| केनरा बैंक -<br>दावा न की गई<br>प्रतिभूतियाँ -<br>उचित एस्करो खाता | 301356/2<br>1042631      | 63<br>7919-विभाजन के<br>बाद-39595<br>(वर्ष 47-25710 के<br>दौरान अतिरिक्त)          | 26<br>17855                                                                                                           | 26<br>17855                                                                           | 84<br>47450<br>(विभाजन के बाद)                                                 |



11) Bank is in compliance with corporate governance requirements specified in regulation 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Sub-regulation (2) of Regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations 2015.

12) Other Declarations / Compliance / Disclosures:

- a) The Bank went for IPO in 2002-03 and issued 41 Crores Equity Shares of face value of ₹ 10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.

In terms of Item F of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Unclaimed Shares of the Bank in respect of Physical Shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. The details are as under: (The Voting Rights on these Shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the Shares.

| Name of the account                                          | DPID / Client ID  | Aggregate number of Shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year | Number of Shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year | Number of Shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year | Aggregate number of Shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the end of the year |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canara Bank - Unclaimed Suspense A/c Shares                  | 301356 / 20552606 | 223<br>10351                                                                                                           | NIL<br>NIL                                                                                                       | NIL<br>NIL                                                                                   | 222<br>51755<br>(After Split)                                                                                    |
| SyndicateBank - Unclaimed Suspense Account - Physical Shares | 13050600 00006721 | 526<br>14523                                                                                                           | NIL<br>NIL                                                                                                       | NIL<br>NIL                                                                                   | 526<br>72615<br>(After Split)                                                                                    |
| SyndicateBank - Unclaimed Suspense Account - Demat Shares    | 13050600 00006734 | 331<br>3207                                                                                                            | NIL<br>NIL                                                                                                       | NIL<br>NIL                                                                                   | 331<br>16035<br>(After Split)                                                                                    |
| Canara Bank - Unclaimed Securities - Suspense Escrow Account | 301356/2 1042631  | 63<br>7919-After Split-39595<br>(Addition during the year 47-25710)                                                    | 26<br>17855                                                                                                      | 26<br>17855                                                                                  | 84<br>47450<br>(After Split)                                                                                     |

- b) हमारे बैंक के संबंध में निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति / अन्य समितियों का गठन, निदेशकों का पारिश्रमिक, बोर्ड प्रक्रियाएं / संबंधित पार्टी लेनदेन / व्हिसल ब्लोअर / प्रबंधन और अनुपालन बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इस संबंध में आरबीआई निर्देश / भारत सरकार के दिशानिर्देश / सेबी और आईसीएआई-लेखा मानकों के प्रावधानों के तहत शासित होते हैं।
- c) **सीईओ और सीएफओ प्रमाणन:** बैंक के एमडी व सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने सेबी (एलओडीआर), विनियमन, 2015 के विनियमन 17(8) के तहत आवश्यक रूप से निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर प्रमाणन दिया है।
- d) कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र **परिशिष्ट बी** में संलग्न है।
- e) सेबी (सूचीबद्धता प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2024 के विनियमन 36 के उप-विनियमन (1), खंड (बी) के अनुसार, सेबी ने 12 दिसंबर, 2024 के अपने परिपत्र के माध्यम से सटीक पाथ सहित वेब-लिंक वाले शेयरधारक को एक पत्र भेजना अनिवार्य कर दिया है, जहां वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उन शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। बैंक उपर्युक्त विनियमन के अनुपालन में अपने शेयरधारकों को सूचना भेजेगा।
- f) **आचार संहिता**  
बैंक ने 'आचार संहिता' अपनाई है जो बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू है, जिसमें प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशक और गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र / शेयरधारक निदेशक / सरकारी नामिती / आरबीआई नामिती शामिल हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा जिसमें कहा गया है कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने
- b) The Constitution of Board of Directors, Audit Committee / Other Committees, Remuneration of Directors, Board Procedures / Related Party Transactions / Whistle Blower / Management and Compliance in respect of our Bank are governed under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and RBI Directives / GOI Guidelines / SEBI and ICAI-Accounting Standards in this regard.
- c) **CEO and CFO Certification:** The MD&CEO and the Chief Financial Officer (CFO) of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the Financial Year 2025-26 to the Board of Directors as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.
- d) Compliance certificate from the auditors regarding compliance of conditions of Corporate Governance is annexed here with as **Appendix B**.
- e) Pursuant to Sub-regulation (1), Clause (b) of Regulation 36 of SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2024, SEBI has mandated vide its circular dated December 12, 2024 to send a letter to Shareholders having web-link, including the exact path, where the complete details of Annual Report are available to those Shareholders who have not registered their e-mail id. The Bank will send communication to its Shareholders in compliance with the aforesaid regulation.
- f) **Code of Conduct**  
The Bank has adopted the 'Code of Conduct' which is applicable to the Bank and its employees, including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors and also the Non-Executive / Independent / Shareholder Director / Govt. Nominee / RBI Nominee. Declaration signed by the Chief Executive Officer stating that the Members of Board of Directors and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct of Board of

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है, जोकि परिशिष्ट सी के रूप में संलग्न है। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट <https://www.canarabank.bank.in/policies> पर उपलब्ध है।

## g) इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध के लिए केनरा बैंक आचार संहिता

केनरा बैंक ("बैंक") के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। इस प्रकार, बैंक सेबी विनियमों द्वारा शासित है। सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध विनियमन), 2015 के अनुरूप, केनरा बैंक ने नामित व्यक्तियों द्वारा बैंक के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए आचार संहिता तैयार की है। इस आचार संहिता की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए "इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध के लिए केनरा बैंक आचार संहिता" की समीक्षा की गई और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 27.11.2025 की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया।

Restricted

सेबी (एलओडीआर) विनियमनन के विनियमन 30(5) के अनुसार, बैंक का निदेशक मंडल किसी घटना या सूचना की महत्ता निर्धारित करने तथा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से एक या अधिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को अधिकृत करेगा तथा ऐसे कार्मिकों के संपर्क विवरण स्टॉक एक्सचेंजों तथा बैंक की वेबसाइट पर दर्शाए जायेंगे। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 04.11.2015 को आयोजित अपनी बैठक में मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, एस एंड डीए विभाग, प्रका, मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, वि.प्र. विभाग, प्रका तथा उप महाप्रबंधक एवं बोर्ड के सचिव (केनरा बैंक आचार संहिता के अनुसार, इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए) को किसी घटना या सूचना की महत्ता निर्धारित करने (नियमित / सांविधिक प्रकटीकरणों के अलावा अन्य मदों के लिए) तथा बैंक के कंपनी सचिव के माध्यम से एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से अधिकृत किया है। अधिकृत कार्मिकों के संपर्क विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

Directors and Senior Management is annexed as **Appendix C**. The Code of Conduct is posted on the Company's website at <https://www.canarabank.bank.in/policies>

## g) Canara Bank Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading:

Canara Bank ("the Bank") shares are listed on the Stock Exchanges. As such, the Bank is governed by the SEBI regulations. In line with the SEBI (Prohibition of Insider Trading Regulations), 2015, Canara Bank has framed a Code of Conduct for Prohibition of insider Trading in the Bank's shares by Designated Persons. This Code of Conduct is reviewed annually by the Board of Directors of the Bank. "Canara Bank Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" for the Financial Year 2025-26 has been reviewed and approved by the Board of Directors of the Bank in its meeting dated 27.11.2025.

In terms of Regulation 30(5) of SEBI (LODR) Regulation, the Board of Directors of the Bank shall authorize one or more Key Managerial Personnel for the purpose of determining the materiality of an event or information and for the purpose of making disclosures to the stock exchanges and that the contact details of such personnel shall be disclosed to the stock exchange(s) and as well as on the Bank's Website. Accordingly, the Board of the Bank in its meeting held on 04.11.2015 has authorized The Chief General Manager / General Manager, S & DA Wing, HO The Chief General Manager / General Manager, FM Wing, HO and The Deputy General Manager & Secretary to the Board (as per the Canara Bank Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading) for the purpose of determination of materiality of an event or information (for the items other than the Regular / Statutory Disclosures) and making disclosures to the Exchanges through the Company Secretary of the Bank. The contact details of the authorized Personnel are available on Bank website.

## h) लाभांश वितरण नीति:

सेबी (सूचीबद्धतादायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 के विनियमन 43ए के तहत आवश्यक रूप से, बैंक के पास लाभांश वितरण नीति है जो उन मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाएगा। यह नीति इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है और बैंक की वेबसाइट [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in) की <https://www.canarabank.bank.in/policies> लिंक पर भी उपलब्ध है

## i) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 24ए और सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडीआई/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के अनुसार, बैंक मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मुंबई को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 तक के पाँच वर्षों लिए सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। बैंक के सदस्यों को संबोधित रिपोर्ट जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

## j) सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के समझौतों का प्रकटीकरण

सेबी (एलओडीआर) में वर्णित सूचीबद्ध कंपनियों को बाध्य करने वाले ऐसे कोई अनुबंध या समझौते नहीं हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है। इसलिए इन विनियमनों की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ ए के खंड 5ए के तहत प्रकट की जाने वाली जानकारी शून्य है।

## k) जुर्माने का प्रकटीकरण:

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ तिमाही आधार पर दाखिल अपनी एकीकृत कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में, जुर्माना / दंड लगाए जाने के संबंध में अभिशासन किया है। एकीकृत कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों बीएसई और एनएसई यानी [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और बैंकों की वेबसाइट: [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in) पर उपलब्ध है।

## h) Dividend Distribution Policy:

As required under Regulation 43A of the SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, the Bank has a dividend distribution policy in place which sets out the parameters and circumstances that will be taken into account by Board in determining distribution of dividend to its Shareholders. The policy is given in this Annual Report and is also available at Bank's website [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in) at the link:- <https://www.canarabank.bank.in/policies>

## i) Secretarial Audit for Financial Year 2025-26:

Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMDI/27/2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed M/s. Ragini Chokshi & Co., Practising Company Secretaries, Mumbai as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of five consecutive Financial Years commencing from the FY 2025-26 till FY 2029-30. The report addressed to the Members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's Report.

## j) Disclosure of certain types of agreements binding listed entities

There are no such agreements of contracts binding listed companies as detailed in SEBI (LODR) which directly or indirectly or potentially or whose purpose and effect is to, impact the management or control of the Listed Entity. Hence Information required to be disclosed under Clause 5A of Paragraph A of Part A of Schedule III of these regulations is NIL.

## k) Disclosure of Penalty:

In terms of Securities Exchange of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has made disclosure w.r.t. Imposition of Fine / Penalty in its Integrated Corporate Governance Report filed with Stock Exchanges on quarterly basis. The report on Integrated Corporate Governance is available on the stock exchanges website BSE & NSE i.e., [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) & [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and Banks' website: [www.canarabank.bank.in](http://www.canarabank.bank.in).

## परिशिष्ट ए

### सेबी [(सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियमन, 2018 - अनुसूची V (सी)(10)(i)] के अनुसार निदेशकों की अपात्रता का प्रकटन संबंधी प्रमाण पत्र

मैं, स्वयंभू विश्वनाथन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ने प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए केनरा बैंक, जिसका पैन नंबर AAACC6106G है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 112, जेसी रोड, टाउन हॉल, बेंगलूरु, कर्नाटक - 560 002 में स्थित है (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची V पैरा-सी उपखंड 10(आई) के साथ पढ़े गए विनियम 34(3) के निदेशकों से प्राप्त बाध्यता प्रासंगिक रजिस्ट्रारों, अभिलेखों, प्रपत्रों, प्रतिवेदनों और प्रकटीकरण की जांच की है।

मेरे अभिमत में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी / बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा मुझे प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और यथा निर्धारित आवश्यक [निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) सहित] सत्यापन के अनुसार, मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यथा 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के निम्नलिखित निदेशक मंडल में से किसी भी निदेशक को, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से अपात्र घोषित नहीं किया गया है।

| क्र. सं. | नाम                         | पद का नाम                                                                  | डीआईएन      | नियुक्ति की तारीख                                  |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 1        | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया  | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) व कार्यपालक निदेशक     | 09690464    | 07 फरवरी, 2023                                     |
| 2        | श्री भवेन्द्र कुमार         | कार्यपालक निदेशक                                                           | 10401479    | 09 अक्टूबर, 2023                                   |
| 3        | श्री शांतनु कुमार मजुमदार   | कार्यपालक निदेशक                                                           | 08223415    | 24 मार्च, 2025                                     |
| 4        | श्री सुनील कुमार चुध        | कार्यपालक निदेशक                                                           | 08309168    | 24 नवंबर, 2025                                     |
| 5        | श्री प्रशांत कुमार गोयल     | गैर-कार्यकारी - भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक          | 08652921    | 25 अक्टूबर, 2023                                   |
| 6        | श्री रोहित पी. दास          | गैर-कार्यकारी - भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित निदेशक | उपलब्ध नहीं | 05 अगस्त, 2024                                     |
| 7        | सुश्री नलिनी पद्मनाभन       | गैर-कार्यकारी - स्वतंत्र निदेशक                                            | 01565909    | 11 अप्रैल, 2025                                    |
| 8        | सुश्री आभा सिंह यदुवंशी     | गैर-कार्यकारी - शेयरधारक निदेशक                                            | 09608526    | 27 जुलाई, 2022<br>(27 जुलाई, 2025 से पुनः नियुक्त) |
| 9        | श्री गुंजीत सिंह पन्नू      | गैर-कार्यकारी - शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक                          | 10854996    | 27 जुलाई, 2025                                     |
| 10       | श्री बालकृष्ण राघवेंद्र राव | गैर-कार्यकारी - शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक                          | 08508501    | 13 सितंबर, 2025                                    |

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते स्वयंभू विश्वनाथन  
अभ्यासरत कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : 30 अप्रैल, 2026

स्थान : बेंगलूरु

कृते स्वयंभू विश्वनाथन

एफसीएस नं.: 12190 | सीपी नं.: 5294

आईसीएसआई पीआरएन: 1857/2022

आईसीएसआई यूडीआईएन: एफ01190एच000239285



Appendix A  
CERTIFICATE REGARDING DISCLOSURES PERTAINING TO DISQUALIFICATION OF DIRECTORS  
PURSUANT TO SEBI [LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS  
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2018 - SCHEDULE V(C)(10)(I)]

I, Swayambhu Viswanathan, Practising Company Secretary have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Canara Bank having PAN AAACC6106G and having Registered Office at 112, J C Road, Town Hall, Bengaluru, Karnataka - 560002 (hereinafter referred to as "the Bank"), produced before me by the Bank for the purpose of issuing this certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In my opinion and to the best of my information and according to the verifications [including Directors Identification Number (DIN)] as considered necessary and explanations furnished to me by the Bank & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on March 31, 2026 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other statutory authority

| Sl. No. | Name                             | Designation                                                         | DIN           | Date of Appointment                                  |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 1       | Shri Hardeep Singh Ahluwalia     | Managing Director & CEO (I/C) & Executive Director                  | 09690464      | February 07, 2023                                    |
| 2       | Shri Bhavendra Kumar             | Executive Director                                                  | 10401479      | October 09, 2023                                     |
| 3       | Shri Santanu Kumar Majumdar      | Executive Director                                                  | 08223415      | March 24, 2025                                       |
| 4       | Shri Sunil Kumar Chugh           | Executive Director                                                  | 08309168      | November 24, 2025                                    |
| 5       | Shri Parshant Kumar Goyal        | Non-Executive - Nominee Director representing Government of India   | 08652921      | October 25, 2023                                     |
| 6       | Shri Rohit P. Das                | Non-Executive - Nominee Director representing Reserve Bank of India | Not available | August 05, 2024                                      |
| 7       | Ms. Nalini Padmanabhan           | Non-Executive - Independent Director                                | 01565909      | April 11, 2025                                       |
| 8       | Ms. Abha Singh Yaduvanshi        | Non-Executive - Shareholder Director - Independent Director         | 09608526      | July 27, 2022<br>(Re-appointed w.e.f. July 27, 2025) |
| 9       | Shri Gunjeet Singh Pannu         | Non-Executive - Shareholder Director - Independent Director         | 10854996      | July 27, 2025                                        |
| 10      | Shri Balakrishna Raghavendra Rao | Non-Executive - Shareholder Director - Independent Director         | 08508501      | September 13, 2025                                   |

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Swayambhu Viswanathan  
Practising Company Secretary

Date : April 30, 2026  
Place : Bengaluru

Swayambhu Viswanathan  
FCS No.: 12190 | CP No.: 5284  
ICSI PRN: 1857/2022  
ICSI UDIN: F012190H000239285



## परिशिष्ट बी

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) अधिनियम, 2015, यथा संशोधित के तहत कॉर्पोरेट अभिशासन अपेक्षाओं के अनुपालन पर अभ्यासरत कंपनी सचिव प्रमाणपत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

मैंने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) अधिनियम, 2015 ("सूचीबद्धता अधिनियम") के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) [और (टी)] और अनुसूची वी के पैराग्राफ सी, डी और ई में निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत केनरा बैंक ("बैंक") द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच बैंक द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर कोई राय है।

संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के आधार पर, मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि बैंक ने उपर्युक्त सेबी विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अनुपालन किया है, बशर्ते कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लागू बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनियां (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 के विपरीत न हों।

मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता की गारंटी देता है और न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता की गारंटी देता है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

यह प्रमाणपत्र केवल बैंक के सदस्यों को ही दिया गया है ताकि बैंक सूचीबद्धता विनियमों का अनुपालन कर सके। इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना

## Appendix B

PRACTISING COMPANY SECRETARY CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS UNDER SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, AS AMENDED.

To,

The Members of Canara Bank

I have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Canara Bank ("the Bank") for the year ended on March 31, 2026, as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) [and (t)] of Regulation 46 (2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as applicable during the year.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on our examination of the relevant records and in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, I certify that the Bank has in all material aspects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned SEBI Regulations to the extent these do not contradict the Banking Regulation Act, 1949 and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for the year ended March 31, 2026.

I further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

This certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to comply with the Listing Regulations, and

चाहिए। तदनुसार, इस प्रमाणपत्र के किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदर्शित किए जाने अथवा हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में पहुँचने की स्थिति में, मैं किसी भी प्रकार की ज़िम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता / करती हूँ।

it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, I do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

कृते स्वयंभू विश्वनाथन,  
अभ्यासगत कंपनी सचिव  
एफआरएन: P2023KR098600

स्वयंभू विश्वनाथन  
एफसीएस नं.: 12190 | सीपी नं.: 5284  
आईसीएसआई पीआरएन: 1857/2022  
आईसीएसआई यूडीआईएन:  
F012190H000308453

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 11 मई, 2026

For Swayambhu Viswanathan  
Practising Company Secretary  
FRN: P2023KR098600

Swayambhu Viswanathan  
FCS No.: 12190 | CP No.: 5284  
ICSI PRN: 1857/2022  
ICSI UDIN:  
F012190H000308453

Place : Bengaluru  
Date : 11 May, 2026

Restricted

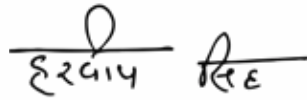
## परिशिष्ट सी

### आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

निदेशक मंडल  
केनरा बैंक  
प्रधान कार्यालय  
बेंगलूरु

#### विषय: पुष्टि प्रमाणपत्र - आचार संहिता

यह पुष्टि की जाती है कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने यथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।



हरदीप सिंह अहलूवालिया  
प्रबंध निदेशक व  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) व  
कार्यपालक निदेशक

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 11 मई, 2026

## Appendix C

### DECLARATION REGARDING COMPLIANCE OF CODE OF CONDUCT

The Board of Directors  
Canara Bank  
Head Office  
Bengaluru

#### Sub: CERTIFICATE OF AFFIRMATION - CODE OF CONDUCT

This is to affirm that the members of the Board of Directors and Senior Management Personnel, have affirmed compliance with the Code of Conduct of Board of Directors and Senior Management for the financial year ended March 31, 2026.



Hardeep Singh Ahluwalia  
Managing Director &  
Chief Executive Officer (I/C) &  
Executive Director

Place : Bengaluru  
Date : 11.05.2026

## यथा तिथि 31 मार्च 2026 तक बेसल III पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित)

दिनांक 31 मार्च 2026 तक बेसल III - पिलर 3 प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर 'विनियामक प्रकटीकरण खंड' के तहत उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी हेतु कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ : <https://www.canarabank.bank.in/basel-iii-disclosures>

इस खंड में निम्नलिखित प्रकटीकरण शामिल हैं:

| तालिका    | विवरण                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| डीएफ - 1  | आवेदन का दायरा और पूंजी पर्याप्तता                                |
| डीएफ - 2  | पूंजी पर्याप्तता                                                  |
| डीएफ - 3  | ऋण जोखिम: सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण                       |
| डीएफ - 4  | ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण   |
| डीएफ - 5  | ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण             |
| डीएफ - 6  | प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण         |
| डीएफ - 7  | ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम                                     |
| डीएफ - 8  | परिचालनात्मक जोखिम                                                |
| डीएफ - 9  | बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)                       |
| डीएफ - 10 | प्रतिपक्षकार ऋण से संबंधित एक्सपोज़र हेतु सामान्य प्रकटीकरण       |
| डीएफ - 11 | पूंजी की संरचना                                                   |
| डीएफ - 12 | पूंजी की संरचना - समाधान संबंधी आवश्यकताएं                        |
| डीएफ - 13 | नियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ                            |
| डीएफ - 14 | नियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम व शर्तें                        |
| डीएफ - 15 | पारिश्रमिक हेतु प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएँ                       |
| डीएफ - 16 | इक्विटीज़ - बैंकिंग बुक स्थितियों हेतु प्रकटीकरण                  |
| डीएफ - 17 | लेखांकन आस्ति बनाम लिवरेज अनुपात एक्सपोज़र माप की संक्षिप्त तुलना |
| डीएफ - 18 | लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट                          |

## BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES (CONSOLIDATED) AS AT 31.03.2026

Basel III - Pillar 3 disclosures as at 31<sup>st</sup> March 2026 is available on Bank's Website under 'Regulatory Disclosure Section'. For details, please visit our website: <https://www.canarabank.bank.in/basel-iii-disclosures>

The section contains the following disclosures:

| TABLES  | PARTICULARS                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| DF - 1  | Scope of Application and Capital Adequacy                                    |
| DF - 2  | Capital Adequacy                                                             |
| DF - 3  | Credit Risk: General Disclosures for All Banks                               |
| DF - 4  | Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach |
| DF - 5  | Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach                |
| DF - 6  | Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach               |
| DF - 7  | Market Risk in Trading Book                                                  |
| DF - 8  | Operational Risk                                                             |
| DF - 9  | Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)                               |
| DF - 10 | General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk         |
| DF - 11 | Composition of Capital                                                       |
| DF - 12 | Composition of Capital- Reconciliation Requirements                          |
| DF - 13 | Main Features of Regulatory Capital Instruments                              |
| DF - 14 | Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments                  |
| DF - 15 | Disclosure Requirements for Remuneration                                     |
| DF - 16 | Equities – Disclosure for Banking Book Positions                             |
| DF - 17 | Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure  |
| DF - 18 | Leverage Ratio Common Disclosure Template                                    |





Restricted

## केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरणी

2025-2026



Together We Can

Restricted

# **BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK**

**2025-2026**

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में,  
केनरा बैंक के सदस्य,  
एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरिक्षा पर रिपोर्ट।

### राय

1. हमने केनरा बैंक ('बैंक') के साथ संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों का संयुक्त रूप से लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2026 की तुलन पत्र, उस वर्ष का लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित एकल वित्तीय विवरणियों के नोट्स ('एकल वित्तीय विवरणी') शामिल हैं; और जिनमें उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित के विवरण शामिल हैं:

- हमारे द्वारा प्रधान कार्यालय, 20 शाखाओं और 1 एकीकृत कोष विभाग का लेखा-परीक्षण किया गया।
- सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 2886 घरेलू शाखाओं का लेखापरीक्षण किया गया।
- संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा 4 विदेशी शाखाओं का लेखापरीक्षण किया गया।

जिन शाखाओं का लेखापरीक्षण हमने किया है और जिनका लेखापरीक्षण अन्य लेखापरीक्षकों ने किया है, उनका चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरणी में 7519 घरेलू शाखाओं से प्राप्त प्रतिलाभ भी शामिल हैं, जिनका लेखापरीक्षण नहीं किया गया है। इन गैर लेखापरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का 24.30%, जमा राशियों का 48.60%, ब्याज आय का 24.84% और ब्याज व्यय का 46.90% शामिल है।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा आवश्यक जानकारी को बैंक के लिए आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

## Independent Auditors' Report

To,  
The Members of Canara Bank  
Report on Audit of the Standalone Financial Statements.

### Opinion

1. We have jointly audited the accompanying standalone financial statements of Canara Bank ('the Bank'), which comprises of the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ('Standalone Financial Statement') in which are included the returns for the year ended on that date of:

- The Head Office, 20 Branches, 1 Integrated Treasury Wing audited by us.
- 2886 domestic branches audited by statutory branch auditors.
- 4 Foreign branches audited by respective local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 7519 domestic branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 24.30% of advances, 48.60% of deposits, 24.84% of interest income and 46.90% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and:

- संबंधित नोट सहित तुलन पत्र एक सही एवं निष्पक्ष तुलन पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण समुचित रूप से सम्मिलित हैं तथा इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह 31 मार्च 2026 को बैंक की स्थिति को सही एवं निष्पक्ष प्रतिरूप प्रस्तुत करती है।
- संबंधित नोट सहित लाभ-हानि खात, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ का वास्तविक एवं निष्पक्ष परिणाम प्रस्तुत करता है: तथा
- नकद प्रवाह का विवरणी उस तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करता है।

## राय का आधार

- हमने अपना लेखापरीक्षण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षक मानकों (एसए) के अनुसार किया। इन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के "एकल वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षक हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व" नामक भाग में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचरण संहिता और भारत में सर्वमान्य लेखांकन सिद्धांतों (आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक सहित) के अनुसार तैयार किए गए स्वतंत्र वित्तीय परिणामों के लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप बैंक से स्वतंत्र है। साथ ही, हम बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों का भी पालन करते हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचरण संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

## मुख्य लेखापरीक्षा मामले

- मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे विषय हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर, समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के दौरान विचार किया गया; और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते हैं। हमने नीचे बताए गए विषयों को मुख्य लेखापरीक्षा मामले माना है, जिन्हें हमारी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा:

- the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2026;
- the Profit and Loss Account, read with notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended as on that date; and
- the statement of Cash Flows gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

## Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements, prepared in accordance with the Accounting Principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by the ICAI, and the provisions of the Section 29 of Banking Regulations Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

## Key Audit Matters

- Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

| क्र.सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मुख्य लेखा-परीक्षा मामलों पर प्रतिक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <p><b>आय निर्धारण, आस्तियों का वर्गीकरण, और उन पर प्रावधानों की पर्याप्तता। (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 देखें)</b></p> <p>बैंक की आस्तियों में अग्रिम सबसे बड़ा हिस्सा है। इनका वर्गीकरण, आय निर्धारण और इन पर प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और विभिन्न मानदंडों के अनुसार किए गए हैं। बैंक का प्रबंधन सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस) के साथ-साथ अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों पर निर्भर करता है; इसके अलावा, इसमें विभिन्न अनुमान, उधारकर्ताओं के प्रदर्शन से संबंधित विवेकपूर्ण निर्णय, प्रतिभूति का निर्धारण, तथा आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण और उस पर प्रावधान करने के लिए विशेषज्ञों और पेशेवरों की सेवाओं सहित मानवीय हस्तक्षेप भी शामिल हैं।</p> <p>लेन-देन का स्वरूप, विनियामक आवश्यकताओं, मौजूदा कारोबारी परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान / निर्णय, प्रावधानों की गणना, उधारकर्ताओं के साथ-साथ अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भरता के साथ आहरण शक्ति की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय की पहचान को ध्यान में रखते हुए, यह एकल वित्तीय विवरणियां उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्व का विषय है।</p> <p>इन पहलुओं पर विचार करते हुए, हमने इसे एक मुख्य लेखापरीक्षा मामला माना है।</p> | <p><b>मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ:</b></p> <p>हमारा लेखापरीक्षा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, और शेष राशियों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों की प्रक्रिया पर केंद्रित था।</p> <p>हमने बैंक की प्रणाली और उन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया, जो गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की पहचान करने और ऐसी आस्तियों के विरुद्ध प्रावधान करने के लिए लागू है।</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में निम्नलिखित के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों की डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में, आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम में वर्गीकरण, तथा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान करने हेतु, सिस्टम में दर्ज किए गए डेटा की सटीकता।</li> <li>अग्रिमों की स्वीकृति, प्रलेखन, संवितरण और निगरानी के संबंध में नियंत्रणों का मूल्यांकन करना।</li> <li>भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन हेतु सीबीएस तथा अन्य संबंधित एवं संबद्ध प्रणालियों की समीक्षा।</li> <li>गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान और उनके लिए प्रावधान को मान्यता देने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन का मूल्यांकन।</li> <li>आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीए की पहचान करने और उसके लिए प्रावधान करने में उपयोग किए जाने वाले संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की समीक्षा।</li> <li>आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, एनपीए की पहचान करने और आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाना।</li> <li>जहाँ कहीं भी परीक्षण जांच के आधार पर हमारे संज्ञान में आया, वहाँ हमने भौतिक हस्तक्षेपों की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सटीकता की समीक्षा की।</li> <li>जिन शाखाओं का लेखापरीक्षा हमने नहीं किया है, उनके मामले में हमने 'गैर-निष्पादित आस्ति' (एनपीए) की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान करने, तथा आईसीएआई द्वारा जारी 'लेखापरीक्षा मानक 600' के अनुसार विनियामक आवश्यकताओं का समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, 'सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की रिपोर्ट / विवरणी / निर्णयों पर भरोसा किया है।</li> <li>समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) की पहचान और उनके लिए प्रावधान करने की प्रक्रिया और तर्क की जाँच की गई; साथ ही, दबावग्रस्त खाते की पहचान करने के तंत्र की भी जाँच की गई।</li> <li>विभिन्न विशेषज्ञों की राय और रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है-जिनमें स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ और ऐसे अन्य पेशेवर शामिल हैं- जिन्होंने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक 620 के अनुरूप, विभिन्न क्षमताओं में बैंक को अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।</li> <li>जहाँ भी उपलब्ध थीं, आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण रिपोर्टों / समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की गई।</li> </ul> |

| Sl.No. | Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Response to Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p><b>Income Recognition, Asset Classification, Adequacy of provisions thereon. (Refer Schedule 9 of the financial statements)</b></p> <p>Advances constitute the largest class of assets of the Bank. Classification, income recognition and provisioning thereon have been in conformity with the guidelines and various norms prescribed by Reserve Bank of India ("RBI"). The management of the Bank relies on the CBS (Core Banking Solutions) along with other allied IT systems accompanied by various estimates, prudent judgement relating to performance of borrowers, determination of security value, manual interventions including services of experts &amp; professionals for asset classification, Income recognition and provisioning thereon.</p> <p>Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation / judgement involved in valuation of securities, computation of provisions, computation of drawing power with reliance placed of data submitted by borrowers as well as lead Bank, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income, it is a matter of high importance for the intended users of the Standalone financial statements.</p> <p>Considering these aspects, we have determined this as a Key Audit Matter.</p> | <p><b>Principal Audit Procedures:</b></p> <p>Our audit was focused on process of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances, in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, considering the materiality of the balances.</p> <p>We assessed the efficacy of Bank's system and the processes in place to identify the non-performing assets and create provision against such non - performing assets.</p> <p>Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls with respect to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non-performing Advances and provisioning in accordance with the IRAC norms in respect of the branches audited by us.</li> <li>• Assessing the controls with respect to approval, documentation, disbursement and monitoring of advances.</li> <li>• Review of the CBS and other related &amp; allied systems for compliance with the prudential norms issued by Reserve Bank of India.</li> <li>• Evaluation of the design of internal controls relating to identification and recognizing provision for non-performing assets.</li> <li>• Review of the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines.</li> <li>• Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.</li> <li>• Reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of the manual interventions, wherever it has come to our knowledge on test check basis.</li> <li>• Relied on the reports / returns / judgements of the Statutory Branch Auditors (SBA) in case of branches not audited by us for identification and provisioning for non-performing assets and for overall compliance with the regulatory requirement in accordance with the Standards on Auditing 600 issued by ICAI.</li> <li>• Test checked the process and logic of identification and creation of provision against non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time and also the mechanism for identification of stressed accounts.</li> <li>• Relied on the opinions and reports of various experts, which includes independent valuers, lawyers, legal experts and such other professionals, who have rendered services to the Bank in various capacities in conformity with Standards on Auditing 620 issued by ICAI.</li> <li>• Reviewed the internal audit / inspection reports / Concurrent audit reports, wherever available.</li> </ul> |



| क्र.सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मुख्य लेखा-परीक्षा मामलों पर प्रतिक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.      | <p><b>निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8):</b></p> <p>निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं।</p> <p>ये आरबीआई के परिपत्रों और निदेशों द्वारा अभिशासित होते हैं।</p> <p>आरबीआई के ये निदेश निवेशों के वर्गीकरण, निवेशों के मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, आय की गैर-मान्यता और उस पर प्रावधान से संबंधित हैं।</p> <p>उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमडीए दर, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दर, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा / जानकारी का संग्रह शामिल है।</p> | <p><b>मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ:</b></p> <p>हमारी लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास पर ध्यान केंद्रित करना था।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हमने निवेश से संबंधित एनपीआई के वर्गीकरण, मूल्यांकन, पहचान और प्रावधान / मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की मौजूदा प्रणाली को समझा और उसका मूल्यांकन किया।</li> <li>हमने इन निवेशों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया।</li> <li>हमारे पास मौजूद निवेशों के चयनित नमूने हेतु, हमने प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूतियों के लिए वर्गीकरण और मूल्यांकन को पुनः करके आरबीआई के मास्टर परिपत्र और निदेश के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया।</li> <li>हमने आरबीआई के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार बनाए जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए अंकगणितीय सटीकता, डेटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित पर्याप्त परीक्षण किए।</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| 3       | <p><b>वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ।</b></p> <p>बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएँ मुख्य रूप से आईटी प्रणालियों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि प्रतिदिन बड़ी संख्या में लेन-देन संसाधित किए जाते हैं; इसलिए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय माना जाता है, जिसकी सटीकता और प्रभावशीलता मुख्य रूप से कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और अन्य संबंधित प्रणालियों पर निर्भर करती है।</p> <p>हमने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निवेश, आय निर्धारण, आस्तियों के वर्गीकरण और अग्रिमों के विरुद्ध प्रावधानों से संबंधित लेन-देन के लिए; और विविध आस्तियों और विविध देनदारियों के अंतर्गत विभिन्न मदों के समाधान और अवधि निर्धारण, तथा ऐसे अन्य खातों के लिए सीबीएस और अन्य संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के निरंतर और सुचारू रूप से कार्य करने पर भरोसा किया है।</p>                    | <p><b>मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ:</b></p> <p>हमने उन प्रमुख आईटी एप्लिकेशन्स, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मूल्यांकन किया जो हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने सीबीएस, वित्तीय विवरण रिपोर्टिंग पैकेज, कोष परिचालन आईआरएसी वर्गीकरण और सीआरएआर गणना के लिए उन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयरों की पहचान की है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है।</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना शामिल था, जो इस प्रकार है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की।</li> <li>परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण एप्लिकेशन और पहुंच नियंत्रण सहित बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की है।</li> <li>आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और प्रमुख आईएस नियंत्रणों के अनुपालन पर निरीक्षण विभाग के साथ चर्चा की।</li> <li>आईटी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में अपनाई गई व्यावसायिक तर्क और सिस्टम तर्क की मैपिंग का परीक्षण किया गया।</li> <li>लेखापरीक्षा से संबंधित सिस्टम द्वारा जनरेट की गई रिपोर्टों के लिए प्रमुख स्वचालित और व्यावसायिक चक्र नियंत्रणों और तर्क का परीक्षण जाँच के आधार पर किया गया।</li> </ul> |

| Sl.No. | Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Response to Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.     | <p><b>Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 of the financial statements):</b></p> <p>Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.</p> <p>These are governed by the circulars and directions of the RBI.</p> <p>These directions of RBI cover the classification of investments, valuation of investments, identification of Non-Performing Investments, the corresponding non-recognition of income and provision thereon. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data / information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies, etc.</p> | <p><b>Principal Audit Procedures:</b></p> <p>Our audit was focused on valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/ depreciation related to Investments.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>We understood and evaluated the Bank's system in place to comply with the relevant RBI Guidelines regarding classification, valuation, identification of NPIs provision/ depreciation related to investments.</li> <li>We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.</li> <li>For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing classification and valuation for each category of security.</li> <li>We carried out substantive tests including arithmetical accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI.</li> </ul>                                                                                       |
| 3      | <p><b>Key Information Technology (IT) systems used in financial reporting process.</b></p> <p>The Bank's operational and financial processes are predominantly dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence, considered as a key audit matter, correctness &amp; effectiveness of which are mainly dependent on the Core Banking Solution (CBS) and other allied systems.</p> <p>We have relied upon the consistent functioning of CBS &amp; other allied application software with respect to transactions in Investments, Income Recognition, Classification of Assets and provisioning against advances in conformity with the RBI guidelines, reconciliation &amp; ageing of various items under Sundry Assets and Sundry Liabilities along with such other accounts.</p>                                                                                                                                | <p><b>Principal Audit Procedures:</b></p> <p>We conducted an assessment of key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified application software for CBS, Financial Statement Reporting Package, Treasury operations, IRAC Classification and CRAR calculation, which are primarily used for financial reporting.</p> <p>Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period.</li> <li>Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.</li> <li>Reviewed the IS Audit Reports and discussed with Inspection Wing on compliance with key IS Controls.</li> <li>Tested the mapping of business logic with system logic adopted in the IT application software.</li> <li>Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis.</li> </ul> |

| क्र.सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मुख्य लेखा-परीक्षा मामलों पर प्रतिक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | <p><b>आस्थगित कर आस्ति (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 11)</b></p> <p>बैंक ने यथा 31 मार्च, 2026 तक 2,966.59 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्ति को मान्यता दी है। आस्थगित कर आस्ति का उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन, अभिज्ञान और मापन, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-22 के अनुरूप, भविष्य में लाभों की उपलब्धता के संबंध में विशेषज्ञ मत, न्यायिक घोषणाओं और पूर्वोदाहरणों, प्रबंधन के निर्णयों और अनुमानों पर आधारित है। आस्थगित कर आस्ति को केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया गया है जहां यह उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकता है।</p> | <p><b>मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ:</b></p> <p>हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा किया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आयकर प्राधिकरण (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-22 - आय पर करों के लेखांकन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आस्थगित कर आस्तियों की पहचान और माप के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों की समीक्षा।</li> <li>विशेषज्ञों की राय, न्यायिक निर्णयों और पूर्व उदाहरणों के संदर्भ में, आस्थगित कर आस्तियों की प्राप्ति के संबंध में प्रबंधन के निर्णयों और अनुमानों की समीक्षा की गई।</li> <li>लाभ की उपलब्धता और निश्चितता की संभावना का मूल्यांकन किया गया जिनके विरुद्ध बैंक भविष्य में आस्थगित कर आस्ति को प्राप्त करने में सक्षम होगा।</li> </ul>                                                                                                                                             |
| 5       | <p><b>विभिन्न मुकदमे और आकस्मिक देनदारी</b></p> <p>करों और अन्य पक्षों द्वारा बैंक पर दायर किए गए विभिन्न दावों से संबंधित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।</p> <p>बैंक का आकलन विचाराधीन मामले के तथ्यों, उनके अपने विवेक, पूर्व अनुभव, स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह और जहां आवश्यक हो, कानूनी राय द्वारा समर्थित है।</p> <p>इसलिए, मुकदमेबाजी में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के लाभ और तुलन पत्र में परिलक्षित होने वाली उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।</p>                                                            | <p><b>मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ :</b></p> <p>हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा किया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हमने लेखापरीक्षा से संबंधित प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की ताकि है, हम ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार कर सकें जो परिस्थितियों के अनुकूल है।</li> <li>कर संबंधी विवादों सहित विभिन्न ऋण और गैर-ऋण संबंधी मुकदमों और संभावित देनदारियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।</li> <li>विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त संदेशों की जांच की और उन पर अनुवर्ती कार्यवाई की गई।</li> <li>विषयवस्तु के गुणों का मूल्यांकन पृष्ठभूमि के संदर्भ में किया गया और इस संबंध में विशेषज्ञ राय, कानूनी सलाह, न्यायिक निर्णयों और पूर्व उदाहरणों पर भरोसा किया गया।</li> <li>महत्वपूर्ण मुकदमेबाजी और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन किया गया।</li> </ul> |

| Sl.No. | Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Response to Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | <p><b>Deferred Tax Asset (Schedule 11 of the financial statements)</b></p> <p>The Bank has recognized a net deferred tax asset of ₹2,966.59 Crores as on March 31, 2026. Objective estimation, recognition and measurement of Deferred Tax Asset are based on the expert opinion, judicial pronouncements and precedents, management judgements and estimates regarding the availability of profits in future in conformity with AS-22 issued by the ICAI. Deferred Tax Asset has been carried forward only to the extent there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets can be realized.</p> | <p><b>Principal Audit Procedures:</b></p> <p>We have performed the following procedures as part of our control testing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Review of the policies used for recognition and measurement of Deferred Tax Assets to ensure compliance with AS-22- Accounting for Taxes on Income issued by ICAI.</li> <li>Reviewed the management judgement and estimates regarding the realisability of the Deferred Tax Assets, w.r.t. expert opinion, judicial pronouncements and precedents.</li> <li>Assessed the probability of the availability and certainty of profits against which the Bank will be able to realise the Deferred Tax Asset in future.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| 5      | <p><b>Various Litigations &amp; Contingent Liability</b></p> <p>Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations in relation to taxes and various other claims filed by other parties upon Bank, not acknowledged as debts.</p> <p>The Bank's assessment is supported by facts of matter under consideration, their own judgement, past experience, advises from independent experts and legal opinion, wherever necessary.</p> <p>Therefore, unexpected adverse outcomes in the litigation may impact the Bank's profit and state of affairs as reflected in the balance sheet.</p>                                                                    | <p><b>Principal Audit Procedures:</b></p> <p>We have performed the following procedures as part of our control testing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obtained an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.</li> <li>Reviewed the current status of the various credit and non-credit litigations and contingent liabilities, including tax related disputes.</li> <li>Examined the communications received from various authorities and follow-up actions thereon.</li> <li>Evaluated the merits of the subject matter under consideration with reference to the background and relied on the expert opinion, legal advice, judicial pronouncements and precedents thereon.</li> <li>Verification of disclosures related to significant litigations and taxation matters.</li> </ul> |

## एकल वित्तीय विवरणियों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी:

- बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल है, जो हमें इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी होने के समय प्राप्त हुई थी। अन्य जानकारी में अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट (लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरणियों और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, जिसके हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि पश्चात हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

## Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon:

- The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises Corporate Governance report, which we obtained at the time of issuance of this Auditors' Report. The other information includes Directors' Report with annexures (but does not include the Standalone Financial Statements and our auditors' report thereon), Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after the date of our auditors' report.

हमारी राय में एकल वित्तीय विवरणियों पर अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है, और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

एकल वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो हम उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, यह विचार करें कि क्या वह अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा के दौरान हमें मिली जानकारी से काफी हद तक असंगत है, या अन्यथा उसमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि दिखती है।

यदि, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त अन्य जानकारी पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करनी होगी। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

जब हम वह अन्य जानकारी पढ़ते हैं, जिसके हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद होती है, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की जानकारी 'अभिशासन का प्रभार संभालने वालों' को देना और संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत लागू उचित कार्रवाई करना आवश्यक होता है।

#### एकल वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन और अभिशासन का दायित्व संभालने वालों की जिम्मेदारियाँ:

- बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों-जिनमें आईसीएआई तथा साथ ही, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुरूप जारी लागू लेखांकन मानक शामिल हैं-जिसके अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस ज़िम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने व पता लगाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव भी सम्मिलित है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information which is expected to be made available to us after the date of our auditors' report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those Charged with Governance and take appropriate action as applicable under the relevant laws and regulations.

#### Responsibilities of Management and those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements:

- The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Applicable Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent;



सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; ये अभिलेख उन एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त हैं-चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरणी तैयार करते समय, निदेशक मंडल बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने, और लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है-बशर्ते कि निदेशक मंडल का इरादा बैंक को परिसमापन करने या उसका परिचालन बंद करने का न हो, अथवा उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य यथार्थपरक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

## एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व:

- हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एकल वित्तीय विवरणियों, समय रूप से, धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हो, और हमारी राय के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह आश्वासन नहीं देता है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किये गये लेखापरीक्षण में यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो वे उसका पता लगा लेंगे। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं, और उन्हें 'महत्वपूर्ण' माना जाता है यदि-चाहे व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर-उनसे यह उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है कि वे इन अलग एकल वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किये जाने वाले लेखा परीक्षण के अंतर्गत, हम पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर विवेक का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संवेदनशीलता बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, हम:

- वित्तीय विवरणियों में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करना-चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के-उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करना और उन्हें निष्पादित करना, तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के कारण होने वाली किसी महत्वपूर्ण गलत जानकारी का पता न चल पाने का

and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, board of directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless board of directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

## Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements:

- Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for



जोखिम, गलती के कारण होने वाली गलत जानकारी के जोखिम से अधिक होता है; क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी, जान-बूझकर जानकारी छिपाना, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रणों की अनदेखी शामिल हो सकती है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ विकसित करें, ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की औचित्यता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें; और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, यह निर्धारित करें कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई 'महत्वपूर्ण अनिश्चितता' मौजूद है, जो एक कार्यशील संस्था के रूप में बैंक के निरंतर बने रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर सकती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणियों में दिए गए संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा; अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक एक कार्यशील संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकता है।
- वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री-जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं-का मूल्यांकन करें; और यह देखें कि क्या एकल वित्तीय विवरणी, अंतर्निहित लेन-देनों और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे एक निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त हो सके।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणियों में गलत बयानों का वह परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणी में चिन्हित किसी भी गलत जानकारी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में, मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

हम अभिशासन का प्रभार संभालने वालों के साथ, अन्य बातों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय, तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसमें आंतरिक नियंत्रणों में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हमने अपने लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित किया है, के संबंध में सूचित करते हैं।

हम अभिशासन-प्रबंधन का दायित्व संभालने वालों को एक विवरणी भी प्रदान करते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है; साथ ही, हम उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को साझा करते हैं, जिनके बारे में यह यथोचित रूप से माना जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं-और जहाँ लागू हो, वहाँ उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों की जानकारी भी देते हैं।

अभिशासन-प्रबंधन का दायित्व संभालने वाले व्यक्तियों के साथ की गई चर्चाओं के आधार पर, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा हैं। हम इन बातों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में करते हैं, बशर्ते कानून या नियम सार्वजनिक प्रकटीकरण को न रोके, या जब, बहुत कम मामलों में, हम यह निर्णय लेते हैं कि किसी बात को हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के नकारात्मक परिणाम सार्वजनिक हित के लाभों से कहीं ज्यादा होंगे।

## अन्य मामले:

- हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल 2886 घरेलू शाखाओं और 4 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारी का लेखा परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणी / वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2026 तक कुल 6,59,852.96 करोड़ रुपये के अग्रिम और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कुल 48,820.33 करोड़ रुपये के राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है। ये शाखाएं और प्रसंस्करण केंद्र अग्रिमों का 43.42%, जमाओं का 46.34%, गैर-निष्पादित आस्तियों का 53.02%, ब्याज आय का 44.43%, ब्याज व्यय का 46.97% और राजस्व का 43.34% कवर करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणी / जानकारी का लेखा-परीक्षण बैंक के वैधानिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई हैं; और हमारी राय में, जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, यह पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

## Other Matter:

- We did not audit the financial statements / information of 2886 domestic branches and 4 foreign branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total advances of ₹6,59,852.96 Crores as at March 31, 2026 and total revenue of ₹48,820.33 Crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches and processing centres cover 43.42% of advances, 46.34% of deposits, 53.02% of non-performing assets, 44.43% of interest income, 46.97% of interest expense and 43.34% of revenue. The financial statements/information of these branches has been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such Branch auditors.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

#### अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट:

9. तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।
10. उपरोक्त पैराग्राफ में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 द्वारा अपेक्षित, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - a) हमने वह समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे, और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
  - b) बैंक के वे सभी लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकार क्षेत्र में ही हैं; और
  - c) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारे लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।
  - d) लाभ-हानि खाता उस अवधि के अंत में हुए लाभ का वास्तविक बही खाता दर्शाता है।
11. आरबीआई के पत्र संख्या DOS.ARG. No. 6270 / 08.91.001 / 2019-20 दिनांकित 17 मार्च, 2020, जिसका विषय "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए रिपोर्टिंग दायित्व" है, और आरबीआई द्वारा 19 मई, 2020 को जारी पत्राचार के अनुसार, हम उपर्युक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं:
  - a) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणी आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, बशर्ते कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत न हों।
  - b) वित्तीय लेन-देन या मामलों पर ऐसी कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

Our opinion is not modified in respect of this matter.

#### Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
10. Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the sub-section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
  - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
  - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
  - d) The profit and loss account shows a true balance of profit for the then ended.
11. As required by RBI Letter No DOS.ARG. No. 6270/ 08.91.001 / 2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCA's from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
  - a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
  - b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Bank.

- c) दिनांक 31 मार्च, 2026 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, 31 मार्च, 2026 को कोई भी निदेशक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के अनुसार, निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
- d) खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- e) आरबीआई के पत्र OS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2026 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

- c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2026, none of the director is disqualified as on March 31, 2026 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013.
- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's Internal Financial Controls over Financial Reporting as required by the RBI Letter OS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's Internal Financial Controls over Financial Reporting as at March 31, 2026.

## 12. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- a) हमारी राय में, बैंक ने कानून द्वारा अपेक्षित खाता - बही का उचित रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन खाता - बही की हमारी जाँच से प्रतीत होता है - और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे हमारी लेखा-परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त एवं उचित विवरण प्राप्त हुए हैं;
- b) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता और नकद प्रवाह विवरणी, खाता-बही तथा उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों से मेल खाते हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है;
- c) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित कार्रवाई की गई है; और
- d) हमारे विचार में, तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का पालन करते हैं, बशर्ते कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत न हों।

## 12. We further report that

Restricted

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

# वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

कृते के.वेंकटचलम अय्यर  
एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 004610S

(ए गोपालकृष्णन)  
साझेदार

सदस्य संख्या: 018159  
यूडीआईएन: 26018159SXVAZH6000

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 108846W

(दबीर सुधीर दिवाकरराव)  
साझेदार

सदस्य संख्या: 039984  
यूडीआईएन: 26039984YJYEOU6443

For K VENKATACHALAM AIYER  
& CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 004610S

(A. GOPALAKRISHNAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 018159  
UDIN: 26018159SXVAZH6000

For RODI DABIR & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 108846W

(DABIR SUDHIR DIWAKARRAO)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 039984  
UDIN: 26039984YJYEOU6443

कृते अबर्ना और अनंतन  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 000003S

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 001537C

For ABARNA & ANANTHAN  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 000003S

For S R GOYAL & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 001537C

(ललिता रामेश्वरन)  
साझेदार

सदस्य संख्या: 207867  
यूडीआईएन: 26207867TWRLGG6055

(अनिल गोयल)  
साझेदार

सदस्य संख्या : 071158

(LALITHA RAMESWARAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 207867  
UDIN: 26207867TWRLGG6055

(ANIL GOYAL)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 071158  
UDIN: 26071158UGCBSL9649

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 303002E

(चंद्र भूषण डे)  
साझेदार

सदस्य संख्या : 053126  
यूडीआईएन: 26053126FSWKGE6071

For M C BHANDARI & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 303002E

(CHANDRA BHUSAN DEY)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 053126  
UDIN: 26053126FSWKGE6071

हस्ताक्षर का स्थान : बेंगलूरु  
रिपोर्ट की तिथि : 11.05.2026

Place of Signature : Bengaluru  
Date of Report : 11.05.2026



## अनुलग्नक "ए" स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(हमारी दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 11(ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) (आरबीआई संसूचना) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2026 तक केनरा बैंक (बैंक) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है जिसके साथ उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा की है इसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निवारण और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

### लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने अपना लेखापरीक्षा, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट" ("मार्गदर्शन नोट") और आईएसीआई द्वारा जारी "लेखापरीक्षा मानक"

## ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in Paragraph 11(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' Section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001 / 2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the Internal Financial Controls over Financial Reporting of Canara Bank ("the Bank") as of March 31, 2026 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India



(एसए) के अनुसार किया है, जहाँ तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं। ये मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें, तथा लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएँ और उसे इस तरह से निष्पादित करें, जिससे हमें इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए थे और उन्हें बनाए रखा गया था, और यदि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

हमारे लेखापरीक्षा में ऐसी प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं जिनके द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में निम्नलिखित बातें शामिल थीं: वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना; आंतरिक नियंत्रणों के अस्तित्व और उनकी प्रभावशीलता के संबंध में विशेषज्ञों और सलाहकारों की राय और रिपोर्ट की समीक्षा करना; आईएसीएआई द्वारा जारी एसए 620 की आवश्यकताओं के अनुसार उन नियंत्रणों का परीक्षण करना और परीक्षण के परिणामों की जाँच करना; इस जोखिम का आकलन करना कि कहीं कोई बड़ी कमी तो मौजूद नहीं है; और इस आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षाओं पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों के आकलन शामिल हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और शाखा लेखापरीक्षाओं द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी बिना शर्त लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो...

(the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained, and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, reviewing the opinion and report of experts and consultants with regards to existence of internal controls, efficacy of those controls, testing those controls and results of the testing in accordance with requirement of SA 620 issued by ICAI, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our unqualified audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

### Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो बैंक की आस्तियों के लेन-देन और निपटान को उचित विवरण के साथ सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और
- (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण त्रुटि हो सकते हैं, और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

## राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर थे।

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

## Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

## Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31<sup>st</sup> March, 2026, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

### अन्य मामले

हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, जहां तक 2886 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

### Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 2886 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते के वेंकटचलम अय्यर  
एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 004610S

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 108846W

For K VENKATACHALAM AIYER  
& CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 004610S

For RODI DABIR & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 108846W

(ए गोपालकृष्णन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 018159  
यूडीआईएन: 26018159SXVAZH6000

(दबीर सुधीर दिवाकरराव)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 035810  
यूडीआईएन: 26039984YJYEOU6443

(A. GOPALAKRISHNAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 018159  
UDIN: 26018159SXVAZH6000

(DABIR SUDHIR DIWAKARRAO)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 039984  
UDIN: 26039984YJYEOU6443

कृते अबर्ना और अनंतन  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 000003S

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 001537C

For ABARNA & ANANTHAN  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 000003S

For S R GOYAL & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 001537C

(ललिता रामेश्वरन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 207867  
यूडीआईएन: 26207867TWRLGG6055

(अनिल गोयल)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 071158  
यूडीआईएन: 26071158UGCBSL9649

Restricted

(LALITHA RAMESWARAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 207867  
UDIN: 26207867TWRLGG6055

(ANIL GOYAL)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 071158  
UDIN: 26071158UGCBSL9649

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 303002E

(चंद्र भूषण डे)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 053126  
यूडीआईएन: 26053126FSWKGE6071

For M C BHANDARI & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 303002E

(CHANDRA BHUSAN DEY)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 053126  
UDIN: 26053126FSWKGE6071

हस्ताक्षर का स्थान : बेंगलूरु  
रिपोर्ट की तिथि : 11.05.2026

Place of Signature : Bengaluru  
Date of Report : 11.05.2026

## असंशोधित अभिमत के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

## DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

हम एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के एकल वार्षिक वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में एक असंशोधित अभिमत शामिल है।

We hereby declare that Auditors' Report on Standalone Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2026 contains unmodified opinion.

अमित मिश्र  
महाप्रबंधक एवं  
समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरदीप सिंह अहलूवालिया  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी (प्रभारी)  
एवं कार्यपालक निदेशक

AMIT MITTAL  
GENERAL MANAGER  
& GCFO

HARDEEP SINGH AHLUWALIA  
MANAGING DIRECTOR &  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (I/C)  
& EXECUTIVE DIRECTOR

कृते के.वेंकटचलम अय्यर  
एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन : 004610S

(ए.गोपालकृष्णन)  
साझेदार  
सदस्यता सं: 018159

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन : 108846W

(दबीर सुधीर दिवाकरराव)  
साझेदार  
सदस्यता सं: 039984

Restricted

For K VENKATACHALAM AIYER  
& CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 004610S

(A. GOPALAKRISHNAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 018159

For RODI DABIR & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 108846W

(DABIR SUDHIR DIWAKARRAO)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 039984

कृते अबर्ना और अनंतन  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन : 000003S

(ललिता रामेश्वरन)  
साझेदार  
सदस्यता सं: 207867

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन : 001537C

(अनिल गोयल)  
साझेदार  
सदस्यता सं: 071158

For ABARNA & ANANTHAN  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 000003S

(LALITHA RAMESWARAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 207867

For S R GOYAL & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 001537C

(ANIL GOYAL)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 071158

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
एफआरएन : 303002E

(चंद्र भूषण डे)  
साझेदार  
सदस्यता सं: 053126

For M C BHANDARI & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 303002E

(CHANDRA BHUSAN DEY)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 053126

हस्ताक्षर का स्थान : बेंगलूरु  
रिपोर्ट की तिथि : 11.05.2026

Place of Signature : Bengaluru  
Date of Report : 11.05.2026

प्रति,

निदेशक मंडल

केनरा बैंक

प्रधान कार्यालय: बंगलूरु

विषय: सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी (एलओडीआर)  
विनियम, 2015 का विनियमन 17(8)

बोर्ड को यह प्रमाणित किया जाता है कि;

- a) हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और यह कि हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:
- (i) इन विवरणियों में कोई तात्त्विक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है, या किसी भी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
- (ii) ये विवरणियां बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।
- b) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन करता है।
- c) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की संरचना या परिचालन में कमियां, यदि कोई है, का प्रकटन किया है, जो हमें ज्ञात है और उन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।
- d) हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है:
- (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors

Canara Bank

HO: Bengaluru

Sub : CEO / CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF  
SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

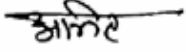
This is to certify to the Board that;

- a) We have reviewed Standalone financial statements and the cash flow statement for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2026 and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee:
- (i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
- (ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the Notes to the Financial Statements; and

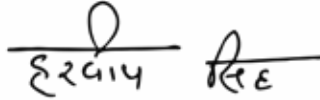


(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, यदि कोई हो, जिनके बारे में अवगत हुए हैं, इसमें शामिल है।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.



अमित मिश्र  
महाप्रबंधक एवं  
जीसीएफओ



हरदीप सिंह अहलूवालिया  
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी (प्रभारी)  
एवं कार्यपालक निदेशक



AMIT MITTAL  
GENERAL MANAGER  
& GCFO



HARDEEP SINGH AHLUWALIA  
MANAGING DIRECTOR  
& CEO (I/C)  
& EXECUTIVE DIRECTOR

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 11.05.2026

Place : Bengaluru  
Date : 11.05.2026

Restricted

तुलन पत्र यथा 31 मार्च 2026  
BALANCE SHEET AS AT 31<sup>st</sup> MARCH 2026

|                                                                                                               | अनुसूची<br>संख्या<br>Schedule<br>Number | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES</b>                                                             |                                         |                           |                           |
| पूंजी / CAPITAL                                                                                               | 1                                       | 1814 13 03                | 1814 13 03                |
| आरक्षित निधियां और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS                                                              | 2                                       | 111568 48 36              | 98085 97 66               |
| जमा / DEPOSITS                                                                                                | 3                                       | 1568678 14 84             | 1429862 17 65             |
| उधार / BORROWINGS                                                                                             | 4                                       | 155287 67 97              | 116686 11 81              |
| अन्य देयताएं व प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS                                                    | 5                                       | 45853 44 86               | 38237 18 22               |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                            |                                         | <b>1883201 89 06</b>      | <b>1684685 58 37</b>      |
| <b>आस्तियां / ASSETS</b>                                                                                      |                                         |                           |                           |
| भारतीय रिजर्व बैंक में नकद और शेष<br>CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA                               | 6                                       | 54053 89 65               | 89998 56 75               |
| बैंकों में शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि<br>BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE | 7                                       | 152249 44 04              | 115341 60 89              |
| निवेश / INVESTMENTS                                                                                           | 8                                       | 403414 58 28              | 382179 38 16              |
| अग्रिम / ADVANCES                                                                                             | 9                                       | 1220017 46 90             | 1049155 01 97             |
| अचल आस्तियां / FIXED ASSETS                                                                                   | 10                                      | 10570 43 62               | 10215 14 94               |
| अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS                                                                                  | 11                                      | 42896 06 57               | 37795 85 66               |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                            |                                         | <b>1883201 89 06</b>      | <b>1684685 58 37</b>      |
| आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES                                                                      | 12                                      | 575430 96 17              | 381622 82 30              |
| वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION                                                                       |                                         | 29504 24 45               | 27020 09 32               |

चिराग कुमार आर अमीन  
मंडल प्रबंधक

शेख मोहम्मद वसीम  
सहायक महाप्रबंधक

दीपक कुमार जेना  
सहायक महाप्रबंधक

आर महेंद्रन  
सहायक महाप्रबंधक

अमित मित्तल  
महाप्रबंधक एवं जीसीएफओ

सुनील कुमार चुध  
कार्यपालक निदेशक

एस के मजूमदार  
कार्यपालक निदेशक

भवेंद्र कुमार  
कार्यपालक निदेशक

हरदीप सिंह अहलवालिया  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) एवं कार्यपालक निदेशक

प्रशांत कुमार गोयल  
निदेशक

रोहित पी. दास  
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी  
निदेशक

गुंजीत सिंह पट्ट  
निदेशक

बालकृष्ण राघवेंद्र राव  
निदेशक

हमारी यथा तिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते के बैंकटचलम अय्यर  
एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 004610S  
(ए गोपालकृष्णन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 018159

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 108846W  
(दबीर सुधीर दिवाकराव)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 035810

कृते अबर्ना और अनंतन  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 000003S  
(ललिता रामेश्वरन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 207867

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 001537C  
(अनिल गोयल)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 071158

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 303002E  
(चंद्र भूषण डे)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 053126

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 11.05.2026

## यथा 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2026

|                                                                                | अनुसूची<br>संख्या<br>Schedule<br>Number | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>I. आय / INCOME</b>                                                          |                                         |                           |                           |
| अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED                                                 | 13                                      | 126366 16 81              | 119755 06 90              |
| अन्य आय / OTHER INCOME                                                         | 14                                      | 2683 803 72               | 22452 80 27               |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                             |                                         | <b>153204 20 53</b>       | <b>142207 87 17</b>       |
| <b>II. व्यय / EXPENDITURE</b>                                                  |                                         |                           |                           |
| व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED                                        | 15                                      | 89155 92 80               | 82683 11 28               |
| परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES                                              | 16                                      | 31029 70 55               | 28134 49 54               |
| प्रावधान और आकस्मिक व्यय / PROVISIONS AND CONTINGENCIES                        |                                         | 13831 90 06               | 14363 59 23               |
| <b>कुल / Total</b>                                                             |                                         | <b>134017 53 41</b>       | <b>125181 20 05</b>       |
| <b>III. अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)<br/>NET PROFIT / (LOSS) FOR THE YEAR</b> |                                         | <b>19186 67 12</b>        | <b>17026 67 12</b>        |
| <b>IV. निम्नलिखित को अंतरित / TRANSFERS TO</b>                                 |                                         |                           |                           |
| सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE                                      |                                         | 4796 66 78                | 4256 66 78                |
| आरक्षित पूंजी निधि / CAPITAL RESERVE                                           |                                         | 1682 59 30                | 478 79 42                 |
| निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि<br>INVESTMENT FLUCTUATION RESERVES               |                                         | 309 97 18                 | 293 58 83                 |
| विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE                                           |                                         | 1000 00 00                | 1000 00 00                |
| प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND                                          |                                         | 3809 67 35                | 3628 26 05                |
| लाभ/(हानि) शेष / BALANCE OF PROFIT/(LOSS)                                      |                                         | 7587 76 51                | 7369 36 04                |
| <b>कुल / Total</b>                                                             |                                         | <b>19186 67 12</b>        | <b>17026 67 12</b>        |
| लेखांकन नीतियां / ACCOUNTING POLICIES                                          | 17                                      |                           |                           |
| खातों पर टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS                                        | 18                                      |                           |                           |
| प्रति शेयर आय / EARNINGS PER SHARE                                             |                                         | 21.15                     | 18.77                     |

CHIRAGKUMAR R AMIN  
DIVISIONAL MANAGER

SHEIKH MOHD. WASEEM  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

R MAHENDRAN  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

AMIT MITTAL  
GENERAL MANAGER & GCFO

SUNIL KUMAR CHUGH  
EXECUTIVE DIRECTOR

S K MAJUMDAR  
EXECUTIVE DIRECTOR

BHAVENDRA KUMAR  
EXECUTIVE DIRECTOR

HARDEEP SINGH AHLUWALIA  
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER (I/C) AND EXECUTIVE DIRECTOR

PARSHANT KUMAR GOYAL  
DIRECTOR

ROHIT P. DAS  
DIRECTOR

ABHA SINGH YADUVANSHI  
DIRECTOR

GUNJEET SINGH PANNU  
DIRECTOR

BALAKRISHNA RAGHAVENDRA RAO  
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For K VENKATACHALAM  
AIYER & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 0046105

For RODI DABIR & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 108846W

For ABARNA & ANANTHAN  
Chartered Accountants  
FRN : 0000035

For S R GOYAL & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 001537C

For M C BHANDARI & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 303002E

(A GOPALAKRISHNAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 018159

(DABIR SUDHIR  
DIWAKARRAO)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 039984

(LALITHA RAMESWARAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 207867

(ANIL GOYAL)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 071158

(CHANDRA BHUSAN DEY)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 053126

Place : Bengaluru  
Date : 11.05.2026

यथा 31.03.2026 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां  
SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                                                          | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL</b>                                                                                                          |                           |                           |
| I. प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital                                                                                                                  | 3000 00 00                | 3000 00 00                |
| (प्रत्येक ₹2/- प्रति शेयर के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर) / (1500,00,00,000 Equity Shares of ₹2/- each)                                                  |                           |                           |
| II. निर्गमित अभिदत्त, और प्रदत्त: / Issued,Subscribed and Paid-up:                                                                                       |                           |                           |
| i) केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹2/- प्रति शेयर के 570,85,48,390 इक्विटी शेयर।                                                                              | 1141 70 97                | 1141 70 97                |
| i) 570,85,48,390 Equity Shares of ₹2/- each held by Central Government                                                                                   |                           |                           |
| ii) अन्य द्वारा धारित ₹2/- प्रति शेयर के 336,21,02,870 इक्विटी शेयर।                                                                                     | 672 42 06                 | 672 42 06                 |
| ii) 336,21,02,870 Equity Shares of ₹2/- each held by other.                                                                                              |                           |                           |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                                       | <b>1814 13 03</b>         | <b>1814 13 03</b>         |
| <b>अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS</b>                                                                         |                           |                           |
| <b>सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE</b>                                                                                                         |                           |                           |
| I. (बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के संदर्भ में <b>Restricted</b><br>(Reserve Fund in terms of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949) |                           |                           |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE                                                                                                                          | 23687 36 92               | 19430 70 14               |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add:Additions during the year                                                                                           | 4796 66 78                | 4256 66 78                |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / Less: Deductions during the year                                                                                         |                           |                           |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                       | <b>28484 03 70</b>        | <b>23687 36 92</b>        |
| <b>II. पूंजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE</b>                                                                                                          |                           |                           |
| <b>क/अ पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / REVALUATION RESERVE</b>                                                                                             |                           |                           |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE                                                                                                                          | 6449 83 53                | 9104 30 79                |
| जोड़ें: अवधि के दौरान पुनर्मूल्यांकन / Add : Revaluation during the year                                                                                 | 28 32                     | 10 84                     |
| घटाएं: कटौती और राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित /<br>Less : Deductions & Transferred to Revenue Reserve                                                   | 26 17 99                  | 2654 58 10                |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                       | <b>6423 93 86</b>         | <b>6449 83 53</b>         |
| <b>ख. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि</b>                                                                                                            |                           |                           |
| <b>b. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE</b>                                                                                                           |                           |                           |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE                                                                                                                          | (26 75 27)                | (47 87 50)                |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the year                                                                                         | 141 16 55                 | 21 12 23                  |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / Less: Deductions during the year                                                                                         | 0                         | 0                         |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                       | <b>114 41 28</b>          | <b>(26 75 27)</b>         |

## यथा 31.03.2026 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                                                                          | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ग./c. समामेलित आरक्षित निधि / AMALGAMATION RESERVE</b>                                                                                                                |                           |                           |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE                                                                                                                                          | 2240 69 47                | 2240 69 47                |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                                                          | 0                         |                           |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                                                         | 0                         |                           |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                       | <b>2240 69 47</b>         | <b>2240 69 47</b>         |
| <b>घ./d. अन्य / OTHERS</b>                                                                                                                                               |                           |                           |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE                                                                                                                                          | 5438 86 00                | 4960 06 58                |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                                                          | 1682 59 30                | 478 79 42                 |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                                                         |                           |                           |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                       | <b>7121 45 30</b>         | <b>5438 86 00</b>         |
| <b>III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM</b>                                                                                                                                 |                           |                           |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE                                                                                                                                          | 13919 00 82               | 13919 00 82               |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                                                          | 0                         | 0                         |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                                                         | 0                         |                           |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                       | <b>13919 00 82</b>        | <b>13919 00 82</b>        |
| <b>IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / REVENUE AND OTHER RESERVES</b>                                                                                                       |                           |                           |
| <b>क/अ आरक्षित राजस्व / REVENUE RESERVE</b>                                                                                                                              |                           |                           |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE                                                                                                                                          | 12020 39 24               | 11992 48 02               |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD : ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                                                         | 26 17 99                  | 27 91 22                  |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                                                         | 0                         | 0                         |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                       | <b>12046 57 23</b>        | <b>12020 39 24</b>        |
| <b>ख/ब विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE</b><br>{आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (9)(viii) के संदर्भ में}{In terms of Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961} |                           |                           |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE                                                                                                                                          | 9386 46 92                | 8386 46 92                |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD : ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                                                         | 1000 00 00                | 1000 00 00                |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                                                         | 0                         | 0                         |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                       | <b>10386 46 92</b>        | <b>9386 46 92</b>         |
| <b>ग/क समामेलित आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE</b>                                                                                                        |                           |                           |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE                                                                                                                                          | 1626 65 39                | 1333 06 56                |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD : ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                                                         | 309 97 18                 | 293 58 83                 |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                                                         | 0                         | 0                         |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                       | <b>1936 62 57</b>         | <b>1626 65 39</b>         |



यथा 31.03.2026 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां  
SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                    | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| घ/d सामान्य आरक्षित निधि-प्रारंभिक शेष / GENERAL RESERVE           | 3689 12 67                | 581 16 40                 |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE PERIOD  | 1 08                      | 3697 03 24                |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE PERIOD | 11 36                     | 589 06 97                 |
| कुल / Total                                                        | 3689 02 39                | 3689 12 67                |
| झ/e एफएस रिजर्व / AFS RESERVE                                      | 404 33 75                 | 0                         |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE PERIOD  | 691 42 96                 | 546 65 96                 |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE PERIOD | 2727 26 60                | 142 32 21                 |
| कुल / Total                                                        | (1631 49 89)              | 404 33 75                 |
| V लाभ और हानि खाते में शेष / BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT    |                           |                           |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE                                    | 19249 98 21               | 11880 62 17               |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD : ADDITIONS DURING THE YEAR   | 19186 67 12               | 17026 67 12               |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR   | 11598 90 62               | 9657 31 08                |
| कुल / Total                                                        | 26837 74 71               | 19249 98 21               |
| कुल / TOTAL                                                        | 111568 48 36              | 98085 97 66               |

## यथा 31.03.2026 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                                                                                                                        | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS</b>                                                                                                                                                                         |                           |                           |
| <b>क./A.I. मांग जमा / DEMAND DEPOSITS</b>                                                                                                                                                                              |                           |                           |
| i. बैंक से / FROM BANKS                                                                                                                                                                                                | 300 18 53                 | 236 65 50                 |
| ii. अन्य से / FROM OTHERS                                                                                                                                                                                              | 619945920                 | 77678 30 78               |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>62294 77 73</b>        | <b>77914 96 28</b>        |
| <b>II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS</b>                                                                                                                                                                        | 366582 48 53              | 337135 41 70              |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>366582 48 53</b>       | <b>337135 41 70</b>       |
| <b>III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS</b>                                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| i. बैंक से / FROM BANKS                                                                                                                                                                                                | 130449 96 16              | 98129 95 41               |
| ii. अन्य से / FROM OTHERS                                                                                                                                                                                              | 1009350 92 42             | 916681 84 26              |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1139800 88 58</b>      | <b>1014811 79 67</b>      |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1568678 14 84</b>      | <b>1429862 17 65</b>      |
| <b>ख./B. शाखाओं की जमा राशि / DEPOSITS OF BRANCHES</b>                                                                                                                                                                 |                           |                           |
| i. भारत में / IN INDIA                                                                                                                                                                                                 | 1436904 66 00             | 1331137 02 69             |
| ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA                                                                                                                                                                                       | 131773 48 84              | 98725 14 96               |
| <b>कुल / Total*</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1568678 14 84</b>      | <b>1429862 17 65</b>      |
| *जमा राशि में ₹87,33,95,803 हजार की धारणाधिकार जमा राशि शामिल है (पिछले वर्ष यह ₹64,44,81,415 हजार थी) / *The Deposits include lien marked Deposits of ₹87,33,95,803 thousands (Previous Year ₹64,44,81,415 thousands) |                           |                           |
| <b>अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS</b>                                                                                                                                                                      |                           |                           |
| <b>I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA</b>                                                                                                                                                                          |                           |                           |
| i. भारतीय रिजर्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA                                                                                                                                                                          | 38000 00 00               | 9000 00 00                |
| ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS                                                                                                                                                                                            | 26072 87 85               | 1311 91 74                |
| iii. अन्य संस्थान और एजेंसियां / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES                                                                                                                                                       | 13863 28 03               | 19480 87 62               |
| iv. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बांड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS<br>(टियर I और II पूंजी और इन्फ्रा बांड के लिए गौण ऋण)<br>(SUB-ORDINATED FOR TIER I & II CAPITAL AND INFRA BONDS)                                         | 54403 00 00               | 52989 10 00               |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>132339 15 88</b>       | <b>82781 89 36</b>        |
| <b>II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA</b>                                                                                                                                                                |                           |                           |
| i. अन्य बैंक / OTHER BANKS                                                                                                                                                                                             | 20103 47 09               | 31339 97 45               |
| ii. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बांड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS                                                                                                                                                          | 2845 05 00                | 2564 25 00                |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>22948 52 09</b>        | <b>33904 22 45</b>        |
| <b>कुल उधार / TOTAL BORROWINGS</b>                                                                                                                                                                                     | <b>155287 67 97</b>       | <b>116686 11 81</b>       |

यथा 31.03.2026 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां  
SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                                                                                                                           | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                           |                           |
| I. देय बिल / BILLS PAYABLE                                                                                                                                                                                                | 3219 98 29                | 2572 54 14                |
| II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)                                                                                                                                                          |                           | -                         |
| III. उपचित ब्याज/ INTEREST ACCRUED                                                                                                                                                                                        | 9632 39 43                | 9223 21 42                |
| IV. आस्थगित कर देयता / DEFERRED TAX LIABILITY                                                                                                                                                                             | -                         | -                         |
| V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)*                                                                                                                                                                  | 33001 07 14               | 26441 42 66               |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>45853 44 86</b>        | <b>38237 18 22</b>        |
| * मानक परिसंपत्तियों के लिए विवेकपूर्ण प्रावधान ₹47935972/- हजार (पिछले वर्ष ₹37854272/- हजार) शामिल है। / * Includes prudential provision for Standard Assets ₹47935972/- thousand (Previous Year ₹37854272/- thousands) |                           |                           |
| <b>अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद और शेष<br/>SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>                                                                                                    |                           |                           |
| I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND<br>(विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (Including Foreign Currency Notes)                                                                                                                              | 3291 45 38                | 3161 22 62                |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA                                                                                                                                                     |                           |                           |
| चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT                                                                                                                                                                                        | 50762 44 27               | 86837 34 13               |
| अन्य खातों में / IN OTHER ACCOUNTS                                                                                                                                                                                        |                           |                           |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>50762 44 27</b>        | <b>86837 34 13</b>        |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>54053 89 65</b>        | <b>89998 56 75</b>        |
| <b>अनुसूची 7 - बैंकों में शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि<br/>SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT<br/>CALL AND SHORT NOTICE</b>                                                                     |                           |                           |
| I. भारत में / IN INDIA                                                                                                                                                                                                    |                           |                           |
| i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS                                                                                                                                                                                    |                           |                           |
| क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS                                                                                                                                                                                | 4944 22 86                | 5751 69 57                |
| ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS                                                                                                                                                                      |                           |                           |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>4944 22 86</b>         | <b>5751 69 57</b>         |
| ii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE                                                                                                                                                  |                           |                           |
| क. बैंकों में / a. WITH BANKS                                                                                                                                                                                             | 22043 69 87               | 29616 44 60               |
| ख. अन्य संस्थानों में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS                                                                                                                                                                        | 853 51 50                 | 3290 78 75                |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>22897 21 37</b>        | <b>32907 23 35</b>        |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>27841 44 23</b>        | <b>38658 92 92</b>        |
| II. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA                                                                                                                                                                                          |                           |                           |
| i. चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNTS                                                                                                                                                                                   | 45563 26 66               | 40967 59 52               |
| ii. अन्य जमा खातों में / IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS                                                                                                                                                                        | 62333 95 18               | 24133 22 20               |
| iii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE                                                                                                                                                 | 16510 77 97               | 11581 86 25               |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>124407 99 81</b>       | <b>76682 67 97</b>        |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>152249 44 04</b>       | <b>115341 60 89</b>       |

## यथा 31.03.2026 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                            | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS</b>                                                        |                           |                           |
| I. <b>भारत में निवेश: सकल:</b><br>INVESTMENTS IN INDIA: GROSS                                              | 401213 21 03              | 381292 22 35              |
| घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान<br>LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION & NPI                        | 2131 57 24                | 2486 65 59                |
| <b>भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA</b>                                                       | <b>399081 63 79</b>       | <b>378805 56 76</b>       |
| i. सरकारी प्रतिभूतियां / GOVERNMENT SECURITIES                                                             | 360445 13 21              | 349355 42 00              |
| ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / OTHER APPROVED SECURITIES                                                 | 103 61 20                 | 93 59 78                  |
| iii. शेयर / SHARES                                                                                         | 4813 22 18                | 4559 60 83                |
| iv. डिबेंचर और बांड / DEBENTURES AND BONDS                                                                 | 11486 48 02               | 10863 65 40               |
| v. अनुषंगी कंपनियां और / या संयुक्त उद्यम<br>SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES                          | 1324 97 70                | 1483 37 18                |
| vi. अन्य - म्युचुअल फंड, सीपी, सीडी आदि,<br>OTHERS - MUTUAL FUNDS, CP, CD, ETC.                            | 20908 21 48               | 12449 91 57               |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                         | <b>399081 63 79</b>       | <b>378805 56 76</b>       |
| परिपक्वता तक धारित / HELD TO MATURITY                                                                      | 314582 71 35              | 301806 98 29              |
| बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE                                                                  | 61412 93 76               | 55931 56 23               |
| व्यापार के लिए धारित लाभ और हानि के / FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS                                   | 19180 62 38               | 16768 69 65               |
| माध्यम से उचित मूल्य / HELD FOR TRADING                                                                    | 2580 38 60                | 2814 95 40                |
| अनुषंगी कंपनियां और / या संयुक्त उद्यम / SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES                              | 1324 97 70                | 1483 37 19                |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                         | <b>399081 63 79</b>       | <b>378805 56 76</b>       |
| II. <b>भारत के बाहर निवेश - सकल</b><br>INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS                                   | 4332 94 49                | 3373 81 40                |
| घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान<br>LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION & NPI                        |                           |                           |
| <b>भारत के बाहर निवल निवेश</b><br><b>NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA</b>                                     | <b>4332 94 49</b>         | <b>3373 81 40</b>         |
| i. सरकारी प्रतिभूतियां / GOVERNMENT SECURITIES<br>(स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES) | 197 88 93                 | 153 39 06                 |
| ii. अनुषंगी कंपनियां और / या संयुक्त उद्यम<br>SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES                         | 47 41 75                  | 93 08 63                  |
| iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS                                                                        | 4087 63 81                | 3127 33 71                |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                         | <b>4332 94 49</b>         | <b>3373 81 40</b>         |
| परिपक्वता तक धारित / HELD TO MATURITY                                                                      | 197 88 93                 | 153 39 06                 |
| बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE                                                                  | 4040 03 41                | 3084 41 01                |
| व्यापार के लिए धारित लाभ और हानि के / FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS                                   | 47 60 41                  | 42 92 71                  |
| माध्यम से उचित मूल्य / HELD FOR TRADING                                                                    |                           |                           |
| अनुषंगी कंपनियां और / या संयुक्त उद्यम / SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES                              | 47 41 74                  | 93 08 62                  |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                         | <b>4332 94 49</b>         | <b>3373 81 40</b>         |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                         | <b>403414 58 28</b>       | <b>382179 38 16</b>       |

यथा 31.03.2026 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां  
SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                  | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES</b>                                                                |                           |                           |
| क./A. i. खरीदे गए और भुनाए गए बिल<br>BILLS PURCHASED & DISCOUNTED                                                | 19004 41 50               | 19135 43 78               |
| ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर ऋण की चुकौती<br>CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND    | 563649 48 66              | 446766 50 11              |
| iii. मीयादी ऋण / TERM LOANS                                                                                      | 637363 56 74              | 583253 08 08              |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                               | <b>1220017 46 90</b>      | <b>1049155 01 97</b>      |
| ख./B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूतित / SECURED BY TANGIBLE ASSETS<br>(बही ऋण सहित) / (INCLUDING BOOK DEBTS) | 95276 703 69              | 774784 32 85              |
| ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूतित<br>COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES                              | 58836 28 38               | 48363 48 52               |
| iii. प्रतिभूतित रहित / UNSECURED                                                                                 | 208414 14 83              | 226007 20 60              |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                               | <b>1220017 46 90</b>      | <b>1049155 01 97</b>      |
| ग./C. I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA                                                                     |                           |                           |
| i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR                                                                          | 498479 20 58              | 431553 07 44              |
| ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR                                                                            | 33887 87 05               | 78162 63 94               |
| iii. बैंक / BANKS                                                                                                | 1 22 38                   | 29 63 70                  |
| iv. अन्य / OTHERS                                                                                                | 611599 85 36              | 475068 92 46              |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                               | <b>1143968 15 37</b>      | <b>984814 27 54</b>       |
| II. भारत के बाहर में अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA                                                             |                           |                           |
| III. बैंक से देय / DUE FROM BANKS                                                                                | 30423 55 06               | 23471 22 05               |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                               | <b>30423 55 06</b>        | <b>23471 22 05</b>        |
| III. अन्य से देय / DUE FROM OTHERS                                                                               |                           |                           |
| i. खरीदे और भुनाए गए बिल / BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED                                                        | 41256 81 65               | 30373 29 20               |
| ii. सामूहिक ऋण / SYNDICATED LOANS                                                                                | 4368 94 82                | 10496 23 18               |
| iii. अन्य / OTHERS                                                                                               | 45625 76 47               | 40869 52 38               |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                               | <b>76049 31 53</b>        | <b>64340 74 43</b>        |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                               | <b>1220017 46 90</b>      | <b>1049155 01 97</b>      |

## यथा 31.03.2026 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                       | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS</b>                                                         |                           |                           |
| <b>I. परिसर / PREMISES</b>                                                                                            |                           |                           |
| पिछली तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर<br>AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET                        | 8793 92 27                | 11748 18 80               |
| अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                    | 8 58 97                   | 263 20 16                 |
|                                                                                                                       | <b>8802 51 24</b>         | <b>12011 38 96</b>        |
| वर्ष के दौरान किए गए पुनर्मूल्यांकन /<br>REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR                                            | 0                         | (3203 43 22)              |
| वर्ष के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                   | 51 40                     | 14 03 48                  |
|                                                                                                                       | <b>8801 99 84</b>         | <b>8793 92 27</b>         |
| अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE                                                                                | 1128 83 32                | 1081 36 33                |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                    | <b>7673 16 52</b>         | <b>7712 55 93</b>         |
| <b>II. अन्य अचल आस्तियां / OTHER FIXED ASSETS<br/>(फर्नीचर और फिक्स्चर सहित) (INCLUDING FURNITURE &amp; FIXTURES)</b> |                           |                           |
| पिछली तुलन-पत्र के अनुसार लागत पर<br>AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET                                                | 9370 15 70                | 8488 40 12                |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                    | 1349 21 28                | 1200 55 29                |
|                                                                                                                       | 10719 36 98               | 9688 95 41                |
| वर्ष के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                   | 655 63 97                 | 318 79 70                 |
|                                                                                                                       | <b>10063 73 01</b>        | <b>9370 15 70</b>         |
| अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE                                                                                | 7166 45 91                | 6867 56 70                |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                    | <b>2897 27 10</b>         | <b>2502 59 01</b>         |
| <b>III. पट्टे पर दी गई आस्तियां / LEASED ASSETS</b>                                                                   |                           |                           |
| पिछली तुलन-पत्र के अनुसार लागत पर<br>AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET                                                | 0.00                      | 71 77 29                  |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                    |                           | 0                         |
| वर्ष के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                   | 0                         | 71 77 29                  |
|                                                                                                                       | 0.00                      | 0.00                      |
| अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE                                                                                |                           |                           |
| घटाएं: पट्टागत आस्तियां समायोजन खाता<br>LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT                                       | 0                         | 0                         |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                    | <b>10570 43 62</b>        | <b>10215 14 94</b>        |



यथा 31.03.2026 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां  
SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                             | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS</b>                                                              |                           |                           |
| I. उपचित ब्याज-देय / INTEREST ACCRUED                                                                                       | 12724 96 05               | 11222 08 24               |
| II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर कर कटौती (निवल)<br>TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)                | 15198 97 55               | 16089 45 45               |
| III. लेखन सामग्री और स्टॉप / STATIONERY AND STAMPS                                                                          | 4 59 32                   | 3 48 97                   |
| IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां<br>NON-BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS         | 15 20                     | 15 68                     |
| V. अन्य / OTHERS                                                                                                            | 8124 56 23                | 4906 75 61                |
| VI. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER-OFFICE ADJUSTMENT (NET)                                                            | 3876 23 34                | 682 86 82                 |
| VII. आस्थगित कर आस्तियां / DEFERRED TAX ASSETS                                                                              | 2966 58 88                | 4891 04 89                |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                          | <b>42896 06 57</b>        | <b>37795 85 66</b>        |
| <b>अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं<br/>SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES</b>                                                |                           |                           |
| I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है<br>CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS | 21507 87 94               | 19688 02 23               |
| II. अंशतः प्रदत्त निवेश हेतु देयता<br>LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS                                                 | 44 00                     | 44 00                     |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं<br>LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS*         | 451563 18 61              | 275037 17 00              |
| IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी<br>GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS                                               |                           |                           |
| क./a. भारत में / IN INDIA                                                                                                   | 67911 99 39               | 60937 48 04               |
| ख./b. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA                                                                                          | 190 29 80                 | 175 42 22                 |
|                                                                                                                             | 68102 29 19               | 61112 90 26               |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यतायें<br>ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS                             | 20883 35 56               | 16860 71 88               |
| VI. अन्य मद जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है<br>OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE             |                           |                           |
| क. पुनः भुनाए गए विनिमय बिल<br>a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED                                                            |                           |                           |
| ख. / b. अन्य / OTHERS                                                                                                       | 13373 80 87               | 8923 56 93                |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                          | <b>575430 96 17</b>       | <b>381622 82 30</b>       |

**यथा 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा  
का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां  
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT  
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2026**

|                                                                                                                                                                                                                                            | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED</b>                                                                                                                                                                           |                           |                           |
| I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट<br>INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS                                                                                                                                                        | 93247 55 38               | 87789 29 99               |
| II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS                                                                                                                                                                                                  | 25121 75 51               | 24595 57 40               |
| III. आरबीआई और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज<br>INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER-BANK FUNDS                                                                                                                    | 5928 17 96                | 4661 46 97                |
| IV. अन्य / OTHERS                                                                                                                                                                                                                          | 2068 67 96                | 2708 72 54                |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>126366 16 81</b>       | <b>119755 06 90</b>       |
| <b>अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME</b>                                                                                                                                                                                   |                           |                           |
| I. कमीशन, विनिमय और दलाली<br>COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE                                                                                                                                                                            | 2138 83 82                | 2052 13 16                |
| II. निवेश की विक्रय पर लाभ - निवल<br>PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS - NET                                                                                                                                                                   | 3891 41 69                | 2264 80 48                |
| III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)<br>PROFIT / (LOSS) ON REVALUATION OF INVESTMENTS                                                                                                                                              | 1429 24 66                | 400 92 59                 |
| IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ<br>PROFIT ON SALE OF LAND / BUILDINGS AND OTHER ASSETS                                                                                                                                  | (71 61 39)                | 2 26 96                   |
| V. विनिमय लेन-देन से लाभ - निवल<br>PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS - NET                                                                                                                                                                   | 1471 34 35                | 828 45 23                 |
| VI. विदेश में / भारत में अनुषंगी कंपनियों / कंपनियों और /<br>या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय<br>INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND, ETC.<br>FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES AND/OR<br>JOINT VENTURES ABROAD / IN INDIA | 111 91 89                 | 115 37 64                 |
| VII. अन्य / MISCELLANEOUS INCOME                                                                                                                                                                                                           | 17866 88 70               | 16788 84 21               |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>26838 03 72</b>        | <b>22452 80 27</b>        |

यथा 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा  
का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां  
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT  
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2026

|                                                                                                                            | 31.03.2026<br>(₹ in '000) | 31.03.2025<br>(₹ in '000) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज</b><br><b>SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED</b>                                          |                           |                           |
| I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS                                                                                     | 79997 32 55               | 74409 26 41               |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक / उधारों पर ब्याज<br>INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA /<br>INTER-BANK BORROWINGS      | 4853 23 71                | 4270 54 06                |
| III. अन्य / OTHERS                                                                                                         | 4305 36 54                | 4003 30 81                |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                         | <b>89155 92 80</b>        | <b>82683 11 28</b>        |
| <b>अनुसूची 16 - परिचालन व्यय</b><br><b>SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES</b>                                                |                           |                           |
| I. भुगतान और कर्मचारियों के लिए प्रावधान<br>PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES                                       | 19265 99 71               | 17856 08 70               |
| II. किराया, कर, लाइटिंग / RENT, TAXES, LIGHTING                                                                            | 1231 07 93                | 1084 84 88                |
| III. प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी / PRINTING AND STATIONERY                                                                      | 151 02 93                 | 160 85 25                 |
| IV. विज्ञापन और प्रचार प्रसार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY                                                                | 156 52 83                 | 143 49 21                 |
| V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास / DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY                                                           | 917 36 23                 | 837 19 49                 |
| VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय<br>DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES                                           | 2 31 35                   | 2 60 36                   |
| VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)<br>AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS) | 100 64 30                 | 71 54 07                  |
| VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES                                                                                            | 255 45 90                 | 227 73 55                 |
| IX. डाक, तार, दूरभाष आदि<br>POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.                                                            | 53 92 87                  | 82 88 79                  |
| X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE                                                                            | 1263 72 50                | 944 23 91                 |
| XI. बीमा / INSURANCE                                                                                                       | 1853 16 19                | 1563 67 58                |
| XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE                                                                                         | 5778 47 81                | 5159 33 75                |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                         | <b>31029 70 55</b>        | <b>28134 49 54</b>        |
| <b>कुल आय / Total Income</b>                                                                                               | <b>153204 20 53</b>       | <b>142207 87 16</b>       |
| <b>कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE</b>                                                                                        | <b>120185 63 36</b>       | <b>110817 60 84</b>       |
| <b>व्यय पर आय की अधिकता / EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE</b>                                                            | <b>33018 57 17</b>        | <b>31390 26 32</b>        |

## अनुसूची - 17

### स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के

### 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### 1. तैयार करने का आधार

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है तथा वे अन्यथा सूचित को छोड़कर कार्यशील संस्थागत आधार पर लेखांकन के उपचय के आधार पर हैं। वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें सांवधिक प्रावधानों व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रावधान, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट नियामक मानदंड दिशानिर्देश और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित देशों में प्रचलित प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया गया है।

#### अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनानी पड़ती हैं, जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय और आकस्मिक देयताओं के प्रकटन के विवरण की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और धारणाएं उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में लागू माना जाएगा, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

#### 2. विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा परिवर्तन

- 2.1 प्रारंभिक तौर पर विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को कल्पित दर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित दर पर पुनः वर्णित किया गया है। पुनः वर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दर पर लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।

## SCHEDULE - 17

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2026

#### 1. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act – 1949, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

#### Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

#### 2. Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

- 2.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by 'Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit and Loss Account.

**2.2** विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेन एवं शेष को अभिन्न विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देन तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है। भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में आस्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण उपलब्ध विदेशी विनिमय दर पर घोषित किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक 11- “विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के प्रभाव” के अनुरूप एवं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के अनुसार, उक्त मानकों के अनुपालन के संदर्भ में फेडआई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर अंतरित किया जाता है।

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा / नामे किया जाता है।

### 2.3 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या छूट को संविदा पर होनेवाले व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या छूट सहित असामयिक रद्द किए जाने पर होनेवाले लाभ / हानि यदि हैं तो, उसको समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडआई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

## 3. निवेश

### 3.1 निवेश

बैंक के निवेश का संवर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक - निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश, 2025 (“मुख्य दिशा-निर्देश”) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग को निम्नवत श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात् ‘परिपक्वता के लिए धारित’ (एचटीएम), ‘बिक्री के लिए धारित’ (एफएस), ‘लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य’ (एफवीटीपीएल) और ‘अनुषंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां’। व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

**2.2** Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank on a quarterly basis. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers’ Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 - “The effect of Changes in Foreign Exchange rates” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard.

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

### 2.3 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit/ Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

## 3. Investments

### 3.1 Investments

The Bank’s investment portfolio is classified as per master directions of RBI Commercial Bank - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Directions, 2025 (“Master Directions”). The entire investment portfolio of the Bank is classified under following categories viz. ‘Held to Maturity’ (HTM), ‘Available for Sale’ (AFS), ‘Fair value through Profit and Loss’ (FVTPL) and ‘Subsidiaries, Joint Ventures and Associates’.



एफवीटीपीएल के अंतर्गत एक अलग निवेश उपश्रेणी है। निवेश की श्रेणी अधिग्रहण से पहले या अधिग्रहण के समय तय की जाती है और इस निर्णय को विधिवत दस्तावेजीकृत किया जाता है।

निवेश को तुलन पत्र (अनुसूची - 8 - निवेश) में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है अर्थात् (क) सरकारी प्रतिभूतियां (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बॉण्ड (ङ) अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्था तथा (च) अन्य

निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने के लिए :

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मुख्य दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जो इस प्रकार हैं:

## [A] परिपक्वता के लिए धारित

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

- प्रतिभूति को परिपक्वता तक धारण करने के इरादे और उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाता है, अर्थात् वित्तीय आस्थियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के उद्देश्य से धारण किया जाता है; और
- प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज के भुगतान ('एसपीपीआई मानदंड') को जन्म देती हैं।

निम्नलिखित प्रतिभूतियों को जिस भी इरादे से अधिग्रहित किया गया हो, वे एसपीपीआई मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं और इसलिए एचटीएम या एएफएस के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं होंगी:

- ऐसे लिखत जिनमें अनिवार्य रूप से, वैकल्पिक रूप से या आकस्मिक रूप से परिवर्तनीय विशेषताएं हों।
- संविदात्मक हानि अवशोषण सुविधाओं वाले लिखत, जैसे कि बेसल III पूंजी विनियमों के तहत अतिरिक्त स्तर 1 और स्तर 2 के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले लिखत।
- ऐसे लिखत जिनके कूपन ब्याज की प्रकृति के नहीं होते हैं।
- वरीयता शेयर और इक्विटी शेयर।

इक्विटी ट्रेन्च के अलावा, सिक्यूरिटीकरण नोट्स में किए गए निवेश को एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाएगा यदि

Held for Trading (HFT) is a separate investment subcategory within FVTPL. The category of the investment is decided before or at the time of acquisition and this decision is properly documented.

Investments are disclosed in the Balance Sheet (Schedule-8—Investments) under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) subsidiaries, Joint Ventures & Associates and (f) Others.

The valuation of Investments is done in accordance with the Master Directions issued by the RBI as under:

## [A] HELD TO MATURITY

Securities that fulfil the following conditions are classified under HTM:

- The security is acquired with the intention and objective of holding it to maturity, i.e., the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows; and
- The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on principal outstanding ('SPPI criterion') on specified dates.

Notwithstanding the intent with which the following securities are acquired, they shall not meet the SPPI criteria and therefore shall not be eligible for classification either as HTM or AFS:

- Instruments with compulsorily, optionally or contingently convertible features.
- Instruments with contractual loss absorbency features such as those qualifying for Additional Tier 1 and Tier 2 under Basel III Capital Regulations.
- Instruments whose coupons are not in the nature of interest.
- Preference shares and Equity shares.

Investments in the securitization notes, other than the equity tranche, shall be considered to



जिस ट्रेंच में निवेश किया गया है वह निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है:

- वर्गीकरण के लिए मूल्यांकन की जा रही किश्त की संविदात्मक शर्तें (वित्तीय लिखतों के अंतर्निहित समूह को देखे बिना) ऐसे नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो पूरी तरह से मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान है।
- वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित समूह एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करता है।
- इस ट्रेंच का क्रेडिट जोखिम, आस्तियों के संयुक्त अंतर्निहित समूह के क्रेडिट जोखिम के बराबर या उससे कम है।

एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को प्रारंभिक मान्यता के बाद लागत मूल्य पर दर्ज किया जाता है और बाजार मूल्य (एमटीएम) पर मूल्यांकित नहीं किया जाता है। एचटीएम के तहत प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट या प्रीमियम, लिखत की शेष अवधि में परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित की गई राशि वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13: 'ब्याज अर्जित' के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत अनुसूची 8: 'निवेश' में प्रतिरूप के साथ दर्शाई जाती है।

एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियां लागू आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन हैं।

#### [B] बिक्री के लिए उपलब्ध

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों को एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

- यह प्रतिभूति एक ऐसे उद्देश्य से अधिग्रहित की जाती है जिसे संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है; और
- प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तें 'एसपीपीआई मानदंड' को पूरा करती हैं।

बशर्ते कि प्रारंभिक मान्यता पर, एक बैंक एएफएस के तहत व्यापार के उद्देश्य से धारित न किए गए इक्विटी लिखत को वर्गीकृत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुन सकता है।

व्यापार का उद्देश्य निम्नलिखित प्रयोजनों की पूर्ति करेगा:

- अल्पकालिक पुनर्विक्रय;
- अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ कमाना;

meet the SPPI criteria if the tranche in which the investment is made meets all the following conditions:

- The contractual terms of the tranche being assessed for classification (without looking through to the underlying pool of financial instruments) give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
- The underlying pool of financial instruments meet the SPPI criteria.
- The credit risk of the tranche is equal to or lower than the credit risk of the combined underlying pool of assets.

Securities held in HTM are carried at cost and not marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount are reflected in the financial statements under Item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

Securities under HTM are subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as applicable

#### [B] AVAILABLE FOR SALE

Securities that meet the following conditions are classified under AFS:

- The security is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities; and
- the contractual terms of the security meet the 'SPPI criterion'.

Provided that on initial recognition, a Bank may make an irrevocable election to classify an equity instrument that is not held with the objective of trading under AFS.

The objective of trading shall fulfil following purposes:

- Short-term resale;
- Profiting from short-term price movements;

(c) मध्यस्थता लाभ को सुरक्षित करना; या

(d) उपरोक्त (a), (b) या (c) को पूरा करने वाले लिखतों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बचाव करना।

एफएस प्रतिभूतियों में अन्य बातों के अलावा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) उद्देश्यों के लिए रखी गई ऋण प्रतिभूतियां शामिल होंगी जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करती हैं जहां बैंक का इरादा परिपक्वता तक रखने या परिपक्वता से पहले बेचने के संबंध में लचीला है।

एफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है। एफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर प्राप्त किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। परिशोधित की गई राशि को अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है, और अनुसूची 8: 'निवेश' में इसका प्रतिरूप दर्शाया जाता है।

एफएस के अंतर्गत रखे गए सभी लाभकारी निवेशों, चाहे उनका वर्गीकरण कुछ भी हो (जैसे सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, बांड और डिबेंचर आदि) में होने वाले मूल्य लाभ और हानि को एकत्रित किया जाता है। निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को लाभ-हानि खाते में डाले बिना सीधे एफएस रिजर्व नामक आरक्षित निधि में जमा या डेबिट किया जाता है।

एफएस के अंतर्गत प्रतिभूतियां आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी लागू मानदंडों के अधीन हैं। एफएस-रिजर्व को कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाता है। एफएस-रिजर्व में स्थानांतरित अप्राप्त लाभ, अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

एफएस श्रेणी के ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-रिजर्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एफएस रिजर्व से स्थानांतरित कर अनुसूची 14-अन्य आय के अंतर्गत मद II निवेशों की बिक्री पर लाभ के रूप में लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक मान्यता के समय एफएस के अंतर्गत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि एफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं की जाती है। इसके बजाय, ऐसा लाभ या हानि एफएस-रिजर्व से पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित की जाती है।

हम तुलन पत्र पर स्तर 3 निवेशों के उचित मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि खाते में दर्ज किए गए शुद्ध अप्राप्त लाभों में से लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त, लाभ और हानि खाते या एफएस-रिजर्व में दर्ज किए गए स्तर 3 निवेशों पर ऐसे शुद्ध अप्राप्त लाभों को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

(c) Locking in arbitrage profits; or

(d) Hedging risks that arise from instruments meeting (a), (b) or (c) above.

AFS securities will inter-alia include debt securities held for asset liability management (ALM) purposes that meet the SPPI criterion where the bank's intent is flexible with respect to holding to maturity or selling before maturity.

The securities held in AFS are fair valued on daily basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS are amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amounts are reflected in the financial statements under Item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS are aggregated. The net appreciation or depreciation are directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve without routing through the Profit & Loss Account.

Securities under AFS are subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as applicable. The AFS-Reserve is reckoned as Common Equity Tier (CET) 1. The unrealised gains transferred to AFS-Reserve are not available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.

Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under Item II 'Profit on Sale of Investments'

Add ' and S I caps under Schedule 14-Other Income. In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments are not transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss are transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

We will not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 investments on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 investments recognised in the Profit and Loss Account or in the AFS-Reserve are deducted from CET 1 capital.

बशर्ते कि यह खंड उन निवेशों पर लागू नहीं होगा जो एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करते हैं और पूंजी पर्याप्तता पर लागू नियामक निर्देशों के अनुसार क्रेडिट जोखिम के लिए 50% या उससे कम पर जोखिम भारित होने आवश्यक हैं। एफएस-रिजर्व में स्थानांतरित अवास्तविक लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

### [C] लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

- (a) वे प्रतिभूतियाँ जो एचटीएम या एफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:
  - (i) इक्विटी शेयर, सिवाय (क) अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयर और (ख) इक्विटी शेयर जहाँ प्रारंभिक मान्यता के समय, एफएस पर वर्गीकृत करने के अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया गया है।
  - (ii) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश निधि, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, अवसंरचना निवेश ट्रस्ट आदि में निवेश।
  - (iii) प्रतिभूतिकरण लेनदेन के इक्विटी हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश। वरिष्ठ और अन्य अधीनस्थ हिस्सों में किए गए निवेशों की समीक्षा एसपीपीआई मानदंड के अनुपालन के लिए आवश्यक होगी।
  - (iv) बॉन्ड, डिबेंचर आदि, जिनका भुगतान ब्याज दर के मानक के बजाय इक्विटी सूचकांक जैसे किसी विशेष सूचकांक में होने वाले उतार-चढ़ाव से जुड़ा होता है।

एफवीटीपीएल में धारित और एफवीटीपीएल के अंतर्गत एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन से उत्पन्न निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाता है।

एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर प्राप्त किसी भी छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। परिशोधित की गई राशि अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाएगी, और इसके विपरीत अनुसूची 8: 'निवेश' में दर्शाई जाएगी।

एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ लागू आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन हैं।

बैंक केवल उन्हीं वित्तीय लिखतों को एचएफटी में शामिल करेंगे जब उन्हें बेचने या पूरी तरह से बचाव करने के खिलाफ कोई कानूनी बाधा न हो।

Provided that this clause will not apply to investments that meet the SPPI criteria and are required to be risk weighted at 50% or lower for credit risk as per applicable regulatory instructions on capital adequacy. The unrealized gains transferred to AFS-Reserve are not available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.

### [C] FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS

- (a) Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS are classified under FVTPL. These, inter-alia include:
  - (i) Equity shares, other than (a) equity shares of subsidiaries, associates or joint ventures and (b) equity shares where, at initial recognition, the irrevocable option to classify at AFS has been exercised.
  - (ii) Investments in Mutual Funds, Alternative Investment Funds, Real Estate Investment Trusts, Infrastructure Investment Trusts, etc.
  - (iii) Investment in securitisation notes which represent the equity tranche of a securitisation transaction. Investments in senior and other sub-ordinate tranches shall need to be reviewed for their compliance with SPPI criterion.
  - (iv) Bonds, debentures, etc., where the payment is linked to the movement in a particular index such as an equity index rather than an interest rate benchmark.

The securities held in FVTPL and classified under the HFT sub-category within FVTPL are fair valued and the net gain or loss arising on such valuation are directly credited or debited to the Profit and Loss Account.

Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL are amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount will reflect in the financial statements under Item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

Securities under FVTPL are subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as applicable.

Banks shall only include those financial instruments in HFT when there is no legal impediment against selling or fully hedging it.

कोई भी ऐसा लिखत जिसे बैंक निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए रखता है, जब उसे पहली बार बैंक के बहीखातों में दर्ज किया जाता है, तो उसे एचएफटी लिखत के रूप में नामित किया जाएगा।

- (a) अल्पकालिक पुनर्विक्रय;
- (b) अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ कमाना;
- (c) मध्यस्थता लाभ को सुरक्षित करना; या
- (d) उपरोक्त (a), (b) या (c) को पूरा करने वाले लिखतों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बचाव करना।

जब तक विशेष रूप से अन्यथा न कहा गया हो, निम्नलिखित लिखत एचएफटी में शामिल हैं।

- (a) सह-संबंध व्यापार पोर्टफोलियो में लिखत
- (b) ऐसे लिखत जो बैंकिंग बहीखाते में शुद्ध अल्प क्रेडिट या इक्विटी स्थिति को जन्म देंगे
- (c) अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले लिखत, जहां हामीदारी प्रतिबद्धताएं केवल प्रतिभूतियों की हामीदारी को संदर्भित करती हैं, और केवल उन प्रतिभूतियों से संबंधित होती हैं जिन्हें निपटान तिथि पर बैंक द्वारा वास्तव में खरीदा जाना अपेक्षित है।

निम्नलिखित लिखतों को एचएफटी श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा:

- (a) गैर-सूचीबद्ध इक्विटी और अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश;
- (b) प्रतिभूतिकरण भंडारण के लिए निर्दिष्ट लिखत;
- (c) रियल एस्टेट का प्रत्यक्ष स्वामित्व और रियल एस्टेट के प्रत्यक्ष स्वामित्व पर आधारित व्युत्पन्न;
- (d) किसी फंड में इक्विटी निवेश, जब तक कि बैंक निम्नलिखित में से कम से कम एक शर्त को पूरा नहीं करता है:
  - i. बैंक निधि के व्यक्तिगत घटकों की जांच करने में सक्षम है और निधि की संरचना के संबंध में एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापित पर्याप्त और नियमित जानकारी बैंक को प्रदान की जाती है; या
  - ii. बैंक को निधि के लिए दैनिक मूल्य उद्धरण प्राप्त होते हैं और उसे निधि के अधिदेश या ऐसी निवेश निधियों को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय नियमों में निहित जानकारी तक पहुंच प्राप्त होती है;
- (e) व्युत्पन्न उपकरण और निधियां जिनमें उपरोक्त (a) से (d) तक निर्दिष्ट प्रकार के लिखत अंतर्निहित आस्तियों के रूप में हैं; या

Any instrument that a Bank holds for one or more of the following purposes will when it is first recognised on its books, be designated as a HFT instrument

- (a) Short-term resale;
- (b) Profiting from short-term price movements;
- (c) Locking in arbitrage profits; or
- (d) Hedging risks that arise from instruments meeting (a), (b) or (c) above.

The following instruments are included in HFT, unless specifically otherwise provided

- (a) Instruments in the correlation trading portfolio
- (b) Instruments that would give rise to a net short credit or equity position in the banking book
- (c) Instruments resulting from underwriting commitments, where underwriting commitments refer only to securities underwriting, and relate only to securities that are expected to be actually purchased by the Bank on the settlement date.

The following instruments shall not be included in HFT category:

- (a) Unlisted equities and equity investments in subsidiaries, associates and joint ventures;
- (b) Instruments designated for securitisation warehousing;
- (c) Direct holding of real estate and derivatives on direct holdings of real estate;
- (d) Equity investments in a fund, unless the Bank meets at least one of the following conditions:
  - i. The Bank is able to look through the fund to its individual components and there is sufficient and frequent information, verified by an independent third party, provided to the Bank regarding the fund's composition; or
  - ii. The Bank obtains daily price quotes for the fund and it has access to the information contained in the fund's mandate or in the national regulations governing such investment funds;
- (e) Derivative instruments and funds that have instrument types specified from (a) to (d) above as underlying assets; or



- (f) ऊपर (a) से (e) तक निर्दिष्ट प्रकार के लिखतों में किसी स्थिति के एक विशेष जोखिम से बचाव करने के उद्देश्य से रखे गए लिखत।

जब तक विशेष रूप से अन्यथा प्रदान न किया गया हो, निम्नलिखित लिखतों को एचएफटी में माना जाएगा।

- (a) बाजार निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न लिखत;
- (b) किसी निधि में इक्विटी निवेश, उन निवेशों को छोड़कर जिन्हें एचएफटी को सौंपने से छूट प्राप्त है या
- (c) सूचीबद्ध इक्विटी।
- (d) व्यापार से संबंधित रेपो-शैली का लेनदेन; या

#### [D] अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए सभी निवेशों को विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात् ऐसे निवेशों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई जाती है जो अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से भिन्न होती है।

अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात् ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर रखे जाएंगे।

अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर प्राप्त कोई भी छूट या प्रीमियम, जो एसपीपीआई मानदंडों को पूरा करती हैं, को प्रतिभूति की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। परिशोधित राशि अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाएगी।

यदि किसी ऐसी इकाई में पहले से ही निवेश किया गया है जो अनुषंगी कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेश प्राप्त करने वाली इकाई अनुषंगी कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम बन जाती है, तो ऐसी निवेश प्राप्त करने वाली इकाई के अनुषंगी कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर संशोधित वहन मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

- (i) जहां निवेश एचटीएम के अंतर्गत रखा जाता है, वहां किसी भी स्थायी हानि को घटाने के बाद वहन मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा।
- (ii) जहां कोई निवेश एएफएस के तहत रखा जाता है, वहां एएफएस-रिजर्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ और

- (f) Instruments held for the purpose of hedging a particular risk of a position in the types of instruments specified from (a) to (e) above.

The following instruments shall be presumed to be in HFT unless specifically otherwise provided for:

- (a) Instruments resulting from market-making activities;
- (b) Equity investments in a fund excluding those exempted from assignment to HFT or
- (c) Listed equities.
- (d) Trading-related repo-style transaction; or

#### [D] SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures are held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures will be held at acquisition cost.

Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures, meeting SPPI criteria, are amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount will reflect in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned'.

In case where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associate or joint venture, the revised carrying value as at the date of such investee entity becoming a subsidiary, associate or joint venture are determined as under:

- (i) Where the investment is held under HTM, the carrying value less any permanent impairment will be the revised carrying value.
- (ii) Where an investment is held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS-Reserve are

हानि को रिवर्स किया जाता है और निवेश के वहन मूल्य के साथ-साथ निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी को समायोजित किया जाता है ताकि संशोधित वहन मूल्य प्राप्त किया जा सके।

(iii) जहां निवेश एफवीटीपीएल में किया जाता है, वहां निवेशित कंपनी के अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख पर उचित मूल्य को वहन मूल्य माना जाएगा।

(d) जब कोई निवेशित इकाई अनुषंगी कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाती है, तो निवेशों को निम्नलिखित अनुसार संबंधित श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है:

(i) जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार के लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) यदि निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, तो ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य ही संशोधित वहन मूल्य होगा। संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर, एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में क्रमशः एएफएस-आरक्षित और लाभ-हानि खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

किसी अनुषंगी कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण / बिक्री से प्राप्त कोई भी लाभ/ मुनाफा पहले लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है और फिर लाभ और हानि खाते से 'पूँजी आरक्षित खाते' में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार स्थानांतरित की गई राशि, कर और वैधानिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाने वाली राशि का निवल होती है।

### 3.2 प्रारंभिक मान्यता

सभी निवेशों का मूल्यांकन प्रारंभिक मान्यता के समय उचित मूल्य पर किया जाता है। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह संकेत न दें कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से काफी भिन्न है, तब तक यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है।

जिन परिस्थितियों में अनुमान की जांच की जाएगी उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(a) यह लेन-देन संबंधित पक्षों के बीच है।

reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.

(iii) Where an investment is held in FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming a subsidiary, associate or joint venture will be taken as the carrying value.

(d) When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments are reclassified to the respective category as under:

i) Where the investment is reclassified into HTM, there will be no change in the carrying value and consequently no accounting adjustment per se are required.

ii) Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification shall be the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value shall be transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.

Any gain / profit arising on the reclassification / sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture is first recognised in the Profit and Loss Account and then will be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amounts so appropriated are net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves.

### 3.2 Initial Recognition

All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it will be presumed that the acquisition cost is the fair value.

Situations where the presumption shall be tested include where:

(a) The transaction is between related parties.



- (b) यह लेन-देन दबाव में हो रहा है, जहां एक पक्ष को लेन-देन में तय कीमत स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
- (c) यह लेनदेन उस श्रेणी की प्रतिभूतियों के प्रमुख बाजार के बाहर किया जाता है।
- (d) अन्य परिस्थितियां, जहां पर्यवेक्षक की राय में, तथ्य और परिस्थितियां अनुमान की जाँच को उचित ठहराती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (जिसमें हस्तांतरण भी शामिल है), स्विच ऑपरेशन और ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) के माध्यम से अधिग्रहित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस कीमत पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है, वह प्रारंभिक मान्यता प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य होगी।

जहां प्रतिभूतियों का मूल्य सूचीबद्ध है या बाजार में देखे जा सकने वाले इनपुट (जैसे आय वक्र, क्रेडिट स्प्रेड आदि) के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया जा सकता है, वहां पहले दिन के लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में अनुसूची 14: 'अन्य आय' के अंतर्गत 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' उपशीर्षक के तहत मान्यता दी जाती है, जैसा भी मामला हो।

स्तर 3 निवेशों से होने वाली किसी भी प्रथम दिन की हानि को तुरंत मान्यता दी जाती है। स्तर 3 निवेशों से होने वाले किसी भी प्रथम दिन के लाभ को स्थगित कर दिया जाता है। ऋण लिखतों के मामले में, प्रथम दिन के लाभ को परिपक्वता तिथि (या स्थायी लिखतों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जबकि गैर-सूचीबद्ध इक्विटी लिखतों के मामले में, लाभ को प्रतिभूति के सूचीबद्ध होने या मान्यता रद्द होने तक एक देयता के रूप में अलग रखा जाता है।

#### श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण:

बैंक अपने निदेशक मंडल की स्वीकृति के बिना निवेश को विभिन्न श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) में पुनर्वर्गीकृत नहीं करेंगे। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक होगी।

पुनर्वर्गीकरण की तिथि से भविष्य में इसे लागू किया जाएगा।

#### एचटीएम से निवेश की बिक्री:

एचटीएम से होने वाली सभी बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार होती है। एचटीएम से होने वाली बिक्री का विवरण वित्तीय विवरणों के लेखा संबंधी नोटों में दिया जाता है। किसी भी वित्तीय वर्ष में, एचटीएम से बेची गई निवेशों का वहन मूल्य एचटीएम पोर्टफोलियो के प्रारंभिक वहन मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस सीमा से अधिक की किसी भी बिक्री के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक मंडल से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

- (b) The transaction is taking place under duress where one party is forced to accept the price in the transaction.
- (c) The transaction is done outside the principal market for that class of securities.
- (d) Other situations, where in the opinion of the supervisor, facts and circumstances warrant testing of the presumption.

In respect of Government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and Open Market Operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted will be the fair value for initial recognition purposes.

Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain/ loss are recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

Any Day 1 loss arising from Level 3 investments are recognised immediately. Any Day 1 gains arising from Level 3 investments will be deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain shall be amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain is set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

#### Reclassification between categories:

Banks will not reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of their Board of Directors. Further, reclassification will also require the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.

The reclassification is applied prospectively from reclassification date.

#### Sale of investments from HTM:

Any sales from HTM are as per a Board approved policy. Details of sales out of HTM are disclosed in the notes to accounts of the financial statements. In any financial year, the carrying value of investments sold out of HTM shall not exceed five per cent of the opening carrying value of the HTM portfolio. Any sale beyond this threshold shall require prior approval from DoS, RBI.

नीचे दी गई स्थितियों में प्रतिभूतियों की बिक्री पांच प्रतिशत की नियामक सीमा से बाहर रखी गई है:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालन जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को की गई बिक्री।
- बायबैक या स्विच ऑपरेशन के तहत भारत सरकार द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।
- राज्य सरकारों द्वारा बायबैक या स्विच ऑपरेशन के तहत राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद।
- जारीकर्ता द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, बायबैक या कॉल विकल्प का प्रयोग।
- क्रेडिट रेटिंग में गिरावट या प्रतिपक्ष द्वारा डिफॉल्ट के बाद गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों की बिक्री।
- वित्तीय संकट का सामना कर रहे उधारकर्ताओं के लिए तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत समाधान योजना के हिस्से के रूप में प्रतिभूतियों की बिक्री।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों की अतिरिक्त बिक्री।

एचटीएम में निवेश की बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को अनुसूची 14 के मद II: 'अन्य आय' के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर प्राप्त लाभ को लाभ और हानि खाते से 'पूंजी आरक्षित खाते' में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार स्थानांतरित की गई राशि, कर और वैधानिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर प्राप्त की जाती है।

## आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान:

### आय की पहचान:

- बैंक निम्नलिखित निवेशों के लिए उपार्जन आधार पर आय की पहचान करेंगे:
  - सरकारी प्रतिभूतियाँ, निगम निकायों के बांड और डिबेंचर, जहाँ इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हों और बशर्ते ब्याज का भुगतान नियमित रूप से किया जाता हो और वह बकाया न हो।

Sales of securities in the situations given below are excluded from the regulatory limit of five per cent:

- Sales to the RBI under liquidity management operations of RBI such as the Open Market Operations (OMO) and Government Securities Acquisition Programme (GSAP).
- Repurchase of Government Securities by Government of India from Banks under buyback or switch operations.
- Repurchase of State Development Loans by respective State Governments under buyback or switch operations.
- Repurchase, buyback or exercise of call option of non-SLR securities by the issuer.
- Sale of non-SLR securities following a downgrade in credit ratings or default by the counterparty.
- Sale of securities as part of a resolution plan under the Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets for a borrower facing financial distress.
- Additional sale of securities explicitly permitted by the Reserve Bank of India.

Any profit or loss on the sale of investments in HTM are recognised in the Profit and Loss Account under Item II of Schedule 14: 'Other Income'. The profit on sale of an investments in HTM are appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated is net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.

## Income Recognition, Asset Classification and Provisioning:

### Income recognition:

- Banks shall recognize income on accrual basis for the following investments:
  - Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.

- (ii) निगम निकायों के शेयर, बशर्ते निगम निकाय द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में लाभांश घोषित किया गया हो और स्वामी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।
- (b) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे सामूहिक निवेश फंडों की इकाइयों से प्राप्त आय की पहचान नकद आधार पर की जाएगी।
- (b) उपरोक्त उप-खंड (ए) के अधीन रहते हुए, वैकल्पिक निवेश फंडों के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों पर लाभांश आय को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

#### अवधि-वार ब्याज का लेखांकन:

बैंक विक्रेता को भुगतान किए गए अवधि-वार ब्याज को लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं करेंगे और प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में इसे लाभ-हानि खाते के व्यय मद के रूप में मानेंगे।

#### गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई):

- (a) अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किसी आस्ति को गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का उपयोग किसी निवेश को गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार, एक एनपीआई को मानक निवेश में तब अपग्रेड किया जाता है जब वह आईआरएसीपी मानदंडों में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है।
- (i) बांड या डिबेंचर जैसे ऋण उपकरणों के संबंध में, एनपीआई वह है जिस पर ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय हो और 90 दिनों से अधिक समय तक अदा न किया गया हो।
- (ii) उपरोक्त उप-खंड (ए)(i) यथावश्यक रूप से उन वरीयता शेयरों पर भी लागू होगा जिन पर निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है। यदि किसी वर्ष में वरीयता शेयरों (संचयी या गैर-संचयी) पर लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे बकाया/अदत्त माना जाएगा और आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए उस विशेष वर्ष के लिए जारीकर्ता तुलन पत्र की तिथि को देय तिथि माना जाएगा। गैर-संचयी वरीयता शेयरों के मामले में चालू अवधि के लाभांश का भुगतान और संचयी वरीयता शेयरों के मामले में बकाया लाभांश का भुगतान करने पर ऐसे निवेश को बाद में अपग्रेड किया जा सकता है।

- ii) Shares of corporate bodies provided dividend has been declared by the corporate body in its Annual General Meeting and the owner's right to receive payment is established.
- (b) Income from units of mutual funds, alternative investment funds and other such pooled/collective investment funds are recognized on cash basis.
- (c) Subject to sub-clause (a) above, dividend income on equity investments held under AFS are recognised in the Profit and Loss Account.

#### Accounting for Broken Period Interest:

Banks will not capitalize the broken period interest paid to the seller as part of cost and shall treat it as an Item of expenditure under Profit & Loss Account in respect of investments in securities.

#### Non-Performing Investments (NPI):

- a) The criterion used to classify an asset as Non-Performing Asset (NPA) as per the extant Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning (IRACP) pertaining to Advances are used to classify an investment as a Non-Performing Investment (NPI). Similarly, an NPI is upgraded to standard when it meets the criteria specified in the IRACP norms.
- (i) In respect of debt instruments such as bonds or debentures, an NPI is one where interest/ instalment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- (ii) Sub-clause (a)(i) above shall apply, mutatis mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid. If the dividend on preference shares (cumulative or non-cumulative) is not declared / paid in any year it are treated as due / unpaid in arrears and the date of balance sheet of the issuer for that particular year are reckoned as due date for the purpose of asset classification. Such an investment can be upgraded subsequently on payment of dividend for the current period in the case of non-cumulative preference shares and payment of dividend in arrears and for current period in the case of cumulative preferences shares.

- (iii) इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य 18 महीनों तक नवीनतम तुलन पत्र उपलब्ध न होने के कारण ₹1 प्रति शेयर आंका जाता है, तो उन इक्विटी शेयरों को एनपीआई माना जाएगा। लेखापरीक्षित तुलन पत्र प्राप्त होने पर एनपीआई को अपग्रेड किया जा सकता है।
- (iv) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक के बहीखातों में एनपीए (निष्पादित आस्ति) है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति, जिसमें वरीयता शेयर भी शामिल हैं, में निवेश को भी एनपीआई माना जाएगा और इसके विपरीत भी। हालांकि, यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां केवल वरीयता शेयरों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और ऐसे मामलों में, उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी अन्य परफॉर्मिंग प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी परफॉर्मिंग ऋण सुविधा को एनपीए मानने की आवश्यकता नहीं है।
- (v) मूलधन और/या ब्याज को इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड आदि में परिवर्तित करने की स्थिति में, ऐसे उपकरणों को ऋण के समान आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं। रूपांतरण के बाद, यदि वर्गीकरण मानक है या बाद में आईआरसीपी मानदंडों के अनुसार मानक में अपग्रेड किया जाता है, तो निवेश को एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- (b) एक बार किसी निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तो उसे पोर्टफोलियो के शेष भाग से अलग कर दिया जाता है और मूल्यांकन लाभ और हानि की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।
- (c) बैंक गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) पर कोई आय अर्जित नहीं करेंगे। आय की मान्यता केवल उनकी प्राप्ति पर ही दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूति में किसी भी मासिक, समय-समय पर होने वाली वृद्धि को अनदेखा किया जाएगा।
- (d) निवेश चाहे किसी भी श्रेणी (अर्थात्, एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित)) में रखा गया हो, हानि प्रावधान के लिए व्यय को हमेशा लाभ और हानि खाते में ही दर्ज किया जाएगा। एनपीआई पर रखा जाने वाला प्रावधान निम्नलिखित राशियों में से जो भी अधिक हो, वह होगा:
- (iii) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet for 18 months, those equity shares are reckoned as NPI. The NPI can be upgraded subsequently on receipt of audited balance sheet.
- (iv) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer shall also be treated as NPI and vice versa. However, this stipulation shall not be applicable in cases where only the preference shares are classified as NPI, and in such cases, the investment in any of the other performing securities issued by the same issuer need not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.
- (v) In case of conversion of principal and / or interest into equity, debentures, bonds, etc., such instruments are classified in the same asset classification category as the loan and provision are made as per the norms. In case of post-conversion, if the classification is standard or is subsequently upgraded to standard as per IRACP norms, the investment can be categorised in HTM, AFS or FVTPL (including HFT)
- (b) Once an investment is classified as an NPI, it is segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.
- (c) Banks will not accrue any income on NPIs. Income are recognised only on realisation of the same. Further, any MTM appreciation in the security is ignored.
- (d) Irrespective of the category (i.e., HTM, AFS or FVTPL (including HFT)) in which the investment has been placed, the expense for the provision for impairment shall always be recognised in the Profit and Loss Account. The provision to be held on an NPI are the higher of the following amounts:



आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की राशि, जिसकी गणना निवेश के वहन मूल्य पर की जाएगी, जो इसे एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किए जाने से ठीक पहले का है; और

एनपीआई के रूप में वर्गीकरण की तिथि पर निवेश के वहन मूल्य के संदर्भ में निवेश पर मूल्यहास है।

उपरोक्त के मद्देनजर, ऊपर निर्दिष्ट एनपीआई प्रावधान के अतिरिक्त मूल्यहास के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक नहीं है।

बशर्ते कि एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किसी निवेश के मामले में, जिसके विरुद्ध एएफएस-रिजर्व में संचयी लाभ हैं, आवश्यक प्रावधान एएफएस-रिजर्व से ऐसे उपलब्ध लाभों की सीमा तक प्रभारित करके बनाया जा सकता है।

बशर्ते कि एएफएस के अंतर्गत वर्गीकृत किसी निवेश के मामले में, जिसके विरुद्ध एएफएस-रिजर्व में संचयी हानियां हैं, संचयी हानियों को एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जाता है।

Restricted

- (e) आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते के उन्नयन पर, पूर्व में मान्यता प्राप्त कोई भी प्रावधान उलट दिया जाता है और एमटीएम लाभ और हानि की सममित मान्यता पुनः शुरू हो सकती है।
- (f) सरकारी प्रतिभूतियों और सरकार द्वारा गारंटीकृत निवेशों में निवेश।
  - (i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
  - (ii) केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश को तब तक गैर-व्यक्तिगत निवेश (एनपीआई) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार गारंटी को रद्द न कर दे। एएफएस और एफवीटीपीएल में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, बैंक एएफएस-रिजर्व और लाभ-हानि खाते में क्रमशः मासिक आधार पर लाभ/हानि को दर्ज करना जारी रखेंगे। हालांकि, किसी भी आय को केवल प्राप्ति के आधार पर ही दर्ज किया जाएगा।
  - (iii) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर, एनपीआई की पहचान और प्रावधान के लिए विवेकपूर्ण

The amount of provision required as per IRACP norms computed on the carrying value of the investment immediately before it was classified as NPI; and

The depreciation on the investment with reference to its carrying value on the date of classification as NPI.

In view of the above, no additional provision for depreciation are required over and above the provision for NPI as specified above.

Provided that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative gains in AFS-Reserve, the provision required may be created by charging the same to AFS-Reserve to the extent of such available gains.

Provided further that in the case of an investment categorised under AFS against which there are cumulative losses in AFS-Reserve, the cumulative losses are transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account.

- (e) Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised are reversed and symmetric recognition of MTM gains and losses can resume.
- (f) Investments in Government securities and Government guaranteed investment.
  - (i) Investments in Central Government Securities and State Government Securities shall not be classified as NPI.
  - (ii) Investments in Central Government guaranteed securities shall also not be classified as NPI until the Central Government has repudiated the guarantee when invoked. In respect of such securities held in AFS and FVTPL, Banks shall continue to recognise MTM gains / losses in AFS-Reserve and Profit and Loss respectively. However, any income are recognised only on realisation basis.
  - (iii) Investment in State Government guaranteed securities, shall attract prudential norms for identification of NPI and provisioning, when

मानदंड लागू होंगे, जब ब्याज / मूलधन की किस्त (परिपक्वता राशि सहित) या बैंक को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

interest / instalment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

## निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि

बैंक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) का निर्माण तब तक करेंगे जब तक कि आईएफआर की राशि एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के कम से कम दो प्रतिशत के बराबर न हो जाए। यह निरंतर आधार पर किया जाएगा और आईएफआर में निम्नलिखित में से निम्नतम राशि से कम राशि हस्तांतरित नहीं की जाएगी:

- (i) वर्ष के दौरान निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ।
- (ii) वर्ष का शुद्ध लाभ, अनिवार्य विनियोजनों को घटाकर।

निवेश श्रेणियों में परिशोधन, साधन की शेष परिपक्वता अवधि पर सीधी रेखा विधि के आधार पर किया जाता है। दैनिक प्रीमियम परिशोधन और छूट परिशोधन क्रमशः व्यय मद और आय मद में दर्शाए जाते हैं।

बैंक लेखांकन की राजस्व विधि का पालन कर रहा है। मूल मूल्य को खरीद लागत माना जाता है और निवेश खाते में डेबिट किया जाता है, जबकि खंडित अवधि ब्याज (खरीद तिथि तक अर्जित ब्याज) को राजस्व व्यय माना जाता है और लाभ-हानि खाते के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण / बिक्री के समय किए गए दलाली (ब्रोकरेज), कमीशन, स्टाम्प शुल्क, कर आदि जैसे खर्चों को राजस्व व्यय माना जाता है। प्राप्त दलाली (ब्रोकरेज) / अंडरराइटिंग कमीशन को आय के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए, यदि शेयरों को 1 रुपये (बिना किसी प्रतिफल का भुगतान किए) पर बहीखातों में दर्ज किया गया है, तो बैंक को संबंधित पोर्टफोलियो में अन्य प्रतिभूतियों की तरह ही प्राप्ति पर लाभ दर्ज करना चाहिए। हालांकि, बैंक को इन प्रतिभूतियों का मूल्य 1 रुपये पर ही बनाए रखना चाहिए और अंतिम प्राप्ति तक मासिक वृद्धि पर विचार नहीं करना चाहिए।

निवेश पर ब्याज आय में निवेश पोर्टफोलियो से प्राप्त सभी आय, ब्याज और लाभांश (अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश को छोड़कर) शामिल होगी।

विदेश / भारत में अनुषंगी कंपनियों, कंपनियों, संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय को अलग से दर्ज और प्रस्तुत किया जाएगा।

## Investment Fluctuation Reserve

Banks will create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:

- (i) Net profit on sale of investments during the year.
- (ii) Net profit for the year, less mandatory appropriations.

Amortisation across the investment categories are on a straight-line basis over the residual maturity of the instrument. Daily premium amortisation and discount amortisation are reflected in expenses head and income head respectively.

Bank is following Revenue Method of accounting. The basic price is treated as cost of purchase and debited to the investment account whereas the broken period interest (accrued interest up to the purchase date) is treated as revenue expenditure and is to be booked as an expense under Profit & Loss Account. Costs such as brokerage, commission, stamp duty, taxes etc. incurred at the time of acquisition/sale of securities are treated as revenue expenditure. Brokerage/underwriting commission received shall be accounted under income.

In case of shares which were taken into books at ₹1/- (without paying any consideration) following the best practices, Bank should book profit on realization as in the case of other securities in the respective portfolio. However, Bank should continue to value these securities at ₹1 and should not consider the MTM appreciation till the time of eventual realization.

Interest income on investments shall include all income derived from the investment portfolio by way of interest and dividend (except dividend from subsidiaries, associates and joint ventures).

Income earned by way of dividend etc. from subsidiaries, companies, joint ventures abroad / in India to be accounted and presented separately.



गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान, प्रावधानों और आकस्मिकताओं के अंतर्गत दर्शाए जाएंगे।

#### ब्याज का लेखांकन:

तुलन पत्र के प्रयोजन के लिए, ब्याज आय (लाभांश सहित) को तीन शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात् प्राप्त ब्याज, अर्जित और देय ब्याज और अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज।

अर्जित और बकाया ब्याज के अंतर्गत ब्याज के प्रावधान के लिए, सभी सरकारी ऋणों और अनुमोदित प्रतिभूतियों / बांडों के लिए, वर्ष को 360 दिन और माह को 30 दिन माना जाता है। गैर-अनुमोदित और अन्य कॉर्पोरेट बांडों / ऋणों के लिए, वर्ष को 365 दिन और माह को वास्तविक दिनों के रूप में माना जाता है।

शून्य कूपन बांडों पर अर्जित छूट को शून्य कूपन बांडों के बही मूल्य और मोचन मूल्य के बीच के अंतर को लेकर शेष परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाता है। इसके बाद, मूल्यांकन किया जाएगा।

बैंक सरकारी प्रतिभूतियों, निगम निकायों के बांडों और ऋणपत्रों (डिबेंचरों) के लिए उपार्जन आधार पर आय की पहचान करता है, जहां इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित होती हैं और बशर्ते ब्याज का नियमित रूप से भुगतान किया जाता है और वह बकाया नहीं होता है।

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और गैर-मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियों / वित्तीय निधियों / वित्तीय निधियों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों पर ब्याज का लेखा-जोखा उपार्जन के आधार पर किया जाता है, यदि निवेश को मानक श्रेणी में रखा जाता है, अन्यथा इसका लेखा-जोखा नकद आधार पर ही किया जाता है।

गहन छूट (शून्य कूपन) बांडों पर छूट का लेखा-जोखा आनुपातिक आधार पर उपार्जन के आधार पर किया जाता है।

ट्रेजरी बिल / नकद प्रबंधन बिल / छूट प्राप्त उपकरणों पर अर्जित छूट का लेखा-जोखा निवेश पर ब्याज आय के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे उपकरणों की बिक्री पर उपार्जन से अधिक आय को बिक्री लाभ के रूप में दर्ज किया जाता है।

एमएफ लिखतों पर आय वितरण का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाता है।

#### निवेशों की बिक्री पर लाभ

“बिक्री के लिए उपलब्ध” और “व्यापार के लिए धारित” श्रेणियों के निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

Provision for non-performing investments (NPI) are reflected under Provisions and Contingencies.

#### Accounting of Interest:

For the purpose of Balance Sheet, interest income (including dividend) is classified under three heads viz., Interest received, Interest Accrued & due and Interest Accrued but not due.

For provision of interest under interest accrued and not due, for all Government debts and approved securities / bonds, year is reckoned as 360 days and month as 30 days. For non-approved and other corporate bonds / debts year is reckoned as 365 days and month as actual days.

Accrued Discount on zero coupon bonds are amortized over the remaining maturity period by taking the difference between the book value and redemption value of zero coupon bonds. Thereafter, valuation shall be carried out.

Bank is recognizing income on accrual basis for Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.

Interest on other approved securities and NCDs / FCDs / PCDs / PSU bonds are accounted on accrual basis if the investment continues to be classified as standard, otherwise the same is accounted on cash basis only.

Discount on Deep Discount (Zero Coupon) Bonds, are accounted pro-rata, on accrual basis.

Discount accrued on Treasury Bills / Cash Management Bills / Discounted instruments are accrued and accounted under interest income on investments. On sale of such instruments the income over and above the accrual are booked as profit on sale.

Income distribution on MF instruments are accounted on cash basis.

#### Profit on Sale of Investments

Profit on Sale of Investments in respect of “Available for Sale” and “Held for Trading” categories is recognized in Profit & Loss Account.

“परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के संबंध में निवेश की बिक्री पर लाभ को पहले लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और लाभ की एक समतुल्य राशि पूंजी आरक्षित निधि में विनियोजित की जाती है (करों और वैधानिक आरक्षित निधि में हस्तांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर)।

तीनों श्रेणियों के निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाता है।

## पुनर्खरीद और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन

पुनर्खरीद (रेपो) और रिवर्स पुनर्खरीद (रिवर्स रेपो) लेनदेन को क्रमशः उधार और ऋण के रूप में दर्ज किया जाता है।

रेपो लेनदेन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में और रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

## एमआईबीओआर-ओ/एस व्युत्पन्न अनुबंधों का लेखांकन

सभी व्युत्पन्न को तुलन पत्र पर दर्ज किया जाता है और उचित मूल्य पर मापा जाता है, क्योंकि व्युत्पन्न अनुबंध एक संविदात्मक अधिकार या दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। एमआईबीओआर-ओ/एस के मामले में, मूलधन काल्पनिक प्रकृति का होता है।

## वायदा विनिमय अनुबंध

सभी वायदा विनिमय अनुबंधों के प्रारंभ में उत्पन्न प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि के दौरान व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। वायदा विनिमय अनुबंधों को रद्द करने पर उत्पन्न लाभ/हानि, साथ ही यदि कोई हो, तो अप्रतिशोधित प्रीमियम या छूट को समाप्ति की तिथि पर दर्ज किया जाता है। ऐसे अनुबंधों पर विनिमय अंतर को उस रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है जिसमें विनिमय दरें बदलती हैं।

बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों, गारंटियों, स्वीकृतियों, समर्थनों और अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयता को तुलन पत्र में फेडाई द्वारा प्रकाशित समापन दरों पर दर्शाया गया है।

## व्युत्पन्न अनुबंध

बैंक ब्याज दर स्वेप और मुद्रा व्युत्पन्न में कारोबार करता है। बैंक द्वारा कारोबार किए जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न में रुपी ब्याज दर स्वेप, क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वेप और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट शामिल हैं। बैंक द्वारा कारोबार किए जाने वाले मुद्रा व्युत्पन्न में विकल्प और करेंसी स्वेप शामिल हैं। ऐसे व्युत्पन्न अनुबंधों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

Profit on Sale of Investments in respect of “Held to Maturity” category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on Sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

## Repurchase and Reverse Repurchase Transactions

Repurchase (Repo) and reverse repurchase (Reverse Repo) transactions are reported as borrowing and lending respectively.

Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

## Accounting of MIBOR- O/S Derivative contracts

All derivatives are recognised on the balance sheet and measured at fair value since a derivative contract represents a contractual right or an obligation. In case of MIBOR- O/S, principal amount is notional in nature.

## Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

## Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps. Such derivative contracts are valued as under:

- a. व्यापार के लिए किए गए व्युत्पन्न अनुबंधों का मूल्यांकन मार्क टू मार्केट आधार पर किया जाता है, निवल मूल्यहास को मान्यता दी जाती है जबकि शुद्ध मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया जाता है।
- b. बचाव (हेजिंग) के लिए किए गए व्युत्पन्न अनुबंध इस प्रकार हैं:
  - i. हेज के रूप में नामित व्युत्पन्न अनुबंधों को मार्क टू मार्केट आधार पर तब तक नहीं माना जाता जब तक कि उनकी अंतर्निहित आस्ति को मार्क टू मार्केट आधार पर न माना जाए।
  - ii. हेजिंग स्वैप के लिए आय / व्यय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

#### 4. अग्रिम

1. आरबीआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों को निष्पादित और गैर-निष्पादित आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है।
2. उधारकर्ता के अनुसार अग्रिमों को मानक, उप-मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है।
3. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों के लिए निष्पादित / गैर-निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान किए जाते हैं।
4. विदेशी शाखाओं के साथ निष्पादित / गैर-निष्पादित अग्रिमों के लिए प्रावधान मेजबान देश के नियमों के अनुसार या आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किए जाते हैं, जो भी अधिक सख्त हो।
5. तुलन पत्र में दर्शाए गए अग्रिम गैर-निष्पादित आस्तियों, ऋण गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावों और बिलों के पुनर्भुगतान के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर शुद्ध राशि हैं।
6. गैर-निष्पादित अग्रिमों की वसूली पहले प्रभार और ब्याज की ओर, फिर मूलधन की ओर विभाजित की जाती है।

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) / राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) / तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए (टीडब्ल्यूओ) खातों और सीजीटीएमएसई / ईसीजीसी / जीईसीएल / सीजीएफएमयू जैसी सरकारी गारंटी और यदि कोई सब्सिडी हो, तो उसके अंतर्गत आने वाले खातों में एनपीए की वसूली मूलधन, प्रभार और ब्याज के क्रम में की जाएगी।

मुकदमे दायर किए गए/निर्णयित खातों में वसूली न्यायालय / डीआरटी के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार की जाएगी, यदि मामला ऊपर उल्लिखित तरीके से भिन्न हो।

- a. Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- b. Derivative contracts undertaken for hedging are:
  - i. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.
  - ii. Income / Expenditure is recognized on accrual basis for hedging swaps.

#### 4. ADVANCES

1. Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
2. Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.
3. Provisions for domestic advances are made for performing / non-performing advances in accordance with the RBI Guidelines.
4. Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.
5. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and bill rediscount.
6. Recoveries in Non-Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal.

Recovery in NPA accounts in case of One Time Settlement (OTS) / National Company Law Tribunal (NCLT) / Technically Written-Off (TWO) & Accounts covered by Government Guarantees such as CGTMSE / ECGC / GECL / CGFMU and Subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Charges and Interest.

Recovery in suit filed / decreed accounts shall be appropriated in the manner as per specific directives from the Court / DRT, in case the same is other than the one mentioned above.

7. एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय की पहचान आदि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।
8. एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए भी मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रावधान किए गए हैं।

## 5. अचल आस्ति

- (i) बैंक के परिसर में स्वतंत्र और पट्टे पर ली गई आस्तियां शामिल हैं। सभी अचल आस्तियों का पूंजीकरण उपयोग में आने की तिथि के आधार पर किया जाता है।
- (ii) भूमि और परिसर का पुनर्मूल्यांकित मूल्य अंकित किया जाता है और अन्य अचल आस्तियों का ऐतिहासिक मूल्य अंकित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली वृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित' खाते में जमा किया जाता है। बढ़ी हुई कीमत पर देय मूल्यहास/अमोर्टाइजेशन को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है। समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से राजस्व आरक्षित में स्थानांतरित की जाती है।

Restricted

## मूल्यहास

1. सभी आस्तियों के लिए मूल्यहास विधि, आस्तियों के लाईफ स्पान (जीवनकाल) के आधार पर, सीधी रेखा विधि है।
2. सॉफ्टवेयर / अमूर्त आस्तियां, सर्वर, विद्युत उपकरण और मोटर वाहन को छोड़कर, आस्तियों का लाईफ स्पान (जीवनकाल) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अनुसार परिभाषित किया गया है।
3. बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की आस्तियों के लिए अपनाए गए आस्तियों के अनुमानित लाईफ स्पान (जीवनकाल) निम्नानुसार हैं:

| क्र. सं. | आस्ति का प्रकार              | अनुमानित अवधि                            |
|----------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | स्वामित्व वाली इमारतें       | 60 वर्ष                                  |
| 2        | पट्टे पर ली गई भूमि और इमारत | पट्टा अवधि                               |
|          | क) पट्टे पर ली गई भूमि       | पट्टा अवधि                               |
|          | ख) पट्टे पर ली गई इमारत      | पट्टा अवधि या 60 वर्ष में से जो भी कम हो |
| 3        | फर्नीचर और फिक्स्चर          | 10 वर्ष                                  |

7. In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation, income recognition etc., are done as per RBI guidelines.
8. In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI guidelines.

## 5. Fixed Assets

- (i) The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.
- (ii) Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

## Depreciation

1. Depreciation method is on Straight Line Method, for all Assets based on life span of the assets.
2. The life span of the assets is defined as per Part C Schedule II of the Companies Act, 2013 other than Software / Intangibles, Servers, Electrical Equipment's and Motor Vehicles.
3. Estimated life span of the assets adopted by the bank for different class of assets is as under:

| Sl. No. | Type of Asset             | Estimated Lifespan                |
|---------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1       | Free hold Buildings       | 60 years                          |
| 2       | Leasehold Land & Building | Lease period                      |
|         | A) Lease hold Land        | Lease period                      |
|         | B) Lease hold Building    | Lower of lease period or 60 years |
| 3       | Furniture & Fixtures      | 10 years                          |

|                                                                                                                                                                                             |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण:<br>टेलीविजन, प्रोजेक्टर, रेफ्रिजरेटर आदि, और सुरक्षा उपकरण जैसे सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, नोट गिनने की मशीन, नोट छांटने की मशीन, एटीएम आदि | 5 वर्ष  |
| B) विद्युत उपकरण: वाटर कूलर, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरीफायर, स्टेबलाइजर, पंखे आदि।                                                                                              | 8 वर्ष  |
| C) विद्युत उपकरण: एलईडी/ट्यूबलाइट आदि।                                                                                                                                                      | 10 वर्ष |
| 4 कंप्यूटर                                                                                                                                                                                  | 3 वर्ष  |
| 5 सर्वर                                                                                                                                                                                     | 5 वर्ष  |
| 6 मोटर वाहन                                                                                                                                                                                 | 5 वर्ष  |

|                                                                                                                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A) Electronic Equipment:<br>Televisions, Projectors, Refrigerators, etc., and Security Gadgets like CCTV Access Control System, Fire Alarm System, Note Counting, Note Sorting Machines, ATMs etc. | 5 years  |
| B) Electrical Equipment:<br>Water Cooler, Grinder, Mixer Grinder, Water Purifiers, Stabilizers, Fans etc.                                                                                          | 8 years  |
| C) Electrical Fixtures:<br>Like LED / Tube light Fixtures, etc.                                                                                                                                    | 10 years |
| 4 Computers                                                                                                                                                                                        | 3 years  |
| 5 Servers                                                                                                                                                                                          | 5 years  |
| 6 Motor Vehicles                                                                                                                                                                                   | 5 years  |

मूल्यहास की दरों में परिवर्तन (लाईफ स्पान (जीवनकाल) के आधार पर) दिनांक 01-04-2020 से प्रभावी है।

The change in rates (based on life span) of depreciation is applied effective from 01-04-2020.

- सॉफ्टवेयर / अमूर्त आस्तियों का परिशोधन 5 वर्षों में किया जाता है।
- यदि अधिग्रहण के वर्ष में किसी वस्तु का उपयोग 180 दिनों या उससे अधिक समय के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 100% मूल्यहास लगाया जाएगा। यदि अधिग्रहण के वर्ष में किसी आस्ति का उपयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 50% मूल्यहास लगाया जाएगा।
- 8 वर्ष या उससे अधिक के उपयोगी जीवन वाली आस्तियों के मामले में मूल लागत मूल्य का 5% अवशिष्ट मूल्य होगा। अन्य आस्तियों के लिए मूल लागत मूल्य का ₹5/- अवशिष्ट मूल्य है।
- पट्टे पर ली गई आस्तियों पर भुगतान किया गया प्रीमियम पट्टे की अवधि या संबंधित आस्ति के लाईफ स्पान (जीवनकाल), जो भी

- Software / Intangible Assets are amortized over 5 years.
- If the Item is put to use for 180 days and above in the year of acquisition, 100% depreciation will be charged for the concerned financial year. If the asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, 50% depreciation is be charged for the concerned financial year.
- 5% of the Original cost price will be residual value in case of the assets having useful life 8 years and above. ₹5/- of the Original cost price is residual value for other assets.
- Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period or life span of relevant



पहले हो, के दौरान अपशुल्क किया जाता है। पट्टे पर ली गई भूमि और पट्टे पर किए गए सुधारों की लागत का परिशोधन पट्टे की अवधि या संबंधित आस्तियों के लाईफ स्पान (जीवनकाल), जो भी कम हो, के दौरान किया जाता है।

8. विदेशी कार्यालयों में रखी गई अचल आस्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के नियमों / मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है।
9. परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टे के भुगतान को आईसीएआई द्वारा जारी एसएस 19 (पट्टे) के अनुसार पट्टे की अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

## आस्तियों का मूल्यहास

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि क्या किसी आस्ति के मूल्यहास का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और यदि कोई मूल्यहास हानि होती है, तो उसका प्रावधान किया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में अपदस्थ कर दिया जाता है।

## 6. राजस्व मान्यता

आय और व्यय का लेखा-जोखा सामान्यतः उपार्जन के आधार पर किया जाता है, निम्नलिखित मामलों के सिवाय :

- (a) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, निष्पादित अग्रिमों और निष्पादित निवेशों पर ब्याज प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त होता है।
- (b) अतिदेय बिलों पर ब्याज, कमीशन (सरकारी कारोबार और एलसी बीजी पर कमीशन को छोड़कर), विनिमय, दलाली और लॉकरों का किराया वसूली होने पर लेखांकित किया जाता है।
- (c) लाभांश आय तब मान्यता प्राप्त होती है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- (d) मुकदमों के मामले में, संबंधित कानूनी और अन्य व्यय लाभ-हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं और वसूली होने पर उन्हें आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

## 7. कर्मचारी लाभ

### परिभाषित अंशदान योजनाएँ

भविष्य निधि / पेंशन निधि जैसी योजनाओं में परिभाषित अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

बैंक दिनांक 01-04-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन

asset whichever is earlier. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease or life span of relevant assets whichever is lower.

8. In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries
9. Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

## Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for and charged off to Profit and Loss Account.

## 6. Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- (a) Interest on non-performing advances and non-performing investments is recognized on receipt basis as per norms laid down by Reserve Bank of India.
- (b) Interest on Overdue Bills, Commission (other than Government business & Commission for LC BG), Exchange, Brokerage and rent on lockers is accounted on realization.
- (c) Dividend Income is recognized when the right to receive the same is established.
- (d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

## 7. Employee Benefits

### Defined Contribution Plans

Defined Contribution to Plans such as Provident/ Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-04-2010, which is a defined contribution

योजना है। ऐसे नए शामिल होने वाले कर्मचारी मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। योजना के अनुसार, पात्र कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान करते हैं, साथ ही बैंक द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के बराबर अंशदान किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता देता है।

#### परिभाषित लाभ योजनाएँ

- (a) उपदान (ग्रेच्युटी): कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है, जो बदले में दिशानिर्देशों के अनुसार अपने फंड का प्रबंधन करता है। बैंक की ग्रेच्युटी संबंधी देनदारी का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर निर्धारित किया जाता है और योजना आस्तियों का उचित मूल्य सकल देनदारी से घटाकर शुद्ध आधार पर देनदारी निर्धारित की जाती है।
- (b) पेंशन: कर्मचारी पेंशन निधि योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। बैंक की पेंशन संबंधी देनदारी का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाता है और योजना आस्तियों का उचित मूल्य सकल देनदारी से घटाकर शुद्ध आधार पर देनदारी निर्धारित की जाती है।

विशेषाधिकार अवकाश को दीर्घकालिक लाभ माना जाता है और स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके किया जाता है और प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में तुरंत दर्ज किया जाता है और इसे स्थगित नहीं किया जाता है।

#### 8. कराधान के लिए प्रावधान

- (a) आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए चालू कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। चालू कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखा मानक 22 - "आयकरों का लेखांकन" के अनुसार किया जाता है, जिसमें संबंधित क्षेत्राधिकारों के कर कानूनों पर आधारित

Pension Scheme, such new joiners are not entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a contribution from the Bank equivalent to 14% of the basic pay plus dearness allowance. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

#### Defined Benefit Plans

- (a) Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.
- (b) Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of actuary's report as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

The privilege leave is considered as a long-term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation.

The cost of providing long-term benefits under defined benefit Plans is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.

#### 8. Provision for Taxation

- (a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account

विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को भी शामिल किया जाता है।

- (b) आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल होते हैं। समय अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली और बाद की अवधियों में उलटफेर योग्य आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को तुलन पत्र की तिथि तक लागू या सारतः लागू कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों में परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है।
- (c) आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के इस निर्णय पर आधारित होता है कि उनकी प्राप्ति यथोचित रूप से निश्चित है या लगभग निश्चित है।
- (d) अशोषित मूल्यहास और कर हानियों को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात की लगभग निश्चितता हो और पुख्ता सबूत मौजूद हों कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भविष्य के लाभों के मुकाबले प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त मदों के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियों को यथोचित निश्चितता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

## 9. निवल लाभ

### प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक आस्तियां

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी एस 29, "प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक आस्तियां" के अनुरूप, बैंक प्रावधान तभी मान्यता प्राप्त करता है जब:

- (a) बैंक पर किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो।
- (b) यह संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और
- (c) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो।

### कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं किया जाता है:

- (a) किसी भी संभावित दायित्व के लिए जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या एक से अधिक

taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

- (b) Deferred Tax adjustments comprises changes in the Deferred Tax Assets or liabilities during the year. Deferred Tax Assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date. The impact of changes in Deferred Tax Assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.
- (c) Deferred Tax Assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain or virtual certain as the case may be.
- (d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such Deferred Tax Assets can be realised against future profits. Deferred Tax Assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty.

## 9. Net Profit

### Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provision only when:

- (a) It has a present obligation as a result of past event.
- (b) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- (c) A reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

### No provision is recognized:

- (a) For any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one

अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं।

- (b) जहां यह संभावना नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या
- (c) जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका आकलन नियमित अंतराल पर किया जाता है और केवल उसी दायित्व के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो, सिवाय उन अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के जहाँ कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

- (i) **आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।**

## निवल लाभ

लाभ और हानि खाते में निवल लाभ निम्न के बाद होता है:

- (a) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- (b) कराधान के लिए प्रावधान
- (c) अनुपयोगी अग्रिमों पर प्रावधान
- (d) मानक आस्तियों पर प्रावधान
- (e) अनुपयोगी निवेशों के लिए प्रावधान
- (f) अन्य सामान्य और आवश्यक मदों के लिए प्रावधान

## 10. प्रति शेयर आय

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी एएस-20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार मूल और तनुकृत प्रति शेयर आय की रिपोर्ट करता है। मूल प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

## 11. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

## 12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी एएस-17 के अनुपालन में व्यावसायिक खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank.

- (b) Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
- (c) When a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

- (i) **Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.**

## Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- (a) Provision for depreciation on Investments
- (b) Provision for Taxation
- (c) Provision on Non-Performing Advances
- (d) Provision on Standard Assets
- (e) Provision for Non-Performing Investments
- (f) Provision for other usual & necessary Items

## 10. Earnings Per Share

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS - 20 "Earnings Per Share", issued by ICAI. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax attributable to equity Shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

## 11. Cash Flow Statement

Cash flow Statement is reported by using indirect method.

## 12. Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

## वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - 'लेखा संबंधी टिप्पणियाँ'

### अनुसूची 18 - खातों पर टिप्पणियाँ

#### 1. विनियामक पूंजी

#### i) विनियामक पूंजी की संरचना (राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण                                                                                                 | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| i)       | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौती का कुल, यदि कोई है)                                     | 103079.11  | 89040.15   |
| ii)      | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी                                                                                 | 17903.00   | 17339.10   |
| iii)     | टियर 1 पूंजी (i + ii)                                                                                 | 120933.04  | 106379.25  |
| iv)      | टियर 2 पूंजी                                                                                          | 20318.09   | 14536.05   |
| v)       | कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)                                                                           | 141251.14  | 120915.30  |
| vi)      | कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)                                                                 | 828677.81  | 740389.67  |
| vii)     | सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)                                             | 12.44%     | 12.03%     |
| viii)    | टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)                                         | 14.59%     | 14.37%     |
| ix)      | टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)                                         | 2.45%      | 1.96%      |
| x)       | जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) | 17.04%     | 16.33%     |
| xi)      | लीवरेज अनुपात                                                                                         | 5.96%      | 5.90%      |
| xii)     | निम्न की शेयरधारिता का प्रतिशत a) भारत सरकार                                                          | 62.93      | 62.93      |
| xiii)    | वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)                               | शून्य      | शून्य      |
| xiv)     | वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 (बेसल III अनुपालित) पूंजी की राशि, जिसमें से:               | 3500.00    | 3000.00    |
|          | i) बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)                                                       | 0.00       | 0.00       |
|          | ii) बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई)                                                                       | 3500.00    | 3000.00    |
| xv)      | वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 (बेसल III के अनुरूप) पूंजी की राशि, जिसमें से:                          | 5000.00    | 4000.00    |
|          | i) कर्ज पूंजी लिखत                                                                                    | 5000.00    | 4000.00    |

#### ii) आरक्षित निधियों से आहरण:

चालू वर्ष और पिछले वर्ष में आरक्षित निधियों से कोई आहरण नहीं हुई है।

## Disclosure in financial statements – 'Notes to Accounts'

### SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

#### 1. Regulatory Capital

#### i) Composition of Regulatory Capital (Amount in ₹ Crores)

| Sl. No. | Particulars                                                                                 | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| i)      | Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)                            | 103079.11  | 89040.15   |
| ii)     | Additional Tier 1 capital                                                                   | 17903.00   | 17339.10   |
| iii)    | Tier 1 capital (i + ii)                                                                     | 120933.04  | 106379.25  |
| iv)     | Tier 2 capital                                                                              | 20318.09   | 14536.05   |
| v)      | Total capital (Tier 1 + Tier 2)                                                             | 141251.14  | 120915.30  |
| vi)     | Total Risk Weighted Assets (RWAs)                                                           | 828677.81  | 740389.67  |
| vii)    | CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)                                                 | 12.44%     | 12.03%     |
| viii)   | Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)                                       | 14.59%     | 14.37%     |
| ix)     | Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)                                       | 2.45%      | 1.96%      |
| x)      | Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)        | 17.04%     | 16.33%     |
| xi)     | Leverage Ratio                                                                              | 5.96%      | 5.90%      |
| xii)    | Percentage of the shareholding of a) Government of India                                    | 62.93      | 62.93      |
| xiii)   | Amount of paid-up equity capital raised during the year (including Share Premium)           | NIL        | NIL        |
| xiv)    | Amount of non-equity Tier 1 (Basel III Compliant) capital raised during the year, of which: | 3500.00    | 3000.00    |
|         | i) Perpetual non-cumulative preference shares (PNCPS)                                       | 0.00       | 0.00       |
|         | ii) Perpetual Debt Instrument (PDI)                                                         | 3500.00    | 3000.00    |
| xv)     | Amount of Tier 2 (Basel III Compliant) capital raised during the year, of which:            | 5000.00    | 4000.00    |
|         | i) Debt Capital instrument                                                                  | 5000.00    | 4000.00    |

#### ii) Draw down from Reserves:

There has been no draw down from Reserves in the current year and the previous year.



## 2. आस्ति देयता प्रबंधन

i) दिनांक 31.03.2026 को आस्तियों और देनदारियों की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण                 | जमा          | अग्रिम       | निवेश       | उधार        | विदेशी मुद्रा आस्तियां | विदेशी मुद्रा देनदारियां |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| 1 दिन                 | 20394.80     | 6634.28      | 0.34        | 50.00       | 41970.76               | 5522.74                  |
|                       | (20142.52)   | (4117.31)    | (0.00)      | (0.00)      | (35375.82)             | (4604.57)                |
| 2 से 7 दिन            | 92906.68     | 8091.33      | 1090.60     | 37059.44    | 20338.38               | 65327.66                 |
|                       | (80184.65)   | (11221.15)   | (492.39)    | (14753.10)  | (16005.88)             | (45675.29)               |
| 8 से 14 दिन           | 27238.23     | 16869.31     | 2262.22     | 0.00        | 8860.17                | 12903.21                 |
|                       | (19479.57)   | (8063.24)    | (918.57)    | (46.65)     | (3100.46)              | (4431.76)                |
| 15 से 30 दिन          | 47653.63     | 28840.19     | 1467.80     | 13000.00    | 9782.12                | 11880.05                 |
|                       | (36972.51)   | (28534.91)   | (644.23)    | (299.16)    | (13292.32)             | (13374.76)               |
| 31 दिनों से 2 महीने   | 74894.94     | 44273.05     | 2644.83     | 1336.70     | 10899.38               | 5856.56                  |
|                       | (47893.37)   | (35854.01)   | (2179.75)   | (151.48)    | (8250.79)              | (7354.71)                |
| 2 महीने से 3 महीने तक | 61337.46     | 39977.61     | 1328.34     | 588.19      | 4808.53                | 5690.36                  |
|                       | (46386.58)   | (42049.09)   | (4592.07)   | (3290.79)   | (7559.93)              | (7540.66)                |
| 3 महीने से 6 महीने तक | 162689.99    | 106298.91    | 6220.96     | 1980.34     | 23264.18               | 16448.33                 |
|                       | (99726.92)   | (92518.70)   | (4088.49)   | (6424.48)   | (16054.04)             | (17174.91)               |
| 6 महीने से 1 वर्ष तक  | 310584.35    | 212628.73    | 11523.29    | 14758.39    | 15171.44               | 8277.36                  |
|                       | (249655.34)  | (189166.76)  | (12785.90)  | (15922.91)  | (12465.48)             | (9159.35)                |
| 1 वर्ष से 3 वर्ष तक   | 432710.17    | 380012.21    | 51153.58    | 34400.87    | 25015.82               | 580.21                   |
|                       | (461281.60)  | (301524.85)  | (45309.81)  | (33926.38)  | (17775.94)             | (11782.22)               |
| 3 वर्ष से 5 वर्ष तक   | 81067.61     | 144100.10    | 95170.19    | 29062.77    | 10771.03               | 140.06                   |
|                       | (128570.20)  | (104241.73)  | (59376.18)  | (16885.07)  | (7786.86)              | (5376.75)                |
| 5 वर्ष से अधिक        | 257200.30    | 232291.75    | 230588.23   | 23050.98    | 5714.67                | 1902.98                  |
|                       | (266589.90)  | (231863.27)  | (251792.01) | (24986.09)  | (2355.05)              | (1490.66)                |
| कुल                   | 1568678.15   | 1220017.47   | 403414.37   | 155287.68   | 176596.46              | 134529.53                |
|                       | (1456883.18) | (1049155.02) | (382179.38) | (116686.11) | (140022.57)            | (127965.64)              |

(गत वर्ष के आंकड़ें कोष्ठक में दिए गए हैं)

- नोट 1: उपर्युक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों को अंतर-शाखा समायोजनों को समाप्त करने के बाद लिया गया है। जबकि विदेशी मुद्रा देनदारियों को अंतर-शाखा ब्याज प्राप्य और देय समायोजनों को समाप्त करने से पहले लिया गया है।

## 2. Asset liability management

### i) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2026

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars               | Deposits            | Advances            | Investments        | Borrowings         | Foreign Currency Assets | Foreign Currency Liabilities |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 day                     | 20394.80            | 6634.28             | 0.34               | 50.00              | 41970.76                | 5522.74                      |
|                           | (20142.52)          | (4117.31)           | (0.00)             | (0.00)             | (35375.82)              | (4604.57)                    |
| 2 to 7 days               | 92906.68            | 8091.33             | 1090.60            | 37059.44           | 20338.38                | 65327.66                     |
|                           | (80184.65)          | (11221.15)          | (492.39)           | (14753.10)         | (16005.88)              | (45675.29)                   |
| 8 to 14 days              | 27238.23            | 16869.31            | 2262.22            | 0.00               | 8860.17                 | 12903.21                     |
|                           | (19479.57)          | (8063.24)           | (918.57)           | (46.65)            | (3100.46)               | (4431.76)                    |
| 15 to 30 days             | 47653.63            | 28840.19            | 1467.80            | 13000.00           | 9782.12                 | 11880.05                     |
|                           | (36972.51)          | (28534.91)          | (644.23)           | (299.16)           | (13292.32)              | (13374.76)                   |
| 31 days to 2 months       | 74894.94            | 44273.05            | 2644.83            | 1336.70            | 10899.38                | 5856.56                      |
|                           | (47893.37)          | (35854.01)          | (2179.75)          | (151.48)           | (8250.79)               | (7354.71)                    |
| Over 2 months to 3 months | 61337.46            | 39977.61            | 1328.34            | 588.19             | 4808.53                 | 5690.36                      |
|                           | (46386.58)          | (42049.09)          | (4592.07)          | (3290.79)          | (7559.93)               | (7540.66)                    |
| Over 3 months to 6 months | 162689.99           | 106298.91           | 6220.96            | 1980.34            | 23264.18                | 16448.33                     |
|                           | (99726.92)          | (92518.70)          | (4088.49)          | (6424.48)          | (16054.04)              | (17174.91)                   |
| Over 6 months to 1 year   | 310584.35           | 212628.73           | 1523.29            | 14758.39           | 15171.44                | 8277.36                      |
|                           | (249655.34)         | (189166.76)         | (12785.90)         | (15922.91)         | (12465.48)              | (9159.35)                    |
| Over 1 year to 3 years    | 432710.17           | 380012.21           | 51153.58           | 34400.87           | 25015.82                | 580.21                       |
|                           | (461281.60)         | (301524.85)         | (45309.81)         | (33926.38)         | (17775.94)              | (11782.22)                   |
| Over 3 years to 5 years   | 81067.61            | 144100.10           | 95170.19           | 29062.77           | 10771.03                | 140.06                       |
|                           | (128570.20)         | (104241.73)         | (59376.18)         | (16885.07)         | (7786.86)               | (5376.75)                    |
| Over 5 years              | 257200.30           | 232291.75           | 230588.23          | 23050.98           | 5714.67                 | 1902.98                      |
|                           | (266589.90)         | (231863.27)         | (251792.01)        | (24986.09)         | (2355.05)               | (1490.66)                    |
| <b>Total</b>              | <b>1568678.15</b>   | <b>1220017.47</b>   | <b>403414.37</b>   | <b>155287.68</b>   | <b>176596.46</b>        | <b>134529.53</b>             |
|                           | <b>(1456883.18)</b> | <b>(1049155.02)</b> | <b>(382179.38)</b> | <b>(116686.11)</b> | <b>(140022.57)</b>      | <b>(127965.64)</b>           |

(Previous year figures are indicated within brackets)

- **Note 1:** Above mentioned foreign currency assets are taken after elimination of inter-branch adjustments. But the foreign currency liabilities are taken before elimination of the inter branch interest receivables and payables adjustments.

ii) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

गुणात्मक प्रकटीकरण :

चलनिधि कवरेज अनुपात ( एलसीआर ) मानक इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि बैंक गैर - भारित उच्च गुणवत्तायुक्त चल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखे, जिसे 30 कैलेंडर दिनों के समय सीमा में अत्यधिक चलनिधि दबाव की स्थिति में चलनिधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

कैलेंडर वर्ष 2019 से आगे की अवधि के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 100% है। आरबीआई ने वैयक्तिक और समूह बैंक परिचालन के लिए एलसीआर के प्रबंधन को अनिवार्य कर दिया है।

एचक्यूएलए में स्तर 1 आस्ति (0% हेयरकट), स्तर 2ए आस्ति (15% हेयरकट) और स्तर 2 बी आस्ति ( 50% हेयरकट) शामिल है। स्तर 1 आस्तियां जिसमें नकदी, अतिरिक्त सीआरआर, अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो कि स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ) के तहत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक (बैंक की निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) का 2%) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एफएलसीआर) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा है (बैंक के एनडीटीएल का 16%) । स्तर 2 ए की आस्ति में गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी सॉवरेन विपणन योग्य प्रतिभूतियां, कॉरपोरेट बॉण्ड या वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं, जिन्हें एए - या उससे अधिक रेटिंग दी जाती है।

दबाव के तहत अपेक्षित निवल नकद बहिर्वाह अगले 30 दिनों में बहिर्वाह को घटाकर अंतर्वाह का भारित योग है। अंतर्वाह को पूर्व - निर्धारित मार्जिन के साथ लिया जाता है और बहिर्वाहन को पूर्व - निर्धारित रन - ऑफ फैक्टर पर लिया जाता है। थोक निधीयन की तुलना में खुदरा और छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से निधीयन में कम रन - ऑफ फैक्टर होता है।

**एचक्यूएलए की संरचना :** दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने ₹3,22,314.64 करोड़ का औसत एचक्यूएलए बनाए रखा है। स्तर 1 की आस्ति एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 99.25% योगदान करती है। चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा एचक्यूएलए के उच्चतम हिस्से का गठन करती है, अर्थात् कुल एचक्यूएलए का लगभग 71.90% है। स्तर 2 आस्तियां जो स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम है, एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 0.75% हैं, जबकि अधिकतम अनुमेय स्तर 40% है।

**निधीयन प्रोफाइल:** बेजमानती थोक निधीयन कुल भारित नकद बहिर्वाह का प्रमुख हिस्सा है। खुदरा जमा और छोटे व्यावसायिक ग्राहकों की जमाराशियों को मिलाकर कुल भारित नकदी बहिर्वाह का लगभग 18.89% योगदान है। गैर - वित्तीय कॉरपोरेट्स, सरकारी

ii) Liquidity coverage ratio (LCR)

QUALITATIVE DISCLOSURE

Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard has been introduced with the objective that a Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30-calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario.

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 100% for the calendar year 2019 onwards. RBI has mandated the management of LCR both at solo and consolidated level.

HQLA comprises of Level 1 assets (0% hair-cut), Level 2A assets (15% hair-cut) and Level 2B assets (50% hair-cut). Level 1 assets comprising of cash, excess CRR, excess SLR securities, Government securities to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility (MSF) [2% of the Bank's Net Demand & Time Liabilities (NDTL)] and Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) [16% of the Bank's NDTL]. Level 2A assets comprises of sovereign guaranteed marketable securities, corporate bonds or commercial papers which are rated AA- and better, issued by non-financial institutions.

Expected net cash outflows under stress are the weighted sum of outflows minus inflows in the next 30 days. The inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run off factors. Funding from retail and small business customers carries lower run-off factor as compared to wholesale funding.

**Composition of HQLA:** The Bank during the three months ended 31<sup>st</sup> March 2026 maintained average HQLA of ₹3,22,314.64 Crores of which Level 1 assets comprised of 99.25% of the total stock of HQLA. Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion to HQLA i.e., around 71.90% of the total HQLA. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, comprised of 0.75% of the total stock of HQLA as against the maximum permissible level of 40%.

**Funding Profile:** Unsecured wholesale funding constitutes a major portion of total weighted cash outflow. Retail deposits and deposits from small business customers put together contributed to around 18.89% of the total weighted cash outflows. Deposits from non-financial corporates, sovereigns,

बैंकों, केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जमाराशियों का कुल भारत नकदी बहिर्वाहन में लगभग 29.35% का योगदान था। बैंक का एक्सपोजर प्रमुख रूप से भारतीय रूपये में है।

**बैंक का एलसीआर :** बैंक ने निरंतर आधार पर एलसीआर को न्यूनतम नियामक स्तर से काफी ऊपर बनाए रखा है। बैंक की समेकित एलसीआर के पिछले आंकड़े निम्नवत् हैं:

central banks, multilateral development banks and PSEs contributed to around 29.35% of the total weighted cash outflows. Bank's exposure is majorly in Indian Rupee.

**LCR of the Bank:** Bank has maintained LCR well above the minimum regulatory level on an ongoing basis. Historical trend of Consolidated LCR of the Bank is as follows:

| समाप्त तिमाही             | मार्च-24 | जून-24  | सितंबर-24 | दिसंबर-24 | मार्च-25 | जून-25  | सितंबर-25 | दिसंबर-25 | मार्च-26 |
|---------------------------|----------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| दैनिक औसत एलसीआर (समेकित) | 129.04%  | 146.54% | 137.43%   | 123.11%   | 125.26%  | 144.22% | 132.30%   | 126.06%   | 116.93%  |

| Quarter Ended                 | Mar-24  | Jun-24  | Sep-24  | Dec-24  | Mar-25  | Jun-25  | Sep-25  | Dec-25  | Mar-26  |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Daily Avg. LCR (Consolidated) | 129.04% | 146.54% | 137.43% | 123.11% | 125.26% | 144.22% | 132.30% | 126.06% | 116.93% |

दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के लिए केनरा बैंक (समेकित) का दैनिक औसत एलसीआर 116.93% था। बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा मुख्य रूप से एलएसआर निवेश के रूप में एचक्यूएलए बनाए रखता है। बैंक ने जमाराशियों के माध्यम से निधीयन के एक बड़े हिस्से को लगातार एक आरक्षित निधीयन प्रोफाइल के रूप में रखा है। कुल निधीयन स्रोतों में खुदरा जमाराशियों का बड़ा हिस्सा है जो अच्छी तरह से विविधतापूर्ण है। दैनिक / मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अलावा, बैंक विभिन्न नियामक विवरणों के माध्यम से चलनिधि स्थिति की निगरानी भी करता है उदाहरणार्थ, संरचनात्मक चलनिधि विवरण और स्टॉक अनुपात। अंतर्वाह और बहिर्वाह की स्थिति लगभग समान होने के कारण व्युत्पन्न एक्सपोजर को महत्वहीन माना जाता है। तिमाही के दौरान, यूएसडी के लिए एलसीआर (बैंक के तुलन पत्र के 5% से अधिक का हिस्सा रखने वाली महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा) औसतन 91.50% थी।

बैंक में चलनिधि प्रबंधन बैंक की एलएम नीति और नियामक निर्देशों द्वारा संचालित होती है। एलसीओ को बैंक के बोर्ड द्वारा बैंक की निधीयन कार्यनीति तैयार करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन स्रोत अच्छी तरह से विविधतापूर्ण है और बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। पर्याप्त आकस्मिक निधीयन योजना भी तैयार है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि किसी भी संकटग्रस्त चलनिधि की स्थिति से निपटने के लिए निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा केंद्रीकृत रूप से चलनिधि की निगरानी की जाती है और एकीकृत कोष विभाग, प्रधान कार्यालय में केंद्रीय रूप से प्रबंधित की जाती है।

The daily average LCR of Canara Bank (Consolidated) for the quarter ended 31<sup>st</sup> March 2026 was 116.93%. The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. The Bank has consistently kept a healthy funding profile with a major portion of funding through deposits. Retail deposits constitute a major portion of the total funding; the sources are diversified. In addition to daily/monthly LCR reporting, Bank also monitors the liquidity position through various regulatory statements viz. Structural Liquidity Statement and Stock Ratios. Derivative exposures are considered insignificant due to almost matching inflows and outflows position. During the quarter, LCR for USD (significant foreign currency constituting more than 5% of the balance sheet of the Bank was 91.50% on an average.

Liquidity Management in the Bank is driven by the ALM Policy of the Bank and regulatory prescriptions. The ALCO has been empowered by the Bank's Board to formulate the Bank's funding strategies to ensure that the funding sources are well diversified and is consistent with the operational requirements of the Bank. Adequate Contingency Funding Plan is also in place, which is reviewed on a periodic basis to ensure the availability of funds to meet any event which will increase the stress in liquidity. Monitoring of liquidity is centralized at Risk Management Wing, Head Office and managed centrally at Integrated Treasury Vertical, Head Office.

निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2025-26 की चार तिमाहियों के लिए एलसीआर घटकों के भार रहित और भारत मूल्यों के औसत का सारांश प्रस्तुत करती है। साधारण औसत की गणना तिमाही के तीन महीनों के दैनिक मूल्यों के आधार पर की गई है।

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं.                       |                                                                       | वि.व. 2025-26 ति 4     |                       | वि.व. 2025-26 ति 3     |                       | वि.व. 2025-26 ति 2     |                       | वि.व. 2025-26 ति 1     |                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                |                                                                       | कुल अभासित मूल्य (औसत) | कुल भासित मूल्य (औसत) | कुल अभासित मूल्य (औसत) | कुल भासित मूल्य (औसत) | कुल अभासित मूल्य (औसत) | कुल भासित मूल्य (औसत) | कुल अभासित मूल्य (औसत) | कुल भासित मूल्य (औसत) |
| उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां |                                                                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 1                              | कुल उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां (एचक्यूएलए)                        |                        | 322314.64             |                        | 322499.79             |                        | 322330.02             |                        | 340496.82             |
| नकद बहिर्वाह                   |                                                                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 2                              | खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिसमें से:      | 827986.52              | 70879.17              | 810025.99              | 72643.24              | 796181.60              | 71517.12              | 775958.31              | 69730.58              |
| (i)                            | स्थिर जमा                                                             | 238389.63              | 11919.48              | 167187.21              | 8359.36               | 162020.79              | 8101.04               | 157305.00              | 7865.25               |
| (ii)                           | घटाएं - स्थिर जमा                                                     | 589596.90              | 58959.69              | 642838.78              | 64283.88              | 634160.81              | 63416.08              | 618653.31              | 61865.33              |
| 3                              | गैर-जमानती शोक निधीयन, जिसमें से:                                     | 434628.04              | 269466.38             | 399731.70              | 244038.27             | 386856.99              | 230728.80             | 454911.19              | 233619.55             |
| (i)                            | परिचालनगत जमा                                                         | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                  |
| (ii)                           | (सभी प्रतिपक्षकार)                                                    | 424526.39              | 259364.74             | 389630.06              | 233936.63             | 384756.99              | 228628.80             | 380580.20              | 224555.19             |
| (iii)                          | गैर-परिचालनगत जमा                                                     | 10101.64               | 10101.64              | 10101.64               | 10101.64              | 2100.00                | 2100.00               | 2100.00                | 2100.00               |
| 4                              | (सभी प्रतिपक्षकार)                                                    |                        | 2.46                  |                        | 0.39                  |                        | 1.43                  |                        | 0.00                  |
| 5                              | अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमें से:                                        | 201448.65              | 28783.77              | 212076.20              | 29461.21              | 203784.06              | 28536.92              | 182303.78              | 25953.99              |
| (i)                            | डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह | 522.76                 | 522.76                | 409.58                 | 409.58                | 583.22                 | 583.22                | 833.96                 | 833.96                |
| (ii)                           | अग्रण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्वाह                  | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                  | 0.00                   | 0.00                  |
| (iii)                          | अग्रण और चलनिधि सुविधाएं                                              | 200925.89              | 28261.01              | 211655.40              | 29050.43              | 203200.84              | 27953.70              | 181469.82              | 25120.03              |
| 6                              | अन्य संविदात्मक निधीयन दायित्व                                        | 2917.33                | 2917.33               | 2908.60                | 2908.60               | 2753.85                | 2753.85               | 2468.43                | 2468.43               |
| 7                              | अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व                                           | 97467.10               | 3100.20               | 92349.39               | 2894.48               | 88097.03               | 2765.12               | 86579.91               | 2707.70               |
| 8                              | कुल नकद बहिर्वाह                                                      |                        | 375149.31             |                        | 351945.00             |                        | 336303.25             |                        | 327515.89             |
| नकद अंतर्वाह                   |                                                                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |
| 9                              | जमानती उधार (उदाहरण - प्रतिवर्ती रेपो)                                | 1948.22                | 2.32                  | 3889.35                | 3.29                  | 4964.92                | 2.71                  | 2861.36                | 1.63                  |
| 10                             | पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से नकद अंतर्वाह                                | 115115.11              | 96402.22              | 111677.26              | 93544.05              | 108127.34              | 91081.03              | 108760.36              | 89177.37              |
| 11                             | अन्य नकद अंतर्वाह                                                     | 3101.93                | 3101.93               | 2560.01                | 2560.01               | 1591.97                | 1591.97               | 2242.77                | 2242.77               |
| 12                             | कुल नकद अंतर्वाह                                                      | 120165.26              | 99506.48              | 118126.63              | 96107.35              | 114684.23              | 92675.70              | 113864.48              | 91421.77              |
|                                |                                                                       |                        | कुल समायोजित मूल्य    |                        | कुल समायोजित मूल्य    |                        | कुल समायोजित मूल्य    |                        | कुल समायोजित मूल्य    |
| 13                             | कुल एचक्यूएलए                                                         |                        | 322314.64             |                        | 322499.79             |                        | 322330.02             |                        | 340496.82             |
| 14                             | कुल निवल नकद बहिर्वाह                                                 |                        | 275642.83             |                        | 255837.65             |                        | 243627.54             |                        | 236094.12             |
| 15                             | चलनिधि कवरेज अनुपात (%)                                               |                        | 116.93%               |                        | 126.06%               |                        | 132.30%               |                        | 144.22%               |
| 16                             | तिमाही के दौरान कुल टिप्पणियों की सं.                                 |                        | 71                    |                        | 73                    |                        | 72                    |                        | 72                    |



The following table summarizes the average of the unweighted and weighted value of the LCR components for the 4 quarters of FY 2025-26. The simple average has been computed based on daily values for the 3 months of the quarter.

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No.                    |                                                                            | FY 2025-26 Q 4                    |                                |           | FY 2025-26 Q 3                    |                                |           | FY 2025-26 Q 2                    |                                |           | FY 2025-26 Q 1                    |                                |  |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--|----|
|                            |                                                                            | Total Un-weighted Value (average) | Total Weighted Value (average) |           | Total Un-weighted Value (average) | Total Weighted Value (average) |           | Total Un-weighted Value (average) | Total Weighted Value (average) |           | Total Un-weighted Value (average) | Total Weighted Value (average) |  |    |
| High Quality Liquid Assets |                                                                            |                                   |                                |           |                                   |                                |           |                                   |                                |           |                                   |                                |  |    |
| 1                          | Total High Quality Liquid Assets (HQLA)                                    |                                   | 322314.64                      |           |                                   | 322499.79                      |           |                                   | 322330.02                      |           |                                   | 340496.82                      |  |    |
| Cash Outflows              |                                                                            |                                   |                                |           |                                   |                                |           |                                   |                                |           |                                   |                                |  |    |
| 2                          | Retail deposits and deposits from small business customers of which:       | 827986.52                         | 70879.17                       | 810025.99 | 72643.24                          |                                | 796181.60 | 71517.12                          |                                | 775958.31 | 69730.58                          |                                |  |    |
| (i)                        | Stable deposits                                                            | 238389.63                         | 11919.48                       | 167187.21 | 8359.36                           |                                | 162020.79 | 8101.04                           |                                | 157305.00 | 7865.25                           |                                |  |    |
| (ii)                       | Less stable deposits                                                       | 589596.90                         | 58959.69                       | 642838.78 | 64283.88                          |                                | 634160.81 | 63416.08                          |                                | 618653.31 | 61865.33                          |                                |  |    |
| 3                          | Unsecured wholesale funding of which:                                      | 434628.04                         | 269466.38                      | 399731.70 | 244038.27                         |                                | 386856.99 | 230728.80                         |                                | 454911.19 | 233619.55                         |                                |  |    |
| (i)                        | Operational deposits (all counterparties)                                  | 0.00                              | 0.00                           | 0.00      | 0.00                              |                                | 0.00      | 0.00                              |                                | 0.00      | 0.00                              |                                |  |    |
| (ii)                       | Non-operational deposits (all counterparties)                              | 424526.39                         | 259364.74                      | 389630.06 | 233936.63                         |                                | 384756.99 | 228628.80                         |                                | 380580.20 | 224555.19                         |                                |  |    |
| (iii)                      | Unsecured debt                                                             | 10101.64                          | 10101.64                       | 10101.64  | 10101.64                          | 0.39                           | 2100.00   | 2100.00                           | 1.43                           | 2100.00   | 2100.00                           | 0.00                           |  |    |
| 4                          | Secured wholesale funding                                                  |                                   | 2.46                           |           |                                   |                                |           |                                   |                                |           |                                   |                                |  |    |
| 5                          | Additional requirements of which:                                          | 201448.65                         | 28783.77                       | 212076.20 | 29461.21                          |                                | 203784.06 | 28536.92                          |                                | 182303.78 | 25953.99                          |                                |  |    |
| (i)                        | Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements | 522.76                            | 522.76                         | 409.58    | 409.58                            |                                | 583.22    | 583.22                            |                                | 833.96    | 833.96                            |                                |  |    |
| (ii)                       | Outflows related to loss of funding on debt products                       | 0.00                              | 0.00                           | 0.00      | 0.00                              |                                | 0.00      | 0.00                              |                                | 0.00      | 0.00                              |                                |  |    |
| (iii)                      | Credit and liquidity facilities                                            | 200925.89                         | 28261.01                       | 211655.40 | 29050.43                          |                                | 203200.84 | 27953.70                          |                                | 181469.82 | 25120.03                          |                                |  |    |
| 6                          | Other contractual funding obligations                                      | 2917.33                           | 2917.33                        | 2908.60   | 2908.60                           |                                | 2753.85   | 2753.85                           |                                | 2468.43   | 2468.43                           |                                |  |    |
| 7                          | Other contingent funding obligations                                       | 97467.10                          | 3100.20                        | 92349.39  | 2894.48                           |                                | 88097.03  | 2765.12                           |                                | 86579.91  | 2707.70                           |                                |  |    |
| 8                          | Total Cash Outflows                                                        |                                   | 375149.31                      |           | 351945.00                         |                                |           |                                   | 336303.25                      |           |                                   | 327515.89                      |  |    |
| Cash Inflows               |                                                                            |                                   |                                |           |                                   |                                |           |                                   |                                |           |                                   |                                |  |    |
| 9                          | Secured lending (e.g. reverse repos)                                       | 1948.22                           | 2.32                           | 3889.35   | 3.29                              |                                | 4964.92   | 2.71                              |                                | 2861.36   | 1.63                              |                                |  |    |
| 10                         | Inflows from fully performing exposures                                    | 115115.11                         | 96402.22                       | 111677.26 | 93544.05                          |                                | 108127.34 | 91081.03                          |                                | 108760.36 | 89177.37                          |                                |  |    |
| 11                         | Other cash inflows                                                         | 3101.93                           | 3101.93                        | 2560.01   | 2560.01                           |                                | 1591.97   | 1591.97                           |                                | 2242.77   | 2242.77                           |                                |  |    |
| 12                         | Total Cash Inflows                                                         | 120165.26                         | 99506.48                       | 118126.63 | 96107.35                          |                                | 114684.23 | 92675.70                          |                                | 113864.48 | 91421.77                          |                                |  |    |
|                            |                                                                            |                                   | Total Adjusted Value           |           | Total Adjusted Value              |                                |           |                                   |                                |           | Total Adjusted Value              |                                |  |    |
| 13                         | TOTAL HQLA                                                                 |                                   | 322314.64                      |           | 322499.79                         |                                |           |                                   |                                |           | 340496.82                         |                                |  |    |
| 14                         | Total Net Cash Outflows                                                    |                                   | 275642.83                      |           | 255837.65                         |                                |           |                                   |                                |           | 236094.12                         |                                |  |    |
| 15                         | Liquidity Coverage Ratio (%)                                               |                                   | 116.93%                        |           | 126.06%                           |                                |           |                                   |                                |           | 132.30%                           |                                |  |    |
| 16                         | Total No of observations/days in the quarter                               |                                   | 71                             |           | 73                                |                                |           |                                   |                                |           | 72                                |                                |  | 72 |

(राशियाँ करोड़ में)

| क्र. सं.                       |                                                                       | वि.व. 2024-25 ति 4    |                      | वि.व. 2024-25 ति 3    |                      | वि.व. 2024-25 ति 2    |                      | वि.व. 2024-25 ति 1    |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                |                                                                       | कुल अभाति मूल्य (औसत) | कुल भाति मूल्य (औसत) | कुल अभाति मूल्य (औसत) | कुल भाति मूल्य (औसत) | कुल अभाति मूल्य (औसत) | कुल भाति मूल्य (औसत) | कुल अभाति मूल्य (औसत) | कुल भाति मूल्य (औसत) |
| उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां |                                                                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| 1                              | कुल उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां (एचक्यूएलए)                        |                       | 3,20,580.13          |                       | 3,06,681.79          |                       | 3,06,655.26          |                       | 3,36,880.92          |
| नकद बहिर्वाहन                  |                                                                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| 2                              | खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा, जिसमें से:      | 7,54,219.80           | 67,987.00            | 7,34,438.12           | 66,164.32            | 7,23,744.45           | 66,047.98            | 7,09,199.31           | 64,419.79            |
| (i)                            | स्थिर जमा                                                             | 1,48,699.51           | 7,434.98             | 1,45,589.83           | 7,279.49             | 1,26,529.30           | 6,326.47             | 1,30,002.76           | 6,500.14             |
| (ii)                           | घटाएं - स्थिर जमा                                                     | 6,05,520.29           | 60,552.03            | 5,88,848.29           | 58,884.83            | 5,97,215.15           | 59,721.51            | 5,79,196.55           | 57,919.66            |
| 3                              | गैर-जमानती थोक निधीयन, जिसमें से:                                     | 3,91,482.19           | 2,30,525.32          | 3,56,456.60           | 2,09,625.63          | 3,34,988.41           | 1,93,137.95          | 3,46,323.06           | 2,00,499.10          |
| (i)                            | परिचालनगत जमा (सभी प्रतिपक्षकार)                                      | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 |
| (ii)                           | गैर-परिचालनगत जमा (सभी प्रतिपक्षकार)                                  | 3,89,382.19           | 2,28,425.32          | 3,56,349.30           | 2,09,555.64          | 3,27,989.19           | 1,86,138.74          | 3,35,481.11           | 1,89,657.15          |
| (iii)                          | गैर-जमानती ऋण                                                         | 69.99                 | 2100.00              | 107.30                | 69.99                | 6,999.21              | 6,999.21             | 10,841.95             | 10,841.95            |
| 4                              | जमानती थोक निधीयन                                                     |                       | 0.00                 |                       | 0.00                 |                       | 0.00                 |                       | 0.00                 |
| 5                              | अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमें से:                                        | 1,73,366.99           | 27,294.47            | 1,84,357.39           | 30,121.18            | 1,82,618.33           | 24,466.48            | 1,70,966.74           | 22,398.99            |
| (i)                            | डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह | 372.09                | 372.09               | 80.78                 | 80.78                | 88.74                 | 88.74                | 70.75                 | 70.75                |
| (ii)                           | ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्वाह                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 |
| (iii)                          | ऋण और चलनिधि सुविधाएं                                                 | 1,72,994.89           | 26,922.38            | 1,84,276.61           | 30,040.40            | 1,82,529.59           | 24,377.73            | 1,70,895.98           | 22,328.24            |
| 6                              | अन्य संविदात्मक निधीयन दायित्व                                        | 2,560.56              | 2,560.56             | 3,232.21              | 3,232.21             | 2,609.61              | 2,609.61             | 2,474.03              | 2,474.03             |
| 7                              | अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व                                           | 83,128.83             | 2,579.33             | 79,780.31             | 2,467.90             | 78,738.41             | 2,434.11             | 77,819.00             | 2,407.35             |
| 8                              | कुल नकद बहिर्वाह                                                      |                       | 3,30,946.68          |                       | 3,11,611.23          |                       | 2,88,696.13          |                       | 2,92,199.27          |
| नकद अंतर्वाह                   |                                                                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| 9                              | जमानती ऋण (जैसे प्रतिवर्ती रेपो)                                      | 1,380.20              | 0.00                 | 1,820.87              | 0.00                 | 3,374.40              | 0.00                 | 6,719.86              | 0.00                 |
| 10                             | पूर्णतः अर्जक एक्सपोजर से नकद अंतर्वाह                                | 92,110.96             | 73,301.06            | 83,499.42             | 60,911.73            | 85,151.45             | 63,771.27            | 81,287.52             | 60,093.86            |
| 11                             | अन्य नकद अंतर्वाह                                                     | 1,719.99              | 1,715.55             | 1,653.47              | 1,578.09             | 1,840.87              | 1,742.88             | 2,719.94              | 2,193.82             |
| 12                             | कुल नकद अंतर्वाह                                                      | 95,211.16             | 75,016.61            | 86,973.76             | 62,489.82            | 90,366.72             | 65,514.15            | 90,727.33             | 62,287.68            |
|                                | कुल समायोजित मूल्य                                                    |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| 13                             | कुल एचक्यूएलए                                                         |                       | 3,20,580.13          |                       | 3,06,681.79          |                       | 3,06,655.26          |                       | 3,36,880.92          |
| 14                             | कुल निवल नकद बहिर्वाह                                                 |                       | 2,55,930.07          |                       | 2,49,121.41          |                       | 2,23,181.98          |                       | 2,29,911.59          |
| 15                             | चलनिधि कवरेज अनुपात (%)                                               |                       | 125.26%              |                       | 123.11%              |                       | 137.40%              |                       | 146.53%              |

# ANNUAL REPORT 2025-26

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No.                    | Particulars                                                                | FY 2024-25 Q 4                    |                                |             | FY 2024-25 Q 3                    |                                |             | FY 2024-25 Q 2                    |                                |  | FY 2024-25 Q 1                    |                                |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
|                            |                                                                            | Total Un-weighted Value (average) | Total Weighted Value (average) |             | Total Un-weighted Value (average) | Total Weighted Value (average) |             | Total Un-weighted Value (average) | Total Weighted Value (average) |  | Total Un-weighted Value (average) | Total Weighted Value (average) |  |
| High Quality Liquid Assets |                                                                            |                                   |                                |             |                                   |                                |             |                                   |                                |  |                                   |                                |  |
| 1                          | Total High Quality Liquid Assets (HQLA)                                    |                                   | 3,20,580.13                    |             |                                   | 3,06,681.79                    |             |                                   | 3,06,655.26                    |  |                                   | 3,36,880.92                    |  |
| Cash Outflows              |                                                                            |                                   |                                |             |                                   |                                |             |                                   |                                |  |                                   |                                |  |
| 2                          | Retail deposits and deposits from small business customers of which:       | 7,54,219.80                       | 67,987.00                      | 7,34,438.12 | 66,164.32                         | 7,23,744.45                    | 66,047.98   | 7,09,199.31                       | 64,419.79                      |  |                                   |                                |  |
| (i)                        | Stable deposits                                                            | 1,48,699.51                       | 7,434.98                       | 1,45,589.83 | 7,279.49                          | 1,26,529.30                    | 6,326.47    | 1,30,002.76                       | 6,500.14                       |  |                                   |                                |  |
| (ii)                       | Less stable deposits                                                       | 6,05,520.29                       | 60,552.03                      | 5,88,848.29 | 58,884.83                         | 5,97,215.15                    | 59,721.51   | 5,79,196.55                       | 57,919.66                      |  |                                   |                                |  |
| 3                          | Unsecured wholesale funding of which:                                      | 3,91,482.19                       | 2,30,525.32                    | 3,56,456.60 | 2,09,625.63                       | 3,34,988.41                    | 1,93,137.95 | 3,46,323.06                       | 2,00,499.10                    |  |                                   |                                |  |
| (i)                        | Operational deposits (all counterparties)                                  | 0.00                              | 0.00                           | 0.00        | 0.00                              | 0.00                           | 0.00        | 0.00                              | 0.00                           |  |                                   | 0.00                           |  |
| (ii)                       | Non-operational deposits (all counterparties)                              | 3,89,382.19                       | 2,28,425.32                    | 3,56,349.30 | 2,09,555.64                       | 3,27,989.19                    | 1,86,138.74 | 3,35,481.11                       | 1,89,657.15                    |  |                                   |                                |  |
| (iii)                      | Unsecured debt                                                             | 69.99                             | 2100.00                        | 107.30      | 69.99                             | 6,999.21                       | 6,999.21    | 10,841.95                         | 10,841.95                      |  |                                   |                                |  |
| 4                          | Secured wholesale funding                                                  |                                   | 0.00                           |             | 0.00                              |                                | 0.00        |                                   | 0.00                           |  |                                   | 0.00                           |  |
| 5                          | Additional requirements of which:                                          | 1,73,366.99                       | 27,294.47                      | 1,84,352.39 | 30,121.18                         | 1,82,618.33                    | 24,466.48   | 1,70,966.74                       | 22,398.99                      |  |                                   |                                |  |
| (i)                        | Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements | 372.09                            | 372.09                         | 80.78       | 80.78                             | 88.74                          | 88.74       | 70.75                             | 70.75                          |  |                                   | 70.75                          |  |
| (ii)                       | Outflows related to loss of funding on debt products                       | 0.00                              | 0.00                           | 0.00        | 0.00                              | 0.00                           | 0.00        | 0.00                              | 0.00                           |  |                                   | 0.00                           |  |
| (iii)                      | Credit and liquidity facilities                                            | 1,72,994.89                       | 26,922.38                      | 1,84,276.61 | 30,040.40                         | 1,82,529.59                    | 24,377.73   | 1,70,895.98                       | 22,328.24                      |  |                                   |                                |  |
| 6                          | Other contractual funding obligations                                      | 2,560.56                          | 2,560.56                       | 3,232.21    | 3,232.21                          | 2,609.61                       | 2,609.61    | 2,474.03                          | 2,474.03                       |  |                                   |                                |  |
| 7                          | Other contingent funding obligations                                       | 83,128.83                         | 2,579.33                       | 79,780.31   | 2,467.90                          | 78,738.41                      | 2,434.11    | 77,819.00                         | 2,407.35                       |  |                                   |                                |  |
| 8                          | Total Cash Outflows                                                        |                                   | 3,30,946.68                    |             | 3,11,611.23                       |                                | 2,88,696.13 |                                   | 2,92,199.27                    |  |                                   |                                |  |
| Cash Inflows               |                                                                            |                                   |                                |             |                                   |                                |             |                                   |                                |  |                                   |                                |  |
| 9                          | Secured lending (e.g. reverse repos)                                       | 1,380.20                          | 0.00                           | 1,820.87    | 0.00                              | 3,374.40                       | 0.00        | 6,719.86                          | 0.00                           |  |                                   |                                |  |
| 10                         | Inflows from fully performing exposures                                    | 92,110.96                         | 73,301.06                      | 83,499.42   | 60,911.73                         | 85,151.45                      | 63,771.27   | 81,287.52                         | 60,093.86                      |  |                                   |                                |  |
| 11                         | Other cash inflows                                                         | 1,719.99                          | 1,715.55                       | 1,653.47    | 1,578.09                          | 1,840.87                       | 1,742.88    | 2,719.94                          | 2,193.82                       |  |                                   |                                |  |
| 12                         | Total Cash Inflows                                                         | 95,211.16                         | 75,016.61                      | 86,973.76   | 62,489.82                         | 90,366.72                      | 65,514.15   | 90,727.33                         | 62,287.68                      |  |                                   |                                |  |
|                            | Total Adjusted Value                                                       |                                   |                                |             |                                   |                                |             |                                   |                                |  |                                   |                                |  |
| 13                         | TOTAL HQLA                                                                 |                                   | 3,20,580.13                    |             | 3,06,681.79                       |                                | 3,06,655.26 |                                   | 3,36,880.92                    |  |                                   |                                |  |
| 14                         | Total Net Cash Outflows                                                    |                                   | 2,55,930.07                    |             | 2,49,121.41                       |                                | 2,23,181.98 |                                   | 2,29,911.59                    |  |                                   |                                |  |
| 15                         | Liquidity Coverage Ratio (%)                                               |                                   | 125.26%                        |             | 123.11%                           |                                | 137.40%     |                                   | 146.53%                        |  |                                   |                                |  |

iii) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देश भविष्य में निधीयन संबंधी दबाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को अपनी गतिविधियों को पर्याप्त रूप से स्थायी स्रोतों से वित्तपोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि में निधीयन जोखिम को कम करना सुनिश्चित करते हैं। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधीयन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

आरबीआई ने मई 2018 में न्यूनतम 100% के बराबर की आवश्यकता के साथ स्थिर निधीयन अनुपात के क्रियान्वयन पर नियम जारी किए थे। यह क्रियान्वयन 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। एनएसएफआर बैंक के वैयक्तिक परिचालन के साथ-साथ समूह परिचालन पर भी लागू होता है और जिसकी गणना एकल और समेकित स्तर पर की जाती है। समेकित एनएसएफआर की गणना करते समय शामिल संस्थाएँ केनरा बैंक एकल (घरेलू और विदेशी परिचालन) और केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड हैं।

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) को कुल विनियामक पूंजी और देयताओं के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय के दौरान विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक विस्तारित होता है, जिसे देनदारियों की प्रकृति और परिपक्वता के अनुसार विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाली देनदारियों को 100% भार प्राप्त होता है।

आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) को तुलन पत्र और तुलनपत्रोत्तर एक्सपोजर के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे निरंतर आधार पर वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है। आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि चलनिधि विशेषताओं और धारित विभिन्न आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वताओं पर निर्भर करती है।

मुख्य कारक

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) के मुख्य कारक पूंजी आधार, खुदरा जमा आधार और और-वित्तीय कंपनियों से वित्त पोषण तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घकालिक वित्तपोषण है। प्रासंगिक भार लागू करने के बाद, कुल उपलब्ध स्थायी निधीयन में पूंजी आधार लगभग 11.87%, खुदरा जमा (छोटे आकार के व्यावसायिक ग्राहकों से प्राप्त जमा सहित) 63.65% तथा थोक वित्तपोषण 24.48% रहा।

मुख्य रूप से ऋण और प्रतिभूतियों के निष्पादन के लिए आवश्यक स्थिर निधीयन प्रासंगिक भार लागू करने के बाद कुल आरएसएफ का 90.15% था। उच्च गुणवत्तायुक्त चल आस्तियों का स्टॉक जिसमें मुख्य रूप से आरबीआई के पास नकदी और आरक्षित शेष शामिल हैं, सरकारी ऋण निर्गम अपनी उच्च गुणवत्ता और चलनिधि की विशेषता के कारण स्थिर निधीयन की कम या कोई राशि प्रभारित नहीं की है। तदनुसार, एचक्यूएलए के लिए आवश्यक स्थायी निधीयन प्रासंगिक भार लागू करने के बाद आवश्यक स्थिर निधीयन का 1.76% थी। अन्य आस्तियां और आकस्मिक निधीयन बाध्यता जैसे प्रतिबद्ध ऋण सुविधाएं, गारंटी और साख पत्र आवश्यक स्थिर निधीयन का 8.09% थे।

बैंक का एनएसएफआर

बैंक ने निरंतर आधार पर एनएसएफआर को न्यूनतम विनियामक स्तर से काफी ऊपर बनाए रखा है। बैंक के समेकित एनएसएफआर के पिछले आंकड़ें निम्नवत् हैं:

| समाप्त तिमाही     | मार्च -24 | जून -24 | सितंबर-24 | दिसंबर-24 | मार्च -25 | जून-25  | सितंबर-25 | दिसंबर-25 | मार्च-26 |
|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| एनएसएफआर (समेकित) | 137.38%   | 133.76% | 131.62%   | 133.29%   | 135.48%   | 127.28% | 128.65%   | 129.59%   | 126.86%  |

समेकित स्तर पर बैंक का एनएसएफआर चतुर्थ तिमाही (वित्त वर्ष 2025-26) के अंत में 126.86% पर आ गया है जो 100% न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से अधिक है। दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति में उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) ₹12,45,329 करोड़ है जबकि दिनांक 31 मार्च 2026 की स्थिति में आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) ₹9,81,682 करोड़ थी।



### iii) Net Stable Funding ratio (NSFR)

#### QUALITATIVE DISCLOSURE:

Net Stable Funding Ratio (NSFR) guidelines ensure reduction in funding risk over a longer time horizon by requiring banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding.

RBI issued the regulations on the implementation of the Net Stable Funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 1<sup>st</sup> October, 2021. NSFR is applicable to Bank's individual operations as well as group operations and computed at standalone and consolidated level. The entities included while computing consolidated NSFR are Canara Bank Solo (Domestic & overseas operation) and Canara Bank (Tanzania) Limited.

Available Stable Funding (ASF) is defined as the portion of total regulatory capital and liabilities expected to be reliable over the time the which horizon considered by the NSFR, which extends to one year, which is determined by various factor weights according to the nature and maturity of liabilities with liabilities having maturity of 1 year or more receiving 100% weight.

Required Stable Funding (RSF) is defined as the portion of on balance sheet and off-balance sheet exposures which requires to be funded on an ongoing basis. The amount of such stable funding required is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held.

#### Key drivers

The main drivers of the Available Stable Funding (ASF) are the capital base, retail deposit base, and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. The capital base formed around 11.87%, retail deposits (including deposits from small sized business customers) formed 63.65% and wholesale funding formed 24.48% of the total Available Stable Funding, after applying the relevant weights.

The Stable Funding primarily required for performing loans and securities constituted 90.15% of the total RSF after applying the relevant weights. The stock of High-Quality Liquid Assets which majorly includes cash and reserve balances with the RBI, Government debt issuances attracted no or low amount of stable funding due to their high quality and liquid characteristic. Accordingly, Stable Funding required for HQLA constituted 1.76% of the Required Stable Funding after applying the relevant weights. Other assets and Contingent funding obligations, such as committed credit facilities, guarantees and letters of credit constituted 8.09% of the Required Stable Funding.

#### NSFR OF THE BANK

Bank has maintained NSFR well above the minimum regulatory level on an ongoing basis. Historical trend of Consolidated NSFR of the Bank is as follows:

| Quarter Ended       | Mar-24  | Jun-24  | Sep-24  | Dec-24  | Mar-25  | Jun-25  | Sep-25  | Dec-25  | Mar-26  |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NSFR (Consolidated) | 137.38% | 133.76% | 131.62% | 133.29% | 135.48% | 127.28% | 128.65% | 129.59% | 126.86% |

Bank's NSFR at consolidated level comes to 126.86% as at the end of the quarter Q4(FY 2025-26) and the same is above the minimum regulatory requirement of 100%. The Available Stable Funding (ASF) as on 31<sup>st</sup> March 2026 stood at ₹12,45,329 Crores and amount of Required Stable Funding (RSF) as on 31<sup>st</sup> March 2026 was ₹9,81,682 Crores.



| वि.व. 2025-26 ति 1                                                                                              |                | वि.व. 2025-26 ति 2                         |                     |           |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभांरित मूल्य                                                                      |                | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभांरित मूल्य |                     |           |              |              |
|                                                                                                                 | परिपक्वता रहित | < 6 महीने                                  | 6 महीने से < 1 वर्ष | >= 1 वर्ष | भांरित मूल्य | भांरित मूल्य |
| एएसएफ मद                                                                                                        |                |                                            |                     |           |              |              |
| 1 पूंजी: (2+3)                                                                                                  | 7155           | 22903                                      | 2931                | 107713    | 136252       | 136987       |
| 2 विनियामक पूंजी                                                                                                | 1755           | 22903                                      | 1181                | 107713    | 133552       | 135487       |
| 3 अन्य पूंजीगत लिखत                                                                                             | 5400           | -                                          | 1750                | -         | 2700         | 1500         |
| 4 खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा (5+6)                                                    | 152943         | 139149                                     | 198203              | 321679    | 738929       | 752747       |
| 5 स्थिर जमा                                                                                                     | 21395          | 17636                                      | 24937               | 99101     | 154915       | 160523       |
| 6 घटाएं - स्थिर जमा                                                                                             | 131548         | 121513                                     | 173266              | 222578    | 584015       | 592224       |
| 7 थोक निधीयन: (8+9)                                                                                             | 214528         | 104959                                     | 359241              | 71841     | 281042       | 298105       |
| 8 परिचालनगत जमा                                                                                                 | -              | -                                          | -                   | -         | -            | -            |
| 9 अन्य थोक निधीयन                                                                                               | 214528         | 104959                                     | 359241              | 71841     | 281042       | 298105       |
| 10 अन्य देयताएं: (11+12)                                                                                        | -              | -                                          | 607                 | 23782     | -            | -            |
| 11 एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं                                                                                   | -              | -                                          | 607                 | -         | -            | -            |
| 12 अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं                                          | -              | -                                          | -                   | 23782     | -            | -            |
| 13 कुल एएसएफ (1+4+7+10)                                                                                         | -              | -                                          | -                   | -         | 1156224      | 1187840      |
| आरएसएफ मद                                                                                                       |                |                                            |                     |           |              |              |
| 14 उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर चल आस्तियां (एचक्यूएलए)                                                      | -              | -                                          | -                   | -         | 14717        | 15911        |
| 15 परिचालनगत उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां                                     | -              | -                                          | -                   | -         | -            | -            |
| 16 अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां (17+18+19+21+23)                                                                    | 210987         | 621244                                     | 260706              | 28449     | 734420       | 793585       |
| 17 स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण                                               | -              | -                                          | 10025               | -         | 4            | 25           |
| 18 ऋण- स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को बेजमानती अर्जक ऋण | 3320           | 92569                                      | 43123               | 12024     | 102501       | 129002       |

## QUANTITATIVE DISCLOSURE

(Amount in ₹ Crores)

| ASF Item                                                                                                                           | FY 2025-26 Q1                         |            |                  |        |                |  | FY 2025-26 Q2                         |            |                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|--------|----------------|--|---------------------------------------|------------|------------------|---------|
|                                                                                                                                    | Unweighted value by residual maturity |            |                  |        |                |  | Unweighted value by residual maturity |            |                  |         |
|                                                                                                                                    | No Maturity                           | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr  | Weighted Value |  | No Maturity                           | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr   |
| 1 Capital: (2+3)                                                                                                                   | 7155                                  | 22903      | 2931             | 107713 | 136252         |  | 3000                                  | 22903      | 4905             | 110889  |
| 2 Regulatory capital                                                                                                               | 1755                                  | 22903      | 1181             | 107713 | 133552         |  | -                                     | 22903      | 1755             | 110829  |
| 3 Other capital instruments                                                                                                        | 5400                                  | -          | 1750             | -      | 2700           |  | 3000                                  | -          | 3150             | -       |
| 4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)                                                                | 152943                                | 139149     | 198203           | 321679 | 738929         |  | 162478                                | 128377     | 207534           | 328610  |
| 5 Stable deposits                                                                                                                  | 21395                                 | 17636      | 24937            | 99101  | 154915         |  | 23154                                 | 16358      | 26257            | 103203  |
| 6 Less stable deposits                                                                                                             | 131548                                | 121513     | 173266           | 222578 | 584015         |  | 139324                                | 112019     | 181277           | 225407  |
| 7 Wholesale funding: (8+9)                                                                                                         | 214528                                | 104959     | 359241           | 71841  | 281042         |  | 172701                                | 103234     | 377598           | 97237   |
| 8 Operational deposits                                                                                                             | -                                     | -          | -                | -      | -              |  | -                                     | -          | -                | -       |
| 9 Other wholesale funding                                                                                                          | 214528                                | 104959     | 359241           | 71841  | 281042         |  | 172701                                | 103234     | 377598           | 97237   |
| 10 Other liabilities: (11+12)                                                                                                      | -                                     | -          | 607              | 23782  | -              |  | -                                     | -          | -                | 50469   |
| 11 NSFR derivative liabilities                                                                                                     | -                                     | -          | 607              | -      | -              |  | -                                     | -          | -                | -       |
| 12 All other liabilities and equity not included in the above categories                                                           | -                                     | -          | -                | 23782  | -              |  | -                                     | -          | -                | 50469   |
| 13 Total ASF (1+4+7+10)                                                                                                            |                                       |            |                  |        | 1156224        |  |                                       |            |                  | 1187840 |
| RSF Item                                                                                                                           |                                       |            |                  |        |                |  |                                       |            |                  |         |
| 14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)                                                                                    |                                       |            |                  |        | 14717          |  |                                       |            |                  | 15911   |
| 15 Deposits held at other financial institutions for operational purposes                                                          | -                                     | -          | -                | -      | -              |  | -                                     | -          | -                | -       |
| 16 Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)                                                                               | 210987                                | 621244     | 260706           | 28449  | 734420         |  | 232417                                | 666764     | 307481           | 27338   |
| 17 Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA                                                              | -                                     | -          | 10025            | -      | 4              |  | -                                     | -          | 163              | -       |
| 18 Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | 3320                                  | 92569      | 43123            | 12024  | 102501         |  | 12345                                 | 106899     | 95235            | 10968   |
|                                                                                                                                    |                                       |            |                  |        |                |  |                                       |            |                  | 129002  |

(राशियाँ करोड़ में)

| वि.व. 2025-26 ति 1                         |                                                                                                                                            | वि.व. 2025-26 ति 2                         |                   |          |              |                |           |                    |          |              |         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|----------------|-----------|--------------------|----------|--------------|---------|
| अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभांरित मूल्य |                                                                                                                                            | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभांरित मूल्य |                   |          |              |                |           |                    |          |              |         |
|                                            | परिपक्वता रहित                                                                                                                             | < 6 महीने                                  | 6 महीने से <1वर्ष | >=1 वर्ष | भांरित मूल्य | परिपक्वता रहित | < 6 महीने | 6 महीने से <1 वर्ष | >=1 वर्ष | भांरित मूल्य |         |
| 19                                         | गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण और राष्त्रिक, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से: | 201613                                     | 415328            | 206901   | -            | 536098         | 218909    | 442361             | 210385   | 568302       |         |
| 20                                         | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ                                         | -                                          | 97161             | -        | -            | 63155          | -         | 108507             | -        | 70530        |         |
| 21                                         | अर्जक आवासीय बंधक, जिसमें से:                                                                                                              | -                                          | 103821            | -        | -            | 67484          | -         | 107659             | -        | 69978        |         |
| 22                                         | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ                                         | -                                          | 103821            | -        | -            | 67484          | -         | 107659             | -        | 69978        |         |
| 23                                         | एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट नहीं हैं और एचक्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं                                    | 6055                                       | 9525              | 656      | 16424        | 28334          | 1163      | 9845               | 1698     | 26278        |         |
| 24                                         | अन्य आस्तिाय: (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग)                                                                                            | 7962                                       | 20177             | 122981   | 64996        | 147271         | -         | 24860              | 78495    | 100416       |         |
| 25                                         | स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं                                                                                                 | -                                          |                   |          |              | -              | -         |                    |          | -            |         |
| 26                                         | डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तिाय और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान                                |                                            | -                 | 1320     | -            | 1122           |           | -                  | 1407     | 1196         |         |
| 27                                         | एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तिाय                                                                                                                 |                                            | -                 | -        | -            | -              |           | -                  | -        | -            |         |
| 28                                         | दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती के पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं                                                                    |                                            | -                 | 43       | 76           | 119            |           | -                  | 311      | 362          |         |
| 29                                         | अन्य सभी आस्तिायों जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं                                                                                 | 7962                                       | 20177             | 121618   | 64920        | 146030         | -         | -                  | 23141    | 98857        |         |
| 30                                         | तुलन-पत्रांतर मर्दे                                                                                                                        |                                            | -                 | -        | 270433       | 11924          |           | -                  | 299207   | 13293        |         |
| 31                                         | कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)                                                                                                                |                                            |                   |          |              | 908333         |           |                    |          |              | 923205  |
| 32                                         | निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)                                                                                                               |                                            |                   |          |              | 127.29%        |           |                    |          |              | 128.66% |

# ANNUAL REPORT 2025-26

|    | FY 2025-26 Q1                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                  |        |                |         | FY 2025-26 Q2                         |            |                  |        |                |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|----------------|---------|---------------------------------------|------------|------------------|--------|----------------|--|
|    | Unweighted value by residual maturity                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |        |                |         | Unweighted value by residual maturity |            |                  |        |                |  |
|    | No Maturity                                                                                                                                                                                                                                                               | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr  | Weighted Value |         | No Maturity                           | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr  | Weighted Value |  |
| 19 | Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:<br>With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 201613     | 415328           | 206901 | -              | 536098  | 218909                                | 442361     | 210385           | -      | 568302         |  |
| 20 | Performing residential mortgages, of which:<br>With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk                                                                                                                   | -          | 97161            | -      | -              | 63155   | -                                     | 108507     | -                | -      | 70530          |  |
| 21 | Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities                                                                                                                                                                         | -          | 103821           | -      | -              | 67484   | -                                     | 107659     | -                | -      | 69978          |  |
| 22 | Other assets:<br>(sum of rows 25 to 29)                                                                                                                                                                                                                                   | -          | 103821           | -      | -              | 67484   | -                                     | 107659     | -                | -      | 69978          |  |
| 23 | Physical traded commodities, including gold                                                                                                                                                                                                                               | 6055       | 9525             | 656    | 16424          | 28334   | 1163                                  | 9845       | 1698             | 16370  | 26278          |  |
| 24 | Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs                                                                                                                                                                       | 7962       | 20177            | 122981 | 64996          | 147271  | -                                     | -          | 24860            | 78495  | 100416         |  |
| 25 | NSFR derivative assets                                                                                                                                                                                                                                                    | -          | -                | -      | -              | 1122    | -                                     | -          | 1407             | -      | 1196           |  |
| 26 | NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted                                                                                                                                                                                                   | -          | -                | -      | -              | 119     | -                                     | -          | -                | 51     | 362            |  |
| 27 | All other assets not included in the above categories                                                                                                                                                                                                                     | 7962       | 20177            | 121618 | 64920          | 146030  | -                                     | -          | 23141            | 78444  | 98857          |  |
| 28 | Off-balance sheet items                                                                                                                                                                                                                                                   | -          | -                | -      | 270433         | 11924   | -                                     | -          | -                | 299207 | 13293          |  |
| 29 | Total RSF (14+15+16+24+30)                                                                                                                                                                                                                                                | -          | -                | -      | -              | 908333  | -                                     | -          | -                | -      | 923205         |  |
| 30 | Net Stable Funding Ratio (%)                                                                                                                                                                                                                                              | -          | -                | -      | -              | 127.29% | -                                     | -          | -                | -      | 128.66%        |  |

(राशि ₹ करोड़ में)

| वि.व. 2025-26 ति 3                        |                                                                          |           |                    |          |                            |           | वि.व. 2025-26 ति 4                        |          |                |                       |         |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------|---------|
| अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभारित मूल्य |                                                                          |           |                    |          |                            |           | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभारित मूल्य |          |                |                       |         |
|                                           | परिपक्वता रहित                                                           | < 6 महीने | 6 महीने से <1 वर्ष | >=1 वर्ष | भारित मूल्य परिपक्वता रहित | < 6 महीने | 6 महीने से <1 वर्ष                        | >=1 वर्ष | परिपक्वता रहित | भारित मूल्य < 6 महीने |         |
| एसएफ मद                                   |                                                                          |           |                    |          |                            |           |                                           |          |                |                       |         |
| 1                                         | पूंजी: (2+3)                                                             | 114931    | 3000               | 23403    | 4020                       | 141454    | 4000                                      | 27403    | 3000           | 116377                | 147780  |
| 2                                         | विनियामक पूंजी                                                           | 114931    | 3000               | 23403    | 120                        | 141454    | 4000                                      | 27403    | -              | 116377                | 147780  |
| 3                                         | अन्य पूंजीगत लिखत                                                        | -         | -                  | -        | 3900                       | -         | -                                         | -        | 3000           | -                     | -       |
| 4                                         | खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा (5+6)               | 338147    | 168523             | 161645   | 173304                     | 766186    | 186328                                    | 144202   | 184761         | 350840                | 792653  |
| 5                                         | स्थिर जमा                                                                | 107759    | 23276              | 19782    | 23776                      | 165863    | 47486                                     | 35506    | 49368          | 130340                | 249565  |
| 6                                         | घटाएं - स्थिर जमा                                                        | 230389    | 145247             | 141862   | 149528                     | 600323    | 138842                                    | 108696   | 135393         | 220500                | 543087  |
| 7                                         | थोक निधीयन: (8+9)                                                        | 71693     | 179929             | 99564    | 432253                     | 290711    | 238399                                    | 91262    | 426234         | 75093                 | 304896  |
| 8                                         | परिचालनगत जमा                                                            | -         | -                  | --       | -                          | -         | -                                         | -        | -              | -                     | -       |
| 9                                         | अन्य थोक निधीयन                                                          | 71693     | 179929             | 99564    | 432253                     | 290711    | 238399                                    | 91262    | 426234         | 75093                 | 304896  |
| 10                                        | अन्य देयताएं: (11+12)                                                    | 51945     | -                  | -        | -                          | -         | -                                         | -        | -              | 35960                 | -       |
| 11                                        | एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं                                               |           | -                  | -        | -                          |           |                                           | -        | -              | -                     |         |
| 12                                        | अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं      | 51945     | -                  | -        | -                          | -         | -                                         | -        | -              | 35960                 | -       |
| 13                                        | कुल एसएफ (1+4+7+10)                                                      |           |                    |          |                            | 1198351   |                                           |          |                |                       | 1245329 |
| आरएसएफ मद                                 |                                                                          |           |                    |          |                            |           |                                           |          |                |                       |         |
| 14                                        | उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर चल आस्तियां (एचक्यूएलए)                  |           |                    |          |                            | 17301     |                                           |          |                |                       | 17233   |
| 15                                        | परिचालनगत उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां | -         | -                  | -        | -                          | -         | -                                         | -        | -              | -                     | -       |
| 16                                        | अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां (17+18+19+21+23)                                | 28554     | 233995             | 658902   | 397753                     | 835938    | 253772                                    | 703087   | 403360         | 28206                 | 885033  |
| 17                                        | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण           | -         | -                  | -        | 9564                       | 1435      | -                                         | -        | 5131           | -                     | 770     |



(Amount in ₹ Crores)

|                                                                           | FY 2025-26 Q3                         |            |                  |        |                |  | FY 2025-26 Q4                         |            |                  |        |                |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|--------|----------------|--|---------------------------------------|------------|------------------|--------|----------------|---|
|                                                                           | Unweighted value by residual maturity |            |                  |        |                |  | Unweighted value by residual maturity |            |                  |        |                |   |
|                                                                           | No Maturity                           | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr  | Weighted value |  | No Maturity                           | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr  | Weighted value |   |
| <b>ASF Item</b>                                                           |                                       |            |                  |        |                |  |                                       |            |                  |        |                |   |
| 1 Capital: (2+3)                                                          | 114931                                | 3000       | 23403            | 4020   | 141454         |  | 4000                                  | 27403      | 3000             | 116377 | 147780         |   |
| 2 Regulatory capital                                                      | 114931                                | 3000       | 23403            | 120    | 141454         |  | 4000                                  | 27403      | -                | 116377 | 147780         |   |
| 3 Other capital instruments                                               | -                                     | -          | -                | 3900   | -              |  | -                                     | -          | 3000             | -      | -              | - |
| 4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)       | 338147                                | 168523     | 161645           | 173304 | 766186         |  | 186328                                | 144202     | 184761           | 350840 | 792653         |   |
| 5 Stable deposits                                                         | 107759                                | 23276      | 19782            | 23776  | 165863         |  | 47486                                 | 35506      | 49368            | 130340 | 249565         |   |
| 6 Less stable deposits                                                    | 230389                                | 145247     | 141862           | 149528 | 600323         |  | 138842                                | 108696     | 135393           | 220500 | 543087         |   |
| 7 Wholesale funding: (8+9)                                                | 71693                                 | 179929     | 99564            | 432253 | 290711         |  | 238399                                | 91262      | 426234           | 75093  | 304896         |   |
| 8 Operational deposits                                                    | -                                     | -          | -                | -      | -              |  | -                                     | -          | -                | -      | -              | - |
| 9 Other wholesale funding                                                 | 71693                                 | 179929     | 99564            | 432253 | 290711         |  | 238399                                | 91262      | 426234           | 75093  | 304896         |   |
| 10 Other liabilities: (11+12)                                             | 51945                                 | -          | -                | -      | -              |  | -                                     | -          | -                | 35960  | -              | - |
| 11 NSFR derivative liabilities                                            |                                       | -          | -                | -      |                |  |                                       | -          | -                | -      | -              | - |
| 12 All other liabilities and equity not included in the above categories  | 51945                                 | -          | -                | -      | -              |  | -                                     | -          | -                | 35960  | -              | - |
| 13 Total ASF (1+4+7+10)                                                   |                                       |            |                  |        | 1198351        |  |                                       |            |                  |        | 1245329        |   |
| <b>RSF Item</b>                                                           |                                       |            |                  |        |                |  |                                       |            |                  |        |                |   |
| 14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)                           |                                       |            |                  |        | 17301          |  |                                       |            |                  |        | 17233          |   |
| 15 Deposits held at other financial institutions for operational purposes | -                                     | -          | -                | -      | -              |  | -                                     | -          | -                | -      | -              | - |
| 16 Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)                      | 28554                                 | 233995     | 658902           | 397753 | 835938         |  | 253772                                | 703087     | 403360           | 28206  | 885033         |   |
| 17 Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA     | -                                     | -          | -                | 9564   | 1435           |  | -                                     | -          | 5131             | -      | 770            |   |

(राशि ₹ करोड़ में)

|                                                                                                                                                | वि.व. 2025-26 ति 3                        |           |                     |           |                            | वि.व. 2025-26 ति 4                        |                     |           |                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभारित मूल्य |           |                     |           |                            | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभारित मूल्य |                     |           |                |                       |
|                                                                                                                                                | परिपक्वता रहित                            | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | >= 1 वर्ष | भारित मूल्य परिपक्वता रहित | < 6 महीने                                 | 6 महीने से < 1 वर्ष | >= 1 वर्ष | परिपक्वता रहित | भारित मूल्य < 6 महीने |
| 18 गैर-स्तर 1 एचयूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को बेजमानती अर्जक ऋण                                  | 12538                                     | 7153      | 108352              | 80441     | 125875                     | 18547                                     | 152789              | 117729    | 11861          | 181501                |
| 19 गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण और राष्ट्रिक, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से: | -                                         | 224709    | 431097              | 305803    | 611081                     | 230106                                    | 429273              | 277195    | -              | 602406                |
| 20 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ                                          | -                                         | -         | 103032              | -         | 66971                      | -                                         | 61856               | -         | -              | 40206                 |
| 21 अर्जक आवासीय बंधक, जिसमें से:                                                                                                               | -                                         | -         | 110125              | -         | 71582                      | -                                         | 112588              | -         | -              | 73182                 |
| 22 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ                                          | -                                         | -         | 110125              | -         | 71582                      | -                                         | 112588              | -         | -              | 73182                 |
| 23 एक्सचेंज-ट्रेड इक्विटी सहित वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट नहीं हैं और एचयूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं                                         | 16017                                     | 2133      | 9328                | 1945      | 25966                      | 5119                                      | 8435                | 3306      | 16346          | 27174                 |
| 24 अन्य आस्तियां: (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग)                                                                                            | 53402                                     | -         | -                   | 19861     | 58058                      | -                                         | -                   | 24749     | 58429          | 66017                 |
| 25 स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं                                                                                                  | -                                         | -         | -                   | -         | -                          | -                                         | -                   | -         | -              | -                     |
| 26 डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान                                | -                                         | -         | -                   | 1552      | 1319                       | -                                         | -                   | 1822      | -              | 1549                  |
| 27 एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां                                                                                                                 | -                                         | -         | -                   | -         | -                          | -                                         | -                   | -         | -              | -                     |
| 28 दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती के पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं                                                                     | -                                         | -         | -                   | 695       | 1486                       | -                                         | -                   | 3059      | 283            | 3342                  |
| 29 अन्य सभी आस्तियों जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं                                                                                   | 52611                                     | -         | -                   | 17614     | 55253                      | -                                         | -                   | 19867     | 58146          | 61126                 |
| 30 तुलन-पत्रोत्तर मंटे                                                                                                                         | -                                         | -         | -                   | -         | 13393                      | -                                         | -                   | -         | 303371         | 13389                 |
| 31 कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)                                                                                                                 | -                                         | -         | -                   | -         | 924691                     | -                                         | -                   | -         | 12             | 981672                |
| 32 निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)                                                                                                                | -                                         | -         | -                   | -         | 129.59%                    | -                                         | -                   | -         | -              | 126.86%               |

(Amount in ₹ Crores)

|    | FY 2025-26 Q3                                                                                                                                                 |            |                  |        |             |            | FY 2025-26 Q4  |                                       |        |        |         |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|-------------|------------|----------------|---------------------------------------|--------|--------|---------|----------------|
|    | Unweighted value by residual maturity                                                                                                                         |            |                  |        |             |            | Weighted value | Unweighted value by residual maturity |        |        |         | Weighted value |
|    | No Maturity                                                                                                                                                   | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr  | No Maturity | < 6 Months |                | 6 Months to <1yr                      | >=1yr  |        |         |                |
| 18 | Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions                               | 12538      | 7153             | 108352 | 80441       | 125875     | 18547          | 152789                                | 117729 | 11861  | 181501  |                |
| 19 | Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which: | -          | 224709           | 431097 | 305803      | 611081     | 230106         | 429273                                | 277195 | -      | 602406  |                |
| 20 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk                                                      | -          | -                | 103032 | -           | 66971      | -              | 61856                                 | -      | -      | 40206   |                |
| 21 | Performing residential mortgages, of which:                                                                                                                   | -          | -                | 110125 | -           | 71582      | -              | 112588                                | -      | -      | 73182   |                |
| 22 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk                                                      | -          | -                | 110125 | -           | 71582      | -              | 112588                                | -      | -      | 73182   |                |
| 23 | Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities                                                             | 16017      | 2133             | 9328   | 1945        | 25966      | 5119           | 8435                                  | 3306   | 16346  | 27174   |                |
| 24 | Other assets: (sum of rows 25 to 29)                                                                                                                          | 53402      | -                | -      | 19861       | 58058      | -              | -                                     | 24749  | 58429  | 66017   |                |
| 25 | Physical traded commodities, including gold                                                                                                                   | -          |                  |        |             | -          | -              |                                       |        |        | -       |                |
| 26 | Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs                                                           |            | -                | -      | 1552        | 1319       |                | -                                     | 1822   | -      | 1549    |                |
| 27 | NSFR derivative assets                                                                                                                                        |            | -                | -      | -           | -          |                | -                                     | -      | -      | -       |                |
| 28 | NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted                                                                                       |            | -                | -      | 695         | 1486       |                | -                                     | 3059   | 283    | 3342    |                |
| 29 | All other assets not included in the above categories                                                                                                         | 52611      | -                | -      | 17614       | 55253      | -              | -                                     | 19867  | 58146  | 61126   |                |
| 30 | Off-balance sheet items                                                                                                                                       |            | -                | -      | -           | 13393      |                | -                                     | -      | 303371 | 13389   |                |
| 31 | Total RSF (14+15+16+24+30)                                                                                                                                    |            |                  |        |             | 924691     |                |                                       |        | 12     | 981672  |                |
| 32 | Net Stable Funding Ratio (%)                                                                                                                                  |            |                  |        |             | 129.59%    |                |                                       |        |        | 126.86% |                |

(राशि ₹ करोड़ में)

|                  | वि.व. 2024-25 ति 1                                                                                           |           |                     |           |              |                | वि.व. 2024-25 ति 2                         |                     |           |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|
|                  | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभांरित मूल्य                                                                   |           |                     |           |              |                | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभांरित मूल्य |                     |           |              |
|                  | परिपक्वता रहित                                                                                               | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | >= 1 वर्ष | भांरित मूल्य | परिपक्वता रहित | < 6 महीने                                  | 6 महीने से < 1 वर्ष | >= 1 वर्ष | भांरित मूल्य |
| <b>एएसएफ मद</b>  |                                                                                                              |           |                     |           |              |                |                                            |                     |           |              |
| 1                | पूंजी: (2+3)                                                                                                 | 95,396    | -                   | -         | 28,989       | 1,24,385       | 98,679                                     | -                   | 32,489    | 1,31,168     |
| 2                | विनियामक पूंजी                                                                                               | 95,396    | -                   | -         | 23,269       | 1,18,665       | 98,679                                     | -                   | 27,569    | 1,26,248     |
| 3                | अन्य पूंजीगत लिखत                                                                                            | -         | -                   | -         | 5,720        | 5,720          | -                                          | -                   | 4,920     | 4,920        |
| 4                | खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमा (5+6)                                                   | 3,05,026  | 2,15,779            | 1,40,811  | 95,594       | 6,96,884       | 3,08,491                                   | 1,57,673            | 1,49,439  | 7,09,522     |
| 5                | स्थिर जमा                                                                                                    | 75,873    | 21,543              | 19,289    | 13,188       | 1,24,058       | 85,383                                     | 17,219              | 21,183    | 1,39,960     |
| 6                | घटाएं - स्थिर जमा                                                                                            | 2,29,153  | 1,94,235            | 1,21,522  | 82,407       | 5,72,826       | 2,23,107                                   | 1,40,454            | 1,28,257  | 5,69,562     |
| 7                | थोक निधीयन: (8+9)                                                                                            | 62,036    | 1,59,755            | 1,58,432  | 51,034       | 2,41,145       | 60,308                                     | 1,33,205            | 1,40,350  | 2,43,898     |
| 8                | परिचालनगत जमा                                                                                                | -         | -                   | -         | -            | -              | -                                          | -                   | -         | -            |
| 9                | अन्य थोक निधीयन                                                                                              | 62,036    | 1,59,755            | 1,58,432  | 51,034       | 2,41,145       | 60,308                                     | 1,33,205            | 1,40,350  | 2,43,898     |
| 10               | अन्य देयताएं: (11+12)                                                                                        | 40,350    | 1,61,684            | 18,482    | 417          | -              | 42,446                                     | 2,07,051            | 14,995    | 3,918        |
| 11               | एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं                                                                                   | -         | 22                  | -         | -            | -              | -                                          | -                   | -         | -            |
| 12               | अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं                                          | 40,350    | 1,61,662            | 18,482    | 417          | -              | 42,446                                     | 2,07,051            | 14,995    | 3,918        |
| 13               | कुल एएसएफ (1+4+7+10)                                                                                         |           |                     |           |              | 10,62,413      |                                            |                     |           | 10,84,587    |
| <b>आरएसएफ मद</b> |                                                                                                              |           |                     |           |              |                |                                            |                     |           |              |
| 14               | उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर चल आस्ति (एचक्यूएलए)                                                         |           |                     |           |              | 15,733         |                                            |                     |           | 15,343       |
| 15               | परिचालनगत उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां                                     | -         | -                   | -         | -            | -              | -                                          | -                   | -         | -            |
| 16               | अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां (17+18+19+21+23)                                                                    | 828       | 3,08,231            | 1,73,851  | 4,59,584     | 5,79,948       | 1,210                                      | 3,03,582            | 1,98,388  | 6,01,993     |
| 17               | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण                                               | -         | -                   | -         | -            | -              | -                                          | -                   | -         | -            |
| 18               | गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को बेजमानती अर्जक ऋण | -         | 53,286              | 12,052    | -            | 14,019         | -                                          | 76,829              | 17,024    | 20,036       |

(Amount in ₹ Crores)

|                                                                                                                                    | FY 2024-25 Q1                          |            |                  |          |                |  | FY 2024-25 Q2                          |            |                  |          |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|----------|----------------|--|----------------------------------------|------------|------------------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                    | Un-weighted value by residual maturity |            |                  |          |                |  | Un-weighted value by residual maturity |            |                  |          |                |  |
|                                                                                                                                    | No Maturity                            | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr    | Weighted value |  | No Maturity                            | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr    | Weighted value |  |
| <b>ASF Item</b>                                                                                                                    |                                        |            |                  |          |                |  |                                        |            |                  |          |                |  |
| 1 Capital: (2+3)                                                                                                                   | 95,396                                 | -          | -                | 28,989   | 1,24,385       |  | 98,679                                 | -          | -                | 32,489   | 1,31,168       |  |
| 2 Regulatory capital                                                                                                               | 95,396                                 | -          | -                | 23,269   | 1,18,665       |  | 98,679                                 | -          | -                | 27,569   | 1,26,248       |  |
| 3 Other capital instruments                                                                                                        | -                                      | -          | -                | 5,720    | 5,720          |  | -                                      | -          | -                | 4,920    | 4,920          |  |
| 4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)                                                                | 3,05,026                               | 2,15,779   | 1,40,811         | 95,594   | 6,96,884       |  | 3,08,491                               | 1,57,673   | 1,49,439         | 1,49,289 | 7,09,522       |  |
| 5 Stable deposits                                                                                                                  | 75,873                                 | 21,543     | 19,289           | 13,188   | 1,24,058       |  | 85,383                                 | 17,219     | 21,183           | 22,364   | 1,39,960       |  |
| 6 Less stable deposits                                                                                                             | 2,29,153                               | 1,94,235   | 1,21,522         | 82,407   | 5,72,826       |  | 2,23,107                               | 1,40,454   | 1,28,257         | 1,26,925 | 5,69,562       |  |
| 7 Wholesale funding: (8+9)                                                                                                         | 62,036                                 | 1,59,755   | 1,58,432         | 51,034   | 2,41,145       |  | 60,308                                 | 1,33,205   | 1,40,350         | 76,966   | 2,43,898       |  |
| 8 Operational deposits                                                                                                             | -                                      | -          | -                | -        | -              |  | -                                      | -          | -                | -        | -              |  |
| 9 Other wholesale funding                                                                                                          | 62,036                                 | 1,59,755   | 1,58,432         | 51,034   | 2,41,145       |  | 60,308                                 | 1,33,205   | 1,40,350         | 76,966   | 2,43,898       |  |
| 10 Other liabilities: (11+12)                                                                                                      | 40,350                                 | 1,61,684   | 18,482           | 417      | -              |  | 42,446                                 | 2,07,051   | 14,995           | 3,918    | -              |  |
| 11 NSFR derivative liabilities                                                                                                     | -                                      | 22         | -                | -        | -              |  | -                                      | -          | -                | -        | -              |  |
| 12 All other liabilities and equity not included in the above categories                                                           | 40,350                                 | 1,61,662   | 18,482           | 417      | -              |  | 42,446                                 | 2,07,051   | 14,995           | 3,918    | -              |  |
| 13 Total ASF (1+4+7+10)                                                                                                            |                                        |            |                  |          | 10,62,413      |  |                                        |            |                  |          | 10,84,587      |  |
| <b>RSF Item</b>                                                                                                                    |                                        |            |                  |          |                |  |                                        |            |                  |          |                |  |
| 14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)                                                                                    |                                        |            |                  |          | 15,733         |  |                                        |            |                  |          | 15,343         |  |
| 15 Deposits held at other financial institutions for operational purposes                                                          | -                                      | -          | -                | -        | -              |  | -                                      | -          | -                | -        | -              |  |
| 16 Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)                                                                               | 828                                    | 3,08,231   | 1,73,851         | 4,59,584 | 5,79,948       |  | 1,210                                  | 3,03,582   | 1,98,388         | 4,85,918 | 6,01,993       |  |
| 17 Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA                                                              | -                                      | -          | -                | -        | -              |  | -                                      | -          | -                | -        | -              |  |
| 18 Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | -                                      | 53,286     | 12,052           | -        | 14,019         |  | -                                      | 76,829     | 17,024           | -        | 20,036         |  |



(राशि ₹ करोड़ में)

|    | वि.व. 2024-25 ति 1                                                                                                                         |           |                     |          |             | वि.व. 2024-25 ति 2                         |           |                     |          |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------|
|    | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अमांशित मूल्य                                                                                                 |           |                     |          |             | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अमांशित मूल्य |           |                     |          |             |
|    | परिपक्वता रहित                                                                                                                             | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | >=1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता रहित                             | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | >=1 वर्ष | भारित मूल्य |
| 19 | गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण और राष्ट्रिक, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से: | -         | 2,54,945            | 1,61,799 | 4,21,341    | 5,35,668                                   | -         | 2,26,753            | 1,81,364 | 4,45,445    |
| 20 | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ                                         | -         | -                   | -        | 1,54,221    | 1,00,244                                   | -         | -                   | -        | 1,65,314    |
| 21 | अर्जक आवासीय बंधक, जिसमें से:                                                                                                              | -         | -                   | -        | 14,743      | 9,583                                      | -         | -                   | -        | 15,483      |
| 22 | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ                                         | -         | -                   | -        | 14,743      | 9,583                                      | -         | -                   | -        | 15,483      |
| 23 | एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट नहीं हैं और एचव्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं                                    | 828       | -                   | -        | 23,489      | 20,678                                     | 1,210     | -                   | -        | 24,989      |
| 24 | अन्य आस्तियां: (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग)                                                                                           | 78,817    | 38,752              | 11,367   | 4,65,641    | 1,87,512                                   | 83,516    | 26,609              | 6,171    | 4,69,907    |
| 25 | स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं                                                                                                 | -         | -                   | -        | -           | -                                          | -         | -                   | -        | -           |
| 26 | डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान                               | -         | 229                 | -        | 7,824       | 6,845                                      | -         | 249                 | -        | 874         |
| 27 | एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां                                                                                                                | -         | -                   | -        | -           | -                                          | -         | 2                   | -        | -           |
| 28 | दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती के पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं                                                                    | -         | 40                  | -        | -           | 40                                         | -         | 33                  | -        | -           |
| 29 | अन्य सभी आस्तियों जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं                                                                                  | 78,817    | 38,483              | 11,367   | 4,57,817    | 1,80,627                                   | 83,516    | 26,325              | 6,171    | 4,69,033    |
| 30 | तुलन-पत्रोत्तर मद्धें                                                                                                                      | -         | -                   | 2,53,943 | -           | 11,179                                     | -         | 2,40,569            | -        | 10,517      |
| 31 | कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)                                                                                                                | -         | -                   | -        | -           | 7,94,373                                   | -         | -                   | -        | 8,24,084    |
| 32 | निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)                                                                                                               | -         | -                   | -        | -           | 133.74%                                    | -         | -                   | -        | 131.61%     |

(Amount in ₹ Crores)

|    | FY 2024-25 Q1                                                                                                                                                  |            |                  |          |          | FY 2024-25 Q2  |                                        |            |                  |          |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|----------|----------------|----------------------------------------|------------|------------------|----------|----------------|
|    | Un-weighted value by residual maturity                                                                                                                         |            |                  |          |          | Weighted value | Un-weighted value by residual maturity |            |                  |          | Weighted value |
|    | No Maturity                                                                                                                                                    | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr    |          |                | No Maturity                            | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr    |                |
| 19 | Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which: | -          | 2,54,945         | 1,61,799 | 4,21,341 | 5,35,668       | -                                      | 2,26,753   | 1,81,364         | 4,45,445 | 5,49,623       |
| 20 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk                                                       | -          | -                | -        | 1,54,221 | 1,00,244       | -                                      | -          | -                | 1,65,314 | 1,07,454       |
| 21 | Performing residential mortgages, of which:                                                                                                                    | -          | -                | -        | 14,743   | 9,583          | -                                      | -          | -                | 15,483   | 10,064         |
| 22 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk                                                       | -          | -                | -        | 14,743   | 9,583          | -                                      | -          | -                | 15,483   | 10,064         |
| 23 | Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities                                                              | 828        | -                | -        | 23,499   | 20,678         | 1,210                                  | -          | -                | 24,989   | 22,269         |
| 24 | Other assets: (sum of rows 25 to 29)                                                                                                                           | 78,817     | 38,752           | 11,367   | 4,65,641 | 1,87,512       | 83,516                                 | 26,609     | 6,171            | 4,69,907 | 1,96,231       |
| 25 | Physical traded commodities, including gold                                                                                                                    | -          |                  |          |          | -              | -                                      |            |                  |          | -              |
| 26 | Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs                                                            |            | 229              | -        | 7,824    | 6,845          |                                        | 249        | -                | 874      | 955            |
| 27 | NSFR derivative assets                                                                                                                                         |            | -                | -        | -        | -              |                                        | 2          | -                | -        | 2              |
| 28 | NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted                                                                                        |            | 40               | -        | -        | 40             |                                        | 33         | -                | -        | 33             |
| 29 | All other assets not included in the above categories                                                                                                          | 78,817     | 38,483           | 11,367   | 4,57,817 | 1,80,627       | 83,516                                 | 26,325     | 6,171            | 4,69,033 | 1,95,242       |
| 30 | Off-balance sheet items                                                                                                                                        |            | -                | 2,53,943 | -        | 11,179         |                                        | -          | 2,40,569         | -        | 10,517         |
| 31 | Total RSF (14+15+16+24+30)                                                                                                                                     |            |                  |          |          | 7,94,373       |                                        |            |                  |          | 8,24,084       |
| 32 | Net Stable Funding Ratio (%)                                                                                                                                   |            |                  |          |          | 133.74%        |                                        |            |                  |          | 131.61%        |

(राशि ₹ करोड़ में)

|                  | वि.व. 2024-25 ति 3                                                                                            |           |                     |          |             | वि.व. 2024-25 ति 4                        |           |                     |          |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------|
|                  | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभारित मूल्य                                                                     |           |                     |          |             | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अभारित मूल्य |           |                     |          |             |
|                  | परिपक्वता रहित                                                                                                | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | >=1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता रहित                            | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | >=1 वर्ष | भारित मूल्य |
| <b>एएसएफ मद</b>  |                                                                                                               |           |                     |          |             |                                           |           |                     |          |             |
| 1                | पूंजी: (2+3)                                                                                                  | 1,01,097  | -                   | -        | 31,739      | 1,32,836                                  | 1,03,772  | 1,181               | 1,755    | 25,903      |
| 2                | वित्तियामक पूंजी                                                                                              | 1,01,097  | -                   | -        | 27,419      | 1,28,516                                  | 1,03,772  | 1,181               | 1,755    | 25,903      |
| 3                | अन्य पूंजीगत लिखत                                                                                             | -         | -                   | -        | 4,320       | 4,320                                     | -         | -                   | -        | 2,400       |
| 4                | खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से जमा (5+6)                                                            | 3,08,764  | 1,54,842            | 1,83,213 | 1,28,472    | 7,17,063                                  | 3,15,064  | 1,63,000            | 1,89,717 | 1,24,254    |
| 5                | स्थायी जमा                                                                                                    | 86,743    | 17,414              | 24,916   | 20,883      | 1,43,501                                  | 94,369    | 21,382              | 23,824   | 15,827      |
| 6                | घटाएं - स्थायी जमा                                                                                            | 2,22,021  | 1,37,429            | 1,58,297 | 1,07,589    | 5,73,562                                  | 2,20,695  | 1,41,618            | 1,65,893 | 1,08,427    |
| 7                | थोक निधीयन: (8+9)                                                                                             | 58,262    | 1,67,978            | 1,50,985 | 81,084      | 2,69,697                                  | 97,462    | 3,31,974            | 2,13,550 | 90,006      |
| 8                | परिचालन जमा                                                                                                   | -         | -                   | -        | -           | -                                         | -         | -                   | -        | -           |
| 9                | अन्य थोक निधीयन                                                                                               | 58,262    | 1,67,978            | 1,50,985 | 81,084      | 2,69,697                                  | 97,462    | 3,31,974            | 2,13,550 | 90,006      |
| 10               | अन्य देयताएं: (11+12)                                                                                         | 29,622    | 1,91,517            | 364      | 4,709       | -                                         | 24,668    | 476                 | -        | -           |
| 11               | एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं                                                                                    | -         | -                   | -        | -           | -                                         | -         | 476                 | -        | -           |
| 12               | अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं                                           | 29,622    | 1,91,517            | 364      | 4,709       | -                                         | 24,668    | -                   | -        | -           |
| 13               | कुल एएसएफ (1+4+7+10)                                                                                          |           |                     |          |             | 11,19,595                                 |           |                     |          | 11,50,659   |
| <b>आरएसएफ मद</b> |                                                                                                               |           |                     |          |             |                                           |           |                     |          |             |
| 14               | उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर तरल आस्ति (एचव्यूएलए)                                                         |           |                     |          |             | 15,507                                    |           |                     |          | 15,836      |
| 15               | परिचालनगत उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां                                      | -         | -                   | -        | -           | -                                         | -         | -                   | -        | -           |
| 16               | अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां (17+18+19+21+23)                                                                     | 3,415     | 2,80,409            | 2,06,443 | 5,08,443    | 6,14,910                                  | 25,949    | 2,62,661            | 1,85,226 | 5,98,591    |
| 17               | स्तर 1 एचव्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण                                                | -         | -                   | -        | -           | -                                         | -         | 9,102               | -        | 1,365       |
| 18               | गैर- स्तर 1 एचव्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को बेजमानगी अर्जक ऋण | 1,913     | 66,838              | 8,623    | -           | 14,624                                    | 10,964    | 28,504              | 3,959    | 85,669      |
|                  |                                                                                                               |           |                     |          |             |                                           |           |                     |          | 93,569      |

(Amount in ₹ Crores)

| ASF Item                                                                                                                           | FY 2024-25 Q3                         |            |                  |          |                | FY 2024-25 Q4                         |            |                  |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|----------|----------------|---------------------------------------|------------|------------------|----------|----------------|
|                                                                                                                                    | Unweighted value by residual maturity |            |                  |          |                | Unweighted value by residual maturity |            |                  |          |                |
|                                                                                                                                    | No Maturity                           | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr    | Weighted value | No Maturity                           | < 6 Months | 6 Months to <1yr | >=1yr    | Weighted value |
| 1 Capital: (2+3)                                                                                                                   | 1,01,097                              | -          | -                | 31,739   | 1,32,836       | 1,03,772                              | 1,181      | 1,755            | 25,903   | 1,32,611       |
| 2 Regulatory capital                                                                                                               | 1,01,097                              | -          | -                | 27,419   | 1,28,516       | 1,03,772                              | 1,181      | 1,755            | 25,903   | 1,32,611       |
| 3 Other capital instruments                                                                                                        | -                                     | -          | -                | 4,320    | 4,320          | -                                     | -          | -                | 2,400    | 2,400          |
| 4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)                                                                | 3,08,764                              | 1,54,842   | 1,83,213         | 1,28,472 | 7,17,063       | 3,15,064                              | 1,63,000   | 1,89,717         | 1,24,254 | 7,20,601       |
| 5 Stable deposits                                                                                                                  | 86,743                                | 17,414     | 24,916           | 20,883   | 1,43,501       | 94,369                                | 21,382     | 23,824           | 15,827   | 1,47,631       |
| 6 Less stable deposits                                                                                                             | 2,22,021                              | 1,37,429   | 1,58,297         | 1,07,589 | 5,73,562       | 2,20,695                              | 1,41,618   | 1,65,893         | 1,08,427 | 5,72,969       |
| 7 Wholesale funding: (8+9)                                                                                                         | 58,262                                | 1,67,978   | 1,50,985         | 81,084   | 2,69,697       | 97,462                                | 3,31,974   | 2,13,550         | 90,006   | 2,97,448       |
| 8 Operational deposits                                                                                                             | -                                     | -          | -                | -        | -              | -                                     | -          | -                | -        | -              |
| 9 Other wholesale funding                                                                                                          | 58,262                                | 1,67,978   | 1,50,985         | 81,084   | 2,69,697       | 97,462                                | 3,31,974   | 2,13,550         | 90,006   | 2,97,448       |
| 10 Other liabilities: (11+12)                                                                                                      | 29,622                                | 1,91,517   | 364              | 4,709    | -              | 24,668                                | 476        | -                | -        | -              |
| 11 NSFR derivative liabilities                                                                                                     | -                                     | -          | -                | -        | -              | -                                     | 476        | -                | -        | -              |
| 12 All other liabilities and equity not included in the above categories                                                           | 29,622                                | 1,91,517   | 364              | 4,709    | -              | 24,668                                | -          | -                | -        | -              |
| 13 Total ASF (1+4+7+10)                                                                                                            |                                       |            |                  |          | 11,19,595      |                                       |            |                  |          | 11,50,659      |
| RSF Item                                                                                                                           |                                       |            |                  |          |                |                                       |            |                  |          |                |
| 14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)                                                                                    |                                       |            |                  |          | 15,507         |                                       |            |                  |          | 15,836         |
| 15 Deposits held at other financial institutions for operational purposes                                                          | -                                     | -          | -                | -        | -              | -                                     | -          | -                | -        | -              |
| 16 Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)                                                                               | 3,415                                 | 2,80,409   | 2,06,443         | 5,08,443 | 6,14,910       | 25,949                                | 2,62,661   | 1,85,226         | 5,98,591 | 7,14,511       |
| 17 Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA                                                              | -                                     | -          | -                | -        | -              | -                                     | 9,102      | -                | -        | 1,365          |
| 18 Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | 1,913                                 | 66,838     | 8,623            | -        | 14,624         | 10,964                                | 28,504     | 3,959            | 85,669   | 93,569         |

(राशि ₹ करोड़ में)

|                                                                                                                                                 | वि.व. 2024-25 ति 3                         |           |                     |           |             | वि.व. 2024-25 ति 4                         |           |                     |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                                                 | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अमांशित मूल्य |           |                     |           |             | अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अमांशित मूल्य |           |                     |           |             |
|                                                                                                                                                 | परिपक्वता रहित                             | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | >= 1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता रहित                             | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | >= 1 वर्ष | भारित मूल्य |
| 19 गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से: | -                                          | 2,13,571  | 1,97,820            | 4,66,313  | 5,66,440    | -                                          | 2,24,731  | 1,75,625            | 4,02,991  | 5,27,961    |
| 20 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ                                           | -                                          | -         | -                   | 1,78,108  | 1,15,770    | -                                          | -         | -                   | 68,244    | 44,359      |
| 21 अर्जक आवासीय बंधक, जिसमें से:                                                                                                                | -                                          | -         | -                   | 16,200    | 10,530      | -                                          | -         | -                   | 1,01,161  | 65,755      |
| 22 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ                                           | -                                          | -         | -                   | 16,200    | 10,530      | -                                          | -         | -                   | 1,01,161  | 65,755      |
| 23 एक्सचेंज-ट्रेंडेड इक्विटी सहित वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट नहीं हैं और एचव्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं                                     | 1,501                                      | -         | -                   | 25,930    | 23,317      | 14,984                                     | 325       | 5,642               | 8,769     | 25,861      |
| 24 अन्य आस्तियां: (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग)                                                                                             | 75,011                                     | 43,453    | 11,210              | 4,64,265  | 1,98,519    | 49,694                                     | 96,540    | 7,572               | 23,127    | 1,07,616    |
| 25 स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं                                                                                                   | -                                          | -         | -                   | -         | -           | -                                          | -         | -                   | -         | -           |
| 26 डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान                                 | -                                          | 257       | -                   | 900       | 983         | -                                          | 1,236     | -                   | -         | 1,051       |
| 27 एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां                                                                                                                  | -                                          | 310       | -                   | -         | 310         | -                                          | -         | -                   | -         | -           |
| 28 दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती के पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं                                                                      | -                                          | 46        | -                   | -         | 46          | -                                          | -         | -                   | -         | 1,324       |
| 29 अन्य सभी आस्तियों जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं                                                                                    | 75,011                                     | 42,840    | 11,210              | 4,63,365  | 1,97,179    | 48,370                                     | 95,305    | 7,572               | 23,127    | 1,05,242    |
| 30 तुलन-पत्रों पर मर्दे                                                                                                                         | -                                          | -         | 2,51,341            | -         | 11,002      | -                                          | -         | -                   | -         | 11,276      |
| 31 कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)                                                                                                                  | -                                          | -         | -                   | -         | 8,39,937    | -                                          | -         | -                   | -         | 8,49,238    |
| 32 निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)                                                                                                                 | -                                          | -         | -                   | -         | 133.30%     | -                                          | -         | -                   | -         | 135.49%     |



(Amount in ₹ Crores)

| FY 2024-25 Q3                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FY 2024-25 Q4                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unweighted value by residual maturity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3. निवेश

#### (i) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

|                                                      | चालू वर्ष |            |          |            |            |                                 | गत वर्ष   |            |        |            |            |                                 |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|---------------------------------|-----------|------------|--------|------------|------------|---------------------------------|
|                                                      | एचटीएम    |            |          | एफवीटीपीएल |            |                                 | एचटीएम    |            |        | एफवीटीपीएल |            |                                 |
|                                                      | लागत पर   | उचित मूल्य | एफएस     | एचएफटी     | नॉन-एचएफटी | अनुषंगी सहयोगी और संयुक्त उद्यम | लागत पर   | उचित मूल्य | एचटीएम | लागत पर    | उचित मूल्य | अनुषंगी सहयोगी और संयुक्त उद्यम |
| I. भारत में निवेश                                    |           |            |          |            |            |                                 |           |            |        |            |            |                                 |
| सरकारी प्रतिभूति                                     | 309908.87 | 302732.50  | 49072.19 | 1464.08    | 0.00       |                                 | 296733.45 | 297589.46  |        | 1443.36    | 0.00       |                                 |
| (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूति                         | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 103.61     |                                 | 0.00      | 0.00       |        | 0.00       | 93.60      |                                 |
| (iii) शेयर                                           | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 1840.51    | 4544.37    |                                 | 0.00      | 0.00       |        | 1999.79    | 4101.34    |                                 |
| (iv) डिबेंचर और बॉण्ड                                | 4673.85   | 4968.72    | 5110.74  | 0.00       | 2261.81    |                                 | 5073.54   | 5128.74    |        | 0.00       | 2668.21    |                                 |
| (v) अनुषंगी सहयोगी और संयुक्त उद्यम                  |           |            |          |            |            | 1324.98                         |           | 11353.28   |        |            |            | 1483.37                         |
| (vi) अन्य (वीसीएफ, एमएफ, एआरसी, सीपी, सीडी आदि)      | 0.00      | 0.00       | 7230.01  | 0.00       | 13678.21   |                                 | 0.00      | 0.00       |        | 0.00       | 11678.04   |                                 |
| कुल                                                  | 314582.71 | 307701.22  | 61412.94 | 3304.58    | 20588.00   | 1324.98                         | 301806.99 | 302718.20  |        | 3443.15    | 18541.19   | 1483.37                         |
| घटाएं : हानि के लिए प्रावधान/एनपीआई                  | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 724.20     | 1407.37    | 0.00                            | 0.00      | 0.00       |        | 628.21     | 1772.50    | 0.00                            |
| निवल निवेश                                           | 314582.71 | 307701.22  | 61412.94 | 2580.39    | 19180.63   | 1324.98                         | 301806.99 | 302718.20  |        | 2814.94    | 16768.69   | 1483.37                         |
| II. भारत के बाहर निवेश                               |           |            |          |            |            |                                 |           |            |        |            |            |                                 |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) | 197.88    | 197.88     | 2413.99  | 0.00       | 0.00       |                                 | 153.39    | 153.39     |        | 0.00       | 0.00       |                                 |
| (ii) अनुषंगी सहयोगी और संयुक्त उद्यम                 |           |            |          |            |            |                                 |           |            |        |            |            | 0.00                            |
| (iii) अन्य निवेश                                     | 0.00      | 0.00       | 1626.06  | 0.00       | 47.61      |                                 | 0.00      | 0.00       |        | 0.00       | 42.78      |                                 |
| कुल                                                  | 197.88    | 197.88     | 4040.05  | 0.00       | 47.61      |                                 | 153.39    | 153.39     |        | 0.00       | 42.78      | 0.00                            |
| घटाएं : हानि के लिए प्रावधान/एनपीआई                  | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00       |                                 | 0.00      | 0.00       |        | 0.00       | 0.00       | 0.00                            |
| निवल निवेश                                           | 197.88    | 197.88     | 4040.05  | 0.00       | 47.61      |                                 | 153.39    | 153.39     |        | 0.00       | 42.78      | 0.00                            |
| कुल निवल निवेश (I+II)                                | 314780.59 | 307899.10  | 65452.99 | 2580.39    | 19228.24   | 1324.98                         | 301960.38 | 302871.59  |        | 2814.94    | 16811.47   | 1483.37                         |
|                                                      |           |            |          |            |            |                                 |           |            |        |            |            | 8857.63                         |

## 3. Investments

### (i) Composition of Investment Portfolio

|                                                         | Current Year |            |          |         |          |         | Previous Year                                       |               |           |            |          |          |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|---------|----------|---------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|
|                                                         | HTM          |            | AFS      |         | FVTPL    |         | SUBSIDIARIES<br>ASSOCIATES<br>AND JOINT<br>VENTURES |               | HTM       |            | AFS      |          |
|                                                         |              |            |          |         |          |         |                                                     |               |           |            |          |          |
|                                                         | At Cost      | Fair Value |          |         | HFT      | Non-HFT | AT<br>COST                                          | FAIR<br>VALUE | At Cost   | Fair Value |          |          |
| <b>I. Investments in India</b>                          |              |            |          |         |          |         |                                                     |               |           |            |          |          |
| (i) Government Securities                               | 309908.87    | 302732.50  | 49072.19 | 1464.08 | 0.00     | 0.00    |                                                     |               | 296733.45 | 297589.46  | 51178.61 | 1443.36  |
| (ii) Other Approved Securities                          | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00    | 103.61   | 0.00    |                                                     |               | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 93.60    |
| (iii) Shares                                            | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 1840.51 | 4544.37  | 0.00    |                                                     |               | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 1999.79  |
| (iv) Debentures and Bonds                               | 4673.85      | 4968.72    | 5110.74  | 0.00    | 2261.81  | 0.00    |                                                     |               | 5073.54   | 5128.74    | 3870.56  | 0.00     |
| (v) Subsidiaries Associates & Joint Ventures            |              |            |          |         |          |         | 1324.98                                             | 11353.28      |           |            |          | 2668.21  |
| (vi) Others (VCF, MF, ARC, CP, CD etc)                  | 0.00         | 0.00       | 7230.01  | 0.00    | 13678.21 | 0.00    |                                                     |               | 0.00      | 0.00       | 968.35   | 0.00     |
| <b>Total</b>                                            | 314582.71    | 307701.22  | 61412.94 | 3304.58 | 20588.00 | 0.00    | 1324.98                                             | 11353.28      | 301806.99 | 302718.20  | 56017.52 | 3443.15  |
| <b>Less: Provisions for impairment/NPI</b>              | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 724.20  | 1407.37  | 0.00    | 0.00                                                | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 85.96    | 628.21   |
| <b>Net Investments</b>                                  | 314582.71    | 307701.22  | 61412.94 | 2580.39 | 19180.63 | 0.00    | 1324.98                                             | 11353.28      | 301806.99 | 302718.20  | 55931.56 | 2814.94  |
| <b>II. Investments outside India</b>                    |              |            |          |         |          |         |                                                     |               |           |            |          |          |
| (i) Government Securities (Including local authorities) | 197.88       | 197.88     | 2413.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00    |                                                     |               | 153.39    | 153.39     | 1745.89  | 0.00     |
| (ii) Subsidiaries Associates & Joint Ventures           |              |            |          |         |          |         | -                                                   | -             |           |            |          |          |
| (iii) Other investments                                 | 0.00         | 0.00       | 1626.06  | 0.00    | 47.61    | 0.00    |                                                     |               | 0.00      | 0.00       | 1338.48  | 0.00     |
| <b>Total</b>                                            | 197.88       | 197.88     | 4040.05  | 0.00    | 47.61    | 0.00    |                                                     |               | 153.39    | 153.39     | 3084.37  | 0.00     |
| <b>Less: Provisions for impairment/NPI</b>              | 0.00         | 0.00       | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00    |                                                     |               | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| <b>Net Investments</b>                                  | 197.88       | 197.88     | 4040.05  | 0.00    | 47.61    | 0.00    |                                                     |               | 153.39    | 153.39     | 3084.37  | 0.00     |
| <b>Total Net Investments (I+II)</b>                     | 314780.59    | 307899.10  | 65452.99 | 2580.39 | 19228.24 | 0.00    | 1324.98                                             | 11353.28      | 301960.38 | 302871.59  | 59015.93 | 2814.94  |
|                                                         |              |            |          |         |          |         |                                                     |               |           |            |          | 16811.47 |
|                                                         |              |            |          |         |          |         |                                                     |               |           |            |          | 8857.63  |

(राशि ₹ करोड़ में)

ii) तुलन पत्र पर उचित मूल्य पर माणा गया निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम

|                                                      | चालू वर्ष |          |        |            |          |         | गत वर्ष  |         |        |            |          |         |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|---------|--------|------------|----------|---------|
|                                                      | एफएस      |          |        | एफवीटीपीएल |          |         | एफएस     |         |        | एफवीटीपीएल |          |         |
|                                                      | स्तर 1    | स्तर 2   | स्तर 3 | कुल        | स्तर 1   | स्तर 2  | स्तर 1   | स्तर 2  | स्तर 3 | कुल        | स्तर 1   | स्तर 2  |
| I. भारत में निवेश                                    |           |          |        |            |          |         |          |         |        |            |          |         |
| (i) सरकारी प्रतिभूति                                 | 32491.61  | 16580.58 | -      | 49072.19   | 1464.08  | -       | 51178.61 | 0.00    | 0.00   | 51178.61   | 1443.36  | 0.00    |
| (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूति                         | -         | -        | -      | -          | 10.13    | -       | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00       | 9.11     | 0.00    |
| (iii) शेयर                                           | -         | -        | -      | -          | 1957.83  | 541.12  | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00       | 2090.26  | 449.21  |
| (iv) डिबेंचर और बॉण्ड                                | 2721.48   | 2839.26  | -      | 5110.74    | -        | 2261.81 | 2022.45  | 1848.11 | 0.00   | 3870.56    | 0.00     | 2668.21 |
| (v) अनुषंगी सहयोगी और संयुक्त उद्यम                  |           |          |        |            |          |         |          |         |        |            |          |         |
| (vi) अन्य (वीसीएफ, एएफ, एआरसी, सीपी, सीडी आदि)       | 2821.17   | 4408.84  | -      | 7230.01    | 11500.04 | -       | 0.00     | 968.35  | 0.00   | 968.35     | 9169.51  | 0.00    |
| कुल                                                  | 37584.26  | 23828.68 | -      | 61412.94   | 14932.07 | 2802.93 | 53201.06 | 2816.46 | 0.00   | 56017.52   | 12712.24 | 3117.42 |
| II. भारत के बाहर निवेश                               |           |          |        |            |          |         |          |         |        |            |          |         |
| (i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित) | 2413.99   | -        | -      | 2413.99    | -        | -       | 1745.89  | 0.00    | 0.00   | 1745.89    | 0.00     | 0.00    |
| (ii) अनुषंगी सहयोगी और संयुक्त उद्यम                 |           |          |        |            |          |         |          |         |        |            |          |         |
| (iii) अन्य निवेश                                     | 1626.06   | -        | -      | 1626.06    | -        | -       | 47.42    | 0.00    | 0.00   | 1338.48    | 0.02     | 42.95   |
| कुल                                                  | 4040.05   | -        | -      | 4040.05    | -        | -       | 3084.37  | 0.00    | 0.00   | 3084.37    | 0.02     | 42.95   |
| कुल निवल निवेश (I+II)                                | 41624.31  | 23828.68 | -      | 65452.99   | 14932.07 | 2802.93 | 56285.43 | 2816.46 | 0.00   | 59101.89   | 12712.26 | 3117.42 |

iii) एफएस-रिजर्व एवं लाभ और हानि खाते में चिह्नित वित्तीय लिखत स्तर 3 पर निवल लाभ/(हानि)

| विवरण                        | यथातिथि 31.03.2026 | यथातिथि 31.03.2025 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| एफएस- रिजर्व में चिह्नित     | 0.00               | 0.00               |
| सामान्य रिजर्व में चिह्नित   | 0.00               | 2023.39            |
| लाभ और हानि खाते में चिह्नित | 538.42             | 474.07             |

## ii) Fair Value Hierarchy of investment portfolio measured at fair value on balance sheet (Amount in ₹ Crores)

|                                                        | CURRENT YEAR    |                 |          |                 |                 |                | PREVIOUS YEAR  |                 |                 |                 |                |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                                        | AFS             |                 |          | FVTPL           |                 |                | AFS            |                 |                 | FVTPL           |                |                 |
|                                                        | Level 1         | Level 2         | Level 3  | Total           | Level 1         | Level 2        | Level 3        | Total           | Level 1         | Level 2         | Level 3        | Total           |
| <b>I. Investments in India</b>                         |                 |                 |          |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                |                 |
| (i) Government Securities                              | 32491.61        | 16580.58        | -        | 49072.19        | 1464.08         | -              | -              | 1464.08         | 51178.61        | 1443.36         | 0.00           | 1443.36         |
| (ii) Other Approved Securities                         | -               | -               | -        | -               | 10.13           | -              | 93.49          | 103.61          | 0.00            | 9.11            | 0.00           | 93.60           |
| (iii) Shares                                           | -               | -               | -        | -               | 1957.83         | 541.12         | 3885.92        | 6384.87         | 0.00            | 2090.26         | 44921          | 6101.14         |
| (iv) Debentures and Bonds                              | 2721.48         | 2839.26         | -        | 5110.74         | -               | 2261.81        | -              | 2261.81         | 2022.45         | 1848.11         | 0.00           | 2668.21         |
| (v) Subsidiaries Associates & Joint Ventures           |                 |                 |          |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                |                 |
| (vi) Others (VCF, MF, ARC, CP, CD etc)                 | 2821.17         | 4408.84         | -        | 7230.01         | 11500.04        | -              | 2178.17        | 13678.21        | 0.00            | 9169.51         | 0.00           | 2508.53         |
| <b>Total</b>                                           | <b>37584.26</b> | <b>23828.68</b> | <b>-</b> | <b>61412.94</b> | <b>14932.07</b> | <b>2802.93</b> | <b>6157.58</b> | <b>23892.58</b> | <b>53201.06</b> | <b>12712.24</b> | <b>3117.42</b> | <b>6154.69</b>  |
| <b>II. Investments outside India</b>                   |                 |                 |          |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                |                 |
| (i) Government Securities(Including local authorities) | 2413.99         | -               | -        | 2413.99         | -               | -              | -              | -               | 1745.89         | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| (ii) Subsidiaries Associates & Joint Ventures          |                 |                 |          |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                |                 |
| (iii) Other investments                                | 1626.06         | -               | -        | 1626.06         | -               | -              | 47.42          | 47.42           | 1338.48         | 0.02            | 0.00           | 42.95           |
| <b>Total</b>                                           | <b>4040.05</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>4040.05</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>       | <b>47.42</b>   | <b>47.42</b>    | <b>3084.37</b>  | <b>0.02</b>     | <b>0.00</b>    | <b>42.95</b>    |
| <b>Total Net Investments (I+II)</b>                    | <b>41624.31</b> | <b>23828.68</b> | <b>-</b> | <b>65452.99</b> | <b>14932.07</b> | <b>2802.93</b> | <b>6205.00</b> | <b>23940.01</b> | <b>56285.43</b> | <b>12712.26</b> | <b>3117.42</b> | <b>6197.64</b>  |
|                                                        |                 |                 |          |                 |                 |                |                |                 |                 |                 |                | <b>22027.32</b> |

## iii) Net gains/ (losses) on Level 3 financial instruments recognised in AFS- Reserve and Profit and Loss Account

| PARTICULARS                           | As at 31.03.2026 | As at 31.03.2025 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Recognised in AFS-Reserve             | 0.00             | 0.00             |
| Recognised in General Reserve         | 0.00             | 2023.39          |
| Recognised in Profit and Loss Account | 538.42           | 474.07           |



iv) एचटीएम से किए गए विक्रय का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

|   |                                                                                                          | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A | एचटीएम में प्रतिभूति का प्रारंभिक वहन मूल्य                                                              | 302004.86  | 293609.85  |
| B | वर्ष के दौरान सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य                                                       | 68258.32   | 42531.49   |
| C | घटाएं: विनियामक सीमा से छूट प्राप्त परिस्थितियों में विक्रय की गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य              | 53186.86   | 28098.92   |
| D | विक्रय की गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (डी = बी-सी)                                                      | 15071.45   | 14432.57   |
| E | एचटीएम में प्रतिभूतियों के प्रारंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में विक्रय की गई प्रतिभूतियाँ (ई= डी/ए) | 4.99%      | 4.92%      |
|   |                                                                                                          |            |            |
|   | एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में पूंजी रिजर्व में अंतरित राशि, जिनका पुनःविक्रय किया गया है              | 991.91     | 853.12     |

iv) Details of sales made out of HTM

(Amount in ₹ Crores)

|   |                                                                                             | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A | Opening carrying value of securities in HTM                                                 | 302004.86  | 293609.85  |
| B | Carrying value of all HTM securities sold during the year                                   | 68258.32   | 42531.49   |
| C | Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit    | 53186.86   | 28098.92   |
| D | Carrying value of securities Sold (D=B-C)                                                   | 15071.45   | 14432.57   |
| E | Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D/A)      | 4.99%      | 4.92%      |
|   |                                                                                             |            |            |
|   | Amount transferred to capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at again | 991.91     | 853.12     |

v) निवेश की श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण : शून्य

v) Reclassification between categories of investments : NIL

## vi) गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) और निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि के प्रावधानों में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

|             | विवरण                                                                                                         | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>i)</b>   | <b>निवेश के मूल्यहास में धारित प्रावधानों का संचलन</b>                                                        |            |            |
| a)          | प्रारंभिक शेष राशि                                                                                            | 2486.66    | 3190.01    |
| b)          | जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान                                                                         | 229.63     | 0.07       |
| c)          | घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़े खाते में डालना/ प्रतिलेखन करना                               | 584.72     | 160.93     |
| d)          | घटाएँ: सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित मूल्यहास प्रावधान                                                 | 0.00       | 542.49     |
| e)          | अंतिम शेष राशि                                                                                                | 2131.57    | 2486.66    |
| <b>ii)</b>  | <b>निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन</b>                                                                   |            |            |
| a)          | प्रारंभिक शेष राशि                                                                                            | 1626.59    | 1333.06    |
| b)          | जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित की गई राशि                                                                       | 309.97     | 293.53     |
| c)          | घटाएं: गिरावट                                                                                                 | 70.25      | 0.00       |
| d)          | अंतिम शेष राशि                                                                                                | 2006.81    | 1626.59    |
| <b>iii)</b> | <b>एएफएस और एचएफटी/ वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष राशि</b> | 2.00       | 2.00       |

Restricted

## vi) Movement of Provisions for Non-Performing Investments (NPI) and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ Crores)

|             | Particulars                                                                                                     | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>i)</b>   | <b>Movement of provisions held towards depreciation / NPI in investments</b>                                    |            |            |
| a)          | Opening balance                                                                                                 | 2486.66    | 3190.01    |
| b)          | Add: Provisions made during the year                                                                            | 229.63     | 0.07       |
| c)          | Less: Write-off / write back of excess provisions during the year                                               | 584.72     | 160.93     |
| d)          | Less : Depreciation Provision Transferred to General Reserve                                                    | 0.00       | 542.49     |
| e)          | Closing balance                                                                                                 | 2131.57    | 2486.66    |
| <b>ii)</b>  | <b>Movement of Investment Fluctuation Reserve</b>                                                               |            |            |
| a)          | Opening balance                                                                                                 | 1626.59    | 1333.06    |
| b)          | Add: Amount transferred during the year                                                                         | 309.97     | 293.53     |
| c)          | Less: Drawdown                                                                                                  | 70.25      | 0.00       |
| d)          | Closing balance                                                                                                 | 2006.81    | 1626.59    |
| <b>iii)</b> | <b>Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category</b> | 2.00       | 2.00       |

Restricted

vii) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

a) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण                                 | 31.03.2026  | 31.03.2025  |
|----------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| a)       | प्रारंभिक शेष राशि                    | 5388.82     | 6056.41     |
| b)       | 1 अप्रैल से इस वर्ष के दौरान परिवर्धन | 229.63      | 0.07        |
| c)       | उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती           | 484.54      | 667.66      |
|          | <b>उतार-चढ़ाव विनिमय</b>              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| d)       | अंतिम शेष राशि                        | 5133.92     | 5388.82     |
| e)       | कुल धारित प्रावधान                    | 5133.92     | 5388.82     |

vii) Non-SLR investment portfolio

a) Non-performing non-SLR investments

(Amount in ₹ Crores)

| Sr. No. | Particulars                                           | 31.03.2026  | 31.03.2025  |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| a)      | Opening balance                                       | 5388.82     | 6056.41     |
| b)      | Additions during the year since 1 <sup>st</sup> April | 229.63      | 0.07        |
| c)      | Reductions during the above period                    | 484.54      | 667.66      |
|         | <b>Exchange Fluctuation</b>                           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| d)      | Closing balance                                       | 5133.92     | 5388.82     |
| e)      | Total provisions held                                 | 5133.92     | 5388.82     |

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना:

| क्रसं | जारीकर्ता                    | राशि       | निजी स्थान (प्लेसमेंट) की सीमा | “निवेश ग्रेड से कम” प्रतिभूतियों की सीमा | “अमूल्यांकित” प्रतिभूतियों की सीमा | “असूचीबद्ध” प्रतिभूतियों की सीमा |
|-------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| (1)   | (2)                          | (3)        | (4)                            | (5)                                      | (6)                                | (7)                              |
|       |                              | 31.03.2026 | 31.03.2025                     | 31.03.2026                               | 31.03.2026                         | 31.03.2025                       |
| a)    | पीएसयू                       | 3782.04    | 4256.88                        | 1199.64                                  | 1093.32                            | 0.00                             |
| b)    | वित्तीय संस्थाएं             | 7879.61    | 7841.12                        | 5519.95                                  | 5217.47                            | 24.79                            |
| c)    | बैंक                         | 8110.98    | 2162.48                        | 2368.26                                  | 1839.12                            | 0.00                             |
| d)    | निजी कॉर्पोरेट               | 7402.38    | 5712.48                        | 2409.54                                  | 1891.01                            | 0.00                             |
| e)    | अनुबंधी/संयुक्त उद्यम        | 1324.98    | 1483.37                        | 1324.98                                  | 1483.37                            | 0.00                             |
| f)    | अन्य                         | 16449.99   | 13667.60                       | 409.67                                   | 2654.11                            | 0.00                             |
| g)    | मूल्यहास के सापेक्ष प्रावधान | 2131.57    | 2486.67                        | 0.00                                     | 0.00                               | 0.00                             |
|       | कुल *                        | 42818.41   | 32637.26                       | 13232.04                                 | 14178.40                           | 24.79                            |
|       |                              |            |                                |                                          |                                    | 100.39                           |
|       |                              |            |                                |                                          |                                    | 40.70                            |
|       |                              |            |                                |                                          |                                    | 376.30                           |
|       |                              |            |                                |                                          |                                    | 437.10                           |

\* उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियां परस्पर अनन्य नहीं हैं।

# इसमें भारत के बाहर किए गए 0.19 करोड़ रुपये के निवेश शामिल हैं।

ii) Issuer composition of non-SLR investments:

| Sl. No. | Issuer                                    | Amount     | Extent of Private Placement | Extent of 'Below Investment Grade' Securities | Extent of 'Unrated' Securities | Extent of 'Unlisted' Securities |
|---------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| (1)     | (2)                                       | (3)        | (4)                         | (5)                                           | (6)                            | (7)                             |
|         |                                           | 31.03.2026 | 31.03.2025                  | 31.03.2026                                    | 31.03.2025                     | 31.03.2025                      |
| a)      | PSUs                                      | 3782.04    | 4256.88                     | 1199.64                                       | 1093.32                        | 0.00                            |
| b)      | FIs                                       | 7879.61    | 7841.12                     | 5519.95                                       | 5217.47                        | 24.79                           |
| c)      | Banks                                     | 8110.98    | 2162.48                     | 2368.26                                       | 1839.12                        | 0.00                            |
| d)      | Private Corporates#                       | 7402.38    | 5712.48                     | 2409.54                                       | 1891.01                        | 0.00                            |
| e)      | Subsidiaries/ Joint Ventures              | 1324.98    | 1483.37                     | 1324.98                                       | 1483.37                        | 0.00                            |
| f)      | Others                                    | 16449.99   | 13667.60                    | 409.67                                        | 2654.11                        | 0.00                            |
| g)      | Less: Provision held towards depreciation | 2131.57    | 2486.67                     | 0.00                                          | 0.00                           | 0.00                            |
|         | Total *                                   | 42818.41   | 32637.26                    | 13232.04                                      | 14178.40                       | 24.79                           |
|         |                                           |            |                             |                                               |                                | 100.39                          |
|         |                                           |            |                             |                                               |                                | 40.70                           |
|         |                                           |            |                             |                                               |                                | 376.30                          |
|         |                                           |            |                             |                                               |                                | 437.10                          |

\* Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

# Includes investments outside India amounting to ₹ 0.19 Cr

(राशि ₹ करोड़ में)

viii) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य की शर्तों के अनुसार)

| विवरण                                    | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया |             | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया |             | वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत |             | दिनांक 31.03.2026 की स्थिति में |             |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
|                                          | अंकित मूल्य                 | बाजार मूल्य | अंकित मूल्य                | बाजार मूल्य | अंकित मूल्य                   | बाजार मूल्य | अंकित मूल्य                     | बाजार मूल्य |
| रेपो के तहत बिक्री की गई प्रतिभूतियां    |                             |             |                            |             |                               |             |                                 |             |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां                   | 0.00                        | 0.00        | 45362.05                   | 45457.64    | 10108.81                      | 10095.99    | 45362.05                        | 45457.64    |
| ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां             | 0.00                        | 0.00        | 0.00                       | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                            | 0.00        |
| iii) अन्य प्रतिभूतियां                   | 0.00                        | 0.00        | 0.00                       | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                            | 0.00        |
| रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां |                             |             |                            |             |                               |             |                                 |             |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां                   | 0.00                        | 0.00        | 17312.08                   | 17739.40    | 2922.47                       | 2795.68     | 5148.73                         | 4970.34     |
| ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां             | 0.00                        | 0.00        | 0.00                       | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                            | 0.00        |
| iii) अन्य प्रतिभूतियां                   | 0.00                        | 0.00        | 0.00                       | 0.00        | 0.00                          | 0.00        | 0.00                            | 0.00        |

(Amount in ₹ Crores)

viii) Repo transactions (in face value and market value terms) As at 31.03.2026

| Particulars                             | Minimum outstanding during the year |              | Maximum outstanding during the year |              | Daily Average outstanding during the year |              | Outstanding as on 31.03.2026 |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|                                         | Face Value                          | Market Value | Face Value                          | Market Value | Face Value                                | Market Value | Face Value                   | Market Value |
| Securities sold under repo              |                                     |              |                                     |              |                                           |              |                              |              |
| i) Government Securities                | 0.00                                | 0.00         | 45362.05                            | 45457.64     | 10108.81                                  | 10095.99     | 45362.05                     | 45457.64     |
| ii) Corporate Debt Securities           | 0.00                                | 0.00         | 0.00                                | 0.00         | 0.00                                      | 0.00         | 0.00                         | 0.00         |
| iii) Any Other Securities               | 0.00                                | 0.00         | 0.00                                | 0.00         | 0.00                                      | 0.00         | 0.00                         | 0.00         |
| Securities purchased under reverse repo |                                     |              |                                     |              |                                           |              |                              |              |
| i) Government Securities                | 0.00                                | 0.00         | 17312.08                            | 17739.40     | 2922.47                                   | 2795.68      | 5148.73                      | 4970.34      |
| ii) Corporate Debt Securities           | 0.00                                | 0.00         | 0.00                                | 0.00         | 0.00                                      | 0.00         | 0.00                         | 0.00         |
| iii) Any Other Securities               | 0.00                                | 0.00         | 0.00                                | 0.00         | 0.00                                      | 0.00         | 0.00                         | 0.00         |



(राशि ₹ करोड़ में)

ix) दिनांक 31.03.2026 की स्थिति में सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

| विवरण                                                        | चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा | 31 मार्च तक बकाया |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां           | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                                | 0.00              |
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां           | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                                | 0.00              |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपादित के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां  | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                                | 0.00              |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपादित के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                                | 0.00              |

ix) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms) as at 31.03.2026

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                              | Minimum outstanding during the Year | Minimum outstanding during the Year | Daily average outstanding during the year | Total volume of transactions during the year | Outstanding as on March 31 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Securities lent through GSL transactions                 | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                      | 0.00                                         | 0.00                       |
| Securities borrowed through GSL transactions             | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                      | 0.00                                         | 0.00                       |
| Securities placed as collateral under GSL Transactions   | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                      | 0.00                                         | 0.00                       |
| Securities received as collateral under GSL Transactions | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                      | 0.00                                         | 0.00                       |

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण                                                        | चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | वर्ष के दौरान लेन-देन की कुल मात्रा | 31 मार्च तक बकाया |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां           | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                                | 0.00              |
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां           | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                                | 0.00              |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपादित के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां  | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                                | 0.00              |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपादित के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां | 0.00                             | 0.00                             | 0.00                          | 0.00                                | 0.00              |

Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms) as at 31.03.2025

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                              | Minimum outstanding during the Year | Minimum outstanding during the Year | Daily average outstanding during the year | Total volume of transactions during the year | Outstanding as on March 31 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Securities lent through GSL transactions                 | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                      | 0.00                                         | 0.00                       |
| Securities borrowed through GSL transactions             | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                      | 0.00                                         | 0.00                       |
| Securities placed as collateral under GSL Transactions   | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                      | 0.00                                         | 0.00                       |
| Securities received as collateral under GSL Transactions | 0.00                                | 0.00                                | 0.00                                      | 0.00                                         | 0.00                       |

## 4. आस्ति गुणवत्ता

### i) दिनांक 31.03.2026 की स्थिति में धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

|                                                                                            | मानक            | गैर-निष्पादित |         |       |                          | कुल     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|-------|--------------------------|---------|
|                                                                                            | कुल मानक अग्रिम | अवमानक        | संदिग्ध | हानि  | कुल गैर-निष्पादित अग्रिम |         |
| <b>सकल मानक अग्रिम और एनपीए</b>                                                            |                 |               |         |       |                          |         |
| प्रारंभिक शेष राशि                                                                         | 1041802         | 7218          | 12772   | 11540 | 31530                    | 1073332 |
| जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन                                                            |                 |               |         |       | 7085                     |         |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां*                                                             |                 |               |         |       | 15875                    |         |
| अंतिम शेष राशि                                                                             | 1214808         | 6585          | 7838    | 8317  | 22740                    | 1237548 |
| *सकल एनपीए में कमी के कारण:                                                                |                 |               |         |       |                          |         |
| i) उन्नयन                                                                                  |                 |               |         |       | 814                      |         |
| ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों में वसूली को छोड़कर)                                        |                 |               |         |       | 1519                     |         |
| iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि                                  |                 |               |         |       | 13085                    |         |
| iv) उपरोक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाली गई अन्य राशि                                |                 |               |         |       | 457                      |         |
| <b>प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)</b>                                             |                 |               |         |       |                          |         |
| धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष                                                          | 3785            | 2370          | 10253   | 11528 | 24151                    | 27936   |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान                                                   |                 |               |         |       | 6310                     |         |
| घटाएं: प्रतिवर्ती अतिरिक्त प्रावधान/ बट्टे खाते में डाले गए ऋण                             |                 |               |         |       | 12948                    |         |
| धारित प्रावधानों का अंतिम शेष                                                              | 4794            | 1508          | 7693    | 8312  | 17513                    |         |
| <b>निवल एनपीए</b>                                                                          |                 |               |         |       |                          |         |
| प्रारंभिक शेष राशि                                                                         |                 | 4848          | 2505    | 0     | 7353                     |         |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान                                                   |                 |               |         |       | 775                      |         |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती                                                                 |                 |               |         |       | 2919                     |         |
| अंतिम शेष राशि                                                                             |                 | 5077          | 132     | 0     | 5209                     |         |
| <b>अस्थायी प्रावधान</b>                                                                    |                 |               |         |       |                          | 0       |
| प्रारंभिक शेष राशि                                                                         |                 |               |         |       |                          | 0       |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान                                             |                 |               |         |       |                          | 0       |
| घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि (ड्राडाउन)                                                 |                 |               |         |       |                          | 0       |
| अस्थायी प्रावधानों की अंतिम शेष राशि                                                       |                 |               |         |       |                          | 0       |
| <b>तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली</b>                             |                 |               |         |       |                          |         |
| तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि                                       |                 |               |         |       |                          | 68946   |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई अग्रिम               |                 |               |         |       |                          | 13224   |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पिछली तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई अग्रिम से वसूली |                 |               |         |       |                          | 15057   |
| अंतिम शेष राशि                                                                             |                 |               |         |       |                          | 67113   |

4. Asset quality

i) Classification of advances and provisions held As at 31.03.2026

(Amount in ₹ Crores)

|                                                                                                  | Standard                | Non-Performing |          |       | Total Non-Performing Advances | Total   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|-------|-------------------------------|---------|
|                                                                                                  | Total Standard Advances | Sub Standard   | Doubtful | Loss  |                               |         |
| <b>Gross Standard Advances and NPAs</b>                                                          |                         |                |          |       |                               |         |
| Opening Balance                                                                                  | 1041802                 | 7218           | 12772    | 11540 | 31530                         | 1073332 |
| Add: Additions during the year                                                                   |                         |                |          |       | 7085                          |         |
| Less: Reductions during the year*                                                                |                         |                |          |       | 15875                         |         |
| Closing balance                                                                                  | 1214808                 | 6585           | 7838     | 8317  | 22740                         | 1237548 |
| *Reductions in Gross NPAs due to:                                                                |                         |                |          |       |                               |         |
| i) Upgradation                                                                                   |                         |                |          |       | 814                           |         |
| ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)                                     |                         |                |          |       | 1519                          |         |
| iii) Technical/ Prudential Write-offs                                                            |                         |                |          |       | 13085                         |         |
| iv) Write-offs other than those under (iii) above                                                |                         |                |          |       | 457                           |         |
| <b>Provisions (excluding Floating Provisions)</b>                                                |                         |                |          |       |                               |         |
| Opening balance of provisions held                                                               | 3785                    | 2370           | 10253    | 11528 | 24151                         | 27936   |
| Add: Fresh provisions made during the year                                                       |                         |                |          |       | 6310                          |         |
| Less: Excess provision reversed/ Write-off loans                                                 |                         |                |          |       | 12948                         |         |
| Closing balance of provisions held                                                               | 4794                    | 1508           | 7693     | 8312  | 17513                         |         |
| <b>Net NPAs</b>                                                                                  |                         |                |          |       |                               |         |
| Opening Balance                                                                                  |                         | 4848           | 2505     | 0     | 7353                          |         |
| Add: Fresh additions during the year                                                             |                         |                |          |       | 775                           |         |
| Less: Reductions during the year                                                                 |                         |                |          |       | 2919                          |         |
| Closing Balance                                                                                  |                         | 5077           | 132      | 0     | 5209                          |         |
| <b>Floating Provisions</b>                                                                       |                         |                |          |       |                               | 0       |
| Opening Balance                                                                                  |                         |                |          |       |                               | 0       |
| Add: Additional provisions made during the year                                                  |                         |                |          |       |                               | 0       |
| Less: Amount drawn down during the year                                                          |                         |                |          |       |                               | 0       |
| Closing balance of floating provisions                                                           |                         |                |          |       |                               | 0       |
| <b>Technical write-offs and the recoveries made thereon</b>                                      |                         |                |          |       |                               |         |
| Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts                                    |                         |                |          |       |                               | 68946   |
| Add: Technical/ Prudential write-offs during the year                                            |                         |                |          |       |                               | 13224   |
| Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year |                         |                |          |       |                               | 15057   |
| Closing balance                                                                                  |                         |                |          |       |                               | 67113   |

यथा 31.03.2025 तक

(राशि ₹ करोड़ में)

|                                                                                            | मानक            | गैर-निष्पादित |         |       |                          | कुल     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|-------|--------------------------|---------|
|                                                                                            | कुल मानक अग्रिम | अवमानक        | संदिग्ध | हानि  | कुल गैर-निष्पादित अग्रिम |         |
| <b>सकल मानक अग्रिम और एनपीए</b>                                                            |                 |               |         |       |                          |         |
| प्रारंभिक शेष राशि                                                                         | 919998          | 9267          | 18113   | 13225 | 40605                    | 960602  |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन                                                             |                 |               |         |       | 8544                     |         |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां*                                                             |                 |               |         |       | 17619                    |         |
| अंतिम शेष राशि                                                                             | 1041802         | 7218          | 12772   | 11540 | 31530                    | 1073332 |
| *सकल एनपीए में कमी के कारण:                                                                |                 |               |         |       |                          |         |
| i) उन्नयन                                                                                  |                 |               |         |       | 672                      |         |
| ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों में वसूली को छोड़कर)                                        |                 |               |         |       | 2597                     |         |
| iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि                                  |                 |               |         |       | 12095                    |         |
| iv) उपरोक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाली गई अन्य राशि                                |                 |               |         |       | 2255                     |         |
| <b>प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)</b>                                             |                 |               |         |       |                          |         |
| धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष                                                          | 3449            | 1545          | 13993   | 13205 | 28743                    | 32192   |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान                                                   |                 |               |         |       | 9586                     |         |
| घटाएं: प्रतिवर्ती अतिरिक्त प्रावधान/ बट्टे खाते में डाले गए ऋण                             |                 |               |         |       | 14178                    |         |
| धारित प्रावधानों का अंतिम शेष                                                              | 3785            | 2370          | 10253   | 11528 | 24151                    | 27936   |
| <b>निवल एनपीए</b>                                                                          | Restricted      |               |         |       |                          |         |
| प्रारंभिक शेष राशि                                                                         |                 | 7721          | 4102    | 0     | 11823                    |         |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान                                                   |                 |               |         |       | -1042                    |         |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती                                                                 |                 |               |         |       | 3428                     |         |
| अंतिम शेष राशि                                                                             |                 | 4848          | 2505    | 0     | 7353                     |         |
| <b>अस्थायी प्रावधान</b>                                                                    |                 |               |         |       |                          |         |
| प्रारंभिक शेष राशि                                                                         |                 |               |         |       |                          | 0       |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान                                             |                 |               |         |       |                          | 0       |
| घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि (ड्राडाउन)                                                 |                 |               |         |       |                          | 0       |
| अस्थायी प्रावधानों की अंतिम शेष राशि                                                       |                 |               |         |       |                          | 0       |
| <b>तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली</b>                             |                 |               |         |       |                          |         |
| तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि                                       |                 |               |         |       |                          | 67661   |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई अग्रिम               |                 |               |         |       |                          | 12150   |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पिछली तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई अग्रिम से वसूली |                 |               |         |       |                          | 10865   |
| अंतिम शेष राशि                                                                             |                 |               |         |       |                          | 68946   |

(₹ करोड़ में)

| अनुपात (प्रतिशत में)      | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------------------------|------------|------------|
| सकल एनपीए से सकल अग्रिम   | 1.84       | 2.94       |
| निवल एनपीए से निवल अग्रिम | 0.43       | 0.70       |
| प्रावधान कवरेज अनुपात     | 94.21      | 92.70      |

As at 31.03.2025

(Amount in ₹ Crores)

|                                                                                                  | Standard                | Non-Performing |          |       |                               | Total   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------|-------|-------------------------------|---------|
|                                                                                                  | Total Standard Advances | Sub-Standard   | Doubtful | Loss  | Total Non-Performing Advances |         |
| <b>Gross Standard Advances and NPAs</b>                                                          |                         |                |          |       |                               |         |
| Opening Balance                                                                                  | 919998                  | 9267           | 18113    | 13225 | 40605                         | 960602  |
| Add: Additions during the year                                                                   |                         |                |          |       | 8544                          |         |
| Less: Reductions during the year*                                                                |                         |                |          |       | 17619                         |         |
| Closing balance                                                                                  | 1041802                 | 7218           | 12772    | 11540 | 31530                         | 1073332 |
| *Reductions in Gross NPAs due to:                                                                |                         |                |          |       |                               |         |
| i) Upgradation                                                                                   |                         |                |          |       | 672                           |         |
| ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)                                     |                         |                |          |       | 2597                          |         |
| iii) Technical/ Prudential Write-offs                                                            |                         |                |          |       | 12095                         |         |
| iv) Write-offs other than those under (iii) above                                                |                         |                |          |       | 2255                          |         |
| <b>Provisions (excluding Floating Provisions)</b>                                                |                         |                |          |       |                               |         |
| Opening balance of provisions held                                                               | 3449                    | 1545           | 13993    | 13205 | 28743                         | 32192   |
| Add: Fresh provisions made during the year                                                       |                         |                |          |       | 9586                          |         |
| Less: Excess provision reversed/ Write-off loans                                                 |                         |                |          |       | 14178                         |         |
| Closing balance of provisions held                                                               | 3785                    | 2370           | 10253    | 11528 | 24151                         | 27936   |
| <b>Net NPAs</b>                                                                                  |                         |                |          |       |                               |         |
| Opening Balance                                                                                  |                         | 7721           | 4102     | 0     | 11823                         |         |
| Add: Fresh additions during the year                                                             |                         |                |          |       | -1042                         |         |
| Less: Reductions during the year                                                                 |                         |                |          |       | 3428                          |         |
| Closing Balance                                                                                  |                         | 4848           | 2505     | 0     | 7353                          |         |
| <b>Floating Provisions</b>                                                                       |                         |                |          |       |                               |         |
| Opening Balance                                                                                  |                         |                |          |       |                               | 0       |
| Add: Additional provisions made during the year                                                  |                         |                |          |       |                               | 0       |
| Less: Amount drawn down during the year                                                          |                         |                |          |       |                               | 0       |
| Closing balance of floating provisions                                                           |                         |                |          |       |                               | 0       |
| <b>Technical write-offs and the recoveries made thereon</b>                                      |                         |                |          |       |                               |         |
| Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts                                    |                         |                |          |       |                               | 67661   |
| Add: Technical/ Prudential write-offs during the year                                            |                         |                |          |       |                               | 12150   |
| Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year |                         |                |          |       |                               | 10865   |
| Closing balance                                                                                  |                         |                |          |       |                               | 68946   |

(₹ in Crores)

| Ratios (in per cent)        | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Gross NPA to Gross Advances | 1.84       | 2.94       |
| Net NPA to Net Advances     | 0.43       | 0.70       |
| Provision coverage ratio    | 94.21      | 92.70      |



## ii) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | क्षेत्र                                                                 | 31.03.2026        |              |                                                     | 31.03.2025        |              |                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|          |                                                                         | कुल बकाया अग्रिम  | सकल एनपीए    | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत | कुल बकाया अग्रिम  | सकल एनपीए    | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत |
| i)       | <b>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र</b>                                       |                   |              |                                                     |                   |              |                                                     |
| a)       | कृषि और संबद्ध गतिविधियां                                               | 265970.77         | 6257         | 2.35%                                               | 239977.10         | 8334         | 3.47%                                               |
| b)       | उद्योगों को अग्रिम जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के लिए पात्र हैं | 66802.82          | 2931         | 4.39%                                               | 58994.12          | 2853         | 4.83%                                               |
| c)       | सेवा                                                                    | 91028.16          | 4390         | 4.82%                                               | 80829.82          | 5062         | 6.26%                                               |
| d)       | व्यक्तिगत ऋण                                                            | 63510.11          | 484          | 0.76%                                               | 42959.74          | 816          | 1.90%                                               |
|          | <b>उप-योग (i)</b>                                                       | <b>487311.86</b>  | <b>14062</b> | <b>2.89%</b>                                        | <b>422760.78</b>  | <b>17065</b> | <b>4.04%</b>                                        |
| ii)      | <b>गैर-प्राथमिकता क्षेत्र</b>                                           |                   |              |                                                     |                   |              |                                                     |
| a)       | कृषि और संबद्ध गतिविधियां                                               | 9805.77           | 39           | 0.40%                                               | 7165.70           | 41           | 0.57%                                               |
| b)       | उद्योग                                                                  | 170117.32         | 4902         | 2.88%                                               | 169141.41         | 10315        | 6.10%                                               |
| c)       | सेवा                                                                    | 336911.75         | 2998         | 0.89%                                               | 293857.59         | 2736         | 0.93%                                               |
| d)       | व्यक्तिगत ऋण                                                            | 233401.41         | 739          | 0.32%                                               | 180406.26         | 1373         | 0.76%                                               |
|          | <b>उप-योग (ii)</b>                                                      | <b>750236.25</b>  | <b>8678</b>  | <b>1.16%</b>                                        | <b>650570.96</b>  | <b>14465</b> | <b>2.22%</b>                                        |
|          | <b>कुल (i + ii)</b>                                                     | <b>1237548.11</b> | <b>22740</b> | <b>1.84%</b>                                        | <b>1073331.74</b> | <b>31530</b> | <b>2.94%</b>                                        |

## ii) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No. | Sector                                                            | 31.03.2026                 |              |                                                           | 31.03.2025                 |              |                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                                                                   | Outstanding Total Advances | Gross NPAs   | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector | Outstanding Total Advances | Gross NPAs   | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector |
| i)      | <b>Priority Sector</b>                                            |                            |              |                                                           |                            |              |                                                           |
| a)      | Agriculture and allied activities                                 | 265970.77                  | 6257         | 2.35%                                                     | 239977.10                  | 8334         | 3.47%                                                     |
| b)      | Advances to industries sector eligible as priority sector lending | 66802.82                   | 2931         | 4.39%                                                     | 58994.12                   | 2853         | 4.83%                                                     |
| c)      | Services                                                          | 91028.16                   | 4390         | 4.82%                                                     | 80829.82                   | 5062         | 6.26%                                                     |
| d)      | Personal loans                                                    | 63510.11                   | 484          | 0.76%                                                     | 42959.74                   | 816          | 1.90%                                                     |
|         | <b>Sub-total (i)</b>                                              | <b>487311.86</b>           | <b>14062</b> | <b>2.89%</b>                                              | <b>422760.78</b>           | <b>17065</b> | <b>4.04%</b>                                              |
| ii)     | <b>Non-priority Sector</b>                                        |                            |              |                                                           |                            |              |                                                           |
| a)      | Agriculture and allied activities                                 | 9805.77                    | 39           | 0.40%                                                     | 7165.70                    | 41           | 0.57%                                                     |
| b)      | Industry                                                          | 170117.32                  | 4902         | 2.88%                                                     | 169141.41                  | 10315        | 6.10%                                                     |
| c)      | Services                                                          | 336911.75                  | 2998         | 0.89%                                                     | 293857.59                  | 2736         | 0.93%                                                     |
| d)      | Personal loans                                                    | 233401.41                  | 739          | 0.32%                                                     | 180406.26                  | 1373         | 0.76%                                                     |
|         | <b>Sub-total (ii)</b>                                             | <b>750236.25</b>           | <b>8678</b>  | <b>1.16%</b>                                              | <b>650570.96</b>           | <b>14465</b> | <b>2.22%</b>                                              |
|         | <b>Total (i + ii)</b>                                             | <b>1237548.11</b>          | <b>22740</b> | <b>1.84%</b>                                              | <b>1073331.74</b>          | <b>31530</b> | <b>2.94%</b>                                              |

उद्योगों का उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम, क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिमों के 10% से अधिक है:

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र.सं | उप-क्षेत्र                   | 31.03.2026       |           |                                                     | 31.03.2025       |           |                                                     |
|--------|------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
|        |                              | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत | कुल बकाया अग्रिम | सकल एनपीए | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत |
| 1      | आधारभूत संरचना               | 114524.99        | 2323      | 2.03%                                               | 124589.62        | 4080      | 3.27%                                               |
| 2      | थोक/ खुदरा व्यापार           | 92395.01         | 2633      | 2.85%                                               | 81929.90         | 2933      | 3.58%                                               |
| 3      | मूलभूत धातु और धातुगत उत्पाद | 27110.33         | 436       | 1.61%                                               | 24055.45         | 412       | 1.71%                                               |

Sub sector of industries where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances of the sector:

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No. | Sub-sector                   | 31.03.2026                 |           |                                                          | 31.03.2025                 |           |                                                          |
|---------|------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
|         |                              | Outstanding total Advances | Gross NPA | Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector | Outstanding total Advances | Gross NPA | Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector |
| 1       | Infrastructure               | 114524.99                  | 2323      | 2.03%                                                    | 124589.62                  | 4080      | 3.27%                                                    |
| 2       | Whole sale / Retail Trade    | 92395.01                   | 2633      | 2.85%                                                    | 81929.90                   | 2933      | 3.58%                                                    |
| 3       | Basic Metal & Metal Products | 27110.33                   | 436       | 1.61%                                                    | 24055.45                   | 412       | 1.71%                                                    |

iii) विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण              | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|--------------------|------------|------------|
| कुल आस्तियां (सकल) | 180881.80  | 143303.09  |
| कुल एनपीए          | 1439.61    | 2679.40    |
| कुल राजस्व         | 6939.34    | 6701.09    |

iii) Overseas assets, NPAs and revenue:

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars          | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|----------------------|------------|------------|
| Total Assets (Gross) | 180881.80  | 143303.09  |
| Total NPAs           | 1439.61    | 2679.40    |
| Total Revenue        | 6939.34    | 6701.09    |

## iv) समाधान योजना और पुनर्रचना का विवरण

### (a) समाधान योजना का विवरण

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण ढांचे के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र डीबीआर सं. बीपी. बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार, बैंक के पास 5 खातों में रु. 291.08 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

| आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित ऋण राशि<br>(ए) | एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण राशि<br>(बी) | दिनांक 31.03.2026 की स्थिति में कॉलम (बी) में एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण राशि<br>(सी) | दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में प्रावधान<br>(डी) | दिनांक 31.03.2026 को समाप्त तिमाही/अवधि के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/(प्रतिवर्तन)<br>(ई) | दिनांक 31.03.2026 की स्थिति में प्रावधान<br>(एफ) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2328.97                                      | 1728.02                                   | 1728.02                                                                                 | 430.76                                           | -139.68                                                                                       | 291.08                                           |

## iv) Particulars of resolution plan and restructuring

### (a) Particulars of Resolution plan

As per the RBI Circular DBR. No. BP. BC. 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for Resolution of Stressed Assets, Bank holds an additional provision of ₹291.08 Crores in 5 accounts as detailed below.

(Amount in ₹ Crores)

| Amount of loans impacted by RBI Circular<br>(a) | Amount of loans to be classified as NPA<br>(b) | Amount of loans as on 31.03.2026 out of (b) classified as NPA<br>(c) | Provision held as on 31.03.2025<br>(d) | Additional provision/ (Reversal) made during quarter/period ended 31.03.2026<br>(e) | Provision held as on 31.03.2026<br>(f) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2328.97                                         | 1728.02                                        | 1728.02                                                              | 430.76                                 | -139.68                                                                             | 291.08                                 |

(b) पुनर्रचित खातों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

|         |                 | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (अन्य प्रणाली) |            | कॉरपोरेट (एमएसएमई को छोड़कर) (सीडीआर प्रणाली) |            | एमएसएमई (एसएमई ऋण पुनर्रचना) |            | खुदरा व अन्य (अन्य प्रणाली) |            | कुल       |            |
|---------|-----------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|
|         |                 | चालू वर्ष                                 | पिछला वर्ष | चालू वर्ष                                     | पिछला वर्ष | चालू वर्ष                    | पिछला वर्ष | चालू वर्ष                   | पिछला वर्ष | चालू वर्ष | पिछला वर्ष |
| मानक    | खातों की संख्या | 59                                        | 68         | 13                                            | 13         | 5610                         | 12476      | 653                         | 859        | 6335      | 13416      |
|         | सकल राशि        | 53.28                                     | 24.92      | 83.64                                         | 80.24      | 557.82                       | 867.09     | 2262.86                     | 2434.58    | 2957.60   | 3406.83    |
|         | धारित प्रावधान  | 1.74                                      | 0.12       | 0.33                                          | 0.32       | 39.29                        | 62.86      | 154.56                      | 155.93     | 195.93    | 219.23     |
| अवमानक  | खातों की संख्या | 10                                        | 45         | 0                                             | 0          | 796                          | 4236       | 36                          | 293        | 842       | 4574       |
|         | सकल राशि        | 0.13                                      | 5.87       | 0                                             | 0          | 25.59                        | 50.04      | 0.28                        | 31.91      | 26        | 87.82      |
|         | धारित प्रावधान  | 0.02                                      | 0.89       | 0                                             | 0          | 4.92                         | 9.08       | 0.08                        | 5.11       | 5.02      | 15.08      |
| संदिग्ध | खातों की संख्या | 3828                                      | 3891       | 0                                             | 0          | 24941                        | 37979      | 17470                       | 19841      | 46239     | 61711      |
|         | सकल राशि        | 216.10                                    | 112.01     | 0                                             | 0          | 743.75                       | 1009.15    | 778.29                      | 1362.03    | 1738.13   | 2483.19    |
|         | धारित प्रावधान  | 195.86                                    | 106.10     | 0                                             | 0          | 701.90                       | 840.71     | 775.75                      | 1235.19    | 1673.5    | 2182.00    |
| हानि    | खातों की संख्या | 693                                       | 581        | 0                                             | 6          | 8685                         | 12037      | 4018                        | 3336       | 13396     | 15960      |
|         | सकल राशि        | 69.61                                     | 54.61      | 0                                             | 161.42     | 584.78                       | 542.69     | 5499.76                     | 7121.90    | 6154.15   | 7880.62    |
|         | धारित प्रावधान  | 69.61                                     | 54.61      | 0                                             | 161.42     | 584.78                       | 542.29     | 5499.76                     | 7121.90    | 6154.15   | 7880.22    |

## (b) Details of restructuring accounts

(Amount in ₹ Crores)

|              |                 | Agriculture & Allied Activities<br>(Other Mechanism) |               | Corporate<br>(excluding MSME)<br>(CDR Mechanism) |               | MSME<br>(SME Debt Restructuring) |               | Retail & Other<br>(Other Mechanism) |               | Total        |               |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|              |                 | Current Year                                         | Previous Year | Current Year                                     | Previous Year | Current Year                     | Previous Year | Current Year                        | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| Standard     | No. of Accounts | 59                                                   | 68            | 13                                               | 13            | 5610                             | 12476         | 653                                 | 859           | 6335         | 13416         |
|              | Gross Amount    | 53.28                                                | 24.92         | 83.64                                            | 80.24         | 557.82                           | 867.09        | 2262.86                             | 2434.58       | 2957.60      | 3406.83       |
|              | Provision Held  | 1.74                                                 | 0.12          | 0.33                                             | 0.32          | 39.29                            | 62.86         | 154.56                              | 155.93        | 195.93       | 219.23        |
| Sub-Standard | No. of Accounts | 10                                                   | 45            | 0                                                | 0             | 796                              | 4236          | 36                                  | 293           | 842          | 4574          |
|              | Gross amount    | 0.13                                                 | 5.87          | 0                                                | 0             | 25.59                            | 50.04         | 0.28                                | 31.91         | 26           | 87.82         |
|              | Provision Held  | 0.02                                                 | 0.89          | 0                                                | 0             | 4.92                             | 9.08          | 0.08                                | 5.11          | 5.02         | 15.08         |
| Doubtful     | No. of Accounts | 3828                                                 | 3891          | 0                                                | 0             | 24941                            | 37979         | 17470                               | 19841         | 46239        | 61711         |
|              | Gross Amount    | 216.10                                               | 112.01        | 0                                                | 0             | 743.75                           | 1009.15       | 778.29                              | 1362.03       | 1738.13      | 2483.19       |
|              | Provision Held  | 195.86                                               | 106.10        | 0                                                | 0             | 701.90                           | 840.71        | 775.75                              | 1235.19       | 1673.5       | 2182.00       |
| Loss         | No. of Accounts | 693                                                  | 581           | 0                                                | 6             | 8685                             | 12037         | 4018                                | 3336          | 13396        | 15960         |
|              | Gross Amount    | 69.61                                                | 54.61         | 0                                                | 161.42        | 584.78                           | 542.69        | 5499.76                             | 7121.90       | 6154.15      | 7880.62       |
|              | Provision Held  | 69.61                                                | 54.61         | 0                                                | 161.42        | 584.78                           | 542.29        | 5499.76                             | 7121.90       | 6154.15      | 7880.22       |

v) **आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन**

हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आईआरएसी मानदंडों के संबंध में बैंक द्वारा किए गए अनुपालन की जाँच की है, और यह जाँच निम्नलिखित पर आधारित है: -

- बैंक द्वारा आरबीआई के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित स्वचालित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ; बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण;
- लेखापरीक्षकों द्वारा, लेखापरीक्षित शाखाओं / अंचल कार्यालयों के संबंध में जारी किए गए प्रमाणपत्र और एमओसी;
- निदेशक मंडल द्वारा उन मामलों में छूट दी जा सकती है जहाँ उधारकर्ताओं के मैनुअल रखरखाव की अनुमति दी जाती है जो सिस्टम द्वारा संचालित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के दायरे से बाहर हैं;
- हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के खातों को अंतिम रूप देते समय, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं के लिए निर्धारित मानदंडों का सामान्यतः अनुपालन किया है।

vi) **ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण**

- दिनांक 31.03.2026 को समाप्त अवधि के दौरान अंतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है: -
  - दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अंतरित/अधिग्रहित ऋण चूक की स्थिति में नहीं थे।

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण                                       | कृषि      | खुदरा     | एमएसएमई     |
|----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1        | अधिग्रहण का माध्यम                          | सह-उधार   | सह-उधार   | सह-उधार     |
| 2        | कुल बकाया (रूपए करोड़ में)                  | 0.01      | 18.95     | 102.59      |
| 3        | भारित औसत परिपक्वता (महीनों में)            | 25.05     | 204.76    | 114.25      |
| 4        | भारित औसत धारिता अवधि (महीने में)           | 6.10      | 6.16      | 5.86        |
| 5        | लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण             | पीसी-20%  | एचएल-20%  | एमएसएमई-20% |
| 6        | मूर्त सुरक्षा कवरेज का कवरेज (%)            | 185.57%   | 171.20%   | 229.61%     |
| 7        | रेटिंग किए गए ऋण का रेटिंग के आधार पर वितरण | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं   |

v) **Divergence in asset classification and provisioning**

We have examined the compliance by the Bank in respect of IRAC norms issued by Reserve Bank of India from time to time and based on: -

- Automated Systems and Procedures laid down by the Bank reckoning RBI guidelines; information and explanations furnished by the Bank;
- Certificates and MOCs issued by Auditors in respect of the branches / circle offices audited by them;
- Exceptions permitted by the Board of Directors for manual maintenance of borrowers outside the purview of system driven Income Recognition, Asset Classification & Provisioning;
- We hereby certify that the Bank has generally complied with the prescribed norms for Income Recognition, Assets Classifications and Provisioning requirements while finalising the accounts for the year ended 31.03.2026.

vi) **Disclosure of transfer of loan exposures**

- Details of loans transferred / acquired during the period ended 31.03.2026 are given below: -
  - Loans transferred / acquired not in default during the year ended 31.03.2026.

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No. | Particulars                                 | Agriculture    | Retails        | MSME           |
|---------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1       | Mode of Acquisition                         | Co Lending     | Co Lending     | Co Lending     |
| 2       | Aggregate Outstanding (₹ in Crores)         | 0.01           | 18.95          | 102.59         |
| 3       | Weighted Average Maturity (In months)       | 25.05          | 204.76         | 114.25         |
| 4       | Weighted Average Holding Period (In months) | 6.10           | 6.16           | 5.86           |
| 5       | Retention of Beneficial Economic Interest   | PC-20%         | HL-20%         | MSME-20%       |
| 6       | Coverage of tangible security coverage (%)  | 185.57%        | 171.20%        | 229.61%        |
| 7       | Rating Wise Distribution of Rated Loans     | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |



- b) दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने कोई दबावग्रस्त ऋण/ विशेष उल्लिखित खाते अधिग्रहित नहीं किए हैं।
- c) दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण:
- b) The Bank has not acquired any Stressed Loans (NPAs)/ Special Mentioned Accounts (SMA) during the year ended 31.03.2026.
- c) Details of Stressed Loans (NPAs) transferred during the year ended 31.03.2026:

| विवरण                                                               | एआरसी को                                                                                                          | अनुमति प्राप्त स्थानांतरितियों को | अन्य अंतरित व्यक्तियों को |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| खातों की संख्या                                                     | 4                                                                                                                 | शून्य                             | शून्य                     |
| अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन                                      | 748.99                                                                                                            |                                   |                           |
| अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि                               | शून्य                                                                                                             |                                   |                           |
| अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)                        | 748.99                                                                                                            |                                   |                           |
| कुल प्रतिफल                                                         | 156.15                                                                                                            |                                   |                           |
| पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल | ---                                                                                                               |                                   |                           |
| वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण                                 |                                                                                                                   |                                   |                           |
| सभी राशि करोड़ रुपए में                                             | एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) से |                                   | एआरसी से                  |
| प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन                                     | शून्य                                                                                                             |                                   | शून्य                     |
| कुल भुगतान किया गया प्रतिफल                                         | शून्य                                                                                                             |                                   | शून्य                     |
| प्राप्त ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि                              | शून्य                                                                                                             |                                   | शून्य                     |

| Particulars                                                                           | To ARCs                                                                                               | To permitted Transferees | To Other Transferees (Please Specify) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| No. of Accounts                                                                       | 4                                                                                                     | NIL                      | NIL                                   |
| Aggregate principal outstanding of loans transferred                                  | 748.99                                                                                                |                          |                                       |
| Weighted average residual tenor of the loans transferred                              | Nil                                                                                                   |                          |                                       |
| Net book value of the loans transferred (at the time of transfer)                     | 748.99                                                                                                |                          |                                       |
| Aggregate consideration                                                               | 156.15                                                                                                |                          |                                       |
| Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | ---                                                                                                   |                          |                                       |
| Restricted                                                                            |                                                                                                       |                          |                                       |
| Details of loans acquired during the year                                             |                                                                                                       |                          |                                       |
| All amounts in ₹ Crores                                                               | From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs) |                          | From ARCs                             |
| Aggregate Principal outstanding of loans acquired                                     | NIL                                                                                                   |                          | NIL                                   |
| Aggregate consideration paid                                                          | NIL                                                                                                   |                          | NIL                                   |
| Weighted average residual tenor of loans acquired                                     | NIL                                                                                                   |                          | NIL                                   |

- d) दिनांक 31.03.2026 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में बैंक द्वारा रखे गए एसआर का वितरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

| रिकवरी रेटिंग बैंड | बही लागत       |
|--------------------|----------------|
| आरआर1              | 1667.95        |
| आरआर 1+            | 36.12          |
| आरआर 2             | 18.99          |
| <b>कुल</b>         | <b>1723.06</b> |

- e) दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा-शून्य है।

- d) Distribution of the SRs held by the Bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2026 is given as under

(Amount in ₹ Crores)

| Recovery Rating Band | Book Cost      |
|----------------------|----------------|
| RR1                  | 1667.95        |
| RR1+                 | 36.12          |
| RR2                  | 18.99          |
| <b>Total</b>         | <b>1723.06</b> |

- e) Excess provision reversed to the P & L account on account of sale of stressed loans is NIL

Restricted

vii) सह-ऋण व्यवस्थाओं पर प्रकटीकरण

| विवरण                                                | वि.व. 2025-26                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | कृषि                                                                                                 | खुदरा                                                                                 | एमएसएमई                                                                                                |
| सीएलए भागीदारों की संख्या                            | 2                                                                                                    | 2                                                                                     | 3                                                                                                      |
| सीएलए की राशि (कुल बकाया) (राशि करोड़ में)           | 1.84                                                                                                 | 18.95                                                                                 | 451.89                                                                                                 |
| भारित औसत ब्याज दर                                   | 10.78%                                                                                               | 8.00%                                                                                 | 8.85%                                                                                                  |
| भुगतान की गई फीस (जीएसटी को छोड़कर) (राशि करोड़ में) | शून्य                                                                                                | शून्य                                                                                 | 0.91*                                                                                                  |
| व्यापक क्षेत्र                                       | कृषि                                                                                                 | खुदरा                                                                                 | एमएसएमई                                                                                                |
| सीएलए के तहत ऋणों का निष्पादन                        | बकाया: ₹1.84 करोड़<br>सीएलए में एसएमए: ₹1.31 करोड़ (71.19%)<br>सीएलए में एनपीए: ₹0.51 करोड़ (27.71%) | बकाया: ₹18.95 करोड़<br>सीएलए में एसएमए: शून्य<br>सीएलए में एनपीए: ₹0.49 करोड़ (2.58%) | बकाया: ₹451.89 करोड़<br>सीएलए में एसएमए: ₹41.62 करोड़ (9.21%)<br>सीएलए में एनपीए: ₹22.28 करोड़ (4.93%) |
| चूक हानि गारंटी का विवरण                             | शून्य                                                                                                | शून्य                                                                                 | शून्य                                                                                                  |

\* वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹0.91 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें से ₹0.26 करोड़ का भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 की चतुर्थ तिमाही के दौरान मौजूदा सह-ऋण संबंधी देनदारी पर किया गया है।

Restricted

vii) Disclosure on Co-Lending Arrangements

| Particulars                                           | FY 2025-26                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Agriculture                                                                                           | Retail                                                                              | MSME                                                                                                  |
| Number of CLA Partners                                | 2                                                                                                     | 2                                                                                   | 3                                                                                                     |
| Quantum of CLAs (Aggregate Outstanding) (₹ in Crores) | 1.84                                                                                                  | 18.95                                                                               | 451.89                                                                                                |
| Weighted Average Rate of Interest                     | 10.78%                                                                                                | 8.00%                                                                               | 8.85%                                                                                                 |
| Fees Paid (Exclusive of GST) (₹ in Crores)            | NIL                                                                                                   | NIL                                                                                 | 0.91*                                                                                                 |
| Broad Sectors                                         | Agriculture                                                                                           | Retail                                                                              | MSME                                                                                                  |
| Performance of Loans under CLAs                       | Outstanding: ₹1.84 Crores<br>SMA in CLA : ₹1.31 Crores (71.19%)<br>NPA in CLA : ₹0.51 Crores (27.71%) | Outstanding: ₹18.95 Crores<br>SMA in CLA : NIL<br>NPA in CLA : ₹0.49 Crores (2.58%) | Outstanding: ₹451.89 Crores<br>SMA in CLA : ₹ 41.62 Cr (9.21%)<br>NPA in CLA : ₹ 22.28 Crores (4.93%) |
| Details of Default Loss Guarantee                     | NIL                                                                                                   | NIL                                                                                 | NIL                                                                                                   |

\*Amount of ₹0.91 Crores has been paid for FY 2025-26, out of which ₹0.26 Crores has been paid during Q4 FY 2025-26 on Existing Co-Lending Exposure

## viii) गैर-निधि आधारित ऋण सुविधाओं पर प्रकटीकरण

नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार एनएफबी क्रेडिट सुविधा का विवरण प्रकट करना होगा:

(राशि करोड़ में)

|     |                                     | यथा 31 मार्च<br>2026 तक | यथा 31 मार्च<br>2026 तक | गत वर्ष       | गत वर्ष          |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
|     |                                     | प्रतिभूत* भाग           | गैर-प्रतिभूत भाग        | प्रतिभूत* भाग | गैर-प्रतिभूत भाग |
| I   | बकाया गारंटी                        | 60867.96                | 9793.36                 | 53436.56      | 9266.56          |
|     | i) भारत में                         | 56406.51                | 6742.98                 | 49739.86      | 6366.60          |
|     | ii) भारत के बाहर                    | 4461.45                 | 3050.38                 | 3696.71       | 2899.95          |
| II  | स्वीकृतियाँ, समर्थन और अन्य दायित्व | 19867.23                | 1016.46                 | 16137.42      | 723.30           |
| III | अन्य एनएफबी क्रेडिट सुविधाएं        | 0.00                    | 0.00                    | 0.00          | 0.00             |

\* एनएफबी सुविधा का सुरक्षित हिस्सा" सुविधा का वह हिस्सा है जो वास्तविक आधार पर अनुमानित मूल्य प्रतिभूति / संपार्श्विक के वसूली योग्य मूल्य द्वारा कवर किया जाता है।

## viii) Disclosure on Non-Fund Based Credit Facilities

The details of NFB credit facility as per the below mentioned format:

Restricted

(Amount in ₹ Crores)

|     |                                                 | As at 31 <sup>st</sup><br>March 2026 | As at 31 <sup>st</sup><br>March 2026 | Previous Year       | Previous Year        |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
|     |                                                 | Secured*<br>Portion                  | Unsecured<br>Portion                 | Secured*<br>Portion | Unsecured<br>Portion |
| I   | Outstanding Guarantees                          | 60867.96                             | 9793.36                              | 53436.56            | 9266.56              |
|     | i) In India                                     | 56406.51                             | 6742.98                              | 49739.86            | 6366.60              |
|     | ii) Outside India                               | 4461.45                              | 3050.38                              | 3696.71             | 2899.95              |
| II  | Acceptances, Endorsements and other Obligations | 19867.23                             | 1016.46                              | 16137.42            | 723.30               |
| III | Other NFB Credit facilities                     | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                | 0.00                 |

\* Secured portion of an "NFB facility" is the portion of the facility covered by the realisable value of tangible security / collateral estimated on a realistic basis.

ix) धोखाधड़ी वाले खाते

(राशि करोड़ में)

|                                                                                   | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या                                       | 513        | 366        |
| धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़)<br>(वसूली के बाद बकाया राशि)                    | 6427.47    | 2292.76    |
| ऐसी धोखाधड़ी के लिए की गई प्रावधान राशि (₹ करोड़)                                 | 6427.47    | 2292.76    |
| वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित' से डेबिट की गई अप्रत्याशित प्रावधान राशि (₹ करोड़) | -          | -          |

ix) Fraud Accounts

(Amount in ₹ Crores)

|                                                                                                             | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Number of frauds reported                                                                                   | 513        | 366        |
| Amount involved in fraud<br>(₹ Crores) (Outstanding Net<br>of Recovery)                                     | 6427.47    | 2292.76    |
| Amount of provision made<br>for such frauds (₹ Crores)                                                      | 6427.47    | 2292.76    |
| Amount of Unamortized<br>provision debited from<br>'other reserves' as at the end<br>of the year (₹ Crores) | -          | -          |

Restricted



## x) परियोजना वित्त पर प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

| क्र. सं. | मद विवरण                                                                                                                                                       | खातों की संख्या | कुल बकाया राशि (राशि करोड़ में) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1.       | तिमाही के प्रारंभ में कार्यान्वयन खातों के अंतर्गत परियोजनाएं।                                                                                                 | 759             | 32755.55                        |
| 2.       | तिमाही के दौरान स्वीकृत कार्यान्वयन खातों के अंतर्गत परियोजनाएं।                                                                                               | 178             | 1014.07                         |
| 3.       | तिमाही के दौरान जिन कार्यान्वयन खातों के अंतर्गत डीसीसीओ प्राप्त किया गया है, वे परियोजनाएं।                                                                   | 146             | 3520.95                         |
| 4.       | तिमाही के अंत में कार्यान्वयन खातों के अंतर्गत परियोजनाएं। (1+2-3)                                                                                             | 791             | 30248.67                        |
| 5.       | '4' में से वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।                                                | 79              | 7347.47                         |
| 5.1      | '5' में से वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की गई है।                                                                                                 | 74              | 6819.14                         |
| 5.2      | '5' में से वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अंतर्गत है।                                                                                     | 5               | 528.33                          |
| 5.3      | '5' खातों में से वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है।                                                                                             | 0               | 0                               |
| 6.       | '5' खातों में से वे खाते जिनके संबंध में परियोजना के दायरे और आकार में परिवर्तन के कारण मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार सहित समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है। | 2               | 155.05                          |
| 7.       | '5' खातों में से वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार से संबंधित लागत वृद्धि का वित्तपोषण किया गया है।                                    | 0               | 0                               |
| 7.1      | '7' खातों में से वे खाते जिनके लिए वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ स्वीकृत किया गया था और लगातार नवीनीकृत किया गया था।                                         | 0               | 0                               |
| 7.2      | '7' खातों में से वे खाते जिनके लिए एसबीसीएफ पूर्व-स्वीकृत नहीं था या लगातार नवीनीकृत नहीं किया गया था।                                                         | 0               | 0                               |
| 8.       | '4' खातों में से वे खाते जिनके संबंध में मूल/विस्तारित डीसीसीओ में विस्तार शामिल नहीं होने वाली समाधान प्रक्रिया शुरू की गई है।                                | 0               | 0                               |
| 8.1      | '8' खातों में से वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना लागू की जा चुकी है।                                                                                      | 0               | 0                               |
| 8.2      | '8' खातों में से वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयन के अधीन है।                                                                                  | 0               | 0                               |
| 8.3      | '8' खातों में से वे खाते जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही है।                                                                                             | 0               | 0                               |

x) Disclosure on Project Finance

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. no. | Item Description                                                                                                                                                                               | Number of Accounts | Total Outstanding (in ₹ Crores) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1.      | Projects under implementation accounts at the beginning of the quarter.                                                                                                                        | 759                | 32755.55                        |
| 2.      | Projects under implementation accounts sanctioned during the quarter.                                                                                                                          | 178                | 1014.07                         |
| 3.      | Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the quarter                                                                                                         | 146                | 3520.95                         |
| 4.      | Projects under implementation accounts at the end of the quarter. (1+2-3)                                                                                                                      | 791                | 30248.67                        |
| 5.      | Out of '4' – accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked.                                               | 79                 | 7347.47                         |
| 5.1     | Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.                                                                                                                | 74                 | 6819.14                         |
| 5.2     | Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.                                                                                                             | 5                  | 528.33                          |
| 5.3     | Out of '5' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.                                                                                                                          | 0                  | 0                               |
| 6.      | Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked due to change in scope and size of the project. | 2                  | 155.05                          |
| 7.      | Out of '5', accounts in respect of which cost Overrun associated with extension in original/extended DCCO, as the case may be, was funded                                                      | 0                  | 0                               |
| 7.1     | Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously                                                                                               | 0                  | 0                               |
| 7.2     | Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously                                                                                                                 | 0                  | 0                               |
| 8.      | Out of '4' – accounts in respect of which resolution process not involving extension in original/extended DCCO, as the case may be has been invoked.                                           | 0                  | 0                               |
| 8.1     | Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.                                                                                                                | 0                  | 0                               |
| 8.2     | Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.                                                                                                             | 0                  | 0                               |
| 8.3     | Out of '8' – accounts in respect of which Resolution plan has failed.                                                                                                                          | 0                  | 0                               |

xi) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

| उधारकर्ता का प्रकार | समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछली छमाही के अंत में स्थिति (A) | (A) का, 31.03.2026 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हुए कुल ऋण | (A) का, 31.03.2026 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि | (A) का, 31.03.2026 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि | समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - वर्तमान स्थिति इस अर्ध-वर्ष का अंत 31.03.2026 को हुआ |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वैयक्तिक ऋण         | 5566.55                                                                                                                     | 59.76                                                        | 0.00                                                                   | 744.87                                                                           | 5004.04                                                                                                                                        |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति*  | 408.25                                                                                                                      | 0.00                                                         | 0.00                                                                   | 7.57                                                                             | 400.68                                                                                                                                         |
| एमएसएमई             | 1279.06                                                                                                                     | 39.18                                                        | 0.00                                                                   | 292.08                                                                           | 988.10                                                                                                                                         |
| अन्य                | 386.31                                                                                                                      | 10.84                                                        | 0.00                                                                   | 76.84                                                                            | 299.83                                                                                                                                         |
| <b>कुल</b>          | <b>7640.17</b>                                                                                                              | <b>109.78</b>                                                | <b>0.00</b>                                                            | <b>1121.36</b>                                                                   | <b>6692.65</b>                                                                                                                                 |

\* जैसा कि दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

Restricted

xi) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19 Related Stress

(Amount in ₹ Crores)

| Type of borrower   | Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan— Position as at the end of the previous half-year (A) | Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half- year ended 31.03.2026 | Of (A) amount written off during the half-year ended 31.03.2026 | Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year ended 31.03.2026 | Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year ended 31.03.2026 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal Loans     | 5566.55                                                                                                                                           | 59.76                                                                               | 0.00                                                            | 744.87                                                                     | 5004.04                                                                                                                                                 |
| Corporate persons* | 408.25                                                                                                                                            | 0.00                                                                                | 0.00                                                            | 7.57                                                                       | 400.68                                                                                                                                                  |
| MSMEs              | 1279.06                                                                                                                                           | 39.18                                                                               | 0.00                                                            | 292.08                                                                     | 988.10                                                                                                                                                  |
| Others             | 386.31                                                                                                                                            | 10.84                                                                               | 0.00                                                            | 76.84                                                                      | 299.83                                                                                                                                                  |
| <b>Total</b>       | <b>7640.17</b>                                                                                                                                    | <b>109.78</b>                                                                       | <b>0.00</b>                                                     | <b>1121.36</b>                                                             | <b>6692.65</b>                                                                                                                                          |

\* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Restricted

5. एक्सपोज़र :

i) रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

| श्रेणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31.03.2026                | 31.03.2025                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| i) प्रत्यक्ष एक्सपोज़र                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162330.40                 | 135482.04                  |
| a) आवासीय बंधक -<br>आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण देना, जो उधारकर्ता के कब्जे में है या होगी या जो किराए पर दी गई है।                                                                                                                                                                                         | 133965.94                 | 112342.93                  |
| b) वाणिज्यिक स्थावर संपदा-<br>वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोज़र में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी; | 28152.72                  | 22924.40                   |
| c) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र में निवेश -<br>i. आवासीय<br>ii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा                                                                                                                                                                                                       | 211.74<br>98.71<br>113.03 | 214.71<br>104.23<br>110.48 |
| ii) अप्रत्यक्ष एक्सपोज़र                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |
| राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र।                                                                                                                                                                                                                                           | 37091.10                  | 34800.76                   |
| <b>स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>199421.50</b>          | <b>170282.80</b>           |

Restricted

5. Exposures:

i) Exposure to real estate sector

(Amount in ₹ Crores)

| Category                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.03.2026                | 31.03.2025                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| i) Direct exposure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162330.40                 | 135482.04                  |
| a) Residential Mortgages-<br>Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.                                                                                                                                                                                                                                  | 133965.94                 | 112342.93                  |
| b) Commercial Real Estate -<br>Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure would also include non-fund based (NFB) limits; | 28152.72                  | 22924.40                   |
| c) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -<br>i. Residential<br>ii. Commercial Real Estate                                                                                                                                                                                                                                                    | 211.74<br>98.71<br>113.03 | 214.71<br>104.23<br>110.48 |
| ii) Indirect Exposure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |
| Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37091.10                  | 34800.76                   |
| <b>Total Exposure to Real Estate Sector</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>199421.50</b>          | <b>170282.80</b>           |

Restricted

## ii) पूंजी बाजार में एक्सपोज़र

(राशि करोड़ में)

| विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.03.2026     | 31.03.2025     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| i. इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं है;                                                                                                                                                                             | 4224.43        | 4119.66        |
| ii. शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के एवज़ में या निर्बंध आधार पर अग्रिम;                                                                                                                             | 7.40           | 0.23           |
| iii. किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयां प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाती हैं;                                                                                                                                                                               | 597.70         | 1411.45        |
| iv. शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, यानी जहां शेयरों / परिवर्तनीय बॉन्ड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह से कवर नहीं करती है; | 0              | 0              |
| v. स्टॉक-ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक-ब्रोकरों और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियां;                                                                                                                                                                                                                                       | 151.77         | 190.07         |
| vi. संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बॉन्ड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज़ में या निर्बंध आधार पर कॉर्पोरेट्स को स्वीकृत ऋण;                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00           |
| vii. अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के एवज़ में कम्पनियों को पूरक ऋण;                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0              | 0              |
| viii. शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;                                                                                                                                                                                | 0              | 0              |
| ix. मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक-ब्रोकरों को वित्तपोषण;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0              | 0              |
| x. वेंचर कैपिटल फंड (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में सभी एक्सपोज़र                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 581.72         | 625.02         |
| <b>पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5563.02</b> | <b>6346.43</b> |

1. यथा 31 मार्च, 2026 तक इसमें इक्विटी और अधिमान शेयरों में ₹4498.74 करोड़ (31 मार्च, 2025: ₹4016.36 करोड़) का निवेश शामिल नहीं है, जिसे नियामक सीमा से छूट दी गई है, जिसमें से ₹1928.84 करोड़ (31 मार्च, 2025: ₹1951.10 करोड़) का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 के दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र के तहत पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान ऋण को इक्विटी और अधिमान शेयरों में परिवर्तित करने के कारण इक्विटी में परिवर्तित किया गया था।

नोट: सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि के पुनर्गठन के लिए, ऋणदाताओं को मौजूदा विनियमों और सांविधिक आवश्यकताओं के अधीन, कंपनी के इक्विटी जारी करके उनके नुकसान/त्याग (निवल वर्तमान मूल्य शर्तों में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए प्रारंभ से मुआवजा दिया जा सकता है। यदि इक्विटी शेयरों के ऐसे अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी बाजार जोखिम (सीएमई) सीमा पार हो जाती है, तो इसका प्रकटन वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखा संबंधी टिप्पणी' में किया जाएगा। बैंक रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के भाग के रूप में ऋण को इक्विटी में बदलने के विवरण का अलग से प्रकटन करेंगे जो सीएमई सीमाओं से छूट प्राप्त हैं।

ii) Exposure to capital market

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.03.2026     | 31.03.2025     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| i.                                      | Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;                                                                                                                                                                   | 4224.43        | 4119.66        |
| ii.                                     | Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;                                                                                                                   | 7.40           | 0.23           |
| iii.                                    | Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;                                                                                                                                                                                          | 597.70         | 1411.45        |
| iv.                                     | Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances; | 0              | 0              |
| v.                                      | Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;                                                                                                                                                                                                                                            | 151.77         | 190.07         |
| vi.                                     | Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;                                                                                                                            | 0              | 0              |
| vii.                                    | Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0              | 0              |
| viii.                                   | Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;                                                                                                                                                                                 | 0              | 0              |
| ix.                                     | Financing to stockbrokers for margin trading;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0              | 0              |
| x.                                      | All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 581.72         | 625.02         |
| <b>Total exposure to capital market</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5563.02</b> | <b>6346.43</b> |

- At March 31, 2026, excludes investment in equity and preferential shares of ₹ 4498.74 Cr (March 31, 2025: ₹ 4016.36 Cr) exempted from regulatory ceiling, out of which investments of ₹ 1928.84 Cr (March 31, 2025: ₹ 1951.10 Cr) were equited due to conversion of debt to equity and preferential shares during restructuring process under RBI circular dated November 28, 2025 on "Reserve Bank of India (Commercial Banks – Resolution of Stressed Assets) Directions, 2025."

Note: For restructuring of dues in respect of listed companies, lenders may be ab initio compensated for their loss/ sacrifice (diminution in fair value of account in net present value terms) by way of issuance of equities of the company upfront, subject to the extant regulations and statutory requirements. If such acquisition of equity shares results in exceeding the extant regulatory Capital Market Exposure (CME) limit, the same shall be disclosure in the 'Notes to Accounts' in the Annual Financial Statements. Banks shall separately disclose details of conversion of debt into equity as part of strategic debt restructuring which are exempt from CME limits.



### iii) जोखिम श्रेणी के अनुसार देश-वार एक्सपोजर

केवल उस देश के संबंध में जहां बैंक का निवल वित्तपोषित एक्सपोजर उसकी कुल आस्तियों का 1% या उससे अधिक है, बैंक को देश के जोखिम के लिए प्रावधान करना आवश्यक है। दिनांक 31.03.2026 को यूएसए (कम जोखिम) के लिए निवल वित्तपोषित एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक हो गया है। (दिनांक 31.03.2026 तक बैंक की कुल आस्तियों का 1%, ₹18255.15 करोड़ है) जिसके लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

(राशि करोड़ में)

| जोखिम श्रेणी      | यथा 31 मार्च 2026<br>तक एक्सपोजर<br>(निवल) | यथा 31 मार्च 2026<br>तक प्रावधान | यथा 31 मार्च 2025<br>तक एक्सपोजर<br>(निवल) | यथा 31 मार्च 2025<br>तक प्रावधान<br>(31.03.2025) |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| नगण्य- A1         | 31090.32                                   | -                                | 17685.05                                   | -                                                |
| कम जोखिम -A2      | 106164.07                                  | 35.09                            | 83604.03                                   | 28.77                                            |
| मध्यम जोखिम - B1  | 877.22                                     | -                                | 0.00                                       | -                                                |
| उच्च जोखिम - B2   | 517.32                                     | -                                | 1071.05                                    | -                                                |
| अत्यधिक जोखिम- C1 | 1401.19                                    | -                                | 0.00                                       | -                                                |
| प्रतिबंधित- C2    | 310.77                                     | -                                | 540.48                                     | -                                                |
| ऑफ क्रेडिट - D    | 616.43                                     | -                                | 555.59                                     | -                                                |
| <b>कुल</b>        | <b>140977.32</b>                           | <b>35.09</b>                     | <b>103456.20</b>                           | <b>28.77</b>                                     |

### iii) Risk category-wise country exposure

Only in respect of country where a Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for country Risk. On 31.03.2026 the net funded exposure to USA (Low Risk) has exceeded 1% of the total assets of the Bank. (1% of the total assets of the Bank as on 31.03.2026 is ₹18255.15 Crores) for which required provision is made.

(Amount in ₹ Crores)

| Risk Category       | Exposure (net)<br>as at March 31<br>2026 | Provision held<br>as at March 31<br>2026 | Exposure (net)<br>as at March 31<br>(31.03.2025) | Provision held<br>as at March 31<br>(31.03.2025) |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Insignificant- A1   | 31090.32                                 | -                                        | 17685.05                                         | -                                                |
| Low Risk -A2        | 106164.07                                | 35.09                                    | 83604.03                                         | 28.77                                            |
| Moderate Risk- B1   | 877.22                                   | -                                        | 0.00                                             | -                                                |
| High Risk- B2       | 517.32                                   | -                                        | 1071.05                                          | -                                                |
| Very High risk - C1 | 1401.19                                  | -                                        | 0.00                                             | -                                                |
| Restricted- C2      | 310.77                                   | -                                        | 540.48                                           | -                                                |
| Off Credit- D       | 616.43                                   | -                                        | 555.59                                           | -                                                |
| <b>Total</b>        | <b>140977.32</b>                         | <b>35.09</b>                             | <b>103456.20</b>                                 | <b>28.77</b>                                     |

iv) गैर-प्रतिभूत अग्रिम:

(राशि करोड़ में)

| विवरण                                                                                                                  | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम                                                                                           | 208414.14  | 226007.21  |
| उपर्युक्त में से, अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकारों पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि लिए गए हैं | शून्य      | शून्य      |
| ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य                                                                              | शून्य      | शून्य      |

v) फैक्टरिंग एक्सपोजर:

(राशि करोड़ रुपये में)

| विवरण                                            | यथा<br>31.03.2026<br>तक | यथा<br>31.03.2025<br>तक |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ट्रेड के अंतर्गत फैक्टरिंग एक्सपोजर              | 14064.08                | 9565.10                 |
| सप्लाय चैन फाइनेंस के अंतर्गत फैक्टरिंग एक्सपोजर | 1159.02                 | 1647.04                 |
| कुल फैक्टरिंग एक्सपोजर                           | 15223.10*               | 11212.14*               |

\*कुल फैक्टरिंग एक्सपोजर में आरबीआई के दिनांक 7 जून 2023 के परिपत्र CO. DPSS.POLC.No. S-258/02-01-010/2023-24 के तहत ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड) पर की गई फैक्टरिंग के प्रति बकाया और सप्लाय चैन फाइनेंस के तहत बकाया शामिल है।

vi) अंतर-समूह एक्सपोजर

(राशि करोड़ में)

| विवरण                                                                                      | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि                                                             | 3571.36    | 4727.94    |
| शीर्ष-20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि                                                    | 3571.36    | 4727.94    |
| उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर में अंतर-समूह जोखिम का प्रतिशत                | 0.20%      | 0.31%      |
| अंतर-समूह एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो। | शून्य      | शून्य      |

iv) Unsecured Advances:

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                                                                                                                    | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total unsecured advances of the Bank                                                                                                           | 208414.14  | 226007.21  |
| Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken | Nil        | Nil        |
| Estimated value of such intangible securities                                                                                                  | Nil        | Nil        |

v) Factoring Exposures:

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                   | As at<br>31.03.2026 | As at<br>31.03.2025 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Factoring Exposures under TreDS               | 14064.08            | 9565.10             |
| Factoring Exposure under Supply Chain Finance | 1159.02             | 1647.04             |
| Total Factoring Exposure                      | 15223.10*           | 11212.14*           |

\*The total factoring exposure includes outstanding towards factoring undertaken on Trade Receivables Discounting System (TreDS) in terms of RBI Circular CO. DPSS.POLC.No. S-258/02-01-010/2023-24 dated 7<sup>th</sup> June 2023 and outstanding under supply chain finance

vi) Intra-group exposures

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                                                                 | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total amount of intra-group exposures                                                       | 3571.36    | 4727.94    |
| Total amount of top-20 intra-group exposures                                                | 3571.36    | 4727.94    |
| Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers /customers   | 0.20%      | 0.31%      |
| Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any. | NIL        | NIL        |

## viii) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी संसूचना संख्या डीबीओडी.नं.बीपी. बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के माध्यम से बैंक को अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाली संस्थाओं को बैंक के जोखिम के संबंध में वृद्धिशील प्रावधान और पूंजी प्रदान करने की सलाह दी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक छः) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए ₹73.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹32.47 करोड़ रुपये) का प्रावधान कर रहा है।

**आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के संबंध में मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम का प्रबंधन करने की नीति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी अधिसूचना DOR.CRE. REC.76/07-02-001/2025-26 दिनांक 28.11.2025 के अनुसार निपटान की जाती है।**

प्रत्येक उधारकर्ता इकाई के लिए ब्याज और मूल्यहास (ईबीआईडी) से पहले आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीडी) और वार्षिक आय की गणना की जाती है। यूएफसीडी की गणना सबसे पहले इकाई के सकल विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की गणना करके और फिर परिचालन से नकदी प्रवाह (इकाई के) के कारण व्युत्पन्न अनुबंध और प्राकृतिक हेज के माध्यम से हेज की सीमा को घटाकर की जाती है। इकाई को संभावित नुकसान की सीमा की गणना पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान यूएसडी/आईएनआर दरों में देखी गई सबसे बड़ी वार्षिक अस्थिरता (एलएवी) के साथ यूएफसीडी को गुणा करके की जाएगी। विदेशी शाखाओं/सहायक कंपनियों के मामले में; यूएफसीडी के कारण संभावित नुकसान की गणना आईएनआर को उस क्षेत्राधिकार की घरेलू मुद्रा से और यूएसडी को उस विदेशी मुद्रा (यानी, उस क्षेत्राधिकार की घरेलू मुद्रा के अलावा अन्य मुद्रा) से बदलकर की जाएगी जिसमें इकाई का अधिकतम एक्सपोज़र है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण संभावित नुकसान की तुलना वार्षिक ईबीआईडी (ब्याज और मूल्यहास से पहले की कमाई) से की जाती है और इसे ईबीआईडी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी संभावित नुकसान/ईबीआईडी प्रतिशत। विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, बैंक वृद्धिशील पूंजी धारण कर रहा है तथा निर्दिष्ट दरों पर ऐसी संस्थाओं को दिए गए कुल ऋण पर वृद्धिशील प्रावधान (मौजूदा मानक आस्तियों के प्रावधान के अतिरिक्त) कर रहा है।

## vii) Unhedged foreign currency exposure

Reserve Bank of India vide its communication Number DBOD.No.BP.BC. 85 /21.06.200/2013-14 dated January 15 2014 advised the Bank to provide incremental provision and capital with regard to Bank's exposure to entities with unhedged foreign currency exposures. Accordingly, for the financial year 2025-26 Bank is holding a provision of ₹73.02 Crores (previous year ₹32.47 Crores) towards unhedged foreign currency exposure.

**Policy to manage currency induced credit risk with regard to Unhedged Foreign Currency Exposure are dealt with as per the guidelines issued by Reserve Bank of India vide their notification DOR.CRE. REC.76/07-02-001/2025-26 dated 28.11.2025**

The Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and Annual Earnings are computed before Interest and Depreciation (EBID) for each borrower entity. UFCE is arrived at first by calculating the gross foreign currency exposure of the entity and then deducting the extent of hedge by way of derivative contract and natural hedge on account of cash flow from operations (of the entity). The extent of potential loss to the entity will be calculated by multiplying the UFCE with Largest Annualised Volatilities (LAV) seen in USD/INR rates during the last ten years period. In case of Overseas Branches / Subsidiaries; potential loss due to UFCE shall be computed by replacing INR with the domestic currency of that jurisdiction and USD with the foreign currency (i.e., currency other than domestic currency of that jurisdiction) in which the entity has maximum exposure. Potential loss on account of exchange rate movements are compared with annual EBID (Earnings Before Interest & Depreciation) and expressed as a percentage of EBID i.e., Potential loss/EBID percentage. As a prudential measure, Bank is holding incremental capital and make incremental provisioning (over and above the extant standard assets provisioning) on the total credit exposure to such entities at the specified rates.

6. जमा, अग्रिम, एक्सपोज़र और एनपीए का संकेन्द्रण

i) जमा का संकेन्द्रण

(राशि करोड़ में)

| विवरण                                                                            | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| बीस सबसे बड़े वैश्विक जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि                                 | 179405.36  | 179822.72  |
| बैंक की कुल वैश्विक जमा राशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत | 11.40%     | 12.30%     |

ii) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(राशि करोड़ में)

| विवरण                                                                               | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम राशि                                        | 189714.22  | 169207.43  |
| बैंक का कुल अग्रिम                                                                  | 1684920.71 | 1466337.33 |
| बैंक के कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत | 11.26%     | 11.54%     |

iii) एक्सपोज़र का संकेन्द्रण

(राशि करोड़ में)

| विवरण                                                                                                                     | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र                                                                     | 191756.99  | 172998.20  |
| बैंक का कुल एक्सपोज़र                                                                                                     | 1751716.14 | 1523282.66 |
| बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के प्रति एक्सपोज़र का प्रतिशत | 10.95%     | 11.36%     |

iv) एनपीए का संकेन्द्रण

(राशि करोड़ में)

| विवरण                                                       | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र                     | 6570.00    | 10395.00   |
| कुल सकल एनपीए                                               | 22740.00   | 31530.00   |
| कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोज़र का प्रतिशत। | 28.89%     | 32.97%     |

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

i) Concentration of deposits

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                                                              | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total deposits of the twenty largest Global depositors                                   | 179405.36  | 179822.72  |
| Percentage of deposits of twenty largest depositors to total global deposits of the Bank | 11.40%     | 12.30%     |

ii) Concentration of advances

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                                                      | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total advances to the twenty largest borrowers                                   | 189714.22  | 169207.43  |
| Total Advances of the Bank                                                       | 1684920.71 | 1466337.33 |
| Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank | 11.26%     | 11.54%     |

iii) Concentration of exposures

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                                                                                                   | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total exposure to the twenty largest borrowers/customers                                                                      | 191756.99  | 172998.20  |
| Total exposure of the Bank                                                                                                    | 1751716.14 | 1523282.66 |
| Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the Bank on borrowers / customers | 10.95%     | 11.36%     |

iv) Concentration of NPAs

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                                                    | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Total Exposure to the top twenty NPA accounts                                  | 6570.00    | 10395.00   |
| Total Gross NPAs                                                               | 22740.00   | 31530.00   |
| Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs | 28.89%     | 32.97%     |

## 7. व्युत्पन्न

### i) व्युत्पन्न पोर्टफोलियो का विवरण

(राशि करोड़ में)

|                                           | चालू वर्ष |            |        | गत वर्ष |          |        |
|-------------------------------------------|-----------|------------|--------|---------|----------|--------|
|                                           | स्तर 1    | स्तर 2     | स्तर 3 | स्तर 1  | स्तर 2   | स्तर 3 |
| ब्याज दर व्युत्पन्न                       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 3846.38  | 0.00   |
| एमटीएम - आस्तियाँ                         | 0.00      | 75.59      | 0.00   | 0.00    | 0.21     | 0.00   |
| एमटीएम - देयताएं                          | 0.00      | -96.19     | 0.00   | 0.00    | -32.66   | 0.00   |
| लाभ व हानि लेखा में निहित निवल लाभ / हानि | 0.00      | -20.60     | 0.00   | 0.00    | -32.45   | 0.00   |
|                                           |           |            |        |         |          |        |
| विनिमय दर व्युत्पन्न                      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 5481.94  | 0.00   |
| एमटीएम - आस्तियाँ                         | 0.00      | 6965.36    | 0.00   | 0.00    | 1443.09  | 0.00   |
| एमटीएम - देयताएं                          | 0.00      | -9371.19   | 0.00   | 0.00    | -2265.10 | 0.00   |
| लाभ व हानि लेखा में निहित निवल लाभ / हानि | 0.00      | -2405.83   | 0.00   | 0.00    | -822.01  | 0.00   |
|                                           |           | Restricted |        |         |          |        |
| ऋण जोखिम व्युत्पन्न                       | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| एमटीएम - आस्तियाँ                         | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| एमटीएम - देयताएं                          | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| लाभ व हानि लेखा में निहित निवल लाभ / हानि | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
|                                           |           |            |        |         |          |        |
| अन्य व्युत्पन्न                           | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 19.63    | 0.00   |
| एमटीएम - आस्तियाँ                         | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| एमटीएम - देयताएं                          | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   |
| लाभ व हानि लेखा में निहित निवल लाभ / हानि | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   |

7. Derivatives

i) Details of derivative portfolio

(Amount in ₹ Crores)

|                                                     | Current Year |          |         | Previous Year |          |         |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------|---------|---------------|----------|---------|
|                                                     | Level 1      | Level 2  | Level 3 | Level 1       | Level 2  | Level 3 |
| Interest Rate Derivatives                           | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00          | 3846.38  | 0.00    |
| MTM - Assets                                        | 0.00         | 75.59    | 0.00    | 0.00          | 0.21     | 0.00    |
| MTM - Liabilities                                   | 0.00         | -96.19   | 0.00    | 0.00          | -32.66   | 0.00    |
| Net Gain / Loss recognized in Profit & Loss Account | 0.00         | -20.60   | 0.00    | 0.00          | -32.45   | 0.00    |
| Exchange Rate Derivatives                           | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00          | 5481.94  | 0.00    |
| MTM - Assets                                        | 0.00         | 6965.36  | 0.00    | 0.00          | 1443.09  | 0.00    |
| MTM - Liabilities                                   | 0.00         | -9371.19 | 0.00    | 0.00          | -2265.10 | 0.00    |
| Net Gain / Loss recognized in Profit & Loss Account | 0.00         | -2405.83 | 0.00    | 0.00          | -822.01  | 0.00    |
| Credit Risk Derivatives                             | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00    |
| MTM - Assets                                        | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00    |
| MTM - Liabilities                                   | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00    |
| Net Gain / Loss recognized in Profit & Loss Account | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00    |
| Other Derivatives                                   | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00          | 19.63    | 0.00    |
| MTM - Assets                                        | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00    |
| MTM - Liabilities                                   | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00    |
| Net Gain / Loss recognized in Profit & loss Account | 0.00         | 0.00     | 0.00    | 0.00          | 0.00     | 0.00    |



## ii) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(राशि करोड़ में)

| विवरण                                                                                          | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (i) स्वैप करार का अनुमानित मूल राशि                                                            | 3224.39    | 3846.38    |
| (ii) यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ | शून्य      | 0.00       |
| (iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक                                | लागू नहीं  | 0.00       |
| (iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण                                                   | 30.35      | 32.05      |
| (v) स्वैप बही का उचित मूल्य                                                                    | 3216.71    | 3813.64    |

## ii) Forward rate agreement / Interest rate swap

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                                                                                    | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (i) The notional principal of swap agreements                                                                  | 3224.39    | 3846.38    |
| (ii) Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligations under the agreements | Nil        | 0.00       |
| (iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps                                                 | NA         | 0.00       |
| (iv) Concentration of credit risk arising from the swaps                                                       | 30.35      | 32.05      |
| (v) The fair value of the swap book                                                                            | 3216.71    | 3813.64    |

## iii) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न

Restricted

(राशि करोड़ में)

| विवरण                                                                                                                     | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| i. वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि (लिखत वार)                                     | शून्य      | 330        |
| ii. 31 मार्च तक एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न की बकाया अनुमानित मूल राशि (लिखत वार)                                | शून्य      | 461.71     |
| iii. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न की बकाया अनुमानित मूल राशि जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत के अनुसार)        | शून्य      | शून्य      |
| iv. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न का मार्क टू मार्केट मूल्य बकाया है और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत के अनुसार) | शून्य      | शून्य      |

## iii) Exchange traded interest rate derivatives

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No. | Particulars                                                                                                                       | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| i.      | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)               | Nil        | 330        |
| ii.     | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 <sup>st</sup> March (instrument wise) | Nil        | 461.71     |
| iii.    | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)   | Nil        | NIL        |
| iv.     | Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)        | Nil        | NIL        |

iv) व्युत्पन्न में एक्सपोजर जोखिम पर प्रकटीकरण

a) गुणात्मक प्रकटीकरण

हेजिंग/ट्रेड के लिए व्युत्पन्न लिखतों के उपयोग पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू है।

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में नियत ब्याज दर, शून्य कूपन और अस्थिर ब्याज दरों जैसी विशेषताओं वाली आस्तियां शामिल हैं और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन है। बैंक ने टियर I और टियर II बॉन्ड भी जारी किए हैं और यह पूंजी लागत नियत दर पर है जिसमें कोई निकासी विकल्प नहीं है। नीति इस देयता पर ब्याज दर जोखिम को भी बचाव करने की अनुमति देती है।

बैंक केवल क्रॉस करेंसी स्वैप (सीसीएस) / क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), रुपया ब्याज दर स्वैप (ओआईएस), और एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी तक सीमित डेरिवेटिव लेनदेन करता है, मुख्य रूप से बैलेंस शीट एक्सपोजर से उत्पन्न मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों को हेज करने के लिए और परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन उद्देश्यों के लिए। बैंक एक विवेकपूर्ण और रूढ़िवादी दृष्टिकोण का पालन करता है और अनुमोदित जोखिम सीमाओं से परे संरचित या सट्टा व्युत्पन्न लेनदेन में शामिल नहीं होता है। इन व्युत्पन्न से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की पहचान करने, उन्हें मापने और उन पर नज़र रखने के लिए एक मज़बूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा मौजूद है।

ब्याज दर जोखिम का आकलन पीवी01 के माध्यम से किया जाता है जबकि विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन (सीसीएस/सीसीआईआरएस और मुद्रा वायदा में) को नेट ओपन पोजीशन सीमाओं के माध्यम से किया जाता है। बाज़ार जोखिम का मूल्यांकन जोखिम पर मूल्य (वीएआर) का उपयोग करके किया जाता है। ओटीसी व्युत्पन्न के लिए प्रतिपक्षी क्रेडिट जोखिम को नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार मापा जाता है, जबकि एक्सचेंज-ट्रेडेड मुद्रा वायदा एक्सचेंजों के मार्जिनिंग और समाशोधन तंत्र के अधीन है।

सभी बकाया सीसीएस/सीसीआईआरएस और रुपया ब्याज दर स्वैप (ओआईएस) अनुबंधों को छूट वाली नकदी प्रवाह मूल्यांकन पद्धतियों और क्रॉस-मुद्रा आधार प्रसार का उपयोग करके चिह्नित किया जाता है। एक्सचेंज-ट्रेडेड मुद्रा वायदा का

iv) Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative disclosures

The Credit Risk Management Policy, approved by the Board of Directors, on the use of derivative instruments to hedge /trade is in place.

The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has issued Tier I & Tier II bonds and this capital cost is at fixed rate with no exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

The Bank undertakes derivative transactions restricted to Cross Currency Swaps (CCS) / Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS), Rupee Interest Rate Swaps (OIS), and exchange-traded Currency Futures, primarily for hedging currency and interest rate risks arising from balance sheet exposures and for asset-liability management purposes. The Bank follows a prudent and conservative approach and does not engage in structured or speculative derivative transactions beyond approved risk limits.

A robust risk management framework is in place to identify, measure, and monitor risks arising from these derivatives. Interest rate risk is assessed through PV01 while foreign exchange risk (in CCS/CCIRS and Currency Futures) is managed through net open position limits and sensitivity measures. Market risk is evaluated using Value at Risk (VaR) along. Counterparty credit risk for OTC derivatives is measured as per regulatory guidelines, while exchange-traded currency futures are subject to margining and clearing mechanisms of the exchanges.

All outstanding CCS/CCIRS and Rupee Interest Rate Swaps (OIS) contracts are marked-to-market using robust discounted cash flow valuation methodologies and cross-currency basis spreads. Exchange-traded currency futures are valued based on daily mark-to-market settlement prices

मूल्यांकन संबंधित एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित दैनिक मार्क-टू-मार्केट निपटान कीमतों के आधार पर किया जाता है और ये निर्धारित मार्जिन और समाशोधन तंत्र के अधीन होता है। समग्र मूल्यांकन ढांचे को आंतरिक नीतियों, स्थापित नियंत्रण ढांचे और लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप सटीकता, स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र मूल्य सत्यापन द्वारा समर्थित किया जाता है।

बैंक आंतरिक नियंत्रण, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और नियामक रिपोर्टिंग प्रणालियों द्वारा समर्थित, फ्रंट, मिड और बैक-ऑफिस कार्यों के स्पष्ट पृथक्करण के साथ एक अच्छी तरह से परिभाषित शासन ढांचा बनाए रखता है। व्युत्पन्न नकदी प्रवाह से उत्पन्न तरलता जोखिम, जिसमें ब्याज दर में बदलाव और आधार प्रसार संचलन जैसे तनाव परिदृश्य शामिल हैं, जिनकी सक्रिय रूप से निगरानी और प्रबंधन किया जाता है।

बैंक व्युत्पन्न से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का खुलासा करेंगे, जिसमें विशेष रूप से इस बात का उल्लेख होगा कि व्युत्पन्न का किस हद तक उपयोग किया जाता है, उनसे जुड़े जोखिम क्या हैं, और उनसे कौन से व्यावसायिक उद्देश्य पूरे होते हैं। प्रकटीकरण में यह भी शामिल है:

- व्युत्पन्न ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन,
- जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणालियों का दायरा और प्रकृति,
- हेजिंग और / या जोखिम को कम करने के लिए नीतियाँ और या हेज / शमन की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ, और
- हेज और नॉन-हेज लेन-देन को रिकॉर्ड करने की लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की पहचान; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम शमन।

published by the respective exchanges and are subject to prescribed margining and clearing mechanisms. The overall valuation framework is supported by periodic independent price verification to ensure accuracy, consistency, and reliability, in line with internal policies, established control frameworks, and applicable regulatory guidelines.

The Bank maintains a well-defined governance framework with clear segregation of front, mid, and back-office functions, supported by internal controls, audit processes, and regulatory reporting systems. Liquidity risk arising from derivative cash flows, including stress scenarios such as interest rate shocks and basis spread movements, is also actively monitored and managed.

Banks shall disclose their risk management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. The disclosure shall also include:

- The structure and organization for management of risk in derivatives trading,
- The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems,
- Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants, and
- Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

b) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण                                                           |         | 31.03.2026        |                     | 31.03.2025        |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|          |                                                                 |         | मुद्रा व्युत्पन्न | ब्याज दर व्युत्पन्न | मुद्रा व्युत्पन्न | ब्याज दर व्युत्पन्न |
| a)       | व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)                                    |         |                   |                     |                   |                     |
| i)       | हेजिंग के लिए                                                   |         | 12469.94          | 3444.39             | 7923.89           | 3846.86             |
| ii)      | ट्रेडिंग के लिए                                                 |         | 0.00              | 4559.58             | 35215.70          | 461.71              |
| b)       | बाजार के लिए चिह्नित स्थिति                                     |         |                   |                     |                   |                     |
| i)       | आस्ति (+)                                                       |         | 72.06             | 74.74               | 0                 | 0                   |
| ii)      | देयता (-)                                                       |         | 0                 | -95.34              | 45.69             | 32.66               |
| c)       | ऋण एक्सपोज़र                                                    |         | 364.55            | 30.35               | 292.79            | 32.66               |
| d)       | ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) |         |                   |                     |                   |                     |
| i)       | हेजिंग व्युत्पन्न पर                                            |         | -0.52             | 0.89                | 45.82             | 116.13              |
| ii)      | ट्रेडिंग व्युत्पन्न पर                                          |         | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
| e)       | वर्ष के दौरान देखे गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01             |         |                   |                     |                   |                     |
| i)       | हेजिंग पर                                                       | अधिकतम  | -0.3843           | 1.108               | 0.00              | 0.00                |
|          |                                                                 | न्यूनतम | -0.7196           | 0.8778              | 45.82             | 116.13              |
| ii)      | ट्रेडिंग पर                                                     | अधिकतम  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00                |
|          |                                                                 | न्यूनतम | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00                |

\* दिनांक 31.03.2026 तक एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स में बकाया मुद्रा फ्यूचर्स शून्य है।

v) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप: शून्य

b) Quantitative disclosures

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No. | Particulars                                                        |         | 31.03.2026           |                           | 31.03.2025           |                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|         |                                                                    |         | Currency derivatives | Interest rate derivatives | Currency derivatives | Interest rate derivatives |
| a)      | Derivatives (Notional Principal Amount)                            |         |                      |                           |                      |                           |
| i)      | For hedging                                                        |         | 12469.94             | 3444.39                   | 7923.89              | 3846.86                   |
| ii)     | For trading                                                        |         | 0.00                 | 4559.58                   | 35215.70             | 461.71                    |
| b)      | Marked to Market Positions                                         |         |                      |                           |                      |                           |
| i)      | Asset (+)                                                          |         | 72.06                | 74.74                     | 0                    | 0                         |
| ii)     | Liability (-)                                                      |         | 0                    | -95.34                    | 45.69                | 32.66                     |
| c)      | Credit Exposure                                                    |         | 364.55               | 30.35                     | 292.79               | 32.66                     |
| d)      | Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) |         |                      |                           |                      |                           |
| i)      | on hedging derivatives                                             |         | -0.52                | 0.89                      | 45.82                | 116.13                    |
| ii)     | on trading derivatives                                             |         | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      |
| e)      | Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year           |         |                      |                           |                      |                           |
| i)      | On hedging                                                         | Maximum | -0.3843              | 1.108                     | 0.00                 | 0.00                      |
|         |                                                                    | Minimum | -0.7196              | 0.8778                    | 45.82                | 116.13                    |
| ii)     | On trading                                                         | Maximum | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      |
|         |                                                                    | Minimum | 0.00                 | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                      |

\*Currency Futures outstanding in NSE, BSE and MCX as on 31.03.2026 is Nil

v) Credit Default Swaps: NIL

## 8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण                                                                                                                                                                                                                 | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.      | प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्तियां रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण जोखिमों से संबंधित एसपीवी की यहां रिपोर्ट की जाएगी)                                                    | -          | -          |
| 2.      | एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि                                                                                                                                                           | -          | -          |
| 3.      | तुलन पत्र की तिथि पर एमआरआर का अनुपालन करने के लिए मूलकर्ता द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि                                                                                                                        | -          | -          |
| a)      | ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर                                                                                                                                                                                                | -          | -          |
|         | पहली हानि                                                                                                                                                                                                             | -          | -          |
|         | अन्य                                                                                                                                                                                                                  | -          | -          |
| b)      | ऑन - बैलेंस शीट एक्सपोजर                                                                                                                                                                                              | -          | -          |
|         | पहली हानि                                                                                                                                                                                                             | -          | -          |
|         | अन्य                                                                                                                                                                                                                  | -          | -          |
| 4.      | एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि                                                                                                                                                           | -          | -          |
| a)      | ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर                                                                                                                                                                                                | -          | -          |
| i)      | स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर                                                                                                                                                                               | -          | -          |
|         | पहली हानि                                                                                                                                                                                                             | -          | -          |
|         | अन्य                                                                                                                                                                                                                  | -          | -          |
| ii)     | तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर                                                                                                                                                                          | -          | -          |
|         | पहली हानि                                                                                                                                                                                                             | -          | -          |
|         | अन्य                                                                                                                                                                                                                  | -          | -          |
| b)      | ऑन- बैलेंस शीट एक्सपोजर                                                                                                                                                                                               | -          | -          |
| i)      | स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर                                                                                                                                                                               | -          | -          |
|         | पहली हानि                                                                                                                                                                                                             | -          | -          |
|         | अन्य                                                                                                                                                                                                                  | -          | -          |
| ii)     | तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर                                                                                                                                                                          | -          | -          |
|         | पहली हानि                                                                                                                                                                                                             | -          | -          |
|         | अन्य                                                                                                                                                                                                                  | -          | -          |
| 5.      | प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त विक्रय प्रतिफल तथा प्रतिभूतिकरण के कारण विक्रय पर लाभ / हानि                                                                                                                     | -          | -          |
| 6.      | चलनिधि समर्थन, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं का स्वरूप और मात्रा (बकाया मूल्य)।                                                                                                 | -          | -          |
| 7.      | प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से जानकारी प्रदान करें जैसे कि क्रेडिट वृद्धि, चलनिधि समर्थन, सविर्सिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के प्रतिशत को कोष्ठक में लिखें। | -          | -          |
| a)      | भुगतान की गई राशि                                                                                                                                                                                                     | -          | -          |
| b)      | प्राप्त पुनर्भुगतान                                                                                                                                                                                                   | -          | -          |
| c)      | बकाया राशि                                                                                                                                                                                                            | -          | -          |
| 8.      | पिछले समय में पोर्टफोलियो की औसत डिफॉल्ट दर देखी गई। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।                                                                            | -          | -          |
| 9.      | एक ही अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।                                                        | -          | -          |
| 10.     | निवेशक शिकायतें                                                                                                                                                                                                       | -          | -          |
| a)      | प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;                                                                                                                                                                               | -          | -          |
| b)      | लंबित शिकायतें                                                                                                                                                                                                        | -          | -          |

8. Disclosures relating to securitization

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No. | Particulars                                                                                                                                                                                                       | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.      | No. of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)                                      | -          | -          |
| 2.      | Total amount of securitized assets as per books of the SPEs                                                                                                                                                       | -          | -          |
| 3.      | Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet                                                                                                           | -          | -          |
|         | a) Off-balance sheet exposures                                                                                                                                                                                    |            |            |
|         | First loss                                                                                                                                                                                                        | -          | -          |
|         | Others                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|         | b) On-balance sheet exposures                                                                                                                                                                                     |            |            |
|         | First loss                                                                                                                                                                                                        | -          | -          |
|         | Others                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| 4.      | Amount of exposures to securitization transactions other than MRR                                                                                                                                                 | -          | -          |
|         | a) Off-balance sheet exposures                                                                                                                                                                                    |            |            |
|         | i) Exposure to own securitisations                                                                                                                                                                                |            |            |
|         | First loss                                                                                                                                                                                                        | -          | -          |
|         | Others                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|         | ii) Exposure to third party securitisations                                                                                                                                                                       |            |            |
|         | First loss                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|         | Others                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|         | b) On-balance sheet exposures                                                                                                                                                                                     |            |            |
|         | i) Exposure to own securitisations                                                                                                                                                                                |            |            |
|         | First loss                                                                                                                                                                                                        | NIL        | NIL        |
|         | Others                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|         | ii) Exposure to third party securitisations                                                                                                                                                                       |            |            |
|         | First loss                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|         | Others                                                                                                                                                                                                            |            |            |
| 5.      | Sale consideration received for the securitised assets and gain / loss on sale on account of securitisation                                                                                                       | -          | -          |
| 6.      | Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.                                                                                 | -          | -          |
| 7.      | Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. | -          | -          |
|         | (a) Amount paid                                                                                                                                                                                                   |            |            |
|         | (b) Repayment received                                                                                                                                                                                            | -          | -          |
|         | (c) Outstanding amount                                                                                                                                                                                            |            |            |
| 8.      | Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide break-up separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.                                                                    | -          | -          |
| 9.      | Amount and number of additional / top-up loan given on same underlying asset. Please provide break-up separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.                                              | -          | -          |
| 10.     | Investor complaints                                                                                                                                                                                               | -          | -          |
|         | (a) Directly / Indirectly received and;                                                                                                                                                                           | -          | -          |
|         | (b) Complaints outstanding                                                                                                                                                                                        |            |            |



9. प्रायोजित तुलनपत्रेतर एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

| प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम |        |
|----------------------------|--------|
| घरेलू                      | विदेशी |
| शून्य                      | शून्य  |

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण                                                      | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| i)       | डीईए फंड में अंतरित की गई राशि का प्रारंभिक शेष            | 6059.93    | 5306.88    |
| ii)      | जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित की गई राशि       | 813.63     | 861.03     |
| iii)     | घटाएँ: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि | 184.74     | 107.97     |
| iv)      | डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष                      | 6688.83    | 6059.93    |

जैसा कि ऊपर बताया गया है, डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष भी 'अनुसूची 12- आकस्मिक देयताएं-अन्य' के अंतर्गत शामिल है।

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

| Name of the SPV sponsored |          |
|---------------------------|----------|
| Domestic                  | Overseas |
| Nil                       | Nil      |

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No. | Particulars                                          | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------|------------------------------------------------------|------------|------------|
| i)      | Opening balance of amounts transferred to DEA Fund   | 6059.93    | 5306.88    |
| ii)     | Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year | 813.63     | 861.03     |
| iii)    | Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims  | 184.74     | 107.97     |
| iv)     | Closing balance of amounts transferred to DEA Fund   | 6688.83    | 6059.93    |

Closing balance of the amount transferred to DEA fund as disclosed above is also included under 'Schedule 12- Contingent Liabilities-Other'.

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

i) बैंक को ग्राहकों और लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

| क्र सं. |                                                      | विवरण                                                                                                   | 31.03.2026             | 31.03.2025           |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|         | बैंकों को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें          |                                                                                                         |                        |                      |
| 1.      |                                                      | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या                                                               | 2332                   | 2343                 |
| 2.      |                                                      | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या:<br>a. सामान्य शिकायतें<br>b. डिजिटल शिकायतें                  | a. 120934<br>b. 292997 | a.108037<br>b.289047 |
| 3.      |                                                      | वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या:<br>a. सामान्य शिकायतें<br>b. डिजिटल शिकायतें                | a. 121166<br>b. 293163 | a.107600<br>b.289495 |
|         | 3.1                                                  | जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या                                                       | 80527                  | 29220                |
| 4.      |                                                      | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या                                                                | 1934                   | 2332                 |
|         | लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतें |                                                                                                         |                        |                      |
| 5.      |                                                      | लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतों की संख्या                                          | 5650                   | 4983                 |
|         | 5.1                                                  | 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या                          | 2656                   | 2222                 |
|         | 5.2                                                  | 5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह / मध्यस्थता / सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या  | 2993                   | 2761                 |
|         | 5.3                                                  | 5 में से, बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा आदेशों को पारित करने के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या | 1                      | 0                    |
| 6.      |                                                      | निर्धारित समय सीमा के भीतर क्रियान्वित न किए गए आदेशों की संख्या (अपील किए गए अवार्ड छोड़कर)            | 0                      | 0                    |

## 11. Disclosure of complaints

### i) Summary information on complaints received by the Bank from customers and from the Offices of Ombudsman

| Sl. No.                                                                      | Particulars                                                                                                  | 31.03.2026             | 31.03.2025           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Complaints received by the Banks from its customers</b>                   |                                                                                                              |                        |                      |
| 1.                                                                           | Number of complaints pending at beginning of the year                                                        | 2332                   | 2343                 |
| 2.                                                                           | Number of complaints received during the year:<br>a. General Complaints<br>b. Digital Complaints             | a. 120934<br>b. 292997 | a.108037<br>b.289047 |
| 3.                                                                           | Number of complaints disposed during the year:<br>a. General Complaints<br>b. Digital Complaints             | a. 121166<br>b. 293163 | a.107600<br>b.289495 |
| 3.1                                                                          | Of which, number of complaints rejected by the Bank                                                          | 80527                  | 29220                |
| 4.                                                                           | Number of complaints pending at the end of the year                                                          | 1934                   | 2332                 |
| <b>Maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman</b> |                                                                                                              |                        |                      |
| 5.                                                                           | Number of maintainable complaints received by the Bank from Office of Ombudsman                              | 5650                   | 4983                 |
| 5.1                                                                          | Of 5, number of complaints resolved in favour of the Bank by Office of Ombudsman                             | 2656                   | 2222                 |
| 5.2                                                                          | Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office of Ombudsman | 2993                   | 2761                 |
| 5.3                                                                          | Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the Bank          | 1                      | 0                    |
| 6.                                                                           | Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)                        | 0                      | 0                    |

ii) बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

| शिकायत का आधार,<br>(अर्थात् निम्न से संबंधित शिकायतें)             | वर्ष के प्रारंभ में<br>लंबित शिकायतों<br>की संख्या | वर्ष के दौरान<br>प्राप्त शिकायतों<br>की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना<br>में प्राप्त शिकायतों की<br>संख्या में % वृद्धि /<br>कमी | वर्ष के अंत में<br>लंबित<br>शिकायतों की<br>संख्या | 5 में से, 30 दिनों<br>से अधिक समय<br>से लंबित<br>शिकायतों की<br>संख्या |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                                  | 3                                              | 4                                                                              | 5                                                 | 6                                                                      |
| 31.03.2026                                                         |                                                    |                                                |                                                                                |                                                   |                                                                        |
| इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग                            | 294                                                | 152157                                         | 4.88%                                                                          | 209                                               | 0                                                                      |
| एटीएम / डेबिट कार्ड                                                | 145                                                | 68218                                          | -10.36%                                                                        | 92                                                | 0                                                                      |
| ऋण और अग्रिम                                                       | 280                                                | 20126                                          | 70.59%                                                                         | 295                                               | 0                                                                      |
| बिना पूर्व सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक<br>शुल्क / मोचनरोध शुल्क | 258                                                | 13376                                          | -9.03%                                                                         | 120                                               | 0                                                                      |
| खाता खोलना / खाते के परिचालन में<br>कठिनाई                         | 158                                                | 9689                                           | 4.62%                                                                          | 141                                               | 0                                                                      |
| अन्य                                                               | 1197                                               | 150365                                         | 7.30%                                                                          | 1077                                              | 42*                                                                    |
| <b>कुल</b>                                                         | <b>2332</b>                                        | <b>413931</b>                                  | <b>4.24%</b>                                                                   | <b>1934</b>                                       | <b>42*</b>                                                             |
| 31.03.2025                                                         |                                                    |                                                |                                                                                |                                                   |                                                                        |
| इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग                            | 583                                                | 145076                                         | -16.10%                                                                        | 294                                               | 0                                                                      |
| एटीएम / डेबिट कार्ड                                                | 310                                                | 76105                                          | -52.76%                                                                        | 145                                               | 0                                                                      |
| ऋण और अग्रिम                                                       | 372                                                | 14703                                          | 0.06%                                                                          | 258                                               | 0                                                                      |
| बिना पूर्व सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक<br>शुल्क / मोचनरोध शुल्क | 78                                                 | 11798                                          | 60.69%                                                                         | 280                                               | 0                                                                      |
| खाता खोलना/ खाते के परिचालन में कठिनाई                             | 24                                                 | 9261                                           | 86.04%                                                                         | 158                                               | 0                                                                      |
| अन्य                                                               | 976                                                | 140141                                         | -7.44%                                                                         | 1197                                              | 53                                                                     |
| <b>कुल</b>                                                         | <b>2343</b>                                        | <b>397084</b>                                  | <b>-24.30%</b>                                                                 | <b>2332</b>                                       | <b>53</b>                                                              |

\* वे सभी 42 शिकायतें, जो 30 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, सतर्कता संबंधी प्रकृति की हैं।

ii) Top five grounds of complaints received by the Bank from customers

| Grounds of complaints,<br>(i.e. complaints relating to)                      | Number of<br>complaints<br>pending at the<br>beginning of<br>the year | Number of<br>complaints<br>received<br>during the<br>year | % increase/<br>decrease in<br>the number<br>of complaints<br>received over the<br>previous year | Number of<br>complaints<br>pending at<br>the end of<br>the year | Of 5,<br>number of<br>complaints<br>pending<br>beyond<br>30 days |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                                                     | 3                                                         | 4                                                                                               | 5                                                               | 6                                                                |
| <b>31.03.2026</b>                                                            |                                                                       |                                                           |                                                                                                 |                                                                 |                                                                  |
| Internet / Mobile / Electronic Banking                                       | 294                                                                   | 152157                                                    | 4.88%                                                                                           | 209                                                             | 0                                                                |
| ATM / Debit Cards                                                            | 145                                                                   | 68218                                                     | -10.36%                                                                                         | 92                                                              | 0                                                                |
| Loans and Advances                                                           | 280                                                                   | 20126                                                     | 70.59%                                                                                          | 295                                                             | 0                                                                |
| Levy of Charges without prior notice/ Excessive Charges/ foreclosure charges | 258                                                                   | 13376                                                     | -9.03%                                                                                          | 120                                                             | 0                                                                |
| Account opening /difficulty in operation of accounts                         | 158                                                                   | 9689                                                      | 4.62%                                                                                           | 141                                                             | 0                                                                |
| Others                                                                       | 1197                                                                  | 150365                                                    | 7.30%                                                                                           | 1077                                                            | 42*                                                              |
| <b>Total</b>                                                                 | <b>2332</b>                                                           | <b>413931</b>                                             | <b>4.24%</b>                                                                                    | <b>1934</b>                                                     | <b>42*</b>                                                       |
| <b>31.03.2025</b>                                                            |                                                                       |                                                           |                                                                                                 |                                                                 |                                                                  |
| Internet / Mobile / Electronic Banking                                       | 583                                                                   | 145076                                                    | -16.10%                                                                                         | 294                                                             | 0                                                                |
| ATM / Debit Cards                                                            | 310                                                                   | 76105                                                     | -52.76%                                                                                         | 145                                                             | 0                                                                |
| Levy of Charges without prior notice/ Excessive Charges/ foreclosure charges | 372                                                                   | 14703                                                     | 0.06%                                                                                           | 258                                                             | 0                                                                |
| Loans and Advances                                                           | 78                                                                    | 11798                                                     | 60.69%                                                                                          | 280                                                             | 0                                                                |
| Account opening /difficulty in operation of accounts                         | 24                                                                    | 9261                                                      | 86.04%                                                                                          | 158                                                             | 0                                                                |
| Others                                                                       | 976                                                                   | 140141                                                    | -7.44%                                                                                          | 1197                                                            | 53                                                               |
| <b>Total</b>                                                                 | <b>2343</b>                                                           | <b>397084</b>                                             | <b>-24.30%</b>                                                                                  | <b>2332</b>                                                     | <b>53</b>                                                        |

\*All the 42 complaints which are pending beyond 30 days are Vigilance in nature.

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

- (i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949,
- (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और
- (iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एस.जी.एल. के बाउंस होने के लिए)

(राशि करोड़ में)

| क्र सं | विनियामक | अधिनियम                                                         | उदाहरणों की संख्या | लगाई गई जुर्माने की राशि |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1      | आरबीआई   | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35, 35ए 46, 47ए और 51(1)  | --                 | --                       |
| 2      | आरबीआई   | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए, 51(1)                | --                 | --                       |
| 3      | आरबीआई   | भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007                         | --                 | --                       |
| 4      | आरबीआई   | सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एस.जी.एल. के बाउंस होने के लिए) | --                 | --                       |
|        |          | कुल                                                             | --                 | --                       |

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(राशि रुपये में)

| नाम व अवधि                                                    | पदनाम                                   | 2025-26        | 2024-25        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| श्री के सत्यनारायण राजु<br>(दिनांक 31.12.2025 को सेवानिवृत्त) | प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 67,29,756.00   | 42,41,160.00   |
| श्री देबाशीष मुखर्जी<br>(दिनांक 31.05.2025 को सेवानिवृत्त)    | कार्यपालक निदेशक                        | 40,58,550.00   | 39,12,885.00   |
| श्री अशोक चंद्र<br>(दिनांक 16.01.2025 तक)                     | कार्यपालक निदेशक                        | 10,15,993.54   | 30,57,596.00   |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया                                    | कार्यपालक निदेशक                        | 35,77,812.00   | 34,66,935.00   |
| श्री भवेन्द्र कुमार<br>(दिनांक 09.10.2023 से)                 | कार्यपालक निदेशक                        | 51,37,753.42   | 35,27,076.00   |
| श्री एस के मजूमदार<br>(दिनांक 24.03.2025 से)                  | कार्यपालक निदेशक                        | 42,46,672.52   | 69,807.48      |
| श्री सुनील कुमार चुघ<br>(दिनांक 24.11.2025 से)                | कार्यपालक निदेशक                        | 17,10,454.07   | -              |
| श्री एस के मजूमदार<br>(दिनांक 23.03.2025 तक)                  | समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (जीसीएफओ)    | -              | 75,92,849.87   |
| श्री अमित मित्तल<br>(दिनांक 25.03.2025 से)                    | समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (जीसीएफओ)    | 34,85,181.11   | 63,696.66      |
| श्री संतोष कुमार बारिक (दिनांक 21.04.2023 से)                 | बैंक कंपनी सचिव                         | 28,71,698.30   | 25,01,214.81   |
| कुल                                                           |                                         | 3,28,33,870.96 | 2,84,33,220.82 |

नोट : ऊपर दिए गए आंकड़ों में बैठक शुल्क, पीएलआई और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।

एस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेन-देन, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ लेन-देन शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है।



## 12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

Penalties imposed by the Reserve Bank of India under the following provisions during the Financial Year 2025-26 are detailed in the below table:

- (i) Banking Regulation Act, 1949,
- (ii) Payment and Settlement Systems Act, 2007 and
- (iii) Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No.      | Regulator | Act                                                                                      | No. of Instances | Amount of Penalty Levied |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| 1            | RBI       | Sections 35, 35A 46, 47A and 51(1) of Banking Regulation Act, 1949                       | --               | --                       |
| 2            | RBI       | Section 47A (1)(c) read with Sections 46(4)(i) and 51(1) of Banking Regulation Act, 1949 | --               | --                       |
| 3            | RBI       | Payments & Settlement Systems Act, 2007                                                  | --               | --                       |
| 4            | RBI       | Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)                                    | --               | --                       |
| <b>Total</b> |           |                                                                                          | --               | --                       |

## 13. Disclosures on remuneration

(Amount in ₹ Crores)

| NAME & PERIOD                                                | DESIGNATION                                 | 2025-26               | 2024-25               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Shri. K. SATYANARAYANA RAJU<br>(Superannuated on 31.12.2025) | Managing Director & Chief Executive Officer | 67,29,756.00          | 42,41,160.00          |
| Shri. DEBASHISH MUKHERJEE<br>(Superannuated on 31.05.2025)   | Executive Director                          | 40,58,550.00          | 39,12,885.00          |
| Shri. ASHOK CHANDRA<br>(Till 16.01.2025)                     | Executive Director                          | 10,15,993.54          | 30,57,596.00          |
| Shri. HARDEEP SINGH AHLUWALIA                                | Executive Director                          | 35,77.812.00          | 34,66,935.00          |
| Shri. BHAVENDRA KUMAR<br>(From 09.10.2023)                   | Executive Director                          | 51,37,753.42          | 35,27,076.00          |
| Shri. S K MAJUMDAR<br>(From 24.03.2025)                      | Executive Director                          | 42,46,672.52          | 69,807.48             |
| Shri. SUNIL KUMAR CHUGH<br>(From 24.11.2025)                 | Executive Director                          | 17,10,454.07          | -                     |
| Shri. S K MAJUMDAR<br>(Till 23.03.2025)                      | Group Chief Financial Officer (GCFO)        | -                     | 75,92,849.87          |
| Shri. AMIT MITTAL<br>(From 25.03.2025)                       | Group Chief Financial Officer (GCFO)        | 34,85,181.11          | 63,696.66             |
| Shri. SANTOSH KUMAR BARIK<br>(From 21.04.2023)               | Company Secretary of the Bank               | 28,71,698.30          | 25,01,214.81          |
| <b>Total</b>                                                 |                                             | <b>3,28,33,870.96</b> | <b>2,84,33,220.82</b> |

**Note:** The figures mentioned above are excluding sitting fee, PLI and other fees.

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

#### 14. अन्य प्रकटीकरण

##### i) कारोबार अनुपात

| क्र. सं. | विवरण                                                              | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| i.       | कार्यकारी निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)                  | 7.22       | 7.65       |
| ii.      | कार्यकारी निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)              | 1.53       | 1.43       |
| iii.     | जमा की लागत (%)                                                    | 5.54       | 5.74       |
| iv.      | निवल ब्याज मार्जिन (%)                                             | 2.51       | 2.80       |
| v.       | कार्यकारी निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)               | 1.89       | 2.01       |
| vi.      | आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)                                           | 1.10       | 1.09       |
| vii.     | प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशि और अग्रिम राशि) [करोड़ रुपये में] | 32.48      | 29.30      |
| viii.    | प्रति कर्मचारी लाभ (करोड़ रुपये में)                               | 0.23       | 0.21       |

##### ii) बैंकाश्योरेंस कारोबार

(राशि करोड़ में)

| क्र. सं. | आय की प्रकृति                                           | 31.03.2026    | 31.03.2025    |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1        | विक्रय हेतु जीवन बीमा पॉलिसी                            | 457.79        | 373.31        |
| 2        | विक्रय हेतु गैर-जीवन बीमा पॉलिसी (सामान्य और स्वास्थ्य) | 91.53         | 102.17        |
| 3        | विक्रय हेतु म्यूचुअल फंड उत्पाद                         | 72.84         | 67.19         |
| 4        | अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी)                            | -             | -             |
| 5        | पीएमजेबीवाई                                             | 12.73         | 9.75          |
| 6        | पीएमएसबीवाई                                             | 3.12          | 2.47          |
| 7        | अन्य (ई_सिंडिकेट नवीनीकरण)                              | 1.19          | 1.94          |
|          | <b>कुल</b>                                              | <b>639.20</b> | <b>556.83</b> |

#### 14. Other Disclosures

##### i) Business ratios

| Sl. No. | Particulars                                                  | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| i.      | Interest income as a percentage to Working Funds (%)         | 7.22       | 7.65       |
| ii.     | Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)     | 1.53       | 1.43       |
| iii.    | Cost of Deposits (%)                                         | 5.54       | 5.74       |
| iv.     | Net Interest Margin (%)                                      | 2.51       | 2.80       |
| v.      | Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)        | 1.89       | 2.01       |
| vi.     | Return on Assets (%)                                         | 1.10       | 1.09       |
| vii.    | Business (Deposits plus Advances) per employee [in ₹ Crores] | 32.48      | 29.30      |
| viii.   | Profit per employee (in ₹ Crores)                            | 0.23       | 0.21       |

##### ii) Bancassurance business

(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No. | Nature of Income                                             | 31.03.2026    | 31.03.2025    |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1       | For selling Life Insurance Policies                          | 457.79        | 373.31        |
| 2       | For selling Non-Life Insurance Policies (General and Health) | 91.53         | 102.17        |
| 3       | For selling Mutual Funds Products                            | 72.84         | 67.19         |
| 4       | Other (Health Insurance Policies)                            | -             | -             |
| 5       | PMJBY                                                        | 12.73         | 9.75          |
| 6       | PMSBY                                                        | 3.12          | 2.47          |
| 7       | Others (e_Syndicate Renewal)                                 | 1.19          | 1.94          |
|         | <b>TOTAL</b>                                                 | <b>639.20</b> | <b>556.83</b> |

iii) **विपणन और वितरण:**

उनके द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकाश्योरेंस कारोबार को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का ब्यौरा: **शून्य**

iii) **Marketing and distribution:**

The details of fees / remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding Bancassurance business) undertaken: **Nil**

iv) **प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण**

(i) **विक्रय पीएसएलसी**

(राशि करोड़ में)

| पीएसएलसी श्रेणी                               | तिमाही      | विक्रय की गई इकाइयां* | विक्रय की राशि | अर्जित कमीशन    |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| पीएसएलसी -<br>लघु एवं सीमांत किसान            | जून -2025   | 1,80,000              | 45,000         | 1247.96         |
|                                               | सितं -2025  | 1,20,000              | 30,000         | 918.03          |
|                                               | दिसं -2025  | 28,000                | 7,000          | 142.00          |
|                                               | मार्च -2026 | 19,540                | 4,885          | 18.69           |
| <b>कुल (वित्त वर्ष 2025-26 मार्च 2026 तक)</b> |             | <b>3,47,540</b>       | <b>86,885</b>  | <b>2,326.68</b> |

\* एक यूनिट = 25 लाख रुपये

(ii) **खरीदे गए पीएसएलसी:**

सीएफवाई के दौरान खरीदी गई पीएसएलसी सभी श्रेणियों के लिए शून्य है।

iv) **Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)**

(i) **PSLC SOLD**

(Amount in ₹ Crores)

| PSLC Category                          | Quarter  | Units* Sold     | Amount Sold   | Commission Earned |
|----------------------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|
| PSLC - SMALL &<br>MARGINAL FARMERS     | Jun-2025 | 1,80,000        | 45,000        | 1247.96           |
|                                        | Sep-2025 | 1,20,000        | 30,000        | 918.03            |
|                                        | Dec-2025 | 28,000          | 7,000         | 142.00            |
|                                        | Mar-2026 | 19,540          | 4,885         | 18.69             |
| <b>Total (FY 2025-26 as at Mar'26)</b> |          | <b>3,47,540</b> | <b>86,885</b> | <b>2,326.68</b>   |

\*One Unit = ₹25 Lakhs

(ii) **PSLC PURCHASED:**

The PSLC purchased during CFY is NIL for all categories.

v) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि करोड़ में)

| प्रावधान लाभ व हानि लेखा में डेबिट किया गया  | 31.03.2026      | 31.03.2025      |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| निवेश और एनपीआई पर मूल्यहास के लिए प्रावधान  | -72.12          | -1090.70        |
| एनपीए के लिए प्रावधान                        | 6310.48         | 9586.4          |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया       | 1008.17         | 336.13          |
| कर के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित)          | 5720.00         | 5600.00         |
| डी.एफ.वी. के लिए प्रावधान                    | -85.85          | -128.17         |
| संदिग्ध वसूली वाली आस्ति हेतु प्रावधान       | 98.95           | 44.86           |
| देश जोखिम के लिए प्रावधान                    | 0               | 0               |
| एफआईटीएल और अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान | 852.26          | 15.02           |
| <b>कुल</b>                                   | <b>13831.90</b> | <b>14363.59</b> |

vi) भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

आरबीआई के परिपत्र DOR.STR.REC. No. 6/21.06.011/2026-27 दिनांक 27 अप्रैल, 2026 के माध्यम से अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) आधारित प्रावधान ढांचे के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2027 से बैंकों पर लागू होंगे।

बैंक ने उक्त दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय शुरू कर दिए हैं, जिनमें तकनीकी सलाहकार और आईटी वेंडर की नियुक्ति शामिल है, और नियामक समय सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया में है।

v) Provisions and contingencies

(Amount in ₹ Crores)

| Provision debited to Profit and Loss Account      | 31.03.2026      | 31.03.2025      |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Provisions for Depreciation on Investment and NPI | -72.12          | -1090.70        |
| Provision towards NPA                             | 6310.48         | 9586.4          |
| Provision made towards standard assets            | 1008.17         | 336.13          |
| Provision for Tax (Including Deferred Tax)        | 5720.00         | 5600.00         |
| Provision for DFV                                 | -85.85          | -128.17         |
| Provision for Asset Doubt of Recovery             | 98.95           | 44.86           |
| Provision for country Risk                        | 0               | 0               |
| Provision for FITL and other contingencies        | 852.26          | 15.02           |
| <b>Total</b>                                      | <b>13831.90</b> | <b>14363.59</b> |

vi) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards

RBI vide Circular DOR.STR.REC. No. 6/21.06.011/2026-27 dated April 27, 2026 has issued guidelines on implementation of Expected Credit Loss (ECL) based provisioning framework applicable to the Banks from April 01, 2027.

The Bank has initiated necessary measures for implementation of said guidelines, including appointment of technical consultant and IT vendor and is in the process of developing required systems and processed to ensure compliance within the regulatory timelines.

**vii) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान**  
(राशि करोड़ में)

| क्र सं. | विवरण                                | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------|--------------------------------------|------------|------------|
| i)      | डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान   | 1966.95    | 1696.22    |
| ii)     | डीआईसीजीसी प्रीमियम भुगतान में बकाया | शून्य      | शून्य      |

नीचे दी गई निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर लागू होने वाला जमा बीमा प्रीमियम डीआईसीजीसी को भुगतान कर दिया गया है:

| क्र सं. | विवरण                        | विव 2025-26 |                 |
|---------|------------------------------|-------------|-----------------|
|         |                              | नियत तारीख  | भुगतान किया गया |
| i)      | एच1 01-04-2025 से 30-09-2025 | 31-05-2025  | 30-05-2025      |
| ii)     | एच2 01-10-2025 से 31-03-2026 | 30-11-2025  | 29-11-2025      |

viii) बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण होने वाले व्यय के परिशोधन से संबंधित प्रकटीकरण पिछले वित्त वर्ष 24-25 हेतु शून्य।

ix) बैंकों द्वारा जारी 'आश्वासन पत्र (एल.ओ.सी.) का प्रकटीकरण

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के पक्ष में दिनांक 03/08/2009 को जारी केवल एक एल.ओ.सी. आज की तिथि तक बकाया है।

**वित्तीय प्रभाव:**

चूंकि हमारा प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं कर रहा है, इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के पक्ष में जारी एलओसी का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

केनरा बैंक (कर्नाटक ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक के रूप में) ने सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त ए लिमिटेड (मुद्रा लिमिटेड) को अपने प्रायोजित आरआरबी- कर्नाटक ग्रामीण बैंक की 800 करोड़ रुपये (केवल आठ सौ करोड़ रुपये) तक की देनदारी को पूरा करने के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया है। आरआरबी द्वारा ऐसा करने में असमर्थता की स्थिति में मुद्रा द्वारा प्रदान की गई ऐसी सहायता राशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी।

**vii) Payment of DICGC Insurance Premium**  
(Amount in ₹ Crores)

| Sl. No. | Particulars                         | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|
| i)      | Payment of DICGC Insurance Premium  | 1966.95    | 1696.22    |
| ii)     | Arrears in payment of DICGC premium | NIL        | NIL        |

Deposit insurance premium as applicable was paid to DICGC within the prescribed timelines as below:

| Sl. No. | Particulars                 | FY 2025-26 |            |
|---------|-----------------------------|------------|------------|
|         |                             | Due Date   | Paid on    |
| i)      | H1 01-04-2025 to 30-09-2025 | 31-05-2025 | 30-05-2025 |
| ii)     | H2 01-10-2025 to 31-03-2026 | 30-11-2025 | 29-11-2025 |

viii) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of Banks – Nil

ix) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by Banks

Bank has not issued any letter of comforts during the financial year during year 2025-26.

Only one LOC issued vide dated 03/08/2009 in favour of Central Bank of UAE on behalf of Representative Office, Sharjah is outstanding as on date.

**Financial Impact:**

As our Representative office, Sharjah is not undertaking any commercial operations; there is no financial impact of LOC issued in favour of Central Bank of UAE.

Canara Bank (being sponsor Bank of Karnataka Grameena Bank) has issued Letter of Comfort to Micro Units Development & Refinance Agency Limited (MUDRA Ltd) to undertake liability of its sponsored RRB - Karnataka Grameena Bank up to ₹800 Crores (Rupees Eight Hundred Crores Only). The amount shall be paid by the Bank on account of such assistance provided by MUDRA in case of inability on part of the RRB to do so.

x) ग्रीन डिपॉजिट से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तर की जानकारी

(राशि करोड़ में)

| विवरण                                                                                             | चालू वित्तीय वर्ष | पिछला वित्तीय वर्ष | संचयी  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| जुटाई गई कुल हरित जमा (A)                                                                         | 91.49             | 134.71             | 226.20 |
| हरित जमा निधि का उपयोग                                                                            |                   |                    |        |
| (1) नवीकरणीय ऊर्जा                                                                                | -                 | -                  | -      |
| (2) ऊर्जा दक्षता                                                                                  | -                 | -                  | -      |
| (3) स्वच्छ परिवहन                                                                                 | 91.49             | 134.71             | 226.20 |
| (4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन                                                                       | -                 | -                  | -      |
| (5) सतत जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन                                                                    | -                 | -                  | -      |
| (6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण                                                                   | -                 | -                  | -      |
| (7) ग्रीन बिल्डिंग                                                                                | -                 | -                  | -      |
| (8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन                                         | -                 | -                  | -      |
| (9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण                                                            | -                 | -                  | -      |
| कुल आवंटित हरित जमा निधि (B = 1 से 9 का योग)                                                      | 91.49             | 134.71             | 226.20 |
| आवंटित न की गई हरित जमा निधि की राशि (C = A - B)                                                  | शून्य             | शून्य              | शून्य  |
| पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं को आवंटित किये जाने तक हरित जमा राशि के अस्थायी आवंटन का विवरण |                   |                    |        |

\*ऊपर दी गई तालिका में बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश शुरू करने के बाद से अब तक का संचयी विवरण शामिल है। बैंक ने 18 मई, 2024 से ग्रीन डिपॉजिट शुरू कर दिए हैं; इसलिए, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के वार्षिक वित्तीय विवरण में 18 मई, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक जुटाए गए और आवंटित जमा का विवरण शामिल है। वर्ष के दौरान जुटाए गए ग्रीन डिपॉजिट की वास्तविक राशि और इन निधियों के उपयोग को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल किया गया है।



x) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                                                                                                        | Current Financial Year | Previous Financial Year | Cumulative* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Total green deposits raised (A)                                                                                                    | 91.49                  | 134.71                  | 226.20      |
| Use of green deposit funds                                                                                                         |                        |                         |             |
| (1) Renewable Energy                                                                                                               | -                      | -                       | -           |
| (2) Energy Efficiency                                                                                                              | -                      | -                       | -           |
| (3) Clean Transportation                                                                                                           | 91.49                  | 134.71                  | 226.20      |
| (4) Climate Change Adaptation                                                                                                      | -                      | -                       | -           |
| (5) Sustainable Water and Waste Management                                                                                         | -                      | -                       | -           |
| (6) Pollution Prevention and Control                                                                                               | -                      | -                       | -           |
| (7) Green Buildings                                                                                                                | -                      | -                       | -           |
| (8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use                                                                | -                      | -                       | -           |
| (9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation                                                                              | -                      | -                       | -           |
| Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9)                                                                            | 91.49                  | 134.71                  | 226.20      |
| Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B)                                                                            | NIL                    | NA                      | NIL         |
| Details of the temporary allocation of green deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities / projects | NA                     | NA                      | NA          |

\*This above table contains the cumulative since the Bank has started offering green deposits. The Bank has commenced green deposits from May 18, 2024 hence the annual financial statement for the period ending March 31, 2026 contains particulars of deposit raised and allocated from May 18, 2024, till March 31, 2026. The actual amount of green deposits raised during the year and use of such funds has been included in the above disclosure.

## 16. लेखांकन मानक

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी विभिन्न लेखांकन मानकों की प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित जानकारी का प्रकटन किया जाता है:

### a) लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

इसमें पूर्व अवधि की कोई सामग्री नहीं है।

### b) लेखांकन मानक 11 - विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव

शाखा की रिपोर्टिंग मुद्रा यूएस डॉलर है। वित्तीय विवरण यूएसडी में प्रस्तुत किए जाते हैं, और मूल बैंक स्तर पर इनका समेकन रुपया में किया जाता है।

आस्ति और देयताएं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों के साथ-साथ आकस्मिक देनदारियां) प्रत्येक तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफडीडीआई) द्वारा घोषित विनिमय की समापन स्पॉट दर पर अनुवादित की जाती हैं और विदेशी शाखाओं की आय और व्यय मदों का अनुवाद आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एस) 11 (विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव) के अनुसार और उक्त मानक के अनुपालन के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तिमाही औसत दर पर किया जाता है।

### c) लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ:

बैंक के दायित्वों और अंशदानों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए ग्रेज्युटी, पेंशन और विशेषाधिकार अवकाश के संबंध में बीमांकिक धारणाएं विभिन्न मापदंडों को तय करके बनाई गई हैं।

- आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 (संशोधित) में उल्लिखित मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि।
- विगत अनुभव और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में अपवर्तन दर, तथा इसमें मृत्यु के अलावा सभी प्रकार की निकासी शामिल है, लेकिन इसमें दिव्यांगता के कारण होने वाली निकासी भी शामिल है।
- बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखा बहियों में बीमारी अवकाश का प्रावधान किया गया है।

## 16. Accounting Standards

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:

### a) Accounting Standard 5 – Net Profit/Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

There are no material prior period items.

### b) Accounting Standard 11 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Branch's reporting currency is US Dollar. Financial statements are submitted in USD and the same is consolidated at parent Bank level in INR.

Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.

### c) Accounting Standard 15 - Employee Benefits:

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the Bank, have been made by fixing various parameters for

- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15(Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.
- Provision towards sick leave has been made in the books of account on the basis of Actuarial valuation

## प्रमुख बीमांकिक धारणाएं

| विवरण                     | ग्रेच्युटी              | पेंशन                   | विशेषाधिकार अवकाश       |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| छूट की दर (%)             | 7.86                    | 7.24                    | 7.86                    |
| पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल | 7.86                    | 7.24                    | --                      |
| वेतन वृद्धि               | 5.6                     | 5.6                     | 5.6                     |
| पेंशन वृद्धि              | 1.3                     | 2                       | 1.3                     |
| मृत्यु दर                 | आईएलएम (2012-14) यूएलटी | आईएलएम (2012-14) यूएलटी | आईएलएम (2012-14) यूएलटी |

## Principal Actuarial Assumptions

Restricted

| Particulars                | Gratuity          | Pension           | Privilege Leave   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Discount Rate (%)          | 7.86              | 7.24              | 7.86              |
| Expected Return on Capital | 7.86              | 7.24              | --                |
| Salary Escalation          | 5.6               | 5.6               | 5.6               |
| Pension Escalation         | 1.3               | 2                 | 1.3               |
| Mortality                  | IALM (2012-14)ULT | IALM (2012-14)ULT | IALM (2012-14)ULT |

A 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष में दायित्व और आस्तियों में परिवर्तन

(राशि करोड़ में)

| A | परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन | ग्रेच्युटी |          | पेंशन     |           | विशेषाधिकार अवकाश |          |
|---|-------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|----------|
|   |                                           | 2026       | 2025     | 2026      | 2025      | 2026              | 2025     |
| 1 | वर्ष की शुरुआत में डीबीओ                  | 5,036.61   | 3,964.02 | 30,921.69 | 28,991.74 | 3,141.29          | 2,830.01 |
| 2 | सेवा लागत                                 | 316.51     | 292.51   | 1824.05   | 2,125.86  | 706.08            | 696.69   |
| 3 | ब्याज लागत                                | 385.12     | 262.90   | 2094.26   | 1,816.58  | 227.84            | 186.40   |
| 4 | पिछली सेवा लागत                           | -          | -        | -         | -         | -                 | -        |
| 5 | बीमांकिक हानि/लाभ                         | -347.16    | 912.18   | 431.18    | 1,986.51  | 195.60            | -252.81  |
| 6 | लाभ की अदायगी                             | 273.52     | -395.00  | -3990.93  | -3,999.00 | -485.17           | -319.00  |
| 7 | वर्ष के अंत में डीबीओ                     | 5,117.56   | 5,036.61 | 31280.24  | 30,921.69 | 3785.79           | 3,141.29 |

A Change in obligation and assets over the year ended 31 March 2026

(Amount in ₹ Crores)

| A | Changes in Defined Benefit Obligation (DBO) | Gratuity |          | Pension   |           | Privilege Leave |          |
|---|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|----------|
|   |                                             | 2026     | 2025     | 2026      | 2025      | 2026            | 2025     |
| 1 | DBO at beginning of the year                | 5,036.61 | 3,964.02 | 30,921.69 | 28,991.74 | 3,141.29        | 2,830.01 |
| 2 | Service Cost                                | 316.51   | 292.51   | 1824.05   | 2,125.86  | 706.08          | 696.69   |
| 3 | Interest Cost                               | 385.12   | 262.90   | 2094.26   | 1,816.58  | 227.84          | 186.40   |
| 4 | Past Service Cost                           | -        | -        | -         | -         | -               | -        |
| 5 | Actuarial Losses / Gains                    | -347.16  | 912.18   | 431.18    | 1,986.51  | 195.60          | -252.81  |
| 6 | Benefit Payments                            | 273.52   | -395.00  | -3990.93  | -3,999.00 | -485.17         | -319.00  |
| 7 | DBO at end of the year                      | 5,117.56 | 5,036.61 | 31280.24  | 30,921.69 | 3785.79         | 3,141.29 |

(राशि करोड़ में)

| B | आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन           | ग्रेच्युटी |          | पेंशन     |           | विशेषाधिकार अवकाश |      |
|---|-----------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|------|
|   |                                               | 2026       | 2025     | 2026      | 2025      | 2026              | 2025 |
| 1 | वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 4,639.00   | 3,616.00 | 28,208.00 | 27,492.00 | --                | --   |
| 2 | योजनागत परिसंपत्ति पर संभावित लाभ             | 364.62     | 252.40   | 2042.25   | 1,850.21  | --                | --   |
| 3 | वास्तविक कर्मचारी योगदान                      | 433.00     | 688.00   | 5593.43   | 1,872.00  | --                | --   |
| 4 | बीमांकिक लाभ / हानि                           | -48.36     | 477.60   | -1447.21  | 992.79    | --                | --   |
| 5 | लाभ भुगतान                                    | -273.52    | -395.00  | -3990.93  | -3,999.00 | --                | --   |
| 6 | वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य  | 5114.74    | 4,639.00 | 30405.55  | 28,208.00 | --                | --   |

(Amount in ₹ Crores)

| B | Changes in Fair Value of Assets                    | Gratuity |          | Pension   |           | Privilege Leave |      |
|---|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------------|------|
|   |                                                    | 2026     | 2025     | 2026      | 2025      | 2026            | 2025 |
| 1 | Fair Value of Plan Assets at beginning of the year | 4,639.00 | 3,616.00 | 28,208.00 | 27,492.00 | --              | --   |
| 2 | Expected Return on plan assets                     | 364.62   | 252.40   | 2042.25   | 1,850.21  | --              | --   |
| 3 | Actual Employee contributions                      | 433.00   | 688.00   | 5593.43   | 1,872.00  | --              | --   |
| 4 | Actuarial Gain / Loss                              | -48.36   | 477.60   | -1447.21  | 992.79    | --              | --   |
| 5 | Benefits payments                                  | -273.52  | -395.00  | -3990.93  | -3,999.00 | --              | --   |
| 6 | Fair Value of Plan Assets at the end of the year   | 5114.74  | 4,639.00 | 30405.55  | 28,208.00 | --              | --   |

## तुलन-पत्र में निहित निवल आस्ति / देयताएं

(राशि करोड़ में)

|   |                                                    | ग्रेच्युटी |          | पेंशन    |           | विशेषाधिकार अवकाश |      |
|---|----------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-------------------|------|
|   |                                                    | 2026       | 2025     | 2026     | 2025      | 2026              | 2025 |
| 1 | परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य              | 5117.56    | 5,036.60 | 31280.24 | 30,921.68 | --                | --   |
| 2 | योजना आस्तियों का उचित मूल्य                       | 5114.74    | 4,639.00 | 30405.55 | 28,208.00 | --                | --   |
| 3 | वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष / (घाटा)]                | -2.82      | -397.60  | -874.68  | -2,713.68 | --                | --   |
| 4 | तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता) | -2.82      | -397.60  | -874.68  | -2,713.68 | --                | --   |

## Net Asset/Liability Recognized in the Balance Sheet

(Amount in ₹ Crores)

|   |                                                         | Gratuity |          | Pension  |           | Privilege Leave |      |
|---|---------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|------|
|   |                                                         | 2026     | 2025     | 2026     | 2025      | 2026            | 2025 |
| 1 | Present value of Defined Benefit Obligation             | 5117.56  | 5,036.60 | 31280.24 | 30,921.68 | --              | --   |
| 2 | Fair Value of Plan Assets                               | 5114.74  | 4,639.00 | 30405.55 | 28,208.00 | --              | --   |
| 3 | Funded Status [Surplus/(Deficit)]                       | -2.82    | -397.60  | -874.68  | -2,713.68 | --              | --   |
| 4 | Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet | -2.82    | -397.60  | -874.68  | -2,713.68 | --              | --   |

## समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय का प्रकटीकरण

(राशि करोड़ में)

|   |                                                                    | ग्रेच्युटी |        | पेंशन   |          | विशेषाधिकार अवकाश |         |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|----------|-------------------|---------|
|   |                                                                    | 2026       | 2025   | 2026    | 2025     | 2026              | 2025    |
| 1 | वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतः बीमित लाभों के लिए जोखिम प्रीमियम सहित) | 316.51     | 292.51 | 1824.05 | 2125.85  | 706.08            | 696.69  |
| 2 | ब्याज लागत                                                         | 385.12     | 262.90 | 2094.26 | 1,816.58 | 227.85            | 186.40  |
| 3 | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ                                     | 364.62     | 252.40 | 2042.26 | 1,850.21 | -                 | -       |
| 4 | पिछली सेवा लागत                                                    | -          | -      | -       | -        | -                 | -       |
| 5 | बीमांकिक हानि/लाभ                                                  | -298.79    | 434.57 | 1878.38 | 993.72   | 195.60            | -252.81 |
| 6 | लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त कुल नियोक्ता व्यय                   | 38.21      | 737.58 | 3754.43 | 3,085.25 | 1129.54           | 630.28  |

बैंक के पास विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी अवकाश के लिए 73.83 करोड़ रुपए का प्रावधान है, हालांकि कोई भुगतान नहीं किया जाता है।

## Disclosure of Employer Expenses for the year ended

(Amount in ₹ Crores)

|   |                                                                           | Gratuity |        | Pension |          | Privilege Leave |         |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|-----------------|---------|
|   |                                                                           | 2026     | 2025   | 2026    | 2025     | 2026            | 2025    |
| 1 | Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits) | 316.51   | 292.51 | 1824.05 | 2125.85  | 706.08          | 696.69  |
| 2 | Interest Cost                                                             | 385.12   | 262.90 | 2094.26 | 1,816.58 | 227.85          | 186.40  |
| 3 | Expected Return on Plan Assets                                            | 364.62   | 252.40 | 2042.26 | 1,850.21 | -               | -       |
| 4 | Past Service Cost                                                         | -        | -      | -       | -        | -               | -       |
| 5 | Actuarial Losses / Gains                                                  | -298.79  | 434.57 | 1878.38 | 993.72   | 195.60          | -252.81 |
| 6 | Total Employer Expenses recognized in P&L                                 | 38.21    | 737.58 | 3754.43 | 3,085.25 | 1129.54         | 630.28  |

Bank is having a provision of ₹73.83 cr. toward Sick leave on prudential basis though there is no pay-out.

वर्ष के लिए तुलन पत्र में निहित निवल आस्तियों / देयताओं का समाधान

(राशि करोड़ में)

|   |                                         | ग्रेच्युटी |        | पेंशन   |          | विशेषाधिकार अवकाश |          |
|---|-----------------------------------------|------------|--------|---------|----------|-------------------|----------|
|   |                                         | 2026       | 2025   | 2026    | 2025     | 2026              | 2025     |
| 1 | अवधि की शुरुआत में निवल आस्ति / (देयता) | 397.60     | 348.02 | 2713.68 | 1,499.74 | 3141.42           | 2,830.01 |
| 2 | नियोक्ता व्यय                           | 38.21      | 737.59 | 3754.43 | 3,086.95 | -                 | -        |
| 3 | नियोक्ता योगदान                         | 433.00     | 688.00 | 5593.43 | 1,872.00 | 1129.54           | 630.41   |
| 4 | प्रदत्त लाभ                             | -          | -      | -       | -        | -485.17           | -319.00  |
| 5 | अधिग्रहण / व्यावसायिक संयोजन            | -          | -      | -       | -        | -                 | -        |
| 6 | अवधि के अंत में निवल आस्ति / (देयता)    | 2.82       | 397.61 | 874.68  | 2,713.68 | 3785.79           | 3,141.42 |

\* ये आंकड़े पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनः बताए गए/पुनः समूहीकृत किए गए हैं।

Reconciliation of Net Assets/Liabilities recognized in Balance Sheet for the year

(Amount in ₹ Crores)

|   |                                                        | Gratuity |        | Pension |          | Privilege Leave |          |
|---|--------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|-----------------|----------|
|   |                                                        | 2026     | 2025   | 2026    | 2025     | 2026            | 2025     |
| 1 | Net Asset / (Liability) at the beginning of the period | 397.60   | 348.02 | 2713.68 | 1,499.74 | 3141.42         | 2,830.01 |
| 2 | Employer Expenses                                      | 38.21    | 737.59 | 3754.43 | 3,086.95 | -               | -        |
| 3 | Employer Contributions                                 | 433.00   | 688.00 | 5593.43 | 1,872.00 | 1129.54         | 630.41   |
| 4 | Benefits Paid                                          | -        | -      | -       | -        | -485.17         | -319.00  |
| 5 | Acquisitions / Business Combinations                   | -        | -      | -       | -        | -               | -        |
| 6 | Net Asset / (Liability) at the end of the period       | 2.82     | 397.61 | 874.68  | 2,713.68 | 3785.79         | 3,141.42 |

\*The figures has been re-stated / re-grouped as per Audited Balance sheet for the Previous Year

नई पेंशन योजना अंशदान

बैंक के पास एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो दिनांक 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों पर लागू होती है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

भविष्य निधि

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान, जिसे वर्ष के लिए व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, निम्नानुसार है:

(राशि रु करोड़ में)

| विवरण                              | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|------------------------------------|------------|------------|
| भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान | 0.45       | 0.47       |

New Pension Scheme Contribution

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers joining the Bank on or after August 1, 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

Provident Fund

Employer's contribution to provident fund, recognized as expense for the year is as under:

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                               | 31.03.2026 | 31.03.2025 |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| Employer's contribution to Provident Fund | 0.45       | 0.47       |



d) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग  
भाग A - कारोबार खंड

(राशि करोड़ में)

| कारोबार क्षेत्र            | कोष       |            | कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग |            | खुदरा बैंकिंग कारोबार |            | अन्य बैंकिंग |            | कुल        |            |
|----------------------------|-----------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|                            | चालू वर्ष | पिछला वर्ष | चालू वर्ष               | पिछला वर्ष | चालू वर्ष             | पिछला वर्ष | चालू वर्ष    | पिछला वर्ष | चालू वर्ष  | पिछला वर्ष |
| राजस्व                     | 33700.31  | 27686.00   | 50503.51                | 49260.16   | 69000.38              | 65261.71   | -            | -          | 153204.20  | 142207.87  |
| परिणाम                     | 12604.98  | 7839.68    | -1642.82                | -993.14    | 13944.51              | 15780.13   | -            | -          | 24906.67   | 22626.67   |
| आबंटित नहीं किए गए व्यय    |           |            |                         |            |                       |            |              |            | -          | -          |
| परिचालन लाभ                |           |            |                         |            |                       |            |              |            | -          | -          |
| आय कर                      |           |            |                         |            |                       |            |              |            | 5720.00    | 5600.00    |
| असाधारण लाभ / हानि         | -         | -          | -                       | -          | -                     | -          | -            | -          | -          | -          |
| निवल लाभ                   |           |            |                         |            |                       |            |              |            | 19186.67   | 17026.67   |
| अन्य सूचना:                |           |            |                         |            |                       |            |              |            |            |            |
| खंड आस्ति                  | 459960.31 | 468923.63  | 615299.99               | 557950.21  | 703100.25             | 592632.60  | -            | -          | 1778360.55 | 1619506.44 |
| आबंटित नहीं की गए आस्तियां |           |            |                         |            |                       |            |              |            | 104841.34  | 65179.14   |
| कुल आस्ति                  |           |            |                         |            |                       |            |              |            | 1883201.89 | 1684685.58 |
| क्षेत्र देयता              | 445342.13 | 440869.83  | 592136.93               | 540959.31  | 671519.21             | 568978.05  | -            | -          | 1708998.26 | 1550807.19 |
| आबंटित नहीं किए गए देयता   |           |            |                         |            |                       |            |              |            | 60821.00   | 33978.27   |
| कुल देयता                  |           |            |                         |            |                       |            |              |            | 1769819.26 | 1584785.46 |

भाग बी: भौगोलिक खंड

(राशि करोड़ में)

|            | घरेलू      |            | अंतरराष्ट्रीय |           | कुल        |            |
|------------|------------|------------|---------------|-----------|------------|------------|
|            | चालू वर्ष  | गत वर्ष    | चालू वर्ष     | गत वर्ष   | चालू वर्ष  | गत वर्ष    |
| (a) राजस्व | 146264.86  | 135506.77  | 6939.35       | 6701.10   | 153204.21  | 142207.87  |
| (b) आस्ति  | 1704817.68 | 1542135.12 | 178384.21     | 142550.46 | 1883201.89 | 1684685.58 |

d) Accounting Standard 17 – Segment Reporting

Part A - Business segments

(Amount in ₹ Crores)

| Business Segments<br>Particulars | Treasury     |               | Corporate / Wholesale Banking |               | Retail Banking |               | Other Banking Business |               | Total        |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                                  | Current Year | Previous Year | Current Year                  | Previous Year | Current Year   | Previous Year | Current Year           | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| Revenue                          | 33700.31     | 27686.00      | 50503.51                      | 49260.16      | 69000.38       | 65261.71      | -                      | -             | 153204.20    | 142207.87     |
| Result                           | 12604.98     | 7839.68       | -1642.82                      | -993.14       | 13944.51       | 15780.13      | -                      | -             | 24906.67     | 22626.67      |
| Unallocated expenses             |              |               |                               |               |                |               |                        |               | -            | -             |
| Operating profit                 |              |               |                               |               |                |               |                        |               | -            | -             |
| Income taxes                     |              |               |                               |               |                |               |                        |               | 5720.00      | 5600.00       |
| Extraordinary profit / loss      | -            | -             |                               | -             |                | -             |                        | -             | -            | -             |
| Net profit                       |              |               |                               |               |                |               |                        |               | 19186.67     | 17026.67      |
| Other information:               |              |               |                               |               |                |               |                        |               |              |               |
| Segment assets                   | 459960.31    | 468923.63     | 615299.99                     | 557950.21     | 763100.25      | 592632.60     | -                      | -             | 1778360.55   | 1619506.44    |
| Unallocated assets               |              |               |                               |               |                |               |                        |               | 104841.34    | 65179.14      |
| Total assets                     |              |               |                               |               |                |               |                        |               | 1883201.89   | 1684685.58    |
| Segment liabilities              | 445342.13    | 440869.83     | 592136.93                     | 540959.31     | 671519.21      | 568978.05     | -                      | -             | 1708998.26   | 1550807.19    |
| Unallocated liabilities          |              |               |                               |               |                |               |                        |               | 60821.00     | 33978.27      |
| Total liabilities                |              |               |                               |               |                |               |                        |               | 1769819.26   | 1584785.46    |

Part B: Geographic segments

(₹ in Crores)

|             | Domestic     |               | International |               | Total        |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|             | Current Year | Previous Year | Current Year  | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| (a) Revenue | 146264.86    | 135506.77     | 6939.35       | 6701.10       | 153204.21    | 142207.87     |
| (b) Assets  | 1704817.68   | 1542135.12    | 178384.21     | 142550.46     | 1883201.89   | 1684685.58    |

**e) लेखांकन मानक 18 – संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण**  
**संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध- मूल बैंक – केनरा बैंक**

**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

- i) श्री. के. सत्यनारायण राजु,  
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
(31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त)
- ii) श्री देबाशीष मुखर्जी,  
कार्यपालक निदेशक  
(31 मई 2025 को सेवानिवृत्त)
- iii) श्री अशोक चंद्र,  
कार्यपालक निदेशक  
(16 जनवरी 2025 तक)
- iv) श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया,  
कार्यपालक निदेशक
- v) श्री भवेंद्र कुमार,  
कार्यपालक निदेशक  
(09 अक्टूबर 2023 से)
- vi) श्री एस. के. मजूमदार,  
कार्यपालक निदेशक  
(24 मार्च 2025 से)
- vii) श्री सुनील कुमार चुघ,  
कार्यपालक निदेशक  
(24 नवंबर 2025 से)
- viii) श्री अमित मित्तल,  
समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी  
(25 मार्च 2025 से)
- ix) संतोष कुमार बारीक,  
कंपनी सचिव  
(21 अप्रैल 2023 से)

मूल -

- i) केनरा बैंक

**e) Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures**  
**Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent – Canara Bank**

**Key Management Personnel**

- i) Shri. K. Satyanarayana Raju,  
Managing Director & Chief Executive Officer  
(Superannuated on 31<sup>st</sup> December 2025)
- ii) Shri Debashish Mukherjee,  
Executive Director  
(Superannuated on 31<sup>st</sup> May 2025)
- iii) Shri Ashok Chandra,  
Executive Director  
(Till 16<sup>th</sup> January 2025)
- iv) Shri Hardeep Singh Ahluwalia,  
Executive Director
- v) Shri Bhavendra Kumar,  
Executive Director  
(From 09<sup>th</sup> October 2023)
- vi) Shri S K Majumdar,  
Executive Director  
(From 24<sup>th</sup> March 2025)
- vii) Shri Sunil Kumar Chugh,  
Executive Director  
(From 24<sup>th</sup> November 2025)
- viii) Shri Amit Mittal,  
Group Chief Financial Officer  
(From 25<sup>th</sup> March 2025)
- ix) Shri Santosh Kumar Barik,  
Company secretary  
(From 21<sup>st</sup> April 2023)

Parent -

- i) Canara Bank

Restricted

| क्र. सं. | कंपनी का नाम                                   | निगमन का प्रकार | निगमन का देश | स्वामित्व हित का प्रतिशत          |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|
| 1        | केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड               | अनुषंगी         | भारत         | 100%                              |
| 2        | केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड           | अनुषंगी         | भारत         | 100%                              |
| 3        | केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड                | अनुषंगी         | भारत         | 100%                              |
| 4        | केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड*                      | अनुषंगी         | भारत         | 70%                               |
| 5        | केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड             | अनुषंगी         | भारत         | 69.14%                            |
| 6        | केनरा तंजानिया लिमिटेड (परिसमापनाधीन) **       | अनुषंगी         | तंजानिया     | 100%                              |
| 7        | सीआरएमएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड              | अनुषंगी         | भारत         | 51%                               |
| 8        | केनफिन होम्स लिमिटेड                           | सहयोगी          | भारत         | 29.99%                            |
| 9        | केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड #    | सहयोगी          | भारत         | 38%<br>(16.10.2025 से प्रभावी)    |
| 10       | केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड # | सहयोगी          | भारत         | 36.50%<br>(17.10.2025 से प्रभावी) |
| 11       | कर्नाटक ग्रामीण बैंक (01.05.2025 से प्रभावी)   | सहयोगी          | भारत         | 35%                               |
| 12       | केरल ग्रामीण बैंक                              | सहयोगी          | भारत         | 35%                               |

| Sl. No. | Name of Company                                       | Type of Incorporation | Country of Incorporation | % of Ownership Interest      |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1       | Canbank Venture Capital Fund Ltd.                     | Subsidiary            | India                    | 100%                         |
| 2       | Canbank Financial Services Ltd.                       | Subsidiary            | India                    | 100%                         |
| 3       | Canara Bank Securities Ltd.                           | Subsidiary            | India                    | 100%                         |
| 4       | Canbank Factors Ltd.*                                 | Subsidiary            | India                    | 70%                          |
| 5       | Canbank Computer Services Ltd.                        | Subsidiary            | India                    | 69.14%                       |
| 6       | Canara Tanzania Ltd (In Liquidation) **               | Subsidiary            | Tanzania                 | 100%                         |
| 7       | CRMF Trustee Private Ltd.                             | Subsidiary            | India                    | 51%                          |
| 8       | Can Fin Homes Ltd.                                    | Associate             | India                    | 29.99%                       |
| 9       | Canara Robeco Asset Management Company Ltd. #         | Associate             | India                    | 38%<br>(w.e.f. 16.10.2025)   |
| 10      | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. #             | Associate             | India                    | 36.50%<br>(w.e.f.17.10.2025) |
| 11      | Karnataka Grameena Bank (With effect from 01.05.2025) | Associate             | India                    | 35%                          |
| 12      | Kerala Grameena Bank                                  | Associate             | India                    | 35%                          |

\* बैंक ने केनरा बैंक फैक्टर्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है और इसके लिए आवश्यक विनियामक स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली हैं।

\*\* केनरा तंजानिया लिमिटेड (सीटीएल) (जो परिसमापनाधीन है), जो बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, ने अपनी प्रमुख आस्तियाँ और देयताएं मेसर्स एक्जिम बैंक तंजानिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी हैं और दिनांक 21.12.2024 से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। बैंक को मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 10 मिलियन डॉलर का भुगतान प्राप्त हुआ है, और शेष राशि 1.68 मिलियन डॉलर को स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में, प्रतिधारण राशि के तौर पर (दिनांक 20.12.2026 तक, यानी दिनांक 21.12.2024 से 2 वर्षों के लिए) एक एस्करो खाते में जमा कर दिया गया है।

# केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बिक्री के लिए प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से शेयरधारिता की बिक्री के बाद, क्रमशः दिनांक 16.10.2025 और 17.10.2025 को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हुई। सूचीबद्धता और शेयरों की बिक्री के बाद, इन कंपनियों में बैंक की शेयरधारिता, जो प्रत्येक कंपनी में 51% थी, घटकर क्रमशः 38% और 36.50% हो गई। परिणामस्वरूप, संबंधित सूचीबद्धता तिथियों से, ये कंपनियाँ अनुषंगी कंपनियाँ नहीं रही और बैंक की सहयोगी बन गई; और 31.03.2026 तक, इन्हें सहयोगी के रूप में समेकित किया गया है। उपर्युक्त विनिवेश के परिणामस्वरूप, समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू लेखांकन मानकों के अनुसार, एकल आधार पर ₹1,929.56 करोड़ और समेकित आधार पर ₹1,800.93 करोड़ का कर-पूर्व लाभ (खर्चों के बाद) हुआ।

बैंक ने अप्रैल 2025 तक 4 आरआरबी को प्रायोजित किया था। भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना CG-DL-E07042025-262329 दिनांक 07 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में, जिसमें पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों - कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और कर्नाटक ग्रामीण बैंक (जो कर्नाटक राज्य में कार्यरत थे और केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित थे) के विलय का प्रावधान था, ये दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दिनांक 01 मई, 2025 से “एक राज्य-एक आरआरबी” की अवधारणा के तहत एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात् कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित) में विलीन हो गए।

\* The Bank has decided to disinvest its stake in Canbank Factors Ltd., and has obtained requisite regulatory approvals.

\*\* Canara Tanzania Ltd. (In Liquidation) (CTL), a wholly owned subsidiary of the Bank has transferred its major assets and liabilities to M/s Exim Bank Tanzania Ltd. and surrendered the license with effect from 21.12.2024. Bank has received payment of USD 10 mn during the current FY and balance amount of USD 1.68 mn has been deposited in an Escrow account towards retention money (till 20.12.2026 i.e. 2 years from 21.12.2024) in compliance with local regulatory requirement.

#Canara Robeco Asset Management Company Ltd., and Canara HSBC Life Insurance Company Ltd., were listed on BSE and NSE on 16.10.2025 and 17.10.2025 respectively, pursuant to sale of shareholding through Offer for Sale (Offer for Sale-IPO). Following the listing and sale of shares, the Bank's shareholding in these companies reduced from 51% in each company to 38% and 36.50% respectively. Consequently, with effect from the respective listing dates, these companies have ceased to be subsidiaries and became associates of the Bank and they are consolidated as associates as on 31.03.2026. The aforesaid divestment resulted in a pre-tax profit (net of expenses) of ₹1929.56 Crores in standalone basis and ₹1800.93 Crores in consolidated basis as per applicable Accounting Standards on Consolidated Financial Statements.

The Bank had sponsored 4 RRBs till April 2025. In Compliance to the Gazette Notification CG-DL-E07042025-262329 dated April 07, 2025 issued by Government of India for amalgamation of erstwhile Regional Rural Banks - Karnataka Vikas Grameena Bank and Karnataka Gramin Bank (operating in the state of Karnataka and sponsored by Canara Bank), the two Regional Rural Banks amalgamated into a single Regional Rural Bank i.e Karnataka Grameena Bank (Sponsored by Canara Bank), under the concept “One State-One RRB” w.e.f. May 01, 2025.

बैंक के पास वर्तमान में दिनांक 1 मई, 2025 से प्रभावी, नवगठित इकाई 'कर्नाटक ग्रामीण बैंक' की 35% इक्विटी है, और इसे एक सहयोगी के रूप में समेकित किया गया है। सहयोगी में निवेश का लेखांकन एस 23 (समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश का लेखांकन) के अनुसार इक्विटी विधि के तहत किया गया है।

दोनों समामेलित आरआरबी केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित थे, इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों में समामेलित आरआरबी के निवेश की वहन राशि संबंधित आरआरबी के निवेश की वहन राशि के बराबर है।

पूर्व सहयोगी, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (एपीजीबी) (केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित) के संबंध में, केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या CG-DL-E-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 के पैरा S.O. 1626(E) के माध्यम से, दिनांक 01.05.2025 से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) के विलय की अधिसूचना जारी की।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समामेलन पर, एपीजीबी के इक्विटी शेयरों में बैंक के ₹14.82 करोड़ के निवेश की वहन राशि प्राप्त हुई है। समेकित वित्तीय विवरणों में उल्लिखित एपीजीबी में निवेश की वहन राशि और प्राप्त वास्तविक राशि के बीच का अंतर, जो कि अधिशेष है, ₹1833.03 करोड़ है; और उक्त अधिशेष को समेकित वित्तीय परिणामों में असाधारण मदों के तहत रिपोर्ट किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या RBI/2024-25/127 DOR. ACC.REC No. 67/21.04.018/2024-25, दिनांक 20.03.2025 के माध्यम से, विशेष रूप से आरआरबी को यह अनुमति दी कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 से अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि में अतिरिक्त पेंशन दायित्व का परिशोधन कर सकते हैं; बशर्ते कि कुल पेंशन दायित्व का न्यूनतम 20 प्रतिशत हिस्सा प्रति वर्ष व्यय के रूप में दिखाया जाए।

कर्नाटक ग्रामीण बैंक (ई-केजीबी) और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (ई-केबीजीबी) ने ₹270.79 करोड़ की अतिरिक्त पेंशन देनदारी के परिशोधन का विकल्प चुना था, जिसे 5 वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाना था। दिनांक 31.03.2025 तक ई-केजीबी और ई-केबीजीबी की कुल अपरिशोधित देनदारी ₹216.63 करोड़ थी। दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, ₹ 54.16 करोड़ की राशि का परिशोधन किया गया है, और शेष ₹ 162.47

The Bank presently holds 35% of equity of the newly formed entity Karnataka Grameena Bank effective May 01, 2025 and the same is consolidated as an Associate. The Investment in the associate has been accounted under equity method as per AS 23 (Accounting for Investment in Associates in consolidated financial statements).

As both the amalgamating RRBs were sponsored by Canara Bank, the carrying amount of investment of the amalgamated RRB in the consolidated financial statements is equal to the carrying amount of investment of the respective RRBs.

In respect of erstwhile associate, Andhra Pragathi Grameena Bank (APGB) (sponsored by Canara Bank), Central Government, vide gazette notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 Para S.O. 1626(E) notified amalgamation of Andhra Pradesh Grameena Bank (sponsored by Union Bank of India) with effect from 01.05.2025.

On amalgamation as mentioned above, the carrying amount of Bank's investment in equity shares of APGB of ₹14.82 Crores has been received. The surplus being difference in carrying amount of investment in APGB mentioned in Consolidated Financial Statements and actual amount received is ₹1833.03 Crores and the said surplus is reported under extraordinary items in Consolidated Financial Results.

The Reserve Bank of India, vide its letter no. RBI/2024-25/127 DOR.ACC.REC No. 67/21.04.018/2024-25 dated 20.03.2025, permitted RRBs specifically to amortize the additional pension liability over a period not exceeding five years, beginning with the financial year 2024-25, subject to a minimum of 20 percent of the total pension liability being expensed every year.

Karnataka Gramin Bank (e-KGB) and Karnataka Vikas Grameena Bank (e-KVGB) had opted for amortization of the additional pension liability of ₹270.79 Crores, to be amortized over a period of 5 years. The total unamortized liability of e-KGB and e-KVGB as on 31.03.2025 was ₹216.63 Crores. For year ended 31.03.2026, an amount of



करोड़ की राशि का परिशोधन 31.03.2029 तक किया जाएगा। यदि पूरी अतिरिक्त देनदारी को लाभ व हानि लेखा में व्यय के रूप में दर्ज किया गया होता, तो नवगठित संस्था कर्नाटक ग्रामीण बैंक का दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष का निवल हानि ₹162.47 करोड़ बढ़ गया होता।

केरल ग्रामीण बैंक ने दिनांक 31.03.2025 तक की समस्त अतिरिक्त पेंशन देनदारी का अधिग्रहण कर लिया है।

## उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए):

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) (अब शिक्षा मंत्रालय (एमओई)), भारत सरकार (90.91%) और केनरा बैंक (9.09%) का एक संयुक्त उद्यम है। इसका उद्देश्य भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत आस्ति यों के निर्माण, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण, अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना, आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईआईटी आदि के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से एक मंच प्रदान करने के लिए वित्तपोषण करना है।

इसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय (पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने ₹2000 करोड़ की आरंभिक अधिकृत पूंजी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ₹1000 करोड़ का योगदान दिया है तथा केनरा बैंक ने आनुपातिक रूप से ₹100 करोड़ का योगदान दिया है।

इसके बाद, अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें सरकार 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक ₹500 करोड़ का योगदान देगा। दिनांक 31.03.2025 तक, मंत्रालय ने ₹4,812.50 करोड़ की पूंजी डाली है और केनरा बैंक ने ₹481.25 करोड़ का योगदान दिया है।

₹54.16 Crores has been amortized and balance amount of ₹162.47 Crores will be amortized till 31.03.2029. Had the entire additional liability been accounted as expense in the Profit and Loss Account, the net loss for the year ended 31.03.2026 of newly formed entity Karnataka Grameena Bank would have increased by ₹162.47 Crores.

Kerala Grameena Bank has absorbed the entire additional pension liability as on 31.03.2025.

## HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA):

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture of Ministry of Human Resources Development (MHRD) (now Ministry of Education (MoE)), Government of India (90.91%) and Canara Bank (9.09%). The objective is for financing creation of capital assets in premier educational institutions in India, building world-class educational institutes, setting up research facilities, intending to provide a platform through special purpose vehicle for improvement of infrastructure standards of IITs, IIMs, AIIMS, IISc, NIT, IIIT etc.

Based on this, the MoE (erstwhile MHRD) proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2000 Cr. MHRD has contributed ₹1,000 Cr. and Canara Bank had contributed ₹100 Cr.

Subsequently, the authorized capital was increased to ₹10,000 Cr wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 Cr. and Canara Bank will contribute ₹500 Cr. As on 31.03.2026, MoE has infused Capital of ₹4812.50 Cr. and Canara Bank has contributed ₹481.25 Cr.

दिनांक 31.03.2026 तक अनुषंगी, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।)

(राशि रु करोड़ में)

| विवरण                                                                 | सहायक संस्थाएं     | सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) | केएमपी के रिश्तेदार | कुल                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>उधार -</b><br>वर्ष के अंत तक बकाया                                 | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.50)           | -                               | -                   | 0.00<br>(0.50)       |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया                                            | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.50)           | -                               | -                   | 0.00<br>(0.50)       |
| <b>जमा राशि -</b><br>वर्ष के अंत तक बकाया                             | 343.07<br>(234.86) | 4.04<br>(305.75)         | -                               | -                   | 347.11<br>(540.61)   |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया                                            | 343.07<br>(234.86) | 300.61<br>(456.33)       | -                               | -                   | 643.68<br>(691.19)   |
| <b>जमाओं का नियोजन -</b><br>वर्ष के अंत तक बकाया                      | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 0.00<br>(0.00)       |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया                                            | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 0.00<br>(0.00)       |
| <b>अग्रिम -</b><br>वर्ष के अंत तक बकाया                               | 0.00<br>(17.87)    | 442.38<br>(2765.75)      | -                               | -                   | 442.38<br>(2783.62)  |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया                                            | 0.00<br>(17.87)    | 2322.91<br>(2798.23)     | -                               | -                   | 2322.91<br>(2816.10) |
| <b>अचल आस्तियों की खरीद -</b><br>वर्ष के अंत तक बकाया                 | -                  | -                        | -                               | -                   | -                    |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया                                            | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 0.00<br>(0.00)       |
| <b>चालू खाते में शेष राशि (निवल)</b><br>वर्ष के अंत तक बकाया          | 1.68<br>(153.72)   | 0.70<br>(168.17)         | -                               | -                   | 2.38<br>(321.89)     |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया                                            | 1.68<br>(153.72)   | 2.44<br>(168.17)         | -                               | -                   | 4.12<br>(321.89)     |
| <b>अन्य प्राप्य -</b><br>वर्ष के अंत तक बकाया                         | 0.33<br>(16.51)    | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 0.33<br>(16.51)      |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया                                            | 0.33<br>(16.51)    | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 0.33<br>(16.51)      |
| <b>अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र - सहभागी</b><br>वर्ष के अंत तक बकाया | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 0.00<br>(0.00)       |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया                                            | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 0.00<br>(0.00)       |

Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture as on 31.03.2026 are as under:

(Figures in brackets relate to previous year)  
(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                                                | Subsidiaries       | Associates & Joint Ventures | Key Management Personnel (KMP) | Relatives of KMP | Total                |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Borrowings -</b>                                        |                    |                             |                                |                  |                      |
| Outstanding as at the year end                             | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.50)              | -                              | -                | 0.00<br>(0.50)       |
| Maximum outstanding during the year                        | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.50)              | -                              | -                | 0.00<br>(0.50)       |
| <b>Deposits-</b>                                           |                    |                             |                                |                  |                      |
| Outstanding as at the year end                             | 343.07<br>(234.86) | 4.04<br>(305.75)            | -                              | -                | 347.11<br>(540.61)   |
| Maximum outstanding during the year                        | 343.07<br>(234.86) | 300.61<br>(456.33)          | -                              | -                | 643.68<br>(691.19)   |
| <b>Placement of Deposits -</b>                             |                    |                             |                                |                  |                      |
| Outstanding as at the year end                             | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 0.00<br>(0.00)       |
| Maximum outstanding during the year                        | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 0.00<br>(0.00)       |
| <b>Advances-</b>                                           |                    |                             |                                |                  |                      |
| Outstanding as at the year end                             | 0.00<br>(17.87)    | 442.38<br>(2765.75)         | -                              | -                | 442.38<br>(2783.62)  |
| Maximum outstanding during the year                        | 0.00<br>(17.87)    | 2322.91<br>(2798.23)        | -                              | -                | 2322.91<br>(2816.10) |
| <b>Purchase of Fixed Assets-</b>                           |                    |                             |                                |                  |                      |
| Outstanding as at the year end                             | -                  | -                           | -                              | -                | -                    |
| Maximum outstanding during the year                        | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 0.00<br>(0.00)       |
| <b>Balance in current account (Net)</b>                    |                    |                             |                                |                  |                      |
| Outstanding as at the year end                             | 1.68<br>(153.72)   | 0.70<br>(168.17)            | -                              | -                | 2.38<br>(321.89)     |
| Maximum outstanding during the year                        | 1.68<br>(153.72)   | 2.44<br>(168.17)            | -                              | -                | 4.12<br>(321.89)     |
| <b>Other receivable-</b>                                   |                    |                             |                                |                  |                      |
| Outstanding as at the year end                             | 0.33<br>(16.51)    | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 0.33<br>(16.51)      |
| Maximum outstanding during the year                        | 0.33<br>(16.51)    | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 0.33<br>(16.51)      |
| <b>Inter-Bank Participation Certificate - Participated</b> |                    |                             |                                |                  |                      |
| Outstanding as at the year end                             | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 0.00<br>(0.00)       |
| Maximum outstanding during the year                        | 0.00<br>(0.00)     | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 0.00<br>(0.00)       |

यथा 31.03.2026 तक अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(राशि रु करोड़ में)

| विवरण                               | अनुषंगी संस्थाएं | सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) | केएमपी के रिश्तेदार | कुल                |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>अन्य देय</b>                     |                  |                          |                                 |                     |                    |
| वर्ष के अंत तक बकाया                | 1.08<br>(1.22)   | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 1.08<br>(1.22)     |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया          | 1.08<br>(1.22)   | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 1.08<br>(1.22)     |
| <b>गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धताएँ</b> |                  |                          |                                 |                     |                    |
| वर्ष के अंत तक बकाया                | 0.00<br>(0.00)   | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 0.00<br>(0.00)     |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया          | 0.00<br>(0.00)   | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 0.00<br>(0.00)     |
| <b>ब्याज भुगतान</b>                 | 18.41<br>(14.70) | 174.37<br>(33.83)        | -                               | -                   | 192.78<br>(48.53)  |
| <b>ब्याज प्राप्ति</b>               | 0.03<br>(27.30)  | 20.43<br>(145.89)        | -                               | -                   | 20.46<br>(173.19)  |
| <b>लाभांश प्राप्ति</b>              | 5.00<br>(45.69)  | 78.53<br>(15.98)         | -                               | -                   | 83.53<br>(61.67)   |
| <b>प्रीमियम भुगतान</b>              | 0.00<br>(625.85) | 837.33<br>(0.00)         | -                               | -                   | 837.33<br>(625.85) |
| <b>सेवा प्रदान करना</b>             | 7.49<br>(44.41)  | 34.41<br>(30.91)         | -                               | -                   | 41.90<br>(75.33)   |
| <b>सेवाओं के लिए प्राप्ति</b>       | 64.01<br>(65.67) | 0.00<br>(0.00)           | -                               | -                   | 64.01<br>(65.67)   |
| <b>कमीशन प्राप्ति</b>               | 0.00<br>(376.36) | 470.52<br>(0.00)         | -                               | -                   | 470.52<br>0.00     |
| <b>लाभांश भुगतान</b>                | 0.00<br>(0.00)   | 52.01<br>(0.21)          | -                               | -                   | 52.01<br>(0.21)    |

Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture as on 31.03.2026 are as under:

(Figures in brackets relate to previous year)

(Amount in ₹ Crores)

| Particulars                         | Subsidiaries     | Associates & Joint Ventures | Key Management Personnel (KMP) | Relatives of KMP | Total              |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Other payable</b>                |                  |                             |                                |                  |                    |
| Outstanding as at the year end      | 1.08<br>(1.22)   | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 1.08<br>(1.22)     |
| Maximum outstanding during the year | 1.08<br>(1.22)   | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 1.08<br>(1.22)     |
| <b>Non-Funded Commitments</b>       |                  |                             |                                |                  |                    |
| Outstanding as at the year end      | 0.00<br>(0.00)   | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 0.00<br>(0.00)     |
| Maximum outstanding during the year | 0.00<br>(0.00)   | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 0.00<br>(0.00)     |
| <b>Interest paid</b>                | 18.41<br>(14.70) | 174.37<br>(33.83)           | -                              | -                | 192.78<br>(48.53)  |
| <b>Interest received</b>            | 0.03<br>(27.30)  | 20.43<br>(145.89)           | -                              | -                | 20.46<br>(173.19)  |
| <b>Dividend received</b>            | 5.00<br>(45.69)  | 78.53<br>(15.98)            | -                              | -                | 83.53<br>(61.67)   |
| <b>Premium Paid</b>                 | 0.00<br>(625.85) | 837.33<br>(0.00)            | -                              | -                | 837.33<br>(625.85) |
| <b>Rendering of Service</b>         | 7.49<br>(44.41)  | 34.41<br>(30.91)            | -                              | -                | 41.90<br>(75.33)   |
| <b>Receiving for Services</b>       | 64.01<br>(65.67) | 0.00<br>(0.00)              | -                              | -                | 64.01<br>(65.67)   |
| <b>Commission Received</b>          | 0.00<br>(376.36) | 470.52<br>(0.00)            | -                              | -                | 470.52<br>0.00     |
| <b>Dividend Paid</b>                | 0.00<br>(0.00)   | 52.01<br>(0.21)             | -                              | -                | 52.01<br>(0.21)    |

f) लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना

प्रकटीकरण निम्नानुसार अपेक्षित होगा:

- परिचालन बंद करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा देनदारी से मुक्ति और आस्तियों की वसूली हुई है या बैंक द्वारा ऐसे परिचालन को बंद करने का निर्णय अंतिम रूप दे दिया गया है जिसका उपरोक्त प्रभाव होगा और
- बंद की गई कार्रवाई अपनी संपूर्णता में पर्याप्त है।

g) लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में ब्याजों की वित्तीय रिपोर्टिंग

लागू नहीं, क्योंकि दिनांक 31-03-2025 तक किसी भी संयुक्त उद्यम में कोई ब्याज नहीं है।

h) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

वर्ष के अंत में आस्तियों की हानि की समीक्षा की जाती है, जब भी ऐसी घटनाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन हो कि आस्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य न हो। किसी आस्ति की वसूली योग्यता को उस आस्ति की वहन राशि की तुलना करके मापा जाता है, जो आस्ति द्वारा उत्पन्न होने की उम्मीद वाले भविष्य के निवल छूट वाले नकदी प्रवाह से की जाती है। यदि ऐसी आस्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो पहचानी जाने वाली हानि को आस्ति की वहन राशि द्वारा मापा जाता है, जो आस्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। हालाँकि, बैंक के प्रबंधन के विचार में, उस वर्ष के दौरान आस्तियों में भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखांकन मानक 28 - "आस्तियों की हानि" लागू होती है।

17. दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल ₹3500 करोड़ के बेसल III अनुपालन वाले अतिरिक्त टियर I बॉन्ड जारी किए और ₹2936.10 करोड़ के बेसल III अनुपालन वाले अतिरिक्त टियर I बॉन्ड का मोचन किया। इसके अलावा, दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल ₹5000 करोड़ के बेसल III अनुपालन वाले टियर II बॉन्ड जारी किए और ₹4150 करोड़ के बेसल III अनुपालन वाले टियर II बॉन्ड का मोचन किया।

18. आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 28 नवंबर, 2025 के DOR.ACC.REC.No.86/21.04.018/2025-26 के अनुसार, अन्य देयताएं/अन्य आस्तियों/अन्य आय/अन्य व्यय का विवरण जो कुल आस्तियों/कुल आय के 1% से अधिक है, निम्नानुसार है:

f) Accounting Standard 24- Discontinuing Operation

Disclosure shall be required as under:

- Discontinuing of the operation has resulted in shedding of liability and realization of the assets by the Bank or decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalized by the Bank and
- The discontinued operation is substantial in its entirety.

g) Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Not Applicable, since no interest in any Joint Venture as on 31-03-2026.

h) Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies

17. During the year ended 31.03.2026, Bank has issued Basel III Compliant Additional Tier I Bonds aggregating to ₹3500 Crores and redeemed Basel III Compliant Additional Tier I Bonds of ₹2936.10 Crores. Further, during the year ended 31.03.2026, Bank has issued Basel III Compliant Tier II Bonds aggregating to ₹5000 Crores and redeemed Basel III Compliant Tier II Bonds ₹4150 Crores.

18. As per RBI guidelines, DOR.ACC.REC No.86/21.04.018 / 2025-26 dated 28, November 2025 the details of the item i.e. Other Liabilities/Other Assets / Other Income / other expenses exceeding 1% of the total Assets / Total income is as under:



| दिनांक 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए                                     | उप-शीर्षक / शीर्षक के अंतर्गत मद                         | राशि करोड़ में | राशि % में |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| उप-शीर्षक के अंतर्गत कोई भी मद                                              | तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में प्रतिलेखन | 6520.57        | 4.26%      |
| “विविध आय शीर्ष के अंतर्गत                                                  | अन्य विविध आय (मुख्यतः पीएसएलसी कमीशन)                   | 6024.75        | 3.93%      |
| “अनुसूची 14- अन्य आय” के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है। | सेवा प्रभार                                              | 3550.25        | 2.32%      |
|                                                                             | अन्य विविध आय (मुख्यतः पीएसएलसी कमीशन)                   | 1723.63        | 1.13%      |

| For year ended 31.03.2026                                              | Item under the Subhead/ Head                 | Amount in Crores ₹ | Amount in % |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Any Item under the subhead                                             | Write Back in Technical Written-off Accounts | 6520.57            | 4.26%       |
| “Miscellaneous Income under the head                                   | Other Misc. Income (mainly PSLC Comm)        | 6024.75            | 3.93%       |
| “Schedule - 14- Other Income” exceeds one percent of the total income. | Service Charges                              | 3550.25            | 2.32%       |
|                                                                        | Other Misc. Income (mainly PSLC Comm)        | 1723.63            | 1.13%       |

19 वर्ष के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष आरक्षित में ₹1000 करोड़ अंतरित किए हैं।

20. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्गठित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

19. During the year, Bank has transferred ₹1000 Crores to Special Reserve created u/s 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961.

20. Figures of the previous year have been regrouped/ rearranged/reclassified wherever necessary.

# वार्षिक रिपोर्ट 2025-26

चिरागकुमार आर अमीन  
मंडल प्रबंधक

शेख मोहम्मद वसीम  
सहायक महाप्रबंधक

दीपक कुमार जेना  
सहायक महाप्रबंधक

आर महेंद्रन  
सहायक महाप्रबंधक

अमित मित्तल  
महाप्रबंधक एवं जीसीएफओ

सुनील कुमार चुघ  
कार्यपालक निदेशक

एस के मजुमदार  
कार्यपालक निदेशक

भवेन्द्र कुमार  
कार्यपालक निदेशक

हरदीप सिंह अहलुवालिया  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) एवं कार्यपालक निदेशक

प्रशांत कुमार गोयल  
निदेशक

रोहित पी. दास  
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी  
निदेशक

गुंजीत सिंह पन्नू  
निदेशक

बालकृष्ण राघवेंद्र राव  
निदेशक

## यथा तिथि हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते के वेंकटचलम अय्यर  
एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 004610S

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 108846W

कृते अबर्ना एंड अनंतन  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 000003S

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 001537C

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 303002E

(ए गोपालकृष्णन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 018159

(दबीर सुधीर दिवाकरराव)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 039984

(ललिता रामेश्वरन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 207867

(अनिल गोयल)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 071158

(चंद्र भूषण डे)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 053126

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 11.05.2026

Restricted

CHIRAGKUMAR R AMIN  
DIVISIONAL MANAGER

SHEIKH MOHD. WASEEM  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

R MAHENDRAN  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

AMIT MITTAL  
GENERAL MANAGER & GCFO

SUNIL KUMAR CHUGH  
EXECUTIVE DIRECTOR

S K MAJUMDAR  
EXECUTIVE DIRECTOR

BHAVENDRA KUMAR  
EXECUTIVE DIRECTOR

HARDEEP SINGH AHLUWALIA  
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER (I/C) AND EXECUTIVE DIRECTOR

PARSHANT KUMAR GOYAL  
DIRECTOR

ROHIT P. DAS  
DIRECTOR

ABHA SINGH YADUVANSHI  
DIRECTOR

GUNJEET SINGH PANNU  
DIRECTOR

BALAKRISHNA RAGHAVENDRA RAO  
DIRECTOR

## AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For K VENKATACHALAM  
AIYER & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 004610S

For RODI DABIR & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 108846W

For ABARNA & ANANTHAN  
Chartered Accountants  
FRN : 000003S

For S R GOYAL & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 001537C

For M C BHANDARI & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 303002E

(A GOPALAKRISHNAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 018159

(DABIR SUDHIR  
DIWAKARRAO)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 039984

(LALITHA RAMESWARAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 207867

(ANIL GOYAL)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 071158

(CHANDRA BHUSAN DEY)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 053126

Place : Bengaluru  
Date : 11.05.2026

Restricted

## यथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह विवरणी STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2026

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण / Particulars                                                                                                           | 31.03.2026<br>(लेखापरीक्षित / Audited) | 31.03.2025<br>(लेखापरीक्षित / Audited) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>                                                 |                                        |                                        |
| कर के बाद निवल लाभ / NET PROFIT AFTER TAX                                                                                     | 19,186.67                              | 17,026.67                              |
| जोड़ें : कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर के लिए समावेशी प्रावधान)<br>ADD: PROVISION FOR TAX (INCL. PROVISION FOR DEFERRED TAX) | 5,720.00                               | 5,600.00                               |
| <b>कर के पूर्व निवल लाभ / NET PROFIT BEFORE TAX</b>                                                                           | <b>24,906.67</b>                       | <b>22,626.67</b>                       |
| <b>समायोजन हेतु: / Adjustments for:</b>                                                                                       |                                        |                                        |
| मूल्यहास / Depreciation                                                                                                       | 917.36                                 | 837.19                                 |
| निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)<br>(Profit) / Loss on revaluation of Investments                                    | (1,429.25)                             | (400.93)                               |
| एनपीए के लिए प्रावधान<br>Provision for NPAs                                                                                   | 6,310.48                               | 9,586.44                               |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान<br>Provision for Standard assets                                                                | 1,008.17                               | 336.13                                 |
| बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on bonds                                                                               | 2,580.42                               | 2,685.24                               |
| आकस्मिक और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for contingencies and others                                                      | 865.37                                 | (68.29)                                |
| अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets                                                | 71.61                                  | (2.27)                                 |
| अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यम आदि में निवेश से आय<br>Income from Investment in subsidiaries, JVs, etc.                      | (111.92)                               | (115.38)                               |
| गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान<br>Provision for Non Performing Investments                                             | (72.12)                                | (1,090.70)                             |
| <b>कुल योग / Sub total</b>                                                                                                    | <b>10,140.13</b>                       | <b>11,767.45</b>                       |
| <b>समायोजन हेतु: / Adjustments for:</b>                                                                                       |                                        |                                        |
| निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments                                                               | (24,496.39)                            | (17,993.74)                            |
| अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances                                                                 | (1,77,172.93)                          | (1,27,128.63)                          |
| उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Borrowings                                                                 | 64,208.66                              | 29,972.84                              |
| जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Deposits                                                                    | 1,11,794.97                            | 1,44,516.56                            |
| अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other Assets                                                      | (7,087.41)                             | (571.04)                               |
| अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)<br>Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions                   | 7,397.30                               | 798.60                                 |
|                                                                                                                               | <b>(25,355.80)</b>                     | <b>29,594.60</b>                       |
| <b>घटाएं : निवल आयकर (प्रदत्त) / प्रतिदेय / LESS: NET INCOME TAX (PAID) / REFUND</b>                                          | <b>(2,905.06)</b>                      | <b>(4,042.16)</b>                      |
| <b>परिचालन गतिविधियों से सृजित निवल<br/>NET CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES</b>                                      | <b>6,785.94</b>                        | <b>59,946.56</b>                       |
| <b>निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह नकद / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>                                               |                                        |                                        |
| अनुषंगी कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों में निवेश से आय<br>Income from investment in subsidiaries and/or JVs                 | 111.92                                 | 115.38                                 |
| संयुक्त उद्यम, अनुषंगी कंपनियों आदि में निवेश<br>Investment in JVs, Subsidiaries, etc.                                        | 204.06                                 | (527.03)                               |
| अचल आस्तियों की बिक्री / खरीद से निवल अंतर्वाह / बहिर्वाह<br>Net inflow / outflow from sale / purchase of fixed assets        | (1,343.98)                             | (1,448.46)                             |

|                                                                                                                     |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी<br>NET CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES                                 | (ख)<br>(B) | (1,028.00)  | (1,860.12)  |
| वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES                                              |            |             |             |
| बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज<br>Payment of interest on bonds                                                              |            | (2,580.42)  | (2,685.24)  |
| अधीनस्थ ऋण सहित बॉण्ड का नया निर्गम<br>Fresh issue of bonds including sub-ordinated debts                           |            | 8,500.00    | 7,000.00    |
| अधीनस्थ ऋण सहित बॉण्ड का मोचन<br>Redemption of bonds including sub-ordinated debts                                  |            | (7,086.10)  | (4,900.00)  |
| पिछले वर्ष के लाभांश का भुगतान<br>Payment of Dividend of Previous Year                                              |            | (3,628.26)  | (2,920.75)  |
| वित्तीय गतिविधियों से सृजित निवल नकद<br>NET CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES                                | (ग)<br>(C) | (4,794.78)  | (3,505.99)  |
| नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)<br>NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C) |            | 963.16      | 54,580.45   |
| प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य / OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS                                                     |            | 2,05,340.18 | 1,50,759.72 |
| अंतिम नकदी और नकद तुल्य / CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS                                                         |            | 2,06,303.34 | 2,05,340.18 |

**नकद प्रवाह विवरणी का नोट्स / NOTES TO CASH FLOW STATEMENT:**

- नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष पद्धति (AS-3) के तहत तैयार किया गया है और जहां भी आवश्यक है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।  
The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method (AS-3) and figures have been re-grouped wherever considered necessary
- नकदी और नकद तुल्य में उपलब्ध नकद शेष, आरबीआई और अन्य बैंकों में उपलब्ध शेष और मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।  
Cash and Cash equivalents include Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice.

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| नकदी एवं नकद तुल्य के घटक<br>Components of Cash & Cash Equivalents                                                          | 31.03.2026<br>(लेखापरीक्षित / Audited) | 31.03.2025<br>(लेखापरीक्षित / Audited) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| आरबीआई में नकदी व शेषराशि / Cash & Balance with RBI                                                                         | 54,053.90                              | 89,998.57                              |
| बैंकों में उपलब्ध शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि<br>Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 1,52,249.44                            | 1,15,341.61                            |
| कुल / Total                                                                                                                 | 2,06,303.34                            | 2,05,340.18                            |

# ANNUAL REPORT 2025-26

**चिरागकुमार आर अमीन**  
मंडल प्रबंधक

**शेख मोहम्मद वसीम**  
सहायक महाप्रबंधक

**दीपक कुमार जेना**  
सहायक महाप्रबंधक

**आर महेंद्रन**  
सहायक महाप्रबंधक

**अमित मित्तल**  
महाप्रबंधक एवं जीसीएफओ

**सुनील कुमार चुघ**  
कार्यपालक निदेशक

**एस के मजुमदार**  
कार्यपालक निदेशक

**भवेंद्र कुमार**  
कार्यपालक निदेशक

**हरदीप सिंह अहलूवालिया**  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) एवं कार्यपालक निदेशक

**प्रशांत कुमार गोयल**  
निदेशक

**रोहित पी. दास**  
निदेशक

**आभा सिंह यदुवंशी**  
निदेशक

**गुंजीत सिंह पन्नू**  
निदेशक

**बालकृष्ण राघवेंद्र राव**  
निदेशक

## हमारी यथा तिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते के **वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 004610S

कृते **रोडी दबीर एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 108846W

कृते **अबर्ना और अनंतन**  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 000003S

कृते **एस आर गोयल एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 001537C

कृते **एम सी भंडारी एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 303002E

(**ए गोपालकृष्णन**)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 018159

(**दबीर सुधीर दिवाकरराव**)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 039984

(**ललिता रामेश्वरन**)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 207867

(**अनिल गोयल**)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 071158

(**चंद्र भूषण डे**)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 053126

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 11.05.2026

Restricted

**CHIRAGKUMAR R AMIN**  
DIVISIONAL MANAGER

**SHEIKH MOHD. WASEEM**  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

**DEEPAK KUMAR JENA**  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

**R MAHENDRAN**  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

**AMIT MITTAL**  
GENERAL MANAGER & GCFO

**SUNIL KUMAR CHUGH**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**S K MAJUMDAR**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**BHAVENDRA KUMAR**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**HARDEEP SINGH AHLUWALIA**  
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER (I/C) AND EXECUTIVE DIRECTOR

**PARSHANT KUMAR GOYAL**  
DIRECTOR

**ROHIT P. DAS**  
DIRECTOR

**ABHA SINGH YADUVANSHI**  
DIRECTOR

**GUNJEET SINGH PANNU**  
DIRECTOR

**BALAKRISHNA RAGHAVENDRA RAO**  
DIRECTOR

## AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **K VENKATACHALAM AIYER & CO**  
Chartered Accountants  
FRN : 004610S

For **RODI DABIR & CO**  
Chartered Accountants  
FRN : 108846W

For **ABARNA & ANANTHAN**  
Chartered Accountants  
FRN : 000003S

For **S R GOYAL & CO**  
Chartered Accountants  
FRN : 001537C

For **M C BHANDARI & CO**  
Chartered Accountants  
FRN : 303002E

(**A GOPALAKRISHNAN**)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 018159

(**DABIR SUDHIR DIWAKARRAO**)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 039984

(**LALITHA RAMESWARAN**)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 207867

(**ANIL GOYAL**)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 071158

(**CHANDRA BHUSAN DEY**)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 053126

Place : Bengaluru  
Date : 11.05.2026

Restricted



केनरा बैंक का समेकित  
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा  
नकद प्रवाह विवरणी  
2025-2026





**CONSOLIDATED BALANCE SHEET,  
PROFIT & LOSS ACCOUNT AND  
CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK  
2025-2026**

## स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

## Independent Auditors' Report

सेवा में,  
केनरा बैंक के सदस्य

To,

The Members of Canara Bank

### समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements.

### राय

### Opinion

1. हमने केनरा बैंक ('बैंक') के साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का संयुक्त रूप से लेखापरीक्षा किया है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2026 तक समेकित तुलन-पत्र, उस वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स (जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है) ('समेकित वित्तीय विवरण') शामिल हैं; और जिनमें उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु निम्नलिखित के विवरण शामिल हैं:

1. We have jointly audited the accompanying Consolidated financial statements of Canara Bank ('the Bank'), which comprises the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2026, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ('Consolidated Financial Statement') in which are included the returns for the year ended on that date of:

- बैंक के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरण
- 6 अनुषंगी कंपनियों और 3 सहयोगी कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिनका लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है; और
- 1 अनुषंगी कंपनी और 2 सहयोगी कंपनियों के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी।

- Audited Standalone Financial Statements of the Bank
- Audited Financial Statements of 6 Subsidiaries and 3 Associates audited by other Auditors; and
- Un-audited Financial Statements / Financial information of 1 Subsidiary and 2 Associates.

उपर्युक्त संस्थाओं और बैंक के सामूहिक रूप से 'समूह' कहा जाता है।

The above entities together with the Bank are referred to as the 'Group'.

2. हमारी राय में, और हमारी जानकारी के अनुसार, तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, और अनुषंगी कंपनियों तथा सहयोगी कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विचार-विमर्श के आधार पर, तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहायक कंपनियों और अनुषंगी कंपनियों के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, भारतीय सदनी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries and associates, the unaudited financial statements and the other financial information of subsidiaries, and associates as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards issued by

प्रासंगिक प्रावधानों, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") द्वारा अपेक्षित जानकारी को, उसी प्रकार से प्रस्तुत करते हैं जैसा अपेक्षित है; और ये विवरण, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, यथा 31 मार्च, 2025 तक समूह की समेकित स्थिति का, तथा उस वर्ष के लिए समेकित लाभ और उसके समेकित नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

## राय का आधार

- हमने अपना लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया। इन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारियाँ' वाले अनुभाग आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही भारत में समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का भी पालन करते हैं; और हमने इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## मुख्य लेखापरीक्षा मामले

- मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने के दौरान विचार किया गया था, और हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को उन मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है जिन्हें हमारी रिपोर्ट में सूचित किया जाना है:

Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Group as at 31<sup>st</sup> March, 2025, of consolidated profit, and its consolidated Cash flows for the year then ended.

## Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI, together with ethical requirements that are relevant to our Audit of the Consolidated Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

## Key Audit Matters

- Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone financial statements of the Bank, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

| क्र. सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मुख्य लेखापरीक्षा विषय पर प्रतिक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p><b>आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, उस पर प्रावधानों की पर्याप्तता। (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 9 का संदर्भ ले।)</b></p> <p>बैंक की आस्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा 'अग्रिम' (ऋण) का होता है। इनका वर्गीकरण, आय निर्धारण और इनके लिए प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और विभिन्न मानदंडों के अनुरूप किए गए हैं। बैंक का प्रबंधन, आस्तियों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और उसके लिए प्रावधान करने हेतु सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस) और अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों पर निर्भर रहता है; इसके साथ ही, उधारकर्ताओं के प्रदर्शन से संबंधित विभिन्न अनुमान, विवेकपूर्ण निर्णय, सुरक्षा मूल्य का निर्धारण और विशेषज्ञों व पेशेवरों की सेवाओं सहित मानवीय हस्तक्षेप शामिल हैं।</p> <p>लेन-देन का स्वरूप, नियामक आवश्यकताओं, मौजूदा कारोबार परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में शामिल अनुमान / निर्णय, प्रावधानों की गणना, उधारकर्ताओं और साथ ही अग्रणी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर भरोसा करते हुए आहरण शक्ति की गणना, पुनर्गठित अग्रिमों के मूल्य में कमी की गणना और ब्याज आय की मान्यता को ध्यान में रखते हुए, समेकित वित्तीय विवरणों के लक्षित उपयोगकर्ताओं के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।</p> <p>इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय के रूप में निर्धारित किया है।</p> | <p><b>मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ:</b></p> <p>हमारा लेखापरीक्षा, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, और शेष राशियों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों की प्रक्रिया पर केंद्रित था।</p> <p>हमने बैंक की प्रणाली और उन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया, जो गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की पहचान करने और ऐसी आस्तियों के विरुद्ध प्रावधान बनाने के लिए लागू है।</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में निम्नलिखित के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों की डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं के संबंध में, आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम में वर्गीकरण, तथा आई आर ए सी मानदंडों के अनुसार प्रावधान करने हेतु, सिस्टम में दर्ज किए गए डेटा की सटीकता।</li> <li>अग्रिमों की स्वीकृति, प्रलेखन, संवितरण और निगरानी के संबंध में नियंत्रणों का मूल्यांकन करना।</li> <li>भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन हेतु सीबीएस तथा अन्य संबंधित एवं संबद्ध प्रणालियों की समीक्षा।</li> <li>गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान और उनके लिए प्रावधान को मान्यता देने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन का मूल्यांकन।</li> <li>आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीए की पहचान करने और उसके लिए प्रावधान करने में उपयोग किए जाने वाले संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की समीक्षा।</li> <li>आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, एनपीए की पहचान करने और आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया।</li> <li>जहाँ कहीं भी परीक्षण जांच के आधार पर हमारे संज्ञान में आया, वहाँ हमने मैनुअल हस्तक्षेपों की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सटीकता की समीक्षा की।</li> <li>जिन शाखाओं का लेखापरीक्षा हमने नहीं किया है, उनके मामले में हमने 'गैर-निष्पादित आस्ति' (एनपीए) की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान करने, तथा आईसीएआई द्वारा जारी 'लेखापरीक्षा मानको 600' के अनुसार विनियामक आवश्यकताओं का समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, 'सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की रिपोर्ट / रिटर्न / निर्णयों पर विश्वास किया है।</li> <li>समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए) की पहचान और उनके लिए प्रावधान करने की प्रक्रिया और तर्क की जाँच की गई; साथ ही, दबावग्रस्त खाते की पहचान करने के तंत्र की भी जाँच की गई।</li> <li>विभिन्न विशेषज्ञों की राय और रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है-जिनमें स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ और ऐसे अन्य पेशेवर शामिल हैं- जिन्होंने आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक 620 के अनुरूप, विभिन्न क्षमताओं में बैंक को अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।</li> <li>जहाँ भी उपलब्ध थीं, आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण रिपोर्टें / समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्टें की समीक्षा की गई।</li> </ul> |

| Sl. No. | Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Response to Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <p><b>Income Recognition, Asset Classification, Adequacy of provisions thereon. (Refer Schedule 9 of the financial statements)</b></p> <p>Advances constitute the largest class of assets of the Bank. Classification, income recognition and provisioning thereon have been in conformity with the guidelines and various norms prescribed by Reserve Bank of India ("RBI"). The management of the Bank relies on the CBS (Core Banking Solutions) along with other allied IT systems accompanied by various estimates, prudent judgement relating to performance of borrowers, determination of security value, manual interventions including services of experts &amp; professionals for asset classification, Income recognition and provisioning thereon.</p> <p>Considering the nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in valuation of securities, computation of provisions, computation of drawing power with reliance placed of data submitted by borrowers as well as lead Bank, computation of diminution in value for restructured advances and recognition of interest income, it is a matter of high importance for the intended users of the Consolidated financial statements.</p> <p>Considering these aspects, we have determined this as a Key Audit Matter.</p> | <p><b>Principal Audit Procedures:</b></p> <p>Our audit was focused on process of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances, in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, considering the materiality of the balances.</p> <p>We assessed the efficacy of Bank's system and the processes in place to identify the non-performing assets and create provision against such non - performing assets.</p> <p>Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls with respect to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non-performing Advances and provisioning in accordance with the IRAC norms in respect of the branches audited by us.</li> <li>• Assessing the controls with respect to approval, documentation, disbursement and monitoring of advances.</li> <li>• Review of the CBS and other related &amp; allied systems for compliance with the prudential norms issued by Reserve Bank of India.</li> <li>• Evaluation of the design of internal controls relating to identification and recognizing provision for non-performing assets.</li> <li>• Review of the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines.</li> <li>• Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.</li> <li>• Reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of the manual interventions, wherever it has come to our knowledge on test check basis.</li> <li>• Relied on the reports / returns / judgements of the Statutory Branch Auditors (SBA) in case of branches not audited by us for identification and provisioning for non-performing assets and for overall compliance with the regulatory requirement in accordance with the Standards on Auditing 600 issued by ICAI.</li> <li>• Test checked the process and logic of identification and creation of provision against non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time and also the mechanism for identification of stressed accounts.</li> <li>• Relied on the opinions and reports of various experts, which includes independent valuers, lawyers, legal experts and such other professionals, who have rendered services to the Bank in various capacities in conformity with Standards on Auditing 620 issued by ICAI.</li> <li>• Reviewed the internal audit / inspection reports / concurrent audit reports, wherever available.</li> </ul> |



| क्र. सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मुख्य लेखापरीक्षा विषय पर प्रतिक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.       | <p><b>निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8):</b></p> <p>निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीद और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं।</p> <p>ये आरबीआई के परिपत्रों और निदेशों द्वारा अभिशासित होते हैं।</p> <p>आरबीआई के ये निदेश निवेशों के वर्गीकरण, निवेशों के मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, आय की गैर-मान्यता और उस पर प्रावधान से संबंधित हैं।</p> <p>उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे एफआईएमएमडीए दर, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दर, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/जानकारी का संग्रह शामिल है।</p> | <p><b>मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ:</b></p> <p>हमारी लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य निवेशों के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और निवेशों से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास पर ध्यान केंद्रित करना था।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हमने निवेश से संबंधित एनपीआई के वर्गीकरण, मूल्यांकन, पहचान और प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की मौजूदा प्रणाली को समझा और उसका मूल्यांकन किया।</li> <li>हमने इन निवेशों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया।</li> <li>हमारे पास मौजूद निवेशों के चयनित नमूने हेतु, हमने प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूतियों के लिए वर्गीकरण और मूल्यांकन को पुनः करके आरबीआई के मास्टर परिपत्र और निदेश के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया।</li> <li>हमने आरबीआई के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार बनाए जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए अंकगणितीय सटीकता, डेटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित पर्याप्त परीक्षण किए।</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| 3        | <p><b>वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ।</b></p> <p>बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएँ मुख्य रूप से आईटी प्रणालियों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि प्रतिदिन बड़ी संख्या में लेन-देन संसाधित किए जाते हैं; इसलिए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा विषय माना जाता है, जिसकी सटीकता और प्रभावशीलता मुख्य रूप से कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और अन्य संबंधित प्रणालियों पर निर्भर करती है।</p> <p>हमने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप निवेश, आय निर्धारण, आस्तियों के वर्गीकरण और अग्रिमों के विरुद्ध प्रावधानों से संबंधित लेन-देन के लिए; साथ ही विविध आस्तियों और विविध देनदारियों के अंतर्गत विभिन्न मदों के समाधान और अवधि निर्धारण, तथा ऐसे अन्य खातों के लिए सीबीएस और अन्य संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के निरंतर और सुचारू रूप से कार्य करने पर भरोसा किया है।</p>                | <p><b>मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ:</b></p> <p>हमने उन प्रमुख आईटी एप्लिकेशन्स, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मूल्यांकन किया जो हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और सीबीएस, वित्तीय विवरण रिपोर्टिंग पैकेज, कोष परिचालन आईआरएसी वर्गीकरण और सीआरएआर गणना के लिए उन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की पहचान की है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है।</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा पद्धति में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना शामिल था, जो इस प्रकार है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की।</li> <li>परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग और पहुंच नियंत्रण सहित बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की।</li> <li>आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और प्रमुख आईएस नियंत्रणों के अनुपालन पर निरीक्षण विभाग के साथ चर्चा की।</li> <li>आईटी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में अपनाई गई कारोबारी तर्क और प्रणाली तर्क की मैपिंग का परीक्षण किया गया।</li> <li>लेखापरीक्षा से संबंधित सिस्टम द्वारा जनरेट की गई रिपोर्टों के लिए प्रमुख स्वचालित और कारोबारी चक्र नियंत्रणों और तर्क का परीक्षण टेस्ट चेक के आधार पर किया गया।</li> </ul> |



| Sl. No. | Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Response to Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.      | <p><b>Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments (Schedule 8 of the financial statements):</b></p> <p>Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities.</p> <p>These are governed by the circulars and directions of the RBI.</p> <p>These directions of RBI cover the classification of investments, valuation of investments, identification of Non-Performing Investments, the corresponding non-recognition of income and provision thereon.</p> <p>The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies, etc.</p> | <p><b>Principal Audit Procedures:</b></p> <p>Our audit was focused on valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>We understood and evaluated the Bank's system in place to comply with the relevant RBI Guidelines regarding classification, valuation, identification of NPIs provision/depreciation related to investments.</li> <li>We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.</li> <li>For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing classification and valuation for each category of security.</li> <li>We carried out substantive tests including arithmetical accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI.</li> </ul>                                                                                         |
| 3       | <p><b>Key Information Technology (IT) systems used in financial reporting process.</b></p> <p>The Bank's operational and financial processes are predominantly dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence, considered as a key audit matter, correctness &amp; effectiveness of which are mainly dependent on the Core Banking Solution (CBS) and other allied systems.</p> <p>We have relied upon the consistent functioning of CBS &amp; other allied application software with respect to transactions in Investments, Income Recognition, Classification of Assets and provisioning against advances in conformity with the RBI guidelines, reconciliation &amp; ageing of various items under Sundry Assets and Sundry Liabilities along with such other accounts.</p>                                                                                                                                   | <p><b>Principal Audit Procedures:</b></p> <p>We conducted an assessment of key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified application software for CBS, Financial Statement Reporting Package, Treasury Operations, IRAC Classification and CRAR Calculation, which are primarily used for financial reporting.</p> <p>Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period.</li> <li>Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.</li> <li>Reviewed the IS Audit Reports and discussed with Inspection Wing on compliance with key IS Controls.</li> <li>Tested the mapping of business logic with system logic adopted in the IT application software.</li> <li>Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis.</li> </ul> |

| क्र. सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मुख्य लेखापरीक्षा विषय पर प्रतिक्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | <p><b>आस्थगित कर आस्ति (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 11)</b></p> <p>बैंक ने यथा 31 मार्च, 2026 तक ₹2,966.59 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्ति को मान्यता दी है। आस्थगित कर आस्ति का उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन, अभिज्ञान और मापन, आईसीएआई द्वारा जारी एएस-22 के अनुरूप, भविष्य में लाभों की उपलब्धता के संबंध में विशेषज्ञ मत, न्यायिक घोरणाओं और पूर्वोदाहरणों, प्रबंधन के निर्णयों और अनुमानों पर आधारित है। आस्थगित कर आस्ति को केवल उस सीमा तक तक आगे बढ़ाया गया है जहां यह उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्ति को प्राप्त किया जा सकता है।</p> | <p><b>मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ:</b></p> <p>हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा किया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आयकर प्राधिकरण (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस-22 - आय पर करों के लेखांकन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आस्थगित कर आस्तियों की पहचान और माप के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों की समीक्षा।</li> <li>विशेषज्ञों की राय, न्यायिक निर्णयों और पूर्व उदाहरणों के संदर्भ में, आस्थगित कर आस्तियों की प्राप्ति के संबंध में प्रबंधन के निर्णयों और अनुमानों की समीक्षा की गई।</li> <li>लाभ की उपलब्धता और निश्चितता की संभावना का मूल्यांकन किया गया जिनके विरुद्ध बैंक भविष्य में आस्थगित कर आस्ति को प्राप्त करने में सक्षम होगा।</li> </ul>                                                                                                                                        |
| 5        | <p><b>विभिन्न मुकदमे और आकस्मिक देयता</b></p> <p>करों और अन्य पक्षों द्वारा बैंक पर दायर किए गए विभिन्न दावों से संबंधित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।</p> <p>बैंक का आकलन विचाराधीन मामले के तथ्यों, उनके अपने विवेक, पूर्व अनुभव, स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह और जहां आवश्यक हो, कानूनी राय द्वारा समर्थित है।</p> <p>इसलिए, मुकदमेबाजी में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के लाभ और तुलन पत्र में परिलक्षित होने वाली उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।</p>                                                             | <p><b>मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ :</b></p> <p>हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा किया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>हमने लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ हासिल की ताकि हम ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार कर सकें जो परिस्थितियों में उचित हों।</li> <li>कर संबंधी विवादों सहित विभिन्न ऋण और गैर-ऋण संबंधी मुकदमों और संभावित देयताओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।</li> <li>विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त संदेशों की जांच की और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की।</li> <li>विषय-वस्तु के गुणों का मूल्यांकन पृष्ठभूमि के संदर्भ में किया गया और इस संबंध में विशेषज्ञ राय, कानूनी सलाह, न्यायिक निर्णयों और पूर्व उदाहरणों पर विश्वास किया गया।</li> <li>महत्वपूर्ण मुकदमेबाजी और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरणों का सत्यापन।</li> </ul> |

| Sl. No. | Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Response to Key Audit Matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | <p><b>Deferred Tax Asset (Schedule 11 of the financial statements)</b></p> <p>The Bank has recognized a net deferred tax asset of ₹2,966.59 Crores as on March 31, 2026. Objective estimation, recognition and measurement of Deferred Tax Asset are based on the expert opinion, judicial pronouncements and precedents, management judgements and estimates regarding the availability of profits in future in conformity with AS-22 issued by the ICAI. Deferred Tax Asset has been carried forward only to the extent there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets can be realized.</p> | <p><b>Principal Audit Procedures:</b></p> <p>We have performed the following procedures as part of our control testing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Review of the policies used for recognition and measurement of Deferred Tax Assets to ensure compliance with AS-22- Accounting for Taxes on Income issued by ICAI.</li> <li>• Reviewed the management judgement and estimates regarding the realisability of the Deferred Tax Assets, w.r.t. expert opinion, judicial pronouncements and precedents.</li> <li>• Assessed the probability of the availability and certainty of profits against which the Bank will be able to realise the Deferred Tax Asset in future.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| 5       | <p><b>Various Litigations &amp; Contingent Liability</b></p> <p>Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations in relation to taxes and various other claims filed by other parties upon Bank, not acknowledged as debts.</p> <p>The Bank's assessment is supported by facts of matter under consideration, their own judgement, past experience, advises from independent experts and legal opinion, wherever necessary.</p> <p>Therefore, unexpected adverse outcomes in the litigation may impact the Bank's profit and state of affairs as reflected in the balance sheet.</p>                                                                    | <p><b>Principal Audit Procedures:</b></p> <p>We have performed the following procedures as part of our control testing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obtained an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.</li> <li>• Reviewed the current status of the various credit and non-credit litigations and contingent liabilities, including tax related disputes.</li> <li>• Examined the communications received from various authorities and follow up actions thereon.</li> <li>• Evaluated the merits of the subject matter under consideration with reference to the background and relied on the expert opinion, legal advice, judicial pronouncements and precedents thereon.</li> <li>• Verification of disclosures related to significant litigations and taxation matters.</li> </ul> |

**समेकित वित्तीय विवरणियों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी:**

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस अन्य जानकारी में कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल है, जो हमें इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी होने के समय प्राप्त हुई थी। अन्य जानकारी में अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट (लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरणियों और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), प्रमुख वित्तीय संकेतक और शेयरधारकों की जानकारी शामिल है, जिसके हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय में अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण शामिल नहीं है, और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी यह है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो हम उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, यह विचार करें कि क्या वह अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा के दौरान हमें मिली जानकारी से काफी हद तक असंगत है, या अन्यथा उसमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि दिखती है।

यदि, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि से पूर्व प्राप्त अन्य जानकारी पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करनी होगी। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करनी है।

जब हम वह अन्य जानकारी पढ़ते हैं, जिसे हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद होती है, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की जानकारी अभिशासन का प्रभार संभालने वालों को देना और संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत लागू उचित कार्रवाई करना आवश्यक होता है।

**Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon:**

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises Corporate Governance report, which we obtained at the time of issuance of this Auditors' Report. The other information includes Directors' Report with annexures (but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditors' report thereon), Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after the date of our auditors' report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under Basel III Disclosure and we do not and will not express any form of assurance conclusion thereon.

Restricted In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information which is expected to be made available to us after the date of our auditors' report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to Those Charged with Governance and take appropriate action as applicable under the relevant laws and regulations.

## समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रभारी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व :

6. बैंक के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जिनमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार, समूह (जिसमें इसके सहयोगी भी शामिल हैं) की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं। बैंक, समूह में शामिल कंपनियों और उसके सहयोगियों के संबंधित निदेशक मंडल, संबंधित अधिनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं; साथ ही उचित लेखा नीतियों का चयन और उनका अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। ये रिकॉर्ड समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण गलत बयान से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण और जिनका उपयोग बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, समूह और उससे जुड़ी कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं; साथ ही, वे जहां लागू हो कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने और लेखांकन के कार्यशील संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, बशर्ते कि प्रबंधन का इरादा समूह को समाप्त करने या उसका परिचालन बंद करने का न हो, अथवा उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो।

## Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements:

6. The Bank's Board of Directors is responsible with the respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its Associates in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the Bank, Companies included in the Group and of its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Respective Acts and Regulations for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.



समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और उसके सहयोगियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates.

### समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व:

7. हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समेकित वित्तीय विवरणियाँ, समग्र रूप से, धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं, और अपनी राय के साथ एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह आश्वासन नहीं देता है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किये गये लेखापरीक्षण में यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो वे उसका पता लगा लेंगे। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं, और उन्हें 'महत्वपूर्ण' माना जाता है यदि, यह व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती हो कि वे इन अलग समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किये जाने वाले लेखा परीक्षण के अंतर्गत, हम पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर विवेक का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संवेदशीलता बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त, हम:

- a) समेकित वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण गलत बयान के जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार करना और उन्हें निष्पादित करना, तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के कारण होने वाली किसी महत्वपूर्ण गलत जानकारी का पता न चल पाने का जोखिम, गलती के कारण होने वाली गलत जानकारी के जोखिम से अधिक होता है; क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी, जान-बूझकर जानकारी छिपाना, गलत बयान, या आंतरिक नियंत्रणों की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- b) लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ विकसित करें, ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हों।
- c) प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की औचित्यता का मूल्यांकन करें।

### Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements:

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- a) Identify and assess the risk of material misstatement of the Consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- b) Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- c) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.



- d) प्रबंधन द्वारा लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें; और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, यह निर्धारित करें कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई 'महत्वपूर्ण अनिश्चितता' मौजूद है, जो एक कार्यशील संस्था के रूप में बैंक के निरंतर बने रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न कर सकती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणियों में दिए गए संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा; अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक एक कार्यशील संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकता है।
- e) समेकित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करें; और यह देखें कि क्या समेकित वित्तीय विवरणी, अंतर्निहित लेन-देनों और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जिससे एक निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त हो सके।
- f) समूह के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें, ताकि समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त की जा सके। हम उन संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है और जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है, वे अन्य लेखापरीक्षक अपने द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार बने रहते हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों का वह परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इस बात की संभावना बनाता है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

- d) Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates to cease to continue as a going concern.
- e) Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- f) Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative

हम अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ, अन्य बातों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय-सीमा, तथा लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के संबंध में संवाद करते हैं, जिनमें आंतरिक नियंत्रणों में पाई गई कोई भी गंभीर कमी शामिल है, जिसे हमने अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचाना हो।

हम अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ यह विवरण भी प्रदान करते हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है; साथ ही, हम उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को साझा करते हैं, जिनके बारे में यह यथोचित रूप से माना जा सकता है कि वे हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं और जहाँ लागू हो, वहाँ उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों की जानकारी भी देते हैं।

अभिशासन के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ साझा किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे, और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन विषयों का विवरण अपनी लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट में देते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकते न हों, या जब, अत्यंत दुर्लभ मामलों में, हम निर्धारित करते हैं कि किसी विषय को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद होगी।

#### अन्य मामले:

8. (i) समेकित वित्तीय विवरणों में, निम्नलिखित के संबंध में, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है:
  - a) छह (06) अनुषंगी कंपनियाँ, जिनके वित्तीय विवरण यथा 31 मार्च 2026 तक कुल ₹492.35 करोड़ की आस्ति, ₹234.04 करोड़ का कुल राजस्व, और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹30.95 करोड़ का कर के बाद निवल लाभ दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है।
  - b) चालू वर्ष के दौरान, केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो यथा 30 सितंबर 2025 तक समूह की अनुषंगी

materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

#### Other Matter:

8. (i) The consolidated financial statements include audited financial statements and other financial information, in respect of:
  - a) Six (06) subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹492.35 Crores as of 31<sup>st</sup> March 2026, total revenues of ₹234.04 Crores, and total Net Profit After Tax of ₹30.95 Crores for the year ended 31<sup>st</sup> March 2026 respectively as considered in the Consolidated financial statement.
  - b) During the current year, Canara Robeco Asset Management Company Limited and Canara HSBC Life Insurance Company Limited,

कंपनियां थीं, इक्विटी शेयरों के विनिवेश के कारण उसके बाद सहयोगी कंपनियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर दी गई हैं। केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में समूह की हिस्सेदारी 51% से घटकर 38% हो गई है, और केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में भी यह हिस्सेदारी 51% से घटकर 36.50% हो गई है। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर के बाद निवल लाभ में समूह का हिस्सा ₹124.75 करोड़ भी शामिल है।

- c) एक (01) सहयोगी, जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए ₹325.62 करोड़ का कर के बाद निवल लाभ दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में माना गया है।

इन संस्थाओं के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा इनका लेखापरीक्षण किया गया है और इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन संस्थाओं से संबंधित राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है और हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं उपरोक्त पैराग्राफ में वर्णित हैं।

(ii) समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी भी शामिल है:

- a) एक (01) अनुषंगी कंपनी, जिसकी कुल आस्ति यथा 31 मार्च 2026 तक ₹13.86 करोड़ है, और राजस्व में ₹2.64 करोड़ की कमी और 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद निवल हानि ₹(9.12) करोड़ रुपये है।
- b) दो (02) सहयोगी, जिनमें 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद निवल लाभ में समूह का हिस्सा ₹287.48 करोड़ रुपये शामिल है।

ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित और हमें उपलब्ध कराए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों और संबद्ध कंपनियों से संबंधित राशियों और प्रकटीकरण का संबंध है, और हमारी रिपोर्ट, जहां तक उपरोक्त सहायक

which were subsidiaries of the Group up to 30<sup>th</sup> September 2025, have been reclassified as associates thereafter due to divestment of equity shares. The Group's shareholding in Canara Robeco Asset Management Company Limited has reduced from 51% to 38%, and in Canara HSBC Life Insurance Company Limited from 51% to 36.50%. The Consolidated financial statement also include the Group's share of net profit after tax of ₹124.75 Crores for year ended 31<sup>st</sup> March 2026.

- c) One (01) associate whose financial statement reflects Net Profit after Tax of ₹325.62 Crores for the year ended 31<sup>st</sup> March 2026 as considered in the Consolidated financial statement.

Their respective independent Auditors have audited the same and these independent auditors' reports on financial statements of these entities have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these entities, is based solely on the report of such auditors and the procedures performed by us are as stated in paragraph above.

(ii) The consolidated financial statements also include the unaudited financial statements and other financial information, in respect of:

- a) One (01) subsidiary reflecting total assets of ₹13.86 Crores as of 31<sup>st</sup> March 2026, and ₹(2.64) Crores erosion in revenue and Net Loss after Tax of ₹(9.12) Crores for the year ended 31<sup>st</sup> March 2026.
- b) Two (02) associates, which include Group's share in net profit after tax of ₹287.48 Crores for the year ended 31<sup>st</sup> March 2026.

These financial statements are unaudited and have been certified and furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary, and associates and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, and associates, is based solely on such

कंपनियों और संबद्ध कंपनियों का संबंध है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

9. सहायक कंपनी केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के 'महत्वपूर्ण विषय' पैरा के तहत बताया है कि आमतौर पर कंपनी वेंचर कैपिटल फंड द्वारा जारी फॉर्म सं.64 के आधार पर निवेश से उपचित आय के संबंध में आय विवरण दर्ज करती है। यद्यपि कंपनी अपने लेखा-बही में वेंचर कैपिटल फंड से प्राप्त उपचित आय को दर्ज नहीं करती है, जैसा कि लेखा संबंधी टिप्पणियों के नोट संख्या 2(सी) में उल्लेख किया गया है, फिर भी कंपनी इसे अपने आयकर रिटर्न में घोषित करती है और इस पर कर का भुगतान करती है। इस संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

10. केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो एक सहायक कम्पनी है के लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के 'मेटिरियल अनसर्टेनली रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न' पैरा के तहत रिपोर्ट दी है कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों को निरंतर संचालन (गोइंग कंसर्न) आधार पर तैयार किया था, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिक एनबीएफसी गतिविधियाँ नहीं कर रही है और साथ ही कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों का निपटान करने की कोशिश कर रही है। लेखापरीक्षक ने आगे बताया कि वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, प्रबंधन ने नकदी अनुमान के आधार पर अपनी कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता का आकलन किया है। प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास अपने कार्यों को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी होगी, और प्रबंधन का मानना है कि कंपनी की निरंतर चलने की क्षमता पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है। प्रबंधन इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि कंपनी के पास अपने परिचालन के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी होगी, और प्रबंधन का मानना है कि

unaudited financial statements / financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

9. The auditors of Canbank Venture Capital Fund Limited, a subsidiary, have reported under 'Emphasis of Matter' para of their Audit Report that, as a matter of practice the company files Return of Income in respect of accrued income from investment based on Form No. 64 issued by the venture capital funds. Although the company does not recognize the accrued income from venture capital funds in the books of accounts as brought out in Note No. 2(c) of notes to accounts, the company is declaring the same in their Return of Income and paying taxes thereon. Our opinion is not modified in respect of this matter.

10. The auditors of Canbank Financial Services Limited, a subsidiary, have reported under 'Material uncertainty relating to Going Concern' para of their Audit Report that the Company had prepared its financial statements on a going concern basis notwithstanding the fact that the Company is not carrying out the primary NBFC activities stipulated by RBI and the Company is also trying to dispose-off its financial assets. The Auditor further reported that in the preparation of the financial statements, the management has made an assessment on its working capital sufficiency with the support of a cash projection. The management has concluded that the Company shall have sufficient working capital to finance their operations, and the management believes that no material uncertainty exists over the ability of the Company to continue on a going concern basis. Accordingly, the financial statements do not include any adjustments relating



कंपनी की निरंतर चलने की क्षमता पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में दर्ज परिसंपत्ति राशियों की वसूली और वर्गीकरण से संबंधित, अथवा देनदारियों की राशियों और वर्गीकरण से संबंधित कोई भी समायोजन शामिल नहीं है; ऐसे समायोजन तब आवश्यक हो सकते हैं, यदि कंपनी एक चालू इकाई के रूप में कार्य जारी रखने में असमर्थ हो जाती है। लेखा परीक्षक ने इस मामले के संबंध में अपनी राय में कोई संशोधन नहीं किया था। इस संबंध में हमारी राय में भी कोई संशोधन नहीं किया गया है।

## अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

11. बैंक का समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ और हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।
12. उपरोक्त पैराग्राफ में बताई गई लेखा-परीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के धारा 30 की उप-धारा (3) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं:
  - a) हमने वह समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया गया है;
  - b) बैंक के लेन-देन, जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत रहे हैं;
  - c) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाया गया है; और
  - d) समेकित लाभ व हानि बही उस अवधि के अंत में हुए लाभ का वास्तविक बही खाता दर्शाता है।

## 13. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- a) हमारी राय में, विधिक द्वारा अपेक्षित बही खाता का उचित रखरखाव समूह द्वारा किया गया है, जैसा कि उन बही खाता की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- b) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ-हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, बही खाता तथा उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों से मेल खाते हैं, जिनका दौरा नहीं किया गया है;

to the recoverability and classification of recorded asset amounts or to the amounts and classification of liabilities that may be necessary if the Company is unable to continue as a going concern. The Auditor had not modified his opinion in respect of the matter. Our opinion is not modified in this regard.

## Report on Other Legal and Regulatory Requirements

11. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
12. Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Sub-section (3) of Section 30 of the Banking Regulation Act, 1949 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
  - b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;
  - c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit; and
  - d) The consolidated profit and loss account shows a true balance of profit for the year then ended.

## 13. We further report that

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Group so far as it appears from our examination of those books;
- b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited;

- c) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उन पर उचित कार्रवाई की है; और
- d) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ-हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, बशर्ते कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत न हों।

- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the aforesaid consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash flow statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

कृते के.वेंकटचलम अय्यर  
एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 004610S

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 108846W

For K VENKATACHALAM AIYER  
& CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 004610S

For RODI DABIR & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 108846W

(ए गोपालकृष्णन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 018159  
यूडीआईएन: 26018159LOGAJC7346

(दबीर सुधीर दिवाकरराव)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 039984  
यूडीआईएन: 26039984DUMLRK1940

(A. GOPALAKRISHNAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 018159  
UDIN: 26018159LOGAJC7346

(DABIR SUDHIR DIWAKARRAO)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 039984  
UDIN: 26039984DUMLRK1940

कृते अबर्ना एंड अनंतन  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 000003S

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 001537C

For ABARNA & ANANTHAN  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 000003S

For S R GOYAL & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 001537C

(ललिता रामेश्वरन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 207867  
यूडीआईएन: 26207867WHBANR6460

(अनिल गोयल)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 071158  
यूडीआईएन: 26071158GMUSHM5855

(LALITHA RAMESWARAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 207867  
UDIN: 26207867WHBANR6460

(ANIL GOYAL)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 071158  
UDIN: 26071158GMUSHM5855

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 303002E

(चंद्र भूषण डे)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 053126  
यूडीआईएन: 26053126CYAXIG9622

For M C BHANDARI & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 303002E

(CHANDRA BHUSAN DEY)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 053126  
UDIN: 26053126CYAXIG9622

हस्ताक्षर का स्थान : बेंगलूरु  
रिपोर्ट की तिथि : 11.05.2026

Place of Signature : Bengaluru  
Date of Report : 11.05.2026



## असंशोधित अभिमत के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

## DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

हम एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में एक असंशोधित अभिमत शामिल है।

We hereby declare that Auditors' Report on Consolidated Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March, 2026 contains unmodified opinion.

अमित मिश्र  
महाप्रबंधक एवं  
समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरदीप सिंह अहलूवालिया  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी (प्रभारी)  
एवं कार्यपालक निदेशक

AMIT MITTAL  
GENERAL MANAGER  
& GCFO

HARDEEP SINGH AHLUWALIA  
MANAGING DIRECTOR &  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (I/C)  
& EXECUTIVE DIRECTOR

कृते के.वेंकटचलम अय्यर  
एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 004610S

(ए गोपालकृष्णन)  
साझेदार  
सदस्यता सं: 018159

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 108846W

(दबीर सुधीर दिवाकरराव)  
साझेदार  
सदस्यता सं: 039984

Restricted

For K VENKATACHALAM AIYER  
& CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 004610S

(A. GOPALAKRISHNAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 018159

For RODI DABIR & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 108846W

(DABIR SUDHIR DIWAKARRAO)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 039984

कृते अबर्ना एंड अनंतन  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 000003S

(ललिता रामेश्वरन)  
साझेदार  
सदस्यता सं: 207867

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 001537C

(अनिल गोयल)  
साझेदार  
सदस्यता सं: 071158

For ABARNA & ANANTHAN  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 000003S

(LALITHA RAMESWARAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 207867

For S R GOYAL & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 001537C

(ANIL GOYAL)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 071158

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 303002E

(चंद्र भूषण डे)  
साझेदार  
सदस्यता सं: 053126

For M C BHANDARI & CO  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN : 303002E

(CHANDRA BHUSAN DEY)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 053126

हस्ताक्षर का स्थान : बेंगलूरु  
रिपोर्ट की तिथि : 11.05.2026

Place of Signature : Bengaluru  
Date of Report : 11.05.2026

सेवा में,

निदेशक मंडल

केनरा बैंक

प्रधान कार्यालय: बेंगलूरु

विषय: सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का विनियमन 17(8)

बोर्ड को यह प्रमाणित किया जाता है कि;

a) हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और यह कि हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणियों में कोई तात्त्विक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है, या किसी भी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।

(ii) ये विवरणियां बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।

b) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन करता है।

c) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की संरचना या परिचालन में कमियां, यदि कोई है, का प्रकटन किया है, जो हमें ज्ञात है और उन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।

d) हमने लेखा परीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है :

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors

Canara Bank

HO: Bengaluru

SUB: CEO / CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

a) We have reviewed Consolidated financial statements and the cash flow statement for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2026 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

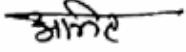
d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee:

(i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

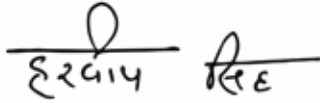
(ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, यदि कोई हो, जिनके बारे में अवगत हुए हैं, इसमें शामिल है।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.



अमित मिश्र  
महाप्रबंधक एवं  
जीसीएफओ



हरदीप सिंह अहलूवालिया  
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी  
अधिकारी (प्रभारी)  
एवं कार्यपालक निदेशक



AMIT MITTAL  
GENERAL MANAGER  
& GCFO



HARDEEP SINGH AHLUWALIA  
MANAGING DIRECTOR  
& CEO (I/C)  
& EXECUTIVE DIRECTOR

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 11.05.2026

Place : Bengaluru  
Date : 11.05.2026

Restricted

यथा 31.03.2026 तक समेकित तुलन पत्र  
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

| विवरण / Particulars                                                                                | अनुसूची संख्या<br>Schedule No. | 31.03.2026<br>(₹ '000) | 31.03.2025<br>(₹ '000) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>पूंजी और देनदारियां / CAPITAL AND LIABILITIES</b>                                               |                                |                        |                        |
| पूंजी / CAPITAL                                                                                    | 1                              | 1814 13 03             | 1814 13 03             |
| आरक्षित और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS                                                           | 2                              | 115890 51 25           | 103602 62 98           |
| अल्पांश ब्याज / MINORITY INTEREST                                                                  | 2A                             | 72 91 10               | 1189 79 53             |
| जमा / DEPOSITS                                                                                     | 3                              | 1568333 39 97          | 1456495 03 14          |
| उधारी / BORROWINGS                                                                                 | 4                              | 155287 67 97           | 89665 11 81            |
| अन्य दायित्व और प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS                                        | 5                              | 45926 48 47            | 79760 68 01            |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                 |                                | <b>1887325 11 79</b>   | <b>1732527 38 50</b>   |
| <b>आस्तियां / ASSETS</b>                                                                           |                                |                        |                        |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष<br>CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA                | 6                              | 54053 89 79            | 90047 67 70            |
| बैंक में शेष और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर पैसा<br>BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE | 7                              | 152276 53 25           | 115842 43 48           |
| निवेश / INVESTMENTS                                                                                | 8                              | 407388 92 87           | 428024 47 94           |
| अग्रिम / ADVANCES                                                                                  | 9                              | 1220017 72 58          | 1049332 05 57          |
| अचल आस्तियां / FIXED ASSETS                                                                        | 10                             | 10595 20 56            | 10301 58 52            |
| अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS                                                                       | 11                             | 42992 82 74            | 38979 15 29            |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                 |                                | <b>1887325 11 79</b>   | <b>1732527 38 50</b>   |
| आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES                                                           | 12                             | 575430 96 16           | 38034 80 16            |
| संग्रह के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION                                                           |                                | 29504 24 45            | 27020 09 32            |

चिराग कुमार आर अमीन  
मंडल प्रबंधक

शेख मोहम्मद वसीम  
सहायक महाप्रबंधक

दीपक कुमार जेना  
सहायक महाप्रबंधक

आर महेंद्रन  
सहायक महाप्रबंधक

अमित मित्तल  
महाप्रबंधक एवं जीसीएफओ

सुनील कुमार चुध  
कार्यपालक निदेशक

एस के मजूमदार  
कार्यपालक निदेशक

भवेंद्र कुमार  
कार्यपालक निदेशक

हरदीप सिंह अहलवालिया  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) एवं कार्यपालक निदेशक

प्रशांत कुमार गोयल  
निदेशक

रोहित पी. दास  
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी  
निदेशक

गुंजीत सिंह पन्नू  
निदेशक

बालकृष्ण राघवेंद्र राव  
निदेशक

हमारी यथा तिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते के वेंकटचलम अय्यर  
एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 004610S  
(ए गोपालकृष्णन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 018159

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 108846W  
(दबीर सुधीर दिवाकराव)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 039984

कृते अबर्ना एंड अनंतन  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 000003S  
(ललिता रामेश्वरन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 207867

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 001537C  
(अनिल गोयल)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 071158

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 303002E  
(चंद्र भूषण डे)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 053126

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 11.05.2026

## यथा 31.03.2026 को समाप्त अवधि के लिए समेकित लाभ और हानि खाता CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2026

| विवरण / Particulars                                                                                                                      | अनुसूची संख्या<br>Schedule No. | 31.03.2026<br>(₹ '000) | 31.03.2025<br>(₹ '000) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. आय / INCOME</b>                                                                                                                    |                                |                        |                        |
| अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED                                                                                                           | 13                             | 126371 19 93           | 121601 11 36           |
| अन्य आय / OTHER INCOME                                                                                                                   | 14                             | 26712 02 21            | 31056 77 42            |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                       |                                | <b>153083 22 14</b>    | <b>152657 88 78</b>    |
| <b>II. व्यय / EXPENDITURE</b>                                                                                                            |                                |                        |                        |
| व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED                                                                                                  | 15                             | 89137 51 58            | 82680 67 53            |
| परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES                                                                                                        | 16                             | 31141 86 59            | 38188 55 56            |
| प्रावधान और आकस्मिकताएँ<br>PROVISIONS AND CONTINGENCIES                                                                                  |                                | 13852 61 05            | 14452 66 74            |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                       |                                | <b>134131 99 23</b>    | <b>135321 89 83</b>    |
| अनुषंगी संस्थाओं से आय का हिस्सा<br>SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES                                                                      | 17                             | 760 36 51              | 355 91 02              |
| समेकित वार्षिक निवल लाभ अल्पांश ब्याज को घटाने से पूर्व<br>CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR<br>BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST |                                | 19711 59 42            | 17691 89 96            |
| घटाएँ: अल्पांश ब्याज (निवल हानि)<br>LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)                                                                   |                                | 5 68 47                | 152 27 55              |
| समेकित लाभ असाधारण मद (एपीजीबी के निपटान पर हानि)<br>CONSOLIDATED PROFIT FOR THE<br>EXCEPTIONAL ITEM (LOSS ON DISPOSAL OF APGB)          |                                | (1833 03 46)           |                        |
| समूह को प्राप्त वर्ष का समेकित लाभ<br>CONSOLIDATED PROFIT FOR THE<br>YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP                                      |                                | 17872 87 49            | 17539 62 41            |
| <b>III. विनियोग / APPROPRIATIONS</b>                                                                                                     |                                |                        |                        |
| को हस्तांतरण / TRANSFERS TO                                                                                                              |                                |                        |                        |
| वैधानिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE                                                                                                 |                                | 4796 66 78             | 4256 66 78             |

|                                                                 |    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| पूंजी आरक्षित / CAPITAL RESERVE                                 |    | 1682 59 30         | 478 79 42          |
| निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि<br>INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE |    | 309 97 18          | 293 58 83          |
| विशेष आरक्षित / SPECIAL RESERVE                                 |    | 1000 00 00         | 1000 00 00         |
| प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND                           |    | 3809 67 35         | 3628 26 05         |
| राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में<br>BALANCE CARRIED OVER TO   |    | 6273 96 88         | 7882 31 33         |
| स्थानांतरित शेष राशि<br>REVENUE AND OTHER RESERVES              |    |                    |                    |
| <b>कुल / Total</b>                                              |    | <b>17872 87 49</b> | <b>17539 62 41</b> |
| लेखांकन नीतियाँ<br>ACCOUNTING POLICIES                          | 18 |                    |                    |
| लेखा-जोखा पर टिप्पणियाँ<br>NOTES ON ACCOUNTS                    | 19 |                    |                    |
| प्रति शेयर आय<br>EARNINGS PER SHARE                             |    | 21.73              | 19.34              |

Restricted

CHIRAGKUMAR R AMIN  
DIVISIONAL MANAGER

SHEIKH MOHD. WASEEM  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

R MAHENDRAN  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

AMIT MITTAL  
GENERAL MANAGER & GCFO

SUNIL KUMAR CHUGH  
EXECUTIVE DIRECTOR

S K MAJUMDAR  
EXECUTIVE DIRECTOR

BHAVENDRA KUMAR  
EXECUTIVE DIRECTOR

MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER (I/C) AND EXECUTIVE DIRECTOR

PARSHANT KUMAR GOYAL  
DIRECTOR

ROHIT P. DAS  
DIRECTOR

ABHA SINGH YADUVANSHI  
DIRECTOR

GUNJEET SINGH PANNU  
DIRECTOR

BALAKRISHNA RAGHAVENDRA RAO  
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For K VENKATACHALAM  
AIYER & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 0046105

For RODI DABIR & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 108846W

For ABARNA & ANANTHAN  
Chartered Accountants  
FRN : 0000035

For S R GOYAL & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 001537C

For M C BHANDARI & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 303002E

(A GOPALAKRISHNAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 018159

(DABIR SUDHIR  
DIWAKARRAO)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 039984

(LALITHA RAMESWARAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 207867

(ANIL GOYAL)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 071158

(CHANDRA BHUSAN DEY)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 053126

Place : Bengaluru  
Date : 11.05.2026



## यथा 31.03.2026 को समेकित तुलन पत्र का हस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                                                                                                   | यथा 31.03.2026<br>तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2026<br>(₹ '000) | यथा 31.03.2025<br>तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2025<br>(₹ '000) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL</b>                                                                                                                                                   |                                                               |                                                               |
| I. अधिकृत पूंजी / Authorised Capital<br>(₹ 2/- प्रति शेयर के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर)<br>(1500,00,00,000 Equity Shares of ₹ 2/- each)                                                         | 3000 00 00                                                    | 3000 00 00                                                    |
| II. निर्गमित, अभिदत्त, प्रदत्त: / Issued, Subscribed and Paid-up:                                                                                                                                 |                                                               |                                                               |
| i) ₹ 2/- प्रति इक्विटी शेयर के 570,85,48,390 पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा धारित<br>i) 570,85,48,390 Equity Shares of ₹ 2/- each held by Central Government                                      | 1141 70 97                                                    | 1141 70 97                                                    |
| ii) ₹ 2/- प्रति इक्विटी शेयर के 336,21,02,870<br>ii) 336,21,02,870 Equity Shares of ₹ 2/- each                                                                                                    | 672 42 06                                                     | 672 42 06                                                     |
| iii) शेयर आवेदन राशि - आवंटन के लिए लंबित<br>iii) Share application Money - Pending for Allotment                                                                                                 |                                                               |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>1814 13 03</b>                                             | <b>1814 13 03</b>                                             |
| <b>अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS</b>                                                                                                                 |                                                               |                                                               |
| I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves                                                                                                                                                     | 28522 43 53                                                   | 23725 46 21                                                   |
| II. पूंजी आरक्षित निधि / Capital Reserves                                                                                                                                                         | 7121 45 30                                                    | 5438 86 00                                                    |
| III. समेकन पर पूंजी आरक्षित निधि / Capital Reserves on Consolidation                                                                                                                              | 2 79 18                                                       | 2 79 19                                                       |
| IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium                                                                                                                                                                 | 13919 00 82                                                   | 13983 84 71                                                   |
| V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि / Foreign Currency Translation Reserve                                                                                                                     | 107 52 77                                                     | 2 16 80                                                       |
| VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve                                                                                                                                             | 6423 93 87                                                    | 6449 83 54                                                    |
| निवेश आरक्षित निधि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार विशेष<br>VII. आरक्षित निधि / Investment Reserve Special Reserve in terms of Section<br>36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 | 10386 46 92                                                   | 9386 46 92                                                    |
| VIII. राजस्व व अन्य आरक्षित निधि / Revenue and Other Reserves                                                                                                                                     | 51038 38 74                                                   | 44208 85 86                                                   |
| एफएस आरक्षित निधि / AFS Reserve                                                                                                                                                                   | -1631 49 89                                                   | 404 33 75                                                     |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                | <b>115890 51 25</b>                                           | <b>103602 62 98</b>                                           |
| <b>अनुसूची 2A - अल्पांश ब्याज / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST</b>                                                                                                                             |                                                               |                                                               |
| मूल-अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तिथि पर अल्पांश ब्याज<br>I. Minority Interest at the date on which the<br>Parent-Subsidiary relationship came into existence                                    | 7 25 11                                                       | 110 15 12                                                     |
| II. अनुवर्ती वृद्धि / (कमी) / Subsequent Increase / (Decrease)                                                                                                                                    | 65 65 99                                                      | 1079 64 41                                                    |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                                                                | <b>72 91 10</b>                                               | <b>1189 79 53</b>                                             |

यथा 31.03.2026 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ  
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                        | यथा 31.03.2026<br>तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2026<br>(₹ '000) | यथा 31.03.2025<br>तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2025<br>(₹ '000) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS</b>                                                                         |                                                               |                                                               |
| <b>ए. A. I. मांग जमा / DEMAND DEPOSITS</b>                                                                             |                                                               |                                                               |
| i. बैंक से / FROM BANKS                                                                                                | 23 29 04                                                      | 1 79 02                                                       |
| ii. अन्य से / FROM OTHERS                                                                                              | 61992 91 22                                                   | 77525 01 36                                                   |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                     | <b>62016 20 26</b>                                            | <b>77526 80 38</b>                                            |
| <b>II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS</b>                                                                        | 366582 48 53                                                  | 337135 41 70                                                  |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                     | <b>366582 48 53</b>                                           | <b>337135 41 70</b>                                           |
| <b>III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS</b>                                                                                 |                                                               |                                                               |
| i. बैंक से / FROM BANKS                                                                                                | 130449 96 15                                                  | 125150 95 40                                                  |
| ii. अन्य से / FROM OTHERS                                                                                              | 1009284 75 03                                                 | 916681 85 66                                                  |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                     | <b>1139734 71 17</b>                                          | <b>1041832 81 06</b>                                          |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                     | <b>1568333 39 97</b>                                          | <b>1456495 03 14</b>                                          |
| <b>बी. B. शाखाओं की जमा राशि / DEPOSITS OF BRANCHES</b>                                                                |                                                               |                                                               |
| i. भारत में / IN INDIA                                                                                                 | 1436559 91 13                                                 | 1331137 04 07                                                 |
| ii. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA                                                                                       | 131773 48 84                                                  | 125357 99 07                                                  |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                     | <b>1568333 39 97</b>                                          | <b>1456495 03 14</b>                                          |
| <b>अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS</b>                                                                      |                                                               |                                                               |
| <b>I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA</b>                                                                          |                                                               |                                                               |
| i. भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA                                                                         | 38000 00 00                                                   | 9000 00 00                                                    |
| ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS                                                                                            | 26072 87 85                                                   | 1329 78 57                                                    |
| iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES                                                     | 13863 28 03                                                   | 19463 00 79                                                   |
| iv. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS<br>(आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT) | 54403 00 00                                                   | 52989 10 00                                                   |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                     | <b>132339 15 87</b>                                           | <b>82781 89 36</b>                                            |
| <b>II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA</b>                                                                |                                                               |                                                               |
| i. अन्य बैंक / OTHER BANKS                                                                                             | 20103 47 09                                                   | 4318 97 45                                                    |
| ii. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS<br>(गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)                        | 2845 05 00                                                    | 2564 25 00                                                    |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                     | <b>22948 52 09</b>                                            | <b>6883 22 45</b>                                             |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                     | <b>155287 67 97</b>                                           | <b>89665 11 81</b>                                            |

**यथा 31.03.2026 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026**

|                                                                                                                                                         | यथा 31.03.2026<br>तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2026<br>(₹ '000) | यथा 31.03.2025<br>तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2025<br>(₹ '000) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान</b><br><b>SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES &amp; PROVISIONS</b>                                                   |                                                               |                                                               |
| I. देय बिल / BILLS PAYABLE                                                                                                                              | 3219 98 29                                                    | 2572 54 13                                                    |
| II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER-OFFICE ADJUSTMENT (NET)                                                                                        |                                                               |                                                               |
| III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED                                                                                                                     | 9632 39 43                                                    | 9223 21 42                                                    |
| IV. आस्थगित कर देयता / DEFERRED TAX LIABILITY                                                                                                           |                                                               |                                                               |
| V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)                                                                                                 | 33074 10 76                                                   | 67964 92 46                                                   |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                      | <b>45926 48 47</b>                                            | <b>79760 68 01</b>                                            |
| <b>अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष</b><br><b>SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA</b>                               |                                                               |                                                               |
| I. नकद - शेष / CASH IN HAND<br>(विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (Including Foreign Currency Notes)                                                            | 3291 45 52                                                    | 3210 23 94                                                    |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA                                                                                   |                                                               |                                                               |
| चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNT                                                                                                                     | 50762 44 27                                                   | 86837 43 76                                                   |
| अन्य खातों में / IN OTHER ACCOUNTS                                                                                                                      |                                                               |                                                               |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                      | <b>50762 44 27</b>                                            | <b>86837 43 76</b>                                            |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                                      | <b>54053 89 79</b>                                            | <b>90047 67 70</b>                                            |
| <b>अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि</b><br><b>SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE</b> |                                                               |                                                               |
| I. भारत में / IN INDIA                                                                                                                                  |                                                               |                                                               |
| i. बैंकों में शेष राशि / BALANCE WITH BANKS                                                                                                             |                                                               |                                                               |
| क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS                                                                                                              | 4945 16 42                                                    | 6173 15 52                                                    |
| ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS                                                                                                    | 20 96 90                                                      | -9 70 71                                                      |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                      | <b>4966 13 32</b>                                             | <b>6163 44 81</b>                                             |
| ii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि<br>MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE                                                                               |                                                               |                                                               |
| क. बैंक में / a. WITH BANKS                                                                                                                             | 22043 69 87                                                   | 29616 44 61                                                   |
| ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS                                                                                                       | 853 51 50                                                     | 3290 78 74                                                    |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                      | <b>22897 21 37</b>                                            | <b>32907 23 35</b>                                            |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                                      | <b>27863 34 69</b>                                            | <b>39070 68 15</b>                                            |
| II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA                                                                                                                        |                                                               |                                                               |
| i. चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNTS                                                                                                                 | 45568 45 41                                                   | 40971 19 37                                                   |
| ii. जमा खातों में / IN DEPOSIT ACCOUNTS                                                                                                                 | 62333 95 18                                                   | 24133 22 21                                                   |
| iii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि<br>MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE                                                                              | 16510 77 97                                                   | 11667 33 75                                                   |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                                      | <b>124413 18 56</b>                                           | <b>76771 75 33</b>                                            |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                                      | <b>152276 53 25</b>                                           | <b>115842 43 48</b>                                           |

यथा 31.03.2026 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ  
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                            | यथा 31.03.2026<br>तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2026<br>(₹ '000) | यथा 31.03.2025<br>तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2025<br>(₹ '000) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS</b>                                                        |                                                               |                                                               |
| I. भारत में निवेश : सकल<br>INVESTMENTS IN INDIA : GROSS                                                    | 405234 97 37                                                  | 427230 40 76                                                  |
| घटाएँ: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान<br>LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI                       | 2131 57 24                                                    | 2486 65 59                                                    |
| <b>भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA</b>                                                       | <b>403103 40 13</b>                                           | <b>424743 75 17</b>                                           |
| i. सरकारी प्रतिभूतियाँ<br>GOVERNMENT SECURITIES                                                            | 360445 13 21                                                  | 358892 03 00                                                  |
| ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ<br>OTHER APPROVED SECURITIES                                                | 103 61 20                                                     | 7808 43 78                                                    |
| iii. शेयर<br>SHARES                                                                                        | 4813 22 20                                                    | 17857 36 85                                                   |
| iv. डिबेंचर व बॉण्ड<br>DEBENTURES AND BONDS                                                                | 11486 48 02                                                   | 19877 19 40                                                   |
| v. सहभागियों में निवेश<br>INVESTMENTS IN ASSOCIATES                                                        | 5335 56 90                                                    | 5693 86 29                                                    |
| vi. अन्य (म्यूचुअल फंड, वीसीएफ, सीडी, सीपी, इत्यादि)<br>OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP, ETC.)                   | 20919 38 62                                                   | 14614 85 85                                                   |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                         | <b>403103 40 13</b>                                           | <b>424743 75 17</b>                                           |
| II. भारत के बाहर निवेश - सकल<br>INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS                                          | 4285 52 74                                                    | 3280 72 78                                                    |
| घटाएँ: मूल्यहास के लिए प्रावधान<br>LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION                                       |                                                               |                                                               |
| <b>भारत के बाहर निवल निवेश<br/>NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA</b>                                           | <b>4285 52 74</b>                                             | <b>3280 72 78</b>                                             |
| i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES<br>(स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES) | 197 88 93                                                     | 153 39 06                                                     |
| ii. अन्य<br>OTHERS                                                                                         | 4087 63 81                                                    | 3127 33 72                                                    |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                         | <b>4285 52 74</b>                                             | <b>3280 72 78</b>                                             |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                         | <b>407388 92 87</b>                                           | <b>428024 47 94</b>                                           |

## यथा 31.03.2026 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                 | यथा 31.03.2026<br>तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2026<br>(₹ '000) | यथा 31.03.2025<br>तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2025<br>(₹ '000) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES</b>                                                               |                                                               |                                                               |
| <b>A.</b>                                                                                                       |                                                               |                                                               |
| i. खरीदे गए तथा भुनाए गए बिल<br>BILLS PURCHASED & DISCOUNTED                                                    | 19004 67 19                                                   | 19330 34 22                                                   |
| ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट, एवं मांग पर ऋण की चुकौती<br>CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND | 563649 48 65                                                  | 446748 63 28                                                  |
| iii. मीयादी ऋण / TERM LOANS                                                                                     | 637363 56 74                                                  | 583253 08 08                                                  |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                              | <b>1220017 72 58</b>                                          | <b>1049332 05 58</b>                                          |
| <b>B.</b>                                                                                                       |                                                               |                                                               |
| i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS<br>(बही ऋणों सहित / INCLUDING BOOK DEBTS)        | 952767 03 69                                                  | 774885 12 85                                                  |
| ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित<br>COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES                               | 58836 28 38                                                   | 48363 48 52                                                   |
| iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED                                                                                 | 208414 40 52                                                  | 226083 44 21                                                  |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                              | <b>1220017 72 58</b>                                          | <b>1049332 05 58</b>                                          |
| <b>C.</b>                                                                                                       |                                                               |                                                               |
| <b>I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA</b>                                                                   |                                                               |                                                               |
| i. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / PRIORITY SECTOR                                                                 | 498479 20 58                                                  | 431553 07 44                                                  |
| ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR                                                                           | 33887 87 05                                                   | 78162 63 94                                                   |
| iii. बैंक / BANKS                                                                                               | 1 22 38                                                       | 29 63 70                                                      |
| iv. अन्य / OTHERS                                                                                               | 611600 11 06                                                  | 475245 96 07                                                  |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                              | <b>1143968 41 07</b>                                          | <b>984991 31 15</b>                                           |
| <b>II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA</b>                                                         |                                                               |                                                               |
| i. बैंकों से देय / DUE FROM BANKS                                                                               | 30423 55 06                                                   |                                                               |
| ii. दूसरों से देय / DUE FROM OTHERS                                                                             |                                                               |                                                               |
| (ए) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिल<br>(a) BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED                                             | 41256 81 65                                                   | 44740 83 83                                                   |
| (बी) मीयादी / समूहन ऋण / (b) TERM / SYNDICATED LOANS                                                            | 4368 94 82                                                    | 19599 90 59                                                   |
| (सी) अन्य / (c) OTHERS                                                                                          |                                                               |                                                               |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                              | <b>76049 31 53</b>                                            | <b>64340 74 42</b>                                            |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                              | <b>1220017 72 58</b>                                          | <b>1049332 05 57</b>                                          |

यथा 31.03.2026 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ  
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                                           | यथा 31.03.2026 तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2026 (₹ '000) | यथा 31.03.2025 तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2025 (₹ '000) |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS</b>                                                                             |                                                         |                                                         |                    |
| <b>I. परिसर / PREMISES</b>                                                                                                                |                                                         |                                                         |                    |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन<br>AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET                                               | 8793 92 27                                              | 11748 18 80                                             |                    |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                                        | 8 58 97                                                 | 263 20 16                                               |                    |
|                                                                                                                                           | 8802 51 24                                              | 12011 38 96                                             |                    |
| वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन<br>REVALUATION MADE DURING THE YEAR                                                                          |                                                         | -3203 43 22                                             |                    |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                                       | 51 40                                                   | 14 03 48                                                |                    |
|                                                                                                                                           | 8801 99 84                                              | 8793 92 26                                              |                    |
| वर्तमान तिथि तक मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE                                                                                           | 1128 83 32                                              | 1081 36 33                                              | 7712 55 92         |
| <b>II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS</b>                                                                                         | <b>7673 16 52</b>                                       |                                                         | <b>7712 55 92</b>  |
| (फर्नीचर व फिक्स्चर सहित)<br>(INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)                                                                             |                                                         |                                                         |                    |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर<br>AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET                                                                    | 9451 94 58                                              | 8648 01 54                                              |                    |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                                        | 1349 95 88                                              | 1214 42 85                                              |                    |
|                                                                                                                                           | 10801 90 46                                             | 9862 44 39                                              |                    |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                                       | 662 29 22                                               | 337 16 97                                               |                    |
|                                                                                                                                           | 10139 61 24                                             | 9525 27 42                                              |                    |
| वर्तमान तिथि तक मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE                                                                                           | 7218 05 13                                              | 6961 98 22                                              | 2563 29 20         |
| <b>III. पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS</b>                                                                                              | <b>2921 56 11</b>                                       |                                                         | <b>2563 29 20</b>  |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन<br>AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET                                                           |                                                         | 85 92 59                                                |                    |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                                        |                                                         | 1 54 14                                                 |                    |
|                                                                                                                                           |                                                         | 87 46 73                                                |                    |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR                                                                                       |                                                         | 72 64 81                                                |                    |
|                                                                                                                                           |                                                         | 14 81 92                                                |                    |
| वर्तमान तिथि तक मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE                                                                                           |                                                         | 10 54 20                                                |                    |
|                                                                                                                                           |                                                         | 4 27 72                                                 |                    |
| घटाएँ: पट्टेदारी अंतिम समायोजन खाता<br>LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT                                                            |                                                         |                                                         | 4 27 72            |
| <b>IV. पूंजीगत कार्य प्रगति पर अमूर्त आस्तियाँ<br/>CAPITAL WORK IN PROGRESS</b>                                                           |                                                         |                                                         |                    |
| अनुषंगी / संयुक्त उद्यम-प्रारम्भिक<br>INTANGIBLE ASSETS-SUBSIDIARIES / JVs-Openings                                                       | 6 79 69                                                 | 145 81 99                                               |                    |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR                                                                                        | 30 40                                                   | 6 58 00                                                 |                    |
|                                                                                                                                           | 7 10 09                                                 | 152 39 99                                               |                    |
| अमूर्त आस्तियाँ - अनुषंगी / संयुक्त उद्यम-कटौतियाँ<br>INTANGIBLE ASSETS - SUBSIDIARIES /<br>JVs-Deductions                                |                                                         | - 11 13                                                 |                    |
|                                                                                                                                           | 7 10 09                                                 | 152 28 86                                               |                    |
| अमूर्त आस्तियाँ - अनुषंगी / संयुक्त उद्यम-वर्तमान तिथि तक का<br>मूल्यहास / INTANGIBLE ASSETS -<br>SUBSIDIARIES / JVs-Depreciation to date | -6 62 16                                                | -130 83 19                                              | 21 45 67           |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                        | <b>10595 20 56</b>                                      |                                                         | <b>10301 58 52</b> |



## यथा 31.03.2026 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2026

|                                                                                                                                  | यथा 31.03.2026 तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2026 (₹ '000) | यथा 31.03.2025 तक (₹ '000)<br>As at 31.03.2025 (₹ '000) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>अनुसूची 11- अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS</b>                                                                    |                                                         |                                                         |
| I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED                                                                                                | 12724 96 05                                             | 11222 08 24                                             |
| II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर / स्रोत पर कर कटौती (निवल) /<br>TAX PAID IN ADVANCE /<br>TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)              | 15204 69 42                                             | 16094 41 82                                             |
| III. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प<br>STATIONERY AND STAMPS                                                                           | 4 59 32                                                 | 3 48 97                                                 |
| IV. दावों के निपटान के लिए अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ<br>NON-BANKING ASSETS ACQUIRED IN<br>SATISFACTION OF CLAIMS               | 15 20                                                   | 15 68                                                   |
| अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)<br>INTER-OFFICE ADJUSTMENT (NET)                                                                    | 3880 16 87                                              | 702 16 95                                               |
| V. अन्य / OTHERS                                                                                                                 | 8166 70 34                                              | 6019 02 18                                              |
| VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / DEFERRED TAX ASSETS                                                                                    | 3011 55 55                                              | 4937 81 45                                              |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                               | <b>42992 82 74</b>                                      | <b>38979 15 29</b>                                      |
| <b>अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं<br/>SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES</b>                                                     |                                                         |                                                         |
| I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया<br>गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT<br>ACKNOWLEDGED AS DEBTS | 21507 87 94                                             | 19756 39 12                                             |
| II. अशंत: प्रदत्त निवेश हेतु देयता<br>LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS                                                      | 44 00                                                   | 44 00                                                   |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं<br>LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING<br>FORWARD EXCHANGE CONTRACTS            | 451563 18 61                                            | 275040 11 00                                            |
| IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ<br>GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS                                              |                                                         |                                                         |
| क. भारत में / a. IN INDIA                                                                                                        | 67911 99 39                                             | 59089 83 56                                             |
| ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA                                                                                               | 190 29 81                                               | 165 56 70                                               |
|                                                                                                                                  | 68102 29 20                                             | 59255 40 26                                             |
| V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं<br>ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND<br>OTHER OBLIGATIONS                                | 20883 35 56                                             | 16860 71 88                                             |
| VI. अन्य मद जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है /<br>OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS<br>CONTINGENTLY LIABLE            |                                                         |                                                         |
| क. पुनः भुनाए गए विनिमय बिल<br>a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED                                                                 |                                                         |                                                         |
| ख. अन्य / b. OTHERS                                                                                                              | 13373 80 86                                             | 9435 73 90                                              |
|                                                                                                                                  | 13373 80 86                                             | 9435 73 90                                              |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                               | <b>575430 96 16</b>                                     | <b>380348 80 16</b>                                     |

यथा 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां  
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED  
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2026

|                                                                                                                                         | यथा दिनांक 31.03.2026<br>को समाप्त वर्ष हेतु<br>(₹ '000)<br>For the Year ended<br>31.03.2026 (₹ '000) | यथा दिनांक 31.03.2025<br>को समाप्त वर्ष हेतु<br>(₹ '000)<br>For the Year ended<br>31.03.2025 (₹ '000) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED</b>                                                                        |                                                                                                       |                                                                                                       |
| I. अग्रिम / बिलों पर ब्याज / छुट<br>INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS                                                             | 93247 55 38                                                                                           | 87798 80 72                                                                                           |
| II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS                                                                                               | 25121 75 51                                                                                           | 26418 98 68                                                                                           |
| III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज<br>INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER<br>INTER-BANK FUNDS | 5951 16 00                                                                                            | 4678 05 08                                                                                            |
| IV. अन्य / OTHERS                                                                                                                       | 2050 73 04                                                                                            | 2705 26 88                                                                                            |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                      | <b>126371 19 93</b>                                                                                   | <b>121601 11 36</b>                                                                                   |
| <b>अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME</b>                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                       |
| I. कमीशन, विनिमय और ब्रोकर शुल्क<br>COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE                                                                  | 2153 07 01                                                                                            | 1312 52 71                                                                                            |
| II. निवेश के विक्रय लाभ / PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS<br>लाभ / PROFIT                                                                 | 3634 17 36                                                                                            | 3307 70 85                                                                                            |
| घटाएँ : हानि / LESS: LOSS                                                                                                               | <b>3634 17 36</b>                                                                                     | <b>3307 70 85</b>                                                                                     |
| III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ<br>PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS                                                           | <b>1429 24 66</b>                                                                                     | <b>403 28 14</b>                                                                                      |
| घटाएँ: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि<br>LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS                                                      | <b>1429 24 66</b>                                                                                     | <b>403 28 14</b>                                                                                      |
| IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ<br>PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND<br>OTHER ASSETS                              | -71 61 39                                                                                             | 2 26 96                                                                                               |
| लाभ / PROFIT                                                                                                                            | -71 61 39                                                                                             | 2 26 96                                                                                               |
| घटाएँ : हानि/ LESS: LOSS                                                                                                                | <b>1465 91 23</b>                                                                                     | <b>835 04 31</b>                                                                                      |
| V. विनिमय लेन-देन से लाभ<br>PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS                                                                             | 1465 91 23                                                                                            | 835 04 31                                                                                             |
| लाभ / PROFIT                                                                                                                            | 1465 91 23                                                                                            | 835 04 31                                                                                             |
| घटाएँ : हानि/ LESS: LOSS                                                                                                                | <b>111 94 54</b>                                                                                      | <b>115 38 44</b>                                                                                      |
| VI. लाभांश के माध्यम से अर्जित ब्याज<br>INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND                                                                | 111 94 54                                                                                             | 115 38 44                                                                                             |
| VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME                                                                                                    | 17989 28 81                                                                                           | 25080 56 01                                                                                           |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                      | <b>26712 02 21</b>                                                                                    | <b>31056 77 42</b>                                                                                    |
| <b>अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED</b>                                                               |                                                                                                       |                                                                                                       |
| I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS                                                                                                  | 79978 91 69                                                                                           | 75714 93 08                                                                                           |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज<br>INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/<br>INTER-BANK BORROWINGS                      | 4853 23 71                                                                                            | 2970 34 69                                                                                            |
| III. अन्य / OTHERS                                                                                                                      | 4305 36 18                                                                                            | 3995 39 76                                                                                            |
| <b>कुल / Total</b>                                                                                                                      | <b>89137 51 58</b>                                                                                    | <b>82680 67 53</b>                                                                                    |

यथा 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां  
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED  
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2026

|                                                                                                                                                                 | यथा दिनांक 31.03.2026<br>को समाप्त वर्ष हेतु<br>(₹ '000)<br>For the Year ended<br>31.03.2026 (₹ '000) | यथा दिनांक 31.03.2025<br>को समाप्त वर्ष हेतु<br>(₹ '000)<br>For the Year ended<br>31.03.2025 (₹ '000) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>अनुसूची 16 - परिचालन व्यय</b><br><b>SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES</b>                                                                                     |                                                                                                       |                                                                                                       |
| I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान<br>PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES                                                                       | 19279 00 48                                                                                           | 18605 76 18                                                                                           |
| II. किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING                                                                                                                   | 1233 11 52                                                                                            | 1110 45 35                                                                                            |
| III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY                                                                                                            | 151 17 91                                                                                             | 165 92 62                                                                                             |
| IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY                                                                                                             | 156 53 23                                                                                             | 171 44 75                                                                                             |
| V. बैंक की संपत्ति में मूल्यहास<br>DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY                                                                                              | 924 53 29                                                                                             | 869 77 20                                                                                             |
| VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता व व्यय<br>DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES                                                                                 | 3 12 65                                                                                               | 3 48 61                                                                                               |
| VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों का शुल्क व व्यय सहित) / AUDITORS' FEES AND EXPENSES<br>(INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES) | 100 80 58                                                                                             | 72 43 87                                                                                              |
| VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES                                                                                                                                 | 257 74 40                                                                                             | 254 47 77                                                                                             |
| IX. डाक, तार, दूरभाष आदि<br>POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.                                                                                                 | 54 17 19                                                                                              | 106 00 47                                                                                             |
| X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE                                                                                                                 | 1267 31 76                                                                                            | 961 21 14                                                                                             |
| XI. बीमा / INSURANCE                                                                                                                                            | 1853 79 39                                                                                            | 1564 87 32                                                                                            |
| XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE                                                                                                                              | 5860 54 19                                                                                            | 14302 70 28                                                                                           |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                                              | <b>31141 86 59</b>                                                                                    | <b>38188 55 56</b>                                                                                    |
| <b>अनुसूची 17 - सहयोगियों में आय / (हानि) की हिस्सेदारी</b><br><b>SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES</b>                                    |                                                                                                       |                                                                                                       |
| I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CAN FIN HOMES LTD.                                                                                                                    | 325 61 71                                                                                             | 257 06 39                                                                                             |
| II. केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड<br>CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT LTD.                                                                                  | 78 53 70                                                                                              |                                                                                                       |
| III. केनरा एचएसबीसी लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड<br>CANARA HSBC LIFE INSURANCE COMPANY LTD.                                                                     | 46 21 27                                                                                              |                                                                                                       |
| IV. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                       |
| ए. कर्नाटक ग्रामीण बैंक / A. KARNATAKA GRAMIN BANK                                                                                                              | 3 64 44                                                                                               | -276 93 06                                                                                            |
| बी. केरल ग्रामीण बैंक / B. KERALA GRAMIN BANK                                                                                                                   | 266 88 83                                                                                             | 107 95 62                                                                                             |
| सी. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक<br>C. ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK                                                                                               | 16 99 04                                                                                              | 223 78 24                                                                                             |
| डी. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक<br>D. KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK                                                                                              | 1 88 01                                                                                               | 44 03 83                                                                                              |
| ई. कर्नाटक ग्रामीण बैंक<br>E. KARNATAKA GRAMEENA BANK                                                                                                           | 20 59 51                                                                                              | 98 84 63                                                                                              |
| <b>कुल / TOTAL</b>                                                                                                                                              | <b>760 36 51</b>                                                                                      | <b>355 91 02</b>                                                                                      |

## अनुसूची - 18

### 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

#### [1] समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

- (a) बैंक (मूल कंपनी), उसकी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम (समूह) के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों / दिशानिर्देशों, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों और अन्यथा उल्लिखित बातों को छोड़कर संबंधित उद्योग / व्यवसाय में प्रचलित बाजार प्रथाओं के अनुरूप हैं।

#### (b) अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों, व्यय, आय और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन मानता है कि ये अनुमान और धारणाएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालाँकि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में मान्य है।

#### [2] समेकन प्रक्रिया

- 2.1 समूह [जिसमें सात (7) अनुषंगी कंपनियां और पांच (5) सहयोगी शामिल हैं] का सीएफएस निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया गया है:

- (a) केनरा बैंक (मूल बैंक) के लेखापरीक्षित खाते।
- (b) अनुषंगी कंपनियों की परिसंपत्ति / देयता / आय / व्यय के प्रत्येक मद का, मूल कंपनी की संबंधित मद के साथ पंक्ति दर पंक्ति समूहन तथा सभी महत्वपूर्ण अंतर-समूह शेष / लेनदेन, अप्राप्त लाभ/हानि को समाप्त करने के बाद, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 21 (समेकित वित्तीय विवरण)

## SCHEDULE - 18

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2026

#### [1] Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

- (a) The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 2013, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

Restricted

#### (b) Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

#### [2] Consolidation procedure

- 2.1 CFS of the Group [Comprising of Seven (7) Subsidiaries and Five (5) Associates] have been prepared on the basis of:

- (a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).
- (b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit / loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies as

के अनुसार सभी महत्वपूर्ण गैर-समान लेखांकन नीतियों के लिए जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक समायोजन करना।

(c) सहयोगी (सहयोगियों) में दीर्घकालिक निवेश का लेखा-जोखा, सहयोगी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23 (समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार इक्विटी पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। सहयोगी के संचालन के परिणाम में निवेशक का हिस्सा समेकित लाभ और हानि खाते में अलग से दर्शाया जाता है।

- 2.2 सीएफएस में अल्पसंख्यक हित में अनुषंगी कंपनियों की निवल इक्विटी / लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा शामिल होता है।
- 2.3 अनुषंगी कंपनियों में मूल कंपनी के आरंभिक निवेश की लागत और अनुषंगी कंपनियों की इक्विटी में मूल कंपनी के हिस्से के बीच के अंतर को गुडविल/ आरक्षित पूंजी, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना जाता है।

### [3] विदेशी मुद्रा रूपांतरण / विदेशी मुद्राओं का परिवर्तन

- 3.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को शुरू में काल्पनिक दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को प्रत्येक तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा प्रकाशित दर पर पुनः दर्ज किया जाता है। तिमाही दरों पर ऐसी मदों के पुनः दर्ज किए जाने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- 3.2 विदेशी शाखाओं के लेन-देन और शेष राशि को गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे लेन-देन और शेष राशि को बैंक (मूल) द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया जाता है।
- 3.3 आस्तियों और देनदारियों (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देनदारियों दोनों) को प्रत्येक तिमाही के अंत में विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीएआई) द्वारा घोषित विनिमय की समापन हाजिर दर पर परिवर्तित किया जाता है और विदेशी शाखाओं की आय और व्यय मदों को आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 11 (विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव) और उक्त मानक के अनुपालन के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एफईडीएआई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

per Accounting Standard (AS) 21 (Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.

(c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the Audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the result of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit & Loss Account.

- 2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority Shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.
- 2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill / capital reserve as the case may be.

### [3] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

- 3.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit & Loss Account.
- 3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank (Parent) on quarterly basis.
- 3.3 Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.



परिणामी विनिमय लाभ / हानि को विदेशी मुद्रा रूपांतरण रिजर्व में क्रेडिट / डेबिट किया जाता है।

### 3.4 वायदा विनिमय अनुबंध

सभी अग्रिम विनिमय अनुबंधों के आरंभ में प्राप्त प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। अग्रिम विनिमय अनुबंधों के रद्द होने पर होने वाले लाभ / हानि, साथ ही अशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तिथि पर मान्यता दी जाती है। अग्रिम अनुबंधों पर विनिमय अंतर को उस रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है जिसमें विनिमय दरें बदलती हैं।

3.5 बकाया अग्रिम विनिमय अनुबंधों, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को एफडीआईआई द्वारा प्रकाशित समापन दरों पर तुलन-पत्र में दर्शाया गया है।

## [4] निवेश

### 4.1 निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को आरबीआई के मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस), 'लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य' (एफवीटीपीएल) और 'अनुषंगी कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी'। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उपश्रेणी होगी। निवेश की श्रेणी अधिग्रहण से पहले या अधिग्रहण के समय तय की जाएगी और इस निर्णय को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा।

तुलन-पत्र (अनुसूची-8 - निवेश) में निवेश का प्रकटीकरण छह वर्गीकरणों के तहत किया जाता है, जैसे: (a) सरकारी प्रतिभूतियाँ (b) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (c) शेयर (d) डिबेंचर और बॉन्ड (e) अनुषंगी कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियाँ और (f) अन्य।

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देश - वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार किया जाता है:

#### (A) परिपक्वता तक धारित

एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत मूल्य पर रखा जाएगा और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

### 3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Loss arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

## [4] Investments

### 4.1 Investments

The Bank's investment portfolio is classified as per RBI master directions - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023. The entire investment portfolio of the Bank is classified under following categories viz. 'Held to Maturity' (HTM), 'Available for Sale' (AFS), 'Fair value through Profit and Loss' (FVTPL) and 'Subsidiaries, Joint Ventures and Associates'. Held for Trading (HFT) shall be a separate investment sub-category within FVTPL. The category of the investment shall be decided before or at the time of acquisition and this decision shall be properly documented.

Investments are disclosed in the Balance Sheet (Schedule-8 - Investments) under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries, Joint Ventures & Associates and (f) Others.

The valuation of Investments is done in accordance with the master directions - Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 issued by the RBI as under:

#### (A) HELD TO MATURITY

Securities held in HTM shall be carried at cost and shall not be marked to market (MTM) after



(एमटीएम) पर नहीं बेचा जाएगा। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर किसी भी छूट या प्रीमियम का परिशोधन लिखत की बची हुई अवधि के दौरान धीरे-धीरे किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 8 : 'निवेश' में एक प्रतिपक्ष के साथ अनुसूची 13 : 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई जाएगी।

## [B] बिक्री हेतु उपलब्ध

- एफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 8 : 'निवेश' में एक प्रतिपक्ष के साथ अनुसूची 13 : 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई जाएगी।
- एफएस के अंतर्गत रखे गए सभी निष्पादित निवेशों (अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, बांड और डिबेंचर आदि) के मूल्यांकन लाभ और हानि को, चाहे उनका वर्गीकरण कुछ भी हो, एकत्रित किया जाएगा। निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एफएस आरक्षित-निधि नामक आरक्षित-निधि में जमा या डेबिट किया जाएगा। पुनर्गठित प्रतिभूतियों के मामले में, मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया जाता है और संचयी मूल्यहास को एफएस आरक्षित-निधि से डेबिट किया जाता है।
- एफएस के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी, जैसा कि लागू हो। एफएस-आरक्षित-निधि को कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाएगा। एफएस-आरक्षित-निधि में स्थानांतरित किए गए अवास्तविक लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
- एफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-आरक्षित-निधि में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ / हानि को एफएस आरक्षित-निधि से अंतरित कर दिया जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी। प्रारंभिक मान्यता

initial recognition. Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under Item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

## [B] AVAILABLE FOR SALE

- The securities held in AFS are fair valued on daily basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under Item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. The net appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve without routing through the Profit & Loss Account. In case of restructured securities, appreciation is ignored and cumulative depreciation is debited from AFS Reserve.
- Securities under AFS shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as applicable. The AFS-Reserve shall be reckoned as Common Equity Tier (CET) 1. The unrealised gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.
- Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain / loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under Item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income. In the case of equity instruments designated under AFS

के समय एफएस के तहत नामित इक्विटी लिखत के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि एफएस-आरक्षित-निधि से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी। इसके बजाय, ऐसे लाभ या हानि को एफएस-आरक्षित-निधि से पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा।

- हम उनके तुलन-पत्र पर लेवल 3 निवेशों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल अवास्तविक लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते या एफएस-आरक्षित-निधि में मान्यता प्राप्त लेवल 3 निवेशों पर ऐसे निवल अवास्तविक लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

बशर्ते कि यह खंड उन निवेशों पर लागू नहीं होगा जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं और पूंजी पर्याप्तता पर लागू नियामक निर्देशों के अनुसार क्रेडिट जोखिम के लिए 50% या उससे कम पर जोखिम भारित होना आवश्यक है। एफएस-आरक्षित-निधि में अंतरित किए गए अवास्तविक लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

एफएस श्रेणी में किसी ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-आरक्षित-निधि में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ / हानि को एफएस आरक्षित-निधि से अंतरित किया जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी। प्रारंभिक मान्यता के समय एफएस के तहत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एफएस-आरक्षित-निधि से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी।

#### [C] लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाएगा। एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के

at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

- We shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 investments on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 investments recognised in the Profit and Loss Account or in the AFS-Reserve shall be deducted from CET 1 capital.

Provided that this clause shall not apply to investments that meet the SPPI criteria and are required to be risk weighted at 50% or lower for credit risk as per applicable regulatory instructions on capital adequacy. The unrealized gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.

Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain / loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under Item II Profit on Sale of Investments under Schedule 14-Other Income. In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

#### [C] FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS

The securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL are fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL are fair valued on a quarterly basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL shall be amortised

अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि में परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 8 : 'निवेश' में एक प्रतिपक्ष के साथ अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के तहत वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाएगी। एफवीटीपीएल के तहत प्रतिभूतियाँ आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी, जैसा भी लागू हो।

## (डी) अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम

अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को एक खास श्रेणी में रखा जाएगा, अर्थात् ऐसे निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा।

अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात् ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर रखे जाएंगे। एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाली अनुषंगी कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम, लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई जाएगी।

ऐसे मामले में, जहां पहले से ही किसी ऐसी इकाई में निवेश है जो अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेशित इकाई, अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बन जाती है, ऐसी निवेशित इकाई के अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर संशोधित अग्रणीत मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

- (i) जहां निवेश एचटीएम के तहत रखा गया है, वहां स्थायी क्षति को घटाकर वहन मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा।
- (ii) जहां कोई निवेश एएफएस के तहत रखा जाता है, एएफएस-आरक्षित-निधि में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ और हानि को उलट दिया जाएगा और निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी के साथ निवेश के वहन मूल्य में समायोजित किया जाएगा ताकि संशोधित वहन मूल्य प्राप्त किया जा सके।

over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under Item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'. Securities under FVTPL shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as applicable.

## (D) SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost. Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures, meeting SPPI criteria, shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under Item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned'.

In case where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associate or joint venture, the revised carrying value as at the date of such investee entity becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be determined as under:

- (i) Where the investment is held under HTM, the carrying value less any permanent impairment shall be the revised carrying value.
- (ii) Where an investment is held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS-Reserve shall be reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.

- (iii) जहां एफवीटीपीएल में निवेश किया जाता है, वहां निवेशिती के अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख पर उचित मूल्य को अग्रणीत मूल्य के रूप में लिया जाएगा।
- (iv) जब कोई निवेशिती अनुषंगी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाती है, तो निवेश को संबंधित श्रेणी में निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा:
- (i) जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और फलस्वरूप किसी लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर क्रमशः एएफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में अंतरित किया जाएगा।

किसी अनुषंगी कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण / बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ / मुनाफे को सबसे पहले लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी और फिर लाभ और हानि खाते से नीचे की रेखा में 'पूँजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित राशि करें से मुक्त होगी और और वह राशि होगी जो सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानी आवश्यक है।

## 4.2 प्रारम्भिक मान्यता

सभी निवेशों को आरंभिक मान्यता के आधार पर उचित मूल्य पर मापा जाएगा। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न दर्शाएँ कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (हस्तांतरण सहित), स्विच परिचालन और खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है, वह प्रारंभिक मान्यता प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य होगा।

जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि यील्ड कर्व, क्रेडिट स्प्रेड, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी दिवस 1 लाभ / हानि को अनुसूची 14: उपशीर्षक 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन

- (iii) Where an investment is held in FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be taken as the carrying value.
- (iv) When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments shall be reclassified to the respective category as under:
- (i) Where the investment is reclassified into HTM, there shall be no change in the carrying value and consequently no accounting adjustment per se shall be required.
- (ii) Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification shall be the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value shall be transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.

Any gain / profit arising on the reclassification/ sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture shall be first recognised in the Profit and Loss Account and then shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves

## 4.2 Initial Recognition

All investments shall be measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it shall be presumed that the acquisition cost is the fair value. In respect of Government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted shall be the fair value for initial recognition purposes.

Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any



पर लाभ' या 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' के अंतर्गत 'अन्य आय' जैसा भी मामला हो, के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी: लेवल 3 निवेशों से होने वाले किसी भी दिवस 1 के नुकसान को तुरंत मान्यता दी जाएगी।

लेवल 3 निवेशों से होने वाले किसी भी दिवस 1 के लाभ को आस्थगित कर दिया जाएगा। ऋण लिखतों के मामले में, दिवस 1 के लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत लिखतों के लिए सबसे पूर्व कॉल तिथि) तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

## श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण

बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना निवेश को श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनर्वर्गीकृत नहीं करेंगे। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।

पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

## अधिग्रहण लागत

निवेश के अधिग्रहण के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज और कमीशन तथा ऋण लिखतों पर टूटी अवधि के ब्याज सहित लागत को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है और अधिग्रहण की लागत में शामिल नहीं किया जाता है। निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रतिभूतियों में खरीद और बिक्री लेन-देन का हिसाब निपटान तिथि पर लगाया जाता है।

## अधिविक्रय

बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में अधिविक्रय लेनदेन करता है। शॉर्ट पोजीशन को एफवीटीपीएल-एचएफटी-पीडी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से घटाया जाता है। एफवीटीपीएल-एचएफटी-पीडी पोर्टफोलियो के अंतर्गत अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के साथ शॉर्ट पोजीशन को बाजार के हिसाब से चिह्नित किया जाता है और परिणामी लाभ / हानि, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है। अधिविक्रय पर लाभ / हानि को निपटान तिथि पर मान्यता दी जाती है।

Day 1 gain / loss shall be recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on Revaluation of Investments or 'Loss on Revaluation of Investments, as the case may be.

Any Day 1 loss arising from Level 3 investments shall be recognised immediately. Any Day 1 gains arising from Level 3 investments shall be deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain shall be amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

## Reclassification between categories

Banks shall not reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of their Board of Directors. Further, reclassification shall also require the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.

The reclassification should be applied prospectively from reclassification date.

## Acquisition cost

Costs, including brokerage and commission paid at the time of acquisition of investments and broken period interest on debt instruments, are recognised in the Profit and Loss Account and are not included in the cost of acquisition. Cost of investments is determined based on the weighted average cost method. Purchase and sale transactions in securities are accounted on settlement date.

## Short sale

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with the RBI guidelines. The short position is categorised under FVTPL-HFT-PD category and netted off from investments in government securities. The short position along with other Government securities under FVTPL-HFT-PD portfolio is marked to market and the resultant gain / loss, if any, is charged to the Profit and Loss Account. Profit / Loss on short sale is recognised on settlement date.

## निवेश का उचित मूल्य

### • उद्धृत प्रतिभूतियाँ

उद्धृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्य फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्य होगा। जिन प्रतिभूतियों की कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उनके लिए उद्धृत प्रतिभूति का उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या आरबीआई / सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड / कोट्स से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित कीमतों पर आधारित होगा।

### • गैर उद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियाँ

- ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।
- गैर-उद्धृत केंद्रीय / राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों / वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाएगा।
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक मूल्य पर करके वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए किया जाएगा।

### • गैर उद्धृत डिबेंचर और बॉन्ड

अन्य गैर उद्धृत (अनकोटेड) फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज (जैसे बॉन्ड और डिबेंचर) और अधिमान शेयरों का मूल्यांकन उचित मार्क-अप के साथ किया जाता है, यानी भारत सरकार की सिक्योरिटीज के लिए यील्ड टू मैच्योरिटी (वाईटीएम) दरों पर लागू एफआईएमएमडीए प्रकाशित क्रेडिट स्प्रेड, जैसा कि एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

- अनकोटेड इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ब्रेकअप मूल्य पर किया जाता है, जो कंपनी की नवीनतम तुलन-पत्र से पता लगाया जाता है। जिस तारीख को नवीनतम तुलन-पत्र तैयार की जाती है, वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले की नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी 1 रुपये के हिसाब से किया जाएगा।
- म्यूचुअल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर किया जाता है।
- ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होने के कारण उनका मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।

## Fair Value of investments

### • Quoted Securities

The fair value for the quoted securities shall be the prices declared by the Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL). For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security shall be based upon quoted price as available from the trades / quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI/SEBI or prices declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

### • Unquoted SLR Securities

- Treasury Bills shall be valued at carrying cost.
- Unquoted Central / State Government securities shall be valued on the basis of the prices / YTM rates published by the FBIL.
- Other approved securities shall be valued applying the YTM method by marking them up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL.

### • Unquoted debentures and bonds

The valuation of other unquoted fixed income securities (viz. bonds and debentures), and preference shares, is done with appropriate mark-up, i.e. applicable FIMMDA published credit spread over the Yield to Maturity (YTM) rates for Government of India securities as published by FBIL.

- Unquoted equity shares are valued at the breakup value, ascertained from the company's latest balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available or is more than 18 months old, the shares shall be valued at ₹1 per company.
- Units of mutual funds are valued at the latest Net Asset Value (NAV) declared by the mutual fund.
- Treasury bills, commercial papers and certificate of deposits being discounted instruments, are valued at carrying cost.



- सिक्योरिटी रिसीट्स (एसआर) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) की अनकोटेड इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन क्रमशः जारी करने वाली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और इनविट द्वारा प्रदान किए गए नेट एसेट वैल्यू के अनुसार किया जाता है। सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के आधार पर समय-समय पर किया जाना चाहिए, जिसे रिकवरी रेटिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार समर्थित एस.आर. के उचित मूल्यांकन से प्राप्त अवास्तविक लाभ को कॉमन इक्विटी टियर 1 (सी.ई.टी. 1) पूंजी से घटाया जाना चाहिए, तथा ऐसे लाभ से कोई लाभांश वितरित नहीं किया जा सकता।
- एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की अनकोटेड इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन एआईएफ द्वारा बताए गए एनएवी पर किया जाएगा। एनएवी सेबी (एआईएफ) विनियमों के अनुसार अर्धवार्षिक आवृत्ति पर एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा अपने अंतर्निहित निवेशों के मूल्यांकन के आधार पर होगा। जहां कोई एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) सेबी विनियम, 2012 के अनुसार एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और प्रकट करने में विफल रहता है, इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा। यदि एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत पंजीकृत नहीं है और एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा इसके निवेशों का नवीनतम प्रकटित मूल्यांकन मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले का है, तो इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा।
- Investments in Security Receipts (SRs) and unquoted units of Infrastructure Investment Trust (InvIT) are valued as per the net asset value provided by the issuing Asset Reconstruction Company and InvIT respectively. Government-guaranteed SRs must be valued periodically based on the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC, which is determined by recovery ratings. Unrealized gains from fair valuation of Government-backed SRs must be deducted from Common Equity Tier 1 (CET 1) capital, and no dividends can be distributed from such gains.
- Investments in unquoted units of Alternative Investment Fund (AIF) classified under FVTPL category shall be valued at the NAV as disclosed by the AIF. NAV shall be based on valuation of its underlying investments by an independent valuer on half yearly frequency as mandated by SEBI (AIF) Regulations. Where an AIF fails to carry out and disclose the valuation of its investments by an independent valuer as mandated by SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, the value of its units shall be treated as ₹1 for the purpose of these Directions. In case AIF is not registered under SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012 and the latest disclosed valuation of its investments by an independent valuer precedes the date of valuation by more than 18 months, the value of its units shall be treated as ₹1.

## आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान

### आय पहचान

- बैंक निम्नलिखित निवेशों के लिए उपार्जन आधार पर आय की पहचान करेंगे:
  - सरकारी प्रतिभूतियाँ, कॉर्पोरेट निकायों के बांड और डिबेंचर, जहाँ इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित होती हैं और बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से दिया जाता हो और बकाया न हो।
- म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे पूल / सामूहिक निवेश फंड की इकाइयों से आय को नकद आधार पर पहचाना जाएगा।

### खंडित अवधि के ब्याज के लिए लेखांकन:

बैंक विक्रेता को भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज को लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं करेंगे तथा इसे प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में लाभ और हानि खाते के अंतर्गत व्यय की एक मद के रूप में मानेंगे।

## Income Recognition, Asset Classification and Provisioning

### Income recognition

- Banks shall recognize income on accrual basis for the following investments:
  - Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.
- Income from units of mutual funds, alternative investment funds and other such pooled/ collective investment funds shall be recognized on cash basis.

### Accounting for Broken Period Interest:

Banks shall not capitalize the broken period interest paid to the seller as part of cost and shall treat it as an item of expenditure under Profit & Loss Account in respect of investments in securities.

### गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई):

- एक बार जब निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे पोर्टफोलियो के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया जाना चाहिए और मूल्यांकन लाभ और हानि के निवल राशि निर्धारण करने के लिए इसे नहीं लिया जाना चाहिए।
- बैंक एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं करेंगे। आय को केवल उसकी प्राप्ति पर मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा, प्रतिभूति में किसी भी एमटीएम मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
- चाहे जिस श्रेणी (यानी, एचटीएम, एएफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित)) में निवेश किया गया हो, हानि के लिए प्रावधान के लिए व्यय हमेशा लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रावधान को उलट दिया जाएगा और एमटीएम लाभ और हानि की सममित मान्यता फिर से शुरू हो सकती है।

### निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित-निधि

बैंक आईएफआर में राशि स्थानांतरित करके जो निम्नलिखित कम न हो, एक निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित-निधि (आईएफआर) बनाएंगे जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो जाए।

- वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ।
- वर्ष के लिए निवल लाभ, अनिवार्य विनियोजन को घटाकर।

### ब्याज का लेखांकन

- तुलन-पत्र के उद्देश्य के लिए, ब्याज आय (लाभांश सहित) को तीन शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् प्राप्त ब्याज, अर्जित और देय ब्याज तथा अर्जित लेकिन गैर देय ब्याज।
- अर्जित और गैर देय ब्याज के अंतर्गत ब्याज के प्रावधान के लिए, सभी सरकारी ऋणों और अनुमोदित प्रतिभूतियों / बांडों के लिए, वर्ष को 360 दिन और महीने को 30 दिन माना जाएगा। गैर-अनुमोदित और अन्य कॉर्पोरेट बांड / ऋणों के लिए वर्ष को 365 दिन - और महीने को वास्तविक दिन माना जाएगा।
- जीरो कूपन बांड पर अर्जित छूट को जीरो कूपन बांड के बही मूल्य और मोचन मूल्य के बीच अंतर लेकर शेष परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाएगा। इसके बाद, मूल्यांकन किया जाएगा।

### Non-Performing Investments (NPI):

- Once an investment is classified as an NPI, it should be segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.
- Banks shall not accrue any income on NPIs. Income shall be recognised only on realisation of the same. Further, any MTM appreciation in the security shall be ignored.
- Irrespective of the category (i.e., HTM, AFS or FVTPL (including HFT)) in which the investment has been placed, the expense for the provision for impairment shall always be recognised in the Profit and Loss Account.

Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised shall be reversed and symmetric recognition of MTM gains and losses can resume.

### Investment Fluctuation Reserve

Banks shall create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:

- Net profit on sale of investments during the year.
- Net profit for the year, less mandatory appropriations.

### Accounting of Interest

- For the purpose of Balance Sheet, interest income (including dividend) shall be classified under three heads viz., Interest received, Interest Accrued & due and Interest Accrued but not due.
- For provision of interest under interest accrued and not due, for all Government debts and approved securities / bonds, year shall be reckoned as 360 days and month as 30 days. For non-approved and other corporate bonds / debts year shall be reckoned as 365 days and month as actual days.
- Accrued Discount on zero coupon bonds shall be amortized over the remaining maturity period by taking the difference between the book value and redemption value of zero coupon bonds. Thereafter, valuation shall be carried out.

- बैंक सरकारी प्रतिभूतियों, बांड और कॉर्पोरेट निकायों के डिबेंचर के लिए उपचय आधार पर आय की पहचान करेगा, जहां इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से चुकाया जाता है और बकाया नहीं है।
- अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों और एनसीडी / एफसीडी / पीसीडी / पीएसयू बांड पर ब्याज का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाएगा, यदि निवेश को मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहता है, अन्यथा इसका लेखा-जोखा केवल नकद आधार पर किया जाएगा।
- डीप डिस्काउंट (जीरो कूपन) बांड पर छूट का लेखांकन आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।
- ट्रेजरी बिल / कैश मैनेजमेंट बिल / डिस्काउंटेड इंस्ट्रुमेंट्स पर अर्जित छूट का लेखांकन निवेश पर ब्याज आय के अंतर्गत किया जाएगा। ऐसे इंस्ट्रुमेंट्स की बिक्री पर आनुपातिक आधार से अधिक आय को बिक्री पर लाभ के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- एमएफ इंस्ट्रुमेंट्स पर आय वितरण का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाएगा। पुनर्निवेश योजना के संबंध में अर्जित लाभों को प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन या मोचन तिथि, जो भी पहले हो, को आय के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- Bank shall recognize income on accrual basis for Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are pre-determined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.
- Interest on other approved securities and NCDs / FCDs / PCDs / PSU bonds shall be accounted on accrual basis if the investment continues to be classified as standard, other wise the same shall be accounted on cash basis only.
- Discount on Deep Discount (Zero Coupon) Bonds, shall be accounted pro-rata, on accrual basis.
- Discount accrued on Treasury Bills / Cash Management Bills / Discounted instruments shall be accrued and accounted under interest income on investments. On sale of such instruments the income over and above the accrual shall be booked as profit on sale.
- Income distribution on MF instruments shall be accounted on cash basis. In respect of reinvestment plan the dividend accrued shall be accounted as income on the last day of each quarter or the redemption date, whichever is earlier.

## पुनर्खरीद और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन

- पुनर्खरीद (रेपो) और रिवर्स पुनर्खरीद (रिवर्स रेपो) लेनदेन को क्रमशः उधार लेने और उधार देने के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।
- रेपो लेनदेन पर उधार लेने की लागत को ब्याज व्यय के रूप में और रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

## एमआईबीओआर-ओआईएस व्युत्पन्न अनुबंधों का लेखांकन

सभी व्युत्पन्न को तुलन-पत्र पर मान्यता दी जाती है और उचित मूल्य पर मापा जाता है क्योंकि व्युत्पन्न अनुबंध एक संविदात्मक अधिकार या दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। एमआईबीओआर-ओआईएस के मामले में, मूल राशि काल्पनिक प्रकृति की होती है।

## अन्य प्रासंगिक बिंदु

- निवेश की विभिन्न श्रेणियों में परिशोधन लिखत की शेष परिपक्वता पर एक 'स्ट्रेट-लाइन' के आधार पर होगा। दैनिक प्रीमियम परिशोधन और छूट परिशोधन क्रमशः व्यय शीर्ष और आय शीर्ष में परिलक्षित होंगे।

## Repurchase and reverse repurchase transactions

- Repurchase (Repo) and reverse repurchase (Reverse Repo) transactions are reported as borrowing and lending respectively.
- Borrowing cost on Repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

## Accounting of MIBOR-OIS derivative contracts

All derivatives are recognized on the balance sheet and measured at fair value since a derivative contract represents a contractual right or an obligation. In case of MIBOR-OIS, principal amount is notional in nature.

## Other Relevant Points

- Amortisation across the investment categories shall be on a straight-line basis over the residual maturity of the instrument. Daily premium amortisation and discount amortisation shall be reflected in expenses head and income head respectively.

- बैंक लेखांकन की राजस्व पद्धति का पालन करेगा। मूल, मूल्य को खरीद की लागत के रूप में माना जाएगा और निवेश खाते में डेबिट किया जाएगा जबकि खंडित अवधि का ब्याज (खरीद तिथि तक अर्जित ब्याज) राजस्व व्यय के रूप में माना जाएगा और इसे लाभ और हानि खाते के तहत व्यय के रूप में दर्ज किया जाएगा। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण / बिक्री के समय होने वाली ब्रोकरेज, कमीशन, स्टॉप ड्यूटी, कर आदि जैसी लागतों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाएगा। प्राप्त ब्रोकरेज / अंडरराइटिंग कमीशन को आय के तहत लेखांकित किया जाएगा।
- सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए 1 रुपये (बिना किसी विचार के) पर बही में लिए गए शेयरों के मामले में, बैंक को संबंधित पोर्टफोलियो में अन्य प्रतिभूतियों के मामले की तरह प्राप्ति पर लाभ दर्ज करना चाहिए। तथापि, बैंक को इन प्रतिभूतियों का मूल्यांकन 1 रुपए पर जारी रखना चाहिए तथा अंतिम प्राप्ति तक एमटीएम मूल्यवृद्धि पर विचार नहीं करना चाहिए।
- निवेश पर ब्याज आय में निवेश पोर्टफोलियो से ब्याज और लाभांश (अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश को छोड़कर) के माध्यम से प्राप्त सभी आय शामिल होगी।
- विदेशों / भारत में अनुषंगी कंपनियों, कंपनियों, संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय को अलग से लेखांकित किया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा।
- गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान को प्रावधानों और आकस्मिकताओं के तहत दर्शाया जाएगा।
- Bank shall follow Revenue Method of accounting. The basic price shall be treated as cost of purchase and debited to the investment account whereas the broken period interest (accrued interest up to the purchase date) shall be treated as revenue expenditure and is to be booked as an expense under Profit & Loss Account. Costs such as brokerage, commission, stamp duty, taxes etc. incurred at the time of acquisition / sale of securities shall be treated as revenue expenditure. Brokerage/ underwriting commission received shall be accounted under income.
- In case of shares which were taken into books at ₹1/- (without paying any consideration) following the best practices, Bank should book profit on realization as in the case of other securities in the respective portfolio. However, Bank should continue to value these securities at ₹1 and should not consider the MTM appreciation till the time of eventual realization.
- Interest income on investments shall include all income derived from the investment portfolio by way of interest and dividend (except dividend from subsidiaries, associates and joint ventures).
- Income earned by way of dividend etc., from subsidiaries, companies, joint ventures abroad / in India to be accounted and presented separately.
- Provision for non-performing investments (NPI) shall be reflected under Provisions and Contingencies.

### वायदा विनिमय अनुबंध

सभी अग्रिम विनिमय अनुबंधों की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। अग्रिम विनिमय अनुबंधों के रद्द होने पर होने वाले लाभ / हानि, साथ ही अशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तिथि पर मान्यता दी जाती है। ऐसे अनुबंधों पर विनिमय अंतर को उस रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है जिसमें विनिमय दरें बदलती हैं।

बकाया अग्रिम विनिमय अनुबंधों, गारंटी, स्वीकृति, समर्थन और अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयता को फेडाई द्वारा प्रकाशित समापन दरों पर तुलन-पत्र में दर्शाया गया है।

### Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.



## व्युत्पन्न अनुबंध

बैंक ब्याज दर स्वेप और मुद्रा व्युत्पन्न में काम करता है। बैंक द्वारा निपटाए जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वेप और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हैं। बैंक द्वारा निपटाए जाने वाली करेंसी व्युत्पन्न करेंसी ऑप्शन और करेंसी स्वेप हैं। इसके अलावा, बैंक एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स में भी काम कर रहा है। ऐसे व्युत्पन्न अनुबंधों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है:

- ट्रेडिंग के लिए किए गए व्युत्पन्न अनुबंधों का मूल्यांकन मार्क टू मार्केट आधार पर किया जाता है, निवल मूल्यहास / मूल्य वृद्धि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।
- बचाव व्यवस्था के लिए किए गए व्युत्पन्न अनुबंध हैं:
  - हेज बचाव के रूप में नामित व्युत्पन्न अनुबंधों को भी उनकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों के साथ बाजार के अनुसार चिह्नित किया जाता है।
  - हेजिंग स्वेप के लिए आय / व्यय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

## [5] अग्रिम

- अग्रिमों को आरबीआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निष्पादित और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- अग्रिमों को उधारकर्ता के अनुसार मानक, उप-मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है।
- घरेलू अग्रिमों के लिए प्रावधान आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित / गैर-निष्पादित अग्रिमों के लिए किए जाते हैं।
- विदेशी शाखाओं के साथ निष्पादित / गैर-निष्पादित अग्रिमों के लिए प्रावधान मेजबान देश के नियमों के अनुसार या आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किए जाते हैं, इनमें से जो भी अधिक कठोर हो।
- तुलन-पत्र में बताए गए अग्रिम गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावों और बिल डिडिस्काउंट के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर हैं।

एकबारगी निपटान (ओटीएस) / नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) / तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए (टीडब्लूओ) और सरकारी गारंटी जैसे सीजीटीएमएसई / ईसीजीसी / जीईसीएल / सीजीएफएमयू और सब्सिडी (यदि कोई हो) के अंतर्गत आने वाले खातों में एनपीए खातों की वसूली मूलधन, शुल्क और ब्याज के क्रम में विनियोजित की जाएगी।

## Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Currency Options and Currency Swaps. Other than this, Bank is also dealing with Exchange Traded Currency Futures. Such derivative contracts are valued as under:

- Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation/appreciation is recognized in the Profit & Loss Account.
- Derivative contracts undertaken for hedging are:
  - Derivative contracts designated as hedges are also marked to market along with their underlying assets.
  - Income / Expenditure is recognized on accrual basis for hedging swaps.

## [5] Advances

- Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- Provisions for Domestic Advances are made for Performing / Non-Performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.
- Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.
- Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and bill rediscount.

Recovery in NPA accounts in case of One Time Settlement (OTS) / National Company Law Tribunal (NCLT) / Technically Written-Off (TWO) & Accounts covered by Government Guarantees such as CGTMSE / ECGC / GECL / CGFMU and Subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Charges and Interest.

दायर किए गए / डिक्ली किए गए खातों से हुई वसूली का विनियोग, यदि वह ऊपर बताए गए तरीके से भिन्न है, तो न्यायालय/ डीआरटी के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

- 5.6 एससी / आरसी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, मूल्यांकन और आय की पहचान आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।
- 5.7 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा, मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए जाते हैं।

#### [6] अचल परिसंपत्तियाँ

- 6.1 बैंक के परिसर में फ्रीहोल्ड और पट्टे वाली संपत्तियाँ शामिल हैं। सभी अचल परिसंपत्तियों को उपयोग में लाए जाने की तिथि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।
- 6.2 भूमि और परिसर को पुनर्मूल्यांकित लागत पर दर्शाया गया है और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे 'पुनर्मूल्यांकन रिजर्व' खाते में जमा किया जाता है। बढ़े हुए मूल्य के कारण होने वाले मूल्यहास / परिशोधन को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया है। समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि से राजस्व निधि में स्थानांतरित किया गया है।

#### [7] मूल्यहास

##### मूल कंपनी

- 7.1 सभी परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास विधि सीधी रेखा विधि पर आधारित है, जो परिसंपत्तियों के जीवन काल पर आधारित है।
- 7.2 परिसंपत्तियों का जीवन काल सॉफ्टवेयर / अमूर्त, सर्वर, विद्युत उपकरण और मोटर वाहनों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग सी अनुसूची II के अनुसार परिभाषित किया गया है।
- 7.3 विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए बैंक द्वारा अपनाया गया परिसंपत्तियों का अनुमानित जीवन काल निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | परिसंपत्ति का प्रकार | अनुमानित जीवन काल                         |
|----------|----------------------|-------------------------------------------|
| i        | फ्रीहोल्ड बिल्डिंग   | 60 वर्ष                                   |
| ii       | A) पट्टेवाली भूमि    | पट्टा अवधि                                |
|          | B) पट्टेवाला भवन     | पट्टा अवधि या 60 वर्ष में से जो भी कम हो। |
| iii      | फर्नीचर और फिक्स्चर  | 10 वर्ष                                   |

Recovery in suit filed / decreed accounts shall be appropriated in the manner as per specific directives from the Court / DRT, in case the same is other than the one mentioned above.

- 5.6 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation and income recognition are done as per RBI guidelines.
- 5.7 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines.

#### [6] Fixed Assets

- 6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.
- 6.2 Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

#### [7] Depreciation

##### Parent

- 7.1 Depreciation method is on Straight Line Method, for all Assets based on life span of the assets.
- 7.2 The life span of the assets is defined as per Part C Schedule II of the Companies Act, 2013 other than Software / Intangibles, Servers, Electrical Equipments and Motor Vehicles.
- 7.3 Estimated life span of the assets adopted by the bank for different class of assets is as under:

| Sl. No. | Type of Asset          | Estimated Lifespan                |
|---------|------------------------|-----------------------------------|
| i       | Free hold Buildings    | 60 years                          |
| ii      | A) Lease hold Land     | Lease period                      |
|         | B) Lease hold Building | Lower of lease period or 60 years |
| iii     | Furniture & Fixtures   | 10 years                          |



|    |                                                                                                                                                                                               |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | <b>A) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण:</b><br>टेलीविजन, प्रोजेक्टर, रेफ्रिजरेटर, आदि और सुरक्षा गैजेट जैसे सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, नोट काउंटिंग, नोट सॉर्टिंग मशीन, एटीएम आदि। | 5 वर्ष  |
|    | <b>B) विद्युत उपकरण:</b><br>वाटर कूलर, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरीफायर, स्टेबलाइजर, पंखे आदि।                                                                                      | 8 वर्ष  |
|    | <b>C) विद्युत उपकरण:</b><br>जैसे एलईडी / ट्यूब लाइट उपकरण, आदि।                                                                                                                               | 10 वर्ष |
| iv | कंप्यूटर                                                                                                                                                                                      | 3 वर्ष  |
| v  | सर्वर                                                                                                                                                                                         | 5 वर्ष  |
| vi | मोटर वाहन                                                                                                                                                                                     | 5 वर्ष  |

मूल्यहास की दरों में परिवर्तन (जीवन काल के आधार पर) दिनांक 01-04-2020 से प्रभावी रूप से लागू किया जाता है।

- 7.4 सॉफ्टवेयर / अमूर्त परिसंपत्तियों का 5 वर्षों में परिशोधन किया जाता है।
- 7.5 यदि वस्तु अधिग्रहण के वर्ष में 180 दिनों और उससे अधिक समय तक उपयोग में लाई जाती है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 100% मूल्यहास लगाया जाएगा। यदि परिसंपत्ति अधिग्रहण के वर्ष में 180 दिनों से कम समय तक उपयोग में लाई जाती है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 50% मूल्यहास लगाया जाएगा।
- 7.6 8 वर्ष या उससे अधिक उपयोग के जीवन वाली परिसंपत्तियों के मामले में मूल लागत मूल्य का 5% अवशिष्ट मूल्य होगा। अन्य परिसंपत्तियों के लिए मूल लागत मूल्य का ₹5/- रुपये अवशिष्ट मूल्य है।
- 7.7 पट्टेवाली संपत्तियों पर भुगतान किया गया प्रीमियम पट्टा अवधि या संबंधित परिसंपत्ति के जीवन काल में जो भी पहले हो, उस पर वसूला जाता है। पट्टेवाली भूमि और लीजहोल्ड सुधारों की लागत पट्टा अवधि या संबंधित परिसंपत्तियों के जीवन काल में जो भी कम हो, उस पर परिशोधित की जाती है।
- 7.8 विदेशी कार्यालयों में रखी गई अचल परिसंपत्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के नियमों / मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

|    |                                                                                                                                                                                                           |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | <b>A) Electronic Equipment:</b><br>Televisions, Projectors, Refrigerators, etc., and Security Gadgets like CCTV Access Control System, Fire Alarm System, Note Counting, Note Sorting Machines, ATMs etc. | 5 years  |
|    | <b>B) Electrical Equipment:</b><br>Water Cooler, Grinder, Mixer Grinder, Water Purifiers, Stabilizers, Fans, etc.                                                                                         | 8 years  |
|    | <b>C) Electrical Fixtures:</b><br>Like LED / Tube light Fixtures, etc.                                                                                                                                    | 10 years |
| iv | Computers                                                                                                                                                                                                 | 3 years  |
| v  | Servers                                                                                                                                                                                                   | 5 years  |
| vi | Motor Vehicles                                                                                                                                                                                            | 5 years  |

The change in rates (based on life span) of depreciation is applied effective from 01-04-2020.

- 7.4 Software / Intangible Assets are amortized over 5 years.
- 7.5 If the item is put to use for 180 days and above in the year of acquisition, 100% depreciation will be charged for the concerned financial year. If the asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, 50% depreciation is to be charged for the concerned financial year.
- 7.6 5% of the Original cost price will be residual value in case of the assets having useful life 8 years and above. ₹5/- of the Original cost price is residual value for other assets.
- 7.7 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period or life span of relevant asset whichever is earlier. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease or life span of relevant assets whichever is lower.
- 7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

7.9 परिचालन पट्टा पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान को आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (पट्टा) के अनुसार पट्टा अवधि में लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

#### [8] सहायक कंपनियां

- घरेलू सहायक कंपनियों की अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाता है।
- सॉफ्टवेयर खरीद / विकसित और लाइसेंसिंग लागत से युक्त अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यहास सॉफ्टवेयर के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर अधिकतम 3 वर्षों तक किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर के पहली बार उपयोग किए जाने की तिथि से शुरू होता है।
- पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यहास या तो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों के अनुसार या अनुबंधों के अनुसार, पट्टे की पूरी प्राथमिक/द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे के किराए के लिए वर्ष के दौरान अर्जित पट्टे के किराए के अनुपात में लगाया जाता है, इनमें से जो भी अधिक हो।

#### [9] परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और यदि कोई क्षति हुई है, तो उसका प्रावधान किया जाता है और उसे लाभ और हानि खाते में डाल दिया जाता है।

#### [10] राजस्व मान्यता

आय और व्यय का लेखांकन सामान्यतः उपार्जन आधार पर किया जाता है, सिवाय निम्नलिखित के:

- गैर-निष्पादित अग्रिमों और गैर-निष्पादित निवेशों पर ब्याज की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
- अतिदेय बिलों पर ब्याज, कमीशन (सरकारी कारोबार और एलसी बीजी के लिए कमीशन के अलावा), एक्सचेंज, ब्रोकरेज और लॉकरों पर किराए की वसूली पर लेखांकित किया जाता है। लाभान्श का लेखांकन तब किया जाता है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

7.9 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

#### [8] Subsidiaries

- Fixed Assets of the domestic subsidiaries are depreciated as provided in the Schedule II of the Companies Act, 2013.
- Intangible assets comprising of software purchase / developed and licensing cost are depreciated on straight-line method over the useful life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.
- In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 2013 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary / secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

#### [9] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for and charged off to profit and loss accounts.

#### [10] Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- Interest on Non-Performing advances and Non-Performing Investments is recognized on receipt basis as per norms laid down by the RBI.
- Interest on Overdue Bills, Commission (other than Government business & Commission for LC BG), Exchange, Brokerage and rent on lockers is accounted on realization. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

- (c) बैंक के विदेशी कार्यालयों के संबंध में, आय और व्यय को उस देश के स्थानीय कानूनों के अनुसार पहचाना जाता है जिसमें संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है।
- (d) मुकदमा दायर किए गए खातों के मामले में, संबंधित कानूनी और अन्य व्यय लाभ और हानि खाते में चार्ज किए जाते हैं और वसूली होने पर उन्हें आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

## [11] जीवन बीमा कंपनी

### 1. प्रीमियम आय:

गैर-सहबद्ध कारोबार के प्रीमियम को आय (माल और सेवा कर ("जीएसटी") के बाद) के रूप में मान्यता दी जाती है, जब पॉलिसीधारकों से देय होता है, जहां अनुग्रह अवधि (आईआरडीआई द्वारा अनुमोदित उत्पाद नियमों और शर्तों के अनुसार) समाप्त नहीं हुई है। यूनिट लिंक्ड कारोबार के लिए, प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब संबंधित इकाइयाँ बनाई / आवंटित की जाती हैं।

परिवर्तनीय बीमा उत्पादों और अन्य निधि आधारित समूह उत्पादों के मामले में, प्रीमियम को निधियों की प्राप्ति की तिथि पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

समाप्त हो चुकी पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब ऐसी पॉलिसियाँ फिर से चालू की जाती हैं।

सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि और / या पूर्व-निर्धारित पॉलिसी अवधि के साथ नियमित प्रीमियम भुगतान योजना वाले उत्पादों को पहले वर्ष और नवीनीकरण में प्रीमियम के उचित वर्गीकरण के साथ नियमित व्यवसाय के रूप में माना जाता है। उपर्युक्त के अलावा अन्य उत्पादों पर प्रीमियम आय को एकल प्रीमियम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

यूनिट लिंक्ड पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना जाता है और संबंधित इकाइयों के बनाए / आवंटित होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

### 2. सहबद्ध व्यवसाय से आय

निधि प्रबंधन प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु दर शुल्क और उत्पाद सुविधाओं के अनुसार अन्य प्रभार प्रीमियम की शर्तों के अनुसार लिंक्ड फंड से वसूल किए जाते हैं और देय और वसूली योग्य होने पर पहचाने जाते हैं। आवंटन प्रभार तब वसूल किए जाते हैं जब संबंधित यूनिट प्रीमियम की शर्तों के अनुसार बनाई / आवंटित की जाती हैं।

- (c) As regards Bank's foreign offices, income and expenditure are recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- (d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

## [11] Life Insurance Company

### 1. Premium Income

Premium of non-linked business is recognised as income (net of Goods and Services Tax ("GST") when due from policyholders, where the grace period (as per the product terms & conditions, as approved by IRDAI) has not expired. For unit linked business, premium is recognised as income when the associated units are created / allocated.

In case of variable insurance products and other fund based group products, premium is recognised as income on the date of receipt of funds.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Products having regular premium paying plans with limited premium payment term and / or pre-determined policy term are treated as regular business with due classification of premium into first year and renewal. Premium income on products other than aforesaid is classified as single premium.

Top-up premium paid by the unit linked policyholders' is considered as single premium and recognized as income when the associated units are created / allocated.

### 2. Income from Linked Business:

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product features are recovered from linked funds in accordance with the terms and conditions of policies and are recognised when due and recoverable. Allocation charges are recovered when associated units are created / allocated in accordance with the terms and conditions of policies.

उपरोक्त यूनिट लिंकड प्रभार पर वसूला गया माल और सेवा कर ("जीएसटी") आईआरडीआई दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व खाते में "यूएलआईपी प्रभार पर वसूला गया माल और सेवा कर ("जीएसटी") के अंतर्गत दिखाया गया है।

### 3. पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा प्रीमियम का लेखा पुनर्बीमाकर्ता के साथ संधि या सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार उचित आधार पर किया जाता है।

### 4. भुगतान किए गए लाभ (दावों सहित)

दावों की लागत में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत शामिल होती है, जहाँ लागू हो। मृत्यु दावों और राइडर दावों का लेखांकन सूचना प्राप्त होने पर तुलन-पत्र की तिथि तक किया जाता है।

उत्तरजीविता लाभ दावों, वार्षिकी दावों और परिपक्वता दावों का लेखांकन तब किया जाता है जब ये देय हो जाते हैं।

यूनिट लिंकड पॉलिसियों के अंतर्गत समर्पण और निकासी (शुल्कों के बाद) का लेखांकन तब किया जाता है जब संबद्ध यूनिट रद्द कर दी जाती हैं। गैर-लिंकड पॉलिसियों के अंतर्गत, इनका लेखा-जोखा तब किया जाता है जब समर्पण की सूचना प्राप्त होती है और तुलन-पत्र की तिथि तक स्वीकार कर ली जाती है।

यूनिट-लिंकड बीमा उत्पादों के मामले में, जिसमें जीवन प्रस्तावक की मृत्यु पर शेष भविष्य के प्रीमियमों को माफ करने की सुविधा होती है, माफ किए गए संपूर्ण भविष्य के प्रीमियम को जीवन प्रस्तावक की मृत्यु की घटना पर भुगतान किए गए लाभों के अंतर्गत देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। जब बाद का मॉडल प्रीमियम देय हो जाता है, तो उक्त प्रीमियम को पूर्वोक्त देयता को कम करके वित्तपोषित किया जाता है और उसके लिए प्रीमियम आय को मान्यता दी जाती है।

न्यायिक अधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान किया जाता है / प्रकट किया जाता है, जो प्रबंधन के विवेक के आधार पर, ऐसे दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करता है।

दावों पर पुनर्बीमा वसूली का लेखा उसी लेखा अवधि में किया जाता है, जिसमें संबंधित दावे होते हैं।

### 3. Reinsurance Premium

Re-insurance premium ceded is accounted on due basis in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the re-insurer.

### 4. Benefits paid (including claims)

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation up to the balance sheet date.

Survival benefit claims, annuity claims and maturity claims are accounted when these become due.

Surrenders and withdrawals (net of charges) under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under non-linked policies, these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted up to the balance sheet date.

In case of Unit-Linked insurance products having the feature of waiver of the balance future premiums on the death of the life proposer, the entire future premiums waived are recognised as liability under the benefits paid on the occurrence of death of the life proposer. When the subsequent modal premium becomes due, the said premiums are funded by reducing the aforesaid liability and the premium income is recognized for the same.

Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for / disclosed as contingent liability, based on management prudence, considering the facts and evidences available in respect of such claims.

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same accounting period as the related claims.

## 5. अधिग्रहण की लागत

अधिग्रहण लागत (जैसे कमीशन, चिकित्सा जांच शुल्क आदि) ऐसी लागतें हैं जो बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण के साथ बदलती रहती हैं और मुख्य रूप से उनसे संबंधित होती हैं और जिस अवधि में वे खर्च के लिए निर्धारित होती हैं, उसी अवधि में व्यय की जाती हैं। भुगतान किए गए कमीशन की वापसी के कारण भविष्य में वसूली, यदि कोई हो, उस वर्ष में की जाती है जिसमें इसकी वसूली देय होती है।

### 6. a) पॉलिसी देयता मूल्यांकन

लागू पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए जिनके लिए प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि तक देयता मौजूद है, देयताओं का मूल्य भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 और समय-समय पर संशोधित आईआरडीआई द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों/विनियमों, भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी बीमांकिक प्रथा मानकों (एपीएस 2 और एपीएस 7) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत बीमांकिक सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

बीमांकिक देयता की गणना के लिए एक संक्षिप्त पद्धति नीचे दी गई है:

- पॉलिसी देनदारियों का मूल्यांकन पॉलिसी दर पॉलिसी आधार पर किया जाता है, अर्थात् प्रत्येक पॉलिसी का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाता है।
- यूनिट-लिंक्ड पॉलिसियों पर लिंक्ड भाग का निर्धारण विभिन्न यूनिट-लिंक्ड फंडों में यूनिटों की संख्या को मूल्यांकन तिथि पर प्रति यूनिट नेट एसेट वैल्यू से गुणा करके किया जाता है।
- निवल आस्ति मूल्य यूनिट-लिंक्ड पॉलिसियों की गैर-यूनिट देनदारी और गैर-लिंक्ड पॉलिसियों (निधि आधारित समूह उत्पादों और एक वर्षीय नवीकरणीय समूह अवधि आश्वासन योजनाओं के अलावा) के लिए देयता का निर्धारण संभावित सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।
- एक वर्षीय नवीकरणीय समूह अवधि आश्वासन योजनाओं के लिए, देयता का निर्धारण अनर्जित प्रीमियम पद्धति या संभावित सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जो भी उच्च निधि की ओर ले जाता है।

## 5. Acquisition Costs

Acquisition costs (such as commission, medical examination fees etc.) are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in which they are incurred. Recovery on account of clawback of the commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due.

### 6.a) Policy Liability Valuation

The value of liabilities, for policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as on reporting date, is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 and other relevant regulations issued by IRDAI, as amended from time to time, the Actuarial Practice Standards (APS 2 and APS 7) issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.

A brief methodology for calculating the actuarial liability is given below:

- The policy liabilities are valued on policy by policy basis, i.e. each policy is valued separately
- The linked portion on unit-linked policies is determined by multiplying the number of units in various unit-linked funds with the Net Asset Value per unit as at the valuation date.
- The non-unit liability of unit-linked policies and liability for non-linked policies (other than fund based group products and one year renewable group term assurance plans) is determined using the prospective gross premium valuation methodology.
- For one year, renewable group term assurance plans, the liability is determined using the unearned premium method or prospective gross premium valuation methodology, whichever leads to a higher reserve.



- निधि आधारित समूह उत्पादों के मामले में, देयता का निर्धारण योजना खाता मूल्य के आधार पर किया जाता है, जो घोषित या गारंटीकृत ब्याज के लिए उचित रूप से अनुमति देता है।
- परिवर्तनीय समूह बीमा उत्पादों के मामले में, देयता की गणना तिमाही के आरंभ में घोषित गारंटीकृत ब्याज दर का उपयोग करते हुए, चालू तिमाही के अंत तक प्रासंगिक योजना के खाता मूल्य का अनुमान लगाकर की जाती है और फिर प्रतिकूल विचलन के लिए उचित मार्जिन लागू करने के बाद सकल अपेक्षित रिटर्न का उपयोग करते हुए मूल्यांकन तिथि तक इस मूल्य को घटाया जाता है।

कंपनी अतिरिक्त समग्र जोखिम रिजर्व (जैसे कि उपगत परंतु रिपोर्ट न किए गए रिजर्व, कारोबार निधि रिजर्व का बंद होना, फ्री-लुक रिजर्व आदि) भी रखती है, ताकि उन जोखिमों को ध्यान में रखा जा सके, जिन्हें विशिष्ट नीतियों या कारोबार सीमाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

#### (b) भविष्य के विनियोजन के लिए निधि

##### भावी विनियोजन हेतु निधि (संबद्ध कारोबार)

यूनिट लिंकड पॉलिसियों के मामले में, जिन समाप्त पॉलिसियों के पुनर्जीवित होने की संभावना नहीं है, उनसे काटे गए समाप्ति प्रभार को, पुनरुद्धार अवधि की समाप्ति या बीमित व्यक्ति की मृत्यु या लागू लॉक-इन अवधि की समाप्ति के कारण पॉलिसी के बहीखातों से बाहर निकलने तक तुलन-पत्र में भविष्य के विनियोजन के लिए निधि के रूप में रखा जाता है।

##### भावी विनियोजन के लिए निधि (गैर-संबद्ध कारोबार)

भावी विनियोजन के लिए निधियां उस अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे भाग लेने वाले खंड में पॉलिसीधारकों/शेयरधारकों को अभी तक विनियोजित नहीं किया गया है।

निधि में और निधि से होने वाले हस्तांतरण भाग लेने वाले पॉलिसीधारकों के कोष में प्रत्येक लेखा अवधि में व्यय और विनियोजन पर आय की अधिकता या कमी को दर्शाते हैं। भाग लेने वाली पॉलिसियों के संबंध में, पॉलिसीधारक को कोई भी आवंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक हस्तांतरण को भी जन्म देगा।

- In case of fund based group products, the liability is determined on the basis of scheme account value allowing appropriately for the interest declared or guaranteed.
- In case of Variable group insurance products, the liability is calculated by projecting the account value of the relevant scheme till the end of the current quarter using the guaranteed interest rate declared at the beginning of the quarter and then discounting this value to the valuation date using the gross expected return after applying an appropriate margin for adverse deviation.

The Company also holds additional aggregate risk reserves (such as Incurred But Not Reported Reserves, Closure to New Business Reserves, Free-Look Reserve etc.) to allow for the risks that cannot be attributed to specific policies or lines of businesses.

#### (b) Funds for future appropriations

##### Funds for future appropriations (Linked business)

In case of unit linked policies, the discontinuance charges deducted from the lapsed policies which are not expected to be revived are held as Funds for Future Appropriations in Balance Sheet until the exit of the policy from books due to expiry of revival period or due to death of the life assured or expiry of the lock-in period as applicable.

##### Funds for future appropriations (Non-Linked business)

The Funds for Future Appropriations represents the surplus which is yet to be appropriated to policyholders / Shareholders, in the participating segment.

Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the participating policyholders' fund. In respect of participating policies, any allocation to the policyholder would also give rise to a Shareholder transfer in the required proportion.



## [12] कर्मचारी लाभ

- (a) **परिभाषित अंशदान योजनाएँ:** प्रोविडेंट / पेंशन फंड जैसी परिभाषित अंशदान योजनाओं को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है।

बैंक दिनांक 01-04-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) परिचालित करता है, जो एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, ऐसे नए कर्मचारी मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के हकदार नहीं हैं। योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% इस योजना में योगदान करते हैं, साथ ही बैंक की ओर से मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के बराबर का योगदान भी मिलता है। बैंक ऐसे वार्षिक योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है, जिससे वे संबंधित हैं।

- (b) **परिभाषित लाभ योजनाएँ:**

(i) **ग्रेच्युटी:** कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना बैंक (मूल) द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित की जाती है जो बदले में दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी निधि का प्रबंधन करता है। ग्रेच्युटी के तहत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में बीमांकिक के आधार पर पहचाना जाता है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को सकल दायित्व से घटाकर निवल आधार पर दायित्व को मान्यता दी जाती है।

(ii) **पेंशन:** कर्मचारी पेंशन निधि योजना बैंक (मूल) द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग न्यास द्वारा प्रबंधित की जाती है। पेंशन के तहत बैंक के दायित्वों का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में बीमांकिक की रिपोर्ट के आधार पर पहचाना जाता है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को सकल दायित्व से घटाकर निवल आधार पर दायित्व को मान्यता दी जाती है।

- (c) विशेषाधिकार अवकाश को दीर्घकालिक लाभ माना जाता है और इसे प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

## [12] Employee Benefits

- (a) **Defined Contribution Plans:** Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-04-2010, which is a defined contribution Pension Scheme, such new joiners are not entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a contribution from the Bank equivalent to 14% of the basic pay plus dearness allowance. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

- (b) **Defined Benefit Plans:**

(i) **Gratuity:** The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's (Parent) obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(ii) **Pension:** The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust. The present value of the Bank's (Parent) obligations under Pension is recognized on the basis of actuary's report as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

- (c) The privilege leave is considered a long-term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

- (d) परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के साथ प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके किया जाता है। बीमांकिक लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में तुरंत मान्यता दी जाती है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

- (d) The cost of providing long-term benefits under defined benefit Plans is determined using the projected Unit credit method with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.

### [13] कराधान के लिए प्रावधान

- (a) आयकर व्यय बैंक द्वारा वहन किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22- “आय पर करों के लिए लेखांकन” के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखा जाता है, जो संबंधित क्षेत्राधिकारों के कर कानूनों पर आधारित होते हैं।
- (b) आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। समय के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियाँ, जो बाद की अवधि में उलटने में सक्षम हैं, उन्हें कर दरों और कानूनों का उपयोग करके पहचाना जाता है जो तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है।
- (c) आस्थगित कर आस्ति को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि उनकी प्राप्ति यथोचित रूप से निश्चित मानी जाती है या आभासी रूप से निश्चित, जैसा भी मामला हो।
- (d) आस्थगित कर आस्ति को अनवशेषित मूल्यहास और कर घाटे को आगे ले जाने पर तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात की वास्तविक निश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के विरुद्ध प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त मदों के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उचित निश्चितता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

### [13] Provision for Taxation

- (a) Income Tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - “Accounting for Taxes on Income” respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.
- (b) Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred Tax Assets or liabilities during the year. Deferred Tax Assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date. The impact of changes in Deferred Tax Assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.
- (c) Deferred Tax Assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management’s judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain or virtual certain as the case may be.
- (d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such Deferred Tax Assets can be realised against future profits. Deferred Tax Assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty.

## [14] प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक आस्तियाँ

(a) आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के अनुरूप, बैंक केवल तभी प्रावधान को मान्यता देता है जब:

- अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है।
- यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और
- जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

(b) निम्न के लिए कोई प्रावधान नहीं है:

- कोई संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से बैंक (मूल) के नियंत्रण में नहीं हैं।
- यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी, या
- दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाता है और दायित्व के केवल उस हिस्से के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, सिवाय उन अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(c) आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

## [15] निवल लाभ

लाभ और हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखित है:

- निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान।
- कराधान के लिए प्रावधान।
- ऋण घाटे पर प्रावधान

## [14] Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets

(a) In conformity with Accounting Standard (AS) 29 (Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets) issued by ICAI, the Bank (Parent) recognizes provision only when:

- It has a present obligation as a result of past event.
- It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(b) No provision is recognized for:

- Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank (Parent).
- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

(c) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

## [15] Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- Provision for Depreciation on Investments.
- Provision for Taxation.
- Provision on Loan Losses

- (d) मानक आस्तियों पर प्रावधान।
- (e) गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान।
- (f) अन्य सामान्य और आवश्यक वस्तुओं के लिए प्रावधान।

#### [16] प्रति शेयर आय

बैंक (मूल) लेखांकन मानक (एएस) 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार प्रति शेयर मूल और मन्दित आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के बाद निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

#### [17] नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

#### [18] खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी एएस-17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

- (d) Provision on Standard Assets.
- (e) Provision for Non-Performing Investments.
- (f) Provision for Other Usual & Necessary Items.

#### [16] Earnings per share

The Bank (Parent) reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with Accounting Standard (AS) 20 (Earnings per Share). Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the Year.

#### [17] Cash Flow Statement

Cash flow Statement is reported by using indirect method.

#### [18] Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

## अनुसूची - 19

### यथा 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां

- समूह की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में केनरा बैंक (मूल बैंक) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों व सहयोगी संस्थानों का परिणाम शामिल है। अनुषंगियों / सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरणी को, मूल बैंक की रिपोर्टिंग तिथि अर्थात् समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2026 तक तैयार किया गया है।

#### 1.1 अनुषंगियाँ

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकित किया गया है:

| क्र. सं. | कंपनी का नाम                                                                                | निगमन का प्रकार | निगमिति देश | स्वामित्व हित का प्रतिशत |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 1        | केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड                                                            | अनुषंगी         | India       | 100%                     |
| 2        | केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड                                                         | अनुषंगी         | India       | 100%                     |
| 3        | केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड<br>(पूर्व में गिल्ट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) | अनुषंगी         | India       | 100%                     |
| 4        | केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड                                                                    | अनुषंगी         | India       | 70%                      |
| 5        | केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड                                                           | अनुषंगी         | India       | 69.14%                   |
| 6        | केनरा तंजानिया लिमिटेड (परिसमापन में)<br>(पूर्व में केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड)            | अनुषंगी         | Tanzania    | 100%                     |
| 7        | सीआरएमएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नवंबर 2024 से)                                           | अनुषंगी         | India       | 51%                      |

\* बैंक ने केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है और इसके लिए आवश्यक विनियामक स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली हैं।

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (90.91%) और केनरा बैंक (9.09%) का एक संयुक्त उद्यम है, जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तपोषण करना है। एचईएफए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 (गैर-लाभकारी) के तहत एक केंद्र सरकार की कंपनी के रूप में और आरबीआई के साथ गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) का उद्देश्य विश्व स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों का निर्माण करना और अनुसंधान सुविधाएं स्थापित करना है, जिसका उद्देश्य देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईआईटी आदि जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक विशेष प्रयोजन हेतु एक मंच प्रदान करना है।

इसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने 2,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। शिक्षा मंत्रालय ने 1,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है और केनरा बैंक ने आनुपातिक रूप से 100 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

## SCHEDULE - 19

### NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2026

- The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent), and following Subsidiaries & Associates. The financial statements of the Subsidiaries / Associates are drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended on March 31, 2026.

#### 1.1 Subsidiaries

The following subsidiaries have been considered for consolidation based on their Audited Financial Statements:

| Sl. No. | Name of Company                                                               | Type of Incorporation | Country of Incorporation | Percentage of Ownership Interest |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1       | Canbank Venture Capital Fund Ltd.                                             | Subsidiary            | India                    | 100%                             |
| 2       | Canbank Financial Services Ltd.                                               | Subsidiary            | India                    | 100%                             |
| 3       | Canara Bank Securities Ltd.<br>(formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd.) | Subsidiary            | India                    | 100%                             |
| 4       | Canbank Factors Ltd. *                                                        | Subsidiary            | India                    | 70%                              |
| 5       | Canbank Computer Services Ltd.                                                | Subsidiary            | India                    | 69.14%                           |
| 6       | Canara Tanzania Ltd. (In Liquidation)<br>(Formerly Canara Bank Tanzania Ltd.) | Subsidiary            | Tanzania                 | 100%                             |
| 7       | CRM Trustee Private Ltd. (From Nov 2024)                                      | Subsidiary            | India                    | 51%                              |

\*The Bank has decided to disinvest its stake in Canbank Factors Ltd., and has obtained requisite regulatory approvals.

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture of MHRD, Government of India (90.91%) and Canara Bank (9.09%) for financing creation of capital assets in premier educational institutions in India. HEFA is registered under Section 8 (Not-for-profit) under the Companies Act 2013 as a Union Govt company and as Non-deposit taking NBFC with RBI.

The Ministry of Human Resources Development (MHRD) with an objective to build world-class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT, IIITs etc of the country.

Based on this the MoE proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2,000 Cr. MoE has contributed ₹1,000 Crores and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 Crores.



इसके बाद, अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें सरकार 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक 500 करोड़ रुपये का योगदान देगा। शिक्षा मंत्रालय ने 31.03.2026 तक 4,812.50 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश की है और केनरा बैंक ने 481.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर बैंक के सीएफएस में एचईएफए की वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है:

- समेकन का इरादा शेयरहोल्डिंग के आधार पर, अनुषंगी / संयुक्त उद्यम के मुनाफे, आय और संपत्ति को होल्डिंग / वेंचर कंपनी के साथ विलय करना है। होल्डिंग/उद्यम कंपनी तकनीकी रूप से अपनी अनुषंगी / उद्यम की आनुपातिक संपत्ति (लाभ सहित) की मालिक है। चूंकि उद्यम कंपनी धारा 8 कंपनी के मुनाफे पर कभी भी किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकती, इसलिए बैंक द्वारा इसे समेकित नहीं किया जाता है।
- एस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि यह नियंत्रण की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।

Subsequently, the authorized capital has been increased to ₹10,000 Crores wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 Crores and Canara Bank will contribute ₹500 Crores. As on 31.03.2026, MoE has infused Capital of ₹4,812.50 Crores and Canara Bank has contributed ₹481.25 Crores.

The financials of HEFA is not considered in the CFS of the Bank based the following facts:

- The intent behind consolidation is to merge the profits, income and wealth of the Subsidiary / JV with the Holding / Venture company by the virtue of its share holding. The Holding / Venture company technically owns the proportionate wealth (including the profit) of its Subsidiary / Venture. As the profits of a Section 8 company cannot be claimed by the JV partner, it is not consolidated by the Bank.
- AS 21 (Consolidated Financial Statement) would not be applicable in the current case as the investment does not satisfy the definition of Control.

| स्वीकार किए जाने हेतु शर्तें                                                                                            | केनरा बैंक की स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रयोज्यता                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुषंगी कंपनी (यों) के माध्यम से, एक उद्यम की मतदान शक्ति के आधे से अधिक का स्वामित्व | संयुक्त उद्यम सह शेयर धारक करार के अनुच्छेद 4.1 के अनुसार, केनरा बैंक के पास केवल 9.09% हिस्सेदारी है जो मतदान शक्ति की आधी सीमा से बहुत कम है।                                                                                                                                                                                                           | संतोषजनक नहीं।                                                                                    |
| 2. किसी कंपनी के मामले में निदेशक मंडल की संरचना या संबंधित शासन की संरचना का नियंत्रण                                  | संयुक्त उद्यम सह शेयरधारक करार के पैरा 9.1.1 के अनुसार, एचईएफए के निदेशक मंडल में 7 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से केनरा बैंक के केवल दो निदेशक, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक (एमडी) होंगे, बोर्ड में प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी प्रकार, उक्त समझौते के पैरा 8.2 के अनुसार, प्रबंध निदेशक, निदेशक मंडल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के अधीन कार्य करेगा। | चूंकि, बैंक के पास बोर्ड की संरचना में नियंत्रक हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए यह शर्त पूरी नहीं होती। |

| Conditions to satisfy                                                                                                                 | Canara Bank's position                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Applicability                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. The ownership, directly or indirectly through subsidiary(ies), of more than one-half of the voting power of an enterprise          | As per Para 4.1 of the JV-cum-Shareholder Agreement Canara Bank is holding only 9.09%, which is much below the threshold of one-half of the voting power.                                                                                                                                                                                                                        | Not Satisfied                                                                                            |
| 2. Control of the composition of the Board of Directors in the case of a company or of the composition of the corresponding governing | As per Para 9.1.1 of the JV-cum-Shareholder Agreement, Board of Directors of HEFA consists of 7 directors, out of which only two directors of Canara Bank, one of whom will be Managing Director (MD), will represent in the Board. Similarly, as per Para 8.2 of the said agreement, MD shall function under the control, supervision and directions of the Board of Directors. | Since, the Bank is not having controlling stake in composition of Board, the condition is not satisfied. |

- c) एस 27 (संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग) एस 27 के पैरा 28 (बी) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध के कारण लागू नहीं होगा, जो निम्नानुसार है:

संयुक्त उद्यम की प्रकृति के कारण, यदि यह आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी है, तो संयुक्त उद्यम को एस 27 के पैरा 28 (बी) के तहत दिए गए प्रतिबंध के कारण सीएफएस के लिए नहीं माना जाएगा, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि “(बी) एक संयुक्त रूप से नियंत्रित किसी ऐसी इकाई में हित, जो गंभीर दीर्घकालिक प्रतिबंधों के तहत संचालित होती है जो उद्यमकर्ता को धन हस्तांतरित करने की इसकी क्षमता को काफी हद तक बाधित करती है।”

ऐसी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में हित को लेखांकन मानक (एस) 13, निवेशों के लिए लेखांकन के अनुसार निवेश के रूप में किया जाना चाहिए।”

संयुक्त उद्यम के गठन का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 (संयुक्त उद्यम सह शेयरधारक समझौते के पृष्ठ 2 के खंड सी) के प्रावधानों के तहत धारा 8 कंपनी को शामिल करना है। इसके अलावा, उक्त समझौते के पैरा 4.4 और पैरा 8.4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लाभ इक्विटी का हिस्सा होगा और यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक प्रतिबंध हैं जो बैंक को धन हस्तांतरित करने की इसकी क्षमता को काफी हद तक बाधित करते हैं।

इसके अलावा, एस 27 के पैरा 12 और 13 में कहा गया है: “12. संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन में अपने हितों के संबंध में, एक उद्यमी को अपने अलग-अलग वित्तीय विवरणों में और इसके परिणामस्वरूप अपने समेकित वित्तीय विवरणों में पहचान करनी चाहिए:

- (i) वे आस्तियाँ जिन पर यह नियंत्रण रखता है और जिन देनदारियों का यह वहन करता है; और
- (ii) जिन खर्चों का वह वहन करता है और आय का उसका हिस्सा जो कि वह संयुक्त उद्यम से कमाता है।

चूंकि उद्यमकर्ता के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में आस्ति, देयताओं, आय और व्यय पहले से ही पहचाने जाते हैं, और इसके परिणामस्वरूप समेकित वित्तीय विवरणों में, इन मदों के संबंध में कोई समायोजन या अन्य समेकन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जब उद्यमी समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

चूंकि बैंक अपनी आय में, उद्यम से प्राप्त शुल्क को उद्यम के प्रबंधन, उसकी श्रमशक्ति और अन्य संसाधनों की लागत के रूप में शामिल करता

- c) AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) would not be applicable due to the restriction provided under Para 28 (b) of AS 27 which reads as under:

Due to the nature of the JV, even if registered as NBFC with RBI, which is a not-for-profit company registered U/s 8 of Companies Act, 2013 the JV would not be considered for CFS due to the restriction provided under Para 28 (b) of AS 27 which read as “(b) an interest in a jointly controlled entity which operates under severe long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the venturer.

Interest in such a jointly controlled entity should be accounted for as an investment in accordance with Accounting Standard (AS) 13, Accounting for Investments.”

The intent of forming of the JV is incorporating a Section 8 Company under the provisions of Companies Act, 2013 (Clause C of page 2 of the JV-cum-Shareholder Agreement). Further, Para 4.4 and Para 8.4 of the captioned agreement it is clearly mentioned that the profit shall form part of the equity and which demonstrates that there are long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the Bank.

Also, Para 12 and 13 of AS 27 state as under: “12. In respect of its interests in jointly controlled operations, a venturer should recognise in its separate financial statements and consequently in its consolidated financial statements:

- (i) The assets that it controls and the liabilities that it incurs; and
- (ii) The expenses that it incurs and its share of the income that it earns from the joint venture.

Because the assets, liabilities, income and expenses are already recognised in the separate financial statements of the venturer, and consequently in its consolidated financial statements, no adjustments or other consolidation procedures are required in respect of these items when the venturer presents consolidated financial statements.

Since the Bank accounts in its income the fees received from the Venture towards the cost of managing the

है तथा निवेश के रूप में अभिदत्त शेयर पूंजी को भी मान्यता देता है, इसलिए समेकन की आगे की प्रक्रिया / समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है।

उपर्युक्त कारणों को देखते हुए बैंक ने सीएफएस में एस 21 या एस 27 के तहत संयुक्त उद्यम पर विचार नहीं किया है।

venture with its manpower and other resources and also recognizes the subscribed share capital as investment, the further procedure/adjustment of consolidation is not required.

In view of the above reasons the Bank has not considered the JV in CFS either under AS 21 or AS 27.

## 1.2 सहयोगी संस्थाएँ:

i. निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं में निवेश को उनके वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकन के उद्देश्य से माना गया है:

| क्र. सं. | सहयोगी संस्थाओं के नाम                                                                                                           | लेखापरीक्षित / अलेखापरीक्षित | निगमिति देश | यथा 31.03.2026 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%) | यथा 31.03.2025 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.       | केनफिन होम्स लि.                                                                                                                 | लेखापरीक्षित                 | भारत        | 29.99%                                         | 29.99%                                         |
| 2.       | केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक)                                                                           | अलेखापरीक्षित                | भारत        | 35.00%                                         | 35.00%                                         |
| 3.       | कर्नाटक ग्रामीण बैंक (01.05.2025 से प्रभावी)                                                                                     | लेखापरीक्षित                 | भारत        | 35.00%                                         | -                                              |
| 4.       | केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड#                                                                                       | लेखापरीक्षित                 | भारत        | (16.10.2025 से प्रभावी)                        | 51.00%                                         |
| 5.       | केनरा एचएसबी सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में केनरा एचएसबी सी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) # | लेखापरीक्षित                 | भारत        | 36.50% (17.10.2025 से प्रभावी)                 | 51.00%                                         |

## 1.2 Associates:

i. The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Financial Statements:

| Sl. No. | Name of the Associate                                                                                                  | Audited / Unaudited | Country of Incorporation | Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2026 | Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2025 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.      | Can Fin Homes Ltd.                                                                                                     | Audited             | India                    | 29.99%                                                | 29.99%                                                |
| 2.      | Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)                                                               | Unaudited           | India                    | 35.00%                                                | 35.00%                                                |
| 3.      | Karnataka Grameena Bank (With effect from 01.05.2025)                                                                  | Audited             | India                    | 35.00%                                                | -                                                     |
| 4.      | Canara Robeco Asset Management Company Ltd.#                                                                           | Audited             | India                    | 38% (w.e.f. 16.10.2025)                               | 51.00%                                                |
| 5.      | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. (Formerly Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.) # | Audited             | India                    | 36.50% (w.e.f. 17.10.2025)                            | 51.00%                                                |

#केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और केनरा एचएसबी सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बिक्री के लिए प्रस्ताव (आईपीओ) के ज़रिए शेयर बेचने के बाद, क्रमशः 16.10.2025 और 17.10.2025 को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हुई। शेयरों की लिस्टिंग और बिक्री के बाद, इन कंपनियों में बैंक की शेयरधारिता प्रत्येक कंपनी में 51% से घटकर 38% और 36.50% हो गई है। ये कंपनियाँ अब सहायक कंपनियाँ नहीं रही और बैंक की सहयोगी कंपनियाँ बन गईं, और दिनांक 31.03.2026 तक इन्हें सहयोगी कंपनियों के तौर पर समेकित किया गया है। इस विनिवेश से, समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू लेखा मानकों के अनुसार, एकल आधार पर 1,929.56 करोड़ रुपये और समेकित आधार पर ₹1,800.93 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ (खर्चों के बाद) हुआ।

- अनुषंगी कंपनियाँ और सहयोगी कंपनियाँ प्रचलित कानूनों और प्रथाओं के अनुसार लेखांकन नीतियों का लगातार पालन कर रही हैं; कुछ मामलों में ये नीतियाँ मूल संस्था से अलग हैं, जिसका कारण संबंधित उद्योग, व्यवसाय या देश की आवश्यकताएँ हैं। प्रबंधन की विचार में, चूंकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
- विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूंजी आरक्षित निधियाँ/ (गुडविल) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| अनुषंगी का नाम                    | 31.03.2026  | 31.03.2025  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड          | 2.54        | 2.54        |
| केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड | 0.25        | 0.25        |
| <b>निवल पूँजी आरक्षित निधियाँ</b> | <b>2.79</b> | <b>2.79</b> |

#### 4. अंतर शाखा लेनदेन और लेखा शेषों का पुष्टिकरण

मूल बैंक के अंतर-शाखा / कार्यालय लेनदेन के अंतर्गत प्रविष्टियों का मिलान और सेटिंग ऑफ, अंतर-कार्यालय समायोजन लेखा के माध्यम से पूरे बैंक के लिए कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पर आधारित प्रणाली द्वारा ही किया जाता है।

समूह की कुछ कंपनियों में विविध लेनदारों, विविध देनदारों, ऋणों और अग्रिमों आदि में शेष राशि की पुष्टि की जानी आवश्यक है।

#Canara Robeco Asset Management Company Limited and Canara HSBC Life Insurance Company Limited were listed on BSE and NSE on 16.10.2025 and 17.10.2025 respectively, pursuant to sale of shareholding through Offer for Sale (Offer for Sale - IPO). Following the listing and sale of shares, the Bank's shareholding in these companies reduced from 51% in each company to 38% and 36.50% respectively. Consequently, with effect from the respective listing dates, these companies have ceased to be subsidiaries and became associates of the Bank and they are consolidated as associates as on 31.03.2026. The aforesaid divestment resulted in a pre-tax profit (net of expenses) of ₹1,929.56 Crores in standalone basis and ₹1,800.93 Crores in consolidated basis as per applicable Accounting Standards on Consolidated Financial Statements.

- The Subsidiaries and Associates are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from the Parent in a few cases because of respective industry / business / country requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.
- The break-up of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of the two Subsidiaries is as under:

(Amount ₹ in Crores)

| Name of the Subsidiary            | 31.03.2026  | 31.03.2025  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Canbank Factors Limited           | 2.54        | 2.54        |
| Canbank Computer Services Limited | 0.25        | 0.25        |
| <b>Net Capital Reserve</b>        | <b>2.79</b> | <b>2.79</b> |

#### 4. Inter-Branch transactions and confirmation of balances

The matching and setting off of entries under Inter-Branch / Office transactions of the Parent Bank are automated in the Core Banking Solutions (CBS).

In some of the Group Companies, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

## 5. केनबैंक फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड (केनफिना)

कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आई के तहत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करती है और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करती है, जिसे (कंपनी लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी प्राथमिक एनबीएफसी गतिविधियां नहीं चला रही है, खाते चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

कंपनी अदालत में लंबित मामलों में वसूली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन ने नकदी प्रक्षेपण के समर्थन से अपनी कार्यशील पूंजी पर्याप्तता का आकलन किया है। प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास अपने परिचालन को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी होगी और प्रबंधन का मानना है कि कंपनी की चालू संस्था के आधार पर जारी रखने की क्षमता पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है।

## 6. संबद्ध पार्टि प्रकटीकरण

### 6.1 संबद्ध पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध - मूल संस्था - केनरा बैंक

#### 6.1.1 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- श्री. के. सत्यनारायण राजु, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त)
- श्री देबाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक (31 मई 2025 को सेवानिवृत्त)
- श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी)
- श्री भवेंद्र कुमार, कार्यपालक निदेशक
- श्री एस के मजूमदार, समूह मुख्य वित्त अधिकारी
- श्री सुनील कुमार चुघ, कार्यपालक निदेशक
- श्री अमित मित्तल, समूह मुख्य वित्त अधिकारी
- श्री संतोष कुमार बारिक, कंपनी सचिव

## 5. Canbank Financial Services Limited (CANFINA):

The company is registered as a NBFC under Sec 45-IA of the Reserve Bank of India ACT, 1934. The company follows mercantile system of accounting and complies with Generally Accepted Accounting Policies in India and Accounting Standards specified u/s. 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the (Companies Accounts) Rules 2014. The accounts are prepared on a going concern basis in spite of the fact that the company is not carrying out the primary NBFC activities.

The company is concentrating on recovery in the pending court cases. In the preparation of the financial statements, the management has made an assessment on its working capital sufficiency with the support of cash projection. The management has concluded that the company shall have sufficient working capital to finance their operations and the management believes that no material uncertainty exists over the ability of the company to continue on a going concern basis.

## 6. Related Party Disclosures:

### 6.1 Names of the Related Party and their relationship with the Parent - Canara Bank

#### 6.1.1 Key Management Personnel

- Shri. K. Satyanarayana Raju, Managing Director & Chief Executive Officer (Superannuated on 31<sup>st</sup> December 2025)
- Shri Debashish Mukherjee, Executive Director (Superannuated on 31<sup>st</sup> May 2025)
- Shri Hardeep Singh Ahluwalia, Managing Director & Chief Executive Director (I/C)
- Shri Bhavendra Kumar, Executive Director
- Shri S K Majumdar, Executive Director
- Shri Sunil Kumar Chugh, Executive Director
- Shri Amit Mittal, Group Chief Financial Officer
- Shri Santosh Kumar Barik, Company Secretary



## 6.1.2 मूल संस्था

- i) केनरा बैंक

### 6.1.3 अनुषंगियाँ

|   |                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड                                                             |
| 2 | केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड                                                                |
| 3 | केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड                                                                        |
| 4 | केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड                                                               |
| 5 | केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड<br>(पूर्व में गिल्ट सिक्क्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) |
| 6 | केनरा तंजानिया लिमिटेड**<br>(पूर्व में केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड)                             |
| 7 | सीआरएमएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नवंबर 2024 से)                                               |

\*\*केनरा तंजानिया लिमिटेड (सीटीएल) (जो अब परिसमापन में है), जो बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने अपनी मुख्य परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ मैसर्स एक्सिम बैंक तंजानिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी हैं और 21.12.2024 से अपना लाइसेंस वापस कर दिया है। बैंक को मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान यूएसडी 10 मिलियन का भुगतान प्राप्त हुआ है, और शेष राशि यूएसडी 1.68 मिलियन को स्थानीय नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में, प्रतिधारण राशि (20.12.2026 तक, यानी 21.12.2024 से 2 वर्षों के लिए) के तौर पर एक एस्करो खाते में जमा कर दिया गया है।

### संयुक्त उद्यम - शून्य

#### 6.1.4 सहयोगी संस्थाएँ

|   |                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | केनफिन होम्स लिमिटेड                                                                                                              |
| 2 | केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड *                                                                                       |
| 3 | केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड<br>(पूर्व में केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) * |
|   | <b>बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक #</b>                                                                             |
| 4 | कर्नाटक ग्रामीण बैंक                                                                                                              |
| 5 | केरल ग्रामीण बैंक<br>(भूतपूर्व दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक)                                                                       |

\*बिंदु संख्या 1.2 देखें।

## 6.1.2 Parent

- i) Canara Bank

### 6.1.3 Subsidiaries

|   |                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Canbank Financial Services Ltd.                                               |
| 2 | Canbank Venture Capital Fund Ltd.                                             |
| 3 | Canbank Factors Ltd.                                                          |
| 4 | Canbank Computer Services Ltd.                                                |
| 5 | Canara Bank Securities Ltd.<br>(formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd.) |
| 6 | Canara Tanzania Ltd.**<br>(formerly Canara Bank Tanzania Ltd.)                |
| 7 | CRM Trustee Private Ltd.                                                      |

\*\*Canara Tanzania Ltd. (In Liquidation) (CTL), a wholly-owned subsidiary of the Bank has transferred its major assets and liabilities to M/s Exim Bank Tanzania Ltd. and surrendered the license with effect from 21.12.2024. Bank has received payment of USD 10 mn during the current FY and balance amount of USD 1.68 mn has been deposited in an Escrow account towards retention money (till 20.12.2026 i.e., 2 years from 21.12.2024) in compliance with local regulatory requirement.

### Joint Ventures - NIL

#### 6.1.4 Associates

|   |                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Can Fin Homes Ltd.                                                                                                       |
| 2 | Canara Robeco Asset Management Company Ltd *                                                                             |
| 3 | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd.<br>(Formerly Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.)* |
|   | <b>Regional Rural Banks sponsored by the Bank#</b>                                                                       |
| 4 | Karnataka Grameena Bank                                                                                                  |
| 5 | Kerala Gramin Bank<br>(Erstwhile South Malabar Gramin Bank)                                                              |

\*Refer to Point No. 1.2



# बैंक ने अप्रैल 2025 तक 4 आरआरबी को प्रायोजित किया था। भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329, दिनांक 07.04.2025 के अनुपालन में, जिसमें पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय का प्रावधान था, केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी का विलय “एक राज्य-एक आरआरबी” की अवधारणा के तहत एक एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कर्नाटक ग्रामीण बैंक में दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी हो गया। इस आरआरबी में बैंक का निवेश 31 मार्च 2026 तक के इसके वित्तीय विवरणों में शामिल है।

पूर्व सहयोगी, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (एपीजीबी) (केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित) के संबंध में, केंद्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 07.04.2025 के पैरा एस.ओ. 1626(ई) के माध्यम से, दिनांक 01.05.2025 से आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित) के विलय की अधिसूचना जारी की।

#The Bank had sponsored 4 RRBs till April 2025. In compliance with the Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025, issued by Government of India for amalgamation of erstwhile Regional Rural Banks (RRB) Canara Bank sponsored RRBs amalgamated into a Single Regional Rural Bank i.e., Karnataka Grameena Bank under the concept “One State-One RRB” w.e.f. 01.05.2025. The Bank’s investments in this RRB is included in its Financial Statements as at 31<sup>st</sup> March 2026.

In respect of erstwhile associate, Andhra Pragathi Grameena Bank (APGB) (Sponsored by Canara Bank), Central Government, vide Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025 Para S.O. 1626(E) notified amalgamation of Andhra Pradesh Grameena Bank (Sponsored by Union Bank of India) with effect from 01.05.2025.

## हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी के विलय का विवरण इस प्रकार है:

| राज्य         | आरआरबी का अंतरण            | हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक | समामेलित आरआरबी            | हस्तांतरित आरआरबी का प्रायोजक |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| आंध्रा प्रदेश | आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक | केनरा बैंक                        | आंध्रा प्रदेश ग्रामीण बैंक | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया         |
| कर्नाटक       | कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक | केनरा बैंक                        | कर्नाटक ग्रामीण बैंक       | केनरा बैंक                    |
|               | कर्नाटक ग्रामीण बैंक       |                                   |                            |                               |

## Details of the amalgamation of RRBs sponsored by our Bank are as under:

| State          | Transferor RRB                | Sponsor Bank of Transferor RRB | Amalgamated RRB              | Sponsor Bank of transferee RRBs |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Andhra Pradesh | Andhra Pragathi Grameena Bank | Canara Bank                    | Andhra Pradesh Grameena Bank | Union Bank of India             |
| Karnataka      | Karnataka Vikas Grameena Bank | Canara Bank                    | Karnataka Grameena Bank      | Canara Bank                     |
|                | Karnataka Gramin Bank         |                                |                              |                                 |

6.1.5 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| नाम और अवधि                                                                                                | पदनाम                                        | 2025-26        | 2024-25        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| श्री. के. सत्यनारायण राजु,<br>प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी<br>(31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त) | प्रबंध निदेशक एवं<br>मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 67,29,756.00   | 42,41,160.00   |
| श्री देबाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक<br>(31 मई 2025 को सेवानिवृत्त)                                      | कार्यपालक निदेशक                             | 40,58,550.00   | 39,12,885.00   |
| श्री अशोक चंद्र<br>(16.01.2025 तक)                                                                         | कार्यपालक निदेशक                             | 10,15,993.54*  | 30,57,596.00   |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया<br>प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी<br>(प्रभारी)                       | कार्यपालक निदेशक                             | 35,77,812.00   | 34,66,935.00   |
| श्री भवेन्द्र कुमार<br>(24.03.2025 से)                                                                     | कार्यपालक निदेशक                             | 51,37,753.42   | 35,27,076.00   |
| श्री एस के मजूमदार (24.03.2025 से)                                                                         | कार्यपालक निदेशक                             | 42,46,672.52   | 69,807.48      |
| श्री सुनील कुमार चुध<br>(कार्यपालक निदेशक 24.11.2025 तक)                                                   | कार्यपालक निदेशक                             | 17,10,454.07   | -              |
| श्री एस के मजूमदार<br>(23.03.2025 तक)                                                                      | समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी<br>(जीसीएफओ)      | -              | 75,92,849.87   |
| श्री अमित मित्तल<br>(25.03.2025 से)                                                                        | समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी<br>(जीसीएफओ)      | 34,85,181.11   | 63,696.66      |
| श्री संतोष कुमार बारिक<br>(21.04.2023 से)                                                                  | बैंक के कंपनी सचिव                           | 28,71,698.30   | 25,01,214.81   |
|                                                                                                            | कुल                                          | 3,28,33,870.96 | 2,84,33,220.82 |

\*वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान किया गया बकाया वेतन

नोट: ऊपर दिए गए आंकड़ों में बैठक शुल्क, पीएलआई और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।

एस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेन-देन, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ लेन-देन शामिल हैं, का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

## 6.1.5 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under::

Remuneration to Key Management Personnel is as under:

(Amount in ₹)

| NAME & PERIOD                                                                           | DESIGNATION                                    | 2025-26               | 2024-25               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Shri. K SATYANARAYANA RAJU<br>(Superannuated on 31.12.2025)                             | Managing Director &<br>Chief Executive Officer | 67,29,756.00          | 42,41,160.00          |
| Shri. DEBASHISH MUKHERJEE<br>(Superannuated on 31.05.2025)                              | Executive Director                             | 40,58,550.00          | 39,12,885.00          |
| Shri. ASHOK CHANDRA<br>(Till 16.01.2025)                                                | Executive Director                             | 10,15,993.54*         | 30,57,596.00          |
| Shri. HARDEEP SINGH AHLUWALIA<br>[Managing Director & Chief Executive<br>Officer (I/C)] | Executive Director                             | 35,77,812.00          | 34,66,935.00          |
| Shri. BHAVENDRA KUMAR                                                                   | Executive Director                             | 51,37,753.42          | 35,27,076.00          |
| Shri. S K MAJUMDAR<br>(From 24.03.2025)                                                 | Executive Director                             | 42,46,672.52          | 69,807.48             |
| Shri. SUNIL KUMAR CHUGH<br>(ED FROM 24.11.2025)                                         | Executive Director                             | 17,10,454.07          | -                     |
| Shri. S K MAJUMDAR<br>(Till 23.03.2025)                                                 | Group Chief Financial Officer<br>(GCFO)        | -                     | 75,92,849.87          |
| Shri. AMIT MITTAL<br>(From 25.03.2025)                                                  | Group Chief Financial Officer<br>(GCFO)        | 34,85,181.11          | 63,696.66             |
| Shri. SANTOSH KUMAR BARIK<br>(From 21.04.2023)                                          | Company Secretary of the Bank                  | 28,71,698.30          | 25,01,214.81          |
|                                                                                         | <b>Total</b>                                   | <b>3,28,33,870.96</b> | <b>2,84,33,220.82</b> |

\*Arrears Salary Paid during FY 2025-26

**Note:** The figures mentioned above are excluding sitting fee, PLI and other fees.

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

## 7. प्रति शेयर अर्जन

### 7.1 मूल और मिश्रित प्रति शेयर अर्जन

| विवरण                    | 2025-26 | 2024-25 |
|--------------------------|---------|---------|
| मूल और मिश्रित ईपीएस (₹) | 21.73   | 19.34   |

## 7. Earnings per Share:

### 7.1 Basic and Diluted Earnings per Share:

| Particulars               | 2025-26 | 2024-25 |
|---------------------------|---------|---------|
| Basic and Diluted EPS (₹) | 21.73   | 19.34   |

## 7.2 ईपीएस की गणना:

|   | विवरण                                                                        | 2025-26  | 2024-25  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A | इक्विटी शेयरधारकों के फलस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) (रुपये करोड़ में) | 19705.91 | 17539.62 |
| B | इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़)                                   | 907.07   | 907.07   |
| C | 31 मार्च तक बकाया शेयरों की संख्या (करोड़)                                   | 907.07   | 907.07   |
| D | प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (A/B) (रुपये में)                               | 21.73    | 19.34    |
| E | प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रुपये में)                                        | 2.00     | 2.00     |

## 7.2 Computation of EPS:

|   | Particulars                                                                        | 2025-26  | 2024-25  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A | Net Profit / (Loss) for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in Crores) | 19705.91 | 17539.62 |
| B | Weighted Average Number of Equity Shares (Crores)                                  | 907.07   | 907.07   |
| C | No. of Shares outstanding as on 31 <sup>st</sup> March (Crores)                    | 907.07   | 907.07   |
| D | Basic and Diluted Earnings per Share (A / B) (₹)                                   | 21.73    | 19.34    |
| E | Nominal Value per Share (₹)                                                        | 2.00     | 2.00     |

## 8. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

| विवरण                                       | 31.03.2026      | 31.03.2025      |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| निवेश और एनपीआई पर मूल्यहास के लिए प्रावधान | -72.12          | -1090.70        |
| एनपीए के लिए प्रावधान                       | 6320.01         | 9590.62         |
| मानक आस्ति के लिए प्रावधान                  | 1008.17         | 335.96          |
| कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)        | 5730.23         | 5689.03         |
| उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान          | -85.85          | -128.17         |
| संदिग्ध आस्तियों की वसूली के लिए प्रावधान   | 98.95           | 44.86           |
| अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ - निवल         | -853.22         | 11.06           |
| <b>कुल</b>                                  | <b>13852.61</b> | <b>14452.66</b> |

## 8. Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crores)

| Particulars                                      | 31.03.2026      | 31.03.2025      |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Provision for Depreciation on Investment and NPI | -72.12          | -1090.70        |
| Provision towards NPA                            | 6320.01         | 9590.62         |
| Provision towards Standard Asset                 | 1008.17         | 335.96          |
| Provision for Tax (Including Deferred Tax)       | 5730.23         | 5689.03         |
| Provision for Diminution in Fair Value           | -85.85          | -128.17         |
| Provision for assets doubtful of recovery        | 98.95           | 44.86           |
| Other Provision and Contingencies - Net          | -853.22         | 11.06           |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>13852.61</b> | <b>14452.66</b> |

## 9. समेकित खंड रिपोर्टिंग

### भाग ए-कारोबार खंड

(₹ करोड़ में)

|     | विवरण                                               | वर्ष समाप्त                  |                              |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |                                                     | 31.03.2026<br>(लेखापरीक्षित) | 31.03.2025<br>(लेखापरीक्षित) |
| (1) | खंड राजस्व                                          |                              |                              |
| a   | कोष परिचालन                                         | 33700.31                     | 27,686.00                    |
| b   | खुदरा बैंकिंग परिचालन                               | 68930.52                     | 64,972.82                    |
|     | (i) डिजिटल बैंकिंग                                  | 6.38                         | 4.42                         |
|     | (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग                             | 68924.14                     | 64,968.40                    |
| c   | थोक बैंकिंग परिचालन                                 | 50452.39                     | 49,042.10                    |
| d   | जीवन बीमा परिचालन                                   | -                            | 10,956.97                    |
| e   | अन्य बैंकिंग परिचालन                                | -                            | -                            |
| f   | आबंटित नहीं की गई                                   | -                            | -                            |
|     | <b>कुल</b>                                          | <b>153083.22</b>             | <b>152657.89</b>             |
|     | घटाएँ: अंतर-खंड राजस्व                              | -                            | -                            |
|     | परिचालनों से आय                                     | 153083.22                    | 152657.89                    |
| (2) | खंड परिणाम                                          |                              |                              |
| a   | कोष परिचालन                                         | 12604.98                     | 7,839.68                     |
| b   | खुदरा बैंकिंग परिचालन                               | 13814.48                     | 15,931.70                    |
|     | (i) डिजिटल बैंकिंग                                  | (2.09)                       | (3.31)                       |
|     | (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग                             | 13816.57                     | 15935.01                     |
| c   | थोक बैंकिंग परिचालन                                 | (1738.00)                    | (878.73)                     |
| d   | जीवन बीमा परिचालन                                   | -                            | 132.38                       |
| e   | अन्य बैंकिंग परिचालन                                | -                            | -                            |
|     | <b>कुल</b>                                          | <b>24681.46</b>              | <b>23025.03</b>              |
|     | गैर आबंटित आय / खर्चे (प्रोविज़न और कंटेजेंसी सहित) | -                            | -                            |
|     | कर से पहले कुल लाभ                                  | 24681.46                     | 23025.03                     |
|     | आयकर                                                | 5730.24                      | 5689.03                      |
|     | असाधारण वस्तुएँ                                     | (1833.03)                    | --                           |
|     | निवल लाभ / (हानि)                                   | 17118.19                     | 17336.00                     |
|     | एसोसिएट प्रॉफ़िट का हिस्सा जोड़ें                   | 760.37                       | 355.90                       |
|     | कम: एमआई                                            | 5.68                         | 152.28                       |
|     | समेकित निवल लाभ                                     | 17872.88                     | 17539.62                     |

## 9. Consolidated Segment Reporting

### Part A - Business Segment

(₹ in Crores)

|     | PARTICULARS                                                           | YEAR ENDED              |                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |                                                                       | 31.03.2026<br>(Audited) | 31.03.2025<br>(Audited) |
| (1) | Segment Revenue                                                       |                         |                         |
| a   | Treasury Operations                                                   | 33700.31                | 27,686.00               |
| b   | Retail Banking Operations                                             | 68930.52                | 64,972.82               |
|     | (i) Digital Banking                                                   | 6.38                    | 4.42                    |
|     | (ii) Other Retail Banking                                             | 68924.14                | 64,968.40               |
| c   | Wholesale Banking Operations                                          | 50452.39                | 49,042.10               |
| d   | Life Insurance Operation                                              | -                       | 10,956.97               |
| e   | Other Banking Operations                                              | -                       | -                       |
| f   | Unallocated                                                           | -                       | -                       |
|     | <b>Total</b>                                                          | <b>153083.22</b>        | <b>152657.89</b>        |
|     | Less: Inter-Segment Revenue                                           | -                       | -                       |
|     | Income from Operations                                                | 153083.22               | 152657.89               |
| (2) | Segment Results                                                       |                         |                         |
| a   | Treasury Operations                                                   | 12604.98                | 7,839.68                |
| b   | Retail Banking Operations                                             | 13814.48                | 15,931.70               |
|     | (i) Digital Banking                                                   | (2.09)                  | (3.31)                  |
|     | (ii) Other Retail Banking                                             | 13816.57                | 15935.01                |
| c   | Wholesale Banking Operations                                          | (1738.00)               | (878.73)                |
| d   | Life Insurance Operation                                              | -                       | 132.38                  |
| e   | Other Banking Operations                                              | -                       | -                       |
|     | <b>Total</b>                                                          | <b>24681.46</b>         | <b>23025.03</b>         |
|     | Unallocated Income/ Expenses (including Provisions and Contingencies) | -                       | -                       |
|     | Total Profit Before Tax                                               | 24681.46                | 23025.03                |
|     | Income Tax                                                            | 5730.24                 | 5689.03                 |
|     | Extraordinary items                                                   | (1833.03)               | --                      |
|     | Net Profit / (Loss)                                                   | 17118.19                | 17336.00                |
|     | Add Share of Associate Profit                                         | 760.37                  | 355.90                  |
|     | Less: MI                                                              | 5.68                    | 152.28                  |
|     | Consolidated Net Profit                                               | 17872.88                | 17539.62                |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>(3) खंड आस्तियाँ</b>    |                   |                   |
| a कोष परिचालन              | 459960.31         | 468923.63         |
| b खुदरा बैंकिंग परिचालन    | 703100.25         | 592632.60         |
| (i) डिजिटल बैंकिंग         | 72.03             | 47.08             |
| (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग    | 703028.22         | 592585.52         |
| c थोक बैंकिंग परिचालन      | 615299.99         | 557950.21         |
| d जीवन बीमा परिचालन        | -                 | 42,914.28         |
| e अन्य बैंकिंग परिचालन     |                   | -                 |
| f गैर आबंटित परिसंपत्तियाँ | 108964.56         | 70106.66          |
| <b>कुल आस्तियाँ</b>        | <b>1887325.11</b> | <b>1732527.38</b> |
| <b>(4) खंड देयताएं</b>     |                   |                   |
| a कोष परिचालन              | 445342.12         | 440869.83         |
| b खुदरा बैंकिंग परिचालन    | 671519.21         | 568978.05         |
| (i) डिजिटल बैंकिंग         | 38.68             | 25.33             |
| (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग    | 671480.53         | 568952.72         |
| c थोक बैंकिंग परिचालन      | 592136.93         | 540959.31         |
| d जीवन बीमा परिचालन        | -                 | 41397.42          |
| e अन्य बैंकिंग परिचालन     | -                 | -                 |
| f गैर आबंटित देयताएं       | 60549.30          | 33716.21          |
| <b>कुल देनदारियाँ</b>      | <b>1769547.56</b> | <b>1625920.82</b> |
| <b>(5) नियोजित पूंजी</b>   |                   |                   |
| a कोष परिचालन              | 14618.18          | 28053.80          |
| b खुदरा बैंकिंग परिचालन    | 31581.04          | 23654.55          |
| (i) डिजिटल बैंकिंग         | 33.36             | 21.75             |
| (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग    | 31547.69          | 23632.80          |
| c थोक बैंकिंग परिचालन      | 23163.06          | 16990.90          |
| d जीवन बीमा परिचालन        | -                 | 1516.85           |
| e अन्य बैंकिंग परिचालन     | -                 | -                 |
| f आवंटित नहीं की गई        | 48415.26          | 36390.46          |
| <b>कुल नियोजित पूंजी</b>   | <b>117777.55</b>  | <b>106606.56</b>  |

|                                |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>(3) Segment Assets</b>      |                   |                   |
| a Treasury Operations          | 459960.31         | 468923.63         |
| b Retail Banking Operations    | 703100.25         | 592632.60         |
| (i) Digital Banking            | 72.03             | 47.08             |
| (ii) Other Retail Banking      | 703028.22         | 592585.52         |
| c Wholesale Banking Operations | 615299.99         | 557950.21         |
| d Life Insurance Operation     | -                 | 42,914.28         |
| e Other Banking Operations     |                   | -                 |
| f Unallocated Assets           | 108964.56         | 70106.66          |
| <b>Total Assets</b>            | <b>1887325.11</b> | <b>1732527.38</b> |
| <b>(4) Segment Liabilities</b> |                   |                   |
| a Treasury Operations          | 445342.12         | 440869.83         |
| b Retail Banking Operations    | 671519.21         | 568978.05         |
| (i) Digital Banking            | 38.68             | 25.33             |
| (ii) Other Retail Banking      | 671480.53         | 568952.72         |
| c Wholesale Banking Operations | 592136.93         | 540959.31         |
| d Life Insurance Operation     | -                 | 41397.42          |
| e Other Banking Operations     | -                 | -                 |
| f Unallocated Liabilities      | 60549.30          | 33716.21          |
| <b>Total Liabilities</b>       | <b>1769547.56</b> | <b>1625920.82</b> |
| <b>(5) Capital Employed</b>    |                   |                   |
| a Treasury Operations          | 14618.18          | 28053.80          |
| b Retail Banking Operations    | 31581.04          | 23654.55          |
| (i) Digital Banking            | 33.36             | 21.75             |
| (ii) Other Retail Banking      | 31547.69          | 23632.80          |
| c Wholesale Banking Operations | 23163.06          | 16990.90          |
| d Life Insurance Operation     | -                 | 1516.85           |
| e Other Banking Operations     | -                 | -                 |
| f Unallocated                  | 48415.26          | 36390.46          |
| <b>Total Capital Employed</b>  | <b>117777.55</b>  | <b>106606.56</b>  |



## भाग बी - भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

| विवरण             | वर्ष समाप्त       |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   | 31.03.2026        | 31.03.2025        |
| <b>A राजस्व</b>   |                   |                   |
| घरेलू             | 146146.51         | 145931.19         |
| अंतर्राष्ट्रीय    | 6936.71           | 6726.70           |
| <b>कुल</b>        | <b>153083.22</b>  | <b>152657.89</b>  |
| <b>B आस्तियाँ</b> |                   |                   |
| घरेलू             | 1708927.05        | 1589876.67        |
| अंतर्राष्ट्रीय    | 178398.06         | 142650.71         |
| <b>कुल</b>        | <b>1887325.11</b> | <b>1732527.38</b> |

10. अनुषंगी, सहयोगी संस्थाएं और संयुक्त उद्यम के संचित लाभ / हानि में मूल संस्था के हिस्से की गणना के बाद समूह का समेकित आरक्षित निधियां ₹1,15,890.51 करोड़ हैं, जिसमें से ₹1,11,568.48 करोड़ मूल संस्था से संबंधित है और शेष ₹4,322.03 करोड़ अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं से संबंधित है (पिछले वर्ष ₹1,03,602.63 करोड़ रुपये जिसमें से ₹9,8085.98 करोड़ रुपये मूल संस्था से संबंधित हैं और शेष ₹5,516.65 करोड़ रुपये अनुषंगी, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम से संबंधित थे)।

मूल संस्था और अनुषंगियों की एकल वित्तीय विवरणी में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरणियों का सत्य एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और आई सी ए आई द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए वैसे मदों की सूचना, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उनका समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

11. समेकित वित्तीय परिणाम "समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन" पर लेखांकन मानक 21, "सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन" पर लेखांकन मानक 23, सहयोगी संस्थाओं के लिए इक्विटी पद्धति और अनुषंगी संस्थाओं के लिए आनुपातिक पद्धति का उपयोग करते हुए, तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" पर लेखांकन मानक 27 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

## Part B - Geographical Segment:

(₹ in Crores)

| PARTICULARS      | YEAR ENDED        |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
|                  | 31.03.2026        | 31.03.2025        |
| <b>A Revenue</b> |                   |                   |
| Domestic         | 146146.51         | 145931.19         |
| International    | 6936.71           | 6726.70           |
| <b>Total</b>     | <b>153083.22</b>  | <b>152657.89</b>  |
| <b>B Assets</b>  |                   |                   |
| Domestic         | 1708927.05        | 1589876.67        |
| International    | 178398.06         | 142650.71         |
| <b>Total</b>     | <b>1887325.11</b> | <b>1732527.38</b> |

10. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹1,15,890.51 Crores of which ₹1,11,568.48 Crores relate to the Parent and the balance ₹4,322.03 Crores relates to the Subsidiaries & Associates and Joint Venture (Previous year ₹1,03,602.63 Crores of which ₹9,8085.98 Crores relate to the Parent and the balance ₹5,516.65 Crores relate to the Subsidiaries & Associates).

Additional statutory information disclosed in Standalone Financial Statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

11. The consolidated financial results are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", using equity method for associates and proportionate method for subsidiaries and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and guidelines issued by the RBI.

**12. लेखांकन मानक 28- आस्तियों की क्षति:**

वर्ष के अंत में, जब भी ऐसी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती, तो आस्तियों की क्षति की समीक्षा की जाती है। धारित व प्रयुक्त की जाने वाली आस्ति की वसूली योग्यता को आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न होने हेतु संभावित फ्यूचर निवल भुनाये गये नकद प्रवाह की तुलना कर मापा जाना है। यदि ऐसी आस्ति को हानि माना जाए तो उस हानि को आस्ति के वसूली-योग्य राशि से अधिक हुए आस्ति के वहन राशि द्वारा मान्यता दी जानी है और तदनुसार मापा जाना है। यद्यपि, बैंक के प्रबंधन की राय में जिस वर्ष में लेखांकन मानक 28 “आस्तियों की हानि” लागू है, उस वर्ष के दौरान आस्तियों के भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है।

13. दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल ₹3,500 करोड़ के बेसल III-अनुरूप टियर I बॉन्ड जारी किए और कुल ₹2,936.10 करोड़ के बेसल III-अनुरूप टियर I बॉन्ड का मोचन किया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2026 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, बैंक ने कुल ₹5,000 करोड़ के बेसल III-अनुरूप टियर II बॉन्ड जारी किए और कुल ₹4,150 करोड़ के बेसल III-अनुरूप टियर II बॉन्ड का मोचन किया।

14. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक था, पुनः समूहीकृत / पुनः व्यवस्थित / पुनः वर्गीकृत किया गया है।

**12. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:**

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year.

13. During the year ended 31.03.2026, Bank had issued Basel III Compliant Tier I Bonds aggregating to ₹3,500 Crores and redeemed Basel III Compliant Tier I Bonds aggregating to ₹2,936.10 Crores. Further, during the year ended 31.03.2026, Bank issued Basel III Compliant Tier II Bonds aggregating to ₹5,000 Crores and redeemed Basel III Compliant Tier II Bonds aggregating to ₹4,150 Crores.

14. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

## यथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2026

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| विवरण / Particulars                                                                                                          | 31.03.2026<br>(लेखापरीक्षित / Audited) | 31.03.2025<br>(लेखापरीक्षित / Audited) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>                                                |                                        |                                        |
| कर के बाद निवल लाभ / NET PROFIT AFTER TAX                                                                                    | 17,872.87                              | 17,539.62                              |
| जोड़ें : कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर के लिए समावेशी प्रावधान)<br>ADD: PROVISION FOR TAX (INCL PROVISION FOR DEFERRED TAX) | 5,730.23                               | 5,689.03                               |
| <b>कर के पूर्व निवल लाभ / NET PROFIT BEFORE TAX</b>                                                                          | <b>23,603.11</b>                       | <b>23,228.65</b>                       |
| <b>समायोजन हेतु: / Adjustments for:</b>                                                                                      |                                        |                                        |
| मूल्यहास / Depreciation                                                                                                      | 924.53                                 | 869.77                                 |
| निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि)<br>(Profit) / Loss on revaluation of Investments                                   | (1,429.25)                             | (403.28)                               |
| एनपीए के लिए प्रावधान / Provision for NPAs                                                                                   | 6,320.01                               | 9,590.62                               |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard assets                                                                | 1,008.17                               | 335.96                                 |
| बॉण्ड पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on bonds                                                                              | 2,580.42                               | 2,685.24                               |
| आकस्मिक और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for contingencies and others                                                     | 865.37                                 | (68.29)                                |
| निवेश की बिक्री पर लाभ / हानि / (Profit) / Loss on sale of Investment                                                        | (3,634.17)                             | (3,307.71)                             |
| अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि<br>(Profit) / Loss on sale of Fixed Assets                                              | 71.61                                  | (2.27)                                 |
| गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान<br>Provision for Non-Performing Investments                                            | (71.17)                                | (1,094.65)                             |
| <b>कुल योग / Sub total</b>                                                                                                   | <b>6,635.53</b>                        | <b>8,605.39</b>                        |
| <b>समायोजन हेतु: / Adjustments for:</b>                                                                                      |                                        |                                        |
| निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments                                                              | 23,575.86                              | (18,480.56)                            |
| अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances                                                                | (1,77,005.68)                          | (1,27,136.10)                          |
| उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Borrowings                                                                | 64,208.66                              | 30,027.57                              |
| जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Deposits                                                                   | 1,11,838.37                            | 1,44,252.56                            |
| अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other Assets                                                     | (6,829.66)                             | (760.45)                               |
| अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)<br>Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions                  | (34,053.12)                            | 4,845.52                               |
| अल्पांश हित में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Minority Interest                                                  | (1,116.88)                             | 189.36                                 |
| <b>कुल योग / Sub total</b>                                                                                                   | <b>(19,382.44)</b>                     | <b>32,937.90</b>                       |
| <b>घटाएं : निवल आयकर (प्रदत्त) / प्रतिदेय / LESS: NET INCOME TAX (PAID) / REFUND</b>                                         | <b>(2,914.25)</b>                      | <b>(4,103.36)</b>                      |
| <b>परिचालन गतिविधियों से सृजित निवल नकद<br/>NET CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES</b>                                 | <b>7,941.94</b>                        | <b>60,668.58</b>                       |
| <b>निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह परिचालन / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>                                          |                                        |                                        |
| सहयोगी कंपनियों में निवेश में (वृद्धि) / कमी<br>(Increase)/Decrease in Investment in Associates                              | 358.24                                 | (818.66)                               |
| अन्य आरक्षित निधियों में वृद्धि / (कमी)<br>Increase / (Decrease) in Other Reserves                                           | (1,880.68)                             | (2,804.46)                             |
| अचल आस्तियों की बिक्री / खरीद से निवल अंतर्वाह / बहिर्वाह<br>Net inflow / outflow from sale / purchase of fixed assets       | (1,289.77)                             | 1,161.87                               |

|                                                                                                                     |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी<br>NET CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES                                 | (ख)<br>(B) | (2,812.20)  | (2,461.25)  |
| वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES                                              |            |             |             |
| लाभांश का भुगतान<br>Payment of Dividend                                                                             |            | (3,628.26)  | (2,920.75)  |
| बॉण्डों पर प्रदत्त ब्याज<br>Payment of interest on bonds                                                            |            | (2,580.42)  | (2,685.24)  |
| अधीनस्थ ऋण सहित बॉण्ड का नया निर्गम<br>Fresh issue of bonds including sub-ordinated debts                           |            | 8,500.00    | 7,000.00    |
| अधीनस्थ ऋणों सहित बॉण्डों का मोचन<br>Redemption of bonds including sub-ordinated debts                              |            | (7,086.10)  | (4,900.00)  |
| पूंजी और सुरक्षा प्रीमियम का नया निर्गमन<br>Fresh issue of capital & security premium                               |            | 0.00        | 0.00        |
| वित्तीय गतिविधियों से सृजित निवल नकद<br>NET CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES                                | (ग)<br>(C) | (4,794.78)  | (3,505.99)  |
| विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण निवल नकद प्रवाह<br>NET CASH FLOWS ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION                      | (घ)<br>(D) | 105.36      | 24.07       |
| नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)<br>NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A+B+C+D) |            | 440.32      | 54,725.42   |
| प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य / OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS                                                     |            | 2,05,890.11 | 1,51,164.69 |
| अंतिम नकदी और नकद तुल्य / CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS                                                         |            | 2,06,330.43 | 2,05,890.11 |

नकद प्रवाह विवरणी का नोट्स / NOTES TO CASH FLOW STATEMENT:

- नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष पद्धति (AS-3) के तहत तैयार किया गया है और जहां भी आवश्यक है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।  
The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method (AS-3) and figures has been regrouped wherever considered necessary
- नकदी और नकद तुल्य में उपलब्ध नकद शेष, आरबीआई और अन्य बैंकों में उपलब्ध शेष और मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।  
Cash and Cash equivalents include Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice.

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

| नकदी एवं नकद तुल्य के घटक<br>Components of Cash & Cash Equivalents                                                          | 31.03.2026<br>(लेखापरीक्षित / Audited) | 31.03.2025<br>(लेखापरीक्षित / Audited) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| आरबीआई में नकदी व शेषराशि / Cash & Balance with RBI                                                                         | 54,053.90                              | 90,047.68                              |
| बैंकों में उपलब्ध शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि<br>Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 1,52,276.53                            | 1,15,842.43                            |
| कुल / Total                                                                                                                 | 2,06,330.43                            | 2,05,890.11                            |

# ANNUAL REPORT 2025-26

Restricted

**चिरागकुमार आर अमीन**  
मंडल प्रबंधक

**शेख मोहम्मद वसीम**  
सहायक महाप्रबंधक

**दीपक कुमार जेना**  
सहायक महाप्रबंधक

**आर महेंद्रन**  
सहायक महाप्रबंधक

**अमित मित्तल**  
महाप्रबंधक एवं जीसीएफओ

**सुनील कुमार चुघ**  
कार्यपालक निदेशक

**एस के मजुमदार**  
कार्यपालक निदेशक

**भवेन्द्र कुमार**  
कार्यपालक निदेशक

**हरदीप सिंह अहलुवालिया**  
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) एवं कार्यपालक निदेशक

**प्रशांत कुमार गोयल**  
निदेशक

**रोहित पी. दास**  
निदेशक

**आभा सिंह यदुवंशी**  
निदेशक

**गुंजीत सिंह पन्नू**  
निदेशक

**बालकृष्ण राघवेंद्र राव**  
निदेशक

## हमारी यथा तिथि रिपोर्ट के अनुसार

कृते के वेंकटचलम अय्यर  
एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 004610S

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 108846W

कृते अबर्ना एंड अनंतन  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 000003S

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 001537C

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म संख्या : 303002E

(ए गोपालकृष्णन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 018159

(दबीर सुधीर दिवाकरराव)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 039984

(ललिता रामेश्वरन)  
साझेदार  
सदस्य संख्या: 207867

(अनिल गोयल)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 071158

(चंद्र भूषण डे)  
साझेदार  
सदस्य संख्या : 053126

स्थान : बेंगलूरु  
दिनांक : 11.05.2026

Restricted

**CHIRAGKUMAR R AMIN**  
DIVISIONAL MANAGER

**SHEIKH MOHD. WASEEM**  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

**DEEPAK KUMAR JENA**  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

**R MAHENDRAN**  
ASSISTANT GENERAL MANAGER

**AMIT MITTAL**  
GENERAL MANAGER & GCFO

**SUNIL KUMAR CHUGH**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**S K MAJUMDAR**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**BHAVENDRA KUMAR**  
EXECUTIVE DIRECTOR

**HARDEEP SINGH AHLUWALIA**  
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER (I/C) AND EXECUTIVE DIRECTOR

**PARSHANT KUMAR GOYAL**  
DIRECTOR

**ROHIT P. DAS**  
DIRECTOR

**ABHA SINGH YADUVANSHI**  
DIRECTOR

**GUNJEET SINGH PANNU**  
DIRECTOR

**BALAKRISHNA RAGHAVENDRA RAO**  
DIRECTOR

## AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For K VENKATACHALAM  
AIYER & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 004610S

For RODI DABIR & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 108846W

For ABARNA & ANANTHAN  
Chartered Accountants  
FRN : 000003S

For S R GOYAL & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 001537C

For M C BHANDARI & CO  
Chartered Accountants  
FRN : 303002E

(A GOPALAKRISHNAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 018159

(DABIR SUDHIR  
DIWAKARRAO)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 039984

(LALITHA RAMESWARAN)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 207867

(ANIL GOYAL)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 071158

(CHANDRA BHUSAN DEY)  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO: 053126

Place : Bengaluru  
Date : 11.05.2026

Restricted

## लाभांश संवितरण नीति

### पात्रता मानदंड

लाभांश घोषित करने या लाभ अंतरित करने के लिए पात्र होने हेतु, किसी बैंक को निम्नलिखित विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

- ✓ बैंक पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू नियामक पूंजी आवश्यकता का अनुपालन कर रहा था और जिस वित्तीय वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान प्रस्तावित है, उसके अंत तक भी अनुपालन करता रहेगा।
- ✓ लाभांश के भुगतान के बाद भी बैंक की विनियामक पूंजी लागू विनियामक पूंजी आवश्यकता से कम नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते, बैंकों को नियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 9% से ऊपर 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी शामिल है। पूंजी वितरण प्रतिबंध बैंकों पर तब लागू होंगे जब उनकी पूंजी का स्तर इस सीमा के भीतर आ जाएगा। नीचे दी गई तालिका कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात के विभिन्न स्तरों पर एक बैंक द्वारा पूरे किए जाने वाले न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात को दर्शाती है।

| अलग-अलग बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानक                                    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| वर्तमान अवधियों को शामिल करने के बाद कॉमन इक्विटी टियर 1 अनुपात ने आय को बरकरार रखा | न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (आय के % के रूप में व्यक्त) |
| 5.5% - 6.125%                                                                       | 100%                                                     |
| >6.125% - 6.75%                                                                     | 80%                                                      |
| >6.75% - 7.375%                                                                     | 60%                                                      |
| >7.375% - 8.0%                                                                      | 40%                                                      |
| >8.0%                                                                               | 0%                                                       |

कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात में 5.5% की न्यूनतम कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली राशि शामिल है, लेकिन 7% टियर 1 और 9% कुल पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

## Dividend Distribution Policy

### Eligibility Criteria

A Bank shall meet the following prudential requirements, to be eligible to declare dividends or remit profits:

- ✓ The Bank was in compliance with the applicable regulatory capital requirement as at the end of the previous financial year and shall continue to be in compliance as at the end of the financial year during which the dividend is proposed to be paid.
- ✓ The regulatory capital of the Bank shall not fall below the applicable regulatory capital requirement even after the payment of dividend.

Provided, Banks are required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1 capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9%. The capital distribution constraints will be imposed on Banks when their capital levels fall within this range. The below table shows the minimum capital conservation ratios a Bank must meet at various levels of the Common Equity Tier 1 capital ratios.

| Minimum capital conservation standards for individual Bank                       |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Common Equity Tier 1 Ratio after including the current periods retained earnings | Minimum Capital Conservation Ratios (Expressed as % of earnings) |
| 5.5% - 6.125%                                                                    | 100%                                                             |
| >6.125% - 6.75%                                                                  | 80%                                                              |
| >6.75% - 7.375%                                                                  | 60%                                                              |
| >7.375% - 8.0%                                                                   | 40%                                                              |
| >8.0%                                                                            | 0%                                                               |

The Common Equity Tier 1 (CET1) ratio includes amounts used to meet the minimum Common Equity Tier 1 capital requirement of 5.5%, but excludes any additional Common Equity Tier 1 needed to meet the 7% Tier 1 and 9% Total Capital requirements.



बशर्ते यह भी कि, अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति वाले भारत में निगमित बैंकों को काउंटरसाइकिलकल पूंजी बफर (सीसीसीबी) के तहत संबंधित अधिकार क्षेत्र में मेजबान पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है। बैंक विवेकाधीन संवितरण पर प्रतिबंधों के अधीन होंगे (लाभांश भुगतान, शेयर बायबैक और कर्मचारी बोनस भुगतान शामिल हो सकते हैं) यदि वे प्रतिचक्रिय पूंजी बफर की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं जो पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के लिए आवश्यकता का विस्तार है। कुल आरडब्ल्यूए के 2.5% के सीसीबी और 2.5% के सीसीसीबी की समवर्ती आवश्यकता को मानते हुए, सीईटी1 पूंजी के विभिन्न स्तरों पर बैंक के आवश्यक संरक्षण अनुपात (विवेकाधीन संवितरण पर प्रतिबंध) को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

| अलग-अलग बैंक न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात, पूंजी संरक्षण बफर और सीसीसीबी में से प्रत्येक की 2.5% की आवश्यकता मानते हुए |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात बैंड                                                                                     | न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (आय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) |
| >5.5% - 6.75%                                                                                                          | 100%                                                           |
| >6.75% - 8.0%                                                                                                          | 80%                                                            |
| >8.0% - 9.25%                                                                                                          | 60%                                                            |
| >9.25% - 10.50%                                                                                                        | 40%                                                            |
| >10.50%                                                                                                                | 0%                                                             |

सीईटी 1 अनुपात बैंड को उस समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक सीसीबी और सीसीसीबी के 25% की वृद्धि में संरचित किया जाता है।

इसके अलावा, लाभांश की घोषणा आरबीआई द्वारा 2 नवंबर 2021 को जारी परिपत्र DOS.CO.PPG.SEC.No.4/11.01.005/2021-22 के तहत “अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे” पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है। संशोधित पीसीए ढांचे के प्रावधान 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे।

बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे में पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के लिए ट्रैक किए जाने वाले संकेतक दिए गए थे। परिपत्र में उल्लिखित संकेतकों के आधार पर, जोखिम सीमाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और अनिवार्य कार्रवाई जो बैंक द्वारा उक्त जोखिम सीमा का उल्लंघन करने पर की जाएगी।

Provided further that, Banks incorporated in India having international presence are required to maintain adequate capital under Countercyclical Capital Buffer (CCCB) as prescribed by the host supervisors in respective jurisdictions. Banks will be subject to restrictions on discretionary distributions (may include dividend payments, share buybacks and staff bonus payments) if they do not meet the requirement on countercyclical capital buffer which is an extension of the requirement for capital conservation buffer (CCB). Assuming a concurrent requirement of CCB of 2.5% and CCCB of 2.5% of total Risk Weighted Assets (RWAs), the required conservation ratio (restriction on discretionary distribution) of a Bank, at various levels of CET1 capital held is illustrated in the following Table:

| Individual Bank - Minimum Capital Conservation Ratios, Assuming a Requirement of 2.5% each of Capital Conservation Buffer and CCCB |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Common Equity Tier 1 Ratio Bands                                                                                                   | Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as a % of earnings) |
| >5.5% - 6.75%                                                                                                                      | 100%                                                               |
| >6.75% - 8.0%                                                                                                                      | 80%                                                                |
| >8.0% - 9.25%                                                                                                                      | 60%                                                                |
| >9.25% - 10.50%                                                                                                                    | 40%                                                                |
| >10.50%                                                                                                                            | 0%                                                                 |

The CET 1 ratio bands are structured in increments of 25% of the required CCB and CCCB prescribed by the Reserve Bank of India at that point in time.

Also, the declaration of dividend is further subject to the restrictions imposed by RBI vide its Circular DOS.CO.PPG.SEC.No.4/11.01.005/2021-22 dated November 2<sup>nd</sup> 2021 on “Prompt Corrective Action (PCA) Framework for Scheduled Commercial Banks”. The provisions of the revised PCA framework is effective from January 1, 2022.

The Revised Prompt Corrective Action (PCA) framework for Banks had given the indicators to be tracked for capital, asset quality and profitability. Based on the indicators mentioned in the Circular, risk thresholds have been classified into three categories as given in the table below and the mandatory action that would be taken when a Bank breaches the said risk threshold..

जोखिम सीमा के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए विभिन्न संकेतक:

| पीसीए मैट्रिक्स – पैरामीटर्स, संकेतक और जोखिम सीमा |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पैरामीटर                                           | संकेतक                                                                                                                                                                                                                                  | जोखिम सीमा 1                                                                                                        | जोखिम सीमा 1                                                                                                                                                                           | जोखिम सीमा 1                                                                                              |
| (1)                                                | (2)                                                                                                                                                                                                                                     | (3)                                                                                                                 | (4)                                                                                                                                                                                    | (5)                                                                                                       |
| पूँजी<br>(सीआरएआर या सीईटी 1 अनुपात का उल्लंघन)    | सीआरएआर – पूँजी से जोखिम आस्ति अनुपात के लिए न्यूनतम विनियामक निर्धारण + लागू पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी)<br>और / या सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात (सीईटी 1 पीएसटी) + लागू पूँजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के विनियामक पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर | कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक से 250 बीपीएस के नीचे तक<br>कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक से 162.50 बीपीएस के नीचे तक | कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक के नीचे 250 बीपीएस से अधिक लेकिन 400 बीपीएस से अधिक नहीं<br>कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक से नीचे 162.50 बीपीएस से अधिक लेकिन 312.50 बीपीएस से अधिक नहीं | कॉलम (2) में निर्धारित सूचक से 400 बीपीएस से अधिक<br>कॉलम (2) में निर्धारित सूचक से 312.50 बीपीएस से अधिक |
| आस्ति गुणवत्ता                                     | निवल गैर-निष्पादित अग्रिम (एनएनपीए) अनुपात                                                                                                                                                                                              | $\geq 6.0\%$ लेकिन $< 9.0\%$                                                                                        | $\geq 9.0\%$ लेकिन $< 12.0\%$                                                                                                                                                          | $\geq 12.0\%$                                                                                             |
| लीवरेज                                             | विनियामक न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात                                                                                                                                                                                                   | विनियामक न्यूनतम से 50 बीपीएस तक                                                                                    | 50 बीपीएस से अधिक लेकिन नियामक न्यूनतम से 100 बीपीएस से अधिक नहीं                                                                                                                      | विनियामक न्यूनतम से 100 बीपीएस से अधिक                                                                    |

Restricted

The various indicators for classifying under risk thresholds:

| PCA Matrix - Parameters, Indicators and Risk Thresholds          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameter                                                        | Indicator                                                                                                                                                                                                                                                     | Risk Threshold 1                                                                                                            | Risk Threshold 2                                                                                                                                                                                   | Risk Threshold 3                                                                                                                          |
| (1)                                                              | (2)                                                                                                                                                                                                                                                           | (3)                                                                                                                         | (4)                                                                                                                                                                                                | (5)                                                                                                                                       |
| Capital<br>(Breach of either CRAR or CET 1 ratio to trigger PCA) | CRAR - Minimum regulatory prescription for Capital to Risk Assets Ratio + applicable Capital Conservation Buffer (CCB)<br>and/or<br>Regulatory Pre-Specified Trigger of Common Equity Tier 1 Ratio (CET 1 PST) + applicable Capital Conservation Buffer (CCB) | Up to 250 bps below the Indicator prescribed at column (2)<br>Up to 162.50 bps below the Indicator prescribed at column (2) | More than 250 bps, but not exceeding 400 bps below the Indicator prescribed at column (2)<br>More than 162.50 bps, below but not exceeding 312.50 bps below the Indicator prescribed at column (2) | In excess of 400 bps below the Indicator prescribed at column (2)<br>In excess of 312.50 bps below the Indicator prescribed at column (2) |
| Asset Quality                                                    | Net Non-Performing Advances (NNPA) ratio                                                                                                                                                                                                                      | $\geq 6.0\%$ but $< 9.0\%$                                                                                                  | $\geq 9.0\%$ but $< 12.0\%$                                                                                                                                                                        | $\geq 12.0\%$                                                                                                                             |
| Leverage                                                         | Regulatory minimum Tier 1 Leverage Ratio                                                                                                                                                                                                                      | Up to 50 bps below the regulatory minimum                                                                                   | More than 50 bps, but not exceeding 100 bps below the regulatory minimum                                                                                                                           | More than 100 bps below the regulatory minimum                                                                                            |

Restricted

विभिन्न जोखिम सीमाओं के आधार पर, बैंकों के विरुद्ध कुछ अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाईयाँ शुरू की जाएँगी। इन अनिवार्य कार्रवाईयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, लाभांश संवितरण पर प्रतिबंध भी शामिल है—भले ही बैंक को किसी भी जोखिम सीमा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया हो।

**भारत में निगमित बैंक के लिए, जिस अवधि के लिए लाभांश प्रस्तावित किया गया है, उस अवधि के लिए समायोजित कर-पश्चात लाभ (पीएटी) सकारात्मक होना आवश्यक है।**

बैंक पर लाभांश घोषित करने या लाभों के प्रेषण के संबंध में रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य प्राधिकरण की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं होगा।

लाभांश की घोषणा आरबीआई/भारत सरकार/वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश या संसूचना के अधीन होगी।

Based on the various risk thresholds, certain mandatory and discretionary actions would be initiated against Banks. The mandatory actions amongst others include the restriction on dividend distribution irrespective of the risk threshold under which a Bank is classified.

**The Bank incorporated in India shall have positive adjusted Profit After Tax (PAT) for the period for which the dividend is proposed.**

The Bank shall not be under any explicit restrictions for declaration of dividends or remittance of profits from the Reserve Bank or any other authority.

Declaration of dividend shall be further subject to any Directions or Communications issued by RBI / Government of India / Ministry of Finance from time to time.

Restricted

### देय लाभांश की मात्रा

भारत में निगमित कोई भी बैंक, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, नीचे दी गई तालिका में निर्धारित सीमाओं तक लाभांश घोषित और वितरित कर सकता है; परंतु कुल मिलाकर, यह उस अवधि के पीएटी (कर-पश्चात लाभ) के 75% से अधिक नहीं होना चाहिए, जिस अवधि के लिए लाभांश प्रस्तावित किया जा रहा है।

### Quantum of Dividend Payable

A Bank incorporated in India which satisfies the eligibility criteria, may declare and pay dividend up to the limits prescribed under Table below, but in aggregate not exceeding 75% of the PAT for the period for which the dividend is being proposed.

| बकेट  | पिछले वित्त वर्ष के अंत में सीईटी 1 अनुपात | अवधि के लिए समायोजित पीएटी के प्रतिशत के रूप में लाभांश की अनुमति |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| बी1   | (8 + z)% तक                                | 0                                                                 |
| बी 2  | (8 + z)% से अधिक और (10 + z)% तक           | 20                                                                |
| बी 3  | (10 + z)% से अधिक और (12 + z)% तक          | 30                                                                |
| बी 4  | (12 + z)% से अधिक और (14 + z)% तक          | 40                                                                |
| बी 5  | (14 + z)% से अधिक और (16 + z)% तक          | 50                                                                |
| बी 6  | (16 + z)% से अधिक और (17 + z)% तक          | 60                                                                |
| बी 7  | (17 + z)% से अधिक और (18 + z)% तक          | 70                                                                |
| बी 8  | (18 + z)% से अधिक और (19 + z)% तक          | 80                                                                |
| बी 9  | (19 + z)% से अधिक और (20 + z)% तक          | 90                                                                |
| बी 10 | (20 + z)% से अधिक                          | 100                                                               |

नोट: ऊपर दी गई तालिका में 'z' का तात्पर्य संबंधित लागू डी-एसआईबी बफर से है। जिस बैंक को डी -एसआईबी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उसके लिए 'z' शून्य होगा।

| Bucket | CET 1 ratio as at the end of previous FY | Dividend allowed as a % of adjusted PAT for the period |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| B1     | Up to (8 + z)%                           | 0                                                      |
| B2     | Above (8 + z)% and up to (10 + z)%       | 20                                                     |
| B3     | Above (10 + z)% and up to (12 + z)%      | 30                                                     |
| B4     | Above (12 + z)% and up to (14 + z)%      | 40                                                     |
| B5     | Above (14 + z)% and up to (16 + z)%      | 50                                                     |
| B6     | Above (16 + z)% and up to (17 + z)%      | 60                                                     |
| B7     | Above (17 + z)% and up to (18 + z)%      | 70                                                     |
| B8     | Above (18 + z)% and up to (19 + z)%      | 80                                                     |
| B9     | Above (19 + z)% and up to (20 + z)%      | 90                                                     |
| B10    | Above (20 + z)%                          | 100                                                    |

Note: 'z' in above Table refers to the respective applicable D-SIB buffer.

'z' shall be zero for a Bank not classified as D-SIB.

भारत सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपनी इक्विटी का न्यूनतम 20% (अर्थात् प्रदत्त पूंजी) का न्यूनतम लाभांश या कर-पश्चात लाभ का 20%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

लाभांश की मात्रा उपरोक्त उल्लेखित मानदंडों की पूर्ति और भारत सरकार/आरबीआई / सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा (अधिकतम / न्यूनतम) के अधीन होगी।

लाभप्रदता के आधार पर बैंक अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है। ऐसे मामले में इसे अंतिम लाभांश की घोषणा करते समय समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश इस नीति में निर्धारित सीमा (अधिकतम / न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अधीन होगा।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से दिनांक 4 जून, 2021 के पत्र के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम लाभांश का भुगतान आरबीआई द्वारा जारी नियामक दिशानिर्देशों के अधीन है और इसलिए, विशिष्ट पूर्व अनुमति केवल तभी मांगी जा सकती है जब प्रस्तावित लाभांश दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक न्यूनतम लाभांश से कम हो और साथ ही नियामक दिशानिर्देशों / निर्देशों के तहत अनुमत लाभांश से भी कम हो।

- किसी भी अपवाद और / या असाधारण लाभ/आय पर लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- यदि सांविधिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई संशोधित राय शामिल है, जो पीएटी (कर-पश्चात लाभ) के बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए जाने का संकेत देती है, तो पीएटी में शामिल उस सीमा तक की राशि लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- बैंक स्तर 3 वित्तीय साधनों (व्युत्पन्न सहित) के उचित मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले निवल अवास्तविक लाभों से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा।
- बैंक, भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों और प्रतिभूति रसीदों के हस्तांतरण के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त प्रावधानों की वापसी और अवास्तविक लाभों से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा।

As per the extant guidelines of Government of India, the Banks are required to pay a minimum dividend of 20% of their equity (i.e., paid-up capital) or 20% of their post-tax profits, whichever is higher.

The quantum of the dividend shall be subject to the fulfilment of the criteria as enumerated above and the limit (Maximum/Minimum); if any; as stipulated by GoI / RBI / SEBI from time to time.

Bank may declare Interim Dividend based on profitability. In such case it will be adjusted while declaring final dividend and the total dividend to be paid by the Bank, including interim dividend shall be subject to the limit (Maximum / Minimum) and other conditions as stipulated herein in this policy.

Further, in terms of the instructions received from Ministry of Finance, Govt. of India vide letter dated 04th June, 2021, it has been clarified that the payment of minimum dividend is subject to regulatory guidelines issued by RBI and, therefore, specific prior permission may be sought only if the dividend proposed to be paid is less than the minimum required under the guidelines as well as that permissible under regulatory guidelines/ instructions.

- Any exception and / or extra-ordinary profits/ income shall not be available for payment of dividend.
- If the audit report by the statutory auditor contains a modified opinion that indicates an overstatement of the PAT, the same shall not be available for payment of dividend to the extent it is included in PAT.
- Bank shall not pay dividend out of net unrealized gains arising on fair valuation of Level 3 financial instruments (including derivatives).
- Bank shall not pay dividend from reversal of excess provisions and unrealized profits arising on account of transfer of loans & Security Receipts guaranteed by the Government of India.

## लाभांश के भुगतान और लाभों के विप्रेषण पर प्रतिबंध:

- रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह लाभांश के संवितरण या लाभ के विप्रेषण पर प्रतिबंध लगा सके, यदि कोई बैंक लागू विधि, विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल पाया जाता है।
- यदि कोई बैंक ऊपर बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उस अवधि के लिए लाभांश घोषित करने या लाभ के विप्रेषण के लिए कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी।

## अनुपालन न करने पर दंडात्मक परिणाम:

- इन निर्देशों में निहित किसी भी प्रावधान का पालन न करने पर, यथा लागू, पर्यवेक्षी और/या प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है।

## प्रक्रियाएं:

- तुलन पत्र व केंद्रीय लेखा (बीएससीए) अनुभाग, वित्तीय प्रबंधन (एफएम) विभाग और शीर्ष प्रबंधन उपरोक्त बिंदु संख्या 6 में बताए गए नीति दिशानिर्देशों की पूर्ति के अधीन निदेशक मंडल को लाभांश भुगतान अनुपात की सिफारिश करेंगे।
- तुलन पत्र व केंद्रीय लेखा (बीएससीए) अनुभाग, वित्तीय प्रबंधन (एफएम) को लाभांश घोषित करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए:
  - ✓ अंतरिम लाभांश का भुगतान;
  - ✓ एनपीए की पहचान में भिन्नता, प्रावधान में कमी आदि के संबंध में आरबीएस, आरबीआई के निष्कर्ष
  - ✓ खातों के विवरण से संबंधित लेखा परीक्षक की योग्यता
  - ✓ बैंकों की दीर्घकालिक विकास योजना
  - ✓ लागू विनियामक पूंजी आवश्यकता के सापेक्ष वर्तमान एवं अनुमानित पूंजी स्थिति
  - ✓ बेसल और अन्य नियामक आवश्यकताएं
- कंपनी सचिव, सचिवालयी विभाग बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 में उल्लिखित लाभांश संवितरण के प्रक्रियात्मक पहलुओं के अनुपालन और नियामकों को घोषित लाभांश की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेंगे।

## Restriction on payment of dividend and remittances of profits:

- The Reserve Bank reserves the right to place restrictions on distribution of dividend or remittance of profit where a Bank is found to be non-compliant with the applicable laws, regulations / guidelines issued by the Reserve Bank.
- If a Bank does not meet the eligibility criteria as above, no special dispensation will be given for declaration of dividend or for remittance of profits for that period.

## Penal consequences for non-compliance:

- Non-compliance with any of the provisions contained in these Directions may attract supervisory and / or enforcement action, as applicable.

## Procedures:

- Balance Sheet and Central Accounts (BSCA) Section, Financial Management (FM) Wing shall recommend the Dividend Payout Ratio to the Board of Directors subject to the fulfilment of policy guidelines as explained in Point No 6 above.
- BSCA Section, FM Wing should take into account the following aspects while deciding on the proposals for declaring dividend:
  - ✓ The interim dividend paid;
  - ✓ The Risk Based-Supervision, RBI findings with regard to divergence in identification of NPAs, shortfall in provisioning etc.
  - ✓ The auditor's qualification pertaining to statement of accounts.
  - ✓ The Bank's long-term growth plan.
  - ✓ Current & Projected Capital position vis-à-vis applicable regulatory capital requirement.
  - ✓ Basel and other regulatory requirements.
- Company Secretary, Secretarial Department, shall ensure the compliance of procedural aspects of distribution of Dividend as enumerated in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80 and reporting of declared dividend to the regulators.



## प्रकटीकरण

- एसईबीआई की लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं संबंधी अधिसूचना (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 के विनियम 43ए के तहत अपेक्षित आवश्यक खुलासे वार्षिक रिपोर्ट में किए जाएंगे।
- बैंक लाभांश संवितरण नीति को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और वार्षिक रिपोर्ट में इसका वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

## लाभांश के प्रकटीकरण और संवितरण से संबंधित अभिलेख

- लाभांश संवितरण और प्रकटीकरण से संबंधित सभी अभिलेखों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आठ वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा और उन्हें कंपनी सचिव, सचिवालय विभाग या बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

## रिपोर्टिंग प्रणाली

लाभांश का भुगतान करने वाला बैंक निर्धारित प्रारूप के अनुसार उसका विवरण प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट लाभांश की घोषणा के पखवाड़े के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्टिंग कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग या बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जानी है।

## व्याख्या

किसी भी परिस्थिति में, जहां इन नीतियों और प्रक्रियाओं की शर्तें बैंक को नियंत्रित करने वाले किसी मौजूदा या नए अधिनियमित कानून, नियम, विनियमन या मानक से भिन्न होती हैं, कानून, नियम, विनियमन या मानक को इन नीतियों और प्रक्रियाओं पर तब तक वरीयता दी जाएगी जब तक कि इन नीतियों और प्रक्रियाओं को कानून, नियम, विनियमन या मानक के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जाता है।

## Disclosure

- Necessary disclosures shall be made in the Annual Report as required under Regulation 43A of SEBI Notification on Listing Obligations and Disclosure Requirements (Second Amendment) Regulations, 2016.
- The Bank shall disclose the policy on Dividend Distribution on its website and a web link thereto shall be provided in the Annual Report.

## Records relating to Disclosure and Distribution of Dividend

- All records pertaining to distribution of Dividend and disclosures shall be preserved for a period of eight years from the end of the financial year to which it relates and shall be kept in the custody of the Company Secretary, Secretarial Department or any other person authorized by the Board for the purpose.

## Reporting System

A Bank paying dividend shall report details thereof as per the format prescribed. The report shall be furnished to the Department of Supervision of the Reserve Bank within a fortnight of declaration of dividend. The reporting is to be done by Company Secretary, Secretarial Department or any other person authorized by the Board for the purpose.

## Interpretation

In any circumstances where the terms of these policies and procedures differ from any existing or newly enacted law, rule, regulation or standard governing the Bank, the law, rule, regulation or standard will take precedence over these policies and procedure until such time as these policies and procedures are changed to confirm to the law, rule, regulation or standard.

## हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संसूचनाएं ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु

डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि : वे अपने डीमैट खाते में एक ई-मेल आईडी पंजीकृत करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि : कृपया वे अपनी सहमति इस संसूचना पत्र के छिद्रित भाग को भरकर तथा हस्ताक्षर कर हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को उनके नीचे दिए गए पते पर भेजें :

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

यूनिट: केनरा बैंक,

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32

गचीबॉवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,

हैदराबाद - 500 032

ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com

टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001

## केनरा बैंक की हरित पहल

दिनांक :

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

यूनिट: केनरा बैंक,

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32

गचीबॉवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,

हैदराबाद - 500 032

ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com

Restricted

प्रिय महोदय,

मैं / हम \_\_\_\_\_ केनरा बैंक के \_\_\_\_\_ शेयर भौतिक रूप में धारण करता हूँ / करती हूँ / करते हैं और केनरा बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन के तहत हरित पहल के एक भाग के रूप में, मेरे / हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से केनरा बैंक से सभी संसूचनाएं प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ / करती हूँ / करते हैं।

फोलियो संख्या: \_\_\_\_\_

ईमेल आईडी \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

मोबाइल नंबर \_\_\_\_\_

मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देती हूँ / देते हैं कि मेरी/हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त संसूचना को केनरा बैंक द्वारा मुझे / हमें भेजे गए दस्तावेजों की उचित, विधिक और पर्याप्त सुपुर्दगी के रूप में माना जाएगा। मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देती हूँ / देते हैं कि किसी भी तकनीकी / अन्य विफलताओं के कारण मेरी / हमारी ईमेल आईडी पर प्रेषित संसूचना ठीक से न प्राप्त होने की स्थिति में मैं / हम केनरा बैंक, उसके किसी भी कर्मचारी, रजिस्ट्रार या उसके किसी भी कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा / ठहराऊंगी / ठहराएंगे।

प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

## GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to: Register an e-mail ID to their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar Transfer Agent at their address given hereunder:

**KFin Technologies Ltd.**

**Unit : Canara Bank**

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

Hyderabad - 500 032

E-mail ID: einward.ris@kfintech.com

Toll Free No: 1800 309 4001

## GREEN INITIATIVE OF CANARA BANK

Date :

**KFin Technologies Ltd.**

**Unit : Canara Bank**

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

Hyderabad - 500 032

E-mail ID: einward.ris@kfintech.com

Restricted

Dear Sir / Madam,

I / We \_\_\_\_\_ holding \_\_\_\_\_ shares of Canara Bank in physical form, intend to receive all communication from Canara Bank through our e-mail ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Canara Bank.

Folio Number: \_\_\_\_\_

E-mail ID \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Mobile No. \_\_\_\_\_

I / We also undertake that the communication received through my / our e-mail ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to me / us by Canara Bank. I / We further undertake that we would not hold Canara Bank, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case communication is not properly received at my / our e-mail ID due to any technical / other failures.

\_\_\_\_\_  
Signature of the First / Sole Shareholder

Restricted

## शेयरधारकों से कुशल और त्वरित सेवाओं के लिए अपील

1. कृपया अपना केवाईसी अद्यतन करें और अपने भौतिक शेयरों को डीमैट में परिवर्तित करें।
2. कृपया अपने बैंक खाते में लाभांश राशि के इलेक्ट्रॉनिक / सीधे जमा के लिए अपना अधिदेश पंजीकृत करें।
3. ईमेल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करें।

### केवाईसी अद्यतन और अभौतिकीकरण के लाभ

1. शेयर प्रमाणपत्र खोने का कोई खतरा नहीं
2. शेयर हस्तांतरण शुल्क या स्टाम्प ड्यूटी का कोई खर्च नहीं
3. आसान / बाधा-रहित हस्तांतरण / प्रेषण
4. नामांकन संभव
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा।
6. एएसबीए / आईपीओ आवेदन संभव

### इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लाभांश भुगतान के लिए अधिदेश पंजीकृत करने के लाभ

1. लाभांश भुगतान की तिथि पर ही लाभांश सीधा क्रेडिट।
2. लाभांश वारंट के देर से प्राप्त होने / प्राप्त न होने / पुनर्वैधीकरण होने की कोई समस्या नहीं।

### ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लाभ

1. भारत सरकार (जीओआई) की हरित पहल का हिस्सा बनें।
2. एजीएम और ईजीएम की सूचना / वार्षिक रिपोर्ट / अन्य सूचना सहित कॉर्पोरेट संसूचना की तत्काल प्राप्ति।

## Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. Please update your KYC and Demat your Physical Shares.
2. Please register your Mandate for Electronic / Direct Credit of Dividend amount in your Bank A/c.
3. Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail.

### Benefits of KYC Updation and Dematerialization

1. No threat of loss of Share Certificate
2. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle-free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c.
6. ASBA / IPO Application possible

### Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of Dividend on Dividend payment date itself.
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants.

### Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of the Green Initiative of Government of India (GOI).
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Other communication.









टिप्पणियां / Notes

Blank lined area for notes.

Restricted



टिप्पणियां / Notes

Restricted



टिप्पणियां / Notes

Blank lined area for notes.

Restricted



कारोबार योजना सम्मेलन 2025 बेंगलूरु में हमारे निदेशक मंडल  
Our Board of Directors at the Business Plan Conference 2025, Bengaluru



बोर्ड रणनीति बैठक 2025, इंदौर (मध्य प्रदेश) में निदेशक मंडल के साथ टीम केनरा बैंक  
Team Canara Bank with the Board of Directors at the Board Strategy Meet, Indore, Madhya Pradesh - 2025



Restricted



1 Bank Number **1800 1030**



Restricted